

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)



नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Index

01.	Index	02
02.	Regional Editor Board / Editorial Advisory Board	08/09
03.	Referee Board	10
04.	Spokesperson	12
05.	Financial Inclusion Implementation: A Study of Adaptation of Digital Payments Among Youth (Dr. Jaya Sharma)	14
06.	Ethnobotany and Traditional Plant Knowledge (Dr. Ragini Sikarwar)	18
07.	Importance of Sanskars in Our Life (Dr. Seema Sharma)	24
08.	Medicinal Plants and Phytochemistry (Dr. Ragini Sikarwar)	26
09.	Artificial Intelligence Effects on Accounting: A Review (Mangi Lal Jain)	31
10.	Plant Diversity and Conservation (Dr. Ragini Sikarwar)	36
11.	Role of Emotional Branding in Shaping Consumer Behavior in Luxury Goods Market (Dr. Preeti Anand Udaipure)	41
12.	सुविधायुक्त उत्सव आयोजन का पर्याय - इवेंट मैनेजमेंट (डॉ. कलिका डोलस)	48
13.	मीडिया एवं महिला सशक्तिकरण (डॉ. नसीम अख्तर)	51
14.	भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 की चुनौतियाँ (डॉ. प्रवीण ओझा)	53
15.	दक्षिण अरावली क्षेत्र में निवासरत कथौड़ी जनजाति का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जीवन (डॉ. सुदर्शन सिंह राठौड़)	55
16.	वित्तीय समावेशन - लक्ष्य एवं चुनौतियाँ (डॉ. शैलप्रभा कोष्टा)	58
17.	मूल्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य और मानव विकास के बहुआयाम में समालोचना (डॉ. नरेन्द्र कुमार हनोते, डॉ. रीमा नागवंशी)	60
18.	निमाड की भावपूर्ण विरासत : भित्तिचित्र (डॉ. रश्मि दीक्षित)	64
19.	नागार्जुन के उपन्यासों में स्त्री पात्रों की भूमिका (श्रीमती गंगा)	66
20.	भारतीय समाज में साधु-सन्यासियों की परम्पराओं के प्रकार व प्रकृति (डॉ. प्रमिला वाधवा)	70
21.	काव्य शास्त्रीय परम्परा में अलंकार की धारणाओं का संक्षिप्त विश्लेषण (डॉ. पी. एस. बघेल)	73
22.	भारत में कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव (सुभाष कुमार भारती, डॉ. शशि बाला सिंह)	75
23.	भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं पर्यावरण (डॉ. जी. एल. मालवीय, डॉ. खुमेश सिंह ठाकुर)	84
24.	भारतीय परिदृश्य में हिन्दी भाषीय राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिकाओं का अध्ययन (डॉ. सावित्री परिहार, मनीष श्रीवास्तव)	88
25.	भारत में पर्यटन उद्योग से आर्थिक विकास : एक अध्ययन (डॉ. राम सिंह धुर्वे)	92
26.	भारत में तलाक की समस्या (डॉ. पूजा तिवारी)	96
27.	पर्यटन - पर्यावरण और रोजगार (डॉ. जयकुमार सोनी)	98
28.	पिलखुवा में हथकरघा उद्योग के विकास पर समस्याओं और संभावनाओं के बारे में विशेष अध्ययन (मानवी शर्मा, डॉ. ईशा भट्ट)	100
29.	Sustainable Developmental Goals and Women Empowerment (Mrs. Seema Naik)	105
30.	A Study on Blue Bull (<i>Boselaphustragocamelus</i>) Conflict in Jhalawar (Rajasthan) (Dr. Sapna Bhargava, Somlata)	107
31.	The Role of Government and Policy in Encouraging Digital Payment Adoption Among MSMEs in India (Dr. Vibha Vasudeo, Utkarsh Khanna)	111
32.	Study of Ecological Status of Abhedha Pond, Kota (Rajasthan) (Sushma Agrawal, Veena Chourasia)	115
33.	Chromotherapy- Nature Based Therapy System for Mankind (Kumud Dubey, Avinash Dube)	118
34.	Limnological Studies on Datuni Dam of district Dewas (M.P.) (Dr. D.S. Waskel, Dr. B.S. Patel)	120
35.	Ethnomedicinal Trends of Fabaceae Family Plants Used by Tribal's of Dhar District, ... Madhya Pradesh, India (Dr. Kamal Singh Alawa)	123
36.	हिन्दी लोक नाट्य की परम्परा (डॉ. बिन्दू परस्ते)	126
37.	शमशेर बहादुर सिंह के काव्य में भाषा, बिम्ब और प्रतीक (डॉ. ज्योति सिंह, शिव औतार)	128

38.	लघु एवं संक्रमणशील नगरीय क्षेत्रों में स्थित कृषि उपज मण्डियों की आय एवं व्यय का तुलनात्मक अध्ययन.....	132
	(राजगढ़ एवं विदिशा जिले के विशेष संदर्भ में) (मुकेश शाक्यवार, डॉ. सुनील आडवानी)	
39.	प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के रोकथाम एवं प्रबंध (डॉ. विनिता भालसे, प्रो. ममता कनेश)	139
40.	Study of Phytochemicals Profile of Using Different Solvent of Fruit Extract of Gardenia latifolia Ait. (Nirvani Bharti, Renu Sharma, Manisha Singh)	141
41.	पर्यावरण संकट और आपदा प्रबंधन (डॉ. रितु उमाहिया)	145
42.	बनारस घराने में टप्पा गायन (डॉ. निलांभ राव नलवडे)	148
43.	छात्रावासी और गैर छात्रावासी छात्राओं के समायोजन पर सांवेगिक बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन-स्वयं सिद्धा....	150
	छात्रावास जबलपुर की छात्राओं और होम साइंस कॉलेज जबलपुर की गैर छात्रावासी छात्राओं के संदर्भ में (श्रीमती माधुरी खांडेलकर)	
44.	आपदा प्रबंधन में संचार माध्यम की अहम भूमिका (लखनलाल कलेशरिया)	155
45.	Microplastics as Vectors for Pollutants (Dr. Rashmi Ahuja)	159
46.	स्त्री विमर्श की चुनौतियां और मैत्रेयी पुष्पा की रचनाएं (डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. नविता चौधरी)	162
47.	साइबर अपराध और सोशल मीडिया की भूमिका (डॉ. संगीता कुंभारे)	165
48.	कृषि भूमि उपयोग में जल संरक्षण की परम्परागत एवं आधुनिक विधियां कि आवश्यकता बढ़वानी	168
	जिले के संदर्भ में (रमेश पवार, डॉ. मोहन निमोले)	
49.	जनजातियों के शैक्षिक सुधार हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन (अमित कोटेड)	171
50.	यात्रा साहित्य का सामाजिक-सांस्कृतिक अवलोकन : अजय सोडाणी के दर्श-दर्श हिमालय के	175
	विशेष संदर्भ में (दिनेश कुमार)	
51.	राजस्थान के टोंक जिले के सन्दर्भ में जनसंख्या के आकार के आधार पर सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम निर्धारण	178
	का विश्लेषणात्मक अध्ययन (प्रवीण यादव, डॉ. काश्मीर कुमार भट्ट)	
52.	परसंस्कृतिकरण के प्रभाव से भील महिलाओं की सामाजिक समस्याओं में आई कमी का अध्ययन	183
	(धार जिले के विशेष संदर्भ में) (कीर्ति गोस्वामी)	
53.	Digital Age Communication Device: A Cross-Functional Analysis	186
	(Dr. Khatoon Aftab Kathawala)	
54.	Impact of Influencer Marketing on Purchase Decision with Special Reference to	192
	Restaurant Industry (Ms. Shraddha Sengar, Ms. Anukruti Jain)	
55.	The Importance of Biodiversity and Human Health (Dr. Nasreen Anjum Khan)	199
56.	Impact of Sodium Chloride and Sodium Carbonate on Photocatalytic Degradation	202
	of Azure B dye. (Dr. David Swami)	
57.	Challenges and Opportunities for Implementing NEP 2020 in the Higher Education	204
	Sector: A Comprehensive Analysis (Gajendra Kumar Singh, Dr. Neeraj Jaiswal)	
58.	How to Minimize the Risk of Cancer (Dr. Rajesh Masatkar)	210
59.	वर्तमान विधिक शिक्षा एवं विधिक व्यवस्था एक मूल्यांकन (डॉ. ज़ाकिर खान)	213
60.	श्राद्ध माता-पिता के ऋण से उद्धार होने के लिए सरल मार्ग (डॉ. दादूभाई त्रिपाठी)	218
61.	दक्षिणी राजस्थान में जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का एक तुलनात्मक भौगोलिक विश्लेषण	220
	(2001-2011) (डॉ. राजेन्द्र कुमार मेघवाल)	
62.	Conflict between Hate Speech and Indian Laws (Pawan Kumar Chaurasia)	224
63.	Acharya Vinoba Bhave A Social Reformer (Dr. Arvind Sirohi)	227
64.	Political Parties and their Role in Indian Democracy (Tejasvi Dubey, Prabhanshu Tiwari)	230
65.	Utilizing Gamma Ray Spectrometry for Enhancing Food and Agriculture Quality Assurance	233
	(Parth Gupta, Kartikey Pandey, Dr. Anjul Singh)	
66.	उद्योग के क्षेत्र में ई-कॉमर्स का बढ़ता योगदान (नवीन कुमार बिठौरे, डॉ. बी.आर. नलवाया)	240
67.	वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव, वित्तीय सहायता एवं निवारण हेतु उपाय (अंचल रामटेके)	243
68.	नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (डॉ. आभा सैनी)	246
69.	सोशल मीडिया का युवाओं पर प्रभाव (डॉ. सोनिका बघेल)	249
70.	The Future of Military Applications of Artificial Intelligence: An overview of the Role for	251
	Confidence-Building Measures (Santosh Ambhore, Ashok Shrama)	

71.	राजगढ़ जिले का जनसंख्या स्वरूप सम्बन्धी-एक भौगोलिक अध्ययन (डॉ. रानी वास्केल)	255
72.	मध्यप्रदेश स्टार्टअप योजना एवं क्रियान्वयन का अध्ययन (डॉ. रश्मि चौहान)	258
73.	दल-बदल कानून की प्रासंगिकता (कमलेश पवार)	261
74.	मध्यप्रदेश में महिला नीति एवं कल्याणकारी योजनाएं एक अध्ययन (रीवा जिले के सेमरिया तहसील के विशेष संदर्भ में) (डॉ. अर्चना श्रीवास्तव, मंजुला द्विवेदी)	264
75.	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक संबंधों में कौटिल्य के षाड्गुण्य नीति की उपयोगिता- एक अध्ययन (डॉ. शोभाराम सोलंकी)	267
76.	हिन्दी साहित्य में पर्यावरणीय संचेतना (डॉ. सपना)	271
77.	Callus culture from apical bud of <i>Bombax ceiba</i> L. (semul) (Dr. Kanchan Vaidya)	273
78.	An Overview of AI Technology in Society (Dalendra Kumar Bhatt)	276
79.	Offloading Methods in Mobile Cloud Computing (Prof. Syed Asif Ali)	278
80.	समाज में व्यक्ति का असामान्य व्यवहार (श्रीमती कविता आर्य रामाणी)	281
81.	An Audit of Integrated Child Development Services Program (A Study of Salumbar Project) (Manish Bansal)	286
82.	शोषण का शिकार नारी (डॉ. वंदना अग्रिहोत्री, हिना)	289
83.	साहित्य में स्त्री विमर्श की आवश्यकता (डॉ. सरला पण्ड्या)	291
84.	पद्मावत में लोक-संस्कृति की अभिव्यक्ति (डॉ. संगीता मरावी)	293
85.	वित्तीय समावेशन (डॉ. रुकमणी यादव)	297
86.	योग और ध्यान के वैज्ञानिक पहलू (प्रियंका गुप्ता, हिमांशु मुछाल, सुजीत भट्ट)	300
87.	कर्मचारी प्रतिधारण एवं वित्तीय व गैर-वित्तीय अभिप्रेरक तत्व के मध्य संबंध (साक्षी शर्मा, डॉ. अक्षिता तिवारी)	304
88.	Transforming Curriculum with Information Communication Technology (ICT): Toward Sustainable Education Goals (Dr. Dharmendra Kumar Meena)	309
89.	Impact of Internet Banking on Customer Satisfaction: An Empirical Study (Rajesh Kumar Saini, Dr. Laxmi Narayan Sharma)	312
90.	भारत-चीन के मध्य आर्थिक संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. शकुन शुक्ला, कामना देवी साहू)	317
91.	Impact of Training on Sales Person of Private Insurance Companies (Taranjeet Kaur Monga, Dr. Bhoj Raj Nalwaya)	320
92.	Animal Rights and the Importance of Their Protection (Dr. Mamta Pandey)	323
93.	Electronic Contracts: Legal Validity and Enforcement in the Digital Age (Dr. Rashmi Sharma)	326
94.	A Study of The Phenomena of Action, Meditation and Liberation in Early Buddhism (Dr. Punit Kumar Pandya, Mr. Karmveer Singh Bhati)	332
95.	Different Learning Styles as the Method of Addressing Individual Child Needs (Manasvi Tungare Jaiswal)	335
96.	Information and Communication Technology as Pedagogy For Effective Teaching (Rozina William)	338
97.	The Role of Critical Thinking in Education (Sakina Attar)	341
98.	प्रभावी शिक्षण के लिए, शिक्षा शास्त्र के रूप में सूचना एवं संचार तकनीकी प्रौद्योगिकी (डॉ. मिताली बजाज, बलजीत सिंह)	344
99.	प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षाशास्त्र के रूप में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (तृप्ति दवे)	346
100.	सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा का स्थान : शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में एक दृष्टिकोण (सिम्पल रजक)	348
101.	Representation of Women in Jane Austen Pride & Prejudice (Prof. Swati Sharma)	352
102.	भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध : एक सॉख्यकीय अध्ययन (विनोद कुमार तिवारी)	355
103.	भरतपुर परिक्षेत्र की संस्कृति एवं पर्यटन (डॉ. निमेश कुमार चौबीसा, रोहित सिंह)	357
103.	निजी संग्रह में संग्रहित मौलिक स्रोत (निजी संग्रह : धर्मलाल शर्मा) (डॉ. भगवती नागदा)	360
104.	The Impact of World Health Organization- 8 steps Guidelines in Manual Wheelchair Service Provision in Less Resourced Settings on Health, Education and Psychological Well-being of wheelchair Users with special reference to Chhatarpur, Madhya Pradesh (Dr. Mitali Bajaj, Sheetal Kumari)	362
105.	शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावशीलता (खुशबू परिहार)	366
106.	राज्य राजनीति में राज्य नेतृत्व परिवर्तन की भूमिका का विश्लेषण (डॉ. मनोज कुमार भारी)	368

107. पातालकोट की भारिया जनजाति की प्रमुख समस्याएँ एवं समाधान के उपायों का अध्ययन (अनुराग सोनी)	373
108. The Study of National Income of India.....	376
(Dr. Aruna Sharma, Dr. Ashok Sharma, Dr. Aradhana Shukla, Pragati Rai)	
109. India and UNSC Reforms (Pallavi Sharma)	378
110. Jammu & Kashmir during the Partition of 1947 (Anshu Sharma)	382
111. Anti-Inflammatory Activities of Some Medicinal Plants With Special Reference	385
<i>Euphorbia tithymaloides</i> (L.). <i>Luffacylindrica</i> (M. Roem.). <i>Cocciniagrandsis</i> (L.) Voigt	
(Shailendra Sisodiya, Rajesh Kumar Tengriya)	
112. गोविंद शर्मा की लघुबाल कथा 'मटकू बोलता है' में सामाजिक मूल्य (मेघा बंसल, डॉ. नवज्योत भनोत)	389
113. Medical Jurisprudence in India: Challenges and Opportunities (Dr. Lok Narayan Mishra)	392
114. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के दार्शनिक विचार एवं वर्तमान संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता का अध्ययन	396
(मीनाक्षी, डॉ. महेश कुमार गंगल)	
115. The Plight of Women in Mahesh Dattani's Play <i>Where There's a Will</i>	400
(Dr. Chhagan Lal, Dr. O.P. Tiwari)	
116. औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत सुरक्षा प्रहरियों में चिंता एवं योग का प्रभाव (डॉ. जगवंती देसवाल, प्रखर भारद्वाज)	405
117. व्यावसायिक शिक्षा और कौशल निर्माण के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अवलोकन	407
(डॉ. अरुण कुमार सिंह)	
118. हिंदी साहित्य में नारी चेतना (राज कुमार)	411
119. Importance of Mental Health in Our Life (Divya Chordia)	415
120. A Study of Employee Retention Strategies in IT Sector (Madhvi Singh, Dr. Ashish Mishra)	417
121. उच्च शिक्षा और जनजातिय समुदाय की चुनौतियाँ एवं समस्याएँ (खरगोन जिले के जनजाति समुदाय के	420
सर्वेक्षित परिवारों के आधार पर) (विनोद कुमार पटेल)	
122. A Study on Academic and Industry Collaboration to Identified and Managing the Skill Gap	423
(Dr. Bhavana Likhitar)	
123. झाबुआ जिले में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग प्रतिरूप परिवर्तन: एक भौगोलिक विश्लेषण	427
(राधुसिंह भूरिया, डॉ. आर.आर. गोरस्या)	
124. Environmental Pollution Control Management: Today's Growing Need and Requirement	431
(Dr. Sunil Kumar Soni, Dr. S.K.Udaipure)	
125. The Impact of Adultery in India: A Multifaceted Examination (Dr. B.K. Yadav)	433
126. अभिज्ञानशाकुन्तलम् में वर्णित शृंगार रस का स्वरूप (मुकेश दायमा)	437
127. Rise of Environmentalism in India: Grasroots to Governance	442
(Rafia Banoo Dar, Mohammed Imran Khan)	
128. Role of Civil Society in Politics of India (Rafia Banoo Dar)	445
129. भारतीय नारी जगत एवं श्री कृष्ण की भूमिका एवं मान्यता (डॉ. रमा आमेटा)	448
130. भीष्म साहनी के कथा साहित्य में सामाजिक सरोकार (डॉ. अनुषा बंधु)	451
131. भारत में एकात्म मानववाद की वर्तमान प्रासंगिकता (ओमप्रकाश योगी)	453
132. रामायणे नैतिकमूल्यावबोध: (डॉ. पंकज कुमार सिंह)	455
133. वागड़ क्षेत्र के ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल एवं पर्यटन (प्रकाश यादव)	457
134. Quality in Higher Education: Myth or Reality (Dr. Binay Kumar)	462
135. अरावली पर्वत श्रृंखला : उदयपुर जिले के संदर्भ में (डॉ. वर्षा चुण्डावत)	466
136. डूंगरपुर जिले में जनजातियों की आधारभूत सुविधा सूचकांक स्तर (1981 से 2010)	469
(एक भौगोलिक अध्ययन भू.अ.नि.वृ. के आधार पर) (डॉ. गोविन्द लाल सरगड़ा)	
137. A Study of Parent's Attitude on Inclusive Education for Their Children with Mental	473
Retardation (Dr. Kuldeep Singh Tomar, Namami Sharma)	
138. भील जनजाति और स्वतंत्रता संघर्ष (कमलेश कुमार नाथ)	478
139. भारतीय समाज और बैल (चंद्राक साहू)	480
140. Working Environment of Public Sector Banks in Ujjain District	483
(Lakshya Malviya, Dr. L. N. Sharma, Dr. Mahesh Sharma)	

141. जोबट विकासखण्ड में जनजातीय महिला कृषकों के विकास में सहकारी साख का योगदान 486 (जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जोबट के विशेष में) (डॉ. हेमता डुडवे)	486
142. मेवाड़ राज्य की विदेश नीति (1382 ई. से 1528 ई. तक) (अंकित सोनी) 488	488
143. सराफा व्यापार का ऐतिहासिक व वित्तीय अध्ययन (मध्यप्रदेश राज्य के शाजापुर जिले के विशेष संदर्भ में) 490 (प्रवीण कुमार सोनी)	490
144. दक्षिणी राजस्थान के अपवाह तंत्र का परिचयात्मक अध्ययन (हरिओम सिंह झाला) 494	494
145. मेवाड़ के वीर पिता का वीर पुत्र महाराणा अमर सिंह प्रथम (खुशबु झाला) 497	497
146. Synthesis of Schiff base derived ligands 1-chloro-2(2-chloroethoxy) ethane derived ligand 501 (S1) and 1,2-bis(2-chloroethoxy)ethane derived ligand (S2) (Dr. Shital Joshi)	501
147. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में MSME की भूमिका (स्वप्निल चौहान) 506	506
148. BIMSTEC and India in 2024 – Analysis (Geet Krishn Vyas) 508	508
149. जशपुर जिले की वर्तमान स्थिति एवं भावी सम्भावनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन 511 (डॉ. एस.के. शर्मा, गुलशन केरकेट्टा)	511
150. उज्जैन जिले में तिलहनी फसलों के अन्तर्गत मूंगफली फसल की उत्पादकता, लागत एवं लाभपर 515 विशेष अध्ययन (डॉ. बी. एल. पाटीदार, महेन्द्र कुम्भकार)	515
151. भारत में एम-कॉमर्स की स्थिति एवं भविष्य (डॉ. स्नेहा बाबेल) 517	517
152. पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की वास्तविक स्थिति (कृष्णा राजावत) 520	520
153. उदयपुर की आहड़ नदी पर जल प्रदूषण और नगरीकरण का प्रभाव (सुरभि सिंघल, डॉ. अविनाश अग्रवाल) 522	522
154. Acute Toxicity Effects in the Kidney of Juveniles of <i>Tilapia mossambica</i> due to Pursuit 524 (Kamlesh Ahirwar, Romsha Singh)	524
155. Changes in the Levels of Area, Production and Productivity of Major Crops in Agro- 526 Climatic Zones of Madhya Pradesh (Period 1965-66 To 2020-21) (Jageshwar Prasad Prajapati, Dr. Dolly Kushwaha, Prof. Neelkanth G. Pendse)	526
156. महिला जनप्रतिनिधियों का पंचायती राज संस्थाओं में सशक्तिकरण का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 533 (अंजली रजक)	533
157. The Magic of Adaptation: A Global Literary Phenomenon (Prof. Swati Sharma) 536	536
158. Validation Of LC-MS/MS Method For Quantitative Evaluation Of Endogenously Present 538 Ursodeoxycholic Acid And Their Major Metabolites In Human Plasma (Nikhil Agrawal, Amit Mittal)	538
159. महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान (डॉ. लोकेश कुमार शर्मा) 548	548
160. सतत विकास लक्ष्य (डॉ. दिनेश कुमार कटुतिया) 551	551
161. अप्राप्तवय अपराधिता हेतु भारत में सुधार संस्थाएँ (अनूप कैलासिया) 553	553
162. राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन और विकास के बीच संघर्ष का 556 तुलनात्मक अध्ययन (कैलाश शर्मा)	556
163. राजसमन्द जिले में भूमिगत जल की उपलब्धता का भौगोलिक अध्ययन (बद्रीलाल रेगर) 559	559
164. पाठ्यक्रम में अन्तर्निहित मूल्यों की समीक्षा (विजय राज त्रिवेदी, डॉ. कृष्ण कान्त शर्मा) 562	562
165. Reflections of Indian Tradition and Culture in Rama Mehta's Inside the Haveli (Prasoon Soni) .. 566	566
166. Postmodern Perspective in the Novels of Amitav Ghosh (Rajendra Mishra) 569	569
167. गाँधीजी का देश की आजादी में योगदान (गुरप्रीत सिंह) 572	572
168. मेवाड़ महाराणा अमरसिंह प्रथम (1597ई.- 1620ई.) का गौरवान्वित शासनकाल व मुगल संघर्ष 575 (माधव लाल अहीर)	575
169. दलित आरक्षण का भारतीय राजनीति में प्रभाव (डॉ. डी.के. वर्मा) 577	577
170. An Interpretive Study of the Narayanhiti Palace Museum (Kathmandu) Nepal 581 (Dr. Poonam R L Rana)	581
171. प्रेमचंद की कहानियों में दलित नारी पात्र (मनोज कुमार सरगड़ा) 588	588
172. मालवा के खिलचीपुर राज्य का उदय एवं विस्तार एक ऐतिहासिक अध्ययन (डॉ. ओमप्रकाश गेहलोत) 591	591
173. ग्वालियर शहर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् बालक एवं बालिकाओं की बालों का तुलनात्मक अध्ययन 596 (सुजाता भदौरिया, डॉ. मंजू दुबे)	596

174. Acoustic Analysis of Received Pronunciation (RP) English in India: A Sociolinguistic Study of Vowel Shifts and Phonological Variations (Dr. Rajkumari Sudhir)	598
175. Party Politics and Political Culture in Madhya Pradesh (Dr. Jaishree Trivedi, Mr. Bhaskar Dubey)	600
176. संत रविदास और उनका भक्ति मार्ग (डॉ. डी.पी. चंद्रवंशी)	603
177. Reconstructing the Ion Plasma Characteristics Based on Current Measurements Through the Application of Mathematical Techniques (Dr. Raginee Pandey, Dr. Manish Kumar Pandey, Dr. Sanjay Pandey)	605
178. विश्व वन्यजीव संरक्षण (डॉ. मुनीश सिंह नेगी)	611
179. विजन इंडिया @2047 और विकास में युवाओं की भूमिका (डॉ. जितेन्द्र सेन)	614
180. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अकादमिक तनाव का अध्ययन (डॉ. अशोक कुमार)	617
181. Levels of Agricultural Development in Chhattisgarh (Dr. Kajal Moitra, Padma Das)	624
182. Demographic Characteristics of Mungeli District (Dr. Kajal Moitra, Rabindranath Bera)	629
183. Impact of Sustainable Agriculture and Farming Practices (Dr. Kajal Moitra, Dr. Ratnesh Kumar Khanna, Mahtab Alam)	633
184. केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के समायोजन के स्तर का लिंग तथा विषय वर्ग के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. जे. एस. भारद्वाज, संदीप कुमार, डॉ. अन्शु शर्मा)	636
185. Intellectual Property Rights and the Indian Knowledge System: A Strategic Framework for Innovation and Cultural Preservation (Dr. Sapna Kasliwal)	643
186. आदिवासी परिवारों की महिलाओं की आर्थिक-सामाजिक भूमिका (डॉ. राकेश कुमार चौहान)	647
187. Swami Vivekananda and his Practical Vedanta (Dr. Akhilesh Mani Tripathi)	649
188. औद्योगिक रूग्णता की समस्या का अध्ययन (डॉ. प्रतिमा बनर्जी)	651
189. Impact of Social Media Addiction on the Academic Achievements of B.Ed. Trainees in Government Colleges: An Empirical Analysis Using Independent Sample t-test (Harsha Sharma, Dr. Lubhawani Tripathi, Dr. Harsha Patil)	653
190. Aging with Dignity: A Study on Social Support Systems for the Elderly in Contemporary India (Sonali Goyal)	655
191. वर्षा जल संचयन हेतु तालाबों की उपयोगिता एवं समस्याएँ (लक्ष्मी फनात)	657

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur	- Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar	- Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu	- Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi	- Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara	- Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav	- Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas	- Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey	- Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani	- HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam	- HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare	- Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare	- Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhyay	- Exam Controller, Govt. Kamalraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma	- Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav	- Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain	- Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse	- Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India
18. Prof. Dr. Vandna Jain	- Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar	- Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi	- Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav	- HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre	- Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya	- Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel	- Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary	- Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra	- Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma	- Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam	- Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai	- Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare	- HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta	- Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad	- HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra	- HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar	- Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu	- Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson	- Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur	- Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit	- M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav	- Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat	- Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain	- O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi	- Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey	- Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel	- Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar	- Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra	- Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt	- Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma	- Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand	- HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani	- HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel	- HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey	- HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary	- Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan	- Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao	- Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava	- Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa	- Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain	- Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav	- Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya	- Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam	- Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta	- HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta	- Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey	- HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

Referee Board

Maths	-	(1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.) (2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1) Prof. Dr. Umesh Kr. Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.) (2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.) (3) Prof. Dr. Jolly Garg, HOD, D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.)
Life Science	-	(1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.) (2) Prof. Dr. Amrita Khatrri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statistics	-	(1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.) (2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
***** Commerce *****		
Commerce	-	(1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.) (2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) (3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.) (4) Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)
***** Management *****		
Management	-	(1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Admin.	-	(1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.) (2) Dr. Kuldeep Agnihotri, Modern Group of Institutions, Indore (M.P.)
***** Law *****		
Law	-	(1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.) (2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.) (3) Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.) (4) Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)
***** Arts *****		
Economics	-	(1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.) (2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) (3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.) (4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.) (2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.) (3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.) (2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) (3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi	-	(1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.) (2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.) (3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.) (4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.) (5) Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
English	-	(1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.) (2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit	-	(1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.) (2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History	-	(1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography	-	(1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.) (2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology	-	(1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) (2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Drawing	-	(1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.) (2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.) (3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance	-	(1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.) (2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
***** Home Science *****		
Diet/Nutrition Science	-	(1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.) (2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.) (3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human Development	-	(1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.) (2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management	-	(1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) (2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
***** Education *****		
Education	-	(1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka) (2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.) (3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab) (4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana) (5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
***** Architecture *****		
Architecture	-	(1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
***** Physical Education *****		
Physical Education	-	(1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.) (2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.) (3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
***** Library Science *****		
Library Science	-	(1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Guidance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gargade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamalraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone (M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav	- Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta	- Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi	- Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey	- Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar	- Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel	- Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta	- Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash	- Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava	- Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai	- Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya	- Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
57. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain	- Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58. Prof. Dr. Niyaz Ansari	- Govt. College, Sinhaival, Distt. Sidhi (M.P.)
59. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel	- Govt. College, Harda (M.P.)
60. Dr. Suresh Kumar Vimal	- Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61. Prof. Dr. Amar Chand Jain	- Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62. Prof. Dr. Rashmi Dubey	- Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. A.K. Jain	- Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. Sandhya Tikekar	- Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Rajiv Sharma	- Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66. Prof. Dr. Rashmi Srivastava	- Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Laxmikant Chandela	- Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68. Prof. Dr. Balram Singotiya	- Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Vimmi Bahel	- Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70. Dr. Aprajita Bhargava	- R.D.Public School, Betul (M.P.)
71. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan	- Govt. College, Maksi, Distt. Shajapur (M.P.)
72. Prof. Dr. Pallavi Mishra	- Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73. Prof. Dr. N.P. Sharma	- Govt. College, Datia (M.P.)
74. Prof. Dr. Jaya Sharma	- Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75. Prof. Dr. Sunil Somwanshi	- Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76. Prof. Dr. Ishrat Khan	- Govt. College, Raisen (M.P.)
77. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi	- Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78. Prof. Dr. Bhawana Thakur	- Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Keshavmani Sharma	- Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80. Prof. Dr. Renu Rajesh	- Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81. Prof. Dr. Avinash Dubey	- Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82. Prof. Dr. V.K. Dixit	- Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83. Prof. Dr. Ram Awadesh Sharma	- M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri	- Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla	- Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86. Prof. Dr. Anoop Parsai	- Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87. Prof. Dr. Anil Kumar Jain	- Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya	- Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89. Prof. Dr. Archana Vishith	- Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90. Prof. Dr. Kalpana Parikh	- S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Gajendra Siroha	- Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Krishna Pensia	- Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Pradeep Singh	- Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94. Prof. Dr. Smriti Agarwal	- Research Consultant, New Delhi

Financial Inclusion Implementation: A Study of Adaptation of Digital Payments Among Youth

Dr. Jaya Sharma*

*Asst. Professor (Commerce) Govt. Girls College, Sehore (M.P.) INDIA

Abstract - The economic and social development in any country is quite related with Financial Inclusion in today's world. Financial inclusion has been explained as the availability of reliable medium for financial products and services like banking, insurance, financial advisory services etc., to various deprived sections of society and low-income group. The offline and online payment system plays a very important role in bridging the gap between the haves and have nots. In past two decades India has been working on developing such a system of financial service providing which is easily accessible, cost effective and risk free for its citizens. Moving forward in this way various online digital payment services have been initiated and people are now using latest technologies regarding their financial work leading to financial inclusion. This research paper focuses on the finding out various factors affecting the adoption of online banking services and other modes of digital payments specially among youth. The primary data has been collected from the students of colleges and universities situated Sehore. The collected data has been analysed, and interpretation is based on the output-derived. The data collection from the youngsters was not too easy as many of the students who come to sehore are from nearby villages and thus they hesitate to share their financial information. In this research article, an attempt has been made to study significantly on the factors affecting the utilization of online financial services. This work would contribution to the literature regarding analysis of financial inclusion.

Keywords: Financial Inclusion, Digital Payments, Online Financial Services, Financial Literacy.

Introduction - The traditional banking system has indeed been characterized by a preference for cash transactions, but technological advancements have introduced significant changes. The shift towards online modes of payment and digital finance has been a transformative trend in recent years, bringing about various opportunities and innovative solutions to the traditional finance sector. Technology has played a crucial role in promoting financial inclusion by providing banking services to individuals who were previously excluded from the traditional banking system. Mobile banking and digital wallets have made it easier for people in remote or underserved areas. Some key points highlighting the impact of technology on the financial service sector are :

Convenience and accessibility: Online banking and digital payment methods offer convenience and accessibility to users. Customers can conduct transactions, check balances, and manage their finances from the comfort of their homes or on the go through mobile devices.

Cost Efficiency: Digital transactions are often more cost-effective for both banks and customers compared to traditional methods involving physical infrastructure, paperwork, and manual processes

Innovative products and services: Fintech companies

and digital platforms have introduced a wide range of innovative financial products and services.

The Demonetization move announced by Prime Minister Shri Narendra Modi on November 8, 2016, indeed had a significant impact on the financial landscape in India. The decision involved the invalidation of high-denomination currency notes, leading to a temporary disruption in traditional currency transactions. This event prompted a shift towards digital modes of payment and significantly contributed to the growth of Digital Finance in our country leading to a major shift regarding use of financial services. The intention was to eliminate black money transactions and bring out a new and improved currency system for the wellbeing of all sectors of the society.

Financial Inclusion refers to providing affordable and accessible financial products and services to all sections of society, especially those in vulnerable or low-income groups. The shift towards digital modes of payment facilitates easier access to financial services, overcoming geographical barriers and reducing transaction costs. Financial Inclusion aims to reach the 'unbanked' sections of society, referring to individuals who do not have access to traditional banking services. Digital Finance, through initiatives like the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana

(PMJDY), has played a crucial role in bringing banking services to remote and underserved areas, helping to bridge the gap between the banked and unbanked citizens.

Review of literature

Information related to the conceptual framework and theories explaining the factors influencing the adoption of online banking products and services many studies have been conducted. The following studies have been considered for our interpretations.

According to Singh Gagandeep (2014) "the age group from 21-35 years are mostly using the e-wallets for the purpose of mobile and DTH recharges, booking of movie tickets, bill payments, money transfers. The reason behind such adoption is availability of security, easy procedure, convenience of use and the most important is about not being sure of not losing any personal information because of scan and pay method. It is also found that many studies say that there is no significant relation between gender and the use of digital wallets. The study also stated that e-wallets are the new face of the plastic money which indicate that the deployment of technology for digital payments have improved the performance of banking sector and able to achieve the motive cashless country". A study by Levy and Hino (2016) found that respondents use the Internet because it is informative, believable helpful as a buying guide. Respondents avoid the internet because it may be cause of wrong decision. Besides all these things, respondents spent most of their time on Internet by both types of consumers i.e. rural and urban consumers. Raja M Senthil Velmurugan & Seetharaman A (2015) concluded in their study that the cause of intention to transact as because of the easiness and cheaper use of electronic cash when compared to the physical cash and not only that it cannot be counterfeited and it can also be used in telecommunications and data networks for e-commerce. Vinitha and Vasantha (2017) reviled in their study that however, Digital payment system is getting more advanced and is being used extensively there is still very much to be done as there are Still many people who are reluctant to get accustomed such payment methods as a result most of the transactions are cash based. Hence the need to enlighten online and cashless payments is a necessity for us.

Objectives Of The Study: This study is focused on the given objectives:

1. To understand the current status of Financial Inclusion in Sehere.
2. To study the major factors influencing the adoption of Digital payments among the youth.
3. To understand the impact of Digital Finance on Financial Inclusion.

Research Methodology: The study is descriptive in nature, where current and old students were selected as respondents from various institutes in Sehere. Primary data

were collected primarily through google form as a questionnaire. The questionnaire was sent in the form of link of the concerning google form to various students and alumni of different Institutes, and data was collected from them.

Sample Size: 105 respondents from different Institutes.

Sampling Technique: Probability method of sampling (the Random sampling technique)

Table 1 (see in last page)

The data collected through survey has been analysed and the details shows that 105 respondents filled the questionnaire. We find the demographic character of respondents. It was found that out of 105 respondents around 49% of respondents are between the age group 18-20 years, about 34% are between the age group 21-22 years, about 13.5% are between the age group 23-25, and the rest 3.5% belongs to the age group of 26-28 years which reflects high students' involvement in the survey.

Occupation wise the major contributors are students with 86.5% share. As major contribution from students with age group of 18-22 years, its impact on the income of the respondents is seen as it lies a range of 0-3 lakhs. The major finding regarding financial inclusion is that 100% respondents have a bank account thus they are capable of availing financial services. As far as it is about awareness about online services being offered by their bank 77.5% respondents knew it whereas 22.5 were not aware about it which indicates that still there is still lack of proper approach regarding online financial services. As most of the respondents are students who are well educated only 50.6% are availing of those services among 77.5% who are aware of such services.

People who are aware of the banking services are primarily using UPI 42.4%, followed by mobile banking 40.4% and internet banking (12%) for various payments. Most of the respondents have not used these services for last few months that shows that it is not so popular among students and also one reason of not posing an income too seems a reason for this. On a regular basis, UPI is used by the respondents for various purposes like Payment for online shopping, payment to a third party, and for many other payments.

Payment through digital mode has been adopted by students as it has many benefits like easy to use, secure, fast, provide online cash back and discounts and lesser risk of losing money as in case of physical cash.

In contrast, fear of losing money and low internet speed are some major barriers to using online financial services. They mostly prefer Phonepay for payment over other UPI Apps like Paytm, Google Pay, BHIM, and many others. Finally, it can be concluded that online banking services are more convenient rather than offline banking per according to the view obtained in the research.

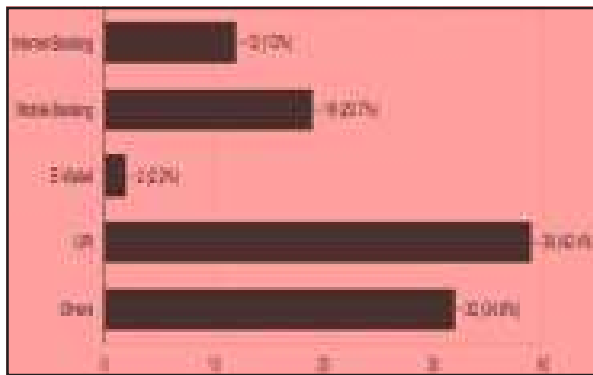


Figure 1: Use of various digital services

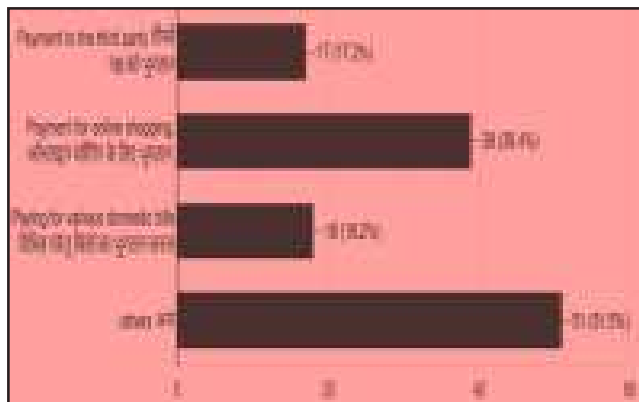


Figure 2: kind of payments for digital payments system

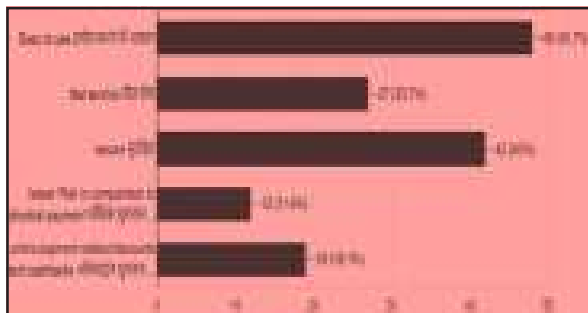


Figure 3: benefits of online payment services

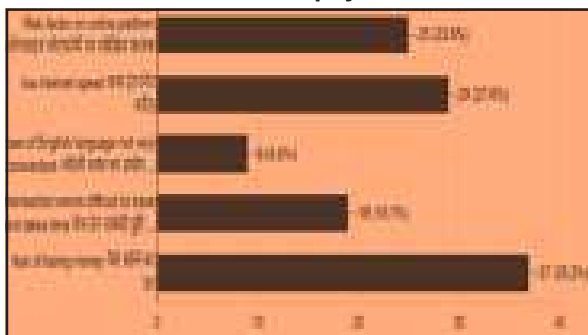


Figure 4: problems with online payment services

Analysis And Interpretation: As per the first research objectives, it was found that to understand the current status of Financial Inclusion in Sehore, the analysis indicates that 100% of respondents are having bank accounts and 96.6% of them are using smartphones, out of which 78%

respondents are aware of the online banking services and among them only 50.6% are using online banking services.

The result indicates that they are aware of the banking services provided by their bank, but only half of them are using it. With regards to the frequency of use it is found that most of them have not been using it regularly.

As per the second research objective, it was found that various factors influence the adoption of digital payment among students. Payment through digital mode has many benefits like easy to use, secure, fast, provide online cash back and discounts and lesser risk of losing money. Figure 1 shows the use of online payment services for payments.

There are various reasons why they don't refer to digital payment adoption to others, like internet connection, security, trust, low-cost involvement, and delay in transaction processing. They mostly prefer UPI over various other modes of payment like mobile banking, net banking, e-wallets, etc. According to figure 2, almost 48% of the respondents prefer Phone pe over G-pay, BHIM, Paytm, and many other apps due to convenience, time-saving, and low cost. Internet connection, security, trust, delay in processing a transaction, and High charges are certain barriers to students' adoption of digital payment methods. After analysing all the merits and demerits of digital payment modes, almost 72.4% of the students prefer online banking over traditional banking as per figure 5. Lastly, as per the third objective, it was found that most of the respondents belong to the age group of 18-20 years, which indicates a young generation; they are aware of the banking services provided by their bank, and even though 77.5% of them are also using it for various purposes. The concern is about its lower use among them as Sehore is a semi urban area and most of the people here are from nearby villages the tendency of physical cash still exists. Still it is a good sign that they are of a view to find online financial services better than traditional ones.

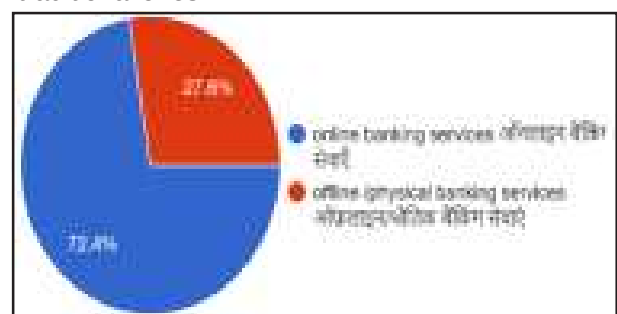


Figure 5: offline vs online banking services

Conclusion: From last few decades special measures are taken by the Indian government to spread financial inclusion and thus the emergence of online banking services have changed traditional models. The Unified Payments Interface (UPI), Aadhaar-based services, and the Direct Benefit Transfer (DBT) scheme are some of the measures that have helped government achieve its goal. With quick, reliable and cost-effective services access has increased

and thus savings and investment opportunities seems to speed up. These steps may help achieve economic growth and alleviate the problem of poverty and unemployment in our country.

The research results prove that digital finance positively impacts financial inclusion through digital financial services, facilitating access to financial services.

As per our survey, we found that the young generation who are well educated are more inclined towards the use of technology and they are also referring it to others as well. But there is a need of awareness among the senior citizens about the usage of technology in different fields. Though technology has many benefits but it has certain limitation as well which we need to identify and then use it. Fishing is a major concern nowadays during Digital payment. So, we need to be well aware about it, and then we should adopt it. Access to financial services enables individuals and businesses to participate more actively in economic activities, potentially improving living standards.

References:-

Table 1

Particulars	Frequency in percentage	Particulars	Frequency in percentage
Age		Do you have a smart phone with internet connectivity?	
18 years -20 years	49.4	Yes	96.6
21 years -22 years	33.7	NO	3.4
23 years -25 years	13.5	Are you aware of the online financial services provided by your bank ?	
26 years -28 years	3.4	Yes	77.5
occupation		NO	22.5
student	86.5	Are you availing any of the online banking services/ channel ?	
Govt. Employee	3.4	Yes	50.6
Private Employee	2.2	NO	49.4
Business/profession	1.1	If yes, which online banking services are you using?	
others	6.7	Internet Banking	12
Income		Mobile Banking	40.4
0- 3 lakh	93.3	E-Wallet	2.1
3- 5 lakh	3.4	UPI	42.4
5- 7 lakh	3.4	Others	3.1
more than 7 lakh		How often do you use online banking services?	
Do you have a Bank Account		Daily	11.4
Yes	100	Weekly	19
No	0	Monthly	22.9
which mode of banking & financial services would you suggest better ?		Not used in the last few months	46.7
online banking services	72.4	which UPI app do you use often?	
offline /physical banking service	27.6	Paytm	23
		Phonepay	52
		Google pay	22
		BHIM	3
		Other	

Source: Primary data collected and analysed from Questionnaire

1. Singh, G. (2019). A review of factors affecting digital payments and adoption behaviour for mobile e-wallets. *International Journal of Research in Management & Business Studies*, 6(4), 89-96.
2. K. H. D. K.Sumavally, "A study on the future of digital payments in India," *Int. J. Res. Anal. Rev.*, vol. 119, no. 5, pp. 1259–1267, 2018
3. 2016 Levy & Hino, "International Journal of Bank Marketing," *Int. J. Bank Mark.*, vol. 12, no. 7, pp. 1–32, 2016
4. Dr.J. Raja M Senthil VelmurganA Seetharaman E-payments problems and prospects <http://www.mmu.edu.my/%7EBm/fbl/> ISSN: 1204-5357 2015.
5. Vinitha, K., & Vasantha, S. (2017). Factors Influencing Consumer's Intention to Adopt Digital Payment-Conceptual Model. *Indian Journal of Public Health Research & Development*, 8(3).
6. Dadhich, M., Pahwa, M. S., & Rao, S. S. (2018). Factor influencing to users acceptance of digital payment system. *International Journal of Computer Sciences and Engineering*, 6(09), 46-50.

Ethnobotany and Traditional Plant Knowledge

Dr. Ragini Sikarwar*

*HOD (Botany) Govt. Home Science PG Lead College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract - Ethnobotany, the interdisciplinary field encompassing the study of the relationships between plants and people, is increasingly recognized for its vital role in understanding traditional plant knowledge (TPK). This abstract explores the significance of TPK within ethnobotanical research, emphasizing its importance in preserving cultural heritage, promoting sustainable practices, and advancing modern science.

TPK, rooted in centuries-old traditions and passed down through generations, holds a wealth of information about the uses, properties, and ecological roles of plants in diverse ecosystems. Through ethnobotanical studies, researchers document and analyze this knowledge, revealing insights into indigenous cultures, medicinal practices, agricultural techniques, and environmental conservation strategies.

Furthermore, TPK serves as a bridge between traditional wisdom and contemporary scientific inquiry, facilitating the discovery of novel bioactive compounds, agricultural innovations, and conservation strategies. Its integration into modern practices holds promise for addressing global challenges such as biodiversity loss, food security, and healthcare disparities.

This abstract underscores the importance of recognizing, respecting, and incorporating traditional plant knowledge into scientific discourse and policymaking. By fostering collaboration between indigenous communities and researchers, ethnobotany not only enriches our understanding of plant-human interactions but also offers holistic solutions to pressing societal and environmental issues.

Keywords: Ethnobotany, Traditional plant knowledge, Cultural heritage, Sustainability, Indigenous communities, Medicinal plants, Conservation.

Introduction to Ethnobotany and Traditional Plant

Knowledge: Ethnobotany, at its core, is an interdisciplinary field that examines the dynamic relationships between plants and people across different cultures and societies. It encompasses a diverse range of disciplines including anthropology, botany, ecology, pharmacology, and indigenous studies. One of the key focal points within ethnobotany is the study of traditional plant knowledge (TPK), which refers to the accumulated knowledge, practices, and beliefs surrounding the use of plants within indigenous and traditional communities (Ferrara et al., 2023).

Traditional plant knowledge is deeply rooted in the cultural heritage of societies around the world, passed down through generations via oral traditions, rituals, and practical experiences (Balick et al., 2020). It encompasses a wide array of information, including plant identification, medicinal properties, culinary uses, agricultural practices, spiritual significance, and ecological observations. This knowledge is often intricately intertwined with local customs, beliefs, and worldview, reflecting the intimate connection between people and their natural environment.

Throughout history, traditional plant knowledge has

played a fundamental role in sustaining human livelihoods, providing food, medicine, shelter, and cultural identity. Indigenous cultures have developed sophisticated systems of plant classification, cultivation, and utilization, honed over centuries of close observation and experimentation. Moreover, traditional plant knowledge has served as the foundation for numerous modern scientific discoveries, with many pharmaceuticals, agricultural practices, and ecological insights derived from indigenous plant wisdom. In recent years, ethnobotanical research has gained increasing recognition for its importance in documenting, preserving, and valorizing traditional plant knowledge (Söukand et al., 2024). This recognition stems from growing concerns about biodiversity loss, cultural erosion, and the need for sustainable solutions to pressing global challenges. Ethnobotanists work closely with indigenous communities to record and validate traditional plant knowledge, fostering collaborative partnerships that respect local perspectives and empower indigenous voices.

In summary, ethnobotany and traditional plant knowledge are essential components of our shared human heritage, offering valuable insights into the complex relationships between people and plants. By bridging

traditional wisdom with modern science and promoting cultural preservation and sustainability, ethnobotanical research contributes to a more holistic understanding of the natural world and offers pathways towards a more harmonious relationship between humans and their environment.

Table 1 (see in last page)

The Significance of Traditional Plant Knowledge in Ethnobotanical Research: Ethnobotanical research delves into the intricate relationships between humans and plants, seeking to understand the cultural, ecological, and medicinal significance of plant species to various societies (Banisetti et al., 2023; Ellis et al., 2018). At the heart of this field lies traditional plant knowledge (TPK), which serves as a cornerstone for ethnobotanical investigations. The significance of TPK in such research is multifaceted and profound, encompassing cultural preservation, sustainable resource management, healthcare, and scientific discovery. First and foremost, TPK plays a crucial role in preserving cultural heritage. Indigenous and traditional communities have cultivated deep connections with their surrounding environments over centuries, developing intricate knowledge systems regarding plant identification, uses, and management practices. By documenting and validating TPK, ethnobotanical research helps to safeguard indigenous cultures from cultural erosion and supports the transmission of traditional knowledge to future generations. Furthermore, TPK provides invaluable insights into sustainable resource management practices. Indigenous peoples have long relied on traditional ecological knowledge to sustainably harvest wild plants, manage agroecosystems, and conserve biodiversity. Ethnobotanical research uncovers traditional resource management techniques, such as rotational cropping, companion planting, and selective harvesting, which can inform modern conservation efforts and promote sustainable land use practices. In the realm of healthcare, TPK offers a rich repository of medicinal plant knowledge. Indigenous healers and traditional medicine practitioners have developed sophisticated herbal remedies based on centuries of empirical knowledge and observation. Ethnobotanical studies document traditional medicinal plant uses, identify bioactive compounds, and validate the efficacy of traditional remedies through scientific inquiry. This collaboration between traditional healers and researchers holds promise for the development of novel pharmaceuticals and alternative healthcare solutions.

Moreover, TPK serves as a reservoir of biodiversity knowledge, offering valuable insights into plant taxonomy, ecology, and evolutionary relationships. Indigenous peoples possess detailed knowledge of plant species distribution, habitat preferences, and seasonal patterns, which contribute to our understanding of ecosystem dynamics and plant evolution. Ethnobotanical research helps bridge traditional ecological knowledge with modern scientific

methodologies, enriching our understanding of plant biodiversity and ecosystem functioning.

Preservation of Cultural Heritage through Traditional Plant Knowledge:

The preservation of cultural heritage is a crucial aspect of ethnobotanical research, and traditional plant knowledge (TPK) plays a central role in this endeavor. TPK embodies the wisdom, practices, and beliefs surrounding plant use within indigenous and traditional communities, reflecting centuries-old connections between people and their natural environments. Through the documentation, validation, and promotion of TPK, ethnobotanical research contributes to the conservation and revitalization of cultural heritage in several key ways.

Firstly, TPK serves as a repository of indigenous knowledge systems, encompassing plant identification, uses, cultivation techniques, harvesting practices, and folklore (Magaya et al., 2021). These knowledge systems are deeply rooted in the cultural identity of indigenous peoples, embodying their values, spirituality, and worldview. By documenting and preserving TPK, ethnobotanical research helps to safeguard cultural heritage from the impacts of globalization, environmental change, and cultural assimilation.

Secondly, the preservation of TPK contributes to the empowerment of indigenous communities. Indigenous peoples have historically faced marginalization, discrimination, and loss of land and resources. By recognizing the value of traditional knowledge and fostering collaborative partnerships with indigenous knowledge holders, ethnobotanical research empowers indigenous communities to reclaim their cultural heritage, assert their rights to land and resources, and participate in decision-making processes that affect their lives and environments. Thirdly, TPK provides a bridge between past traditions and future generations. Many indigenous languages, customs, and practices are at risk of being lost as younger generations increasingly adopt modern lifestyles. By documenting and transmitting TPK to younger generations, ethnobotanical research helps to ensure the continuity of cultural traditions, fostering intergenerational knowledge transfer and preserving cultural diversity for future generations.

Moreover, the preservation of TPK contributes to cultural revitalization and resilience. Indigenous communities often face social, economic, and environmental challenges that threaten their cultural survival. By revitalizing traditional practices, such as medicinal plant use, sustainable agriculture, and cultural ceremonies, ethnobotanical research strengthens cultural resilience, promotes community well-being, and fosters pride in indigenous identity.

In conclusion, the preservation of cultural heritage through traditional plant knowledge is a fundamental aspect of ethnobotanical research. By documenting, validating, and promoting TPK, ethnobotanists contribute to the

conservation of cultural diversity, the empowerment of indigenous communities, and the revitalization of traditional knowledge systems. This collaborative effort helps to ensure the survival of indigenous cultures and their invaluable contributions to the conservation of biodiversity, sustainable resource management, and human well-being.

Promoting Sustainability through Traditional Plant Knowledge: Traditional plant knowledge (TPK) holds significant potential for promoting sustainability in various aspects of human interaction with the environment. This knowledge, accumulated over generations by indigenous and traditional communities, encompasses diverse practices related to plant cultivation, harvesting, and utilization that are inherently sustainable. Through the integration of TPK into modern practices and policies, ethnobotanical research contributes to fostering sustainable relationships between people and plants in the following ways:

1. Agroecology and Traditional Farming Practices: Indigenous and traditional farming systems often prioritize ecological sustainability by utilizing agroecological principles such as polyculture, crop rotation, and agroforestry (Singh et al., 2017; Patel et al., 2020). TPK provides valuable insights into these sustainable farming practices, which enhance soil fertility, reduce the reliance on chemical inputs, and promote biodiversity conservation. By documenting and promoting traditional farming techniques, ethnobotanical research supports the transition towards more sustainable agricultural systems.

2. Wild Harvesting and Sustainable Resource Management: Indigenous communities have long practiced sustainable harvesting of wild plants, respecting seasonal cycles, population dynamics, and ecosystem resilience (Chanza et al., 2021). TPK includes guidelines for sustainable wild harvesting, such as selective harvesting, habitat conservation, and cultural taboos regulating plant use. Ethnobotanical research documents and validates these traditional harvesting practices, informing sustainable management strategies for wild plant resources and promoting conservation efforts to preserve biodiversity.

3. Traditional Medicinal Plant Use and Healthcare: Traditional medicine systems based on plant remedies have a long history of promoting health and well-being in indigenous communities (Sakapaji et al., 2024). TPK encompasses knowledge of medicinal plant identification, preparation, and administration, as well as holistic approaches to healthcare that emphasize the interconnectedness of human health and the environment. Ethnobotanical research validates the efficacy of traditional medicinal plants, facilitating their integration into modern healthcare systems and promoting the sustainable utilization of medicinal plant resources.

4. Cultural Practices and Conservation Ethics: Indigenous cultures often have deep spiritual and cultural connections to their natural environments, reflected in

traditional practices, rituals, and belief systems. TPK includes cultural values and conservation ethics that guide respectful interactions with plants and ecosystems, promoting stewardship and environmental conservation (Bowers et al., 2023). Ethnobotanical research documents and preserves these cultural practices, highlighting their significance for biodiversity conservation and promoting cultural revitalization and resilience.

5. Community-Based Conservation and Livelihoods: Integrating TPK into conservation initiatives and sustainable development projects fosters community participation and ownership, empowering indigenous and traditional communities to manage their natural resources sustainably (Brown et al., 2022; Kenney et al., 2015). Ethnobotanical research collaborates with local communities to develop community-based conservation strategies that respect traditional knowledge systems, support local livelihoods, and promote biodiversity conservation.

Bridging Traditional Wisdom and Modern Science: Integrating Traditional Plant Knowledge into Contemporary Practices: The integration of traditional plant knowledge (TPK) into contemporary practices represents a synergistic approach that leverages the strengths of both traditional wisdom and modern science. This process involves recognizing the value of indigenous and traditional knowledge systems, validating them through scientific inquiry, and incorporating them into sustainable practices and policies. By bridging traditional wisdom and modern science, ethnobotanical research fosters innovation, promotes cultural preservation, and contributes to addressing pressing global challenges.

1. Documentation and Validation of Traditional Knowledge: Ethnobotanical research plays a critical role in documenting and validating TPK, which encompasses diverse practices related to plant use, cultivation, and conservation. Through rigorous scientific inquiry, researchers verify the efficacy and safety of traditional medicinal plants, the sustainability of traditional agricultural practices, and the ecological knowledge embedded in indigenous plant classifications. This validation process builds trust and credibility, laying the foundation for the integration of TPK into contemporary practices.

2. Bioprospecting and Drug Discovery: Traditional medicine systems have long been a source of inspiration for drug discovery, with many modern pharmaceuticals derived from natural products based on traditional plant knowledge. Ethnobotanical research identifies promising medicinal plants, validates their bioactivity through laboratory studies, and investigates their therapeutic potential for treating various diseases. By integrating TPK into bioprospecting efforts, researchers facilitate the discovery of novel compounds with pharmaceutical applications, benefiting both traditional healers and modern medicine.

3. Sustainable Agriculture and Food Security:

Indigenous and traditional farming systems offer valuable insights into sustainable agriculture practices that prioritize soil health, biodiversity conservation, and resilience to environmental stressors. Ethnobotanical research documents traditional crop varieties, agroecological techniques, and soil management practices, which can inform the development of climate-resilient agricultural systems. By integrating TPK into contemporary agriculture, researchers promote food security, enhance ecosystem services, and support the livelihoods of smallholder farmers.

4. Conservation and Sustainable Resource Management: Indigenous and traditional communities have developed intricate knowledge systems for managing natural resources sustainably, including wild plant harvesting, habitat conservation, and community-based governance mechanisms. Ethnobotanical research collaborates with local communities to document traditional resource management practices, assess their effectiveness, and develop conservation strategies that respect traditional knowledge systems. By integrating TPK into conservation efforts, researchers promote biodiversity conservation, support indigenous land rights, and foster community empowerment.

5. Cultural Revitalization and Empowerment: The integration of TPK into contemporary practices contributes to cultural revitalization and empowerment, affirming the value of indigenous and traditional knowledge systems in addressing contemporary challenges. By recognizing the contributions of traditional knowledge holders, promoting intercultural dialogue, and supporting community-led initiatives, ethnobotanical research strengthens cultural identity, promotes social equity, and fosters collaboration between diverse knowledge systems (Turner et al.,2022).



Figure 1 : Integration of Traditional Plant Knowledge into Contemporary Practices

Collaborative Approaches with Indigenous Communities in Ethnobotanical Research: Ethnobotanical research thrives on collaboration with indigenous communities, recognizing their invaluable

contributions to understanding traditional plant knowledge (TPK) and fostering mutual respect, trust, and equitable partnerships (Dapar et al.,2020). Collaborative approaches with indigenous communities in ethnobotanical research not only ensure the accuracy and cultural relevance of research findings but also promote community empowerment, cultural preservation, and sustainable development. Several key principles guide such collaborative endeavors:

1. Community Engagement and Consultation: Collaborative ethnobotanical research begins with meaningful engagement and consultation with indigenous communities, respecting their autonomy, cultural protocols, and decision-making processes. Researchers work closely with community leaders, elders, knowledge holders, and other stakeholders to establish rapport, build trust, and co-create research objectives, methodologies, and outcomes.

2. Respect for Indigenous Knowledge and Cultural Protocols: Indigenous knowledge systems are the foundation of ethnobotanical research, and respect for traditional knowledge holders and cultural protocols is paramount. Researchers acknowledge the intellectual property rights of indigenous communities over their traditional knowledge, seek informed consent for research activities, and ensure that research findings are shared with communities in accessible and culturally appropriate formats.

3. Participatory Research Methods: Collaborative ethnobotanical research employs participatory research methods that prioritize community participation, ownership, and capacity building. Researchers involve community members in all stages of the research process, from data collection and analysis to interpretation and dissemination. Participatory methods such as participatory mapping, focus group discussions, and participatory action research empower communities to actively contribute their knowledge and insights to the research process.

4. Reciprocity and Benefits Sharing: Collaborative ethnobotanical research is guided by principles of reciprocity and benefits sharing, ensuring that communities derive tangible benefits from their participation in research activities. Researchers share research findings with communities in a timely and accessible manner, provide training and capacity-building opportunities, and support community-led initiatives that promote cultural preservation, environmental conservation, and sustainable development.

5. Ethical Considerations and Indigenous Rights: Collaborative ethnobotanical research upholds ethical standards that prioritize the well-being, rights, and interests of indigenous communities. Researchers adhere to ethical guidelines and protocols established by relevant institutions and organizations, including the principles of free, prior, and informed consent (FPIC) and the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing. Researchers also advocate for the recognition and protection of indigenous rights,

including land rights, cultural rights, and intellectual property rights.

6. Long-term Relationships and Sustainability: Collaborative ethnobotanical research fosters long-term relationships and partnerships with indigenous communities, recognizing that sustainable change takes time and commitment. Researchers invest in building trust, nurturing relationships, and addressing the needs and priorities of communities beyond the scope of individual research projects. Sustainable partnerships contribute to the continuity of research efforts, the preservation of traditional knowledge, and the empowerment of indigenous communities to shape their own futures.

Conclusion: In conclusion, collaborative approaches with indigenous communities are indispensable for advancing ethnobotanical research in a manner that is ethical, culturally sensitive, and socially just. Throughout this exploration, we have seen how these collaborative endeavors uphold principles of respect, reciprocity, and sustainability, ensuring that research efforts benefit both researchers and indigenous communities alike.

By engaging in meaningful consultation and participation, researchers can establish trust and build rapport with indigenous communities, fostering a sense of ownership and empowerment. Through the integration of traditional knowledge systems into research methodologies, indigenous communities contribute invaluable insights that enhance the accuracy, relevance, and cultural sensitivity of research findings.

Furthermore, collaborative ethnobotanical research promotes the preservation of cultural heritage, the revitalization of indigenous knowledge systems, and the empowerment of communities to shape their own futures. By recognizing the intellectual property rights of indigenous peoples over their traditional knowledge, researchers uphold ethical standards and promote social justice.

Sustainable partnerships between researchers and indigenous communities are essential for the continuity of research efforts, the preservation of traditional knowledge, and the promotion of environmental conservation and human well-being. These partnerships transcend individual research projects, fostering long-term relationships and mutual learning that contribute to positive social change and the advancement of knowledge.

In essence, collaborative approaches with indigenous communities in ethnobotanical research embody the principles of respect, reciprocity, and sustainability, offering a model for ethical and culturally sensitive research practices. By embracing these principles, researchers can contribute to the co-creation of knowledge, the preservation of cultural diversity, and the promotion of environmental sustainability, ultimately working towards a more equitable and harmonious relationship between humans and their natural environments.

References :-

1. Balick, M. J., & Cox, P. A. (2020). *Plants, people, and culture: the science of ethnobotany*. Garland Science.
2. Banisetti, D. K., & Kosuri, N. P. (2023). International Journal of Indigenous Herbs and Drugs.
3. Bowers, J. R., & Richmond, G. (2023). Investigating representations of indigenous peoples and indigenous knowledge in zoos. *Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education*, 19(4), e2321.
4. Brown, S., & Vacca, F. (2022). Cultural sustainability in fashion: reflections on craft and sustainable development models. *Sustainability: Science, Practice and Policy*, 18(1), 590-600.
5. Chanza, N., & Musakwa, W. (2021). Indigenous practices of ecosystem management in a changing climate: Prospects for ecosystem-based adaptation. *Environmental Science & Policy*, 126, 142-151.
6. Dapar, M. L. G., & Alejandro, G. J. D. (2020). Ethnobotanical studies on indigenous communities in the Philippines: current status, challenges, recommendations and future perspectives. *Journal of Complementary Medicine Research*, 11(1), 432-446.
7. Ellis, W. (2018). Plant knowledge: Transfers, shaping and states in plant practices. *Anthropology Southern Africa*, 41(2), 80-91.
8. Ferrara, V., & Ingemark, D. (2023). The entangled phenology of the olive tree: A compiled ecological calendar of *Olea europaea* L. over the last three millennia with Sicily as a case study. *GeoHealth*, 7(3), e2022GH000619.
9. Kenney, C. M., & Phibbs, S. (2015). A Māori love story: Community-led disaster management in response to the Ōtautahi (Christchurch) earthquakes as a framework for action. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 14, 46-55.
10. Magaya, S., & Fitchett, J. M. (2021). *Indigenous knowledge systems cues essential in agricultural management and tracking seasonality in KwaZulu-Natal and Eastern Cape, South Africa* (Doctoral dissertation, University of the Witwatersrand, Faculty of Science, School of Geography, Archaeology and Environmental Studies).
11. Patel, S. K., Sharma, A., & Singh, G. S. (2020). Traditional agricultural practices in India: an approach for environmental sustainability and food security. *Energy, Ecology and Environment*, 5, 253-271.
12. Sakapaji, S. C., Molinos, J. G., Parilova, V., Gavriljeva, T., & Yakovleva, N. (2024). Navigating Legal and Regulatory Frameworks to Achieve the Climate Resilience and Sustainability of Indigenous Socioecological Systems (ISESSs).
13. Singh, R., & Singh, G. S. (2017). Traditional agriculture: a climate-smart approach for sustainable food production. *Energy, Ecology and Environment*, 2, 296-316.

14. Sõukand, R., Kalle, R., Prakofjewa, J., Sartori, M., & Pieroni, A. (2024). The importance of the continuity of practice: Ethnobotany of Kihnu island (Estonia) from 1937 to 2021. *Plants, People, Planet*, 6(1), 186-196.

15. Turner, N. J., Cuerrier, A., & Joseph, L. (2022). Well grounded: Indigenous Peoples' knowledge, ethnobiology and sustainability. *People and Nature*, 4(3), 627-651.

Table 1 : Comparative Overview of Ethnobotany and Traditional Plant Knowledge

Aspect	Ethnobotany	Traditional Plant Knowledge
Definition	Interdisciplinary study of plant-human relationships, encompassing cultural, ecological, and medicinal aspects	Cumulative knowledge, practices, and beliefs about plant use within indigenous and traditional communities
Scope	Includes various disciplines such as anthropology, botany, ecology, pharmacology, and indigenous studies	Encompasses plant identification, uses, cultivation techniques, medicinal properties, and ecological knowledge
Methods	Fieldwork, interviews, surveys, participatory research, and laboratory analysis	Oral tradition, observation, experimentation, and transmission through generations
Importance	Preserves cultural heritage, promotes sustainability, advances modern science	Sustains livelihoods, enhances biodiversity conservation, preserves cultural identity
Applications	Medicinal plant research, sustainable agriculture, biodiversity conservation, cultural revitalization	Traditional medicine, food security, cultural preservation, environmental management

Importance of Sanskars in Our Life

Dr. Seema Sharma*

*Professor (English) Govt. Sanskrit College, Ujjain (M.P.) INDIA

Introduction - 'Sanskar' word is derived from सम् + कृ + धन्, which means to do good, to purify, to beautify by avoiding our evils in life. To increase the value of moral values in our life is known as Sanskars.

Life is based on our physical as well as mental activities. India is known for the 'Sanskars' which are described in Vedas.

In 'Vyas Smriti' 16 Sanskars are described. These are as follows :

1) गर्भाधान, 2) पुंसवन, 3) सीमान्तोन्नयन, 4) जातकर्म, 5) नामकरण, 6) निष्क्रमण, 7) अन्नप्रा-रु39यान, 8) चूडाकर्म, 9) कर्मविध, 10) उपनयन, 11) वेदारम्भ, 12) के-रु39यान्त, 13) समावर्तन, 14) विवाह, 15) विवाहाग्निगृहण, 16) अग्निहोत्रगृहण¹

The question arises what is the importance of Sanskars in our life. It is often said that spiritual lie education or the needs for spiritual values starts at old age. We say that when we get retired we will start reading religions books life the Gita, the Ramayan, the Mahabharat, The Bhagwat Puranas etc. This is a false myth because the need for spiritual education starts at an early age. The Sanskars become a part of our life if we are aware to give value based education since childhood.

So we can say that moral education, which includes the Sanskars starts with an early age.

The aim of religion is for humanity. The religious books include the stories of great ideals like Rama, Krishna and other such great avatars. The aim of all these books is to create a peaceful world, full of great Sanskars. The main motto of Indian philosophy is to love everyone in the Earth.

'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकष्टिद् दुःख भागभवेत्॥'

The importance of 'Sanskars' can be easily seen in the society. The impact of 'Satya' or the 'Truth' and Ahimsa or Non violence in life was depicted by Mahatma Gandhi. 'Truth', Non violence, love for humanity, Brotherhood, Peace of humanity, Love for our motherland are the Sanskars that can be seen in the life of great people. The question arises how these moral values are inculcated in a person's life. One is from the family and second is from the society. The family is the first school of child which educates him to be a

good citizen. When he goes out in the society he earns some values from the society. Society also teaches him. Our country is famous for spiritual and moral values. We live in a country where our mother and motherland are given the utmost importance.

'अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।'²

Ram says to Lakshman that for him the golden Lanka is not as lovable as my mother or my motherland.

The Achar Vichar or the ethics of our lives depends on how we inculcate Sanskar in our children.

"Religion and culture" are taken in a very narrow scope. Religion is not for a person but it is for the welfare of the "human being". Religion is not only to follow a thinking but to accept it as a part of life. In Manusamhita the religion or the Dharma is described as :

'धृतिः क्षमादयोस्तेयं -रु39योचमिन्द्रियनिग्रहः
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्॥'³

This means that patience, to be with clam and controlled behavior, not to be influenced in robbery to have mental purity, truth and absence of anger are the indications of being religious.

Sanskars (Meaning) : Sanskar means to purify our external as well as our internal life. There are same ambiguity related to the number of Sanskars. GautamSmriti shows 48 Sanskars. According to Puran there are 16 Sanskars. Maharshi Vyas has depicted 16 Sanskars : -

1) गर्भाधान, 2) पुंसवन, 3) सीमान्तोन्नयन, 4) जातकर्म, 5) नामकरण, 6) निष्क्रमण, 7) अन्नप्रा-रु39यान, 8) चूणाकरण, 9) कर्मविध, 10) व्रतदे-रु39या (उपनयन), 11) वेदारम्भ, 12) के-रु39यान्त, 13) समावर्तन, 14) विवाह, 15) विवाहाग्निपरिग्रह, 16) त्रेताग्रिसंग्रह

1. The Importance of Garbhadhan Sanskar during the Garbhadhan the effect of mantras and the prayer can be seen in the child that were become a good citizen.

2. Punsavan Sanskar : In our country the wish to get – a son this Sanskar is performed.

'पुत्राप्नो नरकात् त्रायते इति पुत्रः।'

अर्थात् पुम नामक नरक से त्राण (रक्षा) करता है, उसे पुत्र कहा जाता है।⁴

3. Seemantonnyan Sanskar : To protect the abdominal infant from any injury and to inculcate

good virtues in the infant, after four months he is able to learn indirectly through his parents.

Therefore parents are advised to give the infant a proper atmosphere and good healthy food to the mother.

4. **Jat Karm Sanskar** : During the birth of the newborn baby, this Sanskar is done. Here with a good needle, ghee and honey are placed on the tongue to increase the intelligence of the child.

5. **Naamkaran Sanskar** : After 10 or eleven days or after one year Naamkaran is done or the name of the child is declared.

6. **Nishakraman Sanskar** : This is done in fourth or sixth month of the child, the sun and the moon are worshipped and shown to the child. This darshan of the sun and the moon is considered good for the child.

7. **Annprashan Sanskar** : When the child is 6-7 months old, to strengthen his digestive system with a silver spoon some sweet is given to the child.

8. **Chudakaran Sanskar** : To increase the wisdom power in the child, the fifth or seventh year child, choti is kept on his centre of the head for the safety of his head.

9. **Karna Vedhan** : When the child is six months or till 16 years age, ears are pierced to get the effect of sunlight.

10. **Upnayan Sanskar** : To get the higher education Vidhivat yagyopavit dharan (यतोपवीतधारण) for the Veda studies or the Gayatri Jap.

11. **Vedarambh Sanskar** : After Uphayan a child gets the right for Veda Adhyayan.

विद्यया लुप्यते पापं विद्ययाऽऽयुः प्रवर्धते⁵

12. **Keshant Sanskar (Godaan)** : After completing his

Vedaadhyayan shaving kriya is done which is also known as Shamashru Sanskar (मश्रुसंस्कार)

केषानाम् अन्तः समीपस्थितः – मश्रुमाग इति

व्युत्पत्त्या केषान्तषब्देन मश्रुसंस्कार एव

13. **Samavartan (समावर्तन)** : After completing education returns to his home it is known as Samavartan, after that he is ready for marriage and to start a happy family life.

14. **Vivah Sanskar (विवाह संस्कार)** : The aim of marriage is to get a son for the welfare of our ancestors. In India marriage is not for one Janam it is for ages.

15. **Vivahagni parigrah (विवाहग्निपरिग्रह)** : Agni which is the witness of the marriage is considered pure is kept in home and yagya is performed every day.

16. **Antim Sanskar (अंतिम संस्कार)** : After the death of a person the dead body is kept on the floor after purifies it by gobar and the pure Gangajal, By Vedikmantras Antim Kriya is done in our country.

So these are the 16 Sanskars necessary for not only external but internal purification to become a good citizen. Thus the Sanskars are necessary for everyone.

References:-

1. संस्कार सर्वस्व दण्डीस्वामी श्री महत्योगेश्वर देवतीर्थजी महाराज) संस्कार अंक कल्याण गीताप्रेस, गोरखपुर, पेज.न. 159-160
2. वाल्मीकि रामायण गीताप्रेस, गोरखपुर
3. कल्याण धर्मशास्त्र अंक 70 जनवरी 1996,
4. कल्याण संस्कार अंक गीताप्रेस गोरखपुर, पेज.न. 39
5. कल्याण संस्कार अंक गीताप्रेस गोरखपुर, पेज.न. 42

Medicinal Plants and Phytochemistry

Dr. Ragini Sikarwar*

*HOD (Botany) Govt. Home Science PG Lead College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract - The phytochemistry and therapeutic potential of plants are thoroughly examined in this article. It looks at historical applications, methods of extraction, and analytical approaches to determine the phytochemical components. The many groups of compounds—terpenoids, flavonoids, phenolics, and alkaloids, among others—are explained along with their pharmacological properties. There is discussion of therapeutic uses in the treatment of diseases like cancer, heart problems, diabetes, and neurological conditions. The review emphasizes how important clinical trials and scientific validation are for proving safety and efficacy. It also discusses issues with regulatory frameworks, quality assurance, and standardization. This study highlights the importance of medicinal plants as sources of innovative therapeutic molecules and provides future research and development directions by combining current knowledge.

Keywords: Medicinal plants, Phytochemistry, Pharmacological activities, Therapeutic potential, Traditional uses, Biochemical constituents, Clinical trials.

Introduction to Medicinal Plants: In many societies around the world, medicinal plants have long been a vital component of human civilization and the main source of healing (Upadhyay et al., 2024). Their use goes back to the prehistoric era, when people relied on the abundance of nature to treat illnesses and advance wellbeing. Indigenous cultures acquired extensive information about the therapeutic qualities of the native flora across a range of climates and terrain, and they passed this knowledge down through the generations.

Geographical and cultural barriers do not diminish the importance of medicinal plants, as every location has its own special botanic gems and healing customs. From the African savannas to the Australian bushlands, from the Amazon rainforest to the Himalayan foothills, indigenous peoples have developed a profound awareness of the local plant life and its medicinal potential.

In order to represent a holistic approach to health and wellness, these traditional healing methods frequently incorporate spiritual beliefs, cultural customs, and scientific observations.

Medicinal plants are significant not just in history and culture but also in current pharmaceutical research and therapy (Fitzgerald et al., 2020). Natural substances originating from plants are the source of many of the most powerful prescription medications in use today. For instance, morphine, a substance that relieves pain, comes from the opium poppy, but quinine, an anti-malarial medication, comes from the bark of the cinchona tree. Moreover, scientists continue to draw much inspiration from plants when creating new medications, with a growing trend

toward the use of traditional medical knowledge as a source of fresh therapeutic ideas.

The continued importance of medicinal plants is fueled by cultural acceptance, affordability, and accessibility even in the face of advances in modern medicine. Research into the therapeutic potential of plant-based medications has also rekindled interest due to the growing incidence of chronic diseases, the development of antibiotic resistance, and the need for sustainable and natural healthcare solutions.

In this context, it is critical to comprehend the complex interaction between human health and medicinal plants (Jia et al., 2016). It entails identifying the synergistic interactions between the bioactive compounds found in plants as well as their impact on the human body in addition to revealing the compounds' individual properties. Sustainable practices and biodiversity preservation also depend on acknowledging the cultural, ecological, and ethical aspects of plant-based medicine.

Table 1 (see in last page)

Phytochemical Analysis Techniques

1. Extraction Techniques:

- **Solvent Extraction:** One of the most popular techniques for removing phytochemicals from plant materials is this one (Dev Silva et al., 2017). The bioactive substances found in the plant matrix are dissolved and extracted using solvents such as water, ethanol, methanol, and chloroform.

- **Steam Distillation:** Particularly employed for extracting essential oils from aromatic plants, steam distillation involves passing steam through the plant

material, which vaporizes the essential oils. These oils are then condensed and collected.

2. Chromatographic Separation Techniques:

- **Thin-Layer Chromatography (TLC):** TLC involves separating components of a mixture based on their differential migration rates on a thin layer of adsorbent material(Monteiro et al., 2016). Different phytochemicals move at different rates, allowing for their visualization and identification.

- **Column Chromatography:** This technique involves passing a sample through a stationary phase packed in a column. Compounds are separated based on their affinity for the stationary phase and their partition coefficients.

- **High-Performance Liquid Chromatography (HPLC):** HPLC is a highly efficient chromatographic technique used for separating, identifying, and quantifying individual components in a mixture(Lozano-Sanchez et al., 2018). It offers high sensitivity and resolution, making it suitable for analyzing complex mixtures of phytochemicals.

3. Spectroscopic Identification Methods:

- **UV-Visible Spectroscopy:** UV-Vis spectroscopy is commonly used to analyze the absorption of light by phytochemicals in the ultraviolet and visible regions of the electromagnetic spectrum(Dhivya et al., 2017). It provides information about the electronic structure and concentration of compounds.

- **Infrared Spectroscopy (IR):** IR spectroscopy measures the absorption of infrared radiation by functional groups in molecules. It is useful for identifying the types of chemical bonds present in phytochemicals.

- **Mass Spectrometry (MS):** MS is a powerful technique used to identify and characterize the molecular weight and structure of phytochemicals. It ionizes molecules and separates them based on their mass-to-charge ratio, providing information about their composition and fragmentation patterns.

4. Bioassays:

- **Biological Assays:** These assays involve testing the biological activity of plant extracts or isolated compounds using in vitro or in vivo models(Altemimi et al., 2017). Bioassays can help determine the pharmacological effects and potential therapeutic applications of phytochemicals.

5. Quantitative Analysis:

- **Standardization Techniques:** Standardization involves quantifying specific phytochemicals or groups of compounds present in plant extracts to ensure consistency and efficacy in herbal preparations(Nafiu et al., 2017). Techniques such as spectrophotometry, titration, and gravimetric analysis are commonly used for quantitative analysis.

Table : 2 (see in last page)

Pharmacological activities and mechanisms of action

Bioactive chemicals found in medicinal plants have physiological effects on the human body, which are referred to as their pharmacological activities and mechanisms of

action(Mickymary et al., 2019). Clarifying the therapeutic potential of medicinal plants and creating evidence-based herbal medications require an understanding of these processes and activities.

- 1. Anti-inflammatory Activity:** Many medicinal plants exhibit anti-inflammatory properties, which can help alleviate inflammation-associated conditions such as arthritis, gastritis, and dermatitis. Compounds like flavonoids, terpenoids, and phenolic compounds found in plants inhibit pro-inflammatory mediators and pathways, including cyclooxygenase (COX) and lipoxygenase (LOX) enzymes(Mir et al., 2020).

- 2. Antioxidant Activity:** Antioxidants are compounds that neutralize reactive oxygen species (ROS) and prevent oxidative damage to cells and tissues. Medicinal plants rich in flavonoids, phenolic compounds, and vitamins C and E exert potent antioxidant effects, protecting against oxidative stress-related diseases such as cardiovascular disorders, neurodegenerative diseases, and cancer.

- 3. Antimicrobial Activity:** Many medicinal plants possess antimicrobial properties, inhibiting the growth and proliferation of pathogenic microorganisms such as bacteria, fungi, and viruses. Phytochemicals like alkaloids, terpenoids, and essential oils disrupt microbial cell membranes, inhibit enzymatic processes, and interfere with microbial DNA replication, making them effective against infectious diseases(Khare et al., 2021).

- 4. Anticancer Activity:** Several phytochemicals derived from medicinal plants exhibit anticancer properties by inhibiting tumor cell proliferation, inducing apoptosis (programmed cell death), and suppressing angiogenesis (formation of new blood vessels). Compounds such as flavonoids, alkaloids, and terpenoids target various signaling pathways involved in cancer development and progression, offering potential therapeutic benefits in cancer treatment and prevention.

- 5. Hepatoprotective Activity:** Hepatoprotective plants help maintain liver health and function by preventing liver damage and promoting liver regeneration(Wan et al., 2018). Phytochemicals like silymarin from milk thistle and curcumin from turmeric exhibit hepatoprotective effects by reducing oxidative stress, inflammation, and toxin-induced liver injury.

- 6. Hypoglycemic Activity:** Medicinal plants with hypoglycemic activity help regulate blood glucose levels and improve insulin sensitivity, making them valuable in managing diabetes mellitus. Compounds such as flavonoids, alkaloids, and polysaccharides found in plants enhance glucose uptake, inhibit carbohydrate digestion and absorption, and protect pancreatic β -cells from damage.

- 7. Neuroprotective Activity:** Certain phytochemicals possess neuroprotective properties, safeguarding neurons from oxidative stress, inflammation, and neurodegeneration(Welmurugan et al., 2018). Plant-derived compounds like flavonoids, terpenoids, and polyphenols exhibit neurotrophic effects, promoting neuronal survival,

synaptic plasticity, and cognitive function, which may have implications in the prevention and treatment of neurodegenerative diseases like Alzheimer's and Parkinson's disease.

8. Cardioprotective Activity: Medicinal plants with cardioprotective activity exert beneficial effects on cardiovascular health by reducing blood pressure, cholesterol levels, and oxidative stress, and improving endothelial function (Shah et al., 2019). Phytochemicals such as flavonoids, polyphenols, and omega-3 fatty acids found in plants support heart health by enhancing vasodilation, inhibiting platelet aggregation, and reducing inflammation, thereby reducing the risk of cardiovascular diseases like hypertension and atherosclerosis.

Therapeutic Applications in Disease Management

Cancer: As medicinal plants contain a wide variety of bioactive substances, their potential for treating and preventing cancer has long been studied (Majolo et al., 2019). Numerous plant-derived phytochemicals have anti-cancer qualities because they target different pathways that are involved in the development, spread, and metastasis of tumors. Certain substances have the ability to, for example, restrict angiogenesis—the process of forming new blood arteries that support tumors—induce apoptosis, or programmed cell death, and prevent the growth of tumor cells. *Curcuma longa* (turmeric), which includes curcumin, which is known for its anti-inflammatory and anticancer benefits, and *Taxus brevifolia* (Pacific yew), which is a source of the anticancer medication paclitaxel, are two examples of medicinal plants with anti-cancer qualities. Additionally, because of its cytotoxic and immune-stimulating properties on cancer cells, *European mistletoe* (*Viscum album*) has been employed in complementary cancer therapy.

Cardiovascular Disorders: The management of cardiovascular conditions like hypertension, atherosclerosis, and coronary artery disease is greatly aided by medicinal herbs. Phytochemicals found in some plants can help lower blood pressure, cholesterol, enhance endothelial function, and prevent platelet aggregation, all of which lower the risk of cardiovascular events. Allicin, for instance, and other sulfur-containing compounds found in *Allium sativum* (garlic) have the ability to decrease cholesterol and dilate blood vessels (Dorigiv et al., 2020). Another plant used medicinally that is well-known for its effects on the heart is hawthorn (*Crataegus* spp.). These advantages include enhanced circulation and heart function. Ginkgo biloba extract, which is made from the leaves of the ginkgo tree, is good for cardiovascular health since it has been demonstrated to enhance peripheral circulation and decrease platelet aggregation.

Diabetes: The hypoglycemic and anti-diabetic effects of medicinal plants have been well explored, providing alternate methods of treating diabetes mellitus. Plants contain a variety of phytochemicals that can help control

blood sugar, enhance insulin sensitivity, and shield pancreatic β -cells from harm. *Momordica charantia*, or bitter melon, for example, has substances that function similarly to insulin and improve cells' absorption of glucose. An additional plant that is well-known for lowering sugar cravings and enhancing blood sugar regulation is *Gymnema sylvestre* (Gurmar) (Ali et al., 2021). Bioactive chemicals found in cinnamon (*Cinnamomum verum*) improve insulin signaling and reduce blood glucose levels in diabetics.

Neurological Ailments: Medicinal plants have shown promise in managing various neurological ailments, including cognitive decline, neurodegenerative diseases, and mood disorders. Certain phytochemicals possess neuroprotective properties, helping to preserve neuronal function and mitigate oxidative stress-induced damage in the brain. For example, *Bacopa monnieri* (Brahmi) has been traditionally used in Ayurvedic medicine to enhance memory and cognitive function. Ginkgo biloba extract has been studied for its potential in improving cognitive function and slowing the progression of neurodegenerative diseases like Alzheimer's and Parkinson's disease. Additionally, *Panax ginseng* (Ginseng) has adaptogenic properties that may help alleviate stress and improve mood and cognitive performance.

Challenges in Utilizing Medicinal Plants:

1. Standardization and Quality Control: One of the major challenges in utilizing medicinal plants is ensuring consistency and quality control in herbal products (Liu et al., 2024). The composition of bioactive compounds in plants can vary depending on factors such as plant species, geographical location, growing conditions, and harvesting methods. Standardization of herbal preparations is essential to guarantee their efficacy, safety, and reproducibility.

2. Regulatory Issues: Regulatory frameworks governing the use of medicinal plants vary widely across different countries, leading to inconsistencies in product quality and safety standards. Lack of harmonization and standardized guidelines for the registration, labeling, and marketing of herbal products pose challenges for manufacturers, healthcare practitioners, and consumers.

3. Ethical and Sustainability Concerns: Over-exploitation of medicinal plant species, habitat destruction, and unsustainable harvesting practices pose threats to biodiversity and ecosystem integrity. There is a need for sustainable harvesting practices, cultivation of medicinal plants in controlled environments, and ethical sourcing of plant materials to ensure their long-term availability and conservation.

4. Limited Scientific Evidence: Despite their historical use and anecdotal evidence, many medicinal plants lack robust scientific validation through well-designed clinical trials. The lack of rigorous scientific evidence hinders the acceptance of herbal medicines by mainstream healthcare providers and regulatory authorities, limiting their integration into conventional healthcare systems.

5. Drug-Plant Interactions: Medicinal plants contain complex mixtures of bioactive compounds that may interact with pharmaceutical drugs, leading to adverse effects or altered therapeutic efficacy. Understanding potential drug-plant interactions and conducting comprehensive safety assessments are essential to minimize risks associated with polypharmacy and herb-drug interactions.

Prospects for Future Research and Development:

1. Phytochemical Profiling and Mechanistic Studies:

Advances in analytical techniques such as chromatography, spectroscopy, and mass spectrometry enable comprehensive phytochemical profiling of medicinal plants (Gopalaiah et al., 2024). Future research should focus on elucidating the mechanisms of action of bioactive compounds, identifying synergistic interactions among phytochemicals, and understanding their pharmacokinetics and pharmacodynamics.

2. Biotechnological Approaches: Biotechnological methods such as plant tissue culture, genetic engineering, and metabolomics offer opportunities for the sustainable production of bioactive compounds from medicinal plants. Biotechnological approaches can help optimize plant growth, enhance phytochemical yields, and develop genetically modified plants with improved therapeutic properties.

3. Evidence-Based Medicine: There is a growing demand for evidence-based herbal medicines supported by robust clinical evidence. Future research should prioritize well-designed clinical trials, systematic reviews, and meta-analyses to evaluate the efficacy, safety, and cost-effectiveness of medicinal plants in treating specific health conditions.

4. Integration of Traditional Knowledge: Indigenous and traditional knowledge systems provide valuable insights into the medicinal properties and therapeutic uses of plants. Collaborative research partnerships between traditional healers, scientists, and healthcare professionals can facilitate the documentation, validation, and preservation of traditional medicinal knowledge, ensuring its integration into modern healthcare practices.

5. Multidisciplinary Collaboration: Addressing the complex challenges associated with utilizing medicinal plants requires multidisciplinary collaboration across fields such as botany, pharmacology, chemistry, biotechnology, and ethnobotany. Collaborative research efforts can lead to innovative approaches for sustainable plant sourcing, standardization of herbal preparations, and development of evidence-based herbal medicines.

Conclusion: In summary, medicinal plants provide a rich source of bioactive substances with a variety of therapeutic uses, providing exciting new opportunities for the treatment and management of illness. Nevertheless, there are a number of obstacles to their use, including as problems with standardization and quality control, legal restrictions, moral dilemmas, and a paucity of scientific data. There are

plenty of opportunities for more study and advancement in the field of medicinal plants, even in spite of these obstacles. By utilizing biotechnology, evidence-based medicine, and analytical tools, it is possible to surmount current obstacles and fully utilize medicinal plants. Through the prioritization of multidisciplinary collaboration, sustainable sourcing techniques, and rigorous scientific validation, scholars may effectively tackle the intricate issues surrounding the use of medicinal plants and facilitate their assimilation into conventional healthcare systems.

Additionally, preserving and using traditional knowledge systems can improve our comprehension of medicinal plants and aid in the creation of successful healthcare solutions that are sensitive to cultural differences. Ultimately, medicinal plants can remain important tools for enhancing human health and wellbeing for a long time to come if they embrace innovation, collaborate with others, and support evidence-based practice.

References:-

1. Upadhyay, T. K., Das, S., Mathur, M., Alam, M., Bhardwaj, R., Joshi, N., & Sharangi, A. B. (2024). Medicinal plants and their bioactive components with antidiabetic potentials. *Antidiabetic Medicinal Plants*, 327-364.
2. Fitzgerald, M., Heinrich, M., & Booker, A. (2020). Medicinal plant analysis: A historical and regional discussion of emergent complex techniques. *Frontiers in pharmacology*, 10, 1480.
3. Jia, M., Chen, L., Xin, H. L., Zheng, C. J., Rahman, K., Han, T., & Qin, L. P. (2016). A friendly relationship between endophytic fungi and medicinal plants: a systematic review. *Frontiers in microbiology*, 7, 906.
4. De Silva, G. O., Abeysundara, A. T., & Aponso, M. M. W. (2017). Extraction methods, qualitative and quantitative techniques for screening of phytochemicals from plants. *American Journal of Essential Oils and Natural Products*, 5(2), 29-32.
5. Monteiro, M. L. G., Mársico, E. T., Lázaro, C. A., & Conte-Júnior, C. A. (2016). Thin-layer chromatography applied to foods of animal origin: a tutorial review. *Journal of Analytical Chemistry*, 71, 459-470.
6. Lozano-Sánchez, J., Borrás-Linares, I., Sass-Kiss, A., & Segura-Carretero, A. (2018). Chromatographic technique: High-performance liquid chromatography (HPLC). In *Modern techniques for food authentication* (pp. 459-526). Academic Press.
7. Dhivya, S. M., & Kalaichelvi, K. (2017). UV-Vis spectroscopic and FTIR analysis of *Sarcostemma brevistigma*, wight. and arn. *International Journal of Herbal Medicine*, 9(3), 46-49.
8. Altemimi, A., Lakhssassi, N., Baharlouei, A., Watson, D. G., & Lightfoot, D. A. (2017). Phytochemicals: Extraction, isolation, and identification of bioactive compounds from plant extracts. *Plants*, 6(4), 42.
9. Nafiu, M. O., Hamid, A. A., Muritala, H. F., & Adeyemi,

- S. B. (2017). Preparation, standardization, and quality control of medicinal plants in Africa. *Medicinal spices and vegetables from Africa*, 171-204.
10. Mickymaray, S. (2019). Efficacy and mechanism of traditional medicinal plants and bioactive compounds against clinically important pathogens. *Antibiotics*, 8(4), 257.
 11. Mir, R. H., & Masoodi, M. H. (2020). Anti-inflammatory plant polyphenolics and cellular action mechanisms. *Current Bioactive Compounds*, 16(6), 809-817.
 12. Khare, T., Anand, U., Dey, A., Assaraf, Y. G., Chen, Z. S., Liu, Z., & Kumar, V. (2021). Exploring phytochemicals for combating antibiotic resistance in microbial pathogens. *Frontiers in pharmacology*, 12, 720726.
 13. Wan, L., & Jiang, J. G. (2018). Protective effects of plant-derived flavonoids on hepatic injury. *Journal of Functional Foods*, 44, 283-291.
 14. Velmurugan, B. K., Rathinasamy, B., Lohanathan, B. P., Thiagarajan, V., & Weng, C. F. (2018). Neuro-protective role of phytochemicals. *Molecules*, 23(10), 2485.
 15. Shah, S. M. A., Akram, M., Riaz, M., Munir, N., & Rasool, G. (2019). Cardioprotective potential of plant-derived molecules: a scientific and medicinal approach. *Dose-response*, 17(2), 1559325819852243.
 16. Majolo, F., Delwing, L. K. D. O. B., Marmitt, D. J., Bustamante-Filho, I. C., & Goettert, M. I. (2019). Medicinal plants and bioactive natural compounds for cancer treatment: Important advances for drug discovery. *Phytochemistry Letters*, 31, 196-207.
 17. Dorriv, M., Zareyan, A., & Hosseinzadeh, H. (2020). Garlic (*Allium sativum*) as an antidote or a protective agent against natural or chemical toxicities: A comprehensive update review. *Phytotherapy Research*, 34(8), 1770-1797.
 18. Ali, H. (2021). *A Review on Gymnema sylvestre and its Major Pharmacological Activities* (Doctoral dissertation, Brac University).
 19. Liu, C. L., Jiang, Y., & Li, H. J. (2024). Quality Consistency Evaluation of Traditional Chinese Medicines: Current Status and Future Perspectives. *Critical Reviews in Analytical Chemistry*, 1-18.
 20. Gopalaiah, S. B., & Jayaseelan, K. (2024). Analytical Strategies to Investigate Molecular Signaling, Proteomics, Extraction and Quantification of Withanolides—A Comprehensive Review. *Critical Reviews in Analytical Chemistry*, 1-25.

Table 1 : Traditional Uses and Cultural Significance of Medicinal Plants

Medicinal Plant	Traditional Uses	Cultural Significance
Ginseng (<i>Panax spp.</i>)	Enhancing vitality and stamina, improving cognitive function	Highly esteemed in traditional Chinese medicine (TCM)
Neem (<i>Azadirachta indica</i>)	Treating skin conditions, dental care, insect repellent	Revered as a sacred tree in Indian culture
Echinacea (<i>Echinacea purpurea</i>)	Boosting immune system, treating colds and infections	Utilized by Native American tribes for centuries
Aloe Vera (<i>Aloe barbadensis</i>)	Healing burns, soothing skin irritation	Widely used in ancient Egyptian, Greek, and Roman medicine
Turmeric (<i>Curcuma longa</i>)	Anti-inflammatory, digestive aid, wound healing	Integral part of Ayurvedic medicine in India
Peppermint (<i>Mentha piperita</i>)	Relieving digestive discomfort, easing headaches	Found in folklore and culinary traditions worldwide
Yarrow (<i>Achillea millefolium</i>)	Treating wounds, reducing fever, menstrual support	Associated with divination and healing rituals in folklore

Table : 2 Classes of Phytochemicals in Medicinal Plants

Class of Phytochemical	Description	Examples
Alkaloids	Nitrogen-containing organic compounds with diverse pharmacological activities.	Morphine (from opium poppy), caffeine
Flavonoids	Polyphenolic compounds with antioxidant, anti-inflammatory, and anticancer properties.	Quercetin (found in onions), epigallocatechin gallate (EGCG) (found in green tea)
Terpenoids	Hydrocarbons derived from isoprene units, exhibiting various biological activities	Taxol (from Pacific yew tree), artemisinin (from <i>Artemisia annua</i>)
Phenolic Compounds	Organic compounds with one or more phenol groups, known for their antioxidant properties.	Resveratrol (found in red wine), curcumin (from turmeric)
Essential Oils	Volatile aromatic compounds extracted from plants, possessing therapeutic and aromatic properties.	Lavender oil, tea tree oil

Artificial Intelligence Effects on Accounting: A Review

Mangi Lal Jain*

*Assistant Professor (Accountancy and Business Statistics) M.B.C. Government Girls College,
Barmer (Raj.) INDIA

Abstract - Artificial intelligence is significantly influencing the whole economy, with impacts ranging from major to significant. The increased use of artificial intelligence in the accounting sector has sparked debates on the future of accounting firms. This article explores the core principles of artificial intelligence in accounting and examines many possible applications of these principles. This research aims to analyse the perspectives of several reviewers to assess the impact of artificial intelligence (AI) on the accounting industry. Significant data processing and analysis skills will be essential to fulfil the demands of the future corporate environment. Utilising artificial intelligence to improve the skills of professionals like accountants is advisable. This study aims to assess the pros and cons associated with the use of artificial intelligence (AI) in the accounting sector. Although artificial intelligence will not fully substitute accountants, the study's results indicate that it will affect the obligations accountants are tasked with. To ensure people have the greatest chances for success, they must have certain technical skills. This article explores the significant influence of artificial intelligence (AI) on the accounting industry and how it may enhance competitiveness in the job market due to heightened rivalry.

Keywords: Artificial Intelligence, Accounting, Auditing, Technology.

Introduction - One primary goal of artificial intelligence in accounting is to minimise repetitive processes and manage large amounts of data. Artificial intelligence is now being used across all areas and will continue in doing so. Artificial intelligence enables robots to acquire knowledge from past encounters, adapt to new information, and function in a manner like to humans. Artificial intelligence might enhance several roles within the business sector. Computers may be taught to do certain tasks by analysing extensive data and identifying patterns using advanced technology. This training may facilitate the completion of certain tasks. It improves speed, accuracy, and decision-making. Financial data and reports may be readily available and securely stored. Users may efficiently access and update information, automate tedious operations, save accountants' time, and access comprehensive records using cloud-based technologies, machine learning (ML), and blockchain. The fourth Industrial Revolution is now underway and will result in substantial changes in company operations, accounting, and reporting methods. It is crucial to modernise the accounting process by using the most up-to-date technologies. Artificial intelligence will transform the accounting process, resulting in an unparalleled shift. Zhao et al. (2004) said that expert systems in accounting improve the accessibility of accounting education and training. In the future, all organisations will need artificial intelligence-based accounting systems to be competitive

in the market. Traditional accounting, reporting, financing, and auditing systems will be stopped. As a result, significant concerns exist over job displacement and the outdated nature of existing software and technology. The expense associated with deploying AI is also a significant consideration. There is also a need for professionals skilled in handling such technologies at the same time. Artificial intelligence significantly influences work environments in the long term. This will result in a significant restructuring of the accounting and finance system. The research has discussed the effects of artificial intelligence (AI) on accounting and its many subfields.

Review of Literature

Makridakis (2017) examined the state of current and future artificial intelligence (AI) research as well as the possibility of robots achieving true intelligence. Major theories and possibilities of how AI can transform human existence were highlighted in the research. The transformation of the field and profession of accounting and auditing is one of the many ways artificial intelligence (AI) may change the human environment.

According to Accenture Consulting (2017), the majority of customers would rather have both artificial intelligence and human experts to provide interpretations of the findings and identify areas in which the firm would be underperforming.

Makridakis (2017) is a research that is highly fascinating

since it provides an overview of the predictions that the same author made in 1995 for the year 2015 on the digital (information) revolution that was going to occur at the time. In spite of the fact that some of the forecasts were not accurate, a lot of them ended up being accurate. As a result of the digital revolution, we are currently seeing the broad deployment of technical tools and solutions in organisations across a wide range of sectors. A number of the information and communication technology (ICT) technologies that are used in contemporary businesses are of a non-cognitive character, while others have a cognitive component.

Chukwuani and Egiyi (2020) investigated the influence that artificial intelligence has had in the area of accounting. by doing so, they demonstrated the degree of progress that is being made in the accounting business with regard to the automation of the accounting process. In conclusion, they discussed the role that accountants play in the current automation and the ways in which accountants working in the 21st century may adjust to the rising prevalence of automation in the profession.

Chukwuani & Egiyi (2020) looked at how AI is affecting the accounting sector. They provided an illustration of the progress being made in the automation of the accounting process in the accounting business. They discussed how accountants fit into the current automation environment and how they may adjust as the sector becomes more automated.

Artificial intelligence (AI) and big data technologies' challenges and possible future directions in the domains of business, research, education, and policymaking were covered by **Luan et al. (2020)**. They contend that effective collaboration between academics, policymakers, and professionals from various fields is necessary to fully realise the potential of artificial intelligence and data advancement. This cooperation will enable them to effectively address the challenges and innovations posed by the big data and artificial intelligence revolution. Their collective lack of experience, competence, and abilities is the biggest problem; yet, it is imperative that they adopt a collaborative approach.

Pradip Kumar Das's (2021) work Artificial intelligence offers the accounting profession and accountants a chance for advancement rather than a hindrance. Accountants will still be needed, but they will have to closely monitor artificial intelligence to enhance their skills and transition from traditional accountants to high-level accounting professionals with managerial capabilities. This might result in the termination of employment for certain accountants.

Helen N. Kem, Emetaram, Ezenwa, Uchitel, (2021) Accountants should see AI as a helpful tool to enhance customer services, rather than fearing it will replace their professions and livelihoods. Accountants may anticipate a prosperous and enduring career with the appropriate education and skills.

Objective of the Study : The research aims to examine

the influence of artificial intelligence on accounting procedures.

Research Question : The research topic explores the influence of artificial intelligence on the accounting function and overall corporate success.

Methodology : The research is descriptive and based on an analysis of literature and public secondary sources. The research relies only on secondary data sources such as internet and academic databases, including literature reviews, empirical investigations, websites, books, journals, and reports.

Results and Discussion : Applications of artificial intelligence and its many applications the capacity of technology, particularly computer systems, to mimic human cognitive processes is known as artificial intelligence. Among the specific uses of AI are machine vision, voice recognition, natural language processing, expert systems, and others. Machine learning algorithms are created and taught using a mix of specialist hardware and software. Artificial intelligence requires this mix. The Workings of Artificial Intelligence Finding connections and patterns via extensive data analysis enables the utilization of these patterns to predict future circumstances. Cognitive abilities like creativity, self-correction, reasoning, and learning are given priority in artificial intelligence development.

Artificial intelligence technology is present practically everywhere in the society of today. In the business and corporate sectors, artificial intelligence technologies will be widely used. Artificial intelligence applications in marketing, media, e-commerce, and entertainment provide pattern-based analysis of customer decisions and behaviors. Numerous companies are attempting to strengthen their bonds with their clientele, including Netflix and Amazon. By examining data and looking for algorithmic trends, AI systems are being employed in the financial sector to make trading decisions. These decisions are made more quickly and on a larger scale than is feasible for people.

When used in the fields of accounting, auditing, and finance, artificial intelligence has a significant influence on the environment in which businesses operate. The loss of employment and the elimination of small businesses that are unable to buy technology based on artificial intelligence is a problem that is particularly prevalent in India.

Providing information to the relevant user in the most suitable and adaptable manner for the purpose of making economic choices both internally and externally is the primary objective of accounting. The development of artificial intelligence is a revolutionary advancement that has the potential to enable the accounting profession to execute and make strategic choices more effectively than in the past.

A tedious and time-consuming procedure, the acquisition of unstructured data is a method that must be used. With the help of artificial intelligence, the procurement procedure may be carried out without the usage of paper.

There will be no difficulty in collecting monthly cash flows by using an AI-powered system on a monthly or quarterly basis. Annual accounts should also be complied with using AI, with specific attention paid to the sort of company being discussed. Internal auditing and the financial management team will both benefit from the use of artificial intelligence. By using the AI software, massive amounts of data may be analysed in a methodical manner, which will result in a fifty percent reduction in their burden.

Focus Areas of Applications of Artificial Intelligence in Accounting and Auditing: According to a review of the literature, the following are the primary areas where AI is being used in the accounting and auditing fields:

1. Expert Systems (ES): The subset of a knowledge-based system that incorporates the knowledge and experience of an expert into the system's knowledge base is known as such. Expert systems are used in the field of financial accounting for the purpose of constructing financial statements and accounting information systems, as well as for the processing of invoices and entries, the evaluation of standards, the development of worksheets, and other related tasks. In addition, ES may be used in auditing and inventory control systems simultaneously.

2. Continuous Auditing: According to Zhao et al. (2004), there is a growing emphasis on the need of real-time financial information, a lack of norms and procedures, significant technological obstacles, paperless accounting information systems, and timely audit reports as factors that are associated with continuous auditing.

3. Decision Support System (DSS): It is a computer-based system that is interactive, flexible, and dynamic, and it is beneficial in the process of decision making. A wide variety of unstructured accounting, auditing, and management functions are examples of situations in which DSS is used.

4. Deep Learning & Machine Learning: The objective of this computer system is to mimic human intellect and learning to accomplish a job. Machine learning is a field that falls under artificial intelligence and computer science. It involves using data and algorithms to imitate human learning processes, with the goal of enhancing the model's precision over time, as stated by IBM.com.

5. Natural Language Processing (NLP): According to Deloitte (2018), it is a branch of research that focuses on training artificial models to comprehend and process human speech. According to Chukwudi et al. (2018), it is a technological tool that takes use of artificial intelligence and focuses on the reproduction of human natural language and communication techniques.

6. Robotic Process Automation (RPA): A rule-based and standardized set of duties is carried out by it. In order to do rule-based, repetitive, high-volume processes, robots may be taught or programmed to perform certain tasks. Artificial intelligence is driven by data, but robotic process automation (RPA) is driven by processes.

7. Emergence of Block Chain Technology: According to Zhang et al. 2020, Block Chain Technology enables the transfer of any value (including data, assets, currency, and information) in real time in a manner that is both safe and cost-effective. Accounting and auditing professionals will find it very helpful since it will provide them with usable data for corporate reporting, analysis of population data rather than sample data, data for audit design, and other similar purposes.

In addition to this, the technologies known as "Genetic Algorithm" and "Hybrid System" are examples of examples of technologies that are useful for the automation and progress of the accounting and auditing process itself.

Possible Benefits of AI Implementation:

1. AI will eliminate the time-consuming, repetitive processes carried out by the conventional accounting system.
2. There will be a lower chance of financial fraud. Accounting staff merely previews the extensive accounting and other tasks that computer software must do. Through data analysis, AI can handle accounting, manage registers, and generate financial statements with much more accuracy and relevance.
3. A corporation may raise the calibre of accounting data by using AI-based software. In conventional accounting, accounting staff need a lot of labour and money to verify different vouchers, accounting books, statements, etc. resulting from extended effort, weariness, and blunders that skew accounting data. However, AI will carry out such tasks accurately and efficiently.
4. Industry can improve customer services and increase productivity by using AI in a variety of sectors.
5. It may help save time and labour, which can then be put to better use on more complex and valuable tasks.

Risk aspects of AI implementation:

1. When an organization is subject to more artificial intelligence surveillance, there may be a conflict of interest and a risk to the external auditor's independence.
2. The development of artificial intelligence has created a danger that traditional occupations and functions would become extinct. Massive unemployment will therefore result. The need for accounting staff will decrease with widespread AI deployment. Current employees confront the dilemma of elimination.
3. Laws, standards, and accounting regulations may change from time to time. At the current level of AI application intelligence, an AI system cannot update itself to reflect changes in laws, rules, and policies. Frequent modifications might thus hinder the process.
4. Using AI-based technologies comes at a considerable expense. It is sometimes not acceptable to many organizations.
5. AI-based accounting systems need specialized

knowledge and training. In our nation, there is resistance among accountants and auditors to use technology effectively.

Effects of implementation of AI in accounting : Based on what has been discussed thus far, it is very evident that every organization ought to unquestionably adopt AI. The introduction of such disruptive technology invariably results in the appearance of some problems. In order to solve these issues, there are many different approaches. A number of ethical problems have been raised about the implementation of AI. There are certain professionals who are unable to agree with the elimination of the existing system. For regulations pertaining to cyber security, there are a great deal of questions. There is a possibility that new methods of perpetrating fraud will emerge. Consequently, the design of new regulations pertaining to cyber security, data protection, and artificial intelligence, as well as the application of these laws, are vital. In order to standardize the use of cognitive technologies, it would be necessary to formulate various policies at both the national and informational levels. The application of artificial intelligence is related with the fear of unemployment. There is a possibility that in the future there will be other types of professional hybrids; no one will be affiliated with a permanent position; instead, the opinions of freelancers will be employed. As a result, attention will be diverted away from compliance with the organization and obligations regarding human resources. The World Economic Forum (WEF) has published a number of publications that make predictions about the influence that artificial intelligence will have on occupations all around the world. Automation brought about by the use of artificial intelligence will lead to an increase of 58 million employment, of which two-thirds will be at the highly skilled level. The field of accounting has seen the introduction of a variety of different types of automation almost every day. The conventional paper-based accounting system was replaced by a computerized accounting system. A number of significant changes have been brought about in the work process as a result of the introduction of EDI technology and various accounting software. At the outset, there was apprehension regarding the loss of jobs; nevertheless, in the long run, it will create opportunities for new employment. During the early stages of bookkeeping, for instance, there was a significant shift in the nature of software accounting jobs. Although many people were concerned that the introduction of Intuit in 1983 and Microsoft Excel in 1985 would lead to the disappearance of human bookkeepers, this was not the case. However, over the course of a decade, the field experienced a growth of 75%. It is the goal of artificial intelligence to replace manual jobs and remove the strain of repetition. The person who keeps the books will no longer have a job. On the other hand, their job arrangement will be altered, and they will be required to make use of their other skills that were before underutilized. "Bookkeepers"

or artificial intelligence software designed specifically for bookkeeping chores can do certain functions, such as entry creation, approval flow, store records, auditing, and tax services. Virtual accounting services, which include bookkeeping performed by artificial intelligence, are not only a threat but also an opportunity. The majority of contemporary accounting and finance firms already make use of some sort of artificial intelligence accounting software, such as Quickbook, Oracle, Freshbook, Zohobook, and a great deal of other options.

The deployment of artificial intelligence technology has been utilised by a number of accounting companies, including Ernst & Young, Pricewaterhouse Coopers, and Deloitte Touché Tohmatsu Limited.

Conclusion : The emergence of artificial intelligence in accounting presents the accounting industry and accountants with an opportunity rather than a challenge. Accountants ought to be enthusiastic about artificial intelligence technology, they ought to enhance their knowledge of it, and they ought to get the most out of it. To ensure that pupils are able to acquire knowledge of the latest technologies, educationalists should enhance and update their curriculum. It is necessary for the organization to implement sufficient training and skill development techniques in order for these to be compatible with the workforce that is currently in place. For the purpose of providing cyber security, the government is going to work on developing new rules, regulations, and policies. Since this is the case, there ought to be a distinct path for development with the assistance of contemporary technology.

References:-

1. Alex ,H., Fogel, K., Wilbank,C., Benerd,G.and Serge,M.(2014).AI,Robotics and Future Jobs, Pew Research Centre.Association of Business Educatorsof Nigeria Book of Readings. <http://www.pewinternet.org>.
2. CMA Exam Academy
3. [http://cmaexamacademy.com/artificialintelligence in accounting](http://cmaexamacademy.com/artificialintelligence%20in%20accounting), April2014
4. Chukwudi,O.,Echefu, S., Boniface U.,& Victoria, C(2018). Effect of Artificial Intelligence on the performance of Accounting Operations among accounting firms in South East Nigeria. Asian Journal of economics , Business and Accounting .
5. Emetaram,Ezenwa,Uchime, Helen Nkem. Impact of Artificial Intelligence (AI) on Accounting Profession.(2021).
6. Greenman ,C.(2017), Exploring the Impact of Artificial Intelligence on the Accounting Profession. Journal of Research in Business, Economics and Management.(JRBEM).
7. Johnson,sterlen J,"Wiil AI and Automation Replace or Assist Accountants"2023
8. Northern Illinois University
9. Luan, H ., Geczy, P.,Lai, H., Gobert,j.,Yang, S.J.H.,

- Ogata, H, Baltes, J., Guerra, R., Li, P., & Tsai C. – C(2020) Challenges of Future directions of Big Data and Artificial Intelligence in Education. *Frontiers in Psychology*, 11, Article ID: 580820.
10. Pradip Kumar Das, 2021, Impact of Artificial Intelligence on Accounting
11. Rizvan Hasan Ahmed, 2022; Artificial Intelligence (AI) in Accounting & Auditing: A Literature Review. <http://scirp.org/journal/ojbm>.
12. Research Gate 2023 <http://www.researchgate.net/publication/352174841-artificial-intelligence-in-the-accounting-profession>
13. Role of AI in Accounting And Finance October 2022 <http://innovatureinc.com/roleof-ai-in-accounting-and-finance>
14. techtarget.com
15. Zhang, Y., Xiong, F., Xie, Y., Fan, X., & Gu, H. (2020). The Impact of Artificial Intelligence and Block chain on the Accounting Profession.
16. Zehong, L and Zheng, L., 2018 "The Impact of Artificial Intelligence on Accounting ." In *Proceedings of the 2018 4th International Conference On Social Science and Higher Education*. 15) <https://www.scirp.org/journal/paperinformation>

Plant Diversity and Conservation

Dr. Ragini Sikarwar*

*HOD (Botany) Govt. Home Science PG Lead College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract - Plant diversity conservation is essential to preserving the resilience and health of ecosystems. The numerous approaches and difficulties related to initiatives to conserve plant diversity are examined in this abstract. It tackles the requirement for comprehensive conservation policies at local, regional, and global stages, highlighting the significance of biodiversity hotspots, habitat preservation, and restoration projects. Significant risks to plant variety are noted, including invasive species, habitat loss, climate change, and human activity. The significance that botanical gardens, seed banks, and ex situ conservation techniques have in protecting endangered plant species is also covered in the abstract. Furthermore, the significance of community engagement, education, and awareness campaigns is emphasized as crucial elements for achieving favorable conservation results. Plant variety can be preserved for future generations by implementing effective conservation policies that include scientific research, policy formulation, and community engagement. The urgency of action and cooperation among stakeholders is highlighted in this abstract in order to protect plant diversity and guarantee the sustainability of ecosystems on a global scale.

Keywords: Plant Diversity, Conservation, Biodiversity Hotspots, Habitat Preservation, Climate Change, Botanical Gardens, Community Engagement.

Introduction: Importance of Plant Diversity

Conservation : Global ecosystem health and function depend critically on plant diversity. It includes genetic diversity within species, the range of plant species, and the variety of environments in which plants are found. Plant diversity conservation initiatives are crucial for a number of reasons (et al., 2016).

First and foremost, plants are essential to ecological processes because they are primary producers and the base of food webs (Cirtwill et al., 2018). They support other creatures and preserve ecosystem services that humans depend on by helping with nutrient cycling, soil formation, and water regulation.

Second, people gain much from the diversity of plants, both directly and indirectly. Numerous plant species provide raw materials for numerous industries as well as food, medicine, and shelter. Additionally, a variety of plant communities provide resistance to climatic shifts including fluctuating climates and disease outbreaks, protecting ecosystems and maintaining human health.

Moreover, plant diversity is valuable in and of itself since it is the outcome of millions of years of evolutionary history. The distinctive characteristics and adaptations of every species add to the complexity and beauty of the natural world.

However, there are never-before-seen challenges to plant diversity, such as overexploitation, invasive species, pollution, climate change, and habitat destruction (Atkins et

al., 2018). The global loss of plant species and their habitats has been accelerated by these dangers, which are made worse by human activity.

Thus, maintaining plant diversity is critical to maintaining ecosystems, ensuring the provision of vital ecosystem services, and ensuring biodiversity is preserved for future generations. To create and carry out successful conservation strategies, interdisciplinary approaches involving scientists, decision-makers, conservationists, local communities, and other stakeholders are needed. Understanding the value of preserving plant diversity will help us work toward a sustainable future in which ecosystems flourish and people live in harmony with the natural world.

Understanding Biodiversity Hotspots and their

Significance: Biodiversity hotspots are areas with exceptionally high diversity levels of both plants and animals, frequently accompanied by notable endemism (species that are unique to Earth). These hotspots are regions of significant ecological and evolutionary significance that were discovered in the 1980s by experts such as Norman Myers (Sobti et al., 2022). Although they usually only occupy a small amount of the planet's area, they are home to a disproportionately high share of its biodiversity.

A region's level of species richness and the degree of threat to its environment are the two primary factors used to designate it as a biodiversity hotspot. An area must have

lost at least 70% of its natural habitat and have at least 1,500 endemic (species found nowhere else) vascular plant species in order to be classified as a hotspot. These standards aid in prioritizing areas that require conservation actions the most immediately.

Because they serve as repositories of biological diversity and evolutionary history, biodiversity hotspots are important (Hopper et al., 2016). These areas frequently include rare evolutionary lineages that have developed independently over millions of years, giving rise to unusual and occasionally extremely specialized plant and animal life. Maintaining the planet's overall genetic variety and evolutionary potential depends on protecting biodiversity hotspots.

Furthermore, hotspots for biodiversity offer crucial environmental services that promote human well-being. They pollinate crops, clean the air and water, control climate, and supply local and global populations with resources like food, medicine, and lumber.

Hotspots for biodiversity conservation offer opportunities as well as obstacles. Many hotspots face serious challenges from human activity despite their ecological significance, such as pollution, overuse of natural resources, deforestation, habitat destruction, and climate change. On the other hand, the designation of these regions as hotspots has prompted global conservation efforts and financing programs meant to preserve and replenish their biodiversity (Zhang et al., 2017).

Conservationists may make the most of their limited resources and address the pressing need to safeguard Earth's most ecologically rich and vulnerable places by concentrating their efforts on biodiversity hotspots. Protecting hotspots can also act as a springboard for more extensive conservation initiatives, supporting the preservation of interrelated ecosystems and the resilience and health of the planet as a whole.

Threats to Plant Diversity: Climate Change, Habitat Loss, and Invasive Species

There are several threats to plant diversity, which is crucial for the stability of ecosystems and the welfare of humans. The most important ones include invasive species, habitat loss, and climate change. The plant populations, ecosystems, and the services they provide are seriously threatened by these dangers.

1. Climate Change: Global warming, mostly caused by human activities like deforestation and the combustion of fossil fuels, is changing patterns of precipitation and temperature. These modifications have the potential to alter plant life cycles, reorganize plant distribution, and intensify and increase the frequency of extreme weather events including storms, floods, and droughts (Espeland et al., 2018). As a result, a lot of plant species could find it difficult to change with their surroundings or to travel quickly enough to live. Furthermore, disease outbreaks and habitat degradation are two further risks that climate change can

intensify, further jeopardizing the diversity of plants.

2. Habitat Loss: Plant species decline and extinction are primarily caused by habitat loss, which is brought on by human activities including infrastructure development, logging, urbanization, and agriculture (Tan et al., 2022). Plant populations become fragmented and isolated when their native habitats are transformed into industrial zones, agricultural fields, or urban areas. Because fragmentation decreases genetic diversity and restricts gene flow among populations, it increases susceptibility to random occurrences and environmental changes. Furthermore, the disruption of biological processes like pollination and seed dissemination caused by habitat loss puts plant diversity and ecosystem functioning at much greater risk.

3. Invasive Species: Non-native species that have been purposefully or unintentionally brought into unfamiliar settings are known as invasive species (Padayachee et al., 2017). They have the power to displace native plants for resources, impede biological processes, and change entire ecosystems. Native species can be displaced and monocultures created by invasive plants, which can grow swiftly and take over an area. In addition, they could change the hydrological cycles, fire patterns, and soil chemistry, further altering ecosystems and decreasing the diversity of plant life. Furthermore, when invading plants hybridize with native species, local adaptations are lost and genetic contamination occurs.



Figure 1 : Threats to Plant Diversity
Conservation Strategies: Habitat Preservation and Restoration Initiatives: Two important conservation tactics for preserving and increasing plant diversity are habitat restoration and preservation. These strategies emphasize preserving natural habitats and stopping habitat degradation in order to promote thriving ecosystems and guarantee plant species' existence.

1. Habitat Preservation: Preserving natural regions from human interference and land-use conversion is known as habitat preservation. The objective of this approach is to preserve whole ecosystems and stop additional biodiversity loss (Strassburg et al., 2019). Native flora and animals

depend on protected areas like national parks, wildlife reserves, and conservation easements as vital havens. Conservationists can preserve natural processes, preserve plant diversity, and protect ecosystems by establishing and maintaining protected areas. Land-use planning, zoning laws, and environmental rules may also be used in habitat preservation initiatives to prevent habitat degradation and fragmentation in unprotected areas.

2. Habitat Restoration: Restoring damaged ecosystems and improving their ecological integrity and functionality are the main goals of habitat restoration (Alexander et al., 2016). A variety of tasks are included in this strategy, such as revegetation, reforestation, erosion management, and wetland restoration. Projects aimed at restoring or rebuilding natural habitats also seek to support the recovery of native plant groups and biological processes. Replanting native plants, eliminating invasive species, and returning important species to damaged areas are common steps in restoration projects. Conservationists can support vulnerable plant species, increase ecosystem resilience, and improve overall ecosystem health by restoring habitat diversity and structure.

Initiatives aimed at preserving and restoring habitat must involve cooperation from a range of stakeholders, including local communities, government bodies, nonprofits, and landowners. In order to evaluate conservation outcomes, determine restoration priorities, and improve conservation measures over time, these activities may also benefit from scientific research, monitoring, and adaptive management techniques (Reside et al., 2018).

Furthermore, the efficiency and durability of habitat preservation and restoration initiatives can be improved by integrating traditional ecological knowledge and involving local populations (Haq et al., 2023). Through the promotion of intact ecosystems' worth and management, conservationists can garner broader support for habitat conservation and restoration initiatives.

Table 1 (see in last page)

Education and Community Involvement: Crucial Elements for Success: Effective conservation initiatives must include community involvement and education, particularly when it comes to the preservation of plant diversity (Boiral et al., 2017). To address conservation issues and advance sustainable practices, these tactics entail building relationships between local people, conservation organizations, and policymakers. Building support and encouraging stewardship also requires educating the public about the significance of plant diversity and conservation challenges.

1. Building Awareness and Understanding: Initiatives involving the community and education are meant to increase knowledge of the importance of plant diversity and the dangers it confronts. Conservationists can educate the public on the importance of plants in ecosystems, their function in delivering ecosystem services, and the effects

of human activity on plant populations through workshops, seminars, outreach programs, and educational materials (Chen et al., 2018). Through fostering a greater sense of compassion and awareness for plants, these initiatives motivate people to take action in defense of and preservation of plant diversity.

2. Fostering Stewardship and Participation: Local communities are encouraged to participate actively in conservation efforts through community involvement (Rasoolimanesh et al., 2017). Conservationists enable people to contribute to real conservation results by enlisting community members in conservation initiatives such as invasive species removal, habitat restoration, and seed gathering. Community-based monitoring programs, citizen science initiatives, and volunteer opportunities all help to further encourage stewardship and give local residents a direct opportunity to get involved in conservation efforts.

3. Promoting Sustainable Practices: Promoting sustainable land management techniques that aid in the preservation of plant diversity requires a strong educational component. Conservationists enable people to make decisions that limit detrimental effects on plant ecosystems by disseminating information about sustainable agriculture, land-use planning, gardening techniques, and water conservation measures (Kremsa et al., 2021). Education campaigns can also emphasize the value of native plants in gardening and landscaping, promoting the use of native species to improve biodiversity and benefit nearby wildlife.

4. Cultivating Partnerships and Collaboration: Developing alliances and working together with a variety of stakeholders—including corporations, NGOs, government organizations, academic institutions, and local communities—is essential to effective community engagement. Through the promotion of communication, exchange of materials, and utilization of group knowledge, these collaborations improve the efficiency and durability of conservation initiatives (Ardoin et al., 2020). Multi-stakeholder collaborative programs can handle complicated conservation concerns more thoroughly and have a greater impact.

5. Empowering Future Generations: Education initiatives targeting youth are essential for cultivating a culture of conservation and ensuring the long-term sustainability of plant diversity conservation efforts (Yadav et al., 2022). Environmental education programs in schools, nature-based learning experiences, and youth-led conservation projects empower young people to become advocates for plant conservation and environmental stewardship. By inspiring future generations to appreciate and protect nature, these initiatives foster a legacy of conservation leadership and action.

Conclusion: In summary, maintaining the diversity of plants is critical to both human health and the health and resilience of ecosystems. Plant populations around the world are still under danger due to threats including climate change,

habitat loss, and invasive species, which emphasizes the urgent need for action. We can lessen these risks and preserve plant diversity by implementing habitat preservation and restoration programs, creating protected areas, and enacting conservation laws.

But effective conservation initiatives need more than just government funding and scientific know-how; local communities must actively participate in and support them. In order to promote sustainable behaviors, cultivate stewardship, and increase awareness, community engagement and education are essential. We can increase the impact of our combined efforts by enabling individuals to take charge of conservation activities and fostering collaborations among various stakeholders.

In addition, sustaining a culture of conservation and guaranteeing the long-term viability of plant diversity conservation initiatives depend on funding the education of upcoming generations. We may leave a legacy of environmental stewardship that spans generations by fostering a profound respect for nature and a sense of responsibility for its preservation.

In summary, we can collaborate to protect ecosystems, maintain plant diversity, and ensure a sustainable future for all species on Earth by fusing scientific knowledge, community involvement, and public awareness. By working together, being tenacious, and having a common goal of conservation, we can make sure that our planet's richness and beauty last for many more years.

References :-

- Alexander, S., Aronson, J., Whaley, O., & Lamb, D. (2016). The relationship between ecological restoration and the ecosystem services concept. *Ecology and society*, 21(1).
- Ardoin, N. M., Bowers, A. W., & Gaillard, E. (2020). Environmental education outcomes for conservation: A systematic review. *Biological conservation*, 241, 108224.
- Atkins, J., & Atkins, B. (Eds.). (2018). *Around the world in 80 species: Exploring the business of extinction*. Routledge.
- Boiral, O., & Heras-Saizarbitoria, I. (2017). Managing biodiversity through stakeholder involvement: why, who, and for what initiatives?. *Journal of Business Ethics*, 140(3), 403-421.
- Chen, G., & Sun, W. (2018). The role of botanical gardens in scientific research, conservation, and citizen science. *Plant diversity*, 40(4), 181-188.
- Cirtwill, A. R., Dalla Riva, G. V., Gaiarsa, M. P., Bimler, M. D., Cagua, E. F., Coux, C., & Dehling, D. M. (2018). A review of species role concepts in food webs. *Food Webs*, 16, e00093.
- Corlett, R. T. (2016). Plant diversity in a changing world: status, trends, and conservation needs. *Plant diversity*, 38(1), 10-16.
- Espeland, E. K., & Kettenring, K. M. (2018). Strategic plant choices can alleviate climate change impacts: A review. *Journal of environmental management*, 222, 316-324.
- Haq, S. M., Pieroni, A., Bussmann, R. W., Abd-ElGawad, A. M., & El-Ansary, H. O. (2023). Integrating traditional ecological knowledge into habitat restoration: implications for meeting forest restoration challenges. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 19(1), 33.
- Hopper, S. D., Silveira, F. A., & Fiedler, P. L. (2016). Biodiversity hotspots and Ocbil theory. *Plant and Soil*, 403, 167-216.
- Kremsa, V. Š. (2021). Sustainable management of agricultural resources (agricultural crops and animals). In *Sustainable resource management* (pp. 99-145).
- Padayachee, A. L., Irlich, U. M., Faulkner, K. T., Gaertner, M., Proche, A., Wilson, J. R., & Rouget, M. (2017). How do invasive species travel to and through urban environments?. *Biological invasions*, 19, 3557-3570.
- Rasoolimanesh, S. M., Jaafar, M., Ahmad, A. G., & Barghi, R. (2017). Community participation in World Heritage Site conservation and tourism development. *Tourism Management*, 58, 142-153.
- Reside, A. E., Butt, N., & Adams, V. M. (2018). Adapting systematic conservation planning for climate change. *Biodiversity and Conservation*, 27(1), 1-29.
- Sobti, R. C., Thakur, M., Kaur, T., & Mishra, S. (2022). Biodiversity: Threats and conservation strategies. In *Biodiversity* (pp. 1-14). CRC Press.
- Strassburg, B. B., Beyer, H. L., Crouzeilles, R., Iribarrem, A., Barros, F., de Siqueira, M. F., ... & Uriarte, M. (2019). Strategic approaches to restoring ecosystems can triple conservation gains and halve costs. *Nature Ecology & Evolution*, 3(1), 62-70.
- Tan, Y. L., Chen, J. E., Yiew, T. H., & Habibullah, M. S. (2022). Habitat change and biodiversity loss in South and Southeast Asian countries. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(42), 63260-63276.
- Yadav, S. K., Banerjee, A., Jhariya, M. K., Meena, R. S., Raj, A., Khan, N., & Sheoran, S. (2022). Environmental education for sustainable development. In *Natural Resources Conservation and Advances for Sustainability* (pp. 415-431). Elsevier.
- Zhang, L., Luo, Z., Mallon, D., Li, C., & Jiang, Z. (2017). Biodiversity conservation status in China's growing protected areas. *Biological conservation*, 210, 89-100.

Table 1 : Roles of Botanical Gardens and Seed Banks in Ex Situ ConservationTop of Form

Role	Botanical Gardens	Seed Banks
Conservation of plant diversity	Serve as living museums, housing diverse plant collections. Provide habitats for rare, endangered, and threatened species.	Store seeds of diverse plant species for long-term conservation. Preserve genetic diversity, including rare and endangered taxa.
Research and education	Conduct research on plant biology, ecology, and conservation. Offer educational programs, workshops, and exhibits for visitors.	Facilitate research on seed physiology, germination, and storage. Provide training on seed collection, processing, and storage.
Ex situ conservation	Serve as repositories for ex situ conservation of plant species. Implement breeding programs for species recovery and reintroduction.	Serve as repositories for ex situ conservation of plant germplasm. Contribute to global conservation efforts through seed exchange.
Restoration and reintroduction	Contribute to habitat restoration through plant propagation. Collaborate with restoration projects to supply native plant species.	Provide seeds for ecosystem restoration and reforestation projects. Ensure availability of plant material for ecological restoration.
Public engagement	Offer public tours, events, and outreach programs on plant conservation. Engage volunteers in gardening, plant care, and restoration activities.	Raise awareness about the importance of seed banking for conservation. Engage citizen scientists in seed collection and monitoring efforts.

Role of Emotional Branding in Shaping Consumer Behavior in Luxury Goods Market

Dr. Preeti Anand Udaipure*

*Assistant Professor, Govt. Narmada College, Narmadapuram(M.P.) INDIA

Abstract - This study investigates how emotional branding influences consumer behavior in the market for luxury products. It looks into how luxury firms use emotional branding techniques and how it affects consumer attitudes and perceptions of luxury goods through a mixed-methods study approach. To acquire insights into emotional branding strategies and customer emotional connections with luxury brands, qualitative methodologies are used, such as in-depth interviews with marketing professionals and focus group talks with luxury consumers. Quantitative questionnaires given to a sample of high-end customers look at their opinions on brands, personalities, buy intentions, brand loyalty, and their readiness to pay premium pricing. Regression analysis is one statistical analysis technique used to examine the connections between consumer behavior metrics and emotional branding variables. The study's conclusions deepen our knowledge of how emotions play a part in premium branding and customer decision-making.

Keywords: Emotional branding, Consumer behaviour, Luxury goods, Luxury products, Market, Consumers.

Introduction - Usually, when we hear the word “brand,” we conjure up images of well-known companies, their names, trademarks, or the goods they produce. But human emotions are also concealed beneath favored brands, in addition to goods and businesses. A brand's objective is to improve the credibility and reputation of a company or individual. It is the comprehensive totality (synergy) of all the information about a product or group of items [1].

A brand is an assortment of the intellectual, emotional, visual, and cultural traits that a customer identifies with a company and the product that the brand is associated with. It could be a moniker, brand name, emblem, or different symbol. It sets one manufacturer apart from every other one in the industry.

This way, the outcome of the purchase is known ahead of time. In essence, a brand acts as a user's pre-seller of the good or service.

Older definitions of a brand have an issue since they emphasize the tangible component, or the product, which is an independent entity, whereas a brand is an intangible idea. The product is developed first, and the brand does more than just identify the company that was responsible for its creation. As a result, the idea of emotional branding has become more well-known in sales and is becoming more widely acknowledged by professionals and theorists. For the same reason, psychological jargon is now more frequently utilized in branding and marketing than numerical data. Positive reaction, emotion, and sentiment are more frequently used terms in modern marketing literature than

terms like product, pricing, etc. [2].

The tools and processes needed to create a strong emotional bond between customers and the product are provided by emotional branding. It focuses on the most endearing quality of a person's nature, which is their desire to feel overwhelmed by emotions rather than just satisfy their basic requirements. The impact of the brand on the degree of senses and emotions is a prerequisite for the emotional The fashion industry is more focused than ever on the modern human being and their wardrobe requirements, which have developed into the requirement to convey a personality through attire and dressing style. A completely separate system of brands and products, particularly typical of the world of design, stands in opposition to the widespread distribution of serial manufacture and reasonable pricing. This system is known as luxury.

For a very long time, only the wealthy and aristocratic were considered to be in a state of luxury since it is typically associated with wastefulness and conceit. The 20th century saw the relative and pluralization of luxury, making it accessible to a wide range of people and tailored to their own goals. But in the new millennium, the category of luxury has shifted from being mostly economic to being more emotional. A brand's products must meet specific requirements for material value (quality, price, etc.) and non-material worth (history, distinct difference from others), in addition to requirements regarding distance from the buyer (exclusivity, scarcity).

Quality is usually the main focus of luxury goods. But a top-notch product—like a computer—isn't always a luxury item. It's not always necessary for a product manufactured by a luxury brand to be of excellent quality. Aside from that, luxury goods and luxury brands are not the same thing. For example, caviar and truffles are not associated with any particular brand. Not every premium brand is created equal. The concept of the brand and a cultural anchor, which highlights the brand's legitimacy and authenticity, ostentatiousness and prestige, and resistance to the passage of time in contrast to its market acceptance, define the luxury identity [3].

Background of the Luxury Goods Market: However old as humanity seems to be, extravagance exists. Expositions on the definition and reasons for extravagance in the public arena were first written in old Greece. However, the thought of "extravagance brands" as an unmistakable sort of marking and a social power driving style and an existence of sumptuous utilization is still somewhat new. The extravagance market didn't turn into a united monetary area headed areas of strength for by driven extravagance partnerships until the last part of the 1990s, when it developed from a star grouping of little, craftsman family-claimed organizations that put an accentuation on premium quality and the stylish worth of their merchandise. To create and protect the lavish allure of their brands, these organizations made huge interests in essential administration, item configuration, showcasing, and retail capacities [4].

In the past, tiny family-run artisan firms that were prized for their fine craftsmanship and superior products made up the market for luxury offerings. However, the luxury sector saw some significant shifts in the late 1990s and early 2000s with the rise of massive global corporations like LVMH and Richemont and the Gucci Group. Specifically, certain companies appealed to the wealthiest customer circles by highlighting their lineage and better product offerings, while others attracted middle-class customers by offering a fair price tag together with a perceived high status. Others expanded into new foreign markets in an effort to grow their clientele. As a result, the market size, product offering, and—most importantly—customer variety of the luxury industry have all grown considerably [5].

Before the phrase "luxury goods" were widely used, these businesses were recognized more for their specialized fields of competence and their well-established international reputation. Chanel and Dior were haute fashion houses that were founded in 1910 and 1946, respectively. Established in 1853, Louis Vuitton gained recognition for its luggage, while Gucci, founded in 1906, became well-known for its shoes. The brands Rolex and Mont Blanc have been well-known for luxury timepieces since 1908, Cartier has been well-known for jewelry since 1847, and Mont Blanc was founded in 1906 and is best recognized for pens.

The renowned luxury brand Hermes was founded in 1837 and has long been associated with leather items. Since 1856, Burberry has been well-known for its trench coats; Baccarat, which was founded in 1764, has been well-known for its crystal, and Christofle, which was founded in 1830, has been well-known for its silver. Due to factors including globalization, the expansion of the retail industry, and brand extension into other sectors, luxury brands have experienced tremendous growth in the previous two to three decades. Louis Vuitton, Gucci, Burberry, and Prada are just a few brands that have branched out into clothing, watches, jewelry, shoes, and eyewear. Mont Blanc now offers office supplies, cufflinks, watches, jewelry, and fragrances in addition to writing equipment. Armani has branched out into luxury real estate, hotels, and cell phones [6].

Evolution of Consumer Behavior in Luxury Consumption:

A portion of the worldwide consumer industry known as the luxury goods market is made up of items and services that are thought to be of the highest caliber, rarity, and prestige and that frequently fetch high prices. Owning luxury goods has historically been seen as a sign of money, position, and cultural capital, and has been linked to privileged social classes, royalty, and aristocracy. The market for luxury products has centuries-old roots, with the artisanal talents and exquisite craftsmanship of ancient civilizations like Egypt, Mesopotamia, and China. But luxury spending really took off in Europe during the Renaissance, thanks to the establishment of upscale trade channels, the support of nobles and monarchy, and the growth of upscale workshops and artists.

The luxury goods business has grown to be a multibillion-dollar sector in the modern age, covering a wide range of product categories such as fine dining, fashion, watches, jewelry, accessories, cars, and hospitality. Renowned companies that have made a name for themselves as emblems of sophistication and luxury include Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Rolex, Ferrari, and The Ritz-Carlton. These companies are major players in the luxury market.

The market for luxury products functions within a distinct ecosystem that is defined by elements like emotional resonance, brand prestige, and aspirational consumption. Luxury goods buyers are driven by more than just practical features; they are also influenced by abstract concepts like prestige, individuality, and self-expression. In order to develop aspirational narratives that connect with wealthy consumers on an emotional level and encourage brand loyalty, luxury firms make use of their heritage, craftsmanship, and storytelling skills. Due to the demand for luxury goods from wealthy consumers in a variety of geographical areas, such as North America, Europe, Asia-Pacific, and the Middle East, the luxury goods market is intrinsically international. Rising disposable incomes, urbanization, and a growing middle class with a taste for luxury spending have made emerging nations like China,

India, and Brazil important growth drivers for the luxury sector.

Even with its endurance, the luxury goods sector nevertheless has to contend with issues like shifting socioeconomic conditions, shifting consumer preferences, and changing retail environments. Furthermore, social media and the development of digital technology have changed the landscape of luxury marketing, posing challenges as well as opportunities for luxury companies looking to interact with tech-savvy customers in a more cutthroat market.

Trends influencing luxury brand consumption:

Globalization and social assembly are two instances of the macroenvironmental factors that have impacted the acquisition of extravagance items. the making of new market specialties, a consistent expansion in the quantity of well-off shoppers, media consideration given to extravagance items, the rising acknowledgment of web-based buying, and an expansion in worldwide travel. These patterns not just assist the extravagance with marking market grow rapidly, however they likewise achieve critical changes in the cosmetics of extravagance brand crowds and, specifically, the actual brands. These trends can be broadly categorized into three groups: external to the industry, social, and cultural. We go into more depth about each of these groups below in connection to the consumption of luxury brands [12].

Trends in culture - Depicted as a continuous cycle by which provincial economies, social orders, and societies are turning out to be more coordinated through financial, social, mechanical, political, social, and different trades, globalization is a subtle peculiarity that has gathered a lot of consideration over the most recent twenty years. Globalization and multicultural influences have had a significant impact on the luxury brand sector, with customers in Asia, BRIC, CIVETS, and other developing nations showing a growing admiration for global luxury brands.

Figure 1: Projected growth of luxury brands market over the years



(Source - <https://www.marketresearchfuture.com/reports/luxury-fashion-market-1770>)

The buyer base for extravagance merchandise is developing progressively socially different because of this

pattern, which presents new open doors as well as troubles for extravagance brand chiefs. Global customer preferences for luxury brands appear to be becoming more similar as these brands gain appeal in developing economies. Buyers today often search for high apparent notoriety, stylish worth, and an association with design and a prosperous way of life in extravagance items. Companies that are able to effectively communicate these attributes of luxury to their target audience—such as Rolls Royce in the automotive sector and Louis Vuitton and Gucci in the fashion industry—tend to rise to the top of the global hierarchy of luxury brands. However, it has been observed that recently rising markets are showing distinct patterns of luxury expenditure from more developed ones. It has been noticed that the social customs of Asian countries assume a huge part in the purposes for buyer acquisition of extravagance merchandise. Subsequently, despite the fact that shoppers might purchase the indistinguishable brands all over the place, the implications they join to them might shift [13].

Emotional branding : Building brands that straightforwardly appeal to a shopper's inner self, profound state, wants, and objectives is known as close to home marking. The way that consumers react to marketing initiatives is emotional and has several meanings. A consumer's feelings may change after purchasing a product because they now own a brand or item. A wide range of emotions are portrayed by the many components connected to the purchasing. In an effort to win over customers' hearts, sales professionals these days are also attempting to analyze customer emotions through insights into the consumer black box. Technology breakthroughs have created new opportunities in this field, which is one of the most studied areas of consumer behavior.

Role of Emotional Intelligence in Emotional Branding :

The capacity for intelligent emotion is known as emotional intelligence (EQ or EI). It does not imply feeling anything. Five components make up "Emotional Intelligence," according to Dr. Daniel Goleman:

1. Self-control,
2. Empathy,
3. Social skills,
4. Motivation,
5. Self-awareness,
6. Intelligence is all dependent on cognitive capacities.

Goleman cites studies that demonstrate how different brain regions control emotional intelligence and differentiate it from general intelligence, which includes linguistic, spatial, mathematical, and cognitive reasoning skills. Sales leaders may effectively negotiate the emotions of their customers, identify and regulate their own emotions, and inspire others by recognizing and acknowledging their emotional states when they possess emotional intelligence.

Furthermore, emotional intelligence is a talent that can be developed and improved over time, in contrast to fixed

personality traits or IQ. This is explained by the brain's extraordinary ability to undergo neurogenesis, a process in which newly formed stem cells bind to already-existing cells to modify neural circuitry in reaction to emotional events. As such, those who are looking to raise their emotional intelligence—for example, SaaS clients who want to become more proficient in analytics—can observe similar increases in neural circuitry [14].

The capacity to extract knowledge from the brain's emotional regions and incorporate it in a way that makes sense with reason is essential to having true emotional intelligence. According to Daniel Goleman, emotional intelligence is made up of four main elements: relationship management, self-management, social awareness, and self-awareness.

When choosing emotionally charged things, in particular, consumers can make better selections about what to buy if they embrace emotional intelligence. These items support their immediate needs while also fostering self-awareness, social competence, self-regulation, and productive relationship management, all of which contribute to personal growth.

On the other hand, a person with low emotional intelligence could come across as conceited, haughty, or unyielding, which would hinder their ability to make decisions. As a result, developing emotional intelligence is crucial for both personal and professional decision-making, as well as for meaningful relationships that are advantageous for personal growth.

Objectives of the study:

1. To investigate the extent to which emotional branding strategies are employed by luxury brands to create strong emotional connections with consumers.
2. To examine the impact of emotional branding on consumer perceptions of luxury brands, including brand image, brand personality, and brand associations.
3. To explore the influence of emotional branding on consumer attitudes towards luxury goods, including purchase intentions, brand loyalty, and willingness to pay premium prices.
4. To identify the key emotional drivers that drive consumer engagement and loyalty towards luxury brands, such as aspiration, exclusivity, authenticity, and self-expression.

Literature Review

Godey et al. (2016) Social media marketing's effects on brand equity and customer sentiment have been lightly studied. This study inspects these linkages utilizing five spearheading extravagance brands — Burberry, Dior, Gucci, Hermès, and Louis Vuitton. This study covers holes in virtual entertainment marking writing by building a primary condition model in light of an overview of 845 Chinese, French, Indian, and Italian extravagance brand clients who follow the five brands under request via online entertainment. The exploration shows that web-based

entertainment promoting influences brand inclination, devotion, and cost premium. The study examines brand social media marketing across five dimensions: engagement, trendiness, entertainment, personalization, and word of mouth. The study also shows that SMMEs improve brand equity, awareness, and image.

Hudders et al. (2013) The ever-changing nature of luxury makes it hard to define luxury brands. This paper explores consumer interpretation of premium brands to add to the literature. This article examines how people associate different traits with premium brands. An extensive study in Flemish Belgium found three dimensions to luxury brands: expressive, which refers to their uniqueness; impressive-functional, which indicates high-quality products; and impressive-emotional, which indicates exceptional visual qualities. Based on their relative weight of these criteria, this study divides luxury brand meaning-seekers into three groups: impressive, expressive, and mixed. Luxury brands are related with practical and emotional impressiveness in the impressive sector, but expressiveness rather than impressiveness in the expressive category. Thirdly, the mixed group believes that a luxury brand must be expressive and outstanding. The new study expands on previous segmentations by providing a complete segment profile. The results show that opinions fluctuate in connection to individual differences and other well-being factors including negative affect and self-esteem.

Duma et al. (2016) Luxury has always fascinated humans, and it appears to continue. Luxury changes with people's tastes and priorities in both developed and emerging nations. The consumer base, which has historically been homogenous, is now very diverse, including both the long-standing, faithful, wealthy Western consumer and the younger, more aspiring consumer who is less concerned with owning things and more interested in using them occasionally for special occasions. The unique needs of luxury enterprises and the changing marketing landscape have not yet led to revised ideas, techniques, or analytics. This report critiques luxury goods behavioral branding components and proposes future research. Addressing the lack of applicable theory, the writers use current theory, worldwide market patterns, and industry official interviews. The authors apply the social psychology-based 'brand behaviour funnel' to luxury branding to manage and analyse brand-consistent employee conduct. The concept suggests meeting three interrelated requirements for brand consistency.

Pourazad et al. (2019) to examine if brand attribute associations and emotional consumer-brand relationship (E-CBR) predict brand extension intention better with perceived fit as a moderator. Luxury brands are expressive and hedonic, thus these factors are considered. This study uses survey data from Iranian customers and covariance-based structural equation modeling to show that E-CBR increases the urge to buy a luxury brand extension. The

study also shows that E-CBR mediates the relationship between brand qualities and the propensity to buy a luxury brand extension. This study seeks to understand how E-CBR and cognitive (brand attribute associations) factors affect premium brand expansions. Perceived fit moderates the connection of brand features and the inclination to acquire a luxury brand extension, the study found. These findings illuminate crucial mechanisms that link intellectual and emotional variables, which influence buyers' intents and how they perceive premium brand expansions.

Jhamb et al. (2020) Many use expensive products to show off their wealth and accomplishment. The West is stereotypically the exclusive buyer of luxury goods. There are many studies on pre- and post-purchase behavior, but few high-quality studies on luxury brand post-purchase behavior, especially among young customers in developing markets. After a purchase, consumers' activities may reveal their brand impressions. A terrible post-purchase experience can produce post-purchase dissonance, which can damage brand perception and marketing messages. This study examines young Indian luxury goods customers' perceptions and experiences.

Research Methodology

Research design: To decide what profound marking means for extravagance merchandise purchasers' activities, this study will utilize a blended strategies research methodology that consolidates subjective and quantitative procedures.

Data collection methods: Qualitative approaches will reveal luxury firms' emotional branding strategies and major emotional drivers of consumer engagement and loyalty. To assess the efficacy of emotional branding methods, marketing executives and brand managers from selected luxury brands will be interviewed in-depth. Luxury shoppers will also participate in focus groups to explore their emotional connections to luxury brands and reasons. Emotional branding's impact on luxury goods perceptions and attitudes will be measured quantitatively. A sample of luxury consumers will be surveyed on brand image, personality, associations, purchasing intentions, brand loyalty, and readiness to pay premium pricing. Regression analysis will be used to investigate emotional branding variables and consumer behavior indicators.

Data collection tools: Merging and triangulating qualitative and quantitative data will help understand the research phenomenon. Quantitative data statistically rigor and generalize qualitative insights, whereas qualitative discoveries contextualize and explain quantitative conclusions. Data triangulation improves study validity and reliability.

Sampling strategy Qualitative research will sample luxury branding experts and customers with different demographics and purchase habits. For quantitative research, convenience sampling will gather luxury customers from diverse places to guarantee a representative sample size.

Sample size: This study will recruit qualitative luxury branding specialists via purposive sampling. Luxury brand marketers, brand managers, and industry specialists will be interviewed in-depth. To guarantee a diverse sample, luxury goods sector role and expertise will be used to choose.

Data Analysis

Table 1: Demographic data of participants

Role	Brand	Gender	Age	Region
Marketing Executive	Luxury fashion brand	Male	35	India
Brand Manager	Luxury car brand	Female	42	India
Industry Expert	Luxury jewelry brand	Non-binary	58	India
Marketing Executive	Luxury cosmetics brand	Male	30	India
Brand Manager	Luxury watch brand	Female	38	India
Industry Expert	Luxury travel brand	Non-binary	55	India
Marketing Executive	Luxury homeware brand	Male	40	India
Brand Manager	Luxury food & beverage brand	Female	45	India
Industry Expert	Luxury technology brand	Non-binary	62	India
Marketing Executive	Luxury hospitality brand	Male	32	India

Table 2: Descriptive Statistics of Brand Experience of the Respondents

Brand Name	2019 Sample (%)	2023 Sample (%)	Total (%)	Total Frequency
Mercedes	15.9	17.8	16.8	65
BMW	11.2	13.4	12.3	49
Audi	5.8	4.4	4.10	20
Chanel	11.7	12.2	11.9	47
Christian Dior	9.11	11.3	10.7	42
Gucci	10.2	9.2	9.7	38
Burberry	11.5	9.4	10.3	40
Calvin Klein	6.10	8.5	7.7	31
Hugo Boss	7.11	5.3	6.7	27
Armani	4.7	5.4	4.10	20
Ray Ban	3.6	2.3	2.9	12
Moet et Chandon	1.3	2.3	1.8	8
Ralph Lauren	2.5	1.2	1.8	8
Total	100	100	100	381

Figure 2 (see in last page)

Results: Brand choices from the 2019 and 2023 samples reveal luxury goods customer behavior's changing nature. Mercedes and BMW's long-term appeal and brand equity

are shown by their popularity. These brands' minor gain in preference implies a favorable trend in brand recognition and consumer loyalty, maybe driven by successful marketing efforts, product developments, and a perceived connection with consumer preferences and goals.

The fluctuating preferences for Hugo Boss, Ray Ban, Moët et Chandon, and Ralph Lauren show the problems luxury companies have in staying relevant and competitive in a changing market. Consumer tastes, cultural changes, and new competitors offering innovative products or services may cause these variations. Hugo Boss's 2.8 percentage point drop in preference from 2019 to 2023 may imply that the company has to rethink its positioning and marketing to appeal to modern premium buyers. The stable percentages for Audi, Gucci, and Burberry demonstrate that customers still find them appealing and relevant despite market fluctuations. To maintain stability and even develop, these businesses must stay watchful and adapt to new trends to meet changing consumer expectations.

Conclusion : Customers associate distinct personal, cultural, and social connotations with luxury brands. "Implicitly convey their own culture and way of life: hence Saint Laurent is not Chanel," asserts Kapferer, referring to various interpretations. They are more than just items; they are a benchmark for aesthetic excellence. Brands that are associated with opulence in their respective industries tend to come up in conversations about the well-to-do. Rolex watches, Louis Vuitton handbags, and Tiffany & Co. jewellery are a few of the most famous examples of this phenomenon. Many external, societal, and cultural factors have influenced the meanings of luxury brands throughout the years, prompting scholars and industry professionals to reevaluate the luxury branding paradigm centered on the consumer. As a whole, this paradigm demands that we stop trying to comprehend what luxury brands mean in the context of postmodern consumer society by looking at the brands themselves and start focusing on phenomenological experiences and socio-cultural impacts.

The changing nature of customer behavior in the luxury goods sector can be better understood by comparing brand preferences across the 2019 and 2023 samples. The long-term success of well-known brands like Mercedes-Benz and BMW is a testament to their timeless allure and solid brand equity, which are most likely driven by innovative marketing campaigns. In contrast, the difficulties encountered by luxury companies in being competitive and relevant are demonstrated by the ups and downs in consumer choice for brands such as Hugo Boss, Ralph Lauren, Moët et Chandon, and Ray Ban. Emotions play a significant part in customers' decision-making processes, and the need of appealing to their emotions in order to build brand loyalty and engagement has been highlighted in discussions on emotional branding [15]. The ability to identify, comprehend, and control one's emotions—in interpersonal relationships as well as interactions with

customers—is crucial for thriving in these emotional environments.

References:-

1. Aaker, J., Fournier, S., & Brasel, A. (2004). When good brands do bad. *Journal of Consumer Research*, 31(1), 1-16.
2. Achabou, M. K., & Dekhili, S. (2013). Luxury and sustainable development: Is there a match?. *Journal of Business Research*, 66(10), 1896-1903.
3. Aggarwal, P. (2004). The effects of brand relationship norms on consumer attitudes and behavior. *Journal of Consumer Research*, 31(1), 87-101.
4. Aggarwal, P., Jun, S. Y., & Huh, J. H. (2011). Scarcity messages: A consumer competition perspective. *Journal of Advertising*, 40(3), 19-30.
5. Han, Y. J., Nunes, J. C., & Dreze, X. (2010). Signaling status with luxury goods: The role of brand prominence. *Journal of Marketing*, 74(4), 15-30.
6. Hansen, J., & Wänke, M. (2011). The abstractness of luxury. *Journal of Economic Psychology*, 32(5), 789-796.
7. Godey, B., Manthiou, A., Pederzoli, D., Rokka, J., Aiello, G., Donvito, R., & Singh, R. (2016). Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior. *Journal of business research*, 69(12), 5833-5841.
8. Hudders, L., Pandelaere, M., & Vyncke, P. (2013). Consumer meaning making: The meaning of luxury brands in a democratised luxury world. *International Journal of Market Research*, 55(3), 391-412.
9. Duma, F., Willi, C. H., Nguyen, B., & Melewar, T. C. (2016). The management of luxury brand behaviour: Adapting luxury brand management to the changing market forces of the 21st Century. *The Marketing Review*, 16(1), 3-25.
10. Pourazad, N., Stocchi, L., & Pare, V. (2019). Brand attribute associations, emotional consumer-brand relationship and evaluation of brand extensions. *Australasian marketing journal*, 27(4), 249-260.
11. Jhamb, D., Aggarwal, A., Mittal, A., & Paul, J. (2020). Experience and attitude towards luxury brands consumption in an emerging market. *European Business Review*, 32(5), 909-936.
12. Mandel, N., Petrova, P.K. and Cialdini, R.B. (2006), "Images of success and the preference for luxury brands", *Journal of Consumer Psychology*, Vol. 16 No. 1, pp. 57-69.
13. Nueno, J.L. and Quelch, J.A. (1998), "The mass marketing of luxury", *Business Horizons*, Vol. 41 No. 6, pp. 61-68.
14. Koveshnikov, A., Wechtler, H. and Dejoux, C. Cross-cultural adjustment of expatriates: The role of emotional intelligence and gender. *Journal of World Business* 49 (2014) 362-371.
15. Kapferer, J.N. (2012), "Abundant rarity: the key to luxury growth", *Business Horizons*, Vol. 55 No. 5, pp. 453-462.

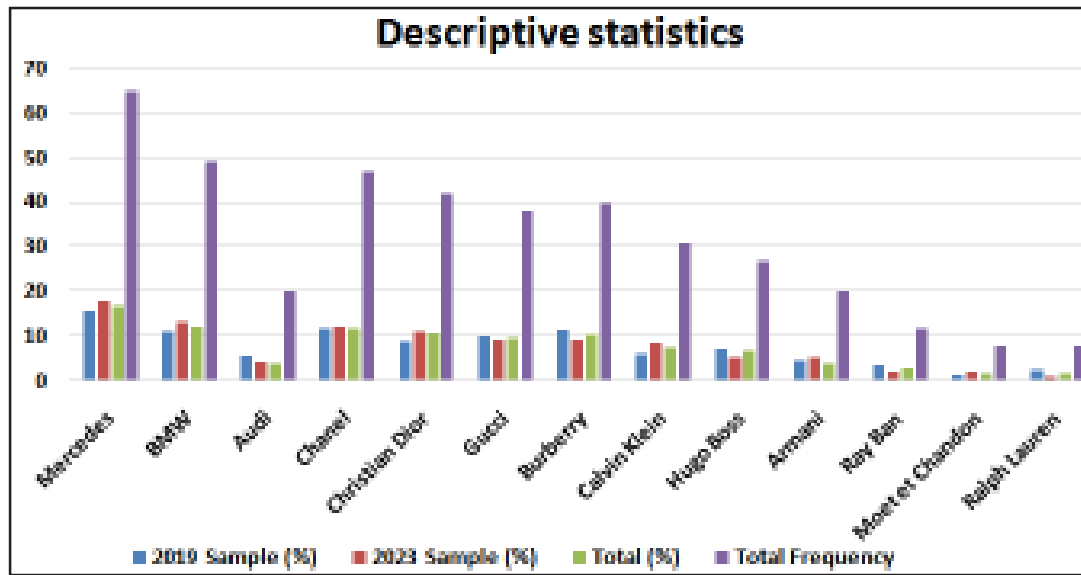


Figure 2: Graphical representation of descriptive statistics

सुविधायुक्त उत्सव आयोजन का पर्याय – इवेंट मैनेजमेंट

डॉ. कलिका डोलस*

* प्राध्यापक (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी – उत्सव, समारंभ, आयोजन, प्रबंधन।

प्रस्तावना – भारत एक उत्सवप्रिय देश है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष/प्रतिमाह कोई ना कोई बड़ा उत्सव होता है एवं माह में भी अनेक छोटे-मोटे उत्सव होते हैं। उत्सवों में भी प्राचीन भिन्नता देखने को मिलती है। भारतीय जनता धार्मिकीरू है। इसलिए हर धर्म में अनेक उत्सव होते हैं जिनमें से हिंदू धर्म में तो प्रकृति के बदलते स्वरूप के साथ-साथ विभिन्न उत्सवों का आयोजन होता है। जिसे भारतीय जनमानस पूरी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाता है। साथ ही हिंदू धर्म में मानव के जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनका आयोजन करना ही हर हिंदू परिवार का कर्तव्य है। यह सभी पर्व या उत्सव देश की संस्कृति एवं समृद्धि का भी प्रतीक है। त्यौहारों से जीवन की नीरसता दूर होकर उल्लास का संचार होता है। त्यौहार या उत्सव अपने आप में पवित्रता व सात्विकता की भावना को संजोए हुए रहते हैं, जिससे समाज में भी पवित्रता का वातावरण बनता है एवं असामाजिक कार्यों में कमी आती है। उत्सव के बहाने मिलने जुलने से आत्मीयता बढ़ती है एवं राग द्वेष मिटते हैं जिससे दुर्भावना में कमी आती है एवं सभी जन हमारे अपने हैं यह भावना विकसित होती है अतः उत्सव एवं अपराध दर का आपसी संबंध है जहां अपनापन है वहां अपराध नहीं होने एवं इस अपनेपन को बढ़ाने में उत्सवों का विशेष योगदान रहता है।

युग परिवर्तन भी इन उत्सवों के लिए कोई मायने नहीं रखते तभी तो आज भी सभी उत्सव उसी पुरानी परंपरा एवं आनंद तथा एकता के साथ मनाए जाते हैं, जैसे हमारे दादा-दादी, नाना नानी मानते थे। परिवर्तन आया है तो महज उत्सव मनाने के तरीकों में। प्राचीन समय में संयुक्त परिवार और बड़े-बड़े घर हुआ करते थे। मुख्य घर के आगे पीछे बरामदा एवं आंगन हर घर की शान हुआ करते थे। अक्सर उत्सवों का आयोजन यहीं हुआ करता था जिसमें 25-30 लोगों के समाया जाना आम बात थी। सारे तीज त्यौहार उत्सव घरों में ही आयोजित हो जाते थे केवल विवाह आदि जैसे बड़े उत्सवों के लिए ही अलग स्थान की व्यवस्था करनी होती थी। परंतु शहरीकरण एवं औद्योगिक विकास तथा बदलते सामाजिक परिवेश में परिवार छोटे होते गए। पहले घरों का आकार छोटा होता गया, फिर घरों से आंगन नदारद हुए, फिर गाज गिरी बरामदों पर। घर से बरामदे भी गायब हो गए। शहरों में बढ़ते औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। शहरों में बढ़ती जनसंख्या की आवासीय आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु घरों के आकार में कटौती की गई एवं निरंतर कटौती के फल स्वरूप जन्म दिया बहुमंजिला इमारत का। जिसमें ना बरामदा था ना ही आंगन, यहां तक की प्रसाधान सुविधाएं भी घर के अंदर होने लगी। मनुष्य ने अपनी निवासीय

आवश्यकता में तो परिवर्तन एवं समायोजन कर लिया परंतु उसका जो उत्सव प्रेम था वह कम नहीं हुआ।

इवेंट मैनेजमेंट की आवश्यकता:

1. घरों में स्थान का अभाव – समस्या उत्पन्न हुई उत्सवों के आयोजन हेतु स्थान उपलब्ध होने की एवं इसलिए इवेंट मैनेजमेंट अवधारणा का जन्म हुआ।
2. गृहणी के कामकाजी होने से एक और समस्या उत्पन्न हुई की इस प्रकार के आयोजन के लिए गृहणी के पास समय उपलब्ध नहीं था क्योंकि उसका अधिकांश में अपने कार्य स्थल पर व्यतीत हो जाता था।
3. शेष समय में दिनभर के कार्यों से वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से इतनी थक जाती है कि इन सभी उत्सवों के आयोजन के लिए उसके पास ताकत नहीं बचती।
4. प्राचीन समय में लोगों की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी इसलिए भी उत्सवों का आयोजन घरों में ही हो जाता था।
5. प्राचीन समय में दिखावे के लिए उत्सव नहीं मनाए जाते थे परंतु वर्तमान में अपने दिखावे की प्रकृति के चलते भी उत्सव बड़े पैमाने पर आयोजित होते हैं।
6. जनता की क्रय शक्ति बढ़ गई है।
7. सामाजिकता में कमी के कारण केवल उत्सव का आयोजन ही एकमात्र ऐसा साधन बचता है जब थोड़ी सामाजिकता निभाई जा सकती है। ऐसे ही अनेक कारणों से उत्सवों के आयोजन के विकल्प के रूप में हमारे सामने आया (**इवेंट मैनेजमेंट**) अर्थात् उत्सवों का आयोजन संस्था के माध्यम से करवाना जिसमें पारिवारिक सदस्यों को कार्य में लगाना नहीं पड़ता तथा वह भी अन्य मेहमानों या आगंतुकों की तरह ही उत्सव का पूर्ण आनंद ले सकते हैं।

इवेंट मैनेजमेंट – अर्थात् अपने स्वयं के उत्सवों का आयोजन किसी संस्था या अन्य व्यक्ति के माध्यम से करवाना, जिसके लिए आपको एक निश्चित धनराशि का भुगतान करना होता है।

इवेंट मैनेजमेंट के प्रकार – इवेंट प्रबंध के अनेक प्रकार हैं। बाजार में वर्तमान में हर समारोह के जश्न के लिए सेवाएँ उपलब्ध हैं। जिनमें समारोह विशेष में विशेषज्ञ अपनी सेवाएँ देते हैं। उनके कौशल से वे उस समारोह को व्यक्ति विशेष अथवा परिवार के लिए यादगार बना देते हैं। कुछ समय पश्चात् इन्हें याद कर परिवार के सदस्य पुनः ऊर्जावान हो जाते हैं एवं अपनों को याद करते हैं। इवेंट प्रबंध के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नानुसार हैं:-

1. व्यक्तिगत समारोह
2. अवकाश के समारोह
3. संस्थानिक समारोह
4. सांस्कृतिक समारोह
5. प्रदर्शन
6. उत्पाद
7. संगोष्ठी
8. सेमिनार अथवा अर्द्धदिवस आयोजन
9. कार्यशालाएँ
10. नेटवर्किंग सत्र
11. व्यापारिक मेले
12. गणमान्य आदर समारोह
13. क्रीडा गतिविधियाँ
14. सामुदायिक समारोह
15. मेले एवं त्यौहार
16. ऑफिस मीटिंग
17. कंपनी पार्टीज

इन सभी को यदि संक्षेप में वर्गीकृत करना हो तो मोटे तौर पर निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं :-

1. **व्यक्तिगत समारोह** - इनमें शादी, विवाह, वर्षगाँठ, शादी की सालगिरह, किसी पार्टी अथवा परिवार में किसी व्यक्ति विशेष ने कोई उपलब्धि हासिल की हो तो उसके स्वागत एवं उसे शुभकामनाएँ देने हेतु जो समारोह आयोजित किए जाते हैं वे व्यक्तिगत समारोह (Personal Events) कहलाते हैं।
2. **अवकाश हेतु समारोह** - जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है। इसके अन्तर्गत अवकाश के समय को आनंदपूर्वक उपयोग करने हेतु समारोह आयोजित किए जाते हैं। जैसे - पिकनिक, क्रिसमस, शीतकालीन अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश आदि हेतु पार्टी का आयोजन किया जाना है।
3. **संगठनात्मक समारोह** - इसके अन्तर्गत सभी ऑफिशियल समारोह का समावेश हो जाता है। जैसे सेमिनार, कार्यशालाएँ, ऑफिस मीटिंग्स, नेटवर्किंग सत्र, संगोष्ठी, प्रदर्शनी, उत्पादन का परिचय (Product Launch) आदि समारोह शामिल होते हैं।
4. **सांस्कृतिक समारोह** - इसके अन्तर्गत सभी सांस्कृतिक समारोह यथा, वार्षिकोत्सव, युवा उत्सव, 15 अगस्त, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह, स्नेह सम्मेलन, पूर्वछात्र सम्मेलन आदि का समावेश किया जा सकता है।
5. **विशेष समारोह** - जैसे क्रीडा गतिविधियों का आयोजन, सामुदायिक समारोह, मेले, व्यापारिक मेले, सामुदायिक समारोह आदि समावेश किया जाता है।

इवेंट प्रबंध के चरण - वैसे तो इवेंट प्रबंध की सफलता व्यक्ति विशेष के कौशल एवं प्रबंधक की क्षमता पर निर्भर करता है, जैसे बिना किसी प्रशिक्षण के हमारे परिवार की बुजुर्ग महिलाएँ परिवार में होने वाले किसी भी छोटे अथवा बड़े समारोह, उत्सवों का बहुत ही अच्छा प्रबंधन कर लेती थीं, परंतु जिसमें इस प्रकार का कौशल न हो वे भी इवेंट प्रबंध के चरणों को अपनाकर एवं सीखकर आवश्यक कौशल विकसित कर सकती हैं जो निम्न प्रकार है:-

1. **समारोह के उद्देश्य की समझना** - समारोह किस उद्देश्य से किया जा रहा है, सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है जैसे विवाह समारोह हो तो वहाँ रोमांटिक थीम ली जा सकती है। छोटे बच्चों की बर्थडे पार्टी का आयोजन हो तो वहाँ कार्टून केरेक्टर्स एवं डार्क कलर में सजावट की जा सकती है। धार्मिक आयोजन हो तो आध्यात्मिक गुरु आदि की तस्वीर एवं प्रेरणास्पद वचनों की तख्तियाँ लगाकर सजावट की जा सकती है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण लिए जा सकते हैं। अतः सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि किस उद्देश्य से समारोह आयोजित किया जा रहा है।

2. **दर्शक/श्रोता को जानें** - किस वर्ग विशेष के श्रोता/दर्शकों के लिए समारोह का आयोजन किया जा रहा है, यह जानना सफल इवेंट प्रबंधन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। आयु विशेष के दर्शकों के अनुसार उनकी रुचि को ध्यान में रखकर आयोजन किया जाना आवश्यक है। बच्चे, वयस्क अथवा वृद्ध, टारगेट ऑडियंस कौन हैं इसको सोचकर उस अनुसार शोरगुल का वातावरण अथवा प्राकृतिक शांत वातावरण किएट किया जा सकता है। इसी प्रकार दर्शक वर्ग ग्रामीण है या शहरी, मध्यम वर्ग है, उच्च मध्यम वर्ग है अथवा उच्च वर्ग है इसका भी ध्यान रखना भी आवश्यक है। दर्शक अथवा श्रोता परम्परा से स्नेह रखने वाले हैं अथवा आधुनिकता को महत्व देते हैं यह जानना भी उपयोगी होता है।

3. **उचित स्थान का चयन** - उचित स्थान का चयन उचित इवेंट मैनेजमेंट के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ बच्चों के लिए यदि किसी समारोह का आयोजन किया जाना हो तो वह सदैव भूतल पर करना चाहिए। बच्चे स्वभाव से ही चंचल होते हैं एवं जन्मदिवस आदि पर उनमें अतिरिक्त उत्साह का संचार हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रथम तल अथवा अन्य उच्च स्थानों पर किसी आयोजन को करना हादसे को निमंत्रण देना हो सकता है। बुजुर्गों के लिए किसी समारोह व आयोजन करना हो तो भीड़-भाड़ में दूर शांत एवं प्राकृतिक स्थल का चुनाव किया जा सकता है। जैसे किसी फॉर्म हाउस पर आयोजन। नवविवाहित जोड़े के लिए किसी रोमांटिक अथवा ऐतिहासिक स्थल का चयन किया जा सकता है। कारपोरेट मीटिंग के लिए, किसी ऐसे होटल का चुनाव किया जा सकता है, जहाँ उच्च तकनीकी सुविधाएँ भी हों एवं प्रायवेसी भी हो।

4. **सही एवं सटीक समय** - समय के दृष्टिकोण से इवेंट प्रबंधन करते समय इन सबकी दिनचर्या का ध्यान रखना अनिवार्य है, कामकाजी महिलाएँ हैं, गृहिणी हैं, बच्चे हैं या वयस्क अथवा बुजुर्ग पुरुष निर्धारण करना अत्यावश्यक है। सभी की दिनचर्या अलग-अलग होती है। जैसे गृहिणी का सुबह एवं शाम का समय अत्यधिक व्यस्त समय होता है। दोपहर में उसे कुछ खाली वक्त मिल जाता है। ऐसी स्थिति में यदि गृहिणियों के लिए किसी पार्टी का आयोजन करना हो तो दोपहर का समय उपयुक्त रहेगा। इसी प्रकार बच्चों हेतु रात्रि के पूर्व आयोजन कर लेना चाहिए। सुविधानुसार अवकाश के दिन का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे इतवार को अधिकांश व्यक्तियों को अवकाश रहता है।

5. **योजना की रूपरेखा एवं समय सीमा का अनुपालन** - पूर्ण इवेंट किस प्रकार से सम्पन्न होगा, इसकी रूपरेखा बनानी आवश्यक है। प्रबंध के चरणों के अन्तर्गत हमने पढ़ा है कि प्रबंध की सफलता का प्रथम चरण नियोजन या योजना बनाना होता है। क्यों, कैसे, कब, कौन इन सभी प्रश्नों का उत्तर योजना में होना चाहिए। जिसमें कैसे यह पूर्ण कार्यक्रम क्रियान्वित होगा। इस पर बल देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम कब क्रियान्वित करना

है तथा कौन-कौन इसमें शामिल होगा। कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्य विभाजन उत्तम तकनीक है। कार्य विभाजन के अनेक लाभ हैं। एक अकेले व्यक्ति पर काम का बोझ नहीं पड़ता। अधिक लोगों की सहभागिता से वर्कलोड कम हो जाता है। सभी के सुझाव प्राप्त होते हैं। सदस्यों में काम के प्रति अपनत्व की भावना आती है। सदस्यों में जिम्मेदारियों का विकास होता है। अतः इवेंट मैनेजमेंट के अगले चरण के रूप में योजना की पूर्ण रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए एवं यह रूपरेखा केवल मस्तिष्क में न तैयार कर लिखित रूप में कागज पर उतार लेनी चाहिए, जिससे उसके नियंत्रण में आसानी होती है।

योजना की रूपरेखा निर्धारित कर लेने के पश्चात् समय सीमा भी निश्चित की जानी चाहिए। समय पश्चात् होने वाला कोई भी काम चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो जाए कोई महत्व नहीं रखता। अतः योजना कब तक क्रियान्वित हो जाएगी इसकी समय-सीमा निर्धारित कर ली जानी चाहिए एवं समय-सीमा निर्धारण पश्चात् उसका अनुपालन भी उतना ही आवश्यक है। इच्छित परिणाम तभी प्राप्त हो सकते हैं जब दोनों ही स्तरों पर नियंत्रण किया जाए। नियंत्रण के अभाव में योजना निष्प्रभावी हो जाती है एवं वांछित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसी प्रकार समय-सीमा से अधिक समय लगने पर भी योजना निष्प्रभावी हो जाती है एवं लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उपस्थित होती है।

6. दर्शकों/श्रोता को आकर्षक करने वाली विषय-सामग्री विकसित करना - किसी भी कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ उसके सूत्रधार (Anchor) पर निर्भर करती है। सूत्रधार की वाणी Body Language संवाद अदायगी आदि से श्रोता/दर्शक प्रभावित होने चाहिए। इसके साथ ही दर्शक श्रोता को आकर्षक करने हेतु आवश्यक विषय-सामग्री को इवेंट मैनेजर को विकसित कर लेना चाहिए। इस हेतु आवश्यक पारिवारिक जानकारी अथवा कार्यस्थल से संबंधित जानकारी अथवा व्यक्ति विशेष की रुचि कार्यक्षमता, योग्यता, क्षमता आदि की जानकारी एकत्र कर उससे संबंधित विषय सामग्री विकसित की जा सकती है। श्रोता/दर्शक को प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित (Involve) करके भी इस आकर्षण को बरकरार रखा जा सकता है।

7. संदेश पहुँचाना - हर इवेंट/समारोह, अंत में कुछ संदेश पहुँचाना चाहता है, जो समारोह आयोजित कर रहा है वह भी एवं जो समारोह आयोजित करवा रहा है वह भी अपने-अपने स्तर पर इस समारोह के माध्यम से कुछ संदेश पहुँचाना चाहते हैं। वैसे तो समारोह करवाने वाला भी अपने संदेश पहुँचाने की जिम्मेदारी इवेंट मैनेजर पर ही डाल देता है। उसके माध्यम से ही वह अपने अतिथियों तक और अधिक अच्छे तरीके से अपनी बात (अपना संदेश पहुँचा सकता है क्योंकि वह इस काम में आयोजक से ज्यादा निपुण होता है।) इवेंट मैनेजर को चाहिए कि वह ऐसे मैसेज अथवा संदेश का डिजाइन अच्छी से तैयार कर ले जिसे वह अपने समारोह के माध्यम से लोगों के बीच पहुँचाना चाहता है एवं प्रभावी तरीके से अपनी बात रखे जिससे लोगों में

उसकी बात का असर पहुँचे एवं वह अपने संदेश पहुँचाने में सफल हो सके।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन चरणों को अपनाकर एक सफल इवेंट प्रबंधक बना जा सकता है। उपरोक्त चरण अत्यन्त प्रभावी है, इन्हें अपनाकर किसी भी समारोह को सफल बनाया जा सकता है।

एक सफल इवेंट प्रबंधक को आकर्षक एवं सुरुचिपूर्ण दिखाना चाहिए। किसी थीम अथवा अवधारणा से प्रारंभ करना चाहिए। उस अनुसार सजावट करनी चाहिए। एक स्पष्ट ले-आउट बनाना चाहिए एवं अतिथियों की आवश्यकतानुसार, माँग अनुसार उसे प्रस्तुत करना चाहिए।

परिभाषा - इवेंट प्रबंधन किसी विशेष लक्षित श्रोता के लिए किसी व्यवसाय या केंद्रीभूत समारोह के संयोजन की प्रक्रिया है। इसमें संगीत समारोह, फैशन प्रदर्शनी, विवाह समारोह, थीम पार्टी, कारपोरेट, सेमिनार, उत्पाद प्रक्षेपण जैसे कार्यक्रमों की दृश्यांकन, संकल्पना, नियोजन, बजटीकरण, संयोजन तथा निष्पादन शामिल है। अन्य शब्दों में छोटे या बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत या कारपोरेट घटनाओं जैसे त्यौहारों, सम्मेलनों, समारोहों, विवाहों, संगीत समारोह, जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, रिटायरमेंट पार्टी, औपचारिक पार्टियों या सम्मेलनों के निर्माण और विकास के लिए परियोजना प्रबंधन का अनुप्रयोग है। इसमें ब्रांड का अध्ययन करना, उसके लक्षित दर्शकों की पहचान करना, घटना की अवधारणा एवं रूपरेखा तैयार करना एवं वास्तव में कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले तकनीकी पहलुओं का समन्वय करना सम्मिलित है। आयोजन की योजना बनाने और समन्वय करने की प्रक्रिया को आमतौर पर घटना नियोजन के रूप में जाना जाता है एवं इसमें बजट, शेड्यूलिंग, साइट चयन, आवश्यक परमिट प्राप्त करना, परिवहन एवं पार्किंग की योजना बनाना, वक्ताओं एवं मनोरंजनकर्ताओं की व्यवस्था करना, सजावट करना, दुर्घटना सुरक्षा, खान-पान, भोजन व्यवस्था आदि का समन्वय करना शामिल होता है। इवेंट इंडस्ट्री में अब ओलम्पिक से लेकर बिजनेस ब्रेकफास्ट मीटिंग्स तक सभी साइज़ के इवेंट सम्मिलित हैं।

कई उद्योगपति एवं मशहूर हस्तियाँ, धर्मार्थ संगठन एवं रुचि समूह अपने लेबल का विपणन करने, व्यावसायिक संबंध बनाने, धन जुटाने या उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित कराते हैं।

उपसंहार- आधुनिक युग में इवेंट मैनेजमेंट तेजी से उभरता करियर ऑप्शन भी है। मैनेजमेंट के विद्यार्थियों में यह एक नई लाइन है जिससे युवाओं का आकर्षण देखा जा सकता है। हम आए दिन बड़े-बड़े आयोजनों की खबरे पढ़ते रहते हैं इस तरह के भव्य आयोजनों की सफलता के पीछे जिन लोगों की बड़ी मेहनत हाती है वे इवेंट मैनेजर कहलाते हैं। इस क्षेत्र में वर्तमान में रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अहा जिंदगी - फरवरी 2017
2. इंडिया टूडे - मई - 2015
3. स्वयं का शोध

मीडिया एवं महिला सशक्तिकरण

डॉ. नसीम अख्तर*

* असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) श्रीमती बी०डी० जैन कन्या महाविद्यालय, आगरा (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आजकल महिलाओं के लिए 'कल्याण', 'उत्थान', 'विकास' और 'जागृति' जैसे शब्दों की अपेक्षा 'सशक्तता' शब्द का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। 'सशक्तता' शब्द में 'शक्ति' शब्द समाहित है जिसका आशय ताकत से है तथा साथ ही शक्ति संतुलन को बदलने से है।

इस प्रकार सशक्तता का तात्पर्य उस शक्ति से है जिसके द्वारा समाज में व्याप्त शक्ति संतुलन को बदला जा सके। इस शक्ति संतुलन को बदलने से हमारा तात्पर्य है कि जो शक्ति, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त हो, पहले पुरुषों के हाथों में थी अब उस पर महिलाओं का भी अधिकार हो। इस सशक्तता का उद्देश्य मर्दों को कमजोर करना नहीं बल्कि महिलाओं के इस प्रकार सशक्त करना है ताकि वे प्रत्येक क्षेत्र में समानता का अधिकार प्राप्त कर सकें।

संक्षेप में महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय है महिला अपने आप को शक्तिशाली बनाए। बाह्य घटक जैसे सरकारी, गैर सरकारी संस्थायें तथा सर्वेद्वन्द्वीय पुरुष भी इस प्रयत्न में उसका साथ दे सकते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि उन्हें कानूनी सहायता तथा सूचना और प्रचार माध्यम की सुविधाओं की भी उचित मात्रा में उपलब्धि हो। मीडिया का अर्थ है संचार का माध्यम, जिसे हम देश की आँखें एवं देश का पथ प्रदर्शक कहते हैं।

मीडिया के प्रकार

- (i) प्रिन्ट मीडिया
- (ii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

संचार का प्रथम माध्यम समाचार पत्र, मैगजीन, साप्ताहिक पोस्टर, किताबें आदि हैं। तथा दूसरा माध्यम टी०वी०, सिनेमा, रेडियो, वी०सी०आर०, कम्प्यूटर, फोन आदि इलेक्ट्रॉनिक मीडियेटर हैं।

लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में सरकार के तीन प्रमुख अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के अतिरिक्त चौथा प्रमुख आधार स्तंभ है मीडिया। जिसमें प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों सम्मिलित हैं। जनसाधारण में विभिन्न सूचनाओं का सम्प्रेषण करना, जनमत का निर्माण करना, जनता में चेतना एवं जागरुकता का विकास करना प्रेस/मीडिया का प्राथमिक लक्ष्य है।¹

मीडिया का महत्व – मीडिया अर्थात् मीडियम या माध्यम। मीडिया के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। समाज में मीडिया की भूमिका सूचना वहन की होती है। वह समाज के विभिन्न वर्गों, सत्ता केन्द्रों, व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच पुल का कार्य करता है। आधुनिक युग में मीडिया का सामान्य अर्थ समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आदि से लिया जाता है। किसी

भी देश की उन्नति व प्रगति में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है यदि यह कहा जाये कि मीडिया समाज का निर्माण एवं पुनर्निर्माण करता है तो यह गलत नहीं होगा। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जिनसे सिद्ध होता है कि लोगों ने मीडिया की शक्ति एवं महत्व को पहचानकर उसे एक शक्तिशाली हथियार के रूप में प्रयोग किया है जिससे समाज में अनेक परिवर्तन हुए हैं। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने एवं उनमें देश-भक्ति व उत्साह भरने में भी मीडिया की अहम भूमिका रही है। आज भी मीडिया की ताकत के सामने बड़े से बड़ा राजनेता, उद्योगपति सभी सिर झुकाते हैं। मीडिया का जन-जागरण में भी बहुत योगदान है। बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का अभियान हो या एड्स के प्रति जागरुकता का कार्य, मीडिया ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है। लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करना, बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिये प्रयास करना, धूम्रपान के खतरों से अवगत कराना जैसे अनेक कार्यों को करने में मीडिया का महत्व रहा है। मीडिया समय-समय पर नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करता रहता है। देश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी नजर रखता है। समय-समय पर रिस्टिंग ऑपरेशन कर इन सफेदपोशों का काला चेहरा दुनिया के सामने लाता है। इस प्रकार मीडिया का हमारे जीवन में बहुत महत्व है।²

इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। मीडिया ने महिलाओं के जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं। आज मीडिया के माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों को जानकर सशक्त हो रही हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए मीडिया की आवश्यकता – संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिये हैं अर्थात् महिलाएं संवैधानिक दृष्टि से अधिकार संपन्न हैं। परन्तु हम देखते हैं कि यथार्थ में वे भेदभाव, शोषण और उत्पीड़न का शिकार बनी हुई हैं। आज आवश्यकता है कि इन्हें उनके अधिकार दिलाये जायें, उन्हें शिक्षित किया जाये, स्वावलम्बी, मजबूत और जागरुक बनाया जाये। इस दिशा में सरकार ने कई योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाये ताकि इनका कल्याण किया जाये। परन्तु ये सभी प्रयास कागजों में ही सिमट कर रह गए। जबकि इन प्रयासों को महिलाओं के बीच पहुँचाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति मीडिया के माध्यम से हो सकती है। मीडिया जैसे दूरदर्शन, निजी चैनल व रेडियो के माध्यम से महिलाएं विवाह, दहेज, बलात्कार, संपत्ति अधिकार, समान वेतन, प्रसूति-सुविधा आदि के संबंध में जागरुक हो सकती हैं और हो भी रही हैं। मीडिया के माध्यम से महिलाओं को बाल विवाह अधिनियम, पत्नी के भरण पोषण या विधवा गुजारा भत्ते संबंधी कानून, महिला हिंसा कानून, गोद लेने संबंधी कानून, संपत्ति संबंधी अधिकार आदि की जानकारी प्राप्त होगी, जो उनके

जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। मीडिया की ईमानदार प्रतिबद्धता निश्चित ही महिला सशक्तिकरण के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ सकती है। **महिला सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका** –वर्तमान में प्रिंट, दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक प्रभावी संदेशवाहक और परिवर्तनकारी एजेंट के तौर पर, अलग-थलग पड़ी वंचित महिलाओं के एक बड़े हिस्से को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की व्यापक क्षमता है। मीडिया ने समय, स्थान और सूचना के आदान-प्रदान की मात्रा की सीमा से बाधित हुए बगैर, परस्पर सम्प्रेषण और जुड़ाव का एक नया मार्ग खोल दिया है। मीडिया के अत्यधिक विस्तार ने अनेक लैंगिक मुद्दों को उजागर करने में मदद की है, जो कि अभी तक दुनिया के सामने नहीं आये थे। महिलाएं धीरे-धीरे ही सही पर आगे बढ़ रही हैं और अपनी आवाज उठा रही हैं। वे लैंगिक मुद्दों को नया दृष्टिकोण प्रदान कर रही हैं।

मीडिया ने महिला सशक्तिकरण के लिए बनाये जा रहे कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑल इंडिया रेडियो (एओआईओ आरओ) और दूरदर्शन में महिला सशक्तिकरण शीर्ष एजेंडा रहा है। डीओडीओ नेशनल पर स्त्री शक्ति, सफल महिलाओं की सफलता की कहानियों पर प्रकाश डालती है। डीओडीओ न्यूज 'तेजस्विनी' का प्रसारण करता है, जो उदाहरणीय महिलाओं की कहानियों को प्रस्तुत करता है, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य पर पहुंची।³

भारत जैसे विकासशील देश में समय की सबसे महत्वपूर्ण मांग है महिलाओं के विकास और उनके सशक्तिकरण की। देश में अनेक समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाएं सशक्त नहीं हो जातीं। संविधान ने महिलाओं को सभी तरह के अधिकार दिये हैं, इन अधिकारों को लागू करने के लिए कानून भी बना दिये लेकिन इनका लाभ वे तभी ले सकती हैं जब वे इनके संबंध में जागरूक होंगी और यह कार्य मीडिया द्वारा किया जाता है। मीडिया की भूमिका के बिना ये काम मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव भी है। मीडिया के माध्यम से महिलाएं जागरूक हो रही हैं। मीडिया उन्हें अपने अधिकारों एवं भूमिकाओं के बारे में सजग बनाकर उनका सशक्तिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में लगातार महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण हो रहे हैं। प्रिंट मीडिया से लेकर रेडियो और दूरदर्शन इस विषय पर काम करता रहा है, प्राइवेट चैनलों ने भी महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ किया और इस दिशा में काफी बदलाव हुए भी हैं।⁴

वर्तमान में संचार माध्यम महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बाल विवाह अधिनियम की बात करें या पत्नी के भरण पोषण या विधवा गुजारा भत्ते की, स्त्रियाँ जागरूक हो रही हैं। उन्हें महिला हिंसा कानून, समान वेतन कानून, गोद लेने संबंधी कानून और संपत्ति में स्त्री के अधिकार की जानकारी सहित ऐसे अनेक चीजों का ज्ञान है जो उनके जीवन का सही दिशा दे सकते हैं। अपने जीवन में विभिन्न समस्याओं को बेहतर ढंग से सुलझाने की क्षमता उनमें लगातार विकसित हो रही है। जागरूकता का अभाव उनकी उन्नति के मार्ग का रोड़ा बन रही है। वैसे देखा जाये तो मीडिया समाज के विकास में बहुत सहायक है। परंतु महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में इसकी भूमिका सर्वोपरि है। आज समूचे विश्व में स्त्रियों का वर्चस्व बढ़ा है। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं, उनकी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। परन्तु दूसरी ओर महिलाओं के प्रति हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना जैसी अनेक घटनाएं आये दिन घट रही हैं, जो पहले भी

घटती आई हैं। परन्तु आज मीडिया के कारण आप और हम इन घटनाओं से रुबरु हो रहे हैं तथा मीडिया ने महिलाओं में यह चेतना जाग्रत की है कि वे इन अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज उठा रही हैं। जिसके परिणामस्वरूप सरकार को भी उनके हित के लिए कानून बनाने के लिए तत्पर होना पड़ रहा है।

महिलाएं अपने अस्तित्व के लिए सदैव से एक लंबी लड़ाई लड़ती आ रही हैं। परन्तु इस लड़ाई ने कभी आंदोलन का रूप नहीं लिया था। महिलाओं के पक्ष में आधार तैयार करने में रेडियो, दूरदर्शन, पत्र-पत्रिकाओं और सबसे अधिक समाचार पत्रों की भूमिका रही है क्योंकि यह आम आदमी तक पहुंचने का सबसे सस्ता साधन है। भारत का महिला एवं बाल विकास विभाग स्त्रियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु सतत प्रयत्नशील है और योजनाएं बनाता आ रहा है। अन्य शासकीय एवं अशासकीय तथा स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस दिशा में कार्य कर रही हैं। किन्तु जब से मीडिया इस दिशा में सक्रिय हुआ है, तभी से उल्लेखनीय परिणाम मिल रहे हैं आज सभी शासकीय योजनाओं की जानकारी दृश्य-श्रव्य माध्यमों द्वारा प्रसारित की जाती है और उनका व्यापक प्रभाव भी स्त्री वर्ग पर पड़ रहा है। अन्त्योदय योजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और जननी सुरक्षा योजना सहित जाने कितनी ही योजनाओं की जानकारी आज महिलाओं को है।

सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनमें शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। सरकार बालिका शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से महिला साक्षरता बढ़ाने हेतु प्रयासरत है। जिसमें मीडिया की अहम भूमिका है। बालिका शिक्षा संबंधी कई विज्ञापन एवं कार्यक्रम दिखाकर दूरदर्शन साक्षरता के प्रसार में सहयोग कर रहा है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा कन्या जन्म को बढ़ावा देने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

निष्कर्ष – पिछले कुछ वर्षों से मीडिया द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उनके मुद्दे उठाने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया ने एक ओर जहाँ महिलाओं को कई महत्वपूर्ण पद देकर उन्हें सशक्त किया है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं से संबंधित प्रेरक कहानियों से उनमें आत्मविश्वास जाग्रत करने का कार्य भी किया है। महिलाओं पर होने वाले जुर्मों एवं अत्याचारों को मीडिया द्वारा प्रमुखता से दिखाया जाता है जिससे उन्हें ढेर सबेर ही सही, पर इन्साफ मिलता है। महिलाओं से संबंधित मुद्दे पहले इतने चर्चा में नहीं रहते थे जितने की आज हैं। मीडिया ने विश्व को जोड़कर किसी भी घटना को एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाया है। यही कारण है कि मलाला युसुफ को पहले कोई नहीं जानता था लेकिन ये मीडिया ही है, जिसने आज मलाला को विश्व प्रसिद्ध बना दिया है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जिसकी महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। देश एवं राष्ट्र की तरक्की में मीडिया ने अहम भूमिका अदा की है क्योंकि देश की आधी आबादी को सशक्त किये बिना समाज, देश व राष्ट्र की तरक्की संभव नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीवास्तव, शमीनी, 2011, आधुनिक समाज एवं महिलाएँ, ब्लू स्टार, इंदौर, पृ0 सं0 160 - 61
2. श्रीवास्तव, मानव, 2019, योजना एवं कुरुक्षेत्र का GIST सरकारी योजनाएं, नीतियाँ एवं कार्यक्रम, दिल्ली, प्रभात प्रकाशन।
3. www.dpssharjan.com
4. सिन्हा, निभा, महिला विकास और सशक्तिकरण एवं जनमाध्यम, www.newswriters.in

भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 की चुनौतियाँ

डॉ. प्रवीण ओझा *

* प्राचार्य, डॉ. बी.एल.पी. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें धन सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग आदि इसकी प्रमुखतः विषयवस्तु होती है। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष अर्थव्यवस्था कहलाता है। किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित आर्थिक गतिविधियाँ यथा उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व आय, बजट, अर्थ नियोजन जैसे समस्त संबंधित आर्थिक तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक चाणक्य या कौटिल्य को माना जाता है जिनका मूल नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य रचित ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' में राज्य की अर्थव्यवस्था के विविध पक्षों की व्यापक मीमांसा द्वारा एक आदर्श एवं व्यवहारिक अर्थव्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया गया है। 2023 में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पाने वाली भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आर्थिक उदारीकरण एवं आर्थिक सुधार के खुले वातावरण में तथा गत वर्षों के ग्राम नियोजन एवं सटीक आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप भारत विश्व की महान आर्थिक शक्ति के रूप में उभरकर आया है एवं विश्व अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रभाव का भी विस्तार हुआ है।

भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 की कार्यविधि एवं व्यवहारिक स्वरूप पर देश के आर्थिक विकास एवं देशवासियों की समस्त आशाएँ टिकी हुयी हैं इसमें उन सभी का समावेश अपेक्षित है, जिन पर गत वर्ष की भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 आधारित थी तथा जिसमें गत वर्ष विशिष्ट उपलब्धियाँ भी दर्ज की गयी हैं। देशवासियों की वर्तमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य समस्त अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुये विकास के चक्र को सतत रूप से आबाध गति से आगे बढ़ाते रहना भी प्रासंगिक है। इस दिशा में सरकार को दृढ़ निश्चय पर आधारित प्रतिबद्धता समस्त अर्थवित्ताओं से विमर्श, भारत एवं विश्व को गत वर्ष की अर्थव्यवस्थाओं का सूक्ष्म विश्लेषण, गहन शोध एवं लक्ष्यों की स्पष्टता जैसे सुदृढ़ आधार स्तंभों पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 से राष्ट्र को अपार अपेक्षाएँ होने के कारण इसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी हैं। वर्तमान में उपलब्ध परिस्थितियों एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसा सुदृढ़ नीतिगत बुनियादी ढांचा लागू किया है जो विकासशील देशों के लिए अनुकरणीय है। टिकाऊ विकास के लक्ष्य (SDG) को प्राप्त कर उसे सुरक्षित बनाये रखने की डगर भी अत्यंत कठिन है। इस क्षेत्र में विश्व के 166 देशों के मध्यम 112वें स्थान पर अवस्थित भारत ने गत वर्ष बड़ी सकारात्मक सक्रियता का प्रदर्शन भी किया है, तथापि मैक्रोफैक्टरिंग आधारित विकास की तीव्रता पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव

डाल सकती है, गहन शोध एवं विभागीय सामंजस्य यहाँ उपयोगी हथियार बन सकते हैं। G-20 की अध्यक्षता में 2030 के एजेण्डे के विस्तार हेतु भारत के द्वारा उसके समझौतों में इन तत्वों को सम्मिलित कर पहल की है, तथापि 2024 की अर्थव्यवस्था में सहज, टिकाऊ एवं उत्तरदायी विकास हेतु ठोस नीतिगत ढांचा तैयार कर लागू किया जा रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 उत्साहपूर्ण एवं उपलब्धिकारक रही है। इसमें भारत की जीडीपी का 3.73 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचना प्रति व्यक्ति जीडीपी 2610 डॉलर होना विश्व की औसत विकास दर मात्र 2.9 प्रतिशत रहने के बाद भी भारत की अनुमानित विकास दर 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान आदि तथ्य वर्ष 2024 में पूर्ण सावधानीपूर्वक संतुलित रूप से कदम आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं। गत वर्ष के उपलब्धिदायक कारकों की खोज कर उनमें मजबूत प्रयास कर भारत 2027 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी के चहुँमुखी प्रयत्न कर रहा है। अपनी कमियों एवं ताकतों का सही आकलन कर ही यह वर्ष नवीन आर्थिक उपलब्धियों की संभावना से पूर्ण प्रतीत हो रहा है। गत वर्ष के समान इस वर्ष भी महंगाई के प्रश्न पर अनिश्चय एवं अस्थिरता की संभावना बनी हुयी है। यद्यपि 2023 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की महंगाई दर में दो प्रतिशत की गिरावट एवं कोर इंफ्लेशन या मुख्य महंगाई में स्थिरता दर्ज की गयी फिर भी खाद्य पदार्थों यथा अनाजों, दलहन, मसालों की महंगाई के कारण शासन ने निर्यात-प्रतिबंधित कर स्थिति पर नियंत्रण बनाने के प्रयास किये थे, ऐसी परिस्थितियों की उम्मीद की वर्ष 2024 में भी संभावना दृष्टिगोचर हो रही है, आगामी नीति निर्धारण में इस ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। खाद्यान्नों के निर्यात पर प्रतिबंध के 2023 में निर्यात में 5.43 प्रतिशत की गिरावट आयी किन्तु साथ ही आयात में भी 7.31 की कमी में व्यापार संतुलन को सुधारा एवं 2023 में भारत का व्यापार घाटा लगभग आधा रह गया। गत वर्ष इलेक्ट्रिक उपकरणों, दवाओं, दूरसंचार के उपकरणों के बढ़ते निर्यात ने नीति निर्माताओं का ध्यान इन सैक्टर पर केन्द्रित कर इस वर्ष को लाभान्वित किया है। इस वर्ष खाद्य पदार्थों के मूल्य को स्थिर करने, आपूर्ति शृंखला को व्यवस्थित बनाये रखने, सुरक्षात्मक मौद्रिक नीति बनाये रखने जैसे कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाना है। वर्ष 2023 में अनाजों एवं दालों में 13 प्रतिशत, मसालों में 21.6 प्रतिशत, दूध में 8.3 प्रतिशत एवं सब्जियों में 37.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी जिसे सरकारी हस्तक्षेप से नियंत्रित भी किया गया। इस हेतु सतर्क बना रहना जरूरी है।

मुद्रा स्फीति संबंधी आकलन भी अर्थव्यवस्था का अहम पक्ष होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही

तक मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत से अधिक रहेगी जो रिजर्व बैंक के कम्फर्ट लेवल से 4 प्रतिशत है, से अधिक रहेगी। ऐसी स्थिति में स्टॉक के मूल्य कम एवं स्वर्ण का मूल्य बढ़ जाता है, क्रय शक्ति कम हो जाने के कारण वास्तविक आय कम हो जाती है, ब्याज दरें उच्च हो जाती हैं, इस दशा में इक्विटी की लागत प्रभावित होने, निर्यात प्रभावित होने, उच्च मजदूरी की मांग एवं उससे उत्पादन लागत में वृद्धि आदि संभावनाओं पर विचार कर ही आगामी रूपरेखा तैयार करनी होगी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरपेक्ष मौद्रिक नीति अपनाने की तारीफ की है, इस प्रशंसनीय स्थिति को वर्ष 2024 की अर्थव्यवस्था में भी बनाये रखने का दबाव भी सकारात्मक परिणाम दे सकता है क्योंकि इससे धीरे-धीरे कीमतें स्थिर हो सकती हैं एवं मुद्रा स्फीति एवं महंगाई के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का तो यह भी अनुमान है कि 2024 में भारत में विदेशी पोर्ट फोलियो निवेश या एफ.पी.आई. के 33.9 अरब डॉलर पहुँचने की संभावना है, जिससे देश ऐसी उभरती हुयी आर्थिक शक्ति का रूप लेता जा रहा है जहाँ निवेश की अच्छी संभावनाएँ हैं, इस क्षेत्र को गहन शोध से और समृद्ध बनाया जा सकता है। गत वर्ष मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की 13.9 प्रतिशत तक बढ़ती

विकास दर, मेक इन इण्डिया की सफलता ने इस सैक्टर को 2025-26 तक एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की संभावना का अनुमान लगाया गया है। इस अनुमान को वास्तविक उपलब्धि में इस वर्ष में बदलना भी चुनौतीपूर्ण एवं प्रेरक तत्व है जो अर्थव्यवस्था के उन्नयन का कारक बन सकता है। इस दिशा में रोजगार के अवसर बढ़ाने, प्रशिक्षित कामगारों की उपलब्धता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार एवं प्रचार-प्रसार, सेवा क्षेत्र की महत्ता को बनाये रखना, महिलाओं की श्रम भागीदारी का प्रतिशत बढ़ाना, विकास की संभावनाओं की खोज एवं उपलब्ध अवसरों का समुचित दोहन जैसी रणनीति निसंदेह 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उस मुकाम तक पहुँचायेगी जो एक आर्थिक शक्ति का दर्जा पाने के लिये अपेक्षित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, विवेक - इण्डियन इकोनॉमी
2. शर्मा, चंदन - इन्टरनेशनल इकोनोमिक्स
3. सिंह, रमेश - भारतीय अर्थव्यवस्था
4. वर्मा, संजीव - भारतीय अर्थव्यवस्था
5. बैनर्जी, अभिजीत, वी, टुफलो एस्थर-गुड इकनोमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स
6. लाल एल.एन., लाल एस.के. - भारतीय अर्थव्यवस्था

दक्षिण अरावली क्षेत्र में निवासरत कथौड़ी जनजाति का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जीवन

डॉ. सुदर्शन सिंह राठौड़*

* सह आचार्य, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – मानव आरम्भ से प्रकृति पर निर्भर रहा है। वन्य उत्पादों से अपना एवं अपने परिवार का पेट भरने का कार्य सरलता से करता आया है। प्रकृति ने उसे बहुत कुछ दिया है। वर्तमान में भी कुछ जातियाँ पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर हैं जिनमें कथौड़ी जनजाति अग्रणी है। कथौड़ी लोग जंगली उत्पादों यथा गोद, महुए के फूल, डोलमा, मूसली लकड़ी एवं शहद एकत्रित करके बेचते हैं। उससे अपने परिवार का पालन करते हैं। महुआ के फूलों से शराब बनाकर बेचना एवं पीना इनकी दिनचर्या का मुख्य भाग है। इस जनजाति में शराब एवं मांस का मुख्य स्थान है। सुबह की शुरुआत ही शराब सेवन से होती है। स्त्री और पुरुष दोनों ही नशे के आदी हैं। शिक्षा का इस जाति में नितान्त अभाव है। बच्चे भी माता पिता की आदतों के शीघ्र ही शिकार हो जाते हैं। बाल विवाह के कारण शारीरिक एवं मानसिक विकास भी अवरूद्ध हो जाता है। फलस्वरूप युवा भी अपने पूर्वजों की राह पर चल पड़ते हैं। सरकारी सहायता के रूप में घर एवं अनाज मिल जाता है अतः नशे का ही जुगाड़ शेष रहता है। सात्विक जीवन या धार्मिक प्रवृत्ति का नितान्त अभाव देखने को मिलता है।

शब्द कुंजी – जनजाति, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, नशाखोरी, शराब।

प्रस्तावना – राजस्थान के उदयपुर जिले की झाड़ोल (फ.) एवं कोटडा तहसील क्षेत्र में निवास करने वाली कथौड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की निवासी है। वहाँ बांधो के निर्माण के कारण बेघर हुए इन लोगों को वर्षों पूर्व यहाँ बसाया गया था। फुलवारी की नाल क्षेत्र में ये लोग खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते थे। वन्य उत्पादों के सहारे जीवन यापन करना इनकी दिनचर्या बन गई थी परन्तु अब परिस्थितियाँ विपरित हैं। घटते वन्य उत्पाद एवं अशिक्षा के कारण ये लोग अत्यन्त पिछड़े एवं बेरोजगार बने हुए हैं। अत्यधिक शराब सेवन के कारण इनके शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ रहे हैं।

शोध पत्र का उद्देश्य:

1. कथौड़ी जनजाति के सामाजिक विकास एवं अशिक्षा की समस्याओं को उजागर करना।
2. कथौड़ी समुदाय की संस्कृति, रहन-सहन, खान-पान, व्यवसाय एवं धार्मिक जीवन से शेष समुदाय को परिचित कराना।
3. कथौड़ी जनजाति के विकास में बाधक समस्याओं के समाधान हेतु भावी सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पनाएँ:

1. कथौड़ी जनजाति को शिक्षा एवं रोजगार से जोड़ कर मुख्य धारा में लाया जा सकता है।
2. परम्परागत के स्थान पर नवीन व्यवसाय अपनाने हेतु प्रेरित किया जा सकता है।
3. शराब सेवन, मासांहार जीवन एवं रूढ़िवादी सोच को बदला जा सकता है।

शोध प्रविधि:

1. समंक संकलन – दक्षिणी – पश्चिमी राजस्थान के उदयपुर जिले की झाड़ोल एवं कोटडा तहसील के गावों अम्बासा, डैया, अम्बावी, पानरवा, झाडा पीपला, झेर एवं बेडाधर में निवास करने वाले कथौड़ी परिवारों का चयन उद्देश्यानुसार प्रतिदर्श विधि के आधार पर किया गया।

2. अध्याय विधि एवं आंकड़ों का संकलन – सम्बंधित शोधकार्य में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का समावेश किया गया है परन्तु यह शोध मुख्यतः प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक आंकड़े सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावजों, लेखों, शोध पत्रों एवं अनुसंधानों पर आधारित हैं।

साहित्यावलोकन – अमिताभ सरकार व समीरा दासगुप्ता ने अपनी पुस्तक Ethno Ecology of Indian Tribes: Diversity in Cultural Adaptation (Rawat Publication, 2000) में इस जनजाति के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। साथ ही जगन आकड़ों की पुस्तक Development of Schedule Castes And Scheduled tribes in India (Cambridge Scholars Publication, 2008) भी कथौड़ी जनजाति से जुड़ी विभिन्ना धारणाओं – अवधारणाओं को प्रस्तुत करती है। भारत की अन्य जातियों – जनजातियों के साथ कथौड़ियों का भी विवरणात्मक अध्ययन प्राप्त होता है। के.एस. सिंह (2004) अपनी पुस्तक People of India: Maharashtra में कथौड़ियों की गौत्र विभाजन, खान-पान, कार्य-व्यवहार एवं व्यावसायिक पहलुओं का वर्णन करते हैं।

अमिता बाविसकर ने अपनी पुस्तक In The Belly of The River: Tribal Conflicts Over Development In The Narmada Valley (Oxford University Press, 2013) में भी महाराष्ट्र की अनेक जनजातियों के साथ कथौड़ियों की भी जनजाति साझा की है। उन्हे नाशिक,

पूणे एवं धूले जिले में निवासरत बताया हैं। विशाल कुमार हरिप्रसाद जोशी ने अपने शोध उपाधि An Economic Study of Tribe Kathodi In Sabarkantha District Of Gujrat (Pacific University, Udaipur 2017) में कथौडियों के महत्वपूर्ण एवं अनछुएँ पहलुओं को उजागर किया हैं। खेडब्रह्मा एवं विजयनगर के क्षेत्र निकालकर बेचने वाले कथौडी लोग मेरे अध्ययन क्षेत्र हेतु निर्धारित गाँवों के सम्बन्धी, रिश्तेदार एवं प्रवासजन्य हैं।

दक्षिण अरावली क्षेत्र में कथौडी जनजाति का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जीवन- दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर जिले के दक्षिण - पश्चिम भाग में फुलवारी की नाल में स्थित हैं। यह वन्य क्षेत्र हरा - भरा एवं प्राकृतिक सम्पदा से परिपूर्ण हैं। इसमें वृक्षों की विविधता के साथ-साथ अनेक प्रकार के जंगली जीवन-जन्तु भी जाये जाते हैं। आस-पास के गाँवों के पशु एवं मानव इस वन क्षेत्र पर निर्भर हैं। खासकर कथौडी जनजाति के लोग यहा के जंगलों से महुआ के फूल, डोलमा, शहद, गोंद, सफेद मूसली, लकड़ी एवं कोयला एकत्रित कर बेचते हैं। इनका आर्थिक जीवन वन क्षेत्र पर निर्भर हैं। कथौडी लोग कुछ वर्षों पूर्व खैर नामक वृक्ष से कथा निकालने का कार्य करते थे। वर्तमान में खैर के वृक्ष लुप्तप्राय हो गए हैं।

महाराष्ट्र में बड़े-बड़े बांधों का निर्माण होने के कारण वर्तमान में 40-50 वर्ष पूर्व ये लोग बेघर हो गये थे। फुलवारी की नाल के निकटवर्ती गाँवों में उस समय परती भूमि देख उन्हें यहा बसाया गया। इन्होंने वन्य क्षेत्रों को अपने आर्थिक क्रियाकलापों हेतु अनुकूल समझा। महुआ एवं तेंदू के वृक्ष ने इन्हे सम्बल प्रदान किया, परन्तु शीघ्र ही ये लोग इनके नशे की गिरफ्त में आ गये। महुए के फूल कि शराब एवं तेन्दू व सेतरी वृक्ष की पत्तियों बीड़ियाँ आज भी इनका पिछा नहीं छोड़ रही हैं। शराब से कही घर बर्बाद हो गये हैं। इस जनजाति पर शराब का जबरदस्त प्रभाव हैं। सुबह उठते ही चाय के स्थान पर शराब का सेवन करते हैं। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही समान रूप से एक साथ बैठकर सेवन करते हैं। परिवार के छोटे बच्चों पर इसका विपरित प्रभाव पड़ता हैं वे भी शीघ्र ही इसके शिकार हो जाते हैं। झाड़ोल (फ.) तहसील के अम्बासा, डैया, अम्बाली एवं पानरवा तथा कोटडा के झेर व बेडाधर गाँवों में महुआ के वृक्षों की अधिकता हैं। अप्रैल - मई में आने वाले महुए के फूलों को एकत्रित करके वर्षभर तक अपने शराब पीने का इंतजाम कर लेते हैं। शराब की लत इस कदर है कि इस हेतु ये लोग किसी किसान या शराब व्यवसायी के यहा बेगार को तैयार हो जाते हैं। इन गाँवों में महुए की शराब बनाने वाले के घर पर कथौडियों का समूह देखने को आसानी से मिल जाता हैं। बड़े - बुजुर्ग लोग तो हर वक्त नशे में डूबते रहते हैं मानो यही अमृत पेय हैं। शराब के अलावा बिडी पीना एवं तम्बाकू खाना भी इनमें प्रचलित हैं। टिम्बरू (तेन्दू वृक्ष) या सेतरी (कचनार वृक्ष) की पत्तियों से स्वयं बीड़ी बना लेते हैं। जर्दा अपने पास रखते हैं। नशे की प्रवृत्ति इस जनजाति में स्त्री एवं पुरुष में समान हैं।

कथौडी एक अनपढ़ जनजाति हैं। शिक्षा के प्रति जागरूकता शून्य स्तर पर हैं। बच्चे अपने माता-पिता के साथ मजदूरी करने, महुए के फूल बिनने या गोंद - शहद एकत्रित करने चले जाते हैं अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते हैं ना ही उसकी उचित देखभाल कर पाते हैं नशे की प्रवृत्ति के कारण माता-पिता बच्चों की शिक्षा एवं शादी को बोझ समझते हैं। बहुत ही कम बच्चे प्राथमिक या उच्च प्राथमिक की शिक्षा सरकारी छात्रावास में रहकर पूरी कर पाते हैं। घर पर रहने वाले

बालकों के लिए तो यह भी मुश्किल हैं। कम आयु में ही बाल विवाह के शिकार हो जाते हैं फलस्वरूप शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता हैं। अपने बच्चे होने के बाद कथौडी दम्पति खोलरा बना अलग रहने लग जाते हैं। शादी के बाद भी लडकी लम्बे समय तक अपने पिहर में ही रहती हैं उसका पति यहा आकर रहने लगता हैं। पति पत्नी का यह जोडा हर समय साथ रहता हैं। जंगल में गोंद बिनने, लकड़ी लाने या मजदूरी करने जाना हो अथवा शराब पीकर नृत्य करना हो। अधिकतर कार्यों में पत्नी सहभागिनी बनती हैं। समाज में नशे की अधिक प्रवृत्ति के कारण अधिकतर पुरुष अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं विधवा विवाह का प्रचलन हैं। तलाक आसान हैं परन्तु दापा की राशि पुरुष को चुकानी होती हैं। सामान्यतः एकल विवाह प्रचलित हैं। भोजन में मांसाहार का महत्वपूर्ण स्थान हैं। पहले कथौडी लोग जंगली जानवरों का शिकार करना, मरे हुए पशुओं का मांस, कछुआ या मछलियों को पकड़कर लाना इत्यादि शामिल था। वर्तमान में कुछ परिवर्तन आया हैं परन्तु इस दिशा में और अधिक सुधार की जरूरत हैं। कथौडी पुरुष गुलेल चलाने में पारंगत होते हैं। जिसके सहारे वह छोटे पक्षियों एवं खरगोश का शिकार आसानी से कर लेते हैं। दैनिक खान पान में गैहू एवं मक्का की रोटी का महत्वपूर्ण स्थान हैं परन्तु सब्जी नित्य मिले यह कोई जरूरी नहीं हैं। सीलबटे पर मिर्ची एवं मसाले घिसकर उपयोग कर लेते हैं। प्याज एवं चटनी के साथ खाना खा लेते हैं। चावल को अकेले मसाले के साथ उबालकर खाते हैं। मांसाहार की लगातार पूर्ति होती रहे इस हेतु मुर्गी पालन भी करते हैं। इस जनजाति में दूध का उपयोग नहीं के बराबर हैं। चाय का प्रचलन भी नहीं हैं। कुछ लोग बिना दूध की चाय पीते हैं।

कथौडी लोग होली, दीपावली एवं नवरात्र को प्रमुख त्योहार के रूप में मनाते हैं। होली पर नृत्य गायन एवं दीपावली पर पटाखे छोड़ने का इन्हे बहुत शोक होता हैं। कई परिवारों में औसतन 4000 से 5000 रुपये का इन पर खर्च आ जाता हैं। पिछले कुछ वर्षों से इन गाँवों के कुछ युवा कथौडी गुजरात में काम धंधे पर जाने लगे हैं ये लोग तीन-चार माह तक मजदूरी करके होली-दीपावली पर अपने घर आते हैं। मजदूरी के सारे पैसे त्योहारों पर खरीददारी करके खत्म कर पुनः मजदूरी करने चले जाते हैं। 10-15 दिन घर पर शराब पीकर पागल सी अवस्था में रहते हैं। होली के अवसर पर पुरुष ढोलक बजाते हैं तो स्त्रियां एक दुसरे की कमर में हाथ से पकड़कर पिरामिड बनाते हुए मनमोहक नृत्य करती हैं। उंचे स्वर में लयबद्ध गाना गाती हैं। नवरात्र में कुछ कथौडी पुरुष नौ दिन तक सात्विक जीवन जीते हैं। यह वह अवसर है जिस दौरान कथौडी पुरुष मांस - मदिरा से दूर रहता हैं। नवरात्र में ढोलक, थालीसर, बांसली एवं टापरा नामक वाद्ययंत्र बजाते हुए 15-20 कथौडी पुरुष एक साथ सामूहिक नृत्य करते हैं। ढोलक, धोरिया, खोखरा, तारणी, पावरी, थालीसर, टापरा, बांसली एवं गोरोंडिया कथौडियों के प्रमुख वाद्ययंत्र हैं। धोरिया व खोखरा बांस का बना हुआ होता हैं। तारणी महाराष्ट्र के तारपा वाद्ययंत्र के समान होता हैं। जिसे लोकी के एक सिरे पर छेद करके बजाते हैं। पावरी दिखने में बांसुरी जैसा होता हैं। पावरी का वादन मृत्यु के समय किया जाता हैं। थालीसर को दाह संस्कार के बाद बजाते हैं। थालीसर का उपयोग देव स्तुतियों के समय भी किया जाता हैं।

वाद्यदेव, गामदेव, डूंगरदेव, कन्सारी देवी तथा भारी माता कथौडियों के प्रमुख देवी-देवता हैं। देवी में अधिक आस्था रखते हैं। इनका जीवन प्रकृति पर निर्भर हैं। आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। मृतक को दफनाते हैं। मृत्युभोज के नाम पर दाल चावल एवं नुक्ति बनाई जाती हैं। मृतक से जुड़ी

उसकी उपयोग सामग्री को उसकी समाधि पर रख दी जाती हैं। इस समुदाय के कुछ लोग तांत्रिक विधि के जानकार हैं परन्तु संत प्रवृत्ति नहीं पाई जाती हैं। शोध के दौरान पाया गया कि ईश्वराधना में बहुत कम विश्वास रखते हैं। इस समाज में कोई महान भक्त या ईश्वर परायण व्यक्ति का उदाहरण नहीं मिला।

कथौड़ी लोगो का आर्थिक जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण हैं। घुमन्तु एवं अस्थाई प्रवृत्ति के कारण बहुत कम लोगो के पास कृषि योग्य भूमि उपलब्ध हैं। कुछ लोगो ने तो नशे की प्रवृत्ति के कारण अपनी भूमि भी बेच दी हैं। सरकार की विभिन्ना योजनाओं के सहारे जी रहे हैं। दाल, चावल, नमक, तेल एवं गेहूँ हर माह प्रत्येक कथौड़ी परिवार प्राप्त कर रहा हैं। परन्तु नशे की प्रवृत्ति के कारण घर में बरकत नहीं टीक पाती हैं। शोध क्षेत्र के गाँवों के कुछ परिवार तो अत्यंत दयनीय जीवनयापन कर रहे हैं। मुलभूत आवश्यकता पूर्ति को छोड़कर उनके पास कुछ भी नहीं हैं। परन्तु इस जाति की खास विशेषता हैं कि वे कभी चोरी नहीं करते हैं। कथौड़ियों के उत्थान हेतु सरकारी प्रयास अनवरत जारी हैं परन्तु कौशल विकास या रोजगार परक प्रशिक्षण की जरूरत हैं। आर्थिक सहायता से इनमें बदलाव संभव नहीं हैं। आर्थिक सहायता से कुछ लोगो में आलस्यता का संचार हुआ हैं। कथौड़ी लोग भाग्यवादिता, रूढ़िवाद, अंधविश्वास, नशाखोरी, अशिक्षा एवं नकारापन के अधिक शिकार हैं। इन बुराईयों ने इन्हे जकड़े रखा हैं।

शिक्षा एवं कौशल विकास के सहारे ही कथौड़ियों का सामाजिक जीवन उन्नत हो सकता हैं। इस दिशा में सतत सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास किये जाये तो इन्हे मुख्य धारा में लाया जा सकता हैं। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल कथौड़ी जनसंख्या 4833 हैं जिनमें भी 50 फिसदी तो उदयपुर जिले में ही हैं। शेष डूंगरपुर, झालावाड एवं बारा जिले में रहते हैं।

कथौड़ियों के उत्थान सुझाव:

1. नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाये। नशा उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाये। महुआ निर्मित देशी हथकड शराब को पूर्णत प्रतिबंधित किया जाये।
2. शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। कथौड़ी बच्चों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा गोद लेकर स्कूली शिक्षा पूर्ण करवाई जाये। स्कूली शिक्षा पूर्ण नहीं करने वाले बच्चों के परिवारों को विभिन्ना वरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाये।
3. इन्हे कौशल विकास से जोडा जाये। रोजगार से साधन उपलब्ध हो।

हर हाथ को काम मिले।

4. बाल विवाह पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। प्रत्येक बालक – बालिका का ऑनलाईन डाटा तैयार किया जाएं विवाह के अवसर पर सहयोग राशि तय की जानी चाहिये।
5. वर्तमान में चल रही सरकारी योजनाएं अनवरत रूप से चलती रहे।
6. मृत्युभोज को प्रतिबंधित किया जाये। सामाजिक जागरूकता पैदा की जायें।
7. बचत की प्रवृत्ति विकसित की जाये।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानववाद की भावना का विकास किया जाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Suman Rana, A Review on Educational Status of Scheduled Tribes of Rajasthan, 2017
2. S.S. Katewa, Perspectives of an ethnobotanical Study From Rajasthan (India), 2009
3. B.L. Nagda, Tribal Population And Health In Rajasthan, 2004
4. Vandana Singh Kushvaha, Rashmi Sisodiya And Chhaya Bhatnagar Magico-religious and Social belief of tribals of District Udaipur, Rajasthan, 2017
5. Folk herbal medicines from tribal area of Rajasthan, India, 2004
6. M. Unnithan, Caste, tribe and Gender in South Rajastha, 1991
7. V. Sharma, Family planning practices among tribals of south rajasthan, India, 1991
8. J. Joshi, Food Intake of tribes in Rajasthan: A Review, 2019
9. Vimla Dunkwal And Dhanvanti Bishnoi, major tribes of Rajasthan and their Costumes, 2014
10. S. Bairathi, tribal Caulture, economy and health Rawat publication, Jaipiur, 1991
11. Rajani Meena And Jyoti Yadav, A Study of educational Status of tribal in India
12. Nitya Sharma And V.V. Kulkarni, Situation Analysis of living condition of tribes in Rajasthan, 2013
13. Chauduri Sarit Kumar, Constraints of Tribal Deverlopment, 2000, A Mittal Publications
14. L.P. Vidyarthi, Tribal culture in india, 1985, Concept Publishing company

वित्तीय समावेशन – लक्ष्य एवं चुनौतियाँ

डॉ. शैलप्रभा कोष्टा*

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाकोशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – वित्तीय समावेशन वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने के अवसरों की उपलब्धता और समानता है यह ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति और व्यवसाय उचित, किफायती और समय पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच सकते हैं जिनमें बैंकिंग, ऋण, इक्विटी और बीमा उत्पाद शामिल हैं, कहने का तात्पर्य है कि यह घरेलू आय में सुधार और आय असमानता को कम करने की दिशा में बैंक रहित आबादी की बचत, निवेश और बीमा के साधनों तक पहुँचने में सक्षम बनाकर आर्थिक विकास में समावेशिता को बढ़ाने का एक मार्ग है।

वित्तीय समावेशन शब्द को 2000 के दशक की शुरुआत में ही महत्व मिल गया है यह वित्तीय बहिष्करण की पहचान का परिणाम है और विश्व बैंक के अनुसार इसका गरीबी से सीधा संबंध है।

वित्तीय समावेशन के लक्ष्य :

1. बचत या जमा सेवाओं भुगतान और हस्तान्तरण सेवाओं, क्रेडिट और बीमा सहित वित्तीय सेवाओं की पूरी श्रृंखला तक सभी परिवारों के लिए उचित लागत पर पहुँच है।
2. निवेश की निरंतरता और निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय और संस्थागत स्थिरता बनाये रखना।
3. स्पष्ट विनियमन और उद्योग प्रदर्शन मानकों द्वारा शामिल मजबूत और सुरक्षित संस्थान बनाना।

वित्तीय समावेशन का उद्देश्य :

1. लोगों को संस्थागत ऋण की प्राप्ति सुनिश्चित कराना जिसमें साहूकारों पर निर्भरता को कम कर ऋणी को शोषण से बचाया जा सके।
2. वित्तीय समावेशन समाज और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में मदद करता है। इससे बचत, निवेश में वृद्धि होती है जिससे हमारे देश के आर्थिक विकास को गति मिलती है।
3. इससे लोगों को पैसा बचत करने की आदत लगती है मुख्य रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे ठीक होती है।
4. बैंकिंग सेवाओं और उत्पादों की उपस्थिति का उद्देश्य बचत की आदत को विकसित करके बैंकों को लाभ प्रदान करना है। ऐसे स्थान जहाँ बैंक नहीं पहुँच पाते उनके लिए यह औपचारिक ऋण के रास्ते भी बनाता है जो परिवार, दोस्तों और साहूकारों पर निर्भर हैं।
5. इसकी सहायता से ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पैसा भेजने में काफी लाभ मिलेगा।
6. इसके माध्यम से सरकार द्वारा उत्पादों पर डीलीक्यू देने और नगद

भुगतान करने के बजाय खाता धारकों (Account Holder) के बैंक खातों में सीधे प्रत्यक्ष लाभ (Direct Benefit Transfer (DBT)) के माध्यम से सरकारी लाभ हो और अनुदान (Subsidy) का पैसा उनके खातों में पहुँचाना।

वित्तीय समावेशित विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2019-24 – रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019-2024 की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन, लक्ष्य राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जिसका गठन वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद द्वारा किया गया। जिसके बिन्दु इस प्रकार है :

1. वर्तमान में पूरी दुनिया में वित्तीय विकास की ताकत और गरीबी के रूप में तेजी से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
2. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सतत् विकास लक्ष्यों में इसकी चर्चा की गई है।
3. भारत में समन्वयपूर्ण और समयवृद्ध तरीके से कार्य करने की प्रक्रिया आर.बी.आई ने शुरू की।

राष्ट्रीय कार्यनीति के उद्देश्य :

1. इस कार्यनीति के उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य मार्च 2020 तक हर गांव के 5 कि.मी. के दायरे में तथा पहाड़ी क्षेत्रों के 500 परिवारों के समूह तक बैंकिंग पहुँच को बढ़ाना रहा है।
2. आर.बी.आई के अनुसार राष्ट्रीय कार्यनीति में प्रत्येक वयस्क की मार्च 2024 तक मोबाइल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक पहुँच हो।
3. हर वयस्क व्यक्ति तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक इच्छुक और पात्र वयस्क जिसे प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत नामांकित किया गया है, मार्च 2020 तक बीमा योजना और पेंशन योजना के तहत नामांकित किया जाना चाहिए।

मार्च 2020 तक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (PCR) को पूरी तरह से प्रारम्भ करने की योजना बनाई गई ताकि नागरिकों के साथ प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के मामले में भी अधिकृत वित्तीय संस्थाएँ लाभ प्राप्त कर सकें।

वित्तीय समावेशन से समावेशी विकास का रास्ता – वित्तीय समावेशन की अपनी पहलों के जरिए वित्त मंत्रालय सामाजिक, आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों का वित्तीय समावेशन करने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से हम देश में एक समान और समावेशी विकास को हासिल कर सकते हैं।

वित्तीय समावेश का मतलब है कमजोर समूहों जैसे निम्न आय वर्ग, गरीब वर्ग जिनकी सबसे बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है उन्हें समय पर किराया देते दर पर उचित वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना क्योंकि यह एक गरीबी की बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने का अवसर प्रदान करता है गांवों में अपने परिवारों को पैसा भेजने के अलावा उन्हें सूखोर, साहूकारों के चंगुल से बाहर निकलने का मौका देता है, प्रधानमंत्री जन-धन योजना इस प्रतिबद्धता की दिशा में एक अहम पहलू है जो वित्तीय समावेशन से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय सेवाओं यानी बैंकिंग, बचत और जमा खाते, भेजी गई रकम, बीमा पेंशन तक किराया तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में वित्तीय समावेशन का एक राष्ट्रीय मिशन है। वित्तीय समावेशन में जन धन योजना – इस योजना का उद्देश्य इस प्रकार है

1. सस्ती कीमत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।
2. लागत कम करने और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

योजना के सिद्धांत – गैर वित्त पोषित लोगों को वित्त पोषण, सूक्ष्म बीमा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा, माइक्रो पेंशन, माइक्रो क्रेडिट की सुविधा से जोड़ना।

1. स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना ताकि दो लाख रुपये के मुफ्त दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ नकद निकासी और मर्चेन्ट लोकेशन पर भुगतान।
2. बैंकिंग सेवा से वंचित लोगों को बुनियादी बैंकिंग सेवा से जोड़ना।

वित्तीय समावेशन के लाभ :

1. सामाजिक वित्तीय खाते-बैंकिंग सेवाएं, बीमा और पेंशन खाते आदि में भाग लेकर देश के आर्थिक क्रियाकलापों से लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहन शिलालेख होता है।
2. पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने में सहायता मिलती है।
3. धन प्रवाह से देश के आर्थिक सिद्धान्त और विचारधारा को गति मिलने के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलापों को सराहना मिलती है।
4. निजी वित्तीय निवेशकों (पेटीएम) जैसो की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होना।

वित्तीय समावेशन से संबंधित चुनौतियाँ – भारत जैसे विशाल देशों में वित्तीय समावेशन के समक्ष निम्न चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं।

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान प्रणाली एक चुनौती है क्योंकि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा क्षेत्र अव्यवस्थित एवं कैशलेस है।
2. कम आय वाले उपभोक्ता जो डिजिटल सेवाओं के लिए तकनीक चयन का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं अर्थात् तकनीकी कौशल की कमी भी बड़ी बाधा है।
3. विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 190 मिलियन विकेंड के पास बैंक खाते नहीं हैं जिससे वित्तीय सेवाओं में परेशानियाँ बढ़ रही हैं।
4. जन-धन योजना के परिणाम स्वरूप कई हजार खाते खोले गये परन्तु निष्क्रिय रूप से पड़े हैं कहने का तात्पर्य है कि केवल किसी योजना को सफलता हेतु लागू किया जाये न कि दिखावे के लिये।

वित्तीय समायोजन पर समितियों के सुझाव – वित्तीय समावेशन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आजादी के समय से ही भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रयत्नशील रहे हैं अब तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने

के उद्देश्य से निम्न कदम उठाये जा चुके हैं।

1. 1955 से लेकर 1980 तक लगातार बैंको के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया जारी है, बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार का कार्य हमेशा जारी रहा।
2. 1969 में अग्रणी बैंक की अवधारणा रखी गई जिसमें जिस किसी बैंक की जिले में सर्वाधिक शाखाएँ होगी उसे यह कार्य का दायित्व सौपा गया।
3. 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु ऋण प्रदान करने का कार्य दिया गया।
4. 1982 में नाबाई की स्थापना ऐसे वित्तीय संस्था के रूप में हुई जो बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को ऋण प्रदान करने का काम करेगा।
5. 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की अवधारणा लागू की गई जिसके माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि के उद्देश्य से ऋण प्रदान किया जाता है।
6. बैंक मित्र/साथी योजना के अन्तर्गत घर-घर बैंकिंग सेवाएं पहुँचाई गई।

निष्कर्ष – वित्तीय समावेशन व्यक्तियों और संगठनों के लिए समान रूप से अवसर प्रदान करता है उदाहरण के लिए बचत खाते या सूक्ष्म ऋण जैसी आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके व्यक्ति समय के साथ अपना क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं और बेहतर दरों पर बड़े ऋण के लिए पात्र बन सकते हैं। जब सैकड़ों और लाखों लोगों के लिए बचत खाते, क्रेडिट कार्ड, माइक्रो क्रेडिट और ऋण जैसी आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाती है तो कही भी किसी को भी पैसे प्राप्त करने की क्षमता उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है।

वित्तीय समावेशन से उपभोक्ता खर्च, निवेश के अवसर, रोजगार सृजन, सरकारों के लिए कर राजस्व में वृद्धि, द्वारा अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है इसके अतिरिक्त वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाले संगठन सामाजिक जिम्मेदारी पर ध्यान केन्द्रित कर ग्राहकों के बीच विश्वास का लाभ मिल सकता है यह देश में गरीबी और असमानता को कम कर व्यावसायिक अवसरों के माध्यम से स्वयं का जीवन सुरक्षित रख सकते हैं कहने का तात्पर्य यह है कि वित्तीय समावेशन में जोखिम और अवसर दोनों परन्तु सही ढंग से किया गया कार्य लोगों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने की अनुमति देकर अत्यधिक आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शिशिर सिन्हा, 'जन धन से जन सुरक्षा, बीमा पेंशन' कुरुक्षेत्र जून 2015
2. भारत में वित्तीय प्रशासन – डॉ. मंजूषा शर्मा, ओ.पी.बोहरा, किताब महल पब्लिकेशन।
3. वित्तीय प्रबन्ध – डॉ. एम. पी. गुप्ता एवं डॉ. के.एल. गुप्ता, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
4. <https://pwnonlyias.com/upsc.notes>
5. उच्च वित्तीय प्रबन्ध – डॉ. एस. पी. गुप्ता, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
6. वित्त प्रशासन – डॉ. पी. एन. गौतम, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकुला।

मूल्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य और मानव विकास के बहुआयाम में समालोचना

डॉ. नरेन्द्र कुमार हनोते* डॉ. सीमा नागवंशी **

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शिक्षा विकास की प्रथम सीढ़ी है। विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है, जो प्रत्येक चरण पर समाज के विभिन्न पहलुओं में अपना योगदान देती है। यही योगदान आने वाले भविष्य को अभिव्यक्त करता है कि मौजूदा समाज, राज्य, देश, के उन्नति का मार्ग किस ओर प्रशस्त हैं। भारत 21वीं शताब्दी में मूल्य परख शिक्षा, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्र भक्ति एवं विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए मूल्य आधारित शिक्षा को अपनाना आवश्यक है। पिढ़ीदार पिढ़ी शिक्षा प्रदान करना और जीवन मूल्यों को सिखाना एक बहुत ही कठिन कार्य है। आज समाज में जो परिदृश्य देखने को मिलते हैं जिनके लिए मानव की आत्मा पीड़ित होती है जिन्हे हम विभिन्न प्रकार के गैर-संवैधानिक रूप से किये गये कृत्यों को एकीकृत करके देखते हैं इनका एक ही सफल कारण है, कि समाज, और सभ्यता में विभिन्न दशकों से वर्तमान तक विकास में तो परिलक्षित होता है। किन्तु समाजिक मूल्यों का हास उससे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। जिसका कारण अन्ततोगत्वा यह कहना कि समाज में मूल्य आधारित शिक्षा का अंगीकरण कम हो रहा है कहना उचित होगा। उपरोक्त शोध पत्र में अध्ययनकर्ता के द्वारा मूल्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य एवं उनका विभिन्न आयामों में कौनसे समालोचनात्मक कार्यों का उक्त शोध पत्र में विवेचन किया गया है।

शब्द कुंजी – मूल्य आधारित शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, व्यक्तित्व विकास।

प्रस्तावना – शिक्षा मानवीय व्यवहारों को सिखाने में अहम भूमिका अदा करती है। किन्तु मूल्य आधारित शिक्षा एक नई अवधारणा के रूप में विकसित हो रहा है। किन्तु आज समाज में मूल्यों का पतन होने पर हम इस विषय को यदि गंभीरता से अध्ययन करने हेतु विवश हो रहे। इसका अर्थ यह नहीं है कि मूल्य आधारित शिक्षा केवल शिक्षित व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकती है। क्योंकि प्रत्येक समाज आज जो कम पढ़ लिखे व्यक्ति है उनमें मानवता अधिक झलकता है अपेक्षाकृत पढ़ लिखों के। आदिकाल से ही समाज में व्यक्ति मूल्य परक शिक्षा को ग्रहण करता रहा है। जहाँ व्यक्ति शास्त्रीय मूल्य में निष्पक्षता निष्ठा अनुसंधान वही, नैतिक मूल्यों में सच्चाई उत्तरदायित्व की भावना, सामाजिक व राजनीतिक मूल्यों में राष्ट्रीय एकता विवेकशीलता सामाजिक उत्तरदायित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था, वैज्ञानिक मूल्य में नई खोज नए का उपागम सृजनात्मक चिंतन, पर्यावरणीय मूल्य में पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता सजकता उनकी सुरक्षा पेड़ पौधों की पूजा, सांस्कृतिक मूल्यों में सभ्यता संस्कृति का विकास न्याय प्रियता शिष्टाचार अनुशासन सत्य अहिंसा मित्र इत्यादि अनेक गुणों का विकास अनादि काल से ही मानव में सभ्यता समाज के साथ-साथ विकसित होता चला आ रहा। सी.वी. बुड के अनुसार – ‘मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सौन्दर्यबोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। लगभग सभी विचार मूल्यों के अभीष्ट चरित्र को स्वीकार करते हो।’

जब से हमारे विश्व धरोहर के स्तंभ रूपी संस्थानों का पतन हुआ है तब से मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व और अधिक आवश्यक हो गया है। क्योंकि लार्ड मैकाले की शिक्षण पद्धति ने तो देश में व्यक्तियों के मन में यह धारणा विकसित कर दी है कि व्यक्ति चाहे भारतीय हो किन्तु सोच उसकी ब्रिटिश

की होनी चाहिए। परिणामस्वरूप यह देखते हैं कि आज जो पश्चिमी सभ्यता का अनुशरण करे वह विकसित श्रेणी की ओर बढ़ रहा। यह धारणा हमारी विगत एक शताब्दी से ओर अधिक प्रबल हो रही है। अर्थात् हम आज भी अंग्रेजी मानसीकताओं में फसे हैं। इन्हीं बाधाम्बडों में आज की हमारी पिढ़ी फसती चली जा रही है। जहाँ से आज हमारा समाज दिखावटी परंपरा में उलझा चला गया है। भारतीय सभ्यता विश्व प्रसिद्ध सभ्यता में सर्वोत्तम एक है किन्तु आज यह पश्चिमी अनुकरणिता का परिणाम है कि समाज में अनेक प्रकार की बुराई ओर प्रबल होती जा रही है।

कला, संस्कृति एवं सभ्यता व दर्शन आदि की गौरवशाली परम्पराओं पर गर्व करने वाला हमारा भारत देश आज अनास्था एवं पारम्परिक अविश्वास के वातावरण में हमारी प्राचीन परम्परा तथा मूल्य धूमिल हो गये हैं। विकासशीलता की यह भ्रामक अवधारणा, ने मानव मस्तिष्क में अस्तित्वादी जीवन, अनात्मपरक नास्तिकता, पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण एवं कुतर्क प्रधान चिन्तन आदि के कारण अतीत में अविश्वास तथा में अनास्था आदि कारणों से हमारे पुराने मूल्य अब बहुत कम हि रह गये हैं। स्वयं पर अनास्था का परिणाम है, आत्मनाश अर्थात् अपने आदर्शों तथा मूल्यों, अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपनी चिन्तन प्रणाली का परित्याग कर उसके स्थान पर बाहरी अथवा विदेशी चिन्तन प्रणाली को शामिल करना। रामायण एक महान ग्रन्थ है जिसमें सीता हरण के पश्चात जब लक्ष्मण से यह पूछा गया कि यह परिधान किसका हो सकता है ता लक्ष्मण ने कहा मेने तो भाभी माँ को केवल चरणों तक ही देखा है मे यह कैसे बता सकता हूँ कि यह परिधान किसका है। यह पर यह कथन कहने का अर्थ है कि आज समाज में न हि आधार भाव शेष रह रहा ओर न हि शिष्टाचार जो आरुणी के नाम।

इसके कारण हमारे मूल्य दब से गये हैं।

मानव नारी का सम्मान करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। आज समाज में वह झूठ, चोरी, डकैती आदि को गलत मानता है पर छोड़ नहीं है। वह परपीड़न को पाप तथा परोपकार को पुण्य स्वीकारता तो है लेकिन मन में उतार नहीं पाता। वह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश प्रकट करता है लेकिन भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं कर पाता। इस तरह आज का प्रत्येक भारतीय सभ्यता संस्कृति की स्थिति इसी काल से होकर गुजर रहा है। भारत वसुदेव कुटुम्भक और बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय तथा सर्वे भवन्तु सुखिन के विभिन्न लोकोत्तियों के मूल्यों से पहचाना जाता रहा है। आज देश में शिक्षा के विकास को हम साक्षरता के प्रतिशत के अंको में माप रहे हैं। विगत कुछ दशकों में यह लगातार बढ़ रहा है। किन्तु देश में नैतिक मूल्यों का बड़ा हास हो रहा है।

साहित्य समीक्षा

बोबिन्द्र आपके द्वारा मानव जीवन में मूल्यों का महत्व के परिप्रेक्ष में मूल्य की उत्पत्ति तथा मूल्य का वर्गीकरण को मानव विकास में परिवार की भूमिका के साथ समाज की भूमिका, मीडिया की भूमिका तथा मूल्य विकास में स्कूल की भूमिका क्या होती है इस पर आपने प्रकाश डालें।

अरोरा नीलम विद्यार्थियों में शिक्षा और मूल्यों के बीच संबंधों को जाग्रत करने के लिए आपने विशिष्ट कविता, पाठ, कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया है। मानव मूल्यों को विकसीत करने के लिए महान विचारक, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, के चरितार्थ को शिक्षा के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से जिनमें सभ्यता, संस्कृति, बौद्धिक, व्यवहारिक, नैतिक, सामाजिक मूल्यों को अपना सके उन पर विभिन्न लेख दिये हैं।

सिंह शिवराज आपके लेख में मानव मूल्यों के विकास में विद्यालय, यूनेस्को की परियोजना, नैतिक मूल्यों एवं व्यवसायिक मूल्यों को विकसीत कैसे किया जाए इन विषयों पर अपना आलेख प्रस्तुत किया है। जोकि सत्य, न्याय, ईमानदारी, लोगो की सेवा, आत्मभाव, टीम भावना, समय का मूल्य, देश प्रेम, एकीकृत विकास, गर्व, सादगी, तपस्या जैसे अनेक आयामो का उल्लेख किया है।

पवार किरण 2016 आपके द्वारा पर्यावरण मूल्य के सरोकारों को प्रकृति के प्रति जागरूकता पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण चेतना, वृक्षारोपण, प्रदूषण निवारण वैश्विक मूल्य, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्य, नैतिक मूल्य जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता को अभिव्यक्त करते हैं पर विशिष्ट चर्चा की गई उपरोक्त शोध में अपने राष्ट्रीय चरित्र के विकास में पर्यावरण को पर्याय बताते हैं।

मिश्रा श्रद्धा 2022 ने प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्रों के मूल्यों का समायोजन का अध्ययन किया। जिसमें उनकी पाँच विशेषताएं एवं पाँच समस्याओं का अवलोकन किया गया उक्त अध्ययन में व्यक्तिगत समायोजन शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समायोजन मानसिक विकास और समायोजन संवेगात्मक समायोजन पर जानकारी अभिव्यक्त की गई और बताया गया कि प्रतिभाशाली छात्र ऐसे बालक जो जन्म से ही अपनी प्रखर बुद्धि कारण से अलग पहचाने रखते हैं।

अमिता ठाका 2019 के लेख द्वारा मूल्य परख शिक्षा में योग का विस्तार पूर्वक अभिव्यक्त किया गया जिसमें योग से यह नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि सभी युवकों के आधार पर उनके मूल्य पर शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई है।

असवाल भरत सिंह 2017 के सैद्धांतिक मूल्य आर्थिक मूल्य सौंदर्यात्मक मूल्य सामाजिक मूल्य राजनीतिक मूल्य धार्मिक मूल्य इत्यादि पर मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। आज विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भाषण नोटिस उत्तरों को दोहराने की कौशल ही विद्यार्थी को परीक्षा का मापदंड तय कर रही है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक सत्य के आधार पर अहिंसा प्रेम जीवन यापन करने में सभ्यता संस्कृति पुरातन मूल्यों को पालन करने में राष्ट्र समाज के विकास के निर्माण में अपनी सर्वांगीण भूमिका दे सके क्योंकि समाज विहिन व्यक्ति एक कोरी कल्पना है।

पाटिल पंकज एवं सक्सेना सुबोध 2018 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के नैतिक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के नैतिक मूल्यों में ईमानदारी लगनशीलता मानवता विनम्रता तथा छात्रों के समग्र नैतिक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। जिसमें 150 छात्रों का एससी एवं एसटी के छात्रों का नया आदर्श के रूप में चयन किया गया और निष्कर्ष का या बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समग्र नैतिक मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

रमेश पोखरियाल निशंक 2021 ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मूल्य आधारित शिक्षा में उन्होंने मूल्यों को विभिन्न प्रकारों में तथा विद्यालय शिक्षक की भूमिका, राष्ट्रीय मूल्यों, भारतीय ज्ञान परंपरा में मूल्य तथा वैश्विक चुनौतियों में मूल्य परक शिक्षा पर अपनी पुस्तक में विवेचन किया है।

श्राफ राजेश भारत में उच्च शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य एवं जीवन मूल्य, शोध पत्र में आपके द्वारा उच्च शिक्षा के परिदृश्य में जीवन मूल्यों के महत्व तथा उनका सुदन करने के लिए आवश्यक प्रयासों के बारे में व्यक्त किया गया।

उद्देश्य:

1. मूल्य आधारित शिक्षा और मानवीय मूल्यों के बीच समालोचना।
2. मूल्य आधारित शिक्षा और नैतिक मूल्यों के परिमाणों में विवेचन।

सैद्धांतिक अध्ययन

शिक्षा और मानवीय मूल्य – आज के वैश्विक एवं आधुनिक तकनीकी युग में शिक्षा मानव के विकास के लिए ही नहीं अभी तो प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए आवश्यक, प्रारंभिक शिक्षा चाहे वह माता-पिता से प्राप्त हो, समाज से प्राप्त हो, स्कूल से, सभ्यता संस्कृति से विकसित हुई हो। यह शिक्षा मनुष्य में विभिन्न प्रकार के जीवन कौशल को उसकी आत्मविश्वास की स्थिति को जागृत करने के लिए कार्य करती है। शिक्षा मनुष्य को शोषण के विरुद्ध खड़ा कर सकती है। शिक्षा मानवीय मूल्यों में नैतिक परंपराओं आदर्श, मानवीय, हिंसक, क्रूर, जैसे विभिन्न प्रकार की स्थितियां से निकलने में हमारी मदद करती है। शिक्षणार्थी के विकास में मानवीय मूल्य को विकसित करने के लिए या सीखाने की परंपरा में शिक्षक माता-पिता गुरु समाज या सभ्यता या एक परिवेश जो बालक के मानवीय गुण का विकास करना चाहते हैं वह बालक को प्रेरक कहानियां महापुरुषों की जीवनी विभिन्न प्रकार के बड़े-बड़े धरोहर इत्यादि के माध्यम से बालक में मानवीय गुणों का विकास करते हैं।



जैसा कि आरेख में प्रस्तुत है जीवन मूल्य या मानवीय मूल्य के अंदर मनुष्य की भावनाएं उसकी समझ एवं प्रत्येक मनुष्य की एक आत्मनिष्ठा धरणा विद्यमान होती है। मानवीय मूल्य में भावना एवं समझ विभिन्न प्रकार से दृष्टिगत होते हैं। जैसे किसी दूसरे के प्रति मानव के साधने का तरीका उसकी भावना एवं उसकी स्वयं की विचारधारा जो की आत्मनिष्ठा विचारधारा होती है वह उससे अलग नहीं होती है जो जीवन मूल्यों से निर्मित होती है।

यह उसके विकसित परिपक्वता शिक्षा सभ्यता संस्कृति नैतिक अनैतिक पर्यावरण के प्रति जागरूकता राष्ट्र के प्रति प्रेम सद्भावना सहिष्णुता सत्याग्रह सत्य निष्ठा अनेक प्रकार के गुण सुशोभित होते हैं इसी कारण मानवीय मूल्यों की आवश्यकता अति आवश्यक होती है बगैर मूल्य की शिक्षा या बगैर मूल्य का धन किसी कार्य का नहीं होता और ऐसे धन का कोई अर्थ नहीं होता है जो बगैर समझ से प्राप्त किया गया हो व्यर्थ होता है। यही कारण है कि आज मानवीय मूल्यों की आवश्यकता और महती होती जा रही है।

शिक्षा और नैतिक मूल्य – शिक्षा का नैतिक मूल्यों में एक सम्बन्ध होता है। वर्तमान जीवन में भविष्य के लिए एवं वर्तमान नीति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णय नैतिक मूल्यों के आधार पर ही तय करते हैं यह प्रत्येक मनुष्य कि उसके मानवीय गुण की विकास की अभिव्यक्ति के आधार पर ही विकसित होते हैं समाज के वह जिस परिवेश में होता है उसकी परिपक्वता के आधार पर ही वह अपने नैतिक मूल्यों को विकसित कर पता है तत्पश्चात उन नैतिक मूल्यों के आधार पर योग्यता सामाजिक मानसिकता दृष्टि को विचारधारा एवं परस्पर अभिलक्षित होने वाले विभिन्न प्रकार के गुण अभिव्यक्ति जैसे प्रदर्शित होते हैं यदि हम सत्य बोलना, ईमानदारी का पालन करना, प्रेम करना, दया दिखाना (करुणा), मित्रता निभाना, आत्मरक्षा आदि तथ्यों को नैतिक मूल्यों की कसौटी में देखे तो यह गुण प्रत्येक मनुष्य के अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे मानव में यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है तो वह व्यक्ति अपनी ईमानदारी के लिए सत्यता के मार्ग पर चलता है और यह सत्यता से उसके नैतिक मूल्य को अभिव्यक्त करता है सत्य बोलता है सत्य बोलने के लिए उसे विभिन्न प्रकार के उसके द्वारा ग्रहण किए गए मानवीय गुण के आधार तय करता है जैसे पुराने ग्रन्थ के आधार पर उसके नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है।



जैसा कि हम जानते हैं यह सभी भाव व्यक्ति अपने परिवेश से ग्रहण करता है। समाज में वह जैसे इन गुणों को विकसित होते देखता है। वैसे ही वह अपने नैतिक मूल्यों को भी अपनाता है। क्योंकि नैतिक मूल्यों का प्रादुर्भाव हमारे सामाजिक व्यवस्था से ही होता है। यह कारण है कि स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि 'नैतिक मूल्यों और एक संस्कृति और एक धर्म इन मूल्यों को बनाए रखना कानूनों और नियमों बनाए रखने से बेहतर है।'

वही मानव में उसके नैतिक मूल्य में प्रेम, दया या करुणा की भावनाओं उपस्थित है तो अवश्य ही वहां अपने द्वारा विकसित उसमें यह प्रेम या दया की भावना विकसित होगी वह अपने परिवार समुदाय के समावेश के आधार पर विकसित करता है और वह अपने नैतिक मूल्यों को प्रेरित करता है नैतिक मूल्यों के आधार पर हम किसी के द्वारा अभिव्यक्त की गई धरणा किसी जीव के प्रति सोच किसी को बचाने के प्रति विचारधारा को भी समझ सकते हैं।

मानव में मित्रता, आत्मरक्षा के गुणों की परिपक्वता उसके नैतिक मूल्यों से परिलक्षित होती है कि वह अपने मित्रता से संबंधित मित्र के मित्रत्व को कितना प्राथमिकता देता है।

निष्कर्ष व सुझाव – मानवीय मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारकों में सभ्यता, संस्कृति, भाषा, धर्म, पर्यावरण एवं भूमि से संबंध, लिंग, मीडिया, सामाजिक परिवेश, नैतिक निर्णय, नैतिक भावनाएं, सहानुभूति, आत्मविश्वास, ज्ञान, इत्यादि। नैतिक एवं मानवीय मूल्य दोनों व्यक्ति को अपने सामाजिक समुदाय एवं अपने-अपने क्षेत्र विशेष के आधार पर उसके पौराणिक ग्रंथ एवं विभिन्न पहलुओं से प्राप्त होते हैं और यह दोनों ही मानवीय एवं नैतिक मूल्य प्रारंभिक अवस्था से ग्रहण किए जाते हैं।

सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक, सकारात्मक, दृष्टिकोण या नकारात्मक दृष्टिकोण प्रत्येक स्तर पर मानव के उद्देश्य के आधार पर कार्य करते हैं यह दृष्टिकोण अपने कार्यक्षेत्र के आधार पर मूल्य प्रदर्शित होते हैं और यह मूल्य की विशेषता होती है कि इसमें आंतरिक भाग को व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रदर्शित किया जाता है और उसके मूल्य में विकसित होते हैं।

अर्थात् यदि हमें एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना हो तो उसके लिए मानवीय एवं सामाजिक नैतिक सांस्कृतिक सभ्यता संस्कृति एवं मूल्यों को उत्तम श्रेणी के विकसित करना होगा आने वाली पीढ़ी एक अच्छे राष्ट्र के निर्माता के तौर पर विकसित हो सके एवं समाज के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह बोबिन्द्र, 'मानव जीवन में मूल्यों का महत्व' International Educational Scientific Research Journal, Volume -3 Issue 11 Nov. 2017 peg No. 72-74.
2. अरोरा नीलम, 'मूल्य शिक्षा एवं जीवन कला' कक्षा 6 से 8 राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. कुमार शिवराज, 'शिक्षा में मानव मूल्य और व्यवसायिक, नैतिकता आवश्यकता और महत्व' Online Research Journal JSRSET-1849119 Themed section 28 august 2018 Peg No. 643-648.
4. पवार किरण 2016, 'नैतिक मूल्यों का पर्याय है पर्यावरण शिक्षा यरिसर्च स्कॉलर मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़ राजस्थान' Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education, Vol. XII, Issue No.23.
5. मिश्रा श्रद्धा, 'प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं के मूल्यों तथा समायोजन का अध्ययन' Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language, Online ISSN 2348-3083 August 2022 Peg No.934-940.

6. अमिता ढाका, 2019 'मूल्यपरक शिक्षा एवं योग' शोध मंथन <http://shodhmanthan.anubooks.com/>, [https://doi.org/ 10.31995/shodhmanthan.10.438-441](https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.10.438-441)
7. असवाल भरत सिंह, 'मूल्य शिक्षा का जीवन में महत्व एवं आवश्यकता' शृंखला एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका vol-4 Issue-10* June-2017, E: ISSN no.: 2349-980X peg. No. 117-121
8. पाटिल पंकज डॉक्टर सक्सेना सुबोध 2018, 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के नैतिक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन' International Journal of Research in Social Sciences Vol- 8 Issue ISSN: 2249&2496 Peg no.- 1178
9. रमेश पोखरियाल निशंक 2021, 'मूल्य आधारित शिक्षा' प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड आशफ अली रोड नई दिल्ली प्रथम संस्करण।
10. <https://www.jvbi.ac.in/dde/pdf/menu/distance/SLM/BA-II-SOL-I.pdf>
11. श्राफ राजेश 'भारत में उच्च शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य एवं जीवन मूल्य राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी शिक्षा व्यवसाय प्रबंधन एवं भारतीय जीवन मूल्य एक चिंतन' DGAM VIGYATI volume 2 2015 page No 1 to 4 ISSN 2455-2488

निमाड की भावपूर्ण विरासत : भित्तिचित्र

डॉ. रश्मि दीक्षित*

* सहायक प्राध्यापक, पुनमचंद गुप्ता वोकेशनल महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – लोक कला जनसाधारण की सहज अभिव्यक्ति है। यह मानव सभ्यता के साथ प्रारंभ हुई और उसके साथ ही निरंतर बढ़ती जा रही है। मानव सभ्यता के धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं के साथ बलवती होती जा रही है। लोक कला का विकास आदिम कला से ही माना जाता है। आदिम काल मनुष्य की वह अवस्था है जब वह घने जंगलों में रहता था और संघर्ष में जीवन जीता था। विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता था। इन विपरीत परिस्थितियों से जुझते हुए भी उसने सौंदर्य भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयत्न किया। उसने जीवन संघर्ष को विभिन्न अवसरों पर महसूस किया और इसी सौंदर्य बोध का विकास अपने परिश्रम से निरंतर करता गया। कला के रूपों की यह विकास यात्रा किसी एक स्थान से संबंधित नहीं है वरन् यह समस्त मानव जाति से संबंधित है। यह कला मानस की प्रेरणा से ही बढ़ती है और मानस को ही दिखाती है। लोक कला आत्मिक शांति, मर्यादा एवं मंगल की भावना से ओतप्रोत रहती है। लोक कला अपने परंपरागत विश्वास, धारणाओं, आस्थाओं और रचनात्मक संकेतों से प्रेरणा लेकर बढ़ती जाती है। इसका उद्देश्य समाज के रीति-रिवाजों पर आधारित हैं जो परंपरागत रीति रिवाजों में परिवर्तन के साथ बदलता जाता है।

लोक को जानने से पहले लोक का अर्थ समझना होगा। 'लोक' शब्द का प्राचीन भारतीय शास्त्रों में बहुतायत से प्रयोग मिलता है। लोक का अर्थ है देखना या अवलोकन करना। हम पहली बार जब इस लोक में आंखें खोलते हैं या आंखें बंद करते हैं तो मानव इस दौर में कई अनुभवों से गुजरता है और उन्हीं अनुभव का ताना-बाना बुनता है, यही लोक है। लोक सामान्य जीवन है लोक का अर्थ गूढ़ भी है, तथा व्यवहारिक ज्ञान भी है। लोक में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों मिले हुए हैं। सभी व्यक्ति किसी ना किसी परंपरा से पूर्ण या आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं। लोक में जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी गतिविधियां आ जाती हैं। लोक के लिए अंग्रेजी में 'फोक' शब्द का प्रयोग किया गया है जो मनुष्य हजारों विश्वास और रीति-रिवाजों, व्यवहारों, परंपरा और संकल्प से बनाता है। जहां तक मनुष्य की कल्पना पहुंचती है वहां तक लोक की सीमा मानी गई है।

लोक कला – मनुष्य के पुस्तकीय ज्ञान से भिन्न व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित विचारों की अनुभूति की अभिव्यक्ति लोक कला है। जिसकी उत्पत्ति धार्मिक भावनाओं, अंधविश्वासों के निराकरण और अलंकरण प्रवृत्ति के जातिगत भावनाओं की रक्षा से हुई है। जैसे-जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया लोक कलाएं विकसित होते गई हैं। इसे कुछ विद्वानों ने कृषकों की कला कहा है। लोक कला मंगल का भाव अपने में समाहित किए हुए

सौंदर्य भाव उत्पन्न करती है जिसमें मंगल की भावना निहित होती है। भारत की सांस्कृतिक का लोक कलाओं से गहरा रिश्ता है। इसी रिश्ते के कारण लोक कलाएं आज इस परंपरागत रूप में विकसित होती आई हैं, जो लोक कथाओं, लोक गाथाओं, लोकनाट्य, लोक गीत और लोक नृत्य, लोक वाद्य संगीत, लोक चित्र और मिथकों के रूप में युगों से चली आ रही है। इसका मूल कभी बदलता नहीं लेकिन समय एवं परिस्थितियों के अनुसार इसमें आंशिक परिवर्तन होते रहते हैं। लोक चित्रों की परंपरा प्रचलित बहुत प्रचलित है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को धरोहर के रूप में उपहार में दी जाती है ताकि इन चित्रों के माध्यम से नई पीढ़ी कलात्मकता को समझ सके। लोक चित्रों के माध्यम से कितनी लोक कथाओं का प्रस्तुतीकरण किया जाता है जिसमें लोक नायकों की शक्ति सदैव विद्यमान रहती है।

लोक कला परंपरागत होती है, जनसाधारण के लिए शुभ और मंगल दायक होती है। लोक कला समग्र रूप से ज्यामिति एवं अलंकारिक होती है। लोक कला में जो अभिप्राय एक बार में प्रचलित हो जाता है वह शताब्दी तक चलता रहता है। यह किसी आकृति के लिए निश्चित नहीं है। यह सर्वभौमिक होती है सबके लिए होती है। इसके स्वरूप संपूर्ण प्राप्त होते हैं। यह रीति-रिवाजों परंपराओं एवं विभिन्न सामाजिक संस्कारों के लिए प्रचलित होती है। यह नैसर्गिक एवं प्राकृतिक होती है जो सरल हृदय से प्रस्फुटित होती है। मनुष्य के प्रति भावना एवं रंगों की अभिव्यक्ति होती है जो प्रत्येक व्यक्ति में समाई होती है यह संसार के सभी प्राणी एवं आत्मा से संबंधित है एवं जनता के बीच की एक कड़ी है।

मध्यप्रदेश के निमाड में भी ऐसी बहुरंगी कलाओं के दर्शन होते हैं। खासकर यहां की लोक चित्रकला, जो अपनी अलंकारिता एवं पारंपरिक वैभव से संपूर्ण निमाड का जनजीवन सराबोर करती है। शायद ऐसा कोई पल नहीं जिस में चित्रकला से मनुष्य का विकास नहीं हुआ हो। सदियों से लोक कला चित्रांकन की विधियों में पौराणिक धार्मिक मान्यताओं, लोक कथाओं, आचार विचारों एवं आस्था का झलक विद्यमान रहती है।

निमाड भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत संपन्न अंचल रहा है। भारत के नवशे में विंध्य एवं सतपुड़ा के बीच जो भाग है वह निमाड के नाम से प्रसिद्ध है। शासन व्यवस्था की दृष्टि से निर्माण को दो भागों में बांटा है पश्चिमी निमाड एवं पूर्व निमाड। नर्मदा घाटी के इतिहास से पता चलता है कि मनुष्य यहां ढाई लाख वर्ष से भी पहले आबाद हो चुका था। ऐतिहासिक दृष्टि से भी निमाड अपने आप में बहुत समृद्ध है। यहां राजा मांधाता वंश से लगाकर होल्कर वंश अहिल्या तक का इतिहास जुड़ा हुआ है। संपूर्ण निर्माण

महिष्मति इतिहास के इर्द-गिर्द घूमता है। निमाड का इतिहास रामायण काल से महाभारत काल तक जुड़ा हुआ है। यह मुगल शासन काल में भी प्रसिद्ध हुआ। जिस क्षेत्र का इतिहास कितना प्राचीन है वहां की लोक कलाएं भी अवश्य पुरातन होगी जो परंपरा के अनुसार आत्मसात हो गई है। निमाड के लोक चित्र रीति-रिवाजों, मंगल भावना, पूजा, श्रद्धा एवं आस्था के परिचायक हैं। यहां कोई भी मांगलिक कार्य बिना लोक चित्रों की पूर्ण नहीं होता। वर्षभर कोई ना कोई अंकन चलते रहता है। भिन्न-भिन्न विसंगतियों के बावजूद निमाड की चित्र परंपरा अपने आंतरिक सौंदर्य के बल पर समूचे विश्व की संवेदनाओं को स्पर्श करने की ताकत रखती है।

निमाड की लोक चित्र परंपरा- निमाड की धरती पुरातन समय से अपनी संस्कृति की कथा कहती आई है। यहां की धरती का इतिहास प्राचीन अनूप जनपद और पौराणिक नगरी महिष्मति के इर्द-गिर्द घूमता है। अंचल की कला, एवं परंपरा का मुलाधार यहां के जीवन में रस की प्रकृति और धरती की संस्कृति है। निमाडी लोक चित्र निमाड की जातिय समृद्धि और संस्कृति के अनुभव का संसार है। निमाड में लोक चित्रों की लंबी परंपरा है, हर बार कोई ना कोई त्यौहार आता है और उससे संबंधी चित्र बनाए जाते हैं। हरियाली अमावस्या पर जिरोती, नाग पंचमी पर नाग भित्ति चित्र, कार मास में संझा, नवरात्रि में नवरात्रि, दशहरे के दिन भूमि चित्रण, दिवाली पर हाथे या मांडने, दिवाली की पड़वा पर गोबर से गोवर्धन, भाई दूज बनाए जाते हैं।

विवाह में कुल देवी का भित्ति चित्र दरवाजों पर बनाना दूल्हा दुल्हन के मस्तक पर कवेली भरना, पुत्र जन्म पर पगल्या का शुभ संदेश अंकन, गणगौर की मूर्ति, साथिया, चौक, कलश, मांडना आदि, शरीर पर गुदना लोक चित्र परंपरा है। निमाड के चित्रों में कहीं ना कहीं ऐतिहासिक चित्रकला की रेखाएं भी आकृतियों के रूप में उपस्थित होती हैं जो सहज अभिव्यक्ति हैं जिसमें मंगल भावना समाहित है।

निमाड की लोक संस्कृति नगर एवं गांव में फैली हुई जनता के संस्कार हैं इसमें मंगल की भावना निहित है। मंगल शाश्वत सत्य है, आध्यात्मिक विकास है, संसार के समस्त प्राणियों को आत्मसात कर प्रेम, करुणा उपहार, क्षमा, अहिंसा का भाव है। अंतःकरण की पवित्रता की ओर बढ़ने का माध्यम है मनुष्य की पशुता को समाप्त कर उसे ईश्वर बनाने की राह है। संस्कार परंपरागत होते हैं, उसमें आनंद की प्राप्ति होती है, और आनंद मंगल भावना है।

मांगलिक कार्य, पूजा-पाठ, पर्व त्यौहार लोक चित्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं। संझा निमाडी कन्याओं का अनोखा त्यौहार है। अंतिम दिन संझा की लोक कला का भव्य रूप भित्ति पर उतर आता है। इसी प्रकार की महिलाओं में मांडने की प्रथा है। निमाड जिरोती, नाग, दशहरा, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, मांडने आदि को सहेज के रखे हैं। लोक कथाओं के माध्यम से देवी-देवताओं को निमाडी लोक कलाओं में रेखांकन के द्वारा स्थापित किया है चित्रों में पार्वती का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है लोक कथाओं पर भी उनका प्रभाव है।

चित्रों को प्रभावशाली बनाने के लिए धरा पर शाश्वत आराध्य सूर्य एवं चंद्रमा, निमाड में पाए जाने वाले सांप बिच्छू आदि स्वास्थ्य एवं जन जीवन में प्रेम के प्रतीक से जुड़कर फुगरी खेलती बालाएं चित्रित की जाती हैं। सर्व सिद्धि के दाता गणेश की मूर्ति आटे द्वारा बनाई जाती है। जिरोती निमाड के सर्वाधिक व्यापक शैली है। जिसका मूल्यांकन करते हुए श्री रामनारायण उपाध्याय लिखते हैं 'यदि निमाड में जिरोती नहीं होती तो दीवारें त्यौहारों में चित्रों से सुनी ही रहती।' नाग पंचमी और जिरोती भित्ति चित्र गेरू एवं लाल चटक रंग से दीवार पर उकेरी जाती है तथा गोबर से नाग देवता को अलंकारिक रूप में सूचित किया जाता है। चित्र पूजा के माध्यम से जन मन में लोक कला के सांस्कृतिक स्वरूप को जीवित रखता है। गोबर मिट्टी में कला के रूप में दीपावली के भाईदूज एवं गोवर्धन पड़वा के दिन दृष्टिगोचर होता है। लोकजीवन जितना प्रगतिशील होता है कला के रूप का उपयोग करने में हिचकिचाता नहीं। निमाड की लोक कला लोगो की सहभागिता को अभिव्यक्त करती है। इस प्रकार समारोह पूर्वक सहभागिता से कला के प्रति प्रेम बना रहता है।

निष्कर्ष- मध्य प्रदेश के निमाड अंचल लोक कलाओं से समृद्ध है। लोक कला लोक जीवन की अमूल्य निधि है। रंग एवं रेखाओं के द्वारा विभिन्न आकृतियों की अभिव्यक्ति की लोक कला है और लोक कला से ही लोग चित्र का सृजन होता है। निमाड लोक कलाओं का घर है लोक कला आज के लोग की धरोहर है निमाड अंचल का वास्तविक स्वरूप निमाड की परंपराएं, निमाड की संस्कृति एवं सभ्यता निमाड के लोकगीत, लोक संगीत, लोक कथा, लोक नाट्य एवं चित्रों में देखा जा सकता है। लोक चित्र में बनाने की आस्था और विश्वास तो है ही, प्रतीकों का समावेश उनकी सामाजिक उपस्थिति को दर्शाता है। लोक चित्रों के विषय प्रायः पारंपरिक, पौराणिक एवं सामाजिक होते हैं। देवी देवता लोक चित्रों के मुख्य विषय होते हैं। प्रत्येक अंचल के स्थानीय देवी-देवताओं के चित्र अंकन में लोक चित्रों में होता है। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु पांच तत्वों से मिलकर चित्र बनता है। चित्र में सारी प्रकृति मौजूद रहती है। गीत, सत्य कथा, वार्ता, मिथक सब चित्र में दर्शाए जाते हैं। जीवन की सारी गतिविधियां लोग चित्रों में दृष्टिगोचर होती हैं। लौकिक एवं अलौकिक दोनों ही संसार को हम लोक चित्रों में देख सकते हैं। प्रकृति चित्र की प्रेरणा मात्र नहीं होती है बल्कि चित्र में प्रकृति अपना विस्तार करती है। मनुष्य एवं प्रकृति में द्वैत की प्रेरणा पाई जाती है। जब मनुष्य प्रकृति एवं दिव्यता को अपना अभिन्न अंग बना लेता है तब वह दिव्यता से विहीन जड़ प्राकृतिक नियम से संचालित होने लगता है तथा मनुष्य अपने को भी प्रकृति समझने लगता है और फिर लोक कला का सृजन होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रेखा श्रीवास्तव का आलेख : लोक कला।
2. अंजली पांडेय: निमाड की सांस्कृतिक लोक कलाएं।
3. वसंत निरगुणे - निमाडी संस्कृति और साहित्य।
4. रामनारायण उपाध्याय - लोक साहित्य समग्र।

नागार्जुन के उपन्यासों में स्त्री पात्रों की भूमिका

श्रीमती गंगा *

* शोधार्थी (हिन्दी) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – नागार्जुन को हम आज बाबा, वैद्यनाथ मिश्र या आधुनिक युग का कवि कहते हैं, उनके साहित्य में अंगारों सा ताप, जाति, ऊँच-नीच तथा आत्मीयता से भरा व्यक्तित्व उभर कर आता है। नागार्जुन का जन्म, उनके ननिहाल सतलखा ग्राम पोस्ट मधुबनी जिला दरभंगा में 30 जून 1911 को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गोकुल मिश्र तथा माता का नाम उमादेवी था। सामाजिक चेतना, वैचारिक प्रतिबद्धता और अभिव्यक्ति कौशल की दृष्टि से इनकी रचनाएं अद्भुत हैं। हिन्दी कविता को छायावादी संस्कारों से मुक्त कर उसके सहज विकास की एक दिशा निश्चित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, अपनी अभावग्रस्त पारिवारिक स्थिति होने के बावजूद वे सदैव संघर्ष करते हुए भी मस्त यायावर, जिजीविषा से भरपूर जीवन जीने वाले बाबा नागार्जुन को सभी हिन्दी के प्रगतिशील कवि के रूप में ज्यादा जानते पहचानते हैं, बाबा नागार्जुन ने कई उपन्यास, कहानियाँ, अनेक निबंध, संस्मरण, डायरी, नाटकों की रचना की है। बाबा नागार्जुन का अनुभव – संसार इतना गहरा कहने की अभिलाषा इतनी सघन और संवेदशीलता इतनी तीव्र थी कि उन्हें अपने कथन पर अधिक जोर देकर कह देने की जितनी तीव्र धुन थी, उतनी कैसे और कितना कह दें इसकी नहीं। फलस्वरूप कुछ आलोचक उनकी रचनाओं में शैलीगत कसावट की कमी को रेखांकित करते हैं। संस्कृत, हिन्दी, मैथिली, बंगला, पालि, प्रजाबी, गुजराती आदि भाषाओं के जानकार बाबा को भाषा के प्रति गहरा लगाव था। बाबा नागार्जुन की रचना में भी भाषा की सहजता, सरलता, सजगता व पात्रतानुकूलता दिखाई देती है। उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग, ग्रामीण नागरिक, स्त्री-पुरुष के भावगत मानसिक पार्थक्य को वे बखूबी व्यक्त करते हैं, उनकी भाषा यथार्थ जीवन संदर्भों की भाषा है, उनके उपन्यासों की भाषा संरचना में तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग भी बखूबी हुआ है। घुट-घुट कर मरना नहीं, मर-मर कर भी जीने का संकल्प, अदम्य जिजीविषा, संगठित होकर लड़ने, रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने, चेतन होने का भाव उनकी रचनाओं के कथ्य में **गुम्फित** है, उनका कथन यथार्थ का वर्णन करके मात्र रुक नहीं जाता अपितु विकल्प खोजता दिखाई देता है। ऐसे बाबा शारीरिक रूप से आज इस संसार में चाहे न हों, पर उनके विचार, उनकी संघर्ष-भावना व आस्था उनकी रचनाओं के माध्यम से आगामी पीढ़ियों तक कायम रहेगी।

शोध पत्र का उद्देश्य :

1. नागार्जुन जी का जीवन परिचय।
2. व्यक्तित्व एवं कृतित्वों को जानना।
3. बाबा नागार्जुन ने अपने उपन्यासों में स्त्री के कौन-कौन से आयामों

को अंकित किया है? यह जानना।

4. बाबा नागार्जुन के उपन्यासों में महिलाओं के विकास हेतु सामाजिक चेतना को समझना।
5. नागार्जुन के उपन्यासों में स्त्री चेतना एवं उसके विकास के बारे में जानना।
6. सामाजिक क्रांति में स्त्री का योगदान।
7. संगठित समाज की परिकल्पना में स्त्री का योगदान।

नागार्जुन के उपन्यासों की समीक्षा

उनका पहला उपन्यास सन् 1948 में प्रकाशित हुआ जिसका नाम **'रतिनाथ की चाची'** था। रतिनाथ की चाची उपन्यास मिथिलांचल की विधवा नारियों की दयनीय दशा को अभिचित्रित करता है, साथ ही यह उपन्यास प्रेम, वात्सल्य और राग-द्वेष की अनुभूतियों से सम्पन्न मानव की कमजोरियों और उन कमजोरियों के बीच से उपजी ताकत को रेखांकित करता है, इस उपन्यास में बाबा नागार्जुन ने विधवा जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त किया है। इस उपन्यास में मुख्य पात्र के रूप में रतिनाथ की विधवा चाची गौरी की शारीरिक, मानसिक यंत्रणा को चित्रित किया गया है उपन्यास में विधवाओं की दयनीय अवस्था एवं उनके शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक शोषण को रूपांतरित किया गया है। गौरी के संघर्षों की समाप्ति उसकी मृत्यु के साथ ही होती है। इसमें बाबा नागार्जुन ने मिथिला के रहन सहन, सामाजिक जीवन व वहाँ की संस्कृति को उकेरते हुए अनमेल विवाह, विधवा-समस्या, जाति प्रथा, पिछड़ापन आदि समस्याओं को अपने व्यक्तिगत जीवन अनुभवों के आधार पर अत्यंत संवेदनशील वर्णन किया है। गौरी का कहना था – 'हे भगवान, अगले जन्म में मैं भले चुहिया होऊँ, भले ही नेवला, मगर चेतनामय इस मानव समाज में फिर कभी न पैदा होऊँ।' गौरी का यह कथन समाज पर करारा व्यंग्य है। रतिनाथ की चाची उपन्यास की अनेक घटनाएँ नागार्जुन के अपने जीवन से सम्बद्ध घटनाएँ हैं। यह भी माना जाता है कि यह एक तरह से बाबा की अपनी चाची को श्रद्धांजलि है।

रतिनाथ की चाची नामक उनके उपन्यास से भी ऐसा ही आभास होता है, इसमें आठ-दस साल की मासूम रतिनाथ की चाची की करुण कथा कही गई है, पर सिर्फ चाची का जीवन ही इस उपन्यास में अभिव्यक्त नहीं हुआ है, इसमें पूरे मिथिलांचल का ग्रामीण जीवन भी प्रतिबिंबित हुआ है, एक और बात जो उपन्यास को कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण बनाती है, इस उपन्यास की कथा रतिनाथ के माध्यम से व्यक्त हुई है। रतिनाथ ने अपने ग्रामीण परिवेश को जैसा अनुभूत किया, वहीं यथार्थ बनकर पाठक के सामने आया है। वह व्यक्ति के नजरिये से ही सोचता है, पर अपने परिवेश से

उसे गहरा मोह है, उसकी समझ, नासमझी, अपरिपक्वता और संस्कार पाठकों के समक्ष हैं, उनका व्यर्थ उदात्तीकरण नहीं किया गया है।

बाबा का दूसरा उपन्यास 'बलचनमा' सन् 1952 में प्रकाशित हुआ, इस उपन्यास में स्वातंत्र्योत्तर भारत के शासक-शोषक वर्ग की काली करतूतों से उत्पन्न विडम्बनाजनक कटु यथार्थ को उसके शोषण का शिकार होते ईमानदार, साधनहीन आम जनता, मजदूर, किसान की पीड़ा को चित्रित किया गया है। हम आये दिन होटलों में काम करते, बोझा उठाते, रिक्शा खींचते, पटाखे बनाते, घरेलू नौकर एवं बाल मजदूरों के बारे में पढ़ते या सुनते हैं। इस उपन्यास का नायक बलचनमा भी बचपन से ही बाल मजदूर बन गया है। बाल मजदूरों की इन दिनों बड़ी चर्चा है लेकिन अभाव, गरीबी किस तरह बच्चों को मजदूरी करने को विवश कर रही है इसका चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। **बलचनमा किसान जीवन के अभावों, दर्द व विषमताओं का भी मूर्तिमान रूप है।** यह आम होते हुए भी तब खास बन जाता है जब वह संघर्ष की राह पर चलने का निर्णय करता है। प्रेमचंद का होरी ग्राम संस्कृति के मात्र ध्वंसावशेष को बताता है, वहां बलचनमा भावी निर्माण का स्वप्न जगाता है गांव से नगर की ओर बड़ी आशा, आकांक्षा, उम्मीद से देख रहे व्यक्ति का अंत में नवीन अनुभूति लेकर नगर से गांव लौटना प्रभावकारी है। इसके द्वारा लेखक ने पाठक और समाज में बड़ा ही सुन्दर स्वप्न संजोया है, अपनी जड़ और जमीन की ओर पुनः वापस लौटने का।

सन् 1953 में 'नई पौध' के नाम से प्रकाशित नागार्जुन का उपन्यास पहले मैथिली में 'नवतुरिया' नाम से लिखा गया था। इसमें मिथिला के पांचवे-छठवें दशक का परिवेश लिखा हुआ है। गरीबी से परेशान होकर कन्याओं को किसी को बेच देने की या उग्र दराज व्यक्तियों के हाथ बांध देने की सामाजिक आर्थिक समस्या ने लेखक को विचलित किया है, यह स्थिति इस उपन्यास की पृष्ठभूमि बन गयी। इसमें दहेज-प्रथा, अनमेल-विवाह और नारी विक्रय का यथार्थ अंकन हुआ है। जब 60 वर्षीय चतुरानन चौधरी 14 वर्षीय बिससेरी से विवाह करना चाहता है, तो गांव के नवयुवक एकजुट होकर उसका विरोध ही नहीं करते बल्कि चौधरी को बारात सहित भगा भी देते हैं और बिससेरी का विवाह युवा वाचस्पति से करवाते हैं, यह नयी पौध रुढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह को दिखाता है।

'दुखमोचन' उपन्यास का प्रकाशन 1956 के जुलाई अगस्त और सितम्बर माह में आकाशवाणी के लखनऊ प्रयाग केन्द्र ने तेरह किशतों में समग्र रूप से प्रसारित किया था। उपन्यास का नायक दुखमोचन एक आदर्श पात्र है। इस उपन्यास को कथावस्तु अनेको घटनाओं, प्रसंगों के माध्यम से आगे बढ़ती है। दुखमोचन व्यवसाय के लिए कलकत्ता जाते हैं और पांच वर्ष के बाद वापस अपने गांव लौट आने पर अपने गांव टमका कोईली का नवनिर्माण करना चाहते हैं। दुखमोचन के दो भाई थे सुखदेव और नारायण। तीनों का विवाह हो चुका था। दुखमोचन की दो बेटियां थीं। पांच वर्ष पूर्व ही उनकी पत्नी का अवसान हो चुका था। सुखदेव की पत्नी सम्पन्न परिवार की होने से अपने मायके में ही रहा करती थी। नारायण की पत्नी और बच्चे गांव में रहते थे, वह स्वयं घर से दूर सरकारी विभाग में था, परिवार के लिए तन, मन, धन समर्पित कर देने वाले दुखमोचन की विधवा मामी गांव में रहती थी, टमका कोईली में मलेरिया और कालाजार ने तबाही मचायी तब चर्मरोग फैलने पर दुखमोचन ने नेताओं अफसरों, मेडिकल कॉलेज के अध्यापकों व छात्रों की सहायता से गंधक, नारियल के तेल और नीम के साबुन की व्यवस्था

करवाई। गांव में आग लगने पर बेघर लोगों के पुनर्वसन पर भी बहुत परिश्रम करते हैं, इस प्रकार उपन्यास में दुखमोचन के प्रयासों से गांव के नवनिर्माण की कथा वर्णित की गई है।

1957 में प्रकाशित हुआ उपन्यास 'वरुण के बेटे' आजादी के बाद भी गांवों की गांव के निम्न वर्ग एवं निम्न जाति के लोगों की बढहाली में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। इस बात को बिहार के 'मलाही गोठियारी' गांव के मधुआरों की इस संघर्ष कथा को नागार्जुन ने चित्रित किया है, जिन्हें आजादी नहीं मिली, ऐसे संकटों और अभावों से ग्रस्त मधुआरों की इस स्थिति के कारण है वे जमींदार जो जलाशयों पर कब्जा कर बैठे थे। बाबा बटेसरनाथ के दुनाई पाठक की तरह यहां भी पोखर व चरागाह हड़पते हैं - बेचते जमींदार हैं, मधुआरों की व्यथा कथा कहते कहते लेखक जमींदारों के विरुद्ध भोला, मंगल, माधुरी, मांझी जैसे चरित्र जमींदारों से मुकाबला करने के लिए खड़ा करता जाता है। ये चरित्र बाबा बटेसरनाथ और बलचनमा के चरित्रों के परम्परा में एक और कड़ी बन जाते हैं, जो व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष और क्रांति के लिए प्रयत्नरत हैं।

लेखक मानते हैं कि इस संसार में कई नरक हैं, उनमें से एक 'कुम्भीपाक' है, पर 1960 में प्रकाशित बाबा के उपन्यास 'कुम्भीपाक' में वर्णित वह कुम्भीपाक नहीं है, अपितु इसमें नगरों- महानगरों एवं निम्न मध्यवर्गीय समाज में अनेक प्रकार के शोषण के शिकार होती स्त्रियों की नारकीय त्रासदी आदि 'कुम्भीपाक' उपन्यास में चम्पा के इस कथन से स्त्री के दुःख का अनुमान लगाया जा सकता है, 'नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। कोई भी और खुश नहीं है किन्तु। अच्छे घर की अच्छी बहुओं से जाकर पूछो, वे भी खुश नहीं हैं, जब स्त्री के लिए यूँ भी समाज की विचारधारा संकीर्ण हो, तब हमारे समाज में घर की दहलीज लांघनेवाली नारी के लिए, कुम्भीपाक रुपी नरक में पहुँची नारी के लिए, न कोई सम्मान है, न ही कोई समाधान। बाबा की प्रगतिशील दृष्टि इसी नारी समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है, और ऐसी नारियों को कुम्भीपाक के उस दलदल से निकाल कर नए जीवन की ओर प्रयत्नशील दिखाती है।

इस तरह प्रगतिशील नारी चरित्रों के माध्यम से लेखक ने यह सन्देश दिया है कि नारी को अपनी अस्मिता स्थापित करने के लिए अपनी शक्तियों को पहचानकर उनका विकास करना पड़ेगा।

नागार्जुन द्वारा रचित उपन्यास 'हीरक जयंती' सन् 1961 में प्रकाशित हुआ, इसमें सामाजिक विडम्बनाओं के साथ-साथ राजनीतिक भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए लिखा गया है, स्थान-स्थान पर चलने वाले हीरक जयंतियों के समारोह, मात्र स्वहित के लिए कैसे मनाया जाता है, इसका यथार्थांकन इस कृति का वैशिष्ट्य है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र नरपत बाबू एक ऐसा नेता है, जो अपने आप को आम जनता का सेवक बताता है, पर उन्हीं का शोषण करता रहता है, उसी के काले कारनामों का परिचय लेखक ने आत्मकथा के रूप में करवाया है।

1963 में प्रकाशित 'उद्यतारा' में विधवा उगनी की कथा के माध्यम से लेखक ने एक विवश स्त्री की करुण कथा को नये सिरे से अंकन किया है। वह उस रूढ़िवादी समाज को कटघरे में ला खड़ा करता है, जो स्त्रियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता व कार्यक्षमता को प्रमाणित करने के बावजूद कॉलेजों से पढ़-लिखकर निकली लड़कियों को उनकी प्रतिभा और आजादी को अपनी पुरानी रूढ़िगत मान्यताओं के कारण लील लेता है। लेखक ने यहाँ भी दहेज, अनमेल विवाह के साथ-साथ प्रेम संबंधों की वैधता- अवैधता

जैसी समस्याओं के साथ स्त्री- शिक्षा को महत्व दिया है। इस उपन्यास में नागार्जुन की प्रेम दृष्टि भी अद्भुत समय से बहुत आगे की और क्रांतिकारी थी, उगनी और कामेश्वर के माध्यम से एक क्रांतिकारी विचार उपस्थित करते हुए लेखक ने अपनी प्रगतिशील दृष्टि का परिचय दिया है।

सन् 1968 में राज्यपाल एंड संस, दिल्ली से 'इमरतिया' और किताब महल इलाहाबाद से 'जमनिया का बाबा' नाम से प्रकाशित उपन्यास नागार्जुन का एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है। मैथिली भाषा में 1946 में प्रकाशित यह उनका प्रथम उपन्यास है, इस उपन्यास में **साधु-संतो के कुचक्रों के बीच फंसी भावुक स्त्री इमरतिया की कथा के माध्यम से मठों की दुराचारपूर्ण जिंदगी, धार्मिक अंधविश्वास, साधु-संतो के पाखण्ड का बाबा ने बड़े साहसपूर्ण तरीके से पर्दाफाश किया है।** भारत के लोगों की धर्मांधता और अंधविश्वास का लाभ उठाकर, रामनामी ओढ़े न जाने कितने प्रडितों, सिद्ध-संत, मठाधीशों की काली करतूतें आये दिन चौंकाती रहती हैं, इस उपन्यास में जमींदारी उन्मूलन के साथ जमनिया और लखनौती के दो तीन जमींदारों द्वारा जमीन हथियाने के उद्देश्य से बहुत बड़े भू-भाग पर जमनिया मठ की स्थापना की जाती है। पापी दुराचारी, हत्या के अभियोग से भागते-फिरते मुसलमान जुलाहे की महंत के रूप में नियुक्ति के बावजूद इसका वास्तविक संचालन जमींदारों, तस्करों, व्यापारियों के हाथ में है। मठ के तस्कर- व्यापार का केन्द्र हो जाने की इस कथा में बाबा ने कुकृत्यों में लिप्त ऐसे मठों व पाखंडी संतों पर व्यंग्य किया है। धार्मिक भ्रमजाल का ऐसा विप्लेषण हिन्दी के बहुत कम उपन्यासों में हुआ है।

पहले मैथिली में 1946 में रचित पारो का हिन्दी अनुवाद 1975 मुं. कुलानन्द मिश्र ने किया। 'नई पौध' की तरह इस उपन्यास के मूल में पुनः बेमेल विवाह, दहेज, बाल-विवाह की समस्याओं को दर्शाया गया है। साथ ही इस उपन्यास में मिथिला के रीति-रिवाजों व घटनाओं का सुन्दर अंकन भी किया है। नारी हृदय की सम्पूर्ण वेदना को इस उपन्यास में बड़ी ही मनोवैज्ञानिकता से चित्रित किया गया है। नायिका पारो परम्परावादी पत्नी की तरह समझौता करने को तैयार नहीं है, उसकी ईश्वर से यह प्रार्थना उसका वेदना की मार्मिकता की द्योतक है, 'हे भगवान! लाख दण्ड दे, मगर फिर औरत बनाकर इस देश में जन्म नहीं दे।' **पारो, वरुण के बेटे, उग्रतारा आदि उपन्यासों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे हमारे समाज के उन कोढ़ों, कलकों को पकड़ते हैं, जो बरसों से हमारी चिंता का कारण बने हुए हैं।**

सन् 1979 में प्रकाशित बाबा नागार्जुन के अंतिम उपन्यास 'गरीबदास' में बाबा नागार्जुन ने वर्ग-संघर्ष के स्थान पर शोषित जनता की मुक्ति हेतु समन्वयवाद का मार्ग दिखाया है, नायक गरीबदास अपने आदर्श बाबासाहेब अम्बेडकर के मार्ग का अनुसरण कर दलित उत्थान के अनेक प्रयास करता है। लेखक ने इसमें भी सामाजिक समरसता व विकास के अपने स्वर को वाणी दी है। स्वाधीनता के पश्चात् देशवासियों को जिस मुक्ति, समता और शांति की कामना थी, वह खण्डित हुई तथा राजनीतिक पतन, चरित्र-विघटन, आर्थिक विषमता, महंगाई, **मानव संबंधों एवं मूल्यों में हुए हास और नैतिक पतन ने मोहभंग की स्थितियाँ उत्पन्न कर दी थीं।** हत्या-लूटपाट, विद्वेष, घृणा, अविश्वास, शोषण भ्रष्टाचार जैसे विभिन्न विकराल समस्या हमारे विकास, हमारी उन्नति को ग्रस रहे थे। इस यथार्थ का स्वाभाविक अंकन स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यासों में हुआ। नागार्जुन जैसे प्रगतिशील रचनाकारों ने इसके साथ-साथ तानाशाही, शोषणकारी शक्तियों

के खिलाफ जनमत तैयार करने का कार्य, विरोध-विद्रोह और संघर्ष की प्रेरणा देने का कार्य भी अपने उपन्यासों के माध्यम से किया। नागार्जुन के लगभग सभी उपन्यासों में इन मुद्दों को देखा जा सकता है, जहाँ तक विचार का सम्बन्ध है, उन्होंने वर्ग-संघर्ष के **प्रेरक मार्क्सवाद को महत्वपूर्ण माना, परन्तु देशहित व जनहित से बढ़कर उससे सर्वोपरि उनके लिए कुछ नहीं था।** एक लेखक होने के नाते उनकी रचनाओं में सामान्यजन के प्रति, **शोषितों के प्रति पक्षधरता साफ-साफ दिखाई देती है।**

शोध प्रविधि - कोई भी शोध कार्य बिना क्रिया विधि एवं शोध प्रविधि के बिना सम्भव नहीं हो सकता इसलिए शोधकर्ता को कोई एक विधि के द्वारा शोध कार्य करना आवश्यक है। अनुसंधान की शोध प्रविधि में क्रियात्मक शोध के साथ विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग करके शोध समीक्षा प्रस्तुत करना होता है। शोध प्रविधि में हमें शोध कार्य को प्रस्तुत करने में नागार्जुन के उपन्यासों का गहन अध्ययन करना है, साथ ही उनके उपन्यासों में स्त्री पात्रों का विश्लेषण करना है। नागार्जुन के उपन्यासों में स्त्रियाँ हर परिस्थिति का सामना करके समाज के सामने उठ खड़ी हुई हैं तथा नागार्जुन ने स्त्रियों को कभी बेबस कमजोर नहीं होने दिया है। इन सभी समस्याओं का विस्तृत विश्लेषण करना शोध कार्य की मुख्य प्रविधि है।

बाबा नागार्जुन को ग्रामीण - जीवन, वहाँ के वातावरण, वहाँ की समस्याओं की गहरी जानकारी थी। स्वयं उस परिवेश में रहने के कारण वह सब उनका देखा-भोगा हुआ था। इसी का असर उनकी रचनाओं में ग्रामीण-जीवन के चित्रण के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके कारण आँचलिकता भी उनके उपन्यासों में दिखाई देती है, **परन्तु यह आँचलिकता 'मैला आँचल' की तरह परम्परागत रूप में नहीं है क्योंकि उनका लक्ष्य अंचल का चित्रण नहीं अपितु उस शोषित- पीड़ित समाज व उनके संघर्षों का अंकन है,** जिसे उन्होंने अपने अंचल से उठाकर अपने उपन्यासों में प्रतिष्ठित कर दिया। बलचनमा हो, इमरतिया हो या दुःखमोचन हो सभी पात्र अपने - अपने परिवेश में संघर्षरत हैं। नागार्जुन की इन रचनाओं में विशेषकर मिथिलांचल, वहाँ की प्रकृति, लोकजीवन, वहाँ के लोकविश्वास और परम्पराएँ मूर्तिमान हो उठे हैं। शोभाकांत जी के शब्दों में 'नागार्जुन के उपन्यास अंचल विशेष पर केन्द्रित होते हुए भी किसी संकीर्ण अर्थ में आंचलिक नहीं हैं, वे सम्पूर्ण देश या जमाने की सच्चाई को ठोस रूप में सामने लाते हैं।'

निष्कर्ष - संसार को इतना गहरा कहने की उनकी अभिलाषा इतनी सघन और संवेदनशीलता इतनी तीव्र थी कि उन्हें अपने कथन पर अधिक जोर देकर कह देने की जितनी तीव्र धुन थी, उतनी कैसे और कितना कह दें इसकी नहीं। फलस्वरूप कुछ आलोचक उनकी रचनाओं में शैलीगत कसावट की कमी को रेखांकित करते हैं। संस्कृत, हिन्दी, मैथिली, बंगला, पालि, प्रजाबी, गुजराती आदि भाषाओं के जानकार बाबा को भाषा के प्रति गहरा लगाव था, यँ भी आधुनिक कथा साहित्य में भाषागत उदारता देखी जाती है और आलोचक कृत्रिम भाषा की अपेक्षा सहज भाषा के प्राकृत रूप का प्रयोग ही श्रेयस्कर मानते हैं। बाबा नागार्जुन की रचना में भी भाषा की सहजता, सरलता, सजगता व पात्रतानुकूलता दिखाई देती है। उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग, ग्रामीण, नगरीय, स्त्री-पुरुष के भावगत मानसिक पार्थक्य को वे बखूबी व्यक्त करते हैं, उनकी भाषा यथार्थ जीवन संदर्भों की भाषा है। उनके उपन्यासों की भाषा संरचना में तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, अंग्रेजी एवं लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग भी बखूबी हुआ है। घुट-घुट कर मरना नहीं,

मर-मर कर भी जीने का संकल्प, अदम्य जिजीविषा, संगठित होकर लड़ने, रुढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने, चेतन होने का भाव उनकी रचनाओं के कथ्य में शामिल है, उनका कथन यथार्थ का वर्णन करके मात्र रुक नहीं जाता बल्कि विकल्प खोजता प्रतीत होता है। ऐसे बाबा इस संसार में चाहे शारीरिक रूप से न हों, पर उनके विचार, उनकी संघर्ष-भावना व आस्था उनकी रचनाओं के माध्यम से आगामी पीढ़ियों तक कायम रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रतिनाथ की चाची, नागार्जुन, राजकमल प्रकाशन सन् 1998।
2. बाबा बटेसरनाथ, नागार्जुन, राजकमल प्रकाशन सन् 1954,।
3. कथाकार नागार्जुन, डॉ. जगन्नाथ प्रदित राधा पब्लिकेशन, 2005।
4. कुम्भीपाक, नागार्जुन, राजकमल प्रकाशन सन् 1987।
5. नागार्जुन, सुरेशचन्द्र त्यागी, आशिर प्रकाशन।
6. उग्रतारा, नागार्जुन, राजकमल प्रकाशन, सन् 1987।
7. पारो, नागार्जुन।
8. नागार्जुन: सम्पूर्ण उपन्यास- भाग-2, प्र.सं. 1994 यात्री प्रकाशन, दिल्ली।
9. नागार्जुन के उपन्यास, डॉ. संतोष कौल काक, शोधगंगा।
10. हिन्दी का गद्य साहित्य, नवम् संस्करण, जनवरी 2014, डॉ. रामचन्द्र तिवारी, विश्वविद्यालय प्रकाशन विशालाक्षी भवन, वाराणसी।
11. नागार्जुन रचनावली, शोभाकांत, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली।

भारतीय समाज में साधु-सन्यासियों की परम्पराओं के प्रकार व प्रकृति

डॉ. प्रमिला वाधवा*

* प्रभारी प्राचार्य व सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, सारनी, जिला बैतूल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भारत में साधुओं का इतिहास हजारों साल पुराना है। वेद पुराणों में भी साधु परम्पराओं के होने के प्रमाण मिलते हैं। इन्होंने हिन्दु धर्म को काफी हद तक प्रभावित किया है। साधु और सन्यासी भी कई प्रकार के होते हैं। सभी के अपने अपने मत विचारधाराएँ व नियम हैं, वैसे तो **साधु शब्द का अर्थ होता है 'सज्जन व्यक्ति'** इसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति जो दयालु है, परोपकारी और सबकी सहायता करने वाला है वह साधु है। साधु का कोई भेष व नियम नहीं होता है, लेकिन वर्तमान समय में साधु उन्हें कहा जाता है जो सन्यास धारण करते हैं यज्ञ और तपस्या करते हैं, **गेरूँ, सफेद एवं भगवाधारी वस्त्र धारण** करते हैं ऐसे सन्यासी साधु परम्पराओं के किसी एक सम्प्रदायों को मानते हैं और उसका ही अनुसरण करते हैं।

भारतीय साधुओं का इतिहास कुछ सालों का नहीं अपितु हजारों वर्ष पुराना है। भारतीय इतिहास में हिन्दु धर्म को साधु परम्परा ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जो भी व्यक्ति साधुत्व अपनाता है उसे अपने सांसारिक जीवन व भौतिकता से मुक्त होना होता है तभी वह साधु परम्पराओं को निभा सकते हैं, एक साधु को समाज से पूर्ण रूप से मुक्त होना होता है।

भारतीय समाज में साधुओं का एक सम्प्रदाय जिसे शैव सम्प्रदाय कहते हैं, उसमें सन्यास ग्रहण करने से पूर्व ही व्यक्ति का प्रतीकात्मक रूप से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि वह व्यक्ति समाज के लिए मृत हो जाता है और सन्यासी के रूप में उनका नया जन्म होता है, जबकि वैष्णव सम्प्रदाय के नियम शैव सम्प्रदाय से थोड़ा कम कठोर होता है।

शोध का उद्देश्य:

- 1 साधु सन्यासियों की परम्पराओं का भारतीय समाज एवं सांस्कृतिक जीवन में महत्व का विश्लेषण सकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करना।
- 2 सन्यासी परम्परा का प्राचीन काल से आधुनिक काल में सांस्कृतिक व सामाजिक जीवन में हुए परिवर्तन का तुलना करना।
- 3 धर्म ग्रंथों का अध्ययन तथा अपने सम्प्रदाय के साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना।
- 4 विशेष पर्व के समय उपवास द्वारा स्वयं को पवित्र करना तथा भोजन आदि के विषय में नियम आदि का पालन करना।

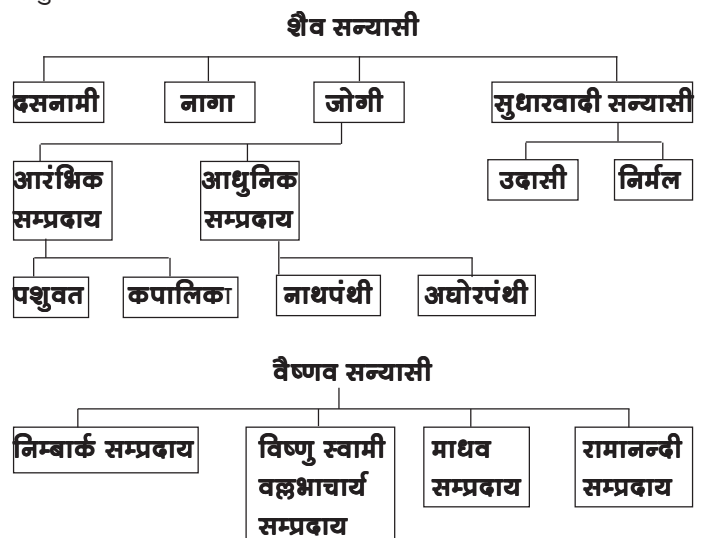
सन्यासी संगठन व उनके प्रकार- सन्यासियों ने हमारी संस्कृति को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, साधु परम्पराओं में साधु अकेले ही मोक्ष के पथ पर चलता था लेकिन सन्यासियों ने मठों और आश्रमों के

द्वारा अपने आप को संगठित करने का प्रयास किया, सबसे पहले बौद्ध, फिर ईसाई धर्म, में उनके धर्मगुरुओं की परम्परा को अपनाया। इसके द्वारा अपने आप को संगठित करने का प्रयास किया गया। हिन्दू धर्म में सबसे पहले 9वीं शताब्दी के अंत में शंकराचार्य ने सन्यासियों के मठों की स्थापना की शुरुआत की। हिन्दू धर्म में धार्मिक संप्रदायों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है।

- 1 शैव सम्प्रदाय
- 2 वैष्णव सम्प्रदाय

शैव सम्प्रदाय के सन्यासी शंकराचार्य को अपना गुरु मानते हैं, जबकि वैष्णव सम्प्रदाय के लोग रामानुज को अपना गुरु मानते हैं।

जी.एस. धुरमें ने शैव सम्प्रदाय के सन्यासियों को उनकी प्रकृति के अनुसार निम्न रूप से विभाजित किया है-



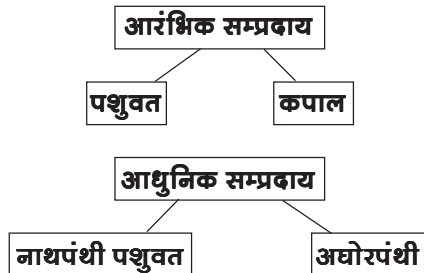
शैव सम्प्रदाय - शैव सन्यासियों के प्रकार को मुख्य चार भागों में बांटा गया है।

अ) दसनामी सन्यासी - शैव सन्यासियों में दसनामी सबसे महत्वपूर्ण सम्प्रदाय है इस सम्प्रदाय की शुरुआत शंकराचार्य ने की। शंकराचार्य ने दसनामी शैवों का संगठन मजबूत करने के लिए भारत में चार प्रमुख मठों में **जगन्नाथपुरी द्वारका शृंगेरी और बद्रीनाथ** की स्थापना की दसनामी सम्प्रदाय का उद्देश्य धर्म का प्रचार करना और धर्म की रक्षा करना है।

ब) नागा-नागा साधुओं की प्रकृति थोड़ा अलग है यह स्वभाव से उग्र

और शस्त्र धारण करने वाले होते हैं, यह संन्यासी आजीवन निर्वस्त्र रहते हैं क्योंकि वह मानते हैं कि जिस रूप ईश्वर ने उन्हें जन्म दिया है, वह आजीवन उसी स्थिति में रहेंगे। नागा संन्यासी भौतिक जीवन का पूर्ण रूप से परित्याग कर देते हैं। इस सम्प्रदाय को सोलहवीं शताब्दी में **मधुसूदन सरस्वती** ने नागा संन्यासी को संगठित किया।

स) जोगी सम्प्रदाय –जोगी संन्यासियों को शैव सम्प्रदाय का तीसरा सबसे मुख्य सम्प्रदाय माना जाता है यह संन्यासी का मुख्य सम्प्रदाय होने के कारण है तांत्रिक विद्या और जादू टोने जैसी विधाओं में निपुण होते हैं। यज्ञ, बलि, सम्मोहन और वशीकरण जैसी विधाओं का यह अभ्यास करते हैं और उसमें पारंगत होते हैं इस सम्प्रदाय को दो भागों में बांटा जाता है:-



आरम्भिक सम्प्रदाय को भी प्रकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है- पशुवत और कपालिका ठीक इसी प्रकार आधुनिक सम्प्रदाय को भी नाथपंथी और अघोरपंथी सम्प्रदाय में बांटा गया।

द) सुधारवादी सम्प्रदाय – शैव संन्यासियों में एक और सम्प्रदाय है जिसे हम सुधारवादी सम्प्रदाय के नाम से जानते हैं प्रकृति के आधार पर इस सम्प्रदाय को दो भागों में बांटा गया है: **निर्मल** और **उदासी** इनकी विचारधारा अन्य सम्प्रदाय से काफी अलग है। इस सम्प्रदाय में इस्लामिक और गैर हिन्दू प्रभाव भी देखने को मिलता है। निर्मल सम्प्रदाय मानता है कि राम रहीम एक हैं, ईश्वर अल्लाह एक है, पुराण तथा कुरान एक हैं।

वैष्णव सम्प्रदाय– वैष्णव सम्प्रदाय भगवान विष्णु और उनके अन्य रूपों की आराधना करते हैं और उन्हें ही अपना ईष्ट देव मानते हैं। यह सम्प्रदाय प्रकृति से सरल और दयालु होता है। इस सम्प्रदाय को भी चार भागों में बांटा गया है और इन सम्प्रदायों का नाम उनके प्रमुख आचार्यों के नाम पर रखा गया है:-

- 1 निर्मार्क सम्प्रदाय (कुमार सम्प्रदाय)
- 2 विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य सम्प्रदाय (रूद्र सम्प्रदाय)
- 3 माधव सम्प्रदाय (ब्रम्ह सम्प्रदाय)
- 4 रामानन्दी सम्प्रदाय

संन्यासी अखाड़ों का सम्पूर्ण इतिहास– मूलतः अखाड़े संतों की उस सेना या संगठन को कहा जाता है जो धर्म की रक्षा के लिए विशेष पारंपरिक रूप में गठित किये गये हैं, अपनी धर्म ध्वजा ऊँची रखने और विधर्मियों से अपने धर्म, धर्म स्थल, धर्म ग्रंथ, धर्म संस्कृति और धार्मिक परम्पराओं की रक्षा के लिए किसी जमाने में संतो ने मिलकर एक सेना का गठन किया था। वही सेना आज अखाड़ों के रूप में विद्यमान है।

कुम्भ में संघर्ष का इतिहास– चारों आश्रमों से एक अंतिम संन्यास आश्रम के अनुयायी शैवों और वैष्णवों में शुरू से ही संघर्ष रहा। शाही स्नान के समय अखाड़ों की आपसी तनातनी और साधु-संप्रदायों के टकराव खुनी संघर्षों में बदलते रहे हैं। वर्ष 1310 के महा कुम्भ में महानिर्वाणी अखाड़े और रामानन्द वैष्णवों के बीच हुए झगड़े ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया था। वर्ष

1398 के अर्द्धकुम्भ में तैमूर लंग के आक्रमण से कई जाने गई थी। वर्ष 1760 में शैव संन्यासियों व वैष्णव बैरागियों के बीच संघर्ष हुआ था। 1796 के कुम्भ में भी शैव संन्यासी और निर्मल संप्रदाय आपस में झिड़ गये थे।

विभिन्न धार्मिक समागमों और खासकर कुम्भ मेलों के अवसर पर साधु संगतों के झगड़ों और खून खराबों की बढ़ती घटनाओं से बचने के लिए **अखाड़ा परिषद् की स्थापना की गई** जो सरकार से मान्यता प्राप्त है। इसमें कुल मिलाकर **तेरह अखाड़ों** को शामिल किया गया है। प्रत्येक कुम्भ में शाही स्नान के दौरान इनका क्रम तय रहता है। कालांतर में शंकराचार्य के अविर्भाव काल सन् 788 से 820 के उत्तरार्द्ध में देश के चारों कोनों में चार शंकर मठों और दसनामी संन्यासियों के अनेक अखाड़े प्रसिद्ध हुए जिनमें **सात पंचायती अखाड़े** आज भी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत समाज में कार्यरत हैं।

राष्ट्र के निर्माण में साधु-संतों का योगदान – अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद् ने शायद आजादी के बाद पहली बार यह कठोर निर्णय लिया है कि किसी व्यक्ति को साधु या संत घोषित करने से पूर्व उसके अध्यात्मिक ज्ञान की जांच होगी साथ ही उसके संन्यासी के रूप में किये गये त्याग का भी परीक्षण होगा। वास्तव में साधु समाज से जुड़े चमत्कारी एवं दुराचारी साधु दूर हो जाए, तो साधु समाज की शक्ति राष्ट्र के निर्माण में अहम् योगदान दे सकती है।

भारत के हर परिवर्तनकारी युग में मठ, मंदिरों और साधुओं ने सांस्कृतिक चेतना का नवजागरण कर राष्ट्र निर्माण को नया मोड़ देते हुए, समय समय पर उदारता का प्रतिपादन किया है जिसे धर्म दीर्घकालिक सत्ताधारियों के राजनैतिक लाभ का हित पोषक न बना रहे। यही कारण है कि विश्वामित्र, चाणक्य, महावीर, बुद्ध, जगत् गुरु शंकराचार्य, गुरुनानक देव, चैतन्यमहाप्रभु, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महर्षि अरविन्द स्वामी और ज्योतिबा फुले जैसे राजमोह तथा गृहत्यागी स्वप्न दृष्टाओं ने इस देश को विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने की शक्ति देने के साथ-साथ अज्ञान, भुख, अराजकता और असमान सामाजिक ढांचे से जुझने की भी चुनौती व प्रेरणा, आम जनमानस को कबीर, तुलसी, सूरदास, रैदास, दादू, मलूकदास और नानकदेव जैसे संत कवियों ने ही उबारकर नवयुग के निर्माण की आधारशिला रखी। स्वतंत्रता आंदोलन में साधु-संतों का बड़ा योगदान रहा है।

स्वतंत्रता से पूर्व भारत में करीब 60 लाख साधु-संत थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर **एक करोड़** के ऊपर पहुंच गई है। हालांकि साधु-संतों के जीवन पर अब **'रमता जोगी बहता पानी'** की कहावत पूरी चरितार्थ नहीं हो रही है मोक्ष के प्रचारक यह साधु भौतिकवाद के शिकार होकर राम-रहीम, की तरह वैभव व प्रदर्शन की प्रकृतियों के आदि हो गये हैं, कारों का काफिला इनके इर्द-गिर्द मंडरा रहा है तथा विलासता पूर्ण जीवन शैली अपना रहे हैं। सूचना तकनीक के चलते तमाम साधुओं का भू-मण्डलीकरण तो हुआ ही साथ ही बाजारवाद की गिरफ्त में आ गये हैं, लिहाजा धर्म अरबों - खरबों के उद्योगों में परिवर्तित हो गये। देखते-देखते बीते दो दशकों के भीतर हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, उज्जैन, शिरडी, त्रयम्बकेश्वर, जैसी धार्मिक नगरी में साधु-संतों की घास फूस की झोपड़ियां आलीषान अट्टालिकाओं में तब्दील हो गई हैं। इसी कारण साधु समाज सवाल दागे जाने लगे कि मोह माया और भौतिक सुखों से ऊपर उठने का दावा करने वाले जो सिद्ध पुरुष, स्वयं भोग विलास में संलिप्त हो जायेंगे तो अध्यात्म का उपदेश देकर क्या

समाज को भौतिकवादी बुराईयों से ऊबार पायेगा ?

साधु का प्रमुख गुण समष्टिगत होता है, इसलिए वह धर्म का प्रतिनिधि है। साधु के सदाचरण, संयमी, असचयी और सात्विक होने का प्रभाव जितना समाज पर पड़ता है। दिव्य पुरुषों के एक इशारे पर लोग करोड़ों लूटा देते हैं, यही कारण है कि अपेक्षाकृत कम प्रसिद्धि प्राप्त साधु अथवा मठ- मंदिरों के पास भी करोड़ों की नगद और चल-अचल संपत्तियां हैं, उनका डाकघरों व बैंकों में लाखों करोड़ों रुपये जमा हैं ऐसे में इन साधुओं के आत्मलीन होने के बाद यह धन-सम्पदा लावारिस घोषित कर दी जाती है, आखिर इस धन को साधु समाज के सुपुर्द कर स्थानीय विकास कार्यों में क्यों नहीं लगाया जा रहा है, इस तरह की मांग अयोध्या के राजनीतिक समाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी कई मर्तबा उठा भी चुके हैं। इनका दावा है कि साधु-संतों का बैंक और डाकघरों में लावारिस धन जमा होता है, यदि इसे निकाल कर विकास कार्यों में ईमानदारी से लगा दिया जाये तो निश्चित ही राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर हो जायेगा।

सन्यासियों के सामाजिक कर्तव्य:

- 1 बृहद समाज में धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार करना या सन्यासी वेश में घूम-घूम कर धार्मिक माहौल का निर्माण करना।
- 2 दुःखी व निराश व्यक्ति जो उनकी सहायता चाहते हैं को सांत्वना देना।
- 3 विद्यालय, अस्पताल आदि की स्थापना करना तथा गरीब एवं दीन दुखियों की सहायता के द्वारा समाज सेवा करना।
- 4 धार्मिक प्रवचनों से समाज का विकास करना।

निष्कर्ष – स्पष्ट है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में साधु-सन्यासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वे वर्तमान वैज्ञानिक युग में भी लोगों को धर्म तथा अध्यात्म से विश्वास आज भी बढ़ता जा रहा है लोगों के आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं।

आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मानव का जीवन अधूरा है अतः हम सब विश्वास एवं भक्ति भाव से ओत प्रोत होकर आध्यात्म की, ओर अग्रसर हो,

यह तभी संभव है जब तक कि धर्म के गुरुओं में आडम्बर व निरन्तर स्वार्थ की भावना समाप्त न हो जाये।

साधु-सन्यासियों का मूल उद्देश्य समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करना है, साधु सन्यासी गण साधना, तपस्या करते हुए वेदांत ज्ञान को जगत को देते हैं।

निःसंदेह मुक्ति की कामना हिन्दू जीवन का चरम लक्ष्य है और मुक्ति लाभ हेतु ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो वह सर्वाधिक आदर का पात्र समझा जाता है साधु-संत गृहस्थों को विभिन्न-विभिन्न प्रकार का धार्मिक व व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं जैसे निर्देश मंत्रणा, उपदेश, शिक्षा एवं दीक्षा आदि।

धार्मिक प्रकृति के नाना प्रकार की समस्याओं जैसे धन व यश प्राप्त करने की इच्छा से भाग्यफल जानने की इच्छा से संतानोत्पत्ति की कामना से आपसी एवं पारिवारिक झगड़ों को निपटाने की कामना से शादी-विवाह के विषय में सलाह लेने तथा आध्यात्मिक ज्ञान आदि प्राप्त करने की कामना से लोग दसनामी, नागा गुरुओं के पास आते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. भारत की संत परम्परा और सामाजिक समरसता – डॉ. कृष्ण गोपाल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
2. कुमाऊँ रामायण- कुन्दन सिंह पहाड़ि, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली
3. विश्व के प्रमुख शिक्षा शास्त्री – आर. के. चौबे, पोइन्टर पब्लिकेशन, जयपुर।
4. नागा सन्यासियों की इतिहास – अशोक त्रिपाठी, इलाहाबाद प्रकाशन।
5. श्री राम चरित मानस में अध्यात्म एवं विज्ञान – प्रो. एस.पी. गौतम, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
6. भारतीय रामकथा साहित्य का स्वरूप – विकास, – प्रो. त्रिभुवननाथ शुक्ल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी।

काव्य शास्त्रीय परम्परा में अलंकार की धारणाओं का संक्षिप्त विश्लेषण

डॉ. पी. एस. बघेल*

* एसोसिएट प्राध्यापक (संस्कृत) शहीद भीमा नायक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – कवि प्रतिभा से समृद्ध उक्तियों के अलोक सिद्ध सौंदर्य को कुछ आचार्यों ने व्यापक अर्थ में अलंकार कहा है। अर्थात् वामन ने अलंकार को सौंदर्य का पर्याय कहकर अलंकारयुक्त काव्य को ग्राह्य तथा अलंकारहीन या असुन्दर काव्य अग्राह्य कहा था।

‘अलङ्कियते/नेन इति अलंकारः’

भामह तथा उद्भट ने काव्य-शोभा के साधक धर्म को अलंकार माना है। गुण, रस को भी अलंकार की सीमा में रखा है। आचार्य दण्डी ने भी काव्य के शोभाकर धर्म को अलंकार कहा है।

‘काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशहेतवास्त्वालंकारः।’

कुन्तक ने वक्रोक्ति के बारे में कहा है कि काव्य का अर्थात् शब्द और अर्थ का अलंकार कहा है।

‘वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभी भङ्गीभणति रूच्यते।’

भामह ने भी वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति को अलंकार का प्राण तत्व माना था। रूच्यक के अनुसार ‘कवि-प्रतिभा से समृद्ध कथन का प्रकार-विशेष ही अलंकार है।’ आनन्दवर्धन का मानना है कि वाग्विकल्प अर्थात् कथन के अनूठे ढंग अनंत हैं और उनके प्रकार ही अलंकार कहलाते हैं।

काव्य में अलंकार का स्थान – भामह और उद्भट ने काव्य के शब्दार्थ को अलंकार मानकर उनमें सौंदर्य का आधान करने वाले सभी तत्वों को अलंकार कहा है। इससे स्पष्ट है कि भामह, उद्भट आदि अलंकार को काव्य सौंदर्य के लिए काव्य का अनिवार्य धर्म मानते थे। भामह ने काव्य के अलंकार को नारी के आभूषण की तरह मानकर कहा था। कि जैसे रमणिका सुन्दर मुख भी भूषण के अभाव में सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकारहीन काव्य सुशोभित नहीं होता।

इससे स्पष्ट है कि काव्य सौंदर्य के आवश्यक उपादान मानने के कारण भामह अलंकार सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने गये हैं। दण्डी ने भी अलंकार को काव्य सौंदर्य का हेतु कहा है। दण्डी ने समाधि गुण को ‘काव्य सर्वस्व कहकर काव्य में गुण अपेक्षाकृत विशेष महत्व स्वीकार किया है।’ पर गुण आदि की तुलना में उसका कम मूल्य मानते हैं मानते हैं। वामन ने ‘रीति को काव्य की आत्मा माना है।’ ‘रीतिरात्मा काव्यस्या।’

आचार्य उद्भट अलंकार को गुण के समान ही महत्व देने के पक्षपाती है। उनकी मान्यता है कि गुण और अलंकार दोनों ही काव्य के समवाय-वृत्ति से सम्बद्ध काव्य का अंतरंग और अलंकार को संयोग-वृत्ति से सम्बद्ध काव्य का बहिरंग धर्म मानना गतानुगतिकता है।

भामह के सही काव्य का बाह्य तथा आभ्यन्तर धर्म मानने वाले दो मत प्रचलित थे। जिनका निर्देश भामह के काव्यालंकार में किया गया है। उद्भट

का मत है कि अलंकार भी काव्य के सौंदर्य के हेतु है। निष्कर्ष के रूप में उद्भट के अनुसार अलंकार काव्य के शब्द तथा अर्थ को सौंदर्य प्रदान करने वाले नित्य और अन्तरंग धर्म हैं। अलंकार के अभाव में शब्द तथा अर्थ में सौंदर्य नहीं आता।

जयदेव ने काव्य-लक्षण में अलंकार की अनिवार्य सत्ता मानी है।

‘निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुणभूषिता।

सालंकारसानेक वृत्तिर्वाक् काव्य नाम भाक्॥’(जयदेव,

चंद्रालोक, 1.7)

जयदेव आगे कहते हैं कि- अलंकारहीन शब्दार्थ को काव्य मानना-उष्णतारहित अग्नि की कल्पना करने के समान है।

‘अंशीकरोति यः काव्यं शब्दार्थवनलकृति

असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलकृति॥’(जयदेव,

चन्द्रालोक, 1.8)

कवि केशव ने अनलंकृति काव्य को अलंकारहीन रमणी की तरह असुन्दर माना है।

भामह ने वक्रोक्ति को अलंकार का प्राण कहा है।

‘सैषा सर्वेव वक्रोक्तिरनायाऽनयाऽर्थो विभाव्यते।

यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽना विना॥’

औचित्य चर्चा में क्षेमेन्द्र ने कहा है कि- उचित स्थान में अलंकार की योजना को काव्य सौंदर्य में सहायक मानकर उसकी उपादेता स्वीकार की है।

आनन्दवर्धन ने अलंकार की सार्थकता रस के प्रकाशन में ही है। रस की व्यंजना वाचर्थ से ही होती है।

आचार्य मम्मट ने अपने काव्य-लक्षण में शब्दार्थ का निर्दोष तथा गुणयुक्त होना तो आवश्यक माना है, पर अलंकार की काव्य में अनिवार्य स्थिति नहीं मानकर यह कहा कि कहीं कहीं स्थिति अनलङ्कृत शब्दार्थ भी काव्य होते हैं।

तददोषी शब्दार्थो सगुणावनलकृति पुनः क्वापि॥ (यमम्मट, काव्य प्र. 1, कारिका पृ. 4)

अलंकार के संबंध में मम्मट का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि- शब्द और अर्थ काव्य-पुरुष के शरीर हैं, रस उसकी आत्मा है। और माधुर्य आदि रस के धर्म-काव्य-गुण-मानव के शौर्य आदि गुण की तरह उसके गुण हैं। अलंकार काव्य-पुरुष शरीर को शब्द और अर्थ को विभूषितभूषित करते हैं।

अतः वे मानव-शरीर के हार आदि आभूषण की तरह उसके अलंकार

है। इस प्रकार अलंकृत व्यक्ति की आत्मा का उपकार होता है, उसी प्रकार काव्य के अलंकार से काव्य का शब्दार्थ-रूप शरीर अलंकृत होकर उसकी आत्मा रस को उपकृत करता है।

‘उपकुर्वन्ति तं सन्तयेऽश्द्वारेण जातुचित्।

हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमायादः॥ (मम्मट, काव्य प्रकाश, 8, 67, पृ. 189)

सौन्दर्य से पृथक् काव्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस तरह वह काव्य-सौन्दर्य अलंकार भी है और अलंकार्य भी है। काव्य के सभी सौन्दर्याधारक तत्व इस अर्थ में अलंकार हैं। पर विशिष्ट अर्थ में वामन ने अलंकारों को काव्य की स्वाभाविक शोभा की वृद्धि हेतु कहा है। उनके अनुसार रीति या विशेष प्रकार की पद-संघटना काव्य सर्वस्व है।

‘रीतिरात्माकाव्यस्या।’ (काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, 1, 2, 6)

भारतीय अलंकार शास्त्र के आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य के इस अविच्छेद्य संबंधों को पूर्व में ही समझा था। अलंकार्य (शब्द, अर्थ, रस, या ध्वनि) से उसके अविभाज्यसंबंध की धारणा निहित थी।

भामह, दण्डी, वामन आदि आचार्यों ने भी उपमा आदि विशेष अलंकारों का गुण आदि से भेद निरूपण कर पुनः सभी काव्यतत्त्वों को सामान्य रूप से काव्य का अलंकार या सौन्दर्य कहकर सबकी तात्त्विक अभिन्नता स्वीकार कर ली है।

आठवीं शताब्दी ई. में अपभ्रंश के कवि स्वयंभू ने हरिवंशपुराण और पउमचरित में दण्डी का आचार्य के रूप में ससमादर उल्लेख किया है।

आचार्य दण्डी विरचित काव्यादर्श – काव्यादर्श में तीन परिच्छेद हैं जिनमें कुल 660 श्लोक हैं। तृतीय परिच्छेद ‘वराह-वर्णन’ है। वराह प्रतिमा लगभग 400 ई. से साम्य रखता है।

वामन के रीतिसिद्धान्त पर दण्डी का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

दण्डी के प्रथम परिच्छेद में काव्य के लक्षण तथा गद्य, पद्य और मिश्रित तीन रूपों का विभाजन किया है। साथ ही सर्गबंध के लक्षण दिये गये हैं। साहित्य में वैदर्भी तथा गौड़ी शैली की चर्चा की गई है। कवि के तीन आवश्यक गुण-प्रतिभा-श्रुति और अभियोग की चर्चा की गई है।

द्वितीय परिच्छेद में अलंकार शब्द की व्याख्या दी है। जिनमें 35 अलंकार गिनाये हैं। तृतीय परिच्छेद में यमक का विशद वर्णन है।

दण्डी का काव्यादर्श अंशतः रीति सम्प्रदाय के समर्थक है और अंशतः अलंकार सम्प्रदाय का। अनुमान किया जाता है कि दण्डी की रचना किसी सुखार्थराजकुमार के लिए की थी। किन्तु इसे अनुमान तक मानना उचित समझा है।

काव्यादर्श की शैली सरल और सारगर्भित है। जहाँ तक कवित्व का प्रश्न है भामह की तुलना में दण्डी का स्थान उँचा है। किन्तु विशद एवं तर्क संगत विवेचन में भामह दण्डी से आगे है। दण्डी के उदाहरण मौलिक हैं।

दण्डी को प्राकृतों का ज्ञान नहीं था। उन्होंने महाराष्ट्री, शौरसेनी, गौड़ी

तथा लाटी का विभिन्न प्राकृतों रूपों का उल्लेख मात्र किया है।

काव्यादर्श में दण्डी ने पद्यबद्ध रचना में लम्बे समासों का निषेध किया है। किसी समय दण्डी परिवार ने गुजरात के आनंदपुर के प्रस्थान कर के आचलपुर (वर्तमान में एलिचपुर) (बरार प्रान्त में) निवास किया। उनके पूर्वज दामोदर स्वामी भारवि के कहने पर विष्णुवर्धन के साथ मित्रता स्थापित की है।

दण्डी तथा भामह दोनों के साथ कुछ पाठ अक्षरशः मिलते हैं। यथा-

1. सर्गबन्धो महाकाठ में काव्यादर्श (114), काव्यालंकार के 1, 19 में (ख) मन्त्रदूत प्राणजिनै- काव्यादर्श- (1, 17)

भामह और दण्डी ने लिखा है।

भामह और दण्डी दोनों ही प्राचीन आलंकारिक हैं।

भामह ने सर्वप्रथम व्याकरण के आधार पर उपमा का प्रतिपादन किया है। अतः कुछ तथ्यों के आधार पर दण्डी से पहले भामह हुए। संभवतः भामह और दण्डी भिन्न-भिन्न परम्पराओं के समर्थक रहे होंगे। दण्डी ने भरत की परम्पराओं का अनुसरण किया है और भामह ने अर्थालंकारों का प्रमुखता देने की परम्परा का परिवहन किया है।

भामह ने अनेकत्र पूर्ववर्ती आचार्यों के सिद्धान्तों का नाम निर्देशन किया है। ऐसे कतिपय ऐसे सिद्धान्तों की स्थापना काव्यादर्श (दंडी) में प्राप्त होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सौन्दर्यमलंकार वामन, काव्यालंकारसूत्रवृत्ति 1, 1, 2
2. काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, 1, 1, 1
3. वामन-काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, 3, 1, 1
4. कुन्तक वक्रोक्ति जीवित्- 1, 10
5. अभिधाप्रकार-विशेषांक एवानलंकार रूयक-अलंकार सर्वस्व, पृष्ठ. 8
6. चाललंकार आनंदवर्धन, ध्वयालोक लोचन 3.37 की वृत्ति, पृ. 511
7. न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनितामुख-भामह- काव्यालंकार 1, 13
8. काव्यशोभाकरान् धर्मानलंकार-दण्डी-काव्यादर्श, 2. 1
9. तदेतत्काव्यसर्वस्व समाधिर्ना गुणः काव्यादर्श 1, 100
10. जदेव, चंद्रालोक, 1.7
11. जदेव, चंद्रालोका 1.8
12. केशव, कविप्रिया, पृ. 47
13. भामह, काव्यालंकार, 285
14. मम्मट, काव्यप्र. 1, कारिका 1, पृ. 4
15. मम्मट, काव्य प्रकाश, 8, 6, 7, पृ. 189
16. काव्यालंकार-सूत्र वृत्ति, 1, 2, 6
17. राहुल सांकृतन (संपादन), हिन्दी काव्यधारा पृ. 22

भारत में कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

सुभाष कुमार भारती* डॉ. शशि बाला सिंह**

* शोध छात्र (भूगोल) दयानंद गर्ल्स पी. जी. कॉलेज, कानपुर सम्बद्ध- छात्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) भारत

** असिस्टेंट प्रोफेसर (भूगोल) दयानंद गर्ल्स पी. जी. कॉलेज, कानपुर सम्बद्ध- छात्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – जलवायु परिवर्तन भारत में कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करता है, भारत एक ऐसा देश जो आजीविका और भरण-पोषण के लिए अपने कृषि क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश की 55 प्रतिशत आबादी जलवायु संवेदनशील कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। इस सारांश का उद्देश्य मौजूदा शोध और टिप्पणियों के आधार पर भारत में कृषि और खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रेखांकित करना है। बढ़ते तापमान, परिवर्तित वर्षा प्रतिरूप, चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और बदलती जलवायु परिस्थितियाँ देश भर में कृषि उत्पादकता और खाद्य उत्पादन प्रणालियों को प्रभावित कर रही हैं। वर्षा प्रतिरूप में बदलाव जिसमें अनियमित मानसूनी बारिश और लंबे समय तक सूखा शामिल है फसल की खेती पानी की उपलब्धता और सिंचाई प्रथाओं के लिए चुनौतियाँ पैदा करता है। कृषि क्षेत्र गैस उत्सर्जन और भूमि उपयोग प्रभावों में एक प्रेरक शक्ति है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। कृषि भूमि का एक महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता और जीवाश्म ईंधन का उपभोक्ता होने के अलावा कृषि चावल उत्पादन और पशुधन पालन (कृषि एवं खाद्य संगठन, 2007) जैसी प्रथाओं के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सीधे योगदान देती है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आई.पी.सी.सी., 2001) के अनुसार पिछले 250 वर्षों में ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि के तीन मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन भूमि उपयोग और कृषि (आई.पी.सी.सी., 2001) रहे हैं। छोटे किसान जो भारत के कृषि कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं की असुरक्षा जलवायु परिवर्तन से प्रेरित जोखिमों जैसे कि फसल की विफलता कम पैदावार, कीटों और बीमारियों की बढ़ती घटनाओं के कारण बढ़ गई है। बाढ़, सूखा और चक्रवात सहित चरम मौसम की घटनाएं खाद्य उत्पादन को और खतरे में डालती हैं, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करती हैं और विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में खाद्य वितरण नेटवर्क को प्रभावित करती हैं। एक अनुमान है कि, 1975-76 से 2008-09 की अवधि के दौरान खाद्यान्न का क्षेत्रफल 126.18 मिलियन हेक्टेयर से गिरकर 122.83 मिलियन हेक्टेयर हो गया तथा 2020-21 में बढ़कर 129.34 हो गया। उस अवधि के दौरान उत्पादन में क्रमशः 121.03 मिलियन टन, 234.47 मिलियन टन तथा 308.65 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि खरीफ सीजन में खेती के रकबे में बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव होता है। कुछ मामूली उतार-चढ़ाव के साथ, खरीफ सीजन में खेती का क्षेत्रफल 1966-67 में 78.21 मिलियन हेक्टेयर, 1983-84 में 84.14 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2020-21 में बढ़कर 88.21 हो गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अपनाने के लिए व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता होती है जो जलवायु-लचीली कृषि प्रथाओं, जल प्रबंधन तकनीकों, फसल विविधीकरण और सिंचाई और भंडारण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे को एकीकृत करती हैं। संरक्षण कृषि, कृषि वानिकी और सटीक खेती जैसी जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रथाओं को अपनाने के माध्यम से कृषि प्रणालियों की लचीलापन बढ़ाने से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और किसानों के बीच अनुकूली क्षमता का निर्माण करने में मदद मिल सकती है। यह पेपर जलवायु परिवर्तन चुनौती पर साक्ष्यों की समीक्षा करता है, और भारत में कृषि और खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करता है। तथा भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान भी लगाता है।

शब्द कुंजी – भारतीय कृषि, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा।

प्रस्तावना – भारत एक बड़ा विकासशील देश है, जिसकी लगभग 55 प्रतिशत आबादी सीधे कृषि, मत्स्य पालन और वन (भारत सरकार) जैसे जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों पर निर्भर करती है। विभिन्न परिदृश्यों के तहत अनुमानित जलवायु परिवर्तन का खाद्य उत्पादन, जल आपूर्ति, जैव विविधता और आजीविका पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारतीय कृषि का एक बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर करता है, इसलिए मानसून के जल्दी/देर से आने के कारण कृषि, आवश्यक वस्तुओं के बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। देशों की वर्षा के पैटर्न में कोई भी बदलाव कृषि को प्रभावित करता है और इसलिए देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित

करता है। फिर भी ग्लोबल वार्मिंग मौसम प्रणाली के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है, जो संभावित रूप से लाखों छोटे, सीमांत और गरीब किसानों और उन सभी लोगों को प्रभावित कर सकती है जो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं (मित्रा अमित, 2009)।

विकास की प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से आर्थिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग शामिल होता है। हाल के वर्षों में यह स्पष्ट हो गया है कि गरीबी कम करने वाली किसी भी विकास रणनीति को टिकाऊ बनाने के लिए, उसे पर्यावरणीय चिंताओं और आम तौर पर सीमित प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग पर ध्यान देना चाहिए (चार्ल्स लेयेका लुफुम्पा,

2005)। यह विशेष रूप से भारत का मामला है जहां अधिकांश गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उनकी आजीविका प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर निर्भर है। जनसंख्या की आर्थिक भलाई में सुधार लंबे समय तक तभी कायम रह सकता है जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग संधारणीय तरीके से किया जाए। कृषि आमतौर पर विकसित दुनिया की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बड़ी भूमिका निभाती है।

उदाहरण के लिए, भारत में कृषि सकल घरेलू उत्पाद (भारत सरकार) का लगभग 15 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 2023, भारत सरकार) हिस्सा बनाती है और लगभग 45.5 प्रतिशत (एन.एस.एस.ओ. 2021-22) रोजगार प्रदान करती है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता गरीबों की भलाई के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जनसंख्या और आर्थिक विकास में तेजी से वृद्धि के कारण गंभीर पर्यावरणीय गिरावट हुई है जो पर्यावरणीय संसाधन आधार को कमजोर करती है जिस पर सतत विकास निर्भर करता है। विकास और विस्तार के मुद्दों की तुलना में पर्यावरण प्रदूषण, संसाधनों की कमी और गिरावट के अर्थशास्त्र को वास्तव में नजरअंदाज कर दिया गया है। भारत भी इस विश्वव्यापी परिघटना से अछूता नहीं रहा है। भारत में पर्यावरणीय गिरावट की प्रवृत्ति, इसकी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि के कारण अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक प्रमुख रही है। यह पेपर जलवायु परिवर्तन चुनौती पर साक्ष्यों की समीक्षा करता है, और भारत में कृषि और खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करता है। तथा भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान भी लगाता है।

भारत में कृषि- इसमें कोई संदेह नहीं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। निर्यात में कृषि उत्पादों की हिस्सेदारी भी पर्याप्त है, निर्यात आय में कृषि का हिस्सा 15 प्रतिशत है। कृषि विकास का गरीबी उन्मूलन पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है, और यह रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण कारक है। कृषि क्षेत्र गैस उत्सर्जन और भूमि उपयोग प्रभावों में एक प्रेरक शक्ति है। जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। भूमि का एक महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता और जीवाश्म ईंधन का उपभोक्ता होने के अलावा, कृषि चावल उत्पादन और पशुधन पालन (कृषि एवं खाद्य संगठन, 2007) जैसी प्रथाओं के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सीधे योगदान देती है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आई.पी.सी.सी.) के अनुसार पिछले 250 वर्षों में ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि के तीन मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन, भूमि उपयोग और कृषि (आई.पी.सी.सी., 2001) रहे हैं।

विश्व की बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के निरंतर प्रभावों के कारण अगले 10 वर्षों में वैश्विक भोजन की कमी पैदा होने का अनुमान है। भारत अपवाद नहीं है, उनकी 58 प्रतिशत कामकाजी आबादी कृषि पर निर्भर है और लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जहां कृषि आजीविका का सबसे बड़ा सहारा है। (आर्थिक आउटलुक, 2020-21)। जैसा कि जलवायु परिवर्तन, 21वीं सदी में कृषि के लिए एक प्रमुख चालक है, भारत में भोजन की मांग 2030 तक 345 मिलियन टन तक बढ़ जाएगी, जबकि वर्तमान उत्पादन 315.72 मिलियन टन है, जिससे भूमिजल, पूंजी, श्रम और अन्य बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से, जब लोगों ने ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन जलाना शुरू किया, तब से पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। भारत में, जहाँ गेहूँ की फसल अधिकतम तापमान में वृद्धि के प्रति संवेदनशील है, वहीं चावल की फसल न्यूनतम तापमान में वृद्धि के प्रति

संवेदनशील है। पानी की तीव्र कमी, तापमान तनाव के साथ मिलकर, उत्तर-पश्चिम भारत में गेहूँ और चावल दोनों की उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

भारत के कुल 329 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 174 मिलियन हेक्टेयर या कुल भूमि क्षेत्र का 53 प्रतिशत गंभीर निम्नीकरण से पीड़ित है। इसमें से, पानी और हवा के कटाव के अधीन क्षेत्र की मात्रा 144 मिलियन हेक्टेयर है और खरबें, लवणता, जल जमाव आदि जैसी विशेष समस्याओं के कारण नष्ट होने वाला क्षेत्र अन्य 30 मिलियन हेक्टेयर (कोटी रेड्डी टी., 2010) के लिए जिम्मेदार है। हमारी एक-तिहाई भूमि वनों के अधीन है, लगभग दो-तिहाई भूमि कृषि के अधीन है और लगभग सभी खेती योग्य बंजर भूमि, स्थायी चरागाह और चरागाह भूमि को संरक्षण उपायों की तत्काल आवश्यकता है (के.जी.तेजवानी, 1982)। पर्यावरण पर बेतरतीब चराई के प्रभाव चिंताजनक हैं। अत्यधिक चराई के कारण भूमि क्षरण के कारण देश के कई हिस्सों में रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा हो गई है।

इस विषय पर कुछ भारतीय अध्ययन हैं और वे आम तौर पर जलवायु परिवर्तन के साथ कृषि में गिरावट की समान प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किए गए हाल के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि बढ़ती अवधि के दौरान 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में प्रत्येक वृद्धि के साथ भविष्य में गेहूँ उत्पादन में 4-5 मिलियन टन की हानि होने की संभावना है (लेकिन कोई अनुकूलन लाभ नहीं)। इसमें यह भी माना गया है कि भविष्य में सिंचाई आज के स्तर पर ही उपलब्ध रहेगी। अन्य फसलों के लिए नुकसान अभी भी अनिश्चित है, लेकिन उनके अपेक्षाकृत कम होने की उम्मीद है, खासकर खरीफ फसलों के लिए। सिन्हा और स्वामीनाथन (1991) के अनुसार, तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से उच्च उपज वाले क्षेत्रों में चावल की उपज लगभग 0.75 टन प्रति हेक्टेयर कम हो सकती और सर्दियों के तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से गेहूँ की उपज 0.45 टन प्रति हेक्टेयर कम हो जाएगी। राव और शिना (1994) ने दिखाया कि कार्बन डाईऑक्साइड निषेचन प्रभावों पर विचार किए बिना गेहूँ की पैदावार 28-68 प्रतिशत के बीच घट सकती है। अग्रवाल और सिन्हा (1993) ने दिखाया कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से अधिकांश स्थानों पर गेहूँ की पैदावार कम हो जाएगी। ससीन्द्रन एट अल. (2000) से पता चला कि तापमान में प्रत्येक एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से के चावल की उपज में लगभग 6 प्रतिशत की गिरावट होगी। हाल की आईपीसीसी रिपोर्ट और कुछ अन्य वैश्विक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि 2080-2100 तक तापमान में वृद्धि के साथ भारत में फसल उत्पादन में 10 से 40 प्रतिशत नुकसान होने की संभावना है। भारतीय कृषि क्षेत्र पिछले छह वर्षों के दौरान 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। यह 2020-21 में 3.3 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में 3.0 प्रतिशत बढ़ा। हाल के वर्षों में, भारत तेजी से कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में भी उभरा है। 2020-21 में, भारत से कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान, कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन- खाद्य सुरक्षा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। फसलों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले तापमान और आर्द्रता जैसे जलवायु मापदंडों में किसी भी बदलाव का उत्पादित भोजन की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। अप्रत्यक्ष संबंध बाढ़ और सूखे जैसी विनाशकारी घटनाओं से संबंधित हैं, जिनके जलवायु

परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बढ़ने का अनुमान है, जिससे भारी फसल का नुकसान होता है और कृषि योग्य भूमि के बड़े हिस्से खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं, और इसलिए खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है (चौधरी अनीता, अग्रवाल पी.के, 2007)। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा भी संबंधित हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन किसी देश की अपने लोगों को खिलाने की क्षमता को सीधे प्रभावित कर सकता है। हालाँकि, शोध से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन सभी देशों को समान रूप से प्रभावित नहीं करेगा, और उप-सहारा अफ्रीका जैसे भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में इसका सबसे बड़ा प्रभाव होने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि पहले से ही खाद्य सुरक्षा से जूझ रहे देशों को भविष्य में और भी अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने चेतावनी दी है कि औसत वैश्विक तापमान में पूर्व-औद्योगिक स्तर से केवल 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में फसल की पैदावार में 15-35 प्रतिशत और 25-35 प्रतिशत की कमी हो सकती है। तेज आर्थिक विकास और सरकारी गोदामों में खाद्य भंडार के ढेर के बावजूद, भारत दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में भूखे और वंचित लोगों का घर है- यानी 360 मिलियन कुपोषित और 300 मिलियन गरीब लोग। भोजन की आपूर्ति बनाए रखना अपने आप में एक गंभीर मुद्दा बनकर उभर रहा है। पिछले कुछ दशकों में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि धीमी है।

वर्ष 2022 में गेहूँ की कटाई के मौसम के दौरान शुरुआती गर्मी की लहर देखी गई जिसने इसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2022-23 (केवल खरीफ) के लिए देश में खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित 149.9 मिलियन टन है जो पिछले 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के औसत खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है। धान के बोए गए क्षेत्र में गिरावट के बावजूद 2022-23 के दौरान खरीफ चावल का कुल उत्पादन 104.2 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के औसत चावल उत्पादन 100.5 मिलियन टन से अधिक है। मानसून में देरी और कम बारिश के कारण खरीफ सीजन में धान की खेती के लिए बुवाई क्षेत्र में भी गिरावट दर्ज की गई। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 (केवल खरीफ) के अनुसार, धान का रकबा 2021-22 (खरीफ मौसम) के दौरान 411.2 लाख हेक्टेयर के बोए गए क्षेत्र से लगभग 3.8 लाख हेक्टेयर कम था। इसके अलावा, चालू रबी सीजन में रबी धान के तहत क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में 6.6 लाख हेक्टेयर का विस्तार हुआ है (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप 12 जनवरी, 2023)

इसके अलावा, गरीबों के पास क्रय शक्ति का अभाव है। इससे खाद्यान्न भंडार में कृत्रिम अधिशेष पैदा हुआ और सरकार 2002-08 के दौरान सालाना औसतन लगभग सात मिलियन टन खाद्यान्न निर्यात करने में सक्षम हुई। शुद्ध खाद्यान्न उपलब्धता 1991 में प्रति व्यक्ति 510 ग्राम से घटकर 2007 में प्रति व्यक्ति 443 ग्राम प्रति दिन हो गई है (यू.एन.डी.पी., 2009) तथा 2021-22 बढ़कर 5141.6 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई है। इसका सबसे अधिक असर गरीबों पर पड़ता है क्योंकि महंगे फलों, सब्जियों, पोल्ट्री और मांस उत्पादों तक उनकी पहुंच बहुत कम होती है। उन्हें भोजन की जरूरत है लेकिन उनके पास क्रय शक्ति नहीं है। यह स्थिति मध्य और पूर्वी भारत में अधिक स्पष्ट है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में अंतर निर्धारित करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन के प्रति क्षेत्र और फसलों के अनुसार कृषि उत्पादन की संवेदनशीलता की जांच की। चित्र-1 भारत में खाद्यान्न उत्पादन का विवरण

देता है।

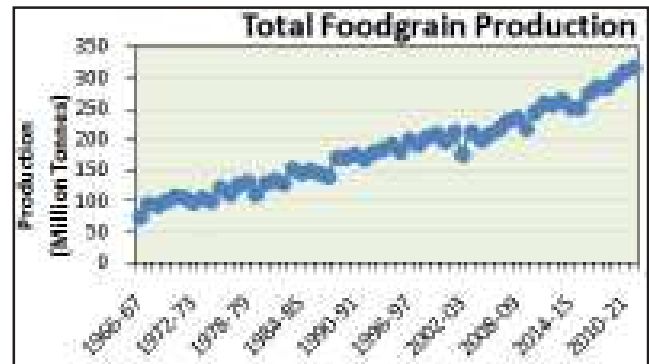


Fig.1. India's Food grains Production in Million Tonnes

भारत में 65 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि वर्षा आधारित है और भोजन और चारे की बढ़ती मांग को वर्षा आधारित क्षेत्रों में बढ़े हुए उत्पादन से पूरा करना होगा, क्योंकि खेती योग्य क्षेत्र या सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की बहुत कम गुंजाइश है। वर्तमान में लगभग 68.35 मिलियन हेक्टेयर भूमि बंजर भूमि के रूप में पड़ी हुई है, इसमें से लगभग 50 प्रतिशत गैर-वन भूमि है जिसे यदि उचित उपचार किया जाए तो इसे फिर से उपजाऊ बनाया जा सकता है। निम्नीकृत भूमि का घटक राजस्थान में सबसे अधिक है, इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का स्थान है। जहां भूमि क्षरण हल्का या मध्यम है, जो लागत की अपेक्षा कम उत्पादन देगा।

विश्व कृषि में भारत की स्थिति- भारत विश्व की घनी आबादी वाले देशों में से एक है जो तालिका-1 से स्पष्ट है। भारत ने 11.20 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि के साथ दुनिया की केवल 2.43 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया है, लेकिन दुनिया की 17.81 प्रतिशत आबादी को खिलाने के लिए बाध्य है। यह हमारे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है जो जलवायु परिवर्तन के खतरे के साथ और भी गंभीर होने वाली है। शायद यही कारण है कि हम विश्व कृषि में 22.3 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। यद्यपि विश्व जनसंख्या में हमारी हिस्सेदारी 17.81 प्रतिशत है लेकिन कुल सक्रिय जनसंख्या में हमारी हिस्सेदारी केवल 14.8 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि हम न केवल घनी आबादी वाले हैं बल्कि हमारी निर्भरता दर भी उंची है। तालिका-1 से एक दिलचस्प तथ्य यह समझा जा सकता है कि विश्व की आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी 20.2 प्रतिशत और विश्व कृषि उत्पादन में 22.3 प्रतिशत है, जो दर्शाता है कि भारतीय श्रम शक्ति किसी भी अन्य देशों की तुलना में अधिक कुशल है। यह मानते हुए कि अन्य कारक समान रहेंगे।

भारत में 536 मिलियन (दुनिया का 31 प्रतिशत) की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है, जिसमें वर्ष के आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि दर से 198 मीट्रिक टन दूध उत्पादन होता है (आईबीईएफ, 2020)। पशुधन और मत्स्य पालन के साथ 852 मिलियन (डी.ए.एच.डी., 2020) में पोल्ट्री का योगदान है। चावल और दालों के उत्पादन को छोड़कर दुनिया में अनाज, तिलहन, फल और सब्जियों का हिस्सा भी जनसंख्या की तुलना में कम है। यह हरित क्रांति तथा अन्य तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तनों के बाद भी विश्व में भारत की कृषि की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। व्यावसायिक फसलों के मामले में हम बेहतर स्थिति में हैं। विश्व गन्ना उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी 19.87 प्रतिशत, जूट उत्पादन में 48.42 प्रतिशत और चाय और

कपास उत्पादन में क्रमशः 20.16 प्रतिशत और 16.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। लेकिन विश्व उत्पादन में ग्रीन कॉफी और तम्बाकू की हिस्सेदारी क्रमशः 2.96 प्रतिशत और 13.18 प्रतिशत के बराबर बेहद कम है। तालिका-1 से पता चलता है कि विश्व पशुधन में भारत का हिस्सा और भैंसों को छोड़कर जहां हमारा हिस्सा असाधारण रूप से बहुत अधिक है अर्थात् 54.6 प्रतिशत है, पशु उत्पाद विश्व की जनसंख्या में इसके हिस्से से भी कम है। कृषि में ट्रैक्टरों के उपयोग के संदर्भ में भी हमारी हिस्सेदारी 10.7 प्रतिशत है।

तालिका 1 - (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

मामलों में विश्व कृषि में भारत की हिस्सेदारी जनसंख्या से कम है, सिवाय कुछ को छोड़कर जो खाद्य सुरक्षा का बोझ बढ़ाते हैं। कृषि योग्य भूमि पर भविष्य में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव के परिणामस्वरूप अनाज की फसल के उत्पादन और इन फसलों के शुद्ध राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अनाज (गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, कसावा, राई और जई) लोगों के आहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (श्लेनकर और लोबेल 2010, वार्ड एट अल., 2010)।

भारत में जलवायु परिवर्तनशीलता और खाद्यान्न उत्पादन- ध्यातव्य है कि जलवायु-संवेदनशील क्षेत्र (वन, कृषि, तटीय क्षेत्र) और प्राकृतिक संसाधन (भूजल, मिट्टी, जैव विविधता, आदि) पहले से ही सामाजिक-आर्थिक दबावों के कारण तनाव में हैं। जलवायु परिवर्तन से संसाधन क्षरण और सामाजिक-आर्थिक दबाव के बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार, भारत जैसे देशों में बड़ी आबादी जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों और कम अनुकूल क्षमता पर निर्भर है, उन्हें अनुकूलन रणनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करना है (सथाये, शुक्ल और रवींद्रनाथ, 2006)।

तालिका 2 - (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

खाद्य, पोषण और पर्यावरणीय सुरक्षा के संदर्भ में देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निर्धारण करने में कृषि और संबद्ध क्षेत्र आगे रहते हैं। विरोधाभासी रूप से, 80 प्रतिशत भूमि द्रव्यमान सूखे, बाढ़ और चक्रवातों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में वर्ष दर वर्ष उत्तरार्द्ध की आवृत्ति और गंभीरता बढ़ रही है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण (बेनामी, 2020ए) और भारतीय आबादी के बीच 6-7 प्रतिशत (बेनामी, 2020 बी) की गरीबी, फसल की खेती हेतु सिकुड़ती भूमि, बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, पर्यावरण चेतना और खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं के साथ बदलती जीवन शैली समानांतर चल रही है। भारत के खाद्यान्न उत्पादन का प्रदर्शन निम्नलिखित तालिका 2 और चित्र 2 में दिया गया है। कृषि क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि किसी क्षेत्र/देश की जलवायु वनस्पति और फसलों की प्रकृति और विशेषताओं को निर्धारित करती है। भारतीय जलवायु में भिन्नता के कारण हमारे देश के अधिकांश हिस्से बड़े पैमाने पर फसलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन भारतीय मिट्टी खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं और चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। गेहूं का उत्पादन रबी मौसम में किया जाता है जब बारिश सीमित होती है। इस कारण गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां सिंचाई की उपलब्धता सुनिश्चित है (मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश) जो उचित में मदद करता है हरित क्रांति का कार्यान्वयन में उचित मदद करता है और ज्यादातर देशों के उत्तरी भाग तक सीमित हो गया। चूंकि गेहूं का उत्पादन बहुत हद तक सुनिश्चित सिंचाई पर निर्भर है, इसलिए तापमान परिवर्तन से गेहूं उत्पादन को प्रभावित होने की आशंका है।

चावल खरीफ मौसम की एक प्रमुख फसल है जिसमें बड़ी मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है जो मानसून के माध्यम से इस मौसम के दौरान भारत में उपलब्ध होती है। पूरे मौसम में लगातार बारिश से तापमान में उतार-चढ़ाव भी बना रहता है। इसलिए माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव न केवल मौसम के दौरान फसलों पर अधिक पड़ता है बल्कि वर्षा की मात्रा एवं प्रारूप में परिवर्तन के माध्यम से तापमान परिवर्तन पर भी पड़ता है। इसका विश्लेषण निम्न तालिका से आसानी से किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को इस तथ्य से आसानी से देखा जा सकता है कि खरीफ सीजन में कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव होता है। खरीफ मौसम में कृषि क्षेत्र कुछ मामूली उतार-चढ़ाव के साथ 1966-67 में 78.21 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 1983-84 में अधिकतम 84.14 मिलियन हेक्टेयर तथा 2021-2022 में घटकर 72.99 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। लेकिन उसके बाद बारिश में उतार-चढ़ाव और तापमान प्रारूप में परिवर्तन में के साथ कृषि क्षेत्र में लगातार गिरावट आई है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि जब कृषि क्षेत्र में गिरावट आई तो इसने कुल उत्पादन के साथ-साथ उत्पादकता को भी कम कर दिया और जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट संकेत दिया है। फसलों के मौसम के दौरान फसलों की खेती में जलवायु परिवर्तन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

खरीफ मौसम की तुलना में रबी मौसम में कृषि क्षेत्र में उतार-चढ़ाव कम है जो सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता के कारण हो सकता है। कृषि क्षेत्र में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ उत्पादन में उतार-चढ़ाव भी महसूस किया गया है। यह सच बात है कि सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता के साथ, जलवायु परिवर्तन के लिए रबी फसलों की भेद्यता कम हो गई है, लेकिन फिर भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव रबी की फसलों पर भी पड़ा है। कुल खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भी यही परिणाम पता लगाया जा सकता है। खाद्यान्न के उत्पादन और उपज में परिवर्तन हमेशा कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के साथ होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि जो कारक कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिये उत्तरदायी हैं, वे उन फसलों के उत्पादन एवं उपज के लिये भी उत्तरदायी हैं जिनमें जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं हावी है।

निष्कर्ष- इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि भारत में समग्र आर्थिक और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि अभी भी पचास प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। अतः ग्लोबल वार्मिंग, वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के तेजी से बढ़ते स्तर जैसे अनेक कारकों का कृषि प्रणालियों एवं खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अनुमानों से पता चलता है कि 1975-76 से 2008-09 की अवधि के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का क्षेत्र 126.18 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 122.23 मिलियन हेक्टेयर हो गया, जबकि उस अवधि के दौरान उत्पादन में 121.03 मिलियन टन से 234.47 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2008-09 में खाद्यान्न उत्पादन काफी प्रभावशाली रहा जो वर्ष 1966-67 के 74.23 मिलियन टन उत्पादन के मुकाबले तीन गुने से भी अधिक रहा। जबकि 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र बढ़कर 130.53 मिलियन हेक्टेयर एवं उत्पादन बढ़कर 315.72 मिलियन टन हो गया है। हालांकि देश की अपनी लगातार बढ़ती आबादी जिसके 2030 तक 1.5 बिलियन (संयुक्त राष्ट्र) तक पहुंचने की संभावना है का भरण पोषण करने हेतु 2030 तक खाद्यान्न की मांग 345 मिलियन टन है। इस बड़ी हुई आबादी से भोजन की मांग को पूरा करने के लिए, देश के किसानों को 2030 तक अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने की

आवश्यकता है। भारत को 2030 तक पांच लोगों को खिलाने के लिए एक हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी जबकि वर्तमान में दो हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। इसी प्रकार, प्रति व्यक्ति पोषण आवश्यकता वर्तमान 2,495 किलो कैलोरी/व्यक्ति से बढ़कर 3000 किलो कैलोरी/व्यक्ति हो जाएगी जिसके लिए प्रति वर्ष 5.5 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। शहरी क्षेत्रों में निरंतर ग्रामीण प्रवास, धन में वृद्धि और मांस और डेयरी से भरपूर आहार की ओर बढ़ने से जनसांख्यिकी और भोजन की आदतों में बदलाव आया।

अध्ययन से यह भी पता चलता है कि खरीफ मौसम में कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव होता है। खरीफ मौसम में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कुछ मामूली उतार-चढ़ाव के साथ 1966-67 में 78.28 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 1983-84 में अधिकतम 84.14 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। लेकिन उसके बाद बारिश में उतार-चढ़ाव और तापमान पैटर्न में बदलाव के साथ 2009-10 तक कृषि क्षेत्र में लगातार गिरावट आई। किंतु देश में विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों के मध्यम से वर्ष 2010-11 (126.67 मि. हे.) से कृषि क्षेत्र में लगातार वृद्धि दर्ज की गई जो वर्ष 2021-22 में 130.53 मिलियन हेक्टेयर तक हो गई है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि जब कृषि क्षेत्र गिरावट हुआ हो तो इसने कुल उत्पादन के साथ-साथ उत्पादकता को भी कम कर दिया है और स्पष्ट संकेत दिया है कि फसलों के मौसम के दौरान फसलों की खेती में जलवायु परिवर्तन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खरीफ मौसम की तुलना में रबी के मौसम में कृषि क्षेत्र में मौसमी उतार-चढ़ाव कम है जो सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता के कारण हो सका है। कृषि क्षेत्र में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ उत्पादन में भी उतार-चढ़ाव महसूस किया जाता है। हालांकि यह सच बात है कि सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता के साथ जलवायु परिवर्तन की भेद्यता रबी फसलों पर कम हुआ है लेकिन अभी भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव रबी की फसलों पर पड़ रहा है। भारत लगातार उच्च आर्थिक और तकनीकी विकास के साथ एक बढ़ती हुई वैश्विक शक्ति है, फिर भी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा घट रहा है। कृषि भारत की 1.38 बिलियन आबादी में से लगभग 58 प्रतिशत को आजीविका प्रदान करती है। खाद्यान्न और बागवानी फसलों का उत्पादन 142 मिलियन हेक्टेयर से क्रमशः 296 और 320 मिलियन मीट्रिक टन है, जो स्पष्ट आत्मनिर्भरता के लिए अग्रणी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Agarwal, B., "Social Security and the Family in Rural India: Coping with Seasonality and Calamity" *Journal of Peasant Studies*, 1990, 17, 341-412.
2. Aggarwal, P.K., and Sinha, S.K., 1993, "Effect of Probable Increase in Carbon Dioxide and Temperature on Productivity of Wheat in India" *Journal of Agricultural Metrology*.
3. Bhattacharya, Sumana; Sharma, C., Dhiman, R.C., and Mitra, A.P., "Climate Change and Malaria in India" *Current Science*, February 2006, 90, 369-375.
4. Chaudhry, Anita and Aggarwal, P.K., 2007, "Climate Changes and Food Security in India", *Indian Agriculture Research Institute*, New Delhi
5. Dasgupta, Susmita, Laplante, Benoit, Meisner, Craig, Wheeler, David; and Yan, Jinping, "The Impacts of Sea Level Rise on Developing Countries: A Comparative Analysis" *Policy Research Working Paper 4136*, 2007, World Bank, Washington, D.C.
6. Dasgupta, Susmita; Laplante, Benoit; Meisner, Craig; Wheeler, David; and Yan, Jinping, "The Impacts of Sea Level Rise on Developing Countries: A Comparative Analysis" *Policy Research Working Paper 4136*, 2007, World Bank, Washington, D.C.
7. Dash, Biswanath, "Lessons from Orissa Super Cyclone: Need for Integrated Warning System" *Economic and Political Weekly*, October 2002, 37(42), pp. 4270-4271.
8. FAO, 2007, "Food and Agriculture Organization of the UN" Retrieved June 25.
9. FAO, 2008, "Climate Change and Food Security: A Framework Document." *Food and Agriculture Organization Interdepartmental working group on climate change*. www.fao.org/clim/docs/climatechange_foodsecurity.pdf.
10. IPCC, 2001, *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*
11. Kavi Kumar, K.S. and Parikh, Jyoti, "Indian Agriculture and Climate Sensitivity" *Global Environmental Change*, 2001, 11, pp: 147-154
12. Koty Reddy T., 2010, "Impact of Environment on Poverty in India" *The Indian Economy Review*, Vol. vii, March Issue, p. 28.
13. Malli, Singh, Gupta, A., Srinivasan, G. and Rathore, S., 2006, *Impact of Climate Change on Indian Agriculture: A Review*. Springer Publication, pp. 445-478.
14. Mitra Amit, 2009, "Climate changes: Adaptation Activities in India", *Gorakhpur Environmental Action Group*, Gorakhpur U.P.
15. Sathaye Jayant, Shukla P. R., and Ravindranath N. H., 2006, "Climate change, sustainable development and India: Global and national concerns" *Current Science*, vol. 90, No. 3. February, p. 319.
16. Sinha, S.K. and Swaminathan, M.S., 1991, "Deforestation Climate Change and Sustainable Nutrients Security", *Climate Change* 16, pp. 33-45.
17. Sinha, S.K. Singh, M. Rai, 1994, "In Decline in Crop Productivity in Haryana and Punjab: Myth or Reality?" *Indian Council of Agricultural Research*, New Delhi, p. 89
18. Praduman Kumar, P.K. Joshi and Pratap S. Bithal, "Demand Projections for Foodgrains in India", *Agricultural Economics Research Review*, 22(2009): 237
19. "Rome Declaration on World Food Security", Rome, November 13-7, 1996. <http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.HTM>.
20. Parry et al., "Climate Change and Hunger: Responding to the Challenge", Rome: World Food Programme, 2009, http://www.preventionweb.net/files/12007_wfp212536.pdf
21. "Climate change and food security: risks and responses", *Food and Agriculture Organisation*, 2016. <http://www.fao.org/3/a-i5188e.pdf>

Table 1. India's Position in World Agriculture in 2020

1. Area (Million Hectares), **2. Population*** (Million), **3. Economically Active Population*** (Million), **4. Crop Production** (Million Tonnes, **5. Fruits & Vegetables** (Million Tonnes), **6. Livestock** (Million Heads), **7. Dairy Products**, **8. Implements** (Thousand s numbers) **

Item	India	World	% Share	India's Rank
1. Area (Million Hectares)				
Total Area	328.73	13500.32	2.43	Seventh
Land Area	297.32	13031.20	2.28	Seventh
Arable Land	155.37	1387.17	11.20	Second
2. Total Population* (Million)	1396.39	7840.95	17.81	Second
Agriculture	583	2617	22.3	Second
3. Economically Active Population* (Million)				
Total	472	3178	14.8	Second
Agriculture	262	1295	20.2	Second
4. Crop Production (Million Tonnes)				
(A) : Total Cereals	342.11	3006.63	11.38	Third
Wheat	107.86	756.95	14.25	Second
Rice (Paddy)	186.50	769.23	24.25	Second
(B): Pulses	23.32	90.10	25.88	First
(C): Oilseeds				
Groundnut (excluding shelled)	9.95	53.79	18.50	Second
Rapeseed	2.52	25.18	10.01	Fourth
(D): Commercial Crops				
Sugarcane	371	1865	19.87	Second
Tea	5.48	27.20	20.16	Second
Coffee (green)	0.32	10.80	2.96	Ninth
Jute	1.70	3.51	48.42	Second
Tobacco Unmanufactured	0.77	5.81	13.18	Second
Cotton	5.84	24.50	23	Second
5. Fruits & Vegetables (Million Tonnes)				
(A): Vegetables Primary	135.29	1138.74	11.88	Second
(B): Fruits Primary	106.97	899.56	11.89	Second
(C): Potatoes	48.56	371.14	13.08	Second
(D): Onion (Dry)	26.09	104.56	24.95	First
6. Livestock (Million Heads)				
(A): Cattle	194.93	1523.29	12.80	Second
(B): Buffaloes	109.74	201.18	54.55	First
(C): Camels	0.22	38.66	0.58	Twenty first
(D): Sheep	75.60	1264.09	5.98	Second
(E): Goats	150.63	1115.29	13.51	First
(F): Chickens	824.33	25562.87	3.22	Seventh
7. Dairy Products (Million Tonnes)				
(A): Milk Total	210.19	914.48	22.99	First
(B): Eggs (Primary) Total	6.71	93.34	7.19	Second
(C): Meat, Total	4.52	137.03	3.30	Fifth
8. Implements (Thousands numbers)**				
Agricultural Tractors-in-use	3149	29320	10.7	Second

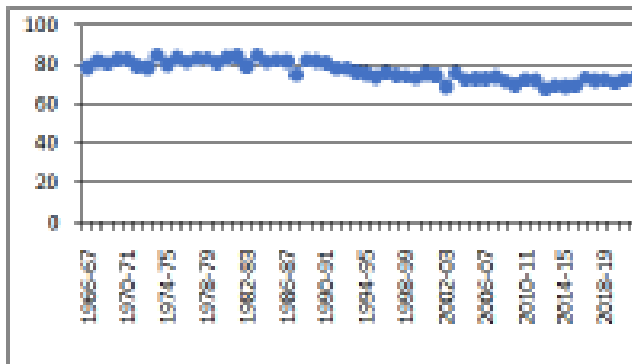
Source: FAOSTAT (as on 29.03.2023)

Table 2. मौसम के अनुसार खाद्यान्न का क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज

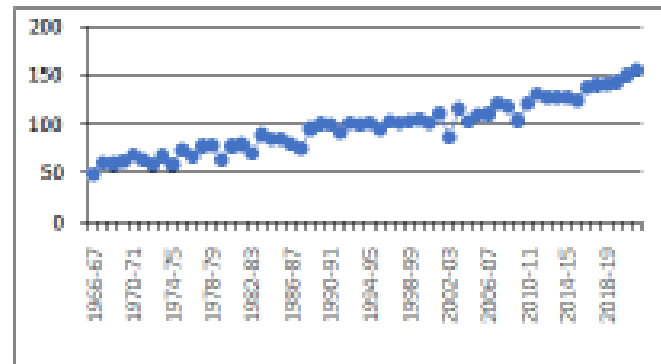
Year	A - Area in Million Hectares			P - Production in Million Tonnes			Y - Yield in Kg./Hectare		
	Kharif			Rabi			Total		
	A	P	Y	A	P	Y	A	P	Y
1966-67	78.21	48.89	625	37.09	25.34	683	115.30	74.23	644
1967-68	81.49	60.67	746	39.93	34.29	859	121.42	95.05	783
1968-69	80.40	59.57	741	40.03	34.44	860	120.43	94.01	781
1969-70	82.30	62.35	758	41.27	37.15	900	123.57	99.50	805
1970-71	82.36	68.92	837	41.96	39.50	941	124.32	108.42	872
1971-72	79.22	62.99	795	43.40	42.18	972	122.62	105.17	858
1972-73	78.34	58.64	749	40.94	38.39	938	119.28	99.83	813
1973-74	84.12	67.84	806	42.42	36.83	868	126.54	121.03	827
1974-75	79.74	59.10	741	41.34	40.73	985	121.08	99.83	824
1975-76	83.15	73.89	889	45.03	47.14	1047	128.18	121.03	944
1976-77	81.18	66.53	820	43.18	44.64	1034	124.36	111.17	894
1977-78	82.88	77.72	938	44.64	48.69	1091	127.52	126.41	991
1978-79	82.85	78.08	942	46.16	53.82	1166	129.01	131.90	1022
1979-80	80.79	63.25	783	44.42	46.45	1046	125.21	109.70	876
1980-81	83.21	77.65	933	43.46	51.94	1195	126.67	129.59	1023
1981-82	83.93	79.38	946	45.21	53.92	1193	129.14	133.30	1032
1982-83	79.08	69.90	884	46.02	59.62	1296	125.10	129.52	1035
1983-84	84.14	89.23	1066	47.02	63.14	1343	131.16	152.37	1162
1984-85	81.18	84.52	1041	45.49	61.-2	1341	126.67	145.54	1149
1985-86	81.80	85.25	1042	46.22	65.19	1410	128.02	150.44	1175
1986-87	81.46	80.20	985	45.74	63.22	1382	127.20	143.42	1128
1987-88	74.89	74.56	996	44.80	65.79	1469	119.69	140.35	1173
1988-89	82.03	95.64	1166	45.64	74.28	1628	127.67	169.92	1331
1989-90	81.40	100.99	1241	45.37	70.05	1544	126.77	171.04	1349
1990-91	80.87	99.44	1231	47.06	76.95	1635	127.84	176.39	1380
1991-92	78.02	91.59	1174	43.85	76.79	1751	121.87	168.38	1382
1992-93	77.92	101.47	1302	45.23	78.01	1725	123.15	179.48	1457
1993-94	75.81	100.40	1324	46.94	83.86	1787	122.75	184.26	1501
1994-95	75.19	101.09	1344	48.67	90.41	1858	123.86	191.50	1546
1995-96	73.60	95.12	1292	47.42	85.30	1799	121.02	180.42	1491
1996-97	75.34	103.82	1379	48.24	95.52	1980	123.58	199.34	1613
1997-98	74.37	101.58	1370	49.70	90.68	1825	124.07	192.26	1550
1998-99	73.99	102.91	1391	51.18	100.69	1967	125.17	203.60	1627
1999-00	73.24	105.51	1441	49.87	104.29	2091	123.11	209.80	1704
2000-01	75.22	102.09	1357	45.83	94.73	2067	121.05	196.81	1626
2001-02	74.23	112.07	1510	48.55	100.78	2076	122.78	212.85	1734
2002-03	68.56	87.22	1272	45.30	87.55	1933	113.86	174.77	1535
2003-04	75.44	117.00	1551	48.01	96.19	2004	123.45	213.19	1727
2004-05	72.26	103.31	1430	47.82	95.05	2004	120.08	198.36	1652
2005-06	72.72	109.87	1511	48.88	98.73	2020	121.60	208.60	1715
2006-07	72.67	110.58	1522	51.04	106.71	2091	123.71	217.28	1756
2007-08	73.58	121.00	1644	50.49	109.77	2174	124.07	230.78	1860
2008-09	71.45	118.18	1654	51.39	116.28	2263	122.85	234.47	1909
2009-10	69.51	104.00	1496	51.83	114.11	2202	121.34	218.11	1798
2010-11	72.42	120.90	1669	54.25	123.60	2278	126.67	244.50	1930
2011-12	72.08	131.27	1821	52.67	128.01	2430	124.75	259.29	2078
2012-13	67.69	128.07	1892	53.09	129.06	2431	120.78	257.13	2129
2013-14	69.05	128.69	1864	55.99	136.35	2435	125.04	265.04	2120
2014-15	68.77	128.06	1862	55.53	123.96	2232	124.30	252.02	2028
2015-16	69.20	125.09	1808	54.01	126.45	2341	123.22	251.54	2041
2016-17	73.20	138.33	1890	56.03	136.78	2441	129.23	275.11	2129
2017-18	72.00	140.47	1951	55.53	144.55	2603	127.52	285.01	2235
2018-19	72.33	141.52	1957	52.45	143.69	2740	124.78	285.21	2286
2019-20	70.86	143.81	2029	56.13	153.69	2738	126.99	297.50	2343
2020-21	72.44	150.58	2079	57.35	160.17	2793	129.80	310.74	2394
2021-22*	72.99	156.04	2138	57.54	159.68	2775	130.53	315.72	2419

Source : E&S Division, DA&FW, * Fourth Advance Estimates.

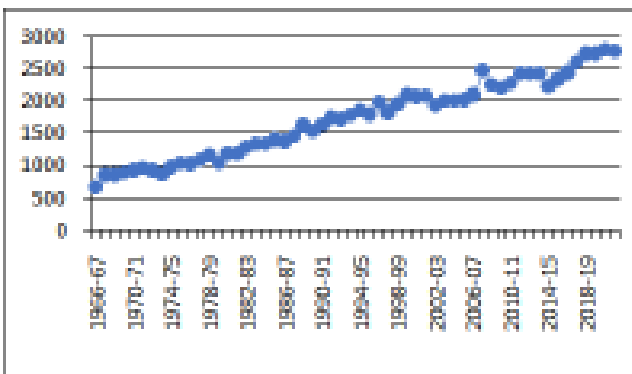
Area under Kharif Crops



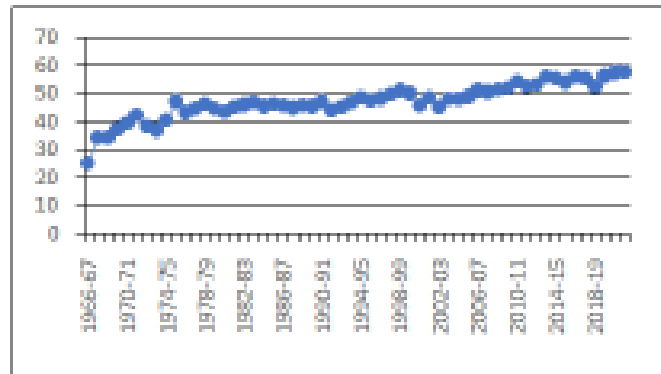
Production of Kharif Crops



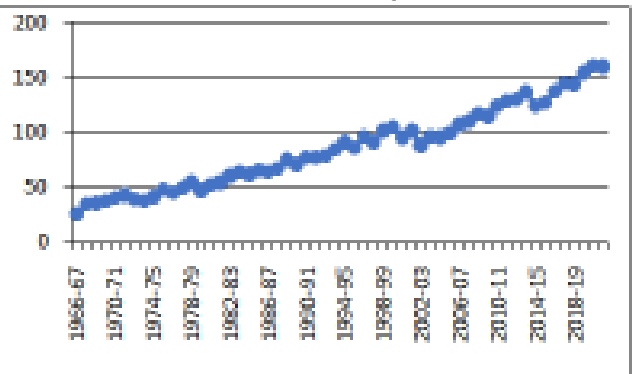
Yield of Kharif Crops



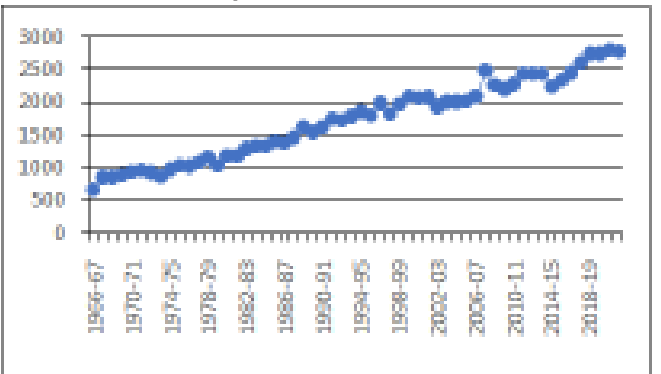
Area under Rabi Crops



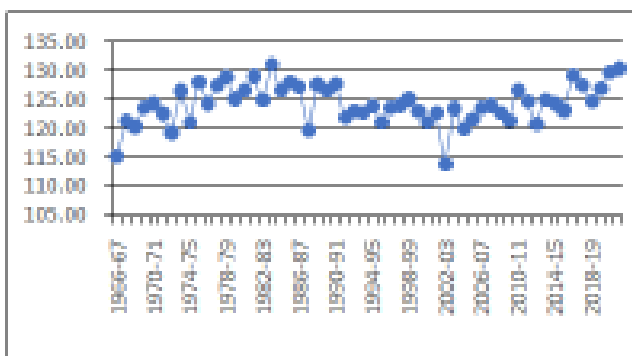
Production of Rabi Crops



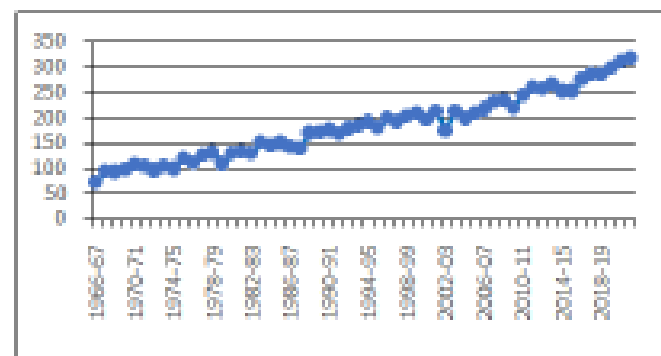
Yield of Rabi Crops



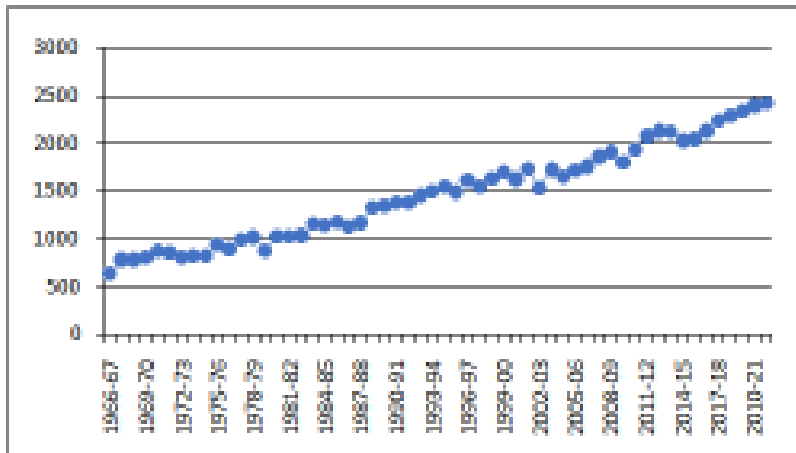
Area Under of Total Crops



Production of Total Crops



Yield of Total Crops



भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं पर्यावरण

डॉ. जी. एल. मालवीय* डॉ. खुमेश सिंह ठाकुर**

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) सुभद्रा शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सुभद्रा शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – संस्कृति शब्द सम् उपसर्ग पूर्वक 'कृ' धातु से कृत प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है- उत्तम बनाना, संशोधन करना अथवा परिष्कार करना। इसमें पैतृक निपुणता, श्रेष्ठाताये, कला-प्रियता, विचार, आदते और विशेषतायें सम्मिलित रहती है। इस प्रकार संस्कृति का संबंध धर्म एवं दर्शन से लेकर सामाजिक परम्पराओं रीति-रिवाजों तथा मानव जीवन की सभी महत्वपूर्ण वैचारिक क्रियाओं से रहता है। डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल ने यजीवन के नानाविध रूपों के समुदाय को तथा डॉ. हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने सभ्यता के आंतरिक प्रभाव को संस्कृति माना है। इस प्रकार संस्कृति का न केवल मानवीय संस्कारों से अपितु मानव जीवन के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, दार्शनिक एवं साहित्यिक सभी प्रकार के विकास क्रमों से सतत संबंध रहा है।

निष्कर्षतः संस्कृति के माध्यम से ही मनुष्य अपने श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों की प्राप्ति में अग्रसर एवं प्रयासरत होता है। इसी सतत् प्रवहणशील सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति समाज अथवा राष्ट्र अपनी सर्वविध कलात्मक अभिवृत्तियों को क्रियान्वित करता है। भारतीय संस्कृति की कतिपय ऐसी मौलिक विशिष्टतायें हैं जिनके कारण यह आज भी संसार की अन्य संस्कृतियों के लिये अनुकरणीय एवं प्रेरणास्पद बनी हुई है।

प्रकृति का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। सामान्य रूप से हरी-भरी प्रकृति ही पर्यावरण की समृद्धि है। यहाँ हरी से तात्पर्य सुजला सुफला, मलयज शीतला, शस्य श्यामला धरती से है तथा 'भरी' से तात्पर्य पशु-पक्षी, जीव-जन्तुओं की समानुपातिक अभिवृद्धि से है। यह पर्यावरण की अदभुत महिमा है जिसने पृथ्वी को जीवित जगत् का महनीय स्वरूप प्रदान किया। सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही प्राणियों के लिये अनुकूल पर्यावरण उपलब्ध है। मानव सहित सभी पशु-पक्षी, जीव-जन्तु, वृक्ष, वनस्पतियाँ पर्यावरण की दुर्लभ देन है। यह पृथ्वीतल पर परिव्याप्त प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ वरदान है। प्रकृति का सृष्टिकाल से चला आ रहा अनुशासन है। पर्यावरण का संतुलन न केवल हमारी संस्कृति एवं सभ्यता के लिये अपितु शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा सुख-शांति के लिये भी आवश्यक है। यदि भौतिक उपभोग वाद की प्रवृत्ति इसी तरह अनियंत्रित रूप से बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं होगा जब हम खुली हवा में श्वास नहीं ले सकेंगे, वृक्ष-वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले कन्दमूल फल-फूल खा नहीं सकेंगे, तथा प्रकृति प्रदत्त नदी, कूप, तालाबादि का जल पी नहीं सकेंगे। ऐसी स्थिति में आधुनिक विकासशील संस्कृति की सारी अवधारणायें व्यर्थ हो जायेगी। इसी प्रकार

चाहे साहित्य सर्जना की बात हो अथवा सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात हो या मानवीय मूल्यों या संस्कारों के निर्माण की बात हो क्षेत्रीय परिवेश (पर्यावरण) की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है एक ओर जहाँ साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब होता है वहीं समाज अपनी परिस्थितियों की उपज होता है तथा ये दोनों मिलकर संस्कृति के निर्माण में सहायक होते हैं। किसी भी व्यक्ति अथवा समाज की चेतना उसकी क्षेत्रीय संस्कृति की जातीय सम्पत्ति होती है। इसलिये पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के मूल में संस्कृति का अवदान स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। प्राचीनकाल में जब संसार के अन्य देशों में संस्कृति का सूर्योदय नहीं हुआ था उस समय भारतीय अरण्य संस्कृति की सुषमा अपने ज्ञान-विज्ञान के आलोक से सम्पूर्ण भूमंडल को आलोकित कर रही थी। इस संदर्भ में निम्न पौराणिक कथन द्रष्टव्य है-

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादद्य जन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं शिखरेण पृथिव्यां सर्वमानवाः॥

संस्कृति एवं पर्यावरण का मानव जीवन से अटूट संबंध होता है। इनमें से एक के भी अभाव में जीवन के सद्भाव की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत के भौगोलिक पर्यावरण में जहाँ देश की एकता एवं संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखा वहीं भारतीय संस्कृति अपनी सूक्ष्म एवं व्यापक विचारधारणाओं से पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया। भारतीय सांस्कृतिक अवधारणा सदैव पर्यावरण पोषण की पक्षधर रही है। इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है, उसका एक महत्वपूर्ण संवेदनशील अंग है अतएव यदि प्रकृति का भली-भांति पोषण होता रहा तो उसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करता हुआ मनुष्य धर्म पूर्वक अर्थ एवं काम का संचय करके जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।

'भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा॥'

विश्व की समस्त संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति ही मूल एवं सर्वोत्कृष्ट है। भारतीय संस्कृति का उद्गम है वैदिक वाङ्मय के आदि साहित्य ऋग्वेद से हुआ है। यहीं से भारतीय संस्कृति की अजब धारा आज तक इस देश में प्रवाहित होती चली आ रही है। इस पवित्र धारा में समुचित विधि से अवगाहन करने की सुविधा के लिये हमारे ऋषियों, मनीषियों तथा आचार्यों ने वेद, वेदांग, स्मृति, दर्शन, पुराण, इतिहास और काव्य-ग्रंथ आदि रूपों में अनेक पवित्र घाट बनाये हैं। इन पवित्र घाटों पर उतरकर इन्द्रिय निग्रह पूर्वक, बाह्य आवरणों को हटाकर हम गहराई में प्रवेश कर अवगाहन पूर्वक स्वयं को पुनीत करते हैं या कर सकते हैं। तत्पश्चात् अपना सन्मार्ग तय करते हैं।

भूलोक अन्य लोकों में अत्यंत महनीय लोक है। यही चराचर जगत्

नाम से विख्यात है। इसे ही कर्मभूमि कहा गया है। **'मनः शिवसंकल्पमस्तु शुक्लयजुर्वेद (Practical part of the ved)** की इस ऋचा पर प्रथमतः विचार करें- जैसे ही मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेता है तो कुछ करने के लिये आतुर हो जाता है। ठीक उसी क्षण यह वैदिक ऋचा पहले मन को शिवसंकल्प (परम लक्ष्य) से युक्त करने की प्रेरणा देती है। जिससे मन संचालित सिद्ध हो सके। वस्तुतः इस संसार में मनुष्य किसान है, धर्म उसका खेत है। कर्म उसका बीज है, संस्कृति ही सिंचाई है और 18 भोग उसका फल है। मनुष्य को इस ओर सचेत करता हुआ कवि कहता है- **'धर्मेण हीनः पशुभिः समानः।'** गीता कहती है- **'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।'** हिन्दी साहित्यकार कहता है- बोये पेड़ बबूल का आम कहां से खाया। इसे और स्पष्ट करता हुआ संस्कृत कवि कहता है- **'अवश्य मेव भोक्तव्यं कृतं कर्म, शुभाशुभम्।'** महाभारत में धर्म को क्षेत्र (खेत) कहा गया है। **'माता भूमिः'** वाक्य के अनुसार भूमि को माता कहा गया है। वैदिक साहित्य में **'यज्ञाद् भवति पर्जन्यः पर्जन्याद्, अन्नं सम्भवः अन्नं भवन्ति भूतानि.....'** कहा गया है। मूर्धान्य ग्रन्थ बृहत्संहिता में तो- **'अन्नं वे जगतः प्राणाः'** कहा गया है।

उपर्युक्त वाक्यों पर विचार करें तो हम पायेंगे कि जिस प्रकार 'आदिमध्यान्त हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने' के अनुसार परमात्मा के दो रूप हैं- अमूर्तरूप और मूर्तरूप, उसी प्रकार 'धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम' के अनुसार धर्म स्वयं में अमूर्तरूप है और धरती उसका मूर्त रूप। वस्तुतः धर्म ही मूर्तरूप में होकर धरती नाम से सर्वत्र विख्यात है। जैसे धर्म में धारण करने का अमूर्त गुण विद्यमान होता है, वैसे ही धरती में भी धारण करने का मूर्त गुण प्रत्यक्ष है। परिणामतः वह धारयित्री पालयित्री रूप में सहजरूपेण परिचिता है। यही कारण है कि हमारे धर्म-ग्रंथ भगवद् गीता का प्रारंभ **'धर्मक्षेत्र'** शब्द से होता है। यहां धर्मक्षेत्र शब्द धरती का ही बोधक है।

'धर्मो रक्षति' महाभारत का यह वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है। यहां धर्म में रक्षा करने का अमूर्त गुण स्पष्ट है। अतः धर्म, में रक्षा करने का अमूर्त गुण स्पष्ट है। अतः धर्म के मूर्तरूप धरती (मातृस्वरूपा) में भी यह गुण होना स्वाभाविक ही है। **'मातैव रक्षति'** वाक्य साहित्य में उपलब्ध है। इसी गुण के कारण **'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः'** और **'बन्दे भारतमातरम्'** जैसे असंख्य वाक्य हमारे विशाल साहित्य में भरे पड़े हैं।

वस्तुतः निष्कर्ष रूपेण देखा जाये तो इस धरती माता के कोरव से उत्पन्न होने वाले समस्त चराचर तत्त्व परस्पर जीवन में आत्मीयता एवं सहभागिता का ही निर्वाह करते हैं। यहां भी उनका परस्पर अटूट संबंध प्रकट होना- एक ही आंगन में माता की ममता की छांव में आँचल तले स्वयं को अनुभव करना है। इसी भाव का बोध कराता हुआ हमारा साहित्य बोल पड़ता है- **'वसुधैव कुटुम्बकम्'**

एक और रहस्य की बात जो समझने लायक है- एक शिशु जब अपनी जननी की गोद में होता है, तो भूख लगने पर वह माता का दूध पीने के लिए अपने हाथों से यत्र-तत्र स्पर्श करने और जो हाथ लग उसे मुख में डालने की क्रियाकूतरणायें व्यर्थ हो जायेंगी। आरंभ कर देता है। ठीक उसी प्रकार जब वह शिशु धरती पर होता है तो वहां भी माता की गोद में रहने की क्रिया करने लगता है और माटी खाकर अपना पेट भरने लगता है। पूर्व में वह शिशु जब माता के गर्भ में होता है, तो माता माटी खाकर अपनी ममता को द्विगुणित करती देखी जाती है। इस भाव का भी संकेत हमारे साहित्य में उपलब्ध होता है। बालरूप कृष्ण का माटी खाना तो विदित ही है। हिन्दी साहित्य में उपलब्ध

कविता मेरा नया बचपन की पंक्ति-

**'कुछ खायी कुछ लिये हाथ में,
मुझे खिलाने आयी थी।'**

हमें आज भी याद है। ऐसी ही तो कुछ है हमारी लौकिक संस्कृति। हमारे साहित्य में दिव्यादि तीनों लोकों की परिकल्पना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। यथा- **'अदितेः अपत्यं पुमान् आदित्यः'** रूप में आदित् आदि देवों का दिव्य लोका **'दितेः अपत्यं पुमान् दैत्यः'** रूप में मनुष्यों का मानवलोका। इनमें सर्वोपरि दिव्य लोक है, सबसे नीचे दैत्यों का पाताल लोक है और दोनों के मध्य में मनुष्यों का मानव लोक या मृत्यु लोक है।

'तमसो मा ज्योतिर्गमय' उपनिषद् का यह महावाक्य हमें दैत्यलोक के तम से बचने और दिव्य लोक के प्रकाश में जाने की प्रेरणा देता है। वस्तुतः हमारा लोक एक दीपक के समान अव्यवस्थित है, जिसका ऊर्ध्वभाग तो प्रकाशित रहता है किन्तु अधः भाग तमो मय। इसी अभिप्राय से सर्वत्र प्रचलित लोकोक्ति है- **'दीया तले अंधोरा।'** इन्हीं प्रकाश और अंधकार रूप दोनों पाटों के बीच हम ऐसे फंसे हैं कि ऊर्ध्वगति अत्यंत दुष्कर है तो अधोगति में कल्याण नहीं है। इस ओर दोनों हाथ उठाकर कवि कहता है- **'दोउ पाटन के बीच में साबुत बचा न कोया।'** इन्हीं दोनों पाटों को ऋषियों ने विद्या और अविद्या कहकर हमारा मार्गदर्शन किया है। यहां विद्या के माध्यम से प्रकाश की ओर जाने के लिए ऋषियों मनीषियों तथा संतों ने हमें साहित्य प्रदान किया है। जब विद्यार्थी प्राथमिक कक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे पाठ्यक्रम के माध्यम से (अगली कक्षा में प्रवेश लेते ही) यह बोध करा दिया जाता है कि-

विद्या ददाति विनयं, विनयाद्याति पात्रताम्।

पात्रत्वाद् धनमाप्नोति, धनाद् धर्मं ततः सुखम्।

यहाँ विद्या को मूल आधार बताकर विनय शीलता, पात्रता, धन प्राप्ति धर्माचरण और सुख आदि की बात कही गयी है। विद्या अध्ययन पर जोर देते हुए कवि कहता है-

प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम्।

इसेतृतीये नार्जितं पुण्यं, चतुर्थे किं करिष्यति।

यहाँ वर्तमान सम्पूर्ण जीवन काल को बराबर चार भागों में बांट कर विद्या आदि अर्जित करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार **'विद्या धनं सर्वधान प्रधानम्'** वाक्य भी हमें विद्या अध्ययन की ओर उन्मुख करता है। विद्या की महिमा निरूपित करते हुए **'सा विद्या या विमुक्तये'** महावाक्य वैदिक साहित्य में कहा गया है। इस लोक से परलोक तक जाने का संवैधानिक मार्ग वस्तुतः विद्या के माध्यम से ही सुनिश्चित हो पाता है। इस दिशा में मुण्डकोपनिषद् में विधान बताया गया है-

यदे विद्ये वेदितव्ये परा चैवापरा च।

यहाँ विद्या के दो रूप बताये गये हैं- परा विद्या और अपरा विद्या। वस्तुतः परा विद्या परलोक में प्रचलित है और अपरा विद्या का प्रचार प्रसार इस लोक में किया गया है। यहां अपरा विद्या के भी मुख्यतः वश विंग निरूपित करते हुए मुंडकोपनिषद् में कहा गया है-

ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वणः।

शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम्।

विद्या विषयक उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि विद्या अध्ययन के प्रति अतिशय निष्ठा की पराकाष्ठा होने से ही विद्या की अधिष्ठाता वाग्देवी या सरस्वती देवी का सगुण रूप हमारे साहित्य में प्रकट

हुआ। इसी प्रकार अपरा विद्या के दस विभागों के प्रति अध्ययन निष्ठावश ही दस महाविद्याओं के नाम साहित्य में विख्यात हुए।

साहित्य समाज का दर्पण या आदर्श होता है। विश्व के प्राचीनतम साहित्यों में सम्वेद सर्वोपरि है। अन्वेद साहित्य से लेकर आज तक के साहित्यों में जो प्राणदायिनी संस्कृति उपलब्ध है वह हमारे जीवन-दर्शन के लिए पर्याप्त है। **'धारणाद धर्म इत्याहुः'** के अनुसार धर्म के समस्त भाव हमारी संस्कृति में व्याप्त हैं। **ते. आरण्यक में 'धर्मो विश्वस्य जगतः'** प्रतिष्ठा अर्थात् धर्म को सम्पूर्ण जगत का आधार कहा गया है। **'धर्मो धरयते प्रजाः'** के अनुसार स्पष्ट है कि धर्म समस्त प्रजा को मातृवत धारण करता है। वस्तुतः इन तथ्यात्मक रहस्यों को समझना आज नितांत आवश्यक है।

गीता जो महाभारत का हिस्सा और महामुनि वेदव्यास की अमर विश्ववाणी है, न्याय और अन्याय के प्रश्न को उठाती हुई अपरा विद्याओं को स्वीकारती हुई मनुष्य को पराविद्याओं के मोक्ष मार्ग की ओर ले जाती है। यही अज्ञान से ज्ञान और अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। पर इसे समझ लेना होगा कि अज्ञान की सत्ता माया की सत्ता की तरह एक सनातन सत्ता है। इसलिए सनातन केवल ज्ञान नहीं है, अज्ञान भी है। महात्मा तुलसीदास का विशिष्टा द्वैत इस मायने में विचारणीय है कि राम (परम तत्त्व) लक्ष्मण (अंश या जीव तत्त्व) किन्तु इन दोनों के बीच माया का तत्त्व सीता हमेशा यात्रारत है। हमारे चारों पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ और काम के पुरुषार्थ तो इसी माया तत्त्व के विकास संवर्धन और परिष्कार के तत्त्व हैं। मोक्ष का चौथा शिखर वह शीर्ष कलश है, जो बगैर नीव दीवार और कंगूरे के संभव ही नहीं है। भारत के स्थानीय चिंतन से जो भी दर्शन पैदा हुआ है, उसमें यह चौथा हर जगह विद्यमान है। कभी मोक्ष तो कभी निर्वाण के रूप में उपनिषद् तक ठीक ही कहता है कि मनुष्य को जल में कमल की तरह रहना चाहिए। लगभग पूरी की पूरी कमल नाल जल में निमग्न किन्तु कमल का पुष्प हमेशा भवसागर की मायावी सतह से ऊपर कीचड़ और गंदगी से अपराभूत। अविजेय। गीता में इसी को तो निष्काम कर्मयोग कहा गया।

मिथिला नरेश जनक को तभी तो विदेह कहा गया। माया के बीच रहकर भी माया से अपराजेय बने रहना। पर यह विज्ञान के कहने में जितना आसान है अनुभव और कर्म के धरातल पर उतना ही कठिन और लगभग असंभव है। इसे कबीर आदि भी मानते हैं और हमारे जमाने के महान दृष्टा रवीन्द्रनाथ और कामायनी के अनोखे रचनाकार महाकवि जयशंकर प्रसाद भी।

गीतांजलि के कई गीत ऐसे हैं जहां इन दुविधापूर्ण जटिलताओं का बयान है। एक गीत में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि 'अरे मैं तो बहुत गहरी नींद में चली गई थी। वो आया बगल में बैठ अपनी सुमधुर वीणा बजा कर चल गया। मैं ऐसी अभागी कि मेरी नींद ही नहीं खुली। हम सब अपने बारे में सोचे तो ऐसे ही अभागे हैं। हम नींद को ही जागरण माने बैठे हैं। जबकि महाभारत बार-बार कहती है कि सच्चा योगी उस रात को दिन समझकर जागता रहता है जिसे यह संसार रात माने सोया पड़ा रहता है। कबीर ने इसे बहुत आसान ढंग से हिन्दुस्तानी जुबान में कह डाला-

सुखिया सब संसार है, खावै अरु सोवै।

दुखिया दास कबीर है जावै अरु रोवै।

फिर भी हम कबीर को याद कर रहे हैं, पूज रहे हैं, उनकी जयंतियां मना रहे हैं पर उस बोध तत्व से काफी दूर हैं जो इस साखी में है।

कामायनी हमारे युग की एक अनुपम दार्शनिक काव्य कृति है। बुद्धि के चरम विकास, भोगवाद और चौथे इंसानी दम्भ के अनेक प्रसंग इसमें

चर्चित और चित्रित हैं। इच्छा क्रिया और ज्ञान की असंगतिपूर्ण संगति पर काफी गंभीर विचार यहाँ है। यह भी कहा गया कि समरसता में ही आनंद है। पर इस समरसता को समझे और समझाए कौन? क्या है यह समरसताफ कहीं यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की समरसता तो नहीं है? या फिर माया जीव और ब्रह्म की समरसता है। या फिर भाग इच्छा क्रिया और ज्ञान कीफया इनसे की कुछ और जड़ और चेतन, अज्ञान और ज्ञान, पर और अपर, परा और अपरा की समरसता। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं-

'समरस थे जड़ या चेतन,

सुंदर साकार बना था।

चेतनता एक बिलसती,

आनंद अखंड घना थाश'

जीवन में जो सुख है, वह इन्हीं जड़ वस्तुओं की सामूहिक गंगोत्री से पैदा होते हैं पर आनंद तो हमेशा आदमी के भीतर से अज्ञान के ज्ञान में बदल जाने पर फूटता है।

भारतीय सांस्कृतिक संरचना का प्रमुख आधार है- **'अनेकता में एकता की अनुभूति'**। यह अनुभूति केवल चेतन के प्रति ही नहीं अपितु अचेतन जगत् के प्रति भी दिखती है। वेदों में बहुदेववाद के मूल में एकदेववाद की ही प्राण प्रतिष्ठा की गई है। **'एकं सद्भिप्रा बहुधवदन्ति'**। ऋग्वेद में एक ही विराट् पुरुष के मुख, बाहु, उरु तथा पैर से चारों वर्णों की उत्पत्ति तथा उसके मन, नेत्र, श्रोत्र तथा मुख से क्रमशः चन्द्र, सूर्य, वायु तथा अग्नि की उत्पत्ति बतलाते हुये सृष्टि की पर्यावरण मूलकता का स्पष्ट संकेत कर दिया गया है। वैदिक सृष्टि प्रक्रिया से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि न केवल देव, मनुष्य, पशु-पक्षी, जीव-जन्तु, वृक्ष-वनस्पतियां अपितु पर्यावरण के सभी घटक एक ही स्रोत विराट् पुरुष से जायमान हैं। पर्यावरण की इस देवी सृष्टि ने पर्यावरण तत्वों के प्रति देवात्मकता (ईशावास्य मिदं सर्वं) तथा पारिवारिक संबंधों (वसुधैव कुटुम्बकम्) की भावना का सूत्रपात किया। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या अपरिग्रह, उदारता, सहिष्णुता, समन्वय, आस्तिकता, धार्मिकता, दया, दान एवं पुनर्जन्म में विश्वास जैसी अनेक सद्भावनायें विद्यमान हैं जिनके मूल में न केवल पर्यावरण अपितु चराचर जगत् के कल्याण की भावना सन्निहित है।

पर्यावरण एवं मनुष्य के बीच भावनात्मक संबंधों की अभिव्यक्ति ही पर्यावरण के प्रति मानवीय चेतना का अभिव्यक्त रूप है। भूमंडल के जिस पर्यावरण में हम जन्म लेते हैं, जिसके अन्न, जल, वायु, भूमि से हमारा भरण-पोषण होता है उसके कण-कण से चाहे वह वहां की मिट्टी हो, पर्वत हो, नदियां हो, जीव-जन्तु, वृक्ष-वनस्पतियां हो उन सबको अपना समझना, उनसे प्रेम करना तथा उनके विकास में सतत प्रयत्नशील रहना पर्यावरण के प्रति सांस्कृतिक चेतना की पहचान रही है। प्राकृतिक तत्वों के प्रति प्यार एवं अनुराग की प्रवृत्ति, श्रद्धा एवं कृतज्ञता की अभिव्यक्ति तथा विशेष परिस्थिति में उनके संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु अपना सर्वस्व समर्पित करने की भावना ही भारतीय संस्कृति का आदर्श रही है। भारत की संस्कृति में **'असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय'** के सूत्र वाक्य यही तो है। खेद है कि इस देश ने शब्दों को तो पकड़ रखा है पर अर्थों से बेखबर है। वह जड़ की पूजा और साधना को ही सब कुछ माने बैठा है। उपभोक्तावाद यही तो है जहां शरीर की नाप-जोख से सुंदरताएं तय की जा रही हैं। जड़ की सत्ता को चेतना की छाती पर बिठाया जा रहा है। संस्कृति और साहित्य, काव्य और दर्शन यहीं आकर एक हो जाते हैं। एक ही सच को जब हजार हजार मुंह कहना शुरू

करते है तब ही कहा जाता है-

एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. राकेश पाण्डेय : भारत का सांस्कृतिक इतिहास।	3. जनार्दन भट्ट : भारतीय संस्कृति।
2. आचार्य बलदेव उपाध्याय : वैदिक साहित्य एवं संस्कृति।	4. डॉ. एस. एल. नागौरी : भारतीय संस्कृति।
	5. प्रो. सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव : भारतीय समाज एवं संस्कृति।
	6. अरविन्द : भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व।
	7. जी. सी. पाण्डेय : भारतीय परम्परा के मूल स्वर।
	8. गोपीनाथ कविराज : भारतीय संस्कृति एवं साधना।

भारतीय परिदृश्य में हिन्दी भाषीय राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिकाओं का अध्ययन

डॉ. सावित्री परिहार* मनीष श्रीवास्तव**

* सह-आचार्य, रबीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, रायसेन (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, रबीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, रायसेन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वैश्विक रूप से ज्ञान-विज्ञान परंपरा का इतिहास अति-प्राचीन है। लेखन परंपरा का इतिहास भी अतिप्राचीन है लेकिन आधुनिक युग में प्रकाशन क्षेत्र के अंतर्गत प्रिंटिंग प्रेस की आधुनिक प्रणाली का आविष्कार होने के बाद लेखन परंपरा का विकास भी तीव्रता से हुआ। इस कारण मुख्यतः पुस्तक, पत्र, पत्रिकाओं का प्रकाशन तेजी से हुआ। इस माध्यम से भारत में अन्य प्रकाशनों के साथ ही हिन्दी भाषीय विज्ञान पत्रिकाओं के प्रकाशनों की भी शुरुआत हुई। भारत में विज्ञान आधारित हिन्दी पत्रिकाओं के प्रकाशन के इतिहास की शुरुआत 20वीं सदी से ही हुई है। किन्तु एक सदी में ही हिन्दी पत्रिकाओं द्वारा भारत में विज्ञान जागरण का सर्वोत्तम कार्य किया गया। पत्रिकाओं का प्रकाशन निजी और सरकारी दोनों स्तर पर किया गया है। विद्यार्थियों तथा जन-सामान्य को इससे महत्वपूर्ण लाभ हुआ है।

शब्द कुंजी – भारत में ज्ञान-विज्ञान, विज्ञान पत्रिकाएं, सामाजिक प्रभाव।

प्रस्तावना – भारतीय इतिहास में ज्ञान-विज्ञान की श्रेष्ठ परंपरा रही है। पुरातत्वविदों, इतिहास के जानकारों तथा अन्य विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर की गई खोज तथा प्राप्त संदर्भों से यह ज्ञात किया जाता रहा है कि भारतीय ज्ञान-विज्ञान की परंपरा के साक्ष्य ईसा से लगभग 3000 साल या उससे भी पहले के प्राप्त होते हैं। ज्ञान के स्तर पर अध्यात्म, योग, दर्शन, विज्ञान तथा अन्य सभी क्षेत्रों में भारतीय ऋषियों ने अद्भुत ज्ञान का प्रवाह किया है। आज ईसा के 2000 साल बाद भी हम उसी पुरातन ज्ञान-विज्ञान पर गर्व महसूस करते हैं और आवश्यक होने पर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। मूल रूप से विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय ज्ञानियों द्वारा दिये गये अवदान को वैश्विक स्तर पर नकारा नहीं जा सकता है। हमारी प्राचीन परंपरा के अंतर्गत विज्ञान के विविध क्षेत्रों में जैसे भूगोल, स्वास्थ्य, गणित, रसायन तथा अन्य के अंतर्गत चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, बौधायन, याज्ञवल्क्य, पाणिनी, पिंगल, कात्यायन सरीखे श्रेष्ठ ऋषियों का नाम अग्रज पंक्ति में आता है।

आधुनिक काल में प्रिंटिंग क्षेत्र में हुई अत्याधुनिक प्रगति के बाद जैसे ही लेखन परंपरा का क्षेत्र वैश्विक हो गया वैसे ही भारतीय ज्ञानियों द्वारा लिखे गये पुरातन ग्रंथों, संदर्भों का उल्लेख भी बड़े पैमाने पर होने लगा और भारतीय मनीषियों की महत्वपूर्ण विषयों जैसे – रसायन, भौतिकी, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, आयुर्विज्ञान, कृषि, वानिकी, कम्प्यूटर, अंतरिक्ष, पर्यावरण, प्रदूषण, पारिस्थितिकी आदि में की गई उपलब्धि महत्वपूर्ण किताबों तथा पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से वैश्विक स्तर पर उजागर होने लगी। विगत दो सदी में भारत में विज्ञान संबंधी विषयों पर लेखन का कार्य इतने वृहद स्तर पर किया गया है कि विज्ञान लेखन के अंतर्गत कई विशिष्ट शैलियों का विकास विज्ञान लेखकों द्वारा किया जा चुका है और पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के जरिये पाठकों तक पहुंचाया जा चुका है। विज्ञान लेखन के विविध प्रकार निम्न हैं –

1. विज्ञान लेख

2. विज्ञान कथा
3. विज्ञान नाटक
4. विज्ञान कविता
5. वैज्ञानिक जीवनी
6. वैज्ञानिक साक्षात्कार
7. बाल विज्ञान लेखन
8. विज्ञान शोध पत्र
9. विज्ञान अनुवाद
10. विज्ञान कोष
11. वैज्ञानिक परिभाषिक शब्दावली कोष
12. विज्ञान पुस्तक लेखन
13. विज्ञान पुस्तक समीक्षा

पत्रिकाओं में वैज्ञानिक जागृति का आरंभ – भारतीय इतिहास में पत्रिकाओं के प्रकाशन के आरंभिक काल में 19वीं सदी का समय मूल रूप से साहित्य, सूचना और शिक्षा पर अत्यधिक आधारित रहा। विज्ञान को भी प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक मनीषियों, पत्रिकाओं ने बल या आधार देने का कार्य किया। भारतीय संदर्भ में विज्ञान जागृति की अलख जगाने की शुरुआत सर्वप्रथम साहित्यिक पत्रिकाओं से हुई। साहित्यिक पत्रिकाओं ने जनमानस में विज्ञान जागरण के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। बांग्ला भाषा विज्ञान जागरण की पहली आधार स्तंभ बनी। सन् 1818, अप्रैल में श्रीरामपुर जिला हुगली (पश्चिम बंगाल) के बेपटिस्ट मिशनरियों ने बांग्ला और अंग्रेजी में मासिक दिग्दर्शन पत्रिका प्रकाशन का कार्य आरंभ किया। इस मासिक पत्रिका के संपादक थे क्लार्क माशमैन (1793-1877)। कालांतर में दिग्दर्शन पत्रिका ने ही अनूदित हिन्दी भाषा में विज्ञान लेखों का प्रकाशन कर नये भविष्य की नींव रखने का कार्य किया। तत्कालीन समय में दिग्दर्शन पत्रिका का हिन्दी भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया गया। पत्रिका

के हिन्दी में अनूदित अंक में दो वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किये गये। जिनके शीर्षक थे - 1. अमेरिका की खोज 2. बैलून द्वारा आकाश यात्रा के बारे में आदि। इस तरह भारतीय समाज में विज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से पहला कदम उठाया गया।¹

भारतीय परिदृश्य में पत्रिका प्रकाशन के अंतर्गत हिन्दी भाषा में विज्ञान संचार यात्रा की शुरुआत 15 जनवरी सन् 1878, बनारस से द्विभाषी पत्रिका काशी के नाम से हुई। हिन्दी और उर्दू में यह पत्रिका 32 पृष्ठों में प्रकाशित हुई। इसका वार्षिक मूल्य 6 रुपये 12 आने था। बालेश्वर प्रसाद के संपादन और रामानंद के प्रबंधन में पत्रिका ने अपने प्रकाशन की शुरुआत की। चन्द्रप्रभा प्रेस से हर शुक्रवार को यह पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा होता था - 'ए वीकली एजुकेशनल जर्नल आफ साइंस, लिटरेचर एण्ड न्यूज इन हिन्दुस्तानी'।²

भारतीय पृष्ठभूमि में विज्ञान पत्रिकाओं का आरंभ एवं विकास - विज्ञान विषयों पर पत्रिकाओं के प्रकाशन की शुरुआत संबंधी तथ्यों की खोज करने पर यह ज्ञात होता है कि विज्ञान पत्रिकाओं में सर्वप्रथम विज्ञान के किसी एक विषय को ही आधार बनाते हुए पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके बाद 20वीं सदी के दूसरे दशक से 'विज्ञान' पत्रिका के आरंभ से संपूर्ण विज्ञान विषयों को समाहित कर एक श्रेष्ठ पत्रिका का प्रकाशन हुआ। भारतीय विज्ञान इतिहास के ज्ञात संदर्भों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि चिकित्सा पहला मुख्य विषय रहा जिस पर किसी विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन हुआ। डॉ. सूर्य प्रसाद दीक्षित के अनुसार चिकित्सा विषय की पहली पत्रिका 1842 में 'चिकित्सा सोपान' नाम से श्रीराम शास्त्री के संपादन में प्रकाशित हुई। इसके बाद सन् 1881 में प्रयाग से 'आरोग्य दर्पण' नाम से चिकित्सा संबंधी विषयों को लेकर एक और पत्रिका प्रकाशित हुई। चिकित्सा के बाद कृषि मुख्य विषय रहा जिस पर पत्रिका प्रकाशन हुआ। डॉ. सूर्य प्रसाद दीक्षित के अनुसार कृषि की पहली पत्रिका 1911 में 'किसान मित्र' नाम से पटना से रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित की गई।³

विज्ञान के विविध विषयों में से चिकित्सा और कृषि को लेकर विज्ञान पत्रिकाओं की शुरुआत पहले हुई। लेकिन विज्ञान के और भी विविध विषय थे जो अभी तक अछूते रह रहे थे। विज्ञान के सभी विषयों को समावेशित कर उन पर लेख, समाचार और जानकारी प्रकाशित करने का कार्य विशुद्ध रूप से विज्ञान पत्रिका होने का श्रेय 'विज्ञान' नामक पत्रिका को प्राप्त है। 1913 में भारत में प्रयागराज में विज्ञान परिषद की स्थापना की गई। विज्ञान परिषद द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया गया कि सन् 1915 से विज्ञान के सभी विषयों की जानकारी प्रकट करने के लिये 'विज्ञान' नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया। यह देश की पहली पत्रिका बनी जिसने हिन्दी में विशुद्ध वैज्ञानिक विषयों को समाविष्ट किया।⁴

विज्ञान पत्रिका के बाद सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका के रूप में 'प्राणिशास्त्र' नामक पत्रिका का नाम आता है, जिसका प्रकाशन प्रसिद्ध विद्वान देवी शंकर मिश्र द्वारा किया गया। 1948 में देवीशंकर द्वारा भारतीय प्राणिशास्त्र परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद के अंतर्गत 1948 में प्राणिशास्त्र नाम से पत्रिका प्रकाशन आरंभ किया। प्राणिविज्ञान पर प्रकाशित होने वाली देश की यह प्रथम पत्रिका है।⁵

भारत सरकार द्वारा भी आजादी के बाद विज्ञान प्रसार को बढ़ावा देने का कार्य आरंभ किया गया। इसके लिये सन् 1952 से विज्ञान प्रगति पत्रिका का प्रकाशन भारत सरकार की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

द्वारा आरंभ किया गया। पत्रिका अपने उत्कृष्ट प्रकाशन तथा पाठ्यसामग्री के लिये सन् 2022 में राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी है। पत्रिका को इसकी वेबसाइट <https://nopr.niscpr.res.in/handle/123456789/10290> पर पढ़ा जा सकता है।⁶

विज्ञान संसार की एक और महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन 1961 में इंडियन प्रेस, प्रयाग द्वारा 'विज्ञान जगत' नामक से हुआ। यह एक सचित्र मासिक पत्रिका थी, जिसके संपादक आर. डी. विद्यार्थी थे।⁷

सन् 1969 से भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र मुंबई द्वारा वैज्ञानिक विषयों पर 'वैज्ञानिक' नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका के शुरुआती अंकों का संपादन ब्रजमोहन पांडे, डॉ. प्रताप कुमार माथुर, उमेश चंद्र मिश्र तथा माधव सक्सेना द्वारा किया गया। इस पत्रिका के अंकों को इसकी वेबसाइट https://barc.gov.in/hindi/publication/index_sc.html पर पढ़ा जा सकता है।⁸

भारत सरकार के सरकारी उपक्रम द्वारा एक और राष्ट्रीय पत्रिका आविष्कार का प्रकाशन सन् 1971 से नेशनल रिसर्च डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। इस पत्रिका को वेबसाइट <http://nrdcindia.com/Pages/About%20Awishkar> पर पढ़ा जा सकता है।⁹

हिन्दी भाषीय इन विज्ञान पत्रिकाओं के प्रकाशन इतिहास के क्रम में उपरोक्त पत्रिकाओं के अतिरिक्त सन् 2018 तक जो अतिमहत्वपूर्ण पत्रिकाएँ प्रकाशित की गईं। उनकी जानकारी इस प्रकार है -

भारत में प्रकाशित हिन्दी भाषीय विज्ञान पत्रिकाओं की सूची 10

क्र.	पत्रिका	प्रकाशन	प्रकाशन वर्ष
1	विज्ञान	मासिक	1915
2	धनवन्तरी	मासिक	1924
3	बालक	मासिक	1926
4	मैसूर	मासिक	1942
5	कृषक जगत	मासिक	1945
6	सचित्रा आयुर्वेद	मासिक	1948
7	होम्योपैथी संदेश	मासिक	1948
8	किसानी समाचार	मासिक	1948
9	प्राकृतिक जीवन	मासिक	1948
10	बाल भारती	मासिक	1948
11	खेती	मासिक	1949
12	प्राणिशास्त्र	मासिक	1950
13	स्वास्थ्य और जीवन	मासिक	1950
14	कृषि और पशुपालन	मासिक	1952
15	उन्नत कृषि	मासिक	1952
16	गौ संवर्धन	मासिक	1952
17	विज्ञान प्रगति	मासिक	1958
18	विज्ञान परिषद् अनुसंधान पत्रिका	त्रैमासिक	1960
19	आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका	मासिक	1960
20	साइंस टुडे	मासिक	1960
21	लोक विज्ञान	मासिक	1960
22	विज्ञान जगत	मासिक	1961
23	विज्ञान लोक	मासिक	1961
24	नंदन	मासिक	1964

25	वैज्ञानिक बालक	मासिक	1964
26	वैज्ञानिक	त्रैमासिक	1968
27	कृषि चयनिका	त्रैमासिक	1969
28	आविष्कार	मासिक	1971
29	भारतीय चिकित्सा संपदा	मासिक	1975
30	विज्ञान डाइजेस्ट	मासिक	1975
31	विज्ञान भारती	द्वैमासिक	1978
32	निरोगधाम	मासिक	1979
33	फल-फूल	द्वैमासिक	1979
34	विज्ञान परिचय	मासिक	1979
35	ज्ञान-विज्ञान	मासिक	1979
36	होशंगाबाद विज्ञान	मासिक	1980
37	आयुर्वेदिक विज्ञान औषधि अनुसंधान	मासिक	1980
38	ग्राम शिल्प	त्रैमासिक	1981
39	विज्ञानपुरी	त्रैमासिक	1981
40	विज्ञानदूत	मासिक	1982
41	पर्यावरण	अर्धवार्षिक	1983
42	विज्ञान प्रवाह	मासिक	1983
43	चक्रमक	मासिक	1985
44	ब्रिटिश वैज्ञानिक एवं आर्थिक समीक्षा	त्रैमासिक	1985
45	विज्ञान गरिमा सिंधु	त्रैमासिक	1986
46	आई.सी.एम.आर.	मासिक	1986
47	साइफन	मासिक	1986
48	विज्ञान विधिका	मासिक	1986
49	विज्ञान बन्धु	साप्ताहिक	1987
50	जिज्ञासा	अर्धवार्षिक	1987
51	पर्यावरण डाइजेस्ट	मासिक	1987
52	स्पेस इंडिया	त्रैमासिक	1987
53	इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए	मासिक	1988
54	विज्ञान गंगा	त्रैमासिक	1988
55	स्रोत	मासिक	1989
56	पर्यावरण	मासिक	1990
57	भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान	अर्धवार्षिक	1993
58	बालवाटिका	मासिक	1995
59	प्रसार दूत	अर्धवार्षिक	1996
60	ड्रीम 2047	मासिक	1998
61	पर्यावरण ऊर्जा टाइम्स	मासिक	1998
62	विज्ञान आपके लिए	मासिक	1998
63	विज्ञान आलोक	त्रैमासिक	1998
64	नवसंचेतना (राजभाषा पत्रिका)	अर्धवार्षिक	1998
65	ज्ञान गारिमा सिंधु	त्रैमासिक	2000
66	तरंग	वार्षिक	2000
67	विज्ञान कथा	त्रैमासिक	2001

68	ऊर्जायन	वार्षिक	2001
69	विपनेट	मासिक	2002
70	विज्ञान प्रकाश	त्रैमासिक	2002
71	स्पैन	मासिक	2003
72	बच्चों का इंद्रधनुष	मासिक	2004
73	ज्ञान विज्ञान बुलेटिन	मासिक	2004
74	बच्चों का इंद्रधनुष	मासिक	2004
75	बाल प्रहरी	मासिक	2004
76	साइंस टाइम्स न्यूज एवं व्यूज	मासिक	2005
77	मुक्त शिक्षा	अर्धवार्षिक	2005
78	साइंस इंडिया	मासिक	2005
79	गर्भनाल	वार्षिक	2006
80	कृषि प्रसंस्करण दर्पण	अर्धवार्षिक	2006
81	अक्षय ऊर्जा	द्वैमासिक	2006
82	पैदावार मासिक कृषि	मासिक	2007
83	विज्ञान गंगा	वार्षिक	2007
84	साइंटिफिक वर्ल्ड	मासिक	2007
85	हरबोला	मासिक	2007
86	विज्ञान परिचर्चा	त्रैमासिक	2009
87	दुधवा लाइव	मासिक	2010
88	सर्प संसार	मासिक	2010
89	हरियाणा साइंस बुलेटिन	मासिक	2010
90	हमारा भूमंडल	मासिक	2010
91	जल चेतना	त्रैमासिक	2011
92	भूगोल और आप	द्वैमासिक	2011
93	भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान	वार्षिक	2012
94	कृषि का शोध	वार्षिक	2012
95	जिज्ञासा	वार्षिक	2012
96	अनुसंधान शोध	वार्षिक	2013
97	किसान खेती	त्रैमासिक	2014
98	विपनेट क्यूरीसिटी	मासिक	2016
99	डाउन टू अर्थ	मासिक	2016
100	टेक्निकल टुडे	त्रैमासिक	2016
101	बालवाणी	द्वैमासिक	2016
102	आई वंडर	अर्धवार्षिक	2017
103	प्रौद्योगिकी विशेष	द्वैमासिक	2018
104	कृषि मंजूषा	अर्धवार्षिक	2018

विज्ञान पत्रिकाओं का सामाजिक प्रभाव - भारतीय समाज में साक्षरता के स्तर को बढ़ाने तथा जन-जागृति उत्पन्न करने में पत्र-पत्रिकाओं की विशेष भूमिका रही है। इस दृष्टिकोण से भारतीय परिदृश्य में प्रकाशित हुई हिन्दी की विज्ञान पत्रिकाओं ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। सन् 1915 में वैज्ञानिक विषयों की प्रथम पत्रिका विज्ञान के प्रकाशन के साथ ही स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, अभियांत्रिकी, प्राणीशास्त्र सहित विज्ञान के विविध विषयों पर पत्रिकाओं के प्रकाशन की शुरुआत हुई साथ ही सन् 1915 से लेकर विगत 100 वर्षों के इतिहास में कई हिन्दी भाषीय विज्ञान लेखकों का सृजन

भी हुआ। पत्रिकाओं ने जनमानस और विद्यार्थियों में तार्किक वैज्ञानिक सोच विकसित करने का कार्य किया।

निष्कर्ष – इस शोधपत्र में दर्शाए गये तथ्यों से यह ज्ञात होता है भारत में हिन्दी भाषा में विज्ञान लेखन ने पत्रिकाओं के माध्यम से 100 से भी ज्यादा वर्षों की यात्रा तय कर ली है। प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य विज्ञान का वह विषय था जिसके अंतर्गत हिन्दी भाषा में प्रथम विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ लेकिन विविध वैज्ञानिक विषयों को समाविष्ट कर प्रकाशित की गई प्रथम पत्रिका 'विज्ञान' नामक हुई जिसका प्रकाशन इलाहाबाद (वर्तमान नाम प्रयागराज) से हुआ। हिन्दी भाषीय विज्ञान पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ ही भारतीय सामाजिक परिदृश्य में जो परिवर्तन आया वह इस प्रकार है-

1. नवागत विज्ञान लेखकों का सृजन हुआ।
2. हिन्दी विज्ञान लेखन हिन्दी साहित्य की नई विधा के रूप में स्थापित हुआ।
3. महिलाओं को भी विज्ञान लेखन के प्रति आकृष्ट करने का कार्य विज्ञान पत्रिकाओं ने किया।
4. विज्ञान विषयों पर प्रकाशित महत्वपूर्ण विषेयों ने विषय विशेष पर सामाजिक जागरूकता उत्पन्न की।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. मनोज पटैरिया, विज्ञान पत्रकारिता, वाणी प्रकाशन 2007, पृ. 29-34
2. डॉ. शिव गोपाल मिश्र, हिन्दी में विज्ञान लेखन (भूत वर्तमान एवं भविष्य), आईसेक्ट विश्व विद्यालय भोपाल, 2015, पृ. 90
3. डॉ. शिव गोपाल मिश्र, हिन्दी में विज्ञान लेखन (भूत वर्तमान एवं भविष्य), आईसेक्ट विश्वविद्यालय भोपाल, 2015, पृ. 90-100
4. डॉ. शिव गोपाल मिश्र, हिन्दी में विज्ञान लेखन (भूत वर्तमान एवं भविष्य), आईसेक्ट विश्वविद्यालय भोपाल, 2015, पृ. 90-100
5. डॉ. शिव गोपाल मिश्र, हिन्दी में विज्ञान लेखन (भूत वर्तमान एवं भविष्य), आईसेक्ट विश्वविद्यालय भोपाल, 2015, पृ. 90-100
6. <https://nopr.niscpr.res.in/handle/123456789/10290>
7. डॉ. शिव गोपाल मिश्र, हिन्दी में विज्ञान लेखन (भूत वर्तमान एवं भविष्य), आईसेक्ट विश्वविद्यालय भोपाल, 2015, पृ. 90-100
8. https://barc.gov.in/hindi/publication/index_sc.html
9. <http://nrdcindia.com/Pages/About%20Awishkar>
10. नवनीत कुमार गुप्ता/महेश (गाजियाबाद, उप्र), शोध पत्र : हिन्दी भाषा में लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाएं : एक मूल्यांकन

भारत में पर्यटन उद्योग से आर्थिक विकास : एक अध्ययन

डॉ. राम सिंह धुर्वे*

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय स्नातक महाविद्यालय, नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – अनेक महत्वपूर्ण स्थल देखने तथा मन बहलाव के लिए अधिक विस्तृत भू-भाग में किया जाने वाला भ्रमण पर्यटन कहलाता है। पर्यटन ही एक ऐसा उद्योग है जिससे प्रत्येक राष्ट्र की धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की क्रियाएँ आबद्ध हैं। पर्यटन का निरंतर विकास करके आधारभूत संरचना का विकास संभव हो सकता है। पर्यटन के माध्यम से राष्ट्रीय कोष में दुर्लभ विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, साथ ही रोजगार के नये अवसर भी सृजित होते हैं। पर्यटन गरीबी दूर करने और मानव विकास के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। रोजगार के साधन जुटाने में इसका योगदान बहुत ज्यादा है। पर्यटन से राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा मिलता है तथा हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलता है।

देश के पर्यटन एवं सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था का समावेशी विकास किया जा सकता है। पर्यटन और सेवा क्षेत्र में रोजगार और अर्थव्यवस्था की प्रगति की प्रचुर संभावनाएँ हैं, इस समय पर्यटन क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में तीन गुणा अधिक रोजगार उपलब्ध है। पर्यटन उद्योग में पिछले वर्षों में लगभग पाँच प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि विनिर्माण क्षेत्र में तीन फीसदी से भी कम की वृद्धि हुई है। प्रत्येक मनुष्य की प्राकृतिक इच्छा, एक दूसरे की संस्कृति और मूल्यों को समझने के लिए तथा अन्य सामाजिक, धार्मिक और व्यवसायिक हितों की पूर्ति के लिए पर्यटन के मूल संरचना विकास हुआ है। यह देश के विभिन्न प्रदेशों और देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य को सुगम बनाया है इसी कारण यह सेवा उद्योग का उभरा है।

अध्ययन के उद्देश्य – भूगोलवेत्ताओं का कार्य प्रकृति एवं मानव के बीच सम्बन्धों का अध्ययन करना तथा मानवीय उन्नति हेतु स्थानिक संगठन को समझना है। समकालीन भूगोल का लक्ष्य और उद्देश्य नैसर्गिक संसाधनों एवं सांस्कृतिक स्रोतों को मानव के कल्याणार्थ इस्तेमाल करना एवं इसके माध्यम से मानव मात्र की प्रगति और सुख-समृद्धि व मनोरंजन सम्बन्धी योजनाओं में हस्तक्षेप अंशदान करना है। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं-

1. पर्यटन से देश के आर्थिक विकास पर कितना वृद्धि हुई, इसका आकलन करना।
2. देश के आर्थिक विकास पर पर्यटन की भूमिका का अध्ययन करना।
3. पर्यटन के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन करना।

संकल्पनाएँ:

1. पर्यटन का आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है।
2. पर्यटन उद्योग से वैचारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं लैंगिक मतभेद दूर होते हैं, तथा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को बल मिलता है।
3. पर्यटन, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक है।
4. पर्यटन से किसी देश की संस्कृति को दूसरे देश के पर्यटकों द्वारा आत्मसात करने की भावना प्रबल होती है।

शोध प्रविधि – अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का समावेश किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों का संकलन मध्यप्रदेश एवं भारत सरकार की विभिन्न प्रतिवेदन में प्रकाशित आँकड़े एवं संबंधित वेबसाइट्स से किये गये हैं।

भारत में पर्यटन विकास – माना जाता है कि यूरोपीय पर्यटन ने मध्ययुगीन तीर्थयात्रा को आरम्भ किया है। तीर्थयात्री प्रारंभिक रूप से धार्मिक कारणों से यात्रा पर जाते थे। 17 वीं सदी के दौरान इंग्लैंड में एक बड़ी यात्रा पर जाना फैशन बन गया। 18 वीं शताब्दी, बड़ी यात्रा के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। प्राचीन एवं मध्यकाल में कई प्रसिद्ध भूगोलवेत्ताओं जैसे-यूनानी विद्वान अनेग्जीमेण्डर ने अनेक यात्राएँ करके सर्वप्रथम संसार का मानचित्र बनाया। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि नापने के लिए मिस्र के आस्वान क्षेत्र में साइने नामक स्थान को अपना प्रयोग स्थल बनाया जो आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। क्लॉडियस टॉलमी ने अनेक ग्रंथों एवं मानचित्रों की रचना की। अरबी विद्वान अल-इदरीसी ने केवल पर्यटन के उद्देश्य से ही एक ग्रंथ लिखा। अलबरूनी, अलमसूदी, इब्नबतूता आदि ने भी अनेक यात्राएँ करके क्षेत्रीय भूगोल के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा दिया। भारत में ज्ञान के विस्तार के लिए अनेक यात्राएँ की जाती थीं। सन्यासी को किसी स्थान विशेष से मोह न हो इसलिए स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध भारत यात्राएँ की थी। बौद्ध धर्म के आगमन पर गौतम बुद्ध के संदेश को अन्य देशों में पहुँचाने के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ज्ञान के विस्तार और सामूहिक विकास के लिए तीर्थ यात्राओं की व्यवस्था भी प्राचीन भूपर्यटन का ही एक रूप था।

इस प्रकार मानव की नित नए और ज्ञात-अज्ञात स्थानों का भ्रमण करने, देखने और उसकी सराहना करने की तीव्र इच्छा ने ही आधुनिक पर्यटन उद्योग को जन्म दिया। भारत में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ, जलवायु और प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्पन्न पर्यटन स्थल हैं। सांस्कृतिक

पर्यटन स्थलों में महल, मन्दिर, मस्जिद, गुफाएँ आदि प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त समुद्री पुलिन, रेतीले टीले, दक्षिण भारत के सदाबहार वर्षा वन आदि अनेक आकर्षक पर्यटन स्थल हैं। हमारे देश में पर्यटन मंत्रालय के विकास और संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के प्रतिपादन के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करता है। भारत पर्यटन विकास निगम, पर्यटन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक मात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1966 को हुई थी। इसने देश में पर्यटन की आधारीक संरचना के विकास में अहम भूमिका निभाई है।

पर्यटन का महत्व- पर्यटन का महत्व उस समय सामने आया जब यूनाइटेड नेशन ने आम सभा में 1967 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष घोषित किया। बहुउद्देशीय मनीला घोषणा से इस विचार को बढ़ावा मिला है कि पर्यटन एक ऐसी ऐच्छिक मानवीय गतिविधि है जो देश के विकास के लिए जरूरी है क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव समाज के भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण सेवा उन्मुखी क्षेत्र है जो सकल राजस्व और विदेशी मुद्रा की अर्जन की दृष्टि से वैश्विक रूप से त्वरित विकास किया है। पर्यटन उद्योग अधिक रोजगार का सृजन करने के लिए प्रोत्साहन करने के साथ मूल संरचना सुविधाएँ जैसे सड़क, दूरसंचार और चिकित्सा सेवाओं का अर्धव्यवस्था में विकास करता है। पर्यटन का महत्व और पर्यटन की लोकप्रियता को देखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1980 से 27 सितम्बर को विश्व पर्यटन दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया। विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितम्बर का दिन चुना गया क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार किया गया था।

भारतीय प्राच्य ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मानव विकास, सुख और शांति की संतुष्टि व ज्ञान के लिए पर्यटन को अति आवश्यक माना गया है। हमारे देश में ऋषि मुनियों ने भी पर्यटन को प्रथम महत्व दिया है। प्राचीन गुरुओं ने भी यह कहा कि 'बिना पर्यटन मानव अन्धकार प्रेमी होकर रह जायेगा।' पाश्चात्य विद्वान संत आगस्टिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि 'बिना विश्व दर्शन ज्ञान ही अधूरा है।' जब भारत के संदर्भ में पर्यटन की बात करते हैं तो जर्मन विद्वान मैक्समूलर की एक उक्ति है कि 'अगर मुझसे पूछा जाए कि इस आसमान के नीचे मानव ने कहाँ पर अपने खूबसूरत उपहार को सँवारा है तो मैं भारत की ओर इशारा करूँगा।' यही है भारत की वैभवपूर्ण विरासत। पुराणों में भी कहा गया है कि 'यदि हास्ति तदन्यत्र! यन्नेहास्ति न कुत्रहास्ति न कुत्रचित्।' अर्थात् जो यहाँ भारत में नहीं है, वह कहीं भी नहीं है।

मनुष्य को सुखद जीवन व्यतीत करने के लिए संसार में जड़ व चेतन की संगति करना अपरिहार्य है। मनुष्य का जन्म ही संगति का परिणाम है। इन सबसे व्यक्तित्व के निर्माण में लाभ होता है। यात्रा या पर्यटन का आरम्भ सृष्टि के आरम्भ से ही हो गया था। देश की एकता व अखण्डता के लिये भी धार्मिक पर्यटन सहायक रहा है। देश के सभी स्थानों में लोग एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं। जिससे प्रेम व सहयोग की भावना उत्पन्न होती है जिससे राष्ट्रीय एकता हो बल मिलता है। अतः यात्रा बहु-प्रयोजनीय सिद्ध होती है। आजकल इन यात्राओं का एक पहलू और सामने आया है और वह है पर्यटन स्थल का आर्थिक व सामाजिक विकास। देश में पर्यटन से होटल, वाहन व यात्रा के साधनों व इनसे जुड़े अनेक छोटे-बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और वहाँ का आर्थिक विकास होता है। सरकारें भी तीर्थ स्थलों व पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सावधान हैं जिससे देश व समाज को अनेक लाभ

हो रहे हैं।

पर्यटन के आयाम- भारत में पर्यटन के विविध आयाम हैं जिसमें प्रमुख रूप से प्राकृतिक, साहसिक, रोमांचकारी, धार्मिक और चिकित्सीय पर्यटन। इनके अतिरिक्त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा धरोहर, ग्रामीण, शैक्षिक, मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं उपचार, समुद्री, पर्वतीय, पारिस्थिकीय, निर्माणात्मक, अंतरिक्ष एवं काला पर्यटन हैं। देश में काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनकी सौन्दर्यता का वर्णन शब्दों में बयाँ नहीं किया जा सकता है, इसीलिए पर्यटक इन स्थलों की ओर बरबस आकर्षित होते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में पर्यटन के आँकड़ों के अनुसार इसे तीन रूपों में वर्गीकृत किया-घरेलू पर्यटन, जिसमें किसी देश के निवासियों की केवल उनके देश के अन्दर यात्रा शामिल है। इनबाउंड पर्यटन, जिसमें गैर निवासियों की किसी देश की यात्रा शामिल है और आउटबाउंड पर्यटन जिसमें निवासियों की दूसरे देश की यात्रा शामिल है। वर्तमान में पर्यटन उद्योग इनबाउंड पर्यटन से इंटरबाउंड पर्यटन की ओर स्थानांतरित हो गया है क्योंकि कई देश इनबाउंड पर्यटन के लिए कठिन प्रतियोगिता का अनुभव कर रहे हैं। कुछ राष्ट्रीय नीति निर्माताओं ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए इंटरबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य में "See America" "मलेशिया में "Malaysia Truly Asia" कनाडा में "Get Going Canada" फिलीपींस में "Wow Philippines" सिंगापुर में "Uniquely Singapore" न्यूजीलैंड में "100% Pure New Zealand" और भारत में "Incredible India" आदि को प्राथमिकता दिया जाता है।

पर्यटन की एक नई दिशा- जैसे-जैसे बदलाव की प्रक्रिया तेज हो रही है आबादी बढ़ रही है संसाधनों पर भी दबाव बढ़ रहा है। वर्ष 2025 तक 1.8 अरब लोग पानी की किल्लत वाले इलाकों में रह रहे होंगे। इसके अलावा भारत और चीन के मध्यम वर्ग के विकास से वैश्विक पर्यटन के प्रवाह में नाटकीय बदलाव आयेंगे। जलवायु परिवर्तन इनमें महती भूमिका निभायेगा और इससे कहाँ और कैसे देशाटन के लिये जायेंगे। जैसे अनेक सवाल भी उठेंगे लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो पर्यटन उद्योग को नई दिशा देगी।

केपीएमजी ने पिछले दिनों प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर पर्यटन और परिवहन क्षेत्र पर पड़ेगा लेकिन इन क्षेत्रों की इससे लड़ने की तैयारी आधी अधूरी ही है। टूरिज्म 2023 रिपोर्ट में ऐसे मूल मुद्दों को रेखांकित किया गया है जो निम्नांकित हैं-

- 1. सस्टेनेबल डेस्टीनेशन-** पर्यटन उद्योग को पर्यटक स्थलों में निवास करने वाले लोगों को इसके लाभों के बारे में तो जानकारी देनी ही होगी। साथ ही इससे होने वाली आर्थिक विकास पर निगाह भी रखनी होगी। इससे पर्यटन स्थल लम्बे समय तक अपने स्वरूप को ना सिर्फ बरकरार रख पायेंगे बल्कि ग्राहकों में इनकी पहचान भी बनी रहेगी। इसके लिये पर्यटन कारोबारियों को सरकार और समुदाय के साथ इन क्षेत्रों में काम करना होगा।
- 2. लो कार्बन इनोवेशन-** पर्यटन उद्योग को ईको-फ्रेंडली और समुदाय की सांस्कृतिक व पारिस्थिक विरासत पर कम असर डालने वाले व्यवसाय के रूप में स्थापित करने के लिये हल तलाशने होंगे। इसके लिये इस उद्योग को नई-नई तकनीकों का ना सिर्फ परीक्षण करना होगा बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर लागू भी करना होगा। कचरे में कमी और कुदरती संसाधनों पर कम से कम दबाव पड़े, इसके लिये ऊर्जा कुशलता के साथ गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का भी दोहन करने की आवश्यकता है।

3. ग्राहक माँग- इस प्रकार के पर्यटन के बाजार का विस्तार करने के विशाल अवसर मौजूद हैं लेकिन इसके लिये पर्यटकों में टिकाऊ पर्यटन की महत्ता के बारे में जागरूकता पैदा करनी होगी।

4. बूम एवं ब्रस्ट- इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में तेजी और खर्च करने लायक आय में इजाफा होने से पूरी दुनिया के पर्यटन उद्योग को काफी लाभ हुआ। इससे भ्रमण पर जाने का अंतराल कम तो हुआ ही है। नये-नये इलाके भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुये। राजनीतिक स्थिरता और विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार होने से एक ओर जहाँ कारोबार को लाभ हुआ, वहीं पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी। शैवाल से बायोफ्यूल बनाने जैसी तकनीकों में तेजी से हो रहे विकास पर्यटन क्षेत्र के काफी अहम् हैं। इससे पर्यावरण पर होने वाला असर भी कम हो गया है।

5. डिवाइडेड डिस्टाइट- जलवायु परिवर्तन, दुर्लभ संसाधनों के लिये संघर्ष और सामाजिक विवादों के कारण अस्थिरता और डर का माहौल पैदा हुआ है। दुनिया भर के देशों में चल रहे सीमा विवाद और विश्वस्तर पर सामंजस्य की कमी के चलते पर्यटकों की आवागमन पर असर पड़ा है। इसके अलावा सुरक्षा जाँच व वीजा सम्बंधी परेशानियों के कारण पर्यटन रोमांच के बजाय दुरुह अहसास बन चुका है। इसके अलावा तेजी से विलुप्त हो रहे कुदरती नजारों जैसे पैटागोनिया के ग्लेशियर पार्क और आस्ट्रेलिया की विशालकाय मूँगे की चट्टानों को देखने वालों के लिये नया वर्ग तैयार हो रहा है।

6. प्राइस एंड प्रीविलेज- तेल के दामों में हुये इजाफे ने पर्यटन को महंगा सौदा बना दिया है। इससे पर्यटन पर तो असर पड़ा ही है, उड्डयन क्षेत्र का दायरा भी सिमट गया है। ऐसे में यूरोप के चारों ओर फैला हुआ रेल, बस और समुद्री जहाज का नेटवर्क पर्यटकों के लिये सरते और सुरक्षित विकल्प के रूप में सामने आया है। यूक्रेन ने अपने- आप को गेटवे टू द ईस्ट के रूप में पेश किया है।

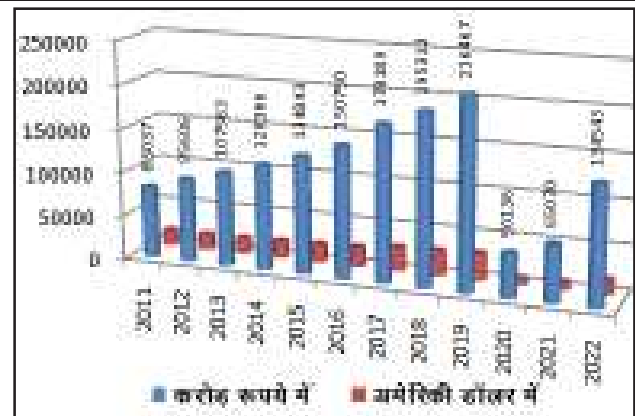
7. कार्बन पर लगाम- इंग्लैंड की सरकार ने सभी घरों के कार्बन की एक मात्रा तय की है। यदि कोई परिवार इसमें कटौती करने में सक्षम होता है तो उसे कार्बन क्रेडिट की तरह कुछ अंक मिलते हैं जिन्हें बेचा जा सकता है। सरकार का मत है कि इससे जलवायु परिवर्तन को लेकर व्यक्तिगत सोच में बदलाव आयेगा। लोग पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में अब आगे आने लगे हैं और इसका उन्हें अहसास भी हो रहा है। सांस्कृतिक मान्यताओं में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन उन्हें सरकारी नियमों और पहलों से मदद मिल रही है।

पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय (एफईई)- आर्थिक विकास के एक साधन के तौर पर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1982 में भारत सरकार द्वारा एक विस्तृत पर्यटन नीति घोषित की गयी। 1986 में पर्यटन को एक उद्योग की मान्यता दी गयी। वर्ष 1991 को पर्यटन वर्ष एवं 1999-2000 को 'भारत यात्रा वर्ष' घोषित किया गया। सन् 2002 में 'अतुल्य भारत (इंक्रेडिबल इंडिया) अभियान' की शुरुआत की थी। भारत सरकार ने 2002 में नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति घोषित की है, जिसमें देश को इस क्षेत्र में एक यग्लोबल ब्राण्ड बनाने की बात कही गयी थी। वर्तमान में पर्यटन एक रोजगार का साधन बन चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था में 17.3 फीसदी हिस्सेदारी पर्यटन उद्योग की है। भारत में यह सेवा उद्योग का रूप ले चुका है, इसका योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद में 6.23 प्रतिशत है एवं कुल रोजगार में 8.78 प्रतिशत है। भारत में हर वर्ष 50 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक

आते हैं तथा 50 लाख से अधिक घरेलू पर्यटक भी पर्यटन करते हैं। पर्यटन भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यह देश की विदेशी आय में पर्याप्त योगदान देता है।

भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय: 2011 से 2022 तक

वर्ष	करोड़ रुपये में	अमेरिकी डॉलर में	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत बदलाव	
			करोड़ रुपये में	मिलियन अमेरिकी डॉलर में
2011	83037	17707	25.49	22.2
2012	95606	17972	15.14	1.5
2013	107563	18396	12.51	2.36
2014	120366	19699	11.90	7.08
2015	134843	21012	12.03	6.67
2016	150750	22428	11.80	6.74
2017	178189	27365	18.20	22.01
2018	195312	28565	9.61	1.4
2019	216467	30721	10.83	7.54
2020	50136	6958	-76.84	-77.35
2021	65070	8797	29.79	26.43
2022	134543	16926	106.77	92.41



स्रोत: भारत पर्यटन आँकड़े, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय

चुनौतियाँ एवं सुझाव- पर्यटन की बढ़ रही माँग हमारे प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों पर दबाव डाल रही है। देश में अवांछित घटनाओं के कारण पर्यटन विकास प्रभावित हो रहा है। सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग के विकास के लिए मंत्रालयों तथा निगमों का गठन किया गया है। बजट राशि का बड़ा हिस्सा अधिकारियों के वेतन भत्तों और सुख सुविधाओं में खर्च हो जाता है। पर्यटन के नाम पर सेमीनारों में देश विदेश भ्रमण पर भारी भ्रकम खर्च हमेशा विवादों में रहता है। भारत में पर्यटकों पर होने वाले हमले तथा यौन उत्पीड़न की घटनाएँ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा आतंकी तथा नक्सली हमले के कारण देश में पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले तथा धार्मिक एवं अन्य शहरों में हुए बम ब्लास्ट के कारण भारतीय पर्यटन उद्योग को लगभग दो अरब रूपयों का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा कुछ भौगोलिक विनाशकारी घटनाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, भू-स्खलन एवं भूमण्डलीय तापन के कारण

पर्यटन उद्योग प्रभावित होता है।

देश में पर्यटन विकास के लिए बेहतर माहौल बनाने से यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। जितनी बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भारत आयेंगे उतना अधिक खर्च करेंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे पर्यटन, यात्रा और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे जिससे समाज के हर वर्ग को बेहतर अवसर मिलेंगे और अर्थव्यवस्था का समावेशी विकास होगा। यदि पर्यटन के पारिस्थितिकीय स्वरूप से सतत विकसित करने और समग्र पर्यावरण के अनुरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो अपूरणीय क्षति हो सकती है।

निष्कर्ष—पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में किये जा रहे सुनियोजित प्रयासों के चलते देश के आर्थिक विकास में पर्यटन उद्योग का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ रहे हैं। पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा है जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन और युवाओं को अनेक रूपों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नये रोजगार प्राप्त हो रहे हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े अन्य उद्योगों के विकास के साथ लोगों को रोजगार मिला और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। यह देश के आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिससे देश को एक नई पहचान मिल रही है। समग्र रूप से एक तीव्रगामी, उन्नतिशील आर्थिक क्षेत्र के रूप में पर्यटन आज देश की वर्तमान तथा भावी समग्र उन्नति का एक सुदृढ़ आधार तथा अविभाज्य अंग बन चुका है। यह उद्योग मात्र व्यवसायिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं किया है साथ ही परस्पर सद्भावना, शांति, एकता व अखण्डता को बनाये रखने में सहायता प्रदान कर रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जगन्नाथ, एस., (फरवरी 1976) पर्यटन के सामाजिक एवं आर्थिक महत्व, जर्नल फॉर इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेड 26(2)।
2. शर्मा, संजय कुमार (2005), पर्यटन में भूगोल, तक्षशिला प्रकाशन नई दिल्ली।
3. दीक्षित, के.के. (2002) पर्यटन के विविध आयाम, तक्षशिला प्रकाशन नई दिल्ली।
4. कपूर, बिमल कुमार (2008), पर्यटन भूगोल, विश्वभारती पब्लिकेशन्स, 4378/4, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।
5. कुरुक्षेत्र, मासिक पत्रिका, जून 2002, पर्यटन उद्योग: विकास की आवश्यकता।
6. http://hindi.webdunia.com/tourism-news/पर्यटन-उद्योग-घ-मिलेगा-बढ़ावा-112092600041_1.htm
7. http://tourism.gov.in/CMSPagepicture/file/marketresearch/statisticsurveys/_AR2007
8. <http://jamosnews.com/politisc/increase-in-tourism/>
9. http://business.gov.in/hindi/Industry_services/tourism.php
10. <http://mpinfo.org/MPinfoStatic/hindi/factfile/tdevpg.asp>
11. <http://www.wttc.org/media/files/reports/economic%20impact%20research/country%20reports/india2014.pdf>
12. <http://www.cci.in/pdfs/surveys-reports/Tourism-in-India.pdf>
13. <http://tourism.gov.in/sites/default/files/वार्षिक%20रिपोर्ट.pdf>

भारत में तलाक की समस्या

डॉ. पूजा तिवारी *

* सहा. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाज शास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – विवाह प्रत्येक समाज की अनिवार्य संस्था है, भले ही इसका स्वरूप देशकाल तथा परिस्थितियों में अलग-अलग पाया जाता हो। 'यौन प्रवृत्तियों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए ही विवाह नामक संस्था का जन्म हुआ। अनेक स्त्री – पुरुषों को विवाह असीम सुख, शांति तथा संतोष प्रदान करता है एवं उनके जीवन को व्यवस्थित बनाता है किंतु कई बार दुर्भाग्यवश विवाह का बुरा प्रतिसाद 'तलाक' के रूप में भी मिलता है।

इलियट एवं मेरिज के अनुसार 'तलाक हमेशा दुखांत एवं रिश्तों का अंतिम विसर्जन के रूप में होता है।' तलाक पारिवारिक तनाव का प्रमुख लक्षण होता है, जिससे पारिवारिक विघटन एवं सामाजिक विघटन होता है। हिन्दू या सिक्ख धर्म में 'तलाक' की कोई अवधारणा नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के सिवा कोई ओर किसी भी दंपति को अलग नहीं कर सकता है। तलाक की अवधारणा भारत में मुस्लिम शासनकाल के बाद समाज में आयी। आज तलाक की दर तेजी से बढ़ रही है, फिर भी भारत में लगभग 10 प्रतिशत जबकि विदेशों में 50 प्रतिशत की दर तलाक के संबंध में देखी गई है। मुस्लिम समाज में तलाक आसान प्रक्रिया है जबकि हिंदू समाज में जटिल प्रक्रिया है। तलाक किसी भी परिवार के लिए दुखद घटना है। जिससे मानसिक अशांति एवं खासतौर पर बच्चों पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी संस्कृति के सम्पर्क में आने से भारत में तलाक की संख्या बढ़ रही है।

तलाक या विवाह विच्छेदन – 'तलाक' शब्द अरबी भाषा के मूल शब्द 'तल्लाका' से बना है, जिसका अर्थ किसी जानवर को बांधने के रस्से से मुक्त करना होता है। 'तलाक' का अर्थ 'त्यागना' है, अरबी समाज में पति को निकाह संबंध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, मुस्लिम समाज में तलाक पति की ओर से ही लिया जा सकता है, यदि पत्नि तलाक लेती है तो उसे 'खुला य कहते हैं, एवं इसमें 'मेहर' की राशि नहीं दी जाती है।

भारतीय समाज में सभी जाति, धर्म के लोग एक साथ निवास करते हैं किंतु तलाक की समस्या वर्तमान में सभी जाति एवं धर्मों में देखी जा रही है।

तलाक की समस्या बढ़ने के कारण – भारतीय समाज में यदि हम तलाक की बढ़ती संख्या पर नजर डालें तो सर्वप्रथम कारण हमारे समक्ष आता है 'महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता' पुराने जमाने में महिलाएँ शिक्षित एवं जागरूक नहीं थी, साथ ही वो प्रत्येक आवश्यकताओं हेतु पति पर निर्भर रहती थी एवं आर्थिक निर्बलता के कारण पति के अत्याचार सहन करने पर मजबूर रहती थी, वह तलाक का साहस जुटा नहीं पाती थी, क्योंकि शादी के बाद वापिस अपने पिता के घर आकर रहना सामाजिक दृष्टिकोण से हेय था एवं बूढ़े पिता पर वह बोझ नहीं बनना चाहती थी, किन्तु वर्तमान में स्थितियाँ

बदल गयी है, अब स्त्रियाँ पढ़ी लिखी आर्थिक रूप से मजबूत होती जा रही हैं आज एक नारी के लिए 'पति' से पहले शिक्षा एवं रोजगार हैं, आज वह पति पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं है।

तलाक से बढ़ती समस्या का दूसरा कारण युवक-युवतियों की मर्जी के बिना विवाह कर देना है। कई प्रकरणों में शादी घर वालों के दबाव में आकर कर ली जाती है, जो बाद में तलाक के रूप में बदल जाती है।

बढ़ते तलाक हेतु लड़की के माता-पिता का अवांछनीय हस्तक्षेप भी है कई बार माँ-बाप अपनी बेटी को गलत सलाह देकर उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद कर देते हैं।

तलाक के अन्य कारणों में 'सास-बहू मनमुटाव', षडयंत्रपूर्वक विवाह, यौन संबंधों में नीरसता, बहुविवाह में रूचि तथा तलाक को समाज एवं परिवार द्वारा उचित मानना, आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न तनाव, दोहरी आय एवं भूमिका बदलना तथा मुख्य रूप से कानून आई.पी.सी. - 498 का दुरुपयोग करना आदि हैं। इसके अलावा विवाह पूर्व संबंध एवं विवाहेत्तर संबंध भी तलाक को बढ़ाते हैं।

भारत में तलाक की वर्तमान स्थिति – आज विवाह विच्छेद की प्रक्रिया आसान हो गई है, इसलिए तलाक की संख्या पुराने समय की तुलना में दुगुनी एवं तिगुनी हो गई है, वर्तमान में महानगरों के साथ ही छोटे शहरों, कस्बों में भी तलाक के प्रकरण तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले दिल्ली में ही प्रतिवर्ष लगभग 9000 केस फाइल होते हैं जबकि मुंबई में 7000 केस फैमिली कोर्ट में प्रतिवर्ष दाखिल होते हैं, जिनमें लगभग 70 प्रतिशत दंपति की आयु 25 से 30 वर्ष के बीच होती है, जबकि लगभग 85 प्रतिशत केस शादी के प्रथम तीन वर्षों में ही दर्ज करवाए जाते हैं। कलकत्ता एवं चेन्नई में तलाक का प्रतिशत सर्वाधिक है।

वर्तमान में प्रेम विवाह एवं अर्न्तजातीय विवाहों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उसी के अनुरूप 'तलाक' की संख्या भी बढ़ रही है क्योंकि कम आयु में गलत निर्णय लेकर जल्दबाजी में युवा वर्ग शादी तो कर लेता है किंतु शादी के पश्चात् जीवन की वास्तविकता का पता चलता है एवं प्रेम कहीं दूर छूट जाता है तथा दूसरे के धर्म एवं संस्कृति को अपनाना एवं निभाना बेहद कठिन लगने लगता है इसलिए अधिकांशतः अर्न्तजातीय विवाह भी असफल होकर 'तलाक' में बदल जाते हैं।

हिन्दू एवं मुस्लिमों में तलाक का प्रावधान – हिन्दू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 से पूरे भारत में लागू किया गया (केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर) हिन्दूओं में बौद्ध, जैन, मुस्लिमों में इस्लामी कानून के अनुसार (1) तलाक अहसन (2) तलाक हसन (3) तलाक-उल-विद्दत

(4) इला (5) खुला (6) मुबारत (7) जिहर (8) लियाज आदि द्वारा तलाक लिया जा सकता है।

सन् 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम लागू होने के बाद मुस्लिम स्त्री को भी तलाक का अधिकार प्राप्त हो गया है। सन् 1986 में मुस्लिम महिला (तलाक के अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम लागू हुआ। **तलाक के पक्ष में एवं विरोध में तर्क** – तलाक को कई दृष्टिकोण से अच्छा माना जा रहा है जिसमें प्रमुख रूप से स्त्रियों की दशा उन्नत करने में सहायक, समानता का सिद्धांत, कलह पूर्ण जीवन से छुटकारा एवं गतिशीलता हेतु आवश्यक आदि तर्क दिए जाते हैं। जबकि विवाह विच्छेद के विरोध में पारिवारिक – विघटन, बच्चों पर बुरा असर, आर्थिक निर्बलता, सामाजिक, विघटन आदि तर्क दिए जाते हैं।

निष्कर्ष – भारत में बढ़ती हुई तलाक की समस्या से स्पष्ट है कि वर्तमान भारतीय सामाजिक जीवन और परिस्थितियों में 'तलाक' की दर को कम करना जरूरी है अतः तलाक केवल गंभीर कारणों से ही देना चाहिए, स्वस्थ जनमत, समर्पण आदि की भावना को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

अभिभावकों को चाहिए कि वे पूर्णतः खोजबीन करके विवाह तय करें, एवं बच्चों के हितों के लिए सामंजस्य करना, त्याग करना चाहिए एवं स्त्रियों को भी कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अंत में कहा जा सकता है कि आधुनिकता के इस युग में भी 'विवाह' एवं 'परिवार' नामक संस्था का अपना महत्व है, बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए माँ – बाप का एक साथ रहना अति आवश्यक होता है अतः विवाह को पवित्र संस्कार मानकर तलाक का विवाह विच्छेद को कम किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मुखर्जी / अग्रवाल – समाजशास्त्र – अग्रवाल प्रकाशन, इंदौर।
2. बघेल डॉ. डी.एस. / समाज शास्त्र – कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
3. महाजन डॉ. धर्मवीर / कमलेश नातेदारी, विवाह, परिवार का समाज शास्त्र – विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
4. डॉ. कालरा / भारत में तलाक की समस्या (इंटरनेट)
5. आजाद इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट (इंटरनेट)

पर्यटन - पर्यावरण और रोजगार

डॉ. जयकुमार सोनी*

*** प्रध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत**

प्रस्तावना - आज विश्व अर्थव्यवस्था को नई मंजिलें प्रदान करने में पर्यटन उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए दुनिया भर में पर्यटन को बड़े उद्योग के रूप में उभर जा सकता है। इससे न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिल रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की पहल भी जोरदार तरीके से हो रही है। पर्यटन से रोजगार स्वरोजगार को बढ़ावा मिल रहा है और एक दूसरे की भाषा, संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाजों को जानने समझने का अवसर भी इसके माध्यम से मिल रहा है। यानी पर्यटन विश्व बंधुत्व अथवा वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को भी सार्थक करता नजर आ रहा है।

पर्यटन से इंसान को अतिरिक्त खुशी मिलती है, इसलिए शायद प्राकृतिक सुरम्यता तथा सौंदर्य को निहार कर स्वास्थ्य लाभ के लिए इंसान कभी पर्वतीय, दर्शनीय स्थलों पर जाने को उत्सुक नजर आता है तो कभी धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर राहत, संतोष व सुख की अनुभूति महसूस करता है। विभिन्न भाषा, साहित्य, लोक जीवन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से भी यात्राएं की जाती हैं। इस सब यात्राओं को पर्यटन में शामिल किया जाता है। यह अब उद्योग का रूप ले चुका है और विदेशी मुद्रा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत बन गया है।

पर्यटन के जरिए प्राकृतिक विरासत को बचाने का जो अभियान प्रारंभ किया गया है इससे सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की तेजी को कायम रखा जा सकेगा। पर्यावरण पर्यटन को उद्योग के रूप में उभरने के लिए पर्यटन का प्रबंधन और प्रकृति का संरक्षण इस प्रकार से किया जाता है ताकि परिस्थितिकी आवश्यकताओं का संतुलन बना रहे और लोगों की रोजगार की जरूरतें पूरी होती रहे। किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 1998 में परिस्थितिकी पर्यटन पर नीति और दिशा निर्देश तैयार कर दिए थे। इस नीति में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सुरक्षा और समृद्ध बनाने के अलावा परिस्थितिकी पर्यटन की वृद्धि के प्रयासों में तेजी लाने की बात कही गई है। इसके अंतर्गत देशभर में देशभर में पर्यटन केंद्रों, होटलों, लॉज एवं रिसोर्ट स्थापित करने की योजना भी शामिल है।

भारत में पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन एक बड़े उद्योग के रूप में उभर कर सामने आया है। पर्यटन गतिविधियों का क्रम बढ़ाने के लिए साथ ही इससे उत्पन्न हुई चुनौतियों की ओर भी ध्यान जाना स्वाभाविक है। कोशिश की जा रही है कि पर्यटन का विकास तो निरंतर हो, लेकिन प्राकृतिक संतुलन न गड़बड़ाए, इसके लिए प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पर्यटन स्थलों पर विशेष व्यवस्था किए जाने की समय रहते जरूरत है ताकि पर्यटकों का आकर्षक

बड़े और सैलानियों के पसंदीदा स्थानों को किसी प्रकार की छाती ना पहुंचे। ऐसा होने पर ही स्वरोजगार को बल मिलेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2002 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पर्व घोषित किया गया। अपने घोषणा पत्र में संघ ने कहा कि परिस्थितिकी पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जिसमें आर्थिक विकास की प्रबल संभावनाएं तो हैं ही, यदि ऐसे उचित तरीके से नियोजित, विकसित एवं प्रबंधित किया जाए तो यह प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण का शक्तिशाली उपकरण सिद्ध हो सकता है।

सांस्कृतिक विरासत से अत्यधिक समृद्ध देशों में भारत का स्थान सातवां है इसलिए यहां पर्यावरण पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। इसके समुचित उपयोग के लिए निम्नलिखित उपाय किया जाना चाहिए-

पर्यावरण पर्यटन की खामियों एवं नकारात्मक प्रभाव को दूर करते हुए स्थाई विकास को प्रोत्साहित करना होगा, ताकि उपयुक्त साधनों और संस्थागत ढांचे को मजबूत किया जा सके।

मेले, प्रदर्शनियों को आयोजन पर्यटन की दृष्टि से आवश्यकता है। पर्यटन उद्योग के विकास के लिए प्राकृतिक पर्यटन को सभी स्तरों पर अपनाना जरूरी है, ताकि समुचित विकास हो सके तथा प्राकृतिक सौंदर्य को बचा रखा जा सके। व्यवस्था ऐसी हो कि यात्रा और पर्यटन लोगों की आई का स्रोत बने, पर्यटकों को भी प्रेरणात्मक व भावनात्मक संतुष्टि मिले तथा वन्य जीवों व पर्यटन को भी लाभ पहुंचे। पर्यटन न केवल विकास, रोजगार बल्कि अस्तित्व बचाव का साधन है इसलिए इसे गंभीरता से लेते हुए कारगर तरीके से अपनाने की आवश्यकता है।

प्रकृति के निरंतर होते दोहन को तो रोका ही जाना चाहिए। पर्यटन संरक्षण तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के अवसर बढ़ाने के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित किया जाए।

लोगों को प्रशिक्षण के जरिए पर्यावरण पर्यटन के प्रति जागरूक करना, सुदूर क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक लाभ पहुंचाते हुए भारतीय संस्कृति व पुरातात्विक दर्शनीय स्थलों को संरक्षित, समृद्ध और प्रोत्साहित करना।

परिस्थितिकी पर्यटन के विकास में जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है ताकि समन्वित रूप विभिन्न परिस्थितिकी पर्यटन गतिविधियों को कारगर बनाया जा सके और योग यानी पर्यटक, ट्रैकिंग, हाइकिंग, वन उपवन वन, जीव अभ्यारणों, पर्वतारोहण, नदी नौकायन, झीलों, घाटियों की यात्रा का आनंद उठा सके। साथ ही पुरातन सुखद वातावरण में प्रवास की यादों को हमेशा ताज बनाए रख सके।

पर्यटन गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के साथ ही ऐसे

पैकेज टूर बनाए जाएं ताकि पर्यटकों को छोटे समूहों में शहर के लिए लाने ले जाने व्यवस्था हो और परिस्थितिकी पर्यटन का भरपूर आनंद प्राप्त कर सके। इसके लिए पहले से लक्ष्य तय किए जाएं। जरूर इस बात की है कि जंगलों को पुनर्जीवित किया जाए और पेड़ों की कटाई को मजबूत इच्छा शक्ति से रोके जाने के नियम बनाए जाएं। पर्यटन में विदेशी ही नहीं स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए लोक कला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना होगा।

यात्रा सुखद एवं पर्यटकों के स्थलों को मनोरम बनाने के अलावा इस प्रकार की प्रबंध किए जाएं ताकि पर्यटकों को खास विशेषताओं को उजागर करते हुए उसे और आकृष्ट किया जा सके।

पर्यटकों के उपयोग के जरूरी उत्पादों का सृजन कर उन्हें लोकप्रिय बनाना, पर्यटकों की रुचियों को समझना भी पर्यटन का ही हिस्सा है, क्योंकि इससे पर्यटन व्यापार बढ़ता है।

इसके लिए जरूरत है कि नए-नए पर्यटन स्थलों का विकास किया जाए। इसमें भौगोलिक परिदृश्य, खेलकूद, फिल्म, प्रसन्नता और मनोरंजन को भी पर्यटन से जोड़ा जा सकता है।

पर्यटन स्थलों के स्थानीय एवं जनजातीय लोगों को पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों के लाभ में भागीदार बनना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पृथ्वी के जल भंडारों केन्द्रों, सांस्कृतिक, साहसिक गतिविधियों, समृद्ध जैव विविधता, खनिज, वन भंडार, मनोरंजन स्थलों, विरासत केन्द्रों का प्रचार भी इसमें शामिल है। पर्यटन प्रोत्साहन और पर्यटन संबंधी फैसला करने से पहले वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाते हुए व्यवस्थित मूल्यांकन किया जाना जरूरी है ताकि पर्यटन विकास का सामाजिक, आर्थिक और भौतिक वातावरण पर रचनात्मक प्रभावों को समझा जा सके और नकारात्मक प्रभावों

को काम किया जा सके।

पर्यावरण पर्यटन उधम को विकसित करने के लिए व्यापक नीति बनाना और सभी की संयुक्त भागीदारी सुनिश्चित करना आदर्श पर्यावरण पर्यटन कार्यक्रम बनाना। कुल मिलाकर पर्यावरण पर्यटन का अर्थ है कि पर्यटन और प्रकृति संरक्षण का प्रबंध इस प्रकार करना कि एक और पर्यटन व परिस्थितिकी जरूरत पूरी हो और दूसरी ओर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार आए एवं नए कौशल के स्तर को ऊपर उठाए जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. एंडरेक, केएल, वैलेंटाइन, केएम, वोग्ट, सीए, और नोपफ, आरसी (2007)। पर्यटन और जीवन की गुणवत्ता संबंधी धारणाओं का एक अंतर-सांस्कृतिक विश्लेषण। जर्नल ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, 15 (5), 483-502।
2. अलोंसो-अल्मीडा, एमडीएम, बागुर-फेमेनियास, एल., लाच, जे., और पेर्नामोन, जे. (2018)। छोटे पर्यटक व्यवसायों में स्थिरता: पहल और प्रदर्शन के बीच की कड़ी। पर्यटन में वर्तमान मुद्दे, 21 (1), 1-20।
3. एंडरेक, केएल, वैलेंटाइन, केएम, वोग्ट, सीए, और नोपफ, आरसी (2007)। पर्यटन और जीवन की गुणवत्ता संबंधी धारणाओं का एक अंतर-सांस्कृतिक विश्लेषण। जर्नल ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, 15 (5), 483-502।
4. आयुसो, एस. (2006). स्थायी पर्यटन के लिए स्वैच्छिक पर्यावरण उपकरणों को अपनाना: स्पेनिश होटलों के अनुभव का विश्लेषण। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण प्रबंधन, 13 (4), 207-220।

पिलखुवा में हथकरघा उद्योग के विकास पर समस्याओं और संभावनाओं के बारे में विशेष अध्ययन

मानवी शर्मा * डॉ. ईशा भट्ट**

* शोधार्थी (डिजाइन) वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (राज.) भारत
** असिस्टेंट प्रोफेसर (डिजाइन) वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (राज.) भारत

शोध सारांश – हथकरघा एक विशेष तकनीकी है जो पूरे भारत में गाँव और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में साधारण कपड़ों के साथ-साथ विशेष कपड़ों का भी उत्पादन करता है। वर्तमान में हथकरघा उद्योग के क्षेत्रों में पावर लूम के कारण भारी गिरावट आई है। जिसका एक कारण यह भी है कि वर्तमान में हथकरघा उद्योग विकेन्द्रीकृत हो गये हैं। पश्चिम बंगाल पारंपरिक रूप से कपास, हथकरघा और जूट यार्न के लिए समृद्ध है। हथकरघा में जूट और जूट मिश्रित यार्न की बुनाई के दौरान बुनकरों को जूट फाइबर के खुरदरेपन के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में पूर्व समय से ही हथकरघा उद्योग को अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि हथकरघा उद्योग मुगल और बादशाहों के समय से शुरू हो गया था। 18वीं शताब्दी से ही प्रारंभ इस कार्य में भिन्न-भिन्न प्रकार के सुन्दर रूप से अभिकल्पन करके उनकी विशेष तरीकों से हाथों द्वारा बनाये जाने के लिए ये उद्योग विख्यात है। ये क्षेत्र वस्त्रों पर सौंदर्य से भरपूर डिजाइन बनाने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इस उद्योग क्षेत्र में विदेशी मुद्रा हासिल करने का प्रमुख स्थान सूती वस्त्र उद्योग है। व्यवसाय रूप से अगर तुलनात्मक वर्णन किया जाये तो कपड़ा आय का प्रमुख स्रोत माना गया है। इसी के साथ-साथ रेशमी और ऊनी वस्त्र व्यवसाय की तुलना में सूती वस्त्र उद्योग को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

शब्द कुंजी – उत्तर प्रदेश, हथकरघा उद्योग, पिलखुवा में समस्याएँ, संभावनाएँ।

प्रस्तावना – भारतीय संस्कृति की अर्थव्यवस्था में हथकरघा उद्योग ने वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि के बाद भारत में यह दूसरे स्थान पर आता है। कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के कारीगरों के लिए यह उद्योग, पूर्ण रूप से रोजगार प्रदान करता है। इस उद्योग का इतिहास लम्बे समय से चलता आ रहा है। हाथों के बुने हुए कपड़ों को बहुत पसन्द किया जाता था इसलिए इन वस्त्रों को आम जनता से लेकर राजा महाराजा तक पहनना पसन्द करते थे। अगर देखा जाये तो मध्य कालीन युग में इस उद्योग में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ गया था। लेकिन आधुनिककाल में अंग्रेजों ने इस उद्योग को नष्ट कर दिया था। सरकार द्वारा इस उद्योग को नई समृद्ध स्थिति पर पहुँचने के लिए स्वतंत्रता के बाद कई कार्य किये गये। आज के युग में इस व्यवसाय को नई उपलब्धि पर पहुँचने के लिए विशेष ध्यान देने के साथ-साथ लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। ताकि लोग हाथों के बुने कपड़ों को महत्व दे जो कि शरीर के लिए लाभकारी है और इस वजह से हाथों से बने उत्पादों की ओर दिलचस्पी बढ़ रही है। भारत देश में वस्त्रों के प्रयोगों का प्रचार अतियात बुरा माना जाता है। प्राचीनकाल में वस्त्रों का ज्ञान, मूर्तियों और साहित्य द्वारा प्राप्त होता है। वस्त्रों को पहनने से बाह्य शिष्टाचार और सभ्यता का पता चलता था तथा सिन्धु घाटी सभ्यता में वस्त्रों का प्रयोग प्रचलित हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उस युग के मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्त्रियों और पुरुषों की मूर्तियों को देखने से वस्त्रों की कताई और बुनाई का पता चलता है। जिसके द्वारा सूत कातने के तकुरे मिले हैं। सूती कपड़े का टुकड़ा जो कि चांदी के पात्र में मिला था। इसके वैदिक युग में भी वस्त्रों का

प्रचुर प्रयोग बताया है तथा उत्तम वस्त्र को धारण करने वाले को सुवासस् कहते थे।

पिलखुवा – कृषि के बाद भारत में एक मात्र ऐसा उद्योग है, वह है परम्परागत वस्त्र उद्योग। भारत में यह दूसरे स्थान पर आता है। कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के कारीगरों के लिए यह उद्योग पूर्ण रूप से रोजगार उत्पन्न करता है। भारत देश में लाखों लोग इससे प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। भारत के नक्षेत्र में पिलखुवा का नाम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पिलखुवा हापुड़ का एक कस्बा है। यह कस्बा सन् 2011 से पहले गाजियाबाद जिले का हिस्सा था। अब इसे हापुड़ में शामिल कर दिया गया है। यह जी0टी0 रोड पर दिल्ली से 45 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसके पूर्व में हापुड़, पश्चिम में गाजियाबाद, उत्तर में मोदीनगर व दक्षिण में बुलन्दशहर है। यह नगर दिल्ली मुरादाबाद रेलवे लाइन पर स्थित है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पिलखुवा अपने कपड़ा उत्पादन, में विशेष रूप से बेडशीट के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश युग में इस शहर को पिलखुवा नाम मिला था। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी प्रचलित है। उस समय वहाँ एक हाथी था, जिसका नाम 'पीआईएल' हुआ करता था। जब वह खो गया था तब रानी के सैनिक उस हाथी अर्थात् 'पीआईएल' नामक हाथी की तलाश में इधर से उधर भटक रहे थे। तब गाँव के लोग सैनिकों से पूछते कि 'क्या हुआ'? तो सैनिक जवाब देते थे कि 'पीआईएल' खो गया। इस वाक्य का अपभ्रंश होते होते वह 'पिलखुवा' हो गया और इस शहर का नाम हमेशा के लिए भारत के नक्षेत्र में पिलखुवा हो गया। पिलखुवा का विस्तार और औद्योगीकरण सन् 1977 में लाला नामक व्यक्ति के द्वारा पेट्रोल पम्प की

स्थापना के साथ शुरु हुआ था। स्वर्गीय जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब, जिन्होंने कानपुर से प्रिंटिंग में डिप्लोमा किया था, उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग सहित नई प्रिंटिंग प्रौद्योगिकियों की शुरुआत की थी। उन्होंने शहर में रोजगार प्रदान किया और शहर को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अन्य कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पिलखुवा में वस्त्र उद्योग की शुरुआत सन् 1970 में कलानौर से आकर बसे नन्धू राणा के दो पुत्र कल्याण सिंह व निहाल सिंह ने की। यहाँ आने के बाद इन दोनों भाईयों ने इस्लाम-धर्म अपना लिया था। कन्खली झील के किनारे आबाद हुआ पिलखुवा करीमुल्ला व रहीमुल्ला राणा के नाम से मशहूर हुआ। इन दो भाईयों की संताने छपाई का कार्य करने की वजह से छपी कहलाती हैं। पिलखुवा गांधी के सपने 'स्वाधी' के लिए भी प्रसिद्ध है। पिलखुवा प्रायः छोटे उद्योगों के लिए जाना जाता है। कैनवास वस्त्र निर्माण उद्योग की शुरुआत पहली बार यहीं पर हैण्डलूम जैकार्ड से सन् 1969 में स्वर्गीय श्री नरेन्द्र प्रताप गुप्ता द्वारा शुरु की गई। स्थानीय लोगों से यह पता चला है कि अब इनके बेटे कार्यरत हैं। यहाँ छोटे उद्योगों के साथ कुछ बड़े निर्माता विदेशों में अपने उत्पाद बेचने हेतु भी विविध उत्पादों का निर्माण करते हैं। इस शहर को उसी कारण से कपड़ों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। चूंकि यह शहर दिल्ली से लगभग 35 किमी० दूर है, यह एन०सी०आर० में स्थित है, इसलिए अब उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक उभरती जगह है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार पिलखुवा की जनसंख्या 83,737 है।

पिलखुवा के वस्त्र निर्माण उद्योग की विशेषताएँ—पिलखुवा भारत की हथकरघा और छपे हुए कपड़े की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। पिलखुवा में खासतौर पर कपड़े की बुनाई, छपाई, रंगाई, धुलाई, सिलाई आदि का ही कारोबार होता है। पिलखुवा के बने हुए कपड़े भारत के कोने-कोने में भेजे जाते हैं। यहाँ की हैण्ड ब्लॉक प्रिंट की चादरें भारत के बाहर भी एक्सपोर्ट होती हैं। यहाँ चादरें, तकियों की खोलियाँ, रजाई, तौलिये और अस्तर के कपड़ों का व्यापार भी होता है। आमतौर पर शादियों के सीजन में अच्छा व्यापार होता है और नवम्बर इसका सर्वश्रेष्ठ समय है। यहाँ कुछ लोग दूसरे राज्यों से भी आर्डर लेकर कार्य करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 15 हजार लोग व्यापार के सिलसिले में पिलखुवा से दूसरे राज्यों में भी जाते हैं। पिलखुवा बहुत सारे हैण्डलूम बुनकरों के लिए भी बड़ा बाजार है। आस-पास के कई कस्बों जैसे सरघना, मुरादनगर और मेरठ से यहाँ काफी माल आता है। कुछ बुनकर गंगा पार 100 किलोमीटर दूर बिजनौर के नेहरतौर गाँव से भी पिलखुवा में अपने उत्पाद बेचने आते हैं, हर बुधवार को यहाँ हाट में ये बुनकर कच्चा (ग्रे क्लॉथ) कपड़ा लेकर आते हैं। जो बाद में चादर और तकिये की खोलियाँ और अन्य कपड़े बनाने के काम आता है। कुछ व्यापारी पावरलूम पर कैनवास कपड़ा बनाते हैं। यह बैग तथा ट्रकों की अस्थाई लचीली छत बनाने के काम आता है। एक समाचार-पत्र के अनुसार श्री अग्रवाल के मुताबिक यहाँ 2500 पावरलूम इकाईयाँ हैं और 250 कारखाने हैं। जहाँ कच्चे (ग्रे क्लॉथ) कपड़े पर छपाई कर चादरें, तकिये के कवर आदि बनाए जाते हैं। यहाँ पावरलूम पर काम करने वाले परिवार के सभी सदस्य मिलकर हर महीने 9-10 हजार रुपये महीना कमाते हैं।

पिलखुवा की विशेष बेडशीट



ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग



हैण्डलूम बुनकर



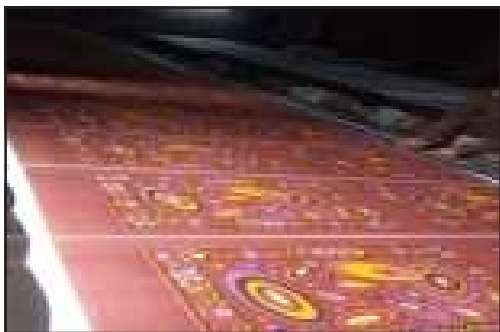
कैनवास वस्त्र निर्माण



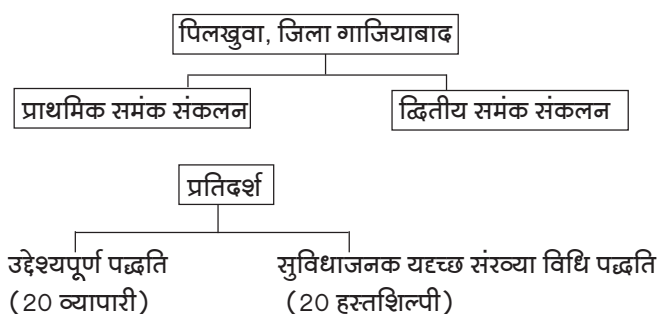
अभिकल्पन



अभिकल्पन



शोध अभिकल्पन (वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक) अध्ययन क्षेत्र



समस्याएं/संभावनाएं— मणिपुर हथकरघा बुनाई उद्योग सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवसाय के रूप में चल रहा है। हालांकि बुनाई, आय और रोजगार का एक पारंपरिक स्रोत है, लेकिन युवा पीढ़ी बुनाई करने में कम रुचि दिखा रही है। यह आधुनिकीकरण का प्रभाव है तथा स्थानीय लघु कपड़ा उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया है। यह उपयोग किए जाने वाले समाधान और समस्या समाधान विधियों की भी पड़ताल करता है। लेखक ने इस उद्योग के व्यवस्थित और श्रेणीबद्ध प्रणाली को दर्शाया है। सबसे बड़ी समस्या वित्त की बताई गयी है। इसके अलावा ज्ञान की कमी, व्यापार के लिए आवश्यक संचार, संभाषण कला, श्रमिकों की कमी, मार्केटिंग आदि की समस्याओं को उजागर किया है। बुनकरों द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर कच्चे माल, वित्त की कमी, उचित रंगाई सुविधाओं की कमी और बिजली की असमान आपूर्ति के अभाव के कारण कम उत्पादकता की समस्याओं का सामना करना पड़ा। विनिर्माण इकाइयों के लिए काम करने वाले बुनकरों को काम करने की जगह, आधुनिक उपकरणों की अनुपलब्धता और माँग की कमी, का सामना करना पड़ा और हथकरघा बुनाई इकाइयों की स्थिति का अध्ययन करके पता चला की अध्ययन का मुख्य उद्देश्य हथकरघा बुनाई इकाइयों की स्थिति उनके सेटअप, कामकाज और उनके सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करना था। परिणाम द्वारा पता लगाया गया है कि बुनकरों की स्थिति दयनीय थी। वे अशिक्षा, अपर्याप्त वित्त, विपणन बाधाओं और अपर्याप्त सुविधाओं के कारण विकलांग थे भारतीय कपड़ा उद्योग अत्यधिक असंगठित और श्रम प्रधान है। कपड़ा उद्योग में असंगठित क्षेत्र, लघु और मध्यम उद्योगों का वर्चस्व है। विदेशी निवेशक कपड़ा उद्योग में कोई भी निवेश नहीं कर रहा है, जो कि एक चिन्ता का विषय है। सरकार की नीतियाँ इस उद्योग के पक्ष में नहीं हैं। वर्तमान स्थिति में कंपनियाँ अपने उत्पादों को सर्वश्रेष्ठ होने के साथ, बेंचमार्क करने, गुणवत्ता और उत्पादन प्रक्रियाओं को अपग्रेड करने की माँग कर रही है। भारतीय

कपड़ा उद्योग को अंतर्दृष्टि प्रदान करने की कोशिश कराता है और उभरते रुझान के असवरो, चुनौतियों को समझने का प्रयास कराता है। पता चला है कि केरल में पद्मा सलियास समुदाय ने कपड़ा उत्पादन करने के लिए कताई और बुनाई प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। इस जाति के दो समुदाय, इदकई और वेलकई क्रमशः स्पिनरों और बुनकरों का प्रतिनिधित्व करते थे। केरल के बुनकरों द्वारा हथकरघा के माध्यम से मुंडू (साउथ केरल धोती) थीरथु, (सफेद सूती स्नान तौलिया) वेशी (सूती धोती) और पुडवा (साड़ी) जैसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। केरल में अब भी हाथ से बुने हुए कपड़े उनके स्थायित्व, आकर्षक, रंगों और परिशिष्ट के लिए जाने जाते हैं। पारम्परिक पिट करघे को तकनीकी परिवर्तन के कारण फ्रेम वाले करघे के आगे बदल दिया गया है। इससे कुटीर उद्योग और कारखानों के पैटर्न में भी बदलाव हुआ है।

परिणाम एवं विश्लेषण—प्रस्तुत शोध पत्र पिलखुवा के व्यापारी और कामकाजी स्त्री-पुरुषों के लिए है। यह प्रश्नपत्र लोगों द्वारा पिलखुवा व्यापार के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। प्रश्नपत्र को दो प्रकार से तैयार किया गया है जिसमें पहले प्रश्नपत्र की 20 प्रतिदा व्यापारी व दूसरे प्रश्नपत्र की 20 प्रतिदा कारीगरों द्वारा भराया गया है। प्रतिवादियों की आयु 25 वर्ष से 50 वर्ष से अधिक है। इस व्यवसाय से जुड़े लोग (अमूमन) अधिकतर हिन्दू धर्म से है तथा इसमें पुरुष व्यापारियों व कारीगरों की संख्या अधिक पायी गयी है, पुरुष कारीगर 100 प्रतिशत व पुरुष व्यापारी 95 प्रतिशत है तथा महिलायें व्यापारियों की भागीदारी 5 प्रतिशत है। व्यापारी वर्ग का शैक्षिक स्तर भिन्न-भिन्न है जिसमें 22 प्रतिशत अनपढ़, 28 प्रतिशत प्राथमिक व 33 प्रतिशत स्नातक उत्तीर्ण है। कारीगर वर्ग में 38 प्रतिशत लोग अनपढ़, 29 प्रतिशत प्राथमिक शैक्षिकता वाले व 33 प्रतिशत उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण है। पिलखुवा व्यवसाय में 40 प्रतिशत व्यापारी एकल परिवार के तथा 60 प्रतिशत संयुक्त है तथा कारीगर वर्ग 85 प्रतिशत कारीगर विवाहित व 15 प्रतिशत अविवाहित है। व्यापारी वर्ग की परिवार संरचना 49 प्रतिशत 5 सदस्यों तक है तथा 43 प्रतिशत 5 से 10 सदस्यों की है। 80 प्रतिशत कारीगर वर्ग के परिवार के सदस्यों की संख्या 5 से कम है तथा 20 प्रतिशत कारीगरों के परिवार के सदस्यों की 5-10 संख्या में है। 64 प्रतिशत कारीगरों की मासिक आय 10,000 रुपये, 21 प्रतिशत कारीगरों की मासिक आय 5000-10000 रुपये व केवल 15 प्रतिशत कारीगरों की आय 10000-20000 रुपये तक है। 70 प्रतिशत व्यापारी वर्ग बुनाई व छपाई दोनों प्रकार का व्यवसाय करते हैं वही 25 प्रतिशत बुनाई तथा 5 प्रतिशत छपाई के व्यवसाय में संलग्न है। कारीगर वर्ग के बच्चों का शैक्षिक स्तर कुछ विचित्र है जहाँ 40 प्रतिशत कारीगर वर्ग के बच्चे अपनपढ़, 40 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्तकर्ता है तथा 20 प्रतिशत स्नातक शिक्षा को प्राप्त कर उत्तीर्ण है। कारीगर वर्ग के अन्य सदस्य भी कार्य में संलग्न है जिसमें से 42 प्रतिशत नौकरीपेश व 24 प्रतिशत अन्य काम में संलग्न है तथा 28 प्रतिशत पढ़ाई में संलग्न है। कारीगर वर्ग में 37 प्रतिशत कारीगर बुनाई, 37 प्रतिशत छपाई, 16 प्रतिशत रंगाई व 10 प्रतिशत डिजाइन करने का कार्य करते हैं। व्यापारी वर्ग में 82 प्रतिशत केवल रंगाई से भी उत्पाद बनाये जाते हैं। पिलखुवा व्यवसाय के 81 प्रतिशत लोग पैतृक व्यवसाय कर रहे हैं। वहीं 19 प्रतिशत व्यापारी इस व्यवसाय में नये हैं। इनमें से 41 प्रतिशत व्यापारी 5-10 वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं, 28 प्रतिशत व्यापारी 1-5 वर्ष से तथा 17 प्रतिशत 20 वर्षों से अधिक

समय से कार्यरत है वहीं 10-20 वर्षों से 14 प्रतिशत व्यापारी यह व्यवसाय आगे बढ़ा रहे हैं, 63 प्रतिशत व्यापारियों ने इस व्यवसाय का प्रशिक्षण नहीं लिया है वहीं 37 प्रतिशत व्यापारियों ने इस व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण लिया है। 70 प्रतिशत व्यापारी वर्ग में व्यवसाय के लिए प्रेरणा स्रोत पूर्वज व पैतृक सदस्य रहे हैं वहीं 15 प्रतिशत स्वच्छा से यह व्यवसाय कर रहे हैं। 5 प्रतिशत व्यापारी घर चलाने के लिए इस व्यवसाय से लाभान्वित हैं वहीं 10 प्रतिशत व्यापारी इस कला को आगे बढ़ाने के लिए संलग्न हैं। 48 प्रतिशत व्यापारी वर्ग के परिवार में पिता, 26 प्रतिशत भाई, 21 प्रतिशत व 5 प्रतिशत रिश्तेदार सम्मिलित हैं। व्यापारी वर्ग के परिवार में 47 प्रतिशत परिवार के सदस्य यही कार्य व 47 प्रतिशत परिवार के सदस्य यही कार्य व 47 प्रतिशत परिवार के सदस्य अन्य कार्य करते हैं वहीं 6 प्रतिशत पढ़ाई करते हैं। 100 प्रतिशत कारीगर यह कार्य फैक्ट्री में ही करते हैं। सभी 100 प्रतिशत व्यवसाय इस कार्य को समाधानी से समझते हैं, 81 प्रतिशत व्यापारियों का मानना है कि इस कार्य को अन्य लोग भी पसन्द करते हैं, वहीं 19 प्रतिशत व्यवसायी इस व्यवसाय से अहसमत हैं। 65 प्रतिशत व्यापारी इस व्यवसाय को समाज के उच्च स्तर पद, 28 प्रतिशत मध्यम स्तर व 7 प्रतिशत व्यापारी इसे निम्न स्तर पर स्थान पर देखते हैं। 71 प्रतिशत कारीगरों ने व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण लिया है तथा 29 प्रतिशत कारीगरों को पहले से यह कार्य आता था, 45 प्रतिशत कारीगर इस कार्य को घर चलाने के लिए 45 प्रतिशत आय बढ़ाने के लिए तथा 10 प्रतिशत इसे समय व्यतीत करने के लिए करते हैं। इस व्यवसाय के लिए 70 प्रतिशत व्यापारी धागा काशीपुर से व 30 प्रतिशत अन्य स्थान से खरीदते हैं। धागे की खरीद 82 प्रतिशत व्यापारियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है वहीं, 18 प्रतिशत व्यापारियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से धागे पूर्ण रूप से सभी व्यापारियों द्वारा लच्छी रूप में खरीदा जाता है तथा सभी व्यापारी इसे ब्रे में ही खरीदते हैं। पिलखुवा प्रिंटिंग और बुनाई से 43 प्रतिशत बेडशीट, 31 प्रतिशत लोई, 19 प्रतिशत पिल्लोकवर व 7 प्रतिशत दरी के रूप में उत्पाद बनते हैं। 71 प्रतिशत कारीगर वर्ग को मजदूरी प्रतिमाह तथा 29 प्रतिशत कारीगरों को प्रतिघंटा प्राप्त होती है। इस कार्य से 42 प्रतिशत कारीगरों की कमाई 10-20 हजार रु. तक, 35 प्रतिशत कारीगरों की कमाई 5-10 हजार रुपये तक, 14 प्रतिशत कारीगरों की कमाई 1-5 हजार रुपये तक तथा 9 प्रतिशत कारीगरों की कमाई 20,000 रुपये से अधिक है। 100 प्रतिशत कारीगरों का मानना है कि उनकी इस व्यवसाय में कुशलता है। इस कार्य के संदर्भ में 50 प्रतिशत कारीगर अपना कार्य सुझाव देते हैं वहीं, 40 प्रतिशत सुझाव नहीं देते हैं, 10 प्रतिशत कारीगर कभी-कभी कार्य सुझाव दिये जाते हैं। पिलखुवा व्यवसाय से जुड़े 80 प्रतिशत कारीगर इस व्यवसाय के साथ अन्य कार्य नहीं करते हैं वहीं 20 इस व्यवसाय के साथ-साथ अन्य कार्य को करना पसन्द करते हैं। 86 प्रतिशत कारीगर इस कार्य से संतुष्ट है वहीं 14 प्रतिशत कारीगर असंतुष्ट है। पिलखुवा व्यापार के कारीगर आय से बचत करने में असमर्थ है तथा 25 प्रतिशत कारीगर करीब 10-20 प्रतिशत ही बचत कर पाते हैं। 75 प्रतिशत कारीगरों ने माना है कि इस काय से कमाई में अंतर (बढ़ोत्तरी) हुई है, 25 प्रतिशत कारीगरों ने बताया है कि इससे आय में कोई अंतर नहीं हुआ है। 90 प्रतिशत कारीगरों ने आय में कटौती का अनुभव किया वहीं 10 प्रतिशत कारीगरों ने कटौती का अनुभव नहीं किया। 93 प्रतिशत कारीगरों के कार्य व आमदनी का मूल्यांकन निश्चित है वहीं 7 प्रतिशत कारीगरों के कार्य व आमदनी का मूल्यांकन कार्य कुशलता पर आधारित है।

विचार विमर्श - पिलखुवा में काम करने वाले कारीगर इस व्यवसाय को कुशलता पूर्वक करते हैं तथा कारीगरों को सुझाव भी दिये जाते हैं। इस व्यवसाय से जुड़े लोग कोई भी अन्य कार्य नहीं करते हैं क्योंकि कारीगर अपने कार्य से पूरी तरह संतुष्ट है। इस कार्य में कारीगरों की आय में भी बढ़ोत्तरी हुई है तथा कारीगरों की आमदनी का मूल्यांकन निश्चित रूप से तय है। पिलखुवा में प्रिंटिंग और बुनाई से बेडशीट, लोई, पिल्लोकवर, दरी उत्पाद बनते हैं कारीगरों को मजदूरी प्रतिमाह मिलती है जिसमें कारीगरों की 20,000 रुपये से अधिक है। बुनाई करने के लिए व्यापारी धागा काशीपुर से खरीदते हैं धागों को प्रत्यक्ष रूप से खरीदा जाता है। धागों को लच्छी रूप में खरीदा जाता है तथा सभी व्यापारी इसे ब्रे अवस्था में खरीदते हैं कारीगर इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लेते हैं सभी ही कारीगर इस कार्य को फैक्ट्री में ही करते हैं इस कार्य को समाधानी पूर्वक समझते हैं, समाज में इस कार्य को पसन्द किया जाता है और समाज में इस व्यवसाय को उच्च स्तर पद मिला हुआ है। व्यापारी वर्ग के रिश्तेदार भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। व्यापारी वर्ग में अधिकतर का व्यवसाय पैतृक है। जो कि 20 वर्षों से अधिक पुराना है। जो इस व्यवसाय में पुराने हैं इन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है। जिन्होंने ये व्यवसाय कुछ वर्षों पहले शुरू किया है उन लोगों को प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है, ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस व्यवसाय के प्रेरणा स्रोत उनके पूर्वक है और यह लोग इस व्यवसाय से लाभान्वित होकर इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। इस व्यवसाय में व्यापारी और कारीगरों की आयु 25 वर्ष से 50 वर्ष से अधिक है, ज्यादातर हिन्दू लोग ही इस व्यवसाय से जुड़े हैं महिलाओं की भागीदारी व्यवसाय के प्रति कम है कारीगर वर्ग में अधिकतर लोगों का शैक्षिक स्तर अनपढ़ है। जो विवाहित है और अपने परिवार के साथ एकल रहते हैं। कारीगर लोग इस व्यवसाय से प्रति माह 10,000 से 20,000 हजार रुपये तक कमा लेते हैं। इन लोगों के परिवार के अन्य सदस्य भी इस कार्य को करना पसन्द करते हैं। कारीगर बुनाई, छपाई, रंगाई व डिजाइन बनाने का कार्य करते हैं। व्यापारी वर्ग में ज्यादातर व्यापारियों के परिवार की रचना संयुक्त है। व्यापारी वर्ग में बुनाई छपाई दोनों प्रकार का व्यवसाय होता है। कुछ व्यापारी रंगाई द्वारा भी उत्पाद बनाते हैं।

निष्कर्ष - इस शोध पत्र द्वारा पिलखुवा क्षेत्र में फल-फूल रहे वस्त्र उद्योग की एक सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी सामने आयीगी। इस से आने वाली पीढ़ी को नये अध्ययन के अवसर प्रदान होंगे। पिलखुवा के वस्त्र उद्योग पर निर्भर व्यापारी वर्ग तथा इस उद्योग से सम्बन्धित अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे। पिलखुवा में वस्त्रों से सम्बन्धित कई विधियों से जैसे - बुनाई, रंगाई, छपाई एवं ब्लॉक प्रिंटिंग कार्य होते हैं। यहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में वर्तमान में सुधार आ रहा है तथा आधुनिकीकरण की तरह पहल हो रही है। व्यवसाय में व्यापारी और कारीगरों के सम्बन्धों में उल्लेखित समस्याओं की भविष्य में विस्तृत जानकारी इस शोध पत्र द्वारा सामने आयीगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Aboutalebian ,S., & Gauri, F.N.(2018).Emerging Trends, Opportunities And Challenges In Textile Industries In India. *International Journal Of Academic Research And Development*,3(3) ,292-295
2. Chavan,R.B.(2001).Indian Textile Industry- Environmental Issues. *Indian Journal Of Fiber & Textile Research*, 26, 11-12

3. Choudhury, A. (2006). Textile Preparation And Dyeing. New Delhi. Mohan Primlani.
4. Corbman, B.P. (1983). Textile Fiber To Fabric (6th ed.).
5. Dedhia, E., & Hundekar, M. (2008). Ajrakh Impressions And Expressions : A Journey Of Antique Traditional Indian Textile " Printing With Natural Dyes ". (1ST ed.). Mumbai.
6. Deo, H.T. (2001). Ecofriendly Textile Production. *Indian Journal Of Fiber & Textile Research*, 26, 61-73
7. Foundation, A. (2009). Sanganer Traditional Textile – Contemporary Cloth : Anokhi Museum Of Hand Printing . Jaipur, India.
8. Ganguly, D. & Amrita. (2013). A Brief Studies On Block Printing Process In India. *National Institute Of Fashion Technology*. Retrieved From <https://www.researchgate.net/publication/292876526>
9. Gill, P. (2014) Revival Of Durries Through Product Development (unpublished). Department Of Clothing & Textile
10. Hada, J.S. (2015). Dyeing With Natural Dyes: A Case Study Of Pipad Village, District Jodhpur, Rajasthan, DOI:10.13140/RG.2.1.5049.3204
11. Kamble, P.A., & Suryavanshi, A.G. A Study On Growth Of Decentralized Powerloom Sector In India. Accessed on September 17, 2019, Retrieved From https://www.researchgate.net/publication/310240321_A_STUDY_ON_GROWTH_OF_DECENTRALIZED_POWERLOOM_SECTOR_IN_INDIA
12. Karolia, A. & Amrita. (2008). Ajrakh, The Resist Printed Fabric Of Gujarat. *Indian Journal Of Traditional Knowledge*, 7(1), 93-97
13. Kaur, R., & Brar, P. (2015). A Brief Review Of Block Printing In India, With A Comparative Analysis Of Ajrakh And Sanganer Styles Of Printing, *Asian Resonance*, 4(2), 96-100
14. Khatoon, R., Das, A.K., Dutta, B.K., & Singh, P.K. (2014). Study Of Traditional Handloom Weaving By The Kom Tribe Of Manipur. *Indian Journal Of Traditional Knowledge*, 13(3), 596-599
15. Kurup, KKN. (2008). Traditional Handloom Industry Of Kerala. *Indian Journal Of Traditional Knowledge*, 7(1), 50-52
16. Maity, S., Singha, K., Singha, M. (2012). Recent Developments in Rapier Weaving Machines In Textile. *American Journal Of Systems Science*, 1(1), 7-16, DOI: 10.5923/j.ajss.20101.02
17. Mohanty, B.C., Mohanty, J.P. (1983). Block Printing And Dyeing Of Bagru, Rajasthan : Study Of Contemporary Textile Crafts Of India. Ahmedabad, India. H.N. Patel.
18. Naik, S.D. (2012). Folk Embroidery And Traditional Handloom Weaving .New Delhi .S.B Nangia.
19. Navi, S. (2018, December 9). 50 Day Of Note Ban Handloom City Pilkhuwa. Retrieved From http://hindi.catchnews.com/India/50_day_of_note_ban_handloom_city_pilkhuwa_lies_deserted_traders_angry_1483042780.html
20. Needles, H.L. (2001). Textile Fibers Dyes, Finishes And Processes (1st ed.). Delhi, India. A.K. Jain.
21. Plikhuwa. (2018). Retrieved December 8, 2018, From Wikipedia : <http://hi.wiki/plikhuwa>
22. Sengupta, S., Debnath, S., & Bhattacharyya, G. (2008). Development Of Handloom For Jute Based Diversified Fabrics Modifying Traditional Cotton Handloom. *Indian Journal of Traditional Knowledge*, 7(1), 204- 207
23. Slater, K. (2003). Environmental Impact of Textile : Production, Processes And Protection (1st ed.). Wood head Publishing, North America.
24. Tambi, S. (2013). The Challenges Faced By SMEs In The Textile Industry: Special Reference To Hand Printing Enterprises In Jaipur. *Global Journal Of Management And Business Studies*, 3(7), 741-750
25. Teri, (2016). Energy Profile : Panipat Textile Cluster (Rep.). Accessed on December 20, 2018, Retrieved From <http://sameeksha.org/pdf/clusterprofile/PanipatTextileCluster.pdf>
26. Textile Industry In India. (2019). Retrieved March 14, 19, From Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_Industry_In_India
27. Thames & Hudson. (2008). Indian Textiles (1st ed.). High Holborn, London.
28. बेला, डॉ. भार्गव, (2012), वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला (चतुर्थ संस्करण), जयपुर।
29. माथुर, कमलेश, (1997), हस्तशिल्प कला के विविध आयाम (प्रथम संस्करण), जयपुर।
30. माथुर, कमलेश, (2010), पारम्परिक कला एवं लोक संस्कृति, जयपुर।
31. पोटर, डेविड, एम, (2004), वस्त्र उद्योग: तन्तु से वस्त्र, दिल्ली।
32. वर्मा, डॉ. प्रमिला, (2006), वस्त्र-विज्ञान एवं परिधान (उन्नीसवाँ संस्करण), भोपाल, मध्य प्रदेश।
33. भगत, आशा, (1995), राजस्थान: गुजरात एवं मध्य प्रदेश की छपाई कला का सर्वेक्षण, राधा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
34. गुर्जर, शर्मिला, (2003), वस्त्र रंगाई तकनीक (प्रथम संस्करण), जयपुर।

Sustainable Developmental Goals and Women Empowerment

Mrs. Seema Naik*

*Assistant professor (Botany) Govt. Girls college, Barwani (M.P.) INDIA

Abstract - This article is related with the integration of sustainable developmental goals and women empowerment. Sustainable developmental goals provide the equal opportunity of education and other facility to women for economically and socially development. it is also helpful in the development of the leadership skill in women. in this way, with the empowering of women we can achieve the target of sustainable goals, because women is a centre of home and society so she can play significant role in management of nutrition, clean environment, economy, and peace through her eco friendly activity.

Keywords: Sustainable development, SDGs, Women Empowerment, Opportunity.

Introduction - Sustainable Development goals (SDGs) are adopted by United Nations members in 2015, with the purpose of save earth planet and create a peaceful environment for the overall development of human being. these are 17 Goals which are, SDG 1- No poverty, SDG 2- Zero hunger, SDG 3- Good health and well-being, SDG 4- Quality education, SDG 5- Gender equality, SDG 6- Clean water and sanitation, SDG 7- Affordable and clean energy, SDG 8- Decent work and economic growth, SDG 9- Industry, innovation and infrastructure, SDG 10- Reduced inequalities, SDG 11- Sustainable cities and communities, SDG 12- Responsible consumption and production, SDG 13- Climate action, SDG 14- Life below water, SDG 15- Life on land, SDG 16- Peace, justice, and strong institutions, and SDG 17- Partnerships for the goals. United nation member decide to achieve these goals up to 2030. That's why it is also known as agenda 2030, and the objective is to create the peace and prosperity on the earth with the gender equality.

Success of these agenda is depending on the development of women, because women represent the half population of the world and play the significant role as a workforce in the various field like education, agriculture, industry, cottage industry etc. but they are having less opportunity to make policy or manage the things according to their wisdom and skill. so through the empowering of women we can change the scenario and able to achieve the target of SDGs.

Women empowerment through Sustainable Goals: The core objective of the SDGs is the Social development of the human being along with their economic growth and quality environment. But the main challenge in achieving

the target is the half workforce (women) of the population. Because Women are suffering from malnutrition, home violence, gender indiscrimination, and getting less opportunity of quality education. so they are unable to give their contribution in the sustainable development. Michelle Obama once said, "No country can ever truly flourish if it stifles the potential of its women and deprives itself of the contributions of half of its citizen". So it is necessary to emphasis on the development of the women because women are not only the centre of their family but Society also. That's why SDGs 5 is most important to get gender equality. if women get equal opportunities then she can play significant role to achieve other SDGs. because the gender inequality hinders and obstructs global sustainable development and achievement of SDGs.(Begum Sertyesikisk, 2023). An increasing number of studies indicate that gender inequalities are extracting high economic costs and leading to social inequities and environmental degradation around the world (Candice Stevens, 2010) that's why it is very important to uplift the women and give them quality education without any discrimination. according to SDGs 4. Women should have the equal opportunities to get technical and management and other education as per her choice. Some workshop and educational programme should be organized for the upliftment of women confidence and leadership skill. Investing in girls education give the fruitful social impact. SDGs 3 ensure the medical facility and nutrition availability for good health and well being. Healthy and strong women can contribute in the upliftment of society. having an equal representation of Women will not only be a catalyst for economic growth, but also increase the quality of

innovations in India with inclusion of a diverse perspective in STEM (science, technology, engineering, Math) (Anand. p., 2022).

Role of Women in Achieving the sustainable Goals:

Educated girls will become a stronger part of the workforce and play significant role in economical growth; they are good financial manager so that they can help society from overcome the poverty. In this way they will help to achieve the first SDGs (No poverty). Women are mainly responsible for meal and nutrition in their family, if she is having the proper knowledge of nutrition then she can contribute to end hunger (nutrient deficiency). Rural women give her contribution in agriculture so that they can promote sustainable agriculture and ensure the food security and improved nutrition, and helps to attain the target of SDGs 2. Clean environment and sanitation, affordable and clean energy, and climate change is the most important SDGs 6,7,13. and these targets cannot be achieve without the help of women, because the women are directly involve in the consumption of the energy, sanitation and environment through their household work. training and education motivate them to use affordable, and sustainable modern energy resources as well as environmental awareness initiate them to sustainable use of natural resources, which may be helpful to achieve the said targets. Women are naturally cooperative, innovative, productive and stable work force that's why then can work for achieving the target of SDGs 8, 9, 11, 12 and 17. main cause of the changing environment and degradation are modern developmental processes, to overcome this problem Green economy is

the new concept, in which all the developmental programme should be eco friendly, for an example use of renewable energy source etc. women can enhance these concept through their eco friendly nature and saving the biodiversity with her aesthetic value.

Conclusion: We concluded that the sustainable goals empowering the women and provide the equal opportunity to work for the society and wellness of environment. Through the Women empowerment we can use her confidence and leadership skill, and problem solving approach to achieve the various sustainable goals. That's why for the sustainable development we should emphasis on the Equity and Equality. And provide the equal opportunity to women for the maintenance of peace and prosperous on the earth.

References:-

1. Sertyesilisik B.,(2023), "Women Empowerment as a Key to Support Achievement of the Sustainable Development Goals and Global Sustainable Development", Chakraborty C. and Pal D.(Ed) Gender Inequality and its Implication on Education and Health, Emerald Publishing Limited, leeds, pp 153-163.
2. Stevens C.,(2010), "Are women the key to Sustainable development?", Sustainable Development insights, pp. 1-8.
3. Anand P., (2022), "Role of women in integral to a sustainable future", Blog at Voices, India, TOI.
4. Women and sustainable development goals, United Nations entity for gender equality and the empowerment of women.

A Study on Blue Bull (*Boselaphustragocamelus*) Conflict in Jhalawar (Rajasthan)

Dr. Sapna Bhargava* Somlata**

*Deptt. of Wildlife Science, University of Kota, Kota (Raj.) INDIA

** Deptt. of Wildlife Science, University of Kota, Kota (Raj.) INDIA

Abstract - This research paper explores the dynamics of human-blue bull conflict in the Jhalawar district of Rajasthan, India. The study aims to investigate the patterns of blue bull menace and the types of conflicts arising between humans and blue bulls in the region. Data was collected through surveys, interviews, and field observations. A sample size of 150 respondents was selected using systematic random sampling techniques. Findings reveal that habitat destruction, agricultural expansion, illegal grass collection, and overgrazing by livestock are significant contributors to the conflict. The paper suggests various mitigation strategies to reduce human-blue bull conflict, emphasizing the importance of stakeholder cooperation, government intervention, and community awareness programs.

Introduction - India boasts a diverse biological legacy, encompassing approximately 89,451 species, among which are 390 species of mammals (Kumar and Khanna, 2006). Among these, India shelters 31 species of ungulates, with 25 of them protected under the Wildlife Protection Act of 1972. Of these ungulates, six belong to the antelope family, including the Nilgai, Four Horned Antelope, Indian Gazelle, Blackbuck, Tibetan Antelope, and Tibetan Gazelle, with three species being exclusive to the Indian subcontinent (Prater, 1971).

Standing tall as the largest Asian antelope, the Blue Bull (*Boselaphustragocamelus*) is a frequent sight in the agricultural landscapes of Central and Northern India. However, the burgeoning population of Nilgai presents a significant challenge to farmers, often resulting in crop raids and damages across agricultural fields near protected areas (Nasim Ahmad Ansari, 2017).

Nilgai, found across India, Nepal, and Pakistan, predominantly thrives in the Terai lowlands along the foothills of the Himalayas, with substantial populations scattered across northern India. In states like Gujarat, Uttar Pradesh, Delhi, and Rajasthan, the Nilgai population has surged significantly, leading to appeals from farmers in Bihar, Chhattisgarh, Haryana, Punjab, Andhra Pradesh, and Madhya Pradesh to the government for population control measures due to crop raids and resultant food shortages. Though the estimated Nilgai population in India stands around 100,000, Rajasthan alone reported 77,737 individuals in the 2019 census. With their adaptability, Nilgai have made their presence felt in 114 protected areas across 16 states, primarily Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Haryana, Punjab, Madhya Pradesh, and

Uttarakhand, where their populations range from 5,500 to 254,449. Nilgai's habitat extends beyond protected areas, infiltrating human-dominated landscapes and crop fields.

Scientific Classification

1. Zoological Name: *Boselaphustragocamelus*
2. Kingdom: Animalia
3. Phylum: Chordata
4. Class: Mammalia
5. Order: Artiodactyla
6. Family: Bovidae
7. Subfamily: Bovinae
8. Genus: *Boselaphus*
9. Species: *B. tragocamelus*

The Nilgai's scientific name, *Boselaphustragocamelus*, originates from Latin and Greek roots, signifying its resemblance to both cows and deer. Endowed with a robust physique and slender legs, the Nilgai flaunts distinct features like a sloping back, a white throat patch, and short manes, with males exhibiting darker coats and formidable horns. Standing tall at 1–1.5 meters at the shoulder, these antelopes weigh between 109–288 kg (240–635 lb) for males and 100–213 kg for females, making them the largest antelope species in Asia.

Distribution and Habitat: *Boselaphustragocamelus* is indigenous to peninsular India and the Indus division of the Indian sub-region, predominantly inhabiting arid or semi-arid ecosystems with sparse rainfall. Their habitats vary from grasslands to woodlands and brushy areas, extending from the northeast border of Pakistan to southern India, with their populations most concentrated in northern and central regions.

Behaviour: Nilgai are diurnal and gregarious animals,

typically forming small groups of up to 10 individuals, though larger gatherings may occur. Males exhibit territorial behavior, marking their domains with dung piles, while females and juveniles maintain separate interactions. Despite possessing keen senses of sight and hearing, Nilgai lack a robust sense of smell. When alarmed, they emit short guttural grunts or clicking sounds, with individuals up to 500 meters away able to hear their distinctive coughing roar.

Research into the activity patterns of Blue Bulls reveals insights into their daily routines, including resting, walking, and social behaviours. Females tend to be more active than males, with distinct peaks in activity observed throughout the day.

In essence, the Nilgai's robust presence and adaptability underscore its significance in India's diverse ecological tapestry, albeit posing challenges in managing its burgeoning populations amidst human settlements and agricultural lands.

Materials and Methods: Data collection involved surveys, interviews, and field observations. Primary data were gathered through household questionnaires to assess the causes, nature, and management strategies of human-blue bull conflict. Field observations were conducted to corroborate respondent's responses. Systematic random sampling techniques were employed to select sample villages and households. Secondary data were collected from books, research articles, and online sources to support and enrich the study's findings.

Data Collection Methods: The methodology employed for data collection centered on survey methods, integrating both primary and secondary data sources. Primary data were acquired through household questionnaires, interviews, and field observations. Household questionnaires were utilized to assess the causes, nature, and management strategies related to Human-Blue Bull Conflict in the area. Field observation served to corroborate respondents' answers, ensuring the collection of accurate and reliable information. Secondary data sources, including books, internet searches, libraries, journals, and articles, were consulted to supplement and validate the primary data.

Sampling Size and Sampling Technique: It is obvious that Jhalawar is surrounded by five Districts such as: KOTA (NW), BARAN (NE), GUNA (EAST), RAJGARH and AGAR (South). However, the extent of exposure of local people and their agricultural area to wildlife is not the same throughout the five districts rather it greatly differs from one to another. Therefore, only area with highest population of blue bull was selected using systematic random sampling technique. In addition, random sampling technique was employed to identify sample households. In this head of households were randomly selected from sample kebeles/ villages of district which were selected using systematic random sampling after the completion of preliminary survey which is helpful to identify specific villages which are highly

affected as a result of the conflict with wildlife. 5% of the total households from each sample village were selected randomly. The sampling size of the study was determined based on formula adapted from Israel (1962) as follows.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} \quad \text{where; } N = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

where; N = the total population;

n = the required sample size;

e = the precision level which is $(\pm 10\%)$,

where confidence interval is 90% at $p = +10$ (maximum variability) which is $(\pm 10\%)$ $n = \frac{1850}{1 + 1850(0.1)^2} = 95$.

A total of 150 respondents were selected and the questionnaire was transferred purposefully. The respondents were selected purposively based on their ability, awareness, adjacent to an area and knowledge contributes to the overall research objectives.

Data Analysis: Data analysis encompassed both qualitative and quantitative methods. Descriptive statistics such as mean percentage were used to interpret the survey questionnaire, interviews, and field observations. The findings were presented through tables, charts, pictures, and percentages, further enhanced with graphs and diagrams to provide deeper insights into the study. The methodology incorporated both primary and secondary data sources to comprehensively address the research objectives.

Study Area: Jhalawar district, located in southeast Rajasthan, encompasses diverse landscapes ranging from rocky terrain to verdant forests. The district's climate is characterized by hot summers and moderate winters, with the highest rainfall in Rajasthan. Rich in flora and fauna, Jhalawar hosts various wildlife species, including blue bulls. Major economic activities in the area include agriculture, with crops such as wheat, soybean, and vegetables dominating the agricultural landscape.



Map showing the geographical location of Jhalawar (study area)

Exploring the Richness of Jhalawar: A Geographic Perspective

Nestled in the south-eastern region of Rajasthan, Jhalawar unfolds its geographical diversity and cultural richness. This plate presents an overview of the study area, encompassing

its subdivisions, terrain, climate, and vegetation.

Subdivisions: Jhalawar district is segmented into eight distinct sub-divisions, each contributing to the region's unique charm and character:

Jhalawar, Aklera, Gangdhar, BhawaniMandi, Pirawa, Khanpur, Manohar Thana, Asnawar.

Geographic Landscape: Jhalawar's landscape stands in stark contrast to much of Rajasthan, boasting rocky yet verdant terrain. Pre-historic cave paintings, imposing forts, and dense forests adorn the region. The abundance of wildlife and diverse flora lends an exotic flavour to Jhalawar.

Climate: The climate mirrors that of the Indo-Gangetic plain, with scorching summers reaching up to 47°C and chilly winters touching 1°C. Jhalawar experiences the highest rainfall in Rajasthan, averaging 35 inches annually. Monsoons bring relief with cool breezes, making September to March the ideal time to explore the region. **Vegetation:** The generous annual precipitation of 890mm sustains a rich variety of flora and fauna in Jhalawar. Major crops include soybean, sorghum, maize, and groundnut in kharif season, while wheat, chickpea, coriander, and mustard dominate the rabi season. Renowned for its orange, garlic, and coriander production, Jhalawar is also a hub for hybrid vegetable cultivation.

Results: During the survey, it was found that 80% of the total respondents considered Blue bulls to be a significant problem due to their destructive behavior towards farmland, exhibiting a ferocious nature.

The herd size varied widely, ranging from 15 to 93 individuals, indicating both small and large group sizes were observed. Among the respondents, 52% regarded blue bulls as dangerous. The damage caused by blue bulls to crops was extensive, with 58% of crops damaged while being consumed, 28% destroyed while the animals were sitting on the farms, and 14% disrupted while the animals passed through the fields.

Indirect evidence from the study revealed that blue bull attacks were frequent, particularly when the animals were disturbed by human activities or accidents. Otherwise, they remained calm and non-aggressive.

Furthermore, results highlighted the absence of compensation for crop damage caused by blue bulls, despite 100% of farmers acknowledging them as a threat. Government intervention in providing compensation was notably absent.

The study emphasized that blue bulls pose a significant threat to agricultural crops, particularly during the monsoon season, with habitat destruction, agricultural expansion, and overgrazing identified as primary causes of conflict. Mitigation strategies proposed include stakeholder cooperation, legislative interventions by the government, enforcement of regulations, and community awareness programs. Long-term solutions such as crop diversification and the promotion of alternative livelihoods were also recommended to mitigate conflict and conserve wildlife.

Conclusion: Human-blue bull conflict presents a complex challenge requiring multifaceted solutions. The study underscores the importance of understanding the underlying causes of conflict and implementing targeted mitigation strategies to promote coexistence between humans and wildlife. By addressing habitat degradation, promoting sustainable agriculture practices, and fostering community engagement, it is possible to mitigate human-blue bull conflict and safeguard both human livelihoods and wildlife populations in Jhalawar district.

Recommendations: Based on the study findings, several recommendations are proposed:

1. Cooperative farming practices to protect crops from raiders.
2. Provision of compensation for wildlife-induced damage.
3. Increased awareness campaigns targeting local communities.
4. Government subsidies for crop protection measures.
5. Restriction of human settlements near wildlife habitats.
6. Crop pattern diversification to minimize conflict.
7. Implementation of boundary walls around agricultural fields.
8. Establishment of rapid response teams for wildlife conflicts.
9. Support for young conservationists and local community initiatives.
10. Expansion of protected areas and buffer zones.
11. Promotion of alternative livelihoods to reduce dependence on agriculture.
12. Exploration of non-lethal methods for blue bull population control.

References:-

1. Ansari, N.A. Seasonal Variations in Physicochemical Characteristics of Water Samples of Surajpur Wetland, National Capital Region, India. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2017; 6(2):971-987.
2. Bajwa, P., Chauhan, N.P.S. 2019. Impact of agrarian land use and land cover practices on survival and Conservation of Nilgai antelope (*boselaphustra-gocamelus*) in and around the Abohar Wildlife Sanctuary, North Western India. Eco science 26 (3): 276-289.
3. Blanford, W.T. 1888, The fauna of British India, Including Ceylon and Burma: Mammalia. Taylor and Francis London, United Kingdom.
4. Chauhan, N.P.S. and V.B. Sawarkar 1989. Problem of overabundant Population of Nilgai and blackbuck in Haryana and Madhya Pradesh and their management, Indian forester. 115:488-493.
5. Chhangani, A.K., Robbins, P., Mohnot, S. M. (2008) Crop raiding and livestock predation at Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary, Rajasthan India. Human Dimensions of Wildlife.
6. Corbet, G.B. and J. E. Hill 1992. The mammals of the

- Indomalayan region: a systematic review. Oxford University Press, Oxford, United Kingdom.
7. Dinersten ,E.1980. An ecological survey of the Royal Karnali -Bardia – Wildlife Reserve, Nepal .part-3. Ungulate Populations.Biological Conservation.18;5-38.
 8. DharmaKumarsinhji K.S. 1959.A field guide to big game census in India. Indian Board for Wildlife, New Delhi, India.
 9. Ellerman,J.R. and Morrison -Scott,T. C.S. 1966. Checklist of palaeartic and Indian mammals 1758 to 1956. 2nd ed. Trustes of the British Museum (Natural History), London, United Kingdom.
 10. Fall, B.A.1972. On social Organisation and behaviour of Nilgai antelope *Boselaphustragocamelus*(Pallas), in south Texas. M.S. thesis,Texas. AM University, College Station.
 11. Howthorne, D.W. (1971) WildWildlife damage and control techniques, In: Giles RH (ed.). WildWildlife management techniques.
 12. Hussain, W. (2014). Special lecture in Wildlife Department, Former Head Department of Botony, Aligarh Muslim University, Aligarh, India. International Union for Consevation of Nature (2014).
 13. www.iucnredlist.org/initiatives/mammals
 14. IUCN SSC Antelope Specialist Group (2017) [errata version of 2016 assessment]. "*Boselaphustra-gocamelus*". IUCN Red List of Threatened Species. 2016:e.T2893A115064758.doi:10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T2893A50182076.en. Retrieved 18 February 2022.
 15. Khan,K.A.andKhan,J.A. (2013) Status abundance and population ecology of Nilgai (*Boselaphustragocamelus* Pallas) in Aligarh District, Uttar Pradesh, India. Department of Wildlife Sciences Aligarh Muslim University, (Uttar Pradesh). Journal of Applied and Natural Science 8(2) :1080 -1086(2016).
 16. Kumar A.Khan V.2006. Globally threatened Indian fauna -status, issue and prospects. Kolkata, West Bengal Zoological Survey of India. Journal of Wildlife and Biodiversity 3(4):27-35 (2019)
 17. (<http://jwb.araku.ac.ir/>).
 18. Kusum. (2018) Studies on the Ranging Pattern and Dung Piles habit of Nilgai (*Boselaphustragocamelus*) around Jodhpur,Rajasthan, India.IJRAR(International Journal of Research and Analytical Review. Department of Zoology.
 19. Lekool, I. (2012). Mega -trans location: the Kenya wildlife service at its best. The George Wright Forum, 29 (1), 93-99.
 20. Mallon, D.P. 2008, "Blue bull is also one of the threatened animals living in close proximity to human settlements. "*Boselaphustragocamelus* "IUCN Red list of threatened species version 2008. International union for the conservation of Nature 2008.
 21. Messmer Ta (2009) Human – Wildlife Conflicts emerging challenges and opportunities, Society.
 22. Mirza, Z.B. and M.A. Khan. 1975 "Study of distribution, habbitat and food of Nilgai (*boselaphustragocamelus*) in Punjab".Pakistan Journal of Zoology.7:209-214.
 23. Oguya B.R.O. and Eltringra, S.K. 1991. Behavior of Nilgai (*Boselaphustragocamelus*) antelope in captivity. Journal of Zoology (London) 223:91-102.
 24. Owen – Smith, N. 1977. On territoriality in Ungulates and an evolutionary model. Quarterly Review of Biology.52;1-38.
 25. Pallas, P.S. (1766). Miscellanea zoologicaquibus novae imprimisatqueobscuraeanimalium species describ untoret observation ibusiconibusqueillustrantur .Hague comitum .Perum van Cleef, The Hague, Netherlands.
 26. Prater, S.H. (1971). The Book of Indian Animals. Bombay Natural History Society, Bombay, India. Mammalian Species 813:1-16.
 27. Prater, S.H. 1980. The book of Indian animals, Bombay Natural History Society, Bombay India. Mammalian Species 813:1-16.
 28. Prakash, I .and Singh,H. 2001. Composition and species diversity of small mammals in the hilly tract of south-eastern Rajasthan. Tropical Ecology 42(1): 25-33.
 29. Schaller, G.B.1967. The deer and the tiger: a study of wildlife in India University of Chicago Press, Chicago, Illinois.
 30. Sheffield, W.J. 1983. Food habits of Nilgai antelope in Texas. *Journalof range Management*. 36:316-322.

The Role of Government and Policy in Encouraging Digital Payment Adoption Among MSMEs in India

Dr. Vibha Vasudeo* Utkarsh Khanna**

*Professor & HOD, School of Studies in Economics, Maharaja Chhatarsal Bundelkhand University, Chhatarpur (M.P.) INDIA

** Ph.D.Scholar, School of Studies in Economics, Maharaja Chhatarsal Bundelkhand University, Chhatarpur (M.P.) INDIA

Abstract - The significant role of government policies and initiatives in accelerating digital payment adoption among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in India transformative journey of India's MSME sector towards digital payment integration, driven by government initiatives under the Digital India program, such as the DIGIDHAN Mission and the Unified Payments Interface (UPI) is the key areas which this paper examines. The surge in digital payment transactions and the pivotal role of platforms like UPI in this growth are underscored. Additionally, the study discusses the Reserve Bank of India's Digital Payment Index, indicating a deepening reliance on digital transactions across India, supported by increased internet and mobile phone penetration and government initiatives.

The research also explores challenges, including digital literacy and access, security concerns, and the barriers to digital financial inclusion. Government policies and initiatives aimed at enhancing market access, technological empowerment, and financial inclusion for MSMEs, such as the Procurement and Marketing Support Scheme and the MSME Champions Scheme, are critically analyzed.

Keywords: Digital Payment Adoption, MSMEs, Government Policy, Digital India, Financial Inclusion.

Introduction - The transformative journey of digital payment adoption in India's Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector is a compelling narrative of technological integration and policy-driven empowerment. As a critical pillar of the Indian economy, MSMEs have witnessed a significant digital leap, particularly in the domain of digital payments, catalyzed by robust government initiatives and evolving financial technologies.

The Government of India, recognizing the critical role of digital payments in economic transformation, has launched several initiatives under the Digital India programme to promote the digital payment ecosystem. The DIGIDHAN Mission, established by the Ministry of Electronics & IT (MeitY) and later transferred to the Department of Financial Services (DFS), has been a cornerstone in this endeavor. Since its inception, there has been a remarkable increase in digital payment transactions, growing from 2,071 crore in FY2017-18 to 13,462 crore in FY 2022-23. This surge underscores the growing acceptance and integration of digital payments across the country, bolstered by the availability of diverse payment modes like BHIM-UPI, debit/credit cards, and IMPS, among others. (PIB, 2023)

This surge in UPI transactions illustrates the platform's pivotal role in the digital payment landscape, driven by continuous innovation and user-centric features such as

AutoPay and P2M Global transactions. (PIB, 2023)

The Reserve Bank of India's Digital Payment Index (DPI) provides a quantitative measure of the adoption and penetration of digital payments, showing a significant increase to 304.06 in September 2021 from 217.74 in the same period the previous year. This growth indicates a deepening reliance on digital transactions across the Indian populace, supported by factors such as increased internet and mobile phone penetration, and government initiatives like the Jan Dhan-Aadhaar-Mobile (JAM) trinity. (SIRU, 2022)

The government's focus extends beyond just transactional support, The Procurement and Marketing Support (PMS) Scheme, for example, aims at enhancing the marketability of MSME products and services through adoption of e-commerce platforms and participation in trade fairs. (MSME, 2022)

Hypothesis and Objectives:

H1: Digital financial inclusion initiatives reduce the transaction costs and barriers associated with accessing credit for rural MSMEs.

H2: The utilization of digital financial services leads to an improvement in the financial literacy and management capabilities of MSMEs.

H3: Infrastructure and regulatory frameworks significantly influence the effectiveness of digital financial inclusion

initiatives in rural areas.

Objectives:

Primary Objective: To evaluate the impact of digital financial inclusion initiatives on enhancing sustainable credit access for rural MSMEs in India.

Secondary Objectives:

1. To analyze the influence of infrastructure and regulatory policies on the success of digital financial inclusion initiatives in rural India.
2. To identify best practices and provide recommendations for enhancing the effectiveness of digital financial inclusion initiatives in promoting sustainable credit access for rural MSMEs.

Literature Review:

The integration of digital payments within the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector is pivotal for economic progress, particularly in emerging economies like India. The transition from traditional financial transactions to digital platforms is influenced significantly by government initiatives, policy interventions, and the inherent characteristics of MSMEs. This literature review systematically explores these facets, drawing from various sources, including research papers, government reports, and empirical studies.

Challenges and Barriers to Adoption-

Digital Literacy and Access: A significant challenge remains in the form of digital literacy and access to digital infrastructure, especially in rural and semi-urban areas. Addressing these challenges is critical for the widespread adoption of digital payments among MSMEs (Widayani, 2022)

Security Concerns: Security concerns associated with digital transactions can also deter MSMEs from adopting digital payment methods. Policies aimed at enhancing cybersecurity measures and educating MSME owners about secure digital practices are essential in mitigating these concerns (Widayani, 2022)

(Widayani, 2022) highlight functional barriers such as the perceived complexity and risk associated with digital payment systems. Additionally, psychological barriers stemming from traditional business practices and resistance to change also play a significant role.

Barriers and Transaction Costs: Despite the progress, challenges remain in fully realising the potential of DFI. A study highlighted the barriers to financial inclusion, such as financial literacy, high service costs, and regional inequalities, which hinder the widespread adoption of digital financial services among rural populations (Gaurav Agrawal, 2019). Addressing these barriers is essential for ensuring that DFI initiatives reach and effectively serve rural MSMEs.

Barriers and Challenges for MSMEs: Despite these advancements, MSMEs face obstacles, including digital literacy, access to technology, and regulatory complexities. For instance, the literature suggests that only 6% of enterprises have adopted digitization, primarily due to low

digital awareness and high adoption costs (Kakkar, 2021)

Governmental Initiatives and Digital Infrastructure:

Impact of Digital Financial Inclusion on Rural MSMEs:

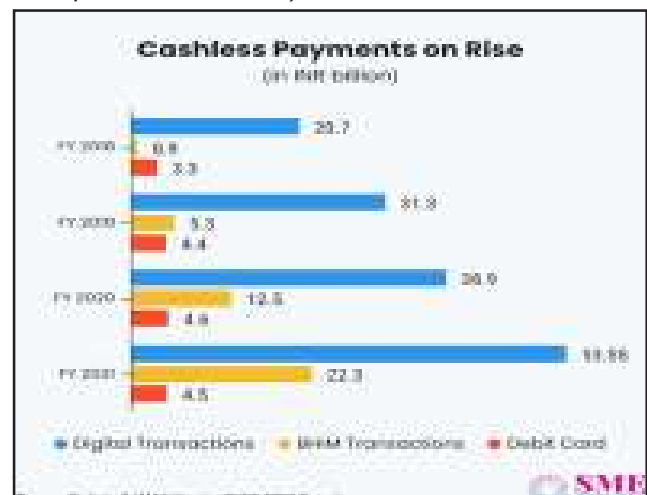
The advent of the India Stack, including Aadhaar and the Unified Payments Interface (UPI), has revolutionised access to financial services, significantly impacting rural MSMEs. The Aadhaar system provided a digital enabling the government's direct benefit transfer schemes. Similarly, UPI has democratised payment services, allowing small traders and vendors to participate in the digital economy (BY YAN CARRIÈRE-SWALLOW IMF, 2021).

Government Initiatives and Policy Framework: The Indian government has launched several programs aimed at digital financial inclusion and literacy. One prominent initiative is the Digital India campaign, which seeks to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy, (Digital Report MeitY, 2020). Within this framework, specific schemes like the Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) have been instrumental in increasing access to financial services through digital means.

Digital Saksham, a partnership between CII, Mastercard, and the government, aims to train around 3 lakh MSMEs in digital tools, underscoring the concerted efforts towards digitization. (Kakkar, 2021)

The government's efforts to simplify and secure digital transactions have not only enhanced operational efficiency but also instilled trust among MSMEs towards digital adoption. (Asian Development Bank, 2022) (Sur, 2023)

Digital payments and MSME Financing: Digital payment platforms offer revolutionary opportunities for MSME financing, enabling the use of cash flows as collateral for loans and creating new markets through e-commerce (ADB, 2020). These platforms, coupled with government-backed initiatives like Bakong in Cambodia, demonstrate the potential of digital payments to enhance financial inclusion and support MSME growth in developing economies. (Asian Development Bank, 2022)



Whereas an RBI analysis states that the share of digital

transactions in the total volume of non-cash retail payments increased to 98.5 per cent during 2020-21, up from 97 per cent in the previous year.

Among the cashless payment options, the mobile payment app BHIM (Bharat Interface for Money) overtook debit card payments from 2018. The value of BHIM transactions increased significantly between 2018 and 2021. Also, the number of Points of Sale (PoS) terminals increased by 6.5 per cent to 47.20 lakhs and the number of Bharat Quick Response (BQR) codes deployed increased by 76 per cent to 35.70 lakhs by the end of March 2021. Further, the number of ATMs marginally increased by 2 per cent from 2.34 lakh at the end of March 2020 to 2.38 lakh at the end of March 2021.

Talking about the rise of the cashless economy and digital payments, SMEs can be seen as a case of an acute dichotomy. While on one hand they have been the most badly impacted segment, but at the other end of the spectrum, they have been the fast movers on the digital adoption front, more than the others. (SME Futures) (Singh, 2021)

Economic Implications and Benefit:

Economic Growth and Competitiveness: Digital payment adoption is not merely about transitioning from cash to digital transactions; it encompasses a broader economic agenda. By facilitating seamless and efficient transactions, digital payments can significantly contribute to the economic growth and competitiveness of MSMEs, enabling them to tap into new markets and customer segments (Sur, 2023)



Today, a significant portion of rural India has become digitally connected, giving people more freedom to communicate and conduct business online. This resulted in the creation of millions of new customers for e-commerce and digital marketing. (Palak Agarwal, 2023)

Role of Technology and Innovation: Innovation in technology plays a pivotal role in driving merchant acceptance of digital payments. Companies like Hitachi Payment Services Pvt. Ltd. have been instrumental in developing and deploying secure and reliable digital

payment solutions across India, facilitating ease of transactions for customers and merchants alike. The deployment of technologies such as Bharat QR and UPI, alongside traditional card payments, exemplifies the strides made in providing versatile payment options. (Dilip Sawhney, 2020)

Future options and Technological Advancements: The advent of 5G technology presents new opportunities for enhancing the digital infrastructure for MSMEs. This could facilitate real-time connections with suppliers and customers, modernising legacy processes and further promoting the digital economy. (Dilip Sawhney, 2020)

Recommendations and Approaches:

Regulatory Approaches and Future Directions: To address the challenges and leverage the opportunities presented by digital payments, governments and regulators must adopt innovative and inclusive regulatory approaches. This includes enhancing digital literacy among MSME owners, strengthening digital infrastructure, and fostering collaborations between public and private sectors to support the sustainable growth of MSME. (UNCDF, 2021)

The Reserve Bank of India (RBI) highlights the importance of developing a robust infrastructure, including credit and payment systems, to support DFI. Innovations such as the establishment of a national identification system and a credit registry database have been pivotal in advancing financial inclusion. Moreover, the focus on last-mile delivery and consumer protection is crucial for ensuring that financial services are accessible and beneficial to rural MSMEs and their communities. (RBI, 2023)

Enhanced Support and Training: To overcome barriers to adoption, the government, in collaboration with private sector partners, should intensify efforts in providing targeted support and training programs for MSMEs. These programs should aim at enhancing digital literacy, familiarizing MSME owners with digital payment systems, and highlighting the benefits of digital adoption. (Widayani, 2022)

Innovative Solutions and Partnerships: The government should encourage innovation in digital payment solutions tailored for the unique needs of MSMEs. Establishing partnerships between financial institutions, technology companies, and MSMEs can lead to the development of user-friendly and secure digital payment platforms. (Kakkar, 2021)

Conclusion: It's evident that the role of government and policy in encouraging digital payment adoption among MSMEs in India is both pivotal and multifaceted. Government initiatives, such as the Digital India campaign, and the introduction of the Unified Payments Interface (UPI) have significantly reduced barriers to digital payment adoption, enabling MSMEs to participate more fully in the digital economy. (Digital Report MeitY, 2020) (Kakkar, 2021) The literature review underscores the critical role of government and policy in facilitating digital payment adoption among MSMEs in India. Through a combination

of strategic initiatives, supportive policies, and addressing existing challenges, there is a significant opportunity to enhance the digital payment ecosystem for MSMEs.

However, challenges persist, including digital literacy, trust in digital systems, and the digital divide between urban and rural enterprises. Government policies must continue to evolve to address these challenges, ensuring that digital payment systems are accessible, reliable, and user-friendly for MSMEs across all regions. (Douglas W. Arner, June 2022)

In conclusion, the concerted efforts of the Indian government and policy makers have been instrumental in catalyzing the adoption of digital payments among MSMEs, thereby enhancing their operational efficiency, market reach, and financial inclusivity. Ongoing and future initiatives should aim to further reduce the digital divide, promote digital literacy, and foster an environment of trust and security in digital transactions.

References:-

1. PIB. (2023, 12 27). *Ministry of Finance Year Ender 2023: Department of Financial Services*. Retrieved from PIB: <https://pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=1990752>
2. (SIRU), S. I. (2022, 01 27). *Mapping India's Digital Payment Infrastructure: Digital Payment Index*. Retrieved from Invest India
3. MSME, P. (2022, 12 26). *Year End Review-2022 Ministry of MSME*. Retrieved from Press Information Bureau: <https://www.pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=1886709>
4. Widayani, A. F. (2022). Barriers to Digital Payment Adoption: Micro, Small and Medium Enterprises". *Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society*, 528-542.
5. Kakkar, M. &. (2021). Role of digital payment in the growth of MSMEs Sector. *Indian Journal of Economics and Business*
6. Gaurav Agrawal, P. J. (2019). Digital Financial Inclusion in India: A Review. *Behavioral Finance and Decision-Making Models*, 9.
7. BY YAN CARRIÈRE-SWALLOW IMF, V. H. (2021, JULY). *STACKING UP FINANCIAL INCLUSION GAINS IN INDIA*. Retrieved from INTERNATIONAL MONETARY FUND
8. Digital Report MeitY. (2020). *Digital India, ANNUAL REPORT 2020-21*. Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) Government of India.
9. Sur, S. A. (2023). Change in the uses pattern of digital banking services by Indian rural MSMEs during demonetization and Covid-19 pandemic-related restrictions. *XIMB Journal of Management*, 166-192.
10. Asian Development Bank. (2022). *FINANCING SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN ASIA AND THE PACIFIC CREDIT GUARANTEE SCHEMES*. Aisan Development Bank.
11. Singh, A. (2021, August 07). *The digital quotient of SMEs is soaring, bringing in more opportunities for this sector*. Retrieved from SME FUTURES
12. Palak Agarwal. (2023, january 17). *Explained: Why Digital Marketing Is Booming in India*. Retrieved from Ukti: <https://ukti.co.in/blog/2023/01/17/why-digital-marketing-is-booming-in-india/>
13. Dilip Sawhney . (2020, May 17). *Accelerating digital adoption among Indian MSMEs*. Retrieved from Economics Times:
14. UNCDF.(2021).*IMPACT CAPITAL FOR DEVELOPMENT*. UNCDF.
15. RBI. (2023). *National Strategy for Financial Inclusion 2019-2024*. Reserve Bank Of India.
16. Douglas W. Arner, S. A. (June 2022). MSME Access to Finance: The Role of Digital Payments. *United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, MSME Financing Series No.7*

Study of Ecological Status of Abheda Pond, Kota (Rajasthan)

Sushma Agrawal* Veena Chourasia**

*Assistant Professor (Zoology) Maa Bharti P.G. College, Kota (Raj.) INDIA

**Associate Professor (Zoology) Govt. College, Kota (Raj.) INDIA

Abstract - In the present study ecological status of Abheda pond Kota was accessed. The ecological status was considered using the three parameter – Physico-chemical parameters of water, its sediment and diversity of macrozoobenthic community. Four sampling stations were selected for the collection of samples. The parameters studied under physico-chemical studies were- Temperature, pH, Electrical Conductivity, Total alkalinity, Total hardness, Calcium hardness, Chloride, Sodium, Potassium, Nitrate, Phosphate and Dissolved Oxygen. The result indicated that Abheda pond is eutrophic in nature. The Biological study showed total 21 taxa of macrozoobenthos, belonging three phyla namely Arthropoda, Mollusca, and Annelida. The macrozoobenthic fauna are most important as they are the indicators of overall ecological health of a water body.

Keywords: Eutrophic, Macrozoobenthos, Physico-chemical parameters, Sediment, Waterbody.

Introduction - The term ecological status of water body is used exclusively for health of surface water such as river, lakes, transitional and coastal water. Healthy water bodies are important for the economy and human well-being. Ecological status of a water body is determined by three parameters (elements)-physico-chemical properties of water, sediments and diversity of macrozoobenthic fauna among them macrozoobenthic fauna are the most important element to decide the ecological status of particular water body whereas physico-chemical properties of water and sediments are the supportive. It shows the influence of pollution and habitat degradation taking into consideration the three quality elements. The principal physical and chemical condition operative in natural water make up the basic platform through various combinations and intensities, upon which the occurrence, distribution and the success of aquatic organism depend. The physico-chemical properties of water and sediment in a water body affect the distribution, density and diversity of macrozoobenthic community too; they are best indicators of its biological status.

Many investigators such as Khanna D.R. and Bhutani R. (2003), Saxena et al (2008), Narasimha K. et al (2011), Parkh and Mankodi (2012), Nupur et al (2013), Lonkar et al (2015), Sasikala et al (2016) were studied physico-chemical parameters of water, sediments and their influence on macrozoobenthic community.

Study Area: Abheda Pond is an artificial pond, it was dug during the 'Riyasat Kal' to quench the thirst of wild animals, like any other pond it has no wave action, has shallow depth,

and negligible temperature variation along its depth. It is about 8KM from Kota district and lies between 25°12'-11" North latitude and 75°53'-15" East longitude. It sustains enormous floral and faunal diversity which are related to its geographical location, hydro biological regimes, substrate conditions and anthropogenic influences.

Methodology: Water, sediment and macrozoobenthic sample were collected from all the four sites of Abheda pond at monthly intervals approximately at a fixed time of the day. Collected sample were brought to the laboratory for further analysis. Water and sediment samples were analyzed by standard methods mentioned by APHA (1998) and Trivedi and Goel (1986) whereas collected and preserved sample of macrozoobenthos was identified using standard keys of Needham and Needham (1962), Edmonson (1959), Penark (1978), Tonapi (1980) and Adoni (1985).

Observations

The results of the study of Abheda pond are given in the tables below.

Table 1-physico-chemical analysis of water at different study sites of Abheda pond

S.	Parameters	Minimum	Maximum	Mean
1	Air temperature (°C)	22 °C	42 °C	32.125 °C
2	Water temperature (°C)	20°C	32 °C	28.15 °C
3	pH	7.9	9	8.26
4	Electrical Conductivity (µmhos/cm)	90	210	168.43
5	Total alkalinity (mg/l)	44	138	86.57

6	Total hardness (mg/l)	29	98	69.08
7	Calcium hardness (mg/l)	26	64	47.95
8	Chloride (mg/l)	10	42	22.39
9	Nitrate (mg/l)	3.5	10.5	7.41
10	Phosphate (mg/l)	0.1	0.2	0.12
11	Dissolved Oxygen (mg/l)	3.07	6.5	4.33

Table 2- Physico-chemical analysis of sediment at different study sites of Abhedha pond

S.	Parameters	Mini mum	Maxi mum	Mean
1	pH	6.5	8.15	7.5
2	Electrical Conductivity (µmohs/cm)	225	500	358
3	Total Alkalinity (mg/l)	42	88	68
4	Calcium (mg/l)	23.3	40	28.84
5	Chloride (mg/l)	8	38	20.9
6	Sodium (mg/l)	1.85	2.9	2.16
7	Potassium (mg/l)	1.2	1.75	1.5
8	Nitrate (mg/l)	0.8	1.8	1.22
9	Phosphate (mg/l)	0.35	1.08	0.73

Table 3 (see in next page)

Result and Discussion: The result of physico-chemical investigation showed that the air and water temperature of the pond ranged between 22°C to 42°C maximum in summer and while lowest in winter. The pH values of water and sediment were stable and alkaline whereas Electrical Conductivity, Total Alkalinity and Total hardness values were in undesirable limit. Abhedha pond was found to be rich in calcium and Nitrate which favours growth and survival of macrozoobenthos though the value of DO whereas phosphate was found in the desirable limit in the present study. The Nitrate and Phosphate concentration in sediment had been affected by the anthropogenic activity in and around Abhedha pond, Sodium and Potassium were found under considerable range.

A total 21 species of macrozoobenthos were recorded during the study which belong to three major phyla Arthropoda, Mollusca, and Annelida. Arthropoda was the most dominant group, comprising of 12 species, followed by Mollusca with 8 species and Annelida with one species. In this study the presence of pollution indicator species such as *Tubifex tubifex* of Annelida, *Chironomus sp.* and *Eristalis tenax* of Arthropoda and *Lymnaea sp.* of Mollusca directly points to the shifting of status of the pond from non-polluted to polluted.

Conclusion: The study of physico-chemical elements of water, sediments and macrozoobenthic community of Abhedha Pond shows that the ecological status of the pond is good though the anthropogenic activities are on increase day by day which may lead to the poor quality of water in future so that proper management of this water body is needed.

References:-

- Adoni, A.D. (1985) Workbook of Limnology Pratibha Publications, Sagar.
- A.P.H.A. (1998) Standard methods for examination of water and Waste Water. 20th Edition, American Public Health Association, Washington D.C.
- Edmondson, W. T. (1959) Freshwater Biology. John Wiley, N.Y.
- Khanna, D. R., and Bhutani, R. (2003) Ecological status of Sitapur pond at Haridwar (U. P.) Indian j. Environ. & Ecophon, 7(1):175-178.
- Khanna D. R., and Bhutani, R. (2003) Limnological status of Satikund pond at Haridwar (U. P.) Indian j. Environ. & Ecophon, 7(2):131-138.
- Lonkar, S. S., Kedar, G. T. and Tijare, R. V. (2015). Assessment of trophic status of Ambazari Lake, Nagpur, India with emphasis to Macrozoobenthos as Bioindicator. Int. J. of Life Sciences, 3(1): 49- 54.
- Mahajan, S., and Billore, D. (2014) Assessment of Physico-chemical characteristics of the Soil of Nagchoon Pond Khandwa, MP, India. Research Journal of Chemical Sciences. 4(1): 26-30.
- Needham, James G. and Needham, Paul R. (1962) A guide to the study of fresh water Biology, 5th Edition. San. Fransico, Holden-Day, 108
- Nupur, N., Shahjahan, M., Rahman, M. S. and Fatima, M. K. (2013) Abundance of macrozoobenthos in relation to bottom soil texture types and water depth in Aquaculture Ponds. Int. J. Agril. Res. Innov. & Tech., 3(2): 1-6.
- Narasimha, K., Srikanth, K., Ravindar, B. and Benarjee, G. (2011) Occurrence of macro-zoobenthos in relation to physico-chemical characteristics in Nagaram tank of Warangal, Andhara Pradesh. The Bioscan, 6(1): 89-92
- Parikh, A. N. and Mankodi, P. C. (2012) Limnology of Sama pond. Vadodara city, Gujarat. Research Journal of Recent Sciences, 1(1): 16-21.
- Pennak, R. W. (1978). Fresh water invertebrates of United States. 2nd ed. John Wiley & sons, New York.
- Sasikala, T., Manjulatha, C. and Raju D. V. S. N. (2016) Hydrological studies in Varaha reservoir, Kalyanapulova Visakhapatnam District. International Journal of Fauna and Biological Studies, 3(3): 188-191.
- Saxena, D. N., Garg, R. K., and Rao, R. J. (2008) Water quality and pollution status of Chambal river in National Chambal sanctuary, Madhya Pradesh. Journal of Environment Biology, 29 (5).
- Thorp, and Covich A. (1991) Ecology and classification of North American fresh water invertebrates, Sandiego, Harcourt Brace Jovanovich.
- Tonapi, G. T. (1980) Freshwater animals of India, An ecological approach. Oxford and IBH Publishing Company, New Delhi

Table 3- Identified Macrozoobenthos at different study sites of Abheda pond

Phylum	Class	Order	Family	Organism
Annelida	Oligocheta		Naididae	<i>Tubifex tubifex</i>
Arthropoda	Insecta	Diptera	Chironomidae	<i>Chironomus larva</i>
			Syrphidae	<i>Eristalis tenax</i>
			Ephemeridae	<i>Baetistri caudata</i>
		Coleoptera	Stayphylinidae	<i>Paederus melampus</i>
				<i>Atheta (Dalotia) coriaria</i>
			Hydrophilidae	<i>Hydrophilus triangularis</i>
				<i>Enochrus sp.</i>
				<i>Hydrobius fusiceps</i>
				<i>Helochaeris lividus</i>
				<i>Berosus sp.</i>
				<i>Tropisternus lateralis</i>
			Curculinoidae	<i>Weevil sp.</i>
Mollusca	Gastropoda	Architaenioglossa	Viviparidae	<i>Bellamyia bengalensis</i>
		Planorbioidea	Planorbidae	<i>Gyraulus convexusculus</i>
				<i>Indoplanor bisexustus</i>
		Basommatophora	Lymnaeidae	<i>Lymnaea acuminata (Typica)</i>
				<i>Lymnaea acuminata (patula)</i>
	Bivalvia	Littorinimorpha	Bithyniidae	<i>Bithyniya tenticulata</i>
		Architaenioglossa	Ampullariidae	<i>Pila globose</i>
		Unionoida	Unionoidae	<i>Lamellidens marginalis</i>
TOTAL				21

Chromotherapy- Nature Based Therapy System for Mankind

Kumud Dubey* Avinash Dube**

* MLC Govt. Girls P. G. College, Khandwa (M.P.) INDIA

** S. N. Govt. P. G. College, Khandwa (M.P.) INDIA

Abstract - Chromotherapy is a century old concept used successfully over the years to cure various diseases. It is a method of treatment that uses visible spectrum of electromagnetic radiation to cure diseases. It is a complete science which involves biophysics, medicine and psychology. Chromotherapy is an attractive, non-invasive, cost effective, complementary and alternative treatment option with negligible negative effects.

Keywords: Chromotherapy, Colour Chakra, Electromagnetic Radiation.

Introduction - The concept of chromotherapy has successfully used through the centuries to cure many diseases. Chromotherapy deals with human body not as a collection of chemical parts, but as a complete system operating in harmony with the electromagnetic and energy system of the universe. According to the principle of chromotherapy, the human is basically composed of colours, and light has an impact on energy creatures health condition. Colours stimulate various part of the body, and they are responsible for the correct functioning of different systems in the body. Our organs, cells and atoms are existed as energy and each of them has an energetic level at which the organ vibrates or functions best. Colour has been one of the multifaceted means of human development interwoven in the social structure. Which practically, psychologically and physiologically reveal the beauty and benefits of nature.

Nature has undisputable effect on body physiology. Colours have potential to cause a dominant effect on our sensations and senses. Chromotherapy is a method of treatment that uses the visible spectrum of electromagnetic radiations (wavelength 7700-3900AU) and invisible spectra (Infrared and UV) to cure diseases. There are specific sites in the body which absorbs colour of varying wavelength and produce effect. When the ratio of the required colours in the body imbalances, it gives rise to the various ailments and when the colours are balanced diseases are easily cured. Each colour generates electrical impulses and field of energy that serves as activators of biochemical and harmonal processes, so the dysfunction of body organ can be treated by chromotherapy. There is specific colours for each organ that affects the human body by producing physiological and psychological effects. Chromotherapy is the best used as supportive therapy along with other natural

method of prevention as correct diet, relaxation, yoga, exercise etc.

The present study deals with the use of chromotherapy a very old traditional concept of curing the diseases. Scientific proven it is the best therapy, which is cost effective without any negative effects and beneficial for our society and mankind.

Mechanism of colour action: According to the theory of chromalux an electric charge is produced due to the influence of the vibrations of cosmic and colourful rays upon the brain cells. The electric charge takes the form of a current emitted where various cells collide with another. This collision results in formation of incalculable colourful vibrations, which can be termed as thoughts. He elaborated the techniques of choosing the right colour for specific diseases and explained the theory of the basic colours used for therapy and the combinations of different shades.

Colour chakra: There is an ancient faith in the healing power of colours. Colour is used as a treatment tool. Within human body there are energy centers, these work as chakras for healing purpose. These energy centers are formed by seven chakras. Each chakra gets along with one of the spectral colours. Proper balance of energy is restored through colour therapy.

The seven chakras are as:

1. Vertex chakra (violet) stand for wisdom and spiritual energy. It influences the pituitary gland.
2. Forehead chakra (indigo) stand for intuition and influences the pineal gland.
3. Larynx chakra (blue) stand for religious inspiration, creativity, language and communication. It influences the thyroid gland.
4. Heart chakra (green-pink) stands for love harmony and sympathy. It influences the heart and the thymus gland.

5. Solar plexus chakra (yellow) stands for knowledge, intellect. It influences the adrenal body.
6. Spleen chakra (orange) stands for energy. It influences the spleen and pancreas.
7. Basis chakra (red) stands for life. It influences the reproductive system.

In other literature the seven chakra also named as root chakra, spleen chakra, solar plexus, heart chakra, throat chakra, brow chakra and crown chakra. These energy chakra must be balanced if any chakra of a person thought to be out of balance or weak, the patient is believed to be unhealthy. Many types of toxins, negative thoughts, dietary chemicals, environmental factor may aggravate the chakra imbalance. Chromotherapy is a technique that restores the synchronization of these energy centers by application of healing colours to the body.

Application of various colours: The ways to administer colour therapy are practitioner assisted colour therapy which involve colour reflection reading and illumination therapy. Self help colour therapy involves coloured body wraps, eating coloured wraps, eating coloured foods, drinking coloured water, colour meditation, colour visualization, colour breathing, coloured oils and coloured clothing.

Experts recommended two techniques of colour therapy.

1. **Through sight** – looking at a particular colour can elicit the desire response in the body.
2. **By reflection-** Experts reflect specific colours on a body parts to benefit the recipient.

Colour therapists use warm colours for stimulating effects and cool colours for calming effects. The types of colour therapy include:-

1. **Red-** Powerful colour that increases energy by stimulating lymphatic system.
2. **Orange-** This colour is associated with one's mind body concentration.
3. **Yellow-** Associated with happiness, because of the warmth that it brings. When a person is exposed to yellow, they feel safe, when they are safe, they are happy.
4. **Green-** Natural colour and associated with vegetation. Thoughts of nature can help a person feel calmer and more relaxed.
5. **Blue-** Blue light with shorter wavelength increases sense of alertness. This colour light is used to help a person feel more focused.

Chromotherapy is considered as a type of alternative medicine treatment. It helps in- Stress, Depression, aggression, High blood pressure, Sleep disorders, Anxiety and skin infections. Certain colours like blue and green are thought to have soothing effects on stressed people. Warm

and stimulating colours can boost appetite. Colours like red and yellow are believed to boost energy and make more motivated. Bright light therapy is shown to be beneficial for mood disorder, which is common during colour weather due to lack of sunlight.

Table: Colours and effects:

Colour	Effects	Used for
Red	Builds bone and blood. Energizes five senses. Excretion of toxin from body.	Darius and Dinshah, Paralysis, Anemia, Constipation, Breathing problem, Brain activity.
Orange	Nerves support, lungs, builds bone	Rickets, Cramps, Digestive problems, Osteoporosis.
Yellow	Improves immune system, Muscles, energies, Lymphatic system stimulation.	Allergies, osteoporosis, Joint pain, diabetes, Liver problem, Depression, Memory
Green	Circulation, Rebuilding of tissue and muscles, Antimicrobes	Ulcer, Malaria, Typhoid, Anxiety, Nervousness.
Blue	Anti-itching, reduces fever	Fever, Sore throats, Gums, Hair fall.
Indigo	Toner, Stops bleeding	Lungs, Chest problems, Skin problem, Immunity problems.
Violet	Support spleen, Immune system	Eye, Ear problems headache.

Chromotherapy as a system of treatment can benefit people because of its harmony with nature. The green leaves and grass can positively relax us and keep us happy and motivated, so go natural.

References:-

1. Azeemi STY et al. (2005), A critical analysis of chromotherapy and its scientific evolution (Review), Article from evidence based complementary and alternate medicine (e CAM), Vol.2(4), pp 481-488.
2. Dinshah D. SCN (2009), Let there be light, practical manual for spectro chrome therapy.
3. Gulsomia et al. (2015), Chromotherapy an effective treatment option or just a myth? Critical analysis of the effectiveness of chromotherapy, American Research journal of pharmacy, vol. I, issue 2, pp 62-70.
4. Gupta R. (2021), Colour therapy in mental health and well Being. Int.J. of All Research Education and Scientific Methods. Vol. 9(2), pp 1068.
5. Santosh Kumar J. (2014), Colour Therapy, Pondicherry Journal of Nursing, Vol 7(2), pp 27-31.

Limnological Studies on Datuni Dam of district Dewas (M.P.)

Dr. D.S. Waskel* Dr. B.S. Patel**

*Department of Zoology, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA

** Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA

Abstract - The limnological studies of Datuni dam kannoddistrict Dewas (M.P.) has been studies. The study of Physico-Chemical parameters was seasonally carried out of two years 2022-2023. Four sampling stations were selected at Datuni dam. The water samples were collected analyzed as per standard methods of APHA(2005). Obtained results were compared with standard values laid down by various agencies BIS(1991) and WHO (1992). The study was conducted based on their water resources, using phytoplankton and Zooplanktons communities and origin of population such as utilization by human and animals. The present study was PH, Total hardness, TDS, BOD, COD, phosphate, Nitrogen and Sulphate etc.

Keywords - Limnological, Physico-chemical, Parameters.

Introduction - Water is an important constituent of all living organisms and basic needs of human beings. Water is one of the most precious natural resources and is essential for everything on our planet to grow and prosper (Buragohain et al. 2007). Lake and dam always have been the most important fresh water resources and most development activities are still development upon them. The physico-chemical factors are very important role of environment. The principles physical and chemical condition operative in natural waters make up the basic plate from through various combination. WHO and BIS has been given a setup guideline values for drinking water quality WHO (2004). A systematic investigation has been carried out to study the Datuni dam water quality and Physico-chemical characteristics. The Parameter namely TDS, Total hardness, BOD, COD, pH, Nitrogen and Sulphate were compared with the WHO and BIS standard of drinking water quality of India. The quality of water samples under study, were above the desirable limit but within the tolerance level. The study also includes Physico-chemical parameters and significant values of the observed than discussed in this paper and various suggestions to improve the water quality in this dam.

Study Area: The dam of Datuni constructed on river Datuni. With a catchment area about 181.61 sq.km. The key features of the project are 1290 m length of dam at top 660 long earthen dam on left flank and 630 m long on right flank. The dam envisages irrigation over an area of 7235 ha. The water samples were collected from 4-different sampling stations. Water samples were collected in plastic bottles seasonally during 2022-2023. The Physico-chemical

parameters were analyzed as per the standard method APHA (2005) and Trivedi and Goel (1986).

Results and discussion: The Physico-chemical parameters of selected four stations in the Datuni dam Reve been given in the table no one and two.

pH: The pH indicates the intensities of acidity and alkalinity. The pH values were found minimum in rainy season and maximum in the summer season because of the due to utilization of bi-carbonates and carbonates buffer system due to evaporation of water. The pH value of all water samples were found to be higher than that of the standard permissible limit BIS (1991) & WHO (1992).

TDS: Total dissolved solids is an indication of the degree of dissolved substance in the water bodies. The TDS in water are composed mainly of carbonates, bi-carbonates, chlorides, phosphates, Nitrates of calcium, magnesium, sodium, potassium organic matter, salts and other particles. The BIS standard for TDS is proposed are 500 mg/li. The TDS values were found minimum in rainy season and maximum in the summer season. The TDS values of all water samples were found to be lower than the desirable limit of 500 mg/lit.

Total hardness: It is a major of variable complex mixture of anion cations in dam, reservoir the principal cations which important hardness are calcium and magnesium. The Total hardness values were found minimum in rainy season and maximum in the summer season. It is in agreement with the study of (Jain et. al. 1997).

BOD: The Biological oxygen demand of water indicator of organic pollution. The BOD values were found minimum in the winter season and maximum in the summer season.

The reason of BOD in water body may be that in summer season several microbes present in the water bodies accelerated their metabolic activities with concentrated amount of organic matter in the form of domestic wastes discharge in to water bodies. BOD values of all water samples under the desirable permissible limit of BIS and WHO.

COD: The chemical oxygen demand is a measure of the oxygen equivalent of the organic matter in water. The COD values of water found minimum in the summer season and maximum in the winter seasons. COD values of all water samples under the permissible limits. It means does not receive any pollution bearing substances.

Nitrates : Nitrates are the highest organized from of nitrogen and in water its important source in "Biological oxidation in nitrogenous organic matter. Nitrate content in all the water samples were found to be less than the standard permissible limit of BIS and WHO.

Phosphate : Phosphate is one of the most important nutrients in aquatic ecosystem. The amount of phosphate was found minimum in the winter season and maximum in the summer season. The phosphate values were found to be less than the standard permissible limit of BIS and WHO.

Sulphate: The sulphate vales were recorded minimum in summer season and maximum in the winter season. Sulphate in all the water samples found below BIS limit of 200 mg/lit. The sulphate values of dam water samples were also within the permissible limit of BIS.

Acknowledgement: The others are grateful to Dr. S.S. Baghel, Principal and Prof R.C. Ghawari, Head of Zoology department Govt. P.G. College, Dhar for providing research facilities. We are also thankful to PHE officer Dewas for help during study of Datuni dam. Special thanks are due to all acknowledgeable for the important information giving regarding the study area.

Table: 1 (see in next page)

Table: 2 (see in next page)

References:-

1. APHA (1992). Standard method for examination of water and waste water. Washington D.C.
2. APHA (2005). Standard method for examination of water and waste water American public health association. 21th Edt. Washington D.C.
3. Basavaraj Simpi, S.M. Hiremath, K.N.S. Murthy, K.S. Chandarash, APPA, Anil N. Patil, E.T. Puttiah (2011). Analysis of water quality using Physico-Chemical parameters Hoshalotank in S. Himega district, Karnataka, India 11(3).
4. BIS (1991). Specification for drinking water quality Indian standard institution New Delhi, India.
5. Dhakad N.K. and Choudhary P. (2005). Hydrobiological study on Natnagra pond in Dhar town (M.P.) with special references to water quality impact on potability, irrigation and Aquaculture, Net, Env. Poll. Tech, 4, 269-272.
6. Gupta, S.M. (2003). Physico-Chemical characteristics and analysis of water quality of Bikaner city, Asian Jou. chemical, 15:727.
7. Jain M.K. Dadhich L.K. Kalpana S. (2011). Water quality assessment of Krishanpura dam, Baran, Rajasthan, India Nature env. and poll. Tech 10(3), 405-408.
8. Johengen T.H. (2014). Changing ecosystem dynamics in the LaurentionGreat Lake. Bottom up and top-down regulation, Bio Science, 64: 26-39
9. Kumar P. and Sharma H.B. (2005). Physico-chemical Characteristics of Lentic water of Radha Kund, District Mathura, India, Ind.J. of Ent. Sci. 9,21-22.
10. Mishra S. and Joshi B.D. (2003).Assessment of water quality with few selected parameters of river Ganga at Haridwar. Him. J. Env. Zool. 17(2): 113-122.
11. Smitha, P.G., K. Byrappa and S.N. Ramaswamy (2007). Physico-chemical characteristics of water samples of Bantwal Taluk, South-eastern Karnataka, India J. Environ Biol, 28.591-595.
12. Trivedi R.K. & Goel P.K. (1986). Chemical and biological method for water pollution studied, Envi. Pub. Karad, 215.
13. Waskel D.S. and Baghel L. (2014). Physico-chemical analysis of sitapat pond and itscomparison with tap water quality of Dhar Town for portability status, Res. Jou. of Animal vet. and fishery sci., vol. 2(12), 8-13.
14. Waskel D.S. and Alawa K.S. (2017). Acase study of krishnpura Lake Indore M.P. Jour. of Divya shodh samiksha vol (1): 20-22.
15. Waskel D.S. and Alawa K.S. (2022). Study of phytoplankton density and Physico-chemical parameters in Man-dam Dhar (M.P.) India. Jour. of NSS vol (1): 16-18.

Table: 1 Seasonal Variation in Physico-chemical Parameters of Datuni Dam During-2022

S.	Parameters	Station-I			Station-II			Station-III			Station-IV		
		R	W	S	R	W	S	R	W	S	R	W	S
1	pH	7.00	7.05	7.06	7.01	7.06	7.07	7.02	7.04	7.07	7.01	7.03	7.08
2	Total hardness	105	120	132	103	12	130	106	126	133	104	130	135
3	TDS	312	339	331	310	340	333	318	338	330	320	337	332
4	BOD	2.09	2.08	4.04	2.12	2.10	4.08	3.00	2.09	4.06	3.02	2.11	4.05
5	COD	10.02	9.02	11.07	10.06	9.07	11.08	10.07	9.06	11.02	10.05	9.05	11.01
6	Phosphate	2.12	2.06	3.06	2.15	2.08	3.02	2.10	2.09	3.05	2.09	2.07	3.03
7	Nitrate	1.92	2.02	1.90	1.94	2.00	1.98	1.93	2.01	1.92	1.93	2.03	1.93
8	Sulphate	46	58	48	45	58	49	47	56	52	48	54	54

Note - All parameters mg/lit.

Table:2 Seasonal Variation in Physico-chemical Parameters of Datuni Dam During-2023

S.	Parameters	Station-I			Station-II			Station-III			Station-IV		
		R	W	S	R	W	S	R	W	S	R	W	S
1	pH	7.01	7.06	7.07	7.01	7.05	7.08	7.04	7.05	7.07	7.02	7.03	7.07
2	Total hardness	106	121	133	103	124	130	105	125	132	104	129	134
3	TDS	311	338	332	311	339	332	317	337	331	319	336	332
4	BOD	2.08	2.07	4.00	2.13	2.09	4.04	3.01	2.09	4.05	3.01	2.12	4.04
5	COD	10.01	9.01	11.08	10.05	9.06	11.08	10.06	9.08	11.03	10.06	9.06	10.08
6	Phosphate	2.13	2.07	3.08	2.14	2.09	3.01	2.12	2.08	3.06	2.08	2.07	3.04
7	Nitrate	1.93	2.21	1.91	1.93	2.02	1.98	1.93	2.02	1.92	1.94	2.02	1.96
8	Sulphate	45	56	48	44	57	47	46	55	53	48	55	53

Note - All parameters mg/lit.

Ethnomedicinal Trends of Fabaceae Family Plants Used by Tribal's of Dhar District, Madhya Pradesh, India

Dr. Kamal Singh Alawa*

*Assistant Professor (Botany) Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA

Abstract - The present paper deals with an ethnomedicinal trends was carried out during 2022-2024 in the Fabaceae families plants used by tribal's of Dhar district, Madhya Pradesh, India. A total of 23 plant species belonging to 19 genera of Fabaceae family from the study area. Such knowledge is transferred from one generation to another by word of mouth only and restricted to few families of the area recognized as 'Vaidyas' 'Badwa' and 'Ojhas'. Tribal do not approach doctors (physicians) due to lack of awareness and shyness or hesitation. Herbal healers and their patients who receive the treatment for any enquired the local names, parts used and method of administration. The binomial names are enumerated with utilization and dosages of these plants are like Viz. *Abrus precatorius*, *Butea superba*, *Crotalaria juncea*, *Dalbergia sissoo*, *Mucuna pruriens*, *Tephrosia purpurea* etc. The family Fabaceae is the second largest among the dicotyledonous plants of the study area.

Key words: Ethnomedicinal trends, Fabaceae family, Dhar district, tribal's, Madhya Pradesh.

Introduction - Dhar district is situated in the south-western part of Madhya Pradesh, India. The study area lies between 22° 00' to 23° 10' Northern latitude and 74° 28' to 75° 42' Eastern longitude. Covering 8153 Sq. Km study area and geographical area of 1214.8 Sq.km. Its population is 2184672 (Census 2011). Dhar The tribal people constitute over 83.93 percent of the population. The study area is mostly inhabited of tribal groups are *Bheel*, *Bhilala*, *Barela* and *Pateliya*. Majority of the population live in remote villages and depend on shifting cultivation and forest for their food, shelter and other requirements. These Tribal's live close to the forest and are largely dependent on the wild biological resources for their livelihood. Although the tribal people traditionally use many ethno-medicinal Fabaceae family plants used by tribal's of Dhar district, Madhya Pradesh. Such documentation has been done earlier. Keeping this in view, the present study was initiated with an aim to identify medicinal plants resources and traditional knowledge of tribal people of the study area. Literature survey of ethnobotanical work was done (Srivastava 1984, Samvatser *et al.* 2004, Jain 2004, Jadhav 2007, Alawa *et al.* 2012, Shaikh *et al.* 2012, Alawa 2015, Alawa *et al.* 2016, Alawa 2018). The present paper first time documented of the study area.

Materials and Methods: The present paper is outcome of extensive field survey of different tribal villages of Dhar district during 2022- 2024 to collect information on medicinal uses of different plant species. Herbarium of the collected plants specimen was prepared following customary method

(Jain and Rao, 1977). During field work, interviews were conducted with local knowledgeable villagers; local elders and experienced tribal peoples (both men and women) were interviewed and cross -interviewed again and again. Local 'Vaidyas', 'Badwa' and 'Ojhas'. The collected plant species are arranged alphabetically along with their botanical name and family, local names, method of preparation of drug and mode of administration are given below in observation. The plant specimens were collected and identified with local flora available literature (Varma *et al.* 1993, Mudgal *et al.* 1997 & Khanna *et al.* 2001). Herbarium preserved in Department of Botany, PMB Gujarati Science College, Indore, Madhya Pradesh.

Enumeration of species: During ethnobotanical survey of Dhar district it was found that some wild medicinal plants are used by tribal of Dhar district Madhya Pradesh. The enumerations of field observation are given below:

1. ***Abrus precatorius* L.** (Fabaceae) V.Ns.-Ghumchi, Lal chirmi, Lal jurang, Ratti.

Uses: 1. Leaf paste with jaggery mixed is given twice a day for 2-3 days to control typhoid.

2. The leaves are chewed in mouth ulcer.

3. Seed powder is mixed with cow's ghee is used 1-2 drops to during conjunctivitis.

2. ***Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.** (Fabaceae) V.Ns.- Gailia Uses: 1. The pest of root is mixed with the leaf of Tulsi (*Ocimum sanctum*) is given to cure cough.

3. ***Atylosia scarabaeoides* (L.) DC** (Fabaceae) V.Ns.- Van

phalli

Uses: 1. The extract of leaves is given orally to cure diarrhea and gastric problem.

2. ***Butea monosperma*** (Lam.) Taub. (Fabaceae) **V.Ns.-** Palas, Dhak, Khankro.

Uses: 1. Paste of seed with water is taken twice a day for 3 day to remove intestinal worms.

2. Powder bark is taken during bodyache and abdominal pain.

5. ***Butea superba*** Roxb.ex Willd. (Fabaceae) **V.Ns.-** Palasvel, Bodla.

Uses: 1. Dried root powder with cow's milk is given during debility.

2. Eczema is controlled by applying extract of fresh leaf.

6. ***Cajanus cajan*** (L.) Huth. (Fabaceae) **V.Ns.-** Arhar

Uses: 1. Paste of leaves is applied on mouth ulcer.

7. ***Clitoria ternate*** L. (Fabaceae) **V.Ns.** Aparajita

Uses: 1. The extract of leaves is given orally to cure vermicide.

8. ***Crotalaria medicaginea*** Lamk. (Fabaceae) **V.Ns.-** Piliabuti

Uses: 1. Powder of roots is mixed in water and taken orally to cure jaundice.

9. ***Crotalaria Juncea*** L. (Fabaceae) **V.Ns.-** Sann, Sanai

Uses: 1. Seed powder with milk is given orally twice day to cure paralysis.

2. Root powder with leaf of (*piper bettle*) beetle is given twice a day for a week to cure jaundice.

10. ***Dalbergia sissoo*** Roxb. ex DC. (Fabaceae) **V.Ns.-** Sissoo, Sisham.

Uses: 1. Leaf Juice with sugar candy is given twice a day for 3 days to cure diarrhoea.

2. Paste of leaves is given orally cure for diabetes.

3. Oil of wood is also massage to cure for paralysis.

11. ***Desmodium gangeticum*** (L.) DC. (Fabaceae) **V.Ns.-** Chipti

Uses: 1. Root powder with honey is given orally twice a day to cure cough and fever.

12. ***Desmodium triflorum*** (L.) DC. (Fabaceae) **V.Ns.-** Kodawla

Uses: 1. Paste of fresh leaf is applied wounds twice a day to relive fast healing.

2. Root powder with Kukad kand (*Geodorum densiflorm*) to made into "Laddu" given to one week in early morning in the empty stomach to cure spermatorrhoea.

13. ***Indigofera tintoria*** L. (Fabaceae) **V.Ns.-** Neel, Nili.

Uses: 1. Powder of root with water is given orally to cure for cardiac, hepatic and dropsy.

14. ***Malilotus indica*** (L.) Ali. (Fabaceae) **V.Ns.-** Van methi

Uses: 1. Leaves with salt to eaten in case of constipation.

15. ***Mucuna pruriens*** (L.) DC. (Fabaceae) **V.Ns.-** Kevach, Konch

Uses: 1. Root paste is given twice a day for 3 days to cure dysentery.

2. Burn seeds are eaten to cure for cough and cold.

16. ***Ougeinia oogeinsis*** (Roxb.) Hocker. (Fabaceae) **V.Ns.-** Tinsa

Uses: 1. Bark paste is given twice a day for 3 days to cure diarrhea and dysentery.

17. ***Pongamia pinnata*** (L.) Pierre. (Fabaceae) **V.Ns.-** Karanj, Karanji, Kanji.

Uses: 1. Seed oil is applied on skin for itching, ringworm and eczema.

2. Seed powder with cow's milk is given twice a day for bodyache.

3. Leaf juice is applied as ointment in the cure of urinary.

18. ***Pterocarpus marsupium*** Roxb. (Fabaceae) **V.Ns.-** Karanj, Bija-sal, Bilawa.

Uses: 1. Decoction of stem bark is given twice a day for a week to cure anemia.

2. Decoction of stem bark is given twice a day for only women after delivery.

19. ***Pueraria tuberosa*** (Roxb.) DC. (Fabaceae) **V.Ns.-** Patal tumbadi, Bhui kumbra

Uses: 1. Tuber powder is given twice a day for 3 days to cure urinary disorder.

2. Decoction of leaves and tuber is given twice a day for a week to treat increase male potency.

20. ***Sesbenia bispinosa*** (Jacq.) Steud. (Fabaceae) **V.Ns.-** Dadon, Daden

Uses: 1. Seed powder is given with water twice a day for arthritis.

2. Seed paste is applied as an ointment on cuts, burns and wounds.

21. ***Tephrosia candida*** L. (Fabaceae) **V.Ns.-** Safed serpunkha

Uses: 1. Root powder is given orally to cure diarrhea.

22. ***Tephrosia Purpurea*** (L.) Pers. (Fabaceae) **V.Ns.-** Sarpankha, Bayonia

Uses: 1. Decoction of root is given twice a day for 3 days to cure diarrhoea and urinary disorder.

2. Decoction of plant is used for children to cure blood purification.

23. ***Uraria picta*** (Jacq.) Desv.ex.DC. (Fabaceae) **V.Ns.-** Prastparni

Uses: 1. Root powder is given to cure fever.

Results and Discussion: The present study includes information on the total 23 plant species belonging to 19 genera of Fabaceae family. Generally local medicine men are known as 'Badwa' or Vaidyas. The rich treasure of indigenous knowledge of local medicinal plant is also under serious threat in rural areas due to the availability of allopathic medicines and treatment of ailments and disease. The indigenous knowledge of the tribal communities must be properly documented and preserved so that their knowledge could be passed on the future generation. Such studies and documents provide important for understanding the complex heritage of tribal communities and their association with environment and nature. the important medicinal plants were used again cough and cold, diarrhea

and urinary disorder of 3 species; abdominal pain, intestinal worms, typhoid, jaundice, mouth ulcer, eczema, paralysis, fever of 2 species each and arthritis, male impotency, diabetes, anemia, dysentery, spermatorrhoea and blood purification of 1 species. The collection of remote areas of Fabaceae family plants of photo graphs (Fig. 1 to 4).



Fig.1 Abrus precatorius L. Fig.2 Butea monosperma (Lam.) Taub.

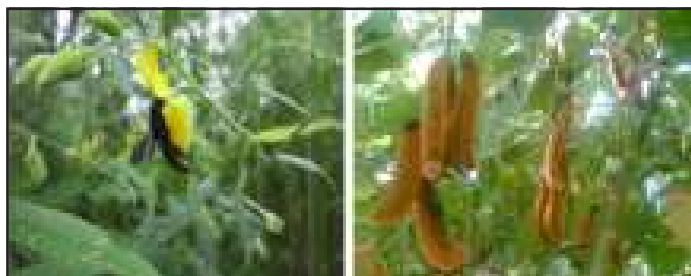


Fig.3 Crotalaria juncea L. Fig.4 Mucuna pruriens (L.) DC.

Some Fabaceae plants of Dhar district (M.P.) India

Acknowledgement: The author is thankful to Dr. S.S.Baghel, Principal and Prof. Subhash Soni, Head of Botany Department, Govt. P.G. College, Dhar for their help and support. We are also thankful to Divisional forest officer, Dhar for help during the ethno botanical survey in tribal villages and forest areas of the district. We are thankfully acknowledging the informants for the important information giving regarding ethno botanical plants.

References:-

1. Alawa KS, Ray S. (2012). Ethnomedicinal plants used by tribal's of Dhar district, Madhya Pradesh, India. *CIBTech. Jour. Of Pharmaceutical Science*, 1 (2-3): 7-15.
2. Alawa KS, Ray S, Dubey A (2016). Folklore claims of ethnomedicinal plants used by Bhil tribes of Dhar district Madhya Pradesh. *Bioscience discovery*, 7(1): 60-62.
3. Alawa KS (2021). Ethnomedicinal plants used for anti-fertility by tribals of Dhar district, Madhya Pradesh, India. *European Jour. Of Biome. and pharma.Science*, 8 (8): 495-497.
4. Jain SP (2004). Ethno-Medico-Botanical Survey of Dhar district Madhya Pradesh. *Journal of Non-Timber Forest products*, 11(2): 152-157.
5. Jain SK and Rao RR (1977). A handbook of field and Herberium methods. *Today and Tomorrow Publishers*, New Delhi.
6. Jain SK (1991). Dictionary of Indian folk medicine and Ethnobotany. *Deep Publication*, New Delhi, India.
7. Jadhav D (2007). Ethnomedicinal plants used by Bhil tribes of Matrunda, District, Ratlam, Madhya Pradesh, India. *Bull. Bot. Surv. India*, 49 (1-4): 203-206.
8. Madgal V, Khanna KK, Hajra PK (1997). *Flora of Madhy Pradesh*, Vol. II. BSI. Calcutta.
9. Samvatsar, S and Diwanji, VB (2004). Plant used for the treatment of different types of fever by Bheels and its sub tribes in India. *Indian J. Traditional Knowledge*: 3(1): 96-100.
10. Shaikh MJ, Ray S and Mehara SS (2012). Ethnomedicinal trends of Fabaceae in East Nimar (M.P.) India, *Journal of tropical forestry*, Vol, 28 (III): 68-71.
11. Verma DM, Balakrishnan NP, Dixit RD (1993). *Flora of Madhya Pradesh*, Vol. I, BSI, Calcutta.
12. Wagh VV, Jain AK (2010). Ethnomedicinal observations among the Bheel and Bhilala tribe of Jhabua District, Madhya Pradesh, India. *Ethnobotanical Leaflets*, 14: 715-720.

हिन्दी लोक नाट्य की परम्परा

डॉ. बिन्दू परस्ते*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – लोक जीवन में लोक नाट्यों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लोक नाट्यों का जन्म कब हुआ यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगता है कि आदिकाल से आदिमानव का मन जब वलों में रहते – रहते ऊब जाता होगा, तो वह बन्दर और भालूओं को नचाकर अपना मनोरंजन करता आया होगा। चूँकि 'नट' धातु से ही 'नाट्य' शब्द बना है। इससे नाटकों के विकास में 'नृत्य' के महत्वपूर्ण स्थान का पता चलता है।

नाट्य कला अपने विकास के प्रारंभिक काल में आदमी के सामान्य सामाजिक जीवन के साथ जुड़ने के अतिरिक्त उसकी धार्मिक गतिविधियों के साथ भी जुड़ी। कितने ही नाटक विभिन्न मानव समुदायों की विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के आधार पर रचे और प्रदर्शित किए जाते हैं। रामलीला, इंद्रसभा, कृष्णलीला, राजा हरिश्चन्द्र, कितने ही प्राचीन नाटक ऐसे हैं जो शताब्दियों तक भारत के जनमानस की अभिरुचि तथा उसकी धार्मिक आस्थाओं के साथ जुड़े रहे और करोड़ों लोगों के आकर्षण का केन्द्र बन रहे। आज भी गाँव-गाँव और शहर-शहर में अन नाटकों का प्रदर्शन होता है और आज भी असंख्य लोग इनसे भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए हैं। यह कहना अनुचित न होगा कि समय के साथ विकसित होती गई नाट्यकला को नियमित मंच तो बहुत बाद में मिला। भारत में तो ये खुले मैदानों अथवा छायादार वृक्षों के नीचे पलती रही। नोटंकी हो या कठपुतली का तमाशा, रामलीला हो या रासलीला बिना मुसजित एवं सुव्यवस्थित मंच के ही भारी जनसमूह के बिना इतना प्रदर्शन किया जाता रहा इन्हें हम नाट्य कलाओं के प्रारंभिक रूप भी कह सकते हैं।

अन्य ललित कलाओं की तुलना में नाटक में अपने दर्शकों को प्रभावित करने की क्षमता अधिक है। क्योंकि जब आप कविता पढ़ रहे होते हैं या उसे सुन रहे होते हैं तो आपके साथ बुद्धि कान या आँखें ही संगत कर रही होती है इसी तरह जब आप नृत्य देख रहे होते हैं तो वृद्धि और आँख ही आपकी सहयोगी होती है। किंतु जब आप एक दर्शन के रूप में किसी नाटक में सम्मिलित होते हैं तो आपकी आँखें कान अथवा यो कहिए कि आपकी समस्त इन्द्रियाँ सक्रिय होकर आनंदित होती हैं। यही नाट्यकला की श्रेष्ठता और विशेषता है।

रामलीला में रामायण का स्वरूप पूरी तरह रामचरित मानस पर आधारित है। जो कि उत्तर भारत में कथा कहने का एक बहुत ही प्रचलित माध्यम है। दशहरा पर्व के दौरान हर एक गाँव-शहर में भगवान राम के वनवास से लेकर अयोध्या वापस आने पर आधारित नाटक मंचन का आयोजन किया जाता है। रामलीला में प्रायः भगवान राम के बचपन से लेकर वनवास जाने

और राम रावण के बीच युद्ध का मंचन होता है। रामलीला का आदि प्रवर्तक कौन है यह विवादस्पद प्रश्न है। भावुक भक्तों की दृष्टि में यह अनादि है। एक कितंदती का संकेत है कि त्रेतायुग में श्री रामचन्द्र के वनगमलोपरांत अयोध्यावासियों ने चौदह वर्ष की वियोगावधि रामचन्द्र जी भी बाल लीलाओं का अभिनव कर बिताई थी। तभी से इसकी परंपरा का प्रचलन हुआ। एक अन्य जनश्रुति से यह प्रमाणित होता है कि इसके आदि प्रवर्तन मेघा भगत थे जो काशी के कतुआपुर मुहल्ले में स्थित फरहे हनुमान जी के निकट के निवासी माने जाते हैं। एक बार पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी के इन्हें स्वप्न में दर्शन हो सके। इससे सतपेरणा पाकर इन्होंने रामलीला संपन्न कराई। तत्परिणाम स्वरूप ठीक भरत मिलाप के मंगल अवसर पर आराध्य देव ने अपनी झलक देकर इनकी मनोकामना पूर्ण की। रामलीला की अभिनव परंपरा के प्रतिष्ठापन गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनकी प्रेरणा से अयोध्या और काशी के तुलसीघाट पर प्रथम बार रामलीला हुई।

जिस तरह श्रीकृष्ण भगवान की रासलीला का प्रधान केन्द्र उनकी लीलाभूमि वृंदावन है उसी तरह रामलीला का स्थल है काशी और अयोध्या। रामलीला के पात्र, किशोर, युवा, पौढ़ सभी होते हैं। सीता या सखियों का अभिनव आज तक किशोर बाकों द्वारा ही संपन्न होता है। पात्रों का चुनाव करते समय रावण की कार्मिक विराष्टा, सीता की प्रकृतिगत कोमलता और वाणीगत मृदुता, शूर्पणखा की शारीरिक लंबाई आदि पर विशेष ध्यान रखा जाता है। अभिनेता चौपाईयों, दोहो, कंठस्थ किये रहते हैं और यथावसर कथोपकनों में उपयोग कर देते हैं।

रामलीला की सफलता उसकी संचालन करने वाले व्यास सुत्रधार पर निर्भर करती है क्योंकि तह संवादों की गत्यात्मकता तथा अभिलेताओं को निर्देश देता है। साथ ही रंगमंचीय व्यवस्था पर भी पूरा ध्यान रखता है। रामलीला के प्रारंभ में एक निश्चित विधि स्वीकृत है। स्थान काल भेद के कारण विधियों में अंतर लक्षित होता है। कहीं भगवान के मुकुटों के पूजन से तो कहीं अन्य विधान से होता है दूसरी ओर समवेत स्वर में मानस का परायण नारद वानी-शैली में होता चलता है। लीला के अंत में आरती होती है।

काशी में शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद खरधूषण की सेना का जो जुलूस निकलता है उसमें जगमग करते हुए विमान तथा तरह-तरह की लांगें निकलती हैं जिनमें धार्मिक सामाजिक दृश्यों धटनाओं की मनोहम झाँकिया रहती हैं। साथ में मां काली का वेश धारण किए हुए पुरुषों का तलवार संचालन, पेंतरेबाजी, शस्त्र कौशल आदि देखने लायक होता है।

रामलीला में नृत्य, संगीत की प्रधानता नहीं होती, क्योंकि चरितनायक

गंभीर, वीर, धीर, शालीन एवं मर्यादाप्रिय पुरुषोत्तम है। तत्परिणाम वातावरण में विशेष प्रकार की गंभीरता विराजती रही है। इस लीला की मंडली पहले नहीं होती थी। अब कुछ पेशेवर लोग मंडलियाँ बनाकर लीलाभिनय से आर्थोपार्जन करते हैं। रामलीला देखने से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के हृदय से रामलीला गान की उत्कंठा जगी। परिणामतः हिन्दी साहित्य को 'रामलीला' नायक चंपू की रचना मिली।

आयेध्या शोध संरचना द्वारा अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन में राम लीला के चार वर्षों में 15 सौ प्रदर्शन हो चुके हैं।

समूचे देश में लोकनाट्य विधा मानी जाने वाली रामलीला की कई शैलियाँ लगभग समाप्ति पर हैं। विज्ञान के इस युग में फिल्मों और टेलीविजन की व्यावसायिक स्पर्धा ने इस क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया है। सन् 16 सौ में मेधा भगत ने चित्रकूट में जीवंत झांकियों के माध्यम से लीला की शुरुवात की थी। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास मानस आधारित रामलीला काशी में बीच में दर्शकों को रखकर चारों ओर मंच बनाकर शुरू कराया। राधेश्याम रामायण पर भी लीला की शुरुवात यहीं इसी क्षेत्र में हुई पर अब यह ढल मुश्किल से मिलते हैं। अयोध्या में अनवरत रामलीला के दौरान ही दो वर्ष पहले हुई रिकाडिंग आदि के बाद युनेस्को ने रामलला को वैदिक मंत्रोच्चारण केरल के कोडियापम के साथ सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। अनवरत रामलीला की इस योजना के नायाब होती इस लोकविद्या के कलाकारों में नयी उर्जा डालने का काम किया है। अंकिया नाट, यक्षगान, कलकतिया व राजस्थानी कठपुतली रामलीला ढलों के साथ ही योजना में देश और प्रदेश के करीब 35 लीला ढल यहाँ प्रदर्शन कर चुके हैं। कलाकारों को इस योजना से अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है।

रामनगर की विश्वप्रशिद्ध रामलीला पर जानप्रवाह वाराणसी पिछले करीब 20 वर्षों से शोध व संकलन कर रही है।

भारतीय संस्कृति में रामकथा का अद्भुत प्रभाव देखने को मिलता है। उपनिषदों, पुराणों और स्मृति ग्रंथों से लेकर नृत्य गायन और कथावाचन तक के विभिन्न कालसर्पों में यह हमारे लोकजीवन में पूरी तरह संजीवनी है।

विविधताओं से भरे इस देश में यह हर क्षेत्र की स्थानीय परंपराओं का लीस्सा है।

पिछले दिनों इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ने देश के विभिन्न लीस्सों से ऐसे संगठनों और सामुदायिक प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, जो अलग-अलग शैलियों में रामकथा का वाचन, मंचन या प्रदर्शन करते हैं। छह महीने तक चले इस प्रोजेक्ट में उन लोगों ने अपनी-अपनी शैलियों का प्रदर्शन किया और उनकी विशेषताएँ बताईं।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह था कि रामकथा की समृद्ध लोक परंपरा को संजया जाए। लेकिन इस दौरान रामकथा से जुड़े जितने प्रसंग देखने को मिले थे, वे भारतीय जीवन में राम के चरित्र के व्यापक प्रभाव को उजागर करते हैं। जैसे असम की राम विजय की नाट्य परंपरा। इसे संत कवि शंकरदेव ने रचा था।

यह झांकिया नट और भावन शैली में मंचित की जाती है। यही रामकथा पर आधारित 'कुशन गान' नायक एक परंपरागत लोक नाट्य भी है। जिसमें भगवान राम सीता माता के बेटे कुश पर रखा गया है। उत्तर पूर्व के ही मणिपुर में इसे जात्रा शैली में मंचित करने की परंपरा है।

रामकथा की इन सभी शैलियों में उस क्षेत्र विशेष के परिवेश को खूबसूरती से उतारा गया है। वहाँ की तो प्रकृति, खान-पान पहनावा और सामाजिक संस्था इन कथाओं में धड़कती हैं। राम भगवान नायक हैं ही दूसरे पात्र भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मध्यभारत का एक समुदाय है बैगा। उसकी रामकथा में लक्ष्मण को अग्निपरीक्षा देनी होती है जिसे लक्ष्मण जाती कहा जाता है। सीता जी कई कथाओं में काली का रूप धारण करती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लोक साहित्य - डॉ. राजेश श्रीवस्तव 'गब्बर'
2. लोक गाथा - श्री बाबूराम मरकाम
3. लोक नाट्य - श्रीमती गीता मरकाम
4. लोक कथाएँ - श्री प्रेमचंद परस्ते
5. छत्तीसगढ़ी और उसका साहित्य - डॉ. श्रीमती बिन्दू परस्ते

शमशेर बहादुर सिंह के काव्य में भाषा, बिम्ब और प्रतीक

डॉ. ज्योति सिंह* शिव औतार**

* प्राध्यापक (हिंदी) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (हिंदी) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – शमशेर बहादुर सिंह के काव्य में भाषा, बिम्ब और प्रतीक इस शोध पत्र का वर्ण्य विषय है। इसकी शोध परक विवेचना करने के पूर्व इसके सार रूप पर संक्षिप्त प्रकाश डालना उचित प्रतीत होता है। शमशेर बहादुर सिंह के काव्य में भाषा, बिम्ब और प्रतीक की यथार्थ परक झांकी देखी जा सकती है। इस शोध लेख में शमशेर बहादुर सिंह के काव्य में भाषा बिम्ब और प्रतीक की शोधात्मक विवेचना की गई है।

‘कवि जब अपनी अनुभूति को संप्रेषित करता है तो उसकी पहली आवश्यकता भाषा होती है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति का अनुभव दूसरे तक पहुँचता है। इसी से यह संप्रेषण का सार्थक सेतु सिद्ध होती है और उसका सेतुत्व तभी सफल होता है जब अनुभूतियों के वजन को वह ठीक-ठाक ढंग से संभाल लेता है। कवि की अनुभूतियाँ जब तक इस सेतु से आसानी से किन्तु प्रभावी ढंग से पाठक तक पहुँचती हैं तभी तक उसकी सार्थकता है किसी अनुभव को कह देना एक बात है, उसे प्रभावी ढंग से कहना बिल्कुल दूसरी बात है और उसे पाठकीय संवेदना में उतार देना तीसरी और महत्वपूर्ण बात है। कहना तो हर आदमी को आ सकता है, प्रभावी ढंग से कहना वक्ता का कौशल है और ऐसे कौशल से कहना कि वह मन में गहरे उतर कर अर्थ की गाँठों को स्वयं खोल दे या वे खुद खुल जायें कलाकार की सार्थक अभिव्यंजना का प्रमाणीकरण है। इसी बिन्दु पर आकर कविता-कविता है।’¹

शमशेर भाषा के मामले में बेहद कंजूस कवि हैं। वे शब्द को काव्य में बचा-बचाकर खर्च करते हैं। उन्होंने शुरू से अपनी काव्यभाषा में हिन्दी के अलावा उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, के शब्दों का बेशुमार प्रयोग किया है। उनकी भाषा का ग्राफ विविध और प्रयोगधर्मी है। उनकी भाषा में चित्रमयता, बिम्ब धर्मिता के अलावा जो सबसे बड़ी ताकत है वह है स्पर्श करने की क्षमता। स्पर्श करने की क्षमता वे शब्दों की ध्वन्यात्मकता से विकसित करते हैं। उनकी भाषा में रूप, रस, गन्ध की इतनी सराबोर दुनियाँ व्याप्त है कि वह पाठक पर जादू जैसा असर करती है। शमशेर की काव्य भाषा मुक्तिबोध की भाषा की तरह ध्वनि विहीन नहीं है बल्कि सबसे ज्यादा ध्वनि युक्त है।

शमशेर ने अपने लम्बे कवि-कर्म में भाषा के कई प्रयोग किए। हिन्दी की आधुनिक कविता की भाषा में पहली बार उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी के शब्दों की झड़ियाँ लगा दी जिससे खड़ी बोली की कविता में एक नई रंगत पैदा हुई।

शमशेर अपनी भाषा के सम्बन्ध में कहते हैं- प्रत्येक कवि के अनुभव का अपना एक रेंज होता है। भाषा के सम्बन्ध में हरेक का अपना एक आदर्श

होता है। मेरा भी है। प्रारम्भ में मेरी भाषा के तत्सम शब्द पूर्ण, समास युक्त और जटिल अर्धगुंफित, असहज रही है। पर बाद की कविताओं की भाषा ज्यादा सहज, सादी और प्रवाहपूर्ण होती गई। अपने लिए जीवन्त भाषा को उसकी स्वाभाविकता में पकड़ने का मेरा आदर्श रास्ता रहा है कि मैं खड़ी बोली वाले इलाकों के जनजीवन के बीच रहकर उनकी बोलचाल के लहजों तौर तरीकों, मुहावरों और अभिव्यक्ति के ढंग को अपने भीतर जज्ब करूँ। हर बात को कहने के अपने खास अन्दाज होते हैं। स्वभावतः हर गम्भीर कवि उस खास अन्दाज को पकड़ने की कोशिश करता है। हर बड़ा कवि यथासम्भव उन सभी लोगों से अपने काम की भाषा सीखता है जो भाषा के प्रभावकारी प्रयोग में दक्ष होते हैं।²

शमशेर की कविता में भाषिक-संरचना और प्रयोग की बात करते हुए यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि छायावादोत्तर काव्य में शमशेर ही एक ऐसे कवि हैं जिनकी काव्य-भाषा सर्वाधिक सांकेतिक है।

शमशेर के काव्य में भाषा से भाषा और बोली से बोली के बीच एक सम्बन्ध स्थापित हुआ लगता है वे देशी-विदेशी शब्दों को ग्रहण कर अपनी कविता में प्रयोग करते हैं-अपने में पचाते हैं, अपना बनाते हैं। शमशेर ने जीवन को काव्यात्मक रूप दिया है। वे सुने सुनाए पर विश्वास नहीं करते थे। जो देखा और यथार्थ में जिया, उसी पर विश्वास किया, उसे ही व्यक्त किया है। यही कारण है कि काव्य में उनकी अपेक्षा बराबर बढ़ती गई। यह प्रत्येक आस्वादनशील रचनाकार की मनोवृत्ति होती है। वे आत्मप्रशंसा नहीं चाहते थे, और न किसी का पिछलग्गू बनना ही। यही उनके जीवन और भाषा-शिल्प का निरालापन है।

काव्य-शिल्पी होने के नाते शमशेर ने काव्य-जगत की तमाम शिल्पगत विधियों को अपने काव्यों में स्थापित करके नवीनता देने की चेष्टा की है। शमशेर ने छन्द प्रयोग के क्षेत्र में जैसे विविध प्रयोग कर नवीनता का परिचय दिया है वैसे ही अलंकारों के क्षेत्र में भी, जिससे उनके काव्य की अलग पहचान होती है। भावों की भाषा के रूप में ढालकर उन्होंने आलंकारिक प्रयोग किया है।

शमशेर की काव्य भाषा-भाव-शिल्प-कला की दृष्टि से नये से नये प्रयोगों की सुचिन्तित शृंखला है। उसमें उनके कवि-साधक की गहरी अनुभूति है। वे कहीं-कहीं दुख-दुष्कर भाषा से अलग बोलचाल की भाषा और देशज शब्दों का प्रयोग कर अपने भावों को नयी भंगिमा प्रदान करते हैं।

शमशेर की कविता सत्य का साक्षात्कार करती है सामान्यतः वे बौद्धिकता के विरोधी और सहज संवेद्य भाषा के समर्थक थे। देश-काल और

जन-जीवन, कला-प्रकृति परिवेश के विभिन्न पहलुओं को उन्होंने अपनी कविता में इतनी सहजता और सफलता से प्रचलित उपमानों-उपादानों के साथ व्यक्त किया है। उनको हिन्दी के आधुनिक कविता के प्रथम कोटि के कवि कह सकते हैं।

शमशेर निजी गहरी अनुभूतियों के कवि हैं। इसी कारण उनकी काव्यभाषा जटिल और अजनबियत की वक्रता से पूर्ण है। उनके मतानुसार यहर भावना की अपनी एक भाषा होती है। तात्पर्य यह है कि उनकी भावना अपनी अभिव्यक्ति की भाषा खोज लेती है। शमशेर के यहाँ भाषा के विविध स्तर एवं विभिन्न स्वाद हैं। रचना और संरचना दोनों ही दृष्टि से भाषा के प्रति उनकी सजगता देखी जा सकती है।

वस्तुतः शमशेर की भाषा साधना की भाषा है। उन्होंने भाषा को तराश-तराश कर उसकी खराश नष्ट कर दी है। वे उसे स्वर्णकार की भाँति ढालकर हमारे सामने लाते हैं। उनके गीतों की गुलाबी भाषा वास्तव में उनके प्राणों की भाषा है। उनकी भाषा में एक रसता है। नदी जैसे तट चाहे कितना ही बदले, उफने, मचले, फैले लेकिन वो अपना तल कभी नहीं बदलती है। शमशेर की भाषा में जड़ाव-कड़ाव कम है, ढलाव अधिक है। शमशेर की भाषा एक ऐसी कविता है जो संस्कृतियों के उद्गम तक पहुँचाने का उपक्रम है।

शमशेर के काव्य-संसार में गहरे डूबने पर यह अनुभव होता है कि शमशेर ने एकान्त में जैसे अपनापन ही सौंप दिया है। यह अपनापन नया प्रतीत होता है, क्योंकि यह एक ऐसे कवि के द्वारा हम तक पहुँचता है, जो अपनी विलक्षण कविताओं से हमारी संवेदनाओं को गहराई से छूता ही नहीं, बल्कि नई संवेदना भी जगाता है।

शमशेर की काव्य भाषा का स्वरूप, उसकी कविता के समान यमिनी और विशिष्ट है। उनकी भाषा के अनेक स्तर होते हुए भी, उनमें चित्रात्मकता एवं ध्वन्यात्मकता का एक समान गुण है जो उनकी रचना-प्रक्रिया की विशेषता प्रदान करता है।

शमशेर की रचना प्रक्रिया में भावोद्देग शांत और गंभीर होता है जो भाषा के स्तर पर रूपाकार के द्वारा अभिव्यक्त होता है।

शमशेर के यहाँ भाषा के विविध स्तर एवं विभिन्न स्वाद हैं। सबसे मुख्य बात है कि उनकी रचना और संरचना दोनों ही दृष्टि से भाषा के प्रति उनकी सजगता आँकी जा सकती है। शमशेर की रचनात्मकता में उनकी 'भाषा' केन्द्रीय महत्व और आकर्षण का बिन्दु रही है।

भाषा के इन विभिन्न रूपों ओर स्तरों के बाद भी भाषा व्याकरण की छोटी से छोटी इकाई भी शमशेर के यहाँ महत्वपूर्ण है। अव्यय का सार्थक प्रयोग भाषा क्षमता को प्रस्तुत करता है।

असामान्य शब्द-संयोजना द्वारा उनकी कविताएँ नये अनुभव-विश्व को प्रकट करती हैं। बात कहने का ढंग उनके यहाँ नया है, अप्रचलित है, असामान्य है, अतः उनकी कविताएँ विशिष्ट हैं। उनकी कविताओं में शब्द की अर्थक्ता महत्वपूर्ण है।

शमशेर ने भाषा का जो रूप अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। वह उर्दू और हिन्दी दोनों का मिला-जुला समन्वित रूप है। वह सर्वथा उनका अपना निजी है। उर्दू और हिन्दी शब्द इतनी सहजता से उनकी कविता में एक साथ आते हैं। कि कविता में अजनबी नहीं लगते।

शमशेर की कविता में दोनों भाषाओं का स्तुत्य समन्वय है, संश्लेषण है। इसी सन्दर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी का मत है- 'शमशेर ने दोनों काव्यभाषाओं में अलग-अलग रचना की है। और दोनों के वैशिष्ट्य को-

यद्यपि बिना समझे मिलाया भी है। कवि के सन्दर्भ में स्पष्ट ही महत्व विश्लेषण का नहीं, संश्लेषण का है।'³

यथासम्भव कम शब्द प्रयोग से भावाभिव्यक्ति शमशेर के काव्य का विशिष्ट गुण है। इसमें व्यंजना की बात प्रमुख है। इसी प्रक्रिया में शब्दों का यदेहली दीप्य प्रयोग उनकी रचनाओं में कई बार मिलता है। देहली दीप्य अर्थात् वह शब्द जो दोनों पंक्तियों में समान रूप से अर्थ दीप्ति देता हो।

शमशेर की भाषा में छन्दात्मकता भी उल्लेखनीय है। शमशेर की कविता में छन्दोलय साम्राज्य इतना अधिक महत्व रखता है कि वह कविता का नाद सौन्दर्य बढ़ाती है। जैसे-

‘तब छन्दों के तार खिंचे-खिंचे थे

राग बँधा-बँधा था

प्यास उँगलियों में विकल थी-

कि मेघ गरजे,

और मोर दूर और कई दिशाओं से

बोलने लगे-पीयूअ!पीयूअ! उनकी

हीरे-नीलम की गर्दनें बिजलियों की तरह

हरियाली के आगे चमक रही थीं।'⁴

शमशेर की कविता में गुम्फित छन्द, लय और प्रास को खोलते हुए अनुभव से, सुनते हुए ऐसी प्रतीत होती है कि वे कुशल काव्य-शिल्पी हैं। शमशेर की कविताएँ सफल और यथोचित प्रभाव डालती हैं। वे खड़ी बोली को उर्दू के अधिक निकट मानते हैं। शमशेर ने अधिकतर मुक्त छन्द में लिखा है। उनकी मुक्त छन्दों की रचनाओं में लय कवच का काम करती हैं। शमशेर लयबद्ध कवि हैं। यह लयसिद्धि शमशेर के कवि कर्म की विशिष्टता है। शमशेर की कविता स्वर के आवर्तन से लयात्मक हो जाती है। शमशेर की कविता में यह उदाहरण देखने को मिलता है-

‘लुटी-मीठी बाँसुरी की धुन

भूल सपनों के लिए बैठी

कौन चिलमन में

मौन रिमझिम की

आँसुओं लिपटी

-फिर कहाँ वह मन-कली-

तुनकी खिली, ठहरी, झुकी मद-भार अलसाई गिरी

खोई कहीं सोई.....।'⁵

शमशेर की इस कविता में 'ई' के इतने आवर्तन कविता को लयात्मक बना देते हैं।

शमशेर बहादुर सिंह ऐसे प्रयोगवादी कवि हैं जिन्होंने शैली के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किये हैं। इनमें प्रतीक, बिम्ब आदि के प्रयोग आते हैं।

डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार 'प्रतीक जहाँ किसी भाव को जाग्रत करता है वहाँ बिम्ब अनेक भावों के संश्लेष और उसके विविध स्तरों को अनुभव में एक बारगी संक्रमित कर देता है।.....'⁶ शमशेर अपनी कविता में साशय बिम्बों का निर्माण नहीं करते, फिर भी प्रायः सभी प्रकार के बिम्ब उनकी कविताओं में देखे जा सकते हैं। उनकी कविता एक ऐसा आईना है जिसमें न केवल इन्सानी शक्ल उभरती है, बल्कि उसके आस पास के बिम्ब प्रतिबिम्बित हुये हैं। शमशेर ने मानवीय-चेतना, मानवीय-पीडा, सुख-दुख, सौन्दर्य के सुन्दर और प्रासंगिक बिम्ब प्रस्तुत किये हैं। शमशेर के काव्य बिम्बों को कुछ विशेष बिन्दुओं के माध्यम से देखा जा सकता है।

शमशेर की भाषा प्रधानतः बिम्बात्मक है। शमशेर की कुछ कविताएँ व कुछ और कविताएँ, यकाल तुझसे होड़ हैं मेरी; 'बात बोलेगी', में बिम्ब प्रतीकों के सूक्ष्म संवेदन और चिन्तन-मनन की गहराई में डूबकर समझा जा सकता है। उनकी काव्यात्मक संवेदना और रचनात्मक चेतना जिन वर्ण-विषयों को छूती है वे बिम्ब बनते हैं

त्वचा द्वारा अनुभूति स्पर्श कहलाती है। यह चाहे बाह्य पदार्थ द्वारा हो या वायु एवं प्राणियों द्वारा अर्थात् स्पर्श का सीधा सम्बन्ध त्वचा से है। डॉ० नगेन्द्र के शब्दों में, स्पृश्य-बिम्ब में स्पर्शजन्य संवेदना के समन्वय से बिम्ब का निर्माण होता है। पेशल या कोमल, कर्कश, कठोर, आदि विशेषण इस प्रकार के स्पर्श-बिम्बों के वाचक शब्द हैं।¹⁷ शमशेर-कविता में ऐसी वृत्तियों और मानवीय स्पर्श की मौसल अभिव्यक्ति हुई है। शमशेर द्वारा प्रयुक्त स्पृश्य बिम्बों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-

'मैं उस स्थान को चूमना
चाहता हूँ
जहाँ उसने अपना सर रखा था
तुम्हारे वक्ष पर
वह स्थान बहुत ही मुकद्दस है
X X X
वह स्थान तुम्हारे वक्ष का
बहुत ही पवित्र है
तुम्हारे होंटों पर
जहाँ उसने अपने होंट
रखे थे।'¹⁸
- 'गिली मुलायम लटें
आकाश
सॉवलापन रात का गहरा सलोना
स्तनों के बिंबित उभार लिए।'¹⁹
- 'साड़ियों के-से नमूने चमन में उड़ते छबीले; वहाँ
गुनगुनाता भी सजीला जिस्म वह
जागता भी
मौन सोता भी, न जाने
एक दुनियाँ की
उमीद-सा
किस तरह!'¹⁰
- 'खसर-खसर एक चिकनाहट
हवा में मक्खन-सा घोलती है
नींद-भरी आलस की भोर का
कुंज गदराया है
यौवन के सपनों में
कभी अनजान मानो।'¹¹
'मुलायम बाँहों-सा अपनाव
पलकों पर हौले-हौले
तुम्हारे फूल-से पाँव
मानों भूल कर पड़ते
हृदय के सपनों पर।'¹²
'क्यारी

भरी गेंदा की
स्वर्णारक्त
क्यारी भरी गेंदा की:
तन पर
खिली सारी-
अति सुन्दर! उठाओ।
निज वक्ष।'¹³

इस बिम्ब का सम्बन्ध कर्णेन्द्रिय से होता है। डॉ० नगेन्द्र इसके सम्बन्ध में कहते हैं, 'वर्ण-ध्वनि, छान्दसल', तुकांत आदि के बिम्ब श्रव्य हैं अनुप्रास, वृत्ति आदि से भी श्रव्य बिम्बों का उत्पादन होता है।¹⁴ साहित्य सृजन में ध्वनि बिम्बों का विशेष महत्व है। नाद-बिम्ब की दृष्टि से प्राकृतिक ध्वनियाँ, वस्तु-ध्वनियों, संगीत-ध्वनियों को शामिल कर सकते हैं। शमशेर-कविता में नाद (ध्वनि-बिम्बों) का प्रयोग प्रभावशाली है।

प्रतीक का शाब्दिक अर्थ है। - संकेत-चिन्ह, प्रतिरूप आदि। प्रतीक वह शब्द चिन्ह है जो किसी वस्तु का बोध कराते हैं। यह उस वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है जो अगोचर हो या कहा जा सकता है कि किसी अदृश्य वस्तु या भाव को स्पष्ट करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, उसे ही प्रतीक कहते हैं। इस सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि अनेक भाव, दृश्य अमूर्त होते हैं, उन्हें प्रस्तुत करने के लिए एक मूर्त भाव या दृश्य खड़ा किया जाता है। यह मूर्त भाव या दृश्य जिस शब्द चिन्ह के माध्यम से खड़ा होता है, उसे ही प्रतीक कहा जा सकता है। प्रतीकों का जन्म ही कम से कम शब्दों के माध्यम से अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करने की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप हुआ है। यथार्थ जीवन के साहचर्य से ही प्रतीकों में अर्थ भरता और बदलता रहता है। मनुष्य के व्यक्तिगत अनुभव से असंपृक्त रहकर न तो उसमें अर्थ आता है न व्यक्तित्व। काव्यात्मक प्रतीकों में जहाँ भावोद्बोधन की क्षमता विद्यमान होती है, वहीं वे अर्थ की विपुलता के निमित्त भी अपना विशेष सहयोग प्रदान करते हैं।

शमशेर कविता में मनोविज्ञान, विज्ञान, समाज, राजनीति, गणित, प्रकृति कला, यात्रा बोध और ध्वनि में प्रतीक अनुभूति को विस्तार देते हैं। उनके प्रतीकों का रूप उनके शिल्प-योजनानुरूप बड़ा है। शमशेर की इससे संवेदना जुड़ी है। शमशेर की कविता में प्रतीक सूक्ष्म हैं। वे भावों को सीधे अविधा में न बाँधकर व्यंजना के द्वारा व्यक्त करते हैं। उनकी कविता में प्रतीक रोमानी-पौराणिक, यथार्थपरक वैज्ञानिक-दार्शनिक-आध्यात्मिक परम्परा से सम्बन्धित होकर अपनी अलग पहचान रखते हैं। शमशेर ने प्रतीकों के माध्यम से अपनी प्रयोगधर्मिता को उदात्ता प्रदान की है। उनके काव्य में प्रस्तुत प्रतीकों को इस प्रकार रख सकते हैं-

समाजिक प्रतीक - मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित शमशेर की कविताओं में यथार्थपरक जन-जीवन समाज के विविध प्रतीक गहरे हैं। उनकी कविता का समाज बड़ा होते हुए भी शिविरों-शामियानों में बाँट कर देखने के कारण छोटा दिखाई देता है शमशेर की कविता में जन-जीवन के बहुरंगी रूप-रंग हैं, जिनको विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से सजाया है-

'हम नंगे बदन रहते हैं
झुलसे घोंसलों में
X X X

हमारे अपने नेता भूल जाते हैं हमें जब
भूल जाता है जमाना भी उन्हें, हम भूल पाते हैं उन्हें खुद।'¹⁵

शमशेर के काव्य में उपेक्षित-पीडित-दलित मानव के प्रति सहानुभूति का भाव विद्यमान है। दीन के जीवन और दयनीय और करुण स्थिति से शमशेर ने निजता स्थापित की है। उनकी करुण-कथा और दारुण-दशा को अपना स्वर दिया है-

‘होट में सो गए शब्द
भाव में खो गए स्वर
एक पल हो गए कितने शब्द
मीन है घरा’¹⁶

शमशेर के प्रतीक उनके अनुभवों के शाब्दिक प्रतिरूप हैं। उन्हें कवि ने अपने आसपास के परिवेश से उठाया है। शमशेर ने समाज में व्याप्त दुर्व्यवस्था पर क्षोभ-आक्रोश प्रकट किया है।

निष्कर्ष - इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि शमशेर के काव्य में- भाव- शिल्प- कला की दृष्टि से नए-नए प्रयोगों की सुचिंतित श्रृंखला है। उसमें उनके शायर की गहरी अनुभूति है। वे कहीं-कहीं दुरुह-दुष्कर भाषा से अलग बोलचाल की भाषा और देशज शब्दों का प्रयोग कर अपने भावों की नई भंगिमा प्रदान करते हैं। शमशेर की भाषा साधना की भाषा है। उन्होंने भाषा को तराश- तराश कर उसकी खराश नष्ट कर दी है। शमशेर की भाषा प्रधानतः बिंबात्मक है। शमशेर की कविता में बिंबो, प्रतीकों, रूपकों, उपमानों के सूक्ष्म संवेदन और चिंतन- मनन की गहराई में डूब कर समझा जा सकता है। शमशेर के काव्य में नांद बिम्ब, स्पर्श बिम्ब, रूप बिम्ब, अस्वाद्य बिम्ब, गंधा बिम्ब, प्रकृति बिम्ब आदि की अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार उक्त शोधपत्र की शोधात्मक विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि शमशेर बहादुर सिंह के काव्य में भाषा, बिम्ब और प्रतीक की चेतनाएं विद्यमान हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सर्वेश्वर का काव्य-संवेदना और संप्रेषण, डॉ. हरिचरण शर्मा, पृष्ठ संख्या 156, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
2. कविता के सौ वरस, लीलाधर मंडलोई, पृष्ठ संख्या 358, प्रेरणा प्रकाशन, भोपाल।
3. नई कविताएं-एकसाक्ष्य, रामस्वरूप चतुर्वेदी, पृष्ठ संख्या 87, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
4. टूटी हुई बिखरी हुई, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 129, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. कुछ कविताएं व कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 153, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. कवियों के कवि शमशेर, रंजना अरगड़े, पृष्ठ संख्या 134, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
7. नई कविताएं- एक साक्ष्य, रामस्वरूप चतुर्वेदी, पृष्ठ संख्या 24, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
8. काव्य बिंब, डॉ. नगेंद्र, पृष्ठ संख्या 09, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
9. काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 64, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
10. कुछ कविताएं व कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 48, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली।
11. कुछ कविताएं व कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 65, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली।
12. कुछ कविताएं व कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 62, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली।
13. कुछ कविताएं व कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 36, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली।
14. कुछ कविताएं व कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 138, राधाकृष्णन प्रकाशन नई दिल्ली।
15. काव्य बिंब, डॉ. नगेंद्र, पृष्ठ संख्या 09, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली।
16. इतने पास अपने, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 33, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।

लघु एवं संक्रमणशील नगरीय क्षेत्रों में स्थित कृषि उपज मण्डियों की आय एवं व्यय का तुलनात्मक अध्ययन (राजगढ़ एवं विदिशा जिले के विशेष संदर्भ में)

मुकेश शाक्यवार* डॉ. सुनील आडवानी**

* सहायक प्राध्यापक, ने.सु.बोस शासकीय महाविद्यालय, ब्यावरा एवं शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, बाल कृष्ण शर्मा नवीन शासकीय महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी—लघु नगरीय क्षेत्र – नगर पालिका क्षेत्र, संक्रमण नगरीय क्षेत्र – नगर पंचायत क्षेत्र कृषि उपज मण्डी – वह संस्था जहाँ शासन की निगरानी में कृषि उपजों का क्रय विक्रय किया जाता है।

प्रस्तावना— वर्तमान में 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भरता रखती है। अल्पकालीन निवेश पर आधारित होने के कारण जोखिम अधिक होती है। कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विविध प्रकार से मार्गदर्शन किया जाता है। कृषि के अंतर्गत खेती के अतिरिक्त पशुपालन, उद्यानिकी, वानिकी तथा कृषि प्रसंस्करण शामिल किया जाता है, यह निजी क्षेत्र का बड़ा भाग होता है। इसी परिपेक्ष में कृषि के विकास के लिए एक कुशल वितरण प्रणाली आवश्यक है इस कार्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका संगठित कृषि उपज मण्डियां निभा सकती हैं। कृषि उपज मण्डी विभिन्न प्रकार की कृषि उपज के लिए व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख भूमिका तय करती है। जहां कृषक वर्गों द्वारा अपनी उपज को विपणन हेतु लाया जाता है, जिसके लिए व्यापारियों को उपज खरीदने का अवसर प्रदान किया जाता है। कृषि उपज मण्डी में कृषि उपज के विपणन के साथ-साथ अन्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियां तथा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार कृषि उपज के लिए पर्याप्त बाजार संभावनाएं तय करने के साथ-साथ उपज के तौलने, नीलामी उपज का श्रेणीकरण तथा वर्गीकरण इत्यादि के साथ-साथ कृषक वर्गों को उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इस प्रकार कृषि उपज मण्डी परिसर में विभिन्न प्रकार के संसाधनों की एवं संसाधनों के साथ-साथ सुविधाओं के बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्ययों का प्रावधान किया जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य—ब्यावरा एवं लटेरी मण्डी समितियों के पूंजीगत-आगत आय – व्यय योग एवं बचत का अध्ययन करना।

अध्ययन की शोध प्रविधि— इस अध्ययन के लिए क्षेत्र निधारण हेतु हमारे द्वारा सविचार, उद्देश्य पूर्ण निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। विश्लेषण हेतु द्वितीयक समंको का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है। आँकड़ों का सारणीयकरण करके औसत, प्रतिशत, प्रमाप विचलन आदि सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र एवं सीमा— इस अध्ययन हेतु हमारे द्वारा लघु नगरीय क्षेत्र मण्डी के रूप में राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर की कृषि उपज मण्डी को

तथा संक्रमणशील नगरीय क्षेत्र की मण्डी के रूप में विदिशा जिले के लटेरी नगर स्थित कृषि उपज मण्डी का चयन उद्देश्य पूर्ण सविचार निदर्शन विधि द्वारा किया गया है। साथ ही समयसीमा के रूप में विगत पाँच वित्तीय वर्षों (2018-19 से 2022-23) को लिया गया है।

अध्ययन के लिये चयनित कृषि उपज मण्डी समितियों के आय-व्यय का व्यौरा, विश्लेषण एवं निष्कर्ष—

कृषि उपज मण्डी समिति आय— कृषि उपज मण्डी समिति की प्रमुख आय मण्डी शुल्क के रूप में होती है। साथ ही व्यापारियों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ वसूली जाती है। जो आय का प्रमुख साधन माना जाता है। साथ ही कृषि उपज मण्डी परिसर में गोदाम के किराए से प्राप्त होने वाली आय विभिन्न प्रकार के निविदा एवं प्रपत्रों के विक्रय से आय इत्यादि के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार कृषि उपज मण्डी समिति के द्वारा बैंक खाता उपलब्ध होता है। जिसमें निर्धारित राशि जमा रहती है जो ब्याज के रूप में प्राप्त होती है इसी परिपेक्ष में कृषि उपज मण्डी समिति की विभिन्न प्रकार की आय की विवेचना बिंदुवार की गई है। जिसके लिए कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी तथा कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा के मध्य आय संबंधी गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

मण्डी शुल्क—

तालिका क्रमांक 01 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 1 से स्पष्ट है कि यदि तुलनात्मक रूप से प्रमाप विचलन गुणांक में तुलना किया जाए तो परिवर्तन देखा गया है जिसमें कृषि उपज मंडी समिति लटेरी का विचरण गुणांक 33.35 प्रतिशत प्राप्त हुआ है तथा कृषि उपज मंडी समिति ब्यावरा का विचरण गुणांक 32.29 प्रतिशत पाया गया है।

निष्कर्ष— दोनों की स्थिरता में अंतर देखा जाए तो कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी की अपेक्षा कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा की प्रतिवर्ष आय में स्थिरता अधिक है। अर्थात् कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा की विचरण गुणांक कम होने के कारण मण्डी शुल्क की प्राप्ति में अनियमितता अधिक है। अनुज्ञाप्ति शुल्क—

तालिका क्रमांक 02 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 2 से स्पष्ट है कि कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी एवं कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा में अनुज्ञापन शुल्क की प्राप्ति में अंतर पाया

गया है। क्योंकि लटेरी कृषि उपज मण्डी समिति का कार्य क्षेत्र कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा की अपेक्षा कम है। इस कारण अनुपातिक वसूली की दृष्टि से सर्वाधिक वसूली कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा की होनी चाहिए थी परंतु अध्ययन में अनुज्ञापन राशि की वसूली कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी की पाई गई है। यदि विचरण गुणांक की दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी का विचरण गुणांक 65.70 प्रतिशत की दर से पाया गया है तथा कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा का विचरण गुणांक 75.58 प्रतिशत की दर से पाया गया है।

निष्कर्ष- स्थिरता एवं नियमितता की दृष्टि से कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा का विचरण गुणांक अधिक पाया गया है तथा कृषि उपज मंडी समिति लटेरी का विचरण गुणांक कम पाया गया है। इस दृष्टि से अनुज्ञापन शुल्क की प्राप्ति में स्थिरता कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी में स्थिरता अधिक दर्शा रहा है जबकि कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा में प्राप्ति में स्थिरता कम दर्शा रहा है।

भूखंड एवं गोदाम किराया-

तालिका क्रमांक 03 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 3 से स्पष्ट है कि कृषि उपज मण्डी परिसर में छोटे-छोटे व्यापारियों को दुकान एवं खरीदी बिक्री के लिए भूमि एवं भवन उपलब्ध कराया जाता है। जो कृषि उपज मण्डी में उपज को बेचने के लिए आने वाले कृषकों को चाय नाश्ते एवं खरीदी के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है इस प्रकार कृषि उपज मण्डी समिति के लिए आय का हिस्सा होता है। साथ ही व्यापारियों द्वारा विपणन के दौरान खरीदी गई उपज के भंडारण के लिए गोदाम किराए पर उपलब्ध कराया जाता है। जिससे नियत दर से कृषि उपज मण्डी समिति को आय प्राप्त होती है। यदि प्रमाप विचलन गुणांक में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी का विचरण गुणांक 0.22 प्रतिशत की दर से दर्शा रहा है तथा कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा का विचरण गुणांक 0.21 प्रतिशत की दर से दर्शा रहा है।

निष्कर्ष- कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी एवं कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा के विचरण गुणांक में सामान्यतः कोई अंतर नहीं दर्शा रहा है। इस प्रकार दोनों में भूखंड एवं गोदाम किराए की प्राप्ति दर की स्थिरता एवं नियमितता समान रूप से पाई गई है।

जुर्माना एवं प्रपत्र विक्रय से प्राप्ति -

तालिका क्रमांक 04 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 4 से स्पष्ट है कि जुर्माने की राशि की प्राप्ति सामान्यतः नियमों के उल्लंघन की दशा में, बिना अनुमति के नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना तथा बगैर किसी अनुमति के उपज को कृषि उपज मण्डी परिषद से निकास किया जाना इत्यादि के आधार पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी एवं कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा के मध्य विचरण गुणांक के आधार पर तुलना की जाए तो दोनों की आए परिवर्तन में स्थिरता की दृष्टि से परिवर्तन देखा गया है। जिसमें कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी का विचरण गुणांक 15 प्रतिशत की दर से पाया गया है तथा कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा का विचरण गुणांक 19.66 प्रतिशत की दर से पाया गया है।

निष्कर्ष- कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा की अपेक्षा कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी की जुर्माना एवं प्रपत्र के विक्रय से होने वाली आय में स्थिरता एवं नियमितता अधिक पाई गई है।

कृषि उपज मंडी को ब्याज से प्राप्ति

तालिका क्रमांक 05 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 5 से स्पष्ट है कि कृषि उपज मण्डी समितियों को विभिन्न प्रकार की जमाओ एवं कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज से होती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के वसूले जाने वाली शुल्क के भुगतान करने में कोई भी व्यापारी देरी करता है तो दंड स्वरूप ब्याज के साथ शुल्क जमा करवाया जाता है। जो आय का विशेष साधन माना जाता है। इस प्रकार कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी एवं कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा के विचरण गुणांक की दृष्टि से तुलना किया जाए, तो दोनों कृषि उपज मण्डी समिति की आय की स्थिरता में अंतर प्राप्त होता है। जिसमें कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी का विचरण गुणांक 45.49 प्रतिशत रहा है तथा कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा का विचरण गुणांक 52.02 प्रतिशत रहा है।

निष्कर्ष- दोनों उपज मण्डी की तुलना में कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी का विचरण गुणांक कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा के विचरण गुणांक की अपेक्षा कम है। ऐसी स्थिति में कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी को प्राप्त होने वाले ब्याज में स्थिरता एवं नियमितता अधिक है।

अनुदान एवं विविध आय-

तालिका क्रमांक 06 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 6 से स्पष्ट है कि विविध आई की प्राप्ति की दृष्टि से कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी की सर्वाधिक आय वर्ष 2019-20 में 4.82 लाख रुपए की प्राप्ति हुई है तथा सबसे कम आए वर्ष 2022-23 में 0.48 लाख रुपए की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार औसतन आय कि प्रतिवर्ष प्राप्ति 2.55 लाख रुपए की रही है।

कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा की सर्वाधिक प्राप्ति वर्ष 2018-19 में 8.94 लाख रुपए की प्राप्ति हुई है, जबकि सबसे कम प्रति वर्ष वर्ष 2022-23 में 0.87 लाख रुपए की विविध आय के रूप में प्राप्ति हुई है जो औसतन 4.55 लाख रुपए प्रति वर्ष मानी गई है।

निष्कर्ष- दोनों कृषि उपज मंडियों का तुलनात्मक अध्ययन किए जाने से स्थिरता में अंतर देखा गया है। अर्थात् कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा की अपेक्षा कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी की विविध आय में स्थायित्व एवं नियमितता अधिक पाई गई है।

कृषि उपज मण्डी के संचालन व्यय- किसी भी संस्थाओं के संचालन के लिए आवश्यकता अनुरूप व्ययों की आवश्यकता होती है। जिसके लिए बजट का प्रावधान किया जाना होता है। सामान्यतः विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के संचालन के लिए विविध प्रकार के व्ययों की आवश्यकता होती है। इसके प्रबंधन के लिए स्वयं के स्रोतों का निधारण करना होता है। कृषि उपज मण्डी संचालन से विविध प्रकार की आय प्राप्ति की संभावना बनी रहती है। जिसके आधार पर आवश्यकता अनुसार व्यय करने का प्रावधान किया जाता है। सामान्य दृष्टि से संस्थानों नियमित कर्मचारी के वेतन व भत्तों के लिए शासन द्वारा बजट का प्रावधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त संस्थान के आंतरिक गतिविधियों के संचालन हेतु कोष निर्धारित किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित करने में सहायक होती है। जिसका विश्लेषण विभिन्न मदों को केंद्रित करते हुए किया गया है। कार्यालयीन एवं गोदाम व्यय-

तालिका क्रमांक 07 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 7 से स्पष्ट है कि कार्यालयीन एवं गोदाम व्यय कृषि उपज

मण्डी समितियों के महत्वपूर्ण व्यय माने गए हैं। जो कार्यालय एवं गोदाम के संचालन पर नियमित रूप से किया जाता है। जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित होते रहती हैं। जो परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील मानी गई है। यदि विचरण गुणांक की दृष्टि से कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी एवं कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा में तुलना किया जाए तो उनके व्ययों में स्थिरता एवं अनियमितता में अंतर देखा गया है। इस प्रकार विचरण गुणांक 19.2 प्रतिशत पाया गया तथा कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा का विचरण गुणांक 21.55 प्रतिशत की दर से पाया गया है।

निष्कर्ष- दोनों का तुलनात्मक रूप से कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा की अपेक्षा कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी में कार्यालय में किए जाने वाले व्ययों की दृष्टि से अनियमितता एवं स्थिरता अधिक है।

प्रत्यक्ष व्यय-

तालिका क्रमांक 08 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 8 से स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऐसे व्ययों को शामिल किया जाता है, जिनकी अनिवार्यता निश्चित है। जिसमें विशेष रूप से मण्डी बोर्ड शुल्क शामिल है। साथ ही स्थाई निधि के रूप में अनिवार्य व्यय को शामिल किया गया है। इस प्रकार कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी एवं कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा के मध्य प्रत्यक्ष व्यय के संदर्भ में विचरण गुणांक के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो अंतर पाया गया है। कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी का विचरण गुणांक 11.93 प्रतिशत पाया गया तथा कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा का विचरण गुणांक 12.63 प्रतिशत पाया गया है।

निष्कर्ष- स्थिरता एवं नियमितता की दृष्टि से कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावर की अपेक्षा कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी के प्रत्यक्ष व्यय में नियमितता एवं स्थायित्व अधिक पाया गया है।

स्थायी संपत्ति एवं निर्माण से संबंधित व्यय-

तालिका क्रमांक 09 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 9 से स्पष्ट है कि प्रमाप विचलन गुणांक के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी एवं कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा के मध्य तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी का विचरण गुणांक 28.22 प्रतिशत प्राप्त हुआ है तथा कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा का विचरण गुणांक 47.65 प्रतिशत पाया गया है। इस प्रकार कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा की अपेक्षा कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी का विचरण गुणांक तुलनात्मक दृष्टि से कम पाया गया है।

निष्कर्ष- व्ययों के नियमितता एवं स्थायित्व की दृष्टि से कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी की स्थिति में नियमितता एवं स्थायित्व अधिक बेहतर है।

कृषि उपज मण्डी समिति की बचत- किसी भी संस्था की आय और व्यय की स्थिति समय अनुरूप निर्धारित होती है जो अंतर के आधार पर बचत तय करती है। यही बचत संस्था की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है तथा निवेश क्षमता को बढ़ावा देता है कृषि उपज मण्डी समिति की विविध स्रोतों से आय का अनुमान लगाया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार व्ययों का प्रावधान किया जाता है। इस प्रकार बचत विभिन्न प्रकार के व्ययों पर अतिरिक्त माना जाता है। यह अतिरिक्त संस्था का भविष्य तथा स्थायित्व को सही दिशा प्रदान करता है। जो उसकी संपन्नता एवं विकास का मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। कृषि उपज मण्डी समितियों की बचत की विवेचना तालिका क्रमांक

10 में स्पष्ट किया गया है-

तालिका क्रमांक 10 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

कृषि उपज मंडियों की प्रतिवर्ष होने वाली आय-व्यय के अंतर से होने वाली बचत की दृष्टि से कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी की सर्वाधिक बचत वर्ष 2022-23 में 16.29 लाख रुपए की रही है तथा सबसे कम बचत वर्ष 2018-19 में 2.70 लाख रुपए की रही है। इस प्रकार प्रतिवर्ष औसतन बचत 7.83 लाख रुपए की होती है। इस प्रकार कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा की सर्वाधिक बचत वर्ष 2020-21 में 76.78 लाख रुपए की रही है। जबकि सबसे कम बचत वर्ष 2018-19 में 11.22 लाख रुपए की रही है। औसतन 45.72 लाख रुपए प्रतिवर्ष बचत को दर्शाया गया है।

निष्कर्ष- अध्ययन से स्पष्ट है कि किसी भी संस्था की आय-व्यय में सदैव परिवर्तन होता रहता है जो लाभ हानि तथा बचत का निर्धारण भी करती है। यदि आय में वृद्धि होती है तथा व्यय में कमी होती है तो बचत की संभावना अधिक बढ़ जाती है। जब खर्चों में नियंत्रण एवं कटौती अधिक की जाती है तो बचत की स्थिति बेहतर होती है। यदि खर्चों में वृद्धि होती है तो बचत की संभावना कम होने लगती है इस प्रकार बचत में होने वाले परिवर्तन के स्थायित्व एवं नियमितता को जानने के लिए विचरण गुणांक को आधार मानकर कृषि उपज मंडी समिति लटेरी तथा कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी का विचरण गुणांक 64.88 प्रतिशत रहा है तथा कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा का विचरण गुणांक 56.52 प्रतिशत रहा है। तुलनात्मक दृष्टि से कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी की अपेक्षा कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा का विचरण गुणांक कम पाया गया है। कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा की बचत में नियमितता एवं स्थायित्व अधिक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. भारत सरकार 'कृषि सांख्यिकी' कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, 2021
2. भारती एवं पांडे 'भारतीय अर्थव्यवस्था' मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2019
3. एस.के. मिश्रा एवं वी.के. पुरी 'भारतीय अर्थव्यवस्था' हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई, 2022
4. एन एल अग्रवाल 'भारतीय कृषि का अर्थ तंत्र' राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2018
5. कृष्ण कुमार दमाहिया 'कृषि विकास की समस्या' मित्तल पब्लिकेशंस से नई दिल्ली, 2001
6. रुद्र दत्ता एवं सुंदरम 'भारतीय अर्थव्यवस्था' एस चंद्र एंड कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली, 2019
7. संजीव कुमार 'समेकित कृषि प्रणाली' न्यू इंडिया पब्लिशिंग एजेंसी नई दिल्ली, 2008
8. विष्णु दत्ता नगर 'भारतीय अर्थव्यवस्था' मध्य राज्यपाल एंड सन्स, दिल्ली, 2002
9. सी. रंगराजन 'भारत के अर्थ नीति' राजपाल एंड सन्स, दिल्ली, 2002
10. जिला सांख्यिकी पुस्तिका राजगढ़ जिला, जिला योजना विभाग, राजगढ़, 2021
11. जिला सांख्यिकी पुस्तिका विदिशा जिला, जिला योजना विभाग, विदिशा 2020

12. हरीश कुमार खत्री 'शोध प्रविधि' कैलाश पुस्तक सदन भोपाल 2023
एमडी अग्रवाल शोध प्रणाली एवं सांख्यिकी प्रविधियां रमेश बुक डिपो 2018
13. आर.पी. गुप्ता रीवा जिले में कृषि उपज की विपणन व्यवस्था-एक अध्ययन स्वदेशी रिसर्च फाउंडेशन 2020
14. राजेश जैन मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडी का कृषकों की आर्थिक उन्नति में योगदान (इंदौर संभाग के विशेष संदर्भ में), देवी अहिल्या विश्वविद्यालय 2016
15. शिल्पा गुप्ता कृषि विपणन का समीक्षात्मक अध्ययन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में) इंटरनेशनल जनरल आफ एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2018
16. निशी शुक्ला उत्तर प्रदेश में कृषि उपज की विपणन प्रणाली में मंडी परिषद के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, 2011
17. केदार श्रीवास कृषि उपज मंडी समिति की कार्यप्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन (ग्वालियर, धौलपुर एवं आगरा मंडी के विशेष संदर्भ में) 2020
18. वर्षा मोदी कृषि उपज मंडी नागदा : एक आर्थिक विश्लेषण विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन 2012
19. राजेंद्र कुमार सिंह ठाकुर कृषि उपज मंडी समिति की कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ग्वालियर 2004
20. एस.के. चौधरी मध्यप्रदेश में कृषि विकास के आयाम 2021
21. मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल 2005
22. वेबसाइट- मध्य प्रदेश राज्य कृषि वितरण बोर्ड भोपाल 2023
23. वार्षिक रिपोर्ट कृषि उपज मंडी समिति लटेरी 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23
24. वार्षिक रिपोर्ट कृषि उपज मंडी समिति ब्यावरा 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23

शोध पत्रिकाओं की सूची:-

1. शोध समीक्षा एवं मूल्यांकन, जयपुर
2. रिसर्च लिंक, इंदौर मध्य प्रदेश
3. नवीन शोध संसार, नीमच
4. रिसर्च एनालिसिस एंड इवेलुएशन जयपुर
5. कुरुक्षेत्र मासिक सूचना प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली 6. योजना मासिक सूचना प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली

दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं की सूची:-

1. दैनिक भास्कर, इंदौर
2. दैनिक भास्कर, भोपाल
3. दैनिक पत्रिका, इंदौर
4. दैनिक नई दुनिया, इंदौर
5. दैनिक जागरण चौथा संसार, इंदौर

तालिका क्रमांक 01 मण्डी शुल्क की स्थिति (राशि लाख रुपए में)

वर्ष	कृषि उपज मण्डी लटेरी		कृषि उपज मण्डी ब्यावरा	
	राशि	प्रतिशत परिवर्तन	राशि	प्रतिशत परिवर्तन
2018-19	196.77	-	665.75	-
2019-20	245.41	24.72	698.39	4.90
2020-21	281.92	14.88	679.82	(-) 2.66
2021-22	175.13	(-) 37.88	625.87	(-) 7.94
2022-23	250.28	42.91	1113.86	77.97
औसत	229.90	44.63	756.74	72.27
प्रमाण विचलन	38.62	-	180.15	-
विचरण गुणांक	16.80	-	23.81	-

स्रोत- वार्षिक रिपोर्ट कृषि उपज मंडी समिति

तालिका क्रमांक 02 अनुज्ञप्ति शुल्क की प्राप्ति की स्थिति (हजार रुपए में)

वर्ष	कृषि उपज मण्डी लटेरी		कृषि उपज मण्डी ब्यावरा	
	राशि	प्रतिशत परिवर्तन	राशि	प्रतिशत परिवर्तन
2018-19	8.63	120.16	11.40	-
2019-20	19.00	276.84	5.20	(-) 54.39
2020-21	71.60	(-) 38.90	34.28	55.92
2021-22	43.57	(-) 9.69	43.70	27.48
2022-23	39.51		64.51	47.62
औसत	36.50	87.10	31.82	19.16
प्रमाण विचलन	23.98	-	24.05	-
विचरण गुणांक	65.70	-	75.58	-

स्रोत- वार्षिक रिपोर्ट कृषि उपज मण्डी समिति

तालिका क्रमांक 03 भूखंड एवं गोदाम किराए से प्राप्ति की स्थिति (लाख रुपए में)

वर्ष	कृषि उपज मण्डी लटेरी		कृषि उपज मण्डी ब्यावरा	
	राशि	प्रतिशत परिवर्तन	राशि	प्रतिशत परिवर्तन
2018-19	1.95	-	6.83	-
2019-20	2.82	44.62	10.64	55.78
2020-21	1.54	(-) 45.39	8.61	(-) 19.08
2021-22	1.73	12.34	11.17	29.73
2022-23	2.29	32.37	5.87	(-) 47.45
औसत	2.07	10.99	8.62	4.75
प्रमाण विचलन	0.45	-	1.80	-

विचरण गुणांक 0.22 - 0.21 -

स्रोत- वार्षिक रिपोर्ट कृषि उपज मण्डी समिति

तालिका क्रमांक 04 जुर्माना एवं प्रपत्र विक्रय से प्राप्त आय की स्थिति

वर्ष	कृषि उपज मण्डी लटेरी		कृषि उपज मण्डी ब्यावरा	
	राशि	प्रतिशत परिवर्तन	राशि	प्रतिशत परिवर्तन
2018-19	0.51	-	1.46	-
2019-20	0.42	(-) 17.65	1.36	(-) 6.85
2020-21	0.39	(-) 7.14	1.02	(-) 25.00
2021-22	0.31	(-) 20.51	0.93	(-) 8.82
2022-23	0.48	54.84	1.07	15.05
औसत	0.42	-	1.17	(-) 25.62
प्रमाण विचलन	0.063	-	0.23	-
विचरण गुणांक	15.00	-	19.66	-

स्रोत- वार्षिक रिपोर्ट कृषि उपज मण्डी समिति

तालिका क्रमांक 05 कृषि उपज मण्डी समिति को ब्याज से आय की स्थिति (लाख रुपए में)

वर्ष	कृषि उपज मण्डी लटेरी		कृषि उपज मण्डी ब्यावरा	
	राशि	प्रतिशत परिवर्तन	राशि	प्रतिशत परिवर्तन
2018-19	6.49	-	18.88	-
2019-20	6.89	6.16	19.33	2.38
2020-21	15.28	131.23	50.60	161.77
2021-22	7.31	(-) 54.26	24.05	(-) 52.47
2022-23	5.44	(-) 25.58	13.32	(-) 44.62
औसत	8.42	14.56	25.24	16.77
प्रमाण विचलन	3.83	-	13.13	-
विचरण गुणांक	45.49	-	52.02	-

स्रोत- वार्षिक रिपोर्ट कृषि उपज मण्डी समिति

तालिका क्रमांक 06 अनुदान एवं विविध आय प्राप्ति की स्थिति (लाख रुपए में)

वर्ष	कृषि उपज मण्डी लटेरी		कृषि उपज मण्डी ब्यावरा	
	राशि	प्रतिशत परिवर्तन	राशि	प्रतिशत परिवर्तन
2018-19	4.21	-	7.19	-
2019-20	4.82	14.49	8.94	24.34
2020-21	1.96	(-) 59.34	3.19	(-) 64.32
2021-22	1.29	(-) 34.18	2.57	(-) 19.44
2022-23	0.48	(-) 62.79	0.87	(-) 64.15
औसत	2.55	(-) 35.46	4.55	(-) 30.89
प्रमाण विचलन	1.68	-	3.02	-
विचरण गुणांक	65.88	-	66.37	-

स्रोत- वार्षिक रिपोर्ट कृषि उपज मण्डी समिति

तालिका क्रमांक 07 कार्यालय एवं गोदाम व्यय की स्थिति (लाख रुपए में)

वर्ष	कृषि उपज मण्डी लटेरी		कृषि उपज मण्डी ब्यावरा	
	राशि	प्रतिशत परिवर्तन	राशि	प्रतिशत परिवर्तन
2018-19	106.51	-	342.57	-
2019-20	142.61	33.89	328.70	(-) 4.05
2020-21	123.46	(-) 13.43	285.85	(-) 13.04
2021-22	95.83	(-) 22.38	253.58	(-) 11.29
2022-23	79.58	(-) 16.96	175.71	(-) 30.71
औसत	109.60	(-) 4.72	277.28	(-) 14.77
प्रमाण विचलन	21.83	-	59.76	-
विचरण गुणांक	19.92	-	21.55	-

स्रोत- वार्षिक रिपोर्ट कृषि उपज मण्डी समिति

तालिका क्रमांक 08 प्रत्यक्ष व्यय की स्थिति (लाख रुपए में)

वर्ष	कृषि उपज मण्डी लटेरी		कृषि उपज मण्डी ब्यावरा	
	राशि	प्रतिशत परिवर्तन	राशि	प्रतिशत परिवर्तन
2018-19	151.44	-	493.31	-
2019-20	134.81	(-) 10.98	436.82	(-) 11.45
2020-21	122.63	(-) 9.03	395.31	(-) 9.50
2021-22	109.88	(-) 10.40	364.00	(-) 7.92
2022-23	113.95	3.70	352.44	(-) 3.18
औसत	126.54	(-) 6.68	408.38	(-) 8.01
प्रमाण विचलन	15.10	-	51.56	-
विचरण गुणांक	11.93	-	12.63	-

स्रोत- वार्षिक रिपोर्ट कृषि उपज मण्डी समिति

तालिका क्रमांक 09 स्थाई संपत्ति एवं निर्माण व्यय की स्थिति (लाख रुपए में)

वर्ष	कृषि उपज मण्डी लटेरी		कृषि उपज मण्डी ब्यावरा	
	राशि	प्रतिशत परिवर्तन	राशि	प्रतिशत परिवर्तन
2018-19	5.67	-	43.34	-
2019-20	113.97	(-) 10.85	35.56	(-) 17.95
2020-21	18.83	34.79	64.08	44.51
2021-22	10.74	(-) 42.96	20.12	(-) 68.60
2022-23	10.31	(-) 4.00	22.95	14.07
औसत	12.58	(-) 23.02	37.21	27.97
प्रमाण विचलन	3.55	-	17.73	-
विचरण गुणांक	28.22	-	47.65	-

स्रोत- वार्षिक रिपोर्ट कृषि उपज मण्डी समिति

तालिका क्रमांक 10 कृषि उपज मण्डी समिति की बचत की स्थिति (लाख रुपए में)

वर्ष	कृषि उपज मण्डी लटेरी		कृषि उपज मण्डी ब्यावरा	
	राशि	प्रतिशत परिवर्तन	राशि	प्रतिशत परिवर्तन
2018-19	2.70	-	11.22	-
2019-20	3.48	28.89	19.38	72.73
2020-21	5.97	71.55	76.78	296.18
2021-22	10.75	80.07	65.40	(-) 14.82
2022-23	16.29	51.53	55.81	(-) 14.66
औसत	7.83	58.01	45.72	84.86
प्रमाण विचलन	5.08	-	25.84	-
विचरण गुणांक	64.88	-	56.52	-

स्रोत- वार्षिक रिपोर्ट कृषि उपज मण्डी समिति

प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के रोकथाम एवं प्रबंध

डॉ. विनिता भालसे* प्रो. ममता कनेश**

* सहायक प्राध्यापक (राजनिति विज्ञान) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीराजपुर (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, अलीराजपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – प्रकृति मनुष्य की पालनकर्ता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव ने अपने जीवन को अत्यधिक सुखमय बनाया है, और इस क्रम में प्रकृति की सोम्यता देखते हुए उस पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा की है, परन्तु यह स्पष्ट है कि जब प्रकृति कुपित होती है तो फिर उसके आगे मनुष्य की नहीं चलती है, और विनाशकारी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिससे जनधन की हानि होती है, व जिस पर मानव का नियन्त्रण नहीं होता है। वह आपदा कहलाती है। आपदा ऐसी असामान्य घटना है जो सीमित अवधि के लिए आती है, किन्तु किसी भूभाग या देश का अर्थव्यवस्था को छिन्न – भिन्न कर देती, कोई भी आपदा मनुष्य को झकझोर देने वाली घटना होती है, प्रायः ऐसी भयंकर घटना जिससे मनुष्य किर्कतव्यविमुद हो जाता है, प्रायः जान गँवा बैठता है।

चूँकि कोई भी आपदा बताकर नहीं आती इसलिए पहले से सावधान या सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, कहा जाता है कि जो राष्ट्र या देश जितना ही विकसित होगा। वह आपदाओं के प्रति उतना जागरूक होगा। प्रायः विकासशील देश जिसमें निर्धन देशों की संख्या अधिक है, बार – बार आपदाओं के शिकार बनते आए हैं। जो आपदा से ग्रस्त हो जाते हैं, पीड़ित होते हैं, उनको सहायता पहुँचाना, उनकी रक्षा करना समाज या राष्ट्र का कर्तव्य है।

इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के कदम उठाये गए हैं। जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में रियो डि जनेरो ब्राजील में भू-शिखर सम्मेलन और मई 1994 में यॉकोहांग, जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी तथा भारत में 2005 अधिनियम बना कर आपदा से बचने के लिए ठोस कदम उठाये गये।

1. प्राकृतिक आपदा – प्राकृतिक आपदाएँ विनाशकारी आपदाएँ हैं, जो ग्रह पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप घटित होती हैं। बाढ़, तुफान, सुनामी और भूकंप आना, भूस्खलन होना आंधी आना, ज्वालामुखी फटना, ग्लेशियर पिघलना, सुनामी आदि घटनाएँ ये सभी प्राकृतिक रूप से घटित होती हैं।

2. मानव-निर्मित आपदा – मानव निर्मित आपदा वे अपदाएँ जिनका कारण मानवीय गतिविधियाँ होती हैं। तकनीकी और मानव जनित आपदाएँ मनुष्यों के द्वारा मानव के नजदीकी संस्थापनों के कारण उत्पन्न होती हैं। इसमें पर्यावरणीय अवनति प्रदूषण और दुर्घटनाएँ शामिल होती हैं। कुछ आपदाएँ विभिन्न प्रकार के अन्य खतरों के कारण उत्पन्न होती हैं, जो कि अधिकतर मानव जनित और प्राकृतिक आपदाओं का जटिल संयोग होता

है। जैसे – औद्योगिक बहिःस्राव, घरेलू बहिःस्राव, वाहित मल, कृषि बहिःस्राव, तेलीय स्रोत, अणुशस्त्र, तापीय स्रोत, रेडियो धर्मी अपशिष्ट, वहन क्रिया, नगरपालिका अपशिष्ट, परिवहन के साधन, मनोरंजन के साधन। जिसका परिणामस्वरूप ऐसी आपदाएँ जन्म लेती हैं, जिस पर मानव का नियंत्रण नहीं रहता है।

3. भारत में आपदा प्रबंधन एवं राष्ट्रीय नीति – भारत एक विशाल देश है। 28 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से 25 राज्य आपदा उन्मुख हैं। देश आधे से अधिक 65 प्रतिशत क्षेत्रफल भूकंपी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 70 प्रतिशत भूमि – सुखा उन्मुख है। 12 प्रतिशत बाढ़ उन्मुख है और 8 प्रतिशत चक्रवात उन्मुख है। स्पष्ट है, कि हमारे देश में पुष्ट आपदा प्रबंधन की महती आवश्यकता है। सरकार बारंबार प्रबंध की कमियों को स्वीकार तो करती रहती है, पिछले चार दशकों से (1980-2020) में प्राकृतिक आपदाओं (कोविड-19) के कारण लाखों व्यक्ति मारे गये। भारत में आपदा जोखिम की बढ़ती सुभेदता को देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण से जोड़ा जा सकता है। देश के उच्च आपदा जोखिम क्षेत्रों में किया जाने वाला विकास तथा पर्यावरण अवनयन इन आपदाओं की सुभेदता और अधिक बढ़ रहा है।

4. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 – उक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा 23 दिसम्बर 2005 को देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया। आपदा को परिभाषित करते हुए लिख गया है, कि 'आपदा से आशय है, प्राकृतिक तथा मानव जनित कारणों से उत्पन्न ऐसी प्रलय, दुर्घटना, विपदा या घातक घटना जो प्रभावित समुदाय की निपटने की क्षमता से परे है।'

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में चैप्टर तथा 79 सेक्शन है। यह अधिनियम भारत में आपदाओं के तथा इससे संबंधित मामलों का प्रभावी प्रबंधन है।

5. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के उद्देश्य – आपदा प्रबंधन अधिनियम के सेक्शन 2(d) व (c) के अनुसार आपदा प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित क्रियाकलापों के नियोजन संगठन, समन्वय तथा क्रियान्वयन के सतत समन्वित प्रक्रिया से होता है।

1. किसी आपदा की सम्भावना या खतरे का विरोध।
2. किसी आपदा के जाखिम, प्रचण्डता तथा परिणामों का निवारण या निराकरण।
3. शोध व ज्ञान प्रबंधन सहित क्षमता सृजन।

4. किसी आपदा की खतरे की स्थिति उत्पन्न होने पर त्वरित प्रतिक्रिया।
5. किसी आपदा से निपटने की तैयारी।
6. किसी आपदा के प्रभावों की प्रचण्डता या तीव्रता का आकलन।
7. निर्वासन, बचाव तथा राहत कार्य।
8. पूनर्वास तथा पूनर्निर्माण।
- 6. भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत एवं संगठनात्मक संरचना:**
1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
2. प्रान्तीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
3. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
4. राष्ट्रीय कार्यकारी समिति।
5. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल।
6. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान।

भारत में आपदा नियोजन की उपलब्धियां – कुछ समय पहले आया चक्रवात पिछले दो दशकों से भारत भूमि से टकराने वाला सर्वाधिक तीव्र चक्रवात था। ओडिसा की तैयारी, प्रभावी पुर्ण चेतावनी प्रणाली, समयानुकूल कार्यवाही और सुनियोजित वृद्ध स्तर की अस्थाई विस्थापन प्रक्रिया ने 1.2 मिलियन लोगों की लगभग चार 4000 चक्रवात आश्रय स्थलों में सुरक्षित पहुँचाने में सहायता की और इस तरह संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में खतरे में पड़े, लोगों की रक्षा की युनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क डिडवशन (UNISDR) और अन्य संगठनों उन सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों की सराहना की जिनसे विनाश के स्तर को न्यूनतम रखा जा सकता है। इसी तरह 2014 में हुदहुद चक्रवात के दौरान आंध्रप्रदेश में भी लाखों लोगों के लिए समान रूप से इसी प्रकार की अस्थाई विस्थापन रणनीति पर अमल किया गया था। इसी प्रकार की रणनीतियां अपनाते चक्रवात के दौरान होने वाली मोतों में भी कमी आयी। वर्ष 1999 में ओडिसा सुपर साइक्लोन के दौरान 10000 लोगों की मोत की तुलना में वर्ष 2019 में फणी चक्रवात के दौरान मोतों का आकड़ा दहाई आकड़े में सिमट गया। वैश्विक स्तर पर इसके अतिरिक्त कोविड-19 जैसे महामारी को नियंत्रित किया गया।

सुझाव :

1. विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में आपदा प्रबंध हेतु समन्वय बनाना।

2. विकास योजनाओं का पर्यावरण प्रभाव के दृष्टिकोण से विश्लेषण करना।
3. आपदा संबंधी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय नीति निर्धारण में सहयोग प्रदान करना।
4. पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु पर्याप्त मानवीय एवं संगठित साधनों को जुटाना।
5. पर्यावरण चेतना जाग्रत करना तथा पर्यावरण शिक्षा का प्रसार करना।
6. प्रबंधन हेतु किये गये उपायों के परिणामों को सतत जांच एवं सुधारा।
7. पर्यावरण के विभिन्न पक्षों पर शोध कार्य को बढ़ावा देना।

निकर्ष – आपदा प्राकृतिक या मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती है, परन्तु हर संकट आपदा भी नहीं होती। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं का नियंत्रण मुश्किल है ॥ इसका बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारियां करना है आपदा निवारण और प्रबंधन की तीन अवस्थाएँ हैं –

1. आपदा से पहले – आपदा के बारे में ऑकड़ें और सूचना एकत्र करना – आपदा संभावी क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना।
 2. आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य जैसे – आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन व दवाई अपूर्ति।
 3. आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों का बचाव व पुनर्वास। भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करना।
- भारत जैसे देश में जहाँ दो तिहाई क्षेत्र और जनसंख्या आपदा सुभेद्य है इन उपायों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीवास्तव, ज्योति पर्यावरणीय अध्ययन (म.प्र.) हिन्दी ग्रन्थ अकादमी सन् 2019 प्रष्ठ-86
2. कश्यप चेतना, प्राकृतिक संकट तथा आपदाएँ साहित्य भवन, आगरा सन् 2020 प्रष्ठ-163, 164
3. नारायण, राम, वैश्विक संकट की चुनौतियां तथा निदान अग्रवाल पब्लिकेशन, जयपुर सन् 2021 प्रष्ठ-209

Study of Phytochemicals Profile of Using Different Solvent of Fruit Extract of *Gardenia latifolia* Ait.

Nirvani Bharti* Renu Sharma** Manisha Singh***

*Research Scholar, Om Sterling Global University, Hissar (Haryana) INDIA

** Dean, School of Applied Science, Om Sterling Global University, Hissar (Haryana) INDIA

*** Assistant Professors, Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - This research paper investigates the organic constituents of *Gardenia latifolia*, a plant known for its medicinal properties. The study focuses on the isolation, characterization, and activities of these constituents. Plant material was extracted with suitable solvents, and the organic compounds were isolated and purified. Characterization was conducted using spectroscopic methods, including FTIR. The results provide valuable insights into the potential in effects of *Gardenia latifolia* organic constituents.

Keywords : *Gardenia latifolia*, antioxidant, suitable solvents.

Introduction - *Gardenia latifolia* (*G. latifolia*) is a plant that belongs to the family Rubiaceae. It is commonly known as "Cape jasmine" or "Gardenia." The plant is native to Asia, Africa, and the Pacific Islands. *Gardenia latifolia* is known for its fragrant flowers and has been traditionally used in various medicinal preparations. Because of the presence of secondary metabolites, this species has been utilized for medical purposes in addition to being used to make toys. According to reports, *G. latifolia* fruits are employed in folk medicine to cure a variety of conditions, including snake bites, transitory fever in live animals, skin conditions, dental caries, stomach ache, and hemorrhage in humans [1-2]. Furthermore, because fruit extract has a high concentration of yellow pigments, it is also employed as food additives and dye [4].

The fruit of *G. latifolia* is nutrient-rich and has therapeutic qualities, although little is known about the precise phytochemical analysis that gives these benefits. Isolation and characterization of the organic constituents of *Gardenia latifolia* involve extracting the plant material with suitable solvents, followed by purification and analysis using techniques such as chromatography and spectroscopy [3].

The biological activities of these constituents can be studied using in vitro assays to assess their potential pharmacological effects, such as antioxidant, anti-inflammatory, or antimicrobial properties. Medicinal plants are useful for curing human diseases and play an important role in healing due to presence of phytochemical constituents. Based on potent biological actions, natural product chemists have been trying hard to isolate and

identify bioactive leads from plant sources [4]. *Gardenia latifolia* Ait. is a small deciduous tree or large shrub growing up to 3 m tall. It is an excellent painkiller and acts as an antiseptic for healing wounds. It is also used in the treatment of diseases like skin problems, indigestion, worm infestation, and diarrhea. It is an excellent pain killer and acts as an antiseptic for healing wounds. It is also used in the treatment of diseases like skin problems, indigestion, worm infestation, and diarrhea. In addition to that, it is known to relieve cough, asthma, and hiccup, constipation, and flatulence [5].

After that, we have study in details of phytochemical profile of organic chemical compounds or molecules present in bark of *Gardenia latifolia* plant was available in literature. Due to its broad spectrum healing potential, this medicinal tree can serve as a promising research target for various scientific studies. Bark of this plant contains saponins which may find use in asthma due to their inhibitory effect on histamine production. Phytochemical analysis led to isolation of hederagenin, D-mannitol, sitosterol and siarasinolic, episiasarinolic, oleanolic and spinosic acid from the stem bark of *G. latifolia* [6].

The biological activities of the organic constituents of *Gardenia latifolia* can be of significant importance due to their potential pharmacological effects. Some of the key biological activities that these constituents may exhibit include:

1. Antioxidant Activity: Organic compounds such as flavonoids and phenolic compounds found in *Gardenia latifolia* may possess antioxidant properties, which can help protect cells from oxidative stress and damage.

2. Anti-inflammatory Activity: Compounds like iridoids and triterpenoids present in *Gardenia latifolia* may exhibit anti-inflammatory effects, which could be beneficial for reducing inflammation-related diseases.

3. Antimicrobial Activity: Certain organic constituents of *Gardenia latifolia* may have antimicrobial properties, which could help in combating various bacterial, fungal, and viral infections.

4. Anticancer Activity: Some studies suggest that organic compounds from *Gardenia latifolia* may have potential anticancer properties, although further research is needed to validate these claims.

5. Hepatoprotective Activity: Compounds in *Gardenia latifolia* may exhibit hepatoprotective effects, which could be beneficial for liver health and function.

6. Neuroprotective Activity: There is some evidence to suggest that organic constituents of *Gardenia latifolia* may have neuroprotective properties, which could be valuable for conditions affecting the nervous system.

7. Anti-diabetic Activity: Certain compounds in *Gardenia latifolia* may exhibit anti-diabetic effects, which could be useful in managing diabetes and related complications.

8. Anti-obesity Activity: Some studies suggest that organic constituents of *Gardenia latifolia* may have anti-obesity properties, although more research is needed to confirm these findings.

Overall, the organic constituents of *Gardenia latifolia* hold promise for various medicinal applications, but further research is needed to fully understand their biological activities and potential therapeutic benefits.

Gardenia latifolia contains a variety of phytochemicals, which are natural compounds produced by plants that often have biological activity. Some of the main phytochemicals found in *Gardenia latifolia* include:

1. Iridoids: These are a class of compounds known for their diverse pharmacological activities, including anti-inflammatory, antioxidant, and hepatoprotective effects. Examples of iridoids found in *Gardenia latifolia* include geniposide and gardenoside.

2. Flavonoids: Flavonoids are antioxidant compounds that are known for their potential health benefits, including anti-inflammatory, anti-cancer, and neuroprotective effects. Examples of flavonoids in *Gardenia latifolia* include quercetin and kaempferol derivatives.

3. Triterpenoids: Triterpenoids are another class of compounds found in *Gardenia latifolia* that have been studied for their potential pharmacological activities, including anti-inflammatory and anti-cancer effects. Examples include ursolic acid and oleanolic acid.

4. Phenolic Compounds: Phenolic compounds are antioxidants that can help protect cells from damage caused by free radicals. *Gardenia latifolia* contains various phenolic compounds, such as gallic acid and ellagic acid derivatives.

5. Carotenoids: Carotenoids are pigments responsible for

the yellow, orange, and red colors in many fruits and vegetables. They also have antioxidant properties. *Gardenia latifolia* may contain carotenoids such as β -carotene.

6. Essential Oils: *Gardenia latifolia* may contain essential oils that contribute to its aroma and flavor. These oils may also have various biological activities, including antimicrobial and antioxidant effects.

7. Alkaloids: While less common in *Gardenia latifolia*, alkaloids are nitrogen-containing compounds with diverse pharmacological activities. Examples of alkaloids found in some *Gardenia* species include gardenine and genipin. These phytochemicals contribute to the medicinal properties of *Gardenia latifolia* and make it a valuable plant in traditional medicine and potentially in modern pharmacology.

To better understand phytochemical substances and their potential as anti-inflammatory, antibacterial, anti-diabetic, and antioxidant chemicals, some research has been done [5, 6]. Certain phyto-constituents, including hederagenin, D-mannitol, sitosterol, and siarresinolic, episarresinolic, oleanolic, and spinosic acids, were found in stem bark by Reddy et al. [7]. Nevertheless, there hasn't been any thorough investigation of the phytochemical components in *G. latifolia* extract. Therefore, it is crucial to identify the compounds in the extract of *G. latifolia* due to the enhanced efficiency and solubility of the different chemicals in methanol, ethyl acetate, chloroform and hexane [7-8].

In this paper, study extract the solvent systems for phytochemicals extraction from *G. latifolia* has been done using hexane, chloroform, ethyl acetate and methanol and also was confirmed the phytochemicals by measurement of FTIR spectra.

Materials and methods

1. Collection of plant material:

- Bark of *Gardenia latifolia* Ait. was collected from plant. After collection of bark of *G. latifolia* were rinsed with running tap water followed by sterile distilled water to remove the dirt on the surface and cut into small pieces.
- After that dried at temperature not exceeding 35 to 50°C and followed by the grinding using Herbs Grinding Machine. It was stored in desiccator till the further study.

2. Preparation of Extracts: For the selection of solvent systems for phytochemicals extraction from *G. latifolia* has been done using hexane, chloroform, ethyl acetate and methanol. The process has been same except solvents has to be change for evaluation of more phytochemicals present in different solvent.

- The powdered material was subjected to hot extraction with hexane/chloroform/ethyl acetate and methanol by the Soxhlet apparatus for 10h.
- The extraction was carried out for about 10 h and the extract was filtered through a cotton plug followed by what-man filter paper no. 1.
- The extract was then concentrated by evaporating the

solvent below 45°C temperature. The concentrated extract was stored at 4 °C until further analysis.

- iv. After evaporation of the solvent, a gummy concentrate was obtained which was designated as methanol crude extract of *G. latifolia* (MGL).

Results and Discussion

1. Phytochemical Screening of *G. latifolia* Extract:

Preliminary phytochemical screening tests are important for the identification of bioactive principles and may subsequently guide drug discovery and improvement. In the present study, several phytochemical constituents of *G. latifolia* were identified. Among various solvents evaluated in the study, methanolic extract showed presence of alkaloids, saponins, glycosides, flavonoids and particularly phenols and terpenoids. In hexane, no compounds were present, while chloroform manifested the presence of phenols and flavonoids. Ethyl acetate showed presence of phenols, flavonoids, glycosides and terpenoids. The results of the phytochemical analyses are presented in Table 1. Such phytochemicals may provide new avenues for the development of new classes of pharmaceutical, biopesticidal, insecticidal, and antimicrobial agents. Previously, various organic extracts of *G. latifolia* leaves were reported to contain flavonoids, tannins, and fixed oil. [10] These phytochemical compounds are the top candidates conferring medicinal value to this plant. Indeed, the most abundant compounds found in all solvent extracts in the present study, including several flavonoids, glycosides, terpenoids, and alkaloids isolated from this plant, have been reported to exert diverse biological activities

Table 1 (see in next page)

Presence of majority compounds in methanolic extract implies that the solvent is having potential owing to its higher efficiency and solubility of phytochemical compounds. Hence, characterization of phytochemical compounds from *G. latifolia* has been done using methanol. Phenolic compounds are important class of secondary metabolites in plants that predominantly help in defense against pathogens, parasites, and predators. Researchers reported in several papers that the phenolic compounds possess antioxidants, anti-bacterial, anti-atherosclerotic, anti-cancer, anti-viral and anti-inflammatory activities [9]. Flavonoids showed anti-allergic, anti-inflammatory, anticancer, antithrombotic, antimicrobial, antiviral, and hepato-protective properties owing to their ability in scavenging the free radicals effectively. Terpenoids have been reported with antibiotic, antiseptic, anti-helminthic and insecticidal activities.

2. FTIR analysis: FTIR spectroscopy revealed the Numerous functional groups, including phenols, amines, alcohols, alkenes, carboxylic acids, aliphatic compounds, carbonyl compounds, and esters, were detected by FTIR spectroscopy. Figure 1 displays representative FT-IR spectra of the extracts of methanol, ethanol, and ethyl

acetate. Bands relating to the stretching hydroxy (-OH) group vibration were seen at 3465, 3458, and 3460 cm⁻¹. The stretching vibration of the C=C groups, which include cyclic structures with a ring resonance bond that affords enhanced stability, and the vibration of the C=O groups of the flavonoids and lipids may have resulted in the bands detected at 1629 cm⁻¹ and 1630 cm⁻¹. The CH₃ and CH₂ groups of flavonoids and aromatics may be connected to the band at 1345 cm⁻¹. The stretching vibration of the aromatics and the bending vibration of C-H would be the vibrations in this case. The stretching vibration of the carboxyl group (O-H and C-O stretch), or the stretching of the COOH groups in flavonoids and lipids, was linked to the bands at 1250 cm⁻¹ and 1247 cm⁻¹. C-O stretching in the ester groups was linked to bands at 1126 and 1130 cm⁻¹. The C-C stretching vibration was the cause of the band at 778 cm⁻¹. The band at 2295 cm⁻¹ may have been associated with the stretching vibration of the O-H groups in carboxylic acid as well as the C-H stretching vibration of the methyl and methoxy groups.

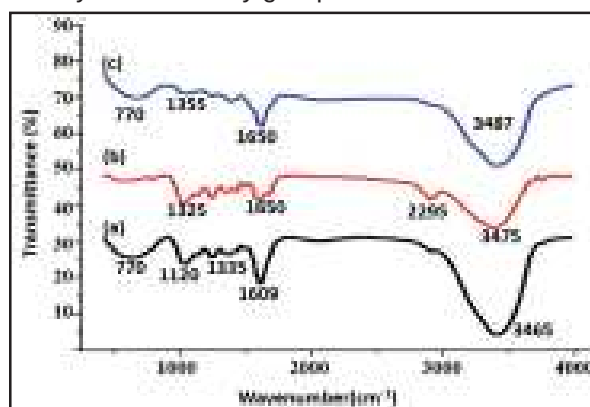


Figure 1. Fourier transform-infrared spectra of (a) methanol, (b) ethyl acetate, and (c) chloroform in *G. latifolia* leaf extracts.

Conclusions: Phytochemical compounds of *G. latifolia* fruits showed several secondary metabolites such as saponins, alkaloids, glycosides, phenols, terpenoids and flavonoids having various putative functions. FTIR spectra reflects the antioxidant activity of methanolic fruit extract showed that it has huge potential to be used in medicinal purpose as well as food industry.

References :-

- Reddy, K.; Subbaraju, G.; Reddy, C.; Raju, V. Ethnoveterinary medicine for treating livestock in eastern ghats of Andhra Pradesh. Indian J. Tradit. Knowl. 2006, 5, 368–372.
- Rahman, M.A.; Uddin, S.B.; Wilcock, C.C. Medicinal plants used by chakma tribe in hill tracts districts of Bangladesh. Indian J. Tradit. Knowl. 2007, 6, 508–517.
- Madhava Chetty, K.; Sivaji, K.; Tulasi Rao, K. Flowering plants of Chittoor District, Andhra Pradesh, India. Publ. Stud. Offset Print. Tirupati 2008, 34–35.

4. Liu, S.J.; Zhang, X.T.; Wang, W.M.; Qin, M.J.; Zhang, L.H. Studies on chemical constituents of *Gardenia jasminoides* var. *radicans*. *Chin. Tradit. Herb. Drugs* 2015, 43, 238–241.
5. Bhat, R.; Ameran, S.B.; Voon, H.C.; Karim, A.A.; Tze, L.M. Quality attributes of starfruit (*Averrhoa carambola* L.) juice treated with ultraviolet radiation. *Food Chem.* 2011, 127, 641–644.
6. Kumar, A.; Ramesh, K.V.; Chandusingh; Sripathy, K.V.; Agarwal, D.K.; Pal, G.; Kuchlan, M.K.; Singh, R.K.; Ratnaprabha; Kumar, S.P.J. Bio-prospecting nutraceuticals from selected soybean skins and cotyledons. *Indian J. Agric. Sci.* 2019, 89, 2064–2068.
7. Kumar, S.P.J.; Banerjee, R. Enhanced lipid extraction from oleaginous yeast biomass using ultrasound assisted extraction: A greener and scalable process. *Ultrason. Sonochem.* 2018, 52, 25–32.
8. Xiao, W.; Li, S.; Wang, S.; Ho, C.T. Chemistry and bioactivity of *Gardenia jasminoides*. *J. Food Drug Anal.* 2017, 25, 43–61.
9. Kumar, S.; Pandey, A.K. Chemistry and biological activities of flavonoids: An overview. *Sci. World J.* 2013, 162750.
10. Kumar, N.S.S.; Kumar, I.S.; Kumar, S.P.J.; Sarbon, N.M.H.D.; Chintagunta, A.D.; Anvesh, B.S.; Dirisala, V.R. Extraction of bioactive compounds from *Psidium guajava* leaves and its utilization in preparation of jellies. *AMB Express.* 2021, 11, 36.

Table 1- Preliminary phytochemical analysis of *G. latifolia* fruit extracts.

Solvent Extract	Phytochemicals					
	Alkaloids	Phenols	Flavonoids	Saponins	Glycosides	Terpenoids
Hexane	-	-	-	-	-	-
Chloroform	-	+	+	-	-	-
Ethyl acetate	-	+	+	-	+	+
Methanol	+	++	+	+	+	+++

“+++” high; “++” moderate; “+” weak; -absent

पर्यावरण संकट और आपदा प्रबंधन

डॉ. रितु उमाहिया*

* सहायक प्राध्यापक, विधि महाविद्यालय, गुना (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी – पर्यावरण, आपदा, आपदा प्रबंधन, भूकंप, बाढ़, बादलों का फटना।

पर्यावरण की संकल्पना भारतीय संस्कृति में सदैव प्रकृति से की गई है, जहाँ समस्त जीवधारी, प्राणियों और निर्जीव पदार्थों में सदा एक दूसरे पर निर्भरता व समन्वय की स्थिति रही है। पर्यावरण में अनेक जैविक व अजैविक कारक पाये जाते हैं जिनका परस्पर गहरा संबंध होता है। प्रत्येक जीव को जीवन के लिए वायु, जल, ऊर्जा की एक उचित मात्रा की आवश्यकता होती है। जब तक जैविक एवं अजैविक घटकों की उचित मात्रा प्रकृति में विद्यमान रहती है, तब तक प्रकृति में संतुलन बना रहता है, किन्तु वर्तमान में मनुष्य ने विकास के लिये इन अजीब कारकों का अंधाधुंध प्रयोग कर पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ कर उसे प्रदूषित कर दिया है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-2(क) में पर्यावरण को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार 'पर्यावरण में जल, वायु तथा भूमि तथा जल और वायु तथा मानवीय प्राणी, अन्य जीवजंतु, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा संपत्ति में और उनके मध्य विद्यमान अन्तर्सम्बंध सम्मिलित हैं।' चैम्बर डिविजनरी के अनुसार पर्यावरण से तात्पर्य विकास या वृद्धि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ हैं। ऑक्सफोर्ड स्टैन्डर्ड डिविजनरी के अनुसार, पर्यावरण का अर्थ आसपास की वस्तु स्थिति परिस्थितियाँ या प्रभाव है।

इस तरह हम देखते हैं, कि जहाँ एक तरफ वर्तमान समय में सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास हुए हैं, तो दूसरी तरफ विकट पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं और पर्यावरण संकट आज विश्वस्तरीय चिंता का विषय बन गया है। इसी प्रकार आपदायें दो प्रकार की होती हैं, जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं।

प्रथम :- प्राकृतिक आपदा – इसमें भूकम्प, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, वनों में आग लगना, सुनामी, आकाशीय बिजली का गिरना, बादलों का फटना आदि शामिल हैं।

द्वितीय :- मानव जनित आपदाओं में बम का विस्फोट, नाभिकीय रिएक्टर, संयंत्रों से रेडियो एक्टिव रिसाव, जनसंख्या विस्फोट, भीषण रेल वायुयान दुर्घटनायें, महामारी आदि आते हैं। इनकी तीव्रता का आंकलन उनके द्वारा की गई जनधन की क्षति के आधार पर किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण में मात्र मानव के कार्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होता है जबकि पर्यावरण अवनयन, मानव कार्यों तथा प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा स्थानीय, प्रादेशिक एवं विश्व स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास।

इसके उदाहरण बाढ़, भूकम्प, सूखा, भूस्खलन, प्राकृतिक कारणों से वन में आग लगना आदि प्राकृतिक कारक हैं। जिनके द्वारा स्थानीय एवं प्रादेशिक स्तरों पर पारिस्थितिक तंत्रों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने से पर्यावरण अवनयन उत्पन्न होता है। पर्यावरण में होने वाले वे सभी परिवर्तन जो अवांछनीय हैं और किसी क्षेत्र विशेष में या पूरी पृथ्वी पर जीवन को खतरा उत्पन्न करते हैं और जब पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होने लगता है, तो उसे हम पर्यावरण अवनयन कहते हैं।

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 23 दिसंबर 2005 को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत क्रमशः

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
2. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
3. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा और राहत प्रदान करने के लिए लिंग जाति समुदाय वंश या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह अधिनियम बाधा, झूठे दावों और दुरुपयोग आदि के लिए दंड प्रदान करता है।

आपदा प्रबंधन का उद्देश्य – आपदा से तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाली 'दुर्घटना' जिसके परिणामस्वरूप जीवन की पर्याप्त हानि, मानव पीड़ा, क्षति और संपत्ति का विनाश होता है। आपदा एक घटना के कारण होती है लेकिन जब तक घटना आबादी को प्रभावित नहीं करती तब तक यह आपदा नहीं है। उदाहरण के लिए 'भूकम्प'। 'भूकम्प' प्राकृतिक घटना है किन्तु यदि यह कमजोर इमारतों वाले, घनी आवादी वाले क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करता है, तो यह आपदा का कारण नहीं बनेगा।

आपदाओं के प्रकार

1. जल और जलवायु संबंधी आपदायें :- बाढ़, बादल फटना, सूखा, सुनामी।
2. भू-वैज्ञानिक रूप से संबंधित आपदायें :- भूकम्प, भूस्खलन, बाँध फटना।
3. दुर्घटना से संबंधी आपदायें :- हवाई, सड़क और रेल दुर्घटनायें, विद्युत आपदायें, तेल रिसाव, बम विस्फोट।
4. रासायनिक, औद्योगिक और परमाणु संबंधी आपदायें।
5. जैविक रूप से संबंधित आपदायें।

आपदा की तैयारी क्यों महत्वपूर्ण है?

जब आपदायें एक तैयार समुदाय पर हमला करती हैं तो नुकसान अविश्वसनीय हो सकता है। विडम्बना यह है कि बड़े समुदाय अकसर तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि आपदायें अकसर नहीं होती हैं इसीलिए वर्तमान में निजी क्षेत्र, स्कूलों, स्वयंसेवी समूहों और सामुदायिक संगठनों द्वारा व्यापक योजनाओं और समन्वय की आवश्यकता होती है। इस तरह प्रशिक्षण और जागरूकता आपदा से निपटने के लिए व्यक्ति और समूहों को सक्षम बनाते हैं।

इस शोधपत्र के माध्यम से कुछ प्राकृतिक आपदाओं और उन आपदाओं के पूर्व, दौरान एवं पश्चात् बरती जाने वाली सावधानियों पर दृष्टि रखेंगे, जो निम्नानुसार हैं :-

भूकंप, मूसलाधार बारिश (बादलों का फटना), बाढ़ एवं जंगल की आग इत्यादि।

भूकंप - भूकंप सबसे घातक प्राकृतिक खतरों में से है। भूकंप, पृथ्वी की सतह का हिलना है जो भूकंपीय तरंगों पैदा करता है। सिस्मोग्राफ भूकंप से उत्पन्न भूकंपनीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है जिससे यह निर्धारित किया जा सकता है कि कोई विशेष भूकंप कहाँ और कितना गहरा है।

भूकंप आने की दशा में आपदा प्रबंधन :

अ) भूकंप आने के पूर्व में :

1. यह तय करें कि अलग होने के बाद परिवार के सदस्य एक दूसरे से कैसे मिलेंगे।
2. प्रत्येक कमरे में सुरक्षित स्थान जानें, जैसे :- मजबूत टेबिल, डेस्क के नीचे।
3. खतरनाक स्थान को जानें, जैसे :- खिड़कियाँ, शीशे, लटकी हुई वस्तुएँ।
4. आपातकालीन फोन नं. की सूची रखें।
5. खतरनाक और ज्वलनशील तरल पदार्थों को निचली अलमारियों में रखें।
6. आपातकालीन भोजन पानी की आपूर्ति बनाएं रखें, प्राथमिक चिकित्सा किट, बैटरी चालित रेडियो आदि रखें।

ब) भूकंप दौरान :

1. जहाँ हैं वहीं रहें जब तक हिलना बंद न हो जाए।
2. स्वयं को खिड़कियों और काँच के दरवाजों से दूर रखें।
3. दीवार के कोनों के पास लेटे, घुटने टेके या बैठें।
4. अगर घर से बाहर हैं तो पेड़ों, इमारतों, दीवारों और बिजली की लाइनों से दूर खुले क्षेत्र में उतरे।
5. यदि गाड़ी चला रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित रूप से रुके। अपने वाहन के अंदर तक रहे जब तक कंपन बंद न हो जाए। वाहन में खिड़की के स्तर से नीचे रहें। यदि वाहन के आसपास बिजली की तारें गिर गई हो तो वाहन में ही रहें।
6. धातु को न छुए।

स) भूकंप के बाद :

1. संबंधित पीडित व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें।
2. जब तक गंभीर चोट, आग या आपात स्थिति न हो टेलीफोन का उपयोग न करें।
3. छत, नींव, चिमनी और क्षति के लिए इमारतों की जाँच करें।
4. अंदर कभी भी माचिस लाइट और मोमबत्ती का प्रयोग न करें।

5. बैटरी चालित रेडियो चालू रखें, आपातकालीन घोषणा, समाचार एवं निर्देश सुने।

6. जब तक आपात स्थिति न हो वाहनों का प्रयोग न करें।

मूसलाधार बारिश (बादलों का फटना) - बादल फटना हिमालय में एक प्राकृतिक और सामान्य घटना है। बादल फटना और इससे जुड़ी आपदायें हर साल हजारों लोगों को प्रभावित करती हैं और जीवन संपत्ति, आजीविका और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती हैं। हमारे देश में 16 जून 2013 अर्थात् लगभग 10-11 वर्ष पूर्व उत्तराखंड में बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने कई शहरों और गांवों को तबाह कर दिया था। सामान्यतः इस आपदा को रोकने का कोई तरीका नहीं है, किंतु निम्न लिखित सावधानी बरती जा सकती है।

1. सभी निवासियों और पालतू जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाए।
2. समाचार अपडेट के लिए स्थानीय मीडिया और रेडियो का प्रयोग करें।
3. मजबूत रस्सियाँ और प्राथमिक उपचार किट बचाव प्रयासों को काफी बढ़ा सकती है।
4. उच्च क्षेत्रों में जाते समय हमेशा पर्याप्त खाद्य सामग्री साथ रखें।
5. घाटी की ओर से सीधे नीचे की ओर न बहें।

बाढ़ - बाढ़ को अकेले देखें तो यह बड़े क्षेत्र में पानी का अतिप्रवाह है, जो अस्थायी रूप से भू-भाग को जलमग्न कर देता है। भारत में साल भर आपदायें आती हैं लेकिन हर साल मानसून के दौरान बाढ़ से बड़ी क्षति होती है। बाढ़ के प्राथमिक प्रभावों में जीवन की हानि, इमारतों को नुकसान, बिजली उत्पादन में व्यवधान शामिल हैं। बाढ़ कृषि भूमि को जलमग्न कर देती है जिससे भूमि अनुपयोगी हो जाती है। सड़क और परिवहन को नुकसान पहुँचने पर आपातकालीन स्वास्थ्य उपचार, पानी, खाद्य आपूर्ति जुटाना मुश्किल हो जाता है।

बाढ़ से पूर्व की तैयारी :

1. पूर्व से भोजन एवं पानी की पर्याप्त आपूर्ति के साथ आपातकालीन किट तैयार रखें।
2. विकलांगों, बुजुर्गों और बच्चों की तुरंत सहायता करें।
3. सुरक्षात्मक उपाय जैसे गाँवों के चारों ओर आवश्यक उपायों को विकसित करें।
4. बाढ़ की चेतावनी मिलने पर तुरंत सामुदायिक आश्रयों जैसे ऊँचे और सुरक्षित क्षेत्रों में चले जाएं।
5. बिजली के खंबों एवं तारों से दूर रहें।
6. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को पैदल या वाहनों से पार न करें।
7. बाढ़ आने के बाद घायलों की मदद करें।
8. बाढ़ के पश्चात् पीने के पहले पानी शुद्ध करने वाली गोलियाँ डाल दें या पानी उबालकर इस्तेमाल करें।
9. जब पानी का स्तर फर्श से ऊपर हो तो खर के जूते पहनें।
10. आवास, कपड़े और भोजन के लिए सहायता कहाँ से प्राप्त करें इसकी जानकारी के लिए समाचार रिपोर्ट सुनें।

जंगल की आग - प्राचीन काल से ही वनों ने सामाजिक आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और विभिन्न तरीकों से मानव जीवन को समृद्ध किया है। जंगली आग जिसे जंगल या वनस्पति की आग भी कहा जाता है यह मानवीय कार्यों जैसे भूमि की सफाई, अत्यधिक सूखा या दुर्लभ मामलों में बिजली गिरने से शुरू हो सकती है। प्रतिवर्ष जंगल

की आग लाखों हेक्टेयर वन और अन्य वनस्पतियों को नष्ट कर देती है जिससे मानव और पशु जीवन का नुकसान होता है और भारी आर्थिक क्षति होती है। 95 प्रतिशत से अधिक जंगल की आग या तो लापरवाही से या अनजाने में इंसान द्वारा होती है बाकी आग प्राकृतिक कारणों से होती है। जैसे :- बिजली, तापमान में अत्यधिक वृद्धि आदि।

जंगल की आग को रोकने के संबंध में आपदा प्रबंधन :-

1. असाध्य या नियंत्रण से बाहर की आग होने पर स्थानीय अग्निशमन विभाग से संपर्क करें।
2. चलते वाहनों से या पार्क मैदानों में सिगरेट, माचिस और धूम्रपान सामग्री को न फेंके।
3. जंगल की आग फैलने की स्थिति में आग पर काबू पाने की कोशिश न करें। नमी वाले स्थान, तालाब या नदी के निकटवर्ती क्षेत्र का पता लगायें एवं वहीं बैठें।
4. यदि आसपास पानी नहीं है तो शरीर को गीले कपड़े, कंबल या मिट्टी से ढक लें।
5. धुएँ से बचने के लिए यदि संभव हो तो एक गीले कपड़े के माध्यम से जमीन के सबसे करीब हवा में सांस लेकर अपने फेंफड़ों की रक्षा करें।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव जीवन के लिए पर्यावरण का प्रदूषण से मुक्त रहना अत्यंत आवश्यक है इसके लिए संसद ने अनेक अधिनियम पारित किए हैं जिनमें से वायुप्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम प्रमुख हैं। वर्तमान परिपेक्ष्य में पर्यावरण प्रदूषण समाज के लिए एक विकट समस्या बनता जा रहा है और विशेष कर देश के महानगरों में रहने वाले लोगों के जीवन के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। इस कार्य को संपादित करने का उत्तरदायित्व हमारे उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों ने अपने हाथ में लिया है और विभिन्न विनिश्चयों में उक्त अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए समुचित सरकारों एवं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

रुरल लिटिगेशन एण्ड एंटाइटेल्मेंट केंद्र देहरादून बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (1985) 2 एस.सी.सी. 431 के मामले में एक लोकहितवाद फाइल करके न्यायालय को यह बताया गया कि देहरादून में कुल पत्थर की खुदाई के कारण आसपास का पर्यावरण दूषित हो रहा है और आसपास के निवासियों को हानि पहुँच रही है। न्यायालय ने इस बात की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त की और समिति की रिपोर्ट मिलने पर इन पत्थर की खानों की खुदाई का काम रोकने का आदेश दिया।

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1986) 2 एस.सी.सी. 176 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के आवासीय क्षेत्र में स्थित श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर कंपनी की एक इकाई को ओलियम नामक खतरनाक गैस का उत्पादन करने से रोक दिया। जब तक कि कंपनी उन सभी सुरक्षा उपायों को नहीं अपनाती है जो गैस को निकलने से रोकने के लिए उपयुक्त एवं आवश्यक है। इस मामले में कंपनी के कारखाने से ओलियम गैस के रिसाव के कारण आसपास के निवासियों एवं कंपनी के कर्मचारों को काफी क्षति पहुँची थी।

पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा – संविधान के अनुच्छेद-48(क) यह अपेक्षा करता है कि राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा

उनमें सुधार करने का और वन तथा वन्यक जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा।

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद-48(क) के निदेशक तत्व के अधीन केन्द्र एवं राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वे पर्यावरण के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाये। ऐसे कर्तव्य के पालन के लिए न्यायालय को समुचित आदेश देने की शक्ति है।

पर्यावरण संकट और आपदा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव :-

1. पर्यावरण समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है अतः इसके लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए।
2. आप जनता को पर्यावरण संकट और आपदा प्रबंधन के प्रति शिक्षित और जागरूक किया जाए जिससे वे इन विषम परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हों।
3. नाभिकीय शस्त्रों के उत्पादन पर पूर्ण रोक लगवायी जानी चाहिए।
4. विद्यालय और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर पर्यावरण संकट और आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यशाला, सेमीनार आदि का आयोजन समय-समय पर होना चाहिए।

निष्कर्ष – समाज की प्रारंभिक अवस्थाओं में मानव तथा प्रकृति के मध्य एकात्मकता थी। मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। मानव अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति से कर लेता था। खानपान, परिधान तथा आवास से संबंधित समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव प्रकृति पर निर्भर था। धीरे-धीरे मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ी तथा आवश्यकताओं ने ही नवीन अन्वेषणों के मार्ग को प्रशस्त किया। क्रमशः जनसंख्या में वृद्धि हुई तथा प्राकृतिक संसाधनों को हथियाने की होड़ शुरू हुई। इस प्रकार से तय है कि यदि वातावरण के घटकों का संतुलन प्रकृति के पक्ष में है तो मानव जीवन स्वस्थ, सुविधाजनक तथा सुखकर होता है परंतु यदि वातावरण का संतुलन प्रकृति के पक्ष में नहीं है तो वह मानव जीवन में कई प्रकार की कठिनाईयों को जन्म देता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अरविंद कुमार दुबे, पर्यावरण विधि सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
2. डॉ. जय जय राम उपाध्याय, पर्यावरण विधि तृतीय संस्करण सेन्ट्रल लॉ एजेंसी इलाहाबाद।
3. डॉ. अनिरुद्ध प्रसाद, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण विधि की रूपरेखा, पंचम संस्करण सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
4. मुरलीधर चतुर्वेदी, भारत का संविधान इलाहाबाद लॉ एजेंसी पब्लिकेशन।
5. डॉ. जयनारायण पाण्डेय, भारत का संविधान चौतीसवाँ संस्करण, सेन्ट्रल लॉ एजेंसी।
6. आपदा मित्र प्रशिक्षण पुस्तिका, राष्ट्रीय आपदा मोचन अकादमी, नागपुर।

समाचार पत्र :

7. दैनिक भास्कर
8. नवभारत
9. नईदुनिया

बनारस घराने में टप्पा गायन

डॉ. निलांभ राव नलवडे *

* संगीत शिक्षक, केन्द्रीय विद्यालय, दापोरिजो (अरुणाचल प्रदेश) भारत

प्रस्तावना – टप्पा मूलतः पंजाब में ऊँट चराने वालों के द्वारा गायी जाने वाली लोक शैली थी, जिसने बाद में आकर्षक शैली हो जाने के कारण संगीत में अपना स्थान बना लिया है। 'टप्पा' से मतलब मैदानी जमीन से है, ऊँटहार जब अपने गाँवों से ऊँटों पर सामान लादकर शहर में आते व वापसी में एक बोल बनाकर वापस अपने घरों में जाते, उसी समय रास्ता यात्रि टप्पा, दो टप्पा, चार टप्पा, सुनसानी मैदानी रास्ते को काटने के लिए अपनी पंजाबी जुबान में गाते चले जाते थे। इसी गाने का नाम टप्पा पड़ गया।

पंजाब में 'गुलाम नबी उर्फ शोरी मियाँ' को 'टप्पा' का आविष्कारक माना गया है। शोरी मियाँ ने कविता की रचना करने की अद्भुत शक्ति थी, उन्होंने टप्पा की रचना ऊँटहारों की गायन शैली पर की। इस नवीन शैली ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि गायक वर्ग इसकी अवहेलना न कर, इसको सीखने लगा। 'टप्पा प्रायः पंजाबी अथवा हिन्दी मिश्रित पंजाबी भाषा का गीत है।'

टप्पा गायन शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें खटके, मुर्की, द्रुत लय में छोटी-छोटी वक्र तानों का प्रयोग तुरन्त व सहज रूप से होता है। इस शैली ने शास्त्रीय संगीत को काफी प्रभावित किया है, जिसके फलस्वरूप इसे उप-शास्त्रीय संगीत के अन्तर्गत रखा गया है। प्रायः सभी टप्पे अद्धाताल में गाये जाते हैं। कुछ लोग इसे पंजाबी ताल भी कहते हैं। प्रायः टप्पा मध्य लय में ही गाया जाता है, जिन गायकों का गला तैयार होता है, वे तेज मध्य लय में भी टप्पा गाते हैं। टप्पे की प्रकृति चंचल होती है।

'लखनऊ के आसफुद्दौला के बाद संगीत की कुछ समय तक विशेष पूछ-परख न रही। जिसके कारण टप्पे के द्वितीय आचार्य मियाँ गम्भू खाँ को महाराज उदित नारायण सिंह काशी ले आये। मियाँ गम्भू उस समय टप्पे के अद्वितीय आचार्य थे। उन्होंने टप्पे का विशेष प्रचार भी किया, अन्त तक वे काशी में ही रहे और यहीं उनका शरीरान्त हुआ। इनके पुत्र भी इनके अनुरूप ही कलाकार हुए। उनकी शिष्यायें चित्रा और इमामबांदी उस समय की अद्वितीय टप्पा गायिका समझी जाती थी। इस प्रकार भविष्य में काशी टप्पा गायन का एक बहुत बड़ा केन्द्र बना। काशी में लक्ष्मी सवेक मिश्र तथा रामसेवक मिश्र जी के पास टप्पे की बढि़शों का अपार भण्डार था। 'बड़े रामदास जी' भी टप्पा गाते थे। आप शिष्यों का गला तैयार करने के लिए टप्पा का अभ्यास कराते थे। प्रसिद्ध गायिकाओं में रसलून बाई तथा सिद्धेश्वरी देवी का नाम भी टप्पा गायन में दूर-दूर तक प्रसिद्ध था। वैसे तो ठाकुर दयाल मिश्र ने शोरी मियाँ से टप्पा गायन की शिक्षा प्राप्त की थी, उन्नीसवीं शताब्दी

के अन्तिम दशकों में टप्पे का विशेष प्रचलन हुआ। इमामबांदी के पुत्र रमजान खाँ तथा शिष्य नागेन्द्र नाथ महाचार्य के कारण टप्पा गायकी बनारस से कलकत्ता जा पहुँची, जिसे अन्य गायिकाओं ने लोकप्रिय बनाया।

टप्पा गायन की परम्परा में बनारस के पंडित रामू मिश्र जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि वे गया में रहते थे, फिर भी काशी में उनकी रिश्तेदारी होने के कारण रामूजी जब तक जीवित रहे, तब तक काशी से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। उनके पास विभिन्न रागों में टप्पा गायन की बढि़शों का अपार भण्डार था। सन् 1974 ई० में 'काशी हिन्दू विश्वविद्यालय' स्थित संगीत एवं मंच कला संकाय ने आपको टप्पा गायन सिखाने के लिए तीन महीने के लिए रखा गया था।

नवाब सआदत अली खाँ भी टप्पे की रचना करते थे। इस प्रकार टप्पे में मियाँ शोरी व नवाब साहब अपनी रचनाओं में केवल मियाँ की छाप रखते थे। कहा जाता है कि – 'गुलाम नबी के मकान के पास एक खूबसूरत लडकी थी, जिसका नाम शोरी था। उस लडकी पर मुग्ध होकर आपने तमाम टप्पा की चीजों में शोरी का ही नाम रख दिया व आप भी शोरी मियाँ के नाम से पुकारे जाने लगे। टप्पा की जिन रचनाओं में 'मिया' शब्द का प्रयोग हुआ है वह नवाब साहब की रचना है। कुछ रचनायें ऐसी हैं जिनमें न 'मियाँ' का नाम आता है, न शोरी का। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि गुलाम कुछ चीजें वहीं से सीखकर आये व उन्ही के आधार पर अपनी रचनायें की।'

टप्पा गायन के अंतर्गत यदि हम बनारस घराने के प्रतिपादकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ज्ञात होता है कि बनारस गायकी या गायन शैली में टप्पा का विस्तार ग्वालियर शैली से काफी अलग है, हालाँकि पंजाबी में शोरी मियाँ द्वारा बनाई गई रचनाएँ दोनों घरानों में समान हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बनारस घराने के गायक 16-गिनती या मात्रा ताल को पसंद करते हैं जिसे सितारखानी या अद्धा कहा जाता है। इसके अलावा बनारस घराने के टप्पा गायक टप ख्याल का गायन करना भी पसंद करते थे। टपख्याल टप्पा और ख्याल का मिश्रित रूप है जिसमें दोनों गायन शैलियों का समावेश है। बनारस घराने की महान गायिका गिरिजादेवी सितारखानी ताल पर टपख्याल गायन में सिद्धहस्त थी। जैसा कि हम जानते हैं कि टप्पा काफी, खमाज और भैरवी रागों में गाये जाते हैं किंतु बनारस घराने की महान गायकी रसलून न बाई सितारखानी ताल पर काफी राग में स्वरबद्ध टप्पा प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्र-मुग्ध कर देती थी। टप्पा गायन के सबसे प्रमुख माना जाने वाला ग्वालियर घराना और बनारस घराने में टप्पा गायन

में एक विशेष अंतर यह भी है कि ग्वालियर घराने में बनारस की तरह महान टप्पा गायिकाओं का अभाव सा है, जबकि टप्पा गायन के लिए महिला संगीतकारों की आवाज उचित मानी जाती है।

इस समय बनारस में टप्पा गायकों की स्थिति अच्छी नहीं है। नवीन पीढ़ी में टप्पा गायन को सीखने की रुचि कम दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि बनारस में टप्पा गायन शैली आज लुप्त सी है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह गायकी बुजुर्ग कलाकारों तक ही सीमित रह गयी है। वर्तमान समय में बनारस घराने के टप्पा गायकों में बड़े रामदास, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बड़ी मोती बाई, गिरिजा देवी, राजन-साजन मिश्र, रामकृष्ण मिश्र तथा पशुपति मिश्र का नाम अग्रणी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा डॉ. मनोरमा, 'शास्त्रीय संगीत की परम्परा में बनारस घराना' वर्ष 2010 (प्रथम) मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बाणगंगा, भोपाल 462003 (म.प्र.)
2. डॉ. चौबे, सुशील कुमार, 'संगीत के घरानों की चर्चा', वर्ष 1977 (द्वितीय संस्करण) उ.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. पाण्डे आशा, 'मध्यकालीन संगीत शैलियों का उद्गम और विकास' वर्ष 2002 निर्मल पब्लिकेशंस, दिल्ली 1100944.
4. तैलंग कृष्णनारायण 'टप्पा संग्रह' (टप्पा गीत) वर्ष 1994, विश्व प्रकाशन, नई दिल्ली।

छात्रावासी और गैर छात्रावासी छात्राओं के समायोजन पर सांवेगिक बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन-स्वयं सिद्धा छात्रावास जबलपुर की छात्राओं और होम साइंस कॉलेज जबलपुर की गैर छात्रावासी छात्राओं के संदर्भ में

श्रीमती माधुरी खांडेलकर*

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय एम.एच.कॉलेज ऑफ होम साइंस एंड साइंस फॉर वूमेन, जबलपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र में छात्रावासी और गैर छात्रावासी छात्राओं के समायोजन पर सांवेगिक बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन के सन्दर्भ में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि को प्रयुक्त किया गया है। स्वयं सिद्धा छात्रावास जबलपुर की छात्राओं और होम साइंस कॉलेज जबलपुर की गैर छात्रावासी छात्राओं के संदर्भ में परिसर से उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन विधि द्वारा किया गया। प्रदत्तों को एकत्रित करने के लिए स्वनिर्मित सामाजिक व्यवहार मापनी का प्रयोग किया गया है। सामाजिक व्यवहार का मापन पाँच आयामों यथा सामाजिक समायोजन, जीवन प्रबन्धन, सामूहिकता, नेतृत्वशीलता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता पर किया गया है। संकलित प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं टी – परीक्षण का प्रयोग किया गया। प्रदत्तों के विश्लेषण के फलस्वरूप पाया गया कि छात्रावासीय तथा गैर छात्रावासीय विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार में सार्थक अन्तर होता है। समग्र सामाजिक व्यवहार पर ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों तथा छात्र तथा छात्राओं के मध्य कोई सार्थक अन्तर दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

प्रस्तावना – मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में रहता है तथा दूसरों के साथ अन्तःक्रिया करता है। समाज में रहकर व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है वह सभी सामाजिक व्यवहार के क्षेत्र में शामिल है। परन्तु आधुनिक युग में जब से विशिष्टता का दौर शुरू हुआ है, व्यक्ति के व्यवहार को भी श्रेणीकृत किया जाने लगा है। धर्म से सम्बन्धित व्यवहार को धार्मिक व्यवहार, शिक्षा से सम्बन्धित व्यवहार को शैक्षिक व्यवहार तथा संवेगों से सम्बन्धित व्यवहार को सांवेगिक व्यवहार का नाम दिया जाने लगा है। इसी प्रकार किसी समाज में रहते हुए समाज सम्मत व्यवहार को सामाजिक व्यवहार कहा गया है। व्यक्ति के सम्पूर्ण सामाजिक व्यवहार पर एक साथ शोध कर पाना असम्भव नहीं तो थोड़ा कठिन अवश्य है। सामाजिक व्यवहार से सम्बन्धित शोध की प्रक्रिया में स्वयं सिद्धा छात्रावास जबलपुर की सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका पायी। सोशल मीडिया को सामाजिक विकास में अवरोधक पाया। स्वयं सिद्धा छात्रावास जबलपुर की छात्राओं का सामाजिक अन्तःक्रिया से सकारात्मक सम्बन्ध पाया।² स्वयं सिद्धा छात्रावास जबलपुर की छात्राओं में निवास करने से छात्रों में सामाजिकता, यथार्थता तथा जबाबदेही जैसे सामाजिक गुणों का विकास में सकारात्मक सम्बन्ध पाया। स्वयं सिद्धा छात्रावास जबलपुर की छात्राओं और होम साइंस कॉलेज जबलपुर की गैर छात्रावासी छात्राओं के सामाजिक समायोजन में सार्थक अन्तर पाया। विद्यार्थियों की सामाजिक बुद्धि तथा समायोजन पर लिंग भेद तथा स्थानीयता के प्रभाव का अध्ययन किया। विद्यालयी वातावरण का सामाजिक समायोजन पर सार्थक प्रभाव पाया। विद्यालयी तथा छात्रावासीय छात्रों के सामाजिक समायोजन में अन्तर पाया। दिवा तथा छात्रावासीय छात्रों की सामाजिक क्षमता में कोई अन्तर नहीं पाया। छात्रावासीय वातावरण का प्रबंधन कौशल पर सकारात्मक प्रभाव पाया। अभिभावकों के सकारात्मक

व्यवहार में छात्रों के सामाजिक परिवर्तन दृष्टिकोण में सार्थक सहसम्बन्ध पाया। छात्रों के गैर – सामाजिक व्यवहार व सामाजिक आर्थिक स्तर में सहसम्बन्ध पाया।⁴ स्वयं सिद्धा छात्रावास जबलपुर की छात्राओं और होम साइंस कॉलेज जबलपुर की गैर छात्रावासी छात्राओं के संदर्भ में छात्रावासी और गैर छात्रावासी छात्राओं के समायोजन पर सांवेगिक बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया गया।⁵

शोध प्रक्रिया

1. अध्ययन विधि – शोध अध्ययन में वर्णनात्मक शोध की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

2. स्वयं सिद्धा छात्रावास जबलपुर की छात्राओं और होम साइंस कॉलेज जबलपुर की गैर छात्रावासी छात्राओं के संदर्भ में छात्रावासी और गैर छात्रावासी छात्राओं के समायोजन पर सांवेगिक बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन चयनित किया गया है।⁶

3. अध्ययन उपकरण – आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए स्वनिर्मित सामाजिक व्यवहार मापनी का प्रयोग किया गया है। जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं। सामाजिक व्यवहार का मापन पाँच स्तर पर किया गया है। इन स्तरों को अध्ययन में सामाजिक व्यवहार की आयाम के रूप में वर्णित किया गया है। ये आयाम क्रमशः सामाजिक समायोजन, जीवन प्रबंधन, नेतृत्वशीलता, सामूहिकता, प्रतिस्पर्धात्मकता है। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रश्नावली में पाँच अनुक्रिया विकल्प यथा पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत तथा पूर्णतः असहमत के लिये क्रमशः 5, 4, 3, 2 तथा 1 अंक प्रदान किया गया है। नकारात्मक प्रश्नों का अंकन इसके विपरीत यथा 1, 2, 3, 4 तथा 5 अंक प्रदान करके किया गया है।

4. अध्ययन के चर – वर्तमान अध्ययन में सामाजिक व्यवहार आश्रित

चर तथा आवासीय वातावरण, लिंगभेद तथा स्थानीयता को स्वतन्त्र चर के रूप में प्रयुक्त किया गया है।

5. प्रयुक्त सांख्यिकी – आँकड़ों के विश्लेषण के शोध अध्ययन में मध्यमान, मानक विचलन तथा टी – मान की गणना की गयी है।⁷

परिणाम एवं विवेचना

1. छात्रावासीय तथा गैर – छात्रावासीय विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार की तुलना।

छात्रावासीय तथा गैर छात्रावासीय विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार की तुलना करने के लिए परीक्षण प्राप्तांकों का मध्यमान, मानक विचलन तथा दोनों समूह के मध्य अन्तर की सार्थकता के लिए टी – मान की गणना की गयी है जिसे तालिका संख्या – 1 में दर्शाया गया है।⁸

सारिणी संख्या – 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारिणी संख्या – 1 से स्पष्ट है कि सामाजिक समायोजन आयाम पर छात्रावासीय विद्यार्थियों का मध्यमान ($M_1=31.33$), गैर छात्रावासीय के मध्यमान ($M_2=28.36$) से अधिक है। जीवन प्रबन्धन आयाम पर छात्रावासीय विद्यार्थियों का मध्यमान ($M_1=45.75$), गैर छात्रावासीय के मध्यमान ($M_2=46.38$) से कम है। सामूहिकता आयाम पर छात्रावासीय विद्यार्थियों का मध्यमान ($M_1=32.46$) गैर छात्रावासीय के मध्यमान ($M_2=27.26$) से अधिक है। नेतृत्वशीलता आयाम पर छात्रावासीय विद्यार्थियों का मध्यमान ($M_1=40.56$), गैर छात्रावासीय के मध्यमान ($M_2=38.06$) से अधिक है। प्रतिस्पर्धात्मक आयाम पर छात्रावासीय विद्यार्थियों का मध्यमान ($M_1=22.45$), गैर छात्रावासीय के मध्यमान ($M_2=21.89$) से अधिक है। समग्र सामाजिक व्यवहार पर छात्रावासीय विद्यार्थियों का मध्यमान ($M_1=172.56$), गैर छात्रावासीय के मध्यमान ($M_2=161.97$) से अधिक है। छात्रावासीय तथा गैर छात्रावासीय विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार के आयामों सामाजिक समायोजन, जीवन प्रबन्धन, सामूहिकता, नेतृत्वशीलता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता के मध्यमानों में अन्तर की सार्थकता की जाँच के लिए प्राप्त टी – मूल्य क्रमशः 7.10, 1.10, 12.76, 4.14 तथा 2.44 हैं।⁹ जबकि समग्र सामाजिक व्यवहार के लिए टी – मूल्य 8.82 है। स्वतंत्रांश (Degree of Freedom) 598 के लिए .01 सार्थकता स्तर पर सामाजिक समायोजन आयाम, सामूहिकता आयाम, नेतृत्वशीलता आयाम और समग्र सामाजिक व्यवहार के लिए टी – मूल्य सार्थक है। स्वतंत्रांश (Degree of Freedom) 598 के लिए .05 सार्थकता स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक आयाम पर टी – मूल्य सार्थक है। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक समायोजन, सामूहिकता, नेतृत्वशीलता, प्रतिस्पर्धात्मकता आयाम और समग्र सामाजिक व्यवहार में छात्रावासीय विद्यार्थी, गैर छात्रावासीय विद्यार्थियों से श्रेष्ठ पाये गये हैं। अतः शून्य परिकल्पना 'छात्रावासीय तथा गैर छात्रावासीय विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है' अस्वीकृत होती है। कहा जा सकता है कि छात्रावासीय तथा गैर छात्रावासीय विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार में सार्थक अन्तर होता है। जिसका कारण छात्रावासीय समूह का परिवेश, वृहद समूह के साथ सामाजिक अन्तःक्रिया के अवसरों की उपलब्धता तथा सामूहिक कार्यों में प्रतिनिधित्व के अवसर हो सकता है।¹⁰

छात्रावासीय तथा दिवा छात्रों के सामाजिक व्यवहार में सार्थक अन्तर पाया जो कि उपरोक्त परिणाम का समर्थन करता है। छात्रावासीय तथा गैर छात्रावासीय विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार की तुलना को आरेख संख्या

– 1 से भी दर्शाया गया है।

ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार की तुलना करने के लिए परीक्षण प्राप्तांकों का मध्यमान, मानक विचलन तथा दोनों समूह के मध्य अन्तर की सार्थकता के लिए टी – मान की गणना की गयी है जिसे तालिका संख्या – 2 में दर्शाया गया है।

सारिणी संख्या – 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारिणी संख्या – 2 से स्पष्ट है कि सामाजिक समायोजन आयाम पर ग्रामीण विद्यार्थियों का मध्यमान ($M_1=30.81$), शहरी विद्यार्थियों के मध्यमान ($M_2=29.02$) से अधिक है। जीवन प्रबन्धन आयाम पर शहरी विद्यार्थियों का मध्यमान ($M_1=46.98$), ग्रामीण विद्यार्थियों के मध्यमान ($M_2=44.99$) से अधिक है। सामूहिकता आयाम पर ग्रामीण विद्यार्थियों का मध्यमान ($M_1=30.83$), शहरी विद्यार्थियों के मध्यमान ($M_2=29.02$) से अधिक है। नेतृत्वशीलता आयाम पर शहरी विद्यार्थियों का मध्यमान ($M_1=39.40$), ग्रामीण विद्यार्थियों के मध्यमान ($M_2=39.20$) से अधिक है। प्रतिस्पर्धात्मक आयाम पर शहरी विद्यार्थियों का मध्यमान ($M_1=22.41$), ग्रामीण विद्यार्थियों के मध्यमान ($M_2=21.88$) से अधिक है। समग्र सामाजिक व्यवहार पर ग्रामीण विद्यार्थियों का मध्यमान ($M_1=167.73$) शहरी विद्यार्थियों के मध्यमान ($M_2=164.84$) से अधिक है। ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के मध्य सामाजिक व्यवहार के आयामों सामाजिक समायोजन, जीवन प्रबन्धन, सामूहिकता, नेतृत्वशीलता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता के मध्यमानों में अन्तर की सार्थकता की जाँच के लिए प्राप्त टी – मूल्य क्रमशः 4.38, 3.48, 3.96, 0.31 तथा 2.34 हैं।¹¹ जबकि समग्र सामाजिक व्यवहार के लिए टी – मूल्य 0.69 है। स्वतंत्रांश (Degree of Freedom) 598 के लिए .01 सार्थकता स्तर पर सामाजिक समायोजन आयाम, जीवन प्रबन्धन आयाम तथा सामूहिकता आयाम के लिए टी – मूल्य सार्थक है। स्वतंत्रांश (Degree of Freedom) 598 के लिए .05 सार्थकता स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक आयाम पर टी – मूल्य सार्थक है। जबकि नेतृत्वशीलता आयाम तथा समग्र सामाजिक व्यवहार के लिए टी – मूल्य असार्थक है। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक समायोजन आयाम, सामूहिकता आयाम तथा प्रतिस्पर्धात्मकता आयाम पर ग्रामीण विद्यार्थी शहरी विद्यार्थियों से श्रेष्ठ पाये गये हैं।¹² जीवन प्रबन्धन आयाम पर शहरी विद्यार्थी ग्रामीण विद्यार्थियों से श्रेष्ठ पाये गये हैं। अतः शून्य परिकल्पना 'ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।' को स्वीकृत किया जाता है। कहा जा सकता है कि ग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है। दोनों समूहों में सामाजिक व्यवहार में अन्तर नहीं होने का कारण समान आयु, समान सामाजिक स्तर तथा सामाजिक अन्तःक्रिया के अवसरों की समान उपलब्धता हो सकता है।¹³

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन व सामाजिक बुद्धि में कोई अन्तर नहीं पाया गया। ग्रामीण तथा शहरी विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार की तुलना को आरेख संख्या – 2 से भी दर्शाया गया है।

शैक्षिक निहितार्थ – प्रस्तुत शोध द्वारा विद्यार्थियों के छात्रावासीय वातावरण को उनके अनुरूप बनाये जाने में सफलता प्राप्त हो सकेगी। शिक्षा स्तर की संस्थाओं में विभिन्न कार्यक्रमों यथा राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट

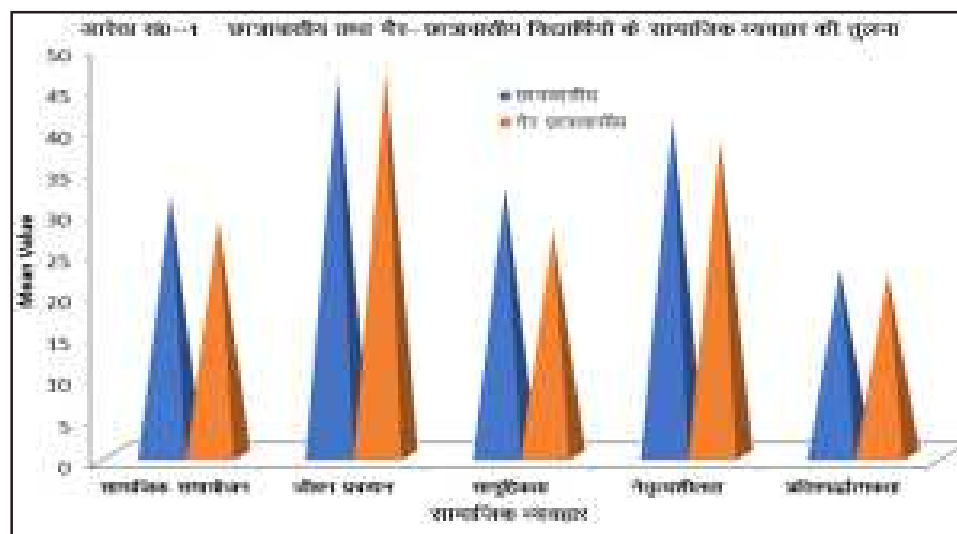
कोर, रोवर्सरेजर्स आदि का संचालन कर विद्यार्थियों में दायित्वों का निर्धारण कर उनमें नेतृत्व गुणों का विकास किया जा सकेगा। विद्यार्थियों को भविष्य में रोजगार व शिक्षा के अवसरों से अवगत कराते हुये उनमें प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाया जा सकेगा। विद्यार्थियों को समाज में समायोजित होने तथा अपने जीवन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में समर्थ बनाया जा सकेगा। विद्यार्थियों के लिए सामूहिक कार्यक्रमों का संचालन करने से उनमें समूह के रूप में कार्य करने व सहकारिता की समझ विकसित की जा सकेगी।¹³

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **Abimbade, Oluwadara; Adedjoja, Gloria; Fakayode, Bukala; Bello Lukuman (2019).** "Impact of Mobile Based Mentoring Socio-Economic Background and Religion on Girls Attitude and Belief towards Antisocial Behaviour", *British Journal of Educational Technology*, Vol.-50, Issue-02, March-2019, pp-638-654, ISSN-0007-1013.
2. इफ्तकार, अमीना (2015) 'ए क्वालिटेटिव स्टडी इनवेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ हॉस्टल लाईफ य, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ इमरजेन्सी मेन्टल हेल्थ एंड ह्यूमन रेजीलेन्स, टवसण् 17 छवण् 1, pp 511 – 515.
3. **Ireoma, Akubugwo and Burke; Maria (2013).** "Influence of Social Media on Social behavior of Postgraduate Students: A Case study of Sulfored University, United Kingdom", *IOSR Journal of Research Method in Education* , Vol. 03, Issue 06(Nov.-Dec. 2013) ISSN-2320-737X
4. **Mowat, Joan Gaynor (2019).** "Supporting the Socio-Emotional Aspects of the Primary-Secondary Transition for Pupils with Social, Emotional and Behavioural Needs Affordances and Constraints", *Empowering Schools*, Vol.-22, Issue-01, March 2019 pp.-4-28, ISSN-1635-4002 .
5. **Priya, J. Johnsi (2019).** "The impact of parenting behavior on developing positive attitude towards social transformation among adolescents." *Journal on Educational Psychology*, Vol-12, Issue-03, pp. 34-41.
6. रावौर, योगिता तथा संस्मृति मिश्रा (2015) ' ग्रामीण विद्यार्थियों के मध्य सामाजिक बुद्धि एवं समायोजन के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन' इन्टरनेशनल जर्नल आफ मल्टीडिस्प्लेनरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, Vol.- 02, Issue- 02, 2015pp. 434 – 436 .
7. **Raziah, Jasmine Zea and Radha Rashid Radha (2015).** "The Influence of Hostel Services capes on Social Interaction and Service Experience", Unpublished Ph.D. Thesis, School of Hospitality and Tourism Management, University of Surrey.
8. सिंह, बलवान (2018) 'माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण का समायोजन पर प्रभाव का अध्ययन' इन्टरनेशनल एजुकेशन एण्ड रिसर्च जर्नल, ISSN2424-9916, Vol.- 04 pp.- 09, Sept. 2018.
9. सिंह, नीलू (2016) 'विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन पर विद्यालयी वातावरण द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन' इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिस्प्लेनरी एजुकेशन एण्ड रिसर्च, ISSN-2255-4588, Vol-01, Issue-02, April-2016, pp. 31-34..
10. स्वामी, शिल्पा (2015) ' उच्च प्राथमिक स्तर पर डे – बोर्डिंग व सामान्य विद्यालयों के छात्रों के सामाजिक, सांवेगिक तथा सामाजिक समायोजन का अध्ययन', अप्रकाशित पी – एच 0 डी 0 थीसिस, शिक्षा संस्थान, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान <http://hdl.handle.net/10603/139849>
11. **Shahahudin, Sharitah Hapsah Syed Hasan; Razak, Mohamad Abdul and Khoon Koh, Ailc (2011).** "Thriving in a faculty and college setting", *College student Journal*, Vol. 45, Issue 01, pp. 102-104. March 2011 ISSN- 0146-3934
12. **Singh, Mangal (2016).** 'A Comparative study of Hosteler and Non-Hosteler students on self concept' *International Journal of Novel Research in Education and Learning*, Vol.-3, Issue-2, March&2016 PP. 22-24
13. **Talaee, Ebrahim (2019).** "Longitudinal Impacts of Home Computer use in Early Years on Children's Social and Behavioral Development", *International Electronic Journal of Elementary Education*, Vol.-11, Issue-03, Jan. 2019, pp.-233-295 ISSN-1367-9298.

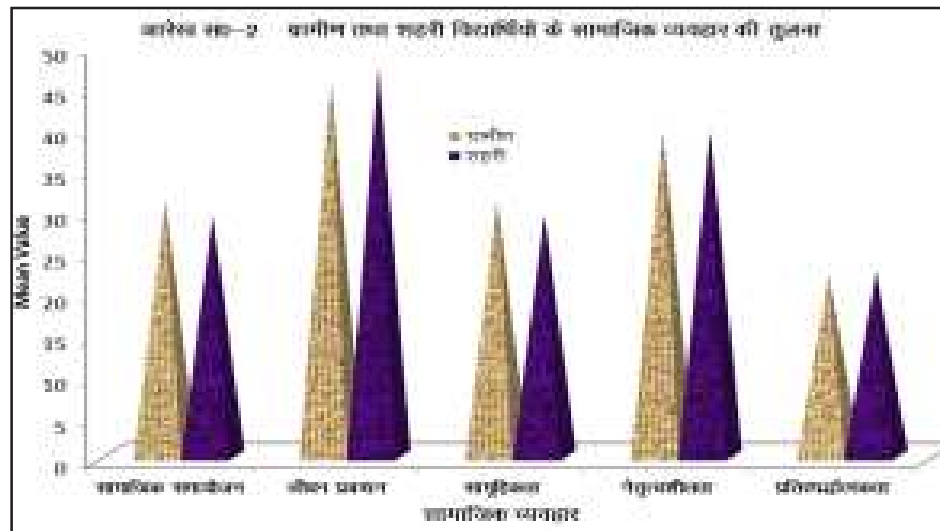
सारिणी संख्या - 1

सामाजिक व्यवहार एवं सम्बन्धित आयाम	समूह	संख्या	माध्यमान	मानक विचलन	टी-मान	स्वतंत्रता	सांख्यिकता
सामाजिक समायोजन	छात्रावासीय	300	31.33	5.53	7.10	598	.01 स्तर पर सांख्यिक
	गैर छात्रावासीय	300	28.36	4.67			
जीवन प्रवृत्ति	छात्रावासीय	300	45.75	8.32	1.10	598	.05 स्तर पर असांख्यिक
	गैर छात्रावासीय	300	46.38	5.45			
सामुहिकता	छात्रावासीय	300	32.46	5.69	12.76	598	.01 स्तर पर सांख्यिक
	गैर छात्रावासीय	300	27.26	4.16			
नेतृत्वशीलता	छात्रावासीय	300	40.56	8.29	4.14	598	.01 स्तर पर सांख्यिक
	गैर छात्रावासीय	300	38.06	6.41			
प्रतिस्पर्द्धात्मकता	छात्रावासीय	300	22.45	3.23	2.44	598	.05 स्तर पर सांख्यिक
	गैर छात्रावासीय	300	21.89	2.23			
समग्र सामाजिक व्यवहार	छात्रावासीय	300	172.56	16.63	8.82	598	.01 स्तर पर सांख्यिक
	गैर छात्रावासीय	300	161.97	12.50			



सारिणी संख्या - 2 : ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार की तुलना

सामाजिक व्यवहार एवं सम्बन्धित आयाम	समूह	संख्या	माध्यमान	मानक विचलन	टी-मान	स्वतंत्रता	सांख्यिकता
सामाजिक समायोजन	ग्रामीण	275	30.81	5.51	4.38	598	.01 स्तर पर सांख्यिक
	शहरी	325	29.02	5.02			
जीवन प्रवृत्ति	ग्रामीण	275	44.99	7.84	3.48	598	.01 स्तर पर सांख्यिक
	शहरी	325	46.98	6.13			
सामुहिकता	ग्रामीण	275	30.83	5.87	3.96	598	.01 स्तर पर सांख्यिक
	शहरी	325	29.02	5.28			
नेतृत्वशीलता	ग्रामीण	275	39.20	7.68	0.31	598	.05 स्तर पर असांख्यिक
	शहरी	325	39.40	7.37			
प्रतिस्पर्द्धात्मकता	ग्रामीण	275	21.88	2.77	2.34	598	.05 स्तर पर सांख्यिक
	शहरी	325	22.41	2.78			
समग्र सामाजिक व्यवहार	ग्रामीण	275	167.73	14.99	0.69	598	.05 स्तर पर असांख्यिक
	शहरी	325	166.84	16.14			



आपदा प्रबंधन में संचार माध्यम की अहम भूमिका

लखनलाल कलेशरिया*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – जैसा कि हम लोग जानते हैं की विश्व में आर्थिक, सामाजिक एवं अनेक परिवर्तन हुए हैं जिससे लोग पहले से सुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन पर्यावरण आपदा का डर हमेशा उसके दिमाग में बना रहता है। क्योंकि यह मानव जीवन को पल भर में अस्त व्यस्त कर देता है। यहां तक की जान और माल दोनों को खतरा रहता है। इस तरह कई प्रकारकी आपदाएं जैसे प्राकृतिक या मानव निर्मित होती हैं इन आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की रणनीति बहुत जरूरी होती है और इनके प्रबंधन में संचार माध्यम की बहुत बड़ी भूमिका होती है और एक अच्छे आपदा प्रबंधन के पास संचार के सभी आधुनिक माध्यम होना बहुत जरूरी है।

आपदा की परिभाषा—आपदाएं, प्राकृतिक या मानव निर्मित खतरों के परिणाम हैं। चूंकि हम आपदाओं को आने से नहीं रोक सकते हैं लेकिन हम हमेशा तैयार रह सकते हैं। जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए उचित प्रबंधन द्वारा प्रभावों को कम कर सकते हैं।

आपदा यानी 'Disaster' शब्द मध्य फ्रांसीसी शब्द 'Desatre' से लिया गया है। इस फ्रांसीसी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक शब्द 'DUS' से हुई है जिसका अर्थ है बुरा और 'Aster' जिसका अर्थ है – तारा, आपदा शब्द की जड़ ग्रहों की स्थिति पर दोष लगाने वाली आपदा के ज्योतिषीय अर्थ से आती है।

आपदा के प्रकार—आपदा जो सामान्यतः पृथ्वी पर समस्त जीवों को हानि पहुंचाती है। ये निम्नलिखित प्रकार की होती है 1) प्राकृतिक आपदाएँ 2) मानवजनित आपदाएँ 3) आकस्मिक आपदा 4) अनाकस्मिक आपदा

प्राकृतिक आपदाएँ – प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति द्वारा, पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों को क्षति पहुंचती है। जैसे बाढ़ आने से लोगों की फसल का नुकसान, वहां के जीव जन्तुओं की जान का खतरा रहता है। जिस तरह विकास हो रहा है। हर जगह नया-नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे कई प्रकार की प्रदूषित गैस (कार्बन, हीलियम, मीथेन इत्यादि) निकलती है और यह हमारे वायुमंडल में जाकर एक दीवार सा बना देती है, जिससे पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।

पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी छोर पर बर्फ तेजी से पिघल रही है। इसी के कारण है पानी का स्तर ऊपर उठ रहा है, जिससे बाढ़ आ रही है और समस्त जीवों को हानि हो रही है। प्राकृतिक आपदा के कुछ और भी उदाहरण हैं भूस्खलन होना, जंगलों में भयानक आग लगना, सड़कों का बुरी तरह से टूट जाना।

मानवजनित आपदाएँ— मानवजनित आपदा, ऐसी आपदा जिसका

जिम्मेदार मानव खुद होता है। आज के समय में आदमी अपने लाभ के लिए यह नहीं देखता कि इससे प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। वह स्वयं का लाभ देखता है, जिसके कारण सारी जीव जन्तुओं और वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है।

आदमी अपने लाभ के लिए पेड़ काटना, अवैधानिक तरीके से खुदाई करना, नदियों और समुद्रों में प्रदूषण फैलाना (जिससे उसमें रहने वाले जंतु मछली, कछुआ आदि को नुकसान पहुंचाता है) इत्यादि कार्य करता है। देश की अलग-अलग सरकार को इसके बारे में सोचना होगा, जो कुछ मानव के हाथ में है, उसे तो वह रोक ही सकता है। बाकी प्रकृति के आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता।

आकस्मिक आपदा – यह ऐसी आपदा होती है, जिसमें मानव कुछ कर नहीं सकता, यह अकस्मात् हो जाती है। जिसके बारे में कोई नहीं जानता और न अभी तक इसे जानने के लिए किसी प्रकार का यंत्र है तथा वैज्ञानिकों के लिए इस प्रकार का बना पाना असंभव सा है। ऐसी कुछ घटनाएँ जैसे ज्वालामुखी बिस्फोट, बदल फटना, हिम आना, भूकंप आना है।

अनाकस्मिक आपदा – ऐसी घटनाएँ जिसके बारे में मानव कुछ अनुमान पहले से लगा ले और उससे होने वाले नुकसान से बच सके। परन्तु यह भी कुछ निम्न स्तर तक सीमित है। ऐसी कुछ घटनाएँ जैसे मौसम एवं जलवायु के विषय में पहले से ज्ञात होना, अकाल, मरुस्थलीकरण और कृषि में कुछ कीड़ों से हानि जैसे समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक कर सकते हैं। यह सब अनाकस्मिक आपदा से सम्बंधित है।

आपदा से होने वाली हानि – आपदा से होनी वाली हानि जैसे आर्थिक हानि, जन हानि होती है। आर्थिक हानि में लोगो घर, फसल तथा उनकी उपयोग की जाने वाली चीजे बर्बाद हो जाती है। लोगों को उन्हें फिर से इकट्ठा करने में उतना समय लगता है, जिससे उनके दैनिक जीवन में काफी बार उतर चढ़ाव आता है तथा दूसरी तरफ जन हानि में लोगों एवं उनके द्वारा पाले गए पालतू जानवरों के जान जाने का खतरा बना रहता है। इन आपदाओं से बचने के लिए कुशल आपदा प्रबंधन की बहुत जरूरत होती है

आपदा प्रबंधन क्या है?

पृथ्वी के किसी भी कोने में प्रायः सूनामी, चक्रवात की घटना, भूकंप आदि घटनाएँ घटित होती रहती हैं। इन्हीं से बचने के उपाय को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने 2005 में एक अधिनियम लेकर आयी जो प्राकृतिक आपदा से हुए छति से बचाव करना।

भारत सरकार ने इसके लिए कुछ स्पेशल फोर्सज का गठन भी किया

जैसे ICMR (नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट), NCC (नेशनल कैडेट कोर) एवं NDRF (नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फोर्स) है और ये फोर्स जब कभी प्राकृतिक आपदा आती है तो अपना पूरा सहयोग प्रदान करती है। आपदा प्रबंधन के निम्नलिखित चरण है लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जागरूक व शिक्षित किया जाये।

दूर संचार के माध्यम से अवगत कराया जाये, जितना ज्यादा हो सके सरकार इसके बारे में लोगों को बताएं। राज्य स्तर पर, राज्य सरकार को इसके बारे में समझकर तत्पश्चात नियम बनाना चाहिए तथा केंद्र सरकार को इसके बारे में पुष्टि करनी चाहिए। आपदा प्रबंधन को मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है या यूं कहें इसके तीन प्रकार हैं जो कि है 1) आपदा से पहले, 2) आपदा के दौरान 3) आपदा के बाद

आपदा पूर्व प्रबंधन – यह आपदा आने से पहले ही बचाव से संबंधित है इसका मुख्य उद्देश्य प्रभाव को कम करना और मानव जीवन और अन्य प्रजातियों के नुकसान को रोकना है।

आपदा पूर्व प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, आपदा का आकलन और आपदा की स्थिति में लोगों को रेडियो और मीडिया आदि के माध्यम से चेतावनी जारी करना, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, आवश्यक कार्रवाई के लिए संसाधन जुटाना शामिल है।

आपदाओं के दौरान प्रबंधन – इस चरण की उपलब्धि पूर्व आपदा प्रबंधन चरण की तैयारी के स्तर पर निर्भर है। यह त्वरित कार्रवाई और आपदा के समय पीड़ितों के समन्वय और उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुंचाने पर निर्भर करता है इस चरण में पीड़ित लोगों को भोजन, वस्त्र, आश्रय और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

आपदा के बाद प्रबंधन – इस चरण में प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण, पुनर्विकास किया जाता है। प्रभावित लोगों को उनके पैरों पर वापस लाने में मदद करने के लिए पुनर्वास, रोजगार और मुआवजा दिया जाता है।

भारत में आपदा प्रबंधन – अब आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न स्तरों पर बनाई गई एजेंसियों के बारे में जानते हैं।

1. राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी गृह मंत्रालय है।
2. राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग काम करता है।
3. जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय।
4. विकासखंड स्तर पर पंचायत समिति का कार्यालय।
5. एवं गांव स्तर पर ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति काम करती है।

भारत सरकार द्वारा आपदा के प्रबंधन के लिए अपनाई गई रणनीति या कुछ इस तरह हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 या आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह प्राधिकरण भारत में आपदा को नियंत्रित करने के लिए मुख्य एवं शीर्ष निकाय है। भारतीय प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009 आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति का निर्माण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रीय नीति सभी तरह की आपदाओं को संभालने के लिए रोडमैप तैयार करेगी। जिसका उद्देश्य समुदाय पंचायती राज संस्थानों को स्थानीय निकायों और नागरिक समाज की भागीदारी के माध्यम से आपदा का प्रबंधन करना है।

2016 में पहली बार केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्लान लेकर

आई है, जिसे 'सेंडाई फ्रेमवर्क' के साथ एकीकृत किया गया है। गौरतलब है कि भारत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाने वाला पहला देश है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य भारत को आपदा के लिए तैयार रहे और जीवन व संपत्ति के नुकसान को कम करना है। सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत इस योजना में चार प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है। आपदा जोखिम को समझना, आपदा जोखिम प्रशासन में सुधार, आपदा जोखिम में कमी प्रारंभिक चेतावनी एवं आपदा के निर्माण योजना।

भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन सिखाने के लिए कई इंस्टिट्यूट खोले जहां आपदा से निपटने के लिए योजना बनाना सिखाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भारत सरकार के द्वारा 30 मई 2005 को स्थापित किया गया था, जो सरकार के लिए प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के प्रबंधन के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार करता है और उन योजनाओं पर कार्यवाही करता है।

आपदा प्रबंधन के चार बिंदुओं पर कार्य करती है यह चार बिंदु हैं।

1. रोकथाम
2. शमन
3. प्रतिक्रिया
4. पुनर्स्थापना

यह सरकार सभी स्तरों पंचायतों और शहरी निकायों की भूमिका को बताती है। यह समुदायों को आपदा का सामना करने के लिए सूचना एवम शिक्षा का प्रावधान करती हैं।

रोकथाम के उपाय और नियंत्रण – प्राकृतिक आपदाएं अजेय हैं। हम उन्हें होने से नहीं रोक सकते भले ही हमारे पास आपदाओं की भविष्यवाणी करने की सारी तकनीक हो। आने वाली आपदाओं से बचने के लिए हम जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं वह उन प्रथाओं से बचना है जो पर्यावरणीय गिरावट की ओर ले जा सकती हैं आपदा प्रबंधन और संचार माध्यम से हम आने वाली प्राकृतिक आपदा के नुकसान से बचा जा सकता है आधुनिक संचार माध्यम जैसे टीवी इंटरनेट मोबाइल न्यूज पेपर से हम आने वाली आपदाओं के बारे में सूचना देकर लोगों को नुकसान से बचा सकते हैं आपदाओं से बड़े पैमाने पर विनाश होता है, जीवन की हानि होती है, लोगों का विस्थापन होता है। आपदाओं के दौरान प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार की सुविधा प्रदान करके तैयार रखना एक अच्छी बात के रूप में सामने आता है। हम लोगों को बचाव और राहत प्रदान करके बढ़ती स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं

संचार माध्यम – व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को सूचना या संदेश भेजने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिसे संचार माध्यम कहते हैं। संचार माध्यमों के बिना संचार संभव नहीं है। संचार माध्यम शब्द अंग्रेजी भाषा के 'कम्युनिकेशन मीडिया' शब्द के समानान्तर प्रयोग में लाया जा रहा है। संचार माध्यम के द्वारा संप्रेषक और प्राप्तकर्ता या प्रापक के मध्य सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संदेश या सूचना को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त तक पहुंचाने के लिए संवाहक या स्रोत जिस माध्यम की सहायता लेता है, वही संचार माध्यम है। इस प्रकार संचार माध्यम सूचना के आदान-प्रदान एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों के सुगम प्रवाह करने हेतु जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है, वही संचार माध्यम है।

क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि संचार माध्यमों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आइये हम इस लेख के माध्यम से संचार माध्यमों के बारे में जानते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं और हमारे लिए इनकी क्या उपयोगिता है।

संचार माध्यम के प्रकार- संचार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, संचार माध्यमों को तीन भागों में बांटा जा सकता है-

मुद्रित माध्यम:

1. पत्रिकाएँ
2. विषय सामयिकी
3. पुस्तकें

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम:

1. टेलीफोन
2. रेडियो
3. टेलीविजन
4. टेलीटेक्सट
5. विडियोटेक्सट
6. टेलीकांफ्रेंस
7. इंटरनेट

1. मुद्रित माध्यम - सर्वप्रथम मुद्रण का उद्भव चीन में हुआ और 868 ई. में पुस्तक मुद्रित होकर विश्व के सामने आयी। आगे चलकर यूरोप में गुटनबर्ग ने 1440 ई. में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। भारत में मुद्रण का प्रचलन सन् 1556 में ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए गोवा में स्थापित प्रिंटिंग प्रेस से माना जाता है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने मुद्रित संचार के क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी। समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, विभिन्न विषयों से सम्बन्धित सामयिकी, पुस्तकें आदि मुद्रित माध्यम के अन्तर्गत आते हैं। इस माध्यम की प्रमुख उद्देश्य समाज को ज्ञान, सूचना और मनोरंजन उपलब्ध कराना है।

1. समाचार पत्र - समाचार जगत अथवा प्रेस संचार का प्रमुख माध्यम है। अखबारों में समाचार प्रकाशित होते हैं। शिक्षा से लेकर, खेती बाड़ी, खेलकूद, स्वास्थ्य, सिनेमा, टेलीविजन के कार्यक्रम, बाजार भाव, भविष्यफल, विश्व के विभिन्न समाचार प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं की जानकारी होती है। समाचार पत्रों में देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरे प्रकाशित की जाती हैं।

2. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम - संचार माध्यमों के विकास में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का विकास संचार जगत में एक क्रान्तिकारी घटना के रूप में देखा जाता है। इनमें टेलीफोन, रेडियो, टीवी, टेलीग्राफ, टेलीप्रिन्टर, फैक्स, कम्प्यूटर, ई-मेल अनेक माध्यम आते हैं कुछ प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम हैं-

1. रेडियो - संचार माध्यमों में सर्वाधिक प्रभावी माध्यम रेडियो और टेलीविजन है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जिसमें समाचार, विज्ञापन, सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है। मुद्रित माध्यमों का लाभ केवल साक्षर लोग ही उठा पाते हैं परन्तु श्रव्य माध्यमों का लाभ कम पढ़े लिखे या निरक्षर उठा सकते हैं। रेडियो माध्यम जनसंचार द्रुतगामी और सर्वसुलभ माध्यम है, ध्वनि तरंगों का माध्यम होने के कारण इसके लिए समय और दूरी की कोई सीमा नहीं है।

रेडियो में प्रसारित होने वाले समाचारों को यदि ठीक से सुना न जाए तो वे छूट जाते हैं परन्तु अखबार में ऐसा नहीं है उन्हें दुबारा पढ़ा जा सकता है।

रेडियो के अलावा श्रव्य माध्यम के रूप में इन दिनों टेपरिकार्ड का भी प्रचलन तेजी से बढ़ा है। इसमें सूचनाओं को रिकार्ड करके रखा जा सकता है, जिसे अपनी मर्जी से सुना जा सकता है।

लाउडस्पीकर भी संचार का एक श्रव्य माध्यम है इसके जरिए कस्बों में सिनेमा का प्रचार करने वाले वाहनों में इनका उपयोग होता है महानगरों में लाल बतियों पर ट्रेफिक पुलिस का प्रचार प्रसारित होता रहता है।

3. टेलीविजन - टेलीविजन दृश्य- श्रव्य माध्यम है। इसके कार्यक्रम रेडियो की अपेक्षा अधिक रोचक होते हैं क्योंकि इस पर चित्र भी प्रसारित होते हैं। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितम्बर 1959 को आल इंडिया रेडियो के एक सहयोगी विभाग के रूप में यूनेस्को की एक परियोजना के अधीन हुई थी। धीरे-धीरे प्रसारण में इसके विस्तार होने लगा और वर्ष 1976 में टेलीविजन आकाशवाणी से अलग होकर दूरदर्शन बना तथा एक स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्यरत हुआ। दूरदर्शन वर्ष 1982 से टेलीविजन पर रंगीन प्रसारण शुरू किया।

आजकल दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम के रूप में विकसित हो चुका है। आज कल टेलीविजन लगभग हर में है और पुरे चौबीसों घंटे इसका प्रसारण होने के कारण समाज हर वर्ग आने वाली प्राकृतिक और मानवी अपदाओं के बारे में पहले से बात सकता है और विविध पक्षों को दिखाने, हर पल की घटनाओं को प्रसारित करने में आसानी होती है। यह एक अत्याधुनिक उपकरण होने के कारण इसके माध्यम से सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना आसान हो गया है तथा घटना स्थल से भी सीधे आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा सकता है।

4. कम्प्यूटर - कम्प्यूटर से अब कोई व्यक्ति अपरिचित नहीं है। आज यह संचार का एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है। यह ऐसा उपकरण है जिसके कारण संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। आज संसार भर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कम्प्यूटर की पहुंच नहीं है। इस पर अखबारों, रेडियो, टेलीविजन के लिए समाचार लिखे जा सकते हैं, संपादित किए जाते हैं तथा प्रकाशित प्रसारित किये जाते हैं।

5. टेली कॉन्फ्रेंस - टेली कॉन्फ्रेंस का अर्थ है- दूरसंचार साधनों द्वारा दो या दो से अधिक स्थानों पर दो या अधिक व्यक्तियों का आपस में विचार-विमर्श करना। टेली कॉन्फ्रेंस भी तीन प्रकार की होती हैं-

1. आडियो कॉन्फ्रेंस,
2. वीडियो कॉन्फ्रेंस
3. कम्प्यूटर कॉन्फ्रेंस

1. आडियो कॉन्फ्रेंसमें भाग लेने वाले व्यक्ति एक-दूसरे से बात तो कर सकते हैं, परंतु एक-दूसरे को देख नहीं सकते। इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस सामान्यतः टेलीफोन द्वारा सम्पन्न होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में लोग एक-दूसरे को देख भी सकते हैं तथा आपस में बात भी कर सकते हैं। कम्प्यूटर कॉन्फ्रेंस में अलग-अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति कम्प्यूटर को प्रयोग में लाकर सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं।

6. मोबाइल फोन - यह घर के साधारण फोन से अलग होता है। घर के फोन को एक तार के जरिए जोड़ा जाता है इसलिए इसके उठाकर कहीं नहीं ले जाया जा सकता जबकि मोबाइल फोन बिना तार के काम करता है जिसे लेकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे जेब में रखकर ले चलने की सुविधा के कारण इनके सेट काफी छोटे-छोटे तैयार किए जाने लगे हैं।

यह एक दूसरे से बातचीत करने के अलावा इसका उपयोग संदेश भेजने पाने (एस.एम.एस.) फोटो खींचने और तुरंत उसे दूसरे व्यक्ति के पास भेजने, बातचीत रिकार्ड करने और उसे दूसरे व्यक्ति के पास भेजने, फिल्में देखने, गाने सुनने, समाचार सुनने के लिए भी किया जात है।

7. इंटरनेट – इंटरनेट का अर्थ होता है कम्प्यूटरों का जाल-इंटरनेट हजारों नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। सारी दुनिया के नेटवर्क इस व्यवस्था से आपस में जोड़े जा सकते हैं या जुड़े हुए हैं। संसार के किसी भी कोने से कोई भी सूचना देनी या लेनी हो तो वह कुछ ही पलों में भेजी या प्राप्त की जा सकती है। इसके द्वारा व्यवसाय, स्टॉक मार्केट, शिक्षा, चिकित्सा, मौसम, खेलकूद आदि के अतिरिक्त अन्य किसी भी क्षेत्र में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

यहां तक कि यदि मन में कोई विचार आता है और हम उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इंटरनेट एक तरह से मुद्रित दृश्य-श्रव्य माध्यमों का मिला जुला रूप है।

आपदा प्रबन्धन में महत्वपूर्ण क्षेत्र:

1. संचार– संचार आपदा प्रबन्धन में अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। संचार साधनों के माध्यम से जागरूकता, प्रचार-प्रसार तथा आपदा प्रतिक्रिया के समय आवास सूचना व्यवस्था के माध्यम से काफी सहायक हो सकता है।

2. सुदूर संवेदन– अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपदा के प्रभाव को कारणर ढंग से करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका उपयोग–

1. शीघ्र चेतावनी रणनीति को विकसित करना,
2. विकास योजनाएँ बनाने एवं लागू करने में,
3. संचार और सुदूर चिकित्सा सेवाओं सहित संसाधन जुटाने में,
4. पुनर्वास एवं आपदा पश्चात पुनर्निर्माण में सहायता हेतु किया जा सकता है।

3. भौगोलिक सूचना प्रणाली – भौगोलिक सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर भूगोल और कम्प्यूटर द्वारा बनाए गए मानचित्रों का उपयोग, स्थान आधारित सूचना के भण्डार के समन्वय एवं आकलन के लिये रहता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग वैज्ञानिक जाँच, संसाधन प्रबन्धन तथा आपदा एवं विकास योजना में किया जा सकता है।

आपदा नियन्त्रण में व्यक्ति की भूमिका – भूकम्प, बाढ़, आंधी, तूफान में एक व्यक्ति क्या प्रबन्धन कर सकता है। इसका आपदा के सन्दर्भ में निम्नलिखित भूमिका सुझायी गई है–

भूकम्प के समय व्यक्ति की भूमिका – ऐसे समय में बाहर की ओर न भागें, अपने परिवार के सदस्यों को दरवाजे के पास टेबल के नीचे या यदि

बिस्तर पर बीमार पड़े हों तो उन्हें पलंग के नीचे पहुँचा दें, खिड़कियों व चिमनियों से दूर रहें। घर से बाहर हों तो इमारतों, ऊँची दीवारों या बिजली के लटकते हुए तारों से दूर रहें, क्षतिग्रस्त इमारतों में दोबारा प्रवेश न करें।

भूकम्प का भी पूर्वानुमान लग सकेगा – टी.वी. रेडियो, इंटरनेट से जहाँ तक सम्भव हो जुड़े रहें, अधिक वर्षा और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान के बाद अब भूकम्प की भी भविष्यवाणी की जा सकेगी लेकिन इसका पता कम्प्यूटर पर काम कर रहे व्यक्ति को सिर्फ कुछ सेकेंड पहले ही लग सकेगा। कैलीफोर्निया इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यू.एस. ज्योलॉजीकल सर्वे तथा कैलीफोर्निया के खनिज और भू-भागीय विभाग के भूकम्पशास्त्री लगातार भूकम्प की ऑन लाइन पर भविष्यवाणी कर सकने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपातकाल में ऐसे आंकड़े भेजेगा। जिससे कम्प्यूटर यूजर्स तक इमेल भेजा जा सकेगा। ट्राइनेट का लक्ष्य है कि 600 शक्तिशाली गति सेंसर और 150 बड़े इंटरनेशनल मिलकर आने वाली भूकम्पों के बारे में लोगों को सूचित करें। अगर ट्राइनेट अपने प्रस्तावित कार्य को करने में समर्थ हुआ तो कैलिफोर्निया भूकम्प क्षेत्र का निरीक्षण कर सकने वाला पहला राज्य होगा इस प्रकार भूकम्प का पूर्वानुमान लगाने की क्षमताएँ विकसित हो चुकी हैं। संक्षेप में कैलीफोर्निया के खनिज और भूगर्भीय विभाग के प्रमुख जिम डेविड कहते हैं कि सेंसर पृथ्वी धरधराने जैसे घटना के तुरन्त बाद कम्प्यूटर के जरिए सूचना देने में सक्षम होगा।

निष्कर्ष – आपदा पर किसी का नियंत्रण नहीं होता इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता। अगर हमें आपदा प्रबंधन सही तरीके से करना है, तो हमें बहुत सुसज्जित तकनीक की आवश्यकता होती है सबसे बेहतर यही है कि आने वाली अपादाओं को कम करने के लिए हमें ऐसी गतिविधियों से बचना है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। मनुष्य का अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाना ही बहुत सी आपदाओं का कारण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चौहान, ज्ञानेन्द्र सिंह एवं पाहवा, एस.के. (2013) भारत में आपदा प्रबन्धन, रिसर्च जनरल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज।
2. रामजी एवं शर्मा, शिवानाथ, प्राकृतिक आपदा-सूखा एवं बाढ़ की समस्या।
3. मामोरिया, चतुर्भुज, भौगोलिक चिन्तन, साहित्य भवन, आगरा।
4. नेगी, पी.एस. (2006-07) पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण भूगोल।
5. पाल, अजय कुमार, आपदा एवं आपदा प्रबन्धन।
6. आपदा प्रबन्धन राष्ट्रीय नीति-2005, भारत सरकार।
7. बवेजा, दर्शन, आपदा प्रबन्धन।
8. अवरथी, एन.एम., पर्यावरणीय अध्ययन।

Microplastics as Vectors for Pollutants

Dr. Rashmi Ahuja*

*Professor (Chemistry) Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalya, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - Microplastics, defined as plastic particles smaller than 5 mm, have emerged as a significant environmental concern due to their widespread distribution and persistence in the environment. Apart from their physical impact on ecosystems, recent research has highlighted their role as vectors for pollutants. This article explores the various ways in which microplastics act as vectors for pollutants, including their ability to adsorb and transport toxic chemicals, as well as their potential to bioaccumulate in organisms. The implications of these findings on environmental and human health are discussed, along with suggestions for future research and mitigation strategies.

Keywords- Microplastics, POPs, PAHs, etc.

Introduction - Microplastics, defined as plastic particles smaller than 5 mm, have emerged as a pervasive and challenging environmental issue in recent years. These minute particles are a result of the breakdown of larger plastic items or are intentionally manufactured for various purposes, such as in personal care products or industrial applications. Due to their small size, microplastics are capable of infiltrating a wide range of ecosystems, including oceans, rivers, lakes, soils, and even the atmosphere, leading to concerns about their potential impacts on environmental and human health.

One of the key concerns associated with microplastics is their role as vectors for pollutants. Microplastics have a high surface area to volume ratio, which allows them to adsorb and concentrate various pollutants from the surrounding environment. These pollutants can include persistent organic pollutants (POPs) such as polychlorinated biphenyls (PCBs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), as well as heavy metals. Once adsorbed onto microplastics, these pollutants can be transported over long distances, potentially impacting ecosystems far from their original source.

The problem of microplastics as vectors for pollutants is multifaceted. Not only do microplastics themselves pose a threat to marine life and terrestrial organisms, but the pollutants they carry can also have detrimental effects on ecosystems and human health. For example, POPs are known for their persistence in the environment and their ability to bioaccumulate in organisms, leading to long-term impacts on food chains and human populations. Similarly, heavy metals can cause a range of health problems, including neurological disorders and organ damage.

Addressing the issue of microplastics as vectors for

pollutants requires a comprehensive understanding of their sources, distribution, and impacts. By elucidating the mechanisms through which microplastics interact with pollutants and assessing their environmental and health implications, we can develop strategies to mitigate their impact and protect ecosystems and human health.

Understanding Microplastics: Microplastics, defined as plastic particles smaller than 5 mm, have become a ubiquitous environmental pollutant due to their widespread distribution and persistence in the environment. They can be categorized into two main types: primary microplastics, which are manufactured at a small size for specific purposes such as exfoliants in personal care products, and secondary microplastics, which result from the breakdown of larger plastic items due to physical, chemical, or biological processes. Primary microplastics are intentionally manufactured at a small size, while secondary microplastics are the result of weathering and degradation of larger plastic items.

Microplastics originate from a variety of sources, including the fragmentation of plastic waste, the abrasion of synthetic fibers from textiles during washing, and the release of microbeads from personal care products. These sources result in the release of microplastics into the environment, where they can be transported by wind and water currents over long distances. Microplastics have been found in various environmental compartments, including oceans, rivers, lakes, soils, and even in the air, highlighting their pervasive nature.

Once released into the environment, microplastics can undergo various processes that affect their fate and transport. These processes include fragmentation, aggregation, and biofouling, which can alter the size, shape,

and surface properties of microplastics. These changes can affect the behavior of microplastics in the environment, influencing their interactions with organisms and their potential to act as vectors for pollutants.

Sources and Distribution: Microplastics originate from a variety of sources and are distributed widely throughout the environment. One of the primary sources of microplastics is the fragmentation of larger plastic items. Plastics in the environment can be broken down by physical processes such as wave action, UV radiation, and mechanical abrasion, leading to the formation of smaller particles. Additionally, the disposal of plastic waste, such as plastic bags and bottles, contributes to the release of microplastics into the environment.

Another significant source of microplastics is the shedding of synthetic fibers from textiles. When synthetic clothing is washed, microscopic fibers are released into the wastewater, eventually finding their way into rivers, lakes, and oceans. These fibers can persist in the environment for long periods and can be ingested by aquatic organisms, leading to potential harm.

Microplastics are also released into the environment through the use of personal care products that contain microbeads. These tiny plastic particles are used in products such as exfoliating scrubs and toothpaste and can enter waterways directly through wastewater discharge.

Once released into the environment, microplastics can be distributed widely through air and water currents. They can be transported over long distances, contaminating remote areas far from their original source. Microplastics have been found in high concentrations in marine environments, especially in areas with high levels of plastic pollution.

Microplastics as Vectors for Pollutants: Microplastics have the ability to act as vectors for pollutants in the environment, posing risks to ecosystems and human health. One of the key mechanisms through which microplastics act as vectors is adsorption. Due to their high surface area to volume ratio, microplastics can adsorb various pollutants from the surrounding environment. These pollutants can include persistent organic pollutants (POPs) such as polychlorinated biphenyls (PCBs), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and heavy metals.

Once adsorbed onto microplastics, pollutants can be transported over long distances. Microplastics can be carried by wind and water currents, spreading pollutants to ecosystems far from their original source. This can lead to the contamination of remote and pristine environments, posing risks to wildlife and ecosystems.

Microplastics can also act as vectors for pollutants through bioaccumulation. When organisms ingest microplastics, either directly or indirectly through the food chain, the adsorbed pollutants can be released into their tissues. This can lead to the accumulation of pollutants in higher trophic levels, with potential implications for

ecosystem health and human consumption.

The presence of microplastics as vectors for pollutants has significant implications for environmental and human health. Pollutants adsorbed onto microplastics can accumulate in sediments, soil, and water, posing a threat to aquatic and terrestrial ecosystems. Additionally, there is growing concern about the potential for humans to be exposed to these pollutants through the consumption of contaminated seafood.

In conclusion, microplastics act as vectors for pollutants through adsorption and bioaccumulation, with implications for environmental and human health. Mitigating the impact of microplastics as vectors for pollutants requires addressing the sources of microplastics and implementing measures to reduce their release into the environment.

Impact of Microplastic-Borne Pollutants: The presence of microplastics in the environment, acting as vectors for pollutants, has significant implications for ecosystems and human health. One of the key environmental impacts of microplastic-borne pollutants is their potential to accumulate in sediments, soils, and water bodies. This can lead to long-term contamination of ecosystems, with potential effects on wildlife and aquatic organisms.

Microplastic-borne pollutants can also have direct impacts on organisms. When ingested, microplastics and associated pollutants can cause physical harm, such as blockages in digestive tracts or internal injuries. Additionally, the pollutants adsorbed onto microplastics can be released into the tissues of organisms, leading to toxic effects.

The impact of microplastic-borne pollutants is not limited to the environment; it also extends to human health. There is growing concern about the potential for humans to be exposed to microplastic-borne pollutants through the consumption of contaminated seafood. Studies have shown that microplastics and associated pollutants can accumulate in the tissues of fish and other seafood, posing risks to human health.

The health impacts of microplastic-borne pollutants on humans are not yet fully understood. However, there is evidence to suggest that exposure to these pollutants could have negative effects, including inflammation, oxidative stress, and genotoxicity. Furthermore, the presence of microplastics in food and water sources raises concerns about their potential to act as carriers for pathogens, further increasing health risks.

Health & Environmental Impact: The presence of microplastics in the environment, acting as vectors for pollutants, poses significant health and environmental risks. One of the key environmental impacts of microplastic-borne pollutants is their ability to accumulate in ecosystems, leading to long-term contamination. This can have detrimental effects on wildlife and aquatic organisms, disrupting ecosystems and potentially causing population declines.

In terms of human health, there are concerns about

the potential for exposure to microplastic-borne pollutants through the consumption of contaminated food and water. Studies have shown that microplastics and associated pollutants can accumulate in the tissues of fish and other seafood, which are then consumed by humans. This raises concerns about the potential for these pollutants to enter the human body and cause harm.

The health impacts of microplastic-borne pollutants on humans are not yet fully understood. However, there is evidence to suggest that exposure to these pollutants could have negative effects. For example, some studies have suggested that microplastics and associated pollutants could lead to inflammation, oxidative stress, and genotoxicity in humans.

Furthermore, the presence of microplastics in the environment can have indirect health impacts through the ingestion of contaminated seafood. Ingestion of microplastics and associated pollutants can lead to physical harm, such as blockages in the digestive tract, as well as the release of toxic substances into the body.

Conclusion and Suggestions: Microplastics, as vectors for pollutants, pose significant risks to ecosystems and human health. They have the ability to adsorb and transport various pollutants, including persistent organic pollutants (POPs) and heavy metals, leading to contamination of the environment and potential harm to organisms. The impact of microplastic-borne pollutants is multifaceted, with implications for environmental health, ecosystem integrity, and human well-being.

The environmental impact of microplastic-borne pollutants is significant, particularly in aquatic ecosystems. These pollutants can accumulate in sediments and water bodies, posing risks to aquatic organisms. Microplastics can also alter habitats and disrupt ecosystems, leading to changes in biodiversity and ecosystem function. Additionally, the presence of microplastics in the environment can have broader ecological implications, including effects on food webs and nutrient cycling.

The health impact of microplastic-borne pollutants on humans is a growing concern. There is evidence to suggest that these pollutants can enter the human body through the consumption of contaminated food and water. Once ingested, microplastics and associated pollutants can accumulate in tissues and organs, potentially causing inflammation, oxidative stress, and genotoxicity. Furthermore, the presence of microplastics in food sources raises concerns about their potential to act as carriers for pathogens, further increasing health risks.

Mitigation Strategies: Addressing the issue of microplastics as vectors for pollutants requires a multi-

faceted approach. One key strategy is to reduce the release of microplastics into the environment. This can be achieved through measures such as banning the use of microbeads in personal care products, reducing the use of single-use plastics, and implementing proper waste management practices.

Another important strategy is to remove existing microplastics from the environment. This can be done through the development of technologies to filter microplastics from water bodies and the implementation of cleanup efforts in areas heavily impacted by plastic pollution. Additionally, there is a need for more research to better understand the extent of the issue and to develop effective mitigation strategies. This could include research on the sources and distribution of microplastics, their interactions with pollutants, and their impacts on ecosystems and human health.

In conclusion, microplastics act as vectors for pollutants, posing significant risks to ecosystems and human health. Addressing this issue requires a concerted effort from governments, industries, and individuals to reduce the release of microplastics into the environment, remove existing microplastics, and conduct further research to better understand the extent of the issue and develop effective mitigation strategies. By taking action now, we can help protect the environment and safeguard the health of ecosystems and human populations for future generations.

References:-

1. Pelamatti, T., Cardelli, L. R., & Rios-Mendoza, L. M. (2022). The Role of Microplastics in Bioaccumulation of Pollutants. In *Handbook of Microplastics in the Environment*. Springer
2. Gonte, R., & Balasubramanian, R. (2021). Effect of microplastics in water and aquatic systems. *Environmental Science and Pollution Research*
3. Liu, X., Wang, J., & Xie, Y. (2021). The Dual Role of Microplastics in Marine Environment: Sink and Vectors for Organic Pollutants. *Journal of Marine Science and Engineering*
4. Arienzo, Michele, Luciano Ferrara, and Marco Trifuoggi. 2021. "The Dual Role of Microplastics in Marine Environment: Sink and Vectors of Pollutants" *Journal of Marine Science and Engineering* 9, no. 6: 642
5. Amelia, T. S. M., Khalik, W. M. A. W. M., Ong, M. C., Shao, Y. T., Pan, H. J., & Bhubalan, K. (2020). Marine microplastics as vectors of major ocean pollutants and its hazards to the marine ecosystem and humans. *Progress in Earth and Planetary Science*

स्त्री विमर्श की चुनौतियां और मैत्रेयी पुष्पा की रचनाएं

डॉ. मुकेश कुमार* डॉ. नविता चौधरी**

* सहायक आचार्य, विजय सिंह पथिक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कैराना, शामली (उ.प्र.) भारत

** देशबंधु महाविद्यालय, कालकाजी (नई दिल्ली) भारत

प्रस्तावना – देश के अनेक भूभागों से नारी उत्पीड़न की खबरें आम बात हो गयी हैं। कभी तीन तलाक के नाम पर, कभी दहेज यह उत्पीड़न के नाम पर तो कभी ऑनर किलिंग के नाम पर, अत्याचार जारी रहता है। यह अत्यंत हास्यास्पद लगता है जब कल तक स्त्री को जलानेवाले 'महिला दिवस' के अवसर पर अपनी शेखियां बघारते हैं और अपने दोयम अल्पफाज से स्त्री-हित के हिमायती बनने का नाटक करते हैं। उनके ये घड़ियाली असू बहाने वाले अंदाज की पोल तो आज की ताजातरीन शर्मनाक घटनाएं अपने आप ही खोल देती हैं। देश की राजधानी के लिए ऐसी शर्मसार करनेवाली घटनाएं उस बदनमा दाग की तरह हैं, जो मिटाये नहीं मीट सकतीं। आठ महीने की एक बच्ची के साथ 27 साल के एक पापी द्वारा अमानवीय व्यवहार जैसी घटनाओं ने ही दिल्ली को 'रेप कैपिटल' बना दिया है। अब प्रश्न यह है कि ऐसी घटनाओं को सुनते, देखते हुए अपनी आंख बंद करनी है या चुप्पी को तोड़ते हुए विरोध का आगाज करना है? यह यक्ष प्रश्न सूरसा मुख की भांति भारत के हर जनमानस के आगे मुंहबाए खड़ा है? दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने तो इसके खिलाफ खुली लड़ाई छेड़ दी है। पर्चे बंटवाकर, एनजीओ के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर मानव श्रृंखला बनाकर, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा 'रेप रोको', 'बच्चों के बलात्कारियों को छह महीने के अंदर फांसी दो', जैसे मुद्दों को लेकर आम जनता को जागृत किया जा रहा है। पर यह लड़ाई चंद स्थान विशेष की न होकर समस्त देशवासियों की है, बल्कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की नैतिक जिम्मेदारी भी। ऐसे में साहित्यकारों की भूमिका अति महत्वपूर्ण साबित होगी। जन जन तक पहुंचने में सबसे कारगर और लाभकारी भी। इनके बढ़ते हौसले के पीछे लाचार और धीमी कानूनी प्रक्रिया है। अकेले दिल्ली की बात की जाये तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली में सन 2012 से सन 2014 के बीच महिलाओं के खिलाफ 31,446 अपराध दर्ज हुए जिनमें से 150 से कम अपराधियों को सजाएं हुईं। इसके तह में जाएं तो जिम्मेवार सिर्फ कानून-व्यवस्था नहीं बल्कि जागरूकता का अभाव है। अत्यंत दुःखद है किन्तु सर्वाधिक चिंतनीय भी। अगर अपने साहित्यिक जिम्मेवारी निभाते हुए रचनाकार जागृत हो जाएं तो बहुत सारी स्थितियों का समाधान करने में पाठक जनता निराकरण हेतु खद आगे आ जायें। गौरतलब है कि मैत्रेयी जैसी कई प्रबुद्धों ने स्त्री विमर्श के मुहदों को बड़े शिद्द से अपनी रचनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया है। मैत्रेयी ने 'गुनाह-बेगुनाह' में पुलिसिया जुल्म का पर्दाफाश किया है, तो उसी उपन्यास के पात्र इला, समीना के माध्यम से कारगर स्त्री हित के मायनों को भी सुझाव स्वरूप दर्शाया है। मैत्रेयी ने अपने उपन्यास आत्मकथा के माध्यम से दोहरे मानसिकता वाले वह भी पुरुष प्रधान समाज के धिनौने सच का

कच्चा चिट्ठा खोला है। उनकी रचनाओं में से इससे संबद्ध कुछ घटनाओं पर नजर डालना ज्यादा समीचीन होगा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि आज से वर्षों पूर्व मैत्रेयी इन मामलों के प्रति संजीदा थीं। यह बात दीगर है कि विरोधियों ने इन्हीं महत्वपूर्ण कड़वी सच्चाई को लेकर मैत्रेयी को कटु आलोचना का निशाना बनाया। इससे बड़ी कड़वी सच्चाई और क्या हो सकती है कि एक थाने में शिकायत करने पहुंची महिला के साथ पुलिस वाली भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि वह विपरीत लिंगी है, एक महिला जीवन के अन्य क्षेत्रों की भांति महिला साहित्यकारों ने उपन्यास रचना के क्षेत्र में भी खूब धूममचाया है। लोकतंत्र की स्थापना और सर्वांगीण सामाजिक विकास के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलनेवाली महिला रचनाकारों ने साहित्य जगत में हस्तक्षेप किया है। दोयम दर्जे की जबर्दस्त नागरिकता, लिंग-आधारित समाज के रवैये ने उन्हें समाज के कृत्यों से रूबरू कराने की ठान ली है। स्त्री जनित शारीरिक रचना के आधार पर उनके वैचारिक संघर्षों की लड़ाई के रूप में देखकर वजूदअवहेलना नहीं की जा सकती है। उनके सामाजिक चिंतन की आधार भूमि परिवार, समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण का संकेत है। जहां समानता, स्वतंत्रता तथा कायदे लिंग आधारित न होकर योग्यता आधारित हों।

कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी तो सबको पता है। पर 'जैमंती' और 'मनसुखा महाराज' की प्रेमकथा लिखने की हिम्मत मैत्रेयी ही जुटा पाती हैं और इसके माध्यम से खोखली विचारधाराओं के वजाघात से किसी के आत्मसम्मान को कुचलने वाले सामाजिक ठेकेदारों को चुनौती देती हैं। दाई का घर सवर्ण गली में? जरूर कोई लोचा है। उस लोचे में खली मानसिकता वाली संतो को धंधेवाली करार देना सामाजिक राजनैतिक विद्वपता का परिचायक है। जातिवाद के नंगा नाच की शिकार होती स्त्री के अस्मिता का प्रश्न है।

औरत 'स्त्री', 'नारी', 'जननी' के रूप में चित्रित होने से पहले अपने पिया की प्यारी होकर रहना चाहती है जिसके लिए अपने बाबुल का देश छोड़ आई, अगर उसी के साहचर्य सुख में बाधा उत्पन्न होतो इसे विडंबना से कुछ कम नहीं अंकना चाहिए। अपने पिया के लिए समर्पण का भाव लिए मन हर्षित रहता है कि उसके अपनेपन का साथी, जिस पर न्योछावर होने का इकलौता अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसी का है। 'मैं विवाह के समय भी अपनी किताबें ही मायके की निशानी तौर पर साथ लाई थीं। जो अब भी मेरे पास थीं। न जाने किस झोंक में पति को आम्रपाली की कथा सुना डाली और उनको मेरे वेश्या के प्रति लगाव का पता चल गया। तभी स्पष्ट किया- ऐसी औरतों की मूर्ति नहीं मिल सकती तुम्हें। बनाता ही नहीं कोई।'

व्यक्तिगत आजादी को लेकर भी समाज निर्मित विविध प्रकार का

व्यवधान झेलना पड़ता है तथा आचरण पर भी प्रश्न-चिन्ह खड़ा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? फिर मैत्रेयी अगर समाज को एकसत्री के नितांत निजी पर अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत करती हैं, तो इस मेहरज ही क्या है! बल्कि भावी समाज को जागरूक होकर विरोधियों के पर कतरने की कोशिशों के लिए नयी राह का सबक भी मिलता है।

अपने धून की पकड़ी होने के कारण मैत्रेयी जी ने अपनी परेशानी, कठिनाइयों की रती-भर भी परवाह नहीं की। उपन्यास 'अल्मा कबूतरी' की कि शुरुआत मंसाराममं जो कि शकज्जाख समाज के द्योतक हैं एवं 'कदमबाई' कबूतरी जाति के साथ होती है 'कुलशील संस्कारी मंसाराम की जिंदगी कबूतरी के हवाले हो गयी के वेधर-परिवार, पूरा मोहल्ला, गांव और नाते-रिश्तेदारियों में धिक्कार के पात्र हो गए।'

यहां मंसाराम शोषक वर्ग से संबंधित है, जबकि 'कदमबाई' शोषित वर्ग की। कज्जा होने के बावजूद मंसाराम को अपने किए का पछतावा है। कदमबाई से आगाध प्रेम है। समाज ने इसके एवज में उनका बहिष्कार कर दिया है। उनका यह लगाव समाज में हो रहे समयानुकूल परिवर्तन का द्योतक है। मैत्रेयी की अधिकांश रचनायें नायिका प्रधान हो जाती हैं। पुरुष पात्र रचना में आते जरूर हैं, किन्तु लेखन के केंद्र में अंततः नायिका मुख्य भूमिका में आ जाती है।

रिस्कन ने शेक्सपीयर के बारे में एक बार कहा था- शेक्सपीयर की रचनाओं में नायक नहीं बल्कि नायिकाएं होती हैं। सिर्फ कॅमेडी में उनकी नायिकाएं खूबसूरत, जानदार तथा आकर्षक होती हैं। उदाहरण के तौर पर 'रोजालिन्ड', 'बियाट्रिस', 'पोर्सिया' तथा 'वायोल' आदि गजब की कामयाब पात्र हैं। लेकिन इसके विपरीत ट्रेजेडी में उसकी उपस्थिति असहाय, बेसहारा तथा चिंतनीय है। उदाहरण के तौर पर 'कैल्फुर्निया विलयांपैट्रा डेस्डोमोना', ओफेलिया तथा तथा काडेलिया आदि की स्थिति दयनीय और चिंताजनक है।

मैत्रेयी की नारी पात्रों को भी कमोबेश कालांतर में स्थिति यही होती है। पर अंतोगत्वा रचना में उनकी उपस्थिति गैरतलब होती है। मैत्रेयी के एक उपन्यास 'चाक' के अंश का उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। 'इस गांव के इतिहास में दर्ज दस्ताने बोलते हैं। रस्सी के फंदे पर झूलती रुक्मणी, कुएं में कूदने वाली रामदेई, करबन नदी की समाधिस्थ नारायणी ये सब बेबस औरतें सीता मईया की तरह भूमि प्रवेश कर अपने शील सतीत्व की खातिर और कहता था बुलाओ उस हरामजा... मंदाकिनी को। मजदूर भड़काए, दंगा करवाया। अब कत्ल करा दिया।'

लोग पुलिस की धमकी दे रहे हैं। मंदा को ? दरोगा आ रहा है उसके नेतापन की हेकड़ी निकालने। लोकतंत्र की आवाज बहुआयामी है। इरने वाले के साथ-साथ अच्छी राय देने वालों के भी कमी नहीं। प्रधान काका उसे थाने न जाने की सलाह देते हैं।

मंदा जानती है कि सुगना की आहुति कभी बेकार न जाएगी। भइस आहुति से वह ऊर्जा ग्रहण कर नई राजनीति की संभावनाओं को तलाश करती है।

मैत्रेयी की लेखनी की खासियत यह है कि वह अपनी रचनाओं में ऐसे सर्वव्यापी लोकाचार एवं लोकगीतों का संयोजन करती है कि वह सबको सभी क्षेत्र वासियों को बिल्कुल अपना लगने लगे। गांव में शादी ब्याह के विविध रीति रिवाज, स्त्री पुरुष के स्वाभाविक गुणों का समर्थन करती विविध विधियां, रचना को आकर्षक तथा प्रभावशाली बनती हैं। कथानक अपने आसपास के वातावरण का दर्शन करता है तथा कथ्य को मूल उद्देश्य से

भटकाए बगैर निरंतरता एवं उपादेयता को रंच मात्र भी बिगड़ता नहीं देता। असंभव सी दिखने वाला संभावना भी अंततोगत्वा अपने पूर्णता को प्राप्त कर ही लेती है।

'लला तो रात ही कितने चक्कर दै गए। पर बिना देवता पूजा मिलत, का दुल्हन ? पहले इतर-पीतर, दई- देवता खुश करो तबहों तो....

और फिर अबे कगना बंधी है हाथ में। रिश्ते की भाभी कह रही थी।'

औरतें जुड़ आयीं। नाइन ने सूप धर लिया हाथ पर। उर्वशी की असल आंखें झुकी जा रही थीं कि पीछे से उठाए जाने वाले गीतों के बोलों ने उसे अपने अंकवार में भर लिया... छाती से चिपका लिया-

'कैसे कै दरसन पाउरी /

माई तेरी संकरी दुअरिया /

माई के दुआरें एक कन्या पुकारै /

दैदेउ सजन-वर जाऊ री माई तेरी...

यही गीत तो हमारे गांव में भी...।'

लोकतंत्र और लोक व्यवहार की परंपराओं का योग भावी संस्कृति का भविष्य निधारित करती है। साधारण रूप में मौजद परंपराएं लोकगीतों के माध्यम से मैत्रेयी की रचनाओं में स्वतः ही फूट पड़ती 'मैत्रेयी की अनेक रचनायें स्त्री- विमर्श के लिए खुली चुनौती, नयी सोच, वैचारिक दिशा- निर्देश के साथ विकास की संपूर्ण संभावनाएं प्रदान करती हैं। 'चर्चा हमारा', 'खुली खिड़कियां', 'तब्दील निगाहें' जैसी कृतियों में मैत्रेयी ने मौलिक समस्याओं के लिए उत्तरदाई परिस्थितियों को उलट-पलट कर पाठकों के सामने रख दिया है। खासकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारी की रूढ़िवादी किलाबंदी कर पितृसत्तात्मक समाज ने भरसक बेड़ियां डालने की पुरजोर कोशिश की है। आजकल की ताजातरीन घटनाएं इस बात का बेहतर तसदीक करती हैं। कहने को देश इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर चुका है, आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई गयी, संयुक्त राष्ट्रसंघ में स्त्रियों को उच्च स्थान मिला, पर इन सब से इनकी वास्तविक स्थिति में क्या बदलाव आया, यह गौरतलब है। मैत्रेयी ने विमर्श के ऐसे दुखते रंग की पहचान कर अपनी रचना का सत्ताधारियों को जमकर कोसा है। भारतीय नारी का संदर्भ ऐसे गंभीर चिंतन को निश्चित तौर पर तरजीह देगा। इस बदलाव में नारी के बदलते नजरिए को समझने की जरूरत है। खासकर ग्रामीण नारी के बढ़ते कदम इस बात के संकेत हैं कि अब वे अपनी मुश्किलें स्वयं हल करने में सक्षम हैं। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी कौन सी मुहिम चलायी जाए की सबको समानता, समग्रता के साथ आगे बढ़ते हुए समाज की मुख्यधारा में अग्रणी होने का भरपूर अवसर प्राप्त हो। ऐसे गंभीर चिंतन से समाज को खासकर युवा पीढ़ी को रूबरू होने की सख्त आवश्यकता है। चिंता का विषय यह है कि कुछ तो परिवेश ने स्थिति बिगाड़ी है तो कुछ धर्मगुरु धार्मिक मान्यताएं भी ऐसी विचारधारा को पालती-पोसती हैं। स्त्रियों को दोगुना दर्ज का समझने, उन्हें कम आंकने का मानो सारा ठेका इन ढोंगी धर्मगुरुओं के पास ही है? उन्हें यह कहते हुए लज्जा भी नहीं आती कि औरतों का तो काम ही है अच्छे नस्ल के बच्चे पैदा करना! कितने शर्म की बात है कि वे ऐसी घटिया सोच रखते हैं। और उसे धर्म से जोड़कर अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं। औरत के हक को लेकर समाज का प्रबुद्ध वर्ग हमेशा से चिंतनशील रहा है। इसका अंदाजा समाज में आए दिन हो रही चर्चा-परिचर्चा से बखूबी लगाया जा सकता है। इस प्रक्रम में मीडिया भी अपनी प्रमुख भूमिका बखूबी निभाती है।

औरत के हक को लेकर एबीपी न्यूज ने 'धर्मसंकट' नाम से परिचर्चा का

आयोजन जुलाई 2016 किया था, जिसमें विमर्श के दो महत्वपूर्ण विचार बिंदु थे- 'मर्द की सोच से चलेगी औरत?', 'फतवे तय करेंगे औरत की जिंदगी?'

गौरतलब यह है कि सबकुछ जानते हुए लोग अपनी आंखें मूंद लेते हैं। फिर हाशिए पर खड़ी स्त्री के लिए ऐसी परिस्थितियों से मुकाबला करना एक बड़ी चुनौती है। चुनौती से हार न मानकर इस फलसफे को आजमाने की पुरजोर कोशिश सराहनीय है। आधुनिक काल के प्रारंभ में युद्ध, भूकंप, महामारी से जूझते समाज ने करवट लेकर आधुनिक तकनीक के प्रयोग यथा आधुनिकतम प्रिंटिंग प्रेस के बढ़ते उपयोग से अलग हटकर अन्य पहलुओं पर भी विचार करना शुरू कर दिया। अभी तक इन सबसे इतर समाज में मानवीय मूल्यों, आपसी संबंधों के मानसिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाने लगा। इसके परोक्ष में खड़ी स्त्री अब मुख्य पक्ष के रूप में उभरकर सामने आने लगी। प्रभावशाली समाज ने इसे इतनी आसानी से नहीं देखा। उनकी जायज आवाज को भी दबाने की फलसफे को आजमाने की प्रजोर कोशिश सराहनीय है। आधुनिक काल के प्रारंभ में युद्ध, भूकंप, महामारी से जूझते समाज ने करवट लेकर आधुनिक तकनीक के प्रयोग यथा आधुनिकतम प्रिंटिंग प्रेस के बढ़ते उपयोग से अलग हटकर अन्य पहलुओं पर भी विचार करना शुरू कर दिया। अभी तक इन सबसे इतर समाज में मानवीय मूल्यों, आपसी संबंधों के मानसिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाने लगा। इसके परोक्ष में खड़ी स्त्री अब मुख्य पक्ष के रूप में उभरकर सामने आने लगी। प्रभावशाली समाज ने इसे इतनी आसानी से नहीं देखा। उनकी जायज आवाज को भी दबाने की कोशिश हुई। अब तक स्त्री विमर्श ने अपने नए स्वरूप को विस्तारित करना शुरू कर दिया था। इन बदलते हालातों का जायजा श्वर्जीनिया वुल्फ ने कुछ इन शब्दों में लिखा है-

'सन् 1910 के आसपास समाज ने न सिर्फ मानवीय मूल्यों में बदलाव देखा बल्कि बदलते हालातों ने मानवीय संबंधों यथा मालिक-नौकर, पति-पत्नी, अभिभावक-बच्चे के बीच के खाई को बढ़ा दिया है।'

वर्जीनिया की भांति मैत्रेयी ने भी इस बदलावों का सिर्फ अनुभव ही नहीं किया बल्कि अपनी रचनाओं में उकेरा भी है। ऐसा शायद इसलिए की नारी स्वभाव से ही संवेदनशील होती है।

लोग औरत से नाता तो जोड़ना चाहते हैं, पर उनकी भलाई के लिये नहीं बल्कि उनके दैहिक शोषण, अपने मनोरंजन अथवा निजी स्वार्थ के लिये। विडंबना यह है कि ऐसी मानसिकता को आज की नारी समझने लगी है और उनका विरोध भी करने लगी है। मैत्रेयी मानती हैं कि गांव हो या शहर, सारे मर्द एक ही जैसे हैं। स्त्रियों को लेकर उनकी सोच और रवैया एक ही जैसा है। उन्होंने उन्हें अपने सांचे में उतारने की जुगत ढूंढ ली है। कभी भावनाओं के जाल में फंसाकर तो कभी पैसे का लोभ लालच देकर, हर तरीके से उनका उपयोग करना सीख गए हैं। विज्ञापन में, सिनेमा में, थिएटर में, नाटक, संगीत हर जगह उनकी मदद ले लेते हैं। फिर उन्हें अपने समानांतर जगह देने में क्या दिक्कत है? बस वे इनसे अपनापन का तार नहीं जोड़ पाता सारे मर्द एक हैं, एकता के सूत्र में बंधे हैं, इन मसलों को लेकर।

'अपनापन नहीं जोड़ा तो एकता कैसे जुड़े? मन ही मन कुछ भी सोचते रहे, अपनी देह पर ही हमारा हक नहीं। हाय, हमें क्यों थोड़ा-थोड़ा भ्रम हो चला था कि अब पर्दा खुलेगा। घूंघट उधेगा। अब स्त्री का चेहरा बाहर आयेगा। कुछ भी तो नहीं हुआ। चेहरा परदे से ढका रहा, देह उघाड़ दी गई! और देखो कि फिल्म की खिड़की पर अपार भीड़ थी। मर्द तो धक्का-मुक्की कर रहे थे कि किसी तरह टिकट हासिल हो जाए। उन्हें पता था कि परदे पर एक सुंदरता की

मालकिन नंगी होने वाली है।'

स्त्री को किस रूप में पेश किया जाता है, यह अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। स्त्रियों के प्रति हो रहे रवैये को लेकर भी राजनीति होती रहती है। फिर ऐसे में एक बुद्धिजीवी साहित्यकार भला मूक दर्शक बना चुप कैसे रह सकता है? ऐसे में मैत्रेयी अपने उपन्यासों के माध्यम से राजनीतिक विद्रूपता को निडरता और पूरी निष्ठा से सबके सामने लाती हैं। स्त्री पात्रों के संघर्ष से विरोधी बना समाज उनकी उपस्थिति को सलाम करता है। बल्कि यूं कहें कि ऐसा करना उनकी मजबूरी और आवश्यकता दोनों बन जाती है। ऐसी राजनीतिक विद्रूपता और प्रतिमानों का परिवर्तन जहां एक ओर उच्च कोटि का साहित्यिक पैमाना बनता है, तो दूसरी ओर स्त्री विमर्श के पैमानों पर यथार्थानुमुख आदर्श का कारक होता है। नई दृष्टि और नए नजरिए से हो रहे परिवर्तन के सही मापदंड का लेखा-जोखा मैत्रेयी के उपन्यासों का आधार है। महान रचनाकारों की रचनाओं में स्त्री-विमर्श की खोज और उनपर अपने हृद्यस्पर्शी अनुभवों का तीखा प्रहार 'खुली खिड़कियां' में मैत्रेयी ने किया है। ऐसे अनुभव जो मानो सबके जीवन में बल्कि यूं कहें जन साधारण के जीवन की सच्ची दास्तां प्रतीत होती हैं। निश्चय तौर पर यथार्थ के बहुत करीब होती हैं सारी घटनाएं।

मैत्रेयी के पात्र यथा मंदा, सारंग, नैनी, इला, समीना, अल्मा, उर्वशी, शीलो सबके विद्रोही तेवर ने तो समाज को एक नयी राह दिखाई, सोचने का नया नजरिया दिया। क्या आज के समाज की प्रतिनिधि स्त्री-समाज और उनके प्रबल दावेदार विमर्श की चुनौतियों को स्वीकारते हुए विद्रोही तेवर से अपनी चुप्पी तोड़ेंगी क्या? फिर समाज का बुद्धिजीवी वर्ग इसे किस रूप में लेगा? ऐसे प्रश्नों के साकारात्मक जवाब अभी बाकी हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मैत्रेयी पुष्पा, गुड़िया भीतर गुड़िया, पहला संस्करण-2012, पृ.सं. - 43, राजकमल प्रकाशन, 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली - 02, भारत।
2. अल्मा कबूतरी : मैत्रेयी पुष्पा, पहला संस्करण -2004, तीसरी आवृत्ति -2011, पृ.सं. -9, राजकमल प्रकाशन -बोनेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली - 10002, भारत।
3. मैत्रेयी पुष्पा: चाक्य तीसरी आवृत्ति: राजकमल प्र. 1-बी-नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-02, भारत, 2010
4. मैत्रेयी पुष्पा, इदब्रमम, किताबघर प्रकाशन, 4855-56/24, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली -02, प्र.सं - 1994, सातवां सं. -2010, पृ.सं.-365, भारत।
5. मैत्रेयी पुष्पा: बेतवा बहती रही संस्करण -2010: किताबघर प्र. - 4855-56/24, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-02, भारत, 2010 पृ.सं. -48।
6. एवीपी न्यूज प्रायोजित परिचर्चा 'धर्म संकट' 16 जुलाई 2016, श्रोत , एवीपी न्यूज सायंकाल, नई दिल्ली, भारत।
7. aoifrn gen- Accoring to Virginia Woolf," around 1910, not only had Humn an character changed, but all 'Human relations-between master and servants, husbands and wives,parents and childrens' had also shifted".
8. मैत्रेयी पुष्पा: खुली खिड़कियां, सिनेमावाली औरत, पृ.सं. -255, ती.सं -2009, सामयिक प्रकाशन, 3320/21, जटवाड़ा, दरियागंज, नई दिल्ली-02, भारत।

साइबर अपराध और सोशल मीडिया की भूमिका

डॉ. संगीता कुंभारे*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइस, नेटवर्किंग शामिल है कंप्यूटर का उपयोग अपराध करने के लिए किया जा सकता है और अक्सर लक्ष्य होते हैं साइबर अपराध किसी भी व्यक्ति या देश की सुरक्षा और वित्तीय स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

डिजिटल वर्ल्ड में सुविधाओं के साथ-साथ साइबर क्राइम और जालसाजी के केस भी बढ़ रहे हैं एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में पिछले साल के मुकाबले साइबर क्राइम में 5 फीसदी की वृद्धि देखने को मिली है। साल 2021 में साइबर क्राइम 52,974 अपराध दर्ज किए गए हैं 2020 में अपराध के 50,035 मामले दर्ज किए गए थे। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार – साइबर क्राइम के अधिकतर मामले उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, असम और महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं जबकि दिल्ली में साइबर अपराध के केवल 1.7 फीसदी देखे गए हैं।

जिनमें 2020 के मुकाबले 2021 में साइबर क्राइम के 5% मामले बढ़े हैं साइबर क्राइम की घटनाओं की औसत दर 3.5 फीसदी (एक लाख आबादी) पर देखी गई है जबकि केवल एक तिहाई मामले ही दर्ज किए गए हैं। धोखाधड़ी के ज्यादा मामले आंकड़ों के अनुसार साइबर क्राइम में ज्यादातर मामले धोखाधड़ी के करीब 32,230 मामले मिले हैं यानी कि साइबर अपराध के कुल मामलों में 60.8 फीसदी मामले धोखाधड़ी के सामने आ रहे हैं।

समाज में कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग के साथ साइबर अपराध एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। प्रौद्योगिकी को प्रकृति ने मनुष्य को अपनी सभी जरूरतों के लिए इंटरनेट पर निर्भर बना दिया है। साइबर अपराध समाज में होने वाले किसी भी अन्य अपराध से अलग हैं। इस कारण यह है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है और साइबर अपराधी अज्ञात हैं यह सरकार व्यवसाय से लेकर नागरिकों तक सभी हितधारकों को समान रूप से प्रभावित कर रहा है भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी खूब बढ़ती उपयोग के साथ साइबर अपराध बढ़ रहा है।

इसलिए प्रस्तुत विषय अंतर्गत साइबर अपराध के संक्षिप्त परिचय विभिन्न प्रकारों संशोधनों का अध्ययन करने और भारत में हो रहे साइबर अपराध का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है इसके अलावा भारत में साइबर अपराध पर काबू पाने के लिए कुछ कदमों पर चर्चा की गई है हम जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं ठीक उतनी ही तेजी से साइबर अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है जिस गति से तकनीक ने उन्नति की है, डिजिटल दुनिया की ओर ठीक साइबर अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है तकनीक ने लास्ट लाइन उसी गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है एक ही जगह पर बैठकर इंटरनेट के जरिए मनुष्य की पहुंच विश्व के किसी भी व्यक्ति तक आसान हो गई है।

देश के हर कोने तक आसान हुई है आज के समय में हर वह चीज इसके विषय में इंसान सोच सकता है समझ सकता है उसे तक उसकी पहुंच इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट ऑनलाइन स्टडी ऑनलाइन जॉब इत्यादि आज के समय में इंटरनेट का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है इंटरनेट के विकास और इसके संबंध लाभों के साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है।

इंटरनेट के विकास और इसके संबंध लाभों के साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है।

शब्द कुंजी – सोशल नेटवर्किंग साइट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अपराध।

प्रस्तावना

साइबर अपराध क्या है?

साइबर अपराध विभिन्न रूपों में किए जाते हैं कुछ साल पहले इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता का अभाव था साइबर अपराधों के मामले में भारत भी उन देशों से पीछे नहीं है जहां साइबर अपराधों की घटनाओं की दर भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध के मामलों में एक साइबर अपराधी उपयोग उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय व्यावसायिक जानकारी सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस को बंद करने के लिए कर सकता है। किसी उपकरण का उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत जानकारी, उपरोक्त सूचनाओं को ऑनलाइन खरीदना या बेचना भी एक साइबर अपराध है इसमें कोई संशय नहीं है कि यह एक आपराधिक

गतिविधि है। कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग के द्वारा यह अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध के रूप में भी माना जाता है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्किंग साइट या नेटवर्क का उपयोग उपकरण के रूप में किया जाता है जहां इनके जरिए अपराधों को अंजाम दिया जाता है वही इन्हें लक्ष्य बनाते हुए इनके विरुद्ध अपराध भी किया जाता है। ऐसे अपराध में साइबर जबरन वसूली, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड की धोखाधड़ी, कंप्यूटर से डाटा हैक करना, अवैध डाउनलोडिंग, वायरस प्रसार सहित गतिविधियां शामिल हैं।

सॉफ्टवेयर चोरी भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है यह जरूरी नहीं कि साइबर अपराध ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किया जाए।

1. कंप्यूटर को हैक कर जानकारी प्राप्त करना।
2. कंप्यूटर को एक हथियार के रूप में प्रयोग करना साइबर आतंक, धोखाधड़ी, पोर्नोग्राफी आदि।

साइबर अपराध की श्रेणियां – साइबर अपराध के अंतर्गत प्रमुख श्रेणियां आती हैं जिनमें व्यक्ति विशेष संपत्ति और सरकार के विरुद्ध अपराध शामिल हैं।

व्यक्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध – ऐसे अपराध यद्यपि ऑनलाइन होते हैं परंतु वे वास्तविक लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं इनमें से कुछ अपराधों में साइबर उत्पीड़न और साइबर स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की विवरण की जानकारी और विभिन्न प्रकार के कार्ड जिनके द्वारा लेनदेन किया जाता है पहचान की चोरी और मानव तस्करी पहचान ऑनलाइन बदनाम किया जाना शामिल है साइबर अपराध की इस श्रेणी में किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ दुर्भावना पूर्ण या अवैध जानकारी को ऑनलाइन लॉक कर दिया जाता है।

संपत्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध – कुछ ऑनलाइन अपराध संपत्ति के विरुद्ध होते हैं जैसे कि कंप्यूटर या सर्वर के खिलाफ या उसे जरिया बनाकर किए जाते हैं। इन अपराधों में हैकिंग, वायरस ट्रांसमिशन, साइबर कॉपीराइट उल्लंघन आदि शामिल हैं।

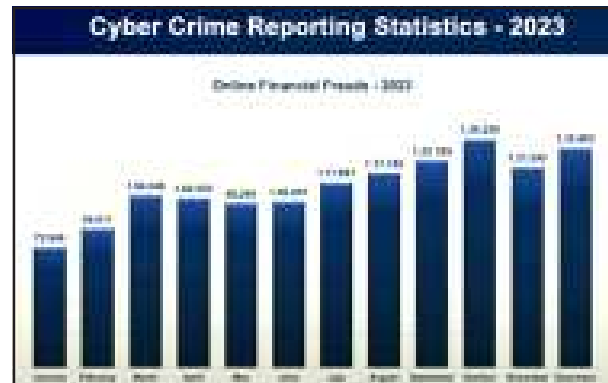
उदाहरण- कोई आपको एक वेबलिंग भेजे जिस पर क्लिक करने के पश्चात एक वेब पेज खुलेगा जहां आपसे बैंक खाता संबंधी एवं दस्तावेज संबंधी संपूर्ण जानकारी मांगी जा रही है और आप वह जानकारी देते हैं। आपके दस्तावेज एवं बैंक खाते के साथ छेड़छाड़ की जाएगी और यह संपत्ति के विरुद्ध साइबर हमला कहा जा सकता है।

सरकार विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध – यह सबसे गंभीर साइबर अपराध माना जाता है सरकार के खिलाफ किए गए ऐसे अपराध को साइबर आतंक के रूप में भी जाना जाता है सरकारी साइबर अपराध में सरकारी वेबसाइट या सैन्य वेबसाइट को हैक किया जाना शामिल है एक साइबर अपराध किया जाता है तो इसे उसे राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला माना जाता है।

यह अपराध आमतौर पर आतंकवादी या अन्य शत्रु देश की सरकारें करती हैं इस प्रकार के साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए प्रत्येक देश की सरकार द्वारा कठोर साइबर कानून बनाए गए हैं।

आपातकालीन स्थिति में या साइबर अपराधों के अलावा अन्य अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क करें एवं राष्ट्रीय पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 है। और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 130 है।

Year	IT Act		IPC	
	Cases Registered	Persons Arrested	Cases Registered	Persons Arrested
2011	1761	1188	422	886
2012	3876	1523	661	1545
2013	4258	2088	1337	1303
2014	7281	4048	2372	1224
2015	8945	5100	3422	2807
Total	34289	14852	6594	6269



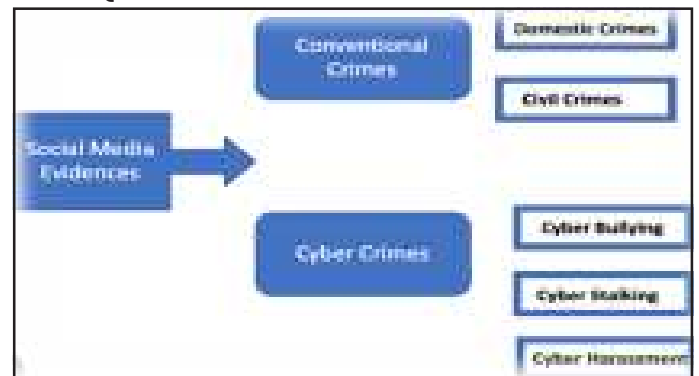
सोशल मीडिया की भूमिका – बड़े पैमाने पर सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग करने वाली जनसंख्या साइबर अपराध की खतरों से अनजान हैं जिनमें सोशल नेटवर्किंग साइट के सर्वर अन्य देशों के कंट्रोल में हैं एवं वहां पर केंद्रित हैं जिससे यह डर रहता है कि कहीं यह देश लोगों की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग ना करें।

लोगों को विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट पर हैकर्स ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते हैं।

सुरक्षा एजेंसी द्वारा यह पता लगाया जाता है ऑनलाइन मुद्रा स्थानांतरित करने वाले विभिन्न एप के माध्यम से आतंकवाद दोनों और देश विरोधी तत्वों को फंडिंग की जाती है साइबर अपराधी विभिन्न ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से बच्चों को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

सोशल मीडिया पर साइबर अपराध का तात्पर्य व्यक्तियों या समूह द्वारा दुर्भावना पूर्ण इरादे से की जाने वाली व्यापक अवैध गतिविधियों से है यह गतिविधियां व्यक्तियों के संगठनों या यहां तक की सरकारों को भी लक्ष्य कर सकती हैं, और इनमें ऑनलाइन धोखाधड़ी, उत्पीड़न और धोखे के विभिन्न रूप भी शामिल हैं।

अश्लील इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रकाशित करने पर 5 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। 10 लाख जुर्माना भी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों में आजीवन कारावास हो सकता है अन्य साइबर अपराधों के लिए 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की कम सजा निर्धारित है।



साइबर अपराधों से निपटने की दिशा में सरकार की प्रयास–भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया। जिनके प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं।

अध्ययन एवं विश्लेषण– सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएं

43,43A,66,66B,66C, 66D,66E,66F,67,67A,67B आदि हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं।

सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई जिसके तहत सरकार ने अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवधारणा संरक्षण केंद्र का गठन किया गया NCIIIPC: नेशनल क्रिटिकल इनफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। इसके अंतर्गत दो वर्ष से लेकर उम्र कैद तथा अर्थ दंड का भी प्रावधान है विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित से सरकार ने सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता परियोजना आरंभ की है।

सरकार द्वारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की स्थापना की गई जो सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है।

भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिए अमेरिका ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है।

इस योजना को संपूर्ण भारत में लागू किया गया है बेहतर तरीके से निपटने के लिए तथा 14C समन्वित और प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु इस योजना के निम्नलिखित सात प्रमुख घटक हैं।

1. नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट
2. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल
3. प्लेटफॉर्म फॉर जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम
4. नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम
5. नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर
6. नेशनल साइबर रिसर्च एंड इन्नोवेशन सेंटर

बुडापोस्ट कन्वेंशन क्या है?

साइबर अपराध के संबंध में बुडापोस्ट कन्वेंशन सेंटर पर हस्ताक्षर करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बोल दिया जा रहा है।

बुडापोस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम पर एक कन्वेंशन है जिसे साइबर अपराध पर बुडापोस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है।

यह अपनी तरफ से पहले ऐसा अंतरराष्ट्रीय समझौता जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कानून को व्यवस्थित करके जांच पड़ताल की तकनीक में सुधार करने तथा इस संबंध में विश्व के अन्य देशों में सहयोग को बढ़ाने हेतु और कंप्यूटर अपराधों पर रोक लगाने संबंधी मांग की गई है।

शोध की परिकल्पना- वर्तमान में भारत की आबादी बहुत ज्यादा है नेटवर्किंग साइट का उपयोग करती है भारत में सोशल नेटवर्किंग साइट के

उपयोग भी बढ़े हैं इनमें जानकारी का अभाव है सोशल नेटवर्किंग साइट के सरवर विदेश में है जिससे भारत में साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में इनकी जड़ तक पहुंच पाना कठिन होता है।

इस आलेख में साइबर अपराध प्रकार के और सरकार के द्वारा किए गए प्रावधानों पर विमर्श किया जाएगा इसके साथ ही साइबर अपराध में सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

निष्कर्ष- भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोग करता है और हाल ही के वर्षों में साइबर अपराध कई गुना बढ़ गए हैं। साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ाने के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल भारत कार्यक्रम सफलता काफ़ी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी अतः भारत को इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करना होगा वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया ने अभीव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है परंतु सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग ही हमें ऑनलाइन ठगी साइबर अपराध के गंभीर खतरों से बचा जा सकता है।

हम एक डिजिटल युग में रह रहे हैं और साइबर स्पेस किसी भी सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरी दुनिया को कवर करता है परिणाम स्वरूप साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के चल रहे विकास के कारण सबसे बड़ी चुनौती साइबर अपराध की गतिशील प्रकृति से संबंधित है। परिणाम स्वरूप साइबर अपराध के नए तरीके और तकनीक प्रचलन में आती हैं इसलिए साइबर क्राइम को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। जितना कि हमारे समाज में हो रहे अन्य अपराध।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दैनिक भास्कर समाचार पत्र
2. पत्रिका समाचारपत्र
3. अनिमेश शर्मा साइबर सुरक्षा मुद्दे वर्तमान भारतीय साइबर कानून और उठाए जाने वाले कदम
4. अन्य वेबसाइट
5. <https://www.drishtiias.com/>
6. <https://cybercrime.gov.in/>
7. National Cyber Crime Reporting Portal

कृषि भूमि उपयोग में जल संरक्षण की परम्परागत एवं आधुनिक विधियाँ कि आवश्यकता बड़वानी जिले के संदर्भ में

रमेश पवार* डॉ. मोहन निमोले**

* शोधार्थी (भूगोल) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र में बड़वानी जिले में शस्य संयोजन एवं कृषि भूमि में जल संरक्षण की परम्परागत एवं आधुनिक विधियों से वर्षा जल को संचित कर उसे विभिन्न आवश्यकताओं में उसका उपयोग किया जाना एवं कृषि भूमि उपयोग में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने एवं जनसंख्या विस्फोट से भूखमरी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसके लिए वर्षा जल को अधिक समय तक संग्रहण कर उसे भूमि के लिए सिंचाई के उपयोग में लाने के लिए वर्षा जल को विभिन्न विधियाँ जैसे- तालाब, बावड़ी, कुओं, बयारी, रिसाव तालाब, एनिकट, कुई या बेरी, जल संरक्षण तालाब आदि के द्वारा वर्षा जल का संरक्षण किया जाना अध्ययन क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही जल ही जीवन है। यह सभी जीवों के लिए आवश्यक है।

शब्द कुंजी – बड़वानी जिला, कृषि भूमि उपयोग, जल संरक्षण, जल संरक्षण की विधियाँ।

प्रस्तावना – जल अत्यधिक उपयोगी परन्तु सीमित संसाधन है। परन्तु यह सर्वत्र सहज सुलभ नहीं है। फलनः जल संरक्षण अनिवार्य आवश्यकता है। जिस प्रकार जल के विभिन्न उपयोग हैं। उसी प्रकार उसका संरक्षण भी विभिन्न रूपों में किया जाना आवश्यक है। वैसे तो जल का प्रधान और प्रमुख स्रोत समुद्र है, परन्तु समुद्र का जल खारा होता है। मानव को अपनी आवश्यकता हेतु मिठा, मृदा जल चाहिये। यह जल भी हमें समुद्र से परोक्ष रूप में प्राप्त होता है। समुद्र का भी पृथ्वी पर वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार वर्षा जल को उचित रूप में ग्रहण करना और इस जल का संतुलित उपयोग संरक्षण का मूल तत्व है। जल सदैव समुद्र और जाने को उन्मुल रहता है अतएव जल के प्रवाह को नियमित करना उसको संचय करना सतह पर निश्चित भण्डार बनाना और नदियों पर बांध बनाकर प्रवाह को नियमित करना बाढ़ रोकना आदि कार्य उपयोगिता हेतु परम आवश्यक है। जल संचय के साथ ही जल का दुरुपयोग भी संरक्षण का प्रमुख तत्व है। घरेलू और उद्योगिक आवश्यकताओं में जल का उचित उपयोग करके दूर उपयोग को दूर करके भी यह कार्य किया जा सकता है। जल का अत्यधिक शोषण भूमिगत जल के स्तर को नीचा कर देता है। भूमिगत जल की मात्रा सीमित होती है और अत्यधिक शोषण से ये स्रोत समाप्त हो जाते हैं।

जल को शुद्ध रखना भी जल संरक्षण की प्राथमिक आवश्यकता है दीर्घकाल से सीवर, उद्योग, गैस प्लांटों, खानों आदि के जहरीले और हानिकारक पदार्थ नदियों और झीलों में गिराये जाने से स्वच्छ जल को प्राप्त हो पाना कठिन हो गया है। इन हानिकारक पदार्थों को दूर कर और जल को अधिकतम शुद्ध करके प्रयोग में लाने पर ही अधिकतम लाभ लिया जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र – भौगोलिक दृष्टि से देश के सर्वाधिक विषमताओं वाला बड़वानी जिला मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। जिले की समुद्र तल से ऊँचाई लगभग 177 मी. है। बड़वानी जिला 21° 37' उत्तरी अक्षांश से

22° 22' उत्तरी अक्षांश तथा 74° 27' पूर्वी देशान्तर से 75° 30' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5447 वर्ग कि. मी. है। बड़वानी जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार 13,85,881 जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 255, लिंगानुपात 982 तथा साक्षरता 49.08 प्रतिशत है।

बड़वानी जिले में जल संरक्षण की परम्परागत विधियाँ :

1. **बावड़ी** – बड़वानी जिले में अधिक जनसंख्या वाले शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में जल संरक्षण के लिए बावड़ी महत्वपूर्ण साधन है। अध्ययन क्षेत्र में बावड़ी का निर्माण की परम्परा प्राचीन काल में बावड़ीयों का उपयोग पेयजल के रूप में किया जाता था पर वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण भूखमरी जैसी समस्याओं के कारण भूमि उपयोग में बावड़ीयों का जल का प्रयोग सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत का साधन है। अध्ययन क्षेत्र की बावड़ीयाँ वर्षा जल संचय के काम में आती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बावड़ी की दशा ठीक नहीं रहती है इसलिए इनका जीर्णोद्धार किया जाना आवश्यक है।

2. **तालाब** – अध्ययन क्षेत्र में तालाब में मुख्यतः वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। जिले में प्राचीन काल से ही तालाबों का अस्तित्व रहा है वर्तमान में जहाँ पर बिजली की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है उस क्षेत्र में सिंचाई के लिए तालाबों से नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। इसलिए हमें अधिक संख्या में तालाबों का निर्माण कर वर्षा जल को संचय करना आवश्यक है। तालाबों से ही कुओं, बावड़ीयों, नलकुबों को पानी मिलता है।

3. **टांका** – अध्ययन क्षेत्र में वर्षा जल को एकत्रित करने का साधन है यह पड़ती भूमि पर इसका निर्माण किया जाता है टांका एक प्रकार का कुड़ जैसा होता है जिसमें वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है। और इसका जल विशेष तौर पर पशुओं के लिए पेयजल के रूप में प्रयुक्त होता है। यह अध्ययन क्षेत्र में सूक्ष्म भूमिगत सरोवर होता है। जिसका निर्माण मिट्टी और सीमेंट से किया जाता है। वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए खेत या आगम में सरकार

द्वारा तथा निजी निर्माण सार्वजनिक रूप से लोगों द्वारा निर्माण करवाया जाता है। सामान्यतः टांका 30 से 40 फिट तक गहरा होता है।

4. कुई या बेरी – अध्ययन क्षेत्र में कुई या बेरी अधिकतर तालाबों के पास बनाई जाती है। जिससे तालाब का पानी रिसकर कुई या बेरी में जमा होता है। इनकी गहराई 10 से 12 मीटर होती है। परम्परागत जल संरक्षण के लिए खेत के चारों तरफ मंड उंची कर दी जाती है जिससे वर्षा का पानी जमीन में रिसकर जमा होता रहता है।

बड़वानी जिले में जल संरक्षण की आधुनिक विधियां

1 एनिकट – अध्ययन क्षेत्र में जल संरक्षण की इस आधुनिक विधि से बांस से छोटी संरचना बनाई जाती है जो कि नदी के समानान्तर होती है। इसके जल को रोकने के लिए एनिकट के द्वारा अध्ययन क्षेत्र में व्यर्थ बहते जल को रोकने के लिए बांधनुमा एनिकटों का निर्माण किया जाता है जिसमें अल्प वर्षा के समय क्यारियों द्वारा सिंचाई की जाती है जिससे किसानों की फसलों को लाभ मिलता है।

2. रिसाव तालाब – अध्ययन क्षेत्र में रिसाव तालाबों का निर्माण वर्षा के जल को तीव्रगती से भूगर्भ में भेजने के लिए किया जाता है। जिले में रिसाव तालाब का निर्माण ऐसे जगहों पर किया जाता है जहां की मिट्टी रेतीली होती है जल का रिसाव तेजी से होता है। रिसाव तालाबों की गहराई कम तथा चौड़ाई अधिक होती है। चौड़ाई अधिक होने से वर्षा के जल का रिसाव अधिक होने से भूमि में अधिक क्षेत्र में पानी का रिसाव ज्यादा होने से वर्षा जल से भूमि का अपरदन कम होता है। और असामान्य वर्षा की स्थिति में अध्ययन क्षेत्र में भूमि अपरदन को रोका जा सकता है। एवं वर्षा की स्थिति में होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है।

3. क्यारी द्वारा – अध्ययन क्षेत्र में सड़को के किनारे वर्षा जल व्यर्थ बहने वाले जल को सड़को के दोनों किनारों पर क्यारी द्वारा वर्षा जल को तालाबनुमा बनाकर उसमें संग्रहित किया जाता है यह विधि असमतल भूमि पर इसका अधिक लाभ होता है। अध्ययन क्षेत्र में पहाड़ी भूमि पर यह एक कारगर विधि जल संरक्षण के लिए उपयोगी है। अध्ययन क्षेत्र में यह बावनगजा की पहाड़ी रामगढ़ की पहाड़ी नागलवाड़ी की पाहड़ीयों वाले क्षेत्र में इस विधि द्वारा जल संरक्षण को अपनाया जाता है। उपयुक्त बांधों द्वारा छोटे कृत्रिम तालाबों का निर्माण होता है छोटे बाध होने के कारण कृत्रिम बांधों पर दबाव कम पड़ता है। जिससे अध्ययन क्षेत्र में इसके अलावा जल कृषि भूमि में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। इन बांधों का निर्माण व देखरेख से अध्ययन क्षेत्र में जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है।

4. जल संरक्षण बांध – अध्ययन क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में वर्षा के दौरान सतह वाली भूमि का जल व्यर्थ में बहता है उस क्षेत्र में वर्षा जल को रोकने के लिए छोटे-छोटे बांधों का निर्माण कर यह जल को वहां पर जमा होने दिया जाता है।

वर्षा जल संरक्षण के उद्देश्य – यह भूमिगत जल के पुनः भरण को बढ़ाने कि तकनीक है। इस तकनीक में स्थानीय रूप से वर्षा जल को को एकत्र करके भूमि जल भण्डारों में संग्रहित करना शामिल है। जिसमें स्थानीय घरेलू मांग को पूरा किया जा सके।

जल संरक्षण उद्देश्य:

1. भविष्य में उपयोग के लिए संचय कराना।
2. भूमिगत भण्डारों का पुनः भरण करना।

3. शहरों में जल के असमान वितरण को दूर करना।
4. नगरों से लेकर गांवों तक के लोगों को घरेलू उपयोग हेतु स्वच्छ जल की पूर्ति करना।
5. तालाब, झील, कुएं, बावडियां जैसे सतह के अन्य जल स्रोतों को पदूषण रहित करना एवं इनको सुरक्षित रखना है।
6. जल सम्भारों का उचित प्रबंधन करना।

वर्षा जल संग्रहण – वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिये वर्षा जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। उनका उपयोग भूमिगत जलभूतों के पुनर्भरण के लिये भी किया जाता है। यह एक कम मुल्य और पारिस्थितिकीय विधि है जिसके द्वारा पानी कि प्रत्येक बूँद संरक्षित करने के लिये वर्षा जल को नलकूपों गड्डों और कुओं में एकत्र किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी कि गतिविधिया को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को निचा होने से रोकना है फास्फोरोस एवं नाइट्रेट्स सद्दूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल कि गुणवत्ता बढ़ता है। मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है और यदि हमे जलभूतों के पुनर्भरण के लिये उपयोग किया जाता है। तो तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के पवेश को रोकता है।

देश में विभिन्न समुदाय लम्बे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। ग्रामिणों क्षेत्रों में परम्परागत वर्षा जल संग्रहण सतह संचयन जलाशयों, जैसे झील, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढाँचे जिन्हे कुण्ड अथवा टांका एवं ढका हुआ भूमिगत टंकी के नाम से जानी जाती है। जिसका निर्माण घर अथवा गांव के पास संग्रहित वर्षा जल को एकत्र करने के लिये किया जाता है।

वर्षा जल संग्रहण के उपाय – पानी या तो छतों से जमीन से, या फिर दोनों जगहों से साथ-साथ इकट्ठा किया जा सकता है। विभिन्न वर्षा जल संग्रहण प्राणी के विस्तार तथा जटिलता में बड़े अंतर हो सकते हैं। इसमें बांगवानी के काम के लिये किसी मकान कि छत से सीधा वर्षाजल का सीधा एकत्रीकरण हो सकता है या फिर किसी बड़े स्कूल के पूरे परिसर से वहां के शोचालय में उपयोग के लिये या भूमि में जल के पुनर्भरण के लिये एकत्रित किया जा सकता है।

1. किसी भी मकान कि छत से वर्षा जल का एत्रीकरण हेडपम्प के।
2. बिल्डिंगों कि छत से वर्षा जल एकत्रित कर उसे सुरक्षित गडडो या कुओं में रखा जाना चाहिये।
3. वर्षा जल सड़को एवं नालियों से बहकर तालाबों में एकत्रित किया जाना चाहिये।
4. जल प्रबंध द्वारा वर्षा जल संरक्षण किया जा सकता है।
5. झीलों द्वारा वर्षा जल संरक्षण प्रकृति द्वारा संरक्षण होता है।

निष्कर्ष – उपर्युक्त वर्णित तकनीक कोई नई व्यवस्था नहीं है। प्राचीन काल से ही भारत में वर्षा जल का संग्रहण होता आ रहा है। जल संग्रहण के उन्नत तरीकों के प्रामाण भी मिलते हैं। नहरों, तालाबों, तथा बांधों और कुओं के रूप में जल संग्रहण होता था पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्र में छतों के वर्षा जल और झरनों के जल को बांस कि नालियों द्वारा दूर-दूर तक ले जाया जाता था। शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में भू-जल के भण्डारों के उपयोग के लिये कुएँ और बावडिया बनाई जाती थी। राजस्थान में छत के वर्षा जल को कृत्रिम रूप से विकसीत कुओं में जमा कर दिया जाता या संरचनाओं के नवीनीकरण और आधुनिकरण से न केवल जल भण्डारों कि सुविधा होती अपितु विभिन्न

उद्देश्यों के लिये जल कि उपयोग क्षमता में वृद्धि होगी।

कोख है।

वर्षा जल संधारण :

1. बुद बुद से घड़ा भरता है, और बारिश के पानी से धरती माता का पेट।
2. जरूरत है आकाश पानी और पताल पानी को जोड़ने के लिये एक रास्ते की ताकि अतिवृष्टि में भी पानी बह के बर्बाद न हो।
3. वर्षा- जल संधारण जरूरी भी है, और जिम्मेदारी भी है।
4. पानी रोकने का सही स्थान धरती मांकी गोद में नहीं कल्की उसकी

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संसाधन भूगोल-डॉ. श्रीमती भावना माथुर, डॉ. महेश नारयण (साहित्य पब्लिकेशन)
2. सिंचाई व जल संरक्षण- राजीव कुमार योजना जून 2011
3. जिला कृषि विकास कार्यालय बड़वानी

जनजातियों के शैक्षिक सुधार हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन

अमित कोटेड*

* शोधार्थी (इतिहास) मानविकी संकाय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति की प्रकृति प्रदत्त शक्तियों का विकास करती है। मनुष्य शैक्षिक प्रक्रिया में उद्भव से अवसान तक निरन्तर ज्ञान, अनुभवों, कौशलों एवं व्यवसायिक दक्षताओं को अपनी रूचि, योग्यता, वातावरण, सुविधा, आवश्यकता तथा परिस्थिति के अनुसार सीखता एवं अर्जित करते जाता है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के सामंजस्य पूर्ण स्वाभाविक विकास में सहयोग देकर उसका सर्वांगीण विकास करती है तथा उन्हें अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से ही देश व समाज अपनी संस्कृति की रक्षा करता है। जीवन में उदारता, उच्चता, चिन्तन, सृजन, सौन्दर्य एवं उत्कृष्टता शिक्षा द्वारा ही संभव है। समाज के बदलते स्वरूप के कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक संभावनाएँ और समस्याएँ जन्म ले रही हैं। इन संभावनाओं और समस्याओं की खोज तथा समाधान शिक्षा द्वारा ही संभव है।

भारत अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताओं के साथ आदिकाल से ही विभिन्न धर्मों, मतों, संप्रदायों, संस्कृतियों, प्रजातियों, जातियों और जन-जातियों की कर्मभूमि रहा है। भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 8 प्रतिशत भाग आदिम जातियों का है। आदिम या अनुसूचित जनजाति भारत के प्राचीनतम निवासी माने जाते हैं। देश के दूर वनाच्छादित पठारों, पहाड़ियों तथा बीहड़, अगम्य अंचलों में कई जनजातियाँ निवास करती हैं इन्हें वन्यजाति, आदिवासी, वनवासी, जनजाति और गिरिजन आदि नामों से संबोधित किया जाता है। शिक्षा का दायित्व समाज के विभिन्न वर्गों को साथ लाना और एकजुट समतावादी समाज का निर्माण करना है परंतु इन जनजातियों के विद्यार्थियों में सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों के कारण शाला में उपस्थिति संबंधी अनियमितता एवं शाला त्याग देखने को मिलता है।

देश की आजादी के इतने वर्षों पश्चात् भी ग्रामीण, पहाड़ी एवं वनीय क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों का शैक्षिक विकास नहीं हो पाया है। अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में यह और भी कम देखा गया है। अनुसूचित जनजाति समूहों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर अत्यंत कम है। तात्पर्य यह है कि आज भी सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अनुसूचित जनजातियाँ औपचारिक शिक्षा से दूर हैं, यही बात उनके विकास में बाधक है। अतः अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर के विकास पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त करने में मदद दी जाएगी तभी वे देश की मुख्य धारा में रहकर

देश की भलाई के लिए कुछ करने में पूर्णतः सक्षम हो सकेंगे।

अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए संवैधानिक, केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर विशेष प्रयास किया जा रहे हैं। संवैधानिक स्तर पर संविधान निर्माण के साथ ही अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान की धाराओं 15(4), 45 और 46 में अ.जा./अ.ज.जा. के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु राज्य की प्रतिबद्धता की बात कही गयी है। अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए संवैधानिक प्रावधान निम्नवत हैं-

1. अनुच्छेद 15(4) जनजातियों का सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से विकास के लिये प्रावधान करता है।
2. संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्य को सरकारी नौकरी में जनजाति लोगों को प्रतिनिधित्व देने हेतु आरक्षण का अधिकार देता है।
3. अनुच्छेद 23 जनजातियों के दुर्व्यवहार, बेगार, बंधक मजदूरी आदि बलात्क्रम का निषेध करता है।
4. अनुच्छेद 29 अनुसूचित जनजाति को अपनी भाषा, बोली तथा संस्कृति में सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है।
5. अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे।
6. अनुच्छेद 46 अ.जा./अ.ज.जा. के आर्थिक और शैक्षिक हितों का विशेष प्रावधानों के जरिए ध्यान रखने के विशिष्ट उद्देश्य को दर्शाती है।
7. अनुच्छेद 335 संघ या राज्य सेवाओं के सरकारी नौकरियों में जनजातियों हेतु पदों के आरक्षण की व्यवस्था करता है।

केंद्र सरकार द्वारा जनजातियों के आर्थिक और शैक्षिक सुधार हेतु पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष प्रयास किये गये हैं। इनका उद्देश्य दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, किताबें और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद सक्षम बनाने वाले हस्तक्षेपों का व्यापक फैलाव हो गया। 1986 की शिक्षा नीति ने जनजातियों की शिक्षा के लिए ज्यादा सहयोग देने का सुझाव दिया।

केंद्र सरकार द्वारा विद्यालयी स्तर पर विभिन्न योजनाएं जैसे- अ.जा./अ.ज.जा. के बीच कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता हेतु अनुदान देना, अस्वच्छ व्यवसायों जैसे कि चमड़ा बनाना, जानवरों की खाल छीलना और नाली, पाखाना सफाई करना इत्यादि को अपनाने वाली जातियों और परिवारों के बच्चों के लिए विशेष मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियाँ देना, विद्यालय के

उच्च एवं माध्यमिक स्तर के लड़के और लड़कियों के छात्रावास, रुढ़िवादी वातावरण के कारण अ.जा. की लड़कियों की शिक्षा दर में कमी वाले जिलों के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न उपायों वाली योजना आदि संचालित की जा रही है।

राजस्थान राज्य में वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 17.83 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 13.48 प्रतिशत है। 'शिक्षा के क्षेत्र में जनजाति लोगों का पिछड़ापन अत्यधिक था। जहां सन् 1981 में राज्य की साक्षरता दर 24.38 प्रतिशत थी वहां जनजाति के लोगों में यह 10.27 प्रतिशत थी। तथा जनजाति महिलाओं में मात्र 1.20 प्रतिशत थी। सन् 1991 की जनगणनानुसार जहां राज्य की साक्षरता दर 38.55 प्रतिशत रही वहां जनजाति के लोगों की साक्षरता दर 12 प्रतिशत के लगभग रही। स्त्रियों की साक्षरता दर 2 प्रतिशत पाई गई। सन् 2001 में पुरुष साक्षरता दर 62.10 प्रतिशत और स्त्रियों की साक्षरता दर 26.20 प्रतिशत रही है।

राजस्थान सरकार द्वारा जनजातियों के शैक्षिक स्तर सुधार हेतु जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक असुविधा की क्षतिपूर्ति में सक्षम बनाने वाले प्रावधानों की एक ऐसी श्रृंखला तैयार की है, जो अ.जा./अ.ज.जा. के बालकों की विद्यालयी पहुँच और माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय स्तर पर इनके ठहराव को बढ़ावा देगी। राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों ने विशेष शैक्षिक प्रावधानों को बनाने की जिम्मेदारी उठाई।

राजस्थान सरकार द्वारा विद्यालयी स्तर पर विभिन्न योजनाएं जैसे- (क) विद्यालयी शिक्षा की सभी अवस्थाओं के लिए मुफ्त किताबें एवं सामग्री, (ख) जनजातीय बालकों के लिए आश्रम (स्कूल), (ग) आश्रम विद्यालयों और सरकारी अनुमोदन प्राप्त छात्रावासों के बच्चों को मुफ्त पौशाकें, (घ) सभी स्तरों पर मुफ्त शिक्षा, (ङ.) मैट्रिक पूर्व वजीफा, (च) पिछड़े वर्गों के छात्रावासों में ठहरने की सुविधा और सामान्य छात्रावास, (छ) जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण (ज) पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (झ) प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति आदि संचालित की जा रही है।

राजस्थान सरकार द्वारा जनजातियों को प्रदत्त विशेष सुविधाओं का संक्षिप्त विवेचन निम्नवत है-

1. जनजातियों के लिये आश्रम छात्रावासों का संचालन- राज्य सरकार जनजातीय छात्र-छात्राओं के लिए दूर दराज के विद्यालयों में अध्ययन हेतु छात्रावासों का निर्माण किया गया है। जिससे परिवार के कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वे शिक्षा से वंचित न हो पाये। ऐसे छात्र-छात्राओं के लिए 372 आश्रम छात्रावास संचालित किया जा रहे हैं जिनमें 23759 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। इन छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवास, भोजन, पोषाक एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए प्रतिमाह 2500 रुपये निर्धारित किये गये हैं।

2. आवासीय विद्यालय संचालन योजना- जनजातीय छात्र-छात्राओं के शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आवासीय विद्यालयों का निर्माण करवाया गया है। इनमें अनुसूचित, माडा तथा सहरिया क्षेत्र सम्मिलित है। 'आवासीय विद्यालय में स्वीकृत शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों पर शिक्षा विभाग से कर्मचारियों, अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति एवं पदस्थापन पर लिए जाकर अध्ययन व्यवस्था संचालित की जा रही है। वर्तमान में विभाग द्वारा 13 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा

रहा है जिसमें 2585 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं।

3. मॉडल पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल- राज्य में अनुसूचित क्षेत्र में दो मॉडल पब्लिक रेजिडेंसी स्कूल का संचालन किया जा रहा है जो की ढिकली, जिला उदयपुर एवं सुरपुर, जिला झुंजरपुर में अवस्थित है। दोनों स्कूलों के कुल क्षमता 700 छात्र-छात्राएं है। शिक्षा सत्र 2019-20 में 699 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया गया है।

4. एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल- राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में 14, माडा क्षेत्र में 6 एवं सहरिया क्षेत्र में 1 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल का संचालन किया जा रहा है। उक्त स्कूलों की कुल प्रवेश क्षमता 5855 छात्र-छात्राएं हैं।

5. बहुउद्देशीय छात्रावासों का संचालन-राज्य के उदयपुर, कोटा, झुंजरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर राज्य की अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए बहुउद्देशीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है जिसमें वे छात्राएं जो शहर में रहकर पी.एचडी, पी.टी.ई.टी, नीट, आई.आई.टी, प्रशासनिक सेवाओं एवं अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कमरा किराया लेकर अध्ययन करने में असमर्थ हैं उन्हें निःशुल्क आवासीय व भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना में उदयपुर व कोटा में 150 बालिकाओं की क्षमता, झुंजरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर 100-100 बालिकाओं की क्षमता वाले बहुउद्देशीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है।

6. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति योजना - वर्ष 1993-94 से यह योजना प्रारम्भ की गई है। जनजाति के ऐसे प्रतिभावान छात्र जिन्होंने राजस्थान से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है तथा विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं उन्हें राशि रु 350/- प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति दी जाती है।

7. जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (निजी एवं राजकीय महाविद्यालय स्तर की छात्राओं के लिए)- जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1994-95 में यह योजना प्रारम्भ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होगा जो राज्य की मूल निवासी हों और महाविद्यालय (सामान्य शिक्षा) में नियमित रूप से अध्ययनरत हों। योजनानुसार प्रत्येक अध्ययनरत छात्रा को राशि रु 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह तक (5000/- रु एकमुश्त) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में उन्हीं छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन्होंने महाविद्यालय में पिछली परीक्षा उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो साथ ही आर्थिक सहायता केवल उन्हीं छात्राओं को देय होगी जिनके माता-पिता आयकरदाता नहीं हैं।

8. जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता- राज्य सरकार द्वारा कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययन करने वाली जनजाति छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 से यह योजना प्रारम्भ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होगा जो राज्य की मूल निवासी हों और राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हों। योजनानुसार प्रत्येक अध्ययनरत छात्रा को राशि रु 350/- प्रतिमाह की दर से 10 माह तक (3500/- रु एकमुश्त) आर्थिक सहायता

प्रदान की जाती है। इस योजना में उन्हीं छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके माता-पिता आयकरदाता नहीं हैं। छात्रों के राज्य की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही संचालित राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहने पर योजना का लाभ देय होगा।

9. जनजाति के कक्षा 6 से 12 तक चयनित छात्र-छात्राओं को प्रतिष्ठित विद्यालयों/ संस्थाओं के माध्यम से अध्ययन योजना- सामान्यतया जनजाति छात्र-छात्राएँ आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण प्रतिष्ठित एवं अच्छी शिक्षा देने वाले निजी शैक्षिक विद्यालयों/ संस्थाओं में अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसलिए राज्य की कतिपय श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थाओं में जनजाति छात्रों को सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अध्ययन कराने एवं इन्हें गुणवत्तायुक्त शिक्षा दिलवाये जाने हेतु योजना प्रारम्भ की गई। उक्त योजना के अन्तर्गत ट्यूशन फीस, आवास, भोजन, पुस्तकें, स्टेशनरी एवं पौशाक आदि हेतु राशि स्वीकृत की जाती है जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

10. निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना- वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रभावी कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के अन्तर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में राजकीय विद्यालयों में व आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत जनजाति की छात्राओं को योजना की गाईडलाईन अनुसार पात्र छात्राओं को 6000 स्कूटियाँ वितरण की गयी। कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना में स्कूटी हेतु पात्रता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं।

11. जनजाति आश्रम/महाविद्यालय स्तरीय/बहुउद्देशीय छात्रावासों का निर्माण- अनुसूचित जनजाति वर्ग की साक्षरता दर राज्य की कुल साक्षरता दर से लगभग 15 प्रतिशत कम है। जनजाति समुदाय के साक्षरता स्तर में सुधार हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है। नवीन जनजाति आश्रम/महाविद्यालय स्तरीय/बहुउद्देशीय छात्रावास का निर्माण ऐसे स्थान पर किया जाना है जहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय/ महाविद्यालय संचालित है।

12. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण- जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति छात्र/छात्राओं को एक ही स्थान पर निःशुल्क आवासीय स्थल एवं शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, (भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार) कुल क्षमता 480 (240 छात्र एवं 240 छात्राएँ) का निर्माण कराया जाना है।

13. सहरिया विकास कार्यक्रम - 'बारां जिले की किशनगंज एवं शाहाबाद पंचायत समितियों के सहरिया जनजाति के लोगों के कल्याण के लिये यह योजना चलाई गई है। इसके द्वारा इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु कृषि, पशुपालन, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई आदि में सुधार करता है। सहरिया विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास, किताबें, वर्दी आदि प्राप्त करते हैं। सहरिया लोगों के लिये सरकारी नौकरियों में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों का मेस भत्ता बढ़ाकर 675 रु. प्रतिमाह किया गया है जिससे अनुसूचित जनजाति में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है।'

इनके अतिरिक्त जनजाति के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, मैरिट छात्रवृत्ति, लड़कियों के लिए उपस्थिति छात्रवृत्ति, विशिष्ट स्कूल उपस्थिति इनाम,

निदानात्मक कोचिंग और अध्ययन केंद्र, अध्ययन के खर्चों की अदायगी, विद्यार्थी ऋण, व्यवसायों, कला कक्षाएँ, स्वयं रोजगार के लिए प्रशिक्षण केंद्र, शिक्षकों के लिए आवास और इनाम कक्षाएँ, दोपहर का भोजन इत्यादि योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं।

सरकार द्वारा शिक्षा के विभिन्न स्तरों जैसे-मैट्रिक-पूर्व शिक्षा और मैट्रिक-पश्चात शिक्षा हेतु अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप योजनाओं की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा योजना चलाई जा रही है जो अनुसूचित जनजातियों के उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है। सरकार ने हाल के वर्षों में महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है।

जनजातियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए अधिक क्षेत्र आबंटित किया गया है। सरकार द्वारा जनजातीय विकास के लिए जनजातीय अनुसंधान को भी महत्व दिया जा रहा है तथा इसके लिए जनजातियों की संस्कृति के संरक्षण और डॉक्यूमेंटेशन, जनजातियों के प्रति जागरूकता और जानकारी का प्रसार करने की योजना बनाने और कानून बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस प्रकार सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का धरातलीय स्तर पर संचालन कर विभिन्न शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही है जिससे अनुसूचित जनजातियों को समाज की मुख्यधारा से सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर पर जोड़ा जा सकेगा।

निष्कर्ष एवं सुझाव- अनुसूचित जनजाति के बालकों की शैक्षिक भागीदारी के मूल बाधक तत्व गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों रूप में अपर्याप्त प्रावधान हैं। इन वर्गों के समग्र एवं प्रभावी विकास हेतु राज्य बजट में से अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना के तहत इनकी जनसंख्या के अनुपात में पृथक से बजट प्रावधान किये जा रहे हैं। भविष्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के दृष्टिगत योजना निर्माण, आवंटन एवं व्यय को और सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा व्यवस्था को वैधानिक रूप देते हुए अधिनियम बनाया जाना चाहिये। साथ ही शैक्षिक स्तर सुधार हेतु अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाये। विद्यार्थियों को दृश्य, श्रव्य सामग्रियों के आधार पर रोचक विधियों से सिखाया जाये जिससे इन बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति की जानकारी प्राप्त कर आवासीय शालाओं के औचित्य तथा उनकी शैक्षिक गुणवत्ता सुधार की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कटारा अनिता, 'शिक्षा के द्वारा उन्नति का प्रयास (राजस्थान की जनजाति के विशेष संदर्भ में)' श्रृंखला एक शोध परक वैचारिक पत्रिका, मई 2018 कुमार नरेश, (2003) 'जनजातीय विकास मिथक एवं यथार्थ' रावत पब्लिकेशन प्रकाशन।
2. कंचन राकेश, 'सहरिया जनजाति के विभिन्न शैक्षिक स्तरों के प्रतिभाशाली बच्चों के सामाजिक आर्थिक स्तर तथा विद्यालय समायोजन का कम उपलब्धि के संदर्भ में अध्ययन' बुंदेलखंड

- विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश।
3. गुप्ता मंजू, (2011) 'जनजातियों का सामाजिक आर्थिक उत्थान' अर्जुन पब्लिशिंग हाउस प्रह्लाद स्ट्रीट अंसारी रोड दरयागंज, नई दिल्ली।
 4. चौधारी एस. एल., (2018) 'ट्राईबल कास्ट एंड डेवलपमेंट' रावत पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
 5. बया विकास, (2015) 'जनजातीय विकास दक्षिण राजस्थान के संदर्भ में', इंडियन बुक्स एंड पेरियोडिकल्स।
 6. दोषी एस. एल.; जैन पी. सी. (2020) 'जनजातीय समाजशास्त्र (ट्राईबल सोशियोलॉजी)' रावत पैब्लिकेशन, नई दिल्ली।
 7. पालीवाल पुनीता, (2011) 'अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के योगदान का आलोचनात्मक अध्ययन', उत्तर प्रदेश राजर्षी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
 8. सैनी एस. के. (2003) 'राजस्थान के आदिवासी' यूनिक्स ट्रेडर्स, जयपुर।

यात्रा साहित्य का सामाजिक-सांस्कृतिक अवलोकन : अजय सोडाणी के दर्श-दर्श हिमालय के विशेष संदर्भ में

दिनेश कुमार*

* शोधार्थी (हिंदी) मानविकी संकाय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश - मनुष्य का मानवीय जीवन ही सामाजिक जीवन के रूप में प्रस्तुत होता है। इसी प्रकार एक स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों का समाज जब एक ही रीति, विश्वास एवं एक ही प्रकार के आदर्श सामने रखता है तब संस्कृति का जन्म होता है। संस्कृति का संबंध मनुष्य के सामाजिक जीवन से है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से प्रारंभिक काल से ही विश्व की विभिन्न सभ्यताएं परिपूर्ण रही हैं। यात्रा वृत्तांतकारों ने विभिन्न स्थानों की यात्रा कर स्थान विशेष के सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को पाठकों के समक्ष दृश्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। इन स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य, भौगोलिक विशेषता, सामाजिक ताना-बाना, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का अनुभव आदि सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत शोध में अजय सोडाणी के यात्रा वृत्तांत दर्श-दर्श हिमालय का विभिन्न आधारों पर सामाजिक-सांस्कृतिक अवलोकन किया गया है।

शब्द कुंजी - यात्रा वृत्तांत, प्राकृतिक सौंदर्य, समाज, संस्कृति, सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश, विविधता इत्यादि।

प्रस्तावना - यात्राएं मनुष्य की मूल प्रवृत्ति हैं जो व्यक्ति की समरसता और जड़ता को तोड़ने का उपक्रम करती हैं। हिंदी साहित्य के विकास के प्रारंभिक दौर में कुछ यात्रा वृत्तांत लिखे गए पर साहित्यिक विधा के रूप में इसका उत्कर्ष बीसवीं सदी के उत्ताराद्ध से ही माना जाता है। यात्रा साहित्य में साहित्यकार समग्र जीवन की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं। वे देश एवं स्थान विशेष की आत्मा का साक्षात्कार करते हैं साथ ही देश-विदेश में बिखरे इतिहास, संस्कृति समाज को अपनी अनुभूति का अंग बनाकर अभिव्यक्त करते हैं। यात्रा साहित्य मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति की विकास यात्रा को भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

यात्रा वृत्तांत में यात्रा स्थल का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि वहां के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश एवं परिदृश्य को पढ़ते समय दृश्य आंखों के सामने जीवंत जाते हैं। बिम्ब निर्माण करना किसी भी यात्रा लेखक की सबसे बड़ी सफलता है। यात्रा साहित्य मानव जीवन की आशा, आकांक्षा, सामाजिक रीति-रिवाज, परंपराएं, सामाजिक अपेक्षाएं आदि को रूपायित करता है साथ ही सांस्कृतिक परिवेश को भी प्रस्तुत करता है।

इक्कीसवीं सदी के यात्रा साहित्यकारों ने यात्रा वृत्तांतों को सामाजिक-सांस्कृतिक आधार पर विश्लेषित किया है। वर्तमान वैश्वीकरण एवं औद्योगीकरण के युग में यात्रा साहित्य में समाज के बदलते स्वरूपों, विषमताओं, देश-विदेश की समस्याओं आदि का चित्रण विशद स्तर पर किया जाता है। यात्रा साहित्यकारों ने क्षेत्रीय विविधताओं को अपने यात्रा वृत्तांतों में अपने अनुभवों के आधार पर यथार्थ रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। क्षेत्रीय विविधताओं के साथ-साथ यात्रा साहित्यकारों ने वहां के मौजूद विषमताओं को भी विश्लेषित किया है। भौगोलिक परिवेश के रूप में प्रकृति के रूप को व्याख्यायित करना यात्रा वृत्तांत का प्रमुख उद्देश्य रहा है।

वर्तमान समय में यात्रा वृत्तांत के विषयों में वृद्धि एवं परिवर्तन देखने

को मिल रहा है। विभिन्न विमर्श एवं चिंतन, धर्म के बदलते स्वरूप, बाजारीकरण, सांस्कृतिक संक्रमण, शहरीकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति एवं उसके प्रभाव आदि को यात्रा वृत्तांतकारों ने भोगा एवं अनुभव किया है उसके पश्चात रचनात्मक रूप से अपने यात्रा वृत्तांतों में प्रस्तुत किया है। यात्रा साहित्यकार अपनी यात्रा किये हुये स्थान का सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर सूक्ष्मता से अवलोकन करता है।

सामाजिक स्थिति का प्रस्तुतीकरण यात्रा साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है जिसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवलोकन निहित है। 'एक सांस्कृतिक सेतु, यात्रा लेखन सांस्कृतिक पर्यटन का प्रसार करता है, हर देश, समाज व संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों को उजागर करते हुए, आपसी संवाद की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा होता है। और अंतःसांस्कृतिक संचार को संभव बनाता है, पुष्ट करता है। इस तरह यात्रा साहित्य सहज रूप में मानवीय सम्बन्धों को सशक्त करता है। लेकिन इसके लिए यात्रा लेखक में हर संस्कृति की श्रेष्ठ एवं आध्यात्मिक परम्पराओं व जीवन दर्शन की कुछ समझ अपेक्षित रहती है।'

हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य ने यात्रा साहित्यकारों को सदैव ही आकर्षित किया है परंतु मानवीय संबंधों के रचनाकार अजय सोडाणी को हिमालय के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन ने भी सदैव ही सम्मोहित किया है जिससे वे हिमालय की ओर बार-बार खींचे चले जाते हैं। अजय सोडाणी ने अपने यात्रा वृत्तांत दर्श-दर्श हिमालय में हिमालय के कालिंदी खाल एवं ओडीनकॉल के सफर को प्रस्तुत किया है जिसे उन्होंने अभियान के रूप में पूरा किया है। इस यात्रा के दौरान कहीं बार उन्हें मौत के मुकाबिल भी होना पड़ा है लेकिन हिमालय की चोटियां, घाटियां, वहां की हवा, प्राकृतिक सौंदर्य, बर्फ, हिमालय की शृंखलाएं उन्हें हमेशा से ही आकर्षित करती रही हैं।

लेखक ने यात्रा वृत्तांत में कालिंदी खाल एवं ऑडनकॉल के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवलोकन को प्रस्तुत किया है। लेखक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच अपना समग्र जीवन व्यतीत करने वाले सामान्यजन की देवता और

नियोजक के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हैं साथ ही वहां के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश को भी समझने का प्रयास करते हैं। लेखक ने भारतीय धार्मिक जीवन एवं संस्कृति को प्रस्तुत करते हुए सांस्कृतिक रूप से इसके देश-विदेश में विस्तार एवं विदेशी सैलानियों द्वारा अपनाने की प्रवृत्ति की ओर चर्चा करते हुए लिखा है-

'20-30 वर्ष के ये विदेशी धार्मिक सैलानी यहाँ एकाकी ही घूमते हैं और भारतीय परिपाटियों तथा रूढ़ियों को बिना समझे-बुझे निभाते हैं। कुछ एक तो थाली के चारों ओर अँजुरी से जल डालकर एवं गो-ग्रास निकालकर भोजन प्रारम्भ करते हैं। गौ-माता तो यहाँ होती नहीं, अतः कौओं जिनकी चोंच पीली होती है- की खूब ढावत उड़ती है।' लेखक के अनुसार विदेशी सैलानी भारतीय परिपाटियों तथा रूढ़ियों से सदैव ही आकर्षित रहे हैं जो भारतीय सांस्कृतिक महत्व को प्रस्तुत करने का परिचायक है।

आगे लेखक ने हिमालय का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व तथा हिमालय के प्रति आस्था एवं विश्वास को प्रस्तुत किया है यथा- 'ऐसी हमारी मान्यता है कि पर्वतों के शिखरों पर तथा दरों के ऊपर ईश्वर का वास होता है। और इसका तीव्र एहसास भी हर पर्वतारोही निश्चित तौर पर करता है। अतः दरों पर एक हलकी-फुलकी पूजा करके ही आगे बढ़ा जाता है- चुनौचे नवीन और रनी भी इसकी तैयारी में लगे थे। तैयारी तो क्या होती है बस दो अगरबतियाँ जलाना और कुछ प्रसादस्वरूप रख देना ही सम्भव होता है अकसर!'

हिमालय प्रकृति को बनाए रखने एवं सांस्कृतिक सम्मोहन को गति एवं जीवन देने का माध्यम है। प्रकृति एवं हिमालय के रहस्य को उद्घाटित करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। अजय सोडानी अपनी यात्रा के दौरान हिमालय के क्षेत्र के साथ एकाकार करने की कोशिश करते हुए सोचते हैं- 'लगा कोई फुसफुसा रहा हो- क्या प्रकृति को नए सिरे से रचना चाहते हो? इस आगार में तुम मेहमान हो। जिस घर में अतिथि बनकर आए हो उसकी साज-सज्जा बदलने का हक तुम्हें किसने दिया? वह मृग बिंदु है- घर-धणी की इच्छा। इस घर में टेंगे पहाड़, पुष्प, वृक्ष, नदी, नाले, सागर सब-घर-धणी की इच्छानुरूप हैं। उनमें नए रंग भरने का प्रयास मत करो..., हिमालय का गुरुत्व मेरे भीतर ज्योत जगा रहा था- तुम्हारे यहाँ होने से पैदा हुए असन्तुलन तथा तुम्हारे क्रिया-कलापों से उत्पन्न अवशिष्ट हटाने के अतिरिक्त तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम कर्ता नहीं- माध्यम हो, तुम रंगकार की कूची हो- रंगकर्मी नहीं।'

लेखक ने आगे हिमालय के ऊँचे पहाड़ों पर बंजारा जनजाति के सामाजिक जीवन का चित्रण करते हुए लिखा है 'सोनी ने झोपड़ी वाले की ओर इशारा करके कहना जारी रखा, बंजारे हैं- जानवर पालते हैं- और गर्मी में यहाँ ताजी घास आने पर ये अपने जानवरों के साथ ऊपर आ जाते हैं। यह छानी (झोपड़ी) इनका अस्थायी घर है। इनके पास रहने से हमें सुरक्षा के साथ इस जंगल में भी ताजा दूध और दही मिलेगा।'

अजय सोडानी ने अपनी हिमालय यात्राओं के दौरान इन क्षेत्रों के सामाजिक जीवन को करीब से देखा, परखा एवं अनुभव किया है। हिमालय के ऊपर निवास करने वाले आर्थिक रूप से विपन्न अवश्य होते हैं लेकिन इनमें 'अतिथि देवो भवः' की संस्कृति आज भी विद्यमान है। वहाँ के लोगों की मानवीयता, प्रेम, करुणा एवं यात्रियों के प्रति सम्मान की भावना को महसूस करते हुए लेखक ने लिखा है-

'नहीं साहेब मुझे सिर्फ ढाई ही चाहिए।' रुपये पुनः मेरी हथेली पर धरते

हुए उसने पहली बार मेरी आँखों में देखा! उसकी आँखों में माँ की करुणा थी, सागर- सी गहराई थी, ताजी ओस-से भीगे फूलों-सी सरसता थी, मिट्टी की सौँधी खुशबू थी। मुझे यूँ प्रतीत हुआ मानो मेरे सामने पुरुष नहीं वरन् एक स्त्री हो, भूख से बिलखते अपने लाल को स्तनपान करा रही स्त्री! मेरा गला भर आया, गाल गर्म होने लगे, निगाहें झुक गईं। मेरे पैर का अँगूठा तेजी से जमीन कुरेद रहा था- पर धरती फटने का नाम न ले रही थी।'

हिमालय के क्षेत्र के निवासियों का सामाजिक जीवन बेहद आम एवं सादा है। गाँवों में आज भी छाछ, दूध, दही के साथ अपनत्व भी मिलता है। यहां के लोग अपने जीवन एवं संस्कृति से संतुष्ट नजर आते हैं साथ ही आने वाले पर्वतारोहियों के लिए वे एक मार्गदर्शन के रूप में भी कार्य करते हुए सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं- 'रास्ते में दो गाँव पड़े। सबसे पहले आया गंगी और उसके बाद रीह। न जाने कितने नाले और झरने पार करने के बाद हम पहुँचे गंगी। यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते हमारी रसद भी समाप्त हो चुकी थी। गाँव में इस उम्मीद से प्रविष्ट हुए कि दूध, दही या जाएगी। पचास-साठ झोपड़ियों के इस गाँव में सिर्फ बुजुर्ग और बच्चे ही मिले, वह भी आधुनिक मापदंडों के अनुसार पूरी तरह फटेहाल। लेकिन उनके अनुसार वे प्रसन्न थे- सन्तुष्ट थे। गाँव में एक स्कूल था एवं प्राथमिक चिकित्सालय, जहाँ यदा-कदा शिक्षक या डॉक्टर भी आ जाते थे। इसी गाँव में हमें एक बुजुर्ग मिले, होंगे कोई सत्तर-अस्सी वर्ष के, लेकिन तन्दुरुस्त। युवा अवस्था में वे पर्वतारोहियों के साथ मार्गदर्शक के रूप में जाते थे।'

हिमालय क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन का अवलोकन करते हुए लेखक ने यहां की विभिन्न परंपराओं एवं रीति-रिवाजों पर भी प्रकाश डाला है। 'गंगी में हमें एक आदिम परंपरा देखने को मिली - मिल बाँटकर खाने की। हम शहरी लोगों को मिल-जुलकर रहना एवं मिल-बाँटकर खाना आदिम नहीं तो और क्या लगता? यहाँ खेती थी पर उन्हें लकड़ी और गोशत तो जंगल से ही मिलता। दो-चार दिन में जब भी कोई शिकार जाल में फँसता शिकारी उसे गाँव में ले आता है। जानवर को साफ़ करके उसकी बोटियाँ कर दी जाती हैं और उस गोशत को छोटी-छोटी ढेरियों में विभाजित किया जाता है। जितने परिवार उतनी ढेरियाँ- इसे यहाँ 'बाँटा' कहते हैं। गाँव वाले आकर अपना हिस्सा ले जाते हैं- बदले में शिकारी को मिलता है आलू-आटा आदि। हाँ, दो-तीन हिस्से फ्री-फोकट में देने के लिए बनाए जाते हैं- जंगल वालों तथा कुछ अन्य सरकारी महकमे के लोगों के लिए। यह जंगल में किए जा रहे आखेट को अनदेखा करने का उनका 'पारिश्रमिक' था।' यह गांव-बांटा की प्रथा इन क्षेत्रों के निवासियों को जोड़े रखने एवं उनके सामाजिक जीवन को बनाए रखने में विशेष योगदान देती है साथ ही यहां के सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं को बनाये रखने की आवश्यकता को प्रकट करती है।

निष्कर्ष- अजय सोडानी के यात्रा वृत्तान्त के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में वैश्वीकरण एवं औद्योगीकरण का प्रभाव हिमालय क्षेत्र पर व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। जंगलों की कटाई, शोषण, पर्वतारोहियों द्वारा पर्यावरण को पहुँचने वाला नुकसान आदि यहां की प्रमुख समस्या बनती जा रही है। आधुनिक समय में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं द्वारा यहां का विकास करने का प्रयास अवश्य किया जा रहा है लेकिन भ्रष्टाचार यहां के भोले-भाले जीवन को भी निगलने की तैयारी कर रहा है। लेखक ने हिमालय यात्रा के दौरान पर्यावरणीय चिंतन के साथ ही सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन

के चिंतन का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत किया है। लेखक ने अपने यात्रा के दौरान हिमालय क्षेत्र में आने वाले विभिन्न स्थानों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवलोकन को दर्ज करते हुए उनका दृश्यात्मक एवं बिम्बात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. (सं.) के.डी. शर्मा ; इसपाक अली, उत्तम राजाराम आलतेकर : हिंदी में यात्रा साहित्य का योगदान, शोध समालोचना त्रैमासिक पत्रिका (ISSN 2348-5639), 2016-2017, पृ. 52
2. (सं.) नवीन नंदवाना; नई सदी का साहित्य चिंतन और चुनौतियां, प्रीति भट्ट : नई सदी के यात्रा साहित्य का विश्लेषण बोधि प्रकाशन, जयपुर, 2015 पृ. 133
3. सुनील कुमार यादव : समकालीन यात्रा वृत्तांतों के विश्लेषण का सामाजिक-सांस्कृतिक आधार, अपनी माटी, 2021
4. सुरेंद्र माथुर : हिंदी यात्रा साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन, साहित्य प्रकाशन, दिल्ली 1962, पृ. 86
5. अजय सोडानी : दर्श-दर्श हिमालय, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली, 2019 वही, पृ. 22
6. वही, पृ. 60
7. पृ. 120
8. वही, पृ. 121
9. वही, पृ. 124
10. वही, पृ. 142
11. वही, पृ. 152

राजस्थान के टोंक जिले के सन्दर्भ में जनसंख्या के आकार के आधार पर सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम निर्धारण का विशेषणात्मक अध्ययन

प्रवीण यादव* डॉ. काश्मीर कुमार भट्ट**

* शोधकर्ता, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.) भारत
** शोध पर्यवेक्षक, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.) भारत

शोध सारांश – सेवा केन्द्रों का तात्पर्य उन गाँवों से है जो अपने चारों ओर स्थित क्षेत्र में कुछ निश्चित सेवाओं व आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा जो दूसरे केन्द्रों से अपनी क्रियाओं एवं विस्तार के आधार पर भिन्नता रखते हैं। भूगोलवेत्ताओं ने भिन्न-भिन्न स्तर पर सेवा केन्द्रों को अलग-अलग नामों से अभिव्यक्त किया है जैसे:- विकास केन्द्र, केन्द्र स्थल, विकास ध्रुव तथा सेवा केन्द्र आदि। किसी भी क्षेत्र में सेवा केन्द्र ग्रामीण विकास व ग्रामीण विकास की नीतियों एवं कार्यक्रमों को धरातल पर क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन क्षेत्र टोंक एक प्राचीन व ऐतिहासिक जिला रहा है।

प्रस्तुत शोध-पत्र में टोंक जिले के सेवा केन्द्रों की स्थिति व जनसंख्या के आकार के आधार पर सेवा केन्द्रों का कोटि-आकार सम्बन्ध ज्ञात किया गया है। इसके लिए द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है तथा सेवा केन्द्रों की कोटि ज्ञात करने के लिए जिफ के कोटि-आकार नियम विधि का प्रयोग किया गया है। सेवा केन्द्रों की स्थिति दर्शाने के लिए जिले के प्रशासनिक मानचित्र का प्रयोग किया गया है तथा जिफ के कोटि-आकार नियम की गणनाओं के लिए तालिका बनाई गई है।

शब्द कुंजी – सेवा केन्द्र, केन्द्र स्थल, ग्रामीण विकास, नियोजन व विपणन।

प्रस्तावना – वर्तमान समय में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के मध्य सम्बन्ध दिन-प्रतिदिन घनिष्ठ होते जा रहे हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा केन्द्रों का महत्व व उनकी भूमिका भी लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि यह सेवा केन्द्र उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। क्रिस्टालर ने 1933 में ऐसे गाँवों को जो अपने समीपवर्ती क्षेत्रों को सेवाएँ प्रदान करते हैं, केन्द्र स्थल कहा। ये केन्द्र स्थल एक प्राथमिक ग्रामीण अधिवास से लेकर महानगर तक हो सकते हैं। उच्च स्तर के सेवा केन्द्र अधिक जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं एवं निम्न स्तरीय सेवा केन्द्रों की तुलना में इनका सेवा क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। इनके अतिरिक्त निम्न स्तर के सेवा केन्द्र जिन्हें विपणन ग्राम कहते हैं, वे अपने समीपस्थ गाँवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। किसी भी गाँव में जहाँ निम्नलिखित कार्य व सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उन्हें सेवा केन्द्र माना गया है :-

1. अधिवास स्थायी हो।
2. अधिवास की कुल जनसंख्या 1000 या 1000 से अधिक हो।
3. बाजार की सुविधा हो।
4. शैक्षणिक, चिकित्सकीय, प्रशासनिक सेवाएँ, संचार सुविधाएँ, परिवहन, कृषि व वित्तीय जैसी मूलभूत सेवाओं के 30 उप-समूह में से कम से कम 15 या 15 से अधिक सेवाएँ हो।

सेवा केन्द्रों की स्थापना में भौतिक व सांस्कृतिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न भौतिक तत्व सेवा केन्द्रों की बाह्य स्थिति को नियंत्रित करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताएँ हैं

जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक भूखण्ड, मिट्टी के प्रकार, अपवाह प्रतिरूप एवं जल की उपलब्धता आदि आते हैं।

किसी भी क्षेत्र में सेवा केन्द्रों का नियोजित रूप से विकास करके समन्वित ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है तथा स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है। जो इस शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य भी है।

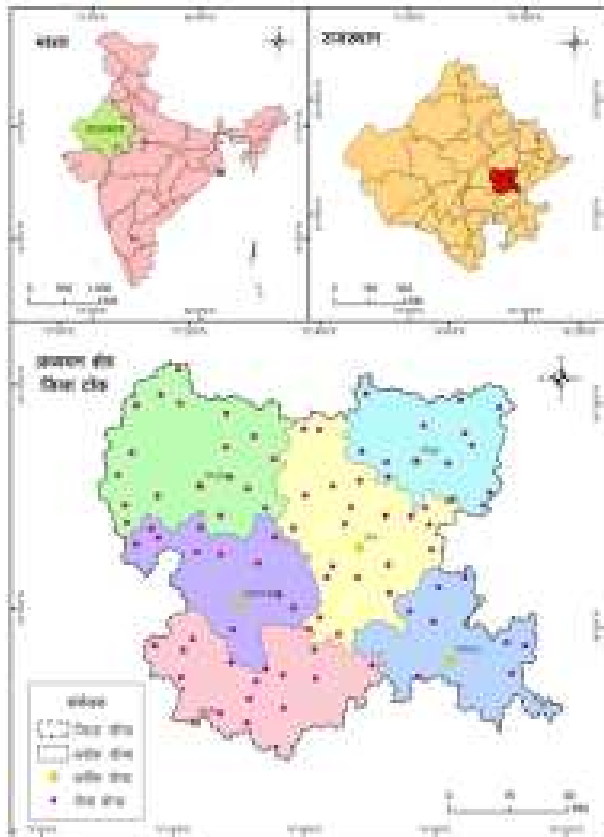
अध्ययन क्षेत्र – भारत के उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। टोंक जिला राजस्थान के उत्तरी-पूर्वी भाग में स्थित है। जिले का धरातलीय भाग लगभग समतल है, कुछ क्षेत्र पहाड़ी वाला भी है। जिले की प्रमुख बनास नदी जिले को दो भागों में बाँटती है। जिले में अरावली पर्वतमाला की कुछ शृंखलाएँ भी स्थित हैं। टोंक जिला 25°41' से 26°34' उत्तरी अक्षांश तथा 75°07' से 76°19' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।

राज्य की राजधानी जयपुर टोंक जिला मुख्यालय से उत्तर दिशा में 100 किलोमीटर दूर स्थित है। टोंक जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7,194 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का 2.11% है। अध्ययन क्षेत्र टोंक जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 14,21,326 है। जिले का जनसंख्या घनत्व 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा जिले की साक्षरता 61.58% है। जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.30% तथा लिंगानुपात 952 है। टोंक जिले की जलवायु शुष्क तथा स्वास्थ्यवर्धक है। सर्दी की ऋतु में न्यूनतम

तापमान 8°C व अधिकतम तापमान 22°C रहता है। गर्मी की ऋतु में न्यूनतम तापमान 30°C व अधिकतम तापमान 45°C रहता है। जिले में औसत वार्षिक वर्षा 61.36% व औसत आर्द्रता 59.30% पाई जाती है। उपरोक्त सभी आँकड़े जिला जनगणना पुस्तिका 2011 से लिए गए हैं।

शोध उद्देश्य:

1. सेवा केन्द्रों का अभिनिर्धारण करना।
2. अध्ययन क्षेत्र के प्रशासनिक मानचित्र में सेवा केन्द्रों को चिन्हित करना।
3. जनसंख्या के आकार के आधार पर सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम निर्धारित करना।



आँकड़ों के स्रोत तथा शोध विधि तंत्र:- प्रस्तुत शोध-पत्र व्याख्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पर आधारित है। इसमें पूर्व निर्धारित परिकल्पनाओं का तात्कालिक परिस्थितियों में परीक्षण किया गया है। शोध-पत्र में द्वितीय स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में सेवा केन्द्रों के कोटि-आकार क्रम तथा सम्बन्धों को ज्ञात करने के लिए जिफ के कोटि-आकार नियम का उपयोग किया गया है साथ ही अन्य सामाजिक व आर्थिक तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रीय जनगणना 2011 से प्राप्त आँकड़ों का प्रयोग किया गया है।

कोटि-आकार नियम- आयरबैक पहले विद्वान थे जिन्होंने सन् 1913 में नगरों के आकार व उनकी कोटियों के मध्य सम्बन्धों का प्रतिपादन किया था, लेकिन इस नियम को मान्यता 1949 में जिफ के विश्लेषण के बाद ही मिली। ब्राउनिंग व गिब्स ने कोटि-आकार के मध्य सम्बन्धों का आकलन करने के लिए एक विधि का प्रतिपादन किया। प्रस्तुत शोध-पत्र में इस विधि का प्रयोग टोंक जिले के सेवा केन्द्रों के सन्दर्भ में किया गया है।

जब सेवा केन्द्रों को उनकी जनसंख्या के अनुसार कोटियों में इस

प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले सेवा केन्द्र को तालिका में सबसे ऊपर रखा जाए उसके बाद कम होती हुई जनसंख्या के सेवा केन्द्रों को अवरोही क्रम में इस प्रकार रखा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले सेवा केन्द्र का स्थान 1 हो, उससे कम जनसंख्या वाले सेवा केन्द्र का स्थान 2 हो। दूसरे सेवा केन्द्र की जनसंख्या पहले सेवा केन्द्र की जनसंख्या से आधी होगी। इस प्रकार से सेवा केन्द्रों का क्रम निश्चित करेंगे। जैसे:- यदि पहले स्थान के सेवा केन्द्र की जनसंख्या 1,00,000 है तो उसके बाद वाले दूसरे स्थान के सेवा केन्द्र की जनसंख्या 1,00,000/2 = 50,000 होगी।

प्रस्तुत शोध-पत्र में शोधार्थी ने कोटि-आकार सम्बन्ध और उसके विचलन को प्रकट करने का प्रयास किया है। इसके लिए जिफ, ब्राउनिंग व गिब्स की विधि के अनुसार सेवा केन्द्रों के जनसंख्या आधारित क्रम को एक सांख्यिकीय क्रम में अंकित किया गया है। जैसा कि सारणी:- 1 को देखने से स्पष्ट है। सारणी:- 1 में 2011 की जनगणना के अनुसार जिले के सेवा केन्द्रों की जनसंख्या का कोटि आकार नियम के अनुसार विस्तृत सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है।

सारणी:- 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सेवा केन्द्रों की प्रत्याशित जनसंख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम वास्तविक जनसंख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसके बाद प्रत्येक सेवा केन्द्र को कोटि संख्या प्रदान की गई है यथा:- सर्वाधिक जनसंख्या वाले सेवा केन्द्र को कोटि 1, द्वितीय को 2, तृतीय को 3 इत्यादि। कोटि निर्धारण के बाद प्रत्येक सेवा केन्द्र का 'कोटि व्युत्क्रम' (प्रथम कोटि संख्या में क्रमशः अन्य कोटि संख्याओं का भाग देकर) ज्ञात किया गया है यथा:- प्रथम केन्द्र का कोटि व्युत्क्रम 1 है तो दूसरे केन्द्र का कोटि व्युत्क्रम $1/2 = 0.5000$, तीसरे केन्द्र का कोटि व्युत्क्रम $1/3 = 0.3333...$ इत्यादि होगा।

तत्पश्चात् सम्पूर्ण केन्द्रों की वास्तविक जनसंख्या के योग को कोटि व्युत्क्रम के योग से विभाजित करके अध्ययन क्षेत्र में विद्यमान प्रथम नगर की प्रत्याशित जनसंख्या निकाली गई है। प्रथम नगर की प्रत्याशित जनसंख्या ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है:-

$$\text{प्र0ज0} = (\sum \text{व0ज0}) / (\sum \text{प्र0क0})$$

यहाँ :- प्र0ज0 = प्रत्याशित जनसंख्या

व0ज0 = वास्तविक जनसंख्या

प्र0क0 = कोटि व्युत्क्रम (प्रत्याशित कोटि/प्रत्यावर्ती कोटि)

Σ = योग को दिखाता है।

इस सूत्र की सहायता से प्राप्त प्रथम नगर की प्रत्याशित जनसंख्या में 2,3,4,5... इत्यादि कोटियों का भाग देकर अन्य सभी सेवा केन्द्रों की प्रत्याशित जनसंख्या ज्ञात की गई है। तत्पश्चात् प्रत्याशित जनसंख्या व पूर्व ज्ञात वास्तविक जनसंख्या में अंतर ज्ञात किया गया है। इसके बाद क्रमशः वास्तविक जनसंख्या का अन्तर प्रतिशत में तथा प्रत्याशित जनसंख्या का अन्तर प्रतिशत में में ज्ञात किया गया है।

निष्कर्ष:- सारणी:- 1 के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र की वास्तविक व प्रत्याशित जनसंख्या में पर्याप्त अन्तर है। 10 सेवा केन्द्रों क्रमशः दूनी, डिग्गी, बनेठा, देवली, नासिरदा, पचेवर, चाँदसेन, लावा, राजमहल, लांबाहरिसिंह की वास्तविक जनसंख्या प्रत्याशित जनसंख्या से कम है। शेष 78 सेवा केन्द्रों निवाई(ग्रामीण), पीपलू, थनवाला, झिलाई,

नगरफोर्ट, शोप, टोरडी, आँवा, नगर, राहोली, डांगरथल, झिराना, दतवास, मंडावर, रानोली, पनवाड़, घाड़, मेहंदवास, सिरौही, नटवारा, पचाला, सोडा, बगड़ी, ककोड़, बमोर, पारड़ी, पनवालिया, चोरु, जामडोली, ललवाड़ी, धुआँकला, सिदड़ा, डारड़ाहिन्द, डारड़ातुर्की, सोहेला, कठमाना, मूँडिया, मोरला, छान, उनियारा खुर्द, मोर, कांटोली, सुरेली, बूढ़ादेवल, बनथली, डाबरकला, बहार, कल्मण्डा, सिरस, नानेर, चांदली, रजवास, सोनवा, पलाई, साँवरिया, हतौना, थारोली, अवर, मेहरू, चवांदिया, कड़ीला, करेड़ा बुजुर्ग, बीजवार, पराना, हमीरपुर, बावड़ी, निवारिया, झारली, भरनी, दातौब, संधाली, खरेड़ा, सांखना, घाँस, गहलोद, गणोती, मालपुरा (ग्रामीण) की वास्तविक जनसंख्या प्रत्याशित जनसंख्या से अधिक है। इस प्रकार वास्तविक जनसंख्या व प्रत्याशित जनसंख्या का अन्तर समस्त 88 सेवा केन्द्रों में या तो धनात्मक है या ऋणात्मक है जो कि कोटि-आकार नियम के अनुरूप नहीं है। अतः जिले के सेवा केन्द्र कोटि-आकार नियम का पालन नहीं करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र के सेवा केन्द्रों में इस प्रकार की अनियमितता के मुख्य कारण सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक हो सकते हैं। यदि इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए स्थानिक तंत्र को संगठित किया जाए तो अध्ययन क्षेत्र में कोटि-आकार नियम के अनुरूप सेवा केन्द्रों का विकास किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची:-

1. Berry, B.J.L. and W.L. Garrison (1958), "Alternative explanation of Urban Rank-Size Relationship", *Annals Association of the American Geography*. 48, pp. 83-91, Reprinted in *Reaching in 'Urban Geography'* edited by Myre and Kohn. Central Book Dept. Allahabad, 1967, pp. 230-39.
2. Barai, D.C. (1974), "Rank Size Relationship and Spatial Distribution of Centres in Tamilnadu", *National Geographical Journal of India*, National Geographical Society of India, Varanasi, Vol. 20, No. 40, pp. 246-56.
3. Singh, Om Prakash (1971), "Relationship of Rank-Size and Distribution of Central Places in Uttar Pradesh", *National Geographer*, Vol. 6, pp. 19-30.
4. Patil, S.R. (1969), "A Comparative study of Rank-Size Relationship of Urban Settlement of Mysore State", *The Indian Geographical Journal*, Vol. 44, No. 1-2, pp. 35-43.
5. Mark Jefferson: "The Law of Primate City," *The Geographical Review*, XXIX No. 2, 1939, pp. 226-32.
6. Berry, B.J.L. : "City-size Distribution and Economic Development", *Economic Development and Cultural Change*, Vol. IX, No. 4, 1961, pp. 573-588.
7. Martin Beekmen: "City Hierarchies and the distribution of City-Size, Economic Development and Cultural Changes", VI, April 1958, pp. 243-48.
8. Berry, B.J.L. : "Cities as Systems within systems of Cities, Regional Science Association (1964)" 13, pp. 147-163.
9. Zipf, G.K. : *Human Behaviour and Principle of Least Efforts Readings*, Mass: Addison-Wesley, 1949.
10. Khan, W. and Wanmali, S. : "Impact of Linguistic Reorganisation of states on city-size Distribution, Economic and Socio-Cultural Dimensions of Regionalisation", *Office of the Registrar General of India 1972*, p. 452.
11. Zipf, G.K. : *National Unity and Disunity*, Bloomington, Ind. Principia Press, 1941.
12. Stewart, J.Q. : "Empirical Mathematical Rules concerning the Distribution and Equilibrium of Population", *The Geographical Review*, Vol. XXXVII No. 3, 1947, pp. 451-485.
13. Sovani, N.V. : "Trend of Urbanization in India" Paper read at the 39th Annual Conference of the Indian Economic Association (1958 Bombay), pp. 107-114.
14. Sadasyuk Galina: "Urbanization and the Spatial Structure of Indian Economy", *Economic and Socio-Cultural Dimensions of Regionalization*, Office of the Registrar General India, 1972, p.452.
15. Stewart, Charles T.Jr. : "The Size and Spacing of Cities. *The Geographical Review*", 1958, pp. 222-245.

सारणी:- 1: टोंक जिले का कोटि-आकार नियम के अनुसार क्षेत्रीय विश्लेषण

क्र.	सेवा केन्द्र	वास्तविक जनसंख्या	कोटि	कोटि व्युत्क्रम (प्रत्याशित कोटि / प्रत्यावर्ती कोटि)	प्रत्याशित जनसंख्या	वास्तविक जनसंख्या व प्रत्याशित जनसंख्या का अन्तर	वास्तविक जनसंख्या का अन्तर प्रतिशत में	प्रत्याशित जनसंख्या का अन्तर प्रतिशत में
1	दूनी	11295	1	1	69608	.58313	.516.3	.83.77
2	डिग्गी	11070	2	0.5	34804	.23734	.214.4	.68.19
3	बनेठा	8330	3	0.333	23202	.14873	.178.5	.64.1
4	देवली	8007	4	0.25	17402	.9395	.117.3	.53.99
5	नासिरदा	7440	5	0.2	13921	.6481	.87.12	.46.56
6	पचेवर	7332	6	0.167	11601	.4269	.58.23	.36.8
7	चाँदसेन	6828	7	0.143	9944	.3116	.45.64	.31.34
8	लावा	6799	8	0.125	8701	.1902	.27.97	.21.86
9	राजमहल	6722	9	0.111	7734	.1012	.15.06	.13.09
10	लांबाहरिसिंह	6671	10	0.1	6960	.289	.4.344	.4.163
11	निवाई(ग्रामीण)	6642	11	0.091	6328	314	4.7275	4.9621
12	पीपलू	6407	12	0.083	5800	606	9.4636	10.453
13	थनवाला	6143	13	0.077	5354	788	12.836	14.727
14	झिलाई	5758	14	0.071	4972	786	13.651	15.809
15	नगरफोर्ट	5647	15	0.067	4640	1006	17.823	21.689
16	शोप	5482	16	0.063	4350	1131	20.64	26.009
17	टोरडी	5453	17	0.059	4094	1358	24.911	33.176
18	आँवा	5445	18	0.056	3867	1577	28.979	40.803
19	नगर	5165	19	0.053	3663	1501	29.069	40.982
20	राहोली	4970	20	0.05	3480	1489	29.972	42.8
21	डांगरथल	4935	21	0.048	3314	1620	32.834	48.884
22	झिराना	4933	22	0.045	3164	1769	35.861	55.91
23	दतवास	4793	23	0.043	3026	1766	36.857	58.371
24	मंडावर	4501	24	0.042	2900	1600	35.562	55.189
25	रानोली	4411	25	0.04	2784	1626	36.878	58.423
26	पनवाड़	4352	26	0.038	2677	1674	38.483	62.556
27	घाड़	4160	27	0.037	2578	1581	38.027	61.361
28	मेहंदवास	4144	28	0.036	2486	1658	40.01	66.693
29	सिरोही	4112	29	0.034	2400	1711	41.628	71.314
30	नटवारा	4086	30	0.033	2320	1765	43.214	76.1
31	पचाला	3981	31	0.032	2245	1735	43.597	77.294
32	सोडा	3960	32	0.031	2175	1784	45.069	82.048
33	बगड़ी	3928	33	0.03	2109	1818	46.3	86.22
34	ककोड़	3921	34	0.029	2047	1873	47.786	91.521
35	बमोर	3864	35	0.029	1988	1875	48.53	94.288
36	पारडी	3809	36	0.028	1933	1875	49.237	96.995
37	पनवालिया	3801	37	0.027	1881	1919	50.505	102.04
38	चोरु	3737	38	0.026	1831	1905	50.982	104.01
39	जामडोली	3543	39	0.026	1784	1758	49.624	98.507
40	ललवाड़ी	3534	40	0.025	1740	1793	50.758	103.08
41	धुआँकला	3506	41	0.024	1697	1808	51.576	106.51
42	सिदड़ा	3487	42	0.024	1657	1829	52.471	110.4

43	डारडाहिन्द	3429	43	0.023	1618	1810	52.791	111.82
44	डारडातुर्की	3398	44	0.023	1582	1816	53.443	114.79
45	सोहेला	3268	45	0.022	1546	1721	52.667	111.27
46	कठमाना	3250	46	0.022	1513	1736	53.439	114.77
47	मूँडिया	3242	47	0.021	1481	1760	54.318	118.9
48	मोरला	3229	48	0.021	1450	1778	55.089	122.66
49	छान	3224	49	0.02	1420	1803	55.938	126.95
50	उनियारा खुर्द	3210	50	0.02	1392	1817	56.631	130.58
51	मोर	3183	51	0.02	1364	1818	57.12	133.21
52	कांटोली	3181	52	0.019	1338	1842	57.918	137.63
53	सुरेली	3162	53	0.019	1313	1848	58.464	140.76
54	बूढादेवल	3141	54	0.019	1289	1851	58.961	143.67
55	बनथली	3084	55	0.018	1265	1818	58.962	143.68
56	डाबरकला	3070	56	0.018	1243	1827	59.511	146.98
57	सूथरा	3021	57	0.018	1221	1799	59.577	147.38
58	बहार	2991	58	0.017	1200	1790	59.875	149.22
59	कल्म.डा	2959	59	0.017	1179	1779	60.129	150.81
60	सिरस	2947	60	0.017	1160	1786	60.633	154.02
61	नानेर	2937	61	0.016	1141	1795	61.147	157.38
62	चांदली	2910	62	0.016	1122	1787	61.419	159.19
63	रजवास	2827	63	0.016	1104	1722	60.917	155.86
64	सोनवा	2800	64	0.016	1087	1712	61.156	157.44
65	पलाई	2778	65	0.015	1070	1707	61.451	159.41
66	साँवरिया	2762	66	0.015	1054	1707	61.815	161.88
67	हतौना	2756	67	0.015	1038	1717	62.303	165.27
68	थारोली	2746	68	0.015	1023	1722	62.722	168.26
69	अवर	2718	69	0.014	1008	1709	62.884	169.43
70	मेह.	2700	70	0.014	994	1705	63.17	171.52
71	चवांदिया	2663	71	0.014	980	1682	63.185	171.63
72	कड़ीला	2641	72	0.014	966	1674	63.393	173.18
73	करेडा बुजुर्ग	2610	73	0.014	953	1656	63.466	173.72
74	बीजवार	2608	74	0.014	940	1667	63.932	177.26
75	पराना	2607	75	0.013	928	1678	64.399	180.89
76	हमीरपुर	2593	76	0.013	915	1677	64.678	183.11
77	बावडी	2502	77	0.013	904	1598	63.869	176.77
78	निवारिया	2422	78	0.013	892	1529	63.154	171.4
79	झारली	2386	79	0.013	881	1504	63.072	170.79
80	भरनी	2378	80	0.013	870	1507	63.41	173.3
81	दातोंब	2291	81	0.012	859	1431	62.49	166.59
82	संथाली	2118	82	0.012	848	1269	59.921	149.51
83	खरेडा	2041	83	0.012	838	1202	58.91	143.37
84	सांखना	2031	84	0.012	828	1202	59.199	145.09
85	घाँस	1937	85	0.012	818	1118	57.722	136.53
86	गहलोद	1628	86	0.012	809	818	50.283	101.14
87	गणेती	1467	87	0.011	800	666	45.461	83.354
88	मालपुरा(ग्रामीण)	1283	88	0.011	791	492	38.348	62.2
	योग	352233		5.06				

स्रोत:- 2011 की जनगणना पर आधारित

परसंस्कृतिकरण के प्रभाव से भील महिलाओं की सामाजिक समस्याओं में आई कमी का अध्ययन (धार जिले के विशेष संदर्भ में)

कीर्ति गोस्वामी*

* शोधार्थी (समाजकार्य) डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अंबेडकर नगर, महु, जिला इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भील जनजाति महिलायें बदलते सामाजिक परिवेश में सामंजस्य बिठाकर अपना विकास कर पा रही है या नहीं। आधुनिकता के इस दौर में आज भी हम जनजातियों के विकास के लिए उपयुक्त सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही यह अध्ययन भील जनजाति पर परसंस्कृतिकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करके सकारात्मक प्रभाव को प्रोत्साहन देने एवं परसंस्कृतिकरण के प्रभाव से भील जनजाति समाज में उत्पन्न समस्या को हल करने तथा इनके विकास हेतु उपयुक्त सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकता है।

शब्द कुंजी – परसंस्कृतिकरण और भील महिलाओं की सामाजिक समस्याओं में कमी।

शोध का उद्देश्य – वर्तमान परिदृश्य में धार जिले की भील महिलाओं में परसंस्कृतिकरण के प्रभाव से उनकी सामाजिक समस्याओं में कमी का अध्ययन करना।

प्रस्तावना – भील जनजाति के लोग अपने परंपरागत व्यवसाय कार्यों को छोड़कर शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं तथा शहरों की संस्कृति को अपना रहे हैं। परसंस्कृतिकरण की इस प्रक्रिया से भील जनजाति की महिलायें भी प्रभावित हो गई हैं। परसंस्कृतिकरण के प्रभाव से भील जनजातियों के भौतिक व अभौतिक संस्कृतियों में परिवर्तन हो रहा है। शिक्षा के प्रसार, आधुनिक परिवहन और संचार के साधनों में वृद्धि एवं आजीविका उपार्जन के लिए नवीन प्रवृत्तियों से इनके सामाजिक, आर्थिक जीवन में सुधार हुआ है या नहीं।

शोध का चयन – भील जनजाति महिलाओं का वर्तमान परिदृश्य में परसंस्कृतिकरण के प्रभाव से उनकी सामाजिक समस्याओं में कमी आने या न आने, आदि को जानने के लिये शोध अध्ययन का चयन किया गया है।

साहित्य समीक्षा

1. **श्रीवास्तव प्रदीप, (2000)** – ने अपनी पुस्तक 'भारत का जनजातीय जीवन' के जनजातीय समस्या के अंतर्गत बताया कि जनजातियों की अपनी संस्कृति की एक अलग पहचान है। लेकिन वर्तमान औद्योगिकीकरण के बढ़ते प्रभाव ने इनके सांस्कृतिक स्वरूप को छिन्न-भिन्न कर दिया है। औद्योगिकीकरण के कारण ही जनजातियों में आधुनिकीकरण एवं परसंस्कृतिकरण को अपनाया है। वे अपने परंपरागत मूल्यों एवं मान्यताओं के स्थान नी नवीन मूल्यों, व्यवस्थाओं एवं आधुनिक संस्कृति को अपना रहे हैं। इनके सांस्कृतिक मूल्यों में काफी गिरावट आई है।

2. **श्रीवास्तव, आर. एन. (2007)** – ने बताया कि जनजाति मानव समाज का एक विस्तृत प्रवर्ग है। जनजातियों की अर्थव्यवस्था एवं जनजातियों की समस्याएँ तथा कृषि और वन से जुड़ी समस्याएँ जैसे – जनजातियों के लोगों का बाग व्यक्तियों द्वारा शोषण, ऋणग्रस्तता बंधुआ

मजदूरी एवं जनजातिय क्षेत्रों में विकास की मंद गति, पंचवर्षीय योजनाओं एवं उपयोजनाओं के माध्यम से चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया है।

शोध अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के भील जनजाति बाहुल्य क्षेत्र धार जिले को उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा चयनित कर अध्ययन क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया है। धार जिला मध्यप्रदेश के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में स्थित है। यह 22°1' तथा 23° 9' 49" उत्तरी अक्षांश और 74°28' 27" तथा 75° 42' 43" पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। इस जिले के उत्तर में रतलाम एवं उज्जैन जिला तथा उत्तर पूर्व में इंदौर जिला तथा दक्षिण में बड़वानी जिला व पश्चिम में अलीराजपुर जिला है। तथा उत्तर पश्चिम में झाबुआ जिला स्थित है। धार जिले का क्षेत्रफल 8153 वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 2185793 है इनमें पुरुष जनसंख्या 11,12,725 तथा महिला 10,73,068 है। तथा जिले की जनजातीय जनसंख्या 12,22,814 है। जो कुल जनसंख्या का 55.9 प्रतिशत है। धार जिले की कुल साक्षरता दर 61.57 प्रतिशत है। तथा अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर प्रतिशत है। धार जिले में आठ तहसीलें धार, कुक्षी, बदनावर, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी, सरदारपुर तथा डही हैं और 13 विकासखण्ड हैं। तथा जिले में सर्वाधिक भील जनजाति पायी है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति को आधार मानते हुये निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोगात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन का समग्र – मध्यप्रदेश के धार जिले की समस्त भील जनजाति की 300 महिलायें उत्तरदाता अध्ययन का समग्र है।

अध्ययन की इकाई – प्रस्तुत शोध में चयनित गांव की भील जनजाति की महिलायें अध्ययन की इकाई हैं।

समंक संकलन – 1. प्राथमिक स्रोत 2. द्वितीयक स्रोत

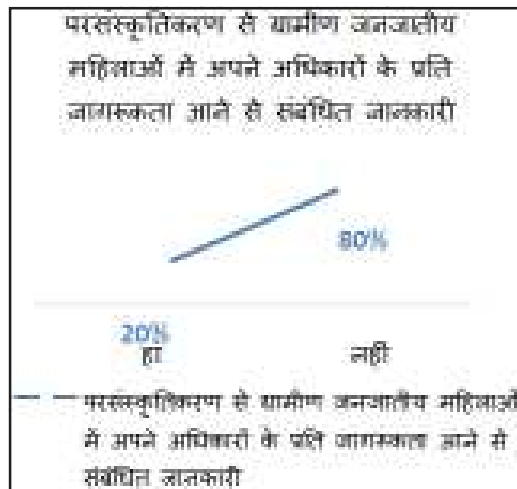
प्राथमिक स्रोत- प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण निर्मित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र में पाकर उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क कर साक्षात्कार कर, क्षेत्र का निरीक्षक एवं अवलोकन तथा समूह चर्चा के माध्यम से एकत्र किये गये हैं। साक्षात्कार अनुसूची में अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप प्रश्नों का समावेश किया गया है।

द्वितीयक स्रोत- प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु द्वितीयक स्रोतों का संकलन विभिन्न मानको विभिन्न रिपोर्ट, जनगणना पुस्तिका, जिला सांख्यिकी विभाग धार, राजस्व विभाग, तहसील कार्यालय, विकास खण्ड कार्यालय एवं ज्योतिबा फूले पुस्तकालय, डॉ.बी.आर.अम्बेडकर विश्वविद्यालय, महु (इंदौर), तथा केन्द्रिय पुस्तकालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, मध्यप्रदेश आदि से द्वितीयक स्रोतों का संकलन किया गया है।

तकनीक एवं उपकरण -तथ्यों को एकत्रित करने के लिए अवलोकन पद्धति, समूह चर्चा, अनुसूची, प्रश्नावली साक्षात्कार पद्धति तथा अनौपचारिक वार्तालाप, एस. पी. एस. एस., फोटोग्राफी एवं सारणीयन का उपयोग किया गया है।

सारिणी क्र. - 1: परसंस्कृतिकरण से ग्रामीण जनजातीय महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आने से संबंधित जानकारी

क्र.	उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हां	60	20
2.	नहीं	240	80
	कुल	300	100



उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाताओं से परसंस्कृतिकरण से ग्रामीण जनजातीय महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आने से संबंधित जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि 300 महिला उत्तरदाताओं में से 60 महिला उत्तरदाताओं ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना बताया जिसका 20 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है जबकि 240 महिला उत्तरदाताओं ने परसंस्कृतिकरण से ग्रामीण जनजातीय महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न होना बताया जिसका 80 प्रतिशत है, जो कि सबसे अधिक है। अतः इससे स्पष्ट है कि परसंस्कृतिकरण से ग्रामीण जनजातीय महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं आई है।

सारिणी क्र. - 2: परसंस्कृतिकरण से सामाजिक समस्याओं में कमी आने से संबंधित जानकारी

क्र.	उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	बाल विवाह में कमी	150	50
2.	जातिवाद में कमी	60	20
3.	लैंगिक असमानता में कमी	30	10
4.	अस्पृश्यता में कमी	60	20
	कुल	300	100



उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाताओं से परसंस्कृतिकरण से सामाजिक समस्याओं में कमी आने से संबंधित जानकारी लेने से ज्ञात हुआ कि 300 महिला उत्तरदाताओं में से 150 महिला उत्तरदाता ने बाल विवाह में कमी आना बताया है जिसका 50 प्रतिशत है, जो कि सर्वाधिक है, जबकि 60 महिला उत्तरदाता ने जातिवाद में कमी आना बताया जिसका 20 प्रतिशत है। उसी प्रकार 30 महिला उत्तरदाता ने लैंगिक असमानता में कमी आना बताया जिसका 10 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है। जबकि 60 महिला उत्तरदाता ने अस्पृश्यता में कमी होना बताया जिसका 20 प्रतिशत है। अतः इससे स्पष्ट है कि भील समाज में परसंस्कृतिकरण से बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं में कमी आई है।

सारिणी क्र. - 3: भील महिलाओं के शोषण के प्रमुख कारण को जानने से संबंधित जानकारी

क्र.	उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अशिक्षा	120	40
2.	पुरुष प्रधान	45	15
3.	पारिवारिक तनाव	75	25
4.	जागरूकता का अभाव	60	20
	कुल	300	100

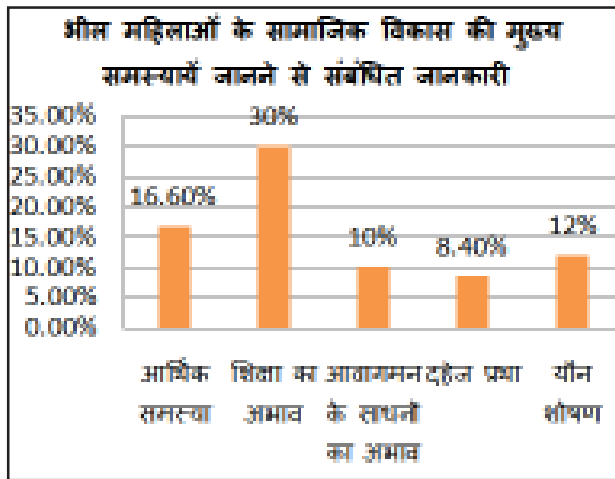


उपरोक्त सारिणी में भील महिलाओं के शोषण के प्रमुख कारण को जानने से संबंधित जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि 300 महिला उत्तरदाताओं

में से 120 महिलाओं ने अशिक्षा को भील महिलाओं के शोषण का कारण बताया जिसका 40 प्रतिशत है जबकि 45 महिलाओं ने उनके समाज में पुरुष प्रधान होना बताया जिसका 15 प्रतिशत है। उसी प्रकार 75 महिलाओं ने पारिवारिक तनाव होना बताया जिसका 25 प्रतिशत है जबकि 60 महिलाओं ने जागरूकता का अभाव बताया जिसका 20 प्रतिशत है। अतः इससे स्पष्ट है कि भील महिलाओं के शोषण का प्रमुख कारण उनका अशिक्षित होना है।

सारिणी क्र. -4: भील महिलाओं के सामाजिक विकास की मुख्य समस्याएँ जानने से संबंधित जानकारी

क्र.	उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	आर्थिक समस्या	50	16.6
2.	शिक्षा का अभाव	90	30.0
3.	आवागमन के साधनों का अभाव	30	10.0
4.	दहेज प्रथा	25	8.4
5.	यौन शोषण	36	12.0
6.	गरीबी एवं भूखमरी	27	9.0
7.	अस्पृश्यता	12	4.0
8.	योजना का लाभ नहीं	30	10.0
	कुल	300	100



उपरोक्त सारिणी में भील महिलाओं के सामाजिक विकास की मुख्य समस्याएँ जानने से संबंधित जानकारी जानने हेतु किये गये सर्वे के अनुसार 300 महिला उत्तरदाता में से 50 महिलाओं ने भील महिलाओं के सामाजिक विकास में आर्थिक समस्या बताई जिसका 16.6 प्रतिशत है जबकि 90 महिलाओं

ने उनमें शिक्षा का अभाव होना बताया, जिसका 30 प्रतिशत है। उसी प्रकार 30 महिलाओं ने आवागमन के साधनों का अभाव बताया, जो कि 10 प्रतिशत है जबकि 25 महिलाओं ने दहेज प्रथा का होना बताया, जो कि 8.4 प्रतिशत है। 36 महिलाओं ने यौन शोषण होना बताया जो कि 12 प्रतिशत है जबकि 12 महिलाओं ने अस्पृश्यता बताई जिसका 4 प्रतिशत है, जो कि सबसे कम है तथा 30 महिलाओं ने योजनाओं का लाभ नहीं मिलना बताया जिसका 10 प्रतिशत है। अतः इससे स्पष्ट है कि भील महिलाओं की सामाजिक विकास में आर्थिक समस्या बाधक है।

निष्कर्ष :

1. परसंस्कृतिकरण से ग्रामीण जनजातीय महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं आई है।
2. भील समाज में परसंस्कृतिकरण से बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं में कमी आई है।
3. भील महिलाओं के शोषण का प्रमुख कारण उनका अशिक्षित होना है।
4. भील महिलाओं की सामाजिक विकास में आर्थिक समस्या बाधक है।

सुझाव :

1. ग्रामीण भील महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना अति आवश्यक है।
2. परसंस्कृतिकरण के महत्व का प्रचार-प्रसार बड़े तादाद पर होना चाहिए जिससे महिलाओं के सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सके।
3. ग्रामीण क्षेत्रों की भील महिलाओं में शिक्षा का प्रचार-प्रसार उच्च स्तर पर होना चाहिए जिससे उनपर होने वाले शोषण को रोका जा सके।
4. ग्रामीण भील महिलाओं को आर्थिक स्तर पर सक्षम बनाना अति आवश्यक है जिससे उनके सामाजिक विकास में बाधक न बन सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सोलंकी मांगीलाल, 'भीलों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आलेख' व राष्ट्रीय अभिलेखाकार, नई दिल्ली।
2. श्रीवास्तव ए. आर. एन. (2002), 'जनजातीय संस्कृति', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
3. श्रीनिवास, एम, एन, 'आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन' राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. तिवारी शिवकुमार, (1986), 'मध्यप्रदेश के आदिवासी', मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
5. उपाध्याय नारायण, 'निमाइ का सांस्कृतिक इतिहास', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

Digital Age Communication Device : A Cross-Functional Analysis

Dr. Khatoon Aftab Kathawala*

*Assistant Professor (Computer Science & Information Technology) Bhupal Nobles' University, Udaipur
(Raj.) INDIA

Abstract

Purpose: The purpose of this study is to determine the importance of brand satisfaction, brand trust and brand equity in determining loyalty in the mobile phone purchase. The study argues that price consciousness of a consumer has a moderating impact on the above effects i.e. impact of brand satisfaction, brand trust and brand equity on loyalty components.

Design/methodology/approach: A total of 127 respondents were surveyed on 18 questions related to brand satisfaction, brand trust, brand equity, price consciousness, attitudinal and behavioral loyalty.

Findings: The findings revealed a significant impact of brand trust and brand equity on attitudinal and behavioral loyalty. The study also revealed a strong moderation impact of price consciousness on both the relationships

Research Limitations& Future Directions: Future studies may look at generalizing the findings by conducting studies in other geographies using a larger sample base.

Keywords: price consciousness, attitudinal loyalty, behavioral loyalty, brand trust, brand equity, brand satisfaction.

Introduction - Significant improvements in profits may result from a small increase in loyalty (Huffmire, 2001). Reichheld & Sasser (1990) predicted an increase of 30% to 85% for a 5% increase in loyalty. Because of this impact magnitude of loyalty, there has been an intense research focus in the domain of loyalty over the past three decades. In parallel, it has been noted that a significant way for a company to build and gain competitive advantage is to develop a strong brand (Pitta & Katsanis, 1995). Along same lines, retaining existing customers and making them loyal has been found to be one of the main components of maintaining sustained competitive advantage (Dekimpe, Steenkamp, Mellens, & Abeele, 1997).

Brand Loyalty in Electronic Appliances: Rundle-Thiele & Bennett (2001) noted from their review of loyalty literature that brand loyalty has different measurements for durables, consumables and services market. For durable goods like electronic appliances, the products have a longer useful life and are capable of surviving many uses.

Role of price consciousness: From the very early days of consumer research, the economic paradigm - prevalent in 1940s of consumer behavior, Zaichowsky (1991) posited that individual buyers seek to maximize their satisfaction considering their tastes and relative prices. According to Zeithaml V. (1988), price is sacrificed to obtain some service or product and lower the perceived price, lower is the perceived sacrifice. This gives a sense of price fairness.

However, consumers have been noted to trade off price consciousness with the product purchase risk.

The purpose of this study is to determine the importance of brand satisfaction, brand trust and brand equity in determining loyalty in the mobile phone purchase. Further, the study argues that price consciousness of a consumer has a moderating impact on the above effects i.e. impact of brand satisfaction, brand trust and brand equity on loyalty components.

Literature Review and Hypothesis

Theoretical Background: Expectation-Confirmation theory (Oliver R. , 1999) has formed the bedrock for a large set of loyalty studies. As per the theory, consumers form an initial expectation before the purchase, followed by development of perceptions about the performance of the product after an initial period of consumption. Post the initial consumption, consumer frames an opinion on the level of satisfaction in comparison to their initial expectation. If the initial expectation is met/ exceeded, the consumer is satisfied and hence has a greater likelihood of continuing their association and forming repurchase intention. Resultantly, satisfaction, trust and the perception of brand value that develops after a period of association and consumption is likely to form an antecedent of the decision to repurchase or may hence determine loyalty.

Brand Loyalty: Engel, Kollat, & Blackwell (1982) had defined Brand Loyalty as "preferential, attitudinal and

behavioral response expressed over a period of time by a consumer toward one or more than one brand in a product category". As one of the most widely accepted definitions, Oliver (1997) termed customer loyalty as "a deeply held commitment for rebuying or re-patronizing a preferred product/service consistently in future, leading to a repetitive same-brand or same brand-set purchasing, regardless of situational influences and marketing efforts that may have a potential for causing switching behavior".

Brand Satisfaction: Oliver (1997) defined satisfaction as the customer's fulfilment response on the basis of his judgement that the product or service has provided a pleasurable level of experience. Satisfaction is achieved when the performance of the brand meets the expectation of the customer and when the expectation is not met, it leads to dissatisfaction. Nam, Ekinici and Whyatt (2011) defined brand satisfaction as an evaluative summary of the direct consumption experience that is arrived at on the basis of the discrepancy between the expected and the actual performance of the brand.

Brand Trust: Trust can be understood as the acceptance of vulnerability with a confidence of relying on the other (Lewicki, McAllister, & Bies, 1998). One party's confidence in reliability and integrity of the other party has often been cited as the pre-requisite for development of trust (Morgan & Hunt, 1994). As Chaudhuri & Holbrook (2001) noted, a customer who trusts a brand is more likely to be a loyal customer and will be willing to buy new products, to pay premium for the brand and also share a positive word of mouth with others.

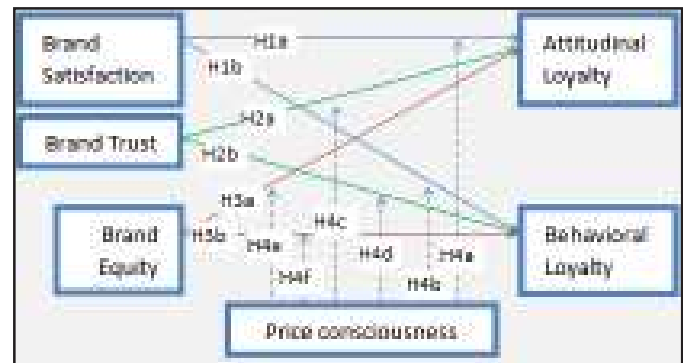
Brand Equity: Brand equity is one of the most important intangible assets possessed by a firm. Aaker (1995) defined brand equity as the set of brand assets and liabilities that are linked to the brand that either adds to or subtracts from the value provided by the product. The assets of a brand include elements like brand loyalty, awareness, perceived quality, association and intangibles like patents and trademarks. Brand equity may be exhibited in the manner customers consider, feel and act towards a brand and may also be reflected in the prices, market share and profitability a brand commands (Kotler & Keller, 2009).

Price consciousness: Price consciousness was first conceptualized as a construct by Lichtenstein, Ridgway, & Netemeyer (1993). They described price consciousness as the "degree to which a customer focuses exclusively on paying low prices". Monroe and Petroschius (1981) conceptualized price consciousness as an individual's differing reluctance to opt for additional features of product if the price differential is too large. Along similar lines, Miyazaki, Sprott, & Manning (2000) termed price consciousness as reflecting the difference in individual's enduring motivation for considering unit price information.

Research Model and Hypothesis: Background literature review suggests that loyalty has strong antecedents in Brand Satisfaction, Brand Trust and Brand Equity. Hence, the

following research model is proposed to assess the moderating impact of price consciousness of the customer on the antecedent path of Loyalty.

Figure 1



Brand Satisfaction and Loyalty: A large set of past studies have demonstrated a positive relationship between satisfaction and the twin dimensions of loyalty. Brand Satisfaction has been established as a key element of brand loyalty (Oliver R., 1999). Taylor, Celuch, & Goodwin (2004) suggested that brand satisfaction is an attribute of both behavioral and attitudinal loyalty. Chiou & Droge (2006) found in their study the satisfaction experience by a customer has a positive impact on the exhibited attitudinal loyalty. On the behavioral front, Rauyruen & Barrett (2007) found that satisfaction emerged as a positive predictor of behavioral loyalty. The positive impact of satisfaction on behavioral and attitudinal loyalty was also established by Trif (2013).

Hence, it is hypothesized that:

H1a: Brand Satisfaction has a positive impact on attitudinal loyalty in purchase of mobile phones

H1b: Brand Satisfaction has a positive impact on behavioral loyalty in purchase of mobile phones

Brand Trust and Loyalty: Trust is a well studied and well established antecedent of loyalty (Chaudhuri & Holbrook, 2001). Trust in a strong brand enables customer to better understand the offering and be better equipped to evaluate the associated perceived risks of purchase and consumption of the offering (Berry, 2000).

Hence, it is hypothesized that:

H2a: Brand Trust has a positive impact on attitudinal loyalty in purchase of mobile phones

H2b: Brand Trust has a positive impact on behavioral loyalty in purchase of mobile phones

Brand Equity and Loyalty: Pitta and Katsanis (1995) called brand equity a fusion of all the procedures that went into marketing the brand in conjunction with the added value that the brand name contributed to the product. In line with the expectancy theory, a higher brand equity leads the consumer to the perception that the price and quality of the product is of a higher order and that the quality of product is fair for the product (Kim & Hyun, 2011). Hence, as consumer perceive a higher quality for a given price with a

higher brand equity product, they are more likely to purchase the product. Hence, in line with these, the following hypotheses for our study on mobile phone purchase behavior is proposed:

H3a: *Brand Equity has a positive impact on attitudinal loyalty in purchase of mobile phones*

H3b: *Brand Equity has a positive impact on behavioral loyalty in purchase of mobile phones*

Moderating role of Price Consciousness on antecedent path of Loyalty: Price consciousness is an important element influencing purchase behavior. Highly price conscious customers derive emotional value by searching for lower prices (Alford & Biswas, 2002). These customers get a feeling of pride if a lower priced product is found. Hence, a customers' level of price consciousness determines his/her propensity to search for prices.

Customers have been demonstrated to be less price conscious in cases of high value purchases (Sinha & Batra, 1999). This is because high value purchases may be considered riskier (risk of going wrong with a purchase – viz. quality, value per unit) than low value purchases.

Basis this, the following are hypothesized:

H4a: *Price consciousness of customer moderates the relationship between Brand Satisfaction and Attitudinal loyalty in purchase of mobile phones*

H4b: *Price consciousness of customer moderates the relationship between Brand Satisfaction and Behavioral loyalty in purchase of mobile phones*

H4c: *Price consciousness of customer moderates the relationship between Brand Trust and Attitudinal loyalty in purchase of mobile phones*

H4d: *Price consciousness of customer moderates the relationship between Brand Trust and Behavioral loyalty in purchase of mobile phones*

H4e: *Price consciousness of customer moderates the relationship between Brand Equity and Attitudinal loyalty in purchase of mobile phones*

H4f: *Price consciousness of customer moderates the relationship between Brand Equity and Behavioral loyalty in purchase of mobile phones*

Research Design: The study employed a quantitative research design. Questionnaire development and sample selection are discussed in the following paragraphs:

Questionnaire Design: The questionnaire had 18 statements covering the dependent, independent and moderating variables of the study besides a set of demographic questions. A 5- point Likert scale was presented for assessment of all statements.

Table (see in last page)

Sample: An electronic survey was conducted using online survey platform for sampling from the mass population that had purchased mobile phones in past. Respondents were asked to rate the survey elements on a 5-point Likert-scale with respect to their last purchased mobile phone. A combined total of 127 responses were received. Of the final

responses received 70% were from men and 30% were from women. The age group profile of the respondents is as follows:

Table 1: Age distribution of sample

Age bracket (years)	Percentage of Respondents
21-25 years	7.9%
26-30 years	26%
31-35 years	19.7%
36-40 years	15.8%
41-45 years	12.6%
46-50 years	5.5%
50+ years	12.6%

74% of the participants were employed full-time and 18% were self-employed. The remaining participants were retired, unemployed or students.

Data Analysis: A confirmatory factor analysis was conducted to test the measurement model for construct validity. Test on item loading highlighted that item on all the constructs barring price consciousness had standardized loading of 0.6 and above and were considered good indicators (Bagozzi & Yi, 1988). The standardized loading on one operating variables of price consciousness (0.55) was below an ideal acceptable level but above threshold level of 0.5 as indicated by (Hair et al., 2010).

Table 2: Inter Construct Correlation Matrix

	AL	BL	BS	BT	BE	PC
AL	1					
BL	0.74	1				
BS	0.17	0.20	1			
BT	0.83	0.73	0.40	1		
BE	0.75	0.74	0.31	0.62	1	
PC	-0.23	-0.20	0.05	-0.27	-0.12	1

AL: Attitudinal Loyalty, BL: Behavioral Loyalty, BS: Brand Satisfaction, BT: Brand Trust, BE: Brand Equity, PC: Price Consciousness

Model Fitting: The Confirmatory Factor Analysis (CFA) conducted on the model indicated a good fit to the data. The various statistics related to model fitting are as follows:

Table 3: Model fitting statistics

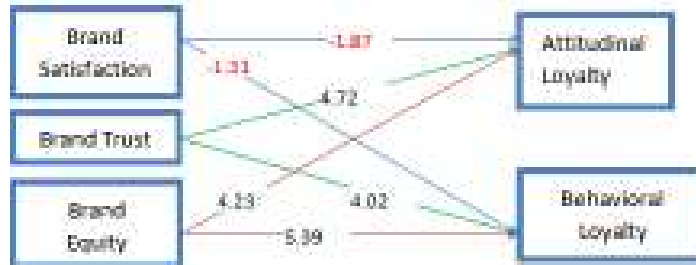
Measure	Value
chi-square	149.45
Degrees of Freedom (df)	121
RMSEA	0.043
Normed Fit Index (NFI)	0.95
Non-Normed Fit Index (NNFI)	0.98
Comparative Fit Index (CFI)	0.99
Incremental Fit Index (IFI)	0.99
Relative Fit Index (RFI)	0.93
Goodness of Fit Index (GFI)	0.88
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)	0.84

As evident, the model reported a chi-square/df of 1.24 that was well below (and in line with) the recommended level of chi-square/df < 3 signifying a good fit. The RMSEA value was again in line with the recommendation of < 0.05. The NFI, NNFI, CFI, IFI and RFI were well below the

recommended threshold of 0.9 as required for a good model fit. GFI and AGFI were below the ideal level of 0.9 but within acceptable levels of goodness of fit.

Hypotheses Testing: Hypotheses testing were carried out using structured equation modelling and regression analysis.

Figure2: t-values of the structural model using LISREL



Results of a structured equation modelling analysis did not show a significant relationship between Brand Satisfaction and Attitudinal or Behavioral Loyalty. This was counter to our hypotheses wherein we had expected a positive impact of brand satisfaction on attitudinal and behavioral loyalty. This leads us to not accept the hypotheses H1a/H1b.

Brand Trust was found to have a significant positive impact on Attitudinal and Behavioral Loyalty. This finding was in line with our stated hypotheses. A similar positive impact of Brand Equity was found on Attitudinal and Behavioral Loyalty. Hence, the hypotheses H2a, H2b, H3a and H3b were accepted on the basis of the results.

Linear regression analysis was carried out to examine the effect of price consciousness on the effect of brand satisfaction, brand trust and brand equity on attitudinal and behavioral loyalty. Centering of data was carried out before carrying out the analysis to rule out the problems of multicollinearity. Moderation effect was tested for the two elements that had a significant impact on the twin components of loyalty – brand trust and brand equity. As hypothesized, the analysis revealed a significant moderation of the relationship of all the four relationships as reflected in the table below:

Moderation of price consciousness on:	Significance level	Adjusted R-square
brand equity -> attitudinal loyalty	0.031	0.473
brand equity -> behavioral loyalty	0.005	0.389
brand trust -> attitudinal loyalty	0.002	0.428
brand trust -> behavioral loyalty	0.004	0.397

The moderation was found to be significant at <0.05 levels. This leads us to accepting the hypotheses H4c, H4d, H4e and H4f.

Discussion and Implications: This study examined antecedents of attitudinal and behavioral loyalty and the moderating role of price consciousness. The results herein found a strong support for brand trust and brand equity as being indicators for attitudinal and behavioral loyalty. The deviation from the expected came in the relationship between brand satisfaction and the twin components of

loyalty. Though past studies had found a significant impact of satisfaction on attitudinal and behavioral loyalty, the current study results did not highlight a significant finding. Hence even though a consumer may be satisfied with the performance of the current mobile brand, he/she may have a separate brand identified that may have come out with technologically superior product.

Finally, the results revealed a moderation impact of price consciousness on both the components of loyalty. The moderation impact was found for both the significant antecedents of brand equity and brand trust. This was in line with findings of Matzler, Grabner-Kräuter, & Bidmon (2006) who found trust and loyalty relationship to be moderated by price. Price-conscious moderation reflected here is aligned with Sinha & Batra(1999) findings considering that mobile phones fall across price segments. The results of this study has several managerial implications. First, companies involved in electronic products like mobile phones need to remember the role of price-consciousness in creating repeat purchase of their products. Though a consumer may be trusting a brand and have high reference for its brand equity, the same may not translate into repeat purchase of a brand that is not competitive on the price front.

Since, companies can gain several competitive advantages via brand loyal consumers, firms in the space of electronic durables like mobile phones should aspire for higher level of brand trust and brand equity as these have been found to be significant antecedents of both attitudinal and behavioral loyalty.

Limitations and Future Research Directions: Primary limitation of this study was that it was based on a survey questionnaire. There could be variance between survey reporting and actual behavior. Hence, for future studies, simulating an experimental study to test the hypotheses is strongly recommended. Second, confirmation of the study results on a larger sample size not limited to Indian geography is also recommended.

References:-

1. Aaker, D. A. (1991). *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name*. New York: The Free Press.
2. Alford, B. L., & Biswas, A. (2002). The effects of discount level on price consciousness and sale proneness on consumers' price perception and behavioural intention. *Journal of Business Research*, 55, 775-783.
3. Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the Evaluation of Structural Equation Models. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 16, 74-94.
4. Berry, L. (2000). Cultivating service brand equity. *Academy of Marketing Science*, 28(1), 128-137.
5. Bodet, G. (2008). Customer satisfaction and loyalty in service: Two concepts, four constructs, several relationships. *Journal of Retailing and Customer*

- Services, 15(3), 156-162.
6. Chang, H. H., & Wang, H. W. (2008). The relationships among e-service quality, value, satisfaction and loyalty in online shopping. *European Advances in Consumer Research*.
7. Chang, H., & Wang, H. (2011). The moderating effect of customer perceived value on online shopping behaviour. *Online Information Review*, 35(3), 333-359.
8. Chaudhuri, A., & Holbrook, M. (2001). The Chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: the role of brand loyalty. *Journal of Marketing*, 65(2), 81-93.
9. Chiou, J., & Droge, C. (2006). Service Quality, Trust, Specific Asset Investment, and Expertise: Direct and Indirect Effects in a Satisfaction-Loyalty Framework. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 34(4), 613-627.
10. Dekimpe, M., Steenkamp, J.-B., Mellens, M., & Abeele, P. (1997). Decline and variability in brand loyalty. *International Journal of Research in Marketing*, 14(5), 405-420.
11. Engel, J. F., Kollat, D., & Blackwell, R. D. (1982). *Consumer behavior*. New York Press: Dryden Press.
12. Feick, L., & Lee, J. (2001). The impact of switching cost on the customer satisfaction- loyalty link; mobile phone service in France. *Journal of Service Marketing*, 35-48.
13. Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior*. Addison-Wesley.
14. Hair, J. F., Black, W. C., Balin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate data analysis*. Maxwell Macmillan International Editions.
15. Huffmire, D. (2001). Improving Customer Satisfaction, Loyalty, and Profit: an Integrated Measurement and Management System. *Choice*, 38, 946-947.
16. Kim, J. H., & Hyun, Y. J. (2011). A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector. *Industrial Marketing Management*, 40(3), 424-438.
17. Lassar, W., Mittal, B., & Sharma, A. (1995). Measuring customer-based brand equity. *Journal of Consumer Marketing*, 12(4), 11-19.
18. Lewicki, R., McAllister, D., & Bies, R. (1998). Trust and distrust: new relationships and realities. *The Academy of Management Review*, 23(3), 438-458.
19. Lichtenstein, D. R., Ridgway, N. M., & Netemeyer, R. G. (1993). Price Perceptions and Consumer Shopping Behavior: A Field Study . *Journal of Marketing Research*, 30, 234-245.
20. Matzler, K., Grabner-Kräuter, S., & Bidmon, S. (2006). The value-brand trust-brand loyalty chain: An analysis of some moderating variables. *Innovative marketing*, 2(2), 76-88.
21. Miyazaki, A. D., Sprott, D. E., & Manning, K. C. (2000). Unit Prices on Retail Shelf Labels: An Assessment of Information Prominence. *Journal of Retailing*, 76 (1), 93-112.
22. Monroe, K. B., & Petroshius, S. M. (1981). *Buyers' Perceptions of Price: An Update of the Evidence*, "Perspectives in Consumer Behavior, eds.,. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.
23. Morgan, R., & Hunt, S. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. *Journal of Marketing*, 58(3), 20-38.
24. Nam, J., Ekinci, Y., & Whyatt, G. (2011). Brand equity, brand loyalty and customer satisfaction. *Annals of Tourism Research*, 38(3), 1009-1030.
25. Oliver, R. (1997). *Satisfaction: A Behavior Perspective on the Consumer*. New York: McGraw-Hill.
26. Oliver, R. (1999). Whence Consumer Loyalty? . *Journal of Marketing*.
27. Pitta, D., & Katsanis, L. (1995). Understanding brand equity for successful brand extensions. *Journal on Consumer Marketing*, 12(4), 51-64.
28. Rauyruen, P. M., & Barrett, N. (2007). Relationship quality as a predictor of B2B customer loyalty. *Journal of Business Research*, 60(1), 21-31.
29. Reichheld, F. F., & Schefter, P. (2000). E-Loyalty: Your secret weapon on the web. *Harvard Business Review*, 78(4), 105-113.
30. Reichheld, F., & Sasser, W. (1990). Zero defections: quality comes to services. *Harvard Business Review*, 68(5), 105-111.
31. Rundle-Thiele, S., & Bennett, R. (2001). A brand for all seasons? A discussion of brand loyalty approaches and their applicability for different markets. *Journal of Product and Brand Management*, 10(1), 25-37.
32. Sinha, I., & Batra, R. (1999). The effect of consumer price consciousness on private label purchase. *International Journal of Research in Marketing*, 16, 237-251.
33. Taylor, S., Celuch, K., & Goodwin, S. (2004). The importance of brand equity to customer loyalty . *Journal of Product & Brand Management*, 13(4), 217-227.
34. Trif, S.-M. (2013). The influence of overall satisfaction and trust on customer loyalty. *Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society*, 8(1), 109-128.
35. Wakefield, K. L., & Inman, J. (2003). Situational Price Sensitivity: The Role of Consumption Occasion, Social Context and Income. *Journal of Retailing*, 79(4), 199-212.
36. Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. *Academy of Marketing Science*, 28(2), 195-211.
37. Zaichkowsky, J. L. (1991). Consumer Behavior: Yesterday, Today, and Tomorrow. *Business Horizons*, 51-58.
38. Zeithaml, V. (1988). Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence. *Journal of Marketing*, 52(3), 2-22.

Table

Construct	Operationalizing Statements	Scaled adapted from:
Brand Satisfaction	i. This electronic brand offers good value for the price I paid. ii. This electronic brand provides customers with a good deal. iii. I consider this electronic brand to be a bargain for the benefits I am receiving.	(Lassar, Mittal, & Sharma, 1995)
Brand Trust	i. I trust this brand. ii. I rely on this brand. iii. This is an honest brand. iv. This brand is safe.	(Chaudhuri & Holbrook, 2001)
Brand Equity	i. It makes sense to buy this electronic brand instead of any other brand, even if they are the same. ii. Even if another brand has the same features as this electronic brand, I would prefer to buy this electronic brand. iii. If there is another brand as good as this electronic brand, I prefer to buy this electronic brand. iv. If another brand is not different from this electronic brand in any way, it seems smarter to purchase this electronic brand.	(Yoo, Donthu, & Lee, 2000)
Price consciousness	i. I am willing to make an extra effort to find a low price for electronic appliance. ii. I will change what I had planned to buy in order to take advantage of a lower price for electronic appliance. iii. I am sensitive to differences in prices of electronic appliances.	(Wakefield & Inman, 2003)
Attitudinal Loyalty	i. I am committed to this brand. ii. I would be willing to pay a higher price for this brand over other brands.	(Chaudhuri & Holbrook, 2001)
Behavioral Loyalty	i. I will buy this brand the next time I buy electronics. ii. I intend to keep on purchasing this brand.	(Chaudhuri & Holbrook, 2001)

Impact of Influencer Marketing on Purchase Decision with Special Reference to Restaurant Industry

Ms. Shraddha Sengar* Ms. Anukruti Jain**

*Assistant Professor, Graduate School of Business, Nipania, Indore (M.P.) INDIA

** Scholar, Graduate School of Business, Nipania, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - In recent years, influencer marketing has emerged as a prominent strategy for businesses to engage with consumers and influence their purchasing decisions. This research project aims to investigate the impact of influencer marketing on purchase decisions within the context of the restaurant industry. The study will explore how influencer-generated content affects consumer perceptions, attitudes, and ultimately, their decision-making process when it comes to choosing dining options.

Through a combination of qualitative and quantitative research methods, including surveys and interviews, this study will gather data from consumer's perspective only. By analyzing consumer behavior and attitudes towards influencer marketing campaigns, the research aims to provide valuable insights into the effectiveness and of influencer marketing in the restaurant sector.

The findings of this research are expected to contribute to the existing body of knowledge on influencer marketing and its impact on consumer behavior, particularly in the context of the restaurant industry. The results will have practical implications for restaurant owners and marketers, helping them to better understand how to leverage influencer partnerships to attract customers and enhance brand visibility. Additionally, this research will offer recommendations for future strategies and areas of focus for businesses looking to harness the power of influencer marketing in the competitive landscape of the restaurant industry.

Introduction - Over recent years, there has been a noticeable shift in how businesses approach marketing, transitioning from traditional methods to digital strategies. This shift is primarily attributed to advancements in technology and shifts in consumer behaviors. Digital marketing, encompassing various techniques such as influencer marketing, has emerged as a powerful tool for engaging with audiences on a personalized level.

Influencer marketing, a prominent aspect of digital marketing, involves leveraging the popularity and credibility of individuals on social media platforms to endorse products or services. This approach has proven effective in reaching target markets authentically, as influencers connect with their followers in a relatable manner. Businesses carefully select influencers whose values and audience align with their brand, leading to collaborations for content creation. These partnerships often result in sponsored posts, product reviews, or endorsements that resonate with the influencer's audience.

In India, influencer marketing has witnessed significant growth, largely fueled by the widespread usage of digital platforms. The country's vibrant social media landscape provides ample opportunities for brands to connect with consumers through influencer partnerships. As a result, the

influencer marketing industry in India has experienced remarkable expansion, with projections indicating continued growth in the coming years.

When it comes to purchase decisions, consumers undergo a process of recognizing their needs, exploring various options, and considering factors such as reviews and recommendations. In this context, influencers wield considerable influence, as their endorsements can sway consumer perceptions and preferences. Authentic experiences shared by influencers contribute to shaping consumer choices, particularly in the restaurant industry. The restaurant sector, known for its diversity and dynamism, continuously adapts to evolving consumer trends, technological advancements, and sustainability concerns. In India, this industry holds significant economic importance, contributing substantially to the country's GDP. Factors such as urbanization and technological innovation drive growth in the restaurant sector, leading to an ever-expanding market.

Influencers play a pivotal role in the growth of the restaurant industry by reaching wider audiences, sharing genuine experiences, and creating engaging content. Their partnerships with restaurants enable effective marketing strategies, enhanced customer engagement, and the

cultivation of brand loyalty. As a result, influencers contribute significantly to the success and prosperity of the restaurant industry, serving as invaluable allies in an increasingly competitive market landscape.

Influencer Marketing: Influencer marketing is a modern digital advertising approach that uses the popularity of public figures like social media personalities to boost brand visibility. Unlike traditional marketing, it relies on these influential individuals to promote products authentically. Restaurants collaborate with influencers, choosing ones whose values match their target audience. They offer incentives for content creation and share sponsored posts, reviews, or tutorials. Influencers engage with their audience, and brands measure campaign impact to inform future strategies. Building strong relationships with influencers is key for successful marketing. Overall, influencer marketing connects with audiences in a more genuine and effective way than traditional methods.



Image1: From Sushivid Blog

Growth of Influencer Marketing: In 2022, India's influencer marketing industry was valued at over 12 billion Indian rupees, projected to grow by 25% annually for the next five years. By 2026, it's expected to reach around 28 billion rupees. StayBoard18 also observed a notable increase, with the industry surpassing 1,200 crore rupees and projected to grow at a similar rate, nearing 2,800 crore rupees by 2026. The pandemic boosted this growth due to increased digital platform usage, presenting both opportunities and challenges for the industry.

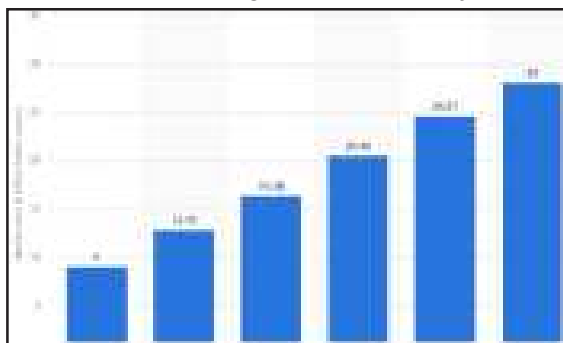


Fig1.1:Market Value of Influencer marketing in India, 2021-2026

Purchase Decision: Purchase decisions happen when individuals or businesses choose one option after considering factors like cost, quality, and brand reputation. Influences include personal preferences, recommendations, advertising, online reviews, budget, and time. Understanding customer decision-making helps businesses tailor marketing, products, pricing, and service, improving satisfaction and profitability.



Image 2: From GreekForGreek

Restaurant/ Food Service Industry: The restaurant and food service industry is diverse, offering various dining options from fast food to upscale experiences, including food trucks and catering services. It serves as a social hub where people gather for meals, offering a wide range of cuisines reflecting cultural diversity.

Recent changes in consumer preferences, technology, and socio-economic factors have impacted the industry. There's a growing demand for healthier food choices, leading restaurants to offer options like plant-based dishes. Technology, such as online ordering platforms, has become integral, along with a focus on sustainability.

In India, the restaurant industry is thriving, expected to reach \$79.65 billion by 2028, driven by factors like rising incomes, urbanization, and digital platforms' popularity. Despite challenges like the COVID-19 pandemic, the industry remains resilient, embracing innovations like online ordering and delivery services.

The industry contributes significantly to India's GDP and cultural fabric, providing employment opportunities and culinary exploration. With its rich heritage and diverse offerings, India's restaurant industry presents opportunities for growth and success.

Contribution of Influencer in Growth of Food Service Industry: In recent years, influencers have significantly boosted the food service industry through marketing and brand promotion on social media. They leverage their large followings to increase restaurant visibility, attracting new customers. By sharing authentic experiences and recommendations, influencers build trust and excitement, driving positive word-of-mouth. Platforms like Instagram, YouTube, and TikTok serve as effective channels for showcasing dining experiences, driving customer traffic. Their engaging content tailored to specific interests

enhances restaurant marketing efforts, fostering customer loyalty and contributing to industry growth.

Literature Review

According to a study by Samsudeen Sabraz Nawaz and Mubarak Kaldeen, digital marketing has been shown to greatly increase customer engagement and the likelihood of customers wanting to buy a product.

In a study by Yodi H.P, Widyastuti S, and Noor L.S in May 2020 on The Effects of Content and Influencer Marketing on Purchasing Decisions of Fashion Erigo Company, it was found that influencer marketing increases the visibility of the brand by using influencers and their followers. This affects consumer trust and their decisions to make purchases.

According to the article by P. Ranjith, supervised by Mrs. K.R. Mahalaxmi, titled "A Study on Impact of Digital Marketing in Customer Purchase Decision in Trichy" (March 2016), the conclusion is that currently, digital channels do not significantly alter customers' opinions about buying a product. However, there is a growing acknowledgment among customers of the potential influence of digital channels on their purchase decisions in the future.

The research conducted by Jignesh Vidani, Dr. Siddharth Das, and Dr. Indra Meghrajani (2023) at L J University highlights that influencers help businesses connect with different social groups within their target audience by sharing their brand message. It is suggested that businesses can maintain a low profile while their message spreads rapidly through influencers.

As per the research conducted by Dr. Mukta Martolia (July-December 2022) on Influencer Marketing as an Emerging Tool for the Success of Local Businesses, particularly in the Hotel and Restaurant Industry, it is stated that teaming up with local social media influencers is highly effective. This is because customers primarily trust local influencers when discovering new hotels and restaurants.

According to the research conducted by Miss Sineemas Chantavoraluk in 2019 on "Factors That Influence Customer Buying Decisions Regarding Social Media Influencers (Food Bloggers)", the conclusion is that individuals often gather information or seek opinions on products and services they intend to buy from popular social media platforms like Facebook and YouTube.

According to an article titled "The Power of Influencer Marketing for Your Restaurant: Success Stories and Tips" by BuzzyBoost (August 2023), influencer marketing is essential for restaurants. Collaborating with food influencers helps eateries expand their audience, receive positive reviews, and stay competitive. Influencers create engaging content on different platforms, increasing brand visibility and building customer loyalty, leading to repeat business.

In a study named 'The Effect of Influencer Marketing on Consumers' Brand Admiration and Online Purchase Intentions: An Emerging Market Perspective' conducted by Jay P Trivedi and Ramzan Sama The researchers observed

the impact of an expert influencer vis-à-vis an attractive celebrity influencer on brand attitude (AB), which further influences brand admiration (BA) and finally resulting in online purchase intentions.

Objective Of The Study:

1. Investigating the impact of influencer marketing on restaurant choices.
2. Assessing how influencer recommendations and excitement influence dining decisions.
3. Exploring trust levels and alignment of values between consumers and influencers.
4. Comparing the effectiveness of influencer marketing versus traditional advertising.
5. Analyzing whether influencer-generated excitement translates into increased restaurant visits and sales.
6. Identifying new strategies for leveraging influencer marketing to attract and retain restaurant customers.
7. Aiming to enhance understanding of influencer marketing's role in dining decisions for restaurant owners and marketers.

Hypothesis

Hypothesis 1:

H0: Influencer suggestions have no significant relation with consumers' decisions to dine out at restaurants.

H1: Influencer suggestions have a significant relation with consumers' decisions to dine out at restaurants.

Hypothesis 2:

H0: There is no significant difference in the impact of influencer endorsements compared to traditional advertisements on food choices.

H1: Influencer endorsements have a greater impact on food choices compared to traditional advertisements

Hypothesis 3:

H0: There is no significant difference in the likelihood of feeling let down after trying a food or restaurant recommended by an influencer compared to those not recommended.

H1: The likelihood of feeling let down after trying a food or restaurant recommended by an influencer is greater than that of trying one not recommended.

Hypothesis 4:

H0: Influencer marketing does not significantly influence food preferences; the perceived hype surrounding a place or food served there is independent of influencer recommendations.

H1: Influencer marketing significantly influences food preferences, contributing to the perceived hype surrounding a place or food served there.

Hypothesis 5:

H0: There is no difference in the likelihood of trying a new food or restaurant whether it is recommended by an influencer or not.

H1: The likelihood of trying a new food or restaurant is higher when it is suggested by an influencer compared to when it is not recommended.

Research Methodology: The primary data collection method for this study involves a quantitative research survey using a questionnaire to explore the factors influencing consumer purchasing decisions through food bloggers on social media. The survey targets individuals in Indore, aged between young adulthood and adulthood, who regularly watch food reviews on social media platforms. The study aims to understand the relationship between influencer marketing and consumers' decisions to buy food from restaurants, utilizing the chi-square test for analysis. This test examines factors such as suggestions, recommendations, beliefs, expectations, and new options, providing insights into the influence of influencers on consumer behavior. With over 50 respondents, the chi-square test is well-suited for analyzing both small and large datasets in this study.

The Formula for Chi Square is

$$X^2 = \sum (O_i - E_i)^2 / E_i$$

X^2 = chisquared

O_i = observed value

E_i = expected value

$$E_i = (R.T * C.T) / G.T$$

R.T: Corresponding Row Total

C.T: Corresponding Column Total

G.T: Grand Total

Calculations

We segmented our analysis into five parts based on key factors affecting consumer purchase decisions. Segment one addresses the null hypothesis (H_0) regarding the influence of influencers' recommendations on buying decisions. We examine initial data through a contingency table focusing on suggestions.

Table 1- Contingency of factor Suggestion

Response/ Gender	Male	Female	Row total
Yes	23	30	53
No	10	8	18
Total	33	38	71

Application of Chi Square Test

To calculate the chi-square value, we apply a basic formula that requires determining expected frequencies based on the observed frequencies. Next, we construct a table displaying both expected and tabulated values. These values are derived from the data in Contingency Table 1.

Table 1.1- Calculation of Chi Square Value for Factor 'Suggestion'

O_i	E_i	$O_i - E_i$	$(O_i - E_i)^2$	$(O_i - E_i)^2 / E_i$
23	24.63	-1.63	2.65	0.10
30	28.36	1.64	2.68	0.09
10	8.36	1.64	2.68	3.11
8	9.63	-1.63	2.65	0.27

Findings: After analyzing the data, we found:

- Calculated chi-square value: 3.27
- Tabulated chi-square value (at 5% significance level, $df=1$): 3.841

- Conclusion: Since the calculated value is less than the tabulated value, we reject the null hypothesis.

Thus, there's a significant relationship between influencer recommendations and purchase decisions in the restaurant industry.

In the second part, we focus on the second null hypothesis (H_0).

Our aim is to assess if influencer marketing has a greater impact on consumer purchasing decisions compared to traditional advertisements.

Table 2- Contingency Table for factor Endorsement

Response/ Gender	Male	Female	Row total
Yes	15	10	25
No	10	5	15
May Be	13	18	31
Total	38	33	71

Application of Chi Square Test

We use a formula to calculate chi-square, deriving expected frequencies from observed ones. Then, we create a table with expected and tabulated values using data from Contingency Table 2.1.

Table 2.2- Calculation of Chi Square value for factor 'endorsement'

O_i	E_i	$O_i - E_i$	$(O_i - E_i)^2$	$(O_i - E_i)^2 / E_i$
15	13.38	1.62	2.62	0.19
10	11.61	-1.61	2.59	0.22
10	8.02	1.98	3.92	0.49
5	6.97	-1.97	3.88	0.56
13	16.59	3.59	12.88	0.56
18	14.40	3.6	12.96	0.9

Findings

From our analysis:

- Calculated chi-square value: 3.13
- Tabulated chi-square value (at 5% significance level, $df=2$): 5.991
- Conclusion: Since the calculated value is less than the tabulated value, we reject the null hypothesis.

Hence, there's a significant relationship between influencer recommendations and purchase decisions in the restaurant industry.

In the third part, we investigate the third null hypothesis (H_0).

Our goal is to determine whether customers feel disappointed after trying food or restaurants recommended by influencers.

Table 3- Contingency table for factor Expectation

Response/ Gender	Male	Female	Row total
Yes	16	16	32
No	10	13	23
MayBe	7	9	16
Total	33	38	71

Application of Chi Square Test

We calculate chi-square using a basic formula, deriving

expected frequencies from observed ones. Then, we create a table with expected and tabulated values using data from Contingency Table 1.3.

Table 3.1- Calculation of Chi Square value for factor 'Expectation'

O _i	E _i	O _i -E _i	(O _i -E _i) ²	(O _i -E _i) ² / E _i
16	14.87	1.13	1.27	0.08
16	17.12	-1.12	1.25	0.07
16	10.69	-0.69	0.47	0.04
13	12.30	0.7	0.49	0.04
7	7.43	-0.43	0.18	0.02
9	8.56	0.44	0.19	0.02

Findings

- Calculated chi-square: 0.27
- Tabulated chi-square (5% significance level, df=2): 5.991
- Conclusion: With the tabulated value higher than the calculated one, we reject the null hypothesis.

Hence, there's a significant relationship between influencer recommendations and purchase decisions in the restaurant industry.

Segment Four: Assessing the Impact of Influencer Marketing on Food Preferences. We aim to discern if influencer marketing authentically affects food preferences or if it's just an exaggerated trend.

Table 4 - Contingency table for Hype Created

Response/ Gender	Male	Female	Row total
Yes(hypecreated)	16	13	29
No(hypecreated)	3	4	7
Maybe(hypecreated)	14	21	35
total	33	38	71

Application of Chi Square Test

We calculate chi-square using a basic formula, deriving expected frequencies from observed ones. Then, we create a table with expected and tabulated values using data from Contingency Table 1.4.

Table 4.1- Calculation of Chi Square value for factor 'Hype Created'

O _i	E _i	O _i -E _i	(O _i -E _i) ²	(O _i -E _i) ² / E _i
16	13.47	2.53	6.40	0.47
13	15.52	-2.52	6.35	0.41
3	3.25	-0.25	0.625	0.19
4	3.74	0.26	0.067	0.18
14	16.26	-2.26	5.11	0.31
21	18.73	2.27	5.11	0.27

Findings

- Calculated chi-square: 1.83
- Tabulated chi-square (5% significance level, df =1): 3.841
- Conclusion: Since the tabulated value exceeds the calculated one, we reject the null hypothesis.

Thus, there's a significant relationship between influencer recommendations and purchase decisions in the restaurant industry.

In the fifth part, we explore the fifth null hypothesis (H₀).

Our objective is to determine whether customers' purchasing decisions are impacted by influencer suggestions. To accomplish this, we create individual chi-square tables for calculation.

Table 5- Contingency table of factor recommendations for new options

Response/ Gender	Male	Female	Row total
Yes	22	29	51
No	12	8	20
Total	34	37	71

Application of Chi Square Test

We compute chi-square using a basic formula, deriving expected frequencies from observed ones. Then, we create a table with both expected and tabulated values.

Table 5.1 - Calculation of Chi Square value for factor 'Recommendations for New Option'

O _i	E _i	O _i -E _i	(O _i -E _i) ²	(O _i -E _i) ² / E _i
22	24.42	-2.42	5.85	0.23
39	26.57	2.43	5.90	0.22
12	9.57	2.43	5.90	0.61
8	10.42	-2.42	5.85	0.56

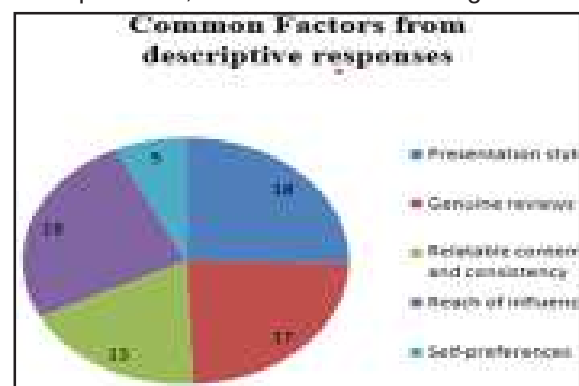
Findings and conclusion

After constructing the table, here are the key findings:

- Calculated chi-square: 1.62
- Tabulated chi-square (5% significance level, df=1): 3.841
- Conclusion: Since the tabulated value exceeds the calculated one, we reject the null hypothesis.

Thus, the likelihood of trying a new food or restaurant is higher when recommended by an influencer compared to when not recommended.

We've analyzed the responses to our two descriptive research questions, and here are the findings:



- In our survey, we asked respondents about their reasons for trusting influencer recommendations for food or restaurants.

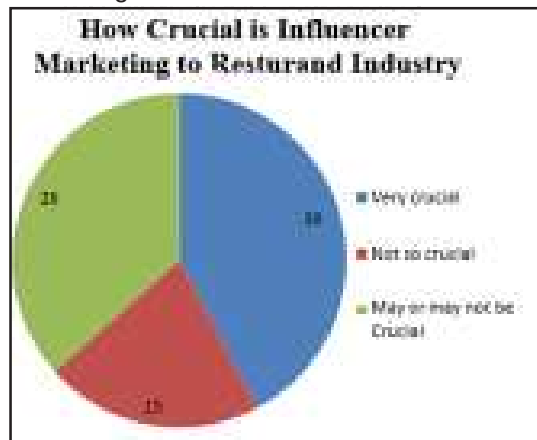
- Trust in influencer recommendations for food/ restaurants varies widely.
- Factors influencing trust include personal taste,

accurate information, honesty, excitement, local expertise, budget-friendliness, personal recommendations, authenticity, consistency, transparency, viewer comments, influencer reputation, passion, and expertise.

- Trust is influenced by presentation style, genuine reviews, relatable content, and influencer reach.

2. The opinions on the importance of influencer partnerships for food brands and restaurants vary widely.

Views on influencer partnerships vary: Some see them as vital for brand visibility and credibility, while others prioritize food and service quality. Benefits include wider audience reach and enhanced authenticity, but partnerships should align with a focus on high-quality products. Overall, their importance depends on individual perspectives and business strategies.



Conclusion: Our research shows that influencer marketing greatly impacts consumer choices in the restaurant industry. People tend to trust and follow influencers like Indori Zayaka, Indore Food Explorer, and Chirayu for restaurant recommendations in places like Indore. Authenticity and relatability are key factors for trusting influencer suggestions. Many prefer dining at places recommended by influencers they trust. Influencer marketing helps restaurants connect with their audience, increase visibility, and attract more customers. It's an important tool for restaurants to grow their businesses.

Recommendations: Based on our research on influencer marketing's impact on restaurant choices, here are some recommendations:

1. Restaurants should find popular influencers in their area or niche who have a large following and are trusted by their target customers.
2. Building genuine relationships with influencers can lead to authentic recommendations and partnerships. Restaurants can reach out to influencers for collaborations, like inviting them to dine or join in promotions.
3. To attract influencers and their followers, restaurants can offer unique dining experiences, special menu items, or exclusive promotions that are share-worthy on social media.

Limitations: Here are the constraints of our research project:

1. We surveyed only 100 people from Indore, which might not represent all consumer views from different regions. Also, the response rate of 71 out of 100 could introduce bias and affect our findings' reliability.
2. We focused solely on consumer perspectives, possibly missing insights from restaurant owners or managers about their experiences with influencer marketing and its impact on their businesses.
3. Our study looked only at the restaurant industry, limiting how much we can apply our findings to other industries. Different industries may have different dynamics with influencer marketing, so a broader analysis could give a more complete view.
4. We mainly asked about consumers' views on influencer marketing, overlooking important factors like food quality, pricing, and overall dining experience. Including these questions could have provided a more comprehensive understanding of influencer marketing's impact on restaurant choices.

Considering these limitations when interpreting our results is crucial, and future studies may need to address them for a more thorough and reliable analysis.

References:-

1. Samsudeen, Sabraz Nawaz & Kaldeen, Mubarak. (2020). Impact of Digital Marketing on Purchase Intention.
2. Yodi H.P, Widyastuti S, Noor L.S (2020). The effect of content and influencer marketing on purchasing decisions of Fashion Erigo company.Vol. 1 No. 2: Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting.
3. P. Ranjith and Mrs. K.R. Mahalaxmi (2016). A Study on Impact of Digital Marketing in Customer Purchase Decision in Trichy. International Journal for Innovative Research in Science & Technology, Volume 2, Issue 10
4. Jignesh Vidani, Dr. Siddharth Das, Dr. Indra Meghrajani (2023) Journal of Education: Rabindra Bharati University, Vol.: XXV, No.: 6, 2023.
5. Dr. Mukta martolia (2022). Influencer Marketing an Emerging Tool for the Success of Local Businesses with Special Reference to the Hotel and Restaurant Industry. Journal of public relations and advertising Volume 1, Issue 2
6. Sineemas Chantavoral UK (2019). Factors that affect to customer's buying decision towards social media influencers (food bloggers).
7. BuzzyBoost (August 2023) The Power of Influencer Marketing for Your Restaurant: Success Stories and Tips. LinkedIn.
8. Alwan, Maher & Alshurideh, Muhammad. (2022). The effect of digital marketing on purchase intention: Moderating effect of brand equity. International Journal of Data and Network Science.

9. P Trivedi, Jay & Sama, Ramzan. (2020). The Effect of Influencer Marketing on Consumers' Brand Admiration and Online Purchase Intentions: An Emerging Market Perspective. Journal of Internet Commerce. 19.
1. https://www.researchgate.net/profile/Sabraz-Nawaz-Samsudeen/publication/341670094_Impact_of_Digital_Marketing_on_Purchase_Intention/links/5ece1b4092851c9c5e5f76fe/Impact-of-Digital-Marketing-on-Purchase-Intention.pdf
2. <https://bit.ly/48YIsfn>
3. <https://dinastipub.org/DIJEFA/article/view/309>
4. https://www.google.com/search?sca_esv=277ba526b581d5c7&q=greek+for+greek+buying+decision+process&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiThcCOzPmEAXV-s1YBHRhqDKAQ0pQJegQICxAB&biw=1366&bih=641&dpr=1#imgsrc=A96DLcWmgsDGIM
5. <https://www.mcu.ac.in/wp-content/uploads/2022/11/01-jpra-volume-1-issue-2-july-december-2022.pdf>
6. <https://archive.cm.mahidol.ac.th/bitstream/123456789/3767/1/TP%20EM.020%202019.pdf>
7. https://www.google.com/search?sca_esv=941af24518045317&sxsrf=ACQVn0_miPfMimRzZG8iynMB0AyieTYwBw:1710433873718&q=purchase+decision+process&tbm=isch&source=lnms&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwi0qNHblvSEAxUt2DgGHTwVAdAQ0pQJegQIDhAB&biw=1366&bih=641&dpr=1#imgsrc=A96DLcWmgsDGIM
8. <https://blog.sushivid.com/evolution-of-influencer-marketing-ecommerce-rise-social-media-platforms#:~:text=It%20usually%20starts%20off%20on,place%2C%20product%2C%20or%20service.>

The Importance of Biodiversity and Human Health

Dr. Nasreen Anjum Khan*

*Assistant Professor (Chemistry) Govt. College, Bichhua, Distt. Chhindwara (M.P.) INDIA

Abstract - Biodiversity promotes all life on Earth, and refers to biological variety in all its forms, from the genetic make up of plants and animals to cultural diversity. People depend on biodiversity in their daily lives, in ways that are not always apparent or appreciated. Human health finally depends upon ecosystem products and services such as availability of fresh water, food and fuel sources which are necessary for good human health and productive livelihoods. Biodiversity loss can have significant direct human health impacts if ecosystem services are no longer adequate to meet social needs. Indirectly, changes in ecosystem services affect livelihoods, income, local migration and, on occasion, may even cause or exacerbate political conflict. Furthermore, biological diversity of microorganisms, flora and fauna provides extensive benefits for biological, health, and pharmacological sciences. Significant medical and pharmacological discoveries are made through greater understanding of the earth's biodiversity. Loss in biodiversity may limit discovery of potential treatments for many diseases and health problems.

Keywords: health, habitats, immune, tolerance, disease, environment.

Introduction - More than half of the world's human population lives in cities. In Europe the figure is 70%, and the degree of urbanization is increasing everywhere¹. Moreover, people spend more than 90% of their lives in buildings², with little physical activity. Sedentary lifestyle has become a serious concern in modern societies and increases the risk of many chronic diseases. Much time spent sitting is associated with diabetes but also with other chronic diseases, including heart disease, cancer, and high blood pressure, both in adults³ and in adolescents⁴. The situation is particularly alarming among children. Parental fears ('culture of fear'), loss of natural environments in cities, increasingly busy schedules of families, and the ever-increasing time in front of electronic screens are some of the factors involved. Biodiversity, ecosystem services, health, microorganism, livelihoods.

Urbanization and other forms of land conversion have caused massive loss of biodiversity affecting populations and species and their natural habitats which is becoming a serious threat to humankind as loss of biodiversity adversely affects vital ecosystem processes related to the supply of food, water, and energy, as well as climate stability⁵. Less attention has been paid to the significance of natural environments on human health and well-being. However, the awareness of the formerly rather abstract concept of biodiversity loss is increasing with the accumulating data of its adverse health effects. The epidemics of chronic inflammatory diseases (allergic and autoimmune diseases, inflammatory bowel disease, and even certain cancers and

depression)⁶ are prime examples of such effects. Exposure to natural environments enhances physical and mental health as well as cognitive functions⁷. Urban upbringing and dwelling affect neural systems that influence social stress processing in humans and may lead to mental diseases, particularly anxiety and mood disorders.

The current public health challenge: Urban living in built, asphalt-covered environments with little green space, together with the use of processed water and food, may not provide us with the broad microbial stimulation necessary for the development of a balanced immune function. Many chronic diseases, including allergic, autoimmune, metabolic, and psychiatric diseases, are linked to alteration in the commensal microbial communities and the disappearance of ancient vertically and environmentally derived species from these indigenous communities.⁸

Psychiatric diseases and the gut-brain axis have gained much attention in recent years. Consistent evidence from animal models and increasingly also from humans indicates that there is a bidirectional communication between the gut microbiota and the central nervous system (CNS) via neural, endocrine, and immune pathways that further affects brain function and behaviour. For example, stress appears to influence the composition of the gut microbiota, and the microbiota in turn influences stress reactivity. Further evidence of this communication has been obtained from human studies showing that a mixture of probiotics in long-term use alleviated psychological distress

and affected the activity of brain regions that control emotion and sensation processing.⁹This interesting field of research has been comprehensively reviewed elsewhere

The Biodiversity and the role of microbes in immune tolerance: Biodiversity can be broadly defined as the variety of life on Earth. It includes the genes in all living cells, populations, species and their communities, the habitats in which they occur, and the ecosystems they comprise. The Biodiversity Hypothesis proposes that reduced contact of people with natural diverse environments, including environmental microbiota, adversely affects the assembly and composition of human commensal microbiotas and may thereby lead to inadequate stimulation of immunoregulatory circuits and ultimately to clinical disease. Ecologists often consider different components of biodiversity, such as species richness, evenness of the abundance, distribution, and diversity of functional traits. At present, we do not know about the relative importance of these features of biodiversity of animals and plants on the composition of the environmental microbiota.

Factors involved in poorly developed or broken immune tolerance: Compelling evidence indicates that a child's early environment, including signals transferred by the mother in prenatal life, can decisively affect the maturation of the immune system and modify the disease risk in later life¹⁰. Experiments on mice have revealed that maternal TLR signalling (exposure to commensal/environmental bacteria) has a protective effect against asthma in the progeny. Novel findings suggest that transfer of microbes or microbial components to the child by the mother begins already in pregnancy, indicating that adequate microbial stimulation, not only postnatally, but also prenatally, may be necessary for normal immune development. Important issues in early microbial colonization include also route of birth and breast-feeding. Environmental conditions may have effects that extend beyond several generations. The apparent heritability of cardiovascular and metabolic diseases may in fact stem from stressors experienced by (recent) ancestors early in life. Evidence from humans shows that environmental conditions during pregnancy can change the birth characteristics and health in later life, not only of the children but also of the grandchildren. Experimental data from rodents and other animal models have provided further support for such epidemiological findings.

Immigration studies have provided further evidence of the significance of environmental factors in early, even perinatal, life in modulating the disease risk. This immunomodulatory effect has proven to be surprisingly consistent for both chronic inflammatory and psychiatric diseases.¹¹Although some adaptation occurs still in adulthood, many studies indicate that immigrants frequently retain the disease susceptibility level typical of their country of origin. The increase in disease risk (when moving from a low- to a high-risk area) often occurs first in the second

immigrant generation; important determinants in the disease risk of immigrants are thus the age at immigration and whether a person is a first- or second-generation immigrant.

Dietary factors: Diet affects the composition of the gut microbiota and thereby maintenance of immune tolerance, but can modulate immunity via direct effects on immune cells as well. Altered or poor microbiota (dysbiosis) contributes to compromised epithelial integrity and disrupted tolerance¹². Among the dietary factors, fat consumption (high-fat diets) profoundly affects gut microbiota composition. The deleterious effects of fat on the immune system and gut barrier may result from the decreased expression of specific peptides such as regenerating islet-derived 3-gamma and phospholipase A2 group-II in the intestine. Interestingly, dietary factors such as prebiotics (food that promotes the growth of beneficial bacteria in the gut) can abolish these effects. Specific bacteria, e.g. *Akkermansia muciniphila*, may also reverse high-fat diet-induced metabolic disorders and reinforce intestinal immunotolerance.

Home and its surroundings: A number of housing and lifestyle characteristics, including the type of dwelling, affect the quantity and diversity of microbial exposure in home environments. Examination of house dust has provided valuable information of the exposure to microbes in different home environments. House dust from urban environment is poor in microbial components and has a different immunomodulatory influence than dust from farm environment¹³. The link between microbial richness of farm/rural dust and health has indeed been shown in a number of studies. In addition to house dust, drinking water, milk, pets, unprocessed food, as well as activities in nature are examples of everyday microbial exposures. Everything that we eat, Living in rural areas with agricultural and forested land is well known to confer protection against inflammatory diseases, but the protective factors at the molecular level are still only partly understood. A recent study showed that land-use around the home (within a radius of 3 km) affects the composition of the skin microbiota; classes of proteobacteria were more frequent in environments with more agricultural land and forests^{14, 15}. Contrasting healthy versus atopic individuals, the same study showed higher generic diversity of gammaproteobacteria on the skin of healthy than atopic individuals, and that the relative abundance of one gammaproteobacterial genus, *Acinetobacter*, correlated positively with the (unstimulated) expression of anti-inflammatory peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in healthy individuals and conferred protection against allergic responses in mice. Scent, touch, and breathe is reflected in our commensal communities.

Antibiotics: Recent evidence from humans indicates that the use of the most common antibiotics, β -lactams and macrolides, not only disturbs the composition of the gut microbiota (by decreasing its diversity and reducing the

number of core taxa, but can also affect many metabolic functions, including sugar metabolism and synthesis and degradation of intestinal/colonic epithelium components. Re-establishment of the gut microbiota often takes months after the cessation of the antibiotic use, although there are great variations between different antibiotics; their effect on the gut microbiota is dependent on the properties of the antimicrobial agent, the structure and function of the microbial community, and the presence of resistance genes in it. Long-term metabolic effects of these changes in the gut community still remain largely unknown.

Conclusion: Biologically diverse environments modify and enrich our indigenous microbiota, which are fundamental for the development and maintenance of a balanced/well-functioning immune system. Changes in microbiota on skin and mucosal surfaces are linked to dysfunction in the regulatory network and broken tolerance. Dysbiosis in the gut microbiota has been associated, not only with immune-mediated intestinal diseases, but also Chronic inflammatory diseases in the context of increasing loss of biodiversity and increasing prevalence of sedentary lifestyle were the topics of the 60th Anniversary Yrjö Jahnsson Symposium. The following summary statements Meredith many extra-intestinal inflammatory conditions^{16,17}.

1. The epidemics of chronic inflammatory disease are largely the result of reduced exposure to natural environments, sedentary lifestyle, and changed diet. Naturally biodiverse environments include ancient micro-organisms important for human health.
2. Environmental biodiversity is reflected in the diversity of human skin and mucosal microbiota. Diversity is a central element of healthy microbiota in reducing the risk of chronic inflammatory diseases.
3. National Health and Nature Programmes (action plans) are needed to increase the public awareness of nature's health effects, and to affect attitudes and orientation. It is especially important to target children and adolescents; both the environment and the youngsters would benefit.
4. Politicians and stakeholders in urban planning must become more aware about the effects of natural environments on human health. People are not moving in masses back to the countryside, but elements of country life should be moved to cities, including measures that increase the diversity of microbiota.

References:-

- 1 Dye C. Health and urban living. *Science*. 2008; 319:766–69.
- 2 Evans G, Mitchell J. When buildings don't work: the role of architecture in human health. *J Environm Psychol*. 1998;18:85–94.
- 3 George E, Rosenkranz R, Kolt G. Chronic disease and sitting time in middle-aged Australian males: findings from the 45 and up study. *Int J Behav Nutr Phys Act*. 2013;10:20.
- 4 Kriska A, Delanahanty L, Edelstein S, Amodei N, Chadwick J, Copeland K, et al.
- 5 Sedentary behavior and physical activity in youth with recent onset of type 2 diabetes. *Pediatrics*. 2013;13:e850–6.
- 6 Louv R. Last child in the woods. London: Atlantic Books; 2009
- 7 Louv R. The nature principle. NC: Chapel Hill: Algonquin Books of Chapel Hill; 2012.
- 8 Yang W, Dietz T, Kramer DB, Chen X, Liu J. Going beyond the Millennium Ecosystem Assessment: an index system of human well-being. *Plos One*. 2013;8:e64582.
- 9 Bratman G, Hamilton P, Daily G. The impacts of nature experience on human cognitive function and mental health. *Ann NY Acad Sci*. 2012;1249:118–36.
- 10 Rook GA. Regulation of the immune system by biodiversity from the natural environment: an ecosystem service essential to health. *Proc Natl Acad Sci*. 2013;110:18360–7.
- 11 Von Hertzen L, Hanski I, Haahtela T. Biodiversity loss and inflammatory diseases are two global megatrends that might be related. *EMBO Rep*. 2011;12:1089–93.
- 12 Haahtela T, Holgate S, Pawankar R, Akdis C, Benjaponpitak S, Caraballo L, et al. The biodiversity hypothesis and allergic disease: a statement paper of the World Allergy Organization. *World Allergy Organ J*. 2013;6:3.
- 13 Rook GA, Raison C, Lowry C. Can we vaccinate against depression? *Drug Discov Today*. 2012;17:451–8.
- 14 Kolb H, Mandrup-Poulsen T. The global diabetes epidemic as a consequence of life-style induced low-grade inflammation. *Diabetologia*. 2010;53:10–20.
- 15 Jussila A, Virta LJ, Salomaa V, Mäki J, Jula A, Färkkilä MA. High and increasing prevalence of inflammatory bowel disease in Finland with a clear North-South difference. *J Crohns Colitis*. 2013;7:e256–62.
- 16 Karjalainen E, Sarjala T, Raitio H. Promoting human health through forests: overview and major challenges. *Environment Health Prev Med*. 2010;15:1–8.
- 17 Lederbogen F, Kirsch P, Hahad L, Streit F, Tost H, Schuch P, et al. City living and urban upbringing affect neural social stress processing in humans. *Nature*. 2011;474:498–501.

Impact of Sodium Chloride and Sodium Carbonate on Photocatalytic Degradation of Azure B dye.

Dr. David Swami*

*Department of Chemistry, S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) INDIA

Abstract - Azure B is a Phenothiazine class of dye in which an atom of sulphur replacing oxygen in heterocyclic ring. They have color range from green to blue and have been used for coloring paper, tannin mordant cotton, silk and leather. The decoloration and mineralization of the Azure B dye under condition of visible light and TiO_2 photocatalyst was studied. The textile waste-water from dyeing process normally contains considerable amount of chloride and carbonate ions. These chemicals are often used in textile processing operations for adjusting the pH of the dye bath. It is important to study the effect of chloride and carbonates on the treatment efficiency. This study confirms that the presence of NaCl and Na_2CO_3 led to inhibition of the degradation process.

Introduction - Synthetic dyes have quickly replaced the traditional natural dyes. They have offered a vast range of colors, impart better properties upon the dyed materials and cost less.⁽¹⁾ Synthetic dyes are prepared from aromatic compounds. Dyes pollutants from the textile industry are an important source of environment contamination. They enter the aquatic ecosystem and can create various environmental hazards.⁽²⁾ Advanced oxidation process oxidize and mineralize the pollutants into their simple forms, which are easily biodegradable and so it facilitates their treatments in conventional process.⁽³⁾ Waste water contains not only organic contaminants but inorganic anions such as chloride and carbonate anions are also present in industrial wastewater.⁽⁴⁾ The presence of NaCl and Na_2CO_3 led to inhibition of photodegradation process.

Experimental: Azure B was obtained from Loba Chemie. Photo catalyst TiO_2 was obtained from the S.D. Fine Company. All Solutions were prepared in doubly distilled water. Photo catalytic experiments were carried out with 50 ml of dye solution ($3.8 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$) using 300mg of TiO_2 photo catalytic under exposure to visible irradiation in specially designed double-walled slurry type batch reactor vessel made up of Pyrex glass (7.5 cm height, 6 cm diameter) surrounded by thermostatic water circulation arrangement to keep the temperature in the range of $30 \pm 0.3^\circ\text{C}$. Irradiation was carried out using 500 w halogen lamp surrounded by aluminum reflector to avoid irradiation loss. During photo catalytic experiments after stirring for 10 min slurry composed of dye solution and catalyst was placed in dark for $\frac{1}{2}$ h in order to establish equilibrium between adsorption and desorption phenomenon of dye molecule on photo catalyst surface. Then slurry containing

aqueous dye solution and TiO_2 was stirred magnetically to ensure complete suspension of catalyst particle while exposing to visible light. At specific time intervals aliquot (3ml) was withdrawn and centrifuged for 2 min at 3500 rpm to remove TiO_2 particle from aliquot to assess extent of decolorisation photo metrically. Changes in absorption spectra were recorded at 480 nm on double beam UV-Vis, spectrophotometer (Systronic Model No. 166) Intensity of visible radiation was measured by a digital luxmeter (Lutron LX 101). pH of solution was measured using a digital pH meter

Results and Discussion:

Effect of NaCl and Na_2CO_3 : The textile wastewater from dyeing process normally contains considerable amount of CO_3^{2-} and Cl^- ions. These chemicals are often used in textile processing operations for adjusting the pH of the dye bath.⁽⁵⁾ As can be seen from Table 3.5 and Fig. 3.7, an increase in concentration of Cl^- from $2.0 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$ to $14.0 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$, resulted in reduction of rate constant from $3.91 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ to $1.84 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, which with same CO_3^{2-} ion concentration variation, the rate constant decreased from $3.64 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ to $2.87 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$. The cause of inhibition was due to the ability of these ions to act as hydroxyl radical ($\text{OH}^\cdot$) scavengers. These ions might also block the active sites on the TiO_2 surface thus deactivating the TiO_2 towards the dye and intermediate molecules.⁽⁶⁾

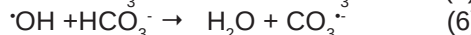
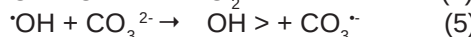
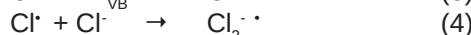
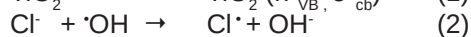


Table: Effect of NaCl and Na₂CO₃: [AB] = 3.0 × 10⁻⁵ mol dm⁻³, TiO₂ = 200 mg/100 mL, pH = 9.0, Light intensity = 25 × 10³ lux, Temperature = 30 ± 0.3 °C.

[Salt] × 10 ⁶ mol ⁻¹ dm ³	NaCl		Na ₂ CO ₃	
	k × 10 ⁻⁴ s ⁻¹	t _{1/2} × 10 ³ s ⁻¹	k × 10 ⁻⁴ s ⁻¹	t _{1/2} × 10 ³ s ⁻¹
0.0	4.10	1.69	4.10	1.69
2.0	3.91	1.77	3.64	1.90
4.0	3.33	2.08	3.53	1.96
6.0	3.21	2.15	3.49	1.98
8.0	2.91	2.38	3.41	2.03
10.0	2.80	2.47	3.22	2.15
12.0	2.61	2.65	3.00	2.31
14.0	1.84	3.76	2.87	2.41

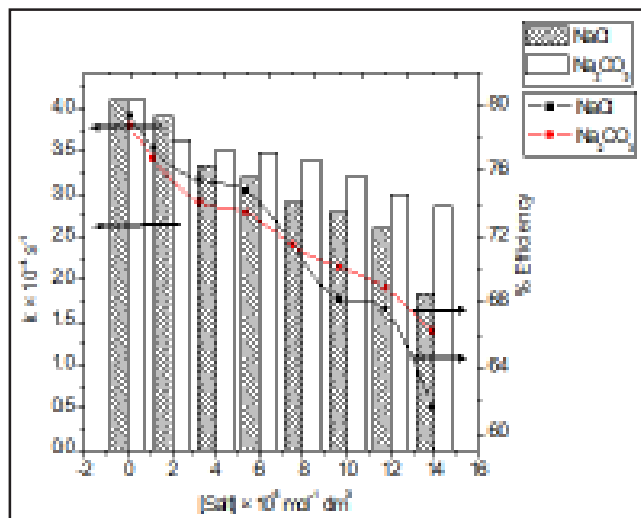


Fig: Effect of Salt NaCl and Na₂CO₃

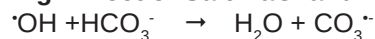


Table: Effect of NaCl and Na₂CO₃: [AB] = 3.0 × 10⁻⁵ mol dm⁻³, TiO₂ = 200 mg/100 mL, pH = 9.0, Light intensity = 25 × 10³ lux, Temperature = 30 ± 0.3 °C.

[Salt] × 10 ⁶ mol ⁻¹ dm ³	NaCl		Na ₂ CO ₃	
	k × 10 ⁻⁴ s ⁻¹	t _{1/2} × 10 ³ s ⁻¹	k × 10 ⁻⁴ s ⁻¹	t _{1/2} × 10 ³ s ⁻¹
0.0	4.10	1.69	4.10	1.69
2.0	3.91	1.77	3.64	1.90
4.0	3.33	2.08	3.53	1.96
6.0	3.21	2.15	3.49	1.98
8.0	2.91	2.38	3.41	2.03
10.0	2.80	2.47	3.22	2.15
12.0	2.61	2.65	3.00	2.31
14.0	1.84	3.76	2.87	2.41

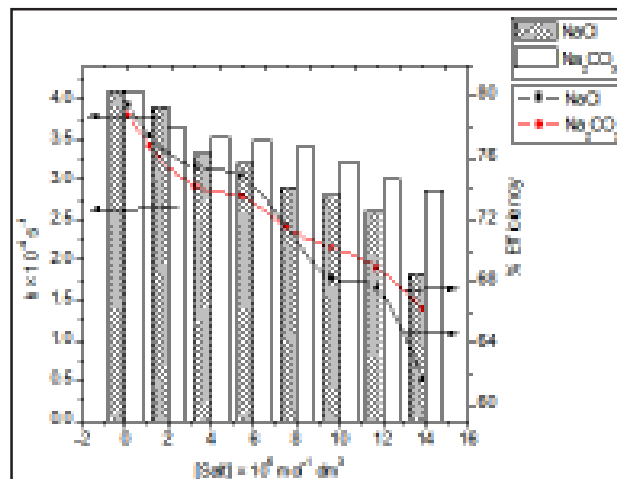


Fig: Effect of Salt NaCl and Na₂CO₃

Conclusion: This study confirms that photo assisted mineralization of Azure B dye can be effectively carried out utilizing TiO₂ with visible light. The presence of inorganic salts such as NaCl and Na₂CO₃ hinders the photocatalytic degradation of Azure B dye.

Acknowledgment: Author acknowledgement the support and laboratory facilities provided by Chemistry Department S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) My sincere thanks to the technical staff of UGC-DAE, CSR, Indore for their kind co-operation and help offered during the work period.

References:-

1. Gulrajani M. L., *Introduction to Natural Dyes*, Indian Institute of Technology, New Delhi, (1992).
2. Lodha S., Vaya D., Ameta Rakshit and Panjabi P. B., *J. of the Serbian Chem.Soc.* 73 (2008) 631.
3. Alinsafi A., Evenou F., Abdulakarim E. M., Zahraa M. N. P., Benhammou A., Nejreddire and Yaacoubi A., *Dyes and Pigments* A, 22 (2007) 439.
4. Goswami Y., *Advan. in Solar Energy*, 10 (1995) 735.
5. Mohammoodi N. M., Arami M., Limall N. and Tabrizi N. S., *J. Chem. Eng.*, 112 (2002) 191.
6. Sokmen M. and Ozkan K., *J. Photochem. Photobiol., A: Chem.*, 147 (2002) 77.

Challenges and Opportunities for Implementing NEP 2020 in the Higher Education Sector: A Comprehensive Analysis

Gajendra Kumar Singh* Dr. Neeraj Jaiswal**

*Assistant Professor (Political Science) Govt. College, Jaithari, Distt. Anuppur (M.P.) INDIA

** Assistant Professor (History) Govt. College, Jaithari, Distt. Anuppur (M.P.) INDIA

Introduction - Brief overview of the National Education Policy (NEP) 2020: The National Education Policy (NEP) 2020 is a comprehensive framework for transforming India's education system from early childhood care and education to higher education. The policy aims to make India a global knowledge superpower by providing equitable access to quality education for all learners, fostering creativity and innovation, promoting multilingualism and cultural diversity, and ensuring holistic development of individuals and society.

Importance of higher education in the context of NEP 2020: Higher education plays a vital role in the development of human capital, scientific and technological advancement, social and cultural progress, and economic growth of a nation. In the context of NEP 2020, higher education is envisioned to achieve the following goals:

- i. To increase the Gross Enrolment Ratio (GER) in higher education, including vocational education, from 26.3% (2018) to 50% by 2035, with a focus on increasing access and participation of socially and economically disadvantaged groups (SEDGs).
- ii. To provide broad-based, multidisciplinary, and holistic education across disciplines and fields, with flexible curricula, creative combinations of subjects, integration of vocational education, and multiple entry and exit options.
- iii. To develop a culture of research and innovation among students and faculty, through the establishment of a National Research Foundation, dedicated research funding, interdisciplinary research centres, and academic-industry collaboration.
- iv. To ensure the quality and excellence of higher education institutions (HEIs) through a light but tight regulatory framework, accreditation and ranking systems, institutional autonomy and accountability, and internationalization and global engagement.
- v. To enhance the professional development and motivation of faculty and staff, through merit-based recruitment, career progression, continuous learning opportunities, and

positive work environments.

- vi. To revitalize the role of higher education in social and community service, through the promotion of constitutional values, ethics, human rights, gender sensitivity, environmental awareness, and social responsibility among learners and educators.

Recognition of opportunities that arise from the policy: Despite the challenges, NEP 2020 also offers several opportunities for transforming and improving the higher education sector, such as:

- i. The opportunity to create a more inclusive and equitable higher education system, which caters to the diverse needs, interests, and aspirations of all learners, especially SEDGs, and ensures their access, retention, and success in higher education.
- ii. The opportunity to provide a more flexible and learner-centric higher education system, which allows learners to choose their own learning paths and programs, and enables them to pursue their passions and potentials across disciplines and fields.
- iii. The opportunity to foster a more innovative and creative higher education system, which nurtures a culture of research and innovation among students and faculty, and encourages them to solve complex problems and generate new knowledge and solutions.
- iv. The opportunity to enhance the quality and excellence of HEIs, which empowers them to achieve high standards of teaching and learning, research and innovation, and governance and management, and enables them to benchmark themselves against global peers and competitors.
- v. The opportunity to develop a more professional and motivated higher education workforce, which attracts and retains the best talent, and provides them with continuous learning and growth opportunities, and positive work environments.
- vi. The opportunity to strengthen the role of higher education in social and community service, which instils a sense

of civic and social responsibility among learners and educators, and enables them to contribute to the social and cultural development of the nation.

4. Key Provisions of NEP 2020: This section elaborates on the key provisions of NEP 2020 that are relevant for the higher education sector, and discusses their implications and challenges for implementation. It covers the following aspects:

1. Structural changes in higher education: The NEP 2020 proposes to restructure the higher education system in India, and to make it more flexible, diverse, and inclusive. Some of the major structural changes are:

i. The NEP 2020 introduces a 4-year undergraduate degree with multiple exit options, such as a certificate after one year, a diploma after two years, a bachelor's degree after three years, and a bachelor's degree with research after four years. This is expected to provide more choice and flexibility to the students, and to reduce the dropout rates in higher education.

ii. The NEP 2020 proposes a credit transfer system, and an academic bank of credits, which will allow the students to transfer their credits across institutions and programmes, and to resume their education at any stage of their life. This is expected to enhance the mobility and continuity of the students, and to enable lifelong learning.

iii. The NEP 2020 envisages the creation of multidisciplinary education and research universities (MERUs), which will be the highest level of higher education institutions, and will offer education and research across disciplines and fields. These institutions will aim to achieve the highest standards of excellence, and will serve as models for other institutions.

iv. The NEP 2020 proposes to consolidate the higher education institutions into large, well-resourced, and multidisciplinary universities and colleges, and to phase out the single-stream and standalone institutions. This is expected to improve the quality and efficiency of the higher education system, and to foster collaboration and synergy among institutions.

2. Pedagogical shifts and curriculum reforms: The NEP 2020 emphasizes the need for pedagogical shifts and curriculum reforms in higher education, and advocates for a learner-centric, flexible, and experiential mode of education. Some of the major pedagogical shifts and curriculum reforms are:

i. The NEP 2020 proposes to revise the curriculum of higher education programmes to include contemporary and emerging subjects, such as artificial intelligence, data science, and environmental studies, and to align them with the national and global needs and demands. This is expected to make the curriculum more relevant and responsive to the changing world, and to equip the students with the necessary skills and competencies.

ii. The NEP 2020 promotes the use of technology and digital platforms to enhance the quality and accessibility of

education, and to enable blended and online learning. It also proposes to create a National Educational Technology Forum (NETF) to facilitate the adoption and integration of technology in education, and to create a National Digital Educational Architecture (NDEAR) to provide a digital infrastructure for education.

iii. The NEP 2020 advocates for a learner-centric, flexible, and experiential mode of education, and encourages the use of innovative and interactive pedagogies, such as project-based learning, problem-based learning, and inquiry-based learning. It also proposes to reduce the curriculum load, and to focus on the core concepts and essential skills.

iv. The NEP 2020 supports the development of a multilingual and multicultural education, and proposes to offer higher education programmes in multiple languages, including the regional languages, the classical languages, and the foreign languages. It also proposes to internationalize the higher education system, and to facilitate the mobility and exchange of students and faculty across the world.

Challenges in Implementing NEP 2020: The NEP 2020 is an ambitious and visionary policy that aims to transform the higher education sector in India. However, the implementation of the policy faces several challenges, such as a shortage of trained teachers, inadequate infrastructure, lack of funds, and resistance to change. This section discusses the major challenges in implementing NEP 2020 under three categories: structural, pedagogical, and infrastructural.

A. Structural Challenges: The structural challenges refer to the difficulties in reorganizing and restructuring the higher education system in accordance with the NEP 2020. Some of the major structural challenges are:

1. Integration of vocational education: The NEP 2020 proposes to integrate vocational education into the mainstream higher education system, and to provide multiple entry and exit options for the students. This is expected to enhance the employability and skill development of the students, and to reduce the stigma associated with vocational education. However, this poses several challenges, such as:

i. The lack of adequate and qualified vocational teachers and trainers, who can impart both theoretical and practical knowledge to the students.

ii. The lack of coordination and collaboration among the various stakeholders, such as the higher education institutions, the industry, the government, and the civil society, who are involved in the design, delivery, and assessment of vocational education.

iii. The lack of standardization and quality assurance of the vocational courses and programmes, which may vary in terms of curriculum, duration, and certification across the institutions and regions.

2. Implementation of the multidisciplinary approach: The NEP 2020 advocates for a multidisciplinary approach

to higher education, and envisages the creation of multidisciplinary education and research universities (MERUs), and the consolidation of higher education institutions into large, well-resourced, and multidisciplinary universities and colleges. This is expected to foster academic excellence, innovation, and diversity in the higher education system. However, this poses several challenges, such as:

- i. The resistance and reluctance of the existing higher education institutions, especially the single-stream and standalone institutions, to merge or collaborate with other institutions, and to adopt a multidisciplinary curriculum and pedagogy.
- ii. The difficulty in ensuring the quality and relevance of the multidisciplinary programmes and courses, which may require a balance between breadth and depth, and a alignment with the national and global needs and demands.
- iii. The complexity and cost of managing and administering the large, multidisciplinary universities and colleges, which may require a high degree of autonomy, accountability, and transparency.

B. Pedagogical Challenges: The pedagogical challenges refer to the difficulties in changing and improving the teaching and learning processes and outcomes in the higher education system in accordance with the NEP 2020. Some of the major pedagogical challenges are:

1. Faculty training and development: The NEP 2020 emphasizes the importance of faculty training and development, and proposes to establish a National Mission for Mentoring, and a National Professional Standards for Teachers, to enhance the quality and competence of the teachers and professors. This is expected to improve the pedagogical skills, subject knowledge, and research capabilities of the faculty. However, this poses several challenges, such as:

- i. The shortage and uneven distribution of qualified and experienced faculty, especially in the rural and remote areas, and in the emerging and interdisciplinary fields.
- ii. The lack of motivation and incentives for the faculty to participate in the training and development programmes, and to update their knowledge and skills on a regular basis.
- iii. The lack of effective and efficient mechanisms for the evaluation and feedback of the faculty performance, and for the recognition and reward of the faculty excellence.

2. Adapting to new teaching methodologies: The NEP 2020 advocates for a learner-centric, flexible, and experiential mode of education, and encourages the use of innovative and interactive pedagogies, such as project-based learning, problem-based learning, and inquiry-based learning. It also promotes the use of technology and digital platforms to enhance the quality and accessibility of education, and to enable blended and online learning. This is expected to make the teaching and learning more engaging, meaningful, and personalized. However, this

poses several challenges, such as:

- i. The difficulty in changing the mindset and attitude of the faculty and the students, who may be accustomed to the traditional and conventional mode of education, and who may resist or reject the new teaching methodologies.
- ii. The difficulty in designing and delivering the new teaching methodologies, which may require a clear and coherent curriculum, a suitable and supportive learning environment, and a appropriate and authentic assessment.
- iii. The difficulty in ensuring the quality and effectiveness of the new teaching methodologies, which may require a rigorous and continuous monitoring and evaluation, and a feedback and improvement system.

C. Infrastructural Challenges: The infrastructural challenges refer to the difficulties in providing and maintaining the physical and technological facilities and resources for the higher education system in accordance with the NEP 2020. Some of the major infrastructural challenges are:

1. Upgrading existing facilities: The NEP 2020 proposes to upgrade the existing facilities of the higher education institutions, such as the classrooms, laboratories, libraries, and hostels, and to ensure that they are safe, secure, and accessible for all the students and faculty. This is expected to improve the learning and living conditions of the higher education community. However, this poses several challenges, such as:

- i. The lack of adequate and sufficient funds, especially in the public higher education institutions, to renovate and modernize the existing facilities, and to meet the increasing demand and expectation of the students and faculty.
- ii. The lack of proper and timely maintenance and management of the existing facilities, which may result in the deterioration and wastage of the facilities, and the dissatisfaction and frustration of the students and faculty.
- iii. The lack of compliance and adherence to the norms and standards of the existing facilities, which may vary in terms of quality, quantity, and functionality across the institutions and regions.

2. Incorporating technology in education: The NEP 2020 promotes the use of technology and digital platforms to enhance the quality and accessibility of education, and to enable blended and online learning. It also proposes to create a National Educational Technology Forum (NETF) to facilitate the adoption and integration of technology in education, and to create a National Digital Educational Architecture (NDEAR) to provide a digital infrastructure for education. This is expected to leverage the potential and benefits of technology and digitalization in the higher education system. However, this poses several challenges, such as:

- i. The lack of adequate and reliable technology and digital platforms, especially in the rural and remote areas, and in the underprivileged and marginalized sections of the society, to access and participate in the online and blended

learning.

- ii. The lack of adequate and skilled technology and digital professionals, who can design, develop, and deliver the technology and digital solutions for the higher education system, and who can train and support the students and faculty in using the technology and digital platforms.
- iii. The lack of adequate and appropriate policies and regulations for the technology and digital platforms, which may pose issues and risks related to the quality, security, privacy, and ethics of the online and blended learning.

Opportunities Arising from NEP 2020: The NEP 2020 is not only a policy that addresses the challenges, but also a policy that creates opportunities for the higher education sector in India. The policy envisions a higher education system that is dynamic, innovative, inclusive, and global. This section discusses the major opportunities arising from NEP 2020 under three categories: research and innovation, inclusive education, and globalization and internationalization.

A. Research and Innovation: The NEP 2020 gives a high priority to research and innovation in higher education, and aims to increase the research output and impact of India in the global arena. The policy creates several opportunities for enhancing the research and innovation culture and capacity in the higher education sector, such as:

1. Promotion of interdisciplinary research: The NEP 2020 promotes interdisciplinary research, and proposes to establish multidisciplinary education and research universities (MERUs), which will offer education and research across disciplines and fields. This will create opportunities for the students and faculty to explore and pursue diverse and emerging areas of research, and to address complex and multidimensional problems. The policy also proposes to create a National Research Foundation (NRF), which will fund and facilitate research across disciplines, and to encourage the integration of research and teaching in higher education institutions.

2. Encouraging collaboration with industries: The NEP 2020 encourages collaboration with industries, and proposes to create research parks and innovation centres in higher education institutions, and to foster partnership with the industry, the government, and the civil society. This will create opportunities for the students and faculty to engage in applied and translational research, and to develop innovations and start-ups that can contribute to the economic and social development of the country. The policy also proposes to create a National Innovation Fund, which will support the innovations and start-ups emerging from the higher education institutions.

B. Inclusive Education: The NEP 2020 supports inclusive education, and proposes to ensure that all students are able to thrive in the education system, regardless of their background, identity, ability, or location. The policy creates several opportunities for enhancing the access, equity, and quality of education for the diverse student populations in

the higher education sector, such as:

1. Addressing the needs of diverse student populations: The NEP 2020 proposes to address the needs of diverse student populations, such as the socially and economically disadvantaged groups (SEDGs), the differently-abled students, the gifted students, and the adult learners. The policy proposes to provide scholarships, fee waivers, and financial assistance to the SEDGs, and to ensure that they have adequate representation and participation in the higher education institutions. The policy also proposes to provide accessible and inclusive facilities and resources to the differently-abled students, and to ensure that they have equal opportunities and support in the higher education institutions. The policy also proposes to identify and nurture the gifted students, and to provide them with accelerated and advanced learning opportunities. The policy also proposes to enable the adult learners to pursue higher education through flexible and modular programmes, and to provide them with recognition of prior learning.

2. Fostering social equity and inclusion: The NEP 2020 proposes to foster social equity and inclusion, and proposes to promote the values of diversity, pluralism, and constitutionalism in the higher education system. The policy proposes to offer higher education programmes in multiple languages, including the regional languages, the classical languages, and the foreign languages, and to support the development of a multilingual and multicultural education. The policy also proposes to integrate the knowledge and traditions of India, and to respect the local context and culture in the curriculum, pedagogy, and policy. The policy also proposes to inculcate the ethics and human and constitutional values, such as empathy, respect, democracy, service, liberty, equality, and justice, in the higher education system.

C. Globalization and Internationalization: The NEP 2020 supports globalization and internationalization, and proposes to make India a global hub of education and research. The policy creates several opportunities for enhancing the global presence and engagement of the higher education sector in India, such as:

1. Attracting international students and faculty: The NEP 2020 proposes to attract international students and faculty, and to provide them with quality education and research opportunities in India. The policy proposes to facilitate the mobility and exchange of students and faculty across the world, and to provide them with scholarships, fellowships, and visas. The policy also proposes to create a National Education Technology Forum (NETF) and a National Digital Educational Architecture (NDEAR), which will enable the delivery of online and blended learning to the international students and faculty.

2. Establishing global partnerships: The NEP 2020 proposes to establish global partnerships, and to collaborate with the leading universities and institutions across the

world. The policy proposes to participate in the global academic and research networks and initiatives, and to contribute to the global knowledge and innovation systems. The policy also proposes to create joint degree programmes, dual degree programmes, and twinning programmes with the foreign universities and institutions, and to facilitate the recognition and transfer of credits across the countries.

Recommendations: The NEP 2020 is a landmark policy that has the potential to transform the higher education sector in India. However, the policy implementation requires careful planning, coordination, and monitoring to ensure its effectiveness and sustainability. This section provides some recommendations for the policy makers and the higher education institutions to facilitate the successful implementation of NEP 2020. The recommendations are divided into two categories: policy recommendations and institutional recommendations.

A. Policy Recommendations: The policy recommendations are aimed at the policy makers, such as the Ministry of Education, the UGC, and other regulatory bodies, who are responsible for designing, implementing, and evaluating the NEP 2020. Some of the major policy recommendations are:

1. Adjustments to enhance policy effectiveness: The policy makers should make some adjustments to the NEP 2020 to enhance its effectiveness and feasibility. Some of the suggested adjustments are:

- i. The policy makers should provide a clear and realistic timeline and roadmap for the implementation of the NEP 2020, and specify the roles and responsibilities of the various stakeholders involved in the process.
- ii. The policy makers should allocate adequate and equitable funds for the implementation of the NEP 2020, and ensure that the funds are utilized efficiently and transparently.
- iii. The policy makers should establish a robust and participatory monitoring and evaluation system for the NEP 2020, and collect and analyse data and feedback from the higher education institutions and the students and faculty.

2. Suggestions for policy refinement based on research findings: The policy makers should refine the NEP 2020 based on the research findings and evidence from the higher education sector. Some of the suggested refinements are:

- i. The policy makers should review and revise the curriculum and pedagogy of the higher education programmes and courses, and ensure that they are aligned with the learning outcomes, the national and global needs and demands, and the student interests and aspirations.
- ii. The policy makers should strengthen and expand the faculty training and development programmes, and ensure that the faculty are equipped with the necessary skills and competencies to deliver the new teaching methodologies and to conduct quality research.

iii. The policy makers should enhance and diversify the internationalization and globalization initiatives, and ensure that the higher education institutions and the students and faculty have access to the best practices and opportunities from the world.

B. Institutional Recommendations: The institutional recommendations are aimed at the higher education institutions, such as the universities and colleges, who are responsible for delivering and improving the quality of education and research in the higher education sector. Some of the major institutional recommendations are:

1. Strategies for overcoming specific challenges at the institutional level: The higher education institutions should adopt some strategies to overcome the specific challenges that they face at the institutional level. Some of the suggested strategies are:

- i. The higher education institutions should develop and implement a strategic plan for the integration of vocational education and the multidisciplinary approach, and ensure that they have the necessary infrastructure, faculty, and curriculum to offer these programmes and courses.
- ii. The higher education institutions should foster a culture of inclusion and diversity, and ensure that they have the necessary policies, practices, and support systems to cater to the needs of the diverse student populations.
- iii. The higher education institutions should leverage the technology and digital platforms, and ensure that they have the necessary hardware, software, and connectivity to deliver online and blended learning.

2. Frameworks for successful implementation: The higher education institutions should adopt some frameworks for the successful implementation of the NEP 2020. Some of the suggested frameworks are:

- i. The higher education institutions should adopt a participatory and collaborative framework, and involve the students, faculty, staff, and other stakeholders in the planning, implementation, and evaluation of the NEP 2020.
- ii. The higher education institutions should adopt a flexible and adaptive framework, and be open to change and innovation in the curriculum, pedagogy, and assessment of the NEP 2020.

iii. The higher education institutions should adopt a quality and excellence framework, and strive to achieve the highest standards of education and research in the NEP 2020.

Conclusion: The conclusion section summarizes the main findings, implications, and recommendations of the research paper. It covers the following aspects:

a) Summary of Findings: The research paper explored the challenges and opportunities for implementing NEP 2020 in the higher education sector in India. The paper adopted a qualitative approach and a document analysis method to collect and analyse data from various sources related to the NEP 2020 and its implementation. The paper found that the NEP 2020 is a comprehensive and visionary policy that aims to transform the higher education system

in India by focusing on access, equity, quality, affordability, and accountability in education. The paper also found that the NEP 2020 faces several challenges in its implementation, such as structural, pedagogical, and infrastructural challenges, which may hinder its effectiveness and feasibility. The paper also found that the NEP 2020 creates several opportunities for enhancing the research and innovation, inclusive education, and globalization and internationalization in the higher education sector in India.

b) Implications for Policy and Practice: The research paper provided some implications and recommendations for the policy makers and the higher education institutions to facilitate the successful implementation of NEP 2020. The paper suggested that the policy makers should make some adjustments to the NEP 2020 to enhance its effectiveness and feasibility, such as providing a clear and realistic timeline and roadmap, allocating adequate and equitable funds, and establishing a robust and participatory monitoring and evaluation system. The paper also suggested that the policy makers should refine the NEP 2020 based on the research findings and evidence from the higher education sector, such as reviewing and revising the curriculum and pedagogy, strengthening and expanding the faculty training and development programmes, and enhancing and diversifying the internationalization and globalization initiatives. The paper also suggested that the higher education institutions should adopt some strategies to overcome the specific challenges that they face at the institutional level, such as developing and implementing a strategic plan for the integration of vocational education and the multidisciplinary approach, fostering a culture of inclusion and diversity, and leveraging the technology and digital platforms. The paper also suggested that the higher education institutions should adopt some frameworks for the successful implementation of the NEP 2020, such as a participatory and collaborative framework, a flexible and adaptive framework, and a quality and excellence framework.

c) Areas for Future Research: The research paper identified some areas for future research that can extend and enrich the knowledge and understanding of the NEP 2020 and its implementation. Some of the suggested areas for future research are:

- i. The impact and outcomes of the NEP 2020 on the higher education sector in India, such as the learning outcomes, the employability and skill development, the research output and impact, and the social equity and inclusion.
- ii. The comparative and cross-cultural analysis of the NEP 2020 and its implementation with other countries and regions that have implemented or proposed similar educational reforms, such as China, Singapore, and Europe.
- iii. The best practices and lessons learned from the NEP 2020 and its implementation, and the identification and dissemination of the success stories and case studies from

the higher education institutions and the students and faculty in India.

References:-

1. Ministry of Education, Government of India. (2020). National Education Policy 2020. New Delhi: Ministry of Education.
2. Altbach, P. G. (2016). Global perspectives on higher education. Johns Hopkins University Press.
3. Tilak, J. B. G. (2018). Education and development in India: Critical issues in public policy. Springer.
4. Agarwal, P. (2009). Indian higher education: Envisioning the future. Sage Publications.
5. Bele, M. (2023). National Education Policy 2020: Challenges & Opportunities in Higher Education in India.
6. Santra, R., & Basu, S. (2023). National Education Policy 2020: Opportunities and Challenges for India's Higher Education.
7. Sharma, S (2023). National Education Policy 2020: Navigating Opportunities And Challenges.
8. Reddy, P.N. (2021). National Education Policy 2020 - Challenges and Opportunities on the Educational System.
9. Farooq, U. (2023). National Education Policy 2020 and Higher Education: A Comprehensive Analysis.
10. Nair, V. (2024). Transforming Higher Education in India: Challenges, Opportunities and NEP 2020.
11. Dhokare, S. (2022). Transforming Higher Education: Exploring the Impact of NEP 2020.
12. Kumar, A., & Chander, A. (2023). Challenges and Prospects of Implementing the National Education Policy 2020 in Himachal Pradesh: A Stakeholder Perspective.
13. Nagpal, P. (2023). Implementing the National Education Policy 2020: Challenges and Solutions in School Education in India.
14. (2024). Major Reforms in Accreditation of Higher Education Institutions.
15. Duarte, N., & Vardasca, R. (2023). Literature Review of Accreditation Systems in Higher Education.
16. Radhakrishnan K. (2023). Transformative Reforms on the Anvil for Strengthening Periodic Assessment, Accreditation, and Ranking of India's Higher Educational Institutions.
17. Varghese, N. V. (2024). Reforms to Revive Higher Education in India.
18. Tilak, J. B. G. (2023). Reforming Higher Education in India in Pursuit of Excellence, Expansion, and Equity.
19. Sharma, A., Prakash, A. R., & Nehru, R. S. S. (2022). Reforms in Higher Education in India: National Education Policy - 2020.
20. Mallik, C. (2023). Critical Analysis of NEP 2020 and Its Implementation.
21. Wadhwa, R. (2024). Changing Landscape of Indian Higher Education: Retrospect and Prospect.
22. Tobenkin, D. (2022). India's Higher Education Landscape.

How to Minimize the Risk of Cancer

Dr. Rajesh Masatkar*

*Govt. Degree College, Nainpur, Distt. Mandla (M.P.) INDIA

Abstract - Cancer refers to any one of a large number of diseases characterized by the development of abnormal cells that divide uncontrollably and have the ability to infiltrate and destroy normal body tissue. Cancer often has the ability to spread throughout your body. Cancer is the second leading cause of death in the world. But survival rates are improving for many types of cancer. Thanks to improvements in cancer screening, treatment and prevention. In last, healthy active lifestyle, healthy diet and ideal weight of an individual minimize the risk of cancer.

Keywords – Antioxidants, Detoxify, Antibiotic. Preservatives, Chemotherapy, Carcinogenic.

Introduction - Cancer cells are different to normal cells in various ways. Cancer cells don't stop growing and dividing. Unlike normal cells, cancer cells don't stop growing and dividing when there are enough of them. So, the cells keep doubling, forming a lump (tumour) that grows in size. A tumour forms, made up of billions of copies of the original cancerous cell. Cancers of blood cells don't form tumours for example leukaemia. But they make many abnormal blood cells that build up in the blood. Cancer cells ignore signals from other cells. Cells send chemical signals to each other all the time. Normal cells obey signals that tell them when they have reached their limit. They will cause damage if they grow any further. But something in cancer cells stops the normal signalling system from working.

It can take many years for a damaged cell to divide and grow and form a tumour big enough to cause symptoms or show up on a scan. How mutations happen? Mutations can happen by chance when a cell is dividing. They can also be caused by the processes of life inside the cell. Or by things coming from outside the body, such as the chemicals in tobacco smoke. And some people can inherit faults in particular genes that make them more likely to develop a cancer. Some genes get damaged every day and cells are very good at repairing them. But over time, the damage may build up. And once cells start growing too fast, they are more likely to pick up further mutations and less likely to be able to repair the damaged genes.

One of the most harmful effects of preservatives on food items is their ability to transform into carcinogen agents, some of the food items consist of nitrosamines, a preservative that has nitrites and nitrates, which mix with the gastric acids and form cancer-causing agents. To ensure that you avoid eating this preservative you need to avoid snacks or meals that are loaded with nitrites and

nitrates.

Objectives – The main objectives are as given below.

1. To clean and detoxify an individuals' body naturally.
2. To save the individuals from this drastic disease.
3. To make the people of the country healthy and wealthy.
4. To make the people of the country useful in the development of our nation.
5. To increase the economic status of the people.
6. To minimize the intake of medicines.
7. To reduce the cost of treatment of an individual at zero level.
8. To save the time of people from unnecessary treatments.
9. To improve the overall health of an individuals.

Methodology – By observing the lifestyle of an individual.

Symptoms – Signs and symptoms caused by cancer will vary depending on what part of the body is affected. Some general signs and symptoms associated with but not specific to, cancer.

1. Fatigue
2. Lump or area of thickening that can be felt under the skin.
3. Weight changes, including unintended loss or gain.
4. Skin changes, such as yellowing, darkening or redness of the skin, sores that won't heal, or changes to existing moles.
5. Changes in bowel or bladder habits
6. Persistent cough or trouble breathing.
7. Difficulty in swallowing
8. Hoarseness.
9. Persistent indigestion or discomfort after eating.
10. Persistent, unexplained muscle or joint pain.
11. Persistent, unexplained fevers or night sweats
12. Unexplained bleeding or bruising.

Risk Factors of Cancer – While doctors have an idea of what may increase your risk of cancer, the majority of cancers occur in people who don't have known risk factors. Factors known to increase your risk of cancer include.

Age – Cancer can take decades to develop. That is why most people diagnosed with cancer are 65 or older. While it is more common in older adults, cancer is not exclusively an adult disease cancer can be diagnosed at any age.

Habits – Certain lifestyle choices are known to increase your risk of cancer. Smoking, drinking more than one drink a day for women and up to two drinks a day for men, excessive exposure to the sun or frequent blistering sunburns, being obese, and having unsafe sex can contribute to cancer. You can change these habits to lower your risk of cancer.

Family History – Only a small portion of cancers are due to an inherited condition. If cancer is common in your family. It is possible that mutation is being passed from one generation to the next. You might be a candidate for genetic testing to see whether you have inherited mutations that might increase your risk of certain cancers. Keep in mind that having an inherited genetic mutation does not necessarily mean you will get cancer.

Cancer Cells Do Not Repair Themselves or Die – Normal cells can repair themselves if their genes become damaged. This known as DNA repair. Cells self-destruct if the damage is too bad. Scientists call this process apoptosis. In cancer cells, the molecules that decide whether a cell should repair itself are faulty. For example, a protein called p53 usually checks if the cell can repair its genes, or if the cell should die. But many cancers have faulty version of p53, so they do not repair themselves properly. This lead to more problems. New gene faults or mutations can make cancer cells. Cancer cells can ignore the signals that tell them to self-destruct. So, they do not undergo apoptosis when they should. Scientists call these making cells immortal.

Health Conditions – Some chronic health conditions, such as ulcerative colitis, can markedly increase your risk of developing certain cancers.

Environment – The environment around you may contain harmful chemicals that can increase your risk of cancer. Even if you don't smoke. You might inhale second hand smoke if you go where people are smoking or if you live with someone who smokes. Chemicals in your home or workplace. Such as asbestos and benzene, also are associated with an increased risk of cancer.

Effect of Cancer and Its Treatment –

Pain – Pain can be caused by cancer or by cancer treatment, though not all cancer is painful. Medications and others approaches can effectively treat cancer-related pain.

Fatigue – Fatigue in people with cancer has many causes, but it can often be managed. Fatigue associated with chemotherapy or radiation therapy treatments is common.

Nausea – Certain cancers and cancer treatments can cause nausea.

Diarrhea or Constipation – Cancer and cancer treatment can affect your bowels and cause diarrhea or constipation.

Weight Loss – Cancer and cancer treatment may cause weight loss. Cancer steals food from normal cells and deprives them of nutrients. This is often not affected by how many calories or what kind of food is eaten. It is difficult to treat. In most cases, using artificial nutrition through tubes into the stomach or vein does not help change the weight loss.

Chemical Changes in Your Body – Cancer can upset the normal chemical balance in your body and increase your risk of serious complication. Signs and symptoms of chemical imbalances might include excessive thirst, frequent urination, constipation and confusion.

Brain and Nervous System Problems – Cancer can press on nearby nerves and cause pain and loss of function of one part of your body. Cancer that involves the brain can cause headaches and stroke like signs and symptoms, such as weakness on one side of your body.

Unusual Immune System Reaction to Cancer – In some cases the body's immune system may react to the presence of cancer by attacking healthy cells called paraneoplastic syndromes. These are very rare reactions can lead to a variety of sign and symptoms, such as difficulty walking and seizures.

Discussion – All the lifestyle changes in the world still can't guarantee that you'll never develop cancer or other health issues. Sometimes, nature just runs its course, and genetics can play a role too. While just under half of cancer related deaths are preventable, the reality is that over half of them is not. Dr. Kamath says unfortunately people who lead very healthy lifestyles do still develop cancer, but at the same time we still need to take every opportunity that we can maximize prevention. Importantly, the study shows hard proof that lifestyle changes can go a long way for your overall health. Dr. Kamath adds someone who limits alcohol consumption, maintains a healthy weight, lives a healthy active lifestyle and doesn't smoke is at a much lower overall risk for cancer. If you can develop healthy habits when you are young, you will continue them as your age, which is how you mitigate risk.

Findings:

1. Maintain ideal weight.
2. Eat a healthy diet.
3. Exercise most days of the week.

Suggestion:

1. Avoid junk food and packed food.
2. Stop smoking and drinking.
3. Avoid excess sugar and salt.
4. Use fresh fruits and vegetables.
5. Avoid excessive sun exposure.

Conclusion – It is old says that "Health is Wealth". If health is well then, all things is in our hand. But being author of this paper, I want to aware the people of our country to minimize the risk of cancer by developing healthy active

lifestyle. it is advisable to pay special attention to what you eat. avoid junk as much as possible and minimize intake of medicines for the little reason. Make a healthy routine for long time with consistently will minimize the risk of cancer.

References :-

1. Find out about different types of cancer according to the cell type they start in
2. Find out about trials that are looking at anti angiogenic drugs on our clinical trials database
3. Find out more about how cancer may spread to other parts of the body.
4. Cancer - Symptoms and causes - Mayo Clinic
5. How To Prevent Cancer: 6 Ways To Lower Your Risk (clevelandclinic.org)

वर्तमान विधिक शिक्षा एवं विधिक व्यवस्था एक मूल्यांकन

डॉ. जाकिर खान*

* प्राचार्य, सांदीपनि विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत के संदर्भ में विधिक शिक्षा से आशय अपना विधिक व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा से है। भारत में विधि की शिक्षा परम्परागत विश्वविद्यालयों के साथ-साथ केवल विधिक शिक्षा हेतु स्थापित कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा भी दी जाती हैं। सभी को स्पष्ट रूप से यह ज्ञात है कि भारतीय विधिक व्यवस्था में विधि की अज्ञानता या अनभिज्ञता को कानूनी बचाव के रूप में मान्यता दी जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति अज्ञानतावश किसी भी कानून का उल्लंघन कर देता है तो न्यायालय इस आधार पर कि उल्लंघनकर्ता को उस कानून की जानकारी नहीं थी कोई रियायत या लाभ नहीं दे सकता है।

अपनी दैनिक चर्चा में हम ऐसे कई कार्य करते हैं जिनके बारे में कानून क्या कहता है- इसकी हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। विधिक ज्ञान इतना महत्वपूर्ण होते हुये भी हमारी शिक्षा प्रणाली में कानूनी शिक्षा अपना वांछित स्थान नहीं प्राप्त कर पाई। एक तरफ तो सामान्य नागरिकों को विधिक शिक्षा नहीं दी जाती है और दूसरी तरफ विधिक अज्ञानता के लिये दण्डित किया जाना अभी तक की सरकारों की बड़ी विफलता है वर्तमान में विधिक शिक्षा से तात्पर्य भविष्य में विधि को अपनी आय का साधन बनाने वालों को दी जाने वाली विधिक शिक्षा तक ही सीमित है जैसे वकील, जज, विधिक परामर्श दाता, प्राध्यापक इत्यादि। वर्तमान परिदृश्य में बढ़ते इंटरनेट के उपयोग एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार-व्यवसाय को दृष्टिगत रखते हुए विधिक शिक्षा व्यवस्था में वृद्धि कर न्यूनतम विधिक शिक्षा का निर्धारण कर प्रत्येक देशवासी को इसे प्रदान करने की आवश्यकता है।

विधिक शिक्षा के दो आयाम हैं- प्रथम, विधिक क्षेत्रों में जाने वालों को दी जाने वाली शिक्षा तथा दूसरी शेष सामान्य देशवासियों को दी जाने वाली शिक्षा। कानूनविदों को दी जाने वाली शिक्षा जो कि वर्तमान में एलएल.बी. तथा एलएल.एम. पाठ्यक्रमों के माध्यम से ही दी जाती है। एक अत्यंत विशेषीकृत शिक्षा है जो कि कानूनविदों/विधि विशेषज्ञों के लिये वांछित भी है, क्योंकि वर्तमान समय में न्याय प्रणाली का भार इन्हीं विधिज्ञों के कंधों पर है। यद्यपि यह शिक्षा भी समय काल एवं परिस्थिति के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पायी है। हमारा विधिक पाठ्यक्रम अभी भी अंग्रेजी शासन काल की औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर नहीं आ पाया है। उदाहरणार्थ एलएल.बी. पाठ्यक्रम में एक विषय भारत का विधिक इतिहास पढ़ाया जाता है जिसमें भारत में विधि अथवा कानून का विकास किस तरह हुआ इसका उल्लेख है किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं हास्यापद है कि आजाद भारत में विधि के छात्रों को भारत के विधिक इतिहास की शुरुआत

सन् 1600 में होना पढ़ाया जा रहा है, जिस वर्ष ब्रिटिश शासन ने 'ईस्ट इण्डिया कंपनी' के निर्गमन का चार्टर जारी किया गया जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय विधिक इतिहास का प्रारंभ 5000 वर्षों से अधिक पुराने मनुस्मृति काल या उससे भी अधिक प्राचीन रहा है या इसे कोटिल्य के अर्थशास्त्र/नीतिशास्त्र से तो प्रारंभ माना ही जाना चाहिए। यदि उक्त दोनों महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकों के पूर्व हम न भी जावे तो भी ये दोनों ही पुस्तकें विधिक संहिता के रूप में इतनी प्राचीन हैं, कि जिस काल में भारत में राजाओं के भी राजा अर्थात् सम्राट हुआ करते थे, उस काल में संभवतः पश्चिमी विश्व जो कबिलों में निवास करता था को सभ्य कहना भी कुछ मुश्किल होगा।

इसी तरह पिछले 10 वर्षों में विधि के क्षेत्र में बहुआयामी विकास हुआ जैसे इंटरनेट के आने से ऑनलाईन अपराधियों का बढ़ना तथा देश-विदेश में सुगमता से लेन-देन तथा अन्य गतिविधियों के संचालन में सुविधा का हो जाना। उदाहरणार्थ भारत में क्रिप्टा करेंसी का व्यापार वैधानिक नहीं है परन्तु कई मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से इस व्यापार के मामले आ रहे हैं जिसके लिये फिलहाल कोई सुनियोजित कानून हमारे सामने नहीं है। बहुत सारे ऐसे नये विषय समाविष्ट हुये हैं, जिनका वर्तमान औपचारिक विधिक शिक्षा में उचित समायोजन नहीं हो पाया है जैसे अन्तराष्ट्रीय मध्यस्थता, विदेश व्यापार, बैंकिंग कानून, बौद्धिक सम्पदा आदि। इसके अतिरिक्त हमें विशेष रूप से न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं में न्यायिक गुणों या ज्यूडिशियल चर्यूज के विकास की और ध्यान देना होगा जिससे कि न्याय प्रणाली व्यक्तिगत एवं मानवीय गुण दोषों से यथा संभव मुक्त रहे तथा व्यक्तिगत मान्यताएँ एवं व्यक्तिगत अहंकार न्यायिक अधिकारों की दृष्टि को बाधित न कर सकें।

विधिक शिक्षा का प्रथम और महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है ऐसे नागरिक जो न सिर्फ देश में स्थापित विधि के शासन को समझे बल्कि उसको सुदृढ़ करने में सकारात्मक योगदान भी दे सकें, परन्तु इसके लिये विधि एवं विधिक व्यवस्था जानना, समझना एवं उसके प्रति समर्पित होना आवश्यक है।

विधिक शिक्षा का दूसरा उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कराना है तथा उनका पालन और निर्वहन कैसे विधि के द्वारा कराया जाना है यह बतलाना भी है अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता एवं सजगता सरकारी तंत्रों की निरंकुशता पर प्रभावी अंकुश लगा सकती है।

विधिक शिक्षा को विभिन्न विषयों से पूर्णतः पृथक् कर नहीं देखा जा सकता हैं बल्कि यह तो हर विषय में समाहित भी हैं एवं उनका एक अभिन्न अंग हैं जैसे मोरल साइंस के विषय में हमारे चारो तरफ के पशु-पक्षी, पौधे इत्यादि के भी जीवन के अधिकार को पहचाना एवं उनका सम्मान करना, भाषा विज्ञान के छात्रों की बौद्धिक सम्पदा तथा कॉपीराइट इत्यादि की समझ विकसित करना, समाजशास्त्र में सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के वैधानिक विकास के समझ को विकसित करना आवश्यक हैं। बच्चों को सही गलत, न्याय-अन्याय, अधिकार कर्तव्य, भारतीय संविधान के सिद्धांत इत्यादि के विषय में समझ एवं जागरूकता, उनको भविष्य के जिम्मेदार नागरिक बनाने में एक महत्वपूर्ण संगठक सिद्ध होंगे अतः आवश्यक हैं कि देश के विधि शिक्षा के दोनों आयामों में इस प्रकार आमूलचूल परिवर्तन किया जायें, जिससे कि एक तरफ अच्छे नागरिकों का निर्माण कर राष्ट्र निर्माण हो सकें और दूसरी तरफ निष्पक्ष न्यायिक गुणों से समृद्ध न्यायिक अधिकारियों के द्वारा परिचालित न्याय व्यवस्था कायम हो सकें।

हमारा देश अतीत से ही न्यायप्रिय रहा है। नीति, न्याय, धर्म आदि हमेशा से ही आदर्श रहे हैं। अन्याय, अन्याय और अधर्म में उसकी कभी आस्था नहीं रही। अन्याय का उसने सदैव विरोध किया है। असहाय और निर्धन व्यक्तियों को कुचलने की उसकी कभी नियति नहीं रही है। निर्धन व्यक्तियों के विरुद्ध वाद दायर करना अथवा मुकदमा चलाना तभी न्यायपूर्ण कहा जा सकता है जब उन्हें अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का समान अवसर मिले। भारतीय न्याय व्यवस्था का उद्देश्य कभी एक तरफा न्याय करने का नहीं रहा है। यदि कोई पक्षकार निर्धन या गरीब है तो हमने उसे सुविधा मुहैया की व्यवस्था की है। किसी भी व्यवस्था में जनता की अपेक्षा रहती है कि उसे न्याय सहज एवं सुगम रूप से उपलब्ध हो। न्यायालय तक पहुँचने की प्रक्रिया, अत्यन्त सरल एवं विधि की जटिलताओं एवं पेंचीदगियों से रहित होना चाहिए। इसके साथ-साथ सभी व्यक्तियों को न्याय प्रभावी रूप से उपलब्ध हो पाये एवं न्याय के समान अवसर मिल सकें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए न्याय प्रशासन की व्यवस्थाएँ अधिक खर्चीली एवं मंहगी नहीं होनी चाहिए। विधिवेता सिसरो ने सही कहा हैं-

‘बुद्धिमान विवेक से, साधारण मनुष्य अनुभव से,
 अज्ञानी आवश्यकता से और पशु स्वभाव से सीखते हैं।’

आज न्यायालयों में विशाल संख्या में अनेक प्रकार के वाद काफी लंबे समय से लंबित पड़े हैं, हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि शीघ्र एवं प्रभावी रूप से जनता को न्याय उपलब्ध हो पाये। कहने के लिए तो जनता को अनेक मूल अधिकार एवं अन्य विधिक अधिकार दिये गये हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी अधिकांश जनसंख्या गरीब, असहाय, निरक्षर होने के कारण अपने अधिकारों का प्रवर्तन करवाने में असमर्थ रहती हैं, उसका प्रमुख कारण हमारी जटिलता से पूर्ण एवं मंहगी न्यायिक व्यवस्था है। अतः आज यह आवश्यक हो जाता है कि न्याय-प्रशासन में न केवल न्यायिक पदाधिकारीगण ही अपने दायित्व का उचित निर्वहन करें, अपितु अन्य समस्त प्राधिकारीगण एवं समाज के सभी वर्ग मिलकर गरीब व असहाय व्यक्तियों को न्याय दिलवाने में अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें। वर्तमान न्याय व्यवस्था में इसके कई रूप हैं -

विधिक सहायता : निर्धन व्यक्तियों को न्याय सुलभ कराने के लिए हमारी न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में हैं विधिक सहायता।

यदि कोई व्यक्ति निर्धन है और निर्धनता के कारण न्यायालय जाने में असमर्थ है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अकिंचन को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है।

दी न्यू एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने विधिक सहायता का अर्थ किसी जरूरतंद व्यक्ति को व्यवसायिक विधिक मदद देना, चाहे वह मुफ्त दी जाये अथवा कुछ राशि लेकर दी जाने से हैं।

इन्टरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि विधिक सहायता में न्यायालयों को दी जाने वाली ऐसी विधिक सलाह एवं प्रतिनिधित्व के प्रावधान उन सभी के लिए सम्मिलित हैं, जिन्हें अपने जीवन, स्वाधीनता, सम्पत्ति या मान-मर्यादा को खतरा हैं एवं जो इस हेतु सलाह प्राप्ति या अपने हितार्थ प्रतिनिधि कि नियुक्ति पर होने वाले ष को वहन करने में असमर्थ हैं।

दी यूरोपियन कन्वेन्शन ऑफ ह्यूमन राईट्स अनुच्छेद 6 (3) (स) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो को आपराधिक मामले में अभियुक्त हैं वह स्वयं के बचाव हेतु विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। हुसैन आरा खातुन विरुद्ध बिहार राज्य AIR 1979 SC 1360 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह बन्दी के प्रति युक्तियुक्त, ऋजु और न्यायोचित प्रक्रिया का अंग हैं, जो कि न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से परिमोचन का प्रयास कर रहा है कि उसे विधिक सेवायें उपलब्ध करायी जाये। इस हेतु न्यायालय ने 39 (क) का भी सहारा लिया जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता के लिये उपबन्ध किया गया है कि इस मामले में न्यायालय ने उन बन्दीयों में छोड़ने का आदेश दिया जिनको उस अवधि से लम्बी अवधि तक जेल में रखा गया था, जिसके लिये उन्हें सिद्धदोष ठहराये जाने पर अधिकतम सजा दी जा सकती थी।

सुनील बत्रा विरुद्ध दिल्ली प्रशासन के मामले में जस्टिस अय्यर ने कहा कि केदी के अधिकार न्यायालय द्वारा याचिका एवं न्यायालय की अवमानना द्वारा संरक्षित किये जायेगे इस क्षेत्र अधिकार को व्यावहारिक बनाने के लिये केदियों के लिये निःशुल्क विधिक सेवायें प्रोग्रामों को न्यायालयों द्वारा मान्यताप्रद व्यवसायिक संगठनों जैसे निःशुल्क विधिक सहायता समिति द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा।

एम.एच. हासकाट विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के वाद में न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने यह उचित ही संप्रेषण किया था कि निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाना राज्य का कर्तव्य और सरकार का एक आवश्यक कार्य हैं।

इसके लिए निम्नलिखित विधियाँ एवं संविधान में व्यवस्था की गई हैं-

1. संविधान के अनुच्छेद 39 क में
2. संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 में
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 303 एवं धारा 304 में
4. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 2 नियम 10 क, आदेश 33 एवं आदेश 44 में।

विधिक साक्षरता: विधि का ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अपने अधिकारों के संरक्षण/प्रवर्तन हेतु न्यायालय में तभी दस्तक दे सकता है, जब उसे अपने अधिकारों की जानकारी होगी। विधि की यह धारणा है कि कोई भी व्यक्ति यह बहाना नहीं बना सकता या बचाव प्रस्तुत नहीं कर सकता है कि उसे विधि की जानकारी नहीं है अर्थात् विधि अनभिज्ञता क्षम्य नहीं है। भारत वर्ष

में कानूनों का जाल बिछा हुआ है और सामान्य व्यक्तियों के लिये यह संभव ही नहीं है कि वह सभी कानूनों की जानकारी रख सके। स्वच्छ सामाजिक के लिये नागरिकों को सामाजिक व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होना आवश्यक है। राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक साक्षरता एवं विधिक चेतना का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। आज प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में न केवल बिखराव आ रहा है, वरन जाति व्यवस्था के कारण समाज में तनाव व कटुता बढ़ रही है समाज में शोषण व अत्याचार बढ़ रहे हैं।

भारतीय संविधान ने पति व पत्नी को समान अधिकार दिये हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 (ए), 498 (ए) व दहेज विरोधी अधिनियम की धारा 4 ने नारी के सम्मान एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए ढाल का काम किया है। महिला को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एवं हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 व 25 के अंतर्गत निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है एवं साथ ही महिला को पिता/पति अथवा पुस्तैनी जायदाद में भाई व पुत्रों के समान ही सम्पत्ति में उत्तराधिकार का हक प्राप्त है। अब संविधान में उसे पूर्ण स्वामित्व का दर्जा उपलब्ध कराया है। जिसका परिणाम यह है, कि अब नारी की अबला वाली स्थिति नहीं रही है।

विधिक साक्षरता कार्यक्रम के क्रियान्वयन में न्यायिक अधिकारीगण के अलावा अधिवक्तागण, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद एवं विधि छात्रों का पूरा सहयोग मिलता है। विधिक साक्षरता एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है इसने लोगों में एक नई चेतना का संचार किया है।

1. साक्षरता शिविर
2. साहित्य प्रकाशन
3. पैरा-लीगल क्लिनिक
4. पैरा-लीगल सर्विसेज

लोकहित वाद : निर्धन व्यक्तियों को न्याय सुलभ कराने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल लोकहित वाद की है। यह व्यवस्था ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो गरीबी अथवा कानून की अज्ञानता के कारण न्यायालय जाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की ओर से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा संगठन द्वारा वाद दायर किया जा सकता है। यही लोकहितवाद की अवधारणा है। लोकहितवाद का उद्देश्य व्यक्तियों, शोषित वर्गों व अलाभप्रद व्यक्तियों के सांविधानिक व विधिक अधिकारों व लोकहित का संरक्षण है, व उन्हें सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान करना है। लोकहित वादों के लिए यह आवश्यक है कि -

1. वह जनसाधारण के व्यापक हितों से जुड़ा हो,
2. निजी हित न हो,
3. सद्भावनापूर्ण हो,
4. राजनीति से प्रेरित न हो।

बहुआ मुक्ति मोर्चा विरुद्ध भारत संघ³ के मामले में माननीय न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने कहा-लोकहित मुकदमा प्रतिकूल प्रकृति का मुकदमा नहीं है वरन यह सरकार व उसके अधिकारियों को चुनौती का अवसर देता है कि वे मानवीय अधिकारों को समुदाय के वंचित व वेदना सहन करने वाले व्यक्तियों के लिए सार्थक बनाये एवं उन्हें सामाजिक व आर्थिक न्याय सुनिश्चित करे, जो संविधान की निहित भावना है।

एस.पी. गुप्ता व अन्य विरुद्ध भारतसंघ व अन्य⁴ के वाद में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश पी.एन.भगवती ने कहा कि जो व्यक्ति लोकहित मुकदमा लेकर न्यायालय में आते हैं, उन्हें सद्भावनापूर्वक न्याय

की रक्षा करने हेतु कार्य करना चाहिए यदि वे व्यक्तिगत लाभ या निजी उपलब्धि या राजनैतिक आशय या अन्य कुटिल विचार से कार्य करते हैं तो न्यायालय को इस तरह के व्यक्तियों की पहल पर सक्रिय नहीं होना चाहिए एवं उनके आवेदन को प्रारम्भ में ही निरस्त कर देना चाहिए।

विधिक सेवा प्राधिकरण : संसद ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एवं इसका संशोधन अधिनियम 1994 इस उद्देश्य से पारित किया है, कि दूर दराज में रहने वाले गरीब एवं असहाय व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो सके। लोक अदालत एवं विधिक सहायता शिविरो के माध्यम से समाज के संभ्रान्त लोगों को जोड़कर न्याय उपलब्ध करवाने का प्रयत्न किया जाता है। यह अधिनियम प्राधिकरणों पर यह दायित्व डालता है कि वे विधिक सेवायें अनुसूचित जाति एवं जनजाति, मानव बेगार, अन्य रूप से असमर्थ व्यक्तियों या अन्य परिस्थितिजन्य व्यक्तियों जैसे जाति अस्पृश्यता, जाति संबंधी हिंसा, बाढ़, सुखा, तूफान अथवा औद्योगिक विपत्तियों से ग्रस्त, औद्योगिक कर्मचारियों का शोषण, पुलिस की सुरक्षा में अपराधी या ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय कम है अर्थात् जो अकिंचन हैं, जिनका मामला उच्चतम न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे व्यक्ति उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

इसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण अपने कार्य का संचालन सुचारु रूप से कर रहे हैं।

लोक अदालत : 'न्याय सस्ता, सुलभ एवं त्वरित हो' लोक अदालत की अवधारणा इसी आधार सूत्र की उपज है। आज जगह-जगह लोक अदालतें आयोजित होने लगी हैं। न्यायालयों के अलावा विभिन्न प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए लोक अदालत आयोजित होने लगी है। इस प्रकार लोक अदालत सस्ते, सुलभ एवं त्वरित न्याय का एक सशक्त मंच/माध्यम है। हमारे देश में यह व्यवस्था कोई नयी नहीं है। प्राचीन पंच परमेश्वर रूपी न्याय व्यवस्था का ही यह एक रूप है। गाँवों में आज भी 'चौपाल पर न्याय' की व्यवस्था प्रचलित है। लोक अदालतों की मुख्य विशेषताएँ हैं-

1. इनमें मामलों का निपटारा पक्षकारों में आपसी समझौते अथवा राजीनामों द्वारा होता है।
2. इसमें पक्षकारों के बीच कटुता को दूर कर उनमें मधुर सम्बन्ध स्थापित किये जाने का भी प्रयास किया जाता है।
3. इसमें खर्च भी बहुत कम आता है।
4. मामलों का निपटारा जल्दी हो जाता है।
5. राजीनामों में न्यायिक अधिकारी, शिक्षक, समाजसेवी आदि मिलकर अपनी भूमिका निभाते हैं।

लोक अदालत के माध्यम से संविधान में निहित उद्देश्यों को गरीब एवं असहाय लोगों को उपलब्ध करवा कर प्रजातंत्र एवं विधि शासन को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है। भारतीय संविधान एक ऐसे समाज की परिकल्पना करता है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक एवं विधिक न्याय सभी व्यक्तियों को समानता के आधार पर उपलब्ध हो। विधि के समक्ष समानता के इस संवैधानिक आदेश को लागू करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण न्याय उपलब्ध करवाने के अवसरों को प्रदान करने से इन्कार नहीं किया जाये। वैसे न्याय प्रदान करने वाली संस्थाएँ हमेशा इस बात पर तत्पर रहती हैं कि

प्रार्थी को न्याय शीघ्र अतिशीघ्र मिल जायें, किन्तु अपने अधिकारों की अज्ञानता के कारण तथा अन्य कारणों से वे न्याय प्राप्त के लिये यथा योग्य कदम बढ़ाने में असमर्थ होते हैं। क्योंकि गरीब, पिछड़े एवं समाज के कमजोर वर्गों में इस प्रकार की शंका और भय उत्पन्न हो गया है कि वे न्याय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए समस्त विधिक सेवा कार्यक्रमों एवं योजनाओं को उपर्युक्त प्रभाव को दूर करने हेतु कार्य करना चाहिए तथा समाज के विभिन्न प्रकार से कमजोर वर्गों के मस्तितक में यह विश्वास पैदा करना चाहिए कि हमारा न्याय प्रशासन समाज के अंतिम पंक्ति तक के व्यक्तियों को समान न्याय उपलब्ध करवाने के लिये कटिबद्ध है।

पटना उच्च न्यायालय ने सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य विरुद्ध देवमुनि सिंह एवं अन्य के वाद में यह निर्धारित किया कि स्थायी लोक अदालत नियमित न्यायालय नहीं होता है। वे निर्णय कृत्य नहीं करते हैं तथा वे केवल कानूनी सुलहकर्ता होते हैं। वे न्यायिक नियत कृत्य नहीं कर सकते तथा कपट के विवाध्यक के विचारण की अन्तर्निहित अधिकारिता उन्हें प्राप्त नहीं होती है।

लोक अदालत को धारा 2 (सी-1) (घ) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार लोक अदालत का अर्थ एक ऐसी अदालत से है जो कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 19 से 22 में सम्मिलित है।

लोक अदालत द्वारा दिया गया अधिनिर्णय अंतिम होगा तथा विवाद के समस्त पक्षकारों पर बन्धनकारी होगा।

पंजाब नेशनल बैंक विरुद्ध लक्ष्मीचंद्र के वाद में न्यायालय ने विनिश्चित किया कि लोक अदालत का पंचाट अंतिम होता है तथा इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती परन्तु ज्योति शर्मा विरुद्ध राजेन्द्र कुमार 2010 के मामले में न्यायालय में निर्धारित किया है कि लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के अधीन है तथा इस अधिकारिता के प्रयोग में इसके विरुद्ध सुनवाई की जा सकती है। लेकिन रिट अधिकारिता का प्रयोग न्यायालय को आपवादिक मामलों में ही करना चाहिए।

पंजाब राज्य विरुद्ध फूलनरानी एवं अन्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि लोक अदालत अपने अधिनिर्णय, समझौते या परिनिर्धारण के आधार पर देगी। यदि पक्षकारों के मध्य कोई समझौता न हो सके तो लोक अदालत कोई अभिनिर्धारण या आदेश पारित नहीं करेगी।

सकारात्मक रूप से कहा जाय तो विधिक शिक्षा के विकास में भारतीय विधिक परिषद् का योगदान सराहनीय है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 7 के अनुसार इसके कार्यों में विधिक शिक्षा का उन्नयन करना और ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले भारत के विश्वविद्यालयों और राज्य विधिक परिषदों से विचार विमर्श करके ऐसी शिक्षा के मानक निर्धारित करना सम्मिलित है। बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया ने वास्तव में विधिक शिक्षा के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम एवं इन्टरमिडिएट के बाद पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम दोनों ही अस्तित्व में है। परन्तु पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बेहतर माना जाता है। बेहतर होगा यदि सम्पूर्ण भारत वर्ष में पंचवर्षीय पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया जाय। भारत के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम नहीं है, सभी विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम लागू किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी को अपना पाठ्यक्रम पूरा करने

का समान अवसर बगैर किसी परेशानी के प्राप्त हो सकें।

उक्त के ठीक विपरीत नकारात्मक रूप से यह कहा जा सकता है कि भारतीय विधिक परिषद् विधिक शिक्षा में आवश्यकतानुसार नये परिवर्तनों को लागू करने में विफल रहा है। भारतीय विधिक परिषद् का यह दृष्टिकोण है कि कानूनी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य वकीलों को उत्पन्न करना है। जिस प्रकार प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का आदर्श राष्ट्र को अच्छे नागरिक प्रदान करना होना चाहिये उसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक के पश्चात् कि विधिक शिक्षा का आदर्श/लक्ष्य राष्ट्र के लिए लाभप्रद विधिक ज्ञान रखने वाले ऐसे विधिज्ञों को उत्पन्न करना होना चाहिये जो भारत को विश्व शिखर पर स्थापित करने के अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। क्योंकि आज विधिक शिक्षा को न केवल बार की आवश्यकताओं और व्यापार, वाणिज्य और उद्योग की नई जरूरतों को पूरा करना है किन्तु वैश्वीकरण की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। अन्तर्राष्ट्रीय आयाम वाले नये विषय विधिक शिक्षा में आ गये हैं। बदलते परिदृश्य में अब व्यापार एवं वाणिज्य में गैर स्नातक विधि स्नातकों की भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय विधिक शिक्षा का उद्देश्य अब मात्र ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना मात्र ही नहीं होना चाहिए जो विभिन्न न्यायालयों में विधि का अभ्यास कर सकते हैं। यद्यपि ऐसे कार्यक्रम के इस तरह की क्षमता को अपने आप में एक उद्देश्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि केवल एक अच्छे परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारी विधिक शिक्षा से विद्यार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रथाओं, तुलनात्मक कानून, कानूनों के संघर्ष, अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून, पर्यावरण कानून, लिंग न्याय, अंतरिक्ष कानून, जैव चिकित्सा कानून, जैव नीति, अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन आदि विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त होना चाहिए।

विधि-पत्रिकाओं का भी विधि शिक्षा के विकास में विशेष महत्व होता है। विधि-जर्नल और रिपोर्ट की संख्या पर्याप्त नहीं है इसमें वृद्धि करने की व्यावस्था करनी चाहिए। विधि जर्नल एवं रिपोर्ट में सरल विधिक भाषा का उपयोग होना चाहिए ताकि विद्यार्थीगण भी इसका आसानी से लाभ उठा सकें।

विधिक शिक्षा की सफलता मुख्य रूप से शिक्षक गण, पुस्तकालय, विधि रिपोर्ट विधि विद्यार्थियों के लिए विहित पाठ्यक्रम, शोध सुविधाओं इत्यादि पर आधारित होनी चाहिए। अच्छे शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें अच्छा वेतन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करना आवश्यक है। अच्छी पुस्तकें क्रय करने के लिए पुस्तकालयों को पर्याप्त धन प्रदान करना आवश्यक है। विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार शिक्षकों की संख्या भी अच्छे पठन-पाठन के लिए आवश्यक है। विधि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो।

विधि शिक्षा के विकास में पुस्तकों का बड़ा महत्व है। अनेक शिक्षकों एवं अधिवक्ताओं द्वारा विधि पुस्तकें लिखी जाती हैं परन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं। पुस्तक लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अच्छी पुस्तकें लिखने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने की योजना भी बनाना चाहिए। ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो अच्छी पुस्तकें लिखना चाहते हैं परन्तु उन्हें प्रकाशक नहीं मिलते हैं। सरकार और बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को आगे आना चाहिए और अच्छी पुस्तकों को प्रकाशित करने की व्यवस्था करना चाहिए।

वर्तमान में विधि के क्षेत्र में शोध कार्य भी पर्याप्त नहीं है, अतः शोधकार्य हेतु प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। एम.पी. दीक्षित का यह सुझाव बेहतर

प्रतीत होता है कि विधि-विद्यालयों को न्यायालय से उसी प्रकार सम्बद्ध करना चाहिए जैसे कि मेडिकल कॉलेजों को अस्पतालों से सम्बद्ध किया जाता है। विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने में भी यह उपयोगी होगा।

उचित होगा यदि प्रत्येक राज्य में एक विधि शिक्षा समिति की स्थापना की जाये और राष्ट्रीय स्तर पर एक अखिल भारतीय विधिक शिक्षा समिति की स्थापना की जाए। राज्य समिति को अखिल भारतीय समिति की देखरेख एवं नियंत्रण में कार्य करें चाहिए। राज्य समिति राज्य में विधि शिक्षा देने वाले संस्थानों का निरीक्षण करना चाहिए। इसे स्वच्छ परीक्षा के निमित्त उचित कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। इसके सदस्यगण परीक्षा के दौरान उड़ाका ढल के रूप में कार्य करें। परीक्षा में नकल होने पर इसे परीक्षा निरस्त करने की शक्ति प्राप्त होना चाहिए, साथ ही उसे किसी विधि-विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के विधि विभाग में छात्रों की संख्या के निर्धारण की भी शक्ति प्राप्त होना चाहिए।

विधिक शिक्षा के उत्थान के निमित्त विधिज्ञ परिषद्, विधि शिक्षक, न्यायाधीशगण एवं सरकार सभी का सहयोग आवश्यक है। विधि शिक्षा से संबंधित मामलों में इन सभी की सहमति से निर्णय लेना बेहतर होगा। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विधि-शिक्षकों के पूर्ण सहयोग के बिना विधि शिक्षा

सम्बन्धी योजनाओं का कार्यान्वयन उचित रूप से करना दुष्कर होगा। विधि शिक्षकों के अनुभव को दृष्टीकृत रखते हुए विधि स्नातक पाठ्यक्रम बनाने एवं परीक्षा सम्बन्धी नियम बनाने का कार्य विधि शिक्षकों को ही दिया जाना चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत का संविधान - डॉ. जयनारायण पाण्डेय
2. जनहित वकालत, विधिक सहायता एवं विधिक सेवाएँ - डॉ. कैलाश राय
3. लीगल एण्ड पब्लिक इन्स्ट्रस्ट लायरिंग एण्ड पैरा लीगल सर्विसेज - डॉ. बसन्तीलाल पाण्डेय.
4. भारत का संविधान - डॉ. बसन्तीलाल बावेल
5. लोकहितवाद, विधिक सहायता एवं विधिक सेवाएँ, लोक अदालत तथा पैरा-लीगल सेवाएँ-प्रो. (डॉ.) हरिमोहन मितल

फुटनोट:-

1. AIR 1980 SC 1579
2. AIR 1978 SC 1548
3. AIR 1984 SC 1802
4. AIR 1992 SC 189

श्राद्ध माता-पिता के ऋण से उऋण होने के लिए सरल मार्ग

डॉ. दादूभाई त्रिपाठी*

* व्याख्याता, कांगेर वैली अकादमी, निकट पं रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना - मनुष्य सभी ऋणों से मुक्त हो सकता है किन्तु माता-पिता के ऋण से मुक्त होना संभव नहीं है, क्योंकि माता-पिता जो कुछ अपनी संतान के लिए करते हैं, उसका मूल्यांकन संभव नहीं है। इसलिए उनका इसमें उनका समर्पण उनकी देन अतुलनीय है और पितृपक्ष में उन्हें स्मरण कर उनके लिए पूजा अर्चना करना हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। जिससे हमें सुख एवं संतुष्टि प्राप्त होती है इसीलिए मानवीय मर्यादाओं में पितरों का श्राद्धादिक कर्म करना श्राद्ध कर्म करने की आवश्यक आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र अपने पिता के श्राद्ध के उद्देश्य से जितने कदम गया क्षेत्र की ओर चलता है, उतने ही कदम उनके पितरों के लिए स्वर्गारोहण सोपान बन जाते हैं। वायुपुराण में ऐसा कहा गया है।

गृहाच्चलितमात्रेण, गयायां गमनं प्रति।

स्वर्गारोहणसोपानं, पितृणां च पदे पदे॥

(वायुपुराणम् 105, 9, 39)

अत्यधिक शुद्धता के साथ देव ऋषि तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसीलिए पितृपक्ष के अवसर पर उन्हें श्राद्ध कर्म के द्वारा संतुष्ट करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है आश्विन मास के पितृपक्ष में पितरों को आशा लगी रहती है कि उनके पुत्र-पौत्र आदि तिलांजलि प्रदान कर उन्हें संतुष्ट करेंगे इसी आशा से पितर, पितृ लोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं।

‘पितरस्तस्य शापं दत्त्वा प्रयान्ति च’ (नारद खंड)

अगर उन्हें यह सब नहीं मिलता तो वह न केवल निराश लौटते हैं बल्कि क्रोध आवेश में शाप तक दे देते हैं।

ब्रह्म पुराण पुराण में वर्णन आता है कि मृत प्राणी बाध्य होकर श्रद्धा न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं।

‘श्राद्धं न कुरुते मोहात् तस्य रक्तं पिबन्ति ते।’ (ब्रह्म पुराण)

शास्त्र सम्मत जो बातें हैं उसके अनुसार जिस प्रकार काशी में व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार गया में मृत आत्मा को पिंडदान आदि कर देने से उन्हें ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होती है।

काश्यां मरणान्मुक्तिः (काशी खंड)

श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान की परंपरा गया में कब से प्रारंभ हुई इसके पीछे अनेक मत मतान्तर हैं। आदि वैदिक युग में जब शवदाह की परंपरा प्रचलित नहीं थी तो लोग शव को देश की भूमि में समाधि दे दिया करते थे। किंतु उत्तर वैदिक काल में सिर्फ शवदाह की ही परंपरा थी। हालांकि उस युग में भी कहीं-कहीं दाह और समाधि इन दोनों ही परंपराओं का उल्लेख मिलता

है। निष्कर्षतः भारत में दाह कर्म के प्रचलन के साथ ही वैदिक पितृ पिंडदान की परंपरा शुरू हुई।

जहाँ तक श्राद्ध, पिंडदान एवं तर्पण के पीछे छिपी वैज्ञानिकता का प्रश्न है उसके अनुसार इन दोनों पितृ पक्ष विशेष अवधि में चंद्रमा अन्य महीनों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट हो जाता है। इस कारण उसकी आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी तथा उसमें अधिष्ठित प्राणियों पर विशेष रूप से पड़ता है। तभी जितने सूक्ष्म शरीर युक्त जीव चंद्रलोक के ऊपरी भाग में स्थित पितृ लोक में जाने के लिए बहुत समय से चल रहे होते हैं या चल पड़ते हैं। उनके उद्देश्य से उनके संबंधियों द्वारा प्राप्त पिंड अपने अंतर्गत सोम के अंश से उन जीवों को अध्यायित करके, उनमें विशिष्ट शक्ति उत्पन्न करके बिना अपनी सहायता के ही पितृलोक में उपलब्ध करा देता है। तब वह पितर भी उनकी ऐसी सहायता पाकर उन्हें हृदय से समृद्धि तथा वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।

आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की मृतक तिथि में यहां सभी मृतक पितरों के श्राद्ध किए जाते हैं। प्रतिवर्ष आश्विन मास एवं तिथि में जो श्राद्ध किए जाते हैं उसके पीछे भी कारण यह है कि वह तिथि ही कारण होती है। चंद्रमा की चंद्र गति के अनुसार उस समय चंद्रलोक में वे भीतर इस मार्ग में स्थित होते हैं जब वह इस तिथि में मरकर मार्ग को प्राप्त हुए थे। तब वह सूक्ष्म अग्नि से प्राप्त कराए हुए उसे श्राद्ध के सूक्ष्म अंश को अनायास प्राप्त कर लेते हैं।

अब श्राद्ध सामग्री पर ही विचार करें तो श्राद्ध के समय पृथ्वी पर कुश रखे जाते हैं और कुशों पर फूल फल एवं अक्षत आदि में पिंड प्रदान किए जाते हैं, उसके पीछे भी एक अलग विज्ञान छिपा है। चावल और जव में ठंडी बिजली होती है, तथा तिल और दूध में गर्म बिजली होती है, जबकि तुलसी में इन दोनों ही प्रकार की बिजली मौजूद होती है। जब कोई वेदविद कर्मकांडी तथा ज्ञानी विद्वान अपने नियत पद प्रयोग परिपाटी वाले तथा नियम के अनुसार पितृ गानों से संबंध संबंध वेद मन्त्रों को पढ़ता है तब नाभि चक्र से समुचित वायु पुरुष के शरीर में एकाएक उष्ण विद्युत उत्पन्न करके उसे शरीर से अलौकिक वैदिक क्रिया सिद्ध विद्युत भी पिंडों में प्रवेश करता है।

यूँ तो श्राद्ध के संबंध में हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है। कहा गया है कि मृत्यु के बाद कर्ण को चित्रगुप्त ने मोक्ष देने में असमर्थता व्यक्त की। कर्ण ने कहा – मैंने तो सारी सम्पदा दान पूण्य में ही समर्पित की है। इसके उपरान्त भी मेरे ऊपर यह कैसा ऋण शेष रह गया है, जो मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। चित्रगुप्त का उत्तर था – राजन देवऋण और ऋषि-ऋण से मुक्त हो चुके हैं, पर आपके ऊपर पितृऋण शेष है। जब तक आप इस ऋण से

मुक्त नहीं होंगे, तब तक आपको मोक्ष मिलना कठिन होगा। इसके बाद धर्मराज ने कर्ण को यह व्यवस्था दी कि आप सोलह दिनों के लिए पुनः पृथ्वी पर जाइए तथा अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों का श्राद्धतर्पण विधिवत् करके आइए, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और फिर कर्ण ने ऐसा ही किया।

श्राद्ध कर्म में जहां सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराने की व्यवस्था है, वहीं उसके भोजन सामग्री पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार श्राद्ध काल में भक्ति और विनम्रचित्ता से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करना अनिवार्य माना गया है। असमर्थ होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कच्चा धान्य और थोड़ी दक्षिणा भी दे देने से यह क्रिया सार्थक हो जाती है। यदि उसमें भी असमर्थ हों तो केवल आठ तिलों से ही श्राद्धांजलि दी जा सकती है। यह भी ना हो सके तो कहीं से गाय का चारा लाकर श्राद्ध और भक्तिपूर्वक गाय को खिला देने से श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त सभी वस्तुओं के अभाव में सिर्फ एकांत में खड़े होकर श्रीसूर्य आदि दिवपालों से हाथ उठाकर अपनी असमर्थता और अपने पितरों के प्रति अगाध श्रद्धा निवेदित कर देने से भी श्राद्ध का कर्म सफल मान लिया जाता है

नेमेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्य,
 च्छ्राद्धोपयोग्यं स्वपितृभृतोस्मि।
 तृप्यन्तु भक्त्या पितरौ मयैतौ,

कृतौ भुजौ वर्तमनि माखतस्य॥

श्राद्ध कर्म में चावल, दूध और तिल को मिलाकर जो पिंड बनाते हैं उसे 'सपिंडीकरण' कहते हैं। पिंड का अर्थ है 'शरीर'। यह एक पारंपरिक विश्वास है, जिसे विज्ञान भी मानता है कि प्रत्येक पीढ़ी के भीतर मातृकुल तथा पितृकुल दोनों में पहले के पीढ़ियों के समन्वित गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। चावल के पिंड जो पिता, दादा, परदादा और पितामह के शरीरों का प्रतीक है। उन्हें आपस में मिलाकर फिर अलग बाँटते हैं। यह प्रतीकात्मक अनुष्ठान जिन-जिन लोगों के गुणसूत्र श्राद्ध करने वाले की अपनी देह में है, उनकी तृप्ति के लिए होता है। श्राद्ध उस संतुष्टि की प्राप्ति का माध्यम है और श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी कर पाते हैं, उसमें कहीं न कहीं हमारी आत्मा को भी संतुष्टि प्राप्त होती है। इस कारण सभी पुत्रों को गया श्राद्ध करना पुत्रधर्म है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वायुपुराण गीताप्रेष, गोरखपुर-2010
2. अन्त्यकर्म श्राद्धप्रकाश, गोरखपुर-2015
3. ब्रह्मपुराण, गोरखपुर-2010
4. मरणोत्तर श्राद्धकर्मविधान - श्रीरामशर्मा, युगनिर्माण योजना गायत्री तपोभूमि, मथुरा 2005
5. सुगम श्राद्धविधि- पं दिगम्बर झा, प्रज्ञा प्रकाशन, बेगूसराय विहार।

दक्षिणी राजस्थान में जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का एक तुलनात्मक भौगोलिक विश्लेषण (2001-2011)

डॉ.राजेन्द्र कुमार मेघवाल*

* सहायक आचार्य भूगोल (वीएसवाय) राजकीय महाविद्यालय छोटी सरवन, बांसवाड़ा (राज.) भारत

शोध सारांश - राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित भीलवाड़ा, राजसमन्द, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ वाला यह क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान के नाम से जाना जाता है। प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार $23^{\circ}1'10''$ से $26^{\circ}1'15''$ उत्तरी अक्षांश तथा $73^{\circ}1'10''$ पूर्वी देशान्तर से $75^{\circ}43'30''$ पूर्वी देशान्तर तक अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 47397 वर्ग किमी है जो समस्त राजस्थान के क्षेत्रफल 342239 वर्ग किमी का 13.85 प्रतिशत हिस्सा है। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम 240 किमी तथा उत्तर से दक्षिण 210 किमी है। यह क्षेत्र मध्यप्रदेश एवं गुजरात राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ है। उत्तर पूर्व से बूंदी एवं कोटा जिले पूर्व से रतलाम, मंदसौर एवं झाबुआ जिले (मध्यप्रदेश) तथा दक्षिण-पूर्व से गुजरात राज्य के बनासकांठा, सांवरकांठा तथा पंचमहल और पश्चिम में पाली तथा सिरोंही जिलों से घिरा हुआ है। शोध क्षेत्र में 1981 में 47 तहसीले हैं, 1991 में 49 तथा वर्ष 2001 में तहसीलों की संख्या 51 हो गई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार तहसीलों की संख्या 54 हैं। सन् 2001 में क्षेत्र की कुल जनसंख्या 10046881 थी, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या (56507188) का 17.78 प्रतिशत हिस्सा थी। सन् 2011 में क्षेत्र की कुल जनसंख्या 12231763 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या (68548437) का 17.84 प्रतिशत हिस्सा है। जिसमें पुरुष जनसंख्या 50.64 प्रतिशत तथा महिला 49.36 प्रतिशत हैं। 2001 से 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि दर 21.75 प्रतिशत रही है। दशकीय वृद्धि दर 2001 (25.64) की तुलना में -3.89 की गिरावट दर्ज की गई है जो क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर उपलब्धता का परिणाम है। 1901 से 2011 के मध्य 111 वर्षों की दशकीय वृद्धि दर का विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ कि 1931, 1941, 1961, 1971, 1981 तथा 2001 में दशकीय वृद्धि दर धनात्मक रही तथा 1921, 1951, 1991, व 2011 के वर्षों में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही। अध्ययन क्षेत्र में आज भी लोग मानसूनी कृषि पर रहकर अपना जीवनयापन करते हैं जिसके कारण क्षेत्र में अकार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा है।



प्रस्तावना - वर्तमान युग में जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप विकास के आयाम सुनिश्चित होते हैं। अतः शोध के अन्तर्गत जनसंख्या संरचना का विश्लेषण

आवश्यक है। मानव आर्थिक एवं सांस्कृतिक संरचनाओं उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा राजस्व द्वारा क्षेत्रीय व प्रादेशिक विकास को आधार प्रदान करता है। दक्षिणी राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप में मृदा, खनिज, वनस्पति जल संसाधन में क्षेत्रीय एवं स्थानिक विभिन्नताएँ मौजूद हैं इन्हीं विभिन्नताओं ने प्रदेश में जनांकिकीय विषमताओं को जन्म दिया है। अध्ययन क्षेत्र में मुख्य कार्यशील, सीमान्त कार्यशील तथा अकार्यशील जनांकिकीय पक्षों की प्रवृत्तियों को उजागर करने के साथ-साथ व्यावसायिक जनसंख्या की प्रवृत्ति को समझने में सहायक होगा।

अध्ययन के उद्देश्य- शोध क्षेत्र में व्यावसायिक जनसंख्या की संरचना का अध्ययन करने हेतु निम्न उद्देश्य हैं:

1. दक्षिणी राजस्थान में कुल कार्यशील जनसंख्या का विश्लेषण करना (2001-2011)
2. कुल जनसंख्या में से मुख्य, सीमान्त, तथा अकार्यशील जनसंख्या का तुलनात्मक विश्लेषण करना।
3. दक्षिणी राजस्थान की व्यावसायिक जनसंख्या की संरचना का विश्लेषण, शोध क्षेत्र एवं राजस्थान राज्य के संदर्भ में करना।

परिचलपना:

1. दक्षिणी राजस्थान के विभिन्न जनसांख्यिकीय वर्ग जो कृषि, विनिर्माण और परिवहन जैसे कई अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं, एक प्रदेश की

व्यावसायिक संरचना का गठन करते हैं।

2. क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत भिन्न-भिन्न हैं, उनके घटकों का पता लगाकर भावी व्युह रचना प्रस्तुत करना है।
3. मनुष्य या मानव जाति आने वाले कल का अनुमान लगाकर पूर्व तैयारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहता है।

विधि तंत्र- प्रस्तुत शोध कार्य में विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, शोध विधियों का प्रयोग किया गया है।

1. भारत की जनगणना 2001-2011 से द्वितीयक आंकड़े प्राप्त किए गए हैं।
2. राजस्थान की जिला सांख्यिकीय रूपरेखा द्वारा द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण किया गया।
3. राजस्थान की कुल जनसंख्या में दक्षिणी राजस्थान की जनसंख्या का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।
4. शोध क्षेत्र की व्यावसायिक संरचना का तुलनात्मक विश्लेषण 2001-2011 के मध्य किया गया।

दक्षिणी राजस्थान में व्यावसायिक जनसंख्या संरचना - किसी राष्ट्र या क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के विभिन्न व्यवसायों में संलग्नता की स्थिति को जनसंख्या व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। इसे सक्रिय जनसंख्या के रूप में भी अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें मनुष्य प्राथमिक कार्य में आखेट, मत्स्य पालन, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, वानिकी में मधुमक्खी पालन आदि क्रियाओं में सम्मिलित रहता है। द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण उद्योग तथा शक्ति उत्पादन सम्मिलित हैं। प्रत्येक व्यवसाय में परिवहन, व्यापार, संचार, बैंकिंग प्रणाली एवं सेवाएँ सम्मिलित हैं। चतुर्थक व्यवसाय में उच्च सेवाएँ, भावी योजनाएँ, प्राविधिक ज्ञान, अनुसंधान तथा नवीन शोध क्रियाएँ सम्मिलित हैं।

व्यावसायिक संरचना प्रदेश में जनसंख्या की कार्यशीलता के स्वरूप को इंगित करती है जिससे अध्ययन क्षेत्र के आर्थिक तथा सामाजिक विकास का स्वरूप निर्धारित होता है। यह संरचना प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में होने वाले कार्यों तथा उपयोग में लिए जाने वाले संसाधनों तथा कार्यशील तथा अकार्यशील जनसंख्या की वस्तुस्थिति को स्पष्ट करता है।

व्यावसायिक जनसंख्या का अर्थ - 'वह व्यक्ति जो लाभ, बिना लाभ के आर्थिक उत्पादक क्रियाओं में संलग्न है या एक वर्ष की अवधि में किया गया कार्य।'

क्रियाशील सक्रिय जनसंख्या - 'वह जनसंख्या जो पारिश्रमिक व्यावसायिक कार्यों में संलग्न है इन्हीं कार्यों से अपनी आजीविका कमाने वाले जनसमूह को आर्थिक दृष्टि से क्रियाशील सक्रिय जनसंख्या कहते हैं, जिसमें से 15-59 वर्ष के स्त्री-पुरुष की जनसंख्या सम्मिलित है।'

स्रोत: Census Of India 2011

निष्क्रिय जनसंख्या - 'जनसंख्या का जो भाग लाभकारी, आर्थिक कार्यों में भाग नहीं लेता है, जिसमें घरेलू कार्यों में लगे व्यक्ति, सेवानिवृत्त व्यक्ति, छात्र, रॉयल्टी, किराया, पेन्शन आदि पर निर्भर व्यक्ति शामिल हैं।'

स्रोत: Census Of India 2011

● **कुल कार्यशील जनसंख्या (2001-2011)** - इसमें मुख्य कार्यशील तथा सीमान्त कार्यशील जनसंख्या सम्मिलित हैं। शोध क्षेत्र में 2011 में कुल कार्यशील जनसंख्या 5906917 हैं जो अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 12231763 का 48.29 प्रतिशत है जबकि राज्य की कुल

जनसंख्या का 8.62 प्रतिशत हिस्सा है। 2001 में शोध क्षेत्र में कुल कार्यशील जनसंख्या 4613713 थी जो अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 10046881 का 45.92 प्रतिशत हिस्सा थी व राज्य की कुल जनसंख्या का 8.16 प्रतिशत हिस्सा थी। सन् 2001 से 2011 के मध्य कुल कार्यशील जनसंख्या का दशकीय तुलनात्मक अध्ययन किया तो 2001 की तुलना में 2011 में शोध क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का 2.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा 2001 की तुलना में 2011 में कुल कार्यशील दशकीय जनसंख्या में 28.03 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई है, जो क्षेत्र में व्यवसाय के सकारात्मक पक्ष को दर्शाता है।

● **कुल कार्यशील पुरुष जनसंख्या** - क्षेत्र में 2011 में कुल पुरुष कार्यशील जनसंख्या 3367145 हैं जो कुल कार्यशील जनसंख्या का 57 प्रतिशत, अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 27.53 प्रतिशत एवं राज्य की कुल जनसंख्या का 4.91 प्रतिशत हिस्सा है।

● **कुल कार्यशील महिला जनसंख्या** - क्षेत्र में 2011 में कुल महिला कार्यशील जनसंख्या 2539772 हैं जो कुल कार्यशील जनसंख्या का 42.99 प्रतिशत, शोध क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 20.76 प्रतिशत हिस्सा है।

1. **मुख्य कार्यशील जनसंख्या (2001-2011)** - दीर्घकालीन कर्म वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 6 महीने या इससे अधिक समय तक काय करता हो उसे दीर्घकालिक/मुख्य कार्यशील/मुख्यकर्म जनसंख्या कहा जाता है। इसको चार भागों में बाँटा गया है:

1. काश्तकार
2. खेतिहर मजदूर
3. पारिवारिक उद्योगकर्म
4. अन्य कर्म

2011 में मुख्य कार्यशील जनसंख्या 3812011 हैं, जो शोध क्षेत्र की कुल कार्यशील जनसंख्या का 64.54 प्रतिशत, दक्षिणी राजस्थान की कुल जनसंख्या का 31.16 प्रतिशत तथा राजस्थान की कुल आबादी का 5.56 प्रतिशत भाग है। जबकि 2001 में मुख्य कार्यशील जनसंख्या 3316313 थी जो शोध क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 71.89 प्रतिशत तथा राज्य की कुल जनसंख्या का 5.87 प्रतिशत भाग था। 2001 की तुलना में 2011 में मुख्य कार्यशील जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 14.95 प्रतिशत रही है, जो क्षेत्र में लगातार रोजगार के साधनों की बढ़ोतरी, सार्वजनिक एवं औपचारिक-अनौपचारिक संस्थाओं द्वारा रोजगार के नित नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं।

(1.1) **मुख्य कार्यशील पुरुषकर्म जनसंख्या** - शोध क्षेत्र में 2011 में मुख्य पुरुषकर्म जनसंख्या 2607965 हैं जो क्षेत्र की कुल मुख्यकर्म जनसंख्या का 68.41 प्रतिशत, क्षेत्र की कुल कार्यशील जनसंख्या का 44.15 प्रतिशत तथा राज्य की कुल जनसंख्या का 3.80 प्रतिशत है।

(1.2) **मुख्य कार्यशील महिलामकर्म जनसंख्या** - 2011 में मुख्य महिला कर्म जनसंख्या 1204096 हैं जो कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या का 31.59 प्रतिशत, कुल कार्यशील जनसंख्या का 20.38 प्रतिशत क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 9.84 प्रतिशत तथा राजस्थान की कुल जनसंख्या का 1.76 प्रतिशत भाग है।

2. **कुल सीमान्त कार्यशील जनसंख्या (2001-2011)** - वह व्यक्ति जो वर्ष में 6 महीने से कम कार्य करता हो अल्पकालिक कर्म की श्रेणी में

रखा गया है। 2011 में अल्पकालिक कर्मों को दो उपभागों में बाँटा गया है-

- वे कर्मों जो वर्ष में 3 से 6 महीने कार्य करते हैं।
 - वे कर्मों जो वर्ष में 3 महीने से कम कार्य करते हैं।
1. काश्तकार
 2. खेतिहर मजदूर
 3. पारिवारिक उद्योगकर्म
 4. अन्य कर्म

शोध क्षेत्र में 2011 में कुल सीमान्त कर्म जनसंख्या 2094906 है, जो क्षेत्र की कुल कार्यशील जनसंख्या का 35.46 प्रतिशत क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 17.13 प्रतिशत तथा राजस्थान की कुल जनसंख्या का 3.06 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि 2001 में कुल सीमान्त कर्म जनसंख्या 1297400 थी, जो क्षेत्र की कुल कार्यशील जनसंख्या का 28.12 प्रतिशत, शोध क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 12.91 प्रतिशत तथा राज्य की कुल जनसंख्या का 2.30 प्रतिशत हिस्सा थी। 2001 की तुलना में 2011 में दशकीय सीमान्त कर्मों की जनसंख्या में 61.47 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है, जो क्षेत्र में सीमान्त कर्मों जनसंख्या का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, समावेशीय विकास के स्तर को दर्शाता है।

2.1 सीमान्त पुरुषकर्म जनसंख्या - 2011 में सीमान्त पुरुषकर्म जनसंख्या 759180 है, जो कुल कार्यशील जनसंख्या का 12.85 प्रतिशत, क्षेत्र की कुल जनसंख्या 6.21 प्रतिशत तथा राज्य की कुल जनसंख्या का 1.10 प्रतिशत हिस्सा है। सबसे ज्यादा सीमान्त पुरुषकर्म जनसंख्या सराड़ा तहसील में 47.62 प्रतिशत है जबकि सबसे कम धरियावद में 22.40 प्रतिशत रही है।

2.2 सीमान्त महिलाकर्म जनसंख्या - 2011 में 1335726 जनसंख्या है जो कुल कार्यशील जनसंख्या का 22.61 प्रतिशत, क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 11 प्रतिशत तथा राज्य की कुल जनसंख्या का 1.95 प्रतिशत है।

3. अकार्यशील जनसंख्या (2001-2011) - इनके अन्तर्गत वे लोग सम्मिलित हैं जो वर्ष में कोई कार्य नहीं करते हैं इनमें विद्यार्थी, आश्रित, पेंशनर्स, भिखारी, आदि सम्मिलित हैं। 2011 में कुल अकार्यशील जनसंख्या 6324846 है, जो शोध क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 51.71 प्रतिशत राज्य की कुल जनसंख्या का 9.23 प्रतिशत है, जबकि 2001 में कुल अकार्यशील जनसंख्या 5433168 थी जो क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 9.62 प्रतिशत हिस्सा थी। 2001 से 2011 के मध्य 891678 अकार्यशील जनसंख्या की वृद्धि हुई जो 16.41 प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर को दर्शाता है।

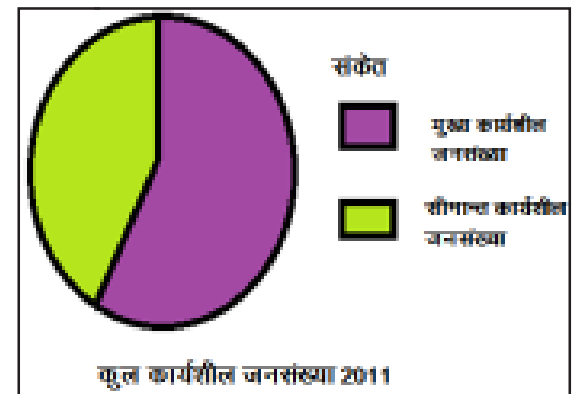
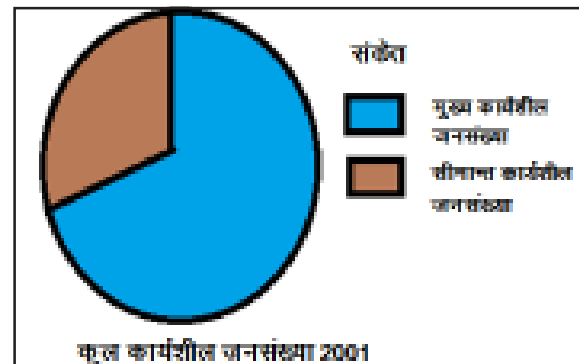
3.1 अकार्यशील पुरुष जनसंख्या - 2011 में गैरकर्म जनसंख्या 2826932 है जो शोध क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 23.11 प्रतिशत तथा राज्य का 4.12 प्रतिशत हिस्सा है। 54 तहसीलों में सबसे ज्यादा अकार्यशील पुरुष जनसंख्या पीपलखूँट तहसील में 50.70 प्रतिशत तथा सबसे कम गिर्वा उदयपुर में 38.12 प्रतिशत रही है।

3.2 अकार्यशील महिला जनसंख्या - 2011 में अकार्यशील महिला जनसंख्या 3497914 है, जो शोध क्षेत्र के कुल जनसंख्या का 28.60 प्रतिशत तथा राज्य का 5.10 प्रतिशत है सबसे ज्यादा अकार्यशील महिला जनसंख्या गिर्वा 61.88 प्रतिशत तथा सबसे कम पीपलखूँट में 49.30 प्रतिशत रही है।

क्र.	कार्यशील जनसंख्या	2001		2011	
		जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत
1	मुख्य कार्यशील जनसंख्या	3316313	71.88	3812011	64.53
2	सीमान्त कार्यशील जनसंख्या	1297400	28.12	2094906	35.47
3	कुल कार्यशील जनसंख्या	4613713	100	5906917	100

स्रोत: भारतीय जनगणना सारणी (2001-2011)

सारणी 1 का आलेख कुल कार्यशील जनसंख्या का तुलनात्मक विश्लेषण 2001-2011

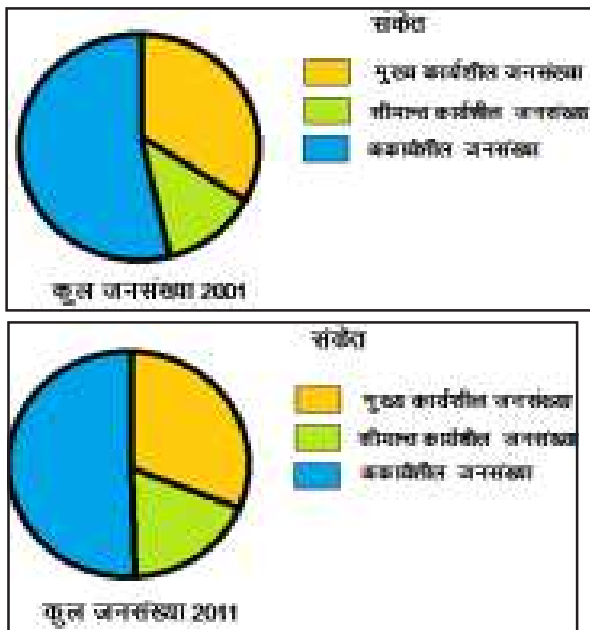


मुख्य कार्यशील, सीमान्त कार्यशील तथा अकार्यशील/गैर कार्यशील जनसंख्या का तुलनात्मक विश्लेषण (2001-2011)

सारणी -2

क्र.	व्यावसायिक संरचना	2001		2011	
		जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत
1	मुख्य कार्यशील जनसंख्या	3316313	33.02	3912011	31.16
2	सीमान्त कार्यशील जनसंख्या	1294400	12.89	2094906	17.13
3	गैर कर्म/अकार्यशील जनसंख्या	5433168	54.09	6324846	51.71
	कुल जनसंख्या	10046881	100	12231763	100

सारणी 2 का आलेख मुख्य कार्यशील, सीमान्त कार्यशील तथा अकार्यशील/गैर कार्यशील जनसंख्या का तुलनात्मक विश्लेषण (2001-2011)



सारांश - दक्षिणी राजस्थान में जनसंख्या के व्यावसायिक संरचना का भौगोलिक सांख्यिकीय विधियों के तुलनात्मक विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि अध्ययन क्षेत्र में 2001 की तुलना में 2011 में आंशिक परिवर्तन देखने को मिला है, इसका मुख्य कारण दक्षिणी राजस्थान का यह क्षेत्र जनजातीय उपयोजना क्षेत्र (टी.एस.पी.) के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भौगोलिक

प्राकृतिक विषमताएँ, उबड़-खाबड़ धरातल, पठारी तथा पर्वतीय भू-भाग अधिक होने के कारण यहाँ पर औद्योगिक विनिर्माण की क्रियाओं का विकास मंद गति से हो रहा है उसके साथ ही जनजातीय जनसंख्या अधिक होने के कारण अधिकांश लोग रुढ़िवादी विचारधारा से ओत-प्रोत होने के कारण प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। भविष्य में इस क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, तथा रेल मार्ग का नेटवर्क तेजी से बढ़ाना होगा तभी क्षेत्र में नए रोजगार के साधनों का सृजन होगा क्योंकि दक्षिणी राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या आज भी रोजगार के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, तथा मध्यप्रदेश राज्यों की ओर मौसमी व्यवसायों के लिए प्रवास करती है इस प्रवास को तभी कम किया जा सकता है जब राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस क्षेत्र में लघु तथा वृहद औद्योगिक इकाईयों का निर्माण किया जाए जिससे यहाँ कि 51.71 अकार्यशील जनसंख्या को रोजगार प्राप्त हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Census of India, Rajasthan 1991
2. Census Of India, Rajasthan 2001
3. Census Of India, Rajasthan 2011
4. Basic Statistics, Rajasthan 2005
5. Statistical Abstracts, 2003
6. Economics survey Rajasthan, Jaipur 2005-06
7. TRI Udaipur Rajasthan.
8. Population Research centre, MLSU Udaipur.
9. www.rajasthan.gov.in
10. www.censusindia.gov.in

Conflict between Hate Speech and Indian Laws

Pawan Kumar Chaurasia*

*Asst. Prof., Pt. Motilal Nehru Law College and Research Center, Chhatarpur (M.P.) INDIA

Abstract - Now –a –days hate speech between two rival persons having different religion, cast, creed etc, political parties, countries have become a fashion in the name of right to speech and expression. India is not untouched from this disease as India is a country where person of all religion is found. Therefore India is called the country of diversity. But in India this right is not absolute as it is given under Article 19 (1) (a) of Constitution and restriction can be imposed on the right on the ground mentioned in Article 19(2) of the Constitution. Apart from this some special Acts are also controlled the hate speech in the name of right to speech and fetters have been imposed on the right.

Introduction - Words war between opposing political, social, and economic ideologies are being witnessed by the international community. It's not hard to imagine that in the not too distant future, speeches made at social events and on social media will ignite a brand-new form of conflict. Defaming and dehumanizing are the new tools that society uses to humiliate individuals on a large scale. These days, hate speech is mistakenly associated with the concept of freedom of expression. Social media's accessibility has allowed people the freedom and chance to express their opinions about concepts or individuals.

We have all experienced hate at some time in our life. The rise in popularity of hate speech can be attributed to the recent development of the mass media as the primary news distribution channel. Hate speech is now the best technique to ruin someone's reputation and cause suffering for others. Mass hate speech has the power to destroy people's lives and goals, as demonstrated by the leader of the CAA's few remarks that sparked riots. The many aspects of hate speech and its legality in India will be covered in this essay.

Hate Speech: Hatred is a common feeling in our culture and one we experience on a daily basis. Many lawmakers, academics, jurists, and others have made statements that are indicative of hate speech. The year 2018 was dubbed "THE ERA OF ONLINE HATE," according to reports, as many people used internet platforms to disseminate hate speech on a large scale[1].

Hate speech is defined as any communication that disparages another person based on their race, ethnicity, gender, religion, age, handicap, or any other comparable reason. However, the greatest testament to our free speech legal system is that it safeguards the right to voice the opinions we find objectionable [2].

Hateful Conduct = Hate Speech + Directed Action

When a communication targets a specific individual and is accountable for the consequences, it is considered hate speech.

Freedom of Speech and expression:The Indian Constitution stipulates in Article 19(1) (a) that every person has the right to freedom of speech and expression [3]. The sole purpose of this article is to allow Indian citizens to speak their opinions while imposing some fair limitations.

The followings are the underlying premises of freedom of speech and expression:

1. No foreign citizen is granted the freedom to exercise this right; only Indian citizens are.
2. This right allows for the freedom to communicate one's opinions in any format, including written or spoken words, images, and more.
3. The government is authorized to enact laws supporting and opposing the freedom of speech and expression since it is not an unalienable right.

Article 19(2) addresses limitations placed on the right to free speech and expression as follows:-

Security of State: When the security of the state is questioned, it is forbidden for someone to freely voice their opinions [4].

Friendly relation between foreign countries: Article 19(2) prohibits speech, expression, and phrases that cause a breach in the relationship between India and other foreign nations. Such acts will be prosecuted as crimes.

Public order:Why State security and public order are distinct. When the public order is called into question, it is crucial to protect it and uphold its legitimacy [5].

Contempt of court: Any remarks that violate the court's decorum[6] are not forbidden under the right to free speech and expression[7].

Incitement of any offence: Any remarks that encourage others to commit crimes are forbidden in any way.

Sovereignty and integrity of India: It is forbidden for anybody to say anything that compromises India's integrity or sovereignty [8].

Defamation: Any statement[9] made by a person at any level via any media that disparages another person or society in any way is forbidden unless it serves the general welfare and lawfulness.

Penal provisions for hate speech:

Indian Penal Code, 1860: Section 124A punishes sedition, Section 153 provides for "promoting enmity between different groups on grounds of creed, race, place of birth, residence, language, etc. and committing acts prejudicial to the maintenance of harmony".

Section 153B punishes accusations, assertions harmful to national integration.

Section 295A punishes "willful and malicious acts aimed at infuriating the religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs. Section 298 punishes words etc. with intent to offend the religious feelings of any person. Decisions 505(1) and (2) punish the publication or distribution of statements, rumors or messages that cause public nuisance and enmity, hatred or malice between classes.

The Representation of the People Act, 1951: Section 8 prohibits a person from running for office if he has been convicted of an offense involving the unlawful exercise of freedom of expression.

Section 123(3A) and Section 125 prohibits the promotion of hatred on the basis of religion, race, caste, community or language relating to elections as a corrupt electoral practice and disables it.

The Protection of Civil Rights Act, 1955: Decision 7 punishes incitement and incitement of immunity by words, whether spoken or written or by signs or visible images or otherwise.

The Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988:- Section 3(g) prohibits a religious institution or its head from allowing premises owned or controlled by the institution to be used to promote or promote strife, hatred, enmity, ill will between different religious, racial, linguistic or regional groups or castes or communities.

The Code of Criminal Procedure, 1973:- Section 95 empowers the state government to destroy publications punishable under Sections 124A, 153A, 153B, 292, 293 or 295A of the IPC. Section 107 empowers a public officer or breach of public peace or breach of public peace public peace any illegal act likely to cause a breach of the peace or disturb the public peace. Section 144 empowers a District Judge, a Sub-Divisional Judge or any other Executive Magistrate with special powers. the State Government issues an order in that name in case of urgent disturbances or detected dangerous situations. The crimes mentioned above are cognizable. Thus, it affects serious civil liberties and gives the police the right to

arrest without a judge's order and without a warrant, as set out in Section 155 of the Penal Code. Anger is an emotion that can be hidden behind curtains of a person. a statement that people might consider logical and natural. Apart from concealment, there are some key points that help identify hate in a statement or speech. According to the report [11], punishment will be imposed on anyone involved in hate speech against their origin, region or place of birth. up to 2 years or a fine of 5000 or both.

Effect of Internet and Social media\Internet is good and bad for society. Nowadays it is very difficult to imagine our life without the internet, but even though it is so useful and important in our lives, it somehow violates our privacy and also gives rise to hate speech. With the internet, there is a lot of hate speech. And the number of hate crimes is on the rise. It is said that what is said online is the result of offline chaos and because geography and time have no effect on the internet; hate speech affects many people across borders.

How does India regulate online hate speech?

Social media has created new rules for how hate spreads through it. Now the government can order the authorities to delete such a post along with all user data within 24 hours so that action can be taken against him. Although social media platforms like Facebook, YouTube and Twitter have taken appropriate measures to stop hate speech by developing some guidelines, it is difficult to stop hate speech when it comes to leaders who intentionally or unintentionally spread hate through their speech, causing anxiety and harm. to humanity.[12]

Effect of hate speech on Article 19 of Constitution.

The freedom of speech and expression is one of the basic freedoms given to the citizens of the country [13]. The main idea of Liberty was to have different opinions on all new things. Freedom of speech and freedom of expression mainly governs the diversity of popular opinions, so unpleasant[14] or harmful speech is also protected by the state. Nowhere is hate speech defined as property, although there is an application that describes the level of hate speech.

Freedom of speech has always been considered an important part of any democracy. Rather, the doctrine of free speech conflicts with the state's power to regulate speech. The overview of the international legal system regarding hate speech stated that the exercise of freedom of expression is often treated as the freedom to discriminate and insult people in society.

Hate is expected of great importance. In the era of the Internet, when it is available to the public for a very short period of time, the Human Rights Council in its report restricted freedom of expression in some cases for the following reasons: Child pornography Hate speech that affects the community.

Conclusion:Hate is a subject of debate because of its

intellectual nature. Since hate speech is considered part of Article 19 freedom of speech and expression, distinguishing it from healthy speech becomes very difficult. Hate speech can be manipulated in various ways, which makes it difficult to criminalize under the provisions of the IPC, which makes it difficult to prosecute hate speech in court.

After examining all aspects of hate speech and freedom of speech and expression, it can be said that the laws are in place and it is necessary to revise and strengthen the revision penalties. Hate speech has become a universal problem these days because the Internet is accessible to everyone. it is payable for all the contracts of the society.

So that it does not affect the society and does not damage or offend someone's reputation and faith, a hugely transparent system is needed. Speech promoting violence and discrimination in many aspects can be punished. To fight hate speech, we need a wider forum where everything can transparently discussed and results can be achieved, because this is a battle that cannot be fought alone.

References:-

1. 2018 was the year of online hate. Meet the people whose lives it changed on https://www.washingtonpost.com/business/technology/2018-was-the-year-of-online-hate-meet-the-people-whose-lives-it-changed/2018/12/28/95ac0558-f7dd-11e8-8c9a-860ce2a8148f_story.html?noredirect=on
2. Matal v. Tam, 2017 on <http://www.ala.org/advocacy/intfreedom/hate>
3. <http://www.legalserviceindia.com/legal/article-572-constitution-of-india-freedom-of-speech-and-expression.html>
4. People's union of civil liberties(PUCL)v. union of India
5. Romesh Thapar's case [AIR1950SC124]
6. Section2 of the contemptact,1971
7. E.M.S. Namboodripad v. T.N. nambar(1970)2SCC235; AIR 1970SC2015
8. Was added by the constitution(sixteenth amendment) act,1963
9. Affecting the religious believes or background or place of birth or colour or caste
10. Report given by the commission, headed by justice B.S. Chauhan
11. Hate Speech on Social Media: Global Comparisons, <https://www.cfr.org/backgrounder/hate-speech-social-media-global-comparisons>
12. Handyside v. United Kingdom, Application no. 5493/72(1976)
13. New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964)
14. Ibid.

Acharya Vinoba Bhave A Social Reformer

Dr. Arvind Sirohi*

*Assistant Professor (Cont.) (Sociology) C.C.S.University Campus, Meerut (U.P.) INDIA

Introduction - Acharya Vinoba Bhave (Vinayak Narahari Bhave) well knew as a philosopher whose thought and words inspired many peoples in different ways. Millions of the followers from India and around the world know him as a scholar and a man of God. He was a great social reformer, educationist, freedom fighter and follower of Gandhian principles. Chiefly he advocates Human Rights in India and a national teacher. He was born at Kolaba District, Maharashtra on 11th September 1895. His mother Rukmini Devi was a very religious lady so he believed in the supremacy of God. He totally controlled his mind as he was away from 'Desires' and 'Ego'. He always wants to serve the poor peoples of the country. Strongly he advocates for land less peoples. He always strongly believes in universal brotherhood. He said that, "Water, Air and Land are the free gifts of God; it should be distributed in accordance to the need of the peoples".

A report in the newspaper about Gandhi's speech at the newly founded Banaras Hindu University attracted his attention. Once Mahatma Gandhi wrote a letter to him, "I don't know which adjectives I should give to you. I am greatly impressed by your loving nature and strong character". Bhave participated with keen interest in the activities at Gandhi's ashram like e.g. studying, teaching and improving the life of the community. He went to Wardha on 8 April 1921 to take charge of the Ashram as desired by Gandhi. Vinoba Bhave learnt various regional languages and scriptures as a student.

He was an eminent philosopher. The Gita has been translated into the Marathi language by him with the title Geetai (meaning 'Mother Gita' in Marathi). Being an avid follower of Mahatma Gandhi, Vinoba upheld his doctrines of non-violence and equality. He worked tirelessly towards eradicating social evils like inequality. Influenced by the examples set by Gandhi; he took up the cause of people who were referred to as Harijans by Gandhi. He adopted the term Sarvodaya from Gandhi which simply means "Progress for all". He established the Brahma Vidya Mandir in 1959, a small community for women, aiming at self-sufficiency on the lines of Mahatma Gandhi's teachings. He took a strong stand on cow slaughter and declared to go

on fast until it was banned in India.

He was chosen by Gandhi as the first individual Satyagrahi in a nonviolent movement in the year 1940 (Peter: 2001). After this event, the unknown Vinoba Bhave became known to the whole country. Vinoba is well known for holding Science and Spirituality together in his notion of Sarvodaya. The Sarvodaya movement under him implemented various programs during the 1950s, the chief among which is the Bhoodan Movement. He set up a number of Ashrams to promote a simple way of life, devoid of luxuries that took away one's focus from the Divine. After independence he started social reform movements such as Bhoodan Movement and Sarvodaya Movement. He also made some notorious dacoits of Chambal surrender. In 1970, he announced his decision to stay at one place. He observed a year of silence from December 25, 1974 to December 25, 1975. In 1976, he undertook a fast to stop the slaughter of cows. His spiritual pursuits intensified as he withdrew from the activities. He died on November 15, 1982 after refusing food and medicine few days earlier. He was posthumously honored with the Bharat Ratna in 1984 (www.mkgandhi.org).

Vinoba was greatly influenced by the Bhagvad Gita and his thoughts and efforts were based upon the doctrines of the Holy Book. He set up a number of Ashrams to promote a simple way of life, devoid of luxuries that took away one's focus from the Divine. He established the Brahma Vidya Mandir in 1959, a small community for women, aiming at self-sufficiency on the lines of Mahatma Gandhi's teachings. He took a strong stand on cow slaughter and declared to go on fast until it was banned in India. Vinoba was arrested several times during the 1920s and 1930s and served a five-year jail sentence in the 1940s for leading non-violent resistance to British rule. The jails for Vinoba had become the places of reading and writing. He wrote Ishavasyavritti and Sthitaprajna Darshan in jail. He also learnt four South Indian languages and created the script of Lok Nagari at Vellore jail. In the jails, he gave a series of talks on Bhagavad Gita in Marathi, to his fellow prisoners. Bhave participated in the nationwide civil disobedience periodically conducted against the British, and

was imprisoned with other nationalists (Kumarappa: 1954). Despite these many activities, he was not well known to the public. He gained national prominence when Gandhi chose him as the first participant in a new nonviolent campaign in 1940. Bhave also participated in the Quit India Movement. Vinoba observed the life of the average Indian living in a village and tried to find solutions for the problems he faced with a firm spiritual foundation. This formed the core of his Sarvodaya movement.

On 18 April 1951, (www.mkgandhi.org) Bhave started his land donation movement at Pochampally of Nalgonda district Telangana, (Claude) the Bhoodan Movement. He took donated land from landowner Indians and gave it away to the poor and landless, for them to cultivate. Then after 1954, he started to ask for donations from whole villages in a programme he called Gramdan. He got more than 1000 villages by way of donations. Out of these, he obtained 175 donated villages in Tamil Nadu alone. Noted Gandhian and an atheist Lavanam was the interpreter for Bhave during his land reform movement in Andhra Pradesh and parts of Orissa (*Markshep.com*). Another example of this is the Bhoodan (land gift) movement started at Pochampally on 18 April 1951, after interacting with 80 Harijan families. He walked all across India asking people with land to consider him as one of their sons and so give him one sixth of their land. He took donated land from land owners and gave it away to the poor and landless, for them to cultivate. Then after 1954, he started to ask for donations of whole villages in a programme he called Gramdan. He got more than 1000 villages by way of donation. Out of these, he obtained 175 donated villages in Tamil Nadu alone. Noted Gandhian and atheist Lavanam was the interpreter of Vinoba Bhave during his land reform movement in Andhra Pradesh and parts of Orissa Vinoba said, "I have walked all over India for 13 years. In the backdrop of enduring perpetuity of my life's work, I have established 6 ashrams. Non-violence and compassion being a hallmark of his philosophy, he also campaigned against the slaughtering of cows. The Brahma Vidya Mandir is one of the ashrams that Bhave created. It is a small community for women that was created in order for them to become self-sufficient and non-violent in a community. This group farms to get their own food, but uses Gandhi's beliefs about food production, which include sustainability and social justice, as a guide. Since its founding in 1959, members of Brahma Vidya Mandir (BVM), an international community for women in Paunar, Maharashtra, have dealt with the struggle of translating Gandian values such as self-sufficiency, non-violence, and public-service into specific practices of food production and consumption.

Vinoba Bhave worked tirelessly towards eradicating social evils like inequality. Influenced by the examples set by Gandhi, he took up the cause of people that his guru lovingly referred to as Harijans. It was his aim to establish the kind of society that Gandhi had envisioned in an

Independent India. He adopted the term Sarvodaya from Gandhi which simply means "Progress for All". The Sarvodaya movement under him implemented various programs during the 1950s, the chief among which is the Bhoodan Movement.

In the 20th Century, a frail man named Vinoba Narahar Bhave walked about Seventy thousand kilometers for fourteen years in India and received around forty-two lakh acres (Seventeen lakh hectares) of land in a donation for landless farmers. It was a miracle of compassion and love in the history of mankind. Vinoba gave a new dictum to the world. Vinoba expressed that, we are in the era when service to all human beings should be considered service to God. Vinoba's vision is that the days of Politics will be over. People will share all other God's resources like air, water and land. All narrow boundaries of nationhood, caste, creed will dissolve and the world will be a family.

Vinoba Bhave has adopted the elements of Basic Education propounded by Mahatma Gandhi and accordingly he has expressed his views regarding education. He has talked of two phases of education. The first aims at the inner education of a man and the second speak for the outward education. By inner education, he means that education makes man's soul strong and his notions regarding external education are consistent with the present school education. But the truth is that Vinoba wants the combination of both aspects. He is also in favor of making students self-dependent so that students should not only enter the realm of knowledge but they should also acquire the capability to meet the needs of life. Thus the educational philosophy of Vinoba advocates such ability in man by which he might adjust himself according to the currents of time and country.

Main Features of Bhoodan Movement: The meaning of word Bhoodan is donation of land to the landless peoples of the Nation.

As implied by the name, in this movement, landlords voluntarily give up land to be distributed to landless laborers, who would then cultivate the land.

1. This is aimed at reducing the gap between the rich and the poor. Here, the land donors are not given any compensation.
2. This was initiated by Vinoba Bhave in Pochampally.
3. This movement went on for 13 years during which time Bhave travelled all over India. He collected 4.4 million acres of land to be distributed to landless farmers.
4. In 1954, he started the Gramdan movement which involved the voluntary donation of whole villages.
5. These movements attracted worldwide admiration for being stellar examples of voluntary social justice.

References:-

1. Acharya Vinoba Bhave, by Ministry of Information and Broadcasting, India, Published by Publications Division, Government of India, 1955

2. Claude Markovits : The Un-Gandhian Gandhi: The Life and Afterlife of Mahatma
3. Kumarappa B. ed. (1954) Gandhi M. Nature cure. Navajivan Publishing House
4. Narayanaswamy, K.S. (2000), "Acharya Vinoba Bhave – A biography (Immortal Lights series)", Bangalore, Sapna Book House
5. *Rühe, Peter*(2001). Gandhi. *Phaidon*. p. 152. ISBN 978-0-7148-4103-8
6. Reddy, V. Narayan Karan (1963), "Sarvodaya Ideology & Acharya Vinoba Bhave", Andhra Pradesh Sarvodaya MandalPublishig House
7. Tennyson Hallam (1955), "India's Walking Saint: The Story of Vinoba Bhave", Doubleday Publishing House
8. "The King of Kindness: Vinoba Bhave and His Nonviolent Revolution". *Markshep.com*. Retrieved 13 June 2012
9. <http://www.britannica.com/biography/Vinoba-Bhave>
10. <http://www.culturalindia.net/reformers/acharya-vinoba-bhave.html>
11. <http://www.vinobabhave.org/>
12. https://en.wikipedia.org/wiki/Vinoba_Bhave

Political Parties and their Role in Indian Democracy

Tejasvi Dubey* Prabhanshu Tiwari**

*M.A. (Public Administration) IGNOU, New Delhi, INDIA

**M.A (Political Science) RDVV, Jabalpur (M.P.) INDIA

Abstract - The main goal of the study is to examine the many roles of political parties in India's democracy and evaluate how those positions affect government and the democratic process as a whole. An important object of study is to evaluate changes in political parties through time in Indian Democracy. To analyze the historical progression of Political Parties in India. To examine how opposition parties contribute to ensuring government accountability: And how opposition parties in India help to keep the government's checks and balances in place and what they may do to advance accountability and openness.

Keywords: Political Parties, Election, Government, Democracy, Organizations.

Introduction - The largest democracy in the world, India, is a living example of the complexity and vitality of democratic administration. Political parties, crucial organizations that have greatly impacted India's political landscape since winning independence in 1947, are at the center of this intricate democratic tapestry. These political parties are crucial to India's democracy because they provide more than simply a forum for people to voice their opinions. Our initial objective is to evaluate the basic aspects of a political party and how these components support the public interest while contributing to the establishment of governments. This objective looks at how political parties have changed and developed their organizational frameworks and strategies in response to shifting social, political, and economic circumstances. It aims to demonstrate how these groups have changed gradually over time, shaping the country's changing political scene. This study looks closely at how Indian opposition parties carry out their role as checks and balances on the government. We want to maintain the democratic values that underpin India's governance framework by carefully examining the processes and strategies used by the opposition parties to hold the ruling elite accountable for their decisions and actions. We will examine the key characteristics that make up a political party and how they support the creation of governments and the protection of the general welfare. We will also look into how Indian political parties have evolved and broadened their organizational frameworks and methods over time in response to shifting social, political, and economic conditions. Finally, we will look closely at how Indian opposition parties perform their function of acting as a check

and balance on the administration's dedication to upholding and defending the interests of the broader public.

Political Party And Their Recognition: A political party is a multifaceted organization with various components that enable it to operate within a democratic system. These components include membership, leadership, party platform, internal organization, campaign machinery, policy formulation, candidate selection, fundraising, communication, membership engagement, and electoral campaigning. Members come from diverse backgrounds and demographics, sharing common ideologies, goals, and values. Leadership structures may include elected officials, party leaders, and executive committee members. Party platforms outline the party's stance on various issues, such as the economy, healthcare, and foreign policy.

Campaign machinery, including campaign managers, strategists, and volunteers, organize rallies, canvassing, advertising, and mobilizing voters. Policy formulation involves developing detailed proposals and positions on various issues, which are often presented on party platforms. Candidates are nominated to contest elections at various levels of government, and fundraising activities are used to finance operations and campaigns. Effective communication is crucial for political parties, to use various channels to reach voters and promote their policies.

In India to Register a political party certain rules are prescribed by the Election Commission of India, According to Section 29 A of the Representation of the People Act, 1951 –

1. Definition of Political Party - According to Section 29A, a "political party" is any organization or collection of people that participates in elections and campaigns for or

against candidates for public office. Eligibility And Application - A group of people must have a minimum of 100 registered voters to be eligible for registration as a political party. This crucial need ensures that the party has a minimal level of support. This group or association must apply to the Indian Election Commission to begin the registration procedure as a political party. The application should include the party's charter, rules, information about its officeholders, and any other data the Election Commission may require.

2. Reserved Symbols, Party Name- Political parties with official recognition have the benefit of receiving a special symbol to use during elections. Independent candidates and unregistered parties are not permitted to use these symbols, the name of the party should not be similar to any other parties that are already in existence. A name may also be disqualified by the Election Commission if it is deemed improper, offensive, or deceptive. Parties may propose a specific symbol, but the Election Commission has the final say on whether or not such symbol will be made available.

3. Financial Record-Keeping- Political parties that have received formal registration are required to uphold the practice of keeping financial records and are required to submit an annual report to the Election Commission outlining their revenues and expenses.

Political Parties Role In Government Formation: Political Parties play an important role in the formation and function of government, by the following points can be described better –

1. Contest Election and Seek the Majority- The process of forming a government in most democratic systems requires that a political party or coalition of parties win a legislative majority, the size of which might vary depending on the rules of the individual nation. By selecting and fielding candidates for a variety of government positions, ranging from municipal offices to the national parliament, political parties play a crucial role in this process. These candidates represent the party's ideas, ideologies, and objectives to the electorate, bringing the party's vision to life.

2. Win the Seats and Post-Election Alliance - The ultimate goal of election campaigns is to secure a significant number of seats in the legislative body, whether it be a parliament, congress, or state legislature. Parties and their candidates aggressively campaign to win support from voters. It is typical for parties to start post-election discussions aimed at forming coalitions or alliances when a single party does not win an absolute majority. These coordinated efforts are designed to combine their seats to reach the majority requirement required for efficient governance.

3. Government Formation and Policy Implement - The party or coalition that wins the majority of seats in the legislature typically receives the authority to establish a government. As seen in the appointment of a prime minister

in a parliamentary system, the leader of the winning party or the leader of the largest party within a coalition is typically extended an invitation to assume the role of the head of government. After assuming power, the governing party or coalition is then responsible for implementing its policies, legislative initiatives, and programs. The economics, international relations, and social policies are just a few of the sectors of administration that are significantly impacted by this governance process.

4. Executive Appointment and Lawmaking - Government parties use their legislative dominance to propose and enact bills, thereby influencing the legal framework of the country and instituting new laws. The government is responsible for appointing key executive officials, such as ministers, who oversee various government departments and ministries and play a crucial role in executing policies and managing administrative affairs.

5. Crisis Management- Political parties in power are tasked with handling a range of crises and difficulties, whether they arise in the economic, social, or political spheres. They are obliged to navigate unforeseen circumstances and offer effective leadership in response

Changes In Political Party Through The Time: In India, the progression of political parties has been a vibrant reaction to a myriad of social, political, and economic transformations that have defined the nation's course since gaining independence in 1947. These changes have not solely influenced the country's political terrain but have also mandated substantial adjustments and enhancements in the frameworks and approaches of political parties.

1. Social Change - Political party structures and operating procedures have been significantly impacted by social changes in India during the post-independence era. Transitions in the demographic composition of the population and the pervasive influence of caste and identity politics are two key aspects of these societal shifts. The political landscape of the country has been significantly shaped by demographic changes. India is undergoing a demographic change that is characterized by a sizable youth population, with a sizable majority under the age of 25. Political parties have been forced to hone their strategies to successfully interact with this younger electorate as this demographic sector has grown in both size and significance. Youth-related issues including technology, jobs, and education have taken center stage in political discourse.

2. Political Shift - The dominance of coalition politics and the rise of regional parties in India have significantly changed the country's political landscape. The structures and tactics of political parties have had to undergo major changes as a result of these political developments. The emergence of coalition politics as a response to the distribution of political power has become a defining characteristic of Indian democracy. Coalitions are becoming the norm because no one party can win an absolute majority

in the national assembly. Political parties have thus had to hone their negotiating, compromising, and consensus-building abilities. As a result, regional parties frequently have a significant impact on national politics, and political alliances must take into account their demands.

3. Economics Shift - Economic transformations in India have wielded a profound influence on the approaches and structures of political parties. These shifts encompass an array of economic policy alterations, including the liberalization of the economy, shifts in development priorities, and changes in economic disparities. The economic liberalization that took place in the 1990s represented a pivotal juncture in Indian politics. It marked a departure from the previously predominant model of state-led economic advancement, favoring market-oriented policies instead. Consequently, political parties had to give prominence to these domains in their economic agendas and election manifestos.

4. Technological Advancement- New political engagement and campaigning trends have emerged in India thanks to technological breakthroughs. Political parties have reacted to the increased use of digital technology and the internet by making use of tools like social media, online advertising, and data analytics. With the aid of these tools, parties may more effectively mobilize supporters, target particular demographics, and reach a larger audience.

Role Of Opposition Party In India: Opposition in India is essential for the transparency of the government, it acts as a forum that opposes or criticizes the decision of the ruling government, it not only opposes but also does many jobs in the following areas-

1. Democratic oversight- The opposition party's function in India is fundamentally one of democratic monitoring, which is an essential tool for examining the legitimacy of the executive branch, preserving openness, ensuring accountability, and supporting democratic principles. The ruling government's actions and policies are actively evaluated by opposition parties, who hold them to account and demand transparency. The opposition draws attention to important topics, asks for answers, and challenges government actions that seem to go against the interests of the general public through legislative debates, inquiries, and deliberations.

2. Policy Alternative and Parliamentary Functions - The role of the opposition party in India transcends mere criticism of the government; it also encompasses the formulation of policy alternatives and active engagement in parliamentary proceedings. Opposition parties significantly enhance the democratic process by presenting alternative policy proposals and actively participating in the legislative process. Opposition parties function as a wellspring of alternative ideas and policy options. They scrutinize government policies, pinpoint their shortcomings, and put forward their remedies to address the nation's

challenges. In a parliamentary system, opposition parties serve a variety of crucial roles. They partake in debates and discussions, scrutinize the government's decisions, and contribute to the creation and refinement of laws. In this way, opposition parties in India serve as indispensable components of the democratic framework, enriching the policymaking process and preserving the principles of democracy.

Conclusion: The democratic structure of the country is based on political parties, which represent the interests of the people, shape government formation, and change over time to meet shifting conditions. Opposition parties' existence and deeds contribute a crucial component to this democratic fabric. Since political parties are how the will of the people is translated into governance, they are essential to the creation of government. This emphasizes how important political parties are in determining the leadership and, in turn, the policies and course of the country. Political, social, and economic changes have prompted political parties to change over time. Technology developments, coalition politics, and local parties have changed tactics and brought with them opportunities as well as difficulties. These modifications have increased diversity in policy discourse, encouraged inclusivity, and sparked worries about privacy and false information. In summary, it is impossible to overestimate the importance of political parties in democracies. In the end, the role of political parties remains a cornerstone of Indian democracy, defining the very nature of governance and representation in the world's largest democracy.

References:-

1. Article "The Role of Political Parties in Making Democracy Work", <https://v-dem.net/media/publications/brief3.pdf>
2. Article " Political Parties and Democracy, <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.polisci.2.1.243>
3. Article " The Role of Political Party", <https://uk.us.embassy.gov/role-political-parties/>
4. Book by Yogendra Yadav, The Party System in India: A Country Study.
5. Changing Party System in India: Implications for Political Change, (Article by Vandana Agarwal in the Journal of South Asian and Middle Eastern Studies), <https://www.jstor.org/stable/2645573>
6. Economic Liberalization, Economic Inequality, and the Rise of Indian Regional Political Parties" (Article by Ghanshyam Shah in Economic and Political Weekly), <https://www.epw.in/journal/2008/06/special-articles/economic-growth-and-regional-inequality-india.html>
7. Political Parties in India: Their Past, Present, and Future (Article by Sandeep Shastri in the Journal of Democracy in India), <https://alochonaa.com/2014/02/21/indias-political-landscape-past-present-future/>

Utilizing Gamma Ray Spectrometry for Enhancing Food and Agriculture Quality Assurance

Parth Gupta* Kartikey Pandey** Dr. Anjul Singh***

*B.Tech, MBM University, Jodhpur (Raj.) INDIA

** IDD, Indian Institute of Technology (BHU), Varanasi (U.P.) INDIA

*** Professor (Chemistry) PG College Dholpur, (Raj.) INDIA

Abstract - This research paper explores the application of gamma ray Spectrometry as a powerful tool to enhance quality assurance in the fields of food and agriculture. Gamma ray Spectrometry has gained prominence for its non-invasive and highly sensitive capabilities, allowing for the rapid and precise assessment of various quality parameters. Through a comprehensive review of the literature, this paper discusses the theoretical and practical aspects of gamma ray Spectrometry, as well as its potential implications in food safety, crop quality, and agriculture productivity. The methodology section details the instrumentation and techniques used for data collection and analysis. Furthermore, this paper discusses real-world applications in food quality control, including contaminant detection and nutrient analysis, as well as in agriculture quality control for soil and crop monitoring. It also addresses the challenges and limitations associated with gamma ray Spectrometry, along with safety considerations and regulatory aspects. The paper concludes by highlighting the future.

Theory of Gamma Spectrometry:

- i. Gamma rays are electromagnetic radiation produced during transitions between excited nuclear levels of a nucleus.
- ii. Delayed gamma rays are emitted during the decay of parent nuclei, often following beta decay.
- iii. Gamma rays can interact with matter through three main processes:
- iv. Photoelectric Absorption: Gamma rays interact with inner-shell electrons, emitting photoelectrons. This is important for detection with semiconductor detectors.
- v. Compton Scattering: Some of the gamma ray's energy is transferred to a recoil electron, resulting in a continuous background in the gamma spectrum.
- vi. Pair Production: Occurs when gamma rays have more than 1.02 MeV energy, producing an electron/positron pair.
- i. **Semiconductor Detectors:**
- ii. Germanium detectors (Ge-detectors) are commonly used for gamma spectrometry.
- iii. Early Ge-detectors had to be doped with n-type impurities like lithium (Ge (Li)-detectors) due to purity issues.
- iv. Later, pure germanium crystals became available in n-type or p-type forms, with various geometries (closed-end coaxial, planar, borehole).
- v. n-type detectors cover an energy range from about 10 keV to 3 MeV, while p-type detectors range from 40

keV to 3 MeV. P-type detectors with certain window materials are best for energies below 100 keV.

Requirements for Proper Gamma Spectrometry:

- i. The Minimum Detectable Activity (MDA) of a Ge-detector depends on various factors, including energy resolution, crystal efficiency, background, measuring time, sample geometry, selfabsorption, and the emission probabilities of the gamma emission lines of the radionuclide.
- ii. Commercial calibration sources containing a mix of gamma nuclides are used for detector calibration. These sources cover a range of energies.
- iii. Calibration sources typically include radionuclides like ²¹⁰Pb, ²⁴¹Am, ¹⁰⁹Cd, ¹³⁹Ce, ⁵⁷Co, ⁶⁰Co, ¹³⁴Cs, ¹³⁷Cs, ⁸⁸Y, and ⁸⁵Sr.
- iv. Calibration should include energy response, peak resolution, and counting efficiency.

It's important to ensure that gamma spectrometry equipment is properly calibrated and maintained to obtain accurate results. The choice of calibration sources and the correction of summing effects in complex spectra are important aspects of the calibration process. The field of gamma spectrometry plays a vital role in monitoring and managing radiation levels in various applications, from food and environmental analysis to industrial and medical settings. [1][2]

Background:

- i. The background of a Ge-detector system is influenced

- by detector shielding and the laboratory environment.
- ii. Shielding materials, such as lead and copper, can be used to reduce background radiation.
- iii. Reducing background radiation is essential for accurate measurements, and efforts should be made to minimize cosmic muon interference.

Attenuation Effects:

- i. Photon attenuation depends on the elemental composition and density of the sample matrix.
- ii. Attenuation effects are more significant for lower energy photons and high-volume sample geometries.
- iii. Software, including Monte Carlo simulations, is used to account for attenuation in gamma spectrometry.

Coincidence Summing Effect:

- i. Coincidence summing occurs when radionuclides emit multiple photons in sequence.
- ii. The effect depends on the source-detector distance and detector efficiency.
- iii. To avoid this effect, samples may be counted at a certain distance from the detector.

Dead Time:

- i. High-activity samples can result in a loss of peak counts due to dead time.
- ii. Dead time occurs when pulse processing electronics cannot keep up with incoming photons.

Proper sample geometry and distance from the detector can help avoid dead time.

Best Sample Geometries: The Minimum Detectable Activity (MDA) depends on the detector efficiency and sample weight.

- i. Marinelli beakers (1 or 2 L) are suitable for large sample amounts and provide good efficiency.
- ii. Smaller sample devices (e.g., 32- and 77-mL dishes) are better for small sample amounts, reducing gamma ray attenuation.

Interpretation of Gamma Spectrometry Data:

- i. Dose-relevant radionuclides in the natural decay series of uranium, thorium, and actinium can be detected via the gamma emissions of their daughter nuclides.
- ii. Equilibrium between mother and daughter nuclides is essential for accurate measurements.
- iii. Some mother-daughter systems, such as ²²⁶Ra and ²²⁴Ra, are used for radium detection.
- iv. Equilibrium is reached within minutes for certain systems due to short half-lives.
- v. Relevant gamma emission lines for various natural radionuclides are listed in **Table 1**.

(see in last page)

Gamma spectrometry is a powerful technique for quantifying and identifying radioactive materials in various samples, and understanding these factors and techniques is crucial for accurate and reliable analysis. [4][3]

Instrumental Neutron Activation Analysis (INAA) is a nuclear technique used for the analysis of various materials, particularly to determine the elemental composition of

samples. Here are some key points regarding the principle and operation of INAA, as described in the provided text:

Principle:

- i. INAA relies on the production of short-lived radionuclides through nuclear reactions.
- ii. Typically, reactor neutrons, particularly thermal neutrons, are used to activate various nuclides in the sample, turning them into radioactive nuclides.
- iii. The efficiency of the irradiation process depends on two factors: the neutron flux density and the cross-section of the nuclear reaction that occurs in the irradiated nucleus.
- iv. Nuclear reactors, such as the one at the University of Basel (AGN-211-P), are commonly used as sources of thermal neutrons for INAA.
- v. The thermal neutrons are generated in the nuclear reactor, and their availability is crucial for the success of the analysis.

INAA is a powerful analytical technique that is particularly useful for determining trace elements in various materials. The irradiation process leads to the creation of radioactive isotopes, and the subsequent measurement of their gamma-ray emissions can provide valuable information about the elemental composition of the sample. The unique neutron flux and reactor setup described here are crucial for the success of INAA experiments.

Operational Procedure:

- i. The detection limit of gamma spectrometry is influenced by the half-life of activated nuclides and the background radiation from highly activated nuclides, like sodium or chloride.
- ii. Gold foils serve as internal standards and are placed on top of each sample.
- iii. A sample series, consisting of 12 samples, each containing 1-2 grams of material, is irradiated for 30 minutes at a reactor power of 2 kW.
- iv. Calibration of each irradiation position in the reactor's neutron field is achieved using coagulated salt solutions containing a known amount of the analyte and a corresponding gold foil. This helps determine response factors for each analyte.
- v. The response factors are calculated using the comparator method.

Common Applications of INAA: Determination of Total Bromine Content in Food Samples:

INAA is used to determine the total bromine content in food samples, such as tea, coffee, dried mushrooms, vegetables, and spices.

- i. This analysis provides insights into the use of methyl bromide, a fumigant, which results in bromide residues in food.
- ii. Methyl bromide's bromide residues can be activated by neutrons to form the gamma-active compound ⁸²Br (with a half-life of 35 hours) and analysed using gamma spectrometry.

iii. After irradiation for 30 minutes, samples are cooled down for several hours to allow for the disintegration of activated sodium and chloride nuclides.

iv. The gamma analysis of the samples takes approximately 15 minutes.

It's important to note that the use of methyl bromide as a fumigant has become less common in recent years, with other fumigants like sulfuryl fluoride, hydrogen cyanide, and phosphines gaining more prominence for various food treatment applications. INAA is a valuable technique for identifying and quantifying the presence of specific elements, such as bromine in this case, in food samples, aiding in quality control and regulatory compliance.

Determination of Total Iodine Content in Food:

- i. INAA is used to determine the total iodine content in various food samples, particularly in iodine-rich foods like algae.
- ii. Iodine is essential for the production of thyroid hormones and the prevention of goitre.
- iii. In many European countries, there is a concern about iodine deficiency, so it's important to assess and declare the correct iodine content in food.
- iv. About 1 gram of the sample is activated using reactor neutrons for 30 minutes at a power of 2 kW.
- v. The radioactive product ^{128}I is then analysed directly using a gamma spectrometer.
- vi. The short half-life of ^{128}I (25 minutes) necessitates immediate counting after activation, which can lead to higher detection limits.
- vii. This method is applicable to the analysis of iodine content in fish, seafood, algae, and dietary supplements.

Determination of Flame-Retarding Agents in Plastics:

- i. INAA can be employed as a screening analysis to detect flame-retarding agents in plastic materials, such as decabromo-bis-phenylether or tetrabromobisphenol A.
- ii. The activation and decay processes for bromine analysis in plastic materials are similar to those used for food samples.
- iii. INAA provides information about the total content of brominated flame-retarding agents.
- iv. Samples with high bromine content are detected using this screening analysis, and further analysis with gas chromatography is conducted to determine the types and amounts of different flame-retarding compounds.

Determination of U and Th in Suspended Matter, Sediment, and Soil Samples:

- i. INAA is applied to determine the content of uranium (U) and thorium (Th) in suspended matter, sediment, and soil samples.
- ii. Approximately 1 gram of dried and ground material is irradiated for 30 minutes at a power of 2 kW.
- iii. After a 2-hour cooling period, the samples are analysed using a gamma spectrometer.

iv. This method is useful for environmental studies and assessing the distribution of U and Th in various geological and environmental samples.

Instrumental Neutron Activation Analysis is a versatile analytical technique used in various applications, allowing for the determination of the elemental composition of samples and enabling the detection of specific elements, like iodine and bromine, in different materials, including food and plastics.

Radioactivity In Food

First Use of Natural Radioactivity:

- i. After the discovery of radioactivity, the commercial use of technologically enriched naturally occurring radioactive material (TENORM) began.
- ii. Radium and thorium were used for medicinal purposes to treat various diseases.
- iii. Products like underwear, soap, lipstick, hair shampoo, toothpaste, and more were spiked with natural or enriched radioactive materials.
- iv. Some individuals, like William Bailey, sold radioactive sources as medicinal drugs.
- v. Tragedies like the case of Eben McBurney Byers, who died due to radium therapy, and the "radium girls" who became ill from painting watch dials with radium, led to public awareness and the decline of the popularity of radioactivity.
- vi. Today, radon therapy, which involves radon water, inhalation of radon air in tunnels, and drinking of radon water, is still used for health cures against certain chronic diseases.

Natural Radioactivity in Food:

- i. Some natural radionuclides from the decay series of uranium and thorium enter the food chain.
- ii. Polonium-210 (^{210}Po), a product of the decay of uranium-238 (^{238}U), is enriched in the intestinal tract of mussels and fish.
- iii. Lead-210 (^{210}Pb), radium, and thorium nuclides are present in cereals.
- iv. Spices and salt may contain elevated levels of radium and potassium-40 (^{40}K).
- v. Foods rich in potassium are typically rich in ^{40}K .

Radioactive Sources in Consumer Products:

- i. Remnants of natural radionuclide applications from the past may still be found in households.
- ii. Radioactive objects may include materials like thorium used in flame detectors and various consumer products.
- iii. Examples of such products include dials with radium in watches, colored glass pearls, drinking glasses containing uranium oxides, wall tiles with uranium oxides, and more.
- iv. Finders of such items are encouraged to bring them to specialized laboratories or collecting points for radioactive materials, as the included radioactive material may be harmful. [5][6]

Consumer product	Radionuclide(s)	Radionuclide content range
Radio luminous timepieces	^3H 147Pm 226Ra	4–930 MBq 0.4–4 MBq 0.07–170 kBq
Marine compass	^3H 226Ra	28MBq 15kBq
Aircraft luminous safety devices	^3H 147Pm	10 kBq 300 kBq
Static eliminators	210Po	1–19 MBq
Dental products	natU	up to 4 Bq
Gas mantles	232Th	1–2 kBq
Welding rods	232Th	0.2–1.2 kBq
Optical glasses Ophthalmic lenses [35]	232Th	5–75 Bq
Glassware: vaseline glass, canary flint glass	natU	100 kBq
Lamp starters	^{85}Kr	0.6 kBq
Smoke detectors	241Am	37 kBq
Electron capture detectors	^{63}Ni	370 kBq
Drinking devices “Radium Drinkkur”	226Ra, (222Rn)	100 MBq
Wall tiles, ceramics	natUO3	50–500 kBq
Granitic surfaces	natU	5–10 kBq/kg
Cardiac pacemaker [36]	239Pu	113GBq

Table2: Consumer products containing radioactive materials

Radio Contamination of Food:

- Food can be contaminated shortly after its release with fallout of short-lived radionuclides.
- The contamination of food with long-lived radionuclides from global fallout and the Chernobyl catastrophe continues to be a concern.
- Contamination by short-lived radionuclides, such as ^{131}I , ^{132}I , and ^{134}Cs , reduced within two years after the Chernobyl disaster.
- Long-lived radionuclides persist in the soil and can be transferred to crops and grass, particularly in feed for cows, with milk being a typical tracer food.
- A review of radioactivity monitoring in
- Switzerland over 35 years showed that between 1990 and 2015, some moderate contamination was observed in specific food categories.
- Special cases of contamination were found in hazelnuts and tea from Turkey, with tea containing higher levels of radio caesium and radio strontium.

Wild-grown mushrooms, berries, and game, especially wild boars, remain the most affected food categories due to fallout from the Chernobyl disaster.

The monitoring and assessment of radionuclide contamination in food is essential for ensuring food safety

and public health, particularly in regions affected by nuclear accidents and global fallout.

Data Analysis : The gamma-ray data were obtained using a portable passive gamma-ray spectrometer called the Mole, which uses a CsI(Tl) scintillation crystal detector. This device can be mounted on various vehicles or used manually. In this study, it was mounted on a wheelbarrow and moved at 1.2 m/s, with a field of view of about 3 meters in radius. Data was collected from eight rows in each field, spaced 10 meters apart, totalling around 4,000 data points, along with GPS coordinates accurate to 1 meter.[6][7] To process and interpret the gamma-ray spectroscopy data, several steps were taken:

1. Transformation of Multichannel Gamma-Ray

Data: The data from the 256 energy channels (ranging from 0 to 3.0 MeV) were converted into corresponding energies using a simple equation.

2. Conversion to Count Rates: Gamma-ray counts were converted to count rates by dividing them by the measurement time. This standardizes the data for analysis.

3. Spatial Filtering: A moving average filter was applied to smooth the data, reducing noise and fluctuations.

4. Energy Channel Averaging: Within each spectrum, a moving average of five energy channels was calculated to further reduce noise.

5. Energy-Windows (EWs) Method: Energy windows for specific radionuclides (like ^{40}K , ^{238}U , and ^{232}Th) were determined by summing the gamma-ray counts in the energy spectrum around the peaks of these radionuclides. Additionally, a broad energy window called “Total Counts (TC)” was used. This process helps in identifying and analysing these radionuclides in the data.

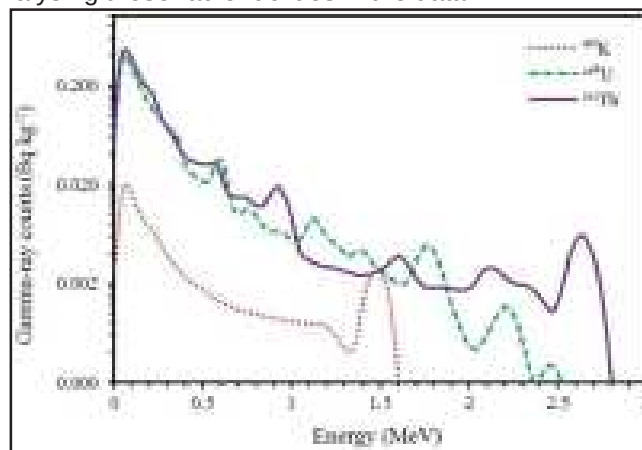


Figure 1: standard spectra of ^{40}K (dotted line), ^{238}U (dashed line) and ^{232}Th (solid line) collected by the Mole at 1Bq.kg^{-1} activity concentration in calibration setup.

The Full-Spectrum Analysis (FSA) method utilizes the entire gamma-ray spectrum to estimate concentrations of radionuclides (e.g., ^{40}K , ^{238}U , and ^{232}Th). In this study, it employs Monte Carlo simulations for this purpose, making it comparable to the Energy-Windows (EWs) method. FSA fits standard spectra for these radionuclides to measured

data using a Chi-square algorithm to determine their concentrations in $\text{Bq}\cdot\text{kg}^{-1}$.

The data analysis involves:

1. **Exploratory Bivariate Analysis:** Using linear regression and correlation to understand relationships between radiometric data and soil and food properties.
 2. **Calibration Datasets:** Linear regression of radionuclide concentrations obtained from both EWs and FSA against soil and food properties.
 3. **Regression Models:** Developing models from calibration datasets for predicting soil properties in validation datasets.
 4. **Model Evaluation:** Assessing model strength using metrics like R^2 , RMSEP, and statistical significance tests.
 5. **Ratio of Percentage Deviation (RPD):** Calculating RPD to evaluate model prediction ability. $\text{RPD} > 1.4$ indicates potential usability for predicting soil properties.
- In addition, spectrum deconvolution techniques are used to identify and separate energy peaks in the raw gamma-ray spectrum, making it easier to distinguish different elements or isotopes.

Statistical Methods Used for Quality Assessment

Descriptive Statistics: Basic statistical measures like mean, standard deviation, and range are employed to summarize the data and understand the distribution of elemental concentrations within the sample.

Inferential Statistics: Inferential statistics, including hypothesis testing and confidence intervals, are used to make inferences about the population of interest based on sample data.

Multivariate Analysis: Techniques such as principal component analysis (PCA) and cluster analysis can be applied to identify patterns and relationships in complex spectral data, helping to differentiate between various samples. [8][9]

9. Challenges and Limitations

1. Instrumentation Costs: One of the primary limitations is the cost of acquiring and maintaining gamma ray Spectrometry equipment. High-quality detectors and associated instruments can be expensive, making it challenging for smaller farms or laboratories with limited budgets to adopt this technology.

2. Limited Elemental Range: Gamma ray Spectrometry is most effective for the detection and quantification of elements with gamma-emitting isotopes. Elements that lack suitable isotopes or have weak gamma emissions may not be easily analyzed using this method.

3. Limited Depth of Penetration: Gamma rays have limited penetration depth in dense materials. This means that in applications where the material of interest is thick or heavily shielded, gamma ray Spectrometry may not provide accurate results.

4. Sample Size and Homogeneity: The accuracy of gamma ray Spectrometry depends on sample homogeneity. Nonhomogeneous samples can yield inaccurate results. Additionally, small sample sizes can pose challenges, as

they may not provide a representative analysis.

5. Safety Concerns: The use of gamma ray sources for activation analysis can introduce radiation safety concerns. Proper training and safety measures are essential to protect operators and ensure regulatory compliance.

Safety Considerations and Regulatory Aspects

1. Radiation Safety: Gamma ray Spectrometry involves the use of ionizing radiation. It is critical to implement safety measures to protect individuals working with the equipment. This includes shielding, proper handling, and adequate training to minimize radiation exposure.

2. Regulatory Compliance: The use of gamma ray Spectrometry may be subject to national and international regulations, particularly in cases involving the use of radioactive materials. Compliance with these regulations is essential to ensure safe and legal operation.

3. Licensing and Certification: Operators and facilities using gamma ray Spectrometry often need to obtain licenses and certifications to handle radioactive materials and operate the equipment. Regular inspections and audits may be required to maintain compliance. [10][11][12]

Future Directions

Emerging Trends and Advancements in Gamma Ray Spectrometry

1. Miniaturization and Portability: Ongoing developments are focused on miniaturizing gamma ray Spectrometry equipment, making it more portable and accessible for field applications. This trend opens doors for real-time, on-site analysis in agriculture and food quality control.

2. Automation and Integration: Integrating gamma ray Spectrometry with automation and data analytics tools is becoming more prevalent. This allows for faster data processing, real-time decision-making, and seamless integration with other quality control technologies.

3. Multimodal Sensing: Combining gamma ray Spectrometry with other sensing techniques like hyperspectral imaging and acoustic sensors enables a more comprehensive assessment of food and crop quality. This multi-sensor approach provides a more holistic view of the sample.

4. Machine Learning and AI: Machine learning and artificial intelligence are increasingly applied to gamma ray Spectrometry data analysis. These technologies can improve the accuracy of quality assessments and allow for the detection of subtle patterns and anomalies.

5. Spectroscopic Imaging: Advancements in imaging systems are allowing for spatial mapping of elemental composition. This capability can be invaluable for pinpointing areas of concern in larger agricultural fields or during food processing.

6. Non-Radioactive Sources: Research into alternative sources of gamma radiation, such as X-ray fluorescence, is gaining traction.

Nonradioactive sources reduce safety and regulatory

concerns associated with traditional gamma sources. [13][14]

Conclusion: In conclusion, gamma ray spectroscopy represents a valuable asset in the continuous pursuit of safer and more sustainable food production and agriculture practices. As technology continues to evolve and research progresses, its potential to revolutionize quality assurance in these sectors is substantial. Interdisciplinary collaboration and ongoing innovation will be essential in fully realizing the benefits of gamma ray spectroscopy in the

References :-

1. ojtyla P, Beer J, Stavina, P. Experimental and simulated cosmic muon background of a Ge spectrometer equipped with a top side anticoincidence proportional chamber. NuclInstr Methods Phys Res B. 1994; 86: 380–386.
2. 10.Seo B, Lee K, Yoon Y, Lee D. Direct and precise determination of environmental radionuclides in solid materials using a modified Marinelli beaker and a HPGe detector. Fresenius J Anal Chem. 2001; 370:264–269.
3. 11.Valkovic V. Determination of radionuclides in environmental samples. In: Barcelo D, editor. Environmental Analysis: Techniques, Applications and Quality. Amsterdam: Elsevier Science Publishers; 1993, p. 311–356.
4. 12.Wallbrink P, Walling D, He Q. Radionuclide measurement using HPGE gamma spectrometry. In: Zapata F, editor. Handbook for the Assessment of Soil Erosion and Sedimentation Using Environmental Radionuclides. Amsterdam: Springer; 2003. ISBN 978-0306-48054-6. p. 67–87.
5. 13.Lederer M, Shirley V. Table of Isotopes. 7th ed. New York: Wiley & Sons; 1978. ISBN: 0-471-04179-3.
6. 14.Erdtmann G and Soyka W. The Gamma Rays of the Radionuclides. Weinheim: Verlag Chemie; 1979. ISBN: 3-52725816-7.
7. 15.Wahl W. α - β - γ -Table of Commonly Used Radionuclides, Version 2.1; 1995. D83722 Schliersee.
8. 16.Firestone R, Shirley V. Table of Isotopes. 8th ed. New York: Wiley & Sons; 1999. ISBN: 978-0-471-35633-2
9. 17.Legrand J, Perolat J, Lagourtine F, Le Gallic Y. Table of Radionuclides. Atomic Energy Agency, Gif-sur-Yvettes, France 1957.
10. 18.Amiel S (Ed.). Nondestructive Activation Analysis, Amsterdam: Elsevier; 1981. ISBN: 0-444-41942-X.
11. 19.Parry S. Handbook of Neutron Activation Analysis. Woking: Viridian Publishing; 2003. ISBN: 0-9544891-1-X.
12. 20.Zehring M, Stöckli M. Determination of total bromine residue in food and nonfood samples. Chimia2004;59:112.
13. 21.The Federal Department of Home Affairs. Ordinance on Contaminants and Constituents in Food; 1995.
14. 22.Zehring M, Testa G, Jourdan J. Determination of total Iodine content of food with means of Neutron Activation Analysis (NAA). Proceedings of the Swiss Food Science Meeting (SFSM '13); 2013; Neuchatel.
15. 23.Bhagat P et al. Estimation of iodine in food, food products and salt using ENAA. Food Chem. 2009; 115: 706–710.

Radionuclide		Energy (keV)	Emission probability ϵ (%)	Interferences
7Be	Direct	477.61	10.3	
40K	Direct	1460.8	10.67	
226Ra	Direct	186.2	3.5	235U (185.72keV; 57.2%) 211Bi (351.06keV; 12.91%)
	214Pb	295.21	18.2	
	214Pb	351.92	35.8	
	214Bi	609.32	44.6	
	214Bi	1120.3	14.8	
	214Bi	1764.5	15.4	
228Ra	228Ac	338.32	11.3	
	228Ac	911.21	26.6	
	228Ac	968.97	15.8	
228Th	224Ra	240.99	4.0	214Pb (241.98; 7.12%) 228Ac (583.41 keV; 0.114%)
	212Pb	238.63	43.3	
	212Pb	300.09	3.3	
	208Tl	277.36	2.3	
	208Tl	583.17	30.5	
	208Tl	860.56	4.5	
227Ac	227Th	235.97	12.1, 11.2	
	227Th	256.5	7.0	
	223Ra	269.5	13.7	
235U	Direct	143.76	10.96	226Ra (186.1; 3.51%) 228Ac (204.10; 0.171%)
		163.33	5.08	
		185.72	57.2	
		205.31	5.01	
238U	234Th	63.28	4.3	232Th (63.81; 0.267%) Weak line
	234Th	92.37	2.5	
	234Th	92.79	2.4	Weak line
	234MPa	766.37	0.21	
	234MPa	1001.03	0.84	
210Pb	Direct	46.54	4.2	Weak line

उद्योग के क्षेत्र में ई-कॉमर्स का बढ़ता योगदान

नवीन कुमार बिठौर* डॉ. बी.आर. नलवाया**

* शोधार्थी, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोध निर्देशक, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – ई-कामर्स, साहित्य समीक्षा के संदर्भ में ई-कामर्स के वर्तमान और भविष्य के पहलुओं के बारे में चर्चा की इक्कीसवीं सदी ने ऑनलाइन व्यापारों के लिए अनेक अवसर एवं प्रतिस्पर्धा का वातावरण प्रदान किया। ई-कामर्स का प्रमुख लक्ष्य व्यावसायिक क्षेत्र को बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए आज मार्केट को तलाशना है। ई-कामर्स बहुत तेजी से फैल रहा है और आज बहुत बड़ी कंपनियां ई-कामर्स के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान कर रही हैं, जैसे कि Saleforce, ebay, amazon and Hp1 ई-कामर्स कई प्रकार के होते हैं B2C, B2B, C2B, C2C, B2G, and G2B ई-कामर्स से पेपर वर्क बहुत ही कम होने लगा है। ई-कॉमर्स से मध्यस्थता समाप्त हो गई है जिससे उपभोक्ता को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। लेकिन ई-कामर्स के माध्यम से सारे प्रोडक्ट नहीं मिल पाते हैं। ई-कामर्स के माध्यम से प्रोडक्ट खरीदने पर उपभोक्ता को सुविधाएं भी मिलती हैं जैसे Cas back guarantee, cash on delivery, fast delivery, discounts, access to branded products इत्यादि।

प्रस्तावना – ई-कॉमर्स की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जब व्यवसायों ने अन्य कंपनियों के साथ व्यावसायिक दस्तावेज साझा करने के लिए ईडीआई का उपयोग करना शुरू किया। 1979 में, अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान ने व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से दस्तावेज साझा करने के लिए एक सार्वभौमिक मानक के रूप में ASC X12 विकसित किया।

1980 के दशक में एक-दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज साझा करने वाले व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने के बाद, 1990 के दशक में ईबी और अमेजन के उदय ने ई-कॉमर्स उद्योग में क्रांति ला दी। उपभोक्ता अब केवल ई-कॉमर्स विक्रेताओं जिन्हें ई-टेलर्स भी कहा जाता है, और ई-कॉमर्स क्षमता वाले ईट और मोटार स्टोर से कई वस्तुएं ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अब लगभग सभी खुदरा कंपनियां ऑनलाइन व्यवसाय प्रथाओं को अपने व्यवसाय मॉडल में एकीकृत कर रही हैं।

इलेक्ट्रॉनिक कामर्स मुख्य रूप से इन्टरनेट तथा अन्य कम्प्यूटर नेटवर्क जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों पर सेवाओं तथा वस्तुओं के वितरण क्रय, विक्रय, विपणन तथा वस्तुओं की सेवाओं का नाम हैं। इक्कीसवीं सदी ने ऑनलाइन व्यापारों के लिए अनेक अवसर एवं प्रतिस्पर्धा का वातावरण प्रदान किया है। अनेक ऑनलाइन व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई है। अनेक ऑनलाइन शाखाएँ खोल सखी हैं।

ई-कामर्स कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड प्रोडक्ट पर वह किस देश का बना हुआ है यह मौजूद रहे यानी कि कंट्री ऑफ ओरिजन। यह एक बेहद मुश्किल टास्क है क्योंकि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर लाखों प्रोडक्ट लिस्ट हैं इस नियम को लागू करने में जो सबसे बड़ी मुश्किल हो सकती है, वह यह है कि जब भी ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी करे तो उसे आयातित प्रोडक्ट या सर्विस का लोकल ई-कॉमर्स कंपनियों और सेलर्स दोनों ही कोई उत्साह नहीं है।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिन्हें खरीद लेने

के बाद वापस नहीं किया जा सकता। आमतौर पर ऑनलाइन शॉपिंग में फ्री एक्सचेंज या रिफंड की पेशकश रहती है। कंज्यूमर से स्पष्ट तौर पर उसकी मंजूरी जान लेना ग्राहक के लिए ऑनलाइन शॉपिंग अनुभव को बेहतर ही बनाएगा।

ई-कॉमर्स काम कैसे करता है – ई-कॉमर्स इंटरनेट द्वारा संचालित होता है। यहाँ पर ग्राहक अपने डिवाइस के माध्यम से उत्पादों या सेवाओं को ब्राउज़ करने और ऑर्डर देने के लिए ऑनलाइन स्टोर तक पहुँचते हैं।

जैसे ही ऑर्डर दिया जाएगा, ग्राहक का वेब ब्राउज़र ई-कॉमर्स वेबसाइट को होस्ट करने वाले सर्वर के साथ आगे संचार करेगा। ऑर्डर से संबंधित डेटा एक केंद्रीय कंप्यूटर पर रिले किया जाएगा जिसे ऑर्डर मैनेजर के रूप में जाना जाता है। फिर इसे उन डेटाबेसों को अग्रेषित किया जाएगा जो इन्वेंट्री स्तरों का प्रबंध करते हैं, एक व्यापारी प्रणाली जो PayPal जैसे एप्लिकेशन का उपयोग करके भुगतान जानकारी का प्रबंध करती है, और एक बैंक अंत में यह वापस ऑर्डर मैनेजर के पास जाएगा। यह सुनिश्चित करना है कि ऑर्डर को संसाधित करने के लिए स्टोर इन्वेंट्री और ग्राहक फंड पर्याप्त हैं। ई-कॉमर्स लेनदेन की मेजबानी करने वाले प्लेटफॉर्मों में ऑनलाइन मार्केटप्लेस शामिल हैं जिनके लिए विक्रेता साइन अप करते हैं, जैसे अमेजन, एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर उपकरण जो ग्राहकों को ऑनलाइन स्टोर के बुनियादी ढाँचे को किराए पर लेने की अनुमति देता है, यह ओपन सोर्स टूल जिन्हें कंपनियां अपने इन-हाउस डेवलपर्स का उपयोग करके प्रबंधित करती हैं।

ई-कॉमर्स के प्रकार :

व्यवसाय-से-उपभोक्त (बी2सी) – बी2सी ई-कॉमर्स कंपनियां इसमें सिधे अपने सामान को उपभोक्ता तक पहुँचाती हैं सेवाएं प्रतिष्ठान या कंपनी से किसी उपभोक्ता को बेची जाती हैं।

व्यापार-से-व्यापार (बी2बी) – बी2बी के समान, एक ई-कॉमर्स व्यवसाय किसी उपयोगकर्ता को सीधे सामान बेच सकता है। हालाँकि, वह

उपयोगकर्ता उपभोक्ता होने के बजाय कोई अन्य कंपनी हो सकती है। बी2बी लेनदेन में अक्सर बड़ी मात्रा, अधिक विशिष्टताओं और लंबी लीड अवधि की आवश्यकता होती है।

उपभोक्ता से उपभोक्ता (सी2सी) - एक प्रकार का ई-कॉमर्स है जिसमें उपभोक्ता एक-दूसरे के साथ उत्पादों, सेवाओं और सूचनाओं का ऑनलाइन व्यापार करते हैं। ये लेन-देन आम तौर पर किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से किए जाते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिस पर लेन-देन किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी की ऑनलाइन नीलामी होना।

बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (बी2जी) - कुछ संस्थाएँ सरकारी ठेकेदारों के रूप में एजेंसियों या प्रशासनों को सामान या सेवाएँ प्रदान करने में विशेषज्ञ हैं। बी2बी संबंध के समान, व्यवसाय मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन करता है और उन वस्तुओं को एक इकाई को भेजता है।

उपभोक्ता-से-व्यवसाय (सी2बी) - आधुनिक प्लेटफॉर्मों ने उपभोक्ताओं को कंपनियों के साथ अधिक आसानी से जुड़ने और उनकी सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति दी है, विशेष रूप से अल्पकालिक अनुबंधों, गिग्स या अवसरों से संबंधित। उदाहरण के लिए, अपवर्क पर लिस्टिंग पर विचार करें।

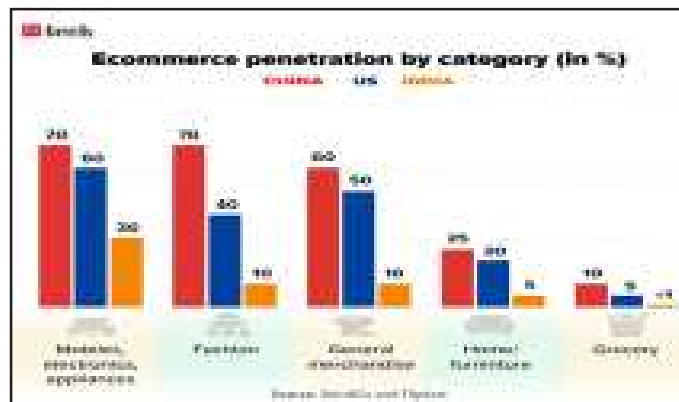
उपभोक्ता-से-गवर्नमेंट (सी2जी) - पारंपरिक ई-कॉमर्स संबंध से कम, उपभोक्ता सी2जी साझेदारी के माध्यम से प्रशासन, एजेंसियों या सरकारों के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये साझेदारियाँ अक्सर सेवा के आदान-प्रदान में नहीं बल्कि दायित्व के लेन-देन में होती हैं।

आप ई-कॉमर्स व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं - अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप कौन से उत्पादों और सेवाओं को बेचने जा रहे हैं और बाजार में आपके कितने प्रतिस्पर्धी और अपेक्षित लागतों पर ध्यान देना होता है।

इसके बाद एक नाम के साथ आए, एक व्यवसाय संरचना चुनें और दस्तावेज (करदाता संख्या, लाइसेंस और यदि वे आवेदन करते हैं तो परमिट) प्राप्त करें।

इससे पहले कि आप बिक्री शुरू करें, एक प्लेटफॉर्म तय करें और अपनी वेबसाइट डिजाइन करें (या किसी से यह आपके लिए करवाएं)।

शुरुआत में सब कुछ सरल रखना याद रखें और सुनिश्चित करें कि आप अपने व्यवसाय का विपणन करने के लिए जितना संभव हो उतने चैनलों का उपयोग करें ताकि यह बढ़ सके।



ई-कॉमर्स के उद्देश्य :

1. ग्राहक की संतुष्टि का पता लगाना की उसको क्या चाहिए उसे वह उपलब्ध करवाना।

2. कागजी काम को कम करना तथा समय के पत्राचार में खर्च करें।
3. ग्राहकों की सेवाओं में आने वाली परेशानियों को सुधारना।
4. इसकी बिक्री के दायरे को बढ़ाना।
5. सप्लायरों और ग्राहकों के साथ संवाद को सरल बनाना।
6. आगे आने वाले ई-कॉमर्स मार्केट में पोजीशन को बनाये रखना।
7. बढ़ती हुई लागत को कम करना।
8. प्रोडक्ट की क्वालिटी का ध्यान रखना ग्राहक को अच्छे वस्तु उपलब्ध करवाना

ई-कॉमर्स के लाभ और हानि :

लाभ - ई-कॉमर्स उपभोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:

1. सुविधा - ई-कॉमर्स दिन के 24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन हो सकता है। हालाँकि ई-कॉमर्स में बहुत काम लग सकता है, फिर भी जब आप सोते हैं तो बिक्री उत्पन्न करना या अपने स्टोर से दूर रहने के दौरान राजस्व अर्जित करना अभी संभव है।
2. बढ़ा हुआ चयन - कई स्टोर अपने ईट और मोटार समकक्षों की तुलना में ऑनलाइन उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। और कई स्टोर जो पूरी तरह से ऑनलाइन मौजूद हैं, उपभोक्ता को विशेष इन्वेन्ट्री की पेशकश कर सकते हैं जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है।
3. ई-कॉमर्स की मदद से बिजनेस को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं ये हमारे देश तक ही सीमित न रहकर इसको वर्ल्ड वाइड पब्लिश कर सकते हैं।
4. प्रोडक्ट के बारे में हम रिव्यू, कमेंट में बता सकते हैं ताकि दूसरे को वो चीज खरीदते समय समझ में आ सकता है की प्रोडक्ट के बारे में दूसरे लोगों की क्या राय है।
5. किसी भी चीज को ठीक तरह से जांच पड़ताल कर सकते हैं तथा दूसरे प्रोडक्ट के साथ तुलना भी कर सकते हैं।
6. ई-कॉमर्स से पेपर वर्क बहुत ही कम होने लगा है।
7. अंतर्राष्ट्रीय बिक्री - जब तक एक ई-कॉमर्स स्टोर ग्राहक को माल भेज सकता है, एक ई-कॉमर्स कंपनी दुनिया में किसी को भी बेच सकती है और यह भौतिक भूगोल द्वारा सीमित नहीं है।

हानि - ईकॉर्स के साथ कुछ कमियाँ भी आती हैं। नुकसान में शामिल है :

1. प्रौद्योगिकी पर निर्भरता - यदि आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, भारी मात्रा में ट्रैफिक एकत्र करती है, या किसी भी कारण से अस्थायी रूप से बंद कर दी जाती है, तो आपका व्यवसाय ई-कॉमर्स स्टोरफ्रंट वापस आने तक प्रभावी रूप से बंद हो जाता है।
2. उच्च प्रतिस्पर्धा - इसका मतलब है कि अन्य प्रतिस्पर्धी आसानी से बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों के पास सावधानीपूर्वक विपणन रणनीतियाँ होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे डिजिटल उपस्थिति बनाए रखें एसईओ अनुकूलन पर मेहनती रहें।
3. खर्चीली - ई-कॉमर्स वेबसाइट, एप्लीकेशन बनाने के लिए काफी खर्चीली होती है।
4. कई सारे प्रोडक्ट इंटरनेट के माध्यम से नहीं मिल पाते हैं।
5. किसी भी नई वेबसाइट पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है।
6. सिक्यूरिटी के बारे में हमेशा सतर्क रहना पड़ता है।

निष्कर्ष - छोटे तथा बड़े दोनों ही प्रकार की कंपनियों को बाजार में उतरने तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर काबू करने के लिए ई-कॉमर्स अत्यन्त शक्तिशाली कारक है। इंटरनेट इसीलिए ग्राहक सेवा तथा सपोर्ट के लिए

महत्वपूर्ण माध्यम है। ई-कॉमर्स ई-बिजनेस चलाने का सिर्फ एक हिस्सा है। जबकि उत्तरार्द्ध में ऑनलाइन व्यवसाय चलाने की पूरी प्रक्रिया शामिल है, ई-कॉमर्स का तात्पर्य केवल इंटरनेट के माध्य से वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से है। ई-कॉमर्स कंपनियों ने खुदरा उद्योग के काम करने के तरीके को बदल दिया है, जिससे प्रमुख, पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं को अपने व्यापार करने के तरीके को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इंटरनेट के माध्यम से कम्यूनिकेशन अधिक प्रभावशाली हुआ है तथा इसमें गति सहजता आई है और यह सस्ती हुयी है। इंटरनेट की सहायता पूरी दुनिया क लोग एक दूसरे से बगैर बहुत अधिक खर्च के तथा विश्वसनीय रूप से जुड़ते है।

टेक्नीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में यह वैश्विक नेटवर्क का एक संकलन है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सीता, अनुराग ई-कॉमर्स प्रयाग प्रकाशन प्रायवेट लिमिटेड, मथुरा, 2014
2. राघव, सतीष कुमार ई-कॉमर्स मारुति प्रकाशन दिल्ली रोड, मेरठ 2014
3. इंटरनेट
4. नईदुनिया, दैनिक भास्कर
5. www.esalestrack.com>blog>2008/09

वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव, वित्तीय सहायता एवं निवारण हेतु उपाय

अंचल रामटेके*

* सहायक प्राध्यापक (प्राणीशास्त्र) राजाभोज शासकीय महाविद्यालय, मण्डीदीप, जिला रायसेन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – जलवायु का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले औसत मौसम से होता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से मानव जीवन, कृषि, मौसम तथा पशुओं पर देखा जा सकता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन तथा निर्वनीकरण के कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। जिससे तापमान में वृद्धि, तुफान, सूखा, परिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव स्वास्थ्य पर प्रभाव, भोजन में कमी, मृदा की गुणवत्ता में कमी, आदि प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। इन परिवर्तनों को रोकने हेतु विश्व बैंक द्वारा UNFCCC, LDCF, SCCF, एडेप्टेशन फंड, हरित जलवायु कोष की स्थापना तथा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। अतः जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के निराकरण हेतु प्रतिरोधक कृषि को बढ़ावा देना, बड़े बांधों को मजबूत बनाना, भू जल संरक्षण, तटों की सुरक्षा, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना आदि उपाय किए जाने चाहिए।

शब्द कुंजी – जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों।

प्रस्तावना – जलवायु परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण विश्व में देखा जा सकता है। यह किसी स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है। जलवायु किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक का औसत मौसम होता है। अतः जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आ जाता है तो इसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं।

पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के तापमान में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसका मानव जाति पर प्रभाव पड़ रहा है।

उद्देश्य – इस पेपर का उद्देश्य वैश्विक तथा भारतीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के कारणों तथा इस हेतु किए गए उपायों का अध्ययन करना है।

अध्ययन स्रोत – इस पेपर हेतु इंटरनेट, समाचार पत्र – पत्रिकाएँ आदि का प्रयोग द्वितीयक डाटा स्रोत के रूप में किया गया।

जलवायु परिवर्तन के कारण:

1. **ग्रीन हाउस गैसों** – इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कार्बन डाई आक्साइड मीथेन, तथा क्लोरोफ्लोरो कार्बन शामिल हैं।

2. **निर्वनीकरण** – औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के कारण वृक्षों की कटाई से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। पेड़ एक प्राकृतिक यंत्र हैं जो कार्बन डाई ऑक्साइड को अवशोषित करते हैं।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्रभाव :

1. **तापमान में वृद्धि** – पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल, वनों की कटाई तथा ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रहा है यदि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने की विशेष उपाय करने की आवश्यकता है अन्यथा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि 10 डिग्री फेरनहाइट तक हो जाएगी।

2. **समुद्र के जल स्तर में वृद्धि** – ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं तथा समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है।

3. **भयंकर तुफान** – तापमान में वृद्धि से नमी अधिक वाष्पित होती है,

जिससे वर्षा एवं बाढ़ में अधिकता आती है। इस कारण भयंकर तुफान आते हैं गर्म होते महासागर उष्णकटिबंधीय तूफानों की आवृत्ति में वृद्धि करते हैं जिससे आने वाले तूफान घर तथा जन समुदाय को नष्ट कर देते हैं यह आर्थिक नुकसान को बढ़ावा देता है।

4. **सूखा** – जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा बढ़ रहा है क्योंकि समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हो रही है। इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव कृषि पर पड़ रहा है तथा पारिस्थितिक तंत्र कमजोर हो रहा है।

5. **जीवों के अस्तित्व पर संकट** – जीवों की अधिकांश प्रजातियाँ भूमि तथा जल पर वास करती हैं। जलवायु परिवर्तन से भूमि तथा समुद्र में जीवों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है। इसके फलस्वरूप अगले कुछ वर्षों में कई लाख प्रजातियाँ नष्ट हो जाएंगी क्योंकि सभी प्रजातियाँ बदलते जलवायु परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित करने में सक्षम नहीं हैं।

6. **समुद्र के तापमान में वृद्धि** – महासागर ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न ताप को सोख लेते हैं। चूंकि गर्म होने पर पानी में विस्तार होता है अतः समुद्र के आयतन में वृद्धि हो रही है। बर्फ की चादर पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। महासागर कार्बनडाईऑक्साइड के अच्छे अवशोषक होते हैं परन्तु अधिक मात्रा में कार्बनडाईऑक्साइड इसकी अम्लीयता को बढ़ा रहे हैं। जिससे मूंगा के अस्तित्व को खतरा है।

7. **पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव** – सबाना से लेकर कारण कटिबंधीय वर्षा वन प्रभावित हो रहे हैं। कीटों, रोगजनक संक्रमणों तथा आक्रामक प्रजातियों का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। इसके कारण वन्यजीव तथा वनस्पतियाँ दोनों प्रभावित हो रहे हैं तथा पारिस्थितिक तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं।

8. **स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ** – चूंकि जलवायु परिवर्तन का असर ऋतु चक्र पर पड़ता है इससे स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

9. **भोजन की कमी** – वर्षा में कमी तथा तापमान में वृद्धि होने से फसल

चक्र पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इससे भोजन में कमी आ रही है अप्रत्याशित बाढ़ तथा लम्बे समय तक रहने वाला सूखा गंभीर तूफान ये सभी फसलों को बर्बाद कर देते हैं।

10. मृदा की गुणवत्ता में कमी – स्वस्थ मृदा कीड़े, बैक्टीरिया, कवक तथा सूक्ष्म जीवों से युक्त होती है। जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है लेकिन जलवायु परिवर्तन से मिट्टी की गुणवत्ता को और अधिक प्रभावित किया है।

11. पशुओं पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव – जलवायु परिवर्तन से उन प्रजातियों को और अधिक खतरा है जो जैव विविधता के कारण संकट में हैं। मुख्य रूप से महासागर तथा भूमि की संरचना में परिवर्तन होना, मछली पालन तथा पशुओं का व्यापार। जलवायु परिवर्तन उन स्थानों की संरचना को बदल देता है जिसके प्रति जीव वर्षों से अनुकूलित हैं। बालरस तथा पेगुइन जैसे वर्ष पर निर्भर रहने वाले प्राणियों का अस्तित्व वर्ष पिघलने के कारण खतरे में है।

जलवायु परिवर्तन रोकने हेतु किए गए वित्तीय उपाय—जलवायु परिवर्तन के संकट का वित्तीय के द्वारा प्रबंधन उतना ही आवश्यक है जितने की अन्य उपाय—

1. व्यापक स्तर पर निवेश के द्वारा उत्सर्जन में कटौती हेतु विभिन्न योजनाएँ तैयार की जा सकती हैं।
2. मानव अधिकार संरक्षण विश्व में जलवायु वित्तीय इन्हीं संदर्भ में एक वैध मांग के रूप में उभर रहा है।
3. प्रदूषण कर्ता भुगतान कर धारणा :- आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा (OECD) पारित है जिसमें जलवायु परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।
4. भारत द्वारा 2005 के स्तर पर 2020 तक सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन की तीव्रता 20-25 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य है।
5. सत्र 2016 की रिपोर्ट :-

सत्र	उत्सर्जन की तीव्रता
2005-2010	12 प्रतिशत कमी

6. UNFCCC :- इसके अंतर्गत कार्यशील वित्तीय तंत्र निम्न है GEF (ग्लोबल एन्वायरमेंट फैसिलिटी) :-

गठन	उद्देश्य	सोर्स
1991	जैवविविधता, जलवायु परिवर्तन, जल भूमि अवमूल्यन, ओजोन क्षरण आदि हेतु परियोजना चलाने के लिए वित्तपोषित करना।	अनुदान व रियायती फंडिंग

अल्पविकसित देश कोष (LDCF) :-

गठन	कार्य
इसका गठन NAPAs के निर्माण एवं क्रियान्वयन सहायता हेतु।	इस कोष द्वारा अल्प विकसित देशों को कृषि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु सूचना में सेवा, आपदा प्रबंधन आदि से मूल्यांकित करना।

SCCF (विशेष जलवायु परिवर्तन कोष) :-

गठन	कार्य
2001	जलवायु परिवर्तन राहत एवं जीवाश्म ईंधन निर्भर देशों को आर्थिक विविधीकरण देना।

एडेप्शन फंड :-

गठन	उद्देश्य	सोर्स
2001	क्वोटो प्रोटोकाल के साझेदार देशों में कार्यक्रमों को वित्त	जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे राष्ट्रों पर ध्यान देना। पोषण करना।

हरित जलवायु कोष (GCF)

गठन	उद्देश्य	सोर्स
2011	जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराना।	2020 तक विकासशील देशों को 100 बिलियन डॉलर उपलब्ध कराना।

पेरिस समझौता :

लक्ष्य :- इस शताब्दी के अंत तक तापमान 2°C के नीचे रखना।
कारण:- 2°C से अधिक वैश्विक तापमान होने पर समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगा। मौसम में बदलाव होगा व जल व भोजन का अभाव होगा।

जलवायु परिवर्तन रोकने हेतु किए जा रहे उपाय:

1. **प्रतिरोधक कृषि को बढ़ावा देना** – भारत को अपनी जलवायु प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक व्यापक क्षेत्रों में अनुकूलन का बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ काम कर रहा है। किसानों को अपने फसल पैटर्न में विविधता लाने, नवीनतम कृषि जानकारी तक पहुँचने, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने, मिट्टी और जल प्रबंधन में सुधार करने में मदद की जाती है।
2. **बांधों को मजबूत करना** – समय के साथ भारत के 5700 बड़े बाँध संरचनात्मक रूप से कमजोर हो गए हैं। विश्व बैंक के समर्थन से भारत बांध पुर्नवास कार्यक्रम लागू कर रहा है। जिसमें 300 बड़े बांधों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे निचले प्रवाह में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के मानक निर्धारित होंगे।
3. **भूजल का संरक्षण** – विश्व बैंक सात राज्यों में भारत की अटल भू जल योजना दुनिया का सबसे बड़ा समुदाय आधारित भूजल प्रबंधन कार्यक्रम का समर्थन कर रहा है। ग्रामीणों को उनके पानी के उपयोग अनुसार बजट बनाने, उचित जल धारण संरचनाओं का निर्माण करने और उचित सिंचाई तकनीकों को उपनाने की आवश्यकता है।
4. **बाढ़ संभावित क्षेत्रों की सुरक्षा** – बिहार की बाढ़ संवेदनशीलता का समाधान करने हेतु विश्व बैंक राज्य को उनके प्रभाव को कम करने में मदद कर रहा है।
5. **सौर ऊर्जा का उपयोग** – कार्बन उत्सर्जन में बिजली क्षेत्र का प्रमुख योगदान है। विश्व बैंक के सहयोग से रीवा सोलर पार्क में 750 मेगावाट का निजी निवेश किया गया है। 1500 की संयुक्त क्षमता वाले तीन अन्य पार्कों को समर्थन दिया जा रहा है। 2016 में विश्व बैंक से भारत में सोलर रूफ टॉप बाजार शुरू करने में मदद की है।
6. **तटों की सुरक्षा हेतु मैंग्रोव लगाना** – मैंग्रोव (कच्छ बनस्पति) समुद्री जीव तथा लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। ये तटीय तूफानों व सुनामी के प्रभाव को कम करते हैं तथा चार गुना कार्बन अधिक सोखते हैं। 2010 से विश्व बैंक मैंग्रोव लगाने और प्रजातियों की विविधता बहाल करने में मदद कर रहा है।
7. **बैटरियों में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रबंधन** – विश्व बैंक बिजली क्षेत्र में बैटरी भंडारण के निवेश को प्रेरित करने तथा इससे जुड़े पारिस्थितिक

तंत्र के साथ मिलकर स्थाई बाजार लगाने में भारत के साथ काम कर रहा है।
8. भविष्य के स्वास्थ्य की रक्षा –जलवायु परिवर्तन से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए स्वास्थ्य की रक्षा विश्व बैंक कार्य कर रहा है।

निष्कर्ष–अतः जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु किए गए विभिन्न उपायों के द्वारा, विश्व बैंक, द्वारा पोषित वित्तीय सहयोग से जलवायु परिवर्तन से

होने वाले हानिकारक प्रभावों को रोका जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रिपोर्ट : द वर्ल्ड बैंक
2. www.worldbank.org
3. जैव विविधता और पर्यावरण
4. इंटरनेट

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019

डॉ. आभा सैनी*

* प्रोफेसर एवं अध्यक्षा (राजनीति विज्ञान) जैन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – नागरिकता एक राजनीतिक स्थिति को दर्शाती है। यह व्यक्ति और राज्य के संबंध को प्रदर्शित करती है। किसी भी देश का नागरिक राजनीतिक समुदाय और राज्य का एक सहभागी सदस्य होता है। किसी भी राष्ट्र में कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करके कोई व्यक्ति नागरिक बन सकता है। इसके बदले में राष्ट्रीय सरकार उसे अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करते हैं और नागरिक कानूनों का पालन करते हैं। किसी भी देश के मान्यता प्राप्त नागरिक होने के अनेक फायदे होते हैं, जैसे वहां पर वोट डालने का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, वह वहां जमीन खरीद सकता है, स्थाई रूप से निवास कर सकता है, रोजगार कर सकता है, उस राष्ट्र में सार्वजनिक पद धारण कर सकता है, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

भारतीय संविधान में नागरिकता – भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग-2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता संघीय सूची का विषय है और संसद के विशेष अधिकार क्षेत्र में आती है। भारतीय संविधान में 'नागरिक' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों को बताया गया है। संविधान के यह अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिए गए थे।

अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का वर्णन है, जिस में जन्म लेने वाले अथवा भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक है तो उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। यदि किसी के सामान्य रूप से निवास की अवधि 5 साल रही हो तो भी वह भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।

अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को पलायन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार बताए गए हैं। 19 जुलाई 1949 से पहले यदि कोई व्यक्ति भारत में प्रवास किया हो और उसकी माता-पिता या दादा-दादी में से कोई भी भारत में जन्म हुआ हो तो वह भारत का नागरिक बन जाएगा लेकिन इसके बाद भारत में आने वाले प्रवासियों को पंजीकरण अनिवार्य होगा।

अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रवासन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों का वर्णन है। यह अनुच्छेद पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है। जिसके अनुसार 1 मार्च 1949 को पाकिस्तान जाने वाले ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिक माना जाएगा जो कुछ समय बाद ही पुनर्वास के लिए भारत में पुनर्वास परमिट पर आ गए हो। जो व्यक्ति पाकिस्तान से पलायन कर रहे थे और वहां से

शरणार्थी घोषित किए गए और फिर भारत में आए तो उनके प्रति भी सहानुभूति रखी गई और उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई।

अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार बताए गए हैं। जिसके अनुसार भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जिसके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई भारत में पैदा हुआ हो तो वह भारतीय राजनयिक मिशन के अंतर्गत भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है।

अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना वर्णित है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा।

अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्व गामी प्रावधान के अनुसार भारत का नागरिक है, वह संसद की बनी हुई कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत भारत का नागरिक बना रहेगा।

अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना उचित है। नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति अथवा इससे संबंधित किसी भी प्रावधान या मसले पर संसद को प्रावधान का अधिकार प्रदान करता है।

भारत में नागरिकता प्राप्ति के तरीके – भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 4 तरीके हैं। धारा 3 के अनुसार जन्म से किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होगी यदि उनका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ है चाहे उसके माता-पिता की राष्ट्रियता कोई भी हो। 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच जन्म लिए हुए व्यक्तियों पर यह प्रावधान लागू होता है लेकिन यदि उसका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 के बीच होता है तो उसके माता-पिता में से यदि कोई भारतीय नागरिक है तभी उसे नागरिकता प्राप्त होगी। 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई भी व्यक्ति तभी भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके माता-पिता में से कोई या दोनों भारत के नागरिक हों और उसका जन्म भारत में हुआ है, जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो।

यदि धारा 4 के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश के आधार पर भारतीय नागरिक है। यदि उसके पिता भारत के नागरिक थे 10 दिसंबर 1992 के बाद और 2 दिसंबर 2004 के बीच वंश के आधार पर उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। दिसंबर 2004 के बाद

यदि कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके माता-पिता को यह बताना होगा कि उसके पास किसी अन्य देश का नागरिकता प्रमाण पत्र पासपोर्ट नहीं है और उसका जन्म भारतीय दूतावास में पंजीकृत हो।

धारा 5 के अनुसार पंजीकरण के द्वारा भी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है बशर्ते कि वह आवेदन करने से पहले 7 साल भारत में रहा हो, ऐसे व्यक्ति जिनके अवयस्क बच्चे भारत के नागरिकों और भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो, भारतीय नागरिक से विवाह करने वाली स्त्री या पुरुष जो पंजीकरण के समय 7 साल से भारत में निवास कर रहे हो।

धारा 6 के अनुसार प्राकृतिक करण के आधार पर भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते कि वह व्यक्ति 12 साल से भारत का नगर निवासी रहा हो और नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में उल्लिखित योग्यताओं को पूरा करता हो।

भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों का प्रावधान करता है अधिनियम में चार बार संशोधन किया गया है। 1986, 2003, 2005 और 2015 (नागरिकता संशोधन अध्यादेश) 1986 का संशोधन जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता का वर्णन करता है। 2003 के संशोधन ने बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए इसके प्रावधान और अधिक कठोर बना दिए गए। इस संशोधन से भारतीय नागरिकता के प्रावधान रक्त संबंध के संकीर्ण सिद्धांतों की ओर बढ़ गए, जबकि इससे पहले यह जन्म के आधार पर थे। अब एक अवैध प्रवासी व्यक्ति प्राकृतिक करण या पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिक नहीं बन सकता है जब तक भारत में 7 साल से भारत का निवासी ना रहा हो।

नागरिकता राष्ट्रीय रजिस्टर 1951 के बाद से तैयार किया गया है। इसमें प्रत्येक गांव के घरों को क्रम में दिखाया गया है और उसमें रहने वाले व्यक्तियों को संख्या और नाम का संकेत दिया गया है। यह केवल एक ही बार 1951 में प्रकाशित हुआ था। 1951 का नागरिकता राष्ट्रीय रजिस्टर और 1971 की मतदाता सूची को एक साथ डिलीवरी डाटा कहा जाता है या लीगेसी डेटा कहा जाता है। जिन व्यक्तियों और उनके वंशजों के नाम इसमें दिखाई देते हैं उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में प्रमाणित किया गया है।

भारतीय नागरिकता समाप्ति के तरीके – किसी भी भारत के नागरिक की नागरिकता निम्न कारणों की वजह से समाप्त हो सकती है:-

1. यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का परित्याग करता है।
2. अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता की समाप्ति।
3. यदि भारत सरकार को यह अनुभव हो कि नागरिकता संविधान के प्रति अनादर किया है या फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की है या भारत से बाहर सात वर्षों से रह रहा हो या युद्ध के समय शत्रु देश के साथ गैरकानूनी रूप से संबंध स्थापित किये हो या शत्रु के साथ कोई राष्ट्रविरोधी सूचना साझा की हो। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के पांच वर्ष के दौरान नागरिक को किसी भी देश में दो वर्ष की कैद की सजा हुई हो।

गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 1.44 लाख थी जो कोविड काल में 85,256 थी वही 2021 में 1.6 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी भारतीय

नागरिकता त्याग दी। बेहतर रोजगार आवास शिक्षा व सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कारणों से यह प्रवास जारी है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 – यह अधिनियम अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन हेतु पात्र बनाता है। 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के किसी भी व्यक्ति और जिसे केन्द्रीय सरकार ने पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के द्वारा या उसके अधीन अथवा विदेशी विषयक अधिनियम 1946 या उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा किए गए आदेशों के लागू होने से छूट दी है को इस अधिनियम के प्रायोजन के लिए अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।

इस अधिनियम की यह भी विशेषता है कि इसमें देशीकरण के लिए भारत में उनके निवास की अपेक्षित अवधि को 11 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया है। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है इस की संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अधीन अधिसूचित आंतरिक रेखा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इसके अंतर्गत यह भी प्रावधान है इसकी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ की तारीख से इसके अंतर्गत आने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अवैध प्रवासन या नागरिकता के संबंध में लंबित कोई भी कार्यवाई उसे नागरिकता प्रदान करने पर समाप्त हो जाएगी।

यह अधिनियम 12 दिसंबर 2019 को पारित किया गया और 10 जनवरी 2020 को अधिसूचित किया गया था। 11 मार्च 2024 को अधिनियम को आधिकारिक रूप से घोषित कर लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन नागरिकता संशोधन अधिनियम की वेबसाइट पर (citizenshiponline.nic.in) आवेदन कर सकते हैं इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1032 है। आवेदन जमा करने की इच्छुक व्यक्तियों को अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अंतर्गत आवेदन करने वालों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अपने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सरकार द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र या पहचान पत्र या शैक्षिक प्रमाण पत्र या लाइसेंस जैसे प्रमाणपत्र स्थानीय स्तर पर जमा करने होंगे और इसमें जिला स्तर पर निर्मित एक कमेटी स्थानीय स्तर के स्वीकृत योग्यता और प्रमाण पत्रों की एवं ऑनलाइन प्रार्थना पत्र की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आलोचकों के द्वारा इस नियम की अनेक आधारों पर आलोचना की गई है जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव करने का विशेषकर मुसलमानों को बाहर करने के लिए इस अधिनियम का निर्माण जैसा आरोप लगाया गया है। तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार जैसे अन्य क्षेत्रों से सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों के बहिष्कार पर भी सवाल उठाए गए हैं उन्हें इसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है। असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अधिनियम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए जिसमें यह आरोप लगाया की शरणार्थियों और अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से उनके राजनैतिक अधिकार, संस्कृति और भूमि अधिकारों का नुकसान होगा एवं बांग्लादेश से आगे प्रवासन को बढ़ावा मिलेगा। कानून के पारित होने के बाद भारत में बड़े पैमाने पर विरोध और प्रदर्शन किए गए। राजनीतिक दलों कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, एडीएमके जैसे दलों ने इसका पूर्ण

विरोध किया। कुछ राज्यों ने घोषणा भी की कि वे इस अधिनियम को लागू नहीं करेंगे और यह अत्यधिक कानूनी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है तनाव, असुरक्षा, चिंता और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देता है। आलोचकों का तर्क यह भी है कि यह अधिनियम आने के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का प्रभाव खत्म हो जाएगा और ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है जो कि नागरिकों और विदेशियों को समानता एवं अधिकार की गारंटी देता है।

सरकार के द्वारा अलोचनाओं का जवाब देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि नागरिकता केंद्र का विषय है और यह अधिनियम उन लोगों के लिए वरदान है जो विभाजन का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक गणराज्य है जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक स्थिति में है इसलिए उन्हें उत्पीड़ित अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि नागरिकों की भाषाएँ सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान संरक्षित रखी जाएगी। इस अधिनियम से भारत के विदेश नागरिकों काई के रद्दकरण से पूर्व भारत के काईधारक विदेशी नागरिकों

को यह अधिनियम सुनवाई का अवसर प्रदान करता है इससे पूर्व इस तरीके का उपबंध उपलब्ध नहीं था। यह अधिनियम संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले पूर्वोत्तर राज्यों की देश जनसंख्या को प्रदान की गई संवैधानिक गारंटी की संरक्षा करने के लिए और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 की आंतरिक रेखा प्रणाली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को प्रदान किए गए कानूनी संरक्षण के लिए भी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. बसु दुर्गादास, 'भारत का संविधान : एक परिचय', नेक्सस नई दिल्ली।
2. www.hindustantimes.com
3. www.jagranjosh.com
4. www.thehindu.com
5. www.drishtiiias.com
6. <http://citizenshiponline.nic.in>
7. <http://loksabhadocs.nic.in>

सोशल मीडिया का युवाओं पर प्रभाव

डॉ. सोनिका बघेल*

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय आदर्श महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.) भारत

मुख्य शब्द – सोशल मीडिया, नैतिक मूल्य, समाज, अपराध, इंटरनेट, नेट वर्किंग, सोशल साइट जीवन शैली, युवा।

प्रस्तावना – सोशल मीडिया का प्रयोग वर्तमान में तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ ही इसका प्रभाव बढ़ रहा है। सोशल मीडिया का उपयोग युवाओं में तेजी से हो रहा है संपर्क के साधन के साथ राजनीति अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोग तेजी से हो रहा है, इसके कारण समाज में प्रत्येक पहलुओं पर विशेष कर युवाओं के नैतिक और सामाजिक मूल्यों के साथ-साथ युवाओं के जीवन शैली और विचारों को प्रभावित कर रहा है।

सोशल मीडिया युवाओं पर अपनी निजी जिंदगी खोलने लगा है साथ ही प्रमाणित खबरों को वह सच मानने लगा है जिसके कारण सोशल मीडिया का नकारात्मक पहलू बढ़ रहा है, प्रस्तुत लेख में सोशल मीडिया के प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन निम्न प्रकार विश्लेषित किया गया है।

सोशल मीडिया की परिभाषा में कहा गया है कि, यह इंटरनेट आधारित अनुप्रयोग का ऐसा समूह है जो प्रयोग जनित सामग्री के सृजन और आदान-प्रदान की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया मोबाइल और वेब आधारित प्रौद्योगिकी ओर प्रौद्योगिकी से ऐसे क्रियाशील मंचों का निर्माण करता है। जिनके माध्यम से व्यक्ति और समुदाय प्रयोग जनित सामग्री का संप्रेषण कर सकते हैं, उसी प्रकार विचार विमर्श कर सकते हैं और उसका परिष्कार कर सकते हैं संगठन समुदायों और व्यक्तियों के बीच महत्वपूर्ण और व्यापक परिवर्तन को अंजाम देते हैं।

सोशल मीडिया सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिन्कदे, युटुब, टेस्ट माय स्पेस, साउंडक्लाउड और इसे अन्य साइट्स पर इस्तेमाल करता है, इनको विचार विमर्श सृजन सहयोग करने तथा टैक्स इमेज ऑडियो और वीडियो रूपों में जानकारी में हिस्सेदारी करने और उसे परेशान उसे परिष्कृत करने की योग्यता और सुविधाएं प्रदान करता है, यह सच है कि सोशल मीडिया ने इंटरनेट का लोकतंत्रिकीकरण किया है और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय है कि उसने भाषण और अभी व्यक्ति के आदर्शों को आदर्श को संरक्षित किया है। किंतु इसके साथ ही यह भी उतना ही सही है कि दैत्यों को भी जन्म दिया है जो घातक है हाथ में रखे जाने वाले मोबाइल स्मार्टफोन टैबलेट की संख्या तेजी से बढ़ रही है और उपकरणों के जरिए इंटरनेट की उपलब्धता से वास्तविक समाजीकरण के तात्कालिक भावना कई गुना बढ़ गई है इसके जरिए न केवल अति संवेदनशील और युवा दिलों को प्रभावित करने वाली अनुचित अनुचित सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है। बल्कि निर्धन्य मानसिकता और व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के

जैन-धनी प्रयाग जनों से माध्यम से छूट मिल जाती है। साइबर रनिंग साइबर स्टॉकिंग ऑफ फाइव फैलाने वाले दुष्कर्म इस भाई वह दैत्य के मामूली नमूने हैं सोशल मीडिया ने इस्तेमाल करता जनित सामग्री के जरिए सर्वाधिक सार्वजनिक जीवन के जाने-माने व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचा है। इसने लोगों के व्यक्तिगत रूप से मिलने की प्रवृत्ति पर विपरीत असर डाला है। जहां पारंपरिक ढंग से एक दूसरे से मिलने और बातचीत करने में समय किसी के पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद डिजिटल स्पेस सामाजिक नेटवर्किंग के नित्य ने आयाम और आकर्षक उपलब्ध करा रहा है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्र में सोशल मीडिया के प्रयोक्ताओं की संख्या दिसंबर 2012 में 62 करोड़ पहुंच चुकी थी। शहरी भारत में प्रत्येक चार में से तीन व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं, मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए सोशल नेटवर्किंग एक्सेस के औसत आवृत्ति 1 सप्ताह में 7 दिन फेसबुक को भारत में 97% सोशल मीडिया प्रयोक्ताओं द्वारा एक्सेस किया जाता है। भारतीय सोशल मीडिया पर हर रोज औसत लगभग 30 मिनट व्यतीत करते हैं सस्ते मोबाइल हैंडसेट आसानी से उपलब्ध होने के कारण यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल और सोशल मीडिया नेटवर्किंग के इस्तेमाल से भारत में आने वाले कुछ वर्षों में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आज यह देखा जा रहा है कि मोबाइल फोन के जरिए सोशल नेटवर्किंग के इस्तेमाल में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। मोबाइल फोन का प्रसार अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग फोन अपना रहे हैं जिनके विशिष्ट अनेक विशेषताएं होती हैं और स्मार्टफोन की संख्या लोगों के पास बढ़ती जा रही है। इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग साइट भारत में सामाजिक सक्रिय इंटरनेट प्रयोक्ताओं के आधार पर तेजी से प्रसार कर रही है मोबाइल इंटरनेट सस्ता होने के कारण इसमें वृद्धि हो रही है।

युवाओं में बढ़ती अति सक्रियता वह उसके दुष्परिणाम वर्तमान समय में सोशल मीडिया के प्रयोग ने युवाओं को समय से पहले आक्रांत कर दिया है, युवक तुरंत पहचान बनाना चाहता है। बिना इंतजार किया प्रतिष्ठित होना चाहता है, और जब वह जहां पूरी नहीं होती तो वह आक्रामक व आपराधिक कार्यों को करने से नहीं डरते, नकारात्मक प्रवृत्ति पर रोग जरूरी सोशल मीडिया के फायदे तो बहुत है पर इसे युवाओं को भ्रमित खूब किया है इस पर धार्मिक उन्माद बने करने वाले बयान नहीं आना चाहिए। अश्लील वीडियो पर पाबंदी होनी चाहिए और इस पर प्रभावी अंकुश के लिए कठोर

कानून बनाकर कठोर कार्रवाई की जाना होगी। इस पर प्रभावी अंकुश के लिए कठोर कानून बनाकर कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए।

साइबरबुलिङ्ग सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव :

1. मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ
2. सामाजिक संबंध
3. 'टेक एडिक्शन'
4. पूर्वाग्रहों पुष्टि
5. अनलाइन सोशन

कई अध्ययनों में सोशल मीडिया के उपयोग और अवसाद के बीच घनिष्ठ संबंध पाया गया है। एक अध्ययन के अनुसार, मध्यम से गंभीर अवसाद लक्षण वाले युवाओं में सोशल मीडिया का उपयोग करने की संभावना लगभग दोगुनी थी। सोशल मीडिया पर किशोर अपना अधिकांश समय अपने साथियों के जीवन और तस्वीरों को देखने में बिताते हैं। यह एक निरंतर तुलनात्मकता की ओर ले जाता है, जो आत्म-सम्मान और 'बॉडी इमेज' को नुकसान पहुँचा सकता है और किशोरों में अवसाद एवं चिंता की वृद्धि कर सकता है।

1. सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप स्वास्थ्यप्रद, वास्तविक दुनिया की गतिविधियों पर कम समय व्यय किया जाता है। सोशल मीडिया फीड्स को स्क्रॉल करते रहने की आदत जिसे 'वैम्पिंग' कहा जाता है, के कारण नींद की कमी की समस्या उत्पन्न होती है।
2. किशोरावस्था सामाजिक कौशल विकसित करने का एक महत्वपूर्ण समय होता है। लेकिन, चूँकि किशोर अपने दोस्तों के साथ आमने-सामने कम समय बिताते हैं, इसलिये उनके पास इस कौशल के अभ्यास के कम अवसर होते हैं।
3. वैज्ञानिकों ने पाया है कि किशोरों द्वारा सोशल मीडिया का अति प्रयोग उसी प्रकार के उत्तेजना पैटर्न का सृजन करता है जैसा अन्य एडिक्शन व्यवहारों से उत्पन्न होता है।
4. सोशल मीडिया दूसरों के बारे में उनके पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों की पुनःपुष्टि का अवसर प्रदान करता है। समान विचारधारा वाले लोगों से ऑनलाइन मिलने से इन प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है क्योंकि उनमें समुदाय की भावना का विकास होता है। उदाहरण: फ्लैट अर्थ सोसाइटी।
5. इसने गंभीर समस्याएँ पैदा की हैं और यहाँ तक कि किशोरों के बीच आत्महत्या के मामलों को भी जन्म दिया है। इसके अलावा, साइबर बुलिङ्ग जैसे कृत्य में संलग्न किशोर मादक पदार्थों के सेवन, आक्रामकता और आपराधिक कृत्य में संलग्न होने के प्रति भी संवेदनशील होते हैं।

6. संयुक्त राज्य अमेरिका में किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल सभी अमेरिकी बच्चों में से लगभग आधे ने संकेत दिया कि उन्हें ऑनलाइन रहते हुए असहज महसूस कराया गया, उन्हें धमकाया गया या उनसे यौन प्रकृति का संवाद किया गया। एक अन्य अध्ययन में, यह पाया गया कि ऑनलाइन यौन शोषण के शिकार लोगों में से 50 प्रतिशत से अधिक 12 से 15 वर्ष की आयु के बीच के थे।
7. सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हर मिनट, हर घंटे, हर दिन नई जानकारीयें अपलोड की जा रही हैं, लेकिन इस वर्चुअल वर्ल्ड में अब यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन की जानकारी सही है और कौन सी गलत। इसके कंटेंट पर किसी का कंट्रोल न होने से गलत जानकारीयों के साथ फोटो व वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। आधी अधूरी जानकारीयें युवाओं पर सकारात्मक प्रभाव के साथ नकारात्मक प्रभाव भी डाल रही हैं।
8. अगर आप समाज से अलग-थलग महसूस करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप पर ज्यादा समय बिताते हैं, तो एक नये शोध के अनुसार, इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। सोशल मीडिया से युवाओं में अवसाद बढ़ रहा है। फेसबुक से डिप्रेशन का खतरा 7% और चिड़चिड़ापन का खतरा 20% बढ़ा है। सोशल मीडिया ने मोटापा, अनिद्रा और आलस्य की समस्या बढ़ा दी है। 'फियर ऑफ मिसिंग आउट' को लेकर भी चिंताएं बढ़ गयी हैं। स्टडी के मुताबिक, सोशल मीडिया से सुसाइड के मामले बढ़े हैं। इंस्टाग्राम से लड़कियों में हीन भावना आ रही है। सोशल मीडिया चेक और स्क्रॉल करना, पिछले एक दशक में तेजी से लोकप्रिय गतिविधि बन गयी है। अधिकांश लोगों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग करने से ऐसा हो रहा है। वास्तव में, सोशल मीडिया एक व्यावहारिक लत है, जो इस प्लेटफॉर्म पर लॉग ऑन करने या उपयोग करने के लिए एक अनियंत्रित आग्रह से प्रेरित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दयाल, डॉ. मनोज, मीडिया शोध, हिसार, हरियाणा ग्रन्थ अकादमी।
2. कुमार, विजय, 'कहां पहुंचा रहे हैं अंतरंगता के नए पुल' : नवनीत हिंदी डायजेस्ट (मुम्बई), पृष्ठ- 18
3. द्विवेदी, संजय, (2012) 'सोशल मीडिया के सामाजिक प्रभाव' : पंचनद रिसर्च जर्नल, अंक सं 19
4. भाटिया, चेतना, (2012) 'सामाजिकता के आईने में सोशल मीडिया' : पंचनद रिसर्च जर्नल, अंक सं 19
5. मानस, जयप्रकाश, (2012) 'नागरिक पत्रकारिता का प्रातः काल' : मीडिया विमर्श, वर्ष 6, अंक सं 24

The Future of Military Applications of Artificial Intelligence: An overview of the Role for Confidence-Building Measures

Santosh Ambhore* Ashok Shrama**

*Department of Chemistry, Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

** Department of Military Science, Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - Artificial intelligence (AI) has become a reality in today's world with the rise of the 4th industrial revolution, especially in the armed forces. Military AI systems can process more data more effectively than traditional systems. Due to its intrinsic computing and decision-making capabilities, AI also increases combat systems' self-control, self-regulation, and self-actuation. Artificial intelligence is used in almost every military application, and increased research and development support from military research agencies to develop new and advanced AI technologies is expected to drive the widespread demand for AI-driven systems in the military. This paper will discuss several AI applications in the military, as well as their capabilities, opportunities, and potential harm and devastation when there is instability. The paper looks at current and future potential for developing artificial intelligence algorithms, particularly in military applications. Most of the discussion focused on the seven patterns of AI, the usage and implementation of AI algorithms in the military, object detection, military logistics, and robots, the global instability induced by AI use, and nuclear risk. The paper also looks at the current and future potential for developing artificial intelligence algorithms, particularly in military applications.

Introduction - Artificial intelligence is a type of computer technology which is concerned with making machines work in an intelligent way, similar to the way that the human mind works.

The abbreviation AI is also used. Artificial Intelligence is the developing arena of computer sciences wherein technology is advanced to make computers behave like Human Nervous system majorly brain. Artificial Intelligence has advanced in fields such as Computer games, Neural networks, Natural language, Expert Systems and Robotics. Artificial Intelligence research covers a broad range of topics that include knowledge representation, machine learning, natural language processing, computer vision, reasoning and logic, robotics, information systems, motion planning, Speech Technology, Speech Recognition, and Image Processing.

In short, Artificial Intelligence (AI) is the science of mimicking human intelligence inside a computer. In addition to Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG), and Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Oracle Corporation (NYSE:ORCL) is one of the biggest AI companies in the world. John McCarthy is considered as the father of Artificial Intelligence. John McCarthy was an American computer scientist. The term "artificial intelligence" was coined by him.

The journey of AI in India can be traced back to the late 20th century when research and development in the field were in their nascent stages. Educational institutions such as the Indian Institutes of Technology (IITs) played a pivotal role in nurturing talent and fostering AI research. Birth of AI 1950-1956 Alan Turing published his work "Computer Machinery and Intelligence" which eventually became The Turing Test, which experts used to measure computer intelligence. The term "artificial intelligence" was coined and came into popular use. AI entered India through the works of professor H.N. Mahabala in the 1960s. Knowledge-Based Computing Systems (KBCS) created in 1986 by UNDP also paved way for India to focus on AI. The history of AI in India dates back to the 1980s when the Indian government and research institutions started investing in AI research and development. One of the pioneers in AI in India is Prof. Raj Reddy, who is known for his contributions to AI and robotics. The impact of AI in India started to become more significant in the early 2000s with the growth of the IT industry and the emergence of startups focusing on AI and machine learning. Today, AI is influencing various sectors in India, including healthcare, finance, agriculture, and education.

Artificial intelligence (AI) has been gradually improving and becoming a more efficient way worldwide with the help of data, computer processing power, and machine learning

developments, especially during the last two decades. As a result, AI is being used increasingly and more frequently in the daily life of various sectors. A few of the various uses of this technology include speech recognition, biometric authentication, mobile mapping, navigational systems, transportation and traffic control, management, manufacturing, supply chain management, data collection, and control targeted online marketing. Therefore, it should come as no surprise that AI has many applications in the military sector also, in a vast range. Military capability is the current measurement index when determining a country or nation's "Power force." The U.S. Department of Defense defines military competence or capability as "the ability to achieve a certain combat objective (win a war or battle, destroy a target set)." It is directly or indirectly influenced by modernization, structure, preparedness, and sustainability. The equipment, arsenal, and level of technical sophistication largely determine the degree of modernization.

The Internet is replacing the conventional way of initiating war instigated from the start of the Second World War. Studies show that hacking attacks on for-profit companies and governmental institutions around the AI sector are more common now. According to researchers, modern autonomous systems and artificial intelligence (AI) are expected to be crucial in future military confrontations. Recent scientific publications show how prevalent neural network technology is today in the cyber fight. The development of intelligent transport systems (ITS) is one of the major examples, along with forecasting and assessing environmental phenomena, separating informational tweets from non informational ones (containing information that are rumors or non detailed irrelevant data), and forecasting dynamic FX conventional markets. This type of enhancer helps in the military sector in various ways and turns out to be the greatest weapon in developing military capability.

Data on a wide range of resources and capabilities (human resources combat and support vehicles, helicopters, cutting-edge intelligence, and communication equipment, artillery, and missiles) that can carry out complex tasks of various types, such as intelligence gathering, movements, direct and indirect fires, infrastructure, and transports, should be considered in military decisions. For instance, the decisional component necessitates an integrated framework that can carry out the necessary processes, from capturing a high-level course of action (CoA) to implementing a thorough analysis/plan of activities. One possibility is to build the approach on several AI methods, such as qualitative spatial interpretation of CoA diagrams and interleaved adversarial scheduling, and many others likewise enhance the military world in different paths.

Seven Patterns of AI: There are many applications for AI, including chatbots, automated drones, facial recognition, virtual assistants, cognitive automation, fraud detection, autonomous vehicles, and applications for predictive

analytics. However, regardless of how AI is applied, each of these applications has something in common. Despite the variety of applications, people who have created hundreds or even thousands of AI projects know that every AI use case falls into one or more of seven categories, as shown in figure below.



Impact of AI in the Indian Army: Indian Army Day is celebrated annually on January 15 to commemorate the 1949 commissioning of the Indian Army's first Indian contingent. The impact of AI is transforming industries worldwide. The worldwide expenditure on AI reached \$118 billion in 2022 and is expected to exceed \$300 billion by 2026. Like other sectors, the influence of AI has resulted in a growing trend of global militaries using AI in their combat systems. The defence sector uses AI-based technologies for training, surveillance, logistics, cyber security, UAV, advanced military weaponry like laws, autonomous combat vehicles, and robotics. Rajnath Singh, the Indian Defence Minister, unveiled 75 recently created AI technologies on July 11, 2022. This event occurred at the inaugural 'AI in Defence' (AIDef) symposium and exhibition organized by the Ministry of Defence in New Delhi.

Furthermore, the minister emphasized the significance of promptly incorporating advanced technologies such as AI and Big Data in the defense sector. It is crucial to ensure we remain up-to-date with technical advancements and fully leverage technology for our services.

Applications of AI in Defence:

1. Border monitoring can be enhanced by integrating cameras, radar feeds, sensors, and other technologies aided by AI-based solutions.
2. These advanced technologies aid in identifying border breaches, categorizing targets, and improving the precision of defense operations.
3. Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) - Drones outfitted with AI-based aircraft technology are highly proficient in conducting day and night surveillance operations, encompassing border control and comprehensive surveillance.
4. Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS) are equipped with integrated sensors and pre-programmed algorithms that assist in identifying, selecting, and tracking hostile targets.

5. These weapons can engage targets independently and thus reduce the need for personnel.
6. Autonomous armoured vehicles and robots perform unattended, real-time surveillance, transport injured individuals, and carry supplies under challenging locations, including deserts and mountainous areas.
7. Robots demonstrate superior performance in hazardous and high-pressure environments, surpassing the skills of humans.
8. Data management - AI can analyze and utilize unutilized or underutilized data, generating more practical and valuable insights for the Indian armed forces. It will improve the capabilities of Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR).
9. Pattern recognition - AI can analyze data from many sources and discern patterns.
10. The purpose of this technology is to forecast possible terrorist attacks and insurgency activity and propose proactive measures.
11. Training and simulation encompass a range of disciplines that utilize system and software engineering principles to develop models that aid soldiers in training for various combat systems employed in real-world military missions.

AI Adoption in the Indian Military:

1. The Ministry of Defence's Department of Defence Production established a task force in February 2018 to examine the prospective implementation of AI in defence contexts. Its report was submitted in June 2018 under the "Strategic Implementation of AI for National Security and Defense" task force. In 2019, a Defence AI Project Agency (DAIPA) and a Defence AI Council (DAIC) were established by the task force's recommendations.
2. The DAIC comprises the three service commanders, the defence secretary, the national cyber security coordinator, and representatives from the DRDO, industry, and academia. The defense minister chairs it. The DAIC is tasked with convening biannually to deliver essential guidance that facilitates and executes policy-level modifications, operational framework development or customization, and structural support.
3. The ex officio president of the DAIPA is the Secretary (Defense Production), while members are selected from academia, industry partners, the services, Defense Public Sector Undertakings, DRDO, and the DAIPA. The DAIPA shall establish and implement benchmarks for AI initiatives' technology development and delivery process and consult user groups regarding the adoption strategy for AI-led and AI-enabled systems and processes.
4. At the level of the Defense Ministry, these are plausible measures; however, they must be supplemented with modifications to organizational structure, planning, and processes at the level of the end users, namely the

military. Adoption of artificial intelligence will be inconsistent and suboptimal unless the military is adequately prepared to assimilate this technology.

Conclusion: AI is not a military plug-and-play technology. Some basic applications may fit into this category. Still, the Indian military must improve its data management and network systems, build acceptable organizational structures, and comprehensively prepare its staff to utilize AI. Technology's availability is less important than how to use it to improve our military.

The contributions of this paper are for the advancement of AI in the military capabilities, and the significance of this narrative review is to identify several key applications of AI in the military, including target recognition, surveillance, homeland security, cyber security, transportation and logistics, autonomous vehicles, and combat training. We have also highlighted the potential benefits of using AI in these areas, including increased efficiency, accuracy, and decision-making capabilities. The paper also identifies several challenges and potential risks associated with using AI in the military, such as the potential for malfunction, hacking, and other forms of cyber attacks. The ethical and legal implications of using AI in the military are discussed in detail, particularly in relation to issues such as autonomous weapons and the potential for unintended harm.

The study has the potential to inform policy and decision-making in this area, particularly in relation to issues such as military modernization and preparedness. The research findings could potentially aid in developing guidelines and regulations for the responsible use of AI in military settings.

References:-

1. A. Anastassov, "Artificial intelligence and its possible use in international nuclear security law," *BAS Humanities and Social Sciences*, vol. 1, 2021.
2. A. Mishra and P. Yadav, "Anomaly-based ids to detect attack using various artificial intelligence & machine learning algorithms: a review," in *Proceedings of the 2nd International Conference On Data, Engineering And Applications (IDEA)*, pp. 1-7, Bhopal, India, February 2020.
3. H. M. Chuang and D. W. Cheng, "Conversational AI over military scenarios using intent detection and response generation," *Applied Sciences*, vol. 12, no. 5, p. 2494, 2022.
4. H.-M. Chuang and D.-W. Cheng, "Conversational AI over military scenarios using intent detection and response generation," *Applied Sciences*, vol. 12, no. 5, p. 2494, 2022.
5. J. Dalzochio, R. Kunst, J. L. V. Barbosa et al., "Predictive maintenance in the military domain: a systematic review of the literature," *ACM Computing Surveys*, vol. 55, 135 pages, 2023.

6. J. Johnson, "Artificial intelligence in nuclear warfare: a perfect storm of instability?" *The Washington Quarterly*, vol. 43, no. 2, pp. 197–211, 2020.
7. JM. Bistrion and Z. Piotrowski, "Artificial intelligence applications in military systems and their influence on sense of security of citizens," *Electronics*, vol. 10, no. 7, p. 871, 2021.
8. M. Taddeo, D. McNeish, A. Blanchard, and E. Edgar, "Ethical principles for artificial intelligence in national defence," *Philosophy & Technology*, vol. 34, no. 4, pp. 1707–1729, 2021.
9. M. Voskuijl, "Performance analysis and design of loitering munitions: a comprehensive technical survey of recent developments," *Defence Technology*, vol. 18, no. 3, pp. 325–343, 2022.
10. O. Gillath, A. Ting, M. S. Branicky, S. Keshmiri, R. B. Davison, and S. Ryan, "Attachment and trust in artificial intelligence," *Computers in Human Behavior*, vol. 115, 2021.
11. P. Sharma, K. K. Sarma, and N. E. Mastorakis, "Artificial intelligence aided electronic warfare systems- recent trends and evolving applications," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 224761–224780, 2020.
12. Rhodes, B.J.; Bomberger, N.A.; Seibert, M.; Waxman, A.M. Maritime situation monitoring and awareness using learning mechanisms. In Proceedings of the MILCOM 2005-2005 IEEE Military Communications Conference, Atlantic City, NJ, USA, 17–20 October 2005; pp. 646–652.
13. Svenmarck, P.; Luotsinen, L.; Nilsson, M.; Schubert, J. Possibilities and Challenges for Artificial Intelligence in Military Applications. In Proceedings of the NATO Big Data and Artificial Intelligence for Military Decision Making Specialists' Meeting, Bordeaux, France, 31 May 2018.
14. Varma, A.; Sarma, A.; Doshi, S.; Nair, R. House Price Prediction Using Machine Learning and Neural Networks. In Proceedings of the 2018 Second International Conference on Inventive Communication and Computational Technologies (ICICCT), Coimbatore, India, 20–21 April 2018; pp. 1936–1939.
15. Wong, Y.H.; Yurchak, J.; Button, R.W.; Frank, A.; Laird, B.; Osoba, O.A.; Steeb, R.; Harris, B.N.; Bae, S.J. *Deterrence in the Age of Thinking Machines*; RAND Corporation: Santa Monica, CA, USA, 2020.

राजगढ़ जिले का जनसंख्या स्वरूप सम्बन्धी- एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ. रानी वारकेल*

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – किसी देश के संसाधनों के बहुमुखी, मितव्ययपूर्ण उपयोग एवं समुचित राष्ट्रीय विकास में जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तथा देश की प्रौद्योगिक एवं व्यापारिक उन्नति वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या, जनघनत्व, कुशलता व क्षमता एवं व्यक्तियों के स्वभाव पर निर्भर करती है।

शब्द कुंजी – जनांकीकी, संसाधन, घनत्व, लिंगानुपात, अपवाह तंत्र।

प्रस्तावना – किसी देश में उपलब्ध विविध संसाधनों के विकास के माध्यम से राष्ट्र के क्षमतावान विकास एवं आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार का माध्यम तो मानवीय गुणोत्तरता ही है। किसी भी क्षेत्र के लिए जनसंख्या उसके जीवन में सत प्रवाह की तरह होती है, इसलिए जनसंख्या अध्ययन के अभाव में क्षेत्र के किसी भी तत्व का अध्ययन पूर्ण नहीं होता है।

भूगोल वह अनुशासन है, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों, क्षेत्रों के परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन एवं उनकी व्याख्या मानव संसार के रूप में करता है। भूगोल के अध्ययन में भू-स्वरूप एवं मानव दो प्रधान व महत्वपूर्ण शीर्षक हैं। भूगोल इन्हीं दो घटकों का परस्पर सम्बन्धों से उत्पन्न विविध परिवर्तों वितरणों तथा सम्मिश्रण अन्तर्सम्बन्धों का विश्लेषण करता है।

मानव समस्त विज्ञानों का अध्ययन करता है लेकिन इसके साथ ही वह अनेक विज्ञानों का अध्ययन क्षेत्र भी है। लगभग सभी सामाजिक विज्ञान मनुष्य और इसके कार्यों का अध्ययन करते हैं लेकिन प्रत्येक विज्ञान उसे एक विषिष्ट दृष्टिकोण से अध्ययन करता है।

वर्तमान में मानव विभिन्न प्रकार के भौगोलिक अध्ययन का मुख्य केन्द्र बिन्दु है। मानव भौगोलिक ज्ञान की धुरी है इसलिए जनांकीकी का अध्ययन मानव रूप करना चाहिए जिससे मनुष्य को अनेक भागों में घटित घटनाओं का ज्ञान हो सकेगा।

‘मानव संसाधन की उत्कृष्ट क्षमता ही विकास के द्वार की प्रथम कुंजी है।’ अतः किसी देश या प्रदेश के समुचित विकास हेतु उसी जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना आवश्यक है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय – राजगढ़ जिला म.प्र. के पश्चिमी भाग में स्थित है। राजगढ़ जिले की सीमा उत्तर में राजस्थान, दक्षिण में शाजापुर जिले से, दक्षिण पूर्व में सीहोर जिले से, पश्चिम में आगर मालवा से स्पर्श करती है। राजगढ़ जिला भौगोलिक दृष्टि से 23° 28' से 24° 16' उत्तरी अक्षांश एवं 76° 12' से 77° 15' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिम भाग में स्थित राजगढ़ जिला मालवा पठार के उत्तरी भाग में स्थित है।

और पार्वती नदी जिले की पूर्वी सीमा बनाती है।

मध्यप्रदेश राज्य के पश्चिम भाग में स्थित राजगढ़ जिला मालवा पठार के उत्तरी भाग में स्थित है और पार्वती नदी जिले की पूर्वी सीमा बनाती है। जिले का क्षेत्रफल 6153 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से म.प्र. का 25 वाँ जिला है। राजगढ़ जिले का गठन वर्ष 1956 में किया गया है। राजगढ़ जिला प्रदेश की राजधानी भोपाल से 145 कि.मी. दूरी पर स्थित है। जिले की कुल 1545814 है।

वन क्षेत्र की अधिकता होने के कारण अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक मौसम होता है। जिले में औसत वर्षा 44 इंच तक होती है। अपवाह तंत्र के अंतर्गत राजगढ़ जिले में पार्वती नदी, कालीसिन्ध नदी एवं नेवज नदियाँ हैं। जिले में 57.197 वर्ग कि.मी. आरक्षित वन क्षेत्र है। जिले के वनों में चीतल सांभर, नीलगाय मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य प्रमुख है। जिले में काली मिट्टी और हल्के लाल रंग की मिट्टी पायी जाती है। अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कुण्डलिया परियोजना, कालीसिन्ध नदी पर निर्माणाधीन है। जिले में सहरिया, सौर इत्यादि जनजाति निवास करती है। अध्ययन क्षेत्र की मुख्य बोली मालवी है। परिवहन की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग NH-752B, NH-752C, NH-12 नेशनल हाइवे मार्ग गुजरते हैं। जिले में पर्यटन स्थल जैसे- नरसिंहपुर किला, कपिलेश्वर मंदिर, ब्यावरा मॉडू, नरसिंहपुर जालपामाता मंदिर इत्यादि स्थित हैं।

अध्ययन का उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र में म.प्र. राज्य के राजगढ़ जिले का जनांकीकी स्वरूप-एक भौगोलिक अध्ययन के संदर्भ में प्रस्तुत किया।

1. अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि की स्थिति ज्ञात करना।
2. अध्ययन क्षेत्र में जनांकीकी विशेषता-साक्षरता, जनघनत्व, लिंगानुपात का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन में द्वितीयक स्रोत के माध्यम से आँकड़े संकलित किये गये हैं। जैसे – Census Handbook (वर्ष 1981, 2001, 2011) Rajgath. (M.P.), राजगढ़ विकास योजना pdf 2011, इंटरनेट, पुस्तक इत्यादि।

मानचित्रांकन विधि – शोध पत्र में प्राप्त द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर दण्ड अरेख, इत्यादि मानचित्रांकन विधि का प्रयोग किया है।

आँकड़ों का सारणीयन एवं विश्लेषण – प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन क्षेत्र में जनांकिकी स्वरूप किस प्रकार है, इसे प्रदर्शित व जानने का प्रयास किया है। अतः आँकड़ों का सारणीयन कर उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का जनांकिकी स्वरूप – जनवृद्धि का अर्थ एक विशेष किसी समयावधि में निवास करने वाली जनसंख्या में मात्रात्मक परिवर्तन से है। राजगढ़ जिले में कुल 1728 गांव एवं 07 तहसील है। जनसंख्या वृद्धि की कुल जनसंख्या तथा प्रतिशत दोनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि किसी भी प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण सूचक होती है।

तालिका क्रमांक - 01: जिला राजगढ़ : जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में) वर्ष 1951 से 2011

वर्ष	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
जनसंख्या वृद्धि	6.37	20.90	24.66	24.37	23.83	26.24	23.30

स्रोत - Census Handbook Rajgadh : 1981 एवं 2011

तालिका क्रमांक - 02: जिला राजगढ़ : कुल जनसंख्या (वर्ष 1981 से 2011)

वर्ष	1981	1991	2001	2011
जनसंख्या	801384	992764	1254085	1545814

स्रोत - Census Handbook Rajgadh : 1981, 2011

अरेख क्रमांक - 01



उपरोक्त तालिका क्रमांक 02 व अरेख क्रमांक 01 से स्पष्ट होता है कि शोध अध्ययन क्षेत्र राजगढ़ जिले में वर्ष 1981 से निरन्तर प्रतिवर्ष जनसंख्या में वृद्धि हुई है।

लिंगानुपात – लिंगानुपात से तात्पर्य प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से है। लिंगानुपात किसी क्षेत्र की वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं का सूचकांक होता है एवं प्रादेशिक विश्लेषण के लिए उपयोगी है। किसी क्षेत्र में लिंगानुपात में परिवर्तन से विभिन्न आयु स्तरों पर पुरुषों व स्त्रियों की जन्म व मृत्यु दर में परिवर्तन तथा प्रवास के स्वरूप का ज्ञान होता है। इससे सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की प्रवृत्ति विश्लेषण एवं जनांकिकी तत्वों के प्रभावों को समझने में सहायता मिलती है। फैंकलिन के

अनुसार 'लिंगानुपात किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का एक सूचक है तथा प्रादेशिक विश्लेषण के लिए अत्यन्त लाभदायक यन्त्र है।'

तालिका क्रमांक - 03

जिला राजगढ़ : लिंगानुपात (वर्ष 2001 एवं 2011)

क्र.	वर्ष	कुल
1	2001	932
2	2011	956

स्रोत - Census Handbook Rajgadh 2011

उपरोक्त तालिका क्रमांक 03 से स्पष्ट है कि वर्ष 2001 में 932 लिंगानुपात रहा जो कि वर्ष 2011 में 956 हो गया अर्थात लिंगानुपात में वृद्धि हुई है।

जनसंख्या वितरण – जनसंख्या वितरण और घनत्व परस्पर संबंधित है लेकिन भिन्न-भिन्न संकल्पनाएँ हैं। जनसंख्या वितरण प्रारूप न केवल मानव के किसी क्षेत्र विशेष में बसाव संबंधित अभिरुचि एवं विरुचि का घोटक है, अपितु क्षेत्र में कार्यरत भौगोलिक कारकों के संश्लेषण का स्पष्ट प्रदर्शक भी होता है। जनसंख्या वितरण क्षेत्रीय प्रतिरूप की ओर इंगित करता है। जनसंख्या वितरण से आशय विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति कितनी संख्या में निवास करने से है।

तालिका क्रमांक - 04 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

अरेख क्रमांक - 02 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्रमांक 04 व अरेख क्रमांक 02 से स्पष्ट होता है कि शोध अध्ययन क्षेत्र राजगढ़ जिले में वर्ष 2001 में कुल जनसंख्या 1253246 थी जो कि वर्ष 2011 में बढ़ कर 1545814 हो गई है।

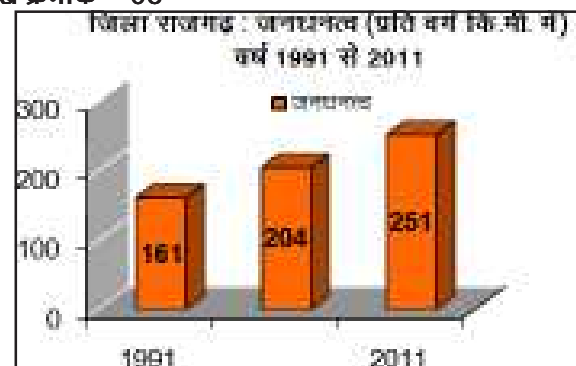
जनसंख्या घनत्व – जनघनत्व से तात्पर्य प्रति इकाई में निवास करने वाले व्यक्तियों से है। अर्थात प्रतिवर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व कहा जाता है। एक संतुलित जनघनत्व किसी क्षेत्र के भावी विकास का अनुमान का मुख्य आधार है। जनसंख्या घनत्व प्राकृतिक सामाजिक, कृषि जैसे विभिन्न कारकों का परिणाम है। अध्ययन क्षेत्र में भौगोलिक विषमता के कारण जनसंख्या घनत्व में काफी विभिन्नता पायी गई है।

तालिका क्रमांक 05: जिला राजगढ़ : जनघनत्व (प्रति वर्ग कि.मी. में) वर्ष 1991 से 2011

क्र.	वर्ष	जनघनत्व
1	1991	161
2	2001	204
3	2011	251

स्रोत - म.प्र. जनगणना वर्ष 2011

अरेख क्रमांक - 03



उपरोक्त तालिका क्रमांक 05 व आरेख क्रमांक 03 से स्पष्ट होता है कि जिले में प्रतिवर्ष जनघनत्व में निरंतर वृद्धि हुई है।

साक्षरता - साक्षरता वह वैयक्तिक गुण है जो व्यक्ति के पढ़ने और लिखने की योग्यता को प्रकट करता है, जनसंख्या भूगोल में साक्षरता को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का एक विश्वसनीय सूचक माना गया है। साक्षरता प्रतिरूप समाज के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गति का सूचक है।

तालिका क्रमांक 06: जिला राजगढ़ : साक्षरता (प्रतिशत में) वर्ष 1991 से 2011

वर्ष	1991	2001	2011
साक्षरता (% में)	25.59	53.70	61.21

स्रोत - Census Handbook 2011

निरक्षरता: कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में जनांकिकी स्वरूप काफी विभिन्नता दृष्टिगत हुई है। राजगढ़ जिले में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ साक्षरता में वृद्धि हुई है जो एक सकारात्मक स्थिति का सूचक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

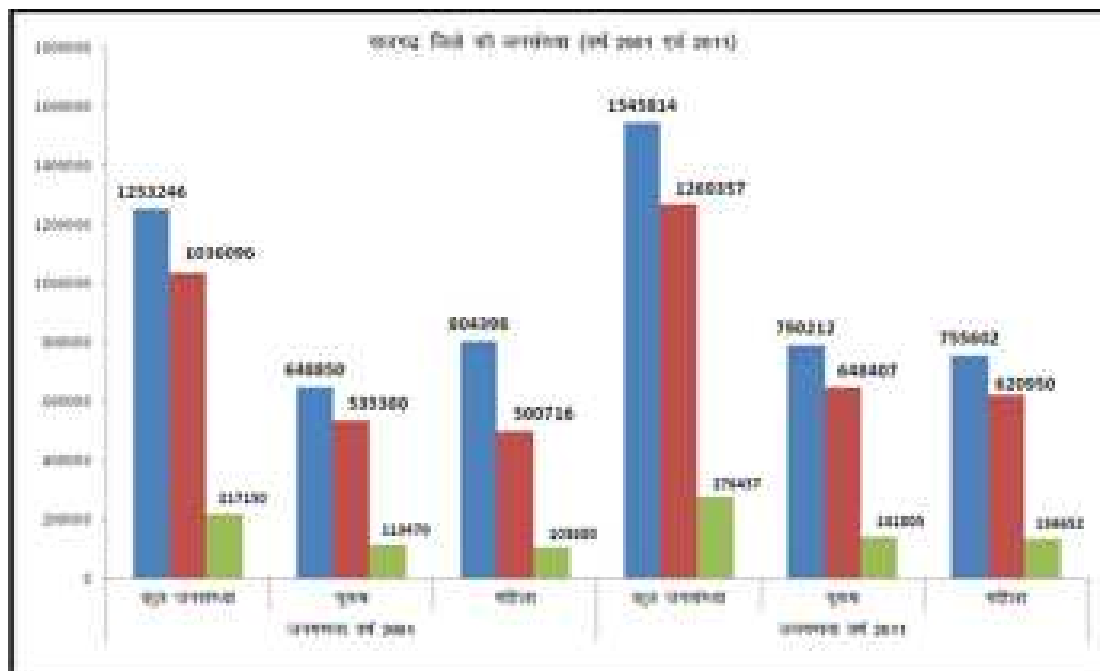
1. Census Handbook Rajgath : 1981 - 2011
2. म.प्र. जनगणना वर्ष 2011,
3. डॉ. चतुर्भुज मामोरिया (2004) 'भारत का वृहत भूगोल', साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृ.सं. 554.
4. पंडा, डॉ. बी.पी. (2004) 'जनसंख्या भूगोल', म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृ.सं. 01.
5. <https://rajgath.nic.in>

तालिका क्रमांक - 04: राजगढ़ जिले की जनसंख्या (वर्ष 2001 एवं 2011)

	जनगणना वर्ष 2001			जनगणना वर्ष 2011		
जिला राजगढ़	कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला	कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला
कुल	1253246	648850	804398	1545814	790212	755602
ग्रामीण	1036096	535380	500716	1269357	648407	620950
नगरीय	217150	113470	103680	276457	141805	134652

स्रोत - Census Handbook 2011 एवं म.प्र. जनगणना वर्ष 2001

आरेख क्रमांक - 02



मध्यप्रदेश स्टार्टअप योजना एवं क्रियान्वयन का अध्ययन

डॉ. रश्मि चौहान*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है एवं आर्थिक विकास में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। राज्य शासन की निवेश मित्र नीतियों, उद्योग एवं व्यापारिक क्षेत्र में सरलीकरण की प्रक्रिया, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना में उल्लेखनीय प्रयासों के फलस्वरूप विगत वर्षों में प्रदेश में निवेश वातावरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य शासन का यह प्रयास रहा है कि नवाचार एवं उद्यमिता के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय युवाओं को अधिकाधिक संख्या में रोजगार सृजन किया जा सके। इस श्रृंखला में म.प्र. द्वारा वर्ष 2016 में प्रथम स्टार्ट-अप नीति लागू की गई थी। स्टार्ट-अप क्षेत्र की गतिशीलता को ध्यान में रखकर पुनः वर्ष 2019 में नवीन स्टार्ट-अप नीति को लागू किया गया। नवाचार एवं स्टार्ट-अप की गतिशीलता, वैश्विक आर्थिक वातावरण में परिवर्तन, विनियामक संशोधनों, भारत सरकार की नवीन शिक्षा नीति एवं राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग एवं इस सबसे ऊपर आत्म निर्भर भारत एवं आत्म निर्भर मध्यप्रदेश योजना, 2023 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नीति का एक और पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। अतः राज्य शासन द्वारा स्टार्ट-अप नीति को और समग्र, समेकित एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 'एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022' लागू करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य शासन ने नवीन नीति अन्तर्गत स्कूल एवं महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष प्रयास किये हैं। नीति को व्यापक रूप से लागू करने के लिए शासन के विभिन्न अंगों को नीति के प्रावधानों को प्रभावी रूप से अंगीकृत करने के लिए समेकित व्यवस्था की गई है। नीति को मात्र वित्तीय सहायता तक सीमित न रखकर स्टार्ट-अप को संस्थागत, ईज आफ डूइंग बिजनेस, बुनियादी अधोसंरचना, राज्य की उपार्जन नीति, विपणन तथा अन्य प्रोत्साहनात्मक सहयोग प्रदान करना उद्देश्य है।

स्टार्ट-अप नीति के उद्देश्य– म.प्र.स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं:

1. सकारात्मक हस्तक्षेप और अन्य उत्प्रेरक कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना।
2. स्टार्ट-अप इण्डिया, भारत सरकार में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप में 100 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करना।
3. कृषि और खाद्य क्षेत्र में स्टार्ट-अप इण्डिया, भारत सरकार में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप में 200 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करना।
4. उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप की संख्या में वृद्धि करना।

5. नवीन इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना एवं विद्यमान इन्क्यूबेशन सेंटरों की क्षमता विस्तार।
6. स्कूल एवं महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करना।
7. नवाचार और स्टार्ट-अप के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने हेतु संस्कृति का विकास करना।
8. भारत सरकार की स्टार्ट-अप रैंकिंग में मध्यप्रदेश को उच्च स्थान दिलाना।

स्टार्ट-अप नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु प्रयास– स्टार्ट-अप नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति निम्नांकित पांच स्तंभों के अनुसरण पर केन्द्रित है:

1. संस्थागत सहयोग ईज आफ डूइंग बिजनेस सहित।
2. उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देना।
3. नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
4. विपणन सहयोग करना।
5. वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता प्रदान करना।

नीति की अवधि और प्रयोज्यता– यह नीति मध्यप्रदेश में अपनी अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, या किसी अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी।

स्टार्ट-अप का अर्थ:

1. स्टार्ट-अप का अर्थ ऐसी इकाई से है जो भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन स्टार्ट-अप इण्डिया से मान्यता प्राप्त हो एवं मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित एवं पंजीकृत हों महिला द्वारा प्रवर्तित स्टार्ट-अप में उसकी भागीदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
2. उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप से अभिप्राय है ऐसा स्टार्ट-अप जो ऐसा उत्पाद निर्मित करता हो जिसका एक भौतिक आकार हो।
3. इन्क्यूबेटर से अभिप्राय है स्टार्ट-अप इकाईयों को प्रारंभिक अवस्था के दौरान समर्थन देने के लिए परिकल्पित किया गया एक संगठन जो व्यावसायिक सहयोग, संसाधनों और सेवाओं के द्वारा एक स्केलेबल व्यापारिक मॉडल विकसित करने में सहायता करता है। साथ ही इसका स्टार्ट-अप इण्डिया से मान्यता प्राप्त होना तथा मध्यप्रदेश में स्थापित या कार्यरत होना अनिवार्य होगा।
4. प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर से अभिप्राय है विश्वविद्यालयों,

- सार्वजनिक अनुसंधान, संस्थानों स्थानीय शासन और निजी संस्थानों का एक उपक्रम है, जो एक नई प्रौद्योगिकी उद्यम को बढ़ावा और आधार देने के लिए कार्यरत है।
5. मेजबान संस्थाओं से अभिप्राय है मध्य प्रदेश स्थित कोई भी इंजीनियरिंग कालेज, उच्च शिक्षा संस्थान औद्योगिक प्रतिष्ठान या स्मार्ट सिटी कंपनियों और अन्य सोसायटी या विशेष प्रयोजन इकाईयां।
 6. ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म से अभिप्राय है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम एवं इस कार्य हेतु स्वीकृत संस्था।
 7. राज्य स्तरीय स्टार्ट-अप साधिकार समिति से अभिप्राय है राज्य नवाचार चुनौती अन्तर्गत स्टार्ट-अप स्क्रीनिंग एवं चयन तथा नीति के सुगम क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति।
 8. राज्य स्तरीय आंकलन या मूल्यांकन समिति से अभिप्राय है राज्य नवाचार चुनौती के अन्तर्गत चयन स्टार्ट-अप के मूल्यांकन हेतु विषय से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति।
 9. राज्य स्तरीय सहायता समिति से अभिप्राय है प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग की अध्यक्षता में नीति अन्तर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ स्वीकृत करने हेतु गठित समिति।

स्टार्ट-अप एवं इन्क्यूबेटर्स को सहयोग एवं सहायता प्रदान करना- स्टार्ट-अप एवं इन्क्यूबेटर्स पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने तथा उन्हें आवश्यक सहयोग एवं सहायता प्रदान करने के लिए संस्थागत, विपणन वित्तीय तथा व्यापार सरलीकरण स्तम्भ प्रमुख होते हैं। राज्य शासन इन स्तम्भों के माध्यम से प्रदेश को स्टार्ट-अप विशेषकर उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप का निवेश गंतव्य बनाने हेतु कृत संकल्पित है।

मध्य प्रदेश में स्टार्ट-अप सेंटर की स्थापना- मध्यप्रदेश में स्टार्ट-अप को फेसिलीटेशन एवं आवश्यक सहयोग एक संस्थागत मंच प्रदान करने तथा उन्हें वैश्विक तथा स्थानीय बाजार, आयोजनों, कार्यशालाओं आदि में पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के संरक्षण तथा तत्वाधान में विषय विशेषज्ञों से युक्त स्टार्ट-अप सेंटर की स्थापना की जावेगी। यह सेंटर राज्य में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने, मजबूत करने और सुविधा प्रदान करने वाली समर्पित एजेंसी का कार्य करेगी।

स्टार्ट-अप सेंटर के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र:

1. राज्य में स्टार्ट-अप का मार्गदर्शन और सहायता करना।
2. स्वीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय एवं सतत सम्पर्क करना।
3. निर्धारित नीति से किसी भी अनुमोदन, प्रोत्साहन और किसी भी अन्य मुद्दों से संबंधित शिकायतों को हल करना।
4. राज्य के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा कर राज्य सरकार को आवश्यक अनुशंसा कर सकता है।
5. केन्द्र का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता अभिनव और स्टार्ट-अप उद्यमिता को बनाने और समर्थन देने के उद्देश्य से नवाचार संचालित स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर मध्यप्रदेश को एक आत्मनिर्भर स्टार्ट-अप और इनोवेशन हब बनाना है।

6. केन्द्र स्टार्ट-अप नवोन्मेषी उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न निवेशों, बाजार तथा अन्य संबंधित प्लेटफॉर्म में अपनी सेवाओं, उत्पादों को पिच, शोकेस करने की सुविधा प्रदान करेगा। यह मेंटरशिप सहायता प्रदान करने में भी मदद करेगा और सेवी, आरबीआई, अन्य सक्षम प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत एंजेल निवेश, कॉर्पोरेट निवेशकों, अन्य फंडिंग एजेंसियों से आवश्यक निवेशकों से पूंजी या वित्तीय व्यवस्था करने में मदद करेगा।
7. मास्टर डाटा बेस को तैयार करना।
8. स्टार्ट-अप को कंपनी तथा कर संबंधी कानूनों के परिप्रेक्ष्य में आ रही समस्याओं के निराकरण में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना है।
9. राज्य एवं राज्य के बाहर बूट केम्पस चैलेंज प्रतियोगिताओं, रोड शोज तथा निवेशक सम्मेलन या कार्यशालाओं का आयोजन करना।
10. स्टार्ट अप एवं इन्क्यूबेटर के लिए सिंगल विण्डो एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
11. बाजार पूर्व अध्ययन एवं मूल्यांकन।

प्रस्तावित सेंटर हेतु वित्तीय व्यवस्था- एम.पी. स्टार्ट अप सेंटर के संचालन एवं निर्धारण हेतु वित्तीय व्यवस्था उद्यमिता विकास केन्द्र तथा लघु उद्योग निगम के आन्तरिक पुनर्गठन तथा स्टार्ट अप मद में उपलब्ध विभागीय बजट आवंटन से की जावेगी। वेंचर केपीटल फंड हेतु विभाग के बजट में आवंटित राशि का उपयोग एम.पी. स्टार्ट अप सेंटर की स्थापना एवं स्टार्ट अप या इन्वोवेशन संबंधी गतिविधियों में किया जायेगा।

ऑनलाइन पोर्टल का विकास- प्रदेश में स्टार्ट अप हेतु एक सुदृढ़ ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जायेगा जो स्टार्ट अप, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स तथा अन्य संबंधित हित धारकों के लिए आपसी सम्पर्क हेतु सेतु का कार्य करेगा। इस पोर्टल को भारत सरकार के स्टार्ट अप पोर्टल से एकीकृत किया जावेगा। प्रदेश में स्टार्ट अप एवं इन्क्यूबेटर्स को इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रधानतः सभी प्रावधानित सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जावेगा।

अकादमिक सहयोग एवं भागीदारी- मध्यप्रदेश में स्टार्ट अप विशेषकर उत्पाद आधारित स्टार्ट अप तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें आवश्यक तकनीकी एवं मार्गदर्शी सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य अकादमिक संस्थाओं से आवश्यक सहायता एवं भागीदारी प्राप्त की जावेगी। मध्यप्रदेश स्टार्ट अप सेंटर नवाचार के द्वारा आकल्पित एवं विकासधीन उत्पादों की टेंस्टिंग, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि के लिए आवश्यक उच्च तकनीक की मशीनरी निश्चित समय के लिए उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर इंदौर एवं भोपाल, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, भोपाल आइआईएसईआर, आईआईआईटीडीएम जबलपुर इत्यादि के साथ हर संभव सहयोग प्राप्त करेगा।

माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता विकास संबंधी कोर्स पाठ्यक्रम में शामिल किये जावेगें। इन संस्थानों में नियमित रूप से बुद्धिशीलता एवं विचार मंथन कार्यशालाओं का आयोजन किया जावेगा। छात्रों को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने के लिए इंटरशिप को प्रोत्साहित किया जावेगा।

छात्रों को स्टार्ट अप प्रारंभ करने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे वित्तीय तथा गैर-वित्तीय सुविधाओं से अवगत कराने के लिए स्टार्ट

अप इण्डिया के सहयोग से वर्ष में दो बार पारस्परिक चर्चा हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जावेगा।

विपणन एवं नकद सहयोग एवं सहायता- मध्यप्रदेश में स्टार्ट अप को संस्थागत विपणन सहायता हेतु मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में निम्नानुसार प्रावधान किए जावेंगे:

1. रुपये 1 करोड़ तक की शासकीय निविदा में भाग लेने वाले स्टार्ट अप उद्यम को अनुभव एवं टर्नआवर संबंधी शर्तों एवं मापदण्डों से छूट प्रदान की जावेगी। रुपये 1 करोड़ से अधिक की शासकीय निविदा हेतु संबंधित विभाग यदि उचित समझे तो पृथक से स्टार्ट अप से सेवा एवं उत्पाद उपार्जन का प्रावधान कर सकता है।
2. रुपये 1 करोड़ से अधिक के सेवा उपार्जन संबंधी निविदाओं प्रस्ताव के अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में स्टार्ट अप के लिए आकल्पन प्रमाण को मान्य या स्वीकार किया जावेगा। किन्तु उपरोक्त प्रावधान अन्तर्गत

सेवा अथवा उत्पाद की गुणवत्ता तथा अन्य आवश्यक अहर्ताओं की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

3. राज्य शासन के समस्त निविदाओं या प्रस्ताव के अनुरोध में सुरक्षा निधि बयाना राशि से छूट प्राप्त होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जिला उद्योग केन्द्र जिला शहडोल से प्राप्त जानकारी।
2. समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से संग्रह।
3. इंटरनेट से प्राप्त जानकारी।
4. स्टार्टअप के लिए अनुपालन की मूल बातें- डॉ. अनुराग एस.डी. राय एवं रीता पवारा।
5. कैसे करें स्टार्टअप बिजनेस शुरू - पंकज गोयल
6. स्टार्टअप हो तो ऐसा हो - एन. रघुरामन
7. खुद का स्टार्टअप कैसे करे - पवन के.बी.

दल-बदल कानून की प्रासंगिकता

कमलेश पवार*

* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। हमारे देश का लोकतंत्र संप्रभु, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता, लांकतांत्रिक गणराज्य आदि सिद्धांतों पर निर्भर है।

भारत में लोकतंत्र का अर्थ केवल वोट देने का अधिकार ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित करना है, किन्तु आज भी सही मायने में लोकतंत्र को परिभाषित किया जाना अनिवार्य है। आज़ादी के बाद देश में कई समस्याएँ देखने को मिली जिनमें निरक्षरता, गरीबी, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, नक्सलवाद, राजनैतिक अपराधीकरण, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, क्षेत्रवाद आदि। इनमें से एक प्रमुख समस्या बनकर दल-बदल हमारे सामने आया है। आये दिन संसद व विधानसभाओं में दल-बदल जैसे मुझे भारतीय लोकतंत्र को दूषित कर रहे हैं।

भारतीय दलीय व्यवस्था लंबे समय तक विकृत रही। केन्द्र में सरकारों के पतन के लिए मुख्यतः दल-बदल ही उत्तरदायी रहा। भारतीय संविधान का ५२वाँ संविधान संशोधन विधेयक १९७३ में प्रस्तुत किया गया था परन्तु वह पारित नहीं हो सका। राजनैतिक दलों के विकृत स्वरूप में निरन्तर वृद्धि होती गई।

भारतीय राजनीति में सर्वाधिक प्रचलित राजनीतिक खेल का नाम है दल-बदल। एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना, सदन में सत्ता दल छोड़कर विरोधी दल में शामिल हो जाना, अपना खेमा बदल लेना दल-बदल की मान्य परिभाषा रही है।

दल-बदल का सहज अर्थ अपने दायित्व को त्यागना या उससे मुकरना है, किन्तु राजनीति में विविध स्थितियों में इसके विविध स्वरूप होते हैं। जैसे जिस दल के अधीन चुनाव लड़े उस दल का त्याग, सदन के भीतर पाला बदलना, किसी दूसरे दल में शामिल होने के लिए अपने दल को छोड़ना फिर एक निर्दलीय की तरह रहना या एक नया दल या गुट बनाना। इस प्रकार की दल-बदल की परिभाषा सर्वविदित है।

विधायी संस्थाओं के प्रारंभ से ही दल-बदल की घटनाओं का प्रारंभ माना जा सकता है। भारत सरकार अधिनियम १९३५ के अधीन सन् १९३७ के चुनाव में कांग्रेस को संयुक्त प्रान्त में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, फिर भी मुख्यमंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत ने मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों को दल-बदलने और कांग्रेस संगठन को छोड़ने का फैसला किया, उस समय सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थी, केवल उत्तरप्रदेश की संख्या ही ५० थी, इनमें आचार्य नेन्द्र देव ने दल बदल करके जन कांग्रेस नामक एक नये दल की स्थापना की।

१९५६ में तीव्र उठापठक और पेत्रेबाजी के पश्चात् ९८ विधायकों ने, दल-बदल किया। सन् १९६७ के पूर्व आचार्य नेन्द्र देव, आचार्य कृपलानी, अशोक मेहता, रफी अहमद किदवाई, टी. प्रकाशम् व डॉ. रघुवीर सिंह जैसे

दिग्गज नेताओं ने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धतायें बदली।

सन् १९५७ से १९६७ के दशक में ५४२ दल-बदल की घटनाएँ हुई। अकेले १९६७ में ही ४३८ सदस्यों ने दल-बदल किया। १९६७ से १९७३ की अवधि में २७०० विधायकों ने विभिन्न स्वार्थों से दल-बदल किया। इनमें से १५ मुख्यमंत्री बने तथा २१२ को मंत्रीपद प्राप्त हुआ। इस प्रकार संपूर्ण देश में दल-बदलों की संख्या ४००० से भी अधिक हो गई। व्यापक दल-बदल के कारण ६ राज्यों में सरकारें बिगड़ी और बनी। ६ राज्यों में राष्ट्रपति शासन घोषित हुआ और ४ विधानसभाओं को भंग कर मध्यावधि चुनाव कराये गये।

चौथे आम चुनाव के बाद दल-बदल चरम-सीमा पर पहुँच गया। यू.एन.आई. सर्वेक्षण के अनुसार दिसम्बर १९६७ तक ९ प्रतिशत से भी अधिक राज्यों के विधायकों ने अपना दल बदला। दल-बदल की प्रवृत्ति १९६८ में बहुत जोरों पर थी, जिसके फलस्वरूप कई सरकारें टूटी, कई बनी और कई प्रान्तों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। मार्च १९६७ से १९७० तक ४००० विधायकों में से १,४०० विधायकों ने दल-बदलें। सबसे अधिक दल-बदल काँग्रेस में हुआ।

दल-बदल के प्रेरक कारण

राजनैतिक दलों की आंतरिक गुटबंदियों के कारण भी दल-बदल को भारी प्रोत्साहन मिला। पद, धन, स्तर आदि के कारण भी दल-बदल हुए। राजनीति में व्याप्त ढोंग, गरीबी, व अज्ञानता के कारण भी राजनैतिक वास्तविकताओं के बीच बड़ी खाई पैदा हुई जिसे पाटना कठिन हो गया।

दल-बदल के आधारभूत कारणों पर प्रकाश डालते हुए प्रो. रजनी कोठारी के अनुसार दल-बदल में दो बातों का मुख्य हाथ रहा-प्रथम चुनाव के पहले टिकिट का बँटवारा और दूसरा चुनाव के बाद मंत्रीमंडल का गठन। ये नई बात नहीं थी १९६७ में और बाद में जितनी आसानी से लोग कांग्रेस छोड़ देते थे, उतना पहले कभी नहीं देखा गया था।

दल-बदल की प्रक्रिया के अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक पहलू हैं। राजनीतिज्ञों, विधायकों, सांसदों की कितनी ही मानसिक कुठाओं और अतृप्त इच्छाओं का इतिहास है जिसे भलीभाँति जाना जा सकता है।

अतः दल-बदल की एक समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचना करना जरूरी है।

१. सत्ता की स्वार्थ लिप्सा के लिए दल-बदल – सत्ता के लिए संघर्ष राजनीतिक दलबंदी का एक प्रमुख लक्षण है। राजनैतिक दल सत्ता हथियाने के लिए अनेक अशोभनीय तरीके अपनाते हैं। इसी कारण आचार्य-गयाराम की राजनीति का विकास हुआ।

दल-बदल का सबसे बड़ा कारण सत्ता पाना और पद प्रलोभन है। १९८२

में हरियाणा में दल-बदल का भाव २०,००० रु. से ४०,००० रु. तक आँका जा रहा था। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट में उक्त उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं।

सन् १९६९, १९७८, १९७९ में सत्ता परिवर्तन के उदाहरण दिये गये हैं। सन् १९७९ में चरणसिंह समर्थकों द्वारा जनता पार्टी को तोड़कर जनता(एस) का गठन और बाद में कांग्रेस (एस) और अन्य दलों की सहायता से सरकार बनाने के पीछे स्वार्थ-लिप्सा की भावना ही प्रमुख रही।

नवम्बर १९९० में चौधरी देवीलाल और चन्द्रशेखर द्वारा अपने समर्थकों सहित अलग होकर समाजवादी दल का गठन कर कांग्रेस (इ) की सहायता से सरकार बनाने का निर्णय इसी सत्ता की राजनीति का ही अंग था।

सन् १९९५ में आंध्रप्रदेश में चंद्राबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, रामाराव को अपदस्थ कर तेलगू देशम् का ही विभाजन कर दिया।

सन् १९९७ में भाजपा ने उत्तरप्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस तथा बहुजन समाजवादी पार्टी में विभाजन कराया।

२. भीतर की गुटबंदी और भाई-भतीजावाद – विभिन्न गुटों या धड़ों के बीच सत्ता संघर्ष के लिए गुटबंदी की जाती है।

रजनी कोठारी का अभिमत है कि सत्ताधारी और विपक्ष दो गुट होते हैं। उनके समर्थक सत्ता प्राप्ति के लिए क्षेत्रवाद, साम्प्रदायिकता, जातिवाद आदी का सहारा लेते हैं। गुटबंदी और प्रशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद इन संघर्षों के कारण होते हैं।

३. दलीय दलबदल – १९६९ में कांग्रेस का विभाजन हुआ। १९७२ में सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई। इस कारण दलबंदी के कारण दलों में विभाजन होना स्वाभाविक है।

४. व्यक्तित्व संघर्ष – वरिष्ठ सदस्यों की उपेक्षा और व्यक्तित्व संघर्ष के कारण भी दल-बदल को प्रोत्साहन मिलता है। कई बार पार्टी टिकिटों के असमान बँटवारे के कारण भी दल-बदल को प्रोत्साहन मिलता है।

५. राजनैतिक सत्ता की प्राप्ति – दल-बदल की अभिप्रेरक शक्ति में राजनैतिक संभावनाएँ बढ़ती हैं। आर्थिक लाभ तथा अन्य आधारों पर दल-बदल करना सामान्य बात हो गई है। दल-बदल करके भी लाभ के पद को काबिज किया जाता है।

मंत्री पद पर आसीन होने पर कई विधायक अन्य अप्राप्य जीवन की सुख-सुविधाओं और विलास सामग्रियों का स्वयं उपभोग करने के साथ-साथ दूसरों को भी व्यापक संरक्षण प्रदान करने और उनके स्वार्थ साधने की स्थिति में सहज हो जाते हैं।

६. पद एवं सम्मान की लालसा – सत्ता का मोह और पद लोलुपता ने देश के राजनैतिक वातावरण को इतना खराब और दूषित बना दिया है कि विधायकों की दृष्टि में सिद्धान्त, आदर्श, नैतिकता आदि का महत्व कम हो गया है।

७. सशक्त एवं महान नेतृत्व का अभाव – दलीय राजनीति व्यक्तित्व नेतृत्व पर आधारित रही है।

आज नेतृत्व का आधार न तो लोकसेवा है न ही निर्वाचकों में लोकप्रियता। अतः लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित कई सदस्यों में मौलिक निष्ठा का अभाव है और वे विशुद्ध रूप से राजनीतिक अवसरवाद की भावना से कार्य कर रहे हैं। सत्ता के लोभ में उन्हें दल-बदलने में भी कोई संकोच नहीं होता। केवल निर्वाचनों के अवसर पर ही राजनीतिक दल धन खर्च करके जनता को हतप्रभ करने में प्रयासरत रहते हैं।

८. प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव – पूर्व में प्रभावशाली व्यक्तियों का लोप हो चुका है। इसलिए अब जो भी नेतृत्व सामने आ रहे हैं उनके व्यक्तित्व में प्रभावशाली नेता दिखाई नहीं देते, जो दलों के भीतर दल पर नियंत्रण कर सके।

९. जनता की उदासीनता – आज जनता में भी नेतृत्व के प्रति अब कोई विशेष आकर्षण नहीं रहा है। आम जनता नेतृत्व के प्रति उदासीन होती जा रही है।

१०. राजनैतिक दलों में ध्रुवीकरण का अभाव – डॉ. सुभाष कश्यप लिखते हैं कि जिस आसानी से नेता एक दल का परित्याग कर दूसरे दल में शामिल होते हैं इससे स्पष्ट है कि राजनैतिक दलों में सिद्धान्त जैसी कोई बात नजर नहीं आती। विभिन्न दलों में कोई वास्तविक ध्रुवीकरण नहीं है। उनके मतभेदों का स्वरूप भी धुंधला है।

दल-बदल के परिणाम:

१. दल-बदल के कारण शासन में अस्थिरता पैदा होती है। जिससे आगामी विकासगामी प्रवृत्तियों में शिथिलता उत्पन्न होती है।

२. दुर्बल मिली-जुली सरकारों का निर्माण – संविद सरकारों के विभिन्न घटकों में कोई ताल-मेल नहीं रहता। मंत्रीमंडल में एकता का अभाव दिखाई देता है। जो भी गठबंधन बना लिये जाते हैं जो कालान्तर के बाद अस्थिर होने लगते हैं।

३. नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि – दल-बदल के कारण प्रशासनिक रिक्तता, राजनैतिक अनिश्चितता का प्रभाव बढ़ता रहा है।

४. मंत्रीमंडलों में अनावश्यक विस्तार – उदाहरण के लिए राव वीरेन्द्रसिंह मंत्री मंडल में २३ मंत्रियों का विस्तार किया गया।

५. अल्पमत सरकारों का निर्माण – दल-बदल के कारण पंजाब, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में अल्पमत सरकारों का निर्माण किया गया।

६. राजनैतिक दलों का विघटन – दल-बदल के कारण राजनैतिक दलों में बिखराव और विघटन की प्रक्रिया जारी रही।

७. सिद्धांतहीन और नैतिकता शून्य राजनीति का सूत्रपात हुआ।

८. विकास कार्यों में बाधाएँ पैदा होती गईं।

इस प्रकार शासन व्यवस्था सुचारु रूप से जारी नहीं रही। जब लोकप्रिय सदन के चुनाव में किसी एक राजनैतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होता, तब त्रिशंकु लोकसभा या विधानसभाओं में अनावश्यक गठबंधन की स्थितियाँ पैदा होने लगती हैं। इस प्रकार दल-बदल की बीमारी ने राष्ट्रीय दलों की जड़े कमजोर बना दी। क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि होती गई।

दल-बदल कानून की आवश्यकता क्यों?

भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किन्तु स्वतंत्रता के बाद देखा गया कि जनादेश की अनदेखी होने लगी। विधायकों या सांसदों की जोड़-तोड़ से सरकारें बनने व गिरने लगी। इस प्रकार की घटनाओं ने राजनैतिक अस्थिरता को जन्म दिया। ७० के दशक में यह देखने में आया कि लोगों ने एक दिन में तीन बार दल बदलें। हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने ३० अक्टूबर १९६७ को एक दिन में ३ बार दल बदला। तब से आथाराम-गयाराम की कहावत प्रचलित हुई।

इसके बाद जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने की आवश्यकता महसूस होने लगी। परिणामस्वरूप सन् १९८५ में प्रधान मंत्री राजीव गाँधी द्वारा ५२ वें संविधान संशोधन के रूप में दल-बदल कानून अस्तित्व में लाया गया। उक्त कानून में कुछ कमियों को देखते हुए कुछ वर्ष बाद सन् २००३ में ९१ वां संविधान संशोधन पारित किया गया जिसमें निम्न प्रावधान किये गये:

१. दल-बदल करने वाले सदस्यों की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

२. दल-बदल करने वाले सदस्य किसी भी प्रकार का सरकारी/लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
३. सदन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए पुनः चुनाव जीतना होगा।
४. मंत्रिपरिषद का आकार केन्द्र एवं बड़े राज्यों लोकप्रिय सदन की सदस्य संख्या का १५ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

दल-बदल विरोधी कानून निम्न आधार पर लागू नहीं होगा:

१. यदि सदन के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्य दल विभाजन के परिणाम स्वरूप उसकी सदस्यता का परित्याग करते हैं या दो तिहाई सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं और अलग समूह के रूप में कार्य करने का निर्णय करते हैं।
२. लोकसभा एवं विधानसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति चाहे तो अपने निर्वाचन के बाद अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं किन्तु एक बार इस्तीफा देने के बाद पर पर रहते हुए वे पुनः पार्टी में शामिल होते हैं

- तो अयोग्य घोषित किये जाएंगे। इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी करेगा।
३. यदि किसी विधायक अथवा सांसद को पार्टी द्वारा निष्कासित किया जाए।
४. यदि किसी राजनीतिक पार्टी का अन्य दल में विलय हो रहा हो और यदि उसका कोई सदस्य उससे बाहर रहना चाहता है तो उस पर दल-बदल कानून लागू नहीं होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

१. सुभाष कश्यप- दल-बदल और राज्यों की राजनीति मीनाक्षी, मेरठ, १९७०
२. गोस्वामी भालचंद्र-दल-बदल-दशा और दिशा पंचशील, जयपुर १९९९
३. डॉ. जैन पुखराज-दल-बदल की राजनीति-२०००
४. विनोद श्रीवास्तव-दल-बदल अधिनियम, छिन्न-भिन्न होती राजनैतिक निष्ठा, सरिता, दिसम्बर १९९७
५. डॉ. चेतना नेहरा- लोकतंत्र और दल-बदल अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नईदिल्ली।

मध्यप्रदेश में महिला नीति एवं कल्याणकारी योजनाएं एक अध्ययन (रीवा जिले के सेमरिया तहसील के विशेष संदर्भ में)

डॉ. अर्चना श्रीवास्तव* मंजुला द्विवेदी**

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले राज्य स्तर पर महिला नीति तैयार कर क्रियान्वित की गई है, महिला नीति का अर्थ महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, आत्मविश्वासी और अपनी अस्मिता के प्रति सकारात्मक सोच वाला बनाना है ताकि वे कठोर परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम हो और विकास कार्यों में भी उनकी भागीदारी हो सके। भारतीय समाज में संविधान की स्थापना में लेख किया गया है कि समतावादी प्रजातांत्रिक मूल्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से समाज में किसी भी आधार पर लिंग, जाति, नस्ल आदि भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसलिए लम्बे समय से महिलाओं की कमजोर परिस्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रथम वो महिला कल्याण कार्यों को प्रथमिकता दी गई। मध्य प्रदेश शासन का लक्ष्य महिलाओं का पूर्ण रूप से विकास एवं सशक्त बनाना है, महिला नीति की मूल अवधारणा महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना है।

शब्द कुंजी- महिला नीति, कल्याणकारी योजनाएं, सशक्तिकरण।

प्रस्तावना- लगभग डेढ़ दशक पूर्व वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति एनपीडब्ल्यू तैयार की गई थी इसके तहत आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के संपूर्ण विकास एवं सशक्तिकरण का लक्ष्य रखा गया था वर्तमान वैश्वीकरण के युग में महिलाओं के कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ने के साथ-साथ समस्याएं नए-नए रूपों में प्रकट हो रही हैं इनके निराकरण हेतु केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 17 मई 2016 को राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का प्रारूप हित धारकों की टिप्पणियों एवं परामर्श हेतु जारी किया गया।

जनसामान्य के जीवन के सभी आयामों का सर्वांगीण विकास करना प्रत्येक कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य द्वारा विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया जाता है, इन नीतियों में निर्धारित की गई कार्य योजना का क्रियान्वयन कर समय बद्ध तरीके से लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण भी इन नीतियों पर ही आधारित होता है। योजनाओं तथा कार्यक्रमों की सफलता एवं असफलता का मूल्यांकन कर समय-समय पर नीतियों में संशोधन किए जाते हैं अर्थात यह नीतियां राज्य के कार्य क्षेत्र का आईना होती हैं।

उद्देश्य- मध्यप्रदेश की महिला नीति एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियांवयन सेमरिया तहसील के विशेष संदर्भ में।

महिला नीति- महिलाओं का समर्थ होना निरंतर नीति की बुनियाद है। समर्थ होने पर ही महिलाएं अपने जीवन के सभी पहलुओं पर पूरा नियंत्रण पा सकती हैं, यदि अन्याय पूर्ण सामाजिक ढांचे को तोड़ना है और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाना है, तो महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना अति आवश्यक है।

मध्यप्रदेश शासन महिलाओं की समानता, सुरक्षा, स्वतंत्रता उनके लिए न्याय विकास एवं सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण विकास के लिए संचालित लाइफ साइकिल अप्रोच आधारित प्रदेश के अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं की देश में अलग पहचान बनी है।

मध्यप्रदेश शासन का लक्ष्य महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण है। राज्य की महिला नीति की मूल अवधारणा महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, जिससे उनके साथ विद्यमान विभेदकारी असमानता की स्थिति समाप्त हो, महिलाओं के प्रति समानता एवं सम्मान की भावना एवं उनकी सुरक्षा आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं विकास में समान भागीदारी सुनिश्चित हो।

मध्य प्रदेश में विकास की प्रक्रिया में आरंभ से ही महिलाओं की ओर ध्यान देने का प्रयास किया जाता रहा है, राज्य में महिलाओं की संख्या लगभग आधी है, राज्य में महिलाएं सबसे गरीब सुविधा से वंचित वर्ग में आती हैं, जिन्हें विकास से अक्सर लाभ नहीं हो पाया है। महिलाएं मुख्यतः कृषि, वन, घरेलू उत्पादन और शहरी अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करती हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की प्रथम महिला नीति घोषित की गई है। इस नीति में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं-

1. नारी जीवन का अस्तित्व और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
2. समाज में महिलाओं की भरपूर सहभागिता सुनिश्चित करना और निर्णय लेने में उनकी भूमिका को सशक्त करना।
3. सभी क्षेत्रों में विकास के प्रयासों का भरपूर लाभ उठाने के लिए महिलाओं को समर्थ बनाना।

4. महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत करना और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना।
5. आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भरपूर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाना।
6. जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
7. महिलाओं के प्रश्न पर व्यापक समाज के रवैया में परिवर्तन लाना और उसे संवेदनशील बनाना।
8. महिलाओं के साथ हो रहे नृशंसित अत्याचार और हिंसाचार की रोकथाम करना।

मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति- मध्य प्रदेश में महिलाओं के विकास विभिन्न संकेतकों में सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर स्त्री-पुरुष अनुपात 1000 पर 940 है जो मध्यप्रदेश में 931 है। (ग्रामीण जनसंख्या में 936 तथा शहरी जनसंख्या में 918)। वर्ष 2001-2011 के दौरान मध्यप्रदेश में दशकीय किए वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर 17.7 प्रतिशत की तुलना में 20.35 प्रतिशत है। वर्ष 1991 से 2001 के दौरान मध्यप्रदेश में यह दर 24.3 प्रतिशत थी। मध्यप्रदेश में दशकीय वृद्धि दर में पुरुष (19.6%) एवं महिला (21 प्रतिशत) है। मध्यप्रदेश में शिशु लिंगानुपात (0 से 6 वर्ष) जनगणना 2001 में मध्यप्रदेश में शिशु लिंगानुपात 932 था, जो जनगणना 2011 में 14 अंकों की गिरावट के साथ 918 हो गया।

मध्यप्रदेश में साक्षरता दर 69.3 प्रतिशत है, जो 2011 की जनगणना में 63.7 प्रतिशत थी। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश में साक्षरता दर पुरुष 78.7 प्रतिशत, महिला 59.2 प्रतिशत, ग्रामीण 63.94 प्रतिशत नगरीय 82.85 प्रतिशत थी। भारत की साक्षरता दर 73 प्रतिशत है।

महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। महिला जनप्रतिनिधियों की निर्णय क्षमता विकसित करने के लिए ओरियंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वन समितियों में भी 50 प्रतिशत महिलाओं को स्थान दिया गया है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा महिलाओं के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाएं- मध्यप्रदेश शासन द्वारा महिलाओं के विकास हेतु अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित की गई है, इन योजनाओं का **संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-** 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना प्रारंभ की। यह योजना लड़कियों को बचाने एवं जन्म का उत्सव मनाना और उसे शिक्षा प्रदान करना है। यह वर्ष 2014-15 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार 100 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि द्वारा शुरू की गई थी। वर्ष 2022-23 के बजट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित कुछ अन्य प्रमुख योजनाओं को मिशन शक्ति के अंतर्गत मिलाकर कुल 3184.11 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा '**लाइली लक्ष्मी योजना**', श्वागतम लक्ष्मी योजना का संचालन लड़कियों एवं महिलाओं को समाज की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए महिलाओं द्वारा संचालित स्व सहायता समूहों का गठन किया है '**तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम**' मध्य प्रदेश में शासकीय सेवा को 50% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है।

बालिकाओं को शैक्षणिक रूप से सशक्त करने के लिए '**गांव की बेटी योजना**' 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली ग्रामीण बालिका को निः शुल्क उच्च शिक्षा तथा 500 रुपए प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। '**प्रतिभा किरण योजना**' इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली मेधावी छात्राओं का शिक्षा स्तर बढ़ाने का प्रयास किया गया है। 'एकल बालिका निःशुल्क योजना' इकलौती बालिका को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना।

रीवा जिले की सेमरिया तहसील की महिलाओं की साक्षरता दर

तालिका-1: महिला साक्षरता दर

महिलाएं	
साक्षर महिलाएं	निरक्षर महिलाएं
49 %	51%
कुल योग 100%	

मध्य प्रदेश की महिला कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का आनुपातिक अध्ययन करने के लिए शोधार्थी ने 50 महिलाओं का आकलन करते हुए उनका एकीकृत चिंतन जानने की कोशिश की जिसका विवेचनात्मक विश्लेषण दिया गया है। अध्ययन क्षेत्र रीवा जिले के सेमरिया तहसील से चयनित 50 उत्तरदाताओं (महिलाओं) से जब यह प्रश्न किया गया कि क्या आपको शासकीय योजनाओं की जानकारी है तो इस पर उनके उत्तर निम्न रहे हैं।

तालिका-2: शासकीय योजनाओं की जानकारी (उत्तरदाता 50 महिलाएं)

क्र.	विवरण	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	35	70%
2.	नहीं	15	30%
	योग	50	100%

अपरोक्त तालिका में महिलाओं के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के संदर्भ में वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। उत्तरदाताओं की अभिरुचि से स्पष्ट होता है कि क्षेत्र की 70% महिलाओं ने हाँ एवं 30% महिलाओं ने नहीं में जवाब दिया है, अर्थात क्षेत्र में अभी भी महिलाओं को जानकारी का अभाव है।

तालिका-3: योजनओं से लाभ की जानकारी

क्र.	विवरण	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	40	80%
2.	नहीं	10	20%
	योग	50	100%

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में 80 प्रतिशत महिलाओं को योजनाओं से लाभ मिल रहा है एवं 20 प्रतिशत महिलाएं अभी भी किसी कारण से लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही हैं।

तालिका-4: स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से लाभ की जानकारी

क्र.	विवरण	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	35	70%
2.	नहीं	15	30%
	योग	50	100%

क्षेत्र में 70 प्रतिशत महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से लाभ मिल रहा है, एवं 30 प्रतिशत महिलाएं अभी भी लाभ लेने से वंचित हैं।

निष्कर्ष— लगभग 15 वर्षों बाद राष्ट्रीय महिला नीति में संशोधन का प्रस्ताव आया जिसमें जारी मसौदे का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकार की इस नीति के माध्यम से महिला कल्याण, महिला विकास एवं महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ-साथ महिलाओं के संपूर्ण विकास कार्यों अथवा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर महिलाओं के संपूर्ण जीवन में सरकार का काफी योगदान रहा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है जिससे उनके विकास कार्यों में काफी सुधार हुआ है। सामाजिक प्रतिबन्ध और राजनीतिक प्रतिरोध के चलते महिलाओं का अधिक विकास अभी भी जैसा होना चाहिए नहीं हो पाया है।

इसके लिए स्वयं महिलाएं जिम्मेदार हैं साथ ही पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका है, महिला सशक्त तभी होगी जब पुरुष मानसिकता बदलेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. घटना चक्र 188/128 एलनगंज, चर्चलेन प्रयागराज इलाहाबाद- 211002 वर्ष 2022,
2. प्रतियोगिता संदर्भ 36- एच, विज्ञान नगर इंदौर- 12(म.प्र.),
3. महिला नीति 2015 (महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश),
4. तिवारी रविशंकर, मध्यप्रदेश कल्याणकारी योजनाएं फरवरी 2022,
5. सम-सामयिकी घटना चक्र

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक संबंधों में कौटिल्य के षाड्गुण्य नीति की उपयोगिता- एक अध्ययन

डॉ. शोभाराम सोलंकी*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, कसरावद, जिला खरगोन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करती है। इसने समाज के सामूहिक उत्थान, राजनीतिक स्थिरता, और आर्थिक समृद्धि को महत्त्व दिया है। नीति में सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए शक्तिशाली संरचनाएं और संघर्ष के नियमों का वर्णन किया गया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में भी सुरक्षा की महत्ता को बताती है। नीति ने सामरिक सुरक्षा को भी उच्च प्राथमिकता दी है। इन सिद्धांतों का पालन करके सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को समझाने और समाधान करने में मदद की जा सकती है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा की प्रतिबद्धता के रूप में काम करते हैं। आचार्य कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधीभाव आदि नीति वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्रियांवयन में प्रासंगिक है। प्रस्तुत शोध पत्र में आचार्य कौटिल्य के षाड्गुण्य नीति पर प्रकाश डालने का विनम्र प्रयास किया गया है।

शब्द कुंजी- अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, षाड्गुण्य नीति, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधीभाव।

प्रस्तावना - इतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व तत्कालीन तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य कौटिल्य द्वारा क्रियांवित उत्तम राजव्यस्था, प्रशासनिक कार्यकुशलता एवं सुदृढ़ सैन्य विधान परवर्ती युगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। किसी भी राज्य की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता एवं सम्प्रभुता के स्थायित्व के लिए दूरदर्शी व स्पष्ट नीतियों का निर्धारण अति आवश्यक है जिसके सफल क्रियान्वयन पर ही सम्बंधित राज्य का अस्तित्व टिका रहता है। कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति एक प्राचीन नीतिशास्त्र है जो उसके अर्थशास्त्र में विस्तार से वर्णित है। यह नीति राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को प्राप्त करने के लिए अनुशासन और नीतियों की महत्ता पर जोर देती है। षाड्गुण्य नीति में छह गुणों का उल्लेख है, जो समृद्ध और सुरक्षित समाज की नींव रखते हैं। पहला गुण, 'रक्षा' है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा गुण, 'संरक्षण' नीतियों के माध्यम से समाज की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। तीसरा गुण, 'आर्थिक समृद्धि', विभिन्न आर्थिक उपायों के माध्यम से समृद्धि की दिशा में महत्त्वपूर्ण है। चौथा गुण, 'सामरिक सुरक्षा', जनता की सुरक्षा और संरक्षण को सामाहित करता है। पांचवा गुण, 'समरसता', समाज में सभी वर्गों के बीच समानता और न्याय की स्थापना के लिए है। और आखिरी गुण, 'नीति', सुचारु नीतियों और निर्णयों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। षाड्गुण्य नीति ने समृद्धि, समानता, और सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रोत्साहित किया है और उन्हें समाहित करने के लिए नीतियों और अनुशासन की महत्ता को जागरूक किया है। यह नीति समाज और राजनीति को स्थापित करते समय उपयोगी हो सकती है, ताकि एक समृद्ध, सुरक्षित और समान समाज की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके।

शोध का उद्देश्य:

1. आचार्य कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में वर्णित षाड्गुण्य नीति का अध्ययन करना।
2. षाड्गुण्य नीति में बताये गये निर्देश का मूल्यांकन करना।
3. आचार्य कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित षाड्गुण्य नीति का वर्तमान में उपयोगिता का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना-राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों के क्रियान्वयन में अर्थशास्त्र वर्णित षाड्गुण्य नीति वर्तमान समय में प्रासंगिक है।

शोध प्रविधि- प्रस्तुत शोध पत्र को तैयार करने में पुस्तकालय अनुसंधान विधि का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रबुद्ध लेखकों के ग्रंथ, पत्र-पत्रिकाओं, इंटरनेट स्रोतों आदि की सहायता ली गई है।

आचार्य कौटिल्य ने अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्य सम्बन्धों के संदर्भ में परराष्ट्र नीति अथवा सुरक्षा नीति के संचालन के लिए षाड्गुण्य नीति को आधार माना है।

एवंषडिभगुणैरैतैः स्थितः प्रकृतिमण्डले।

पर्येषत क्षयात् स्थान, स्थानात् वृद्धिं च कर्मसु॥¹

अर्थात् राजा अपने प्रकृतिमण्डल में स्थित षाड्गुण-नीति द्वारा क्षीणता से स्थिरता तथा स्थिरता से वृद्धि की अवस्था में जाने की चेष्टा करे।² उन्होंने इस नीति के अन्तर्गत पुरातन छः सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार हैं- सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और संश्रय। उनके अनुसार देश, काल एवं परिस्थिति के अनुरूप षाड्गुण्य नीति में परिवर्तन कर लेना चाहिए। सभी नीतियों का मुख्य उद्देश्य शत्रु की तुलना में अपने आप को शक्तिशाली बनाकर राज्य का विस्तार करना चाहिए। आचार्य कौटिल्य के षाड्गुण्य नीति का सविस्तार वर्णन इस प्रकार है-

1. **सन्धि**- यदि कोई निर्बल राजा किसी बलवान चक्रवर्ती राजा से घिर

जाए तो तुरन्त कोष, दण्ड (सेना), भूमि और अपने आपको यथावश्यक समर्पित करके सन्धि कर ले।³ आचार्य कौटिल्य के अनुसार किसी भी राजा के द्वारा सन्धि करने का उद्देश्य शत्रु राज्य की शक्ति को नष्ट करके स्वयं को शक्तिशाली बनाना होता था। उनके अनुसार ऐसे शत्रु जिस पर विजय प्राप्त करना सम्भव न हो, सन्धि करके स्वयं को सबल बनाने के लिए कुछ समय प्राप्त कर लेना चाहिए।⁴

आचार्य कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में सन्धि का आश्रय लेना चाहिए यदि विजिगीषु राजा सन्धि करने पर अपने बड़े-बड़े कार्य सम्पादित करने में तथा शत्रु के कार्यों में हानि पहुंचाने में समर्थ हो, अपने उत्तम कार्यों के साथ-साथ शत्रु के उत्तम कार्यों से भी लाभ उठा सकता हो। सन्धि के पश्चात शत्रु का विश्वासपात्र बनकर गुप्तचरों तथा विष-प्रयोगों से शत्रु का नाश कर सकता हो। शत्रु के मित्रों को अपना कृपापात्र बनाकर अपनी ओर आकृष्ट कर सकता हो। तो उसे सन्धि कर लेनी चाहिए।⁵

सन्धि के प्रकार- आचार्य कौटिल्य ने अनेक प्रकार के सन्धियों का विस्तृत वर्णन किया है। हीनबल राजा अपने सबल शत्रु से सन्धि करता है, तो उसे हीनबल सन्धि कहते हैं। यह सन्धि तीन प्रकार की होती है-⁶

(1) दण्डोपनत सन्धि (2) कोषोपनत सन्धि (3) देवोपनत सन्धि।

उपर्युक्त सन्धियों के अतिरिक्त भी कौटिल्य ने कुछ और सन्धियों का भी उल्लेख किया है।⁷

परिपणित देश सन्धि, परिपणित काल सन्धि, परिपणित कार्य सन्धि आदि।

2. विग्रह या युद्ध का समय- जब राजा देखे कि शत्रु विपत्ति में उलझ रहा है, उसकी प्रजाएँ सेना द्वारा पीड़ित हैं और राजा से विरक्त हो रही हैं, वे क्षीण हो चुकी हैं, निरुत्साहित हैं, आपस में लड़-झगड़ रही हैं और अब उन्हें लोभ द्वारा बस में किया जा सकता है, और जब वह देखे कि अग्नि, जल, व्याधि, महामारी आदि दैवी आपत्तियों द्वारा शत्रु के वीर पुरुष, वाहन आदि नष्ट हो चुके हैं और वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ है- उसी समय राजा शत्रु से विग्रह करने के लिए निकल पड़े।⁸

विग्रह का अभिप्राय है- युद्ध। आचार्य कौटिल्य के मतानुसार विग्रह नीति का प्रयोग तभी करना चाहिए, जब शत्रु राजा निर्बल हो तथा विजिगीषु राजा की युद्ध व्यवस्थाएँ पूर्ण हों और वह अपनी शक्ति के विषय में पूर्णतया आश्वस्त हो। विग्रह करने से पूर्व ही राजा को राज्य मण्डल के मित्र राज्यों की सहायता प्राप्त कर लेनी चाहिए। आचार्य कौटिल्य के शब्दों में विजिगीषु राजा यह समझे कि मेरे देश में आयुध जीवी क्षत्रिय और कृषक अधिक हैं। मेरे देश में पहाड़, जंगल, नदी तथा किले बहुत हैं। मेरे राज्य में आने-जाने के लिए एक ही मार्ग है। शत्रु के किसी भी आक्रमण का प्रतिकार मेरा देश करने में समर्थ है या राज्य की सीमा पर अति दुर्भेद दुर्ग का आश्रय लेकर शत्रु के कार्यों का विनाशकाल अब समीप आ पहुंचा है अथवा विग्रह करते हुए शत्रु के जनपद को मैं किसी दूसरे रास्ते से पार कर लूंगा, तो विग्रह कर दे। ऐसी अवस्था में विग्रह करके ही वह अपनी उन्नति करे। दूसरी तरफ आचार्य कौटिल्य ने यह भी कहा है कि यदि विजिगीषु राजा सन्धि तथा विग्रह में समान लाभ देखे तो सन्धि का ही अवलम्बन ले, क्योंकि विग्रह करने में प्रजा, धन-धान्य आदि की बहुत क्षति होती है।⁹

आचार्य कौटिल्य ने विग्रह नीति का अनुसरण करने वाले राजा के लिए तीन शक्तियों से युक्त होना अनिवार्य माना है- उत्साहशक्ति, प्रभावशक्ति तथा मंत्र शक्ति। उत्साहशक्ति का अभिप्राय है- सफल युद्ध के लिए आवश्यक नैतिक बल, प्रभावशक्ति का अभिप्राय है- अस्त्र-शस्त्र आदि सामग्री तथा

मंत्र शक्ति का अभिप्राय मंत्रणा तथा कूटनीति से है। उपर्युक्त तीनों शक्तियों में आचार्य कौटिल्य ने उत्साहशक्ति को प्रधानता दी है।¹⁰ उन्होंने युद्ध के लिए संगठित और शक्तिशाली सैन्यबल का होना भी आवश्यक माना है।

युद्ध की परिस्थितियां- आचार्य कौटिल्य के अनुसार युद्ध से पूर्व विजिगीषु को निम्नलिखित परिस्थितियों पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए-

राज्य की सभी प्रकृतियां स्वस्थ हों क्योंकि एक के भी व्यसन ग्रस्त होने से युद्ध में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। युद्ध से पूर्व सैनिक शक्ति, भौतिक साधन, कूटनीति आदि सभी स्तरों पर शत्रु से श्रेष्ठ हों। युद्ध से पूर्व ही लाभ-हानि पर पूर्ण विचार-विमर्श कर लेना चाहिए तथा उसकी अनुपस्थिति में मंत्री, पुरोहित या युवराज द्वारा आन्तरिक विद्रोह करके राज्य को असुरक्षित न कर दिया जाये, इस विषय पर भी पूर्ण ध्यान देना चाहिए।¹¹

आचार्य कौटिल्य ने युद्ध के प्रबन्ध का विस्तार से विवेचन किया है, उनके शब्दों में- सैनिकों के स्वास्थ्य संरक्षण और मनोविनोद के लिए चिकित्सक, काटने के औजार, चिमनी, दवाई, घी, तेल, मरहम-पट्टी, सह-चिकित्सक, खाने-पीने की सामग्री और सैनिकों को प्रसन्न करने वाली स्त्रियां, इन सब को युद्धभूमि के लिए प्रस्थान करते समय सेना के पिछले हिस्से में रखा जाये।¹² युद्ध के समय सेनापति सिपाही को उत्साहित करे। वह इस बात की घोषणा करे के जो सिपाही युद्ध में अपनी वीरता का परिचय देगा, उसे पुरस्कृत और सम्मानित किया जावेगा, उसको पदोन्नति दी जायेगी तथा उसका वेतन दोगुना कर दिया जायेगा।

युद्ध में प्राप्त भूमि पर विचार करते हुए आचार्य कौटिल्य ने लिखा है कि विजिगीषु जब शत्रु के राज्य को अपने अधीन कर ले तो उसे नये राज्य की प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। उसे प्रजा को ऋणदान और कर मुक्ति से प्रसन्न करना चाहिए। उसे अपने प्रजा जनो के समान ही शील, वेषभूषा और आचरण का व्यवहार करना चाहिए, प्रजा के विश्वासों की भांति, राष्ट्रदेवता, समाजोत्सव तथा विहारों में अपनी भक्ति भावना रखनी चाहिए।¹³

3. यान अथवा युद्ध के लिए प्रस्थान- किसी अन्याय-वृत्ति राजा की प्रजाओं में क्षय, लोभ तथा वैराग्य (असंतोष) फैलता है, जब वह राजा न करने योग्य कार्यों को करता हो और करने योग्य कार्यों का नाश कर देता हो, जब वह दण्डनीयों को दण्ड न देता हो और अदण्डनीयों को दण्ड देता हो, जब वह प्रधान पुरुष पर दोष लगाता हो, और मान्यों का अपमान करता हो। संक्षेप में जब वह राजा प्रमाद, आलस्य और योग-क्षेम (कल्याण) की हानि द्वारा प्रजाओं को उत्तेजित करता हो। वही समय उचित अवसर है, जबकि उस राजा के विरुद्ध यान अथवा युद्ध के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए।¹⁴

यान का अभिप्राय है- वास्तविक आक्रमण। इस नीति को तभी अपनाना चाहिए जब विजिगीषु राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे तथा उसे ऐसा प्रतीत हो कि आक्रमण के बिना शत्रु को वश में करना असम्भव हो। विग्रह तथा यान में केवल स्तर का ही भेद है। आचार्य कौटिल्य के अनुसार- यदि समझे कि शत्रु के कार्यों का नाश यान से सम्भव है तथा मैंने अपने कर्मों की रक्षा का पूरा प्रबन्ध कर लिया है तो यान का आश्रय लेकर अपनी उन्नति करें।¹⁵

यान किस परिस्थिति में किया जाये इसका वर्णन करते हुए उन्होंने ने लिखा है कि- जब देखें कि शत्रु व्यसनो में फंसा हुआ है, उसका प्रकृति मण्डल के व्यसनो में उलझा है, अपनी सेनाओं से पीड़ित उसकी प्रजा उससे

विरक्त हो गई है, राजा स्वयं उत्साह हीन है, प्रकृति मण्डल में परस्पर कलह है, उसको लोभ देकर फोड़ा जा सकता है, शत्रु अग्नि, जल, व्याधि, संक्रामक रोग के कारण वह अपने वाहन, कर्मचारी, कोष आदि की रक्षा करने में असमर्थ है तो ऐसी दशा में विग्रह करके चढ़ाई कर दें।¹⁶

4. आसन- जब राजा यह समझे कि मेरा शत्रु इतना समर्थ नहीं है कि मेरे कामों को हानि पहुंचा सके और न मैं उसके कामों को बिगाड़ सकता हूं, यद्यपि शत्रु राजा पर व्यसन है, परन्तु कलह में कुत्तो और शूकर की लड़ाई के तुल्य कोई फल न निकलेगा, अपना काम करते रहने पर मैं वृद्धि को प्राप्त करूंगा- तो इस परिस्थिति में राजा चुपचाप बैठा रहे और आसन नीति का अवलम्बन करें।¹⁷

आसन का अभिप्राय है- तटस्थता। आचार्य कौटिल्य के अनुसार अपनी वृद्धि के लिए समय की प्रतीक्षा करते हुए चुपचाप बैठे रहना ही आसन नीति है। राजा आसन नीति तभी अपनाता है जब वह स्वयं को शत्रु का नाश करने में असमर्थ समझता है तथा शत्रु भी इतना प्रबल नहीं होता कि उसका नाश कर सके।¹⁸ आसन की नीति अपनाते हुए राजा के द्वारा शक्ति अर्जन की लगातार चेष्टा की जानी चाहिए। आचार्य कौटिल्य के अनुसार आसन के, स्थान तथा उपेक्षण दो नाम और भी हैं। चुपचाप बैठे रहना और किसी विषय में उपाय करते रहना स्थान है। अपनी वृद्धि के लिए चुपचाप बैठे रहना आसन कहलाता है। किसी उपाय का अवलम्बन न करना उपेक्षण कहलाता है।¹⁹ आसन दो प्रकार के हैं- विग्रहय आसन तथा सन्धाय आसन।²⁰

5. संश्रय- राजा का जो प्रिय हो अथवा दो में से जो अधिक प्रिय हो, राजा उसी का आश्रय ग्रहण करे।²¹ संश्रय का अर्थ है- बलवान राजा की शरण लेना। यदि किसी राजा में शत्रु को क्षति पहुंचाने की क्षमता का तो अभाव हो ही, अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हो तो, उसे बलवान राजा की शरण लेना चाहिए। लेकिन इस बात पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि जिसके शरण ली जा रही है, वह शत्रु से अधिक शक्तिशाली हो। आचार्य कौटिल्य के मतानुसार अगर दूसरा शक्तिशाली राजा न मिले तो, शत्रु का ही आश्रय ले लेना चाहिए।²²

6. द्वैधीभाव- सन्धि के लिए किसी राजा द्वारा कहे जाने पर अथवा स्वयं किसी राजा के साथ सन्धि करने के लिए उद्यत होने पर, विजयेच्छुक राजा प्रथम सन्धि के तथा विग्रह के लाभ- हानि पर विचार करे और जैसा भी श्रेयस्कर प्रतीत होता हो, उसके अनुसार आचरण करे।²³

द्वैधीभाव का अभिप्राय एक राजा से सन्धि तथा दूसरे से विग्रह करना है। जब कोई राजा किसी राजा से सन्धि करके उससे सेना तथा शस्त्रादि की सहायता लेकर शत्रु का नाश करता है, तो उसे द्वैधीभाव सन्धि कहते हैं। आचार्य कौटिल्य के मतानुसार द्वैधीभाव नीति के द्वारा शक्तिशाली राजा के साथ सन्धि व दुर्बल राजा के साथ विग्रह करना चाहिए। यदि संश्रय और द्वैधीभाव दोनों में समान लाभ हो तो द्वैधीभाव की नीति को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे राजा कार्यरत रहकर अपनी भलाई करता है।²⁴

आचार्य कौटिल्य ने परराष्ट्र नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए साम, दाम, भेद और दण्ड, इन चतुर्वर्ग उपायों के प्रयोग का विधान किया है।

कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति का वर्तमान में उपयोगिता²⁵ -

कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों को संकेत करती है-

1. राष्ट्रीय सुरक्षा में उपयोगिता- षाड्गुण्य नीति राष्ट्रीय सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस नीति के सिद्धांतों के अनुसार, राष्ट्रीय

सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सशक्त और निर्णायक कदम उठाने चाहिए। यह सुरक्षा को बढ़ावा देता है जो आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक सुरक्षा के रूप में व्यक्त हो सकता है।

2. संघर्ष और संरक्षण- यह नीति संघर्ष और संरक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को समझाती है। सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार को आवश्यक रक्षा संरचना, सेना और प्रशासनिक उपायों का उपयोग करना चाहिए।

3. अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा में महत्त्व- षाड्गुण्य नीति का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्त्व है। इसने विदेशी नीतियों, संबंधों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों में सुरक्षा को बढ़ावा देने के तरीकों को समझाया है।

4. संघर्ष के नियम- षाड्गुण्य नीति ने संघर्ष के नियमों को समझाया है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा में उपयोगी माना है। इसने युद्ध, शांति संधि और रक्षा के लिए विभिन्न रणनीतियों को सुझाव दिया है।

5. सामरिक सुरक्षा की बढ़ावा- नीति ने सामरिक सुरक्षा को भी महत्त्व दिया है, जो एक राष्ट्रीय सुरक्षा के माध्यम से संचालित होती है और जिसमें लोगों की सुरक्षा और संरक्षण शामिल होता है।

इन सिद्धांतों का अनुसरण करके, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा में सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सकता है। यह नीति सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को समझने और सुलझाने में मदद कर सकती है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा की गारंटी के रूप में काम करते हैं।

निष्कर्ष - कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण नीतियों को प्रस्तुत करती है। इस नीति के अनुसार, समृद्धि, समानता, और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय और संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, नीति ने शक्तिशाली संरचनाओं, सेना, और रक्षा प्रणालियों को सुझाव दिया है जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा में मदद कर सकते हैं। यह नीति अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी महत्वपूर्ण है। विदेशी नीतियों, संबंधों, और समझौतों में सुरक्षा को बढ़ावा देने के तरीकों को समझाने के साथ-साथ, इसने अंतरराष्ट्रीय समूहों और संबंधों को मजबूत करने का भी सुझाव दिया है। आचार्य कौटिल्य वर्णित अर्थशास्त्र एक व्यवहारिक ग्रंथ है जिसमें विविध समस्याओं के समाधान हेतु शत्रु राज्य के विरुद्ध विजिगीषु राज्य को कई उपाय बताये हैं। आज विश्व की बड़ी महाशक्तियां जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस इत्यादि के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामरिक व्यवहार का सिंहावलोकन करने पर पता चलता है कि षाड्गुण्य नीति एवं साम, दाम, भेद व दण्ड की नीति का ही पालन किया जा रहा है।

ऐसे में आचार्य कौटिल्य के सैन्य चिंतन की प्रासंगिकता को नकारना अथवा विस्मृत करना बड़ी भूल होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, लल्लन जी, राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा, 12वां संस्करण, पृ. 01
2. प्रो. इन्द्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पृ. 108
3. वही, पृ. 109
4. कौटिल्यम् अर्थशास्त्रम्, 2/3
5. गैरोला, वाचस्पति -कौटिल्यम् अर्थशास्त्रम्, 7/1
6. वही
7. वही, 7/3
8. प्रो. इन्द्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पृ. 111

9. गैरोला, वाचस्पति -कौटिल्यम् अर्थशास्त्रम्, 7/6	17. प्रो. इन्द्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पृ. 111
10. कौटिल्यम् अर्थशास्त्रम्, 7/1/2	18. वही
11. कौटिल्यम् अर्थशास्त्रम्, 7/16	19. कौटिल्यम् अर्थशास्त्रम्, 7/1
12. अग्रवाल, कमलेश -कौटिल्य अर्थशास्त्र एवं शुक्रनीति की राज्य व्यवस्थाएँ, पृ0 247	20. कौटिल्यम् अर्थशास्त्रम्, 7/3
13. कौटिल्यम् अर्थशास्त्रम्, 10/3	21. प्रो. इन्द्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पृ. 116
14. प्रो. इन्द्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पृ. 114-115	22. प्रसाद, चन्द्रदेव- कौटिल्य, पृ0 16
15. कौटिल्यम् अर्थशास्त्रम्, 13/5	23. प्रो. इन्द्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पृ. 117
16. कौटिल्यम् अर्थशास्त्रम्, 12/1	24. कौटिल्यम् अर्थशास्त्रम्, 7/2
	25. www.historysaransh.com

हिन्दी साहित्य में पर्यावरणीय संचेतना

डॉ. सपना*

* दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत

प्रस्तावना - 'पर्यावरण' शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। 'परि' और 'आवरण' अर्थात् हमें चारों ओर से घेरे हुए आवरण। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति संस्कृति के शब्द 'परि' उपसर्ग और 'आवरण' से प्रत्यय से मिलकर हुई है। जिसका अर्थ है ऐसी चीजों का समुच्चय जो किसी मनुष्य या जीवधारी को चारों ओर से आवृत किए हुए है। भूगोल एवं परिस्थितिकी में यह शब्द अंग्रेजी के environment के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। 'संचेतना' शब्द चेतना शब्द से ही बना है परंतु यह विशेष चेतना अर्थात् जागरूकता, सजगता के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

हिन्दी साहित्य में सामान्यतः प्रकृति और पर्यावरण को एक ही समझ कर बात की जाती है। परंतु यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रकृति और पर्यावरण एक ही शब्द नहीं हैं। प्रकृति एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है जबकि 'पर्यावरण' व्यक्ति विशेष के संदर्भ में उन सभी भौतिक, रासायनिक, एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है, जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को निर्धारित करते हैं।

पर्यावरण मूलतः प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे चारों तरफ सदैव व्याप्त रहता है। पर्यावरण में जैविक और अजैविक दो प्रकार के संघटक माने जाते हैं। जैविक संघटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े-मकोड़े, सभी जीव-जंतु और पेड़-पौधे आ जाते हैं और साथ ही उनसे जुड़ी सारी जैविक क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी। अजैविक संघटकों में चट्टानें, पर्वत, नदी, हवा और जलवायु के तत्वों के साथ और कई तत्व समाहित हैं।

मानव जीवन पर्यावरण की अनुकूलता पर निर्भर करता है। पर्यावरण की सम स्थितियाँ ही मनुष्य के जीवन की अनिवार्य शर्त हैं। परन्तु आज अन्ध आधुनिकीकरण की दौड़ में मनुष्य ने इस सार्वभौमिक सत्य को बिसार दिया है। जिसके परिणाम हमें प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखने को मिलते हैं। मानव द्वारा निरंतर किए जा रहे पर्यावरण विनाश से विश्वस्तर पर भविष्य में मानव अस्तित्व के संकट की चिंता सताने लगी है।

भारतीय समाज आदिकाल से ही प्रकृति पूजक संस्कृति के रूप में जाना जाता है। प्राचीन समय से ही हम अग्नि, सूर्य, नदियों, पेड़-पौधों, जीव-जंतु जैसे-गाय, सर्प, गरुड़, हाथी, मूशक आदि ना जाने कितने ही रूपों को देव स्वरूप मानकर पूजते आए हैं। भारतीय वाडमय में प्रारंभ से ही इसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। हमारे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद पर्यावरण के महत्व से भरे पड़े हैं।

हिन्दी साहित्य भी इस परम्परा से अछूता नहीं है। साहित्य मूलतः

समाज का ही लेखा-जोखा है। वह उसी प्रकृति पूजक, संरक्षक समाज का चित्रण आदिकाल से ही करता आया है। आदिकालीन हिन्दी साहित्य में आलंबन तथा उद्दीपन दोनों ही रूपों में प्रकृति का चित्रण हुआ है। विद्यापति अपनी 'पद्मावली' में पर्यावरण का अद्वितीय चित्र प्रस्तुत करते हैं।

**'मौली रसाल मुकुल भेल ताब
समुखहिं कोकिल पंचम गाया'**¹²

भक्ति कालीन कवि भक्ति के रहस्यात्मक वर्णन में प्रकृति के बिम्बों का मुक्तकंठ से प्रयोग करते हैं। जिसे कबीर, तुलसी, जायसी की रचनाओं में सफलता पूर्वक देखा जा सकता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में सीता और लक्ष्मण को वृक्षारोपण करते हुए दिखाते हैं।

**'तुलसी तरुवर विविध सुहाए
कहुं कहुं सिया कहुं लखन लगाएं'**¹³

रामचरितमानस में राम के वन निवास के समय के प्रसंगों में प्रकृति के अनेक रूप बिखरे पड़े हैं। सूरदास के भ्रमरगीत में पर्यावरण के सुन्दर प्रसंगानुकूल चित्र सर्वत्र व्याप्त है।

रीतिकालीन कवियों यथा बिहारी, पद्माकर, देव एवं सेनापति की रचनाओं में प्रकृति का उद्दीपन रूप में सुंदर चित्रण दर्शनीय है। बिहारी का दोहा यहाँ उल्लेखनीय है।

**'चुवत स्वेद मकरंद कन
तरु तरु तर विरमाइ
आवती दछिन देश तैं
थवयौ बटोही बाइ'**¹⁴

आधुनिक काल में छायावादी कवि आत्मोन्मुख होने के साथ ही स्वयं को प्रकृति के रूपों में खोजना चाहते हैं। छायावादी कवि स्वयं को प्रकृति से इस प्रकार आबद्ध मानते हैं कि अपने नाम के साथ प्रकृति को जोड़ लेता है। सुमित्रानंदन पंत 'प्रकृति के सुकुमार' कवि कहलाये, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने स्वयं को 'वसंत का अग्रदूत' कहा और बादल राग ही रच डाला। महादेवी वर्मा कविता में 'नीर भरी दुख की बदली' के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करती हैं। वहीं संस्करण में 'सोना हिरणी' तथा 'गुल्लू गिलहरी' का चित्रण करती हैं। प्रसाद की कविताओं में पर्यावरण की चिंता स्पष्ट रूप से दिखती है। 'कामायनी' में वे प्रकृति के मोहक और विकराल दोनों रूपों से परिचय कराते हैं। जहाँ प्रकृति देवताओं की असहिष्णु, अकर्मण्य और असंतुलित दोहन की लालची प्रवृत्ति से क्षुब्ध होकर विकराल रूप धारण करती है जिसके परिणामस्वरूप जल प्लावन होता है एवं देव सभ्यता नष्ट

हो जाती है।

**‘प्रकृति रही दुर्जय, पराजित
हम सब थे भूले मद में
भोले थे, हाँ तिरते केवल
सब विलासिता के नद में।
वे सब डूबे, डूबा उनका
विभव, बन गया परावर
उमड़ रहा है देव सुखों पर
दुख जलधि का नाद अपार।’⁵**

प्रकृति के पास ध्वंस के उपरांत सुधार और नवीन सृजन के स्वयं का का तंत्र होता है। प्रकृति मानव हस्तक्षेप से प्रभावित होकर ध्वंस करती है। परंतु यदि मनुष्य हस्तक्षेप न करे तो स्वयं के पुनर्सृजन की क्षमता भी रखती है। प्रलय की भयानक रात्री बीत जाने के पश्चात्य सुन्दर सुनहरी सुबह भी होती है।

**‘उषा सुनहले तीर बरसती, जल लक्ष्मी सी उदित हुई
उधर पराजित काल रात्री भी, जल में अन्तर्निहित हुई।’**

आधुनिक काल में भी पर्यावरण की चिंता अनेक रूपों में दिखती है। यहाँ अज्ञेय नगरीय जीवन की धूर्तताओं और स्वार्थपरक आत्मकेंद्रितता पर चोट करते हैं।

**‘सांप
तुम सभ्य तो हुए नहीं
नगर में बसना
भी तुम्हें नहीं आया
एक बात पूछूँ (उत्तर दोगे?)
तब कैसे, सीखा इसना
विष कहाँ से पाया।’⁶**

काशीनाथ सिंह का ‘जंगल जातकम’ पर्यावरण को बचाने की अच्छी

कोशिश है। लेखक संवेदनात्मक धरातल पर जंगल का मानवीकरण करते हैं। नागार्जुन ‘वरुण के बेटे’, सर्वेश्वर की ‘कुआनी नदी’, सर्वेश्वर दायाल सवसेना की ‘भेड़िए’, चंद्रकांत देवताले की रचनाएं, नासिरा शर्मा की ‘कुइयांजान’, रत्नेश्वर कुमार सिंह की ‘एक लकड़ी पानी पानी’ और ‘देखना मेरी जान’ पर्यावरण के सन्दर्भ में लिखी गयी है। निर्मला पुतुल की कविताओं में जल-जंगल को बचाने की पुरजोर कोशिश है। वहीं अनिल यादव की ‘कीड़ाजड़ी’ में पहाड़ी पर्यावरण और उसकी चिंताओं का संवेदनात्मक चित्रण करते हैं।

मनुष्य द्वारा प्रकृति के निरंतर तीव्र दोहन एवं असीम पूंजी उगाही की अंध लालसा ने पर्यावरण प्रदूषण से होते हुए आज पर्यावरण परिवर्तन की गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। आज यह विश्व के सम्मुख गंभीर चुनौती है। जिसने मनुष्य के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। बड़े- बड़े द्वीप (देश) जलमग्न हो रहे हैं। इस समस्या पर प्रथम विचार स्टॉकहोम (1972) में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू एन ई पी) बैनर तले बने समूह ने जल संकट पर गंभीर रिपोर्ट रखी है। मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए सचेत होकर तत्काल प्रयास प्रारंभ करने होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विकिपीडिया।
2. पदावली, विद्यापति।
3. रामचरितमानस, अयोध्या कांड, गोस्वामी तुलसीदास, गीताप्रेस, गोखपुर।
4. बिहारी सतसई, भाग-60, बिहार, प्रकाशन पुस्तक भंडार, पटना, 1947
5. कामायनी, चिंता सर्ग, जयशंकर प्रसाद, मधुर पेपर बैक्स, 1936
6. इन्द्र-धनु रौंदे हुए थे, अज्ञेय, सांप, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद, बनारस, 1957

Callus culture from apical bud of *Bombax ceiba* L. (semul)

Dr. Kanchan Vaidya*

*Asst. Professor (Botany) Govt. Sanjay Gandhi Smriti PG College, Ganjbasoda (M.P.) INDIA

Abstract - Callus of *Bombax ceiba* L. Regenerated from apical bud explant. WPM. supplemented with different concentration and combination of plant growth regulators with NAA, KN, BAP maximum callus induction occurred in high concentration of NAA with low to high concentration of BAP

Keywords- Callus, Plant growth hormones, NAA, BAP, KN.

Introduction - The major micro propagation system can be recognised by axillary shoot proliferation, adventitious shoot formation directly from organ and indirectly by callus and somatic embryogenesis directly from organ or from callus. (Jones 1983, Ammirato and styer 1985, Bonga and Aderkas 1992, Finer 1995). In these system callus also play an important role in Plant Tissue Culture Technique. The main advantage of propagation from callus, and especially from cell suspension, are that propagation can potential be achieved in large number per unit time, that handling procedure are simpler and that experimental genetic modification is easier to achieve (Krikorian 1982). Semul *Bombax ceiba* L. is an important tree species used in match would and insulation industries (Venkatesh 1988). The young fruits are reported to be employed as expectorant, stimulant and diuretic. The oil from the seeds is edible and can be used as a substitute for cotton seed oil. It can also be used for soap making and as an illuminant (Chatterjee and Prakash 1994). Besides it possesses high medicinal value. Its propagation through conventional vegetative method is very poor and survival rate meagre. (Ghate et al 1988). Besides naturally propagated through seeds with long generation period, improvement possibilities of the tree are limited since callus induction in semul (*Bombax ceiba* L.) proceeds for adventitious shoot formation and somatic embryogenesis. In present investigation has been taken up apical bud for callus culture

Material and method: Various vegetative mature and juvenile explant were used for callus culture. explants were collected from the nature grown selected plus tree 0.4 -0.7 cm long apical bud

Mature apical but were thoroughly washed in running tap water 2 - 3 hour immersed in depol 0.01% (v/v) for 10 minutes and then rinsed with tap water 2 -3 times and finally wash with distilled water 2-3 times they were then immersed

in 70% (v/v) ethanol 5-7 minutes this was followed by mercuric chloride 0.1% (w/v) treatment for 10 minutes. These explant work right between presterilized filter papers and inoculated on the sterile culture media

The medium was supplementary with different concentration of growth regulators viz. cytokinin BAP (Benzyl Amino Purine) and KN (6 Furfuryl Amino Purine). Or in combination with an auxin viz. NAA (Naphthalene Acetic Acid) the pH of the medium was adjusted 5.6—5.8 before autoclaving at 15 lbs pressure and 121°C for 20 minutes. The medium was solidify using 8 g/l agar (Difco Bacto) at least 15 culture were raised in each experiment and all experiments were repeated at least twice. Culture maintained at 25 ±2°C and relative humidity (RH) of 70% with 16-hour photoperiod (approx. 1500 lux) and 8 hr dark and sub-cultured every 4-6 weeks

Result and Discussion: In present work initially all experiments were carried out on both WPM (woody plant medium) and MS medium. But in case of callus induction WPM was found to be better than MS media. WPM supplemented. With various auxin NAA, 2,4 -D, IAA and cytokinin with BAP, KN were observed. In aseptic culture of apical bud in the present study the main hazards was exudation of phenolic substance in the medium due to which apical bud is necrosed and provide no in vitro response as reported in the past (Cresswell et al 1982). Phenolic exudation observed in mature plant was for higher than Juvenile once.

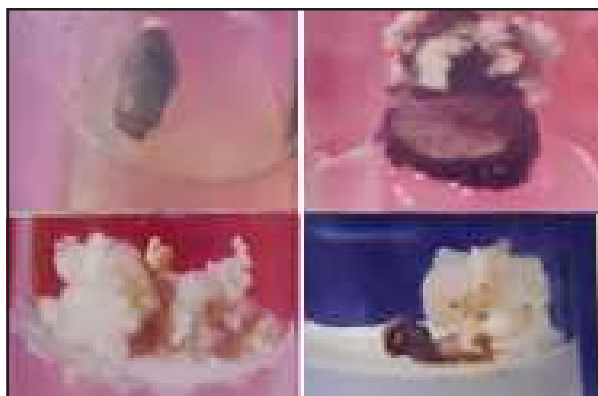
Apical bud of semul cultured in WPM (Woody plant medium). Containing high concentration of NAA and low to high concentration of BAP is best for callus proliferation. callus observed in 100% apical bud explant within 10 — 12 days, in NAA 2.68 µm + BAP 2.21µm, NAA 5.37 µm + BAP 2.21µm, NAA 5.37µm + BAP 44.39µm, NAA 26.35 + BAP 0.44µm. The callus obtained was white friable

in texture and fast growing and also used for further regeneration. Whereas 2,4-D is also produced 80% callus but this callus is dull brown, soft and slow growing. In IAA only lowest concentration supported callusing. Callus was soft slow growing. Regeneration of plants from callus or cell suspension has been achieved with several tree species viz. *Santalum* (Laxmi Sita et. al.1980, Bapat and Rao 1984) *Hevea* (Carron and Enjalric 1982) *Mangifera indica* (Litz 1984) *Cocos nucifera* (Branton and Blake 1983). In this way callus induction by apical bud of *Bombax ceiba* L. may be used for further regeneration by in vitro method.

Callus Culture From Apical Bud of *Bombax Ceiba* After 10-12 Days of Culture (Data Are Mean+Se)

S.	Concentrations (μm)	Nature Of Response	Frequency Of Callus
	NAA+ BAP	-	-
1	0.53+0.44	-	-
2	0.53+2.21	C ⁺	98.65+0.6
3	0.53+4.43	C ⁺	87.96+1.2
4	0.53+22.19	C ⁺	55.34+1.1
5	0.53+44.39	C ⁺	73.48+1.4
6	2.68+0.44	C ⁺	100.0+0.0
7	2.68+2.21	C ⁺	80.00+1.9
8	2.68+4.43	C ⁺	-
9	2.68+22.19	-	42.06+0.0
10	2.68+44.39	C ⁺⁺⁺	100.0+0.0
11	5.37+0.44	C ⁺⁺⁺	100.0+0.0
12	5.37+2.21	C ⁺⁺⁺	73.67+8.16
13	5.37+4.43	C ⁺⁺⁺	58.55+1.8
14	5.37+22.19	C ⁺⁺⁺	100+0.00
15	5.37+44.39	C ⁺⁺⁺	100+0.00
16	26.35+0.44	C ⁺⁺⁺	97.22+2.8
17	26.35+2.21	C ⁺⁺⁺	73.61+1.4
18	26.35+4.43	C ⁺⁺⁺	61.11+1.1
19	26.35+22.19	C ⁺	-
20	26.35+44.39	-	77.7+2.7
21	53.70+0.44	C ⁺⁺	72.5+1.4
22	53.70+2.21	C ⁺⁺	53.7+1.9
23	53.70+4.43	C ⁺⁺	-
24	53.70+22.19	-	-
25	53.70+44.39	-	-

C Callus ++ Localised callus - No response
 + scanty Callus +++ profuse callus



Callus induction form Apical bud of *Bombax ceiba* L.(Semul).

Conclusion: The above results emphasizes that callus culture of *Bombax ceiba* L is feasible from apical bud explant. It is suggested that further study of in vitro regeneration should be carried out from the apical but derived callus in order to enhance the propagation efficiency of *Bombax ceiba* L as a high multiplication rate could be achieved further experiment can be carried out to produce secondary metabolite from the apical bud derived of *Bombax ceiba* L

References:-

1. Ammirato, P.V. and Styer, D.J. (1985), Strategies for large scale multiplication of somatic embryo's in suspension culture in: Biotechnology in plant science. Zaitin, M. Day P. and Hollender, A. (eds) Acad. press New York. PP-161-178.
2. Bapat, V.A. and Rao, P.S. (1984). Regulatory factor for in vitro multiplication of sandalwood tree *Santalum album* I shoot but regeneration and somatic embryogenesis in hypocotyle cultures Proc. Ind. Acad. Sci. (Plant Sci) 93 (1):19-27
3. Bonga, J.M. and Aderkas, P.V. (1992), Clonal propagation, In vitro culture of Trees Kluwer Acad. pub. Dordrecht. The Netherlands
4. Branton, R.L., and Blake, J. (1983). Development of organised structure in callus derived from explant of *cocos nucifera* L. Ann. Bot 52: 673—678
5. Carron, M.P., and Enjalric, F. (1982). Studies on vegetative micropropagation of *Hevea brasiliensis* by somatic embryogenesis and in vitro microcutting. In: Plant Tissue Culture, fojiwara, A. (ed) Maruzen. Co. Tokoya, PP 111—112.
6. Chatterjee, A. and Pakrashi, S.C. (1994). The treatise on Indian Medicinal Plant Vol.3 publication and information Directorate, New Delhi, PP 36—71.
7. Finer, J.J. (1995). Direct somatic embryogenesis in plant cell tissue and organ culture-Fundal Methods Gamborg, O.I. and Philips, C.G. (eds) Springer—Verlag, Barlin Heidelberg. PP 91—102.
8. Cresswell, D., Boulay, M. and Franclet, A. (1982). Vegetative propagation of Eucalyptus. In Tissue Culture in Forestry. Bonga, J.M. and Durzan, D.J. (eds), Martinus Nijhoff/Dr. W. Junk Publisher, Dordrecht, PP 150—181
9. Ghate, V.S., Agte, V. and Vartak, V.D. (1988). Promising economic potential of Semul (*Bombax ceiba* L.) as a Tuber Crop. Ind. J. For 11(2):158-159.
10. Jones, O.P. (1983). In vitro propagation of tree crop. In Plant Biotechnology, Mantell S.H. and Smith, H. (eds), Cambridge Univ. Press PP:139-159.
11. Krikorian, A.D. (1982). Cloning higher Plants form aseptically Cultured tissue and cells. Biol. Rev, 57:151-218.
12. Laxmi Sita, G. Raghva Ram, N.V. and Vaidyanathan, C.S. (1980). Triploid plants from endosperm culture of

- Sandal Wood by experimental embryogenesis. Plant Sci.Lett. 20:63 -69.
13. Litz,R.E.(1984). In vitro somatic embryogenesis from nuclear cell of monoembryonic *Mangifera indica* L .Hort.Sci.19:1962-1964.
14. Venkatesh,C.S.(1988). Genetic importance of multipurpose tree species. The International Tree Crop.Jour, 5:109-124.

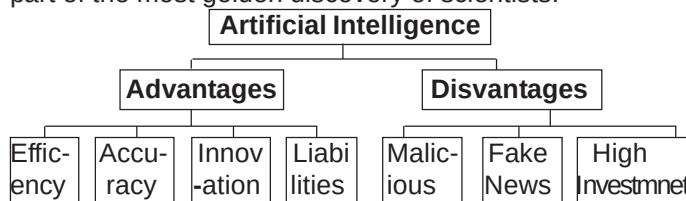
An Overview of AI Technology in Society

Dalendra Kumar Bhatt*

*Govt. College, Sitamau, Distt. Mandsaur (M.P.) INDIA

Introduction - Today the whole world is running after it, we have highlighted some special aspects in this research article. Artificial intelligence aims to imitate human intelligence. At present, the whole world is going through the transition period of artificial intelligence. In this, we need to explain it in the sense of utility for the society. Whenever any new technology comes, it has to prove itself better in the context of the old one. Artificial intelligence is a Apart from being a new technology, it is also a subject of curiosity. **Keywords:** Artificial intelligence (AI), human intelligence, future of Society, AI's era.

The origin of artificial intelligence: Although nothing can be said with certainty about the origin of artificial intelligence, its idea had come before the world since the beginning of the 19th century. The maximum interest of scientists about this was seen in the 1980s, when the computer era had started, from then till the present day, it has remained a part of the most golden discovery of scientists.



Advantages of artificial intelligence: Artificial Intelligence can bring revolutionary changes in the future of society in fields like medicine, education, energy, driverless cars, smart cities etc.

There are many other benefits of Artificial Intelligence such as it makes human work easier, takes decisions faster, work can be done faster in the industry. It can do everything that a human can do.

The use of artificial intelligence can bring revolutionary changes in many areas like space, healthcare, transportation and communication. This could lead to a world of increased efficiency, productivity and quality of life for many people. As artificial intelligence becomes more powerful, their decision-making abilities improve. Artificial intelligence gives an idea to make in modern society across various fields like healthcare analysis, fraud detection, manufacturing, risk assessment, language translation and vehicles, improve efficiency, accuracy, and traffic

management etc. Overall, AI gives the potential to take exact decision and making efficiency and accuracy of modern society.

Disvantages of artificial intelligence: Humans can hold several different contradictory mindsets at one time, whereas the thought processes of machines can only follow a logical chain. They cannot identify emotionally about good and bad at that moment. Artificial Intelligence can do every work quickly which a human cannot do so quickly. For this reason, misuse of Artificial Intelligence can become a threat to the entire humanity. Artificial Intelligence is a technology in which a machine can cause irreparable harm to humans due to it being capable of taking decisions automatically.

With the advent of artificial intelligence, humans can become lazy. If every work is done by machines, then it is natural that human labor will decrease due to the impact of people's ability to work, which is the harbinger of decline for any nation. Apart from being very expensive to create artificial intelligence, it is also very important for the people using it to be proficient in it, otherwise its overall use will not be possible. If society does not have complete control over technology then there are always some concerns in the society. Although the misuse of artificial intelligence poses a threat to the physical security of the society, when it comes to the benefits of artificial intelligence, it can be beneficial whenever there is a large amount of data or information to be analyzed. This can be done easily using this type of technology.

Artificial intelligence can be used for malicious purposes by others, such as: - Making predictions using logical geometry. It can also be used to create fake or distorted news and to control people's thoughts. Additionally, artificial intelligence can take decisions that lead to destruction of the entire universe.

Conclusion: In today's era, where there is always a doubt about the trustworthiness of humans, there can be no doubt about the trustworthiness of artificial intelligence. It has brought revolutionary changes in many areas like space, healthcare, transportation and communication. This could lead to a world of increased efficiency, productivity and quality of life for many people.

Artificial Intelligence is finding many ways to advance

society in health and safety and continues to create new innovations to improve our daily lives. Every situation or option will have some disadvantages, but taken as a whole, there are clearly advantages to artificial intelligence in mitigating or tolerating the disadvantages along with the liabilities. The future of Society will depends on AI expect in the next century years. Society's life and its behaviors will be transformed as AI's bi-lows.

References:-

1. A.Vaio, R. Palladino, R. Hassan, O. Escobar:- Artificial intelligence and business models in the sustainable development goals perspective: A systematic literature review. J. Bus. Res., 121, 283–314(2020).
2. Das, B. & Majumder, M:- Factual open cloze question generation for assessment of learner's knowledge. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 14(24) (2017).
3. Davadas, S.D.; Lay, Y.F. :-Factors affecting students' attitude toward mathematics: A structural equation modeling approach. Eurasia J. Math. Sci. Technol. Educ. (2017).
4. N. Soni, E.K. Sharma, N. Singh, A. Kapoor:-Impact of Artificial Intelligence on Businesses: From Research, Innovation, Market Deployment to Future Shifts in Business Models. arXiv, arXiv:1905.02092(2019).
5. Shukla, A.K.; Janmajaya, M.; Abraham, A.; Muhuri, P.K. Engineering applications of artificial intelligence: A bibliometric analysis of 30 years (1988–2018). Eng. Appl. Artif. Intell., 85, 517–532(2019).
6. S. Chatterjee and K.K Bhattacharjee, "Adoption of artificial intelligence in higher education: A quantitative analysis using structural equation modelling", Education and Information Technologies, vol. 25, no. 5, pp. 3443-3463(2020).

Offloading Methods in Mobile Cloud Computing

Prof. Syed Asif Ali*

*Vice Principal & HOD (Computers) Prof. Brijmohan Mishra Institute of Medical and Technical Sciences,
Burhanpur (M.P.) INDIA

Abstract - Based on user behavior and demand, the computational tasks are first offloaded from mobile users to the mobile edge network and then executed at one or several specific base stations in the mobile edge network. The MEC architecture has the capability to handle a large number of devices that in turn generate high volumes of traffic. In this work, we first provide a holistic overview of MCC/MEC technology that includes the background and evolution of remote computation technologies. We further discuss the challenges and potential future directions for MEC research. Offloading works as the fundamental feature that enables MCC to relieve task load and extend data storage through an accessible cloud resource pool. Several initiatives have drawn attention to delivering MCC-supported energy-oriented offloading as a method to cope with a lately steep increase in the number of rich mobile applications and the enduring limitations of battery technologies. However, MCC offloading relieves only the burden of energy consumption of mobile devices; performance concerns about Cloud resources, in most cases, are not considered when dynamically allocating them for dealing with mobile tasks. The application context of MCC, encompassing urban computing, aggravates the situation with very large-scale scenarios, posing as a challenge for achieving greener solutions in the scope of Cloud resources. Thus, this article gathers and analyzes recent energy-aware offloading protocols and architectures.

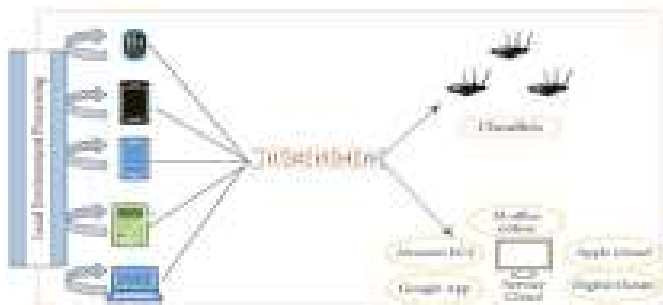
Introduction - Cloud Computing is an emerging paradigm which caters to the use of a number of remote servers that are hosted on internet, to store and manipulate data. There is no need to keep huge data and its transactions on a local or personal computer. As per NIST (National Institute of Standards and Technology), Cloud Computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared pool of computing resources that can be rapidly provided with minimal management efforts. As the Cloud Computing uses pay as you demand strategy, it is considered to be the most economical way of using the network services. Cloud Computing is described as a distributed system that gives computing services via the TCP/IP. The main benefits of Cloud Computing are on demand self-service, ubiquitous network access, location independent resource pooling and transfer of risks. Certain additional advantages are lower costs, ease of utilization, quality of service and reliability. The problem areas include risk of data confidentiality, complete dependency on internet connection and quite vulnerability to infiltration. However, the Cloud Computing has played a vital role in today's world. There are two types of Cloud Computing models namely Deployment Model and Service Model. The Deployment model consists of Public Cloud, Community Cloud, Private Cloud and Hybrid Cloud. It mainly deals with the provision of internet to a particular number and type of users. On the

other side the Service Model takes into account the infrastructure, software, platform and desktop as a service in cloud computing.

Mobile Computing is a paradigm that transmits data, voice and video through a computer or any wireless enabled device. The major components involved are Mobile Communication, Mobile Hardware and Mobile Software. The Mobile communication is the term which is used for seamless and reliable communication. This includes devices such as protocols, services, bandwidth and other portals. The Mobile Hardware includes hardware devices like laptops, mobile phones and palm tops. Mobile Software is the program that runs on the mobile device. It deals with the characteristics of mobile applications. It includes all the features of mobile communication. Mobile Cloud Computing is an integration of cloud computing technology with mobile computing to make mobile devices resource-full in terms of computational power, memory, storage and energy. According to the Mobile Cloud Computing Forum "Mobile Cloud Computing at its simplest form refers to an infrastructure where both the data storage and the data processing happen outside of the mobile device. Mobile cloud applications move the computing power and data storage away from mobile phones and into the cloud, bringing applications and mobile computing to not just smartphone users but a much broader range of mobile

subscribers”.

Mobile Cloud Computing centers are accessed via a mobile browser from a remote web server, without the need for installing a client application on the recipient phone. In other words, Mobile Cloud Computing means to run an application for mobile on a remote resource rich server while the mobile device acts like a thin client connecting over to the remote server through a wireless media like 3G, 4G or Wi-Fi. A mobile cloud approach enables developers to build applications designed specifically for mobile users without being restricted by the mobile operating system and the computing power or memory capacity of the smart phone. Some examples of Mobile Cloud Computing are Facebook services, twitter for mobile and mobile weather widgets. With the ever-going usage of Internet, there is a growing trend of disseminating and exchanging information via the Mobile Cloud Computing paradigm.



Concepts and background

Cloud computing: CC is a new way of providing computing resources and services. It refers to an on-demand infrastructure that allows users to access computing resources anytime from anywhere. CC offers to users and business three main advantages:

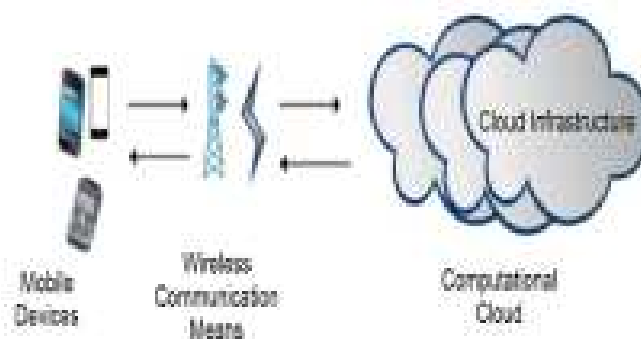
1. Enormous computing resources available on demand,
2. Payment for use as needed and on a short-term basis (storage by the day and release them as needed), and
3. Simplified IT management and maintenance capabilities.

CC provides clients with different applications as services via the Internet. As examples of public CC we can list Windows Azure and Amazon Web Services (AWS). Windows Azure is an open and flexible cloud platform which provides several services to develop, deploy and run web applications and services in cloud data centers. AWS, which is considered as an example of a public computing tool, provides users with two models: infrastructure as a service and software as a service. These services allow the user to use virtualized resources in cloud data centers. Computational clouds implement a variety of service models in order to use them in different computing visions.

Mobile cloud computing: MCC can be seen as a bridge that fills the gap between the limited computing resources of SMDs and processing requirements of intensive applications on SMDs.

The Mobile Cloud Computing Forum defines MCC as

follows: “Mobile Cloud Computing at its simplest form refers to an infrastructure where both the data storage and the data processing happen outside of the mobile device. Mobile cloud applications move the computing power and data storage away from mobile phones and into the cloud, bringing applications and mobile computing to not just smartphone users but a much broader range of mobile subscribers”.



MCC has attracted the attention of business people as a beneficial and useful business solution that minimizes the development and execution costs of mobile applications, allowing mobile users to acquire latest technology conveniently on an on-demand basis.

Objective (s) /need of study:

1. To analyze and implement various existing Computation Offloading approaches in Mobile Cloud Computing.
2. To improve Mobile Computation offloading methods to reduce computational overhead.
3. To evaluate the performance of the proposed strategies in terms of efficiency and context awareness parameters like performance enhancement, local resources access and computational intensity.

Need of the study: The aim of this study is to the Computation Offloading is migrating all the process or a part of the application to the Cloud for execution. Mobile Cloud Computing uses different application development models that support computation offloading. Generally there are two environments where the applications can be held—the smartphone and the cloud. Hence, Mobile computing assisted with cloud computing gives us the benefit to transfer, storing of data and its processing is done at the cloud end. To deploy this advantage, the consumer and enterprise markets are increasingly adopting this mobile cloud approach to provide best services to the customers and end users. It will boost their profits by reducing the development cost incurred in developing mobile applications. The infrastructure-based architecture of MCC is taken into consideration in which the computer infrastructure does not change positions and provides services to mobile users, via Wi-Fi or 3G. These models migrates heavy applications to the cloud through a process module and application that is in the cloud and helps to

execute mobile phone's requests. There are two types of Mobile Cloud Applications which are almost similar in nature.

Conclusion: This paper discusses three main concepts: (1) cloud computing, (2) mobile cloud computing, and (3) computation offloading. More specifically, it presents existing frameworks for computation offloading along with the various techniques used to enhance the capabilities of smartphone devices based on the available cloud resources. The paper investigates the different issues in current offloading frameworks and highlights challenges that still obstruct these frameworks in MCC. Moreover, the paper shows the different approaches that are used by the frameworks to achieve offloading. Some of these approaches use static offloading while others employ dynamic offloading. Even though there exist a variety of approaches, all of them target the same objective which is the improvement of the smartphone device capabilities by saving energy, reducing response time, or minimizing the execution cost.

We notice that current offloading frameworks are still facing some challenges and difficulties. For instance, lack of standard architectures. This shortage leads to more complications while developing and managing a proposed framework. Finally, it is important to come up with a lightweight paradigm or model that will help to overcome

the difficulties and minimizing efforts while developing, deploying, and managing an offloading framework.

We believe that exploring other alternatives, such as introducing a middleware based architecture using an optimizing offloading algorithm, could help better the available frameworks and provide more efficient and more flexible solutions to the MCC users

References:-

1. Computation Offloading in Mobile Cloud Computing and Mobile Edge Computing: Survey, Taxonomy, and Open Issues (researchgate.net))
2. Sustainable Offloading in Mobile Cloud Computing: Algorithmic Design and Implementation: ACM Computing Surveys: Vol 52, No 1
3. Almadhor, Ahmad & Alharbi, Abdullah & Alshamrani, Ahmad & Alosaimi, Wael & Alyami, Hashem. (2022). A new offloading method in the green mobile cloud computing based on a hybrid meta-heuristic algorithm. Sustainable Computing: Informatics and Systems. 36. 100812. 10.1016/j.suscom.2022.100812.
4. Thakur, Pawan & Verma, Amandeep. (2015). Process Batch Offloading Method for Mobile-Cloud Computing Platform. Journal of Cases on Information Technology. 17. 1-13. 10.4018/JCIT.2015070101.
5. Mobile cloud computing for computation offloading: Issues and challenges - ScienceDirect

समाज में व्यक्ति का असामान्य व्यवहार

श्रीमती कविता आर्य रामाणी*

* पूनमचंद गुप्ता वोकेशनल महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – असामान्य का अर्थ है, भिन्न। जब हमें अपने आस-पास कुछ अलग सा घटित होता दिखाई देता है, तब उसे हम असामान्य कह सकते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव रचित हो सकता है। यह व्यवहार भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है या परिदृश्य भी। वैसे तो सभी मनुष्यों के व्यवहार में कुछ न कुछ विशेषता और भिन्नता होती है जो एक व्यक्ति को दूसरे से भिन्न बतलाती है, फिर भी जब तक वह विशेषता अति अद्भुत न हो, कोई उससे उद्दिष्ट नहीं होता, उसकी ओर किसी का विशेष ध्यान नहीं जाता। पर जब किसी व्यक्ति का व्यवहार, ज्ञान, भावना, या क्रिया दूसरे व्यक्तियों से विशेष मात्रा और विशेष प्रकार से भिन्न हो और इतना भिन्न हो कि दूसरे लोगों को विचित्र लगे, तब उस क्रिया या व्यवहार को असामान्य या असाधारण कहते हैं। आधुनिक समय में असामान्य व्यवहार पहचान पाना कठिन है और उसे परिभाषित करना कठिन हो सकता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो इसे नोटिस करना अक्सर आसान होता है। असामान्य व्यवहार उन कार्यों के लिए एक मनोवैज्ञानिक शब्द है जो किसी विशेष समाज या संस्कृति में मानक माने जाने वाले दायरे से बाहर होते हैं। यह असामान्य व्यवहार परिभाषा कई उद्देश्यों के लिए कार्यात्मक और उपयोगी है। हालाँकि, असामान्य व्यवहार की अधिकांश परिभाषाएँ इस बात को भी ध्यान में रखती हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मानसिक बीमारी, दर्द और तनाव अक्सर व्यवहार पैटर्न में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ऐसे मनोरोग जिनमें अनेक प्रकार की मनोविकृतियाँ उनके लक्षणों के रूप में पाई जाती हैं। इनके होने से व्यक्ति के आचार और व्यवहार में कुछ विचित्रता आ जाती है, पर वह सर्वथा निकम्मा और अयोग्य नहीं हो जाता। इनको साधारण मनोरोग कह सकते हैं। ऐसे किसी रोग में मन में कोई विचार बहुत दृढ़ता के साथ बैठ जाता है और हटाए नहीं हटता। यदा-कदा और अनिवार्य रूप से वह रोगी के मन में आता रहता है। किसी में किसी असामान्य विचित्र और अकारण विशेष भय यदा-कदा और अनिवार्य रूप से अनुभव होता रहता है। जिन वस्तुओं से साधारण मनुष्य नहीं डरते, मानसिक रोगी उनसे भयभीत होता है। कुछ लोग किसी विशेष प्रकार की क्रिया को करने के लिए, जिसकी उनको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं, अपने अंदर से इतने अधिक प्रेरित और बाध्य हो जाते हैं कि उन्हें किए बिना उनको सुकून नहीं आता।

असामान्य व्यवहार की परिभाषा व्यक्तिपरक हो सकती है और सांस्कृतिक प्रभावों पर काफी हद तक निर्भर हो सकती है। कुछ ऐसा जो एक संस्कृति में असामान्य व्यवहार है, वह दूसरों में असामान्य नहीं हो सकता है। समाज भी सदैव परिवर्तनशील है। एक प्रकार का व्यवहार सैकड़ों वर्ष पहले पूर्णतः स्वीकार्य रहा होगा जो आज स्वीकार्य नहीं है।

शब्द कुंजी – असामान्य व्यवहार, मनोविज्ञान, मानसिक रोग, विकृति, सांवेगिक अस्थिरता, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, अल्जाइमर, एंजायटी, डिमेंशिया, डायथेसिसमॉडल, सामाजिक-सांस्कृतिक तनाव।

परिकल्पना – प्रकृति ने मनुष्य को अनेक गुणों से संवारा है। इन्हीं गुणों में से एक गुण जिज्ञासा का भी है। इस गुण के कारण मनुष्य अपने तथा दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। जब व्यक्ति ने अपने तथा दूसरों के व्यवहारों को वातावरण के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की तो मनोविज्ञान का जन्म हुआ। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न हो सकने वाले असामान्य व्यवहार को हम निम्न बिन्दुओं में बाँट सकते हैं-

1. असामान्य व्यवहार किस प्रकार का हो सकता है,
2. असामान्य व्यवहार को किन-किन भागों में बांटा जा सकता है,
3. बच्चों, वयस्कों एवं वृद्धों में असामान्य व्यवहार के लक्षण और उनका निदान,
4. भारत एवं अन्य देशों में बढ़ता असामान्य व्यवहार,
5. विभिन्न प्रकार के असामान्य व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन।

असामान्य मनोविज्ञान के कारक – विश्व स्वास्थ्य संगठन (2022) के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक विकार किसी व्यक्ति के संज्ञान, भावनात्मक विनियमन या व्यवहार में नैदानिक रूप से महत्वपूर्ण गड़बड़ी है। असामान्य व्यवहार शब्द को परिभाषित करना कठिन हो सकता है। हमारे पास असामान्य व्यवहार का वर्णन करने के कई तरीके हैं, जैसे पागलपन, या भावनात्मक रूप से परेशान इत्यादि। कुछ कारक हैं जो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण वह असामान्य व्यवहार करने लगता है। असामान्य व्यवहार मुख्यतः तीन ज्ञात कारकों के कारण होता है।

जैविक कारक – जीन में हमारे व्यक्तित्व के 90% गुण शामिल होते हैं, और हम उन्हें अपने माता-पिता से प्राप्त करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जीन के कुछ सेट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित होते रहते हैं। असामान्य व्यवहार के लक्षण आनुवंशिक भी हो सकते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकते हैं। सिजोफ्रेनिया असामान्य व्यवहार का एक उदाहरण है। यह किसी व्यक्ति में जीन का एक विशिष्ट पैटर्न है, जो उन्हें दूसरों की तुलना में उल्लेखित बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। जीन का यह पैटर्न आनुवंशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानान्तरित होता है। जीन के अलावा, अन्य जैविक कारक जो किसी के व्यवहार की असामान्यता में कुशलता से योगदान करते हैं, वे न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन हैं। जीएबीए, नॉरपेनेफ्रिन इत्यादि जैसे न्यूरोट्रांसमीटर में असंतुलन, असामान्य तंत्रिका प्लास्टिसिटी या मस्तिष्क की शिथिलता का कारण बनता

है। डोपामाइन सेरोटोनिन जैसे हार्मोन का असंतुलन, मूड और चिंता विकार का कारण बन सकता है जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

मनोवैज्ञानिक कारक- मनोवैज्ञानिक कारक मुख्य रूप से इस बात में हस्तक्षेप करते हैं कि कोई व्यक्ति बाहरी और आंतरिक तनाव से कैसे निपटता है। उनके व्यवहार का प्रतिबिंब दर्शाता है कि वे अपनी भावनाओं या अतार्किक भय को कितने बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं और उनके जीवन के अनुभवों और सीखों को कितना प्रभावित कर सकते हैं। सुपरईगो का असंगत विकास या यहां तक कि सुपरईगो की कमी धीरे-धीरे तर्कहीन और असामान्य व्यवहार में विकसित हो सकती है। हीन या श्रेष्ठ भावना किसी व्यक्ति के अवचेतन एवं चेतन मन पर हमला कर सकती है, जिससे बहुत ही असामान्य व्यवहार और विचार उत्पन्न होते हैं, जो समाज के मानदंडों के विपरीत हैं। इस प्रकार का व्यवहार पूरी तरह से असामान्य नहीं है किंतु इसके निदान की आवश्यकता हो सकती है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक- सामाजिक-सांस्कृतिक शब्द अलग-अलग दायरे वाली विभिन्न संस्थाओं को संदर्भित करता है, उदाहरण के लिए, परिवार और दोस्त या पड़ोस या यहां तक कि किसी विशेष देश की नीतियां। तुलना और भेदभाव, असामान्य व्यवहार के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों को प्रभावित करने वाले शीर्ष कारक बने हुए हैं। आईव्यू या धन या यहां तक कि दिखावे के बीच तुलना के परिणामस्वरूप मनोवैज्ञानिक विकार हो सकते हैं। व्यक्ति अपने अस्तित्व के प्रति अधिक सचेत हो जाता है जिससे विचलित व्यवहार उत्पन्न हो सकता है। लिंग, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, वैवाहिक स्थिति, रंग आदि के आधार पर भेदभाव किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, जिससे वे मानसिक रूप से बाधित हो सकते हैं या उनमें अतार्किक भय भी विकसित हो सकता है। दुर्व्यवहार एक मानसिक घाव भी छोड़ सकता है और किसी व्यक्ति में असामान्य व्यवहार विकसित कर सकता है। विषाक्त पालन-पोषण, जहां माता-पिता अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं या उनकी तुलना करते हैं या उनके साथ शारीरिक या मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करते हैं, उन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बच्चों में असामान्य व्यवहार दिखाई देने लगता है, जैसे पढ़ाई में रुचि कम होना, विश्वास की समस्या पैदा होना और यहां तक कि अपनी राय बताने से डरना, जिससे उनके मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ने लगता है।

असामान्य मनोविज्ञान की श्रेणियां :

बालको में असामान्य व्यवहार- बालको में व्यवहार संबंधित समस्या होना, माता पिता और शिक्षक दोनों के लिए चिंता का विषय है। हो सकता है व्यवहार सम्बन्धी समस्या के कारण बालक को, अन्य बालक अपने मध्य स्वीकार या पसंद ना करे। बालको में असामान्य व्यवहार की समस्या उनके आने वाले कल को अंधकार में डाल सकती है। यदि उनके व्यवहार में नकारात्मकता आ जाए या वे गलत व्यवहार करें तो इसके कारण उनके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। असामान्य व्यवहार के पीछे कई बार बच्चों में छिपा तनाव होता है, जिसके कारण बच्चे जिद्दी, हट्टी स्वभाव के हो जाते हैं और उनके व्यवहार में नकारात्मकता आने लगती है।

सभी बालक समय-समय पर शरारती, उड़ड़ और आवेगी हो सकते हैं, जो बिल्कुल सामान्य है। हालांकि, कुछ बालको में बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण व्यवहार होते हैं, जो उनकी उम्र के मानक से बाहर होते हैं।

ये समस्याएँ, बालक के जीवन में अस्थायी तनाव के परिणामस्वरूप हो सकती हैं, या वे अधिक स्थायी विकारों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। जिसके कारण बालक असामान्य व्यवहार करने लगता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में असामान्य व्यवहार संबंधी विकारों से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। बालको के असामान्य व्यवहार और भावनात्मक विकारों का समाज, परिवार, विद्यालय, उसकी शिक्षा, मनोसामाजिक कार्यप्रणाली एवं अन्य गतिविधियों पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

उपचार के तौर पर माता-पिता, प्रबंधन प्रशिक्षण, संज्ञानात्मक व्यवहार, दवा और संबंधित समस्याओं का समाधान, मनोचिकित्सक से परामर्श आदि कर सकते हैं।

बच्चों में असामान्य व्यवहार के लक्षण:

1. बच्चों का झूठ बोलना, चोरी करना, गलत शब्दों का प्रयोग,
2. बड़ों को धमकी देना, जबान चलाना,
3. पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाना,
4. गलत चीज जैसे- धूम्रपान, शराब आदि चीजों पर आकर्षित होना,
5. पढ़ाई में मन ना लगाना, महंगी चीजों को तोड़ना,
6. हर वक्त आलस में रहना और बहाने बनाना।

वयस्कों में असामान्य व्यवहार- वयस्क व्यक्तियों में असामान्य व्यवहार में मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और व्यवहारिक गड़बड़ी की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है, जो दैनिक कामकाज और समग्र कार्य प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, जिनमें मनोवैज्ञानिक विकार, भावनात्मक विचलन और क्रूरता पूर्ण तंत्र शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। ऐसी चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रभावी हस्तक्षेप और सहायता प्रदान करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, शोधकर्ताओं और बड़े पैमाने पर समाज के लिए असामान्य व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण होता है।

वयस्कों में असामान्य व्यवहार आनुवंशिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारकों की जटिल परस्पर क्रिया से उत्पन्न हो सकता है। आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ, न्यूरोबायोलॉजिकल असामान्यताएं, बचपन के शुरुआती अनुभव, आघात, मादक द्रव्यों का सेवन और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव सभी असामान्य व्यवहार के विकास और अभिव्यक्ति में योगदान करते हैं।

वयस्क व्यक्तियों के लक्षणों में मूड में बदलाव, मतिभ्रम, अव्यवस्थित सोच, सामाजिक अलगाव, आत्म-नुकसान व्यवहार, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग और बिगड़ा हुआ पारस्परिक संबंध शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। ये अभिव्यक्तियाँ अक्सर दैनिक कामकाज और जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।

असामान्य व्यवहार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण में हस्तक्षेप और उपचार शामिल है जो जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों के द्वारा संभव है। असामान्य व्यवहार के लक्षणों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीतियों में मनोचिकित्सा, दवा प्रबंधन, संज्ञानात्मक-व्यवहार हस्तक्षेप, माइंडफुलनेस तकनीक, योगा और ध्यान, सामाजिक सहायता नेटवर्क और जीवनशैली में संशोधन शामिल हैं। परिणामों में सुधार और रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप और व्यापक उपचार योजनाएँ महत्वपूर्ण हैं।

वयस्कों में असामान्य व्यवहार के लक्षण :

1. **समाज विरोधी व्यवहार**– असामान्य व्यवहार समाज विरोधी होता है। असामान्य व्यवहार सामान्यतया सामाजिक रूप से स्वीकृत नियमों, मानकों, मूल्यों एवं प्रत्याशाओं के प्रतिकूल होता है।
 2. **परिस्थिति के प्रतिकूल व्यवहार**– असामान्य व्यवहार का वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं होता है अर्थात् पीड़ित व्यक्ति उसकी मनोस्थिति के अनुसार बात या व्यवहार करता है।
 3. **मानसिक असन्तुलन**– असामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से असन्तुलित होते हैं। असामान्य लोगों के व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों के बीच कोई समन्वय या सन्तुलन नहीं रहता है। इसी मानसिक असन्तुलन के कारण व्यक्ति के विचारों में अस्थिरता व असंगतता दिखाई पड़ती है।
 4. **सूझ की कमी**– असामान्य व्यक्ति के व्यवहार में सूझ की काफी कमी होती है। उसे कहाँ, कैसे व क्या व्यवहार करना चाहिए, इसकी समझ नहीं रहती है। इस प्रकार वह उचित व अनुचित की परख करने में असमर्थ पाया जाता है।
 5. **निरर्थक व्यवहार**– असामान्य व्यक्ति के व्यवहार में नियमितता या प्रासंगिकता का अभाव होता है। इस प्रकार के व्यक्ति घण्टों धूप में घूमते रहते हैं तथा एक ही पैर पर खड़े रहते हैं, इत्यादि। इस प्रकार उसके व्यवहार में विचित्रता की विशेषता परिलक्षित होती रहती है।
 6. **अपर्याप्त समायोजन**– असामान्य व्यक्तियों के व्यवहार में समायोजन की अपर्याप्तता पायी जाती है। इस प्रकार के व्यक्ति का व्यवहार 'अनभिज्ञयोजित' स्वरूप का होता है। सांवेगिक अस्थिरता (Emotional instability) के कारण इनकी मानसिक स्थिति निरन्तर बदलती रहती है। जिससे इसकी सामाजिक एवं घरेलू समायोजन शक्तिक्षीण होती जाती है।
- वृद्धों में असामान्य व्यवहार**– वृद्ध वयस्कों में असामान्य व्यवहार विभिन्न मानसिक और न्यूरोलॉजिक विकारों से उत्पन्न हो सकता है, जो उनकी आयु और जीवन संघर्ष की चुनौतियों के कारण होता है। वृद्ध वयस्कों में असामान्य व्यवहार उनके विचारों, भावनाओं और कार्यों के तरीके को संदर्भित करता है जो उनके आयु वर्ग के व्यक्तियों से कुछ हद तक या बहुतायत भिन्न होते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि उम्र बढ़ना स्वयं असामान्य व्यवहार का पर्याय नहीं है, हालाँकि, कुछ कारक जैसे मानसिक कमजोरी, शारीरिक स्वास्थ्य, और मनोसामाजिक परिवर्तन वृद्ध व्यक्तियों के असामान्य व्यवहार में योगदान कर सकते हैं।

वृद्ध वयस्कों में असामान्य व्यवहार अक्सर संज्ञानात्मक विकारों जैसे अल्जाइमर रोग, मनोभ्रंश और न्यूरो सिस्टम की असामान्यता आदि से जुड़ा होता है, अवसाद और चिंता जैसे मानसिक विकारों का अनुभव होता है, जो लगातार उदासी, सामाजिक अलगाव, बेचैनी या अत्यधिक चिंता, यौन रूप से अनुचित व्यवहार करना या मौखिक विस्फोट जैसे असामान्य व्यवहार के रूप में प्रकट हो सकता है। ये विकार पुरानी बीमारी, स्वतंत्रता की कमी, या सामाजिक अलगाव जैसे कारकों से बढ़ सकते हैं। प्रलाप करना मानसिक स्थिति में अचानक और गंभीर परिवर्तन है जो उनमें भ्रम, मतिभ्रम, उत्तेजना, ध्यान और जागरूकता में विचलन पैदा करता है। यह अक्सर अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों, दवा के दुष्प्रभावों या संक्रमण से उत्पन्न होता है और इसके लिए तत्काल चिकित्सीय परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। मादक द्रव्यों के सेवन, नशा, आत्म-देखभाल की उपेक्षा, या जोखिम भरे व्यवहार

जैसे असामान्य व्यवहार हो सकते हैं। इनमें अनिद्रा, दिन में अत्यधिक नींद आना या नींद में चलना, इत्यादि हो सकता है और यह मनोरोग स्थितियों से जुड़ा हो सकता है।

मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में असामान्य व्यवहार कारण एवं निदान : जीवन के विभिन्न आयु वर्गों में उत्पन्न असामान्य व्यवहार कई कारणों से दृष्टिगत होता है। हमारे आस-पास अनेक ऐसे लोग रहते जो इस प्रकार की असामान्यता प्रदर्शित करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई तरीके खोजे गए हैं, जिनसे असामान्यता को कम या खत्म किया जा सकता है।

1. बालकों के असामान्य व्यवहार कारण एवं निदान

जन्मांग विकार– कुछ बालकों के असामान्य व्यवहार का मूल कारण जन्मांग विकार हो सकता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (ADHD), एटिचिसन सिंड्रोम, आदि।

पारिवारिक परिस्थितियाँ– परिवार में संघर्ष, सामाजिक विरासत, या सामाजिक अलगाव के कारण बालकों में व्यवहार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

मानसिक समस्याएं– डिप्रेशन, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, ओसीडी, अवसाद, या अन्य मानसिक समस्याएं भी बालकों के असामान्य व्यवहार के कारण हो सकती हैं।

भौतिक समस्याएं– दाँतों की समस्याएं, विटामिन या पोषण की कमी, या अन्य भौतिक समस्याएं भी असामान्य व्यवहार के कारण हो सकती हैं। बालकों में असामान्य व्यवहार के उपचार में सही निदान और सहायक चिकित्सा की मत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ उपचार, तकनीकों और समाधानों की संक्षिप्त जानकारी निम्न है –

चिकित्सीय निदान– बच्चे को सही निदान के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। यह विशेषज्ञ बच्चे की समस्या का निदान करने में सहायता कर सकते हैं।

बालको से संवाद– असामान्य व्यवहार के निदान हेतु बच्चे के साथ बातचीत करना, उनके विचारों, भावनाओं और समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है।

परिवार की सहायता– बालक के समस्या को समझने और समर्थन प्रदान करने में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पारिवारिक संपर्क और समर्थन असामान्य व्यवहार का उपचार करने में सहायता कर सकते हैं।

परामर्श चिकित्सा– इसमें पारिवारिक और व्यक्तिगत सहायता के साथ परामर्श चिकित्सा शामिल होती है। इसमें विशेषज्ञों द्वारा समाधान तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

दवाओं की सहायता– कई मामलों में, दवाइयों की सहायता ली जा सकती है, विशेषकर यदि बालक को मानसिक समस्याओं से पीड़ित होने का संकेत है। यह दवाएं मानसिक रोग विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

विशेष शैली और शिक्षा– कुछ बालकों को विशेष शैली और शिक्षा के उपायों की आवश्यकता हो सकती है। इसमें संसाधनों की उपलब्धता सहायक शिक्षकों का समर्थन, और अनुकूल परिस्थितियों द्वारा सहायता कर सकते हैं।

2. वयस्कों के असामान्य व्यवहार कारण एवं निदान– वयस्कों में असामान्य व्यवहार के कारण और निदान, उनकी जीवनशैली, स्वास्थ्य स्तर, और मानसिक स्वास्थ्य के साथ संबंधित हो सकते हैं। इस वर्ग में कई प्रकार के विकार हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, अभिव्यक्ति असमर्थता,

उत्साहहीनता, उत्तोजना, और अत्यधिक चिंताआदि। वयस्कों में असामान्य व्यवहार के बहुत से कारणों में विभिन्न कारक सम्मिलित हो सकते हैं। ये कारण निम्नलिखित हैं-

मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं- डिप्रेशन, अभिव्यक्ति असमर्थता, या अबाधित विचलन एवं चिकित्सा समस्याएं जैसे: ब्रेन इंजरी, या अन्य न्यूरोलॉजिक विकार भी असामान्य व्यवहार का कारण बन सकते हैं।

सामाजिक और परिवारिक परिस्थितियाँ- परिवार में संघर्ष, सामाजिक अलगाव, या स्वार्थी व्यवहार के कारण भी व्यक्ति में असामान्य व्यवहार दिख सकता है।

मानसिक और भावनात्मक तनाव- भावनात्मक और मानसिक तनाव, असमंजस, या अनियंत्रित भावनाएं भी असामान्य व्यवहार का कारण बन सकती हैं।

असामान्य व्यवहार का निदान उन विकारों का पता लगाने में मदद करता है जो इसे उत्पन्न कर सकते हैं। निदान में शामिल होने वाले तत्व निम्नलिखित हो सकते हैं-

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह- असामान्य व्यवहार का सही निदान करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेना महत्वपूर्ण है।

जांच एवं चिकित्सा उपचार- शारीरिक और मानसिक जांच करने से व्यक्ति के असामान्य व्यवहार के पीछे छिपे कारण का पता लगाया जा सकता है तथा विशेषज्ञ द्वारा परामर्श और चिकित्सा उपचार की सहायता से असामान्य व्यवहार का निदान कर सकते हैं।

परिवार और सामाजिक समर्थन- असामान्य व्यवहार के सही निदान और उपचार करने में परिवार और सामाजिक समर्थन भी व्यक्ति के लिए सहायक हो सकता है।

3. वृद्धों के असामान्य व्यवहार कारण एवं निदान- वृद्धावस्था में असामान्य व्यवहार कई कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के संबंधित होते हैं। ये कारण निम्नलिखित हैं-

मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं- वृद्ध व्यक्तियों में डिप्रेशन, एंजायटी, डिमेंशिया, या अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं तथा इन्हें शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जैसे कि अल्जाइमर, पार्किंसन रोग, डायबिटीज, या किसी अन्य बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके व्यवहार में परिवर्तन ला सकती हैं।

सामाजिक परिवेश- कुछ वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक या परिवारिक संबंधों में समस्याएं हो सकती हैं, जो उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अकेले रहना, परिवार के सदस्यों की कमी, या सामाजिक संबंधों में टकराव इसमें शामिल हो सकते हैं। ये परिस्थितियाँ इनके आत्मविश्वास, मनोबल, और शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति उनके व्यवहार को बदल सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्थिति से असंतुष्ट है या स्वास्थ्य संबंधित समस्या से जूझ रहा है तो यह उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है।

वृद्ध व्यक्तियों के असामान्य व्यवहार के पीछे एक या एक से अधिक कारणों का होना संभव है। सही देखभाल, समर्थन और संबंधों में सम्मान इन मामलों में सहायता कर सकते हैं।

वृद्धों के असामान्य व्यवहार का उपचार करने में विशेषज्ञता और

समर्थन की आवश्यकता होती है। इस तरह के व्यवहार को समझने और उसका समाधान ढूँढने के लिए कुछ कदम निम्नलिखित हो सकते हैं-

मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का जांच- असामान्य व्यवहार के पीछे डिप्रेशन, एंजायटी, डिमेंशिया, या अन्य मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। इसमें मानसिक स्वास्थ्य की जांच एवं प्रोफेशनल से परामर्श लेना महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त व्यवहार में परिवर्तन का कारण शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं। उपचार में शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उचित आहार, व्यायाम, और दवाओं का सही उपयोग समाहित हो सकता है।

सामाजिक एवं संवेदात्मक समर्थन- वृद्ध व्यक्ति को सामाजिक समर्थन की आवश्यकता हो सकती है, जैसे: परिवार या समुदाय के सदस्यों का समर्थन। साथ ही, सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेने का मनोबल बढ़ाने में सहायता मिल सकती है एवं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, वृद्धाश्रम, और समाज सेवा संगठनों का संवेदात्मक समर्थन महत्वपूर्ण होता है।

चिकित्सा उपचार- कुछ असामान्य व्यवहार के लिए चिकित्सा उपचार भी उपलब्ध हो सकते हैं। उचित दवाओं का सही उपयोग करने से व्यक्ति की स्थिति में सुधार हो सकता है।

असामान्य व्यवहार का उपचार व्यक्ति की स्थिति, समस्या का प्रकार, और उसके पीछे कारणों पर निर्भर करता है। सही उपचार और समर्थन से, व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और वह स्वस्थ और समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकता है।

भारत देश में व्यक्ति के असामान्य व्यवहार की स्थिति - भारत देश में व्यक्ति के असामान्य व्यवहार की स्थिति पर चर्चा एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण विषय है। भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक, और आर्थिक परिस्थितियों में असामान्य व्यवहार के कारण, प्रकार, और उपचार में भिन्नताएं हो सकती हैं। यहां हम कुछ बिन्दुओं के माध्यम से भारत देश में व्यक्ति के असामान्य व्यवहार की स्थिति पर चर्चा करेंगे-

1. सांस्कृतिक विविधता- भारतीय समाज सांस्कृतिक विविधताओं का देश है, जिसमें विभिन्न भाषा, धर्म, और स्थानीय समुदाय सम्मिलित हैं। व्यक्ति के असामान्य व्यवहार को समझने में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतीय समाज में धार्मिक प्रक्रियाएँ असामान्य व्यवहार के पीछे का कारण बन सकती हैं। कई बार देखा गया है कि कई लोग बाध्यतावश संस्कारों का पालन करते हैं, जो वे व्यक्तिगत रूप से नहीं करना चाहते। प्रायः देखा गया है कि यह भी असामान्य व्यवहार का कारण बनते हैं। इसी क्रम में खानपान, पहनावा, बोलचाल, व्यक्तित्व भी सम्मिलित हो सकता है, जिनका पालन करने के लिये व्यक्ति को बाध्य किया जाता है परिणामस्वरूप व्यक्ति असामान्य व्यवहार प्रकट करता है।

2 मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं- भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच का स्तर विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होता है। कुछ क्षेत्रों में इसकी कमी हो सकती है जिससे असामान्य व्यवहार का समय पर पता नहीं चल पाता है। भारत में वृद्धों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और असामान्य व्यवहार के लिए उपचार की उपलब्धता कम हो सकती है। सामान्य व्यक्ति द्वारा एक ही दवा का चिकित्सक के बिना परामर्श लगातार सेवन करते रहना, दवाइयों के साइड इफेक्ट, गलत चिकित्सीय परामर्श, स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक सोच से पीड़ित व्यक्ति भी असामान्य व्यवहार व्यक्त करता है। उत्तर अमेरिका और यूरोपीय देशों में व्यक्ति को असामान्य व्यवहार

के लिए तत्काल चिकित्सा सेवाएं और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समर्थन मिल सकता है। किन्तु भारत में यह सुविधाएं तत्काल रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में कई प्रयास किये जा रहे हैं।

3 सामाजिक और पारिवारिक समर्थन—भारत में पारिवारिक समर्थन की परंपरा है। असामान्य व्यवहार के मामले में परिवार का समर्थन और सहायता महत्वपूर्ण होती है। भारतीय समाज में परंपरागत सांस्कृतिक मान्यताओं और परिवार के महत्व की वजह से वृद्धों के असामान्य व्यवहार के पीछे विभिन्न कारण हो सकते हैं। भारत में बुजुर्गों को परिवार का वट वृक्ष कहा जाता है इसलिए धार्मिक और सामाजिक संबंधों की दृष्टि से उन्हें सम्मान देने का परंपरा चलती आ रही है। भारत में परिवार और समुदाय की समर्थन संरचना मजबूत होती है, जो असामान्य व्यवहार के समाधान में सहायता करती है। भारत में असामान्य व्यवहार में सामाजिक संरचनाओं का महत्व बढ़ जाता है।

4 स्वास्थ्य नीतियां और कानून—भारत में स्वास्थ्य नीतियों और कानूनों में कई बार अंतर्निहितता और विपरीतता हो सकती है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य के मामलों को समझना और उनका समाधान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वर्तमान समय में न्यूरोलॉजिकल अध्ययन और उपचार की विकसित तकनीकें असामान्य व्यवहार को समझने और उसका समाधान करने में सहायता कर रही हैं। डायग्नोसिस एक ऐसामॉडल है, जो किसी व्यक्ति की तनाव प्रतिक्रिया के साथ परस्पर क्रिया करता है। यह मॉडल बताता है कि कैसे उच्च तनाव या कम तनाव से निपटने की क्षमता वाला व्यक्ति असामान्य व्यवहार जैसे विकारों से ग्रस्त होता है। जब कारकों तक पहुंच हो जाती है, तो चिकित्साद्वारा उपचार आसान हो जाता है।

उपसंहार— असामान्य व्यवहार एक गंभीर समस्या है, जो समाज में व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यह न केवल उस व्यक्ति के लिए परेशानी उत्पन्न करती है, बल्कि उसके परिवार और समाज के लिए भी एक चुनौती है। असामान्य व्यवहार के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे मानसिक रोग, तनाव, या सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव। असामान्य व्यवहार को नियंत्रित करने और समझने के लिए युगों से ऐतिहासिक रूप से उपयोग किए जाने वाले तीन मुख्य दृष्टिकोण जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परंपराएं हैं। बीमारी का जैविक-मनोवैज्ञानिक-सामाजिक मॉडल आमतौर पर इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि असामान्य व्यवहार

का वास्तविक कारण क्या है, क्या यह जैविक है, जिसका कारण जीन हो सकते हैं या जीवनशैली और सामाजिक-सांस्कृतिक तनाव के कारण हार्मोनल असंतुलन है। इसे समझने और समाधान करने के लिए, संवेदनशीलता और समझ के साथ हमें उनकी स्थिति को समझना चाहिए, समाज में जागरूकता एवं मानसिक स्वास्थ्य की सहायता के लिए विभिन्न संसाधनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उन्हें समाज में सम्मान और स्थान देने का प्रयास करना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो सहायता और समर्थन प्रदान करना चाहिए। उन्हें सामाजिक संगठनों और पेशेवर सहायता के स्रोतों के संपर्क में लाना भी सहायक हो सकता है, जिससे उनके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार, हम समाज में स्थिरता, समर्थन, और सम्मान का वातावरण निर्मित हो सकता है, जो सभी के लिए स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- 1 Behavioural and emotional disorders in childhood: A brief overview for paediatricians- World journal of clinical pediatrics- 2018 Feb 8;7(1):9.
- 2 Abnormal Psychology: The Science and Treatment of Psychological Disorders, Ann M. Kring, Sheri L. Johnson(January 30, 2015).
- 3 असामान्य मनोविज्ञान, डॉ. रीना चावला, Green Leaf Publication (1 January 2016).
- 4 National Institute of Mental Health.(n.d.) Mental health information. Retrieved from <https://www.nimh.nih.gov/health/index.shtml>
- 5 Abnormal Psychology - Ronald J. Comer (2019)
- 6 World Health Organization-(2018). Mental disorders Retrieved from https://www.who.int/mental_health/management/en/
- 7 Indian Mental Healthcare Act, 2017.
- 8 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट "World Health Report"
- 9 Abnormal Psychology, Ronald J. Comer. (1 March 2009)

An Audit of Integrated Child Development Services Program (A Study of Salumbar Project)

Manish Bansal*

*B. Com, M. Com (ABST, Bus Adm., BBE), CS executive, MBA, CA foundation, Sector 11, Hiran Magri, Udaipur (Raj.) INDIA

Introduction - Integrated Child Development Services is the only national program that addresses the needs of children under 6 years of age. It provides facilities like supplementary nutrition, health care and pre-school education to young children in an integrated manner. The health and nutritional needs of children cannot be met apart from their mother, that is why adolescent girls, pregnant women and lactating mothers have also been included in the programme.

Integrated Child Development Services provides its services through a vast network of Anganwadi centres. Anganwadi is actually a courtyard-based center which is run by an Anganwadi worker who receives normal honorarium and is assisted by a part-time assistant. Each Anganwadi has to reach a population of about 1000 (about 200 families). Local Anganwadi is the foundation stone of the framework of integrated child development services.

In the presented research article, the expenditure incurred by the government on supplementary nutrition to the beneficiaries of 20 centers associated with the project implemented in Salumber Panchayat Samiti of Salumber district under Integrated Child Development Services has been studied in the context of the financial year 2023-24.

Services Provided By Anganwadi Center

Immunization: Financial provisions and physical targets are not kept by the department for this service. Vaccination is done by medical and health department personnel at Anganwadi centres. Vaccines are very expensive and the government has to spend a lot of money in purchasing them, maintaining them and transporting them etc. But all vaccination services are provided free of cost to children and pregnant women in government health centers and hospitals.

Health check up: Financial provisions and physical targets are not kept by the department for this service also. On this day, growth monitoring table is maintained by taking the weight of severely malnourished and malnourished children. The health of children is checked by health workers. Pre- and post-natal care of women and health check-up of children are done by health workers and medicines for

treatment of diseases are also distributed at the centre. The beneficiaries will be provided with iron/folic acid tablets, Vitamin A supplements and ORS. packets are also distributed. Necessary medicines have also been distributed to sick children and mothers from the medical kits available at Anganwadi centers and through the Health Department.

Health and Nutrition Education: Financial provisions and physical targets are not kept by the department for this service also.

Preschool education: Financial provisions are not made by the department for this service also. Out of the six services of Integrated Child Development Services, Preschool education is an important service, which is provided at Anganwadi centers to children aged 3 to 6 years. Under this, activities related to physical, mental, creative, emotional, linguistic and social development of children are conducted. Children are prepared to study. The child has to stay at the centers for 4 hours, in which he is fed hot nutrition at an interval of two and a half to three hours.

Referral Services: Financial provisions are not made by the department for this service also. Pregnant women, lactating mothers and children below 6 years of age who are sick or malnourished are sent by the Anganwadi worker with a referral slip to the nearest Primary Health Center/ Community Center as per requirement.

Objectives Of Study:

1. To know the satisfaction levels and expenditure audit of beneficiaries with respect to supplementary nutrition services.
2. To know the satisfaction level of beneficiaries regarding health check-up service.

Sampling And Study Area: For the present study, Salumber Panchayat Samiti of Salumber district has been selected, out of total 191 Anganwadi centres, 20 Anganwadi centers have been selected from all the sectors.

Research Methodology: The nature of this study is author's. From the textual point of view, the library clarifies the descriptive nature of the research methodology. Research methodology is an important aspect without clarifying which no research can be completed. In the

collection of facts, the departmental budget and related expenditure will be inspected, officers, Anganwadi workers and Panchayati Raj representatives will be interviewed and the details of income and expenditure will be compiled and various items will be studied.

Supplementary Nutrition Service: Health check-up of women belonging to Anganwadi center reveals that they are pregnant and their names are registered in the Anganwadi centre. After this, under the Integrated Child Development Services (ICDS) programme, pregnant women are benefited with supplementary nutrition through Anganwadi centres. The purpose of providing nutritional supplements to pregnant mothers for 7 days is so that their health can be checked again after 7 days. Pregnant women consume the said nutritional supplement by preparing different dishes for 7 days.

After delivery, the name of the pregnant woman is recorded in the column of lactating woman and she is given weekly nutritional supplements for six months so that she can breastfeed the baby better. Weekly nutritional food is also distributed to children aged 6 months to 3 years by the Anganwadi centre.

Children aged 3 to 6 years are provided hot supplementary nutrition and other services at Anganwadi centres. Two girls who do not go to school in the area related to the Anganwadi center are identified and provided weekly nutritional food. The details of expenditure on supplementary nutrition of pregnant women, lactating mothers, children between 6 months to 3 years, children between 3 years to 6 years and adolescent girls at 20 Anganwadi centers of Salumbar Project.

Supplementary Nutrition Of Pregnant Mothers: 13 percent of the beneficiaries were found to be completely satisfied with the nutrition provided to the pregnant mothers and 16 percent of the beneficiaries were only satisfied and 31 percent of the beneficiaries expressed neutrality on this subject and did not give any answer and 22 percent of the beneficiaries were dissatisfied while the nutritional food given to the pregnant mothers was found to be dissatisfied. 17 percent beneficiaries were found to be completely dissatisfied with the nutrition.

Supplementary Nutrition Of Lactating Mothers: 15 percent beneficiaries were found to be completely satisfied with the nutritional food given to lactating mothers and 16 percent beneficiaries were only satisfied and 29 percent beneficiaries expressed neutrality on this subject and did not give any answer and 22 percent beneficiaries were dissatisfied while the nutritional food given to lactating mothers was not satisfied. 19 percent beneficiaries were found to be completely dissatisfied with the nutrition.

Supplementary Nutrition Of Children Aged 0 To 3 Years: 11 percent beneficiaries were found to be completely satisfied with the nutrition provided to children aged between 0 to 3 years and 18 percent beneficiaries were only satisfied

and 21 percent beneficiaries expressed neutrality on this issue and did not give any answer and 25 percent beneficiaries were dissatisfied while 0 25 percent of the beneficiaries were found to be completely dissatisfied with the nutrition provided to children up to 3 years of age.

Supplementary Nutrition Of Children Aged 3 To 6 Years: 20.2 percent beneficiaries were found to be completely satisfied with the nutrition provided to children aged between 3 to 6 years and 19 percent beneficiaries were only satisfied and 20.4 percent beneficiaries expressed neutrality on this issue and did not give any answer and 25.2 percent beneficiaries were dissatisfied while 3 15.2 percent beneficiaries were found to be completely dissatisfied with the nutrition provided to children up to 6 years of age.

Supplementary Nutrition Of Adolescent Girls: 22.2 percent beneficiaries were found to be completely satisfied with the nutrition provided to adolescent girls and 21.2 percent beneficiaries were only satisfied and 15.4 percent beneficiaries expressed neutrality on this issue and did not give any answer and 21.2 percent beneficiaries were dissatisfied while the nutrition provided to adolescent girls was not satisfied. 19.6 percent beneficiaries were found to be completely dissatisfied with the nutrition.

Health Checkup Of Pregnant Mothers: 20.6 percent beneficiaries were found to be completely satisfied with the health checkup given to pregnant mothers and 21.8 percent beneficiaries were only satisfied and 31.4 percent beneficiaries expressed neutrality on this subject and did not give any answer and 13.4 percent beneficiaries were dissatisfied while the service of the said health checkup 12.8 percent beneficiaries were found to be completely dissatisfied.

Health Checkup Of Lactating Mothers: 23.6 percent beneficiaries were found to be completely satisfied with the health check-up given to lactating mothers and 19.2 percent beneficiaries were only satisfied and 29.4 percent beneficiaries expressed neutrality on this subject and did not give any answer and 14.2 percent beneficiaries were dissatisfied while the service of the said health check-up 14.6 percent beneficiaries were found to be completely dissatisfied.

Health Checkup Of Children Aged 0 To 3 Years: 24.6 percent beneficiaries were found to be completely satisfied with the health check-up given to children aged 0 to 3 years and 24 percent beneficiaries were only satisfied and 12.2 percent beneficiaries expressed neutrality on this subject and did not give any answer and 17.2 percent beneficiaries were dissatisfied while the above 19.8 percent beneficiaries were found to be completely dissatisfied with the health check-up service.

Health Checkup Of Children Aged 3 To 6 Years: 30.8 percent beneficiaries were found to be completely satisfied with the health check-up given to children of 3 to 6 years of age and 33.2 percent beneficiaries were only satisfied and 9.2 percent beneficiaries did not give any answer expressing

neutrality on this subject and 10.2 percent beneficiaries were dissatisfied while the above 17.6 percent beneficiaries were found to be completely dissatisfied with the health check-up service.

Health Check-Up Of Adolescent Girls: 24.4 percent beneficiaries were found to be completely satisfied with the health check-up given to adolescent girls and 35.2 percent beneficiaries were only satisfied and 9.4 percent beneficiaries expressed neutrality on this subject and did not give any answer and 11.4 percent beneficiaries were dissatisfied while the service of the said health check-up 19.6 percent beneficiaries were found to be completely dissatisfied.

Expenditure On Supplements For Pregnant Women: In the details of expenditure on supplementary nutrition for pregnant women, it was found that 237 pregnant women registered at 20 Anganwadi centers were given Rs. At the rate of Rs 55.8/- per beneficiary, the expenditure for one week was Rs 13224.6 while the total expenditure on nutrition distributed for 36 weeks was Rs 476089/-.

Expenditure On Supplements For Lactating Women: In the details of expenditure on supplementary nutrition for lactating mothers, it was found that Rs. 218 were spent on 218 lactating mothers registered at 20 Anganwadi centres. At the rate of Rs 55.8/- per beneficiary, the expenditure for one week was Rs 12164.4 while the total expenditure on nutrition distributed for 24 weeks was Rs 291949/-.

Expenditure On Nutrition For Children 6 Months To 3 Years: In the details of expenditure on supplementary nutrition for children aged between 6 months to 3 years, it was found that Rs. 430 was spent on 430 registered children aged between 6 months to 3 years at 20 Anganwadi centres. At the rate of Rs 45/- per beneficiary, the expenditure for one week was Rs 19350 while the total expenditure on nutrition distributed for 48 weeks was Rs 928800/-.

Expenditure On Nutrition For Children 3 To 6 Years: In the details of expenditure on supplementary nutrition for children between 3 years to 6 years, it was found that Rs. 416 registered children between 3 years to 6 years were spent on 20 Anganwadi centres. At the rate of Rs 9/- per beneficiary, the expenditure for one day was Rs 3744 while the total expenditure on nutrition distributed for 300 days was Rs 1123200/-.

Expenditure On Nutrition For Adolescent Girls: In the details of expenditure under the head of supplementary nutrition for adolescent girls, it was found that the expenditure for one week on supplementary nutrition of 240 registered adolescent girls at 20 Anganwadi centers at the rate of Rs 55.8/- per beneficiary was Rs 13392, while it was distributed for 48 weeks. The total expenditure on nutrition was Rs 642816/-.

Conclusion:

1. 13 percent were found to be completely satisfied with the nutrition provided to pregnant mothers and only 16

2. percent of the beneficiaries were found to be satisfied. 15 percent were found to be completely satisfied with the nutritional food provided to lactating mothers.
3. 11 percent beneficiaries were found to be completely satisfied with the nutrition provided to children aged 0 to 3 years.
4. 20.2 percent beneficiaries were found to be completely satisfied with the nutrition provided to children aged 3 to 6 years.
5. 22.2 percent beneficiaries were found completely satisfied with the nutrition provided to the adolescent girls and 19.6 percent beneficiaries were found completely dissatisfied with the nutrition.
6. In the details of expenditure on supplementary nutrition for pregnant women, it was found that the total expenditure on nutrition distributed for 36 weeks at the rate of Rs 55.8/- per beneficiary was Rs 476089/-.
7. In the details of expenditure on supplementary nutrition for lactating mothers, it was found that the total expenditure on nutrition distributed in 24 weeks at the rate of Rs 55.8/- per beneficiary was Rs 291949/-.
8. In the details of expenditure on supplementary nutrition for children aged between 6 months to 3 years, it was found that the total expenditure on nutrition distributed for 48 weeks at the rate of Rs 45/- per beneficiary was Rs 928800/-.
9. In the details of expenditure on supplementary nutrition for children aged between 3 years to 6 years, it was found that the total expenditure on nutrition distributed for 300 days at the rate of Rs 9 per beneficiary was Rs 1123200/-.
10. In the details of expenditure on supplementary nutrition for adolescent girls, it was found that it was distributed for 48 weeks at the rate of Rs 55.8/- per beneficiary, on which the total expenditure was Rs 642816/-.

Suggestion:

1. All information related to Anganwadi should be released by the administration on its own initiative. A board with important information should be displayed at each centre.
2. All the expenses of Anganwadi Center can be adjusted by the personal income of Gram Panchayats. Due to which the responsibilities of the state and central government can be transferred to the Panchayats.

References:-

1. District-level coverage of interventions in the Integrated Child Development Services (ICDS) scheme during pregnancy, lactation and early childhood in India: Insights from the National Family Health Survey-4. (2018). (n.p.): Intl Food Policy Res Inst.
2. Annual Utilization Certificate, 2023-24, Department of Integrated Child Development, Project Salumber, Government of Rajasthan.

शोषण का शिकार नारी

डॉ. वंदना अग्रिहोत्री* हिना**

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आधुनिक युग में समाज सुधारकों का ध्यान मुख्यतः नारी की दयनीय स्थिति पर केन्द्रित रहा तथा उसी को केन्द्र में रखकर समाज-सुधार का कार्य चलता रहा। यही स्थिति उपन्यासकारों को भी रही। युगों में पीड़ित नारी के विभिन्न पहलुओं को उन्होंने अपने उपन्यासों का विषय बनाया तथा युगानुसार उसकी नई प्रतिष्ठि की। नारी की समस्याओं का विवेचन करके उनका समाधान प्रस्तुत किया। यह सोचने वाला प्रश्न है कि इन समाज सुधारकों तथा विशेषतः सामाजिक उपन्यासकारों के सम्मुख केवल नारी ही ज्वलंत प्रश्न के रूप में क्यों आयी?

भारतीय समाज चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम दोनों ही नारी की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। सत्य तो यह है कि युगों से भारतीय समाज की गति अवरूद्ध हो गई थी और जड़ता की इस सीमा तक उसकी उद्योगिता हो चुकी थी कि पीड़ित तथा दलित वर्गों के प्रति अमानुशिक, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध विद्रोहाग्नि उठने की बात दूर रही वरना इन सबको भी धर्म की स्वीकृति दे दी गई। अन्ततः इस विकृति का परिणाम यहाँ तक तक हुआ जहाँ तक हिन्दू-समाज में पुरुष वर्ग को अनेक विवाह करने की छूट मिली। साथ-साथ नारी के पतिव्रत धर्म की परीक्षा के लिए सती प्रथा की शुरुआत हुई।

भारतीय समाज में आर्थिक शोषण, राजनैतिक शोषण की तरह नारी शोषण भी मोटे तौर पर समाज में होने लगा। नारी वर्ग तो निम्नवर्ग से भी ज्यादा पीड़ित रहा। सती प्रथा के रूप में समाज में नारी के लिए पतिव्रत धर्म की स्थापना की। उसे रोकने के लिए कानूनी तौर पर व्यवस्था की। नारी की इस दयनीय स्थिति की ओर लेखकों का ध्यान जाना स्वाभाविक है। समाज-सुधार आन्दोलनों ने भी मुख्यतः नारी जागरण का ही बीड़ा उठाया था। वैसे भी अंग्रेजी शिक्षा तथा आधुनिक सभ्यता से सम्पन्न पुरुष वर्ग के लिए परिवार में अशिक्षित तथा रूढ़िवादी में पली नारी के साथ सामंजस्य बिठाना कठिन प्रतीत होने लगा। यह आवश्यक हो गया था कि पुरुष वर्ग में नारी-स्थिति को प्रकट करना हिन्दी उपन्यासकारों का लक्ष्य बन गया। गिरिराज किशोर के उपन्यासों में भी जनता की दयनीयता नारी-शोषण चित्रित हुआ।

शोषण तो नारी जाति का भाग्य है। समाज की सारी समस्याएँ, गरीबी, अन्याय, भ्रष्टाचार, शिक्षा आदि हल होगी परन्तु नारी का गुलामीपन और उसके प्रति अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। हम लाख कोशिश करते रहेंगे, फिर भी शोषण नामक दूषण दूर होना बहुत दूर की बात है। गिरिराज जी जुगलबन्दी, लोग और ढाई घर में सामन्ती प्रथा का ही चित्रण है। तीनों ही उपन्यासों में इस बात पर जोर दिया गया है कि नारी के अस्तित्व का कोई मूल्य ही नहीं है। सामन्त वर्ग का ऐसा वर्ग भी है जो नारी को केवल अर्थोपार्जन

का साधन मानते हैं। काफिरों की स्त्रियाँ दयनीय परिस्थिति से गुजर रही हैं। हिन्दी उपन्यास का इतिहास में गोपालनाथ ने बताया है कि विसंगतियाँ और अंतर्विरोध किसी काल विशेष के बाह्य जीवन में ही नहीं होते, बल्कि उसके आन्तरिक जीवन में भी होते हैं। ब्रिटिशकालीन जमींदारों का बाहरी जीवन जहाँ समृद्ध और तड़क-भड़क से भरा था। वहीं उनका पारिवारिक जीवन अनेक प्रकार की विसंगतियों से ग्रस्त था। परिवार में सबसे अधिक यातनापूर्ण स्थिति बहुओं की होती थी, अपनी सासों और ननदों-बुआओं के अमानवीय व्यवहारों की शिकार बनी। जुगलबन्दी में माँ और बुआ के चरित्रों के माध्यम से उपन्यासकार ने संवेदनात्मक गहराई और ईमानदारी के साथ पारिवारिक अंतर्विरोधों का उद्घाटन किया है। धर्म और पूजा के आडम्बर के पीछे कैसी निर्ममता और असहिष्णुता छिपी हो सकती है, इसका अकन गिरिराज जी ने बीस की पत्नी की मूक पीड़ा के अंकन के रूप में किया है।¹²

स्वार्थपूर्ण मान्यताओं के कारण नारी का सदैव शोषण हुआ 'जुगलबन्दी' में स्त्री की उपेक्षा और शोषण का चित्रण किया गया है। किसी भी बड़े घर में बहू-बेटी के लिए डॉक्टर नहीं आता। उसे सिर्फ चार-दीवारी में रहना पड़ता है। समाज में स्त्रियों के कमरे में मर्दों का जाना अच्छा नहीं माना जाता था। 'ढाई घर' में भी स्त्री की दयनीय हालत निरूपित है। वह भोग की वस्तु बनकर रह गयी है। शिक्षा और ज्ञान से वंचित घर की चारदीवारी में बन्द वह पुरुष के शोषण और अत्याचार को अपना नियति के रूप में स्वीकार करना उसके जीवन का अमिट सत्य है।

स्त्री की स्थिति के बारे में गिरिराज किशोर ने कहा है कि सभी औरतें करीब-करीब एक सा भाग्य लिखवाकर आती हैं। बच्चे हुए तो पति सुख नहीं देखा..... पति सुख हुआ तो कुछ और हो गया। बड़ी जिठानी के सब कुछ था - सन्तान भी..... इतने बड़े पति थे पर पति से ऐसे डरती रही जैसे गाय, कसाई से डरती है। इतने नौकरों-चाकरों के होते हुए रात-बेरात चूल्हा फूंकते-फूंकते आँखें खो दी, फिर हाथ पसारे चली गयी।¹²

इनके उपन्यास सिर्फ चार दीवारों में ही नारी को उद्घाटित करते हैं, ऐसा नहीं। तीसरी सत्ता और चिड़ियाघर नामक उपन्यासों में नारी को अलग रूप प्रस्तुत किया है। तीसरी सत्ता की मिसेज शर्मा आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने पर भी परम्परागत सामाजिक नियमों के कारण पति का अत्याचार सहती है। परिवार में नारी को अलग करना ही यातना देना है। समाज में ऐसा लेकिन आज की नारी आधुनिक बन गई है। भारतीय नारी विलासिता की वस्तु बनकर नहीं रह गई है। वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति की वाहक बन गई है। समाज के विकास में नारी के योगदान को कोई भी झुठला नहीं

सकता। जिस प्रकार तार के बिना सितार होता है, उसी प्रकार नारी के बिना नर का जीवन। नारी को एक ओर जहाँ स्वतंत्रता और पहचान प्राप्त हुई है, वहीं उसकी समस्याएँ भी बढ़ गई हैं। कई बार वह अपनी समस्याओं और दायित्वों के बीच दबकर रह जाती है, किन्तु प्रायः देखा जाता है कि उनका हल भी वह स्वयं ही ढूँढ लेती है। आज की नारी पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण कर अपनी संस्कृति और आदर्शों को भूल रही है। गिरिराज किशोर के उपन्यास 'चिड़ियाघर' की पात्र मिसेज रिजवी एक उत्तम उदाहरण है। अपने पति के होते हुए भी वह अन्य पुरुषों के साथ रहती है। 'क्यों जौहरी अगर मैं एक एक्सपेरीमेंट करूँ चार शौहर रखूँ, जिनमें से एक होम देखे, दूसरा फाईन रिलेशनस की देखरेख रखे, तीसरा प्रोटोकॉल का ध्यान रखे, और चौथा एंटेरेटन करे। तुम्हारा क्या ख्याल है।'³

वर्तमान युग में नारी परम्परागत आदर्शों से हटकर चल रही है। 'यात्राएँ'

की नायिका वन्या बदलते नए मूल्यों के साथ चलती है। 'ढाईघर' के राय परिवार में अरुण की पत्नी पर्दा रखना नहीं मानती मझली चाची और छोटी चाची पुराने ढंग से जी रही है। नई पीढ़ी नया विचार लेकर आयी है। स्वाभिमानि एवं आत्मनिर्भर बनना चाहती है।

गिरिराज जी ने अपने उपन्यासों में स्त्री का यही स्वरूप चित्रित किया है। इनके नारी पात्र यौन शोषण के साथ-साथ अनेक अत्याचारों से पीड़ित पात्रों की श्रेणी में आते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गिरिराज किशोर, ढाई घर, पृ.सं.60
2. हिन्दी उपन्यास का इतिहास, गोपाल राय, पृ.सं.-297
3. चिड़ियाघर, गिरिराज किशोर, पृ.सं.-91

साहित्य में स्त्री विमर्श की आवश्यकता

डॉ. सरला पण्ड्या *

* कार्यवाहक प्राचार्य (हिन्दी) हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाँसवाड़ा (राज.) भारत

प्रस्तावना – समकालीन महिला लेखिकाओं में उषा प्रियंवदा, मञ्जू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, मंजुला भगत, नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान, कृष्णा अग्निहोत्री एवं ममता कालिया का महत्वपूर्ण स्थान है। आठवें दशक की इन महिला उपन्यासकारों की लेखन शैली में भावुकता के स्थान पर तर्क, विचार, बुद्धि, सुक्ष्म अन्वेषण, विश्लेषण व रचनात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। व्यक्ति और समाज के बदलते संबंधों, तनावपूर्ण जीवन शैली, व्यक्ति के अंतः संघर्ष से उत्पन्न द्वन्द्वपूर्ण स्थिति के साथ ही सामयिक जीवन संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में स्त्री विकास की अनेक संभावनाओं को उजागर किया है। उन्होंने स्त्री की बदलती भूमिका व उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं पर चिंतन भी किया है। इन लेखिकाओं ने समाज की परिस्थितियों को देखा व अनुभव किया है इसके पश्चात् ही उसे साहित्य रचना में उतारा है।

‘मावर्स की अवधारणा है कि ‘मनुष्य की चेतना उसकी परिस्थितियों का निर्धारण नहीं करती अपितु परिस्थितियाँ ही चेतना का निर्धारण करती हैं।’ साहित्य लेखन में सर्वाधिक महत्व चेतना का है जिसका निर्धारण उस समाज की विभिन्न परिस्थितियाँ करती हैं।’¹

महिला उपन्यासकारों ने स्त्री विमर्श के सभी पहलुओं – स्त्री के प्रति शोषण, स्त्री आंदोलन, स्त्री और आधुनिकता, औरत की परिवर्तित आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थितियाँ, मूल्य विसंगतियाँ व स्वायत्तता, स्त्री व भूमंडलीकरण, स्त्री अस्मिता, सांस्कृतिक परिवर्तन, स्त्री आरक्षण आदि बहुआयामी एवं वैविध्यपूर्ण विषयों के साथ साहित्य रचना की है। आपका बंटी, नरक दर नरक, उसके हिस्से की धूप, प्रतिध्वनियाँ, टेसू की टहनियाँ आदि रचनाएँ इसी यथार्थबोध को व्यक्त करती हैं। इसी प्रकार नारी अस्मिता को व्यक्त करने वाली रचनाएँ सुरजमुखी अंधेरे के, रेत की मछली, अचला एक मनः स्थिति, बात एक औरत की भी लिखी गई हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी – ‘यह विचित्र बात है कि स्त्री जब साहित्य लिखती है तो स्त्रियों के बारे में ही लिखती है और पुरुष जब साहित्य लिखता है तब भी स्त्रियों के संबंध में ही लिखता है। दोनों में अंतर यह होता है कि स्त्री के लिखने का उद्देश्य है, अपने विषय में फैले हुए भ्रम का निराकरण करना और पुरुष का उद्देश्य है उसके विषय में ओर भी भ्रम पैदा करना।’² नारी को भारतीय संस्कृति के अनुरूप विचारवान एवं प्राणवान रूप में चित्रित किया गया। लेकिन समय परिवर्तन के साथ स्त्रियों को निम्न वर्ग के रूप में माना गया। उन्हें शोषित व पीड़ित बताया गया है। उसको विभिन्न मुखौटों से ढक दिया गया है।

महादेवी वर्मा ने लिखा है – ‘आधुनिक नारी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से

कुण्ठित है। यदि वह शान्त भाव से अपनी समस्या पर विचार करे तो तनाव भी नहीं रहेगा। वह दो नावों पर पैर रखे है, न पुराना आडम्बर छोड़ना चाहती है, न नवीन की सहजता स्वीकार करती है।’³ इन्होंने स्त्रियों को विद्रोह की प्रेरणा दी। वे अन्याय के प्रति सदैव असहिष्णु रही हैं। भारतीय नारी संस्कृति सापेक्ष रह कर समय के साथ गत्यात्मक (DYNAMIC) बने किन्तु विध्वंस करना वे नहीं सिखाती हैं। आशापूर्णा देवी – ‘लम्बे समय तक साहित्य सृजन के दौरान ऐसा भी हुआ है कि हताशा और निराशा मिली है लेकिन मैंने इस हास और पतन को जीवन का अंतिम वक्तव्य कभी नहीं माना। मैं जानती हूँ कि अतृप्ति के साथ-साथ पूर्णता प्रदान करती है।’ लेखिकाओं ने नई चेतना दृष्टि से इतिहास, संस्कृति व मानवीय संबंधों को पुनः विश्लेषित किया है। इससे नारी की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व सामाजिक छवि बदलती हुई प्रतीत होती है। इसमें सभी वर्ग, वर्ण, धर्म, जाति व देश की स्त्रियाँ शामिल हैं। अंग्रेजी के फेमिनिज्म शब्द को हिंदी में नारी चेतना रूप दिया गया है।

लेखिका महुआ मात्री लिखती है कि ‘साहित्य में इतना मादा है कि वह समाज को बदल सकता है। उसे समाज तक पहुँचाया जाए। जब तक वह लोगों तक नहीं पहुँचेगा, तो उसकी सोच का असर कैसे पड़ेगा। इसलिए साहित्य जन प्रिय होगा तो समाज को जरूर बदलेगा।’ चंद्रकांता के अनुसार – स्त्री विमर्श को वृहत्तर अर्थों में परिभाषित करना चाहे तो वह घर, परिवार, समाज, नीति और राष्ट्रनीति में नारी की अस्मिता, अधिकार और उन अधिकारों के लिए संघर्ष चेतना से जुड़े संवाद की कल्पना है। वहाँ सामाजिक, धार्मिक अंध ऋद्धियों में दबी किसी स्त्री की आह – कराहे ही नहीं बल्कि शोषण व्यवस्था के विरुद्ध उसका आक्रोश, विद्रोह भी है। साथ ही स्त्री की गरिमापूर्ण सशक्त छवि गढ़ने की महिमा भी।

मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों की नायिकाएँ गहरे संघर्ष एवं अंतर्द्वन्द्व में भी जीवन व परिवार में बराबर बनी रहती हैं। ‘अपनी धरती पर खड़े होकर शिकंजों को काटने की कुव्वत मेरे उपन्यास की हर नायिका में है। संबंध कोई नहीं तोड़ती।’⁴ महिला कथाकारों ने समकालीन स्थितियों में स्त्री समाज की त्रासदी और विडम्बनाओं, शोषण, सामाजिक, आर्थिक पराधीनता, परम्परागत स्त्री-पुरुष संबंध, सामंती मूल्यों के कई प्रश्नों को तीखे व साहसपूर्ण ढंग से अपनी कहानियों व उपन्यासों में व्यक्त किया है।

महिला लेखिकाओं ने दलित औरत, देहाती औरत, श्रमजीवी औरत, सांस्कृतिक उत्पीड़न, दैहिक शोषण की मार सहती औरत, आदिवासी औरत आदि का वर्णन भी किया है क्योंकि भारत में इस प्रकार की महिलाओं की स्थिति अधिक दयनीय है। देश के कई राज्य स्त्रियों की खरीद-फरोख्त,

वैश्या समस्या से भी खबर हो रहे हैं।

‘महिला मुद्दों पर कलम चलाने वाली डॉ. मृदुला सिन्हा का मानना है कि दुनिया छोटी हो गई है और महिला लेखन की संभावनाएँ बढ़ गई हैं।..... स्वयं महिलाओं का कार्य क्षेत्र भी विस्तृत हुआ है। इसलिए अपने और दूसरों के अनुभव के आधार पर लेखन में प्रवीणता आई है। विश्व बंधुत्व की कामना करने वाले भारतीय समाज के लिए वैश्वीकरण हौवा नहीं बनना चाहिए।’⁶ वर्तमान में लेखिकाओं ने स्त्री के जमीनी संघर्ष को महसूस किया है तो साथ में सैद्धान्तिक सुत्रों की पड़ताल करते हुए इतिहास के पुनर्लेखन व साहित्य रचना के माध्यम से अपने विरोध भाव को भी दर्ज किया है। ‘भाषा विधान व ज्ञानात्मक अनुशासन के इस रास्ते पर वर्ग, जाति, धर्म, प्रांत पर आधारित पहचान के कई मोड़ आते हैं जहाँ महिला लेखकों की मुठभेड़ सामाजिक ढाँचे एवं उस पर निर्मित पितृसत्तात्मक सांस्कृतिक आदर्शों, प्रतीकों एवं सौन्दर्य दृष्टि से होता है।’⁷ पूरे विश्व की स्त्री की समस्याओं को एक ही मानते हुए लिखती हैं- यही स्त्री सदियों से सभ्यता के आदिकाल से पुरुष वर्ग द्वारा दलित है, शोषित है। सिमोन द बोउआ, केट मिलेट, जर्मन ग्रीयर, बेइटी फ्राइडेन इत्यादि पश्चिम की नारीवादी लेखिकाएँ इस बात को अपने शोध कार्यों से स्थापित कर चुकी हैं कि स्त्री होना एक ऐतिहासिक घटना है। वह जन्म से स्त्री नहीं बल्कि हजारों साल की सभ्यता ने उसे वस्तु रूप में परिणत कर दिया है।’⁸

सामाजिक सरोकारों से जुड़ी डॉ. कृष्णा अभिहोत्री का भी मानना है कि ‘जब समस्या ही बाजारवाद का है तो उसे स्वीकारते हुए ही उन्हीं के बीच से हल निकालने होंगे।’⁹ नारी की जागृति के साथ ही उसकी भूमिकाओं और दायित्वों में भी वृद्धि हुई है। वह एक माता और पत्नी के रूप में जितनी सशक्त है, उतनी ही एक कार्यकारी और अधिकारी के रूप में भी। स्त्री परिवार, समाज एवं देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हुए भी उसे समुचित समानता प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में देने की आवश्यकता बनी हुई है। क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ नकारात्मक रूप में यानि स्वेच्छाचारिता के अर्थ में लिया जा रहा है जबकि विधायक स्वतंत्रता हमेशा होती है। कला, संगीत, सौंदर्य, साहित्य की अन्तर्वर्ती धारा की प्रेरणा और मूर्तिकरण के बावजूद नारी सदा जीवन के हाशिये पर जीती रही।

इस बारे में लिखा गया है कि ‘वैसे भी अपने स्वानुभूत इतिहास के आधार पर महादेवी से लेकर कृष्णा सोबती तक हमारे वक्त के बेहतर महिला लेखन में लगातार कुछ नया स्फुटित होता रहा है। मनुष्य और पशुजगत, स्त्री और प्रकृति, माँ और बेटी के रिश्तों के संदर्भ में बहुत सारा अनुभव, भाषा के कई प्रयोग समय-समय पर इन लेखिकाओं ने प्रचलित संदर्भों से तोड़कर एकदम नए संदर्भों में रखे और परखे हैं, जाहिर है भाषा और भावों के ऐसे समायोजन में बहुत सारे पुराने अनुभव और भाषा रूप, या तो हटा दिए

जाएँ या नए अनुभवों से जुड़कर एकदम नई रंगत देने लगेंगे।’¹⁰

नोबल पुरस्कार विजेता मारिसन का मानना है कि ‘नई शताब्दी की इस महिला एक बदलते हुए रूप में कुछ नए अर्थों में इस विश्व को नया रास्ता दिखाएगी और वह है जन संचार और प्रसारण-माध्यम, जैसे टी.वी., रेडियो, अखबार इत्यादि, परन्तु इनके दुष्प्रभाव भी होंगे। इस शताब्दी के शुरू में महिलाएँ अब एक बदली हुई भूमिका में विश्व को रास्ता दिखा रही हैं। मेरा मानना है कि यह शताब्दी महिलाओं की ही होगी।’¹¹

सभी वर्ग, जाति, लिंग की स्त्रियों पर समान रूप से लागू होता यह स्त्री विमर्श उसे मानवी बनाने के लिए कृत संकल्पित है। प्राचीन पितृसत्तात्मक समाज ने स्त्री को आर्थिक, सामाजिक व वैचारिक रूप से अधीन कर रखा है। उसे मृदुभाषी, कर्मशील व सेवाभावी होना अनिवार्य बताया गया है। उसे घर-परिवार से सामाजिक समानता, पुरुषवादी अहं से मुक्ति, शिक्षा व क्षमताओं पर विश्वास, नेतृत्व क्षमता व मानवीय सरोकारों का वातावरण चाहिए। काम-काज की दुनिया में समान कार्य एवं समान वेतन में बराबरी की माँग करती दिखाई देती, वह समाज में परम्परागत नियमों को तोड़ना चाहती है। वह आत्मनिर्भरता, अधिकार व स्व निर्णय की स्थिति को प्राप्त करना चाहती है, मनचाही जिन्दगी जीना चाहती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सं.प्रकाश आतुर : *साहित्य की प्रतिबद्धता और सरोकार*, पृ. 78
2. हजारी प्रसाद द्विवेदी : *स्त्री प्रतिभा, कमला पत्रिका*, अक्टू. 1939, पृ. 3
3. रेणुका नैयर : *महादेवी वर्मा (व्यक्ति भेंटवार्ता) : नारी स्वातंत्र्य के बदलते रूप*, पृ. 142
4. सृजन-विश्व, रविवारीय, *राजस्थान पत्रिका*, 28 अक्टू. 2007, पृ. 2
5. सृजन-विश्व, रविवारीय, *राजस्थान पत्रिका*, 19 अक्टू. 2008, पृ. 2
6. परिवार, *राजस्थान पत्रिका*, 31 जन. 2007
7. *राजस्थान लेखिका सम्मेलन-2012*, राजस्थान साहित्य अकादमी एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित, 3-4 नव. 2012
8. प्रभा खेतान : *स्त्री विमर्श के अंतर्विरोध*, पृ. 358
9. सृजन-विश्व, रविवारीय, *राजस्थान पत्रिका*, जून 2008, पृ. 2
10. मृणाल पांडे : *जहाँ औरते गढ़ी जाती है*, पृ. 51
11. कमला रत्नू : *भारतीय महिलाएँ एवं मीडिया क्रांति के संदर्भ में, मधुमती (अंक-11)*, नव. 2006, पृ. 31

पद्मावत में लोक-संस्कृति की अभिव्यक्ति

डॉ. संगीता मरावी*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) पं.शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – अपनी रचनाओं में लोक-जीवन का चित्रण करने में वहीं कवि या लेखक समर्थ और सफल होता है जिसने लोक-जीवन के साथ घुल-मिल कर उसका निकट से अध्ययन किया हो। वाल्मीकि, व्यास, होमर, शेक्सपीयर, जगनिक, जायसी, तुलसी, प्रेमचन्द, गोर्की आदि विश्व साहित्य के ऐसे ही मनीषी कलाकार हुए हैं। जायसी को लोक-जीवन का गहरा और विस्तृत अनुभव था। कवीर के समान वह भी बचपन से साधु-फकीरों की संगति में देशाटन करते और लोगों से मिलते-जुलते रहे थे। यही लोक-जीवन को समझने और अनुभव करने का प्रधान साधन होता है। जायसी भी यदि दरबारी-कवियों के समान किसी राजा या नवाब के दरबार में रहते तो 'पद्मावत' जैसे सशक्त काव्य की रचना करने में असमर्थ रहते। हिन्दी का कोई भी सुफी कवि दरबारी कवि नहीं था। ये लोग तो प्रेम के दीवाने उपासक थे, इसलिए राजसी दरबारी वातावरण उन्हें कभी रास ही नहीं आ सकता था। जायसी पर कुछ आलोचकों ने यह आरोप लगाया है कि उनके 'पद्मावत' में लोक-जीवन का वैसा विस्तृत और गहन चित्रण नहीं हुआ है जैसा कि तुलसी के 'रामचरित मानस' में मिलता है, यह आरोप गलत है। इसे सिद्ध करने के लिए हमें 'पद्मावत' में लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति को विस्तार से चर्चा करनी होगी।

'पद्मावत' एवं रामचरित मानस में भिन्नता – सामाजिक चित्रण में अनुपात की दृष्टि से 'रामचरित मानस' और 'पद्मावत' में जो अन्तर मिलता है उसका मूल कारण तुलसी और जायसी के उद्देश्यों की भिन्नता में छिपा हुआ है। तुलसी ने 'रामचरित मानस' के माध्यम से लोक-रक्षक और धर्म-संस्थापक राम का चरित्र अंकित किया था। तुलसी सतर्क सजग सामाजिक दृष्टा थे। समाज के प्रत्येक अंग और गतिविधि पर उनकी गहरी नजर रहती थी। वह अपने आराध्य राम का ऐसा रूप प्रस्तुत करना चाहते थे जो विस्तृत समाज को अपनी परिधि में समेट समाज के लिए आदर्श और वरेण्य बन सके। इसी कारण उन्होंने 'रामचरित मानस' में सामाजिक चित्रण को इतना महत्व और विस्तार दिया था। उन्हें अपने इस प्रयत्न में पूर्ण सफलता भी मिली। आज लगभग चार सौ वर्ष बीत जाने पर भी तुलसी के राम और उपका चरित-काव्य मानस भारतीय हिन्दू-समाज की प्रेरणा बने हुए हैं।

इसके विपरीत जायसी तुलसी के समान समाज के सतर्क-सजग दृष्टा न होकर प्रेम को पीर के उसी प्रकार अनन्य उपासक थे जैसे सूर आदि कृष्ण-भक्त कवि थे। इस कारण जायसी की अपनी सीमाएँ थी। उनकी दृष्टि प्रेम के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन करने पर ही निरन्तर लगी रही। प्रेम के उस सीमित क्षेत्र में युग-जीवन का जितना भी अंश समा सका उसका उन्होंने पूर्ण मनोयोग के साथ चित्रण कर दिया। उन्होंने सूर आदि के ही समान

अपनी इस सीमा से बाहर कदम रखने का कहीं भी प्रयत्न नहीं किया। क्योंकि यदि वे ऐसा करते तो उनका उद्देश्य अपूर्ण और विकलांग रह जाता। यही कारण है कि हमें 'पद्मावत' में 'रामचरितमानस' के समकालीन आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि स्थितियों के मार्मिक और विस्तृत चित्रण न मिल कर उनके केवल हल्के से संकेत भर मिलते हैं। फिर भी हमें 'पद्मावत' में समकालीन युग के अनेक ऐसे चित्र मिल जाते हैं जिसके आधार पर उस युग के जन-जीवन का एक स्थूल और यथार्थ चित्र अंकित किया जा सकता है।

मूलतः हिन्दू-समाज का चित्रण – जायसी ने पद्मावत में रत्नसेन और पद्मावती की कथा का वर्णन किया है। इसकी पूर्वार्द्ध की कथा पूर्ण रूप से हिन्दू-जीवन और समाज से सम्बन्धित रही है। इस कथा के मा'पद्मावत'यम से भले ही उन्होंने सूफी साधाना पद्धति के प्रति अप्रत्यक्ष संकेत किया हो परन्तु प्रकट रूप से उसमें इस्लामी-जीवन या इस्लामी धार्मिक मान्यताओं की रंचमात्र भी छाया नहीं मिलती। कथा के उत्तरार्द्ध में दिल्ली-सम्राट अलाउद्दीन कथा-मंच पर प्रवेश करता है, परन्तु उसका वर्णन करते समय भी जायसी ने इस्लामी-जीवन का कोई चित्रण नहीं किया है। उन्होंने केवल उसके वैभव, शक्ति, राजदरबार आदि का ही विस्तृत वर्णन किया है। इस प्रकार हमें 'पद्मावत' में हिन्दुओं के सामाजिक जीवन का तो विस्तृत रूप मिल जाता है, परन्तु उसे समस्त भारतीय समाज का रूप माना जा सकता है। क्योंकि उस समय तक मुसलमान भी भारतीय समाज के अनिवार्य अंग बन चुके थे। इसलिए जायसी अपने समकालीन युग का अधूरा चित्र ही अंकित करने में सफल हुए हैं, सम्पूर्ण युग-जीवन का नहीं। परन्तु उन्होंने हिन्दू-समाज के जिस पक्ष का अंकन किया है, वह अपने-आप में पूर्ण है। इसे जायसी की एक विशिष्ट उपलब्धि माना जा सकता है। हमारे समाजशास्त्री उसके आधार पर उस युग के सामाजिक जीवन का एक विस्तृत चित्र अंकित कर सकते हैं।

सामाजिक जीवन – 'पद्मावत' की कथा यद्यपि राजन्य वर्ग से ही सम्बन्धित रही है, परन्तु जायसी ने इस वर्ग के माध्यम से हिन्दू-जीवन का बड़ा सुन्दर और यथार्थ चित्रण किया है। इसमें उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक के पूरे जीवन को समेटा है। इस चित्रण में यद्यपि उन्होंने जीवन के उन्हीं अंशों को विस्तार और प्रधानता दी है जो प्रेम से सम्बन्धित रहे हैं, फिर भी जीवन से सम्बन्धित सभी अंशों को उन्होंने समेट लिया है। रत्नसेन और पद्मावती का जन्म होता है। ज्योतिषी आकर उनकी जन्म कुंडलियाँ बनाते और भविष्यवाणियाँ करते हैं। बालिका पद्मावती बड़ी होती है, शास्त्रों का अध्ययन करती है। उधर रत्नमेन बड़ा होकर राजा बन जाता है। जायसी ने दोनों की इस स्थिति का वर्णन संक्षेप में ही किया है। पद्मावती के किशोरवस्था प्राप्त

करते ही जब उसके मन में काम का संचार होता है, जायसी के वर्णन विस्तृत और मार्मिक रूप धारण करने लगते हैं। क्योंकि यह प्रेम का क्षेत्र है। काम भावना प्रेम की जननी होती है। प्रेम हृदय में उल्लास उत्पन्न करता है। इसलिए जायसी पद्मावती के इस उल्लास को व्यक्त करने के लिए नाना प्रकार के रीति-रिवाजों, ऋतुओं, त्यौहारों, वस्तुओं, विवाह, भोज आदि का विस्तृत वर्णन करते हैं। ये सब प्रेमसिक्त जीवन के उल्लास को बढ़ाने वाले हैं। इनके रूप में हमें तत्कालीन राजन्य-वर्ग के सामाजिक जीवन का सुन्दर और मार्मिक परिचय प्राप्त होता है। ये जीवन के एक विशिष्ट अंग होते हैं।

विवाहोत्सव - प्रेम की पूर्णता और सार्थकता प्रेमी-प्रेमिका के विवाह में प्रतिफलित होती है। सामान्य जीवन में भी विवाह जीवन का सर्वाधिक उल्लासमय क्षण होता है, फिर प्रेमी युगल के लिए तो वह जीवन की चरम उपलब्धि का क्षण बन जाता है। जायसी ने इसी कारण विवाहोत्सव का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने 'बरेक्षा' अर्थात् सगाई से लेकर सुहागरात तक का विस्तृत वर्णन किया है। इस वर्णन द्वारा एक तथ्य यह प्रकाश में आता है कि सामाजिक उत्सव और कृत्य शताब्दियों तक एक ही सा रूप धारण किए रहते हैं। उनमें कोई विशिष्ट अन्तर नहीं आ पाता। क्योंकि जायसी ने रत्नसेन-पद्मावती के विवाहोत्सव का जो वर्णन किया है वह आज भी चार-पाँच सदियों बीत जाने पर भी लगभग वैसा ही मिलता है। आज भी विवाह उसी प्रकार होते हैं, राजन्य वर्ग में तो विशेष रूप से उसी प्रकार होते हैं। इसलिए सामाजिक-विकास का अध्ययन करने वालों के लिए यह वर्णन अपना विशिष्ट महत्व रखता है। साथ ही यह भी बताता है कि लोकप्रिय सामाजिक रूढ़ियाँ सदियों तक अपरिवर्तित बनी रहती हैं।

अब इस वर्णन की भी थोड़ी-सी झाँकी देख ली जाय। जायसी ने रत्नसेन पद्मावती के विवाह से सम्बन्धित प्रत्येक रस्म का विस्तृत वर्णन किया है। आरम्भ में बरेक्षा (सगाई या टीका) की रस्म की जाती है- 'भा बरोक अब तिलक संवारा।' इसके बाद पंडितगण पत्रा देखकर विवाह की लवण (मुहूर्त) निकालते हैं और फिर उसी के अनुसार सारे सिहल में निमन्त्रण-पत्र भिजवाये जाते हैं-

'लगन धारा औ रचा वियाहू। सिहल नेवत फिरा सब काहू।'

इसके उपरान्त विवाह की तैयारियाँ आरम्भ हो जाती हैं। मंडप छाया जाता है, जमीन पर लाल बिसात बिछाई जाती है और अन्य साज-सज्जा के साथ सार नगर विवाह के मंगल-गीतों से गुंजने लगता है-

'रचि-रचि मानिक मांडव छावा। औ भुँइ रात बिछाय विछावा ॥

चन्दन खाँभ रचे बहु भाँती। मानिक दिया बरहि दिन-राती ॥

घर घर बन्दन रचे दुबारा। जावत नगर गीत झनकारा ॥'

इस तैयारी के उपरान्त रत्नसेन राजसी वस्त्र धारण कर, दूल्हा बन घोड़े पर सवार हो, बारात के साथ राजा गन्धर्वसेन के द्वार की ओर चल देता है। बारात की अगवानी सुन पद्मावती अपने दूल्हे को देखने की उत्सुकता से भर सखियों सहित अटारी पर जा चढ़ती है और वहाँ से रत्नसेन के दर्शन कर आनन्द और उल्लास से भर उठती है। बारात के दरवाजे पर आ जाने पर उसका स्वागत सत्कार किया जाता है और फिर जनवासे में ठहरा दिया जाता है। इसके बाद बारात को भोजन कराया जाता है और फिर रत्नसेन और पद्मावती का विवाह उसी रीति से किया जाता है। जिस प्रकार कि आजकल भी हिन्दुओं में होता है। विवाह के उपरांत गन्धर्वसेन अपने जामाता को अपार दहेज देता है। यहाँ इस सम्बन्ध में यह द्रष्टव्य है कि जायसी ने इस विवाहोत्सव से सम्बन्धित छोटी-सी-छोटी रस्म का भी वर्णन किया है। इस

वर्णन की यह विशेषता है कि इसमें एक राजा और राजकुमारी के विवाह का वर्णन किया गया है। पुराने जमाने में राजा के विवाह के समय लाल रंग का विशेष महत्व माना जाता था। इसी कारण जायसी ने इस अवसर पर रत्नसेन के वस्त्र, रथ, सिंहासन, छत्र आदि सभी को लाल रंग का दिखाया है। जैसे-

'औ भुँइ रात बिछाव बिछावा।'

'पहिरडू राता दगल सोहाबा।'

'भो राता सोने रथ साजा।'

'ऊपर रात छत्र तस छावा।'

भोज-वर्णन - जायसी ने 'पद्मावत' में दो प्रसंगों में दो प्रकार के भोजों (दावतों) का वर्णन किया है। पहला भोज राजा गन्धर्वसेन पद्मावती के विवाह के अवसर पर रत्नसेन और उसके साथियों को देता है। यह भोज पूर्ण रूपेण शाकाहारी भोज है जिसमें नाना प्रकार के पकवान पकाए जाते हैं, माँस नहीं पकाया जाता। इसका वर्णन करते समय जायसी ने पकवानों की एक लम्बी तालिका दी है। उन्होंने इस भोज को शाकाहारी सम्भवतः इसीलिए बताया है कि यह एक हिन्दू द्वारा दूसरे हिन्दुओं को दिया गया भोज था। और हिन्दू शाकाहारी होते हैं। इसीलिए उन्होने इसमें माँस-मछली द्वारा बनाए जाने वाले खाद्य-पदार्थों का वर्णन नहीं किया है।

जायसी दूसरे प्रकार के भोज का वर्णन रत्नसेन द्वारा अलाउद्दीन को दिए गए भोज के प्रसंग में करते हैं। इसमें रत्नसेन शाकाहारी और माँसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करवाता है। इसलिए कि अलाउद्दीन मुसलमान है और मुसलमान माँसाहारी होते हैं। इस भोज का वर्णन करते समय जायसी दोनों प्रकार के खाद्य-पदार्थों की विस्तृत सूची हमारे सामने रख देते हैं। हमारा ख्याल है कि संसार के सर्वाधिक प्रसिद्ध भोजों के अवसरों पर भी इतने प्रकार के खाद्य-पदार्थ नहीं बने होंगे जितने कि इस भोज के अवसर पर बने बताए गए हैं।

त्यौहारों का वर्णन-त्यौहार सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग होते हैं। जायसी के युग में भी समाज में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। विशेष रूप से दो त्यौहारों बसन्त और होली का ही वर्णन किया। इन दोनों में से भी उन्होंने बसन्त का ही अधिक वर्णन किया है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि शृंगार रस के चित्रण में बसन्त का विशेष महत्व माना जाता है। बसन्त पंचमी को बसन्तोत्सव मनाया जाता है। जायसी इसी बसन्त पंचमी के अवसर पर पद्मावती को पूजन के निमित्त महादेव के मंडप में भेजकर रत्नसेन के साथ उसकी पहली मुलाकात कराते हैं। इस ऋतु में विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। सारी धारती फूलों से भर जाती है। नारियाँ शृंगार कर गाती नाचती हैं। जायसी इसी का वर्णन करते हुए कहते हैं-

'नवल बसन्त नवल सब बारी। सैंदुर वुक्कन होइ धमारी।

खिनहि खिनहि खिन चाँचरि होई। नाच कूद भूला सब कोई ॥

सेदुर खेह उड़ा अस, गगन भएउ सब रात।

राती सगरिउ धरती, राते विरिछन्ह पात ॥'

जायसी ने बसन्त का अनेक स्थानों पर विस्तृत वर्णन किया है। फाल्गुन का महीना बसन्त का महीना होता है। इसकी पूर्णिमा को होली जलाई और खेली जाती है। इसलिए जायसी होली का वर्णन बसन्त के साथ ही करते हैं। होली के साथ ही बसन्त ऋतु समाप्त हो जाती है-

'फागु बेनि पुनि दाहब होली। सैंइतव बेह उड़ाव झोली ॥'

सेना, युद्धादि का वर्णन - 'पद्मावत' में कई युद्धों का वर्णन है। जायसी ने उनके प्रसंग में सेना, युद्ध आदि का विस्तृत वर्णन किया है। इस वर्णन को

पढ़ कर यह पता चलता है कि उस युग में सेनाएँ कैसी होती थीं और युद्ध कैसे लड़े जाते थे। अलाउद्दीन की सेना में भारत के विभिन्न प्रदेशों के सैनिकों के अतिरिक्त दूसरे देशों के भी असंख्य सैनिक थे। ये सैनिक युद्ध करते समय तोप, तीर, तलवार, भाला, साँग, बुर्ज आदि नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग करते थे। जब किसी गढ़ पर कोई शक्तिशाली शत्रु आक्रमण करता था तो उस गढ़ का राजा युद्ध और जीवन के लिए आवश्यक सभी प्रकार की वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में संचय कर गढ़ का फाटक बन्द कर भीतर बैठ जाता था और गढ़ की प्राचीरों पर से शत्रु-सेना पर वाण-वर्षा होती रहती थी। शत्रु-सेना आकर गढ़ को चारों ओर से घेर वहीं जम जाती थी। जब प्रयत्न करने पर भी गढ़ नहीं टूट पाता था तो शत्रु-सेना ऊँचे-ऊँचे बुर्ज बना उसके ऊपर से तोपों द्वारा गढ़ पर भयंकर गोलाबारी करने लगती थी। जायसी ने अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ गढ़ का घेरा डाले जाने के अवसर पर तत्कालीन युद्ध-नीति का विस्तृत वर्णन किया है।

विभिन्न प्रथाओं का वर्णन – जायसी ने राजपूतों की दो इतिहास प्रसिद्ध प्रथाओं का भी वर्णन किया है। ये दो प्रथाएँ हैं-जौहर-प्रथा, और सती-प्रथा। जब अलाउद्दीन पहली बार चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो राजपूत अपनी पराजय को निश्चित समझ जौहर करने की तैयारियाँ करने लगते हैं। जायसी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं-

‘चन्दन अगर मलय गिरि काड़ा। पर घर कीन्ह सरा रचि ठाड़ा ॥

जौहर कहुँ साजा रनिवासू। जिन्ह सत हिय कहाँ तिन्ह आँसू ॥

पुरुषन्ह खड्ग सम्भारे, चन्दन सेवरे देह।

मेहरिन्ह सेंदुर मेल, चहहि भई नरि बेह ॥’

परन्तु रत्नसेन और अलाउद्दीन में सन्धि हो जाने से जौहर नहीं हो पाता जौहर उस समय होता है जब अलाउद्दीन दूसरी बार चित्तौड़ पर आक्रमण करता है।

‘जौहर भई सब इस्तिरी, पुरुष भुए संग्राम।

बादशाह गढ़ चरा, चितउर भा इसलाम ॥’

सती-प्रथा का वर्णन ‘पद्मावत’ के अन्त में होता है। रत्नसेन की मृत्यु हो जाने पर नागमती और पद्मावती पति के साथ सती हो जाने के लिए सोलह शृंगार करने लगती हैं। सती होने वाली नारियाँ विलाप न कर सुहाग के सम्पूर्ण चिह्न धारण कर शान्त और गम्भीर भाव से पति की चिता पर चढ़कर भस्म हो जाती हैं। रत्नसेन की दोनों रानियाँ इसी प्रकार सती होती हैं। जायसी ने सती होने की प्रत्येक क्रिया का जो वर्णन किया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय सती प्रथा का कैसा रूप था। सती होने से पूर्व दोनों रानियाँ अन्तिम बार अपना पूरा शृंगार करती हैं। वह विलाप नहीं करतीं। परलोक में पुनः उसी पति के साथ मिलन होने की आशा से भर, गाजे-बाजे के साथ पति के शव के साथ श्मशान की ओर प्रस्थान करती हैं। श्मशान में जब चिता सजा दी जाती है तो वे पहले खूब दान-पुण्य करती हैं, फिर सात बार चिता की परिक्रमा कर पति के शव के साथ चिता पर बैठ जाती हैं। उसके बाद चिता में आग लगा दी जाती है और वे पति के शव के साथ भस्म हो जाती हैं। जायसी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं-

‘सर रचि दान पुत्र बहु कीन्हा। सात बार फिरि भाँवरि कीन्हा ॥

लेइ सर ऊपर खाट बिछाई। प्रौढ़ी दुवौ कन्त गर लाई ॥

लागी कंठ आगि देइ होरी। छार भई जरि, अंग न मोरी ॥

राती पिउ के नेह गई, सरग भएउ रतनार

जो रे उवा, सो अथवा, रहा न कोई संसार।’

लोक-विश्वासों और लोक विचारों का वर्णन – जायसी ने समाज में प्रचलित नाना प्रकार के लोक-विश्वासों और लोक विचारों का भी विस्तृत वर्णन किया है। शकुन विचार, मुहूर्त-विचार देवता, जोगिनी, जादू टोना, सिद्ध-गुटिका आदि सम्बन्धी वर्णन जन-सामान्य के इनमें गहरे विश्वास को ध्वनित करते हैं। उस युग में जनता इनमें गहरा विश्वास रखती थी। रत्नसेन के चित्तौड़ से सिंहल के लिए प्रस्थान करते समय जायसी शुभ शकुनों से सम्बन्धित महर्षि व्यास के विचारों को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं-

‘आगे सगुन सगुनिये ताका। दहिने माछ रूप के टाँका ॥

भरे कलस तरुनी जल आई। ‘दहिउ लेउ’ ग्वालनि गोहराई ॥

मालिनि आब मौर लिए गाँथे। खंजन बैठ नाग के माथे ॥

दहिने मिरिग आइ बन धाएँ। प्रतीहार बोला खर बाएँ ॥

जा कह सगुन होहि अस, औ गवन जेहि आस ॥

अष्ट महासिद्धि तेहि कहें, जस कवि कहा बियास ॥’

किसी कार्य को करते समय या यात्रा के अवसर पर इन शकुनों के अतिरिक्त दिशाशूल, योगिनी, तिथि, राशि, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र आदि के सम्बन्ध में भी विचार किया जाता था। इनका सम्बन्ध, ज्योतिष शास्त्र से माना गया है। आज भी भारत के बहुत से व्यक्ति इनका विचार करते हैं और इन्हें अनुकूल या प्रतिकूल जान कर ही किसी भी कार्य को करने या न करने का निर्णय लेते हैं। जायसी ने रत्नसेन के सिंहल प्रस्थान करते समय इन सारी बातों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं-

दिशाशूल

‘उदित सूक पश्चिम दिसि राहु। बीफे दखिन लक दिसि दाहू ॥

सोम सनीचर पुरुषन चालू। मंगल बुध उतर दिसि कालू ॥’

दिशाशूल के निवारण के उपाय – यदि कहीं जाना अनिवार्य हो और जिस दिशा में जाना हो उधार जाने में ज्योतिष के अनुसार संकट अर्थात् दिशाशूल हो तो जायसी उस दिशाशूल के प्रभाव को दूर करने का उपाय भी बता देते हैं, जैसे-

‘मंगल चलन मेल मुख धनियाँ। चलत सोम देखे दरपनियाँ ॥

सूकहि चलत मेल मुख राई। बीफ चले दखिन गुड खाई ॥’

तिथि-विचार -यात्रा करने से पूर्व सप्ताह के दिनों के ही समान तिथि का भी विचार किया जाता है, जैसे-

‘परिवा नौमी पुरुष न जाए। दूइज दसमी उत्तर बढाए ॥’

चन्द्र-विचार – इसी प्रकार यात्रा करने से पूर्व चन्द्रमा की स्थिति पर भी विचार किया जाता है, जैसे-

‘गवन कर कहाँ उगरे कोई। सनमुख सोम लाभ बहु होई ॥

दहिन चन्द्रमा सुख सरवदा। बाएँ चन्द्र त दुख आपदा ॥’

जायसी ने ये सारे वर्णन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही किए हैं। आज भी हमारे रूढ़िवादी समाज में इनका बराबर विचार किया जाता है।

निष्कर्ष – ‘पद्मावत’ में पाए जाने वाले उपयुक्त नाना प्रकार के वर्णनों से उस युग के समाज, उनकी मान्यताओं और उसमें प्रचलित नाना प्रकार की रूढ़ियों और प्रथाओं का एक अच्छा-खासा चित्र प्रस्तुत हो जाता है। इस ग्रन्थ की रचना करने में जायसी का उद्देश्य समकालीन समाज का चित्रण करना न होकर प्रेम के निर्मल, उदात्त रूप की प्रतिष्ठापना करना ही रहा था। इसी कारण उनका सारा ध्यान प्रेम के इसी रूप का चित्रण करने में लगा रहा है। परन्तु उन्होंने यह चित्रण एक कथा के माध्यम से किया है, और कथा में सामाजिक जीवन अनिवार्य रूप से आ जाता है। अतः जायसी को इस कथा

को कहते समय जितना अवकाश और अवसर मिल सका है, उन्होंने उसके अनुसार ही सामाजिक जीवन को अपनी लेखनी की परिधि से समेट लिया है। इसके साथ ही उन्होंने जगह-जगह नाना विधायों से सम्बन्धित अपने ज्ञान का भी प्रदर्शन किया है। इस ज्ञान-प्रदर्शन से हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि उस युग के समाज में किस-किस प्रकार की मान्यताएँ प्रचलित और लोकप्रिय थी। इन सबकी सहायता से उस युग के समाज का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री उस युग के समाज की एक स्थल रूपरेखा तो बना सकते हैं।

अतः यह कहना नितान्त भ्रमपूर्ण है कि जायसी 'पद्मावत' की रचना करते समय समाज की सर्वथा भूल केवल प्रेम का ही चित्रण करने में डूबे रहे थे। यह सही है कि समाज का चित्रण करते समय उनकी दृष्टि तुलसी के

समान व्यापक नहीं रही थी। इसी कारण 'पद्मावत' में 'रामचरितमानस' के समान समाज में व्यापक स्थान नहीं मिल सका। जायसी की सूर के ही समाज अपनी सीमाएँ थीं। अपनी उन्हीं सीमाओं के भीतर रहते हुए उन्होंने समाज का जितना चित्रण किया है, उसे उपेक्षणीय नहीं माना जा सकता। समाजशास्त्र की दृष्टि से उसका अपना एक निश्चित और विशिष्ट महत्व है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जायसी – पद्मावत।
2. तुलसी – रामचरित मानस।
3. कबीर – बीजक।
4. प्रेमचन्द्र का साहित्य।

वित्तीय समावेशन

डॉ. रुकमणी यादव*

* सहायक प्राध्यापक, श्री नीलकण्ठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – जब हर किसी की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच होती है जैसे ऋण, ऋण, इक्विटी, बचत और बीमा – वे सभी धन विकसित कर सकते हैं। इसे वित्तीय समावेशन कहते हैं।

लेन-देन, भुगतान, बचत, ऋण और बीमा की उनकी मांगों को पूरा करने के लिए लोगों और व्यवसायों को व्यावहारिक और उचित मूल्य की वित्तीय वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच होनी चाहिए। इसे वित्तीय समावेशन कहते हैं।

वित्तीय समावेशन से लोगों के जीवन और उद्यमों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। वित्तीय संस्थानों ने ऐतिहासिक रूप से कम आय वाले व्यक्तियों, महिलाओं और अन्य सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों को कम किया है। वे अक्सर अनौपचारिक, अनियमित वित्तीय उपकरणों पर निर्भर रहे हैं क्योंकि उनके पास औपचारिक सेवाओं तक पहुंच के साथ-साथ उन्हें नियोजित करने के लिए लचीलापन और ज्ञान की कमी है। आधिकारिक सेवाओं तक पहुंच रखने वाले लोगों और कंपनियों के विपरीत, यह आर्थिक संभावनाओं का लाभ उठाने की उनकी क्षमता को सीमित करता है और उनके लिए अप्रत्याशित चिकित्सा लागत या जलवायु परिवर्तन से जुड़ी मौसम संबंधी घटनाओं जैसे झटकों से उबरने में अधिक मुश्किल बनाता है।

क्या आप बिना लोन लिए घर या कार खरीद सकते हैं? हममें से बहुत लोग ऐसा नहीं करेंगे। बीमा न होने और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए भुगतान करने के बारे में क्या? एक ही कथा। वित्तीय संस्थानों तक पहुंच के बिना लोगों के लिए खर्च के लिए पर्याप्त धन बचाने के लिए लगभग कठिन है, बहुत कम वह धन जमा करते हैं जो वे अपने बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं।

वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण समस्या है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, औपचारिक बचत और ऋण लगभग 1.5 बिलियन व्यक्तियों के लिए दुर्गम है। वे ऋण के लिए अनाधिकारिक ऋणदाताओं और व्यक्तिगत नेटवर्क पर निर्भर हैं, नकदी के साथ हर चीज के लिए भुगतान करते हैं, और अपने पैसे को स्टोर करने और निवेश करने के लिए एक सुरक्षित साधन की कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वित्तीय समावेशन केवल ऋण, खुले बैंक खाते और भुगतान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम होने से अधिक है। यह एक उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। आर्थिक अवसर और उपलब्धि के बीच मौजूद अंतर को वित्तीय समावेशन के माध्यम से बंद किया जा सकता है। हमारे पास सदियों के सीमांतकरण को पलटने

और सामान्य आर्थिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

भारत में वित्तीय समावेशन – 15 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) को पहली बार चार साल की अवधि के लिए शुरू किया गया था। इसमें वित्तीय साक्षरता, ऋण उपलब्धता, बीमा और पेंशन के साथ-साथ प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंक खाते के साथ बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना की गई है।

तीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के पास पीएमजेडीवाई के लिए एक मंच है। प्रशासन ने 28 अगस्त, 2018 को व्यापक पीएमजेडीवाई पहल जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन हर घर से हर वयस्क पर जोर देने के साथ।

वित्तीय समावेशन पहल

जन धन-आधार-मोबाइल (जेएम) ट्रिनिटी – पीएमजेडीवाई, आधार और अधिक मोबाइल कनेक्टिविटी के लागू होने से सरकारी सेवाएं प्राप्त करने के तरीके में बदलाव आया है।

मार्च 2020 के अनुमानों के अनुसार, कुल मिलाकर 380 मिलियन लोगों को जन धन प्रणाली से लाभ हुआ है।

आधार ने व्यक्तिगत पहचान के विचार में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, एक ऐसी प्रणाली स्थापित करके वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया है जो न केवल सत्यापित करने के लिए सुरक्षित है बल्कि प्राप्त करने के लिए सरल भी है।

देश के गरीब और अशिक्षित नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने वित्तीय समावेशन का समर्थन करने और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई ऐतिहासिक कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। इनमें अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शामिल हैं।

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार – ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पहल की है।

1. इनमें सुदूर क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलना शामिल है।
2. किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना (केसीसी)।
3. बैंकों के साथ स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को जोड़ना।
4. स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएमएस) की संख्या में वृद्धि।
5. बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट्स मॉडल ऑफ बैंकिंग आदि।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा – एनपीसीआई द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को मजबूत करने के साथ डिजिटल भुगतान को अतीत की तुलना में सुरक्षित बनाया गया है।

आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ईपीएस) किसी भी स्थान पर और किसी भी समय माइक्रो एटीएम का उपयोग करके आधार सक्षम बैंक खाता (ईबीए) को सक्षम बनाती है।

ऑफलाइन लेन-देन-अनुकूलित अनुपूरक सेवा डेटा (यूएसएसडी) के कारण भुगतान प्रणाली को अधिक सुलभ बनाया गया है, जो इंटरनेट के बिना भी मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना संभव बनाता है।

वित्तीय साक्षरता में वृद्धि – परियोजना वित्तीय साक्षरता पहल भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य कई लक्षित दर्शकों को शिक्षित करना है, जिनमें महिलाएं, स्कूल में नामांकित बच्चे या कॉलेज में प्रवेश करने की योजना बनाना, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीब, सशस्त्र बलों के सदस्य और वरिष्ठ नागरिक, केंद्रीय बैंक और बुनियादी बैंकिंग अवधारणाओं के बारे में।

राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) की मुख्य पहल को पॉकेट मनी कहा जाता है और इसका उद्देश्य छात्रों की वित्तीय साक्षरता बढ़ाना है। स्कूली बच्चों को पैसे का मूल्य और निवेश, बचत और वित्तीय योजना के महत्व का लक्ष्य है।

संबंधित चुनौतियां – सभी वित्तीय सेवाओं के लिए प्रवेश बिंदु एक बैंक खाता है। हालांकि, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 190 मिलियन वयस्कों का बैंक खाता नहीं है।

डिजिटल विभाजनरू वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने की सबसे आम बाधाएं:

1. उचित वित्तीय उत्पादों की अनुपलब्धता।
2. डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने के लिए हितधारकों के बीच कौशल की कमी।
3. बुनियादी मुद्दे।
4. कम आय वाले उपभोक्ता जो डिजिटल सेवाओं तक पहुंच के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का वहन करने में सक्षम नहीं हैं।

घाटे को लागू करना: उदाहरण के लिए, बहुत सारे निष्क्रिय खाते जो कभी भी वास्तविक वित्तीय गतिविधि को नहीं देखते थे, जन धन नीति के परिणामस्वरूप खोले गए थे। बड़े परिचालन व्यय ने केवल वास्तविक लक्ष्य को कमजोर करने के लिए काम किया क्योंकि ऐसे सभी कार्यों में शामिल संगठनों के लिए एक खर्च होता है। यह महत्वपूर्ण है कि सभी हितधारक सही इरादों के साथ इस तरह की गतिविधियों में संलग्न हों न कि केवल इन हानिकारक परिणामों को रोकने के लिए दिखाने के लिए।

अनौपचारिक और नकदी-बहुल अर्थव्यवस्था: भारत भारी प्रभुत्व वाली नकदी अर्थव्यवस्था है, यह डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए एक चुनौती है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार, भारत

में कार्यरत लगभग 81 प्रतिशत लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। लेनदेन के नकद मोड पर उच्च निर्भरता के साथ एक विशाल अनौपचारिक क्षेत्र का संयोजन डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए एक बाधा है।

वित्तीय समावेशन में लिंग अंतर: कई रिपोर्टों के अनुसार समाज में पुरुषों द्वारा धारित खातों की संख्या महिलाओं से अधिक है और महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से कम जोड़ा जाता है, यह मोबाइल हैंडसेट की उपलब्धता और महिलाओं की तुलना में पुरुषों में इंटरनेट डेटा सुविधा की उपलब्धता सहित सामाजिक-आर्थिक कारकों के लिए जिम्मेदार है।

ऋण पहुंच की कमी: कम आय वाले परिवारों और अनौपचारिक व्यवसायों को ऋण प्रदान करने में मुख्य बाधाओं में से एक औपचारिक ऋणदाताओं के पास उपलब्ध जानकारी की कमी है जो उनकी ऋण पात्रता निर्धारित करती है। इससे ऋण की भारी लागत आती है।

उठाए जाने वाले कदम

संवाददाता मॉडल को पुनर्जीवित करना: चूंकि देश के हर कोने में शाखाएं होना अव्यावहारिक है, इसलिए संभावित ग्राहकों से बैंक पत्राचार के माध्यम से संपर्क किया जाता है। हालांकि, एक अपर्याप्त क्षतिपूर्ति संरचना संवाददाता बैंकिंग की अपील से अलग हो जाती है। नतीजतन, बैंकिंग पत्राचारों के लिए अधिक वित्तीय प्रोत्साहन के साथ-साथ बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

JAM ट्रिनिटी का लाभ उठाना: एक घर के मूल्यांकन और एक अनौपचारिक व्यापार की क्रेडिटवर्थ को प्रौद्योगिकी द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। डेटा गोपनीयता के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हुए सरल ऋण पहुंच प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों के साथ एक नया डेटा-शेयरिंग ढांचा (जन धन और आधार प्लेटफॉर्म का उपयोग) लागू किया जाएगा।

डेटा संरक्षण व्यवस्था के लिए आवश्यक: अधिक डिजिटलीकरण के अलावा देश में साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की भी जरूरत है।

अलग-अलग बैंकों का लाभ उठाना: भुगतान बैंकों और छोटे वित्त बैंकों जैसे अलग-अलग बैंकों का उपयोग कम सेवा वाले क्षेत्रों में भुगतान प्रणाली को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यूएसएसडी को बढ़ावा देना: चूंकि यूएसएसडी (अनस्ट्रक्चरल सप्लीमेंटरी सर्विस डेटा) चैनल के माध्यम से भुगतान का इंटरनेट पर एक लाभ है, क्योंकि वे गैर-स्मार्ट फोन उपयोगकर्ताओं के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत को भी कवर कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए (यूएसएसडी प्रक्रिया में किए गए खर्चों की क्षतिपूर्ति करके)। भारत में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कुछ आबादी पर निर्भर रहने योग्य इंटरनेट कनेक्टिविटी जारी है, नेक से बहुत लाभ हो सकता है।

उपसंहार – भारत में वित्तीय समावेशन की सफलता के लिए, एक बहुआयामी दृष्टिकोण होना चाहिए जिसके माध्यम से मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधनों और नीतिगत ढांचे को मजबूत किया जाता है और नए तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यदि मौजूदा समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं तो वित्तीय समावेशन में गरीबों के आर्थिक विकास के लाभों को बढ़ाने की क्षमता है। कम आय वाले और कमजोर व्यक्तियों, परिवारों और एमएसई के लिए अधिक समावेशी, लचीला और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य बनाने के लिए, वित्तीय समावेशन

2.0 को समावेशी वित्त के प्रभाव को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Toxic Disaster (Which was published in The Hindu on

May 8th 2020)

2. Google Images

3. RBI website for (Defining Financial Inclusion)

4. <https://pib.gov.in/> (For Details of JAM trinity.)

योग और ध्यान के वैज्ञानिक पहलू

प्रियंका गुमा* हिमांशु मुछाल** सुजीत भट्ट***

* विभागाध्यक्षा (योग विभाग) पंजाब सिन्ध क्षेत्र साधू महाविद्यालय, ऋषिकेश (उत्तराखंड) भारत
** एम०ए० योगाचार्य (छात्र) (योग विभाग) पंजाब सिन्ध क्षेत्र साधू महाविद्यालय, ऋषिकेश (उत्तराखंड) भारत
*** सहायक प्राध्यापक (योग विभाग) पंजाब सिन्ध क्षेत्र साधू महाविद्यालय, ऋषिकेश (उत्तराखंड) भारत

प्रस्तावना- आज भूमंडलीकरण के युग में अति मशीनीकरण एवं प्रतिस्पर्धात्मकता होने से जीवन में अत्यधिक तनाव भरा रहता है। इसके अतिरिक्त समाज में हो रहे नित्य बदलाव-आधुनिकीकरण, नगरीकरण, भौतिकवाद और प्रतिस्पर्धा इत्यादि से हर आयु वर्ग को तनाव ग्रस्त बना दिया है। आजकल समाज का हर वर्ग चिंता एवं तनाव का सामना कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है कि व्यक्ति कि आवश्यकताएं पूरी नहीं होने की स्थिति उनकी पूर्ति में बाधाएं समय-समय पर उत्पन्न होती रहती है। इस कारण तनाव होता है। वर्तमान समय में व्यक्ति को कई परिस्थितियों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है तब आवश्यकता की पूर्ति होती है। प्रतिकूल परिस्थितियां तनाव उत्पन्न करती है आज की व्यस्त जीवनचर्या एवं भागदौड़ की जीवन शैली में प्रत्येक व्यक्ति तनाव का शिकार है। इसे बीसवीं शताब्दी में बीमारी के रूप में स्वीकार किया गया है। आज प्रत्येक वर्ग नौकरी-पेशा, अमीर गरीब, स्त्री-पुरुष बालक युवा एवं वृद्ध सभी तनावग्रस्त हैं। तनाव ग्रस्तता के कई कारण हैं। इनसे अनेक समस्याओं का जन्म होता है जैसे :- रोजगार की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, युद्ध का भय एवं प्राकृतिक आपदा तथा तेज रफतार भरी जिन्दगी की ओर बढ़ते हुए कदम, भौतिक जीवन शैली में कई वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास ने व्यक्ति के जीवन स्तर को बढ़ाया है, परन्तु इन्हें प्राप्त करने में व्यक्ति को संघर्ष करना होता है। इससे व्यक्ति कि शारीरिक व मानसिक ऊर्जा का व्यय अधिक होता है।

अब विद्यार्थियों में भी तनाव के स्तब्धकारी लक्षण तथा प्रभाव गोचर होने लगे हैं जिससे कि उनके शारीरिक, मानसिक, मनोभावों और सामाजिक दृष्टिकोण के प्रति दृढ़ता के विकास एवं वृद्धि का हास हो रहा है। विद्यार्थियों के जीवन में भी तनाव के अस्तित्व का प्रभाव राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण उजागर होने लगा है। इसके अतिरिक्त आधुनिक शिक्षा प्रणाली में परीक्षाएँ भी विद्यार्थियों को बहुत अधिक व्यस्त करती हैं और उन्हें इतना समय भी नहीं मिल पाता कि वह अपने आप को मुक्त रूप से विकसित करें तथा स्वयं एवं समाज के प्रति सजगता दिखा सकें। तनाव विद्यार्थी को अलगाव एवं वैराग्य की ओर धकेलता है या फिर उत्तेजित एवं असामान्य व्यवहार या असमायोजक गतिविधियों में पड़कर चारित्रिक हनन की ओर अग्रसर करता है। शैक्षिक तनाव विद्यार्थियों से विशेष रूप से सम्बन्धित है। हम सब इस परिणाम परक युग में जी रहे हैं जिसमें अत्यधिक लोग परखने के उपरान्त ही प्रभावित होते हैं।

विद्यार्थी की सफलता का स्तर शिक्षा प्रणाली में हुए परीक्षण एवं

परीक्षाओं में प्राप्त अंको द्वारा मापा जाता है। शिक्षा प्रणाली पर हुए कई प्रकार के शोधकार्यों पर सर्वेक्षणों में यह पाया गया कि विद्यार्थियों पर भाँति-भाँति के तनाव व्याप्त है जैसे कि सामाजिक एवं शैक्षिक तनाव। कई प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियों के विषय में सोचने पर भी तनाव का प्रभाव बढ़ता है जैसे कि परीक्षा में असफलता, जीवन में भविष्य का क्या होगा? और असफल रहने पर स्वयं का उत्तरदायित्व क्या होगा? इत्यादि। समाज में आनंद एवं समृद्ध जीवन जीने के असीम माधुर्य को प्राप्त करने में योग-विद्या विश्वभर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वास्तव में 'योग' की व्याख्या मानसिक नियंत्रण के विज्ञान के रूप में की गई है। यदि योग को बचपन से नियमित रूप से अपनाया जाए तो यह केवल मानसिक स्थिति पर ही नियंत्रण की भूमिका ही नहीं निभाता है बल्कि व्यवहार कुशलता और व्यक्तित्व को भी निखारता है। यदि मध्यम एवं प्रौढ़ आयु वर्ग के लोग भी यौगिक अभ्यास नियमित रूप से करें तो उनके वृद्ध होने की प्रक्रिया भी निलम्बित होगी जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति क्रियाशील एवं शक्ति व उमंग से संपन्न होगा तथा विश्वसनीय रूप से उसकी आयु भी लम्बी होगी। नियमित दैनिक योगाभ्यास शरीर और मन की संपूर्ण समस्थिति को जीवन भर बनाये रखता है। यह ग्रन्थि मस्तिष्क के मध्य में स्थित होती है, मेडिकल शोधकर्ताओं के अनुसार इस अंग में रक्त आपूर्ति शरीर के अन्य अंगों की तुलना में अधिक होती है तो निश्चित हो यह कहा जा सकता है कि यह अंग अन्य अंगों की तुलना में महत्वपूर्ण है और यह रक्त आपूर्ति निश्चित ही महत्वपूर्ण कार्यों में ही खर्च होती होगी। अभी तक बहुत अधिक इस ग्रन्थि के विषय में ज्ञात नहीं हो पाया है। यह ग्रन्थि मेलेटोनिन नामक हॉर्मोन का नियमन करती है जो कि सैक्स हॉर्मोन है। अतः यौन विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों में पीनियल ग्रन्थि के सक्रिय होने से ही यौन क्रियाएं नियन्त्रित रहती हैं। आध्यात्मिक रूप से यह ग्रन्थि आज्ञा चक्र से सम्बन्धित है। त्राटक के अभ्यास से पीनियल ग्रन्थि सक्रिय होती है, चित्त एकाग्र होता है और उच्च स्थिति प्राप्त होती है। महर्षि घेरण्ड ने त्राटक के अभ्यास से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति की बात कही है दिव्य दृष्टि अर्थात् चित्त की शान्त और एकाग्र अवस्था। चित्त की एकाग्रता से पीनियल ग्रन्थि खुलती है।

तर्क संगत कार्यों को नियमित करने वाला हॉर्मोन सीरोटोनिन भी इसी ग्रन्थि के द्वारा नियंत्रित होता है। अतः पीनियल के व्यावस्थित होने से बुद्धि एकाग्र होती है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। यह दृष्टि से सम्बन्धित संवेदनाओं को भी नियन्त्रित करती है। शरीर नियन्त्रण, निद्रा एवं ऐसे बहुत से कार्यों में पीनियल का नियन्त्रण है जो कि शरीर और मन दोनों के द्वारा संचालित

होते हैं। योग की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण ग्रन्थि है।

आज योग को मात्र आत्मा परमात्मा के मिलन के रूप में ना जान कर अलग अलग व्याधियों बीमारियों के निदान में योग एवं आसन प्राणायाम को अनुसंधान के द्वारा पुष्ट किया जा चुका है। योग द्वारा सभी प्रकार के रोगों का निदान संभव है। इसे अलग अलग संस्थानों ने चिकित्सकों ने पूर्व परीक्षण एवं पश्च परीक्षण के द्वारा योग के प्रभाव को देखा गया। जिसे मेडिकल साइंस की दृष्टि में योग शीर्षक में प्रस्तुत किया जा रहा है। 'ध्यानं निर्विषयं मनः सांख्य' दर्शन के अनसुर मन का विषय विकारों से रहित होना ध्यान है।

प्रवीणता एवं प्रतिभा को निखारने के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एकाग्रता का सम्पादन आवश्यक है। शरीर गत संयम से मनुष्य दीर्घ जीवी तथा स्वस्थ होता है। उसी प्रकार संयम एवं एकाग्रता के भाव से वह बुद्धिमान विचारकों की गणना में आ जाता है।

चित्त की चंचलता का समाधान एकाग्रता का अभिवर्धन जिस उपाय से बन पड़े उसे ध्यान कहा जाता है। ध्यान में तन्मयता और तत्परता से कार्य किया जाता है। इसी तन्मयता तत्परता के बल से कालिदास जैसे मन्द बुद्धि भी महाकवि कालिदास के रूप में उच्च कोटि के विद्वान बन गए। असफलताओं के कारणों में साधनों की कभी या प्रतिकूल परिस्थितियां उतनी बाधक नहीं होतीं जितनी चित्त की चंचलता होती है। शारीरिक क्षमता के प्रति उदासीनता आलस्य है तथा मानसिक क्षमता का उपयोग न करना प्रमाद है। इन दोनों शत्रुओं की जननी चित्त की चंचलता है।

ध्यान का मुख्य उद्देश्य चंचल चित्त को नियत प्रयोजन की ओर लगा देने की दक्षता ही ध्यान है। ध्यान के लिए यह आवश्यक नहीं कि जन शून्य स्थान हो या जंगल हो। इसके लिए विक्षेप रहित वातावरण होना चाहिए। ध्यान के लिए कोलाहल रहित वातावरण हो साथ ही विक्षेपकारी आवागमन न हो ऐसे स्थान पर ध्यान किया जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्र में उपासना उपयोगी मानी जाती है। उपासना सामूहिक होती है तो कोई हानि नहीं है। प्रायः मन्दिरों गिरजाघरों एवं मस्जिदों तथा गुरुद्वारों में सामूहिक रूप से प्रार्थना का रिवाज है। यहाँ न तो एकांत की कमी अखरती है और न ही किसी की एकाग्रता में बाधा होती है। एक दिशा में चिंतन होने से अनेक व्यक्तियों का समूह होने पर भी एक साथ बैठकर एकाग्रता का भली प्रकार से अभ्यास करते हैं। नितान्त एकान्त में बैठना वैज्ञानिक एवं तात्त्विक अन्वेषण के लिए आवश्यक होता है, जबकि एकाग्रता एवं उपासना के लिए एकान्त ढूँढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सेना में सामूहिक रूप से कदम से कदम मिलाकर चलने में सैनिकों का ध्यान नहीं बँटता वरन् साथ-साथ चलने की पैरों की ध्वनि के प्रवाह से हरेक के पैर अच्छी तरह नियत क्रम से उठते हैं। इसी प्रकार सहगान, सह ध्यान एवं सहभजन भी अधिक सफल और अधिक प्रखर बनता है। जीवन में प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति में एवं किसी कार्य को करने में एकाग्रता का बहुत महत्व होता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने के पूर्व कहा जाता है कि ध्यान से करना अर्थात् मस्तिष्कीय बिखराव को रोककर एक चिंतन बिन्दु पर ध्यान केन्द्रित कर जीवन में प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

जीवन के विकास हेतु जीविकोपार्जन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिल्प, कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान व्यवस्था आदि सभी प्रयोजनों की सफलता में एकाग्रता का महत्व होता है। प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता एक उपयोगी सत्प्रवृत्ति है। जबकि चित्त की चंचलता मनः संस्थान

की दिव्य क्षमता को निरर्थक कम कर नष्ट-भष्ट करती है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने किसी एक विषय में पारंगत होकर प्रवीणता हासिल की या सफलता प्राप्त की। इन सबके प्रति मानसिक एकाग्रता प्रमुख कारण रहा है। मानसिक एकाग्रता की साधना को ध्यान कह सकते हैं। सांसारिक सफलताएं भी ध्यान का ही परिणाम है। मन लगाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी अच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण होते हैं। कवि, लेखक, चित्रकार, कलाकार, वैज्ञानिक, वकील, चिकित्सक आदि बुद्धिजीवी वर्ग के लोगो की प्रगति का आधार उनकी एकाग्र साधना ही है। शारीरिक रूप से किए गए कार्यों की सुन्दरता और सफलता मात्र श्रम पर आधारित नहीं होती उनमें भी मनोयोग की आवश्यकता होती है। यह मनोयोग ध्यान ही है। प्रत्येक व्यापारी, अध्यापक, शिल्पी अथवा श्रमिक इस प्रयास के बिना अपने कार्य में न तो कुशल हो सकता है। और नहीं सफल।

छान्दोग्य उपनिषद् के सप्तम अध्याय के सातवें खण्ड में ध्यान योग की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन है। ध्यान योग साधना को उपासना की उच्च कक्षा माना गया है। नामोच्चारण से बढ़कर वाक् वाक् से बड़ा मन, मन से भी अधिक महत्वपूर्ण संकल्प और संकल्प से भी अधिक बलवान चित्ता को माना गया है तथा चित्ता से भी बढ़कर सामर्थ्यवान ध्यान को बताया है। नाम, जप, मौन, मनोनिग्रह, संकल्पोद्भव चित्त निरोध ये सभी उपासना के क्रमिक सोपान हैं। ध्यान इन सबसे ऊपर है।

ध्यान के उद्देश्यः

1. चेतना की रहस्यमयी परतो को अपने मनोबल द्वारा उभारना।
2. अनगढ़ मस्तिष्कीय उछल-कूद को नियंत्रित करना।
3. चेतना की रहस्यमयी परतो को अपने मनोबल द्वारा उभारना।
4. नियंत्रित विचार शक्ति को अभीष्ट लक्ष्य प्राप्ति में नियोजित करना।
5. चेतना की रहस्यमयी परतो को अपने मनोबल द्वारा उभारना।
6. एकाग्रता द्वारा बौद्धिक क्षमता एवं बौद्धिक प्रखरता उत्पन्न करना।
7. संकल्प शक्ति को किसी स्थान पर केन्द्रित कर चमत्कारी हलचले उत्पन्न करना।
8. अवांछनीय संस्कारों को हटाना।
9. सत्प्रवृत्तियों का विकास करना।
10. प्रतिकूलताओं के बीच भी संतुलन बनाये रखना।
11. प्रत्येक स्थिति में आनन्द एवं उत्साह बनाये रखना।
12. ध्यान का आरम्भ विचारों पर नियंत्रण एवं उनके सुनियोजन से किया जाता है।

मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण में योग – शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तित्व के आध्यात्मिक विकास में योग भारत की विश्व को अमूल्य देन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेडिकल साइंस भी योग के चमत्कारिक प्रभावों को मान चुका है। योग के शारीरिक व मानसिक प्रभावों के सन्दर्भ में कुछ प्रसिद्ध डाक्टरों के विचार इस प्रकार हैं-

केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉ० एन०के० शास्त्री के अनुसार आजकल खेत खलिहानों में तो काम किया नहीं जाता, मेहनत मजदूरी, का भागने-दौड़ने का, खेलकूद का काम भी बहुत कम लोग करते हैं। इस कारण कुछ आम बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। जैसे थकावट, नींद न आना, बाल झड़ना, तनाव, दमा, गठिया, मधुमेह, पीठ दर्द, गैस आदि। इन सबके अलावा अन्य बहुत सी ऐसी बीमारियों का जवाब योग है। प्रतिदिन एक घण्टे तक किया गया योग बहुत फलदायक

रहता है।

डॉ० प्रदीप चौबे, सीनियर बैरियाट्रिक व लैप्रोस्कोपिक सर्जन, मैक्स हॉस्पिटल, नई दिल्ली, 'शरीर व मन का समन्वय करता है योग' मेरी राय में योग का रोगो की रोकथाम में कहीं ज्यादा महत्व है। योग की प्रीवेंटिव वैल्यू ज्यादा है।

डॉ० अम्बरीश मित्तल, सीनियर इंडोक्राइनोलॉजिस्ट, मेदान्त डि मेडिसिटी, गुडगाँव, 'मधुमेह के नियन्त्रण में प्रभावी' योग में युक्ति यानी तरीका और मुक्ति (थकान या तनाव से छुटकारा) इन दोनों का ही महत्व है। योग प्रभावी ढंग से ब्लड शुगर को नियन्त्रित करने का प्राचीन उपाय है। नियमित रूप से योग ब्लड प्रेशर को नियन्त्रित रखता है। यही नहीं योग से मधुमेह से सम्बन्धित जटिलताओं में कमी आती है।

डॉ० उन्नति कुमार, मनोरोग विशेषज्ञ, कानपुर, 'डिप्रेशन और मनोरोगों में लाभप्रद' योग शरीर के आटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सशक्त करता है। इस कारण योग से डिप्रेशन तनाव एंडजाइटी और पैनिक अटैक जैसे मनोरोगों को दूर करने में मदद मिलती है। योग का शरीर की अनेच्छक क्रियाओं पर अच्छा असर पड़ता है।

डॉ० पुरुषोत्तम लाल, निदेशक मेट्रो हॉस्पिटल व हार्ट इंस्टीट्यूट, नोएडा, 'हृदय रोगों के उपचार में सहायक' दरअसल योग केवल कुछ आसनों का नाम नहीं है बल्कि यह जीने का सम्पूर्ण विज्ञान है। योग साहित्य के अनुसार धूम्रपान, व्यसन और नशीले पदार्थों से परहेज, शाकाहार और शारीरिक व्यायाम और तनावमुक्ति इस जीवन पद्धतिके मुख्य अंग हैं। योग न केवल हृदय की बीमारी की रोकथाम के लिये बल्कि बाईपाससर्जरी और एंजियोप्लास्टी कराने के बाद लाभदायक साबित होता है। योग एवं ध्यान से मांसपेशियों को विश्राम देकर और रक्तचाप को नियंत्रित कर दिल का दौरा पड़ने की आशंका कम हो जाती है।

डॉ० सूर्यकान्त, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट, के०जी०एम० यूनिवर्सिटी, लखनऊ 'सशक्त होता है इम्यून सिस्टम', विश्व स्वास्थ्य संगठन (थकज) ने 1947 में स्वास्थ्य को इस प्रकार परिभाषित किया था, 'दैहिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है।' योग इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। के०जी०एम०यू० और लखनऊ विश्वविद्यालय के तत्वाधान में योग और अस्थमा पर हुये एक शोध कार्य द्वारा यह निष्कर्ष सामने आया है कि यदि प्रतिदिन 30 मिनट योगकिया जाये तो अस्थमा के मरीजों के जीवन स्तर में सुधार आता है। इस लिये योग को सह चिकित्सा के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है।

शिक्षा में ध्यान के प्रयोग सम्बन्धी शोध—आन्ड्रे एस जोआ ने हालैन्ड में हाईस्कूल विद्यार्थियों को 1 वर्ष ध्यान का अभ्यास कराने के पश्चात् पाया कि नियमित ध्यान करने वाले विद्यार्थियों की सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा बुद्धि क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि पायी गई। कठिन मामलों के हल प्रश्नों के उत्तर देने में ध्यान करने वाले छात्र अग्रणी रहे। स्मृति क्षमता में भी वृद्धि हुई तथा शैक्षिक प्रदर्शन में ये छात्र सर्वश्रेष्ठ थे।

केशव रेड्डी ने 6 सप्ताह तक खिलाड़ियों पर ध्यान के प्रभाव के अध्ययन में पाया कि ध्यान अभ्यास से खिलाड़ियों की हृदय गति की दर में महत्वपूर्ण कमी आती है। यह कार्डियोवेस्कुलर की सक्रियता व उसकी क्षमता वृद्धि की परिचायक है। इससे वाइटल केपेसिटी जीवनी शक्ति भी बढ़ती है। तथा हृदय दर जितनी कम होगी उतनी ही रक्त विश्राम की बढी अवधि (व्यू०टी० इन्टरवल) में हृदय को आराम मिलेगा तथा वाइटल केपेसिटी के बढ़ने से

फूजन वैन्टीलेशन अनुपात बढ़ने से स्फूर्ति सहज ही आती है।

मस्तिष्क वैज्ञानिकों के अनुसार ध्यान की प्रगाढ़ता आने पर व्यक्ति की अल्फा तरंगों में अकल्पित वृद्धि होती है जिससे अदम्य धैर्य, स्थिरता एवं गहन शान्ति उत्पन्न होती है। ध्यान का शरीर क्रिया विज्ञान पर पड़ने वाले प्रभाव को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉ० छिन्ना एवं डॉ० बलदेव सिंह ने आज से 19 वर्ष पहले इस निष्कर्ष रूप में पाया कि मननशील एकाग्र ध्यानस्थ मस्तिष्क में अनेक विशेषताएँ विकसित होती हैं। ई०ई०जी० (इलेक्ट्रो इन सेफेलोग्राफ) द्वारा ध्यानस्थ अवस्था के परिवर्तनों को देखा जा सकता है। साथ ही रक्त के रसायनों का उपकरणों के माध्यम से मापने किया जा सकता है कि शरीर में क्या प्रतिक्रिया हुई है।

शारीरिक व मानसिक स्तर पर ध्यान के प्रभाव पर शोध अध्ययन— नियमित ध्यान का अभ्यास करने से लैक्टिक एसिड की मात्रा में 50 प्रतिशत तक कमी आती है। रक्त में इस तत्व की उपस्थिति से मस्तिष्क भय, चिंता, उदासी, तनाव जैसे विकारों से भरा रहता है तथा शरीर के अन्य अवयव भी अव्यवस्थित एवं थकान ग्रस्त बने रहते हैं। ध्यान के द्वारा इसके रक्त स्तर में कमी आने से व्यक्ति अन्दर से उत्साह उमंग स्फूर्ति एवं नवीन चेतना से भरा होता है शरीर की प्रतिरोधी क्षमता एम्यून सिस्टम में भी परिवर्तन होता है।

ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क का शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण आधिपत्य होने से दिल की धडकन, रक्त वाहिनियों में रक्त दबाव में कमी एवं श्वास की दर में कमी आने से शरीर की मेटाबोलिक क्रियाएँ घट जाती हैं। इसलिए तनाव से पूर्ण मुक्ति और शरीर व मस्तिष्क को पूर्ण विश्रान्ति प्राप्त होती है।

डॉ० वेनसन ने ध्यान के पश्चात् रोगियों के परीक्षण में रक्तचाप को सामान्य पाया। ध्यान का अभ्यास 4 सप्ताह तक बन्द कर देने से रक्तचाप पूर्व स्थिति में आ जाता है। उनका कहना है कि ध्यान के पश्चात् रक्तचाप में यह महत्वपूर्ण कमी इन्टिग्रेटेड हाइपोथेलमिक रेस्पोंस जिसे रिलैक्सेशन रेस्पोंस भी कहते हैं की सक्रियता के कारण होता है।

डॉ० वेनसन एवं बैलेस ने 1832 व्यक्तियों पर ध्यान के परीक्षण में पाया कि जो व्यक्ति नियमित ध्यान का अभ्यास करते हैं ध्यान लगाने से उनके शरीर की जैविक क्रियाएँ कुछ मिनटों में मन्द पड़ जाती हैं जो कई घंटों की नींद के बाद प्राप्त होती है। ध्यान में तीन मिनट के भीतर ही आक्सीजन की खपत दर में 16 प्रतिशत की कमी आ जाती है जबकि 5 घंटे की नींद में केवल 8 प्रतिशत ही कमी आती है।

थियोफेन ने अपने अध्ययन में पाया कि अध्ययन करनेवाले व्यक्तियों की साइकोलॉजी में असाधारण रूप से परिवर्तन होता है। ऐसे व्यक्तियों में घबराहट उत्तेजना, मानसिक तनाव साइकोसोमैटिक बीमारियाँ स्वार्थपरता आदि विकारों में कमी पायी गई है तथा आत्म विश्वास और संतोष में वृद्धि, सहन शक्ति, साहसिकता, सामाजिकता, मैत्री भावना जीवन्तता, भावनात्मक स्थिरता, कार्यदक्षता, विनोदप्रियता एकाग्रता जैसे सद्गुणों की वृद्धि ध्यान के प्रत्यक्ष लक्ष्य हैं।

पैरासाइकालॉली पर शोध कर रहे मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि ध्यान प्रक्रिया द्वारा मस्तिष्क में अनेकों रासायनिक परिवर्तन किए जा सकते हैं तथा मस्तिष्कीय क्रिया कलापों पर नियंत्रण करके रनकेफेलिन, एन्डॉर्फिन्स जैसे एन्डोजीनस दर्द निवारक तत्वों की मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये तत्व मस्तिष्क के तंतुओं में पाए जाते हैं जिसके कई लाभ हैं। विशेषज्ञों ने निष्कर्ष दिया है कि दर्द को दबाने वाली तीव्र औषधियों के स्थान पर ध्यान के द्वारा संज्ञा शून्यता उत्पन्न की जा सकती है।

सतत एवं नियमित रूप से योग साधना करने वाले योग साधकों पर किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों के आधार पर विशेषज्ञों ने निष्कर्ष में पाया कि ध्यान, प्रक्रिया के अभ्यास से तनाव घटता है मन शांत तथा उद्विग्नता मिटती है। नाडी का तापमान भी नीचे उतर जाता है। इसके करने से शारीरिक मानसिक शक्ति की बचत होती है अतिरिक्त ऊर्जा संग्रहण होता है ध्यान की अवस्था में श्वास की गति 1 मिनट में 16 से 5 व 6 तक हो जाती है।

इस सम्बन्ध में लोकमान्य तिलक के जीवन का संस्मरण है। उनके अंगूठे का ऑपरेशन होना था। चिकित्सकों ने बेहोशी की दवा सुघाने का प्रयास किया तब उन्होंने कहा कि मैं गीता के प्रगाढ़ अध्ययन में लगता हूँ आप बेझिझक ऑपरेशन कर लीजिए डाक्टरों को तब आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बिना हिले डुले शांतिपूर्वक ऑपरेशन करा लिया। पूछने पर तिलक ने कहा ध्यान तन्मयता इतनी थी कि शल्य चिकित्सा की ओर ध्यान ले नहीं गया और दर्द अनुभव नहीं हुआ।

टाइम्स फाउन्डेशन की ओर से मूलचंद हास्पिटल नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में लेवी सेंटर फार द हिलिंग सेन्टर के डायरेक्टर डा० रिक वेवी ने ध्यान का महत्व बताते हुए कहा कि ध्यान करने से बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ध्यान की अवस्था में इलेक्ट्रो मेग्नेटिक वेव निकलती है जो शरीर की प्राकृतिक क्षमता को बढ़ाती है। ध्यान करने से शरीर को मजबूती एवं मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। इसलिए अमेरिका के अस्पतालों में अध्यात्म सेंटर खुल रहे हैं। भारत अध्यात्म के क्षेत्र में प्राचीन समय से अग्रणी रहा है। डा० वेवी ने यह भी कहा कि ध्यान के साथ योग एवं मौन का महत्व अपना कर भी यहाँ के लोग रोग मुक्त रह सकते हैं।

शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम में भी आमूल-चूल परिवर्तन होता है। त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाने से उसके सम्पर्क में आने वाले जीवाणुओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मानसिक क्षमता के केन्द्रीकरण प्रयोग से कोई भी मंद बुद्धि या दुर्बल काय मनुष्य स्वयं को बदल कर अपना कायाकल्प कर सकता है।

ध्यान का लिम्बिक तंत्र पर प्रभाव—जनरल पब्लिक लायब्रेरी ऑफ साइंस वन में प्रकाशित शोध पत्र में विस्काविसन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता डेविड रिचर्डसन ने 10000 घंटे ध्यान कर चुके 16 बौद्ध भिक्षुक तथा 2 सप्ताह पहले ध्यान करने वाले 32 लोगों पर अध्ययन किया। रिचर्डसन ने निष्कर्ष रूप में बताया कि तिब्बती भिक्षुओं में लिम्बिक सिस्टम अधिक सक्रिय पाया गया जो भावनाओं याददास्त एवं संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। उन्होंने यह भी बताया कि ध्यान करने वालों में सहानुभूति एवं सकारात्मक भावना जाग्रत होती है। इसलिए बौद्ध धर्म गुरु बच्चों को प्यार करने एवं एक-दूसरे पर पूर्ण सहानुभूति रखने का संदेश देते हैं।

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि ध्यान के द्वारा अपनी ऊर्जा को संचित किया जा सकता है। इस संचित ऊर्जा को आत्मिक ज्ञान में लगा सकते हैं। ध्यान के नियमित अभ्यास से आत्मिक शांति बढ़ती है साथ ही मानसिक शांति की भी अनुभूति होती है। ध्यान का मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसलिए अवांछित विचारों को मन से निकाल कर वांछित विचारों को मस्तिष्क में स्थान मिलता है। इस प्रकार ध्यान का 5 से 20 मिनट अभ्यास कर हम अपनी शारीरिक, मानसिक एवं अध्यात्मिक ऊर्जा में सकारात्मक विकास कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्वामी सत्यानन्द सरस्वती, 'योग निद्रा', संस्करण परिवर्द्धित 2002, योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार।
2. स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, 'प्राण-प्राणायाम-प्राण विद्या', वर्ष 2001, संस्करण प्रथम, योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार।
3. श्री स्वामी ओमानंद तीर्थ, 'पातन्जल योग प्रदीप', वर्ष 2001, संस्करण बीसवाँ, गीता प्रेस, गोरखपुर।
4. मुछाल एम०के० 'मानसिक अवसाद एवं योग', 'योजना', दिसम्बर 2005
5. नागेन्द्र एच०आर०, 'प्राणायाम कला और विज्ञान', वर्ष 1999, संस्करण द्वितीय, विवेकानन्द केन्द्र योग प्रकाशन, बैंगलोर।
6. पण्डया, प्रणव **योग से समृद्ध होता जीवन**, सप्तरंग, दैनिक जागरण, 17 जून 2015,
7. रविशंकर, **श्री श्री ऊर्जा एवं उत्साह का योग**, 21 जून 2015 दैनिक जागरण, पृष्ठ 16, 17
8. **मोदी संग पूरी दुनिया योग पथ पर** (2015, जून 22) दैनिक जागरण, पृष्ठ 1, 12, 15
9. मिश्र, गिरीश्वर **जीवन जीने की कला**, (2015, जून 19) दैनिक जागरण, पृष्ठ 16
10. शंकर, गणेश (1988) होलिस्टिक एपरोच आफ योग, नई दिल्ली : आदित्य प्रकाशन
11. शर्मा, श्रीराम (1988) व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाएँ, मथुरा : अखंड ज्योति संस्थान
12. मुछाल, एम० के०, (2004) योग के वैज्ञानिक पहलू, कुरुक्षेत्र, 51, (2)
13. आर्यंगर, बी० के० एस०, (2005) सभी के लिए योग, नई दिल्ली : भारत प्रकाशन
14. आचार्य, बाल कृष्ण (2007) विज्ञान की कसौटी पर योग, हरिद्वार : पतंजलि, योगपीठ
15. मुछाल, एम० के० (2007) तनाव मुक्ति में योग, योजना, 51 (1)
16. आचार्य श्री राम शर्मा, व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाएँ, अखंड ज्योति संस्थान, मथुरा, वर्ष 1998, संस्करण द्वितीय
17. आर्यंगर बी०के०एस०, सभी के लिए योग, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली संस्करण, वर्ष 2005
18. ध्यान, योग और मौन बढ़ाते हैं शारीरिक क्षमता, नवभारत टाइम्स 9, अप्रैल 2009
19. किसी को ठीक से सुनना ध्यान योग- नवभारत 2 मार्च 2008
20. स्वामी रामदेव, प्राणायाम रहस्य, कृपालु बाग आश्रम हरिद्वार
21. स्वामी रामदेव योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य, कृपालु बाग आश्रम, हरिद्वार
22. स्वामी सत्यानन्द रोग और योग, योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट मुंगेर, बिहार पुनर्मुद्रण 2003
23. शुक्ला अतुल, योग चिकित्सा, खेल साहित्य केन्द्र, नई दिल्ली, वर्ष 2007
24. स्वामी सत्यानन्द, समस्या पेट की समाधान योग का योग, वर्ष 2004
25. वेब दुनिया- बड़े ध्यान का जादू

कर्मचारी प्रतिधारण एवं वित्तीय व गैर-वित्तीय अभिप्रेरक तत्व के मध्य संबंध

साक्षी शर्मा* डॉ. अक्षिता तिवारी**

* शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) लोकमान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - अभिप्रेरणा एक आंतरिक विचारधारा है। यह मानव को आंतरिक रूप से कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है। अभिप्रेरित कर्मचारी संगठन की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होते हैं; जिससे संस्था के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा ही कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अभिप्रेरणा, कर्मचारियों की गतिशीलता को रोकने में सहायक है। इसके द्वारा संस्था के कर्मचारियों को प्रतिधारित किया जाता है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय अभिप्रेरक तत्वों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना है। शोध कार्य हेतु द्वितीयक समकों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के दौरान पाया गया कि, वित्तीय अभिप्रेरक तत्वों की तुलना में गैर-वित्तीय अभिप्रेरक तत्व कर्मचारी-प्रतिधारण को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करते हैं।

शब्द कुंजी - कर्मचारी प्रतिधारण, वित्तीय अभिप्रेरणा, गैर-वित्तीय अभिप्रेरणा।

प्रस्तावना - अभिप्रेरणा एक सकारात्मक विचारधारा है, जिसका संबंध कुशल कर्मचारियों से है। संगठन की सफलता के अग्रदूत उसके निष्ठावान कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी ही संगठन के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रमुख साधक हैं। मानव-संसाधन प्रबंध का दायित्व है कि, वह कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करे। अभिप्रेरणा, कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का सशक्त माध्यम है। जिसके अंतर्गत वित्तीय एवं गैर वित्तीय अभिप्रेरक तत्वों को शामिल किया जाता है। यह दोनों ही तत्व कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्मचारी संस्था में किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करते अपितु, अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। अभिप्रेरक तत्वों की अनुपस्थिति कर्मचारियों को कार्य के प्रति उदासीन बना देती है, जिससे उनके भीतर नकारात्मकता जन्म ले लेती है। परिणामस्वरूप वह अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु विकल्पों की खोज करने लगते हैं। जिस संस्था में उन्हें अपनी प्रत्याशा पूर्ण होती दिखाई देती है, वह उस संस्था से जुड़ जाते हैं, और पूर्व संस्था से अपने संबंध विच्छेद कर लेते हैं। इसी से 'कर्मचारी-गतिशीलता' नामक विषय का प्रादुर्भाव होता है। अतः प्रबंधन का यह प्राथमिक दायित्व है कि वह अपने कुशल कर्मचारियों को प्रतिधारित करके रखें। इस शोध-पत्र का उद्देश्य कर्मचारी-प्रतिधारण एवं वित्तीय व गैर-वित्तीय अभिप्रेरक तत्वों के मध्य संबंध का अध्ययन करना है। अध्ययन हेतु द्वितीयक समकों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के दौरान पाया गया कि गैर-वित्तीय अभिप्रेरक तत्व एवं कर्मचारी-प्रतिधारण में सकारात्मक संबंध है। गैर-वित्तीय अभिप्रेरक तत्व के अभाव में कर्मचारी किसी भी संस्था में लंबे समय तक नहीं रहते। अतः कर्मचारी-प्रतिधारण हेतु गैर-वित्तीय अभिप्रेरक तत्व का होना अनिवार्य है।

शोध - समीक्षा

Jamila Jaganjac et al. (2020). "Effect of Work Stress

and Job Satisfaction on Employee Retention: A Model of Retention Strategies" समीक्षा के दौरान पाया गया कि, यदि संस्था अपने कर्मचारियों के लिए अभिप्रेरक तत्वों का प्रयोग नहीं करती है, तो वे अपने कार्य के प्रति उदासीन हो जाते हैं। अर्थात् उनकी कार्य-क्षमता पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। परिणामस्वरूप वे संस्था से पृथक् हो जाते हैं। इस शोध-पत्र में लेखक द्वारा अभिप्रेरण तकनीक, कार्य संतुष्टि व कार्य तनाव आदि का विस्तृत वर्णन किया गया। इस शोध-पत्र में पाया गया कि, वित्तीय अभिप्रेरक तत्व की तुलना में, गैर-वित्तीय अभिप्रेरक तत्व एवं कार्य संतुष्टि में सकारात्मक सहसंबंध है।

Kelson Dicko (2020). "The Role that Financial and Non-Financial Incentives play in Motivating Employees within a Financial Institution in Sandton" इस शोध-पत्र का उद्देश्य संगठनात्मक प्रभावशीलता पर कर्मचारी-अभिप्रेरण के प्रभाव का अध्ययन करना था। इसके अंतर्गत शोधार्थी द्वारा अभिप्रेरणा से संबंधित सभी तथ्यों का विस्तृत वर्णन किया गया। इसके अंतर्गत लेखक द्वारा अभिप्रेरणा के दो सिद्धांतों को शामिल किया गया। जिसमें Herzberg's Two-Factor Theory एवं Self Determination Theory को सम्मिलित किया गया। लेखक के द्वारा निष्कर्ष के रूप में कहा गया कि, कर्मचारी को अभिप्रेरित करने में व्यक्तिगत विकास एवं चुनौतीपूर्ण कार्य दोनों ही अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने वाले तत्व एवं कर्मचारियों को संस्था में स्थायी रखने वाले तत्व दोनों ही भिन्न-भिन्न हैं।

Mahpara Shah et al. (2018). "Effect of Motivation on Employee Retention: Mediating Role of Perceived Organizational Support" इस शोध-पत्र का उद्देश्य कर्मचारी-प्रतिधारण पर आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा के प्रभाव का अध्ययन करना

था। अध्ययन के दौरान पाया गया कि संतुष्ट कर्मचारी संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं प्रतिबद्धता रखते हैं। परिणामस्वरूप वे संस्था में लंबे समय तक बने रहते हैं।

Maqsood Haider et al. (2015). "A Literature Analysis on the Importance of Non-Financial Rewards for Employee's Job Satisfaction" शोध समीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय अभिप्रेरक तत्व जैसे- वेतन, बोनस, जीवन-बीमा, अतिरिक्त सुविधाएं आदि कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं। परंतु गैर-वित्तीय अभिप्रेरक तत्व जैसे- कार्य-पहचान, निर्णय लेने की क्षमता एवं उत्साह आदि अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि प्रदान करते हैं। लेखक के अनुसार, गैर-वित्तीय अभिप्रेरक तत्व संस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Dhanonjoy Kumar et al. (2015). "Impact of Non-Financial Rewards on Employee Motivation" इस शोध कार्य हेतु लेखक के द्वारा बांग्लादेश के विभिन्न संस्थाओं के कर्मचारियों का चयन किया गया। इस शोध-पत्र में लेखक ने दो प्रकार के कर्मचारियों का वर्णन किया। प्रथम श्रेणी - गैर-अभिप्रेरक कर्मचारी, ये वे कर्मचारी हैं जिन्हें किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता। परिणामस्वरूप वह अपने कार्य को बिना रुचि एवं अपेक्षाकृत अल्प प्रयास एवं निम्न कार्य-कुशलता के साथ करते हैं। साथ ही एक समय के पश्चात् वे संस्था से असंतुष्ट होकर, अन्य संस्था की ओर गतिशील हो जाते हैं। द्वितीय श्रेणी - अभिप्रेरक-कर्मचारी, जो अपने कार्य को पूरी लगन, मेहनत व ईमानदारी के साथ करते हैं। तथा संस्था के प्रति पूर्ण निष्ठावान बने रहते हैं। लेखक के द्वारा निष्कर्ष के रूप में कहा गया कि गैर-वित्तीय प्रोत्साहन एवं कर्मचारी अभिप्रेरणा के मध्य सकारात्मक संबंध है।

शोध पत्र का उद्देश्य - कर्मचारी प्रतिधारण वर्तमान समय में एक गंभीर विषय के रूप में उभर रहा है। कर्मचारियों को संस्था में बनाए रखने के लिए अभिप्रेरक तत्व अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करना अनिवार्य है-

1. वित्तीय अभिप्रेरक तत्वों का अध्ययन करना।
2. गैर-वित्तीय अभिप्रेरक तत्वों का अध्ययन करना।
3. अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का अध्ययन करना।

शोध - प्रविधि - शोध प्रविधि, शोध कार्य का आधारभूत स्तंभ है। इस शोध कार्य हेतु द्वितीयक संमकों का प्रयोग किया गया। जिसके अंतर्गत शोध-पत्र, शोध-आलेख एवं विषय से संबंधित पुस्तकों के अध्ययन को शामिल किया गया। जिसमें मुख्य रूप से शोध संबंधी वेबसाइट का प्रयोग किया गया।

अभिप्रेरणा - कर्मचारियों को कार्य के प्रति प्रेरित करने हेतु किया गया प्रयास ही अभिप्रेरणा कहलाता है। इसके द्वारा कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता एफ. डब्ल्यू. टेलर के अनुसार, 'व्यक्ति उस सीमा तक ही अपना कार्य कुशलता से करता है जिस सीमा तक उसे प्रतिफल प्राप्त होता है। व्यक्ति को जितना अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा, वह उतना ही अधिक कार्य करेगा।'

व्यक्ति की कार्यकुशलता को बढ़ाने का मुख्य अस्त्र है - 'अभिप्रेरणा'। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है- वित्तीय अभिप्रेरणा एवं गैर-वित्तीय अभिप्रेरणा।

चित्र क्र. 01



(स्रोत-स्वनिर्मित)

वित्तीय अभिप्रेरणा के अंतर्गत निम्न अभिप्रेरक तत्वों को शामिल किया जाता है-

i. **उचित वेतन**- कर्मचारी, वेतन की प्रत्याशा में ही कार्य करते हैं। यह उनके द्वारा किये गए कार्य के प्रतिफल के रूप में प्रदान किया जाता है। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने हेतु प्रबंधन को चाहिए, कि वह समय-समय पर वेतन के स्तर में वृद्धि करते रहे। परिणामस्वरूप कर्मचारी संतुष्ट होकर अपना कार्य करेंगे एवं संस्था में बने रहेंगे।

ii. **बोनस**- यह कर्मचारी के लिए अतिरिक्त आय के समान कार्य करता है। और इसकी अनुपस्थिति उन्हें हतोत्साहित कर देती है। अतः बोनस कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

iii. **लाभ का हिस्सा**- कई कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ होने की दशा में उसका कुछ भाग प्रोत्साहन के रूप में प्रदान करती हैं। जिससे कर्मचारी सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित होते हैं व अपनी संस्था के प्रति निष्ठावान हो जाते हैं।

गैर-वित्तीय अभिप्रेरणा के अंतर्गत निम्न अभिप्रेरक तत्वों को शामिल किया जाता है-

i. **कार्य-सुरक्षा**- अपने कार्य के प्रति सुरक्षा का भय सभी कर्मचारियों को सताता रहता है। यदि उन्हें कार्य से असमय बहिष्कृत कर दिया जाये, तो इसका दुष्प्रभाव उनकी आजीविका पर पड़ेगा। अतः कार्य-सुरक्षा उन्हें इस भय से मुक्ति दिलाता है, और कर्मचारी प्रसन्न मन से अपने कार्य पर बने रहते हैं।

ii. **कार्य की दशाएं**- कार्य करने का अनुकूल वातावरण कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के वातावरण को शामिल किया जाता है- भौतिक वातावरण (इसमें मुख्य रूप से कार्य करने की दशाएं, कार्य-स्थल स्वच्छता आदि) व व्यवहारिक वातावरण (इसमें कर्मचारी व प्रबंधक के मध्य समन्वय, कार्य का सकारात्मक वातावरण आदि)। कर्मचारी भौतिक वातावरण की तुलना में व्यावहारिक वातावरण को अधिक महत्व देते हैं। क्योंकि इसका सीधा प्रभाव उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है।

iii. **पदोन्नति** - (K.K. Sharma et al., 2020) प्रत्येक मानव में यह जन्मजात भावना होती है, कि वह उन्नति करे और इसके लिए वह विकास के अवसरों की आशा करता है। संस्था को कर्मचारियों की योग्यता व अनुभव के आधार पर उन्हें पदोन्नति का अवसर प्रदान करना चाहिए। इसके द्वारा

कर्मचारी गतिशीलता को कम किया जा सकता है व उन्हें प्रतिधारित करके रखा जा सकता है।

अभिप्रेरणा के सिद्धांत – अभिप्रेरणा का सैद्धांतिक पक्ष अत्यंत परिपक्व है। इसके सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है – परंपरागत सिद्धांत एवं आधुनिक सिद्धांत। **परंपरागत सिद्धांत**, व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में पूरी तरह असफल रहे, इसका मुख्य कारण इन सिद्धांतों में व्यास कठोरता व व्यक्ति के प्रति उदासीनता का होना है। इसकी तुलना में **आधुनिक सिद्धांत**, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः इन सिद्धांतों का विवरण निम्नानुसार है –

1. **हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा** – हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा का सिद्धांत आधुनिक अभिप्रेरणा के सिद्धांत में अपना सर्वोच्च स्थान रखता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हर्जबर्ग और उनके साथियों ने किया। इसके अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं को दो समूहों में विभक्त किया गया। जिसमें पहले समूह में **'स्वास्थ्य घटक या तत्व' (Hygiene Factors)** को शामिल किया गया। हर्जबर्ग के अनुसार, यह समूह व्यक्ति के अंदर नकारात्मक विचार को जन्म देता है इसलिए इसका समाधान करना अनिवार्य है। इसे बाह्य घटक माना गया। एवं दूसरे समूह में **'अभिप्रेरक घटक या तत्व' (Motivators)** को शामिल किया गया। यह तत्व कर्मचारियों को अधिक कुशलता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसे आंतरिक घटक माना गया। स्वास्थ्य घटक व अभिप्रेरक घटक का वर्गीकरण निम्नानुसार है–

चित्र क्र. 02



(स्रोत-स्वनिर्मित)

समीक्षा – इस सिद्धांत के वर्गीकरण के अनुसार यह कहा जा सकता है, कि प्रबंधन को मुख्य रूप से स्वास्थ्य घटकों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यह कर्मचारियों पर अपना नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनकी उपस्थिति कर्मचारी गतिशीलता में वृद्धि करती है। कर्मचारी प्रतिधारण हेतु हर्जबर्ग के इस घटक का निवारण करना अनिवार्य है।

2. **प्रत्याशा विचारधारा** – प्रत्याशा विचारधारा के सिद्धांत का प्रतिपादन सन् 1964 में **विक्टर एच. व्रूम** द्वारा किया गया। प्रबंध के क्षेत्र में यह सिद्धांत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं। जैसे- कर्मचारियों की प्रत्याशाएँ एवं कर्षण शक्तियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। यह शक्तियाँ व्यक्ति एवं वातावरण से संबंधित होती हैं। कर्मचारी

कोई भी कार्य उस समय करता है जब उसे यह ज्ञात होता है, कि इससे उसे भविष्य में लाभ प्राप्त होगा। व्रूम ने इसे निम्न सूत्र के द्वारा अभिव्यक्त किया है–

अभिप्रेरणा = कर्षण शक्ति या आकर्षण X प्रत्याशा
Motivation = Valence x Expectancy

समीक्षा – यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि, प्रबंधन को प्रत्येक कर्मचारी की प्रत्याशा व अभिप्रेरक कारकों का ध्यान रखना चाहिए। संतुष्ट कर्मचारी ही इच्छित परिणाम प्रदान कर सकते हैं। इसके द्वारा कर्मचारी प्रतिधारण को भी बढ़ाया जा सकता है।

3. **जॉन स्टेसी एडम की साम्य विचारधारा** – कर्मचारी प्रतिधारण के क्षेत्र में **जॉन स्टेसी एडम** द्वारा दी गई साम्य विचारधारा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार, केवल अच्छी कार्य दशाएँ, अच्छा वेतन आदि अभिप्रेरणा के मुख्य कारक नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त प्रबंध को अन्य कारकों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। क्योंकि व्यक्ति निरंतर अपनी तुलना संगठन अथवा संगठन के बाहर दूसरे व्यक्तियों से करता रहता है, और जब उसे इसमें भिन्नता दिखाई देती है तो वह नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इसके अंतर्गत दो विषयों को शामिल किया जाता है। पहला – **निवेश (Input)**, जो कर्मचारी अपनी संस्था को प्रदान करते हैं। जैसे- समय, प्रयास, निष्ठा, सहनशीलता आदि। दूसरा – **उत्पादन (Output)**, जो उसे संगठन के द्वारा प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत कार्य-सुरक्षा, वेतन, पहचान, सम्मान आदि। इनका अवलोकन वह निम्नानुसार करता है–

चित्र क्र. 03



(स्रोत-स्वनिर्मित)

समीक्षा – कर्मचारी प्रतिधारण हेतु साम्य विचारधारा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक संतुष्ट कर्मचारी ही सफल व्यवसाय का द्योतक होता है। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए संस्था को आंतरिक एवं बाहरी दोनों ही घटकों को महत्व देना चाहिए। जिससे कर्मचारी दीर्घ समय तक संस्था में बने रहे। **कर्मचारी प्रतिधारण एवं अभिप्रेरक तत्व के मध्य संबंध की विवेचना**

तालिका क्र. 01 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

उपसंहार –अभिप्रेरणा पूर्णतः एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। जिसमें वित्तीय एवं गैर-वित्तीय दोनों के ही अभिप्रेरक तत्वों को शामिल किया जाता है। अध्ययनानुसार, कर्मचारी प्रतिधारण हेतु संगठन को वित्तीय व गैर-वित्तीय दोनों ही अभिप्रेरकों का प्रयोग करना चाहिए। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों द्वारा यह ज्ञात होता है कि गैर-वित्तीय अभिप्रेरक तत्व कर्मचारी प्रतिधारण हेतु अति आवश्यक है। यह कर्मचारी के भीतर संस्था के प्रति विश्वास, ईमानदारी एवं निष्ठा को बढ़ाते हैं। कर्मचारी वेतन की तुलना में अपने मान-सम्मान को अधिक बढ़ावा देते हैं। **लिकर्ट** के अनुसार, 'यदि पर्यवेक्षक

कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना चाहते हैं, तो उन्हें 'कृत्य केन्द्रित' (Job Centred) नहीं होना चाहिए; उन्हें 'कर्मचारी केन्द्रित' (Employee Centred) होना चाहिए' (K.K. Sharma et al., 2020) उन्हें अपना ध्यान 'कर्मचारियों से किस प्रकार कार्य लिया जाये पर केन्द्रित करने के स्थान पर, कर्मचारियों की समस्याओं के मानवीय पहलू पर केन्द्रित करना चाहिए' अभिप्रेरणा कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि प्रदान करती है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, कि कर्मचारी जीवनपर्यंत उसी संस्था में बने रहना चाहते हैं जहाँ उन्हें अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण होती दिखाई देती है। अतः कर्मचारी प्रतिधारण हेतु गैर-वित्तीय अभिप्रेरक तत्व का होना अति आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Singh, Devendra., Jain, Dhruv., Suresh, Dhruv., Chawla, Harjas., & Sarda, Hemanshu. (2022). 'Enhancing Employee Performance through Monetary Incentive- A Systematic Review'. International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science. 9(4), 2582-5208. www.irjmets.com
2. Dr. Twinkle. (2022). 'Enhancing Employee Performance through Monetary Incentives.' International Journal of Novel Research and Development (IJNRD). 12(7), 2456-4184. www.ijnrd.org
3. Mittal, Khushi. (2022). 'Enhancing Employee Performance through Non-Monetary Incentive.' International Journal of Novel Research and Development (IJNRD). 7(8), 2456-4184. www.ijnrd.org
4. Sharma, K K., Khurana, G C., & Sharma, Arun. 'Human Resource Management.' Jaipur, RBD Publishing House, 2020-2021, 81-8142-217-1.
5. Jaganjac, Jamila., Gavric Tanja., Obhodas, Ibrahim. (2020). 'Effect of Work Stress and Job Satisfaction on Employee Retention: A Model of Retention Strategies.' International Journal of Sales, Retailing & Marketing. 9(2).
6. Dicko, Kelson. (2020). 'The Role that Financial and Non-Financial Incentives play in Motivating Employees within a Financial Institution in Sandton.' The IIE, www.iiespace.iie.ac.za
7. Adaeze, Ekwochi., & Ogechukwu, Okoene. (2019). 'Effect of Monetary Incentives on Workers Performance in Organization Nigerian Situation.' Journal of Theoretical & Applied Statistics. 7(2), 2079-2174. www.researchgate.net
8. Mokhniuk, Anna & Yushchyshyna, Larysa. (2018). 'The Impact of Monetary and Non-Monetary Factors of Motivation on Employee Productivity.' Economic Journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University. 13(1), 94-101. www.researchgate.net
9. Arun Kapoor. (2018). 'Effect of Non-Monetary Rewards on Employee's Motivation and Retention in Private Companies.' International Research Journal of Management Science & Technology (IRJMST). 9(3), 2250-1959. www.irjmst.com
10. Shah, Mahpara. & Asad, Muzaffar. (2018) 'Effect of Motivation on Employee Retention: Mediating Role of Perceived Organizational Support.' European Online Journal of Natural and Social Sciences. 7(2), 511-520, 1805-3602, www.european-science.com
11. Haider, Maqsood., Aamir, Alamzeb., Hamid, AA., & Hashim, Muhammad. (2015). 'A Literature Analysis on the Importance of Non-Financial Rewards for Employee's Job Satisfaction.' Abhasyn Journal of Social Sciences, 8(2), 341-354, www.scholar.google.com
12. Kumar, Dhanonjoy., Hossain, Md. Zakir., & Nasrin, Shahnaz. (2015). 'Impact of Non- Financial Rewards on Employee Motivation.' Asian Accounting and Auditing Advancement, 5(1), 18-25.
13. Bakotiae, Danica., & Babiae, Tomislav. (2013). 'Relationship Between Working Conditions and Job Satisfaction: The Case Croation Shipbuilding Company.' International Journal of Business and Social Science, 4(2). www.ijbssnet.com
14. Brun, Jean- Pierre & Dugas, Ninon. (2008). 'An Analysis of Employee Recognition: Perspectives on Human Resource Practices.' The International Journal of Human Resource Management, 19(4), 716-730, 1466-4399. www.researchgate.net
15. www.scholar.google.com
16. www.lnct.ac.in

तालिका क्र. 01

क्र.	वित्तीय अभिप्रेरक तत्व	लेखक (अनुशंसा)	मात्रा	प्रभाव
1.	वेतन	1.1 Devendra Singh et al. (2022) 1.2 Dr. Twinkle (2022) 1.3 Ekwochi, Adaeze & Okoene, Ogechukwu (2019) 1.4 Mokhniuk et al. (2018)	उचित मात्रा अनुचित मात्रा	कर्मचारी-प्रतिधारण कर्मचारी-गतिशीलता
2.	बोनस	2.1 Mokhniuk et al. (2018)	उचित मात्रा अनुचित मात्रा	कर्मचारी-प्रतिधारण कर्मचारी-गतिशीलता
3.	कार्य-सुरक्षा	3.1 Khushi Mittal (2022)	उचित मात्रा अनुचित मात्रा	कर्मचारी-प्रतिधारण कर्मचारी-गतिशीलता
4.	कार्य की दशाएं	4.1 Devendra Singh et al. (2022) 4.2 Khushi Mittal (2022) 4.3 Danica Bakotia & Tomislav Babić (2013)	उचित मात्रा अनुचित मात्रा	कर्मचारी-प्रतिधारण कर्मचारी-गतिशीलता
5.	कर्मचारी-पहचान	5.1 Khushi Mittal (2022) 5.2 Aruna Kapoor (2018) 5.3 Brun et al. (2008)	उचित मात्रा अनुचित मात्रा	कर्मचारी-प्रतिधारण कर्मचारी-गतिशीलता
6.	निष्पक्ष-नीतियाँ	6.1 Danica Bakotia & Tomislav Babić (2013)	उचित मात्रा अनुचित मात्रा	कर्मचारी-प्रतिधारण कर्मचारी-गतिशीलता

Transforming Curriculum with Information Communication Technology (ICT): Toward Sustainable Education Goals

Dr. Dharmendra Kumar Meena*

*Professor (Computer Science) Govt. Meera Girls' College, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - ICTs have the potential to overcome historical challenges such as isolation and lack of access to information, which can impede educational and socioeconomic development. However, many teachers still use traditional teaching methods and struggle to integrate ICT into their subjects effectively. This raises concerns about how to impart knowledge on contemporary issues related to sustainable development. The paper investigates the challenges faced in developing curricula that utilize ICT effectively and whether these challenges might hinder sustainable development. It also seeks to identify ways to address these obstacles to achieve educational goals aligned with sustainable development. The study aims to provide answers to these questions and suggests ideas that could contribute to achieving education for sustainable development, an objective the world is striving towards.

Keywords: ICT, curriculum development, education for sustainable development.

Introduction - The integration of ICTs into the curriculum is essential for developing countries to thrive in an online world. ICT is foundational to most activities and plays a key role in empowering future generations. ICT literacy is critical for achieving economic and social goals, improving productivity and efficiency, and fostering innovation and competitiveness. In education, the significance of ICT cannot be overstated, as it equips individuals with the skills to access, manage, evaluate information, and communicate effectively. A Performance Measurement and Reporting Taskforce (2005) defined ICT literacy as the ability to use ICT to navigate society and develop new understandings.

Integrating ICT in the curriculum allows students to become skilled, creative, and productive users of technology, helping them achieve curriculum outcomes and actively participate in society. By developing the ability to inquire, create, and communicate through ICT, students gain essential knowledge and skills for effective societal engagement. ICT also addresses historical challenges such as isolation and lack of access to information, facilitating educational and socioeconomic development. The educational landscape has been reshaped by ICT, affecting content delivery and institutional operations. Implementing ICT is key to curriculum reform, promoting learner-centered environments and achieving future educational goals.

Despite ICT's potential, it remains underutilized in daily teaching (Gajendran, 2007). Many teachers rely on a traditional, teacher-centered approach and lack the know-how to integrate IT into their subjects. This raises concerns

about how they can teach contemporary issues crucial for sustainable development. Building and developing curricula with ICT presents challenges, including hindering sustainable development if not addressed. The study examines these challenges and how to overcome them to achieve education for sustainable development. By offering solutions, the paper contributes to the global effort toward sustainable education.

Curriculum Development: In any educational system, available resources limit the introduction of new subjects into the school curriculum, especially when only basic facilities exist. Given the critical role of ICT in a country's future industrial and commercial health, investing in equipment, teacher training, and support services for effective ICT curriculum delivery should be a top government priority. National curricula must consider these resource issues and establish minimum requirements for effective delivery in various circumstances.

Redefining education to address Education for Sustainable Development (ESD) involves integrating principles, skills, perspectives, and values related to sustainability that are often lacking in current education systems (Ehlers, 2007). This process emphasizes the quality and relevance of education over quantity, promoting a vision that combines environmental, economic, and social aspects. Reorienting education requires teaching knowledge, skills, and values to guide and motivate individuals toward sustainable living, democratic participation, and sustainable livelihoods. Program

developers must balance future-oriented sustainability with traditional ecological knowledge, which carries values and practices of sustainable resource use. While a return to indigenous lifestyles may not be feasible for many, their values can be adapted to modern life. Redefining the curriculum involves creating a framework that enhances both teachers' and students' knowledge and skills in ICT. This design includes four key areas that align with the four stages of teaching and learning: ICT literacy, application of ICT in subject areas, integration of ICT across the curriculum, and ICT specialization.

Education For Sustainable Development: Education is a crucial element in the pursuit of sustainable development, but formal education must adapt by reorienting and re-engineering traditional methods (Tilbury et al., 2002; Huckle & Sterling, 1996; UNESCO, 2003). Research shows that even in technologically advanced nations, education systems have not effectively influenced choices and behaviors supporting sustainable development (Aston, 2002; Roschelle et al., 2007; Paas & Creech, 2008). In 2005, UNESCO launched the "Decade for Education for Sustainable Development," aiming to speed up the adoption of a new educational vision. This initiative calls for collaborative efforts to reorient policies, programs, and practices in education to better equip society to work together for a sustainable future (UNESCO, 2003). Research by Paas (2004) suggests that integrating ICTs more fully into the learning environment can support the changes needed for ESD. The next section explores how technological advances and technology policies drive ICT use in education.

ICT And Education For Sustainable Development: ICTs are crucial for advancing Education for Sustainable Development (ESD) in two key ways (Paas & Creech 2008). First, ICTs expand access to sustainability education through distance learning, networks, and databases. Second, they facilitate innovative interactions that emphasize not only knowledge but also choices, values, and actions. At a basic level, ICTs enable multimedia course content and content archiving. They also offer new interactivity and simulation methods that can enhance learning and foster new understandings. Utilizing these technologies can open up exciting possibilities for transforming educational methods in line with ESD goals. Paas & Creech (2008) outline three main applications of ICTs in Education for Sustainable Development (ESD): information resources, classroom supplements, and tools for distance learning. Information resources provide educators with access to extensive links, knowledge-sharing platforms, and support materials for ESD. Despite these resources, research on ICT use in ESD, including educational policies and pedagogical approaches, remains limited. ESD's roots in environmental education, focusing on outdoor experiences, may contribute to this gap. Early ICT use in education was often linked to civics and media

awareness activities. Other fields, such as geography, increasingly integrate ICT tools like GIS and GPS into the curriculum.

ICTs are supplementing classroom activities by facilitating collaboration, connectivity, real-world, experience-based learning, and systems thinking—key pedagogical methods supporting education for sustainability. This approach is applied in both primary and university education, offering opportunities for real-time, real-world learning and collaborative experiences.

ICTs are primarily applied in distance learning, which has evolved from print-based materials to online learning environments that use audio/video conferencing, computer-aided instruction, and other digital tools (Tella, A., & Adu, E., 2009). Terms such as e-learning, online learning and mobile learning are often used interchangeably, though they can represent different approaches with varied target audiences, pedagogical methods, and learning tools. Wikipedia offers useful summaries of the tools and differences in online learning terminology. While ICT use in education offers many benefits, it also presents challenges that must be addressed.

Obstacles And Strategies For Integrating Ict In Education In India

The introduction of ICT into the curriculum faces numerous challenges, such as:

- 1. Infrastructure Limitations:** Many schools, particularly in rural areas, lack the necessary infrastructure such as reliable electricity, high-speed internet, and updated hardware to support ICT integration.
- 2. Cost Constraints:** The cost of ICT equipment, software, and maintenance can be prohibitive for many educational institutions, particularly those with limited budgets.
- 3. Lack of Teacher Training:** Teachers often lack the training needed to effectively integrate ICT into their teaching methods. This includes not only technical skills but also pedagogical strategies for using ICT in the classroom.
- 4. Language Barriers:** Many educational resources available in ICT are primarily in English, which can be a barrier for students and teachers who are more comfortable in regional languages.
- 5. Uneven Access:** There is a significant digital divide between urban and rural areas, as well as between different socio-economic groups, which limits equal access to ICT resources.
- 6. Cultural Resistance:** In some regions, there may be resistance to changing traditional teaching methods, and skepticism about the effectiveness of ICT in education.

Strategies:

- 1. Government Initiatives:** The Indian government can play a crucial role in promoting ICT in education through policies and initiatives such as the Digital India campaign, which aims to enhance digital infrastructure and literacy across the country.
- 2. Public-Private Partnerships:** Collaboration with the

private sector can help bring in investment, technology, and expertise to improve ICT infrastructure and resources in schools.

3. Teacher Training Programs: Comprehensive teacher training programs should be implemented to enhance teachers' ICT skills and pedagogical approaches for integrating technology into their teaching.

4. Local Language Content: Developing and promoting educational content in local languages can make ICT resources more accessible and relevant to a wider range of students and teachers.

5. Subsidized Technology: Providing subsidies or financial support for ICT equipment and internet access can help bridge the digital divide and increase access to technology for students and schools.

6. Community Involvement: Engaging local communities and stakeholders in the implementation of ICT programs can help ensure cultural relevance and support for the initiatives.

7. Monitoring and Evaluation: Continuous assessment of ICT integration programs can help identify areas for improvement and ensure that resources are being used effectively to enhance education.

By addressing these obstacles and implementing targeted strategies, India can make significant progress toward integrating ICT in education and improving learning outcomes for students across the country.

Conclusion: The study focuses on the critical issue of integrating ICT (Information and Communication Technology) into curriculum development for achieving education for sustainable development. It examines the challenges of incorporating ICT into the curriculum and emphasizes the goal of transforming learning effectively through ICT adoption. The study argues that the integration of ICT should be driven by curriculum needs rather than technology itself, aiming for future curriculum reform. Many educational programs are designed to contribute to sustainable development and should foster a culture of values, attitudes, knowledge, and skills among individuals. To address the challenges, developing ICT experts capable of managing projects in both public and private sectors is essential. Additionally, retraining teachers in ICT use is crucial for designing diverse activities for different learners. Proper information management requires the establishment of information policies, which many countries currently lack. The study also notes the importance of making ICT accessible in various languages beyond English and French

to ensure inclusivity for non-English and non-French speakers. Accelerating initiatives to support multiple languages in ICT is necessary to broaden access.

References:-

1. Astonm (2002). The development and use of indicators to measure the impact of ICT use in education in the United Kingdom and other European countries. Developing Performance Indicators for ICT in Education. UNESCO Institute for Information Technology (IITE). Chapter 43, pp: 62-73.
2. Ehlers, Ulf. (2007). Quality Literacy - Competencies for Quality Development in Education and e-Learning. Educational Technology & Society. 10. 96-108.
3. Gajendran N (2007). The third eye of the teacher. Indian J.Sci.Technol. 1 (2), 1-2.
4. Huckle J and Sterling S (1996). Education for Sustainability. London: Earth scan.
5. PaasL and Creech H (2008). How ICTs can support Education for Sustainable Development: Current Uses and Trends. Paper Prepared with the support of the Province of Manitoba and Presented to Manitoba Education, Citizenship and Youth. Winnipeg, Manitoba, Canada.
6. Performance Measurement and Reporting Taskforce (2005). An Assessment Domain for ICT Literacy, Ministerial Council on Education, Employment, Training and Youth Affairs (MCEETYA), Carlton South.
7. Roschelle J, Patton C and Tatar D (2007). Designing networked handheld devices to enhance school learning, in M. Zelkowitz (ed.) Advances in Computers. 70, 1-60.
8. Schrum L and Solomon G (2007). Web 2.0 and you: Starting the conversation. International Society for Technology in Education (ISTE).
9. Tella, A., & Adu, E. (2009). Information Communication Technology (ICT) and Curriculum Development: the Challenges for Education for Sustainable Development. Indian Journal of Science and Technology, 2(3), 55-59.
10. Tilbury D, Stevenson R B, Fien J and Schreuder D (2002). Education for Sustainable Development: Dimensions of Work. IUCN Commission on Education and Communication-The World Conservation Union.
11. UNESCO (2003). Rewarding Literacy: A study of the history and impact of the International literacy Prizes, Paris.

Impact of Internet Banking on Customer Satisfaction: An Empirical Study

Rajesh Kumar Saini* Dr. Laxmi Narayan Sharma**

*Research Scholar (Commerce) Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

** Principal & Prof. (Commerce) Rajiv Gandhi Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.) INDIA

Abstract - The banking sector has been swiftly embracing Internet banking as an effective and practical means to enhance customer value. It stands out as one of the favored services provided by traditional banks, aiming to deliver faster and more dependable services to online users. Given the swift advancement of computer technology as a commercial tool, Internet banking can effectively attract more customers to engage in banking transactions within affiliated banks. The main objective of this study was to investigate the impact of internet banking on customer satisfaction within Indore region. Data were collected from a sample of 401 participants of Indore through a closed-ended structured questionnaire, the respondents were selected by convenience sampling technique. Correlation and regression analysis was applied to test the proposed hypotheses. Results suggest that internet banking puts significant positive impact on customer satisfaction among respondents of Indore. Future suggestions and recommendations concludes the article.

Keywords: Customer Satisfaction, Internet banking, Security, Trust.

Introduction - In today's digitally-driven world, where technology permeates nearly every aspect of our lives, the banking sector stands as no exception to the transformative power of the internet. With the advent of internet banking, traditional brick-and-mortar institutions have undergone a remarkable metamorphosis, fundamentally altering the way customers interact with their finances. This paradigm shift has not only revolutionized banking processes but has also significantly influenced customer satisfaction, a pivotal metric in determining the success and sustainability of any financial institution.

To comprehensively assess the impact of internet banking on customer satisfaction, it is essential to employ a multifaceted approach that incorporates both qualitative and quantitative methodologies. By analyzing customer feedback, conducting surveys, and leveraging data analytics, researchers can gain valuable insights into customer perceptions, preferences, and behaviors regarding internet banking services. Moreover, comparative studies examining customer satisfaction across different banking channels, such as branch banking, mobile banking, and internet banking, can provide nuanced insights into the relative strengths and weaknesses of each channel, informing strategic decision-making and resource allocation.

The aim of this study is to delve into the intricate relationship between internet banking and customer satisfaction, unpacking the various dimensions and nuances that underpin this dynamic interaction. By

conducting a comprehensive analysis, we endeavor to provide valuable insights into the impact of internet banking on customer satisfaction, thereby aiding banking institutions in refining their strategies to better cater to the evolving needs and preferences of their clientele.

Literature Review

Internet banking, also known as online banking or e-banking, refers to the provision of banking services over the internet, allowing customers to conduct a wide array of financial transactions remotely, anytime and anywhere (Chauhan et al., 2022). From checking account balances to transferring funds, paying bills, and even applying for loans, the functionalities offered by internet banking platforms are extensive, offering unparalleled convenience and accessibility to users.

The adoption of internet banking has witnessed exponential growth in recent years, fueled by advancements in technology, changing consumer behaviors, and a growing preference for digital solutions (Schlich, 2014). According to a report by Statista, the number of digital banking users worldwide is projected to surpass 3.6 billion by 2024, underscoring the increasing reliance on online channels for financial management.

Against this backdrop, understanding the impact of internet banking on customer satisfaction becomes imperative for banking institutions seeking to remain competitive in a rapidly evolving landscape (Supriyanto et al., 2021). Customer satisfaction, often regarded as the cornerstone of business success, encompasses the overall

sentiment and perception of customers regarding the products, services, and experiences offered by a company. In the context of banking, satisfied customers are more likely to exhibit loyalty, engage in repeat business, and serve as brand advocates, thereby contributing to the long-term profitability and viability of the institution (Hammoud et al., 2018).

The relationship between internet banking and customer satisfaction is multifaceted, influenced by a myriad of factors ranging from usability and functionality to security, reliability, and customer support (Zouari and Abdelhedi, 2021). At the heart of this relationship lies the concept of convenience – a key driver of customer satisfaction in the realm of internet banking. By enabling customers to perform transactions at their convenience, without the constraints of time or location, internet banking platforms empower users with unprecedented control over their finances, fostering a sense of autonomy and empowerment (Toor, 2016).

Moreover, the seamless integration of internet banking into the fabric of everyday life has reshaped customer expectations, raising the bar for service excellence and convenience. In an era characterized by instant gratification and on-demand services, customers demand banking solutions that are not only efficient and user-friendly but also personalized and tailored to their individual needs (Tiruneh, 2017). As such, banking institutions must continually innovate and enhance their internet banking offerings to meet the evolving expectations of their tech-savvy clientele.

However, the proliferation of internet banking also brings forth a host of challenges and concerns, chief among them being security and privacy (Mwiya et al., 2022). With the increasing prevalence of cyber threats such as phishing attacks, identity theft, and data breaches, customers are understandably apprehensive about the safety of their personal and financial information when conducting transactions online. Consequently, the perceived security of internet banking platforms plays a pivotal role in shaping customer satisfaction, with robust security measures serving as a fundamental prerequisite for building trust and confidence among users.

Furthermore, the digital divide remains a pertinent issue, with certain segments of the population, such as the elderly or those residing in rural areas, facing barriers to accessing internet banking due to technological literacy or infrastructure constraints. Addressing these disparities and ensuring inclusivity is essential for banking institutions to foster broad-based customer satisfaction and promote financial inclusion (Villers, 2012).

In addition to convenience and security, the quality of customer support and service delivery also significantly impacts customer satisfaction in the context of internet banking. Prompt resolution of inquiries, efficient problem-solving, and personalized assistance contribute to a positive

customer experience, fostering trust and loyalty towards the banking institution (Zavareh et al., 2012). Conversely, poor customer service can result in frustration and dissatisfaction, leading to customer churn and reputational damage.

The advent of internet banking has transformed the banking landscape, offering unprecedented convenience and accessibility to customers while posing new challenges and considerations for banking institutions. Understanding the impact of internet banking on customer satisfaction is crucial for navigating this rapidly evolving landscape, enabling banks to tailor their strategies and offerings to meet the evolving needs and expectations of their clientele. Through rigorous analysis and research, this study aims to shed light on the intricacies of this relationship, providing valuable insights that can inform the development of customer-centric banking solutions and drive enhanced satisfaction and loyalty among customers.

Objectives Of The Study:

1. To study the relationship between digital banking and customer satisfaction among respondents of Indore city.
2. To study the effect of digital banking on customer satisfaction among respondents of Indore City.

Hypotheses:

1. There is a significant relationship between digital banking and customer satisfaction among respondents of Indore city.
2. There is significant effect of digital banking on customer satisfaction among respondents of Indore city.

Research Methodology

Sample

A total of 401 respondents were selected through a convenient random sampling method. The participants were chosen from Indore city, based on their experience with online banking and banking technology. Data collection was conducted using Google Forms, emails, and physical questionnaires. Of the 450 distributed questionnaires, 401 complete and suitable responses were received for analysis.

Tools for Data Collection: A questionnaire, formulated after reviewing relevant literature, was employed for the study. It encompasses a demographic section capturing respondents' details such as gender and age. Additionally, it incorporates two scales: the first scale assesses Digital banking services, comprising of 15 items; the second evaluates Customer satisfaction with 15 items. Each scale ranges from strongly disagree (1) to strongly agree (5).

Statistical Tools Used: Correlation analysis was employed to examine the relationship between internet banking and customer satisfaction. Additionally, regression analysis was utilized to assess the impact of internet banking on customer satisfaction.

Results: The sample comprised 214 males and 187 females, with an average age falling between 30 and 40 years (n=143). Additionally, participants included individuals

above 40 years of age (n=123) and those aged between 20 and 30 years (n=135). Regarding the highest educational attainment, participants included postgraduates (n=154), graduates (n=139), and undergraduates (n=108). Furthermore, participants reported varying monthly incomes, with some earning above 5 Lakhs (n=129), 2-5 Lakhs (n=148), and below 2 Lakhs (n=124). In terms of professional experience, respondents indicated periods of less than 1 year (n=104), 1-5 years (n=124), 6-10 years (n=96), and more than 10 years (n=77).

Two variables were employed in the study. The first variable, internet banking, consisted of 15 items and the second variable, customer satisfaction, comprised 15 items.

The Cronbach's alpha coefficient for the internet banking measure was calculated as .912, while for the customer satisfaction measure it was determined as .916. According to the literature review, an alpha value exceeding .60 is considered good and acceptable for measurement.

Table 1: Reliability Statistics of Study Variables

Scale	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	No. of Items
Internet Banking	0.912	0.907	15
Customer Satisfaction	0.916	0.910	15

Table 2 : Pearson coefficient correlation between Internet Banking and Customer Satisfaction.

Correlations

		IB	CS
IB	Pearson Correlation	1	.792**
	Sig. (2-tailed)		0.000
	N	401	401
CS	Pearson Correlation	.792**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	
	N	401	401

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

In the current study, Hypothesis 1 aims to investigate the association between Internet Banking and Customer Satisfaction. The findings presented in Table 2 reveal a correlation coefficient of .792. This result signifies a substantial positive correlation between internet banking and customer satisfaction. Consequently, the null hypothesis is rejected, and the alternative hypothesis is supported.

Table 3 (see in last page)

Table 3 presents the Regression Model, with Internet Banking serving as the independent variable and Customer Satisfaction as the dependent variable. The R-squared (R²) value is .649, indicating that internet banking accounts for 64.9% of the variability in Customer satisfaction. The F statistic is 272.785, significant at .000 level, indicating the model's overall significance.

The t statistic for internet banking is 16.779 at a significance level of .000. With a p-value less than .005, the regression model highlights a significant impact of internet banking on Customer satisfaction among respondents from Indore. Consequently, the null hypothesis is rejected, and the alternative hypothesis is accepted. Thus, internet banking collectively exerts a substantial influence on Customer satisfaction.

The findings of this study underscore the pivotal role that internet banking plays in shaping customer satisfaction, with convenience emerging as a central theme in driving positive sentiment among users. By enabling customers to conduct a wide array of financial transactions remotely, anytime and anywhere, internet banking platforms offer unparalleled convenience and accessibility, empowering users with greater control over their finances. The ability to check account balances, transfer funds, pay bills, and even apply for loans with just a few clicks not only streamlines the banking process but also enhances the overall customer experience, fostering a sense of autonomy and empowerment.

Conclusion: In the realm of modern banking, where technology continues to redefine the way financial services are delivered and consumed, the impact of internet banking on customer satisfaction stands as a critical area of inquiry. Through an in-depth analysis of the various dimensions and nuances that underpin this dynamic relationship, this study has sought to provide valuable insights into the evolving landscape of digital banking and its implications for customer experience and satisfaction.

However, the proliferation of internet banking also brings forth a host of challenges and considerations, chief among them being security and privacy. In an era characterized by increasing cyber threats and data breaches, customers are understandably concerned about the safety of their personal and financial information when conducting transactions online. Thus, banking institutions must prioritize the implementation of robust security measures and protocols to safeguard customer data and build trust and confidence among users.

In conclusion, the findings of this study highlight the transformative impact of internet banking on customer satisfaction and underscore the need for banking institutions to continually innovate and adapt to meet the evolving needs and expectations of their clientele. By prioritizing convenience, security, and inclusivity in their internet banking offerings, banks can foster enhanced satisfaction and loyalty among customers, driving long-term profitability and sustainability. Moving forward, further research and analysis will be needed to continue monitoring the evolving landscape of digital banking and its implications for customer satisfaction, ensuring that banking institutions remain responsive to the changing needs and preferences of their customers in an increasingly digital world.

Recommendations: Based on the study findings following

recommendations could be made for different stakeholders of the study.

Enhance User Experience: Banking institutions should prioritize the continual enhancement of user experience (UX) across their internet banking platforms. This includes optimizing the design and navigation to ensure ease of use, streamlining the account management process, and implementing intuitive features such as personalized dashboards and interactive tools.

Invest in Security Measures: Given the paramount importance of security in internet banking, banks should invest in robust cybersecurity measures to safeguard customer data and mitigate the risk of cyber threats. This includes implementing multi-factor authentication, encryption protocols, and intrusion detection systems to protect against unauthorized access and data breaches. Additionally, banks should educate customers about best practices for online security and provide resources for reporting suspicious activity or potential security breaches.

Offer Personalized Services: Personalization is key to enhancing customer satisfaction in internet banking. Banks should leverage data analytics and artificial intelligence to gain insights into customer preferences and behaviors, enabling them to offer personalized product recommendations, targeted promotions, and customized financial advice. By tailoring their services to meet the unique needs of each customer, banks can deepen engagement, foster loyalty, and drive enhanced satisfaction.

Foster Financial Literacy: Banking institutions should invest in educational initiatives and resources to promote financial literacy and empower customers to make informed decisions about their finances. This may include offering online tutorials, workshops, or personalized coaching sessions to help customers navigate internet banking platforms confidently and effectively.

Solicit and Act on Customer Feedback: Banks should implement mechanisms for soliciting feedback from customers, such as surveys, feedback forms, or online forums, and prioritize responsiveness to customer concerns and suggestions.

The recommendations outlined above provide a roadmap for banking institutions to optimize the impact of internet banking on customer satisfaction. By adopting a customer-centric approach and continually iterating on their internet banking offerings, banks can drive enhanced satisfaction, loyalty, and long-term success in an

increasingly digital world.

References:-

- Schlich, B. (2014). Winning Through Customer Satisfaction. EY Global Consumer Banking Survey.
- Villers.V (2012). Banking will mean digital banking in 2015. Retrieved [February 3, 2015].from <http://www.pwc.lu/en/press-articles/2012/banking-will-mean-digital-banking-in-2015.jhtml>
- Chauhan, V., Yadav, R., & Choudhary, V. (2022). Adoption of electronic banking services in India: An extension of UTAUT2 model. *Journal of Financial Services Marketing*. <https://doi.org/10.1057/s41264-021-00095-z>
- Hammoud, J., Bizri, R. M., & El Baba, I. (2018). The impact of e-banking service quality on customer satisfaction: Evidence from the Lebanese banking sector. *SAGE Open*, 8(3), 2158244018790633.
- Supriyanto, A., Wiyono, B. B., & Burhanuddin, B. (2021). Effects of service quality and customer satisfaction on loyalty of bank customers. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1937847.
- Toor, A. (2016). The impact of e-banking on customer satisfaction: Evidence from banking sector of Pakistan. *International Journal of Trends in Business Administration*. <https://doi.org/10.5430/jbar.v5n2p27>
- Zouari, G., & Abdelhedi, M. (2021). Customer satisfaction in the digital era: Evidence from Islamic banking. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10(1), 1–18.
- Tiruneh, G. A. (2017). Measuring the service quality of Amhara credit and saving institutions towards small and micro sized enterprises. *Singaporean Journal of Business Economics, and Management Studies*, 5(10), 1–15. <https://doi.org/10.12816/0037569>
- Mwiya, B., Katai, M., Bwalya, J., Kayekesi, M., Kaonga, S., Kasanda, E., Munyonzwe, C., Kaulungombe, B., Sakala, E., & Muyenga, A. (2022). Examining the effects of electronic service quality on online banking customer satisfaction: Evidence from Zambia. *Cogent Business & Management*, 9(1), 2143017.
- Zavareh, F. B., Arif, M. S. M., Jusoh, A., Zakuan, N., Bahari, A. Z., & Ashourian, M. (2012). E-service quality dimensions and their effects on e-customer satisfaction in internet banking services. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 40, 441–445.

**Table 3: Regression Analysis
Model Summary**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
				R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
.790 ^a	0.649	0.642	4.839	0.649	272.785	1	409	0.000

a. Predictors: (Constant), IB

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5912.990	1	5912.990	272.785	.000 ^b
	Residual	4993.395	209	22.419		
	Total	10906.39	210			

a. Dependent Variable: CS

b. Predictors: (Constant), IB

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	9.139	1.980		5.114	0.000
	IB	0.512	0.032	0.790	16.779	0.000

a. Dependent Variable: CS

भारत-चीन के मध्य आर्थिक संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. शकुन शुक्ला* कामना देवी साहू**

* सेवानिवृत्त प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत और चीन दोनों ही विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले पड़ोसी देश हैं। भारत ने लंबे समय के संघर्ष के बाद 1947 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता प्राप्त की तथा चीन ने 1949 की साम्यवादी शासन की स्थापना की। भारत ने चीन की साम्यवादी क्रांति का स्वागत किया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में राष्ट्रवादी चीन के स्थान पर साम्यवादी चीन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए तथा दोनों देशों ने आपसी संबंधों को निर्देशित करने वाले पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। पंचशील समझौते में एक-दूसरे की सम्प्रभुता और अखण्डता का सम्मान शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, पारस्परिक लाभ तथा सहयोग जैसे बिन्दु शामिल किये गये। इसी यात्रा के दौरान चीन, हिन्दी भाई-भाई का नारा दिया गया लेकिन चीन की विस्तारवादी नीति के चलते पंचशील की भावना अधिक समय तक नहीं टिक सकी। तिब्बत के प्रश्न पर दोनों देशों के मध्य 1959 में तनाव उत्पन्न हो गया। चीन के लिए आपत्ति का मुख्य विषय यह था कि वह तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग मानता है, जबकि लामा की सरकार को भारत में टिकने की इजाजत दी। इस तनाव का परिणाम यह हुआ कि 1962 में चीन ने भारत पर सैनिक आक्रमण कर दिया जिसमें भारत की पराजय हुई तथा चीन ने लद्दाख क्षेत्र में अक्साई चीन पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। दूसरी तरफ चीन अरुणाचल प्रदेश में अपना प्रस्तुत कर रहा है। तब से लेकर वर्तमान के बावजूद आज तक दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद मौजूद है, इस युद्ध के उपरांत जहां चीन और पाकिस्तान के बीच सैनिक व सामरिक गठबंधन का विकास हुआ। वहीं भारत अपनी सुरक्षा के लिए चीन के प्रति आशंकित बना रहा। 1962 में समाप्त हुए कूटनीतिक संबंधों की पुनः स्थापना 1976 में हुई। तब से लेकर अब दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया चल रही है। भारत और चीन दोनों ने वैश्वीकरण के युग में आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपना कर तीव्र आर्थिक विकास किया है। दोनों के मध्य आर्थिक सम्बन्ध गत दो दशकों में मजबूत हुए हैं, लेकिन सीमा विवाद का अभी तक कोई समाधान नहीं खोजा जा सका है, इसके अतिरिक्त वर्तमान में चीन और पाकिस्तान का सैनिक गठजोड़ तथा चीन द्वारा दक्षिण एशिया में भारत को घेरने की नीति भी भारत के लिए चिंता का विषय है कि चीन के सहयोग से ही पाकिस्तान अपने परमाणु तथा मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ा सका है। 2009 में चीन ने जम्मू-कश्मीर को स्थिति को भी विवादित बनाने का प्रयास किया है, अतः दोनों के मध्य तनावपूर्ण स्थिति में आर्थिक संबंधों का विकास हो रहा है।

यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की एक विडंबना ही है कि भारत और चीन के मध्य तमान राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों के आर्थिक व व्यापारिक सम्बन्धों का अबाध गति से विस्तार हो रहा है। वर्ष 2010 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है। इस परिप्रेक्ष्य में 2010 में ही दोनों के मध्य रणनीतिक आर्थिक वर्ताओं का दौरा आरंभ हुआ है। ये वर्ताएँ दोनों के आर्थिक सम्बन्धों को मजबूती प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकती है, लेकिन पुनः मूल प्रश्न यह है कि भारत और चीन के मध्य आर्थिक सम्बन्धों की निकटता उनके राजनीतिक सम्बन्धों को सुधारने में कहां तक कामयाब हो सकेगी? वैसे भी चीन और भारत के मध्य समानताएं-असमानताएं तथा प्रतियोगिता के तत्व अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। दोनों में समानता यह है कि दोनों एशियाई महाद्वीप के सबसे बड़े पड़ोसी देश हैं, वर्तमान में दोनों की गणना विश्व की उभरती हुई आर्थिक शक्तियों में की जा रही है। चीन ने जहां पिछले तीन दशकों में लगभग 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर अर्जित की है, वहीं भारत ने गत दो दशकों में लगभग 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर अर्जित की है। चीन अमरीका के बाद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति समतुल्यता (परचेजिंग पावर पैरिटी) की दृष्टि से भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों ही देश कई अंतर्राष्ट्रीय विषयों जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थाओं का सुधार विश्व व्यापार संगठन का कृषि पर समझौता, जलवायु परिवर्तन, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में लगभग समान दृष्टिकोण रखते हैं। दोनों ही देशों की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संगठन 'ब्रिक्स' के सदस्य हैं, जिसका एक प्रमुख उद्देश्य एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की स्थापना करना है, जो समाधान और न्याय के साथ-साथ बहुपक्षीय निर्णय प्रक्रिया से संचालित हो। मूलतः यह संगठन पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक व बहुपक्षीय बनाना चाहती है। इसी तरह दोनों देश विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संगठन का मुख्य उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में विश्व अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन व संचालन करना है।

लेकिन दोनों के मध्य असमानता और प्रतियोगिता के तत्व भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, जहां चीन साम्यवादी विचारधारा से संचालित अर्थव्यवस्था वाला देश है। वहां भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को लागू किया गया है, राजनीतिक दृष्टि से ही चीन में बहुदलीय लोकतंत्र का अभाव है। वहीं भारत बहुदलीय लोकतंत्र का विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण है। इतना ही नहीं दोनों के मध्य लम्बे समय से सीमा का विवाद लम्बित है तथा दोनों देश 1962 में सैनिक संघर्ष में भी संलग्न रहे हैं। इसके अतिरिक्त दोनों के मध्य

दक्षिण एशिया पूर्व एशिया तथा अफ्रीका में सामरिक प्रतियोगिता भी चल रही है। दक्षिण एशिया में चीन भारत के पड़ोसी देशों विशेषकर पाकिस्तान, मालदीप, म्यांमार आदि के साथ सामरिक संबंधों का विकास कर भारत को घेरने की नीति का अनुसरण कर रहा है।

भारत और पाकिस्तान के सामरिक, सैनिक व आर्थिक सम्बन्ध भारत की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसी तरह दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी व प्रभाव को रोकने के लिए चीन प्रयासरत है। अफ्रीका में भी दोनों देशों के मध्य संसाधनों की उपलब्धता विशेषकर ऊर्जा संसाधन तथा राजनीतिक प्रभाव वृद्धि के क्षेत्र में प्रतियोगिता का दौर जारी है।

भारत-चीन की रणनीतिक आर्थिक वार्ताएं - उक्त विषयों में प्रतियोगिता के संदर्भ में भारत और चीन के मध्य बढ़ रहे आर्थिक संबंधों की प्रकृति उल्लेखनीय है। वर्ष 2001 में दोनों के मध्य कुल व्यापार मात्र 2.32 बिलियन डॉलर था। यह द्विपक्षीय व्यापार 2011 में बढ़कर 73.9 बिलियन डॉलर हो गया है। दोनों देशों ने 2015 तक इस व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य निधारित किया है। उल्लेखनीय डॉलर है। इसके बावजूद व्यापारिक सम्बन्धों का निरंतर विस्तार हो रहा है। दोनों देशों ने 2005 में सामरिक और सहयोगात्मक साझेदारी बढ़ाने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए थे तथा उसी वर्ष दोनों देशों ने यह तय किया था कि दोनों के मध्य प्रतिवर्ष नियमित आधार पर वार्षिक शिखर वार्ताओं की शुरुआत की जाएगी। तब से लेकर निरन्तर प्रतिवर्ष दोनों के मध्य नियंत्रित शिखर वार्ताएं आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में दिसंबर 2010 में इन शिखर वार्ताओं का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इन शिखर वार्ताओं में ही दोनों देशों ने रणनीतिक आर्थिक वार्ता प्रक्रिया आरंभ करने का निर्णय लिया था। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इन आर्थिक राजनीतिक वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य दोनों के मध्य व्यापक आर्थिक समन्वय करना, आर्थिक मामलों में अनुभवों का आदान-प्रदान करना तथा भारत और चीन के मध्य आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। ये वार्ताएं दोनों देशों के मध्य आमतौर पर चल रही अन्य वार्षिक वार्ताओं से भिन्न हैं। इन वार्ताओं की मुख्य बात यह है कि इसके अंतर्गत दोनों देश रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। दोनों के मध्य सम्बन्धों में आर्थिक पक्ष को सर्वाधिक महत्व देने की यह प्रवृत्ति दोनों के सम्बन्धों में नये युग की शुरुआत है।

रणनीतिक आर्थिक वार्ताओं का सम्पादन वार्षिक आधार पर एक दूसरे के देश में बदल-बदल कर किया जाता है। इन वार्ताओं का प्रथम दौर सितम्बर 2011 में चीन की राजधानी बीजिंग में सम्पन्न हुआ। इन वार्ताओं के विकास ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण जल संसाधनों के बेहतर प्रयोग तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय विचार-विमर्श किया। दोनों देशों ने इन क्षेत्रों में अपने अनुभवों के आदान-प्रदान पर अपनी सहमति व्यक्त की। चीन ने भारत में छः अति द्रुतगामी रेल्वे गलियारों के विकास में सहायता देने पर सहमति व्यक्त की। इन वार्ताओं की एक प्रमुख उपलब्धि यह थी कि दोनों देशों ने प्राथमिकता वाले पांच क्षेत्रों के नीति समन्वय, ढांचागत सुविधाएं, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण तथा उच्च तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग व विचार-विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए पांच अलग-अलग कार्यदलों के गठन का निर्णय लिया।

वैश्विक स्तर पर सहयोग दोनों पक्षों में विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर सहयोग हेतु विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों ने वर्तमान वैश्विक आर्थिक

विकास व चुनौतियों के समाधान में सहयोग के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके साथ ही दोनों ने अपने सामान्य हितों के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर विभिन्न मुद्दों में समन्वय पर सहमति व्यक्त की। दोनों ने कई सामान्य हितों को रेखांकित किया जो प्रमुख हैं। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय व भौतिक संस्थाओं में सुधार विश्व स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता लाना, जीवन्त विकास की प्रक्रिया को मजबूत बनाना। जलवायु परिवर्तन वार्ताओं का समतापूर्व समापन तथा खाद्यान्न एवं ऊर्जा आर्थिक विकास गति को बनाए रखने के लिए बाह्य ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर है। अतः ऊर्जा संसाधनों की सुरक्षा व उपलब्धता दोनों की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

वृहद् आर्थिक नीतियों में विचारों के आदान-प्रदान को मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि 2008 से चल रही वैश्विक मंदी के चलते विश्व स्तर पर विकास की गति धीमी हो गई। नकारात्मक प्रभाव सामने आए हैं। जैसे विकसित देशों के बाजारों में मांग का कम होना। यूरोपीय देशों में रोजगार व कीमतों का संकट निम्न व्यापारिक गतिविधियां तथा कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति आदि इस परिवेश से दोनों देशों में अपनी आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के संकल्प को दोहराया। इसके लिए दोनों देशों ने अपने विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में समायोजन करने उपलब्ध तकनीकी को समुन्नत बनाने तथा आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर सहमति व्यक्त की। इन मामलों में दोनों देशों ने उच्चस्तरीय संयुक्त अध्ययनों की आयोजित करने हेतु भी सहमति व्यक्त की।

व्यापार तथा निवेश का विस्तार दोनों देशों ने अपनी लाभ की दृष्टि से द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दोनों देशों ने कतिपय उपायों की आवश्यकता पर बल दिया, जैसे- दोनों के मध्य पूरक क्षेत्रों की पहचान, व्यापार तथा बाजार की बाधाओं को दूर करना, प्रोजेक्ट साझेदारी को बढ़ाने निजी क्षेत्र के व्यावसायिक समूहों में आदान-प्रदान को बढ़ाना, यातायात नेटवर्क को मजबूत बनाना, संतुलित व्यापार को सुनिश्चित करना तथा द्विपक्षीय निवेश को बढ़ाना आदि।

आधारभूत सुविधाओं व वित्तीय क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना दूसरे चक्र की रणनीतिक, आर्थिक वार्ताओं की एक मुख्य उपलब्धि दोनों देशों के मध्य वित्तीय व आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में सम्बन्धों को मजबूत बनाने को लेकर बनी सहमति है। उल्लेखनीय है कि भारत ने देश में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है तथा इस योजना को कार्यरूप देने के लिए उसे बाह्य वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। इस दृष्टि से यह सहमति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दोनों देशों ने वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया। इन उपायों से दोनों देशों में बल दिया, इन उपायों से दोनों देशों में आर्थिक विकास की गति प्राप्त होगी।

चीन से आयात-निर्यात - वर्तमान समय की बात करें तो भारत अमेरिका के बाद चीन से ही सबसे अधिक व्यापार करता है। भारत के कुल आयात में चीन से किये गये उत्पादों का हिस्सा लगभग 14 प्रतिशत है। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दवाएं, रसायन, आटोमोबाइल पुर्जे आदि मुख्य हैं। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे- स्मार्टफोन, स्मार्टवाच, स्मार्ट टेलीविजन, खिलौने आदि का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन द्वारा ही निर्यात किया जाता है। वहीं भारत में बनने वाली दवाओं

के घटकों की बात करें तो लगभग 70 फीसदी दवाओं को बनाने के लिए हम चीन पर निर्भर हैं जबकि निर्यात की बात करें तो चीन को किया जाने वाला निर्यात चीन से किये जाने वाले आयात की तुलना में बहुत कम है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत ने कुल 16 अरब डॉलर का निर्यात चीन को किया जो कुल आयात का लगभग पांचवां हिस्सा है। भारत द्वारा निर्यात किये जाने वाले उत्पादों में मुख्यतः सूती धागे, खनिज अयस्क, जैविक रसायन, प्लास्टिक उत्पाद, रत्न एवं आभूषण है। अतः चीन के साथ होने वाले व्यापार में भारत लगभग 48 अरब डॉलर के घाटे में रहा।

द्विपक्षीय व्यापार – इस सदी की शुरुआत से भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार के तेजी से विस्तार को 2008 तक भारत के सबसे बड़े माल व्यापार भागीदार के रूप में उभरने के लिए प्रेरित किया, जिस स्थिति पर चीन आज भी कायम है। पिछले दशक की शुरुआत से दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। 2015 से 2022 तक, भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार में 90.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो औसत वार्षिक वृद्धि 12.87 प्रतिशत है। 2022 में चीन के साथ कुल व्यापार साल दर साल 8.47 प्रतिशत बढ़कर 136.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर गया। व्यापार घाटा 101.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया क्योंकि चीन से भारत का आयात 118.77 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 118.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इस बीच चीन को भारत का निर्यात साल दर साल 37.59 प्रतिशत कम होकर 17.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल के शुद्ध निर्यात से कम है।

सारणी क्र. 01: भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार के आँकड़े (यूएसडी बीएन में)

वर्ष	भारत का चीन को निर्यात	भारत का चीन से आयात	कुल व्यापार
2015	13.4	58.26	71.66
2016	11.75	59.43	71.18
2017	16.34	68.1	84.44
2018	18.83	76.87	95.7
2019	17.97	74.92	92.9
2020	20.87	66.78	87.65
2021	28.03	97.59	125.62
2022	17.49	118.77	136.26

(स्रोत : सामान्य सीमा शुल्क प्रशासन, चीन)

चीन जहां एक ओर भारत के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्धों को बढ़ाना चाहता है ताकि चीन की विनिर्माता कंपनियों का भारत का विशाल उपभोक्ता बाजार मिलता रहे। वहीं चीन सामरिक मोर्चे पर भारत को घेरने की रणनीति पर चलता रहता है। चीन में स्ट्रिंग ऑफ पर्स (String of Pearls) की नीति पर चलते हुए हिन्द महासागर में श्रीलंका में हम्बान टोटा, बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाहों के विकास में आर्थिक सहायता प्रदान की है। 19 फरवरी, 2013 को पाकिस्तान सरकार ने चीन की आर्थिक सहायता से विकसित बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर बन्दरगाह का प्रबन्धन चीन की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी चाइनीज ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग्स लि० को सौंप दिया। 248 अरब डॉलर की लागत में 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी चीन की नौसेना द्वारा भी किया जा सकेगा। अरब सागर में होर्मुज जल डमरू मध्य के निकट ग्वादर बन्दरगाह चीन के लिए कच्चे तेल का प्रारंभिक बिंदु है तथा ईरानी खाड़ी की स्थिति को चीन द्वारा प्रभावित करने की समस्या सामरिक शाखा भी इस तरह चीन हिन्द महासागर में भारत की सामरिक एवं आर्थिक क्षमताओं और उपस्थिति को सीमित करने का हर संभव प्रयास कर रहा है।

निष्कर्ष – ऐसा प्रतीत होता है कि भारत और दोनों ही वर्तमान में अपने आर्थिक हितों को अधिक महत्व प्रदान कर रहे हैं इसीलिए राजनीतिक विवादों व सामरिक प्रतियोगी के बावजूद दोनों के आर्थिक सम्बन्ध निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देश इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को सामान्य सम्बन्धों की पृष्ठभूमि में ही आगे बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए दोनों पक्ष विवादास्पद बिंदुओं को किनारे रखकर आर्थिक क्षेत्र में सहयोग के अवसरों की तलाश कर रहे हैं फिर भी चीन की विदेश नीति अत्यन्त गोपनीय है। वहां एक दलीय शासन प्रणाली है तथा चीन अपनी सैनिक शक्ति का तेजी से विकास कर रहा है। इन तथ्यों के आलोक में भारत को अपने सामाजिक हितों की रक्षा के लिए चीन के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीका में दोनों के मध्य चल रही सामरिक प्रतियोगिता इसका संकेत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2013 अरुणोदय बाजपेयी
2. भारत एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध – बी.एल. फाड़िया
3. 21वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध – पुष्पेश पंत McGraw Hill Education (India) Private Limited
4. <https://www.eoibeijing.gov.in>

Impact of Training on Sales Person of Private Insurance Companies

Taranjeet Kaur Monga* Dr. Bhoj Raj Nalwaya**

*Research Scholar, School of Studies of Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

** Professor and Head (Commerce) Govt. Rajeev Gandhi P.G. College, Mandsaur (M.P.) INDIA

Abstract - In the recent years, importance of insurance sector is increasing and is expecting further growth. Hence, the career opportunities are enhancing in this sector. The study indicates the important role that staff training plays in guaranteeing organisational productivity, technological development adaptability, industry compliance and drawing on a variety of investigations. Also the study highlights the need of training of sales force in the insurance companies and to examine the competencies needed by those sales representatives. This study also suggests that general insurance companies need to train their sales person to an adequate standard in competencies of problem solving, information technology utilization, cultural adaptability, emotional intelligence, collective competence and work ethics. The insurance industry continues to face various challenges. Significant among them is the poor public perception, which leads to lower penetration level. The overall objective of this study is to assess the impact of training programs to overcome such challenges affecting the growth of life insurance business.

Keywords: Effectiveness, training programs, sales force, productivity, development, growth, insurance sector.

Introduction - The study examines the effectiveness of training and development programs on the sales force in the general insurance companies. Manpower management and retention is the key reason for survival of any business. Training assists the employees and sales staff in improving their interpersonal skills and enhancing their knowledge with a practical approach. It also generates the future opportunities for the sales personnel by creating a better work position. Training and development programs create a significant impact on the sales force performance. It helps the staff to gain knowledge about the customer's needs which plays crucial role in the insurance industry. Training helps the employees to adapt to the changes in environment and organization. It not only helps in enhancing the organizational productivity but also improves the skill of the employees and motivates in achieving the organizational as well as their personal goals.

Review Of Literature

Nworie & Onwuka (2023) studied that an organization's productivity is closely linked to the expertise of its workers serves as the foundation for the importance of employee training and personnel development in the insurance sector. Training programmes play a crucial role in equipping employees in the insurance industry to take advantage of technology improvements, adapt to changes in the industry, and deliver great service.

Okikiola & Oluwayimika (2022) examined from strategic standpoint to connect training and development with

organization expansion in the competitive and ever changing insurance sector to have effectiveness of learning and development programs that promotes employee performance, organizational success.

Chowa (2022) studied the review on employee training in life insurance indicates significance of cultural aware and financially literate training programs to improve employee comprehension and decision making.

Utomo & Ruslan (2021) examined how training management has evolved for both employee and agents, as well as the knowledge and abilities of the workforce in the insurance sector.

Umar et al. (2020) intended to invest in empirical relationships in a model that becomes the process of team performance as a result of participation in practical training. This study establishes a causal relationship between training effectiveness variables, employee creativity, soft skill competency in Training-Effectiveness and Team performance in Public Organization.

Ali et al. (2019) focused on how important it is for trainer to pay closer attention to what agents actually requires to evaluate the understanding on the basic product knowledge and thus transferring this to sales.

Adebawale & Adefulu (2019) indicated that moderately positive connection between employee productivity and training. This results Board decision to investments on employee skills, attitudes and personal development that has increased output.

Chavan CSIBER Kolhapur &Chavan Assist (2018) evaluated how training satisfaction and effectiveness relate to one another and how that relates to organizational positive in life insurance firms.

Krivokapic et al. (2017) indicated that training initiatives are positively correlated with customer happiness, organizational effectiveness, and overall competitiveness in the ever-changing insurance market. Insurance workers may be more innovative and adaptable by navigating changes in the sector by customizing training programmes to improve their technical skills, customer-centric capabilities, and digital literacy. In the ever-changing marketplace, employee training is becoming increasingly important from a strategic standpoint

Shen et al. (2017) identified that there is need to shift from the conventional training methods to creative approach such as technology-driven procedures and the incorporation of soft computing techniques to establish relationship between employee training in insurance sector and financial performance.

Akbar et al. (2015) indicated the significance of work-life balance, competitive pay. It reveals that employee training plays in keeping competent workers in the insurance industry and significance its affects job satisfaction, career progression and organizational commitment.

Objectives:

1. To understand the importance of training the sales force in the general insurance companies.
2. To observe the need of training.
3. To highlight the impact of training the sales personnel.
4. To enlighten the future prospects in the insurance sector.

Meaning Of Training: Training is an organized activity for enhancing the technical skills of the sales person to enable them to do certain jobs efficiently. In another words, training provides facilitates the staff to gain technical knowledge and to learn new skills to do specific jobs. Training is equally important for the existing as well as the new employees. It enables the fresher's to get acquainted with their jobs and also increase the job-related knowledge and skills. It is crucial to the existing employees to keep them motivated and to adapt with the changing technology. Training process moulds the thinking of employees and leads to quality performance of employees. It is continuous and never ending in nature. Every individual has some shortcomings and training and development helps employees iron them out. If shortcomings and weaknesses are addressed, it is obvious that an employee's performance improves. Training and development, however, also goes on to amplify your strengths and acquire new skill sets. It is important for a company to break down the training and development needs to target relevant individuals.

Need Of Training

1. **Learning for New Recruits:** Once the employees are selected and placed in a position they need to be trained

for a specific job. It helps them to perform their job effectively. On job training helps them to handle their job competently.

2. **Promotions:** In order to prepare the existing employees for higher roles they need to be trained in the areas of their added responsibilities so that they can do justice to the position.

3. **Transfers:** Training on different jobs makes the employees mobile and versatile and makes them capable to be moved from one job to another.

4. **Bridging the Gap:** There can at times be some gaps between the knowledge and skills an employee possesses and the requirements of the job. Training helps in bridging this gap and making the employees more productive.

Importance Of Training: Adequately planned and well-executed training program can lead to the following advantages.

1. **Higher productivity and better quality of work:** Formal training leads to the enhancement of skills of the employees that enables them to perform their job more efficiently. As standard methods are taught to the employees it improves the quality of product and services.

2. **Reduction in wastage and cost:** Workers learn how to make the optimum use of resources. Training leads to the economic use of material and machinery and helps minimize the cost of operations per unit.

3. **Increases morale and loyalty:** Training helps boost the morale of the employees by developing a positive attitude, job satisfaction and enhanced learning. It makes them loyal to the organization as they develop a sense of commitment.

4. **Reduced supervision and low accident rates:** Training develops well-motivated employees who are self-reliant, they do not need constant guidance and supervision. Employees can also avoid mistakes and accidents on the job as they can handle a job with confidence and adopt the right work methods.

Impact Of Training On Sales Person In General Insurance Companies: Regular training and development programme helps the organisations to achieve certain and defined aims and objectives. Training aids in improving employees' efficiency and effectiveness at work. Training helps to overcome the nervousness of the new staff and makes them comfortable with the work environment and organization. Various methods of training are being used to enhance the knowledge and skills of employees. These methods vary from organization to organization as per their requirements. Training raised the sales person's productivity and the overall productivity of the organization. Training minimized the wastage by learning the proper usage of equipment. It raised the employee's morale and raised the sales. Training gives proper understanding of the customer's needs thereby providing them with the product matching their choice.

Methodology: The study is descriptive in nature and is

based on the secondary data which have been collected/ compiled mainly from the online journals, websites, newspapers and magazines and other available sources were collected. Also, the study is based on the review of the various authors and their studies.

Conclusion: With the increasing competition in the general insurance companies, role of training is inevitable. Study shows that training has a positive impact on the sales person. By training and development employees needed less supervision and enhanced confidence in their performance. This raised the sense of loyalty towards the organization and developed commitment towards their organization. The study further concluded that training and development programmes in the insurance companies have greatly influenced organisational growth; and this is because employees who passed through the trainings have had mastery of the organisations' modus operandi and had become acclimatised with the organisations' culture which has made them increasingly reliable and relevant in their respective organisations.

References:-

1. Ms. Alagani Sravani and Dr. R S Ch Murthy Chodisetty, effectiveness of training in insurance industry: a literature review, Vol. 04, Issue 02, February 2024
2. Dr Sanjay Sugandhi and Dr. Poonam Wani, an empirical analysis of general insurance agent performance in an Indian insurance sector, Volume 11, Issue 4 April 2023, ISSN: 2320-2882
3. Dr. Josiah Mutembei, Impact of Employees Capability Affecting the Growth of Life Insurance Business. A Critical Literature Review, Vol. 1, Issue No. 1, pp 1-12, 2022
4. Keneley, M., & Verhoef, G. (2015). Establishing insurance markets in settler economies. a comparison of Australian and South Africa insurance markets, 1820-1910. *African Historical Review*, 47(1), 76-105
5. Pidchosa, O., & Dovhosheia, A. (2019). Global insurance industry: peculiarities and current development trends. *International relations, part "Economic sciences"*, (18)
6. Sung, S. Y., & Choi, J. N. (2018). Effects of training and development on employee outcomes and firm innovative performance: Moderating roles of voluntary participation and evaluation. *Human resource management*, 57(6), 1339-1353.
7. Sariwulan, T., Thamrin, S., Suyatni, M., Agung, I., Widiputera, F., Susanto, A. B., & Capnary, M. C. (2021). Impact of employee talent management. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(5), 184-184.
8. Ocen, E., Francis, K., & Angundaru, G. (2017). The role of training in building employee commitment: the mediating effect of job satisfaction. *European Journal of Training and Development*.
9. Osborne, S., & Hammoud, M. S. (2017). Effective employee engagement in the workplace. *International Journal of Applied Management and Technology*, 16(1), 4.
10. https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/hr-leadership/people/importance-of-training-and-development-in-an-organization/articleshow/48739569.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

Animal Rights and the Importance of Their Protection

Dr. Mamta Pandey*

*Assistant Professor, Govt. Law College, Rewa (M.P.) INDIA

Introduction - Animal right refers to the privileges that animals should enjoy. The traditional attitude towards animals was based on the assertion that have no rights and therefore it is not the subject of moral concerns. The interests of animals should not be ignored because they belong to the species that are considered inferior to the human beings. Animals also should have rights as they contribute to the world economy and improve people's life by providing all favourable socialized conditions. Animal interests should have the same moral weight as human ones and all animals are equal. So they should not be eaten or killed.

Practices amount to cruelty on animals- According to section 11(1) (a) to (o) of the Prevention to cruelty to animal act, 1960 prescribes and enumerates the forms of cruelty mentioned hereunder:

- a) Beating, kicking, over-riding, over-loading, torturing, causing unnecessary pain or suffering to the animals.
- b) Employing any animal which, by reason of its age or any disease, unfit to be so employed and still making it work or labour or for any purpose.
- c) Willfully and unreasonably administering any injurious drug or injurious substance.
- d) Conveying or carrying, either in or upon any vehicle in such a manner as to subject it to unnecessary pain or suffering.
- e) Keeping or confining any animal in any cage or any receptacle, which does not measure sufficiently in height, length and breadth to permit the animal a reasonable opportunity for movement.
- f) Keeping for an unreasonable time any animal chained or tethered upon an unreasonably heavy chain or chord.
- g) Being the owner, neglects to exercise or cause to be exercised reasonably any dog habitually chained up or kept in close confinement.
- h) Being the owner of any animal fails to provide such animal with sufficient food, drink or shelter.
- i) Being the owner, without reasonable cause, abandons any animal in circumstances, which render it likely that it will suffer pain by reason of starvation or thirst.
- j) Willfully permits any animal, of which he is the owner to go at large in any street while the animal is affected with a contagious or infectious disease or without reasonable excuse permits any diseased or disabled animal, of which he is the owner, to die in any street.
- k) Offers for sale or without reasonable cause, has in his possession any animal which is suffering pain by reason of mutilation, starvation, thirst, overcrowding or other ill-treatment.
- l) Mutilates any animal or kills any animal (including stray dogs) by using the method of strychnine injections in the heart or in any other unnecessarily cruel manner.
- m) Solely with a view to providing entertainment –
 - 1) Confines or causes to be confined any animals (including tying of an animal as bait in a tiger or other sanctuary) so as to make it an object of prey for any other animal.
 - 2) Incites any animal to fight or bait any other animal.
- n) Organises, keeps, users or acts in the management of any place for animal fighting or for the purpose of baiting any animal or permits or offers any place to be so used or receives money for the admission of any other person to any place kept or used for any such purposes.
- o) Promotes or takes part in any shooting match or competition wherein animals are released from captivity for the purpose of such shooting.

The choice of loving, caring, feeding and giving shelter to animals is the natural right of any individual. If cruelty is being done on animals, any person or individual under whose presence any offence under the act is committing can immediately lodge a written complaint with the nearest police station for taking action. Sec.34 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 provides the general power of seizure for examination to the police officer above the rank of constable. If the police officer comes to know about commission of any offence under Prevention of Cruelty to Animals Act has been committed or is been committed on any animal, he can seize the animal and produce the same for examination by the nearest magistrate or by the veterinary officer. In the case of overloading of animals or

beating of animal or any offences under this Prevention of Cruelty to Animals Act, the police have the power to seize the animals and send them to infirmaries for the treatment and care of animals, until they are fit for discharge. The animal sent to an infirmary cannot be released from such places unless the veterinary officer issues the certificate of its fitness for discharge. The cost of transporting the animal to an infirmary and its maintenance and treatment in an infirmary has to be paid by the owner of the animal.

Laws on Animal sacrifice:-

- i. Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.
- ii. Wildlife Protection Act, 1972.
- iii. Indian Penal Code, 1860.
- iv. Local Municipal Corporation Acts.
- v. Experiments on Animals (Control and Supervision) Rules, 1968.
- vi. The Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules, (2001).
- vii. The Transportation of Animals Rules, 1978.
- viii. Animal transportation act, 2006.
- ix. Transportation of animals (amendment) rules, 2009.
- x. The prevention of cruelty to Draught and Pack Animals Rules, 1965.
- xi. The performing Animals Rules, 1973.
- xii. The Performing Animals (Registration) Rules, 2001.
- xiii. Animal Birth Control Rules, 2001.

Legal action taken for killing of an animal or pet: Killing of animal is a cognizable offence under Sec. 428 and 429 of the IPC. Sec 428 of the IPC deals with the punishment for committing mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless any animal or animals of the value of ten rupees or upwards. The punishment for such acts/offences are simple or rigorous Imprisonment for a term, which may extend to two years or with a fine or with both. Sec. 429 of the IPC deals with the punishment for the same nature of crime but for the animals of the value of fifty rupees or upwards. It must be immediately lodged as an FIR with the area police station. The punishment in this case will be imprisonment of either description for a term, which may extend to five years or with a fine or with both.

According to Animal Birth control Rules 2001, no Sterilised dogs can be relocated from their areas. Sterilised dogs can remain in their original areas. If any dog is not sterilized, the society can simply ask on Animal welfare organization to sterilize and vaccinate the dog.

Practicing of phooka or doom dev or any other operation being performed upon any cow or other milch animal, to improve its lactation. This is injurious to health of the animal. The animal on which such operation was performed shall be forfeited to the government and produce it for the examination by the veterinary officer in charge of the area in which the animal is seized.

Oxytocin injection on milching animal in order to induce milk is illegal and amount to cruelty on animal under sec. 12 of Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960. The

proprietor of the shop selling these drugs to a dairy shall be liable to lose his license as a pharmacist and shopkeeper in addition to criminal charges with punishment of up to 5 years in prison. Under the provision of the Drugs and cosmetic Act, Oxytocin has been classified as a prescription drug. No person can purchase the drug without having the requisite prescription from a Registered Medical Practitioner or Registered Veterinarian. But despite this, oxytocin ampoules are easily and readily available not only at chemists but also from other unauthorized outlets in market situated close to the dairies.

Exhibition and training of performing animals is also restricted under Sec 22 Prevention of Cruelty to Animals Act. According to sec 2(b) of the performing Animals rules, 1973 the performing animals are animal which is used for the purpose of any entertainment to which the public is admitted through the sale of tickets. The central government by notification in the official Gazette has restricted the exhibition and training of animals like Bears, Monkeys, Tigers, Panthers and Lions. If any person is desirous of training and exhibiting performing animal, has to apply for registration to the prescribed authority under Sec.3 of the Performing Animals (Registration) Rules, 2001. Sec.8 of the same rule lays down general conditions for registration, which the prescribed authority while granting registration may impose.

The sale of animals in fair is normally meant for farmers but nowadays animal provided to butchers, which is illegal. In order to prevent this from happening local administration should check and should be verified to avert cow slaughter, which is a criminal offence and buyer must specify for what purpose he is buying the animal.

Wild animals, birds, other wild species, any endangered species could not be sold or brought in the fairs.

Sec. 27 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 acts as an exemption clause. It permits the training of animals for bonafide military or police purpose. But during such training it has to be kept in mind that no animals can be treated cruelly or in a way that harms or injures them. According to the prevention of cruelty to Draught and Pack Animals Rules, 1965. The maximum load for draught animal is stated. No person is allowed to use any animal for drawing any vehicle or carrying any load above the decided weight laid down in the Rule.

For the transportation of animal, some general conditions are provided under sec. 98 of the transport of Animal Rules, 1978.

1. Animals to be transported shall be healthy and in good condition. They should be examined by a veterinary doctor for freedom from infectious diseases.
2. An animal which is unfit for transport shall not be transported and the animals that are newborn, diseased, blind, emaciated, lame, fatigued or having given birth during the preceding 72 hours or likely to give birth during transport shall not be transported.

3. Pregnant and very young animals shall not be mixed with other animals during transport.
4. Different classes of animals shall be kept separately during the transport.
5. Diseased animals, whenever transported for treatment, shall not be mixed with other animals.

For slaughtering of an animals: Certain rules provided under Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 namely Slaughter House Rules, 2001. Slaughter house is a place where 10 or more than 10 animals are slaughtered per day and is duly licenced or recognized under a central, state or provincial Act or any rules or regulation made there under. Sec. 3(2) of the said rules prohibits slaughtering of any animal-

- i. which is pregnant.
- ii. has an offspring less than three months old, or
- iii. the animal which is under the age of 3 months.
- iv. which has not been certified by a veterinary doctor that it is in a fit condition to be slaughtered.

Animals can not be slaughter in slums, in roadside meat shops or in dhabas or in private houses. With regard to environmental hazard and public nuisance Smt. Maneka Gandhi moved the Delhi court against the Idgah Slaughter house of Delhi, in the larger public interest. The Court gave useful directions to all slaughter houses. The provision to kill or sell meat is available only for slaughtering cattle, goats, sheep and pigs within the corporation limits. On Bakri-id no animal can be slaughtered except goats. The Division Bench of Calcutta has ruled that the slaughter of Cows by members of Muslim Community on Bakri-id is not a requirement of the Muslim region and should be banned. The Supreme Court has upheld this decision. On this day slaughter can only take place in government designated Idgahs, but not in mosques.

Local Municipal Corporation Acts prohibit the slaughter of any animal within a Corporation area, other than in a licensed slaughter house. The Killing of an animal in public place amounts to public nuisance and annoyance to the public.

Sec. 4 of the Experiments on Animals (control and supervision) Rules, 1968 lays down certain conditions regarding the conducting of experiment on animals. It is illegal to sell animals for experiments According to the rule no officer, employee or agent of any animal control authority shall sell, give transfer, trade, supply or otherwise provide any animal coming into his or her possession to any animal dealer, commercial kennel, pet shop, laboratory, educational institution or other person for the use in research, product development testing, education, biological production or other scientific, biomedical or veterinary purposes. Also mentioned institutions are prohibited to purchase animals.

No private person in India is allowed to capture, buy, sell, to train or show any wild animals for public exhibition. It is cognizable offence under Wildlife Protection Act, 1972 and Sec. 22 of the Performing Animal Rules of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. The man can be arrested on the spot and the animal confiscated and handed over to the Wild Life Department, Zoo or a Local Animal Welfare Shelter.

Related cases:

- i. Akhil Bharat Goseva Sangh Vs State of A.P. & ors. On 29 March 2006.
- ii. Maneka Gandhi vs Union Territory of Delhi & ors. on 18 march 1984.
- iii. Hanif Qureshi Vs st. of Bihar 23 April 1958.
- iv. S. Muralidharan Vs Nagarajan on 27 July 2015.

Conclusion: There is some conflict between the relation of human being and animal and hence some classes of animals become the subject of criminal activities of human beings. Indian laws has special protection provisions to save animals. The judiciary had taken an active role in protecting animals. When the state machinery failed in the compliance of duties mentioned under statute. After the working of courts many states established institutions required under the act to stop unsympathetic treatment of animals during slaughter and travel. Now animal experimentation is permissible for the benefit of man and animal. The owner's responsibility is not only to provide food and nutrition but also to take care of the animals in preventing cruelties on them. So, we all should try to safeguard animal protection and promote the preservation of the dignity of animals in various stages of human use. Animal are always responsible in the ecosystem for the maintenance of harmonious life in nature.

References:-

1. Bodhistava Majumdar, Ban on Cow Slaughter(A Constitutional Perpespective), LAW TIMES JOURNAL (2020)
2. Abha Nadkarni & Adrija Ghosh, Broadening The Scope of Liabilities for Cruelty Against Animals: Gauging the Legal Adequacy of Penal Sanctions Imposed, 10 (The National University Of Juridical Science Law Review (2017)
3. Jonathan Benthall, Animal Liberation and Rights, 23 Anthropology Today (2017)

Books:-

1. Dr. H.N.Tiwari, Environmental Law (Allahabad Law Agency, 5th Ed. 2016
2. S.C. Shastri, Environmental Law (Eastern Book Company Ed. 2018

Website:-

1. <http://lawtimesjournal.in/ban-on-cow-slaughter/>

Electronic Contracts: Legal Validity and Enforcement in the Digital Age

Dr. Rashmi Sharma*

*Assistant Professor, Law, Govt. Law College, Ujjain (M.P.) INDIA

Abstract - "Electronic contracts (e-contracts) have become integral to modern commerce, facilitating transactions in the digital age. This paper examines the legal validity and enforcement of e-contracts, focusing on their formation, essential elements, and practical implications. It explores frameworks governing e-contracts in different jurisdictions, and discusses key challenges and opportunities in their implementation. By examining case studies and emerging trends, this research sheds light on the evolving landscape of electronic contracting and provides insights for policymakers, businesses, and legal practitioners navigating this complex terrain."

Keywords: e-contracts, electronic contracts, contract law, digital transactions, legal validity, formation process, enforcement mechanisms, challenges, opportunities, blockchain, smart contracts, artificial intelligence, data security, dispute resolution.

Introduction - In an age characterized by digital transformation and technological innovation, the landscape of commerce has undergone a profound shift. Central to this evolution is the emergence of electronic contracts (e-contracts), which have become the cornerstone of modern business transactions¹. E-contracts, formed, executed, and enforced through electronic means, represent a departure from traditional paper-based agreements, offering unparalleled efficiency, accessibility, and convenience in the digital realm.

The proliferation of e-contracts across diverse sectors, from e-commerce platforms and cloud computing services to mobile applications and digital marketplaces, underscores their importance in facilitating commercial interactions in the digital age. However, with this transition from pen and paper to pixels and bytes comes a myriad of legal considerations, challenges, and opportunities. The primary aim of this research paper is to provide a comprehensive examination of the legal framework, practical implications, and future trends of e-contracts. By delving into the intricacies of e-contracting, we seek to unravel the complexities surrounding their legal validity, formation processes, essential elements, enforcement mechanisms, and dispute resolution mechanisms in the digital realm.

At the heart of any contract, electronic or otherwise, lie certain fundamental elements that must be satisfied for the agreement to be legally binding. These elements, including offer, acceptance, consideration, and intention to create legal relations, form the bedrock of contract law and

play a pivotal role in the formation and interpretation of e-contracts. However, the electronic manifestation of these elements introduces novel challenges and considerations that require careful examination. Furthermore, the formation process of e-contracts presents unique considerations, such as the role of electronic signatures, automated systems, and the use of standard terms and conditions. While technological advancements have streamlined the contracting process, they have also raised questions regarding consent, authentication, and contract formation, necessitating a nuanced understanding of these issues.

In addition to formation, the enforcement of e-contracts poses its own set of challenges, including jurisdictional issues, electronic evidence admissibility, and cross-border enforcement. As e-contracts transcend geographical boundaries and traditional legal frameworks, there is a pressing need for robust enforcement mechanisms that can effectively address disputes arising from electronic transactions.

By examining these key aspects of e-contracts, this research paper seeks to provide valuable insights for legal practitioners, businesses, policymakers, and scholars navigating the complex landscape of electronic contracting. Through a critical analysis of existing legal frameworks, case studies, and emerging trends, we aim to contribute to the ongoing dialogue surrounding the evolution of contract law in the digital age. In conclusion, as we embark on this journey through the intricate terrain of e-contracts, it is essential to recognize the transformative potential of digital technology while acknowledging the legal challenges and

opportunities it presents. By illuminating the legal complexities of e-contracts, we can empower stakeholders to navigate the digital landscape with confidence, ensuring the efficient and secure conduct of commercial transactions in the 21st century.

Historical Background: The evolution of contracts traces back to ancient civilizations where verbal agreements and simple written records governed transactions. Over time, formalized contract laws emerged, establishing principles of offer, acceptance, and consideration. With the advent of the printing press, contracts became standardized and more widely accessible. The digital revolution of the late 20th century marked a significant turning point, introducing electronic communication and commerce. As businesses embraced the internet, electronic contracts began to proliferate, challenging traditional notions of contract formation and enforcement. Legal frameworks adapted to accommodate these changes, with landmark cases and legislative efforts establishing the validity of electronic signatures and transactions. Today, electronic contracts are ubiquitous, facilitating global commerce and shaping the way individuals and organizations engage in commercial activities.

In the digital age, the proliferation of electronic contracts has been accelerated by advancements in technology, such as the widespread adoption of computers, smartphones, and the internet. These technological innovations have facilitated the creation, transmission, and storage of electronic documents, making it easier than ever for parties to enter into agreements remotely and across vast distances. As a result, the traditional barriers to contract formation, such as physical presence and paper documentation, have been overcome, paving the way for a new era of electronic commerce.

Moreover, the globalization of markets and the rise of digital platforms have further fueled the growth of electronic contracts, transcending geographical boundaries and enabling businesses to engage in transactions on a global scale. This interconnectedness has not only accelerated the adoption of electronic contracts but has also raised complex legal questions regarding jurisdiction, applicable law, and cross-border enforcement. As businesses continue to embrace digital transformation and consumers increasingly conduct transactions online, the role of electronic contracts in shaping the future of commerce is likely to expand even further, necessitating ongoing legal and regulatory adaptation to ensure the integrity and enforceability of electronic transactions.

E-Contract Overview: In the contemporary digital landscape, electronic contracts (e-contracts) have become integral to modern commerce, enabling parties to enter into agreements through electronic means. This section provides an overview of e-contracts, including their definition, various forms, and methods of formation.

Meaning of E-Contracts: E-contracts refer to contractual

agreements formed, executed, and enforced through electronic means, such as the internet, email, and electronic data interchange (EDI). These contracts eliminate the need for traditional paper-based documentation and enable parties to conduct transactions efficiently and securely in the digital realm. E-contracts are governed by the same legal principles as traditional contracts, including offer, acceptance, consideration, and intention to create legal relations, but are executed using electronic communication and authentication methods.

Forms of E-Contracts:

1. Clickwrap Agreements: Clickwrap agreements are commonly used in online transactions, where users are required to click on a button or checkbox to indicate their acceptance of the terms and conditions presented. By clicking "I agree" or a similar prompt, users signify their consent to be bound by the terms of the contract. Clickwrap agreements are prevalent in e-commerce platforms, software installations, and online services.

2. Browsewrap Agreements: Browsewrap agreements are terms and conditions that are posted on a website or platform and are accessible via a hyperlink. Unlike clickwrap agreements, browsewrap agreements do not require users to actively acknowledge their acceptance of the terms. Instead, users are deemed to have agreed to the terms by merely accessing or using the website or platform. Browsewrap agreements are commonly used in website terms of service and privacy policies.

3. Shrinkwrap Agreements: Shrinkwrap agreements are associated with software products and typically involve the acceptance of terms and conditions enclosed within the product packaging. When users open the shrinkwrap packaging or break the seal, they are deemed to have agreed to the terms of the contract printed inside. Shrinkwrap agreements often include license agreements and end-user agreements for software products.

4. E-Mail Contracts: E-mail contracts are formed through electronic communication exchanged between parties via email. While the formalities of contract formation may vary, the essential elements of offer, acceptance, and consideration must be present for a valid contract to be formed. E-mail contracts are common in business transactions, negotiations, and informal agreements.

5. Electronic Data Interchange (EDI): Electronic Data Interchange (EDI) involves the electronic exchange of business documents, such as purchase orders, invoices, and contracts, between trading partners. EDI facilitates the automation of business processes and transactions, allowing parties to conduct transactions electronically without the need for paper-based documentation. EDI contracts are governed by specialized legal frameworks and industry standards.

Formation Of E-Contracts: In the digital age, the formation of electronic contracts (e-contracts) involves unique considerations and mechanisms. This section explores the

key aspects of e-contract formation, including electronic signatures, automated systems, and the use of standard terms and conditions.

1. Electronic Signatures: Electronic signatures play a pivotal role in the formation of e-contracts, serving as a digital equivalent to handwritten signatures. The use of electronic signatures allows parties to indicate their consent to the terms of a contract without the need for physical presence or paper documentation. Various forms of electronic signatures exist, ranging from simple scanned signatures to advanced cryptographic techniques.

Types of Electronic Signatures:

- **Simple Electronic Signatures:** These are basic electronic representations of a person's signature, such as typing one's name or using a stylus to sign on a touchscreen device.
- **Advanced Electronic Signatures (AES):** AES are more sophisticated and secure forms of electronic signatures that use cryptographic techniques to verify the identity of the signer and ensure the integrity of the signed document.
- **Qualified Electronic Signatures (QES):** QES are a specific type of advanced electronic signature that meets certain legal requirements and is granted a higher level of legal recognition and presumption of validity.

Legal Recognition of Electronic Signatures:

- Many countries have enacted legislation or adopted international conventions to provide legal recognition and validity to electronic signatures. For example, in the United States, the Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) and the Uniform Electronic Transactions Act (UETA) establish the legal equivalence of electronic signatures with handwritten signatures in most transactions.

2. Automated Systems and Contract Formation: In some cases, contracts may be formed through automated systems or processes without direct human involvement. Automated contract formation mechanisms, such as online platforms, chatbots, and smart contracts, enable parties to negotiate, agree to, and execute contracts in a streamlined and efficient manner.

Key Aspects of Automated Contract Formation:

- **Algorithmic Decision-Making:** Automated systems may use algorithms to generate contract terms, assess risks, and facilitate negotiations between parties.
- **Conditional Logic:** Smart contracts, powered by blockchain technology, can execute predefined actions automatically based on predefined conditions or triggers, such as payment upon delivery of goods or completion of services.
- **Legal and Ethical Implications:** The use of automated systems in contract formation raises important legal and ethical questions, including issues related to accountability, transparency, and the potential for algorithmic bias or discrimination.

3. Standard Terms and Conditions: Many e-contracts incorporate standard terms and conditions that govern the rights and obligations of the parties. Standard terms are pre-drafted provisions that are typically included in contracts by one party and presented to the other party on a take-it-or-leave-it basis. These terms often cover a wide range of issues, including payment terms, delivery arrangements, dispute resolution mechanisms, and liability limitations.

Challenges and Considerations:

- **Unilateral Nature:** Standard terms are often drafted by one party and may contain terms that are more favorable to that party's interests, raising concerns about fairness and inequality of bargaining power.
- **Readability and Accessibility:** Standard terms are sometimes lengthy and complex, making them difficult for parties to understand fully. Ensuring that standard terms are presented in a clear and accessible manner is essential to promoting transparency and informed decision-making.
- **Enforceability:** Courts may scrutinize standard terms for unconscionability or unfairness, particularly if they are found to be oppressive or one-sided. Drafting standard terms that are reasonable and conscionable can enhance their enforceability and validity.

LEGAL REGULATION OF E-CONTRACTS: The legal regulation of electronic contracts (e-contracts) in India is governed by a combination of statutes, including the Indian Contract Act, 1872, the Information Technology Act, 2000, and the Indian Evidence Act, 1872. This section explores the provisions and implications of these laws in the context of e-contracts.

1. Indian Contract Act, 1872: The Indian Contract Act, 1872 (ICA) is the primary legislation governing contracts in India, including electronic contracts. While the ICA predates the digital era, its provisions are applicable to e-contracts, subject to certain adaptations and interpretations in light of technological advancements.

Key Provisions Relevant to E-Contracts:

- **Offer and Acceptance (Sections 2 and 7):** The ICA defines the essentials of a valid contract, including offer and acceptance. In the context of e-contracts, communication of offer and acceptance through electronic means is considered valid, provided it meets the requirements of the law.
- **Consideration (Section 25):** Consideration is a fundamental requirement for the validity of a contract. In e-contracts, consideration may take various forms, including monetary payments, goods, or services exchanged electronically.
- **Capacity (Sections 10 and 11):** The ICA specifies the capacity of parties to enter into contracts, including minors, persons of unsound mind, and those disqualified by law. While electronic contracts are generally enforceable regardless of the medium of communication, issues of capacity may arise in certain cases.
- **Legality (Section 23):** Contracts that are unlawful or

against public policy are void. E-contracts must comply with the legal requirements and regulations applicable to the subject matter of the contract.

2. Information Technology Act, 2000: The Information Technology Act, 2000 (IT Act) is the principal legislation regulating electronic transactions and e-commerce in India. It provides legal recognition and validity to e-contracts and electronic signatures and establishes mechanisms for their enforcement.

Key Provisions Relevant to E-Contracts:

- **Legal Recognition of E-Contracts (Section 10A)³:** The IT Act recognizes electronic contracts formed through electronic means as legally valid and enforceable, subject to certain conditions. These include the use of electronic signatures and compliance with prescribed procedures for authentication.
- **Electronic Signatures (Sections 2(1)(ta) and 3)⁴:** The IT Act provides for the legal recognition and validity of electronic signatures, including digital signatures. It establishes the Controller of Certifying Authorities (CCA) to regulate the issuance and management of digital certificates for electronic signatures.
- **Electronic Records (Section 2(1)(t))⁵:** E-contracts are deemed to be electronic records under the IT Act. This provision ensures that electronic records have the same legal status as paper-based records in legal proceedings.
- **Liability of Intermediaries (Section 79)⁶:** The IT Act provides a safe harbor for intermediaries, such as internet service providers and e-commerce platforms, from liability for the content or actions of users. This provision promotes the growth of e-commerce and electronic transactions by shielding intermediaries from legal risks.

3. Indian Evidence Act, 1872: The Indian Evidence Act, 1872 (IEA) governs the admissibility and proof of electronic records and electronic contracts in legal proceedings.

Key Provisions Relevant to E-Contracts:

- **Admissibility of Electronic Records (Section 65B):** Section 65B⁷ of the IEA specifies the conditions for the admissibility of electronic records as evidence in court. It requires electronic records to be accompanied by a certificate issued by a person in charge of the electronic record, confirming its authenticity and integrity.
- **Presumption as to Electronic Signatures (Section 85A):** Section 85A⁸ of the IEA creates a presumption that electronic signatures appearing on electronic records are genuine and have been affixed by the person by whom they purport to have been affixed. However, this presumption is rebuttable, and the authenticity of electronic signatures may be challenged in court.

In various legal proceedings, courts have addressed different aspects of e-contracts, setting precedents and introducing new perspectives on this matter. For instance, in the case of **Bhagavandas Kedia vs. Girdharilal**⁹, the Supreme Court of India, drawing from the judgment in **Entores vs. Miles Far East Corporation**¹⁰, established

that a contract reaches completion only when the offeror receives acceptance of their offer.

Similarly, in **Quadricon Pvt. Ltd. vs. Bajarang Alloys Ltd.**¹¹, the Bombay High Court equated fax communication to Telex, ruling that the contract is finalized only upon the offeror's receipt of the acceptance.

INTERNATIONAL CONVENTIONS ON E-CONTRACTS:

In the globalized digital economy, electronic contracts (e-contracts) are increasingly prevalent, transcending national borders and facilitating cross-border transactions. To address the legal challenges and promote harmonization in the regulation of e-contracts, several international conventions and initiatives have been established. This section explores key international conventions on e-contracts and their implications for international commerce.

1. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL):

UNCITRAL has played a central role in developing international conventions and model laws to promote the harmonization and modernization of international trade law, including the regulation of e-contracts. The following UNCITRAL instruments are relevant to e-contracts:

- **UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce¹²:** Adopted in 1996 and subsequently amended in 2001, the Model Law provides a comprehensive legal framework for electronic commerce, including the formation and validity of e-contracts, electronic signatures, and the admissibility of electronic records as evidence in legal proceedings. The Model Law serves as a guide for countries seeking to harmonize their laws governing e-commerce and electronic transactions.

- **UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures:** Adopted in 2001, the Model Law on Electronic Signatures complements the Model Law on Electronic Commerce by providing specific rules and standards for the use of electronic signatures in electronic transactions. The Model Law promotes the legal recognition and validity of electronic signatures and establishes mechanisms for their authentication and verification.

2. Hague Conference on Private International Law

The Hague Conference on Private International Law has developed international conventions addressing various aspects of private international law, including jurisdiction, recognition, and enforcement of judgments, and the use of electronic documents in international trade. The following Hague Conventions are relevant to e-contracts:

- **Hague Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities Held with an Intermediary:** Adopted in 2006, the Convention addresses conflict-of-law issues arising from the use of intermediaries in electronic securities transactions. It provides rules for determining the applicable law governing the rights and obligations of parties in cross-border securities transactions involving intermediaries.

3. International Chamber of Commerce (ICC): The

International Chamber of Commerce (ICC) has developed guidelines, rules, and standards to facilitate international trade and commerce, including the use of electronic contracts and electronic signatures. The following ICC instruments are relevant to e-contracts:

- **ICC Model Contract for the Sale of Goods (ICC Model):** The ICC Model Contract provides a standardized framework for the sale of goods in international transactions, including provisions related to electronic communications, electronic signatures, and the formation and enforcement of e-contracts. The Model Contract is widely used by businesses and legal practitioners to facilitate international trade and mitigate risks in cross-border transactions.

Case Studies And Examples: This section delves into real-world examples and case studies that demonstrate the practical application of electronic contracts (e-contracts) across different industries. By examining these cases, we can gain insights into the challenges, opportunities, and legal considerations involved in e-contracting practices.

1. E-Contracting in E-Commerce Platforms:Case Study: Amazon's Terms of Service: Amazon, one of the world's largest e-commerce platforms, relies heavily on electronic contracts to govern its relationships with customers and third-party sellers. Amazon's Terms of Service, accessible to users during account registration and checkout, constitute a binding e-contract that outlines the rights, obligations, and dispute resolution mechanisms for parties engaging with the platform. By analyzing Amazon's e-contracting practices, we can explore the role of standard terms and conditions, clickwrap agreements, and dispute resolution mechanisms in the context of online transactions.

2. E-Contracts in Software Licensing:Case Study: Microsoft End-User License Agreement (EULA)¹³ : Software companies often use electronic contracts to license their products to end-users. Microsoft's End-User License Agreement (EULA) is a prominent example of an e-contract governing the use of software applications such as Microsoft Office and Windows operating systems. By examining the terms and conditions of Microsoft's EULA, including provisions related to licensing, intellectual property rights, and limitations of liability, we can analyze the legal and practical implications of e-contracts in the software industry.

3. E-Contracting in Financial Services:Case Study: Online Banking Agreements: Financial institutions increasingly rely on electronic contracts to facilitate banking services, including online banking, mobile banking, and electronic funds transfers. Online banking agreements, presented to customers upon account opening or through digital channels, govern the terms of use, security procedures, and liability provisions for online banking services. By studying online banking agreements from leading financial institutions, we can explore the legal and regulatory requirements, security protocols, and consumer protection measures associated with e-contracting in the

financial services sector.

4. Legal Cases and Precedents:Case Study: ProCD, Inc. v. Zeidenberg (1996): ProCDInc. v. Zeidenberg¹⁴ is a landmark U.S. legal case that established the enforceability of shrinkwrap agreements, where the terms and conditions of a contract are presented to the buyer inside the product packaging. In this case, the court held that by opening the shrinkwrap packaging of a software product, the buyer implicitly agreed to the terms of the license agreement printed inside, thereby forming a binding contract. This case illustrates the judicial recognition of e-contracts and their enforceability, setting a precedent for future cases involving electronic transactions.

Proposed Regulatory Framework : Given the dynamic nature of E-Contracts and their growing impact on various sectors, a forward-looking regulatory framework is essential. The following recommendations offer a roadmap for policymakers:

i. Dynamic Regulatory Adaptation: Regulators should adopt a dynamic approach, continuously reassessing and adapting regulations to keep pace with technological advancements. Regular dialogues between regulatory bodies, industry stakeholders, and technological experts can foster a responsive regulatory environment.

ii. International Collaboration: Recognizing the cross-border nature of E-Contracts, international collaboration is imperative. Harmonizing regulatory standards and fostering cooperation among regulatory bodies can create a unified approach, minimizing regulatory arbitrage and promoting global acceptance.

iii. Privacy and Data Protection Guidelines: As E-Contracts increasingly involve personal and sensitive data, comprehensive guidelines for privacy protection should be established. Regulators should work in tandem with technologists to strike a balance between data privacy and the transparency inherent in blockchain technology¹⁵.

iv. Consumer Education and Protection: Given the complexity of E-Contracts, consumer education initiatives are crucial. Regulators should invest in awareness programs to empower users with the knowledge required to navigate and engage safely with E-Contracts. Simultaneously, robust consumer protection measures should be implemented to address potential risks¹⁶.

v. E-Contract Audits: Implementing mechanisms for E-Contract audits can enhance security and reduce vulnerabilities. Regulators can encourage or mandate independent audits of E-Contracts before deployment, fostering a safer and more reliable ecosystem¹⁷.

Conclusion: The research paper has provided a comprehensive exploration of electronic contracts (e-contracts) and their legal implications in the modern digital landscape. Through an examination of the historical background, jurisprudential aspects, legal regulation, international conventions, and practical considerations surrounding e-contracts, several key findings and insights

have emerged. Firstly, the evolution of contracts from traditional paper-based agreements to electronic transactions highlights the transformative impact of technology on commercial interactions. E-contracts have emerged as essential tools in facilitating global commerce, offering efficiency, accessibility, and convenience to businesses and individuals alike. Secondly, the legal framework governing e-contracts encompasses a complex interplay of statutes, regulations, case law, and international conventions. In jurisdictions around the world, laws such as the Indian Contract Act, 1872, the Information Technology Act, 2000, and international instruments like the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce provide the legal basis for the formation, validity, and enforcement of e-contracts. Thirdly, the jurisprudential aspects of contract law, including rights and duties, theories of contract, and the validity of agreements, shape the interpretation and application of e-contracts in legal practice. Understanding these foundational principles is essential for ensuring fairness, equity, and legal certainty in electronic transactions. Furthermore, international conventions such as those developed by UNCITRAL, the Hague Conference on Private International Law, and the International Chamber of Commerce play a crucial role in promoting harmonization and legal certainty in cross-border transactions, contributing to the growth and development of global e-commerce.

In conclusion, while e-contracts offer numerous benefits in terms of efficiency and accessibility, they also present unique challenges and legal considerations that must be addressed. By navigating the complexities of e-contracts with a nuanced understanding of the legal framework, practical implications, and international standards, businesses, legal practitioners, and policymakers can harness the full potential of electronic transactions while ensuring compliance with legal requirements and safeguarding the integrity of commercial relationships in the digital age.

References:-

1. Indian Contract Act, 1872. (1872). Retrieved from <https://ddashboard.legislative.gov.in/actsofparliamentfromtheyear/indian-contract-act-1872>
2. Information Technology Act, 2000. (2000). Retrieved from https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/13116/1/it_act_2000_updated.pdf
3. The Indian Evidence Act, 1872. (1872). Retrieved from https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15351/1/iea_1872.pdf
4. United Nations Commission on International Trade Law. (1996). UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Retrieved from https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce
5. United Nations Commission on International Trade Law. (2001). UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures.
6. Hague Conference on Private International Law. (2006). Hague Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities Held with an Intermediary. Retrieved from <https://assets.hcch.net/docs/d1513ec4-0c72-483b-8706-85d2719c11c5.pdf>
7. International Chamber of Commerce. (n.d.). ICC Model Contract for the Sale of Goods. Retrieved from <https://iccwbo.org/business-solutions/model-contracts-clauses/icc-model-international-sale-contra>
8. Ministry of Law and Justice, Government of India. (n.d.). Indian Easement Act, 1882.
9. Supreme Court of India. (1996). ProCD, Inc. v. Zeidenberg, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996).

Footnotes:-

1. A. Antonopoulos, "Mastering Ethereum: Building E-Contracts and DApps" (O'Reilly Media, 2018).
2. Indian contract Act, 1872.
3. Section 10A, Information Technology Act, 2000.
4. Section 2(1)(ta), Section 3, Information Technology Act, 2000.
5. Section 2(1)(t), Information Technology Act, 2000.
6. Section 79, Information Technology Act, 2000.
7. Section 65B, Indian Evidence Act, 1872.
8. Section 85A, Indian Evidence Act, 1872.
9. AIR 1966 SC 543: 1966 (1) SCR 666.
10. 1955 (2) QB 327.
11. 1955 (2) QB 327.
12. https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-04970_ebook.pdf visited on 24th April, 2024.
13. https://download.microsoft.com/documents/useterms/visual%20studio%20.net%20professional_2003_english_be8aa149-b0fd-494d-a902-07fdb2007b90.pdf visited on 24th April, 2024.
14. 86 F.3d 1447 (7th Cir., 1996).
15. European Data Protection Board (EDPB), "Guidelines 07/2020 on the Concepts of Controller and Processor in the GDPR" (2020).
16. S. R. Allen, "Blockchain & Cryptocurrency Regulation in the United States" (The Law Library of Congress, 2018).
17. Ethereum Foundation, "E-Contract Security Best Practices" (2021).

A Study of The Phenomena of Action, Meditation and Liberation in Early Buddhism

Dr. Punit Kumar Pandya* Mr. Karmveer Singh Bhati**

*Asst. Professor (Education) JRN Rajasthan Vidyapeeth (Deemed to be University), Udaipur (Raj.) INDIA
** Research Scholar (Education) JRN Rajasthan Vidyapeeth (Deemed to be University), Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - To be is to act and to act is to be. Our being is very much constituted by the way we act and live. If one is stealing, then he is a thief. If one is teaching, he is a teacher. Buddhism upholds the view that our action determines what we are. Our suffering and the happiness are very much results of our actions. This doctrine seems to us a truism, a self-explanatory doctrine. We generally believe that good action results in happiness and bad action results in suffering. But this is not accepted by several thinkers at the time of Buddha. In the Sâmaññaphalasutta of Dîgh-nikâya there is a discussion of the view of MaEkhalîGoshalaka, who is a determinist (niyativâdî) and upholds the view that it is wrong to believe that good conduct will lead to our desired results. There is no cause of the purity or impurity of living beings. Good and Bad acts do not affect our destiny. Any living being is purified only by passing in the cycle of 84000 Mahâkalpath through the various forms of life. Buddha opposed such types of view and advocated the middle path. The middle path is the path of Noble Eightfold Path, namely right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration. It is the path based on the truth that our destiny is determined by our good action or bad action.

Any action performed by us has two aspects inner and outer. The outer aspect is determined by our behavior and inner aspect by our good or bad thought or desire. Suppose we want to abuse someone but I am not abusing, because his bodily strength is superior to mine. Here outer aspect, the speech act is good but inner aspect is bad. This action, according to Buddhism, is not perfectly good because inner aspect is defective. A good action must be non-defective in inner as well as in outer forms. In order to perform such actions, a mental training is also necessary which is covered by Buddhist Way of meditation. A discussion of action will be incomplete without the discussion of the goal of action and life. Nibbâna is the goal of life. In order to cover all these points, we have made an effort, in the present thesis to study the phenomena of action, meditation and liberation.

Keywords: liberation, meditation.

Introduction - To be is to act and to act is to be. Our being is very much constituted by the way we act and live. If one is stealing, then he is a thief. If one is teaching, he is a teacher. Buddhism upholds the view that our action determines what we are. Our suffering and the happiness are very much results of our actions. This doctrine seems to us a truism, a self-explanatory doctrine. We generally believe that good action results in happiness and bad action results in suffering. But this is not accepted by several thinkers at the time of Buddha. In the Sâmaññaphalasutta of Dîgh-nikâya there is a discussion of the view of MaEkhalîGoshalaka, who is a determinist (niyativâdî) and upholds the view that it is wrong to believe that good conduct will lead to our desired results. There is no cause of the purity or impurity of living beings. Good and Bad acts do not affect our destiny. Any living being is purified only by passing in the cycle of 84,000 Mahâkalpa through the various forms of life. Buddha opposed such types of view

and advocated the middle path. Allan R. Bomhard, his working The life and teachings of the Buddha according to the oldest texts. Refers to the meaning of the middle path that "The middle path is the path of Noble Eightfold Path, namely right understanding, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration. It is the path based on the truth that our destiny is determined by our good action or bad action". Every action performed by us has two internal and external aspects. The external aspect is determined by our behavior and the internal aspect by our good or bad thinking or desire. Suppose we want to abuse someone but I'm not abusing, because his body strength is greater than mine. Here, the external aspect, the vocal act is good, but the internal aspect is bad. This action, according to Buddhism, is not perfectly good because the internal aspect is defective. A good deed must be nondefective in internal and external forms. To perform such actions, mental training is also required and

is covered by the Buddhist form of meditation. An action discussion will be incomplete without action and discussion of life's goals. Nibbāna is the goal of life. To cover all these points, in this thesis we have made an effort to study the phenomena of action, meditation and liberation.

Chanchamnong Suwat, in his work *The Buddha's Core Teachings* content that Buddhism is known for the doctrine of Kamma. Buddhism takes Kamma (Pāli) or Karma (Sanskrit) as the cause of verities and operations pervading the world. The doctrine of Kamma is based on the doctrine of dependent origination. (Pratītya-samutpāda). It also governs the law of morality, which asserts that an intentional action will lead to a result proportionate in the nature and intensity to its intention. Right deeds are those which are based on skillful or wholesome (Kusala) actions and non-right deeds are those which are based on unskillful or unwholesome (Akusala) action. A skillful deed produces a result which is desirable, good, and happy while an unskillful deed brings about just the opposite. The word 'Kamma' or action is a neutral term represents the good deeds and bad deeds, if the good action is well known as 'a meritorious action' on the other hand if the bad action is called 'an evil action'. In Tripitaka, the Buddha has said that the action consists of intention only has called Kamma (Chetanāha Abhikkhave kamma Avadāmi).

Review of literature:

Prof. Thinnaphan Nagata "Buddhism and Thai Society," book published in 1984 A.D.

He wrote that the monk is respected by the people, because he gives suggestion and helps them solve their daily problems of rural community. The monk is highly respected because people believe that monk is a person who has spiritual understanding. Sometimes he has to be an engineer and he also has to do the work by himself. Therefore, monks always help and solve the problems of society. We have seen the value and necessity of two institutions namely, temple and monk.

Phra Methidhammaporn "Thai Monks Regulations B.E. 2505," book published in 1993 A.D.

The author writes that it is very necessary to make a plan of new reconstruction with the comprehensive interrelation of environmental development, ecological continuity and serene house complex. And its location is on both state and private land. This showed that the monk's role on these works had been considered by the King. On the maintenance work, precautions are essential which all the monks have to take to consideration. This is the most severe unawareness of the monk's role on their own responsibilities. And it might be called the National disaster.

Amarnath Thakur "Buddha and Buddhist Synods in India and Abroad," book published in 1996 A.D.

This book explains the various Buddhist synods which were held so far. An endeavor has been made to present, historically, all the aspects of each synod, its purpose, result and contribution to the cause of Buddhism. The first chapter

deals with the life of Buddha and throws light on the contemporary religious condition. In the next four chapters, the details of the four synods, held in India, are mentioned. The next three chapters contain the description of the councils held in Ceylon. The last 10 two chapters deal with the councils which took place in Thailand and Myanmar.

Research Objective:

1. To study the nature and types of action (kamma) in early Buddhism
2. To study the nature and types of meditation in early Buddhism
3. To study the nature and types of Nibbāna in early Buddhism

Research hypotheses: Everlasting peace in human society is very much needed today. Any type of progress either material or spiritual is not possible without peace. Some human beings are involved in bad actions, engaging fully in terrorist activities and threatening the world peace. Buddhist philosophy of Action, Meditation and Liberation may prepare an atmosphere for discouraging bad actions because bad actions are cause of bondage and suffering. Liberation is necessary not only for securing individual liberation from bondage and suffering but also for realizing world peace which is very much needed in our age.

Research methodology: We should try to present our view by reviewing following materials:

1. Information gathered from Tripitaka.
2. Information gathered from other Pāli texts like Visuddhimagga etc.
3. Information collected from writings, books, journals, articles of scholars of Buddhism.
4. Our own thesis presentation by reviewing digesting the above materials.

Scope of the Study: We believe that the scope of the study is very bright because there are many philosophies which are favoring the phenomena of bad actions. We are attempting in a humble way to deny such type of philosophies so that the importance of good actions can be realized for the progress and happiness of humanity. The scope of the study is co-terminus with happiness and peace of humanity.

Conclusion:

1. Actions done without intention are not considered as Kamma, because Kamma emphasizes on the motive or intention not on the deed itself.
2. The wholesome or unwholesome Kammās are performed through three channels (dvara) which are; the door of the body (kāya kamma), the door of the word (vacikamma) and the door of the mind (mano kamma). Although kamma are done through manas, but they all manifest through these three doors.
3. Kamma determines the nature of the new birth and the circumstances in which it takes place; that is, it determines rebirth, as well as the plans of existence

- for birth to take place.
4. The four bases of awareness concern NîvaraGa, khandhâ, âyatana and saccâ.
 5. Everyone has the opportunity to realize the ultimate truth of nature and progress towards the wisdom and purification of the mind in current life.
 6. It is shown that the development of vision (vipassanâ) based on the four foundations of awareness taught by the Buddha is the primary way to help everyone achieve the ultimate goal of Buddhism.
 7. Nibbâna is a state beyond space (position) and time (duration), beyond the scope of language and empirical determinations. It is the end of Kamma and rebirth, the cessation of suffering, the end of the process of becoming (saAsâra). Nibbâna is positively conceived as the declaration of eternal peace and highest happiness.
 8. There are four kinds of development, namely, (i)

physical development (kâya-bhâvanâ), (ii) moral development (sîla-bhâvanâ), (iii) emotional development (citta-bhâvanâ) and (iv) intellectual development (paññâ-bhâvanâ).

References:-

1. The Book of the Discipline. I. B. Horner, vol V, London: Pali Text Society, 1952.
2. Dhammapadamhakkathâ ed. H.C. Norman, 5 vols., London: Pali Text Society, 1906-1915.
3. E. M. Hare. AEguttara-nikâya: The Book of the Gradual Sayings. vol IV, London: The Pali Text Society, 1978.
4. T. W. and C. A. F. Rhys Davids, Dîghanikâya: Dialogues of the Buddha. vol II, LUZAC & Company, 1959.
5. Vibhanga.ed. C.A.F. Rhys Davids. London: Pali Text Society, 1904.
6. The Book of Analysis, tr. U. Thittila. London: Pali Text Society, 1969.

Different Learning Styles as the Method of Addressing Individual Child Needs

Manasvi Tungare Jaiswal*

*M.Ed. 1st Sem, Maharaja College, Ujjain (M.P.) INDIA

Introduction - It is rightly said by Matshona Dhlwayo that “A garden’s beauty never lies in one flower” even it is true in the context of a classroom. A classroom consists of variety of students. It is difficult to address and explain these diversified students. Diverse needs of learners, matching instructions for diverse learning styles can be difficult. In earlier times it was more difficult because of the use of traditional method for teaching but now-a-days various teaching and learning styles are practiced while teaching. These styles help in fulfilling basic needs of all students. Reaching all students with a variety of learning styles is necessary for full academic growth.

The term “learning styles” speaks to the understanding that every student learns differently. Technically, an individual’s learning style refers to the preferential way in which the student absorbs, processes, comprehends and retains information. For example, when learning how to make the abacus, some students understand the process by following verbal instructions, while others have to physically manipulate the abacus themselves. This notion of individualized learning styles has gained widespread recognition in education theory and classroom management strategy. Individual learning styles depend on cognitive, emotional and environmental factors, as well as one’s prior experience. In other words: everyone’s different. It is important for educators to understand the differences in their students’ learning styles, so that they can implement best practice strategies into their daily activities, curriculum and assessments.

Over the past century, much interest in the subject of Psychology has been around education. This is important to conduct proper research on different learning styles and to better identify how people can learn best. Many theorists projected their ideas on understanding different learning styles.

One of the most prominent was developed by Neil Fleming in 1987. He set out to help students and teachers adapt their practices to better help them retain new information. Named the VARK Model of learning, Fleming theorized that we are all one of the four main types of

learners: visual, auditory, reading/writing and kinesthetic. Individuals are identified by the style they identify with the most when learning. The VARK model acknowledges that students have different approaches to how they process information, referred to as “preferred learning modes.”

Information that is accessed through students’ use of their modality preferences shows an increase in their levels of comprehension, motivation, and metacognition. Identifying your students as visual, auditory, reading/writing, kinesthetic, learners, and aligning your overall curriculum with these learning styles, will prove to be beneficial for your entire classroom. Keeping in mind, sometimes you may find that it’s a combination of all three sensory modalities that may be the best option. Allowing students to access information in terms they are comfortable with will increase their academic confidence. By understanding what kind of learner you or your students are, you can now gain a better perspective on how to implement these learning styles into your lesson plans and study techniques

1. Visual Learners: Visual Learners understand and retain information best by seeing. They would prefer to see information presented in a visually appealing way, rather than in a written format. Individuals that learn in this way tend to pay close attention to detail and body language and often imagine situations in their mind to help them process the information better; similar to how designers use visual hierarchy to emphasize specific design elements, visual learners thrive with clear pictures of information hierarchy. They retain information best by viewing pictures or images and respond well to colors and mind maps.

In terms of learning, graphic displays are most effective for visual learners. Some of these include:

- i. Charts, illustrations, graphs and diagrams
- ii. Animated videos, documentaries and other learning shows.
- iii. Paper hand-outs with lots of images.
- iv. Demonstrations
- v. Color-coded notes, incorporated with plenty of white space etc.

2. Aural Learners : Aural learners tend to learn information

best by hearing it rather than getting actively involved in class or writing out notes, they prefer to listen to others present the information and then are usually able to recite back to them. This is usually through the format of conversation, but can also include recordings and music. Some learners also find that reading information out loud to themselves can help them recall it better. Because of the need for auditory learners to listen intently to lectures or information, it's vital that they are able to study in a quiet environment, away from distractions and any other noises which could distract or disrupt their learning. They best understand new content through listening and speaking in situations. Aural learners use repetition as a study technique and benefit from the use of mnemonic devices. Some of the best ways to study which could benefit the aural learners include:

- i. Lectures or large classroom environments where tutors present information.
- ii. Transcribing hand written notes into recordings.
- iii. Listening to podcasts, audio books or class recordings
- iv. Personal one-to-one tutoring where new information can be talked through.

3. Reading And Writing Learners: There are always some students who have beautifully hand written, colour coded notes that have been divided perfectly topic by topic, such students benefit from writing new information. Tend to take in new information best when it's displayed as words and text. They'll often produce lists, read definitions and enjoy summarizing information in ways that best make sense to them. Students with a strong reading/writing preference learn best through words. These students may present themselves as copious note takers or avid readers, and are able to translate abstract concepts into words and essays. They best remember new information by:

- i. Reading textbooks and summarizing with notes.
- ii. Writing notes in class and highlighting important detail.
- iii. Creating presentations.
- iv. Story writing and getting creative with their notes.

4. Kinesthetic Learners: This type of individuals learns best by practically touching and doing things. Hands-on experience is an important component for kinesthetic learners, who have a "trial and error" approach to their learning. They enjoy having physical practice and directly manipulating objects and materials to better understand how it works. They enjoy and thrive at more practical based subjects, such as Arts Sports and Design and Technology. They understand information through tactile representations of information. These students are hands-on learners and learn best through figuring things out by hand (i.e. understanding how a clock works by putting one together). Taking a physically active role, kinesthetic learners are hands-on and thrive when engaging all of their senses during course work. These learners tend to work well in scientific studies due to the hands-on lab component of the course. Some of the best ways to study which could

benefit the kinesthetic learners include:

- i. Role playing, using things like flashcards or carrying out the action physically can help them learn things better.
- ii. Using real life examples, applications and case studies.
- iii. Redo lab experiments or projects.
- iv. Utilize pictures and photographs that illustrate your ideas.

In addition to the 'VARK' model of different styles of learning, some more categories of learners are included with these four types of learners. All of the styles capture an individual strength that likely helps a person retain information more effectively. They each focus on one of the five senses or involve a social aspect. This theory is popular because, by finding an individual learner's style and tailoring teaching to it, it was thought their efficiency could be improved. The types of different styles of learning are: Visual, Auditory, Verbal (Reading/Writing), Physical (Kinesthetic), Logical, Social, Solitary (Intrapersonal)

Logical : Logical, or mathematical learners use logic and structures in order to learn effectively. They use analytical skills to understand a certain subject. Logic, order and steps are the keys to success for logical learners. Such people are good with numbers, easily make connections and can spot patterns. Such learners can examine cause and effect and comprehend abstract material with ease. They make well-organized lists and groups of information. They are good at chess style games. In terms of learning, they may get involved when

- i. Questions are posed in such a way which needs interpretation.
- ii. Providing lessons that enable them to solve issues.
- iii. Pushing such learners to reach conclusion based on facts or reasoning.

Social : Due to preference for spending much time with others, social learners are frequently viewed as social butterflies. Such learners prefer group projects and teamwork activities since peer interaction helps children understand a subject more thoroughly, so they find it enjoyable. They gain knowledge by engaging with others. They are good in reading others' emotions and facial expressions. Majority of such learners excel at both verbal and non-verbal communication. They frequently have a good ear for listening and are good advisors. Such learners can learn more effectively by:

- i. Participating in study activities with other people such as quizzing each other or having a study group.
- ii. Engaging in role plays.
- iii. Asking them to bounce ideas off of each other and come their ideas with others.
- iv. Including them in group projects or assignments.

Solitary : Solitary or Intrapersonal learners are exactly opposite to that of social learners. These learners want to work independently and employ self-study. They have keen awareness of their emotions, personalities and strengths.

They spend a lot of time reflecting on themselves and improving themselves. Such learners should be provided with calm and silent environment. They work best by:

- i. Making notes and reciting them back.
- ii. Single student activities or experiments.
- iii. Silent or independent reading.

Understanding learners learning styles is crucial since it can increase their chances of academic success.

Teaching students according to their specific learning styles will result in improved learning. As rightly quoted by Robert John Meehan that "Every child has a different learning style and pace. Each child is unique, not only capable of learning but also capable of succeeding."

Reference:-

1. Personal Research

Information and Communication Technology as Pedagogy For Effective Teaching

Rozina William*

*M.Ed Student, Maharaja College, Ujjain (M.P.)INDIA

Introduction - In the rapidly evolving landscape of education, the role of Information and Communication Technology (ICT) has emerged as a transformative force, redefining the dynamics of teaching and learning. The integration of ICT as a pedagogical tool holds the promise of revolutionizing traditional educational paradigms, offering new avenues for effective teaching and enhanced student engagement. As we navigate the digital age, the amalgamation of advanced technologies into pedagogy not only addresses the evolving needs of learners but also opens up a realm of possibilities for educators to craft dynamic and immersive learning experiences. This essay explores the profound impact of Information and Communication Technology as a pedagogical approach, delving into its potential to reshape education, foster interactive learning environments, and ultimately contribute to the cultivation of a generation adept at navigating the complexities of the 21st century.

Advantages of ICT Enabled Learning in Education

Enhanced Learning Resources: ICT provides teachers with a vast array of digital resources that can enrich the learning experience. Multimedia presentations, interactive simulations, and online databases offer a diverse range of materials, catering to different learning styles. This abundance of resources empowers educators to create engaging and dynamic lessons that capture students' attention and foster a deeper understanding of the subject matter.

Global Connectivity and Collaboration: The advent of the internet and communication technologies has virtually eliminated geographical barriers, allowing students to connect and collaborate with peers, experts, and resources worldwide. Virtual classrooms, video conferencing, and collaborative online platforms facilitate real-time interactions, promoting a global perspective and enhancing students' ability to work effectively in a connected world.

Personalized Learning: ICT enables personalized learning experiences tailored to individual student needs. Educational software and platforms can adapt to students' pace, providing additional support or challenges as

necessary. This adaptability caters to diverse learning abilities and ensures that each student can progress at their own rate, fostering a more inclusive and effective learning environment.

Interactive Teaching Methods: Interactive whiteboards, educational apps, and virtual simulations allow teachers to create dynamic and interactive lessons. This departure from traditional teaching methods not only captures students' interest but also promotes active participation and hands-on learning. This shift towards interactivity enhances comprehension and retention of information, making the learning process more effective.

Real-World Application of Knowledge: ICT facilitates the integration of real-world scenarios into the classroom, bridging the gap between theoretical concepts and practical application. Virtual laboratories, simulations, and online case studies enable students to apply their knowledge in simulated real-world contexts, preparing them for the challenges they may face in their future careers.

Continuous Assessment and Feedback: Digital assessment tools and learning management systems streamline the evaluation process. Teachers can administer assessments, track progress, and provide timely feedback more efficiently. This continuous feedback loop enhances the learning experience, allowing students to identify areas of improvement and reinforcing positive learning outcomes.

Challenges in the integration of Information and Communication Technology: The integration of Information and Communication Technology (ICT) in education in India faces several challenges that impact its effectiveness as a pedagogical tool. These challenges are multifaceted and encompass various aspects of the educational system. Here are some key challenges:

Infrastructure and Connectivity Issues:

i. **Uneven Distribution:** Disparities exist in the distribution of ICT infrastructure, with urban areas having better access compared to rural regions. This inequality hampers the uniform implementation of technology in education across the country.

ii. **Inadequate Internet Connectivity:** Many schools, es-

pecially in remote areas, lack reliable internet connectivity. This limitation hinders access to online resources, collaborative learning platforms, and other internet-dependent educational tools.

Digital Divide:

- i. Socioeconomic Disparities: Students from lower socioeconomic backgrounds may not have access to personal computers, tablets, or smartphones, leading to a digital divide. This gap in access to technology exacerbates educational inequalities.
- ii. Limited Access to Devices: Even when schools have ICT infrastructure, the availability of devices for each student may be limited. This constraint restricts the scope of personalized learning and inhibits students from developing essential digital skills.

Teacher Training and Readiness:

- i. Lack of Digital Literacy: Many teachers may not be adequately trained in using ICT tools for teaching. The absence of digital literacy skills among educators hinders their ability to effectively integrate technology into the curriculum.
- ii. Resistance to Change: Some teachers may resist incorporating technology due to a fear of obsolescence, a lack of confidence, or a preference for traditional teaching methods. Overcoming this resistance requires comprehensive training and support.

Curricular Challenges:

- i. Outdated Curriculum: The curriculum in many schools may not be designed to incorporate the latest technological advancements. Outdated content can impede the seamless integration of ICT, as the curriculum may not align with the skills demanded by the digital age.
- ii. Assessment Methods: Traditional assessment methods may not be suitable for evaluating the effectiveness of ICT-based learning. There is a need for innovative assessment strategies that align with technology-driven pedagogy.

Content Relevance and Localization:

- i. Language and Content Localization: Educational content and digital resources may not be available in regional languages, limiting their accessibility for students in non-English speaking regions. Adapting content to local contexts is crucial for effective learning.
- ii. Relevance of Content: The relevance of digital content to the local context and students' everyday lives is essential. A lack of contextual relevance can diminish students' interest and engagement with the material.

Cost Constraints&Security and Privacy Concerns:

- i. Financial Barriers: The cost of acquiring and maintaining ICT infrastructure can be a significant barrier for schools, particularly those with limited financial resources. Funding constraints may impede the purchase of updated hardware, software, and maintenance services.
- ii. Data Security Issues: Concerns about data security and privacy may hinder the adoption of online platforms for learning. Protecting students' sensitive information and

ensuring a secure online environment is a priority that needs to be addressed.

Policy and Regulatory Framework:

- i. Lack of Clear Policies: Inconsistent or inadequate policies regarding the use of ICT in education can create ambiguity and hinder the systematic implementation of technology in schools. A clear regulatory framework is essential to guide schools and educators.

Addressing these challenges requires a coordinated effort from policymakers, educators, communities, and technology providers to create an inclusive and technology-enabled learning environment in India. Overcoming these obstacles is crucial for harnessing the full potential of Information and Communication Technology as a pedagogical tool for effective teaching.

Strategies to Promoting the use of Information and Communication Technology (ICT) : Promoting the use of Information and Communication Technology (ICT) in teaching requires a collaborative effort from various stakeholders, including educators, policymakers, parents, and the broader community. Here are strategies that each stakeholder group can adopt to facilitate the integration of ICT into pedagogy:

Educators:

- i. Professional Development: Teachers should engage in ongoing professional development to enhance their ICT skills and stay abreast of technological advancements. Workshops, training programs, and conferences can provide opportunities for educators to learn and share best practices.
- ii. Curriculum Integration: Integrate ICT seamlessly into the curriculum, aligning it with learning objectives. Demonstrate how technology enhances and supports traditional teaching methods, making lessons more engaging and effective.
- iii. Collaborative Learning Communities: Foster communities of practice where educators can share experiences, resources, and innovative ways to incorporate ICT. Collaboration encourages the exchange of ideas and provides support for teachers navigating the challenges of integrating technology.

Policymakers:

- i. Investment in Infrastructure: Allocate resources and funds to ensure that educational institutions have the necessary infrastructure, including reliable internet connectivity, updated hardware, and software. This infrastructure is fundamental for successful ICT integration.
- ii. Policy Frameworks: Develop and implement policies that support the integration of ICT in education. This includes guidelines for curriculum development, teacher training, and the establishment of standards for ICT infrastructure in schools.
- iii. Public Awareness Campaigns: Launch awareness campaigns to highlight the benefits of ICT in education. Demonstrating the positive impact of technology on learn-

ing outcomes can garner support from parents, educators, and the community.

Parents and Caregivers:

i. Digital Literacy at Home: Encourage digital literacy at home by providing access to educational technology and guiding children in its responsible use. Parents can play a crucial role in supporting and reinforcing the skills learned through ICT at school.

ii. Advocacy for Technology Integration: Advocate for the integration of ICT in schools during parent-teacher meetings and school board discussions. Informed and supportive parents can influence decision-making processes that impact the adoption of technology in education.

Community:

i. Community Engagement Events: Organize events that showcase the positive impact of ICT on education. This could include technology fairs, community workshops, or presentations by educators on how technology is enhancing learning experiences.

ii. Partnerships with Industry: Collaborate with local businesses and industries to provide resources, mentorship programs, and real-world applications of ICT in education. These partnerships can offer students insights into the practical uses of technology in various fields.

Technology Providers:

i. Affordable and Accessible Solutions: Develop and provide affordable and accessible ICT solutions for educational institutions. This includes software, hardware, and online platforms that cater to the specific needs of schools and teachers.

ii. Training and Support Services: Offer training programs and ongoing support services for educators to ensure they

can effectively use and troubleshoot ICT tools. Providing readily available technical support can alleviate concerns and challenges associated with technology integration.

By adopting these strategies, each stakeholder can contribute to creating an environment that encourages and supports the effective use of Information and Communication Technology in teaching, ultimately enhancing the overall quality of education.

Conclusion: In conclusion, the integration of Information and Communication Technology (ICT) as a pedagogical tool holds immense potential to reshape the landscape of education in India. The advantages of ICT-enabled learning, as explored in this essay, demonstrate its capacity to enhance resources, connect students globally, personalize learning experiences, promote interactive teaching methods, facilitate real-world applications, and streamline assessment processes. However, the transformative journey is not without its challenges.

In essence, the effective use of Information and Communication Technology as a pedagogical tool requires a concerted and sustained effort from all stakeholders. By embracing these strategies and addressing challenges, we can pave the way for a future where technology not only enhances teaching effectiveness but also equips students with the skills and knowledge needed to navigate the complexities of the 21st century. The journey towards effective teaching through ICT is a collective endeavor that holds the promise of a more inclusive, engaging, and transformative educational experience for generations to come.

Reference:-

1. Personal Research

The Role of Critical Thinking in Education

Sakina Attar*

*M.A. 1ST Sem, Maharaja College, Ujjain (M.P.) INDIA

Introduction - Thinking critically will boost creativity and enhance the way you use and manage your time (Hader, 2005) and critical thinking not only describes the ability to think in accordance with the rules of logic and probability, but also the ability to apply these skills to real-life problems, which are not content-independent. Critical thinking can provide you with a more insightful understanding of yourself. It will offer you an opportunity to be objective, less emotional, and more open-minded as you appreciate others' views and opinions. By thinking ahead, you will gain the confidence to present fresh perspectives and new insights into burden some concerns.

Thinking: Thinking is the base of all cognitive activities or processes and is unique to human beings. It involves manipulation and analysis of information received from the environment. Such manipulation and analysis occur by means of abstracting, reasoning, imagining, problem solving, judging, and decision-making. The mind is the idea while thinking processes of the brain involved in processing information such as when we form concepts, engage in problem solving, to reason and make decisions. The history of researches on thinking depends upon the time that human beings recognized that they think. Thinking is one of the features that distinguish humans from other living beings. Thinking is the manipulation or transformation of some internal representation. She says that when we start thinking, we use our knowledge to achieve some objective. In this sense thinking ability is the basic case of our life because all of us need to achieve an objective; on the other hand humans have relations in society and whereas nobody is alone. Descartes argued that thinking is reasoning, and that reason is a chain of simple ideas linked by applying strict rules of logic (McGregor, 2007). Both learning and thinking are the concepts which support and complete one another. When considered from this point of view, whereas learning style and critical thinking concepts have different qualifications, it can be stated that they can be used jointly. Likewise, when literature is examined, it is seen that there are researches handling learning styles and critical thinking concepts jointly (Guvén & Kurum, 2004).

Critical Thinking : "Critical thinking is thinking about your

thinking while you're thinking in order to make your thinking better."—*Richard W. Paul*

When the term of 'Critical Thinking' is searched, it is understood that there are meanings of it which are suggested in the frame of philosophy and psychology sciences but in general sense this term has not got a definite meaning. 'Critical', derived from the Greek word *kritikos* meaning to judge, arose out of the way analysis and Socratic argument comprised thinking at that time. (McGregor, 2007) and then the word *kritikos* passed to Latin as 'Criticus' that is the type of spreading to world languages from it (Hançerlioglu, 1996). According to Critical Thinking Cooperation (2006) critical thinking is an ability which is beyond memorization. When students think critically, they are encouraged to think for themselves, to question hypotheses, to analyze and synthesize the events, to go one step further by developing new hypotheses and test them against the facts. Questioning is the cornerstone of critical thinking which in turn is the source of knowledge formation and as such should be taught as a framework for all learning. Students are frequently conditioned in their approach to learning by experiences in teacher-centered, textbook-driven classrooms (Sharma & Elbow 2000). This situation is a disturbing case for contemporary educators, and for this reason they would rather choose the latest models and methods which are more effective in directing students to thinking. Critical thinking occurs when students are analyzing, evaluating, interpreting, or synthesizing information and applying creative thought to form an argument, solve a problem, or reach a conclusion. The aim of Critical Thinking is to promote independent thinking, personal autonomy and reasoned judgment in thought and action. This involves two related dimensions:

1. the ability to reason well and
2. the disposition to do so.

Critical thinking involves logic as well as creativity. It may involve inductive and deductive reasoning, analysis and problem-solving as well as creative, innovative and complex approaches to the resolution of issues and challenges.

Thinking in Education: Education, perhaps the most basic

need for people, is the process that provides the development of human. According to Meyer (1976) the aim of education is to nurture the individual, to help, to realize the full potential that already exists inside him or her. There has always been a strand of educational thought that held that the strengthening of the child's thinking should be the chief business of the schools and not just an incidental outcome – if it happened at all (Lipman, 2003). Qualified education should show the way to students about what and how to learn. While students evaluate what they learned and their learning methods, they manifest their critical thinking abilities (Emir, 2009).

As Cotton indicates (1991): "If students are to function successfully in a highly technical society, then they must be equipped with lifelong learning and thinking skills necessary to acquire and process information in an ever changing world".

One of the aims of education should be developing students' thinking skills as well as motor skills, which is basic goal of contemporary approaches in education. According to Elder & Paul (2008) students are not passive but active while they are realizing critical thinking.

Critical Thinking and Education: One of the significant aims of education is to produce learners who are well informed, that is to say, learners should understand ideas that are important, useful, beautiful and powerful. Another is to create learners who have the appetite to think analytically and critically, to use what they know to enhance their own lives and also to contribute to their society, culture and civilization.

These two aims for education as a vehicle to promote critical thinking are based on certain assumptions.

1. Brains are biological. Minds are created. Curriculum is thus a mind-altering device. This raises the moral requirement to treat learners as independent centres of consciousness with the fundamental ability to determine the contours of their own minds and lives.
2. Education should seek to prepare learners for self-direction and not pre-conceived roles. It is, therefore, essential that learners be prepared for thinking their way through the maze of challenges that life will present independently.
3. Education systems usually induct the neophyte into the forms-of-representation and realms of meaning which humans have created thus far.
4. Careful analysis, clear thinking, and reasoned deliberation are fundamental to democracy and democratic life.

On the basis of these considerations the capacity for critical assessment and analysis emerges as fundamental for enjoying a good quality of life

Teaching Critical Thinking: Every pupil should have an effective skill of critical thinking, and they must not accept anything for granted but how can you teach thinking critically to students? There are several ways of organizing for

instruction in critical thinking: We can teach a separate course or unit, we can infuse critical thinking into all that we teach, or we can use a mixed approach. The first approach of a separate course or unit requires materials that teach specifically for critical thinking dispositions, skills, and knowledge. The downside is that there may be little transfer from what the program or materials teach to the rest of the curriculum. Infusion, the second possible approach, requires that critical thinking be taught as an integral part of all subject areas (Wright, 2002). According to Hirose (1992) employers complain about employees' lack of reasoning and critical thinking abilities. Those abilities are essential because compared with the jobs in the past the modern work environment requires more thinking and problem solving abilities. This situation can be adapted to education, too. Teachers had better be equipped with high critical thinking skills. Critical thinking is not equal with intelligence and shouldn't be misunderstood with it. Critical thinking is skill which can be developed (Walsh and Paul, 1988). As well as critical thinking can be developed, it can be searched and analyzed with its different dimensions, so this shows that many scientists or experts hypothesize about critical thinking, because the vitality of critical thinking has been realized by many people recently. Educators are aware of the fact that critical thinking can be thought.

Studies Conducted on 'Critical Thinking': Initial studies conducted on critical thinking began in the years of 1960s. Researchers have intended to explain critical thinking with two main disciplines through these studies. Philosophical approach has dwelled on norms of good thinking, the concept and motive of human thought and cognitive skills necessary for an objective world view; while psychological approach have dwelled on thinking and experimental studies thinking, individual differences in learning thinking and the concept of problem solving which is a piece of critical thinking. Now I will give a few examples on the studies of critical thinking. Kurum (2002) put forward a study at Anadolu University Education Faculty. The goal of Kurum's study was to identify critical thinking abilities and the levels of thinking abilities that constitute this ability and the factors which influenced critical thinking of teacher trainees studying at Anadolu University Education Faculty. The results of the study showed that teacher trainees' critical thinking abilities and all levels of thinking abilities were at mid-level and that these abilities were affected by different factors such as age, high school types graduated, score type and level in university entrance exam, program being studied, education and income level of the family, and activities held for developing themselves.

Paul (1989) conducted a study touching upon the adaptation of critical thinking dispositions in learning environment. In this study Paul suggests dispositions to be disciplined and self-directed thinking could be taught. He maintained that critical thinking was constructed from skills, such as spotting conclusions, examining premises, forming

conclusions and diagnosing fallacies. Thus he proposed that critical thinking be constructed as 'disciplined, self-directed thinking which exemplifies perfection of thinking appropriate to a particular mode or domain of thinking. Critical thinking conceptualised in this way must be taught with a focus on developing fair-minded, critical thinkers, who were willing to take into account the interests of diverse persons or groups regardless of self-interest. Paul called it the dialogical or dialectical thinking model.

Giancarlo, Blohm, and Urdan (2004) were interested in the measurement of critical thinking disposition in adolescents as illustrated with four successive studies. The results of their studies provide support for the California Measure of Mental Motivation (abbreviated as CM3). This study was based on the assumption that critical thinking is a disposition and provided not only evidence that critical thinking disposition exists in adolescents but also a valuable tool for assessing this construct. The authors concluded

that "CM3 assess the extent to which individuals perceive themselves as willing and inclined to approach challenging problems in a systematic, innovative, open-minded, and inquisitive way."

Conclusion: From the above discussion, Critical thinking is no doubt necessary in every field of life, but especially for professions that occupy with people. Finkelman (2001) took the attention and emphasized the importance that the people who work in the field of human health, especially the people who directly intervene to the person's life like psychologists, counsellors and educationalists have to be critical thinkers in both practice and management. In order for teachers and counsellors to be able to implement critical thinking into their classrooms they must first be committed to critical thinking and its philosophy.

Reference:-

1. Personal Research

प्रभावी शिक्षण के लिए, शिक्षा शास्त्र के रूप में सूचना एवं संचार तकनीकी प्रौद्योगिकी

डॉ. मिताली बजाज* बलजीत सिंह**

* सहायक प्राध्यापक, महाराजा कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, महाराजा कॉलेज, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मुख्यतः सूचना, तकनीक तथा विज्ञान के बढ़ते अनुप्रयोग, पहले से अधिक कार्यकुशलता तथा अधिक तेजी से किसी भी कार्य को सम्पन्न करने में, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सहायक सिद्ध हुआ है।

प्राचीन काल में, मानव संसाधन तथा तकनीकी खोजों के अभाव में, किसी भी कार्य में कार्यकुशलता का कोई मापन या पैमाना ना होने से इसमें क्या फैवर्ट्स प्रभावी रहे। इसका कोई सामान्य या विशिष्ट लक्ष्य नहीं था। कृषि, उद्योग उत्पादन में, जितना भी प्राकृतिक रूप से, प्राप्त होता था, उससे प्रयोग में लाया जाता था। उत्पादन तथा उपभोग के बीच के अन्तर को पूरा करने का कोई लक्ष्य नहीं था। समय के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि, उत्पादन तथा उपभोग के बीच अन्तर को पाटना तथा अधिक से अधिक लाभ, उत्पादन, गुणवत्ता आदि पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा।

उसी के साथ-साथ लोगों की असीमित मांग, वस्तुओं का आकर्षण, किसी भी वस्तुओं की गणना तथा मांग तथा पूर्ति के अन्तर की गणना करके उनकी पूर्ति हेतु उद्योगों का विकास हुआ। मशीनीकरण तथा तकनीकी विकास की इसी क्रमबद्धता में, संचार के साधनों का विकास हुआ।

संचार और तकनीकी आपस में गहरा सम्बन्ध है। विश्व के विकसित देशों में संगणक का विकास, उन्नयन तथा विकास के चलते इसमें कार्यक्षमता, कार्यकुशलता में प्रभावशाली विकास हुआ है। इसी सन्दर्भ में सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र तथा परिवहन तथा उड्डयन क्षेत्र में तकनीकी तथा संचार का प्रयोग जरूरी तथा समय की मांग के अनुसार अधिक हुआ है।

शिक्षा के क्षेत्र में, संचार तकनीकी (Information Communication & Technology) की प्रभावशीलता में अधिक प्रयोग हो रहे है।

भूमण्डलीकरण, वैश्वीकरण तथा ज्ञान के क्षेत्र में आपसी संवादों व विचारों, तकनीकी का आदान-प्रदान में, ICT की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।

सूचना क्रान्ति के इस युग में, Online Education, Blended Education, Face to Face Education की बजाए ICT के जरिये ज्ञान व शिक्षा प्रचार-प्रसार तकनीकी संसाधनों से जिस गति से बढ़ रहा है तथा Cloud Computing (क्लाउड कम्प्यूटिंग) तथा सुदूर संचार तथा तकनीकी संसाधनों के बढ़ते अनुप्रयोग से यह सम्भव हो पाया है।

प्रभावी शिक्षण के लिए, शिक्षा शास्त्र के रूप में सूचना एवं संचार तकनीकी प्रौद्योगिकी।

सूचना एवं संचार तकनीकी :- ICT

सूचना एवं संचार तकनीकी प्रौद्योगिकी मुख्यतः Information Communication & Technology शब्द का हिन्दी रूपांतरण है। तकनीकी मुख्यतः संचार से जुड़े एक विशेष कोड में मानवीय भाषा को कोड में, बदलने तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सुदूर जुड़े होने तथा उनके बीच भाषायी संचार तथा Electronics विद्युतीय तकनीकी उपकरणों से सुसज्जित प्रणाली का एक हिस्सा होता है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीन घटक हैं जिनके माध्यम से समस्त सूचना, संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सेवाओं को उपलब्ध करवाया जाता है।

1. कम्प्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी
2. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी
3. दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी

सूचना व संचार प्रौद्योगिकी में, अध्यापक व छात्रों के बीच मध्य ज्ञान का संचार, तकनीकी प्रौद्योगिकी के माध्यम से, मोबाइल, लेपटॉप, कम्प्यूटर के माध्यम से, विभिन्न शैक्षणिक एप या द्विस्तरीय बहु स्तरीय सम्पत्तीय प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है। जिसमें यू-ट्यूब, गुगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्काई एप के माध्यम से लगातार द्विस्तरीय या बहुस्तरीय संवाद होता रहता है।

आज की तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य में सीखने और शिक्षा को एक समग्र अनुभव बनाना महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा में नवप्रवर्तन की शुरुआत हो गई है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रम विस्तर के फलस्वरूप विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रूप में देखा जा रहा है। इसी संदर्भ में, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। प्रभावशाली शिक्षण में, तकनीकी **संचार तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका** : वर्तमान युग, विज्ञान का युग है तथा तकनीकी, संचार तथा प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, ज्ञान, सूचना तथा अनुभवों को सांझा करने में, तकनीकी, संचार तथा प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

इसी संदर्भ में, Online Education, Blended Education तथा दूरवर्ती शिक्षा तथा पत्राचार शिक्षा के क्षेत्र में बेतहाशा वृद्धि हुई है।

इसी संदर्भ में, यू-ट्यूब, ऑनलाइन एप प्लेटफॉर्म, गुगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तथा अन्य विभिन्न प्रकार के तकनीकी, संचारीय संसाधनों के माध्यम से ज्ञान तथा अनुभवों का आदान-प्रदान हो रहा है।

प्रभावी शिक्षण में तकनीकी संचार एवं प्रौद्योगिकी के लाभ :

क. समय की बचत – विभिन्न प्रदाताओं तथा अनुभवी विशेषज्ञों में आपसी संचार के माध्यम से, एक स्थान से, प्रसारित कक्षाकक्ष की सभी बातें तथा विषय से सम्बन्धित अनुभवों को, सुदूर अलग-अलग स्थानों पर बैठे समूहों, व्यक्तिगत रूप से ज्ञान का प्रवाह बिना, किसी रुकावट के होता रहता है। जिससे समय व धन की बचत होती है।

किसी भी आभाषी कक्षाकक्ष के जागरूक व्यक्ति अपने विशेषज्ञता से चल रहे संवाद के बीच किसी भी प्रकार के प्रश्न, शंका, समस्या के समाधान पा सकता है तथा अपने **अनुभव प्लेटफार्म पर जुड़े व्यक्ति से सांझा कर सकते हैं।**

ख. तकनीकी प्लेटफार्म पर सांझा की गई सूचनाओं का संग्रहण तथा बाद में सांझा करने में आसानी – कई बार व्यक्तिगत समस्याओं के चलते आभाषी कक्षाओं में उपस्थित रहना सम्भव नहीं होता इसलिए भविष्य में उन सभी सांझा की गई जानकारी, ज्ञान, अनुभवों को भविष्य में की गई संग्रहित सूचनाओं को बार-बार सूनना सम्भव है।

ग. दिव्यांगजनों के लाभकारी – दूसरों पर निर्भरता के कारण तथा चालुष्णता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने फिरने में दिक्कतों की वजह से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए प्रौद्योगिकी दिव्यांगजन शैक्षणिक गतिविधियों के कारण, उन्हें शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल होने में आसानी रहती है। शिक्षक, पाठ्यक्रम के इर्द-गिर्द ही रहता है।

घ. आवाज, विजुअल – दर्शयात्मक प्रणाली के कारण, समझने में आसानी रहती है। परन्तु प्रभावी शिक्षण के लिए, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के लाभ के साथ-साथ बहुत सी हानियां भी हैं। आवश्यक उपकरणों का होना, सक्रीय संचार की उपलब्धता, संचार व प्रौद्योगिकी का उन्नत होना तथा उनका प्रयोगकर्ता को प्रयोग करने की जानकारी होना इत्यादि सभी विषय महत्वपूर्ण हैं।

सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की सीमितता :

क. सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की पहली सीमितता तो यह है कि एक प्रभावशाली शिक्षण हेतु, प्रभावी कक्षाकक्ष का होना, प्रभावशाली शिक्षण की पहली शर्त है।

ख. सामूहिक कक्षा-कक्ष में, विद्यार्थियों का मूल्यांकन – सामूहिक कक्षा-कक्ष में विद्यार्थियों का मूल्यांकन, उनकी प्रश्नों का उत्तर, जिज्ञासाओं का निवारण, जीवंत कक्षाकक्ष के माध्यम से ही सम्भव है। पीयर-ट्यूटरिंग, जैसे प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थी एक-दूसरे से सीखते हैं तथा आपसी संवेग, जीवंत भावनाओं, सहयोग, सहकारिता आदि का विकास इस प्रकार के शिक्षण व्यवस्था में संभव नहीं है।

ग. समूह की बजाय व्यक्तिवाद तथा भौतिकतावाद की अवधारणा – शैक्षिक कार्यक्रमों, पाठ्यचर्या में खेलकूद, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा सामूहिक क्रियाकलापों को इस प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था में कोई ठोस निवारण नहीं है। देखकर या करके सीखने की जो विचारधारा शिक्षाविदों ने दी है उस पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो शिक्षण व्यवस्था प्राचीन समय से चली आ रही है, उसके अनुरूप यह पद्धति अधिक प्रभावी नहीं है।

कोविड महामारी के समय, जिन दृष्टिबाधित बच्चों को विकल्प के रूप

में, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण कार्यक्रमों को प्रबन्धन किया गया, उसमें महामारी के पश्चात उन पर किये गये शोधों से पता चलता है कि उनका ब्रेल लेखन, पठन, लगभग 90 प्रतिशत विद्यार्थियों का जीरो हो गया है तथा वे तकनीकी उपकरणों पर ज्यादा निर्भर हो गये हैं। इसके अलावा उनके मानसिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पाये गये हैं।

इसके अलावा उनके सोचने, समझने तथा व्यवहार में भी अंतर पाये गये हैं। इसके अलावा ऐसा पाया गया है सरकारी योजना के तहत बांटे गये टेब/मोबाइल का प्रयोग, विद्यार्थियों द्वारा उनके शैक्षिक कार्यक्रमों प्रयोग कम तथा फालतू के कार्यों में ज्यादा किया गया है। इससे पता चलता है कि प्रभावी शिक्षण के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलू पाये गये हैं।

उपसंहार – प्रभाव शिक्षण व्यवस्था में, परम्परागत तथा आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्था जिसमें सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग समान रूप से किया जाने लगा है।

परम्परागत रूप शैक्षणिक व्यवस्था में, प्रभावी-कक्षाकक्ष, सामूहिक शिक्षण, संवार्तिक रूप से भी विद्यार्थियों पर, समान रूप से, सभी पर मूल्यांकन, गृहकार्य व लेखन-पठन तथा खेलकूद, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा उनकी व्यक्तिगत रुचि को ध्यान में रखकर शैक्षणिक कार्यों को किया जाता रहा है तथा उनकी मूल्यांकन भी किया जाता है परन्तु आधुनिकता तथा तकनीकी युग में शैक्षणिक कार्यक्रमों की सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के तहत, ज्ञान को परोसा जाने लगा है।

उच्च शैक्षिक कार्यक्रमों में यह एक निश्चित सीमा तक सम्भव है परन्तु प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में कोविड महामारी के दौरान दिये गये के शिक्षण पर किये गये शोधों से पता चलता है कि बच्चों में आदतों, तनाव, गुस्सा, लेखन तथा उनके अन्य कौशल में कमी पाई गई है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा वह परिवार समाज तथा सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से एक अच्छा नागरिक बन सकता है। इसलिए किसी भी विद्यार्थी के जीवन में शिक्षण संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा सहयोगी शिक्षण, सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की प्रभावी शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शैक्षिक अनुसंधान प्रणाली एवं सांख्यिकी, दिनेश कुमार, लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, दरयागंज, नई दिल्ली।
2. शैक्षिक प्रबन्धन, संयोजक, डॉ. अनिल कुमार जैन, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान।
3. शिक्षा शास्त्र, आर गुप्ता कृत, 2022, रमेश पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
4. ग्यानस्थली एजुकेशन, डॉ. ग्यानप्रकाश पी.सी.एस. भूतपूर्व सहायक प्रोफेसर, गवर्नमेंट पी.जी. कॉलेज, रानीखेत, 2023 ग्यानस्थली पब्लिकेशन, लखनऊ, उत्तरप्रदेश 226024
5. www.google.com

प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षाशास्त्र के रूप में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

तुमि दवे*

* एम.एड. छात्र, महाराजा कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आज के आधुनिक समाज में ज्ञान व्यक्ति के लिए, राज्य के लिए और एक देश की उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताएँ पूरी कर सकता है, पर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्ति के तरीकों को सीखने के लिए आवश्यकता है नवीन प्रौद्योगिकी की और यह नवीन प्रौद्योगिकी है 'सूचना एवं सम्प्रेषण'।

वर्तमान युग क्रांति का युग है। हम ज्ञान आधारित समाज में रह रहे हैं और ज्ञान से ही हमें किसी राष्ट्र की शक्ति एवं विकास का पता चलता है। उस ज्ञान को सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए हमें शिक्षण पद्धति के साथ-साथ नई प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता पड़ती है। सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी उन्हीं आधुनिक प्रौद्योगिकियों में से एक है।

प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षाशास्त्र के रूप में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को हम निम्नानुसार बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं :-

1. सूचना एवं सम्प्रेषण के माध्यम से हम ज्ञान ग्रहण करने एवं ज्ञान प्राप्ति के ढंग को जानते तथा समझते हैं। वर्तमान समय में इसका उपयोग करके विद्यार्थी तथा शिक्षक शीघ्र ही सभी सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं।
2. मनुष्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जब कभी किसी कारणवश कोई विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता तब ऐसी स्थिति में वह अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। अप्रत्यक्ष ढंग से ज्ञान प्राप्त करने के कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति से पूछकर, किताबों से, पत्र-पत्रिका के माध्यम से, टेप, कम्प्यूटर आदि से। उपर्युक्त माध्यमों से सूचना के आधार पर विद्यार्थी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के बारे में जानने का प्रयास करता है। यह सभी जितने भी सूचना के माध्यम हैं उन सभी से ठीक प्रकार से सूचनाएँ प्राप्त करने, संग्रह करने और आवश्यक होने पर इसके प्रयोग का ज्ञान आवश्यक है। इस प्रकार की गतिविधियाँ ही सूचना प्रौद्योगिकी कहलाती है।
3. वर्तमान आधुनिक जीवन का प्रत्येक क्षेत्र सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी से प्रभावित है। शिक्षा का क्षेत्र भी पूर्णतया इसके प्रभाव में है। आज कम्प्यूटर इंटरनेट का बढ़ता हुआ उपयोग शिक्षा को सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी के पास लाता है। शिक्षा का प्रत्येक अंग, विधियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षण उद्देश्य, शोध इत्यादि सभी सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी के बिना अधूरा है। अतः सूचना एवं सम्प्रेषण का

क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। इसके अन्तर्गत शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित की जाने वाली सामग्री का निर्धारण और इसके कार्य क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना भी शामिल है।

4. सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी की सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इन उद्देश्यों को व्यावहारिक शब्दावली में लिखा जा सकता है। इन उद्देश्यों को निर्धारित कर विद्यार्थियों के अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।
5. सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रयोग की जाने वाली व्यूह रचनाओं और युक्तियों का चुनाव एवं विकास बड़ी आसानी से किया जा सकता है। सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी शिक्षण प्रतिमानों का ज्ञान, विभिन्न विधियों एवं प्रविधियों का ज्ञान और उनके चुनाव करने में सहायता कर सकते हैं।
6. सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली तभी सफल मानी जाती है जब उसका सही मूल्यांकन होता है। सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली तभी सफल मानी जाती है जब उसका सही मूल्यांकन हो। प्रतिक्रिया द्वारा विद्यार्थियों और शिक्षकों को उनकी अधिगम और शिक्षण विधियों की सफलता के बारे में जाँच की जाती है और कुछ कमियाँ होने पर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी द्वारा मूल्यांकन या प्रतिक्रिया विधियों का चयन, विकास तथा उनकी उपयोगिता संभव हो सकती है।
7. सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए शिक्षण अभ्यास प्रतिमानों की रचना, सूक्ष्म-शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण एवं प्रणाली उपागम का उपयोग किया जाता है।
8. शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न उप-प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए प्रणाली उपागम के प्रयोग में सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में ये उप-प्रणालियाँ कक्षा में, कक्षा के बाहर, लेकिन विद्यालय के वातावरण में ही प्रयुक्त होती हैं। इन प्रणालियों के तत्त्वों तथा उनकी कार्य-पद्धति के अध्ययन में सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी की प्रमुख भूमिका होती है।
9. सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी का कार्यक्षेत्र मशीनों एवं अन्य जन सम्पर्क माध्यमों तक फैला है। सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी इन मशीनों Hardware उपकरणों के उपयोग के लिए कार्य करती है। इन

- मशीनों में रेडियो, टेलीविजन, टेपरिकार्डर, फिल्म प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, सेटेलाइट आदि सम्मिलित हैं। सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी इन सभी के लिए आधार तैयार करती है।
10. सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग हम सामान्य व्यवस्था परीक्षण और अनुदेशन के कार्यक्षेत्रों में भी करते हैं। इस प्रकार सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का क्षेत्र काफी विस्तृत है। शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी अवधारणाओं में आधुनिक संदर्भ के साथ अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें एक नवीन स्वरूप प्रदान किया है।
 11. सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी ने वर्तमान में सूचना के आदान-प्रदान करने में एक क्रांतिकारी भूमिका का निर्वहन किया है। इसके द्वारा सम्पूर्ण सूचनाएँ जो विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित होती हैं उन्हें एक स्थान पर बैठे-बैठे प्राप्त किया जा सकता है। यह श्रम, समय एवं कांगजी कार्य में बचत करता है। I.C.T. स्थानीय संस्कृति और विशेष रूप से इसके प्रबंधन एवं आकार के आधार पर कार्य करता है। I.C.T. की अवधारणा, समझ प्रबंधन और उपलब्ध विन्यास प्रौद्योगिकी के आधार पर भिन्न हो सकती है।
 12. सूचना एवं सम्प्रेषण किसी कार्य को करने में प्रयुक्त उपकरणों एवं यंत्रों का एक संग्रह है। उपकरणों के एकीकृत प्रबंधन के तत्त्वों, मंत्रों, सेवाओं एवं व्यवहारों का प्रयोग सूचनाओं के संग्रह उसकी प्रक्रिया तथा साझा करने के लिए किया जाता है। सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण का प्रयोग सीखने को सक्षम बनाने, समस्या समाधान करते सहयोगी चिंतन में विस्तृत रूप से किया जाता है। इस प्रकार सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान करने तथा उसका उपयोग करने में प्रयुक्त होता है।
 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षाशास्त्र के रूप में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकती है- सिद्ध हो रही है। यह सही है कि ज्ञान स्वयं में सीमातीत होता है, किन्तु शिक्षण के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अपने समस्त कार्य व्यवहारों से शिक्षा और शिक्षण को प्रभावी और सुगम बनाने में सहायक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा का स्थान : शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में एक दृष्टिकोण

सिम्पल रजक*

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – किसी भी राष्ट्र के विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस देश में शिक्षा का स्तर जितना, व्यवस्थित, संगठित, मजबूत तथा वर्तमान आवश्यकता के अनुसार होना वह देश उतनी ही तेजी से तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेगा। भारत में शिक्षा के स्तर के सुधार के लिए कई नीतियाँ समय – समय पर बनाई गईं। परन्तु अब की वर्तमान शिक्षा की स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है। कि 'क्या हम शिक्षा के उस स्तर को प्राप्त कर चुके हैं जो हमें विकसित देशों की श्रेणी में ला कर खड़ा कर सके। या फिर अब भी हमें शिक्षा के स्तर को सुधारने की आवश्यकता किसी नई सुदृष्ट एवं क्रियात्मक शिक्षा नीति की आवश्यकता है।'

प्रस्तावना – 'शिक्षा सामाजिक एवं राष्ट्रीय शक्तिकरण के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है। यह माना जाता है कि शिक्षा ही वह उपकरण है। जिससे कोई भी राष्ट्र अपने आय को सशक्त, विकसित तथा मजबूत बना सकता है। एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के द्वारा ही व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। तथा व्यक्ति के विकास से ही समाज एवं राष्ट्र का विकास सम्भव होता है। और यह तभी सम्भव है जब एक अच्छी शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए।

भारत आज भी एक विकासशील देश की श्रेणी में खड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण है, हमारी शिक्षा नीतियों का सफल ना हो पाना, उनकी कमियों पर ध्यान ना देना।

देश में कई शिक्षा नीतियों का निर्माण किया गया जो कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाईं। हमारे देश में अंतिम बार शिक्षा नीति वर्ष 1986 में बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। यह नीतियों भी कमियों से भरी पड़ी थी, इसके बावजूद इस पर सरकार का ध्यान ना देना देश के विकास में बाधक सिद्ध हुआ। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर शिक्षा नीति के निर्माण की पहल की गई है। जिसमें 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' का नाम दिया गया है। इस नीति से यह उम्मीद की जा रही है कि यह पुरानी शिक्षा नीति यों की तुलना में एक बेहतर, असरदार एवं भावी पीढ़ी के लिए 'मील का पत्थर साबित होगी।'

भारत के शिक्षा नीति – भारतीय शिक्षा का इतिहास भारतीय सभ्यता का भी इतिहास है। भारतीय समाज के विकास और उसमें होने वाले परिवर्तनों की रूपरेखा में शिक्षा की जगह और उसकी भूमिका को भी निरंतर विकासशील पाते हैं। सूत्रकाल तथा लोकायत के बीच शिक्षा की सार्वजनिक प्रणाली के पश्चात हम बौद्धकालीन शिक्षा को निरंतर भौतिक तथा सामाजिक प्रतिबद्धता से परिपूर्ण होते देखते हैं। बौद्धकाल में स्त्रियों और शूद्रों को भी शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया।

शिक्षा का केन्द्र रू तक्षशिला का बौद्ध मत नालन्दा बिहार के अवशेष

प्राचीन भारत में जिस शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया था वह समकालीन विश्व की शिक्षा व्यवस्था से समुन्नत व उत्कृष्ट थी लेकिन कालान्तर में भारतीय शिक्षा का व्यवस्था ह्रास हुआ। विदेशियों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को उस अनुपात में विकसित नहीं किया, जिस अनुपात में होना चाहिये था। अपने संक्रमण काल में भारतीय शिक्षा को कई चुनौतियों व समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज भी ये चुनौतियाँ व समस्याएँ हमारे सामने हैं जिन्हें दो-दो हाथ करना है।

भारतीय शिक्षा नीति को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

1. आजादी के पूर्व भारतीय शिक्षा नीति।
2. आजादी के बाद भारतीय शिक्षा नीति।

आजादी के पूर्व भारत में शिक्षा नीति – भारत में बढ़ते साम्राज्य तथा राजनीतिक शक्ति के कारण ईस्ट इंडिया कम्पनी को एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता हुई जो कि प्रशासन और व्यापार के कार्यों में उसकी सहायता कर सके। अतः कम्पनी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने तथा भारत की राजनीति एवं व्यापार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए समय समय पर अनेक शिक्षा से सम्बंधित नीतियों का निर्माण किया। वर्ष 1813 में ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया।

वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण-पत्र (Minute) गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया।

मैकाले ने इसके तहत 'अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत' (Downward Filtration Theory) दिया जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों, नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हो।

इसके पश्चात वर्ष 1854 में वुड्स डिस्पैच, 1882-83 में हंटर आयोग, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, 1917-19 में सैडलर आयोग, 1929 में हर्टोग समिति, तथा वर्ष 1944 में शिक्षा पर सार्जेंट योजना जैसी

समितियों का गठन आजादी के पूर्व किया गया इन समितियों ने भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के रूप को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया साथ ही आधुनिक शिक्षा की नींव रखने में प्रमुख भूमिका निभाई।

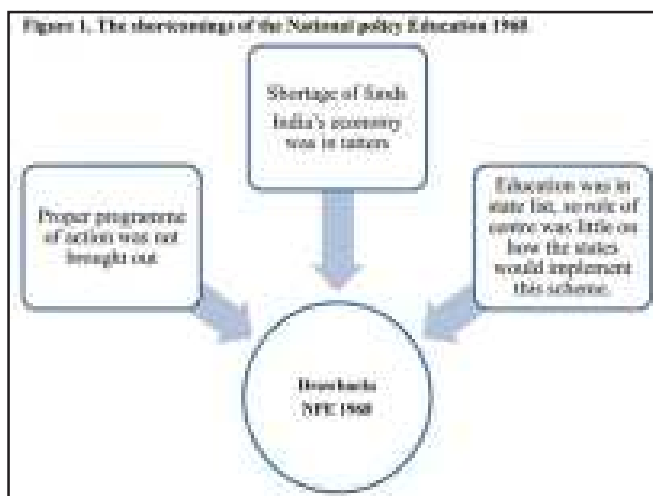
आजादी के बाद भारत में शिक्षा नीति - 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने शैक्षिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न शिक्षा आयोगों की स्थापना की गई और भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए व्यापक नीतियों की सिफारिश की।

डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948): इसके द्वारा क्षेत्र, जाति, लैंगिक विषमता पर ध्यान दिए बिना समाज के सभी वर्गों के लिए उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने की अनुशंसा की गई।

डॉ. ए. लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952): इस समिति ने आउटकम की दक्षता में वृद्धि, मैट्रिक पाठ्यक्रमों का विविधीकरण, बहुउद्देशीय मैट्रिक विद्यालयों की स्थापना, सम्पूर्ण भारत में एक समान प्रारूप लागू करने और तकनीकी विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की।

डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में गठित भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66): इसके द्वारा तीन मुख्य पहलुओं, यथा- 1. आंतरिक परिवर्तन 2. गुणात्मक सुधार और 3. शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार, के आधार पर एक व्यापक पुनर्निर्माण की सिफारिश की गयी।

1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह नीति कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार तैयार की गई थी। इसने भारतीय संविधान में प्रस्तावित 6-14 वर्ष की आयु वर्गों के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करनेय माध्यमिक विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं पर बल देनेय अंग्रेजी को विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बनाने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने एवं संस्कृत के विकास को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश की।



राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986): इसके प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं- समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को शिक्षा प्रदान करनाय निधनों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान, प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करना, वंचित/पिछड़े वर्गों से शिक्षकों की भर्ती करना और नए स्कूलों एवं कॉलेजों का विकास करनाय छात्रों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनाय गांधीवादी दर्शन के साथ ग्रामीण

लोगों को शिक्षा प्रदान करनाय मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना करनाय शिक्षा में IT का प्रचार करनाय तकनीकी शिक्षा क्षेत्र को प्रारम्भ करने के अतिरिक्त वृहद स्तर पर निजी उद्यम को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992): भारत सरकार द्वारा 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में 1986 की राष्ट्रीय नीति के परिणामों का पुनः आकलन करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। इसकी प्रमुख सिफारिशों में शामिल थीं- केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए उच्चतम सलाहकार निकाय के रूप में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education: CABE) का गठनय शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करनाय छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित करना तथा जीवन में शिक्षा को आत्मसात करने पर बल देना।

The eleven salient features of the national policy on education (1986) are as illustrated in the Figure.2



शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों ?

बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।

भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। (1) (2) यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरिंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

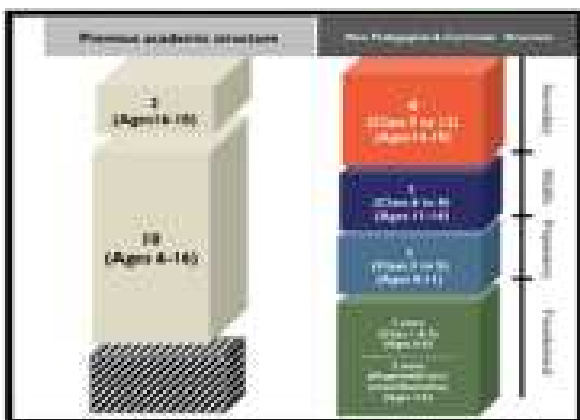
प्रमुख बातें (3)

1. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल

- नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio & GER) को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।
- 'मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय' का नाम परिवर्तित कर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है।
- पाँचवीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये 'भारतीय उच्च शिक्षा परिषद' नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है।
- शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था लेकिन अबकी बार 2020 में जारी किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु

इस शिक्षा नीति में 10+2 के फार्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फार्मेट में ढाला गया है।



इस नए फार्मूले के नए पैटर्न में 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा को तथा 12 साल की स्कूली शिक्षा सम्मिलित की गई है। इस फार्मूले को सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों को फॉलो करना अनिवार्य किया गया है।

फाउंडेशन स्टेज - नई शिक्षा नीति के फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। जिसमें 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा को सम्मिलित किया गया है जिसके अंतर्गत छात्रों का भाषा कौशल तथा शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके विकास में ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

प्रिपेटरी स्टेज - इस स्टेज में 8 से 11 साल के बच्चों को सम्मिलित किया गया है जिसमें 3 से कक्षा 5 तक के बच्चे होंगे। नई शिक्षा नीति के इस स्टेज में छात्रों का संख्यात्मक कौशल को मजबूत करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा वहीं सभी बच्चों को क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान दिया जाएगा।

मिडिल स्टेज - इस स्टेज के भीतर छठवीं से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है जिसमें छठवीं कक्षा के बच्चों से ही कोडिंग सिखाना शुरू की जाएगा। वहीं सभी बच्चों को व्यवसायिक परीक्षण के साथ-साथ व्यवसाय इंटरनशिप के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे।

सेकेंडरी स्टेज - इस स्टेज में आठवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को सम्मिलित किया गया है। इस स्टेज के भीतर आठवीं से 12वीं कक्षा के

शैक्षिक पाठ्यक्रम को भी खत्म करके बहु वैकल्पिक शैक्षिक पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है। छात्र किसी निर्धारित स्ट्रीम के भीतर नहीं बल्कि अपनी मनपसंद के अनुसार अपने विषयों को चुन सकते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को विषयों को चुनने को लेकर स्वतंत्रता दी गई है, छात्र साइंस के विषयों के साथ-साथ आर्ट्स या कॉमर्स के विषय को भी एक साथ पढ़ सकते हैं।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान

NEP-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।

NEP-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाण-पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)।

विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा, ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।

नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. (M.Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

नई शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियाँ

राज्यों का सहयोग: शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं इसलिए इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है।

महँगी शिक्षा: नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महँगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

शिक्षा का संस्कृतिकरण: दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि-भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।

फंडिंग संबंधी जाँच का अपर्याप्त होना: कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है, लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएँ असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं।

वित्तपोषण: वित्तपोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी के प्रस्तावित 6% खर्च करने की इच्छाशक्ति कितनी सशक्त है।

मानव संसाधन का अभाव: वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ भी हैं।

निष्कर्ष—केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंजूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्री-डी मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के

समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. hi.M.wikipedia.org. राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
2. औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास drishtiias.com
3. <https://bhashaparakashan.com>
4. <https://sarkariguide.com> ब्रिटिश कालीन शिक्षा के उद्देश्य
5. <https://www.jagaran.com>
6. www.mhrd.gov.in Ministry of Education
7. hindi.hvshq.org
8. <https://www.education.gov.in>

Representation of Women in Jane Austen Pride & Prejudice

Prof. Swati Sharma*

*Department of English, Govt. Holkar (Model Autonomous) Science College, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - "Pride and Prejudice epitomizes the intricacies of societal conduct, delineating the multifaceted circumstances endured by women amidst the backdrop of nineteenth-century England. Jane Austen astutely portrays a woman's felicity as contingent upon marriage, wherein her social standing is inexorably tethered to the selection of a husband. While happiness and affection ostensibly underpin marital unions, material affluence and the possessions of the suitor hold paramount significance. Thus, a woman endeavors to sculpt her identity to meet the exacting standards requisite for matrimonial acceptance, for the stigma of spinsterhood consigns unmarried daughters to the status of familial burdens. Regrettably, women's aspirations and preferences are frequently disregarded within the patriarchal paradigm, wherein authoritative male voices predominate. Subjugated to submissive roles, their voices muted, women are constrained to traverse the paths dictated by their male counterparts. Austen's narrative starkly illustrates the absence of self-made women, ensnared as they are within the constricting confines of societal norms."

Objectives: The current paper aims to achieve the following objectives:

1. Investigate the influence of material possessions on individuals' lives during the specified era.
2. Analyze the relinquishment of women's individuality.
3. Assess the objectification of women.
4. Examine the treatment of women within the societal framework.
5. Explore the marginalization of women's rights.

Introduction: In the annals of 19th-century British literature, Jane Austen's "Pride and Prejudice" endures as a timeless masterpiece, captivating the hearts and minds of contemporary readers with its enduring tale of romance and resolution. Originally christened "First Impression" upon its initial publication in 1796, the novel underwent a titular transformation to its current iconic moniker in 1813. Austen's literary oeuvre, often described as comprising mere "two inches of ivory," intricately weaves narratives centered around fully realized female protagonists, renowned for their complexity and depth. Much like the novels of American luminary Henry James, Austen's works deftly navigate the intricate social tapestry of a narrow segment of society, where characters serve as the primary agents propelling the narrative forward.

Austen's narrative technique draws inspiration from various literary traditions, seamlessly blending elements of Restoration-era comedy of manners with the epistolary form popularized by Samuel Richardson. Moreover, traces of Romanticism subtly permeate the text, adding layers of

depth and complexity to the overarching themes. "Pride and Prejudice" serves as a poignant reflection of the socio-cultural milieu of the Victorian era, offering a window into the lived experiences of women within a patriarchal society. Central to Austen's exploration is her nuanced portrayal of female characters, notably exemplified through the indomitable spirit of Elizabeth Bennet and her sisters. Through their trials and tribulations, Austen deftly navigates the intricate web of societal expectations, class dynamics, and the institution of marriage, challenging conventional notions of femininity and advocating for individual agency and autonomy. By scrutinizing Austen's depiction of women, this essay seeks to unravel the layers of complexity inherent in her feminist discourse, shedding light on the enduring struggles and triumphs of women in a society that often seeks to constrain their aspirations and curtail their freedoms.

Contextualizing Women in Jane Austen's Historical Era: Within the historical milieu surrounding women in Jane Austen's era, it becomes imperative to delve into the intricate tapestry of societal conventions and gender dynamics that profoundly influenced their lived realities. Austen's early literary endeavors, meticulously examined in the dissertation authored by (Hunt et al.), not only unveil her nascent feminist convictions but also underscore her palpable discontentment with the entrenched status quo endured by women of her time. These literary juvenilia, serving as precursors to her more mature literary endeavors, not only enrich the feminist discourse of the

epoch but also align Austen with the radical ideologies espoused by pioneering thinkers such as Mary Wollstonecraft.

Moreover, as elucidated by the scholarly discourse led by (Valentinova Georgieva et al.), Austen's celebrated novels, including the perennial favorite "Pride and Prejudice," serve as veritable repositories of insight into the prevailing matrimonial customs and societal norms governing courtship rituals within her social milieu. Through meticulous analysis of Austen's oeuvre against the backdrop of societal expectations and the constricting constraints imposed upon women, we are afforded a profound opportunity to unravel the intricacies of female representation within her literary corpus, particularly within the seminal framework delineated in "Pride and Prejudice."

Portrayal of Female Characters in "Pride and Prejudice": In scrutinizing the portrayal of female characters within "Pride and Prejudice," the adaptations and reimagining's of the original text wield significant influence in shaping the narrative depiction of women. Through an intricate examination of costume adaptations and reinterpretations in media platforms, exemplified by the acclaimed 1995 BBC mini-series and the 2005 cinematic rendition of "Pride and Prejudice," it becomes apparent that adapters exercise deliberate discernment in modifying female characters to imbue the narrative with feminist motifs. Nevertheless, as underscored by analyses of adaptations of literary works such as "Lolita" and "Sense and Sensibility," there exists a palpable peril in such revisions potentially diluting the resilience and autonomy of the original female personas.

The juxtaposition between Austen's authentic portrayals and the adapted characters in renditions like "Pride and Prejudice and Zombies" serves to accentuate the variances in cultural values and perceptions of femininity and fortitude. This exploration into the depiction of female characters in "Pride and Prejudice" unveils the intricate interplay between adaptation, representation, and the preservation of the innate robustness of Austen's female protagonists within the evolving narrative milieu.

Social Norms and Limitations Encountered by Women in the Narrative: Within Jane Austen's literary tapestry "Pride and Prejudice," the motif of societal expectations and the constrictions imposed upon women are intricately interwoven, constituting a fundamental thematic underpinning of the narrative. Through a meticulous examination of critical discourses pertaining to the portrayal of women in literature, particularly within the context of domesticity and prevailing societal norms, Austen engenders a rich and multifaceted exploration of the trials encountered by female protagonists such as Elizabeth Bennet and her siblings. Austen's narrative canvas serves as a reflective mirror to the intricate complexities inherent in navigating a society wherein gender roles and societal expectations are rigidly demarcated, thereby echoing the

broader discourse surrounding gender dynamics prevalent within the literary canon.

As evidenced by scholarly inquiries into women's experiences in leadership roles and the nuanced interplay between gender, entrepreneurship, and leadership dynamics (cite6), Austen's rendering of the social panorama in "Pride and Prejudice" unveils the myriad pressures weighing upon women as they endeavor to conform to societal dictates whilst simultaneously endeavoring to challenge them. This thematic exploration reverberates harmoniously with the broader discourse concerning the construction of femininity and the negotiation of societal expectations within literary narratives (cite5), thus underscoring the seminal significance of Austen's oeuvre in elucidating the myriad constraints encountered by women in traversing the labyrinthine corridors of social hierarchies and societal expectations within the novel's thematic framework.

Conclusion: In summation, Jane Austen's "Pride and Prejudice" presents a rich and intricate portrayal of women amidst the backdrop of the Regency era. Through the captivating personas of characters like Elizabeth Bennet, Jane Bennet, and Charlotte Lucas, Austen skillfully challenges conventional gender paradigms, offering discerning insights into the myriad challenges and opportunities confronting women within society's confines. The novel eloquently underscores the significance of intellect, astuteness, and tenacity in negotiating the intricate web of societal expectations while striving for personal fulfillment. Moreover, Austen's deft exploration of themes such as matrimonial unions, social class dynamics, and individual autonomy imbues the female characters with a profound sense of depth, revealing their innate strengths and vulnerabilities within the patriarchal milieu of their time. In essence, "Pride and Prejudice" emerges as a timeless testament to the intricacies of womanhood, weaving a captivating narrative tapestry that continues to captivate and resonate with contemporary audiences.

References:-

1. Turner, Helen, "Defining the Home from Chopin to McCarthy".
2. Ahl, Aidis, Al Dajani, Babalola, Bandura, Baron, Bass, Baum, Bendassolli, Bennett, Bernard, Bhuiyan, Bjerke, Boal, Bourne, Bruin, Brush, Campbell, Chandler, Charmaz, Choi, Coglisier, Corbett, Daily, Datta, Davis, Den Hartog, Drucker, Dzisi, Eagly, Eddleston, Ehrlich, Elliott, Ensley, Erikson, Fairhurst, Foss, Franco, Gaglio, Garcia, Gilligan, Grant, Guest, Gundry, Hargittai, Heckathorn, Helgesen, House, Hughes, Hutchinson, Idris, Ireland, Izyumov, Jamali, James, Jennings, Jensen, Kakabadse, Karata^o-Özkan, Katz, Kennedy, Kirkwood, Kobia, Kolb, Kotter, Kreiser, Kroeck, Kuratko, Lee-Gosselin, Leitch, Lewis, Lipman-Blumen, Lord, Lowe, Luthans, Maak, Matzler, McKie, Miles,

- Mirchandani, Moore, Mumford, Nicolopoulou, Osborn, Patton, Pech, Phillips, Pless, Renko, Rosener, Saldana, Schacter, Schein, Schumpeter, Scott, Sev , Shabbir, Shane, Shinnar, Smirnova, Stewart, Strauss, Tatli, Teal, Thomas, Thornberry, Timmons, Tlaiss, Van Emmerik, Wee, Werner, Youssef-Morgan, Zhu,  zbilgin, "A gender perspective on entrepreneurial leadership:female leaders in Kazakhstan", 2017
3. Hunt, Sylvia, "Hoydens, Harridans, and Hyenas in Petticoats : Jane Austen's Juvenilia and their contribution to eighteenth-century feminist debate", 2008
 4. Valentinova Georgieva, Ilianka, "The Marriage Politics in Jane Austen's Novels: Emma, Pride and Prejudice and Sense and Sensibility", 2018
 5. DuChene, Courtney A, Ms., "Rewriting Women: A Feminist Examination of Lolita's and Pride and Prejudice's Costume and Revisionist Adaptations", 2019
 6. McCoy, Rachel, "Strong Female Characters: Jane Austen's vs. The Mashups", 1979
 7. DuChene, Courtney A, Ms., "Rewriting Women: A Feminist Examination of Lolita's and Pride and Prejudice's Costume and Revisionist Adaptations", 2019
 8. "Evolution of a heroine: from Pride and prejudice to Bridget Jones's diary.", 2004

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध : एक सॉख्यकीय अध्ययन

विनोद कुमार तिवारी*

* सहायक प्राध्यापक, एम.बी.खालसा लॉ कालेज, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता की कामना करता है, किंतु जन्म से जीवन के प्रत्येक पग पर परिस्थितियाँ उसकी स्वतंत्रता में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। अपनी परतंत्रता का ज्ञान होने पर वह स्वतंत्र रूप से जीवन यापन का अधिकार चाहता है। पुरुष की तुलना में महिलाओं परतंत्रता ज्यादा, स्वतंत्रता कम होती है। जबकि परिवार की खुशहाली एवं शांति हेतु महिला की स्वतंत्रता ज्यादा महत्व रखती है क्योंकि 'यदि महिला खुश तो घर खुशहाल' होता है। अतः नारी के बहुमुखी विकास के लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार मिलना अत्यंत आवश्यक है।

भारतीय समाज में महिलाएं एक लम्बे समय से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही हैं, समाज की प्रथाओं, रीति-रिवाजों ने महिलाओं के उत्पीड़न को ओर बढ़ाया है, जिसका मुख्य कारण भारतीय समाज में पुरुषों की प्रधानता है। समाज में महिलाओं के उत्पीड़न महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए भारत में बनाये गये कानूनों, महिला शिक्षा व्यवस्था एवं महिलाओं की आर्थिक प्रगति के उन्नयन हेतु बनायी गई योजनाओं के बावजूद भी, महिलाओं से छेड़छाड़, बलात्कार, यौनशोषण उत्पीड़न, दहेज, घरेलु हिंसा आदि अपराध आज भी हो रहे हैं तथा आकड़े बताते हैं इनका ग्राफ बढ़ रहा है। मानव संसाधन मंत्रालय के महिला एवं बालविकास विभाग के एक प्रतिवेदन के अनुसार भारत में प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला का बलात्कार, 51 मिनट में छेड़छाड़, 16 मिनट में बदनसलूकी तथा 101 मिनट में दहेज के कारण हत्या होती है। इस शोध पत्र के माध्यम से महिलाओं के प्रति घरेलु हिंसा एवं अपराधों का अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी – अपराध, हिंसा, उत्पीड़न, दहेज, कनूनी संरक्षण।

प्रस्तावना – भारत में आपराधिक विधि के अन्तर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों के शरीर स्वास्थ्य तथा सम्पत्ति की सुरक्षा संबंधी प्रावधान संहिताबद्ध किये गये हैं परंतु महिलाओं के संबंध में कुछ विशिष्ट प्रावधान भी दिये गये हैं, जो कि सिर्फ महिलाओं को ही प्राप्त है तथा ऐसा उनकी विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है तथा कुछ प्रावधान बाद में शामिल किये गये जिसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलु हिंसा से बचाना है। इस संबंध में कुछ विशिष्ट प्रावधानों जैसे भ्रुण हत्या, बलात्कार एवं किसी स्त्री के पति या नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता का उल्लेख किया जा सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के अपराधों को परिभाषित करते हुए उन्हें रोकने हेतु दण्डात्मक प्रावधान किये गये हैं।

भारत में घरेलु हिंसा से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु 2005 में घरेलु हिंसा से संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं के साथ किसी भी तरह के भेदभाव को समाप्त करना तथा उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा करना है। जहाँ महिला घर से बाहर अपने आप को असुरक्षित पाती है। वहीं परिवर्तित परिवेश में वह अपने आपको घर के अंदर भी असुरक्षित महसूस करती है। तथा कई अवसरों पर वह अपने घर के सदस्यों अपने पति द्वारा तथा पति के रिश्तेदारों द्वारा भी प्रताड़ना का शिकार होती रहती है।

भारतीय संविधान में नारी-पुरुष, अमीर-गरीब, शिक्षित-अशिक्षित सभी को समान सुरक्षा प्रदान की गई है, स्त्री पुरुष सभी को समाजिक, आर्थिक प्रथा राजनीतिक न्याय देने का आश्वासन दिया गया है। संविधान

के अनुच्छेद 14 के द्वारा कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण सभी को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 (3) में महिलाओं एवं बच्चों को कुछ विशेष सुविधा प्रदान की गई है, क्योंकि महिलाओं एवं बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है।

अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से (चाहे महिला हो या पुरुष) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है तथा सभ्य समाज में महिलाओं को भी यह अधिकार है कि वे गरिमायुक्त जीवन जी सकें।

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध :- महिलाओं के खिलाफ अपराध विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे- वैश्यावृत्ति, तरस्करी, दहेज हत्या, बलात्कार, हमला, सामूहिक बलात्कार, कार्य स्थल पर उत्पीड़न, एसिड हमला, अपहरण, आर्थिक लाभ के लिए यौन संबंध से जुड़े अपराध आदि।

बलात्कार :- भारत में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार चौथा सबसे आम अपराध है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देशभर में 31677 बलात्कार के मामले दर्ज किये गये अर्थात् औसतन प्रतिदिन 86 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ।

एनसीआरबी 2021 के आकड़ों के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक बलात्कार की घटनाएँ दर्ज की गईं उसके बाद मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है। मेट्रो पालिटन शहरों में कोलकता में बलात्कार के सबसे कम मामले दर्ज किये गये यहाँ बलात्कार की दर सबसे कम है।

2021 में किये गये एक नमूना सर्वे के आधार पर ह्यूमन राइट्स वॉच का अनुमान है कि भारत में हर साल 7200 से अधिक नाबालिगों (Minors)

के साथ बलात्कार किया जाता है।

वैश्यावृत्ति :- भारत को दुनिया के सबसे बड़े व्यवसायिक 'सेक्स उद्योग' में से एक माना जाता है। भारत में सेक्स उद्योग अरबों डालर का है और सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है। दैनिक भास्कर 28/05/2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 28 लाख से अधिक लड़कियां वैश्यावृत्ति के पेशे में हैं। हमारे देश में वैश्यावृत्ति और कनूनी नहीं है, लेकिन इसके लिए किसी को फोर्स करना और सार्वजनिक वैश्यावृत्ति करना गैर कानूनी है। वैश्यालय का मालकाना हक भी अवैध है।

तस्करी :- महिलाओं और बच्चियों की तस्करी भारत में दूसरा सबसे बड़ा मानवाधिकार संबंधी अपराध है। भारत में खास तौर से उत्तरपूर्वी राज्यों की छोटी लड़कियां एवं युवा महिलाओं को एजेंट द्वारा उनके माता-पिता, संबंधियों को उनकी बेहतर पढ़ाई, नौकरी और पैसों का लालच देकर लाया जाता है, इसके बाद उन्हें धोखे से बंधुआ मजदूरी एवं यौन शोषण के लिए बेच दिया जाता है।

गैर सकारात्मक संगठनल गेम्स 24/7 और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन (KSCF) द्वारा किये गये अध्ययन से भारत में बाल तस्करी के बारे में चौकाने वाले आंकड़े सामने आये हैं। प्री कोविड से पोस्ट कोविड लड़कियों की तस्करी के आंकड़ों में इजाफा हुआ है।

(NCRB) के आंकड़ों के मुताबिक 2020 से 2022 तक में वैश्यावृत्ति के लिए की जा रही महिलाओं की तस्करी के आंकड़ों में 24% का इजाफा हुआ है। 2020 में जहां 1714 मामले दर्ज हुए थे तो 2022 में बढ़कर 2,250 हो गये।

दहेज हत्या :- हमारे देश में दहेज की प्रथा का आज भी प्रचलन है। सरकार द्वारा तमाम नियम कानून बनाये जाने के बाद भी दहेज प्रकरण कम नहीं हो रहे हैं और आये दिन देश में रोज दहेज हत्याएं हो रही हैं (NCRB) के रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 के बीच प्रतिदिन करीब 20 दहेज हत्याएं दर्ज की गई हैं। 2017 से 2021 के बीच देश में 35,493 दहेज हत्याएं हुईं।

कन्या भ्रूण हत्या :- केन्द्र सरकार के आंकड़ों पर आधारित व्यू रिसर्च सेंटर के एक सोध वर्ष 2000 से 2019 में कम से कम 9 मिलियन महिलाओं की भ्रूण हत्या की गई। शोध में पाया गया कि इनमें से 86.7% भ्रूण हत्याएं हिन्दुओं द्वारा इसके बाद 4.9% भ्रूण हत्या सिखों द्वारा तथा 6.6% भ्रूण हत्या मुसलमानों द्वारा की गई है। 2023 में हुए एक अध्ययन के अनुसार 8000 गर्भपात में से 7997 गर्भपात कन्या भ्रूण पर किये गये हैं।

बाल विवाह :- 2023 में हुए एक अध्ययन के अनुसार भारत में दस वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के 7.84 मिलियन बाल विवाह हुए।

एसिड अटैक :- NCRB के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2019 में 150 वर्ष 2020 में 105 और वर्ष 2021 में 102 मामले एसिड अटैक के दर्ज किये गये।

महिलाओं का अपहरण :- भारत में 2022 के दौरान 21,278 पुरुषों 88,861 महिलाओं और 01 ट्रांसजेन्डर सहित कुल 1,10,140 लोगों के अपहरण रिपोर्ट किये गये। जिनमें से 1 गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2021 तक 13 लाख से अधिक लड़कियां गायब हुईं। जिनमें से 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 लड़कियां 18 साल तक उम्र वाली 2,51,430 लड़कियां शामिल हैं।

भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2022 के दौरान भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 4% वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें पतियों और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, अपहरण हमलों और बलात्कार के मामले शामिल हैं, 2020 में जहां महिलाओं के खिलाफ 3,71,503 मामले दर्ज हुए थे जो 2022 में बढ़कर 4,45,256 हो गये।

2023 की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता (I.P.C.) के तहत महिलाओं, के खिलाफ अपराधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता 31.4% महिलाओं का व्यपहरण और अपहरण 19.2% महिलाओं पर हमला, शीलभंग करने का इरादा 18.7% और बलात्कार 7.1% प्रति लाख जन संख्या पर, अपराध दर 2021 में 64.5% थी जो 2022 में 66.4% हो गई है।

निष्कर्ष - महिलाओं के खिलाफ अपराध एक वैश्विक घटना है और अपराधों के लिखाफ कदम उठाना और महिलाओं की सुरक्षा करना समय की मांग है। हमारे समाज में महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। गरिमापूर्ण एवं सम्मानित जीवन जीना प्रत्येक महिला का अधिकार है। महिलाएं सिर्फ माँ, बहिन, बेटी नहीं हैं वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं और कर्तव्यों के कारण हमारे समाज का मूल्यवान हिस्सा हैं। भारत में महिलाओं की सुरक्षा हेतु तमाम कानूनी प्रयास किये जा रहे हैं फिर भी वर्तमान आंकड़ों से दर्शित होता है कि महिलाओं के प्रति अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है।

अतः कानूनी प्रावधानों का सम्यक रूप से ईमानदारी पूर्ण किया चयन होना चाहिए तभी हमारे देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध विशेष रूप से यौन अपराधों में कमी आयेगी। साथ ही महिला सशक्तीकरण को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सूर्य नारायण मिश्रा - भारतीय दण्ड संहिता
2. जे. एन. पाण्डे - भारत का संविधान
3. डॉ. बसंती लाल बाबेल - भारतीय दण्ड संहिता
4. NCRC रिपोर्ट- 2023
5. en.m.wikipedia.law
6. www.leadindia.law
7. https://medicamondiale.org

भरतपुर परिक्षेत्र की संस्कृति एवं पर्यटन

डॉ. निमेश कुमार चौबीसा* रोहित सिंह**

* सहायक आचार्य, एस.बी.पी. राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी (इतिहास) गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा (राज.) भारत

प्रस्तावना – महामहिम पंडित राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार मानव एक जंगम प्राणी है। अपने अविर्भाव के प्रारम्भ से ही उसकी प्रकृति घुमक्कड़ी रहती है।¹ उसकी यही प्रवृत्ति वर्तमान परिदृश्य में पर्यटन शब्द से संबोधित की जाती है। आज पर्यटन का प्रयोग न केवल मनोरंजन के लिए अपितु विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करने वाले तत्व के रूप में किया जाता है। वर्तमान में पर्यटन का महत्व कई स्वरूपों में दृष्टिगत होता है। प्राकृतिक सौन्दर्य के दर्शन के साथ-साथ मानवीय कला कौशल के अद्वितीय स्वरूपों का परिचय प्रदान करने में पर्यटन सहायक है।

भारत के पर्यटन मानचित्र पर राजस्थान का अपना महत्व है। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक राजस्थान में पर्यटन के उद्देश्य से आवागमन करते हैं। अपनी प्रारम्भिक स्थिति से वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने की यात्रा से राजस्थान को सात संभागों में विभाजित किया गया है।² राज्य का प्रत्येक संभाग पर्यटन की दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता है। उक्त संभागों में उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर की मुख्य भूमिका है। राज्य का भरतपुर परिक्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त धनी प्रदेश है।

राजस्थान का भरतपुर जिला रियासत काल में भरतपुर राज्य की राजधानी रहा है। इस राज्य की स्थापना राजा दशरथ के दूसरे पुत्र भरत के नाम पर हुई थी। इस राज्य के शासक एवं वंशज भरत के छोटे भाई लक्ष्मण की पूजा करते थे और उनका नाम मुद्राओं, हथियारों एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर अंकित किया करते थे।³ वर्तमान भरतपुर जिला जिसे राजस्थान का पूर्वी प्रदेश द्वार के उपनाम से संबोधित किया जाता है। स्वयं में कई महत्वपूर्ण भौगोलिक परिदृश्य संजोए हुए है। जिले में कुछ भाग को मेवात प्रदेश के नाम से भी संबोधित किया जाता है।

भरतपुर जिले को राजस्थान का पूर्वी द्वार के नाम से संबोधित किया जाता है। राज्य के ब्रज क्षेत्र के राजधानी दिल्ली से लगभग 180 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह जिला 26°22' से 27°83' उत्तरी अक्षांश एवं 76°53 से 78°17 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।⁴ जिले का गठन भूतपूर्व देशी रियासत भरतपुर से ही सम्पन्न हुआ है। भरतपुर जिला राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल के 1.48 प्रतिशत भू-भाग लगभग 5066 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में विस्तृत है।⁵ सामान्यतः भरतपुर जिला राजस्थान का लगभग मैदानी जिला माना जाता है। जिसके उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियाँ विस्तृत दिखाई देती हैं। जिले की सीमा उत्तर से गुड़गाँव (हरियाणा), पूर्व में मथुरा और आगरा (उत्तर प्रदेश) दक्षिण में मुरैना (मध्यप्रदेश) और राजस्थान के धौलपुर जिले से

मिलती है। राज्य के करौली और अलवर जिले इसका सीमांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।⁶

भरतपुर की संस्कृति—विभिन्न देशों, राष्ट्रों, जातियों, सभ्यताओं, महापुरुषों, संस्कृतियों, रहस्यों और उनकी उपयोगिता के सार्थक विवेचन के लिए इतिहास महत्वपूर्ण साधन है। प्राचीन सभ्यता और संस्कृति इस तथ्य की प्रधान परिचायक रही है कि मानवीय जीवन का प्रत्येक घटनाक्रम किसी न किसी स्थान पर घटित हुआ है। अतः प्रत्येक शोध कार्य की उपादेयता हेतु उसे क्षेत्र की भौगोलिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अवलोकन अनिवार्य हो जाता है।

राजस्थान के भरतपुर जिले की सांस्कृतिक परम्पराएँ और विरासत अत्यन्त प्राचीन है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहे जाने वाले भरतपुर परिक्षेत्र पर जाट राजपूत, मराठा और मुस्लिम शासकों सहित कई राजा-महाराजाओं के शासन का प्रभाव रहा है। परिणामस्वरूप यहां के सांस्कृतिक रीति-रिवाजों, भाषा, कला, वास्तुकला में व्यापक विविधताएँ पाई जाती हैं। यहाँ की संस्कृति अत्यन्त व्यापक और समृद्ध है। जिसमें सम्पूर्ण भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य विशेषतः बृज संस्कृति में इतिहास को अद्वितीय स्थान प्राप्त है। ज्ञान भंडार के विभिन्न विषयों में इतिहास ऐसा प्रधान विषय है। जिसके बिना मानव जाति अपनी उन्नति में असमर्थ है।

संस्कृति से अभिप्राय – मनुष्य अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रायः विभिन्न विधियों, प्रविधियों, उपकरणों रीति-रिवाजों और प्रभावों को जन्म देता है, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। इन्हीं सब तत्वों के योग को संस्कृति शब्द से संबोधित किया जाता है। अन्य अर्थों में 'संस्कृति मनुष्य द्वारा अर्जित किया गया वह व्यवहार है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है।'

व्यक्ति का संबंध समाज और संस्कृति के साथ समान रूप से है। मानव व्यवहार में समाज और संस्कृति दोनों का महत्वपूर्ण आधार है। इस प्रकार व्यक्ति समाज और संस्कृति तीनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। एक व्यक्ति का समग्र विकास समाज और संस्कृति दोनों से प्रभावित होता है। अतः स्पष्ट है कि जहाँ समाज का सामुहिक जीवन मानव के व्यवहार को प्रभावित करता है वहीं संस्कृति के नियम विधान मानव व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं।⁷

संस्कृति की परिभाषाएँ—समय-समय पर संस्कृति को विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग-अलग अर्थों में परिभाषित किया गया है।

श्री.कून के अनुसार : 'संस्कृतिक उन विधियों का समुच्चय है, जिसमें

मनुष्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सीखने के कारण रहता है।

हाबल के अनुसार : 'संस्कृति सीखे हुए व्यवहार और प्रतिमानों का कुल योग है।'

बोगार्डस के अनुसार : 'संस्कृति किसी समूह के कार्य करने और विचार करने की समस्त रीतियों को कहते हैं।'

रेडफील्ड के अनुसार : 'संस्कृति कला और उपकरणों में उपस्थित परम्परागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परम्परा के द्वारा संरक्षित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है।'⁸

प्रायः समाज एवं संस्कृति में परस्पर सौहार्दपूर्ण मधुर और आध्यात्मिक संबंध होता है। जिसमें सामाजिक रीति-रिवाज किसी भी क्षेत्र के समाज की सांस्कृतिक दशा के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भरतपुर का सामाजिक संगठन मुख्यतः जाट राजपूत समुदाय से संबंधित था। यह सर्वविदित है कि जाट एक जाति नहीं होकर एक जीवित संस्कृति रही है। जिसका पल्लवन पोषण अतीत से वर्तमान तक सिंध और गंगा, यमुना के दोआब में मुख्यतः विस्तृत रहा है।⁹ जिससे जाट संस्कृति के सभी मानवीय तत्व और रीति-रिवाज समाहित होते हैं। भरतपुर परिक्षेत्र के सामाजिक परिदृश्य में गुर्जर, अहीर, डूंग-कबीला, डागुर, पूनिया, भैरवार, चौधरी, सिनसिनवार, सोगरवाल, खूटेल, इंदौलिया आदि गौत्रों के जनसमुदाय समाहित हैं। भरतपुर राज्य के विकास में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी वर्गों द्वारा अमित योगदान दिया गया। जिसके फलस्वरूप वर्तमान में भी कई वंशों के वंशजों के नाम पर यहां पुरोहित मोहल्ला, सुनार गली, लवानियाँ मोहल्ला, गुर्जर मोहल्ला, कसाई गली (कायस्थ मोहल्ला) बड़ा मोहल्ला आदि मौजूद हैं। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम पर भी स्थानों के नाम दृष्टिगत होते हैं। जैसे वीरनारायण के नाम पर बी-नारायण गेट (वीर नारायण नागा साधु के नाम पर)¹⁰ गोपालसिंह के नाम पर गोपालगढ़ आदि।

भरतपुर परिक्षेत्र में सामाजिक-सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम क्षेत्र विशेष के समाजों में पारिवारिक अवसरों पर सामूहिक रूप से मनाये जाने वाले सामुदायिक उत्सव होते हैं। जिनमें वहाँ की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। मानव को इसके अतीत एवं पूर्वजों से आबद्ध रखने में रीति-रिवाज प्रत्यक्ष साधन होते हैं। इस दृष्टि से भरतपुर परिक्षेत्र की संस्कृति में ही नहीं वरन् भारतीय संस्कृति में भी इनकी अहम प्रधान भूमिका है। भरतपुर परिक्षेत्र की संस्कृति यहाँ के रीति-रिवाजों, उत्सवों और विविध कार्यक्रमों यथा-जन्म, सोभड¹¹, छठी पूजन, सतमासा पूजन¹², नामकरण, लटूरिया (मुण्डन) दस्टोन (कुआँ पूजन)¹³, विवाह¹⁴ गोदभराई रातिजगा, भात आदि आयोजित किए जाते हैं। जो क्षेत्र विशेष की सामाजिक संस्कृति के परिचायक हैं। भरतपुर परिक्षेत्र में सभी सामाजिक उत्सवों पर अनेक प्रकार के गीत गाने का प्रचलन रहा है। यहाँ लगभग प्रत्येक सामाजिक उत्सव पर पृथक-पृथक गीत गाये जाते हैं जो क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक ताने-बाने को प्रदर्शित करते हैं। कुछ प्रमुख उत्सवों पर गाये जाने वाले गीत इस प्रकार हैं -

1. सोभड+ के गीत

'आज महलों के बीच जच्चा ने सोर किया।

आवी आवी, सासु मेरी आवी।।

मेरी सवारि के बीच चरुआ धराओ आवी, आवी।

दाई री मेरी आवी, नैक हँसिक नारु कटावी।।'¹⁵

2. छठी पूजन

'तेरे हाथ झुंझना लाल रे।

बाबा के प्यारे खेलिरे, ताऊ के प्यारे खेलिरे।।

तेरी दादी खिलावे तू खेलिरे, तेरी ताई खिलावे तू खेलिरे।

तेरे फूफा लाए झुंझना, तेरी भूआ खिलावे तू खेलि रे।।'¹⁶

3. भात के गीत

'एरी सासु चली नौति आमें भातु।

भात के मूडे देखी आवे जूनागढ़ के रूखा।।

मेरा भईया नाओ-नाओ भतीजी बाकी गौद कौन के न्योति आमे भातु।

मेरो बाबुल जोगी, जोगी बजावे हटतारा।।'¹⁷

4. रातजगा (रात्रिजागरण) के गीत

'आगरे की गैल में लम्बों पेड़ खजूरा।

बापे चढ़िके देखती मेरो बालम कितनी दूरा।।

गैल भरतपुर बीच में परयो भुजंगी नागा।

खा लई होती बच गई व छैला के भागा।'¹⁸

उपरोक्त गीतों के अतिरिक्त भरतपुर परिक्षेत्र की सामाजिक संस्कृति के वाहक गीत में अन्य कई उत्सवों के गीत सम्मिलित हैं। जैसे - विदाई के गीत, हल्दी की रस्म के गीत, कंगन डोरे के गीत, लटूरिया के गीत, गोदभराई के गीत आदि।

संस्कृति का प्रतिबिम्ब धर्मोपासना में भी दृष्टिगत होता है। जो कला एवं साहित्य के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करती है। भरतपुर परिक्षेत्र की धार्मिक संस्कृति राजस्थानी और ब्रज संस्कृति का सम्मिश्रण है। यहाँ की धार्मिक संस्कृति यहाँ के देवालयों, धार्मिक उत्सवों, ब्रज परिक्रमाओं, रासलीलाओं में दृष्टिगत होती है। भरतपुर परिक्षेत्र का समाज उत्सव प्रिय समाज है। अतः यहाँ की सांस्कृतिक चेतना अत्यन्त प्रबल है, यही कारण है कि भरतपुर की धार्मिक संस्कृति अधिक सजीव एवं सम्पन्न है।

भरतपुर परिक्षेत्र के धार्मिक स्वरूप का परिदर्शन वहाँ की धार्मिक मान्यताओं, उत्सवों, कार्यक्रमों, रीति-रिवाजों में स्वतः ही हो जाता है। इस क्षेत्र के धार्मिक स्वरूप का उल्लेख विविध माध्यमों जैसे - अभिवादन मांगलिक कृत्य, आदि में दृष्टिगत होता है। इस क्षेत्र में अभिवादन का नया वाक्य 'राम-राम साहब' महाराजा सूरजमज द्वारा प्रारंभ किया गया जो आज भी समाज के लगभग सभी वर्गों द्वारा अपनाया जाता है।¹⁹

भरतपुर ब्रज संस्कृति से ओत-प्रोत क्षेत्र है, साथ ही यहाँ की लोक संस्कृति यहाँ के धार्मिक उत्सवों त्यौहारों, मेलों में दृष्टिगोचर होती है। इससे संबंधित एक लोकोक्ति क्षेत्र में प्रसिद्ध है कि 'सात बार नौ त्यौहार'।²⁰ यहाँ प्रत्येक ऋतु में कई उत्सवों का आयोजन होता है। जिनमें बसंतोत्सव, शिव चौदस, होली, देवीपूजन, (करौली की कैला माता), टेसू और सांझी पूजन, गंगा दशहरा, विजयादशमी, रामलीला, दीपावली, गोवर्धन पूजा, देव उठनी ग्यारस, गणगौर आदि उल्लेखनीय हैं जो क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं।

भरतपुर परिक्षेत्र में मौजूद विभिन्न हिन्दू सम्प्रदायों के देवालय क्षेत्र की धार्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है यहाँ कई सम्प्रदायों का विस्तार और विकास हुआ। जिनमें रामानंदी समुदाय, वल्लभ सम्प्रदाय, निम्बार्क सम्प्रदाय उल्लेखनीय हैं। सभी सम्प्रदायों से संबंधित अनेक धार्मिक स्थल क्षेत्र में आज भी अस्तित्व में हैं। भरतपुर की धार्मिक संस्कृति में मुस्लिम प्रभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ कई मुस्लिम पीर दरवेशों की दरगाहें

आज भी मौजूद है। जिनमें मीर मुहम्मद पनाह, दलखौ उर्फ दल्ला मेव दरगाह, अली आजम की दरगार, मीर पतासा दरगाह सैय्यद पीर अली आदि। उक्त विवरण से भरतपुर परिक्षेत्र के समन्वयवादी दृष्टिकोण के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होते हैं।²¹

लोक संस्कृति के सुदृढ़ संवाहक क्षेत्र विशेष के मेले होते हैं। जिनमें क्षेत्र की लोक संस्कृति के चहुंमुखी पक्षों के दर्शन होते हैं। मेले किसी भी क्षेत्र की आंचलिक लोक रंजन और सहिष्णुता के प्रत्यक्ष साक्ष्य होते हैं। भरतपुर परिक्षेत्र के इन मेलों में मुख्यतः जसवंत प्रदर्शनी, डीग की जवाहर प्रदर्शनी, कांमा का भोजनथाली मेला, झील के बाड़े का मेला, भरतपुर की मंगलहाट आदि उल्लेखनीय हैं।²²

भरतपुर परिक्षेत्र बहुरंगी लोक संस्कृति का प्रत्यक्ष उदाहरण रहा है। जहाँ मानवीय जीवन के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में राधा कृष्णन की रामलीला समाहित है। वहीं क्षेत्र में सामाजिक एवं समूहगत रूप से क्षेत्रीय लोक सांस्कृतिक आमोद-प्रमोद के बहुरंगी साधनों के रूप में रसियाँ, स्वाँग, नौटंकी-भगत, ख्याल, बम वादन, ब्याहुलौ और जिकरी गायन आदि का प्रमुख स्थान है।²³

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राहुल सांस्कृत्यायन : घुमकड़ स्वामी, किताब महल इलाहबाद, दिल्ली, 2004, पृ. 1
2. गुप्ता मोहनलाल : भरतपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 2018, पृ. 10
3. सिंह जितेन्द्र : राजस्थान में पंचायती राज एवं भारतीय विकास भरतपुर जिले की सेवर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के संदर्भ में अध्ययन कोटा विश्वविद्यालय 2019, पृ. 190, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध
4. राव कुँवर कनक सिंह : धरोहर राजस्थान सामान्य ज्ञान, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2022 पृ. अ.27
5. व्यास कुलराज : जाट एवं मुगल ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध (18वीं सदी) भरतपुर धौलपुर के विशेष संदर्भ में कोटा विश्वविद्यालय कोटा, 2017, पृ. 1
6. जिला सांख्यिकी की रूपरेखा 1971, भरतपुर जिला राजस्थान राज्य सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, 1991
7. मुखर्जी, रविन्द्रनाथ, अग्रवाल भारत : 'समाजशास्त्र' एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन्स, आगरा 2015, पृ. 109-119
8. मीणा पप्पूराम : लोक संस्कृति की अवधारणा और राजस्थान का लोकजीवन, ज्योति पर्व प्रकाशन, दिल्ली, 2017, पृ. 17-25
9. कानूनगो, के.आर : जाटों का इतिहास, मयूर पैलेस लैक्स नोयडा, दिल्ली, 1996, पृ. 1-3
10. दीक्षित गोकुल चन्द्र : बृजेन्द्र वंश भास्कर, पृ. 183
11. सोभड़ : प्रसूता स्त्री के प्रसव को भरतपुर परिक्षेत्र में सोभड़ फैलने के नाम से पुकारा जाता है।
12. डॉ. गौरीशंकर सत्येन्द्र : साहित्य वानस्पति सेठ कन्हैयालाल : पौदार अभिनन्दन ग्रंथ, अखिल भारतीय ब्रज साहित्य मंडल, मथुरा, उत्तर प्रदेश, 1953, पृ. 913
13. टस्टोन - वस्तुतः यह जाति एटोम यज्ञ कहलाता है, जिसका भरतपुर परिक्षेत्र में आमजन 'दस्टोन' अपभ्रंश प्रचलित है।
14. विवाह : वैदिक सामाजिक व्यवस्थानुसार विवाह अनुलोम, प्रतिलोम दो भागों में वर्गीकृत थे। संगम साहित्य में विवाह के आठ प्रकारों का उल्लेख तोल्लकापियम् ग्रंथ से प्राप्त होता है।
15. गौरी शंकर सत्येन्द्र : पौदार अभिनन्दन ग्रंथ, अखिल भारतीय ब्रज साहित्य मण्डल, मथुरा, उ.प्र 1953, पृ. 913
16. मधुकर मोहनलाल : ब्रज की कला अरु संस्कृति, शताब्दी ग्रंथ प्रकाशन हिंदी साहित्य समिति भरतपुर, 2011, पृ. 176
17. (i) बदनसिंह चौधरी : ब्रज के ब्याह गीत, कुन्ता प्रकाशन आगरा, उत्तर प्रदेश 2007, पृ. 36
(ii) विश्वास कुमार : ब्रज व कौरवी लोक गीतों में लोक चेतना वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2021 पृ. 73-123
18. कुम्हेरिया देवकीनन्दन : ब्रजलोक वैभर, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, जयपुर, (राज.), 1997, पृ. 116
19. सिंह गंगी : हिंदी साहित्य अकादमी, भरतपुर, 2010, पृ. 106
20. शर्मा रामदास : ब्रज की कला अरु संस्कृति, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर, 2011, पृ. 104
21. (i) दीक्षित सूर्य प्रसार एवं सतीश चन्द्र : ब्रज संस्कृति विश्वकोश खंड - 2, भाग - 1, ब्रज के सम्प्रदाय, वृन्दावन शोध संस्थान, 2018 के विविध पृष्ठ
(ii) मित्तल पीडी : ब्रज के धर्म सम्प्रदायों का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 165-175
22. मित्तल पी.डी. : ब्रज की संस्कृति का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1965, पृ. 170-180
23. चतुर्वेदी गिरीश कुमार : ब्रज की लोक संस्कृति, कल्पतः प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009, पृ. 112-122

निजी संग्रह में संग्रहित मौलिक स्रोत (निजी संग्रह : धर्मलाल शर्मा)

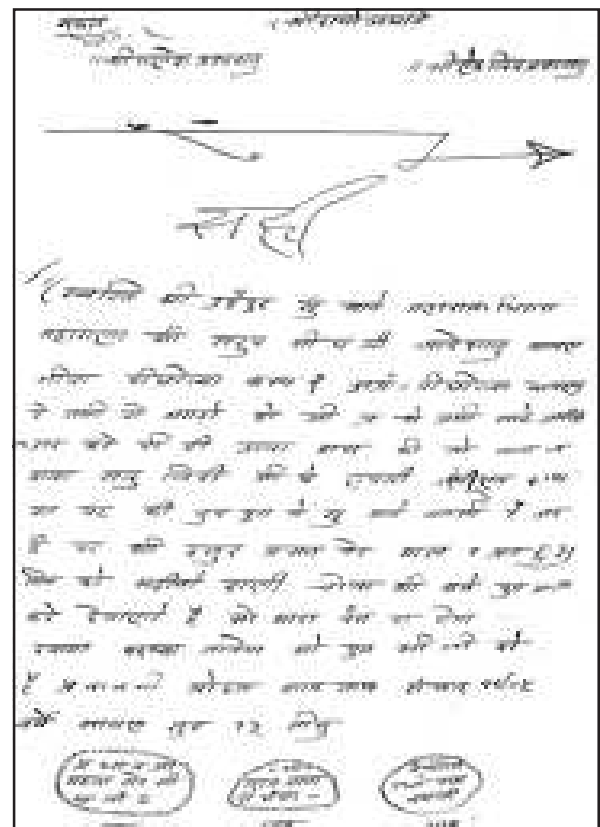
डॉ. भगवती नागदा*

* सहायक आचार्य (इतिहास) गुरुनानक कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ की वीर भूमि अपने अप्रतिम शौर्य और आत्माभिमान के कारण विश्व विख्यात रही है। मेवाड़ को शिविजनपद¹ प्राग्वाट, मेदपाट, उदयपुर आदि नामों से जाना जाता है। मेवाड़ 'राजवंश के राजाओं ने सदैव अपनी मान-मर्यादा की रक्षा की है। यहाँ के कर्मनिष्ठ महाराजाओं ने विषम' परिस्थितियों में भी अपनी प्रजा का ध्यान रखा। मेवाड़ की सुन्दरता में अभिवृद्धि के लिए महाराजाओं ने कई रचनात्मक कार्य किए जो वर्तमान में भी असंख्य पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। उदयपुर में जनकल्याणकारी कार्य यथा उद्यान, स्कूल, अनाथालय, चिकित्सालय आदि का निर्माण किया गया। उद्यानों में नालियों तथा फव्वारों की व्यवस्था की गई। उद्यान के चारों ओर दीवारों का निर्माण किया गया। यहाँ के महाराणा उद्यानों को फलों के वृक्षों तथा फूलों से सुसज्जित करने के लिए बाहर से जैसे सहारपुर, कश्मीर, मद्रास आदि से बीज मंगवाते थे।² पौधों के साथ बड़, नीम तथा पीपल के वृक्ष भी लगवाए जाते थे।³ उद्यानों में औषधीय वृक्षों को भी लगवाया जाता था, उद्यानों के निर्माण के लिए महाराणाओं ने सामन्तों, ब्राह्मणों, वेश्यों तथा मालियों को उदयपुर के हवाले के अन्दर व बाहर कई बीघा भूमि आवंटित की।⁴

हवाले शहर के अन्दर व बाहर स्थित थे सूरजपोल के बाहर का हवाला, हाथीपोल के बाहर का हवाला, हाथीपोल के अन्दर का हवाला आदि कहलाते थे।⁵ इसके अलावा वृक्षों के नाम पर या अन्य पहचान चिन्ह के नाम पर भी हवालों का नामाकरण किया जाता था यथा पेमा का हवाला, इमली का हवाला आदि।⁶

मेवाड़ में उद्यान लगवाने के लिए भूमि को आवंटित किया जाता था तथा भू-स्वामियों को उनकी बाड़ियों तथा बावड़ियों के बदले अन्यत्र जमीन या गांव थे। दिए जाते थे इस बात की पृष्टि धर्मलाल शर्मा के निजी संग्रह से प्राप्त 'परवाने' से होती है⁷ -



परवाने का मूल पाठ निम्नलिखित है-

२६

[illegible]

अपराधी सदस्य
विनोदचंदी का
नाम

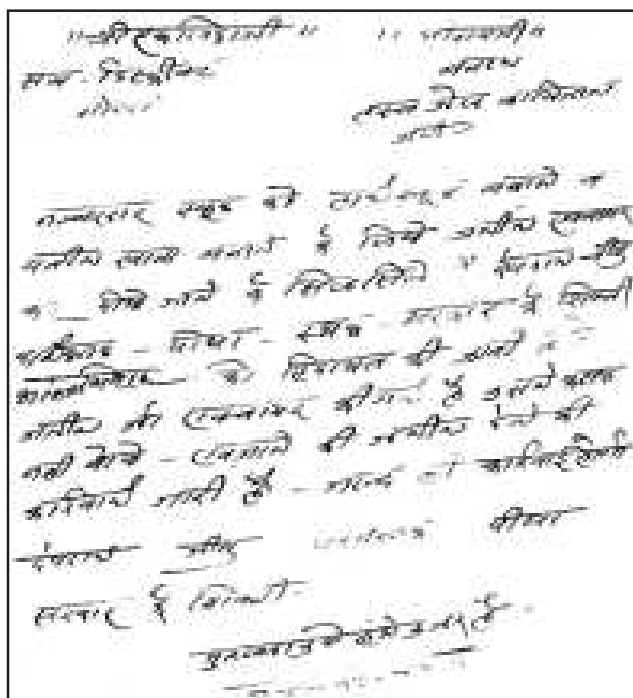
॥ श्री ॥
सुख नाना वा योऽह-
साय

पन्थोली
मन्थोली
मन्थोली
मन्थोली

जीवा पीछेल्या नामक ब्राह्मण से उद्यान लगवाने के लिए भूमि ली गई लेकिन कुछ समय सरकार तथा भू-स्वामी के मध्य वाद-विवाद चला। महाराणा स्वरूप सिंह की उदार प्रवृत्ति के कारण उसे उसकी भूमि की एवज में दूधपूरा (टेकरी) में जमीन दे दी गई। महाराणा सज्जन सिंह, संग्राम सिंह एवं फतहसिंह के समय भी कई बाड़ियों का निर्माण हुआ⁹ यथा सहेलियों की बाड़ी, शिकार बाड़ी, रजगा बाड़ी, वेणीराम विसर की बाड़ी आदि। इनके समय कई बागों जैसे चम्पा बाग, राम बाग, गोकुल बाग, जवान बाग, रस बाग, समोर बाग, भुवाणा बाग, जगमन्दिर व जगनिवास बाग आदि का भी निर्माण हुआ।⁹

मेवाड़ में स्वास्थ्य रक्षा हेतु कई अस्पताल खोले गए। महाराणा सज्जन सिंह के समय मेवाड़ में अनाथ लोगों के लिए अनाथालय खोले गये। मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पागलखाने की व्यवस्था की गई।¹⁰ महाराणा फतहसिंह के काल में खांजीपीर नामक स्थान पर अनाथालय एवं पागलखाना खोला गया।¹¹

धर्मलाल शर्मा के निजी संग्रह से एक कागजात प्राप्त हुआ है जिसमें हाई स्कूल व अनाथालय बनवाने की बात कही गई है-¹²



कागजात का मूल पाठ निम्नलिखित है -

॥ श्री एकलिंग जी ॥	॥ श्री रामजी ॥
सब डिस्ट्रीक्ट	बनाम
गीरवा	हस्ब जेल काबिज़ान
	जमील

नम्बरदार स्कूल को हाईस्कूल बनाने व यतीमखाना बनाने के लिए जमीन एकायर कर दी जाने के सिलसिले में देवराम- जीतू- धर्मलाल- पीथा- स्थल सरकार के शिकमी काश्तकार को हिदायत दी जाती है के जमीन जो एकायर की गई है उसमें फसल नहीं बोवे - एवजाने की जमीन देने की कार्रवाई जारी है- जल्द ही कार्रवाई होगी

देवराम, जीतू, धर्मलाल, पीथा
सरकार के शिकमी

मुतजाहुएहमेउजरहै
24-12-42

1942 में नम्बरदार स्कूल को हाई स्कूल बनाने तथा अनाथालय (यतीमखाना) बनाने के लिए धर्मलाल शर्मा की भूमि का अधिग्रहण किया गया। देवराम, जीतू, धर्मलाल, पीथा तथा स्थल के काश्तकारों को इस भूमि की एवज में दूसरी जगह भूमि दी जाएगी। इस सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है। यह हिदायत दी गई कि वह अपनी भूमि पर फसल नहीं बोए।¹³ मेवाड़ में देवस्थान विभाग भी अनाथ लोगों की मदद करते थे¹⁴ यतीमखाना के निर्माण से दरिद्र एवं अनाथ लोगों को आश्रय मिलता था। अतः महाराणाओं की उदार एवं सहिष्णुता पूर्ण नीतियों के कारण मेवाड़ का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास अनवरत चलता रहा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द्र : 'उदयपुर राज्य का इतिहास' भाग-1, पृ. 1-2।
2. पडाखा बही, वि.सं. 1947, पृ. 19।
3. शोध पत्रिका, वर्ष 35, अंक 2, (प्रताप शोध प्रतिष्ठान, उदयपुर)
4. वही
5. बखशीखाना बही, क्र.सं. 666 वि.सं. 1902 (राज. राज्य अभिलेखागार, उदयपुर)
6. वही
7. महाराणा स्वरूप सिंह कालीन परवाना (श्री धर्मलाल शर्मा के निजी संग्रह से)
8. उदयपुर गाइड एवं सिटी मैप (पर्यटन गाईड)
9. बही, क्रसं. 666 वि.सं. 1902 (राज. राज्य अभिलेखागार, उदयपुर)
10. ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द्र : 'उदयपुर राज्य का इतिहास' भाग-2, पृ. 837, श्यामलदास : वीर विनोद, भाग-2, खण्ड-3, पृ. 2। 196।
11. शर्मा बी. एन. : हकीकत बहिड़ा 'महाराजा फतेहसिंह जी ऑफ उदयपुर', महाराणा मेवाड़ पुस्तकालय, सिटी पैलेस, उदयपुर
12. धर्मलाल शर्मा के निजी संग्रह से प्राप्त कागजात
13. वही
14. देवस्थान विभाग की नियमावली (वार्षिक शाखा), मार्च 1992

The Impact of World Health Organization- 8 steps Guidelines in Manual Wheelchair Service Provision in Less Resourced Settings on Health, Education and Psychological Well-being of wheelchair Users with special reference to Chhatarpur, Madhya Pradesh

Dr. Mitali Bajaj* Sheetal Kumari**

*Associate Professor (Education) Maharaja College, Ujjain (M.P.) INDIA
**Research Scholar, Maharaja College, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

Introduction - "There is no greater disability in society than the inability to see a person as more."

- Robert M. Hensel

The wheelchair is one of the most commonly used assistive devices for enhancing personal mobility, which is a precondition for enjoying human rights and living in dignity and assists people with disabilities to become more productive members of their communities. For many people, an appropriate, well-designed and well-fitted wheelchair can be the first step towards inclusion and participation in society.

In 2008, the World Health Organization (WHO) published Guidelines on the provision of Manual Wheelchairs in Less Resourced Settings (LRS), which emphasized the need for appropriate wheelchairs, with a provision system addressing design, production, supply and service delivery processes.

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol (1) were adopted by the United Nations General Assembly on 13 December 2006 to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity.

Articles 20 and 26 of the Convention affirm that States Parties (i.e. governments or authorities) shall take effective measures to ensure personal mobility and rehabilitation by facilitating access to good quality mobility aids, devices and assistive technologies at an affordable cost, and to encourage entities that produce mobility aids, devices and assistive technologies

These guidelines seek to promote personal mobility and enhance the quality of life of wheelchair users by assisting Member States in developing a system of wheelchair provision to support the implementation of the

Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The guidelines focus on manual wheelchairs and the needs of long-term wheelchair users.

The guidelines are divided into five categories:

- Introduction
- Design and production
- Service delivery
- Training
- Policy and planning

Wheelchair services are commonly delivered in a sequence of steps. A summary of eight key steps typically involved in **wheelchair service delivery system**. This has been explained below:

- 1. Referral and appointment:** The system of referral will depend on existing services in the country. Users may self-refer or be referred through networks made up of governmental or nongovernmental health and rehabilitation workers or volunteers working at community, district or regional level.
- 2. Assessment:** Each user requires an individual assessment, taking into account lifestyle, vocation, home environment and physical condition.
- 3. Prescription (selection):** Using the information gained from the assessment, a wheelchair prescription is developed together with the user, family member or caregiver. The prescription details the selected wheelchair type, size, special features and modifications.
- 4. Funding and Ordering:** A funding source is identified and the wheelchair is ordered from stock held by the service or from the supplier.
- 5. Product Preparation:** Trained personnel prepare the wheelchair for the initial fitting. Depending on the product and service facilities, this may include assembly, and possible modification, of products supplied by manufacturers or production of products in the service

workshop.

6. Fitting: The user tries the wheelchair. Final adjustments are made to ensure the wheelchair is correctly assembled and set up.

7. User training: The user and caregivers are instructed on how to safely and effectively use and maintain the wheelchair.

8. Follow-up, maintenance and repairs: Follow-up appointments are an opportunity to check wheelchair fit and provide further training and support. If the wheelchair is found to be no longer appropriate, a new wheelchair needs to be supplied starting again from step 1.

Background Of The Study: The majority of studies find that persons with disability have lower employment rates and lower educational attainment than persons without disability. An analysis of the World Health Survey data for 15 developing countries suggests that households with disabled members spend relatively more on health care than households without disabled members.

People with disabilities are at greater risk of violence than those without disabilities. The ageing process for some groups of people with disabilities begins earlier than usual. People with disabilities are at higher risk of nonfatal unintentional injury from road traffic crashes, burns, falls, and accidents related to assistive devices. Mortality rates for people with disabilities vary depending on the health condition. Social deprivation has been a major contributor to these health inequalities, and people with mental health problems and learning disabilities were at a high risk of poverty. About 10% of the global population, i.e. about 650 million people, have disabilities. Studies indicate that, of these, some 10% require a wheelchair. It is thus estimated that about 1% of a total population – or 10% of a disabled population – need wheelchairs, i.e. about 65 million people world wide. In 2003, it was estimated that 20 million of those requiring a wheelchair for mobility did not have one.

Statement Of The Research: The present study is entitled “The Impact of World Health Organisation- 8 steps Guidelines in Manual Wheelchair Service Provision in Less Resourced Settings on Health, Education and Psychological Well-being of wheelchair Users with special reference to Chhatarpur, Madhya Pradesh”.

Operational Definition Of The Problem: World Health Organization Eight Steps Guidelines on Manual Wheelchair Service Provision The eight key steps typically involved in wheelchair service delivery are as follows:

1. Referral and appointment
2. Assessment
3. Prescription (selection)
4. Funding and ordering
5. Product preparation
6. Fitting
7. User training
8. Follow-up, maintenance and repairs

These guidelines focus on manual wheelchairs and the needs of long-term wheelchair users. These guidelines

seek to promote personal mobility and enhance the quality of life of wheelchair users. Some of the important terminologies and its meanings have been listed below:

Terminologies Meanings

Wheelchair: a device providing wheeled mobility and seating support for a person with difficulty in walking or moving around

less-resourced setting: a geographical area with limited financial, human and infrastructural resources to provide wheelchairs (a common situation in low- and middle-income countries, but also in certain areas of high-income countries)

manual wheelchair: a wheelchair that is propelled by the user or pushed by another person

Appropriate wheelchair: a wheelchair that meets the user's needs and environmental conditions; provides proper fit and postural support; is safe and durable

wheelchair user: a person who has difficulty in walking or moving around and uses a wheelchair for mobility

personal mobility: the ability to move in the manner and at the time of one's own choice

wheelchair provision an overall term for wheelchair design, production, supply and service delivery

wheelchair service: that part of wheelchair provision concerned with providing users with appropriate wheelchairs

Health: A wheelchair that is functional, comfortable and can be propelled efficiently can result in increased levels of activity, Independent mobility and increased physical function can reduce dependence on others making it an important factor in the Maintenance of Health. In addition to providing mobility, an appropriate wheelchair is of benefit to the physical health and a better quality of life of the user.

Education: Enhancing the scope of Education in Wheelchair users is a very important factor in the maintenance of a better and increased quality of life .

Psychological Well-being: Positive psychology is the scientific study of what makes life most worth living, focusing on both individual and societal well-being. It studies “positive subjective experience, positive individual traits, and positive institutions. It aims to improve quality of life.

Psychological wellbeing has two important facets. The first of these refers to the extent to which people experience positive emotions and feelings of happiness. Sometimes this aspect of psychological wellbeing is referred to as subjective wellbeing (Diener, 2000).

Aims And Objectives Of The Study

Objectives : To evaluate if WHO 8 steps guidelines in Service Delivery assist the wheelchair users get/optimize the Customized Wheelchair and appropriate services.

Sub Objectives:

1. To appraise how the First step – “Referral and Appointment” helps the Wheelchair users receive quality health care services
2. To assess how the Second step – “Assessment” supports the Wheelchair users go through proper channel of

Individual Assessment according to their individual needs.

3. To observe if the Third step – “Prescription (Selection)” assists the Health Personnel prescribe Specific wheelchair with detailing and special features for the Wheelchair users.

4. To analyze if the Fourth step – “Funding and Ordering” helps the Service Providers with the availability of the Wheelchair by the Suppliers.

5. To evaluate how the Fifth step – “Product Preparation” helps the Trained Personnel prepare the wheelchair for initial fitting for the Wheelchair users.

6. To judge if the Sixth step – “Fitting” assists the Wheelchair users perform the Trials of the wheelchairs followed by final adjustments.

7. To check if the Seventh step – “User Training” instructs the Wheelchair users and Caregivers use the wheelchair effectively and safely.

8. To measure how the Eighth step – “Follow-up, maintenance and repairs” provides opportunity to the Wheelchair users to check wheelchair fit and provide further training and support with advancing further repairs, maintenance and solving technical problems.

9. To assess if the WHO eight steps guidelines on Manual Wheelchair Service Provision are helping the wheelchair users to have an uninterrupted education.

10. To assess if the WHO eight steps guidelines on Manual Wheelchair Service Provision are assisting the wheelchair users gain Psychological Well-being (self-satisfaction, self-efficiency, sociable, mental health, interpersonal relationships).

Hypotheses

Null Hypothesis: There will be no significant relationship between WHO 8 steps Guidelines in Service Delivery to wheelchair users and obtaining a customized wheelchair as far as their health is concerned.

Sub Hypotheses:

1. There will be no significant relationship between First step – “Referral and Appointment” and receiving of quality health care services by users.

2. There will be no significant relationship between the Second step – “Assessment” and users going through Individual Assessment.

3. There will be no significant relationship between the Third step – “Prescription (Selection)” and assisting the Health Personnel with the detailing of the prescribed wheelchair.

4. There will be no significant relationship between the Fourth step – “Funding and Ordering” and the Service Providers with the availability of the Wheelchair by the Suppliers.

5. There will be no significant relationship between the Fifth step – “Product Preparation” and the Trained Personnel prepare the wheelchair for initial fitting for the Wheelchair users.

6. There will be no significant relationship between the Sixth step – “Fitting” and Wheelchair users performing the

Trials of the wheelchairs followed by final adjustments.

7. There will be no significant relationship between the Seventh step – “User Training” and instructions made to the Wheelchair users and Caregivers to use the wheelchair effectively and safely.

8. There will be no significant relationship between the Eighth step – “Follow-up, maintenance and repairs” and providing opportunity to the Wheelchair users to check wheelchair fit and provide further training and support with advancing further repairs, maintenance and solving technical problems.

9. There will be no significant relationship between WHO eight steps guidelines on Manual Wheelchair Service Provision and wheelchair users having an uninterrupted education.

10. There will be no significant relationship between WHO eight steps guidelines on Manual Wheelchair Service Provision and the wheelchair users gaining Psychological Well-being (self-satisfaction, self-efficiency, sociable, mental health, interpersonal relationships).

Methodology: Methodology in research is defined as the systematic method to resolve a research problem through data gathering using various techniques, providing an interpretation of data gathered and drawing conclusions about the research data. Research methodology is the specific procedures or techniques used to identify, select, process, and analyze information about a topic. In a research paper, the methodology section allows the reader to critically evaluate a study's overall validity and reliability.

Variables: WHO Eight Steps Guidelines on Manual Wheelchair Service Provision in Less Resourced Setting is Independent variable.

Health of the Wheelchair Users is Dependent variable. Education of the Wheelchair Users is Dependent variable.

Population And Sample: In this study the Wheelchair users or persons having the need of mobility aids of the organization, Christian Hospital located at Chhatarpur, Madhya Pradesh constitute as the Population of the study.

The sample size for the study will be estimated based on the population statistics on locomotor disability and the access to Wheelchairs as an assistive technology device. The Purposive Sampling Technique will be used in the study.

Data Collection: The data will be collected from the organization, Christian Hospital located at Chhatarpur, Madhya Pradesh based on the fact that Eight steps guidelines of World Health Organisation are being followed there. The needs of the Wheelchair users will be assessed thoroughly before making the prescription (selection) of the wheelchair along with appropriate wheelchair. Then new wheelchair would be delivered and fitted to the participant. During the same appointment, he/she would be trained on how to handle it, how to transfer, basic maintenance, and how to contact the Service Providers if they happen to face any issue going further. In this whole procedure the Eight Steps Guidelines of WHO will be followed by the Hospital. Versions of ICF by WHO like WHODAS 2.0, ICF-CY and

PWBS-2012 developed by Dr. Devender Singh Sisodia and Pooja Choudhary would be used as tools for the study.

Tools: The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)

The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is a framework for organizing and documenting information on functioning and disability (WHO 2001). . It integrates the major models of disability - the medical model and the social model - as a **“bio-psycho-social synthesis”**.

WHODAS 2.0: The World Health Organization Disability Assessment Schedule is a generic assessment instrument developed by WHO to provide a standardized method for measuring health and disability across cultures

There are three modes of administering WHODAS 2.0: self-administered, by interview and by proxy. The WHODAS 2.0 raw item scores can be used as an ordinal scale that reflects the level of difficulty (starts from **“no difficulty”** and increases in an ordered fashion to **“mild”, “moderate”, “severe” or “extreme” difficulty**). Each level indicates a higher degree of difficulty. The scale consists of **36 items** and covers six domains of life namely – **Cognition, Mobility, Self-care, Getting Along, Life Activities and Participation**.

ICF-CY: The **International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY)** is derived from the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (WHO, 2001) and is designed to record the characteristics of the developing child(**birth to 18 years of age**) and the influence of its surrounding environment

Psychological Well-being Scale: In the present research, **Psychological Well-being Scale (PWBS-2012)** developed by **Dr. Devender Singh Sisodia and Pooja Choudhary** would be used. The scale consisted of 50 items and covered five dimensions, namely – satisfaction, efficiency, sociability, mental health and interpersonal relations. The test retest reliability was found to be 0.87 and the overall consistency value of the scale was 0.90.

Variables Of The Study: In the present study WHO Eight Steps Guidelines on Manual Wheelchair Service Provision in Less Resourced Setting is Independent variable.

In the present study Health of the Wheelchair Users, Education of the Wheelchair Users and Psychological Well-being of the wheelchair users are Dependent variables.

Sample And Sampling Technique: Sample refers to the proper representation of population. Sampling is the process of selecting a group of individuals from a population to study them and characterize the population as a whole.

In this study the Wheelchair users or persons having the need of mobility aids of the organization, Christian Hospital located at Chhatarpur, Madhya Pradesh constitute as the Population of the study. The Purposive Sampling Technique will be used in the study.

Research Design: This study employs a Quasi Experimental Research Design that aims at CAUSE AND

EFFECT RELATIONSHIP like True Experimental Design. Quasi Experimental Research Design has following features :

1. No Random Assignment
2. Manipulation of an Independent Variable
3. Observes the effect of a dependent variable
4. Cause and Effect relationship
5. Emphasizes External Validity
6. Used in Field setting (Natural Setting)

The researcher has chosen to conduct experiment by employing **TIME SERIES DESIGN** among various designs that come under **Quasi Experimental Research Design**.

References:-

1. Nannar, Ramdas Kisan. (2008). Standardization of emotional intelligence inventory for school students. 22-04-2023, shodhganga, <http://hdl.handle.net/10603/302235>
2. Saha, Shovan. (2015). Outcomes of assistive technology in Indian population with locomotor disability. 12-03-2022, shodhganga, <http://hdl.handle.net/10603/44846>
3. Tripathi, Sunita. (). A study on socio economic empowerment of women with disabilities. 12-03-2022, shodhganga, <http://hdl.handle.net/10603/221778>
4. Routhier, François. (2003). Mobility of wheelchair users: A proposed performance assessment framework. 12-03-2022, Researchgate, <https://www.researchgate.net/publication/10929445>
5. Gupta, Shivani. (2019). Barriers to using mobility devices in rural homes in low resource settings. 12-03-2022, researchgate, <https://www.researchgate.net/publication/348834889>
6. Retrieved February 14, 2023, from [https://www.who.int/disabilities/publications/technology/English%20Wheelchair%20Guidelines%20\(EN%20for%20the%20web\).pdf](https://www.who.int/disabilities/publications/technology/English%20Wheelchair%20Guidelines%20(EN%20for%20the%20web).pdf) Retrieved February 23, 2023, from <https://wheelchairnetwork.org/>
7. Retrieved March 24, 2023, from <https://en.wikipedia.org/wiki/Disability#Terminology>
8. Retrieved March 24, 2023, from https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_disability
9. Retrieved April 3, 2023, from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241547482>
10. Retrieved April 3, 2023, from <https://www.statisticsolutions.com/dissertation-resources/research-designs/quasi-experimental-research-designs/>
11. Retrieved January 7, 2023, from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4722611/>
12. Retrieved April 14, 2023, from <https://www.mygreatlearning.com/blog/introduction-to-sampling-techniques/>
13. Retrieved April 14, 2023, from https://en.wikipedia.org/wiki/Positive_psychology
14. Retrieved April 14, 2023, from <https://www.robertsoncooper.com/blog/what-is-psychological-wellbeing/>

शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावशीलता

खुशबू परिहार*

* बी एड. + एम.एड. 4th छात्र, महाराजा कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों के क्रियाकलापों को अत्यन्त प्रभावित कर रही है। यह पठन-पाठन से लेकर आंकलन मूल्यांकन तक शिक्षा के हर पहलू को प्रभावित कर रही है यह शिक्षा की प्रभावशीलता बढ़ाती है एवं साक्षरता के आन्दोलन में भी कभी मददगार है, रेडियों टेलीविजन, संगणक इंटरनेट, मोबाईल, सोशल साइट्स आदि का उपयोग आज शिक्षा के क्षेत्र में अल्पकनीय एवं विस्तृत है। शिक्षा चाहे किसी भी क्षेत्र के लिए हो एवं सूचना जिसे जन-जन तक पहुँचाना है, वह सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से ही संभव हो पाया है।

मनुष्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जब कभी किसी कारणवश कोई विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है।

सूचना एवं संचार तकनीकी से मानव जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो इसके अनुप्रयोग से अछूता रह गया होगा इसकी प्रमुख आवश्यकताओं को निम्नबिन्दुओं में व्यक्त कर सकते हैं :

1. शिक्षा की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु व विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
2. देश एवं राज्य के प्रत्येक दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्र तक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की पहुँच बनाने हेतु।
3. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचि कर, सरल, सुगम एवं बोधपूर्ण बनाने हेतु।
4. देश व राज्य के प्रत्येक दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्र तक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की पहुँच बनाने हेतु।
5. शैक्षिक सूचनाओं एवं आँकड़ों के संकलन, संग्रह व उपलब्धता का एक आधारभूत मंच बनाना जो की सभी के लिए सत्रसुलभ हो।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा सहित हर क्षेत्र को अत्यन्त प्रभावित कर रही है। आज कल शिक्षा क्षेत्र में विशेष रूप से शैक्षणिक गतिविधियों में प्रौद्योगिकी को सशक्त करने की प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रौद्योगिकी छात्र के ज्ञान को बढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका हो सकता है।

शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आयोग शिक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाते हुए अध्यायन और अध्ययन की गुणवत्ता बढ़ाता है इसने अध्ययन में एक नया आयाम जोड़ा है जो उपलब्ध नहीं था। विद्यालय में सूचना संचार प्रौद्योगिकी की शुरुआत के बाद में छात्रों की पारम्परिक कक्षा के वातावरण की तुलना में प्रौद्योगिकी वर्धित वातावरण में पढ़ना ज्यादा स्फूर्ति दायक और रुचि कर लगता है।

कक्षा में और उसके अतिरिक्त पढ़ाई में सुधार लाने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है एक सामग्री प्रदाता का चयन करने से पहले व्यक्ति को अच्छी तरह से सोचना समझना चाहिए, क्योंकि सामग्री ही प्रमुख होती है स्मार्ट क्लास एजुकेशन प्रा. लि. के निदेशक है।

वर्तमान में मानव जीवन का प्रत्येक पहलू सूचक एवं संवाद प्रौद्योगिकी से अछूता नहीं है उसी प्रकार शिक्षा का क्षेत्र भी इसके अभावों से अप्रभावित नहीं रहा है नये-नये साधनों का बढ़ता उपयोग आज शिक्षा के क्षेत्र को इस नवीन तकनीकी से जोड़ता जा रहा है इन साधनों में मुख्य है - रेडियों, इंटरनेट टेलीकॉन्फ्रेंसिंग मोबाइल फोन कम्प्यूटर आदि।

शिक्षा का कोई भी भाग या क्षेत्र जैसे विधियों, शैक्षिक प्रक्रिया, उद्देश्य तथा शोध का विषय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के बिना आज सम्पूर्ण होना नहीं दिखाई नहीं देता वर्तमान में चाहे छात्राध्यापकों के ज्ञान से सम्बन्धित समस्याएँ हो या उनमें कार्य व्यापार की समस्याएँ हो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की जरूरत के बिना पूर्ण नहीं हो पा रही है वर्तमान में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का क्षेत्र के अत्यन्त शक्तिशाली भी होता जा रहा है।

शिक्षा जगत में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग अध्ययन की समस्त क्रियाओं में किया जाने लगा है। विद्यालय कला कौशल में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इतनी समृद्धि एवं शक्तिशाली होती जा रही है कि छात्रों के अध्ययन और छात्राध्यापकों के अध्यापन तथा उनके परीक्षण में इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है आज शैक्षिक तकनीकी की पुरानी परिकल्पना में इस प्रौद्योगिकी ने अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया है।

सूचना एवं संचार तकनीकी से तात्पर्य उस सूचना सम्प्रेषण तकनीकी से है, जिसके माध्यम से सम्प्रेषण कार्य अत्यधिक प्रभावीद्वं से सम्पन्न किया जाता है इसका संबंध वैज्ञानिक तकनीकी के ऐसे संसाधनों व साधनों से होता है जिसके माध्यम से त्वरितगति से सूचनाओं को प्रभावी आदान-प्रदान होता है।

सूचना एवं संचार तकनीकी द्वारा विद्यार्थियों को उनकी योग्यतानुसार पाठ्य सामग्री को बोधगम्य बनाकर अधिगम कराने में सहायक है। सूचना एवं संचार तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुबोध एवं सुगम बनाने में सहायक है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र एक गतिशील क्षेत्र है और तेज ट्रांसमिशन और अधिक क्षमता की माँग लगातार बढ़ रही है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में ऐसे उत्पाद शामिल हैं जिनसे इलेक्ट्रॉनिक जानकारी संग्रहीत, संसाधित संचारित बदली डुप्लीकेट या प्राप्त की जाती है सूचना एवं संचार में एनलॉग तकनीक भी शामिल है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का दूसरा कार्य होता है सूचनाओं का सम्प्रेषण अर्थात् सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना जिसके लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम भी हैं।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अगला कार्य होता है सूचना का

प्रोसेसिंग जिसमें एक नए अनुसंधानों को जगह प्राप्त होती है इस कार्य के लिए कम्प्यूटर अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शिक्षाविद् कहते हैं कि सूचना तकनीकी ज्ञान कौशल तथा अभिवृत्ति प्रदान करने की एक नवीन तथा उभरती हुई विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एक शैक्षिक प्रक्रिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

राज्य राजनीति में राज्य नेतृत्व परिवर्तन की भूमिका का विश्लेषण

डॉ. मनोज कुमार भारी*

* सह आचार्य (राजनीति विज्ञान) आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – भारतीय राज्य राजनीति में राज्य नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री राज्य की राजनीति में मुख्य व्यक्ति होते हैं और उनका कार्य नीति निर्माण, प्रशासन, और राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने में होता है। उनकी नेतृत्व शैली और शासन में प्रभावशीलता राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देती है। मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, उनके नेतृत्व से पार्टी के भाग्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि वे संकटों को कैसे संभालते हैं और राजनीतिक विवादों का प्रबंधन करते हैं। राज्य नेतृत्व की अनुभव, संवाद क्षमता और क्षेत्रीय मुद्दों के संबोधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय राजनीति में मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान उनकी कार्यशैली और प्रभावशीलता उनकी पार्टी और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देती है।

राज्यों में मतदाताओं की प्राथमिकताएं और मतदान पैटर्न का अंतर विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। इसलिए, नेतृत्व बदलने या बनाए रखने का निर्णय लेते समय प्रदेश के राजनीतिक संदर्भ को ध्यान में रखना जरूरी होता है। पश्चिम बंगाल में पुराने राजनैतिक दलों की लंबी शासनकाल एक विकल्पहीन सिद्धांत का परिचायक है, जो नेतृत्व परिवर्तन को अधिक मुश्किल बनाता है। विपक्षी दलों के पास सरकार में प्रवेश का सामर्थ्य बनाए रखने के लिए अधिक विकल्प होना चाहिए। राज्यों में राजनीतिक दिशा और अपेक्षाएं विकसित नेतृत्व के माध्यम से बदलती हैं। भारतीय राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्रियों के पदमुक्ति के विभिन्न कारण हैं – आंतरिक प्रतिद्वंद्विता, पार्टी नेतृत्व में बदलाव, क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय फोकस और वैचारिक बदलाव जैसे हैं।

शब्द कुंजी – राजनीतिक गठबंधन, राजनीतिक प्रासंगिकता, राजनीतिक रणनीतियाँ, राजनीतिक चालबाजी, अंतर-पार्टी गतिशीलता – प्रबंधन, वित्त पोषण, सुव्यवस्था प्रबंधन।

प्रस्तावना – भारतीय राजनीति में राज्य नेतृत्व परिवर्तन की भूमिका को समझने के लिए बहुआयामी कारकों की आवश्यकता है जो उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता को प्रभावित करते हैं। नेताओं की सक्रियता और उनकी विचारशीलता उनके राजनीतिक अभिनय को महत्वपूर्ण बनाती है। भारतीय राज्य राजनीति में राज्य नेतृत्व की भूमिका का विश्लेषण शासन की गतिशीलता, राजनीतिक निर्णय लेने और राज्य सरकारों के कामकाज को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। वे राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं और नीति निर्माण, प्रशासन और राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। राज्य नेतृत्व, मुख्य रूप से मुख्यमंत्री, राज्य के शासन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। प्रभावी शासन प्रदान करने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता उनकी लोकप्रियता और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। वह राज्य मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। नीतियों को लागू करने, गंभीर मुद्दों को संबोधित करने और चुनौतियों का जवाब देने की उनकी क्षमता की नागरिकों और राजनीतिक पक्षधारकों दोनों द्वारा बारीकी से जांच की जाती है। मुख्यमंत्रियों सहित राज्य के नेता अक्सर अपने राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने या विस्तार करने के लिए रणनीति बनाते हैं। वे अन्य दलों के साथ गठबंधन बनाते हैं,

अंतर-पार्टी गतिशीलता का प्रबंधन करते हैं, और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए राजनीतिक चालबाजी में संलग्न होते हैं। राज्य नेतृत्व केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के साथ व्यवहार में राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य के लिए संसाधन और वित्त पोषण सुरक्षित करने की उनकी क्षमता महत्वपूर्ण है।

राज्य राजनीति में मुख्यमंत्री अक्सर राज्य स्तर पर अपने राजनीतिक दल के भीतर एक प्रमुख नेता होते हैं। पार्टी के भीतर उनकी भूमिका, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके संबंध भी शामिल हैं, पार्टी की एकजुटता और चुनावी रणनीतियों को प्रभावित करती है। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता और जनता की धारणा उनकी पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में, राज्य की राजनीति के आधार के रूप में कार्य करते हैं। उनकी नेतृत्व शैली और शासन में प्रभावशीलता राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में सहायक होती है।

एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान एक मूल्यवान संपत्ति हो सकता है। वह संकटों को कैसे संभालते हैं, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हों, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति हों, या राजनीतिक विवाद हों, उनके नेतृत्व और पार्टी के भाग्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं। राज्य के नेताओं के लिए सत्ता विरोधी भावनाओं को प्रबंधित करना एक निरंतर चुनौती

है। शिकायतों को दूर करने, उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और मतदाताओं के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की उनकी क्षमता चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है। राज्य नेतृत्व को क्षेत्रीय और राज्य-विशिष्ट मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना महत्वपूर्ण है। जिन राज्यों में गठबंधन सरकारें आम हैं, वहां गठबंधन सहयोगियों को प्रबंधित करने और विविध हितों को संतुलित करने में मुख्यमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उनका शासन, निर्णय लेने की क्षमता, राजनीतिक रणनीतियाँ और अपने राज्य की आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को संबोधित करने की क्षमता सभी राज्य स्तर पर राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सफल राज्य नेतृत्व के परिणामस्वरूप सत्ता में एक राजनीतिक दल की निरंतरता बनी रह सकती है, जबकि असफलताओं या असंतोष के कारण चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से नेतृत्व में बदलाव हो सकता है।

मुख्यमंत्री पद के चयन के लिए निश्चित आयु सीमा एवं सुस्वस्थता, विधायकों सहित दलीय नेतृत्व का पूर्ण विश्वास तथा सहयोगी दलों की पसंदगी, कौशल-अनुभव लगभग अपरिहार्य घटक हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए सामान्यतः जरूरी समझा जाता है, लेकिन ये नियम राज्य और केंद्र की परिस्थितियों के सन्दर्भ में अत्यधिक परिवर्तनीय भी हैं। इस पदधारक से यह सामान्य अपेक्षा रहती है कि वह पार्टी के विचार और गठबंधन का पालन करे, सरकार के सञ्चालन में सक्रिय रहकर सुव्यवस्था प्रबंधन की निगरानी करे, सरकार के स्थायित्व और सुरक्षा हेतु विधानसभा में बहुमत को बनाये रखे, कानून और संविधान के मानकों का पालन करे, सामान्य एवं आपात कालीन स्थितियों का प्रबंधन करे, राज्य और केंद्र सरकार के बीच सहयोगी सम्बन्ध बनाये रखे, राज्य के विकास के साथ स्वयं के दल के आदर्शों की प्राप्ति में अपेक्षानुरूप कार्य करे इत्यादि। भारतीय राजनीति में मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनकी भूमिकाओं या प्रभाव को उनकी पार्टियों की स्थिति और परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्य में उनकी स्वीकार्यता से समझा जा सकता है। भारत के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे प्रकरणों को अध्ययन की सुविधा के लिए 10-13, 13-15, 15-20 तथा 20 वर्ष से अधिक कालखंड में निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है -

पवन कुमार चामलिंग- सिक्किम, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंटय नवीन पटनायक- ओडिशा बीजू जनता दल, ज्योति बसु-पश्चिम बंगाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), गेगोंग अपांग-अरुणाचल प्रदेश, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अरुणाचल कांग्रेस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ललथनहवला- मिजोरम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वीरभद्र सिंह-हिमाचल प्रदेश, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारत में 20 वर्ष या अधिक समय तक राज्य के मुख्यमंत्री पद के दायित्व को संभालने वाले राजनेताओं में शामिल है।

इसी प्रकार माणिक सरकार-त्रिपुरा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), एम करुणानिधि- तमिलनाडु, द्रविड़ मुनेत्र कड़गमय प्रकाश सिंह बादल-पंजाब, शिरोमणि अकाली दल, यशवंत सिंह परमार- हिमाचल प्रदेश, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्री कृष्ण सिन्हा- बिहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नीतीश कुमार-बिहार, समता पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), मोहन लाल सुखाड़िया- राजस्थान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नफ्यू रियो- नागालैंड, नागा पीपुल्स फ्रंट, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी

शिवराज सिंह चौहान- मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टीय प्रतापसिंह राणे- गोवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एस. सी. जमीर- नागालैंड, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट-प्रोग्रेसिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसय शीला दीक्षित- दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसय रमन सिंह- छत्तीसगढ़, भारतीय जनता पार्टीय ओकराम इबोबी सिंह- मणिपुर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसय तरुण गोगोई- असम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसय जोरमथंगा- मिजोरम, मिजो नेशनल फ्रंटय अशोक गहलोत- राजस्थान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम उन मुख्यमंत्रियों में शामिल है जिन्होंने 20 वर्ष से कम परन्तु कम से कम 15 वर्ष या अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया।

विलियमसन ए संगमा- मेघालय, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बिधान चंद्र रॉय- पश्चिम बंगाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जे. जयललिता- तमिलनाडु, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एन. रंगास्वामी- पुडुचेरी, अखिल भारतीय एन.आर. कांग्रेसय नर बहादुर भण्डारी- सिक्किम, सिक्किम जनता परिषद, सिक्किम संग्राम परिषद, एन. चंद्रबाबू नायडू- आंध्र प्रदेश, तेलुगु देशम पार्टीय जानकी बल्लभ पटनायक- ओडिशा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 13 वर्ष से अधिक परन्तु 15 वर्ष से कम समय तक राज्य के मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वहन किया।

बिमला प्रसाद चालिहा- असम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसय नरेंद्र मोदी- गुजरात, भारतीय जनता पार्टी, ममता बनर्जी- पश्चिम बंगाल, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भजनलाल- हरियाणा, जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसय बंसी लाल- हरियाणा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हरियाणा विकास पार्टीय वसंतराव नाइक- महाराष्ट्र, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला- जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेंसय गोविंद बल्लभ पंत-उत्तर प्रदेश, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ई. के. नयनार-केरल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), एम. ओ. एच. फारूक- पुडुचेरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गमय बुद्धदेब भट्टाचार्य- पश्चिम बंगाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भैरों सिंह शेखावत- राजस्थान, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एम. जी. रामचन्द्रन- तमिलनाडु, आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, नृपेन चक्रवर्ती- त्रिपुरा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)य वसुन्धरा राजे- भारतीय जनता पार्टीय दिग्विजय सिंह- मध्य प्रदेश, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि उन मुख्यमंत्रियों में से हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर 10 वर्ष से अधिक परन्तु 13 वर्ष से कम समय तक आसीन रहे।

किसी भी राज्य में मतदाताओं की अपने मुख्यमंत्रियों या राजनीतिक दलों को बदलने की इच्छा या अनिच्छा विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक प्राथमिकताएं और मतदान पैटर्न मतदाताओं के बीच व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं, और पूरे राज्य के मतदाताओं के बारे में सामान्यीकरण में सावधानी की आवश्यकता होती है। उक्त तथ्यों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि पश्चिमी बंगाल में आजादी के बाद केवल इस सूची में शामिल 4 मुख्यमंत्रियों ने लगभग 60 वर्ष तक शासन किया, जिससे प्रतीत होता है कि पश्चिमी बंगाल का जनमानस नेतृत्व परिवर्तन के मसले पर या तो बहुत रूढ़िवादी है या फिर उसके पास विकल्पों का अभाव एक स्थाई कारक है या सत्तारूढ़ दल जमीनी स्तर पर विपक्ष के पैर जमाने ही नहीं देता अर्थात् वहां विपक्षी संस्कृति का लोकमानस एवं राजनीति दोनों में पूर्ण अभाव है। पश्चिम बंगाल में कई वर्षों तक वाम मोर्चा शासन का इतिहास रहा है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का शासन रहा है। सामान्यतः नेतृत्व बनाए

रखने या बदलने का निर्णय लेते समय मतदाता अक्सर किसी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड और प्रदर्शन पर विचार करते हैं। दिल्ली से भौगोलिक दूरी, भाषाई भिन्नता के अलावा 1977 के बाद उस समय तक की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दायरा सीमित हो जाने पर क्षेत्रीय दलों ने ठीक दक्षिणी भारतीय राज्यों की भांति राज्य में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और लोक मानस में भी राज्य स्तरीय विषयों में क्षेत्रीय दलों से ही आकांक्षाओं की पूर्ति की स्थायी मनोवृत्ति ने घर बना लिया। वहाँ के मतदाता अक्सर स्थानीय मुद्दों से प्रभावित रहते हैं अर्थात् राष्ट्रीय मुद्दे उनके राज्य सरकार के चयन में महत्वपूर्ण नहीं हैं और ज्योति बासु जैसे मुख्यमंत्री या राजनीतिक नेता की लोकप्रियता ने मतदाताओं की राय को बहुत प्रभावित किया है, यहाँ एक मजबूत और करिश्माई नेता के लिए बसू ने दीर्घकालिक समर्थन प्राप्ति का बीज मुख्यमंत्रियों में बो दिया है। यहाँ एक कारक यह भी संभव है कि बंगाली मतदाताओं के पास कोई विश्वसनीय विकल्प नहीं है या सामान्यतया राज्य राजनीति में सरकार न बदलने की प्रवृत्ति के कारण विपक्ष बहुत बिखरा रहा हुआ है, तो ऐसा विपक्ष भी सत्ताधारी के साथ हित साधना के विकल्प को चुन सकता है।

योगेन्द्र यादव ने 2021 में लिखा था कि वे चिन्तित हैं 'इसलिए नहीं कि मैं विशेष रूप से इस बात पर केंद्रित हूँ कि यह चुनाव कौन जीतता है या कौन हारता है...वामपंथ का खात्मा और कांग्रेस का लगातार अप्रासंगिक होना अब बंगाल की राजनीति का खाका बन गया है।' वे पूर्व दृष्टान्त से निगमित करते हैं कि 'मुझे चिंता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहले से ही एक मिसाल मौजूद है। 1972 में हुए कुख्यात विधानसभा चुनाव को व्यापक रूप से निष्पक्ष चुनाव कराने के भारत के अपेक्षाकृत साफ रिकॉर्ड पर एक धब्बा माना जाता है। उस चुनाव में, इंदिरा गांधी की कांग्रेस - इसे उस समय कांग्रेस (आर) कहा जाता था - ने भारी जीत दर्ज की और 280 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) या सीपीआई (एम) को केवल 14 सीटों पर सीमित कर दिया। यदि आप वाम समर्थक मीडिया और शिक्षाविदों की मानें तो पूरा चुनाव 'धांधली' था।... कांग्रेस ने कठोर रणनीति का इस्तेमाल किया, मतदाताओं को कथित तौर पर दूर कर दिया गया और बूथ पर कब्जा कर लिया गया।'¹² इसी प्रकार राज्य में प्रतिद्वंद्वी भाजपा के पास क्षेत्रीय क्षत्रप खड़ा न कर पाने की स्थिति भी इसी मत को पुष्ट करती है की वहाँ मजबूत विपक्ष खड़ा करने में सशक्त राष्ट्रीय दल भाजपा आज भी सफल नहीं हो पाई। राज्य में उड़ीसा की बीजेडी की ही भांति जमीन स्तर पर क्षेत्रीय दल टीएमसी कैडर की मजबूत रणनीति को बेअसर करने के लिए राष्ट्रीय दलों के पास कोई साधन नहीं है।

पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड इत्यादि में छोटे आकार तथा एक एक लोक सभा सीट होने के कारण राष्ट्रीय नेतृत्व की वहाँ की राजनीति में अरुचि के कारण सरकारों को एंटी इन्क्म्बेन्सी का सामना नहीं करना पड़ता, वहीं इन राज्यों की सरकारें दलीय प्रतिबद्धता की बजाय अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्वकारी दल से समझौता कर लेती है तथा इस प्रकार निरंतर सत्तासीन रहती है।

भारतीय राजनीति में कौशल, अनुभव युक्त मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहते या रह चुके शक्तिशाली दावेदारों के पदमुक्ति के दृष्टांत बहुत हैं, जिनसे राजनीति के कुछ सामान्य नियम भी निर्मित किये जा सकते हैं। किसी शक्तिशाली दावेदार के बड़े कद के बावजूद भी पदमुक्त किया जाना या पदासीन न किया जाना, अनेक घटकों पर निर्भर करता है यथा आयु सीमा

को पार करना, विधानसभा की सदस्यता न रहना, पार्टी के नेतृत्व का समर्थन न रहना, अपने राज्य या क्षेत्र में प्रशंसा और प्राथमिकता खो देना, परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों से दल के सत्ता में रहने के बावजूद सहयोगी दलों का नापसंद किया जाना इत्यादि। भारतीय राजनीति में शक्तिशाली पूर्व मुख्यमंत्रियों के दरकिनार कर दिए जाने की परिघटना को बहुधा परिलक्षित होते हुए देखा गया है, ऐसे ही उदाहरणों और संदर्भों से राज्य राजनीति के शीर्ष नेतृत्व की कमान दिए जाने के सन्दर्भ में कुछ सामान्य नियमों की स्थापना किया जाना संभव है-

शक्तिशाली पूर्व मुख्यमंत्रियों को दरकिनार करने का एक सामान्य कारण अंतर दलीय प्रतिद्वंद्विता है। यदि किसी पार्टी में कई प्रभावशाली नेता हैं, तो आंतरिक सत्ता संघर्ष हो सकता है। ऐसे मामलों में, पार्टी आलाकमान एक नेता को दूसरे नेताओं पर प्राथमिकता देने का विकल्प चुन सकता है, जिससे कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों को दरकिनार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सोनिया गांधी और शरद पवार जैसे नेताओं के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण कुछ प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों को किनारे कर दिया गया। पृथ्वीराज चौहान ने 2010 से 2014 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आइएनसी) के सदस्य थे और सोनिया गांधी के करीबी थे, लेकिन उनके और शरद पवार के बीच मतभेदों से 2014 में मुख्यमंत्री के पद से उन्हें हटना पड़ा। इसी प्रकार अशोक चव्हाण, जो महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक रहे हैं। उन्होंने 8 दिसंबर 2008 से 9 नवंबर 2010 तक महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 9 नवंबर 2010 को, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों पर पद से इस्तीफा देने के लिए कहा। नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के बाद, विलासराव देशमुख ने नैतिक जिम्मेदारी ली और इस्तीफे की पेशकश की, जिसे पार्टी ने स्वीकार कर लिया और चव्हाण को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया।¹⁴ 2009 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर चव्हाण को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया।

पार्टी नेतृत्व में बदलाव या क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय फोकस: पार्टियों को अक्सर क्षेत्रीय अपील वाले नेताओं और राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाले नेताओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। यदि पार्टी के लक्ष्यों का दायरा अधिक राष्ट्रीय है, तो मुख्य रूप से अपने राज्य की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों को दरकिनार किया जा सकता है। उदाहरणतः उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को, जब उनके बेटे अखिलेश यादव ने पार्टी की छवि के आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा तो समाजवादी पार्टी के भीतर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन करने वाले नेताओं को दरकिनार करते हुए पार्टी नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला।

वैचारिक बदलाव: पार्टियां कभी-कभी वैचारिक बदलाव या रीब्रांडिंग प्रयासों से गुजरती हैं। जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों की विचारधारा पार्टी की नई दिशा के साथ मेल नहीं खाती, वे खुद को हाशिए पर पा सकते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) में वैचारिक बदलाव देखा गया है और जो नेता पुराने मार्क्सवादी सिद्धांतों का पालन करते हैं, उन्हें कभी-कभी अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वालों के पक्ष में दरकिनार कर दिया

गया है। गठबंधन सरकार में, विभिन्न दलों के पूर्व मुख्यमंत्रियों को जटिल सत्ता-साझाकरण व्यवस्था से गुजरना पड़ सकता है। इससे उनकी प्रभाव जमाने की क्षमता सीमित हो सकती है और परिणामस्वरूप उन्हें दरकिनार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए राज्य स्तर पर गठबंधन सरकारों में, पूर्व मुख्यमंत्रियों को अक्सर अपने गठबंधन सहयोगियों के एजेंडे की सीमाओं के भीतर काम करना पड़ता है, जो उनकी स्वायत्तता और प्रभाव को सीमित कर सकता है। उम्रदराज पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अगर पार्टी के भीतर पीढ़ीगत बदलाव की आवश्यकता हो, काफी बार पुराने नेताओं को दरकिनार करते हुए युवा नेताओं को प्रमुख भूमिकाएँ निभाने के लिए पदोन्नत किया जाता है, जैसे कर्नाटक में जनता दल (सेक्युलर) पार्टी में एच.डी. देवगौड़ा से नेतृत्व परिवर्तन करके बेटों एच.डी. कुमारस्वामी और एच.डी. रेवन्ना ने पीढ़ीगत परिवर्तन को प्रतिबिंबित किया। गठबंधन सरकारों वाले राज्यों में, छोटे गठबंधन सहयोगियों के पूर्व मुख्यमंत्रियों को प्रमुख पार्टी के लोगों की तुलना में खुद को सीमित राजनीतिक ताकत मिल सकती है। उनके नीतिगत निर्णय और एजेंडे पर बड़े गठबंधन साझेदार का प्रभाव पड़ सकता है, जिस प्रकार जम्मू-कश्मीर में भाजपा और पीडीपी की गठबंधन सरकार में पीडीपी की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भाजपा की तुलना में अपने एजेंडे पर जोर देने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

लगभग हर बार दल एवं मुख्यमंत्री परिवर्तित करने वाली उड़ीसा की जनता ने बीजू जनता दल को 4 बार लगातार विजयी बनाते हुए नवीन पटनायक को अपना मुख्यमंत्री चुना, जबकि इस दौरान भी केंद्र सरकार के लिए जनता के मूड और भावनाओं में बदलाव आते रहे। ज्योति बासु और नरेन्द्र मोदी के प्रकरण भी इसी प्रतिमान के अनुपम उदाहरण हैं। मजबूत क्षेत्रीय नेता राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों का सामना करने पर भी अपना प्रभाव बनाए रख सकते हैं, दिल्ली की अस्थिर सरकारों के बीच शीला दीक्षित का 98 से 2013 तक लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनना भी ऐसा ही उदाहरण है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक गतिशीलता लगातार विकसित हो रही है और विशिष्ट परिस्थितियों और विकास के आधार पर व्यक्तिगत मामले भिन्न हो सकते हैं।

पार्टी अनुशासन और वफादारी: भारतीय राजनीति में सख्त पार्टी अनुशासन और वफादारी बनाए रखना सर्वोपरि है। पूर्व मुख्यमंत्री जो सार्वजनिक रूप से अपनी ही पार्टी या उसके नेतृत्व की आलोचना करते हैं, वे खुद को दरकिनार कर सकते हैं क्योंकि उनके कार्यों को पार्टी की एकता के लिए हानिकारक माना जा सकता है। उदाहरण लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों, यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेताओं को पार्टी के नेतृत्व और निर्णयों की खुलेआम आलोचना करने के लिए भाजपा के भीतर परिणाम भुगतने पड़े।

राजनीतिक गठबंधन: राजनीतिक गठबंधन का गठन, विशेषकर राष्ट्रीय स्तर पर, भूमिका को प्रभावित कर सकता है और पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रासंगिकता। पार्टियों को गठबंधन सहयोगियों को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है, जो व्यक्तिगत नेताओं की प्रमुखता को प्रभावित कर सकता है। पार्टी के नियम और संरचनाएं भी पूर्व मुख्यमंत्रियों की भूमिका को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ पार्टियों में सख्त पदानुक्रम और निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ होती हैं जो क्षेत्रीय नेताओं की स्वायत्तता को सीमित करती हैं। उदाहरणतः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में एक केंद्रीकृत निर्णय लेने

की संरचना है, जो पार्टी के राष्ट्रीय एजेंडे में क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका को प्रभावित करती है। ये अतिरिक्त कारक भारतीय राजनीति की जटिलता को और स्पष्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री एक गतिशील परिदृश्य को पार करते हैं।

व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कल्याण: पूर्व मुख्यमंत्रियों का व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कल्याण उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या व्यक्तिगत असफलताएं राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल होने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकती हैं। मनोहर पर्रिकर जैसे नेताओं को स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिससे उनकी राजनीतिक भूमिकाएँ प्रभावित हुईं। स्थानीय नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जमीनी स्तर पर समर्थन और संपर्क बनाए रखना महत्वपूर्ण हो सकता है। जो पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से संपर्क खो देते हैं, उनके लिए अपना प्रभाव कायम करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उदाहरणतः नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने अपनी पार्टियों के भीतर मजबूत जमीनी स्तर का समर्थन हासिल किया है, जिससे उन्हें अपनी राजनीतिक स्थिति बनाए रखने में मदद मिली है।

भारतीय राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्रियों की भूमिका और प्रासंगिकता को प्रभावित करने वाले बहुआयामी कारकों को समझने के लिए क्षेत्रीय गतिशीलता, दलीय संरचना, व्यक्तिगत नेतृत्व गुण सहित राज्य एवं प्रभावित करने वाले राज्यतर राजनीतिक परिदृश्य के समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कुछ अन्य प्रच्छन्न कारक भी राजनीति की जटिल और लगातार बदलती प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं, जहां राजनेताओं को अपनी राजनीतिक स्थिति बनाए रखने के लिए प्रभावों और चुनौतियों के एक जटिल जाल से गुजरना पड़ता है।

कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना प्रभाव बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बाद के चुनावों में चुनावी प्रदर्शन का उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, लगातार चुनावी जीत उनकी स्थिति को मजबूत कर सकती है, जबकि हार उनके प्रभाव को कम कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री जो संकट प्रबंधन में उत्कृष्टता रखते हैं, उदाहरण के लिए नवीन पटनायक के ओडिशा में चक्रवातों और आपदा राहत प्रयासों के प्रभावी प्रबंधन ने एक सक्षम नेता के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। जो पूर्व मुख्यमंत्री चुनौतियों के सामने दृढ़ और अविचल रहते हैं, वे राजनीतिक तूफानों का सामना कर सकते हैं और अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सकते हैं। जिन नेताओं में खुद को पुनर्निर्मित करने और बदलते राजनीतिक परिदृश्य के साथ विकसित होने की क्षमता है, वे प्रभावशाली भूमिका निभाना जारी रख सकते हैं, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पुनः स्थापित किया और भारत के प्रधानमंत्री बने। ये अतिरिक्त कारक इस बात पर जोर देते हैं कि राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह से किसी की पिछली स्थिति से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि अनुकूलन क्षमता, लचीलापन और उभरती राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता से भी निर्धारित होता है। जो नेता इन कारकों से प्रभावी ढंग से निपटते हैं, वे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के बाद भी लंबे समय तक भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण व्यक्ति बने रह सकते हैं। जो नेता नागरिक समाज संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक नेताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं, वे जमीनी स्तर की चिंताओं और मुद्दों से जुड़े रह सकते हैं। नागरिक समाज संगठनों के साथ नीतीश कुमार के जुड़ाव ने उन्हें सामाजिक

और विकास चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की अनुमति दी है।

वहीं जो नेता तकनीकी प्रगति और डिजिटल शासन उपकरणों को अपनाते हैं, वे प्रगति और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर जनमानस में अपने लिए लम्बे समय तक छाप छोड़ने में सफल रहते हैं जैसे चंद्रबाबू नायडू के प्रौद्योगिकी-संचालित शासन पर ध्यान देने के कारण उन्हें प्साइबर बाबू उपनाम मिला, जिन्होंने तीन कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका कार्यकाल 1 सितंबर 1995 से 11 अक्टूबर 1999, दूसरा कार्यकाल 11 अक्टूबर 1999 से 13 मई 2004 तक रहा। 5 10 वर्षों के बाद, उनका तीसरा कार्यकाल 2014 से 2019 तक रहा। नायडू ने सूचना-प्रौद्योगिकी, नवाचार और जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे कल्याण उन्मुख शासन के बजाय आर्थिक सुधार और उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, साथ ही कृषि और सिंचाई पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें प्रौद्योगिकी और कृषि के एकीकरण पर जोर दिया गया, नायडू ने सभी राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में लगभग 24% रिकॉर्ड वृद्धि के साथ सर्वश्रेष्ठ पर्यटन प्रदर्शन करने वाले राज्य का सम्मान जीता।⁶ रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी नायडू की एक भारतीय ई-गवर्नेंस पहल है।⁷ आंध्र प्रदेश में एन. चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने कमजोर समूहों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा स्विट्जरलैंड के दावोस से प्रकाशित वर्ल्ड लिक पत्रिका ने उन्हें राजनीतिक नेताओं की अपनी 'ड्रीम कैबिनेट' में शामिल किया।⁸

ये समसामयिक रणनीतियाँ शासन की उभरती प्रकृति और उभरते मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर देती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो इन दृष्टिकोणों को प्रभावी ढंग से लागू करते हैं, वे अपने राज्यों के विकास और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सकते हैं, लगातार बदलते राजनीतिक परिदृश्य में प्रभावशाली और प्रासंगिक बने रह सकते हैं। भारतीय राजनीति में शक्तिशाली पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैसे दरकिनार किया जाता है, इसकी गतिशीलता को समझने के लिए विशिष्ट मामलों, पार्टी संरचनाओं, क्षेत्रीय कारकों और व्यक्तिगत नेतृत्व शैलियों के सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता है, यह संभव है कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे मौका नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी-अपनी पार्टियों के

शीर्ष नेता के लिए संभावित चुनौती या प्रतिद्वंद्विता पेश की थी। कई राजनीतिक संदर्भों में, पार्टियाँ ऐसे व्यक्तियों को बढ़ावा देने से बचना पसंद कर सकती हैं जो संभावित रूप से मौजूदा नेतृत्व पदानुक्रम को चुनौती दे सकते हैं या पार्टी की आंतरिक गतिशीलता को बाधित कर सकते हैं। यह निर्णय विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकता है, जिसमें पार्टी की एकता बनाए रखने, आंतरिक सत्ता संघर्ष को रोकने या वर्तमान नेतृत्व के अधिकार को संरक्षित करने की चिंताएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, शीर्ष नेता उन लोगों को बढ़ावा देना पसंद कर सकते हैं जो पार्टी के भीतर स्वतंत्र शक्ति केंद्र के रूप में उभरने के बजाय अपने स्वयं के दृष्टिकोण और एजेंडे के साथ अधिक जुड़े हुए हैं। प्रत्येक राजनीतिक नेता की यात्रा अनोखी होती है, जो इन कारकों और उनकी व्यक्तिगत पसंद और रणनीतियों के संयोजन से प्रभावित होती है। इन गतिशीलता में व्यापक अंतर्दृष्टि राजनीतिक जीवनियों, अकादमिक अनुसंधान और विशिष्ट राजनीतिक परिदृश्यों और विकासों के विश्लेषण में पाई जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. योगेन्द्र यादव- 'I worry about the coming assembly election in West Bengal', <https://theprint.in/opinion/i-worry-about-2021-bengal-election-you-should-too-yogendra-yadav/610830/>
2. योगेन्द्र यादव- उपर्युक्त
3. 'अशोक चव्हाण बने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री'। रीडिफ। 5 दिसंबर 2008
4. 'कांग्रेस ने तीनों मुख्यमंत्रियों को बरकरार रखा, खांडू, हुव ने ली शपथ'। रीडिफ। 25 अक्टूबर 2009
5. एन चंद्रबाबू नायडू टाइम लाइन, एनसीबीएन.इन
6. एस., नागेश कुमार (24 अक्टूबर 2003)। 'एक विस्फोट और उसका सदमा'। अग्रिम पंक्ति . 4 अप्रैल 2021 को मूल से संग्रहीत
7. 'कैश के बदले वोट मामला: केसीआर-नायडू युद्ध बढ़ा' -इंडिया टुडे : 9 जून 2015
8. <https://www.downtoearth.org.in/coverage/the-lone-crusader-19330>

पातालकोट की भारिया जनजाति की प्रमुख समस्याएँ एवं समाधान के उपायों का अध्ययन

अनुराग सोनी*

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - पातालकोट लगभग 3000 फीट धरती के नीचे है। यहां 12 गांव बसे हैं। इस विहगम घाटी में रहने वाले गोंड एवं भारिया जनजाति के लोग हैं। कुछ गावों में धूप के भी दर्शन नहीं होते हमेशा बदली सी रहने के कारण अंधेरा छाया रहता है। दोपहर को थोड़ा बहुत उजाला देखने को मिल जाता है। प्रारंभ में रहने वाले लोग पहले बिना वस्त्रों के रहा करते थे और जंगली जानवरों को मारकर भोजन करते थे। मगर धीरे-धीरे विकास हो रहा है। शहरी लोगों के संपर्क के आने के फलस्वरूप इनकी जीवन शैली में तेजी से बदलाव आ रहा है। इन जनजातियों के घर आज भी घास फूस के बने हुये हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न जड़ी-बूटियाँ पाई जाती हैं। जड़ी बूटियों का उपयोग भारिया जनजाति के लोग ईलाज के लिए करते हैं। यहां के लोग आम के पेड़ खूब उगाते हैं। महुआ की सब्जी एवं आम की गुठली की रोटी यहां के लोगों का मन पसन्द भोजन है। पातालकोट में सबसे ज्यादा सम्मान वैध का होता है। जिसे भुमका कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहां के लोग कम बीमार होते हैं। कोई बीमार हुआ तो वैध उनका जड़ी बूटियों से ईलाज कर देता है। अपने लिए जरूरी वस्तुएँ खरीदने के लिए ये लोग 20 कि०मी० दूर सामिया तहसील के बाजार में जाते हैं। वहीं ये लोग जड़ी बूटियाँ बेचते हैं और जरूरत का सामान खरीद लाते हैं।

पातालकोट में रहने वाली भारिया जनजाति की शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। शैक्षणिक संस्थानों का भी प्रभाव है। गरीबी, के कारण भी भारिया जनजाति के बच्चों में पढ़ाई के प्रति भी रुचि नहीं दिखाई देती है। उच्च शिक्षा का भी अभाव है। सरकार को पातालकोट में रहने वाली अत्यन्त पिछड़ी भारिया जनजाति की शिक्षा के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए तभी इनकी शिक्षा के स्तर में सुधार संभव है।

पातालकोट क्षेत्र के भारिया आदिवासी की समाजिक संरचना की इकाई व्यक्ति है। इनका समाज पुरुष प्रधान है। वैसे इनका समाज संयुक्त परिवार में रहना पसंद करता है। किंतु व्यक्ति चाहे तो स्वतंत्र निर्णय कर अलग घर बसा सकता है। इसके आलावा इनके समाज की यह परम्परा भी है कि यदि परिवार में कोई लड़का नहीं है तो ये लोग दामाद को अपने यहां रख लेते हैं। बड़ा परिवार इनके यहां शान माना जाता है। अधिकांश इनकी रिश्तेदारी आसपास के गांवों तक ही सीमित है। इनके यहां 51 गोत्र हैं किंतु पातालकोट में रहने वाले भारिया 12 गोत्र वाले ही मिलते हैं। इनके यहां सगोत्र में विवाह नहीं होते। इनका उल्लंघन करने पर समाज उनको कठोर दण्ड देने का प्रावधान करता है।

आर्थिक स्थिति का आकलन करे तो यहां के लोग वनो पर ज्यादा

निर्भर है। आर्थिक दृष्टि से यहां के लोग कमजोर है। आर्थिक संरचना के 4 प्रमुख घटक है। (1) प्रकृति संसाधन या वन संपदा (2) कृषि (3) श्रम कार्य (4) पशुपालन एवं शिकार। जंगलों से इन्हे दो प्रकार के वनोपज प्राप्त होते हैं। एक तो वनोपज को ये भोज्य सामग्री के रूप में उपभोग करते हैं दूसरी वनोपज को बेचकर प्राप्त धन से अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कृषि भारिया जनजाति दूसरा आर्थिक संसाधन है। किंतु पातालकोट की घाटी की विषय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कृषि से पूर्णरूप से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। मक्का, कोदो, कुटकी आदि इनकी प्रमुख फसल है। पातालकोट की दुर्गमता के कारण यहाँ पशुपालन भी सही रूप से नहीं हो पाता। गाय, बैल, बकरी मुर्गा आदि यहाँ के लोग पालते हैं। बैल कृषि कार्य में कार्य में जाये जाते हैं। आर्थिक रूप से भारिया जनजाति के लोगों की आय निम्न होने के कारण शत्रुप्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ मिलाकर कहे तो भारिया जनजाति समाज पातालकोट में आदिम अर्थव्यवस्था के प्राथमिक चरणों में कष्टमय जीवन यापन कर रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा लागू की गई सभी योजनाएं पातालकोट घाटी क्षेत्र के भारिया जनजाति में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से संचालित की जा रही है। जिसे वहां के निवासियों के माध्यम से संचालित की जा रही है। जिससे वहां के निवासियों की योजनाओं के प्रति रुचि, उसका लाभ उठाने की जिज्ञासा मूलरूप से योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होने की सूचक है। शासन स्तर पर पर्याप्त मदद दी जा रही है। किसी भी स्तर पर भेदभाव देखने को नहीं मिला है। परंतु पातालकोट घाटी क्षेत्र में इन विकास योजनाओं के परिणाम का प्रभाव प्रत्येक जनपद पंचायतों में अलग-अलग देखने को मिला है। जिसके कारण के रूप में जन जागरूकता एवं शिक्षा का आभाव, जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व क्षमता भारिया आदिम जनजाति निवासियों में मधुपान का होना महिलाओं की संगठन क्षमता तथा पातालकोट घाटी क्षेत्र में अंधविश्वास का होना आदि है। पातालकोट घाटी क्षेत्र में भारिया जनजाति के विकास के लिए म०प्र० राज्य सरकार की भूमिका अहम् है। साथ ही भारिया जनजाति विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पातालकोट घाटी क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को अपने विकास के लिए स्वयं की ओर से भी प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिए राज्य सरकार से अपेक्षा करना भी उचित नहीं है। परंतु इन विकास योजनाओं की सार्थकता तब तक सिद्ध नहीं हो सकती जब तक वास्तविक पातालकोट घाटी क्षेत्र में भारिया जनजाति हितग्राहियों को शत प्रतिशत

लाभ नहीं मिल जाता है।

भारिया जनजाति की प्रमुख समस्याएँ— आजादी के 75 वर्ष के पश्चात् भी भारिया जनजाति विशेष रूप से पातालकोट क्षेत्र के विकास हेतु किए गए शासकीय प्रयासों के फलस्वरूप इस वर्ग की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में कुछ सुधार तो दिखाई देता है किंतु उनके विकास की गति अत्यन्त धीमी है। आज भी यह क्षेत्र और यहाँ रहने वाले भारिया जनजाति को मूलभूत समस्याएँ पानी, सड़क, बिजली, खान-पान की वस्तुएँ, रोजगार के साधन, पलायन, चिकित्सा, शिक्षा का आभाव आदि समस्याएँ घेरे हुये हैं। यहां की जनजाति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। यहाँ के लोग केवल गुजारे की अर्थव्यवस्था पर जी रहे हैं।

पातालकोट के भारिया जनजाति के लोगों की समस्याएँ अन्य आदिवासी समाज की समस्याओं की तुलना में काफी भिन्न हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जनजातीय समुदाय विकास को विभिन्न अवस्थाओं से अभी तक गुजर नहीं पाई है जैसा अन्य आदिवासी समाज या अन्य समाज के लोग प्रयास कर चुके हैं।

प्रस्तुत शोध प्रबंध के माध्यम से भारिया जनजाति विशेषकर पातालकोट क्षेत्र पर अध्यापन करने के पश्चात् इन जनजाति के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु शासकीय एवं गैर सामाजिक संगठनों की सफलता एवं विफलता के विभिन्न क्रियात्मक समस्याओं को परिभाषित किया गया है। जो निम्नानुसार है।

1. दुर्गम स्थानों का होना – पातालकोट में 12 गांवों के लोग सदियों से दुर्गम स्थानों पर निवास करते आये हैं जो अन्य समाज से दूर एवं एकांत में है। इस कारण उपका संपर्क समाज की मुख्यधारा से नहीं हो पाया है। इस कारण भारिया लोगों को जीवनयापन तथा विकास के संसाधन जुटाने में बड़ी समस्या होती है।

2. शिक्षा का अभाव – निर्धनता एवं अनपढ़ होने के कारण जनजातीय लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के स्थान पर मजदूरी या खेती के कार्य में या वनोपज संग्रह कराने में लगा देते हैं जिससे वे अशिक्षित या छोटी कक्षा तक ही पढ़ पाते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते भी हैं वे बीच में ही स्कूल जाना बंद कर देते हैं। जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं वे इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं। फलस्वरूप उन्हें उसका साथ नहीं मिल पाता।

3. चिकित्सा सुविधाओं का अभाव – भारिया जनजाति के लोग दुर्गम स्थानों पर निवास करने की वजह से शासन स्तर पर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। ये लोग जड़ी बूटियों या झाड़फूंक द्वारा इलाज करते हैं। यदि स्वास्थ्य केन्द्र खोले भी गए हैं वहाँ या तो डॉक्टर नहीं है यदि डॉक्टर है तो दवाईयाँ नहीं हैं। अतः पातालकोट क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का अभाव है।

4. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन – पातालकोट क्षेत्र के भारिया जनजाति अत्यन्त पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आती है विकास योजनाओं का लाभ इन्हे जैसा मिलना चाहिए वैसा आज भी नहीं मिल रहा है। फलस्वरूप ये लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजार रहे हैं। दुर्गम स्थानों में निवास करने के कारण इन्हे वांछित सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं या योजनाएँ इनके लिए विफल हो रही हैं।

5. रोजगार की व्यवस्था – पातालकोट के आदिवासी जंगलों पर ही निर्भर हैं। जंगल घटते जा रहे हैं। खेती पर्याप्त नहीं हो पा रही है। वनों में पर्याप्त वनोपज पैदा नहीं हो पा रहा है। वनों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होने से

यहां के लोगों में रोजगार की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। अधिकांश जनजातीय लोग भूमिहीन हैं जो केवल मजदूरी पर ही निर्भर हैं।

6. परम्परागत कुटीर उद्योगों का बंद हो जाना – भारिया जनजाति के लोग टोकरी बनाने, चटाई बनाने, बांस एवं लकड़ी का सामान बनाने, दस्तकारी तथा खिलौने बनाने आदि से अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता था। आधुनिक प्लास्टिक – पेपर युग ने इन छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों को बंद कर दिया। लोगों द्वारा इनके कुटीर उद्योगों से बनी चीजों को नहीं लेने के कारण बेरोजगारी की नई समस्या उत्पन्न हो गई है।

7. मद्यपान की समस्या – भारिया जनजाति में मद्यपान का प्रचलन है ये लोग हर मौके पर या त्यौहार आदि में शराब का सेवन करते हैं। बच्चे, युवा बुजुर्ग, और औरत सभी शराब का सेवन करते हैं। पहले ये लोग स्वयं ही शराब बना लेते थे किंतु सरकार द्वारा प्रतिबंध के कारण इनके आय का एक हिस्सा शराब पर खर्च हो जाता है। सभ्यता के नए तौर तरीकों कारण मद्यपान का प्रचलन और बढ़ गया।

8. सिंचाई सुविधाओं का अभाव – ऊँची-नीची पहाड़ियों पर सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्ध कराना कठिन है। पातालकोट में भी यही समस्या के चलते यहां सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। नई तकनीक से ही सुविधाएं बढ़ सकती हैं।

9. बाल विवाह का प्रचलन – आदिवासी समूहों में आज भी छोटी उम्र में विवाह करने की प्रथा है। ये लोग आज के वैज्ञानिक युग में भी इसे उचित मानते हैं। फलस्वरूप बच्चों का शारीरिक-मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। आगे चलकर अनेक समस्याएँ आ जाती हैं। इसका प्रभाव आर्थिक स्तर पर भी पड़ता है।

10. पलायन की समस्या – पातालकोट के आदिवासी रोजगार की तालाश में शहरों में चले जाते हैं। फलस्वरूप उनका परिवार से सम्पर्क एवं लगाव कम होने लगता है। फलस्वरूप पारिवारिक विघटन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि जनजातीय समाज का एक समूह अपना क्षेत्र, घर, परिवार छोड़कर शहरों में बस गया है।

11. चुनाव में मतदान की समस्या—पातालकोट में लोकसभा या विधानसभा या अन्य चुनावों में मतदान कराना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अधिकतर गांवों में सड़क नहीं है। मतदाताओं को कच्चे रास्तों का सहारा लेना पड़ता है। पातालकोट के लोगों ने बताया कि—‘पहले वो उन्हें पातालकोट से निकलकर ऊपर के गांव में वोट करना होता था लेकिन अब प्रशासन ने चार पोलिंग बूथ बना दिया है। 12 गांव के आदिवासी वोट डालने के लिए पहुंचते हैं इनमें से अधिकतर गांव में सड़क नहीं है। इसकी वजह से लोगों को पंगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है। अधिकतर घर पहाड़ों पर दूर दूर हैं जिसकी वजह से सड़कों का निर्माण कराना भी कठिन है।

12. पक्की सड़क की समस्या – 3000 फिट जमीन से नीचे होने के कारण तथा ऊँची नीची पहाड़ियों के कारण 12 गांवों में से 6 गांवों में पक्की सड़क नहीं है। बरसात के मौसम में तो और परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां के लोगों को पंगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है। कुछ गांव जरूर पक्की सड़कों से जुड़ गए हैं। किंतु पूर्ण सुविधाजनक नहीं हैं।

13. पीने के पानी की समस्या – पातालकोट के आदिवासियों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। तालाब ढाना के रहने वाले सभी परिवार पीने के पानी के लिए हर रोज लंबा सफर करते हैं। करीब दो किलोमीटर चलने के बाद एक गंदे नाले से पीने का पानी लाते हैं। यहां के

भारिया शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं। पीने के पानी के लिए यहां कोई भी इंतजाम सरकार ने नहीं किया है। तालाब ढाना में कुल 100 परिवार रहते हैं। फिलहाल यह लोग पेयजल संकट से जुझ रहे हैं। योजना तो सरकार द्वारा बनाई गई लेकिन पानी नहीं पहुँचा।

पातालकोटकीभारियाजनजातिके समाधान के लिए उपाय:

1. पीने के पानी की समस्या का समाधान प्राथमिक स्तर पर सर्वप्रथम करने के लिए नीति बनाते हुए किया जाये जिन गांवों में एवं जिस जगह समस्या हो वहां पहले क्रम में पानी की समस्या का समाधान किया जाए।
2. चिकित्सा के लिए प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से दवाईयां उपलब्ध करायी जाये। लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जाए ये लोग झाड़, फूंक, टोना टोटका का सहारा न ले ऐसी जागरूकता इनमें लाने का प्रयास करें। सामाजिक संगठन इस कार्य में सहयोग कर सकते हैं।
3. शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था हो। साथ ही शिक्षित होने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे। नहीं आने का उचित कारण खोला जाए और उस पर उचित ढंग से कार्यक्रम बने जिससे बच्चे स्कूल जाने के प्रति जागरूक हो जाए।
4. पातालकोट में भारिया जनजाति की आर्थिक समस्याएँ आज भी गंभीर है। इसका समाधान करने के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए स्वरोजगार हेतु पहल सर्वोच्च स्तर पर की जाए। कुटीर उद्योगों के माध्यम से वस्तुएं बनाई जाए एवं उसकी बिक्री के लिए उचित व्यवस्था की जाए। इस क्षेत्र में कृषि की नई तकनीकी का भी विकास किया जाए। शिक्षा द्वारा पशुपालन, मुर्गीपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन एवं अन्य स्वरोजगार को भी प्राथमिक स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
5. भारिया जनजाति के लोग संकोची एवं संतोषी होते हैं। उनमें धर्नाजन करने या व्यवसाय करने की पृवृत्ति नहीं पाई जाती। अतः उन्हें उद्यमी बनाने तथा व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाने हेतु जागरूक किया जाए।
6. शासकीय सहायता देने के स्थान पर ऐसी योजनाएँ बनाई जाए ताकि आदिवासी आत्मनिर्भर बनकर स्वयं का एवं परिवार का विकास करते हुए उच्च जीवन स्तर को प्राप्त कर सकें।
7. भारिया जनजाति के लोगों को विकास हेतु स्वालम्बी बनाया जाना

चाहिए। साथ ही उन्हें सहभागिता, सहकारिता एवं पारस्परिक सहयोग की प्रेरणा देनी होगी जिससे वे स्वाभिमान तथा आत्मनिर्भर भी बन सकें।

8. पातालकोट के जनजातीय समाज की सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए जनजातीय नेताओं की सहायता से सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए जनजातीय लोगों को आगे आना होगा।
9. भारिया जनजाति के लिए शासकीय सेवाओं में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्तियां देना जरूरी है। इसी तरह राजनीतिक दलों के लिए ऐसी आचार संहिता बनाई जाए जिससे वे अपने लाभ के लिए इन्हें भड़का न सकें।
10. वन संबंधी ऐसे कानून बनाये जाए जिससे आदिवासी समाज वनों से वनोपज प्राप्त कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें।
11. आदिवासी विकास के कार्यक्रमों की सतत जांच एवं निगरानी रखने की आवश्यकता है।
12. आदिवासी की विकास योजनाओं में सक्रिय आदिवासियों की सहभागिता जरूरी है तभी विकास योजनाओं सफल हो सकती है। निष्कर्ष रूप से देखा जाये तो पातालकोट के भारिया जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। भारिया जनजाति के लोग इस परिवर्तन को स्वीकार भी कर रहे हैं। आदिवासियों के विकास की योजनाओं को सही रूप से क्रियान्वित करने हेतु ईमानदार अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त किए जाए साथ ही विकास कार्यक्रमों में जनजातीय लोगों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए तभी सही अर्थों में पातालकोट के आदिवासियों का खाससौर पर भारिया जनजाति के लोगों का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक विकास के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ढाकरिया, दिनेश कुमार, भारिया जनजाति में विकास योजनाओं का प्रभाव एवं मूल्यांकन अध्ययन।
2. शर्मा डॉ श्रीनाथ, जनजाति समाजशास्त्र।
3. शोधार्थी के निजी सर्वे द्वारा अध्ययन।
4. वाजपेयी, सरला, आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन (छिन्दवाड़ा जिले की भारिया जनजाति का अध्ययन)।

The Study of National Income of India

Dr. Aruna Sharma* Dr. Ashok Sharma** Dr. Aradhana Shukla*** Pragati Rai****

*HOD & Assistant Professor, Govt. J. Yoganandam Chhattisgarh College, Raipur (C.G.) INDIA

** Assistant Professor, Govt. J. Yoganandam Chhattisgarh College, Raipur (C.G.) INDIA

***HOD & Assistant Professor, Vipra Kala Vanijya Avam Sharik Shiksha Mahavidhyalaya, Raipur (C.G.) INDIA

**** Research Scholar, Govt. J. Yoganandam Chhattisgarh College, Raipur (C.G.) INDIA

Abstract - The study is undertaken to study the national income of income .Indian economy is to grow by a robust 7.3% in FY 2023-24 over and above provisional growth rate of 6.55% during the last financial year. Nominal GDP or GDP at current prices in the year 2023-24 is estimated at Rs. 29658 Lakh Crore, as against the provisional estimate of GDP for the year 2022-23 of Rs. 272.41 Lakh Crore, released by 31st may 2023. The growth in real GDP during 2023-24 is estimated at 7.3 percent as compared to 6.55 percent in 2022-23. The GDP value of India represents 1.47 % of the world economy.

Keywords: National Income, Gross Domestic Product , Gross National Product, Inflation Rate etc

Introduction - The total amount of money earned by all Indian citizens is known as the country's national income. This national income also includes the GDP and GNP. Whereas GNP is the gross national product , GDP is the gross domestic product. Moreover the key determinants of India's national income are the country's savings rate and economic investment. The importance of country's final commodities and services expressed in monetary terms for its citizens is known as its national income. National income data is used to calculate country's overall economic performance. The primary goal of national income is to throw light on overall output and income and give the government a foundation upon which to build policies and programs that will optimize the welfare of the nation's citizens the Indian national income is computed by the Central Statistical Organization.

Income method - estimated by adding all the factors of production (rent, wages, interest, profit) and the mixed income of self-employed.

Production method - value added = value of output - value of (non-factor) inputs

Expenditure method - GDP at MP = private's sector's expenditure on final consumer goods + investments or capital formation + govt's expenditure on final consumer goods + (net exports)

Significance of study: The study of National income of India is demonstrated by this study, which makes it extremely relevant today. Monetary policy represents an additional crucial tool for accomplishing the goals of macroeconomics policy. In certain nations like India the central Bank (Reserve Bank of India) functions as the

government's agent and follows its directive and general policies. In order to strengthen the economy at the financial condition or future output level by influencing the level by aggregate demand, monetary policy relates to changes in the supply and interest rate.

This study will provide relevant result to different research scholars, investigators and concerned institutes. This will also help the policy makers

Objectives:

1. To Study The trends of Per Capita Income Of India from financial year 2018-19 to 2022-23.

Review of literature-

1. Kaur Baljit, Sethi Singh Amarjit , (2004), “ *Public Expenditure And National Income In India: An Investigation Of Structural Changes And Causality*”, paper attempts to measurement the speed of growth and structural changes in india's government final consumption expenditure and income at both aggregate and disaggregate levels. The per also pokes into the causal relationship between the two macro variables.

2. Sinha Kumar Jitendra (2022), “ *Government Expenditure And Its Effect On National Income And Employment In India*”, the study used the dynamic panel models. The study recommends proper use of the resources of government and powerful tools and policies that can help in achieving an equitable distribution of income and wealth.

Research methodology: Research methodology is the systematic method, process dealing with identifying problem, collecting facts or data, analyzing these data and reaching at certain conclusion or certain conclusion or

certain generalization for some theoretical formulation.

This research paper is an explanatory in pattern which is primarily based on secondary sources such as referred journals article, books and websites and research papers for its data consideration. The research is based on secondary data. Data is collected through various books, magazines, newspaper and through internet sources (microtrends.com, forbes.com, tradingeconomics.com, statista.com and pib.gov.com).

Interpretation and Analysis: India's per capita net national income (NNI) is improved by 35.12 percent from Rs. 72,805 in 2018-19 TO Rs. 98,374 in 2022-23 at constant (2011-12) prices. The following represents the average inflation rate for the entire financial year in India, based on the consumer price index for the entire country and the growth in per capita income from 2018-19 to 2022-23

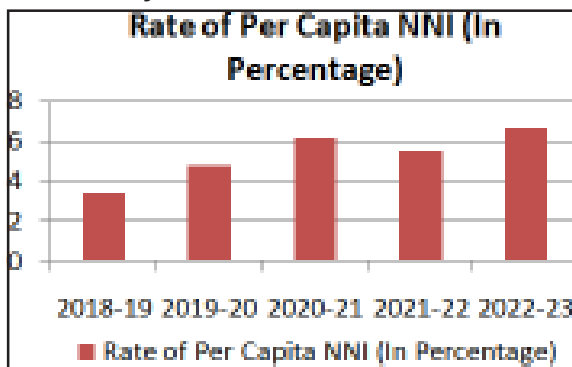
Table 1: India's per capita National Income across India from financial year 2018 to 2022

CPI base 2012=100 Growth rate of per capita NNI (In %)

Year	Inflation based on CPI	At current prices	At constant (2011-12) prices
2018-19	3.41	9.3	5.2
2019-20	4.77	5.1	2.5
2020-21	6.61	-4.0	-8.9
2021-22	5.51	16.9	7.6
2022-23	6.65	16.0	6.3

Source:pib.gov.com

Table 1: India's per capita National Income across India from financial year 2018 to 2022



Graph 1: India's per capita National Income across India from financial year 2018 to 2022

Graph 1 shows the India's per capita net national income

across India from financial year 2018 to 2022. The analysis shows that in the financial year 2018-19 the rate of per capita NNI is 3.41%, in financial year 2019-20 the rate of per capita NNI is 5.51% which is increase in the inflation rate. In financial year 2020-21 the rate of per capita NNI is 6.61%. In financial year 2021-22 the rate of per capita NNI is 4.77% which is decrease in respect to previous year. In financial year 2022-23 the rate of per capita NNI is 3.41% which is also a decrease in the inflation rate of per capita national income.

Conclusion: Although both NNI and GNI (gross national revenue) are measures of a nation's welfare and economic success., NNI is based on GDP, whereas GNI and GDP plus net foreign receipts, which include property revenue, wages and salaries, net taxes and foreign subsidies. The NNI of a nation , on the other hand is equivalent to its GNI net of depreciation. When it came to gross national income in the Asia pacific region in 2020, India came in second place. This has been made achievable by India's positive GDP growth. Nominal GDP or GDP at current prices in the year 2023-24 is estimated at Rs. 29658 Lakh Crore, as against the provisional estimate of GDP for the year 2022-23 of Rs. 272.41 Lakh Crore, released by 31st may 2023. The growth in real GDP during 2023-24 is estimated at 7.3 percent as compared to 6.55 percent in 2022-23.

References:-

1. Kaur Baljit, Sethi Singh Amarjit , (2004), " *Public Expenditure And National Income In India: An Investigation Of Structural Changes And Causality.*
2. Sinha Kumar Jitendra (2022), " *Government Expenditure And Its Effect On National Income And Employment In India*".
3. Ghosh jyoti, chandreshkhar C.P (2018), "national income in india: whats really growing".
4. International labour organization, unemployment rate LO modeled estimated 2018.
5. Bajanica An.The Composition Of Government Expenditure And Economic Growth In Bolivia. Latin American journal of economic 2013; 50(1):83-105.
6. Sethi AS . consumption expenditure and income in india: short term forecasts and causality behavior. Indian journal of quantitative economic 2003; 17(1 & 2):61-90.
7. pib.gov.com
8. tradingeconomics.com

India and UNSC Reforms

Pallavi Sharma*

*Masters in Political Science, Jammu University, Jammu (J&K) INDIA

Abstract - India's growing involvement in the UN is based on its unwavering belief that communication and multilateralism are essential to accomplishing common objectives and resolving issues that the international community faces together. India was one of the few United Nations members to sign the Washington, D.C., Declaration on January 1, 1942. 1945 saw the establishment of the Security Council and other major UN bodies. The UN Charter's ideals, which uphold international peace and security, serve as the foundation for the UN's operations. This research paper begins by Introduction of the Function and Powers of the security council then by mapping historical association and interest of India with UN as a whole especially with the security Council and its perspective on the various categories of membership, desire to gain permanent seat, rising stature of India at world level especially in Post COVID era and need for reformed Multilateralism in the current geopolitically Multipolar world.

Keywords: India, Security Council, G4 United Nations, Multilateralism, Veto power.

Origin Of UN : In order to establish international harmony and shield future generations from the scourge of war, the League of Nations gave rise to the United Nations in 1945. On October 24, 1945, in San Francisco, the 51 founding members of the United Nations formed it with the goal of achieving global peace, democracy, and independence since the start of World War II. There are now 193 members of the United Nations.

India is a rising force in the world community, and one of its main assets is its Soft power and unwavering cooperation with multilateral international organizations, especially the United Nations.

Prior to gaining independence from the British Empire, India signed the "Declaration by United Nations" in Washington, D.C. on January 1, 1942, making it a founder member of the UN. In addition to spending its eighth term as a non-permanent member of the UNSC (2021–2022), India is involved in all UN specialized bodies and organisations. Much emphasis has been paid to the evolution of India's active participation in global discussions on trade, climate change, and development policy.

United Nation Security Council(UNSC)

It is one of the six organizations named in the UN charter, the other five being the UN Secretariat, the Trusteeship Council, the General Assembly (GA), and the Economic and Social Council (ECOSOC).

1. The UNSC was designed to enable swift, efficient decision-making.
2. The UNSC is the only body that can provide member states legally binding resolutions.

3. Both the admission of new members and amendments to the UN charter are approved by the UNSC. January 17, 1946, was the day of its inaugural meeting.

4. It may also suggest to the General Assembly that a state be expelled from the Organisation (Article-7).

Composition and Organisation of the UNSC: Chapter V, Article 23(1) of the UN Charter states that the Security Council is to be composed of fifteen United Nations members. Five countries—China, France, Russia, the United Kingdom, and the United States of America—among the fifteen members will be permanent members.

A two-thirds majority in the UNGA General Assembly is required to elect the ten additional non-permanent members of the UNSC. The Security Council's non-permanent members are chosen to serve two-year terms. Each Security Council member is allowed one representative. In 1963, the United Nations General Assembly determined that the ten non-permanent members would be distributed geographically as follows: two members would come from Asia, two from Africa, two from Latin America and the Caribbean, two from Western Europe and Other regions, and one from Eastern Europe.

The UNSC has formed the following auxiliary organs as it sees fit in order to carry out its duties under Article-29 of the UN charter.

Making Decisions: In accordance with Article 27, each Security Council member is entitled to one vote.

Nine of the Council's fifteen members, including the five permanent members who cast concurring votes, must vote affirmatively to make decisions on procedural

matters. This is known as "Veto Power," the big power unanimity rule. It is a reflection of the UNSC's uneven organization.

India's association with UNSC

The 193 member United Nations adopted a consensus resolution in its 69th General Assembly on September 14, 2015, to switch from Inter-Governmental Negotiations (IGN) to a Text-Based Negotiations (TBN) process for reforming the UN Security Council. This was a truly "historic" step towards reforming global governance in the area of international peace and security.

As far as India is concerned, no reform of the United Nations (UN) is complete unless the Security Council's makeup is adjusted to better reflect 21st-century reality. This necessitates increasing the number of permanent and non-permanent members of the Security Council.

The core of India's persistent appeals for reforming the UN, the only universal organization of global governance currently in existence, is the country's pursuit of permanent membership in the Security Council, which Prime Minister Man Mohan once accurately referred to as "an essay in persuasion."

Jawaharlal Nehru, the country's first prime minister, described India's approach to the UN as one of "whole-hearted cooperation" and "full participation in its councils to which her geographical position, and contribution towards peaceful progress to her" are relevant. India vehemently argued that while choosing states for the Security Council, consideration should be given to considerations like population, industrial potential, willingness and ability to contribute to international peace and security, historical performance, and the requirement for representation from a variety of regions.

India's involvement in the Security Council dates back to the UN's establishment, when Mahatma Gandhi believed that India, including Pakistan and Bangladesh at the time, should become a veto wielding member of the Security Council.

Later, with the emerging Cold War calculus in mind, Jawaharlal Nehru, the first prime minister of India, defended against the highly contentious offer to join the Security Council made by the US and the then-Soviet Union in 1950 and 1955, respectively, and steadfastly refused to join at the expense of China.

Why The Security Council Need To Be Overhauled: The world population has increased threefold, power is dispersing away from states, relative material power and influence is shifting from the West to the East, and the ongoing shift from uniformity to multipolarity characterizes the rapidly changing 21st-century world.

1. The geopolitical environment of 1945 is reflected in the makeup of the Security Council today.
2. It encroaches on the sovereignty of the state because rulings are final.
3. It's Underrepresentation undermines the legitimacy of

this incursion.

4. Limited attempts to reform the UNSC.
5. If the Security Council isn't reformed, there's a chance that decision-making may go to other venues, which would eventually discourage multilateralism.

Three factors are crucial to India's quest for a council seat: First, India's long-standing membership in the UN system following its independence. India also took part in the San Francisco Conference and signed the Treaty of Versailles, which served as the model for the UN.

India has actively participated in all UN projects and various UN bodies, such as the debates on the Agenda for Peace and Development, the Millennium Development Goals, and the formation of the G77 developing nations and the UNEP, UNDP, and UNICEF supporting organisations. Additionally, India has hosted the UNSC Counterterrorism Committee, which was set up by Security Council resolution 1373, which was passed in 2001 in response to the US 9/11 attacks. India has been involved in UN peacekeeping for a very long time, having sent more personnel than any other nation. Over 253,000 Indians have served in 49 of the 71 UN Peacekeeping Missions established since 1948. Today, India has nearly twice as many peacekeepers deployed in the ground as do China, France, Russia, the United Kingdom, and the United States combined—also known as P5. India has made significant financial contributions, emphasizing both absolute and relative financial contributions; the country's track record of timely payment should also be taken into consideration. India has positioned itself as a "responsible stakeholder" in the international system or as a revisionist power that seeks to redefine the norms of international engagement. India has long been viewed as a leader and a "moralistic force" among the developing nations that make up the so-called Third World. India, according to former secretary general Kofi Anan, has been influencing UN agendas on behalf of poor nations. Indians have been steadfastly seeking more freedom via pluralistic democracy.

Second is India's intrinsic value: India's Ministry of External Affairs has eloquently stated that the country is a "legitimate" candidate for permanent membership in the UN Security Council based on any objective standards, including population, territory size, GDP, economic potential, legacy of civilization, cultural diversity, political system, and previous and current contributions to UN operations, particularly peacekeeping missions. India's growing economic influence on the world stage has strengthened its claims. India's economy ranks fifth globally. India is currently regarded as one of the most significant participants in economic organisations such as the G20, BRICS, and WTO.

Similar to the current permanent members, who are all Nuclear Weapon States (NWS), India is a natural claimant as a permanent member due to its recent acquisition of this status in May 1998.

Third is India's great power Ambition A seat at the Premier Powerful table of the UN would provide it the much-needed influence to increase its worldwide geopolitical and geoeconomic clout. In addition to being China's opponent and potential hegemony in Asia, it would act as a leveler and become a growing strategic and security issue in its region and beyond.

India has always viewed itself as the democratic counterweight to China's authoritarian regime. India wants to become a rule creator in the world rather than just a rule taker, which is a limited role (a system shaping role))

According to Kofi Annan, the Security must change or run the risk of losing its relevance.

After the UNGA adopted Resolution 47/62 in 1992, titled "The Question of Equitable Representation on and increase in the membership of the security council," the UNSG Reforms gained international attention.

Restructuring Standards: It is important to remember that the Security Council underwent reform in 1965 when it expanded the number of non-permanent members from 11 to 15 and raised the number of votes required to pass a resolution from seven to nine.

"Truly Historic and Path Breaking on several counts as it move beyond mere statements, compiled texts, or summaries," was how the 69th UNGA decision from September 2014 was described. The IGN process is now formally a text-based negotiation thanks to a UNGA decision.

The questions of equitable representation on and increase in the membership of the Security Council and related matters: membership categories, question of veto, regional representation, size of an enlarged council and working methods of the Council, and the relationship between the council and the General Assembly were among the issues identified by the General Assembly in its decision 62/557.

Categories of Membership: Regarding membership categories, India has contended that a vast majority of member states have already supported expansion in both categories. India firmly supports the G4, L69, and Africa in their calls for Expansion and balanced enlargement in both Categories.

Question of Veto: India's position is aligned with G4 and Africa who have called for abolition of Veto. The Indian stance is on quality, i.e., imposing constraints, rather than quantity, i.e., expanding it instantly to new permanent members. It is possible for newly appointed permanent members to hold off on using their veto power until after a review process has concluded. Veto power is arbitrarily applied in wars like Gaza and the Ukraine.

Regional representation: India needs the Security Council to represent all parts of the world fairly and to take into account modern circumstances. India claims that the UN's situation is "anachronistic," with three of its five permanent members coming from just one region, and that

the entire continent of Central and Eastern Europe, the Caribbean states, Africa, Latin America, and three-fourths of Asia, including the Arab states, are not allowed to participate in the Security Council's operations.

The Council's size and operations: The Security Council and General Assembly should have a relationship that is complementary and works in tandem to advance the UN's goals of promoting global peace and security. A transparent, mutually trusting relationship with the General Assembly, along with regular interaction with all member states, will boost the Council's reputation and facilitate more conversation between the Assembly and the Council.

India has taken a multifaceted approach to gaining the much sought-after permanent seat in the Security Council. India anticipates that by maintaining its leadership in the G-77 and NAM, among other Global South Forums, it will attract the much-needed delegates to the UNGA. This is evident in India's steadfast adherence to the sovereignty principle and its persistent, vociferous opposition of the "Responsibility to Protect."

Along with Brazil, Germany, and Japan, India has created the G-4 to negotiate Council reforms. India restated that in order for the UNSC to have more "credibility and legitimacy," it "must include the world's largest democracies, major global economic engines, and voices from all major continents."

India also became a member of the recently established Friends on UNSC Reform group in late 2016, which aimed to expedite the negotiations for Council reforms.

India introduced the Norms: New Orientation For A Reformed Multilateral System Concept at UNSC 2021–2022.

Among the new prospects for advancement are: - Introducing creative and comprehensive solutions to promote development, increased youth and female participation in creating a new paradigm.

The emergence of both conventional and unconventional security Threats require a logical, practical, quick-thinking, and efficient foundation for cooperation in order to guarantee long-lasting peace. An efficient reaction to combat global terrorism.

The council should take decisive, goal-oriented steps to stop the misuse of ICT. Terrorists severing their connections to sponsors and multinational corporations, For the post-COVID era, multilateralism must be reformed.

In addition, India presented the "G4 Model" for discussion, engagement, and ultimately negotiations on behalf of Brazil, Germany, Japan, and India.

The challenge of streamlining UN peace keeping is long overdue.

Make sure UN peacekeeping operations are more professional, directed, and clear. India is dedicated to advancing an International Peace and Security Framework that is Responsible and Inclusive.

India's five-strategy, which is founded on cooperation, respect, discussion, peace, and prosperity

India is dedicated to upholding the rule of law, multilateralism, An impartial and just global framework A worldview rooted in our belief that "THE WORLD IS ONE FAMILY" poses obstacles to Indian ambitions in the UNSC.

Challenges to India's aspirations at UNSC: Insufficient engagement with the normative aspects of many UNSC issues, an overreliance on entitlement as the cornerstone of India's claims to permanent membership at the expense of more ruthless Realpolitik bargaining in the UN, and a lack of resources for multilateral diplomacy on the part of the Indian government More importantly, the primary barrier to the addition of permanent seats is still the status quo bias within the current P5, notwithstanding the general assembly's consensus.

Realigning priorities and allocating resources are two more important factors that should be taken into account at the same time. Today's global governance organizations are glaringly underfunded. The states fail to meet their regular funding obligations.

Globally, a number of common concerns are arising, including the Covid-19 epidemic, global migration and displacement, conflicts, and the climate crisis.

Secondly, expanding the council's membership won't fix every issue until the council realizes the concept of "conflict," which has been geographically and thematically enlarged. Challenges to international peace and security have arisen as the Indo-Pacific region has become the center of economic gravity. For instance, there is equal risk in the cyberspace as there is in traditional warfare.

Nonetheless, the necessity of representation is as significant. India and other growing powers must be involved. "Plurilateral and Minilateral forums," which are seen as effective in dealing with both traditional and non-traditional dangers, are becoming more prevalent as a result of the ineffectiveness of multilateral organisations. bias towards

the status quo among the current P5. India appears to have curtailed its ability to negotiate a seat alone for itself as a member of the G4. competitors in the region, such as the "Coffee Club" (which includes Egypt, Pakistan, Mexico, Italy, and other like-minded nations). inherent flaw in India's application to be granted a permanent seat. India is just the 21st largest donor to the UN regular budget, behind Germany, Japan, Brazil, and Italy.

Conclusion: India has become a Rising Power, and most states—big and small—see it as having a right to a position in the evolving structure of international governance, which includes the UNSC. India's long history of civilization, extraordinary influence on global geography and demography, rapidly growing aspirations to become a traditional great power, and assumption of its proper place in the international community are the reasons behind its interest in joining the reformed UNSC. India is in favor of democratizing the international system in order to increase its democracy and participatory nature.

References:-

1. Manish S.Dabhade: India and Global Governance : "India's Pursuit of United Nations Security Council" Reforms occasional paper 2017
2. Harsh V.Pant ,Chirayu thakkar : "Strengthening Global Rule-Making : India's Inclusion in the UN security Council", ORF Issue Brief No.499, October 2021.
3. David Malone (2003): "The Security Council in the Post-Cold War Era: A Study in the Creative Interpretation of the UN Charter", New York University Journal of International law and Politics
4. C Raja Mohan (2003): Crossing the Rubicon : The Shaping of India's New Foreign Policy
5. <https://www.un.org/securitycouncil/>
6. <https://www.un.org/en/about-us>
7. <https://www.mea.gov.in/india-and-the-united-nations.htm>
8. The Hindu Newspaper

Jammu & Kashmir during the Partition of 1947

Anshu Sharma*

*Research Scholar (History) Amity University, Jaipur (Raj.) INDIA

Abstract - This paper aims to provide an understanding of the political climate in Kashmir during the partition. An attempt has been made to comprehend the history of the state's admission into India and the tribal invasion. This study tries to illustrate various partition experiences throughout the state. The horrific violence that broke out in the Indian subcontinent in 1947, as well as the conflicting memories and visions that accompanied the partition. Although the causes and origins may differ depending on factors like philosophy, religion, and identity, the subcontinent saw both a great deal of trauma and success. It marked the establishment of new, independent governments and the granting of the citizenship of a sovereign republic—the ultimate triumph of the anti-colonial movement. The purpose of this paper's audit is to provide a general overview of the Kashmir conflict from the perspective of partition. Aside from that, the paper will also discuss the minimally felt effects of violence in the subcontinent that stem from the split.

Keywords: Partition, Violence, Jammu, Kashmir, Instrument of Accession, Migration.

Introduction: Jammu & Kashmir in 1947: Before the division of British India, the state of Jammu and Kashmir held the position of the second largest among the princely states. The state was divided into three provinces for administrative purposes: the Jammu province (which included the districts of Mirpur, Reasi, Jammu, Udhampur, Kathua, and Poonch, a jagir of the maharaja), the Kashmir province (which included the districts of Anantnag, Baramulla, and Muzaffarabad), and the Frontier province (which included the districts of Ladakh and Gilgit). (Jammu Kashmir State, Compiler). (n.d.). The provinces shared nothing culturally, but since the Treaty of Amritsar in 1846, they had been unified into one governmental entity.

According to Dalrymple (2016), one of the biggest and bloodiest forced migrations in human history was the partition of India. For Britain and India alike, the years 1945 and 1946 were extremely important. A concept for Pakistan, often known as the "land of the pure," where Muslims would make up the majority, was put out by Mohammad Ali Jinnah in India. While both the Indian National Congress and Britain desired a united India, they were prepared to divide the country into provinces where Muslims might make up the majority (Metcalf & Metcalf, 2012). In 1947, the British named Louis Mountbatten the final viceroy of India (Metcalf & Metcalf, 2012). When Mountbatten was named viceroy, he put forth a proposal that linked Indian independence and division (Stein, 2010). Mountbatten expedited the independence and partition plan to August 15, 1947, eager to relinquish authority and depart India before Britain faced additional economic disruptions from an increasingly

unsuitable India (Tinker, 1977). Chaos and dread surrounded Partition because of the shifting date of Partition and the ambiguity surrounding the line between India and Pakistan. As soon as it became evident that the government had chosen to divide India into Pakistan, both the Muslim and Hindu groups started to fight one another, according to Urvashi Butalia (2000). The partition of India had a significant effect on the people who lived in the states of Jammu and Kashmir.

Not an old state, J & K was a conglomeration of regions gathered by the Dogra emperor Gulab Singh starting in 1820. He bought the Kashmir valley and other areas from the East India Company in 1846 as a result of the Amritsar Treaty. Thus, the Dogras ruled the Kashmir Valley from 1846 until 1947. There were 565 princely states in colonial India on the eve of independence in 1947, and each was offered the option to combine with either Pakistan or India (Dewan, 2011). As one of the biggest princely republics, Kashmir was ruled by Maharaja Hari Singh of Dogra, who wished to maintain his independence and refused to transfer it to any country. The Indian Independence Act 1947, which was enacted by the British Parliament, derived a four-point division method for the Indian subcontinent. The fourth premise states that princely states have the authority to determine their destiny, taking into account their goals, location, and other circumstances (Bhat, 1981:15). Under such circumstances, the state of Kashmir, ruled by Maharaja Hari Singh (a Hindu), had a plurality of Muslims. Kashmir was strategically located and of great geopolitical significance, making it a desirable target for both India and

Pakistan. While serving on the British side, Lord Mountbatten made every effort to provide India access to Kashmir. The Viceroy of Free India held his first meeting with the ruler of Kashmir after presenting the Maharaja with a proposal that offered him the choice to join Pakistan or India. "I do not want to accede to Pakistan or either India, I want to remain independent," declared Maharaja Hari Singh in response to the proposition (Bhat, 1981:17).

A "Stand Still Agreement" was attempted to be reached between the governments of Jammu and Kashmir and both of the dominions on August 12, 1947. On August 15, 1947, the agreement was promptly accepted by the Pakistani government via telegraph. Nonetheless, the Indian union planned to continue the conversation about the matter. The Pakistani government used coercive tactics and placed an economic blockade on Kashmir in early September, in defiance of the Stand Still accord. After that, an all-out invasion of Kashmir by frontier tribesmen—roughly 7,000 in number—began on October 22, 1947. Muzaffrabad was taken over by the invaders on October 22, 1947. After taking Mahura on October 25, the attackers destroyed the city's powerhouse, throwing the entire valley into darkness. As a result of the attack, the state troops disintegrated. These raiders, who were engaging in looting, arson, and atrocities against women and children, now had the entire populace of Kashmir at their mercy. As a result, the Maharaja signed the instrument of accession and acceded to the Indian Union on October 26, 1947, under pressure.

Violence following Partition: Beginning in March 1947 and lasting for nearly a year, the carnage spread over the entire nation. Partition also took a toll on the state of Jammu and Kashmir. Although relations between the communities were amicable before the split, sectarian violence and a large-scale flight of both the Muslim and Hindu populations ensued shortly after. Due to its proximity to the Punjab border, the Jammu district was severely affected by the large-scale displacement brought about by India's partition, which resulted in an influx of Muslims from India and Hindu and Sikh refugees from West Pakistan. The floods of immigrants and their traumatising experiences led to conflict in the area and communal killings throughout the Jammu region. The state had been split, with the majority of its territory lying along the Jammu region; the Hindu and Sikh populations of Muzaffrabad, Bagh, Rawalkot, Kotli, Mirpur, and Bhimber were driven out (many of them were killed or forced to migrate); a sizable Muslim population was also driven out of Jammu, Kathua, and Udhampur. Days went by, and communal violence and retaliation grew more intense.

Attacks on Muslims in Jammu and Kashmir: Ian Copland, a researcher, claims that the Jammu and Kashmir state conducted an attack against its Muslim citizens in Jammu, in part as payback for the earlier Poonch revolt. (Copland, 2005)

In the Udhampur district, specifically in the areas of

proper Udhampur, Chenani, Ramnagar, Bhaderwah, and Reasi, there have also been claims of widespread massacres of Muslims. Many Muslims were allegedly killed at Chhamb, Deva Batala, Manawsar, and other areas of Akhnour, and many of them fled to Pakistan or relocated to Jammu. Many Muslims were killed in the Billawar and Kathua districts, while women were kidnapped and raped. (Ahmad, 2014)

Attacks on Sikhs and Hindus in Rajouri and Mirpur

Rajouri: Rajouri was controlled by the "Azad Kashmir forces," or rebels from Poonch, and the raiders, until April 1948, when the town was taken by the Indian military forces. (Bhatia, 2020) Muslim rioters besieged the town and started raping, murdering, and executing Hindu citizens. The people who lived in the town and those who were uprooted from the surrounding region were among the Hindus who were subjected to this persecution (Bhatia, 2020) Women have committed mass murders and suicides, sometimes at the hands of male family members, and have also been killed via poisoning or decapitation. These came about as a result of their worries that the raiders would abuse them sexually. (Bhatia, 2020.) The town of Rajouri erected a monument in remembrance of the raiders' seizure of the town on April 13. (Bhatia, 2020)

Mirpur: Following the Indian army's 25 November repulsion of Pashtun raiders from the vicinity of Srinagar, the raiders resorted to Mirpur, located in modern-day Azad Kashmir. (Puri, 2010) According to unverifiable reports, political analyst Christopher Snedden argues that 20,000 non-Muslims were slaughtered in Mirpur on or around November 25 and that an additional 2,500 were kidnapped. (Snedden, 2013) Sikh and Hindu women were also abducted and raped in the Poonch district and its surrounding areas. (Snedden, 2015) "Mirpur Day" is presently observed on November 25 in Kashmir, which is administered by India. (Puri, 2010)

Conclusion: It is fated for those who are ignorant of their past to repeat it. We have sufficient evidence from this statement to conclude that 1947 will always be remembered. The country's split is a significant historical event that has extended the hostility between populations since riots and conflicts between various groups have repeatedly surfaced (Hindus and Muslims). Thus, research could offer a framework for comprehending the origins of these conflicts and riots, which pose the biggest threat to the nation's integrity. It's important to see the issue from the victims' point of view to comprehend the scope of the issue and potential solutions. Thus, this is an effort to comprehend the division.

References:-

1. Administration Report of the Jammu and Kashmir State from 16th October 1941 to 12th April 1943 (Jammu: The Ranbir Government Press, 1944), Jammu and Kashmir State Archives, Srinagar Repository (hereafter SSA).
2. Ahmad, K. B. (2014, November 5). circa 1947: A Long

- Story. *Kashmir Life*. <https://kashmirlife.net/circa-1947-a-long-story-67652/>
3. Bhat, S. (1981). Kashmir in flames: an untold story of Kashmir's political affairs. Srinagar: Ali Mohammad and Sons.
4. Bhatia, M. (2020). *Rethinking Conflict at the Margins: Dalits and Borderland Hindus in Jammu and Kashmir*. Cambridge University Press.
5. Butalia, U. (1998, January 1). *The Other Side of Silence*. Penguin Books India.
6. Copland, I. (2005). *State, Community and Neighbourhood in Princely North India, C. 1900-1950*. Palgrave Macmillan UK.
7. Dewan, P. (2011). The other Kashmir almost everything about. New Delhi: Manas Publications.
8. Metcalf, B. D., & Metcalf, T. R. (2012, September 24). *A Concise History of Modern India*. Cambridge University Press.
9. Puri, B. (2010, November). The question of Accession. *Epilogue*, 4(11).
10. Snedden, C. (2013). *Kashmir-The Untold Story*. HarperCollins Publishers India.
11. Snedden, C. (2015). *Understanding Kashmir and Kashmiris*. Hurst.
12. Stein, B. (2010, April 12). *A History of India*. John Wiley & Sons.
13. Tinker, H. (1977, August). Pressure, Persuasion, Decision: Factors in the Partition of the Punjab, August 1947. *The Journal of Asian Studies*, 36(04), 695–704. <https://doi.org/10.1017/s0021911800074258>

Anti-Inflammatory Activities of Some Medicinal Plants With Special Reference *Euphorbia tithymaloides*(L.).*Luffacylindrica* (M. Roem.).*Cocciniagrandis*(L.) Voigt

Shailendra Sisodiya* Rajesh Kumar Tengriya**

*Govt. P.G College, Sendhwa, Dist. Badwani (M.P.) INDIA

** Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P) INDIA

Abstract - Various nonsteroidal anti-inflammatory drugs have been shown to reduce pain and inflammation by blocking the metabolism of arachidonic acid by isoform of cyclooxygenase enzyme, thereby reducing the production of prostaglandin. Sadly, there are many side effects associated with the administration of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. However, there are medicinal plants with anti-inflammatory therapeutic effects with low or no side effects. The Afri-can continent is richly endowed with diverse medicinal plants with anti-inflammatory activities that have been shown to be effective in the treatment of inflammatory conditions in traditional medicine. Interestingly, scientists have examined some of these African medicinal plants and documented their biological and therapeutic activities. Unfortunately, medicinal plants from different countries in Africa with anti-inflammatory properties have not been documented in a single review paper. It is important to document the ethnobotanical knowledge and applications of anti-inflammatory medicinal plants from selected countries representing different regions of the African continent. This paper therefore documents anti-inflammatory activities of various medicinal plants from different geographical regions of Africa with the aim of presenting the diversity of medicinal plants that are of traditional or therapeutic use in Africa.

Keywords: inflammation, inflammatory conditions, local plants, plant potentials.

Introduction - Reports have shown that inflammation is usually triggered by damage to living tissues resulting from bacterial, viral, fungal infections; physical agents; and defective immune response. The fundamental aim of inflammatory response is to localize and eliminate the harmful agents; secondarily, to remove damaged tissue components to culminate in healing of the affected tissues, organs, or system. An inflammatory response involves macrophages, neutrophils known to secrete different mediators that are responsible for the initiation, progression, persistence, regulation, and eventual resolution of the acute state of inflammation. The resolution of inflammation is influenced by several anti-inflammatory mediators and the recruitment of monocytes for the removal of cell or tissue debris. It is possible that the resolution may not occur in the acute phase, thereby turning into a chronic phase. Chronic inflammation plays a role in the burdens associated with pathological conditions in both developed and developing countries, particularly in African countries. For instance, chronic inflammation is known to play a role in the development of obesity-associated diabetes secondary to insulin resistance. Various nonsteroidal anti-inflammatory drugs can reduce pain and inflammation by blocking the

metabolism of arachidonic acid by isoform of cyclooxygenase enzyme (COX-1 and/or COX-2), thereby reducing the production of prostaglandin. Unfortunately, there are many side effects associated with the administration of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. However, there are medicinal plants with anti-inflammatory therapeutic effects with low or no side effects. The African continent is richly endowed with diverse medicinal plants with anti-inflammatory activities that have been shown to be effective in the treatment of inflammatory conditions in traditional medicine. Interestingly, scientists have examined some of these African medicinal plants and documented their biological and therapeutic activities. Unfortunately, medicinal plants from different regions in Africa with anti-inflammatory properties have not been documented in a single review paper. Therefore, it is important to document the ethnobotanical knowledge and applications of anti-inflammatory medicinal plants from selected countries representing different regions in the African continent. For centuries, Africans have treated different disease conditions including inflammatory diseases using medicinal plants. Africa is a vast continent. From Egypt, Morocco, and Algeria in the north to Nigeria and Ghana in the west, Cameroon

and Gabon in the center, Kenya and Tanzania in the east, and South Africa, Lesotho, Namibia, Swaziland, and Zimbabwe in the south, there are thousands of plants with therapeutic values. For example, there are over 5000 plant species growing in Zimbabwe with over 10% of these plants having medicinal value while in South Africa over 30000 flowering plants are available and some of them are used in treatment and management of pain-related inflammatory disorders in both animal and human subjects. The truth is that African traditional medicine is usually the first contact in meeting the primary health care need in Africa and is related to its affordability, accessibility, cultural and spiritual acceptance, and knowledge of its preparations and use. The potentials of plant-derived compounds from African medicinal plants have been reported and the interest to use medicinal plants in treatment and management of disease conditions is growing rapidly in Africa even among educated African urban dwellers. Medicinal plants with anti-inflammatory activities from countries and regions of Africa

Materials and methods

Materials : The COX-1 & 2 (human ovine) inhibitor Screening assay kit [Catalog No. 760111] was procured from Cayman, U.S.A., MTT (3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl) - 2, 5- diphenyl tetrazolium bromide), DPPH (1, 1-diphenyl-2-picryl hydrazyl) were purchased from Sigma-Aldrich Co. (St. Louis MO, USA). 1–10 phenanthroline, Phenazine methosulphate (PMS), Nitroblue tetrazolium (NBT) were obtained from s.d. Fine chem. Mumbai. Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NADH) was purchased from Spectrochem, Pvt. Ltd. Mumbai. Chang Liver cell line was requested from National Centre for Cell Science (NCCS: a National Cell Line Facility) Pune (MS), India Medicinal plants were collected from the nearby areas of Nanded district (MS), India. All other chemicals and reagents used were of AR grade and were obtained from commercial sources. Collection and identification of the selected medicinal plants *Euphorbia tithymaloides*(L.). *Luffacylindrica*(M. Roem.). *Cocciniagrandis*(L.) Voigt were collected from the nearby regions of district. The plants were identified and authenticated with the help of Flora. and Voucher specimens (A13-A17) of the plants were deposited in the herbarium center of Department of Botany, School of Life Sciences, bu bhopal. The shade dried and powdered plant samples were preserved for further experimentations.

Sequential extraction of the plant samples: The shed dried powdered plant samples (10 g) were sequentially extracted in hexane, ethanol and water up to 8 h using Soxhlet's apparatus. The extracted samples were evaporated under reduced pressure at room temperature. The dried extracts were preserved at 4 °C in refrigerator for further analysis.

HPTLC analysis: HPTLC analysis was performed using CAMAG (Germany) make instrumental thin layer chromatography. TLC plates (Merck silica gel 60 F254,

20 cm × 10 cm) were prewashed with methanol. The plate was activated in an oven at 100 °C for 10 min. Individual plant extracts of 10 µl (1 mg/ml) were spotted onto the precoated plates using a Linomat 5 application system. Rutin hydrate (5 and 10 µg/ml) was used as a marker flavonoid. The flavonoids were separated using ethyl acetate: formic acid: glacial acetic acid: water (100:11:11:27) as a mobile phase. Natural product (NP) reagent was used as a flavonoid derivatizing agent and the spots developed were visualized under CAMAG UV cabinet (366 nm) and were digitized using CAMAG photo documentation system.

COX inhibition assay: The assay was performed by using Colorimetric COX (human ovine) inhibitor Screening assay kit. Briefly, the reaction mixture contains, 150 µl of assay buffer, 10 µl of heme, 10 µl of enzyme (either COX-1 or COX-2), and 10 µl of plant sample (1 mg/ml). The assay utilizes the peroxidase component of the COX catalytic domain. The peroxidase activity was assayed colorimetrically by monitoring the appearance of oxidized N, N, N, N'-tetramethyl-*p*-phenylenediamine (TMPD) at 590 nm. Aspirin (acetylsalicylic acid, 1 mM) was used as a standard drug. The percent COX inhibition was calculated using following equation:

$$\text{COX inhibition activity (\%)} = 1 - \frac{T}{C} \times 100$$

Where,

T = Absorbance of the inhibitor well at 590 nm.

C = Absorbance of the 100 % initial activity without inhibitor well at 590 nm.

DPPH radical scavenging assay: DPPH radical scavenging assay was carried out as per reported method with slight modifications. Briefly, 1 ml of test sample (1 mg/ml) was added to equal quantity of 0.1 mM solution of DPPH in ethanol. After 20 min of incubation at room temperature, the DPPH reduction was measured by reading the absorbance at 517 nm. Ascorbic acid (1 mM) was used as reference compound.

Hydroxyl (OH) radical scavenging assay: The OH radicals scavenging activity was demonstrated with Fenton reaction. The reaction mixture contained, 60 µl of FeCl₂ (1 mM), 90 µl of 1–10 phenanthroline (1 mM), 2.4 ml of phosphate buffer (0.2 M, pH 7.8), 150 µl of H₂O₂ (0.17 M) and 1.5 ml of individual plant extract (1 mg/ml). The reaction was started by adding H₂O₂. After 5 min incubation at room temperature, the absorbance was recorded at 560 nm. Ascorbic acid (1 mM) was used as reference compound.

Superoxide radical (SOR) scavenging assay: The SOR scavenging assay was performed by the reported method. Superoxide anion radicals were generated in a non-enzymatic Phenazine methosulphate – Nicotinamide Adenine Dinucleotide (PMS – NADH) system through the reaction of PMS, NADH and Oxygen. It was assayed by the reduction of Nitroblue tetrazolium (NBT). In this experiment superoxide anion was generated in 3 ml of Tris HCL buffer (100 mM, pH 7.4) containing 0.75 ml of

NBT (300 μ M), 0.75 ml of NADH (936 μ M), and 0.3 ml of plant sample (1 mg/ml). The reaction was initiated by adding 0.75 ml of PMS (120 μ M) to the mixture. After 5 min of incubation at room temperature the absorbance at 560 nm was measured in spectrophotometer. Ascorbic acid (1 mM) was used as reference compound.

MTT cytotoxicity assay: The MTT cytotoxicity assay was performed as published previously.^{42, 43, 44} The Chang liver cells were harvested (1.5×10^4 cells/well) and inoculated in 96 well microtiter plates. The cells were washed with phosphate buffered saline (PBS) and the cultured cells were then inoculated with and without the individual ethanolic plant extract (1 mg/ml). After 72 h incubation, the medium was aspirated followed by addition of 10 μ L of MTT solution (5 mg/ml in PBS, pH 7.2) to each well and the plates were reincubated for 4 h at 37 °C. After incubation time, 100 μ L of DMSO was added to the wells followed by gentle shaking to solubilize the formazan crystal for 15 min. Absorbance was read at 540 nm using Thermo make Automatic Ex-Microplate Reader (M51118170) and the % cell viability was calculated. The H_2O_2 (1 mM) was used as reference cytotoxic agent. The percent DPPH, OH, SOR scavenging activity and cell viability inhibition was calculated using following formula. $\text{Inhibition activity (\%)} = 1 - \frac{TC}{C} \times 100$, Where T = Absorbance of the test sample.

C = Absorbance of the control sample.

Experimental animals

The animals used in this study were Swiss albino mice weighing between 25–30 g. They were maintained in experimental animal house at Sudhakar Rao Naik Pharmacy College, Pusad (MS), India. They were kept in rat cages and fed on standard mice food (Amrut Feeds Ltd., Sangali (MS), India) and allowed free access to clean fresh water in bottles. The experimental protocols were in compliance with Institutional Animal Ethics Committee (IAEC), Sudhakar Rao Naik Pharmacy College, Pusad (MS), (Proposal No. CPCSEA/IAEC/PL/09–2011).

Carrageenan-induced rat paw edema assay: The selected samples showing promising average (activity in all solvents) COX-2 selective activities were evaluated for *in vivo* anti-inflammatory studies using carrageenan induced rat paw edema animal model. The assay performed as described previously. Briefly, edema was induced on the right hind paw by subplantar injection of 20 μ L carrageenan (1% w/v) in 0.9 % saline. The extract of selected samples were prepared in 1 % w/v gum acacia and administered orally at a dose of 100 mg/kg and 250 mg/kg, 1 h before carrageenan injection. A control group received vehicle only and a standard group was treated with indomethacin (20 mg/kg, p.o.) The volume of injected and of the contra lateral paws was measured 1, 3, and 5 h after induction of inflammation, using a plethysmometer (Orchid Scientific Laboratory). The value was expressed as, the percent reduction in volume with respect to the

control group of at different time intervals.

PMA induced mouse ear edema activity: According to a modified method of 4 μ g per ear of PMA, in 20 μ L of acetone, was applied to both surfaces of the right ear of each mouse. The left ear (control) received the vehicle (acetone and/or DMSO, 20 μ L). The selected plant extract was administered topically (50 and 100 mg per ear in DMSO) 1 h before PMA application. Two control groups were used: a control group with the application of PMA on the right ear and the reference group was treated with indomethacin (2 mg per ear in 20 μ L acetone). Six hours after PMA application, mice were killed by cervical dislocation and a 6 mm diameter disc from each ear was removed with a metal punch and weighed. Ear edema was calculated by subtracting the weight of the left ear (vehicle) from the right ear (treatment), and was expressed as edema weight. Inhibition percentage was expressed as a reduction in weight with respect to the control group.

Results

HPTLC profiling: The HPTLC analysis was performed as a part of quality control of the selected plant samples. HPTLC finger print of ethanol soluble flavonoids was prepared using rutin as a marker flavonoid compound. The results of the HPTLC analysis shows the diversity of flavonoid content in *T. chebulla*, moreover this is the only sample containing rutin, while all other samples were devoid of rutin content.

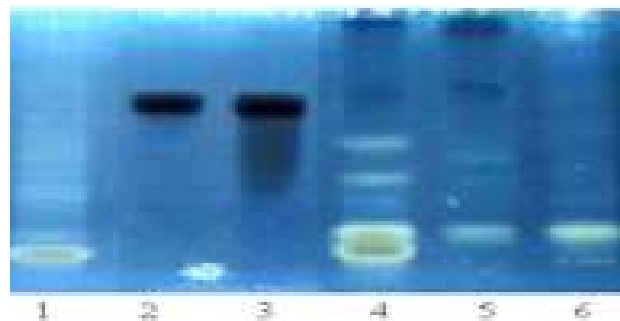


Fig. HPTLC profile of flavonoid finger prints of ethanol extract of selected medicinal plants using Rutin as a marker compound.

***Euphorbia tithymaloides*(L.).*Luffacylindrica*(M. Roem.).*Cocciniagrandis*(L.) Voigt**

Effect of plant samples on COX inhibition

OH radical scavenging activity: The profile of OH radical scavenging activity of selected medicinal plants. Except water extract all samples are found to be promising OH radical scavengers. The ethanol extract possess maximum activity while ethanol extract of *e.u* (38.05 ± 0.77 %) showed poor OH radical scavenging ability as compared to ascorbic acid (2.63 ± 0.73 %)

SOR scavenging assay: The water and ethanolic extract of all selected plants showed promising SOR scavenging activity as compared to hexane extract. The high SOR scavenging activity was found in ethanolic extract of *P. zeylanica* (57.21 %) while the lower SOR was reported

in hexane extract of *C. quadrangularis* (0.79 %). From the tested samples it was observed that the SOR scavenging activity was recorded in the range of 3.81–34.55 %. The results were compared with ascorbic acid (52.95 ± 0.83 %).
cytotoxicity assay: It was observed that none of the plant sample showed significant cytotoxic effect on normal Chang liver cell viability at 1 mg/ml concentration. The observed and calculated percent inhibition of cell viability .

Profile of carrageenan induced anti-inflammatory activity: value for respective time interval (One Way ANOVA for multiple comparison test followed by dunnet test).

Oedema induced by PMA in mouse ear activity: It can be seen in that the selected plant samples inhibit PMS induced inflammation in mouse ear. The extracts of *e.u* (54.06 %) and *c.c* (47.84 %) shows significant ($P < 0.05$) inhibitory results as compare to *P.h* (30.21 %) at the higher dose (100 mg/ear). Indomethacin was used as reference compound also possess an excellent inhibitory activity.

Discussion: Developing novel, effective and safe anti-inflammatory agents has remained a major thrust area in the main stream of 'finding alternatives to NSAID's. Anti-inflammatory agents possessing selective COX-2 inhibition and showing no or negligible effect on COX-1 activity are more appreciated as safe drugs as these agents have minimum gastrointestinal side effects. Natural product, especially medicinal plants and drug discovery has remained a very successful combination for the inventorization of new therapeutic agents. The main intention of the present study was to perform the COX activity guided standardization of selected medicinal plants with focus on antioxidant and cytotoxicity profile. Variety of phytochemicals like flavonoids, terpenoids, alkaloids and saponins has been described to possess significant anti-inflammatory activity.

References:-

1. Abe H, Katada K, Orita M and Nishkibe M (1991). Effects of calcium antagonists on the erythrocyte membrane. *Journal of Pharmacy Pharmacology* 41(1) 22-26.
2. Ahmadiani A, Fereidoni M, Semnanian S, Kamalinejad M and Saremi S (1998).
3. Antinociceptive and anti-inflammatory effects of *Sambucus ebulus* rhizome extract in rats. *Journal of Ethnopharmacology* 61(2) 229-232.
4. Aitadafouri M, Mounnnieri C, Heyman SF, Binistic C, Bon C and Godhold J (1996). 4- Alkoxybenzamides as new potent phospholipase A2 inhibitors. *Biochemical Pharmacology* 51 (5) 737-742.
5. Anonymous (1998). Indian Herbal Pharmacopoeia Vol IIDMA Mumbai 30-37. Arivazhagan S, Balasenthi S and Nagini S (2000).
6. Antioxidant and anti-inflammatory activities of *Mallotus oppositifolium*. *Journal of Phytotherapy Research* 14 (4) 291-293.
7. Augusto O, Kunze KL and Montellano PR (1982). N phenylprotoporphyrin formation in the haemoglobin phenylhydrazine reaction. *Journal of Biological Chemistry* 257 (11) 6231-6241. Bradley PR (1992).
8. British Herbal Compendium, Bournemouth (U K) (British Herbal Medicine Association U K) 1 190. Chang C, Yang M and Wen H (2002).
9. Estimation of total flavonoids content in propolis by two complementary colorimetric methods. *Journal of Food & Drug Analysis* 10 (3) 178-182.
10. Chopade AR, Sontakke PM and Sayyad FJ (2012). Membrane stabilizing activity and protein denaturation: A possible mechanism of action for the anti-inflammatory activity of *Phyllanthus amarus*. *Journal of Karad Institute of Medical Sciences University* 1 (1) 67-72.
11. Denko C W (1992). A role of neuropeptides in inflammation. In: Whicher J T, Evans S W, eds. *Biochemistry in Inflammation*, ed. London: Kluwer Publisher, 177-181.
12. Elias G and Rao M N (1988). Inhibition of albumin denaturation and anti-inflammatory activity of dehydrozingerone and its analogs. *Indian Journal of Experimental Biology* 26 (10) 540-542 Ferrali M, Signorni C, Ciccoli L and Comporti M (1992)
13. Iron release and membrane damage in erythrocytes exposed to oxidizing agents phenylhydrazine, divicine and isouramil. *Biochemical Journal* 285 (1) 295-301. Folin O and Ciocalteau V (1927).
14. On tyrosine and tryptophan determinations in proteins. *Journal of Biological Chemistry* 27(2) 627-650. Fuglie LJ (1999).
15. The Miracle Tree: *Moringa oleifera*: Natural Nutrition for the Tropics. Church World Service, Dakar 1 (1) 68. Gambhire M, Juvekar A and Wankhede S (2009) Evaluation of anti-inflammatory activity of methanol extract of *Barleria cristata* leaves by in vivo and in vitro methods. *The Internet Journal of Pharmacology* (2009)

गोविंद शर्मा की लघुबाल कथा 'मटकू बोलता है' में सामाजिक मूल्य

मेघा बंसल* डॉ.नवज्योत भनोत**

* शोधार्थी (हिंदी) महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (राज.) भारत
** प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (हिंदी) डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत

शोध सारांश – इस लघु बाल कथा के माध्यम से बालकों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का पोषण किया गया है। बच्चों के व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास का बचपन से ही ध्यान रखा जाए तो बच्चों का चौमुखी विकास संभव है। 'नैतिक कम्पास' एक शब्द है जिसका उपयोग हमारे सही और गलत की आंतरिक भावना का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो हमारे कार्यों को निर्देशित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। विवेक एक व्यक्ति की आंतरिक नैतिक भावना है जो उसे अपने व्यवहार को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शन करती है। अंतरात्मा की आवाज आंतरिक आवाज से मेल खाती है जो आपके व्यवहार का न्याय करती है। अंतरात्मा की आवाज कई लोगों के लिए नैतिक निर्णय लेने का स्रोत है।¹

आज के नौनिहाल कल के नागरिक हैं जो एक सभ्य समाज का निर्माण कर राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई इस कथा में मटकू अर्थात् एक छोटे मटके का मानवीकरण किया गया है। कथा में मटकू को मुख पात्र बनाकर उनमें नैतिकता और मानवता भरी सामाजिक चेतना का संचार किया गया है।

शब्द कुंजी – अंतरात्मा, इंसानियत, सेवा भावना, समाज सेवा, प्याऊ, सार्वजनिक सफाई, मानवता, अधिकार, कर्तव्य, संवेदनशीलता।

प्रस्तावना – बालकों के लिए, बालकों के नजरिए से, उन्हीं की भाषा में लिखा गया साहित्य, बाल- साहित्य की श्रेणी में आता है। सच्चा बाल-साहित्य वही है जो बच्चों में जिज्ञासा को बढ़ाए एवं उनमें नए-नए संप्रत्ययों का निर्माण करे।

आज हिंदी में वैविध्यपूर्ण मौलिक एवं समीक्षात्मक साहित्य रचा जा रहा है। अधिकांश रचनाकार जीवन शक्तियों से अनुप्राणित, पौराणिक कथानकों को भी अपेक्षित परिवर्तित एवं परिवर्धित कर परिवेशिक यथार्थ के अनुकूल उपादेय बनाकर पोषक तत्व के रूप में सम्मिलित कर रहे हैं।

बालक के सर्वांगीण विकास तथा उसे देश और समाज के लिए उपयोगी बनाने में बाल-साहित्य की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी बाल साहित्य की लेखिका डॉ. बानो सरताज के मतानुसार 'वह साहित्य जो बालकों में अनुकूल विचार और सृजनशीलता को प्रोत्साहित करके जीवन को समझने में सहायक होता है। बालकों में प्रेम, मानवता, निस्वार्थता, राष्ट्रियता आदि भावों के विकास में सहायता करता है। कठिनाइयों, दुविधाओं से जूझना सिखाता है, बाल साहित्य है।'² बाल्यावस्था में बच्चों के भाव अत्यधिक कोमल होते हैं तथा उनकी ग्रहण क्षमता अत्यधिक तीव्र होती है। इस कच्ची उम्र में डाले गए संस्कार सुदृढ़ तथा स्थाई हो जाते हैं। डॉ. श्री प्रसाद अपने एक आलेख में हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित द्वारा रचित एक श्लोक का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए कहते हैं।

यन्नावे मार्जने लग्नः, संस्कारो नान्यथा भवेत्।

कथाच्छलेन बालानां, नीतिस्तदिह कथ्यते।

अर्थात् जैसे 'नए घड़े पर बना हुआ चित्रांकन (घड़े के पक जाने पर) पक्का हो जाता है, उसी प्रकार बचपन के संस्कार भी पक्के हो जाते हैं।'³ अतः एक बाल साहित्यकार का कर्तव्य है कि वह बालकों को ऐसा साहित्य दे जो बाल जीवन के लिए हितकारी हो। गोविंद शर्मा जी ने इस लघु कथा के

माध्यम से बालकों में सार्वजनिक सफाई के साथ-साथ समाज सेवा और कर्तव्यभावना के महत्व का प्रतिपादन किया है। इंसानियत के नाते, बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करना तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए अंतरात्मा की आवाज को पहचानना ही इस कथा का मूल आधार है।

अध्ययन का उद्देश्य – आज का बालक अति आधुनिकतावाद और यथार्थवाद के वातावरण में विकसित हो रहा है। एकाकी परिवारों के एकाकीपन में उपजे राग- प्रेम, सहनशीलता, ममता, अपनत्व और नैतिक मूल्य, बालक में विलुप्त होते जा रहे हैं। इस शोध का उद्देश्य गोविंद शर्मा की लघु कथा 'मटकू बोलता है' का विश्लेषण कर आज के बालकों को सामाजिक मूल्यों से परिचित करवाना है। सपाटबयानी से कही गई बात, नैतिक शिक्षा के लिए दिए गए उपदेश, आज के परिप्रेक्ष्य से सुग्राह्य नहीं हैं। यदि बात को सीधे न कह कर किसी घटनाक्रम के माध्यम से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उन्हें अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर उस घटना का विश्लेषण, – चिंतन कर, सही – गलत के निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए तो निश्चित रूप से बालकों द्वारा ग्रहण की गई सीख अधिक उपयोगी और चिरस्थायी होगी।

बाल साहित्य बच्चों की जिज्ञासाओं को पूर्ण करने में सहायक होता है तथा समाज की विभिन्न स्थितियों अच्छा- बुरा, नैतिक-अनैतिक, सभ्य-असभ्य आदि का ज्ञान भी करवाता है। आज का साहित्यकार बच्चों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकारते हुए उनके लिए अलग साहित्य की रचना करता है। बाल साहित्य के समीक्षक डॉ. हरिकृष्ण देवसर का कहना है 'आज के बाल साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करना ही नहीं है, बल्कि बालक को इस योग्य बनाना भी है कि वह जीवन के मूल्यों तथा भावी संसार के परिवेश से संबंध बनाए रखने में सफल हो सके।'⁴

इस कथा के माध्यम से गोविंद शर्मा जी ने सार्वजनिक सफाई का महत्व, समाज सेवा में योगदान एवं अंतरमन द्वारा सुझाए गए उचित कार्यों को प्रोत्साहित करने जैसे संवेदनशील विषयों की तरफ बालकों का ध्यान आकर्षित किया है। मटकू बोलता है 'समाज के बीच उन भावों को भरने वाली कथा है जो सभ्य समाज का निर्माण और राष्ट्र का उत्थान करने में सहायक है। कथा का कथानक बच्चों में मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ-साथ नैतिक एवं मूल्यवान सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव करता है। कथा में निहित इन सभी सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विश्लेषण कर सार्वभौमिक सत्य की ओर प्रेरित करना ही इस शोध का उद्देश्य है।

शोध प्रविधि- इस शोध कार्य में सामाजिक मूल्यों के विश्लेषण हेतु मूल पुस्तक को आधार सामग्री के रूप में लिया गया है। शोध पत्र हेतु विश्लेषणात्मक विधि का उपयोग करते हुए पहले से उपलब्ध सूचनाओं आलेखों द्वारा तथ्यों का अध्ययन करते हुए ज्ञान मीमांसा पद्धति का प्रयोग कर अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किया गया है।

विषय विस्तार- इस कथा में मटके के मानवीकरण द्वारा गहन सामाजिक संदेश दिया गया है। 'मटकू' नामक छोटा मटका यहां पंचमहाभूतों में से एक जल को अपने में समाहित कर उसके महत्व को प्रतिपादित कर रहा है।

मटकों की सुरक्षा के लिए बैठा बूढ़ा बाबा इंसानियत के नाते, सेवा भावना से प्याऊ पर चौकीदारी का कार्य करता है। प्याऊ की तो नींव ही समाज सेवा की भावना पर रखी जाती है। चाहे वह आज के आधुनिक हवादार, फिल्टर्ड और ठंडे पानी की व्यवस्था वाली प्याऊ हो या परंपरागत झोपड़ी में रखे मटकों वाले प्याऊ। बूढ़े बाबा कहते हैं 'मेरे परिवार के लोग, मेरे परिचित मेरी सेवा करते हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूं इसलिए मैं मेहनत वाले काम नहीं कर सकता। प्याऊ का काम कम मेहनत का है। जब तक शरीर साथ देगा मैं यह सेवा का काम करता रहूंगा।'¹⁵ इंसानियत एक श्रृंखला में चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक का दूसरे के प्रति प्रतिदान है। मटके के रूप में सेवा की उपलब्धता और पात्रता यहां महत्वपूर्ण माध्यम बनकर दूसरों की सेवा- और प्रेम के लिए अवसर उपलब्ध करवाती है। गीता के अनुसार फल की इच्छा से रहित कर्म को निस्वार्थ भाव से करने की भावना इस कथा के मूल में है।

इस लघु कथा की मूल भावना 'सार्वजनिक सफाई' को हर छोटे-बड़े किस्से के केंद्र में रखा गया है। जैसे किसी राहगीर द्वारा हाथ धोकर ही पानी पिया जाना, मटके से पानी पीने के बाद उस पर ढक्कन को याद से लगाना, यदि मटके खाली हो जाए तो उन्हें साफ करके ही पुनः पानी भरना, ठंडक की चाह में प्याऊ में घुसे जानवरों को भी वहां से हटाना इत्यादि। इन घटनाओं की रचना बाहरी स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता को भी दृष्टि देती है।

'मटकू कभी-कभी बोलता है। मटकू बोलता है, तब सुनाई देता है। पर ऐसा लगता नहीं है कि मटकू बोला है। सुनने वाला हैरानी से इधर-उधर देखता है।'¹⁶ प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है यह लघु कथा, व्यक्ति के अंतरमन की ओर संकेत करती है। व्यक्ति का अंतरमन उसे सदैव सही कार्य करने तथा गलत को त्यागने का मशवरा देता है। यह कथा व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी अंतरात्मा की बात सुनने अथवा अनसुना कर समाज विरोधी कार्य करने के बीच सही के चुनाव को लेकर सजग करती है। कथा में एक राहगीर द्वारा बिना हाथ धोए मटकू से पानी लेने के प्रयास में मटकू द्वारा उसे अपने भीतर देखने के लिए प्रेरित करना इसका उदाहरण है। वह कहता है 'कोई और न सही, मैं तो देख रहा हूं। तुम कहां से आ रहे हो, यह तो जानते

ही हो। पहले अपने हाथ धो लो।'¹⁷ यहां किसी को न पाकर भी राहगीर का इसे अपने दिल की आवाज समझ कर हाथ धो लेना अपने कर्तव्य को पहचानना है। इसी प्रकार एक अन्य राहगीर को मटकू घड़े पर ढक्कन लगाने का निर्देश देकर उसके दिल तक पहुंचता है। वह राहगीर प्रतिक्रिया देते हुए कहता है 'हां मैं जानता हूं। तो यह मेरे दिल की आवाज है। मैं यूँ ही घबरा गया। चलो इसे ढक देता हूं।'¹⁸ इस प्रकार अपने अंतःकरण से जुड़कर विवेकशील क्षमता को जगाने का उद्देश्य यहां रखा गया है।

मटकू के माध्यम से अधिकार और कर्तव्य के बीच की महीन रेखा को उभार कर असंवेदनशीलता जैसे संक्रामक रोग से बचने की सलाह दी गई है।

समाज में रहते हुए मानव द्वारा बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है। प्रकृति द्वारा सबको समान रूप से बिना किसी भेदभाव के कुछ सुविधाएं दी गई हैं जैसे- सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, भूमि, ऋतुएं, मौसम आदि जिनके आवश्यकतानुसार उपभोग के बाद हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो इन वस्तुओं तथा सेवाओं की अन्य लोगों के लिए उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दूसरों के अधिकारों की रक्षा यहां महत्वपूर्ण संदेश है। उदाहरणस्वरूप कथा में जब एक व्यक्ति मटकू से पानी पी लेने के बाद प्याऊ से जाने लगता है। तो मटकू अथवा उसकी अंतरात्मा द्वारा सभी मटकों को भरने का सुझाव यहां मानवता का कार्य है। यहां उस व्यक्ति द्वारा इस कार्य के प्रति प्रथम दृष्टया प्रदर्शित उदासीनता आम व्यक्ति के स्वभाव की ओर इशारा करती है जिस पर नियंत्रण करने के लिए यहां मटकू के रूप में अंतःकरण की आवाज को बुलंद किया गया है। इस संवाद के लिए गोविंद जी ने मटकू को मुखपात्र बनाते हुए गहरा संदेश समाज में प्रेषित किया है- वह कहता है 'प्याऊ में पानी पीने पर किसी एक आदमी या एक परिवार का अधिकार नहीं होता है। यह तो सबका है, यह सार्वजनिक है, यहां घड़े में पानी भरना किसी की नौकरी करना नहीं होता है। यह जल सेवा है और जन सेवा भी।'¹⁹

इस प्रकार जन सेवा के भावों को समझ कर जब लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज से समाज के प्रति अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का कार्य करने लगते हैं तो मटकू बोलना बंद कर देता है अर्थात् समाज के प्रति संवेदनशीलता का प्रसार हो जाने पर उसका दायित्व पूर्ण हो जाता है और उसे कोई सुझाव देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। 'मटकू अब नहीं बोलता है। क्यों बोले? घड़ों में साफ पानी भरा होता है, वे ढके रहते हैं, लोग हाथ धोकर पानी पीते हैं। हां जिस दिन कोई गलती करेगा, मटकू बोलेगा।'²⁰

निष्कर्ष के रूप में जीवन का मार्गदर्शन करने वाली अंतःकरण की आवाज ही है जो सही गलत का अंतर बताकर व्यक्ति को ऊंचा उठाती है। इस कथा में अन्तरात्मा की आवाज वाला मटकू बालकों के भीतर सहज सामाजिक मूल्यों, नैतिक निर्देशों और गलत सही के बीच अंतर के लिए आंतरिक आवाज के रूप में प्रकट होकर नैतिक निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक बनता है। मुख्य तौर पर संवेदशीलता के गुण को निरूपित करती यह अंतरात्मा की आवाज जागरूकता, आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करते हुए व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिक मानकों के अनुसार मूल्यांकन कर किसी भी कार्य के संभावित परिणामों पर चिंतन करना भी सिखाती है।

अत्यंत साधारण पात्र के माध्यम से आधुनिकता की होड़ में विलुप्त होती अंतःकरण की आवाज को पहचान कर सार्वभौमिक सत्य का

प्रतिनिधित्व करने वाली स्वाभाविक स्थितियों को विकसित करने की प्रेरणा देती यह बाल-कथा निस्वार्थ भाव से जीते हुए कल्याणकारी मूल्यों को संरक्षित रखने की दृष्टि देती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रियंका सौरभ, अंतरात्मा की आवाज बताती है, स्वतंत्र प्रभात, सम्पादकीय, 21 जून 2023, www.swatantraprabhat.com 2. डॉ. बानो सरताज, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी बाल साहित्य, पृष्ठ संख्या 121 3. डॉ. श्री प्रसाद, हिंदी बाल साहित्य क्रमिक विकास, भारतीय बालसाहित्य के विविध आयाम, आलेख, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान	4. डॉ. हरिकृष्ण देवसरे, हिंदी बाल साहित्य एक अध्ययन, पृष्ठ संख्या 236-237 5. गोविंद शर्मा, 'मटकू बोलता है', पृष्ठ संख्या, 6 6. गोविंद शर्मा, 'मटकू बोलता है', पृष्ठ संख्या, 9 7. गोविंद शर्मा, 'मटकू बोलता है', पृष्ठ संख्या, 11 8. गोविंद शर्मा, 'मटकू बोलता है', पृष्ठ संख्या 16 9. गोविंद शर्मा, 'मटकू बोलता है', पृष्ठ संख्या 21 10. 'मटकू बोलता है', गोविंद शर्मा, पृष्ठ संख्या 23

Medical Jurisprudence in India: Challenges and Opportunities

Dr. Lok Narayan Mishra*

*Asst. Professor (Law) Govt. Law College, Rewa (M.P.) INDIA

Abstract - Medical jurisprudence, the application of medical science to legal problems, is crucial in ensuring justice in healthcare-related issues. In India, the integration of medical jurisprudence within the legal system faces numerous challenges but also presents significant opportunities for improvement and development. This paper explores the landscape of medical jurisprudence in India, identifying key challenges such as regulatory gaps, ethical dilemmas, and inadequate forensic infrastructure, while also highlighting opportunities for enhancing the field through legislative reforms, technological advancements, and interdisciplinary collaboration.

Introduction - Medical jurisprudence, also known as forensic medicine, involves the application of medical knowledge to legal issues and the administration of justice. It plays a vital role in various legal contexts, including criminal investigations, civil disputes, and public health regulations. In India, the field has evolved considerably but continues to grapple with several challenges. This paper aims to provide a comprehensive overview of the current state of medical jurisprudence in India, identify key challenges, and explore potential opportunities for strengthening the field.

Historical Context: The roots of medical jurisprudence in India can be traced back to ancient texts such as the Manusmriti and Charaka Samhita, which contained guidelines on medical ethics and legal responsibilities of physicians. During the colonial period, the British introduced formal forensic medicine education and established forensic laboratories. Post-independence, India has seen further developments, with medical jurisprudence becoming a mandatory subject in medical curricula and the establishment of institutions like the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), which play a pivotal role in forensic education and research.

Current Landscape: Medical jurisprudence in India encompasses various activities, including autopsies, forensic toxicology, sexual assault examinations, age estimation, and expert testimony in court. Key stakeholders include forensic pathologists, toxicologists, forensic scientists, legal professionals, and law enforcement agencies. Despite its critical importance, the field faces numerous challenges that hinder its effectiveness.

Medical jurisprudence, also known as forensic medicine, is the branch of medicine that applies medical

knowledge to legal issues and the administration of justice. It involves the use of medical expertise to solve legal problems, particularly those involving crimes and civil disputes that have a medical component. Medical jurisprudence encompasses a wide range of activities, including the examination of injuries, determination of the cause and manner of death, and the assessment of medical negligence.

Key Aspects of Medical Jurisprudence

1. Autopsy and Post-Mortem Examination: A critical component of medical jurisprudence is the autopsy or post-mortem examination. This procedure is conducted to determine the cause and manner of death, particularly in cases of suspicious or unexplained deaths. Autopsies can reveal evidence of criminal activity, such as homicide, or natural causes, such as disease.

2. Forensic Toxicology: This subfield involves the study of the effects of chemicals, drugs, and toxins on the human body. Forensic toxicologists analyze bodily fluids and tissues to detect the presence of harmful substances, which can be crucial in cases of poisoning, drug overdoses, and exposure to toxic environments.

3. Injury and Wound Analysis: Forensic experts examine injuries and wounds to determine their nature, cause, and the circumstances under which they were inflicted. This analysis can help differentiate between accidental injuries and those caused by violent acts, such as assault or abuse.

4. Sexual Assault Examination: Medical jurisprudence plays a vital role in cases of sexual assault. Forensic experts conduct examinations to collect and document evidence of sexual violence, which can include DNA samples, injuries, and other physical evidence that supports the investigation and prosecution of the crime.

5. Age Estimation: Forensic medicine often involves estimating the age of individuals, especially in cases where identity or legal age is in question. This can be important in legal contexts such as immigration, criminal responsibility, and employment.

6. Medical Negligence and Malpractice: Medical jurisprudence also addresses issues of medical negligence and malpractice. Forensic experts assess whether healthcare providers have met the standard of care required in medical practice and provide testimony in civil and criminal cases involving allegations of medical errors or unethical behavior.

7. Expert Testimony: Forensic medical experts frequently serve as expert witnesses in court, providing testimony on medical findings and their implications for legal cases. Their expertise can be crucial in helping judges and juries understand complex medical issues and make informed decisions.

Role of Medical Jurisprudence in the Legal System: Medical jurisprudence is integral to the legal system, as it provides the scientific basis for many judicial decisions. Forensic medical experts work closely with law enforcement agencies, legal professionals, and the judiciary to ensure that medical evidence is accurately interpreted and presented in court. This collaboration helps ensure that justice is served, whether in criminal prosecutions, civil litigation, or regulatory matters.

Importance of Medical Jurisprudence

1. Ensuring Justice: By providing accurate and reliable medical evidence, forensic experts help ensure that justice is served. This includes identifying perpetrators of crimes, exonerating the innocent, and providing closure to victims and their families.

2. Public Health and Safety: Medical jurisprudence contributes to public health and safety by investigating causes of death, identifying public health threats (such as toxic exposures or infectious diseases), and informing public policy and preventive measures.

3. Legal and Ethical Standards: The field helps uphold legal and ethical standards in healthcare by addressing issues of medical negligence, malpractice, and professional misconduct. This ensures that healthcare providers are held accountable and that patients receive safe and ethical care.

Challenges in Medical Jurisprudence in India

1. Regulatory Gaps and Inconsistencies: The regulatory framework governing medical jurisprudence in India is often criticized for being fragmented and inconsistent. Different states have varying protocols and standards, leading to disparities in forensic practices. Moreover, there is a lack of uniform guidelines for the accreditation and functioning of forensic laboratories, resulting in varied quality and reliability of forensic reports.

2. Ethical Dilemmas: Medical professionals often face ethical dilemmas while performing forensic duties. Issues such as confidentiality, consent, and conflicts of interest

arise frequently. For instance, in cases of sexual assault, balancing the need for thorough forensic examination with the victim's privacy and dignity is a significant concern. Additionally, pressure from law enforcement agencies or political entities can compromise the impartiality of forensic experts.

3. Inadequate Forensic Infrastructure: The forensic infrastructure in India is grossly inadequate to meet the growing demands. Many forensic laboratories are under-resourced, lacking advanced equipment and trained personnel. The backlog of cases is a persistent problem, leading to delays in justice. Furthermore, the integration of forensic science with modern technology is limited, hampering the efficiency and accuracy of forensic investigations.

4. Education and Training Deficiencies: The education and training of medical professionals in forensic medicine are often insufficient. While medical jurisprudence is a mandatory subject in medical education, the depth and quality of training vary widely. Continuous professional development and specialized training programs are essential to keep forensic experts updated with the latest advancements and best practices in the field.

5. Judicial and Legal Challenges: The judiciary's understanding of forensic evidence is crucial for its effective utilization in legal proceedings. However, there is often a gap in the knowledge and appreciation of forensic science among legal professionals. Misinterpretation or misuse of forensic evidence can lead to miscarriages of justice. Additionally, the adversarial nature of legal proceedings can put undue pressure on forensic experts, affecting their objectivity and performance.

Opportunities for Enhancing Medical Jurisprudence in India

1. Legislative Reforms: Legislative reforms are essential to address the regulatory gaps and inconsistencies in medical jurisprudence. Establishing a centralized regulatory authority for forensic services can ensure uniform standards and protocols across the country. Additionally, enacting laws that provide clear guidelines on ethical issues and protect the independence of forensic experts can enhance the integrity and credibility of forensic practices.

2. Technological Advancements: Leveraging technological advancements can significantly improve the efficiency and accuracy of forensic investigations. Implementing digital forensics, DNA profiling, and advanced toxicology techniques can provide more reliable evidence. Moreover, developing integrated databases and information-sharing platforms can facilitate better coordination between forensic laboratories, law enforcement agencies, and the judiciary.

3. Capacity Building and Training: Investing in capacity building and training programs is crucial for developing a skilled workforce in forensic medicine. Enhancing the curriculum of medical jurisprudence in medical schools,

providing continuous professional development opportunities, and establishing specialized training institutes can ensure that forensic experts are well-equipped to handle complex cases. Collaboration with international forensic bodies can also bring in global best practices and standards.

4. Interdisciplinary Collaboration: Promoting interdisciplinary collaboration between medical professionals, legal experts, and law enforcement agencies can enhance the effectiveness of forensic investigations. Regular workshops, seminars, and conferences can facilitate knowledge exchange and foster mutual understanding among different stakeholders. Additionally, establishing multidisciplinary forensic teams for complex cases can ensure comprehensive and coordinated investigations.

5. Public Awareness and Education: Raising public awareness about the importance of forensic medicine and its role in the justice system can garner support for necessary reforms and investments. Educational campaigns, media engagement, and community outreach programs can help demystify forensic science and build trust in forensic institutions. Public support is crucial for advocating policy changes and ensuring the proper allocation of resources for forensic services.

Case Studies and Comparative Analysis: One of the most famous Indian cases related to medical jurisprudence is the Indrani Mukerjea and Sheena Bora Murder Case. This case, which surfaced in 2015, involved complex forensic evidence and brought significant attention to the field of medical jurisprudence in India.

Case Background: Sheena Bora, a young woman, was reported missing in 2012. It wasn't until 2015 that her remains were discovered, leading to the arrest of her mother, Indrani Mukerjea, and others. The case quickly became high-profile due to the social status of those involved and the sensational nature of the crime.

Forensic Aspects

1. Identification of Remains: The forensic team faced the challenge of identifying decomposed remains found in a forest. DNA analysis confirmed the identity of Sheena Bora, linking the evidence directly to the victim.

2. Cause of Death: The autopsy and forensic analysis suggested that Sheena Bora had been strangled, providing crucial evidence regarding the manner of death.

3. Time of Death: Estimating the time of death was critical for constructing the timeline of events. Forensic experts analyzed decomposition stages to provide an approximate time frame.

4. Forensic Toxicology: Toxicology reports played a role in understanding whether Sheena had been drugged prior to her death, adding another layer of complexity to the forensic investigation.

Judicial Proceedings: The case saw multiple twists and turns, with numerous forensic experts providing testimony. The meticulous work of forensic scientists was essential in

building the case against Indrani Mukerjea and her accomplices.

Impact: The Sheena Bora murder case remains a significant example of the role of medical jurisprudence in the Indian legal system. It underscores the importance of forensic science in criminal investigations and the continuous need for advancements and improvements in this crucial field.

K.M. Nanavati vs. State of Maharashtra: One of the most famous Indian cases related to medical jurisprudence is the Nanavati Case, officially known as the K.M. Nanavati vs. State of Maharashtra case. This 1959 case is notable not only for its sensational elements involving a crime of passion but also for the pivotal role played by forensic medicine in the trial. The case is considered a landmark in Indian legal history and had significant implications for the country's judicial system.

Background of the Case

Incident: On April 27, 1959, Commander Kawas Manekshaw Nanavati, a decorated Indian Naval officer, shot and killed his wife's lover, Prem Ahuja, with his service revolver. Nanavati's wife, Sylvia, had confessed to her affair with Ahuja just before the incident.

Arrest and Trial: Following the killing, Nanavati surrendered himself to the police. The trial that ensued became one of the most publicized and dramatic court cases in Indian history, highlighting various aspects of medical jurisprudence and forensic science.

Forensic and Medical Jurisprudence Aspects

1. Autopsy and Cause of Death: The autopsy of Prem Ahuja was crucial in establishing the cause of death. The forensic examination revealed that Ahuja died from three gunshot wounds. The nature and trajectory of the wounds were essential in corroborating the sequence of events as described by Nanavati and assessing the plausibility of different versions of the incident.

2. Ballistic Evidence: The ballistic analysis of the bullets and the revolver played a significant role in the trial. Experts testified about the type of weapon used, the distance from which the shots were fired, and the angle of entry of the bullets. This evidence helped the court understand the circumstances of the shooting.

3. Psychological Evaluation: Although not as developed as today, aspects of forensic psychology were indirectly involved. Nanavati's mental state, his emotional turmoil upon learning of his wife's infidelity, and his actions following the revelation were considered in understanding his motive and intent.

4. Medical Testimonies: Various medical experts were called to testify regarding the injuries sustained by Ahuja and the likely scenarios that could have led to such injuries. These testimonies helped the jury and judges form a clearer picture of the incident.

Judicial Proceedings and Outcome

Jury Trial: Initially, the case was tried before a jury, which

acquitted Nanavati, accepting his defense of sudden and grave provocation. However, the verdict was overturned by the Bombay High Court, which found him guilty of murder.

Appeal: Nanavati appealed to the Supreme Court of India. In 1961, the Supreme Court upheld the Bombay High Court's conviction, and Nanavati was sentenced to life imprisonment.

Pardon: Eventually, Nanavati was pardoned by then-Governor of Maharashtra, Vijayalakshmi Pandit, after serving a few years in prison, partly due to public sympathy and the intervention of powerful figures.

Impact and Significance

1. Abolition of Jury Trials: The Nanavati case is often cited as a major reason for the abolition of jury trials in India. The perceived influence of public opinion and media coverage on the jury's decision highlighted the potential for bias, leading to the eventual phasing out of jury trials in favor of bench trials (trials by judges).

2. Role of Forensic Evidence: The case underscored the importance of forensic evidence in criminal trials. The detailed forensic analysis provided crucial insights that helped the courts understand the circumstances of the crime, illustrating the vital role of medical jurisprudence in the legal system.

3. Media and Public Influence: The extensive media coverage and the public's fascination with the case influenced both the legal proceedings and the broader judicial reforms that followed. It demonstrated the impact of public opinion on the justice system and the importance of maintaining judicial objectivity.

4. Legal Precedents: The case set several legal precedents, particularly in the interpretation of provocation and self-defense in Indian criminal law. It also highlighted the complexities involved in cases of crimes of passion and the need for careful legal and forensic analysis.

The Nanavati case remains one of the most famous and influential cases in Indian legal history, particularly in the realm of medical jurisprudence. It showcased the critical role of forensic science in the judicial process and led to significant changes in the legal system, including the

abolition of jury trials. The case continues to be studied for its legal, forensic, and social implications, making it a landmark in the field of medical jurisprudence in India.

Analyzing case studies and comparative analysis with other countries can provide valuable insights into the challenges and opportunities in medical jurisprudence. For instance, examining the forensic systems in countries like the United States, the United Kingdom, and Australia can highlight best practices and innovative approaches that can be adapted to the Indian context. Successful case studies from within India can also serve as models for other regions and institutions.

Conclusion: Medical jurisprudence is a critical component of the justice system in India, intersecting the fields of medicine and law. Despite facing numerous challenges, the field offers significant opportunities for enhancement and development. Addressing regulatory gaps, ethical dilemmas, and infrastructural deficiencies through legislative reforms, technological advancements, capacity building, interdisciplinary collaboration, and public awareness can strengthen the practice of medical jurisprudence in India. By leveraging these opportunities, India can ensure that forensic medicine plays a pivotal role in delivering justice and upholding the rule of law.

References:-

1. Basu, S., & Datta, A. (2021). Forensic Medicine and Toxicology. New Delhi: Elsevier India.
2. Chattopadhyay, S., & Chatterjee, K. (2018). Legal and Ethical Aspects of Medical Practice in India. Indian Journal of Medical Ethics, 3(2), 78-85.
3. Gautam, G., & Choudhary, A. (2020). Forensic Science in India: Current Status and Future Directions. Forensic Science International, 313, 110335.
4. Rao, N. G. (2019). Textbook of Forensic Medicine and Toxicology. Hyderabad: Jaypee Brothers Medical Publishers.
5. Verma, S. K., & Singhal, R. (2022). Challenges and Opportunities in Forensic Medicine: An Indian Perspective. Journal of Forensic and Legal Medicine, 80, 102136.

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के दार्शनिक विचार एवं वर्तमान संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता का अध्ययन

मीनाक्षी* डॉ. महेश कुमार गंगल**

* शोधार्थी (शिक्षा) वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (राज.) भारत

** शोध निर्देशक एवं सह आचार्य (शिक्षा) वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (राज.) भारत

शोध सारांश – ‘मिसाइल मैन’ के नाम से विख्यात भारत के महान वैज्ञानिक एवं 11वीं राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम को वैश्विक मंच पर एक वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है, परंतु इस बात का बोध बहुत कम लोगों को है कि डॉ. अब्दुल कलाम के वैज्ञानिक मस्तिष्क के पीछे आध्यात्मिक विचार भी छिपे हुए हैं। वह एक महान् वैज्ञानिक होने के साथ-साथ एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। यद्यपि उनकी धार्मिकता में वैज्ञानिकता की झलक देखने को मिलती है। वर्तमान शोध पत्र में डॉ. अब्दुल कलाम के इन्हीं दार्शनिक विचारों को उद्धृत किया गया है। उनकी यह दार्शनिक विचार वर्तमान पीढ़ी के विद्यार्थियों एवं युवाओं को विज्ञान के साथ-साथ धर्म एवं संस्कृति से जोड़ते हुए, उन्हें सत्कर्म की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

शब्द कुंजी – डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, दार्शनिक विचार, प्रसंगिकता।

प्रस्तावना – डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम (डॉ. अवुल पकिर जैनुलअबदीन अब्दुल कलाम अथवा डॉ. अब्दुल कलाम) को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने वैज्ञानिक, शोध, शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी कार्य किए उन पर अपनी गरिमामई उपस्थिति की एक अमिट छाप अंकित की। उनका प्रत्येक कार्य उनके अहंकार रहित विनम्र आत्मविश्वास को दर्शाता है। यद्यपि अब्दुल कलाम एक महान् वैज्ञानिक, लेखक एवं शिक्षक थे, परंतु उनके जीवन में दार्शनिक विचारों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके जीवन में दार्शनिकता का सूत्रपात बाल्यावस्था में पारिवारिक संस्कारों से ही प्रारंभ हो जाता है। डॉ. अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1921 को रामेश्वरम् के एक मध्यमवर्गीय तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। यहां इनका घर रामेश्वरम् की मस्जिद वाली गली में बना हुआ था, जो रामेश्वर के प्रसिद्ध शिव मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित था। इनकी माता आशियम्मा धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत, दयालु एवं अति साधारण महिला थी। बचपन से ही छोटी कद काठी एवं शर्मीले स्वभाव के साधारण से दिखने वाले डॉ. अब्दुल कलाम ने अपने माता-पिता से इमानदारी, आत्मानुशासन, सीमित एवं आवश्यक संसाधनों का उचित उपयोग करना, आडंबर हीन आस्था एवं करुणा जैसे भावों को आत्मसात् कर लिया था। डॉ. अब्दुल कलाम का एक मुस्लिम परिवार था, परंतु इसके पश्चात् भी उनके परिवार के सभी सदस्य हिंदुओं के प्रसिद्ध रामेश्वरम् मंदिर के प्रति अटूट आस्था रखते थे तथा वहां पर आने-जाने तथा रहने वाले सभी हिंदुओं का पूर्ण सत्कार करते थे। इन सब गुणों के कारण ही डॉ. अब्दुल कलाम के जीवन में आध्यात्मिक गुणों का विकास प्रारंभ हो गया था।

शोध अध्ययन के उद्देश्य – वर्तमान शोध अध्ययन का उद्देश्य डॉ. अब्दुल कलाम द्वारा लिखित एवं उन पर आधारित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करते हुए उनके दार्शनिक विचारों को उद्धृत करना है। इस लक्ष्य को निम्नलिखित

उद्देश्यों के आधार पर प्राप्त करने का प्रयास किया गया है–

1. डॉ. अब्दुल कलाम से संबंधित साहित्य में निहित दार्शनिक विचारों का अध्ययन।
2. डॉ. अब्दुल कलाम के दार्शनिक विचारों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता का अध्ययन।

अनुसंधान की सीमाएं – वर्तमान अध्ययन के परिसीमन इस प्रकार हैं–

1. वर्तमान अध्ययन डॉ. अब्दुल कलाम की चयनित पुस्तकों तक सीमित रहा है।
2. वर्तमान अध्ययन डॉ. अब्दुल कलाम से संबंधित शोधकर्ता के लिए उपलब्ध सामग्री तक सीमित रहा है।
3. वर्तमान अध्ययन डॉ. अब्दुल कलाम के केवल दार्शनिक विचारों को ही निर्दिष्ट कर रहा है।

शोध का महत्व – वर्तमान संदर्भ में जब आज का युवा आध्यात्मिक विचारों से निरंतर एक दूरी बनाता जा रहा है तो युवा समाज को आध्यात्मिक विचारों से जोड़ने के लिए इस प्रकार के शोध अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि–

1. अब तक गुणात्मक शोध अधिकांशतः अब्दुल कलाम के शैक्षिक विचारों पर किए गये थे, परन्तु यहाँ शोधकर्ता ने दार्शनिक विचारों का अध्ययन किया गया है।
2. डॉ. अब्दुल कलाम के दार्शनिक विचारों पर चिंतन का अध्ययन आज की पीढ़ी, समाज और राष्ट्र के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। यह शिक्षा से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति, शिक्षा के प्रत्येक घटक, विधि, विद्यालय, पाठ्यक्रम, सिद्धांत और मूल्य विवरण के लिए नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा।
3. वर्तमान अध्ययन के परिणाम शिक्षाविद्, प्राचार्य, शिक्षक, माता-पिता और शिक्षा की प्रगति और विशेष रूप से गुणात्मक शोध करने वाले शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी होंगे।

अनुसंधान क्रियाविधि – वर्तमान अध्ययन ऐतिहासिक रूप से गुणात्मक है। डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अध्ययन करने के लिए डेटा संग्रह का स्रोत डॉ. अब्दुल कलाम पर आधारित पुस्तकें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं शोध प्रपत्रों में प्रकाशित लेख तथा उनसे संबंधित वेबसाइट रही है।

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के दार्शनिक विचार – दर्शन के व्यापक क्षेत्र को तीन विचारों (मीमांसा) में बाटा गया है:

1. तत्व मीमांसा
2. ज्ञान मीमांसा
3. मूल्य मीमांसा

तत्व मीमांसा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। इसमें सत्ता, सृष्टि, आत्मा-परमात्मा, ईश्वर के स्वरूप की खोज जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है।

ज्ञान मीमांसा का संबंध मानव बुद्धि, ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन एवं विधियों, ज्ञान की सीमा, प्रमाणिकता, सत्य-असत्य आदि की खोज से होता है।

मूल्य मीमांसा के अंतर्गत जीवन के मूल्यों, आदर्शों और लक्ष्यों पर विचार किया जाता है। अब्दुल कलाम के दार्शनिक विचारधारा में इन तीनों के विचारों का समावेश प्रतीत होता है।

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के तत्व मीमांसा संबंधी विचार – डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के तत्व मीमांसक संबंधी विचार निम्नलिखित हैं – **ईश्वर (अल्लाह) संबंधी विचार**

‘वह अल्लाह और ईश्वर या खुदा और भगवान के बीच द्वंद नहीं है। उसे मंदिर या मस्जिद में तलाशने की जरूरत नहीं है।’¹

आधुनिक ज्ञान- विज्ञान एवं तकनीक को अपने अंतःकरण तथा मन मस्तिष्क में समाये रखने वाले डॉ. अब्दुल कलाम ईश्वर अथवा आल्हा में अटूट विश्वास रखते थे। उनका मानना है कि ईश्वर और अल्लाह अलग अलग नहीं हैं अपितु हैं, दोनों शक्तियां एक ही हैं। इन्हें भिन्न भिन्न स्थानों पर तलाश करने तथा इनके विचारों को लेकर आपस में लड़ना व्यर्थ एवं मूर्खतापूर्ण कार्य है। मानव द्वारा इस प्रकार की विचारधारा रखने से ईश्वर अथवा अल्लाह का भी अपमान होता है।

‘हम सब ईश्वर की उत्पत्ति हैं।’²

‘ईश्वर की सबसे सुंदर कृति मानव जाति है।’³

वह ईश्वर को निराकार, सर्वशक्तिमान एवं एक दिव्य शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, जो स्वेच्छा से इस संसार को चला रहा है। उनका मानना है कि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति ईश्वर की कृपा से हुई है और मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। वह सदैव मनुष्य के साथ रहता है। इसलिए मनुष्य को सदा ईश्वर की अनुभूति को समझते हुए किसी भी परिस्थिति में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।

‘इस्लाम में ईश्वर पर भरोसा करने के बाद जिस बात की सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है, वह है – अपने माता-पिता को चाहना और उनका ध्यान रखना। हजरत मोहम्मद ने कहा है तुम्हारी मां के कदमों में जन्नत है।’⁴

डॉ. अब्दुल कलाम माता-पिता को ईश्वर के समान मानते हैं। उनका मानना है कि इस सृष्टि में ईश्वर या अल्लाह की इबादत के पश्चात यदि कोई पूजनीय है तो वह माता-पिता हैं। माता-पिता बच्चे को जन्म देकर उसका भरण पोषण करते हुए उसे समाज में स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत

करना सिखाते हैं। अतः एक मनुष्य के जीवन में उसके माता-पिता का सहयोग सर्वोपरि है। वह स्वयं बचपन से मातृ-पितृ भक्त रहे हैं तथा अपने माता पिता को आदर्श मानते हुए उनके द्वारा दी गई शिक्षा को ही अपनी कामयाबी का आधार मानते हैं।

‘धर्म को चाहिए कि वह शनैः शनैः अध्यात्म का रूप लेता चला जाए तथा राष्ट्र के विकास हेतु लोगों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करें।’⁵

‘धर्म एक मनोहारी उद्यान की तरह है। सुंदरता तथा शांति से परिपूर्ण स्थल मानो कोई सुंदर उपवन कलरव करते सुंदर पक्षियों से परिपूरित हो।’⁶

वह धर्म को आध्यात्मिक विकास, राष्ट्र की उन्नति एवं शांति का आधार मानते हैं। उनका मानना है कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए धार्मिक एकता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह धर्म एक ऐसे उपवन के समान मानते हैं, जिसमें अलग-अलग जाति एवं मान्यताओं के लोग कुछ नियमों का पालन करते हुए सद्भाव के साथ रह सकते हैं। वह प्रत्येक धर्म में वर्णित सत्य, अहिंसा, इमानदारी, निष्ठा जैसे गुणों को आत्मसात करने की करने पर बल देते हैं। उन्होंने बताया कि सभी धार्मिक ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान की अनेक तथ्य वर्णित हैं इन्हें तथ्यों के सही अर्थों को समझ कर अमल करने से राष्ट्र की उन्नति होती है। इस प्रकार धर्म सदैव राष्ट्र का उन्नति का आधार रहे हैं। वह वर्तमान समाज के धार्मिक विभाजन से बहुत अधिक दुखी हैं।

आत्मा संबंधी विचार – डॉ. अवुल पकिर जैनुलअबदीन अब्दुल कलाम आधुनिक संसार के महान वैज्ञानिक होने के बाद भी ईश्वरीय शक्ति के साथ साथ जीवात्मा के अस्तित्व में भी विश्वास रखते हैं।

‘ईश्वर हमारे अंतःकरण, रूह या आत्मा के माध्यम से हमारे मन को ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता है। वह हमें ऐसी स्पष्टता देता है जिससे हम सत्य की अवधारणा को समझने की शक्ति प्राप्त करते हैं।’⁷

उनका मानना है कि मानव शरीर में ईश्वरीय शक्ति स्वरूप जीवात्मा का वास है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से मानव मन के मस्तिष्क में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करता है जिससे मनुष्य को सत्य की अनुभूति होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने अंतःकरण में वास करने वाली आत्मा के स्वरूप को पहचानना आवश्यक है। डॉ. अब्दुल कलाम मृत्यु की आत्मा परमात्मा के मिलन के रूप में देखते हैं।

‘ईश्वर किस प्रकार अंधेरा कर देता है। क्या यही उसकी इच्छा थी लेकिन उसने रास्ता दिखाने के लिए ही सूरज बनाया है। यही है वह जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई है, और आराम के लिए नींद दी है। मृत्यु गहरी निद्रा ही है एक स्वप्नरहित नींद, पूरी तरह शांति में..... अल्लाह की नियति के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। वही हमारा रखवाला है अल्लाह में अपना भरोसा रखो।’⁸

उनका मानना है कि मृत्यु ईश्वर की इच्छा से प्राप्त हुई एक गहरी निद्रा के समान है। एक मनुष्य की मृत्यु से परिवार में अंधकार छा जाता है, परंतु इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर प्रत्येक मनुष्य का रक्षक है तथा वही इस विकट परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। मृत्यु के विषय में अब्दुल कलाम जलालुद्दीन की मृत्यु पर उनके पिता के द्वारा कहे हुए वाक्यों से प्रेरित होते हैं।

जगत (सृष्टि) संबंधी विचार – डॉ. अब्दुल कलाम सृष्टि को ईश्वर की रचना तथा मानव की सर्जनात्मक शक्ति को विकसित एवं प्रदर्शित करने के रंगमंच के रूप में रूप में मानते हैं।

‘आप में और प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने यहां अपनी अपनी सृजनात्मक

क्षमता से सब कुछ बनने और स्वचेतन के साथ शांति से रहने के लिए भेजा है। हम अपने रास्ते अलग-अलग चुनते हैं और अपनी नियति तय करते हैं।⁹

उनका मानना है कि ईश्वर ने संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी सृजनात्मक क्षमता के अनुसार विकास करते हुए विश्व में कुछ नया करने के लिए तथा आपस में शांति के साथ रहने के लिए भेजा है। हम अपनी सर्जनात्मक एवं बौद्धिक क्षमता के अनुसार अपने कार्यों का चयन करते हुए जीवन के पथ पर अग्रसर होते हैं तथा अपना सांसारिक जीवन यापन करते हैं।

‘अल्लाह ने हर किसी के जीवन की पूरी अवधि उनके हिस्से का सौभाग्य और दुर्भाग्य और उनके प्रयासों का फल पहले ही तय किया हुआ है भविष्य में जो भी कुछ हो सकता है उसकी संभावना की बात करते हुए मुसलमान अक्सर इंशाअल्लाह कहते हैं जिसका अर्थ होता है अल्लाह ने चाहा तो’¹⁰

सांसारिक जीवन में अग्रसर होते हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख एवं दुःख का आना स्वाभाविक है। इसीलिए मनुष्य को भविष्य में सुख की कामना हेतु ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए तथा अपने कार्य में प्रयासरत रहना चाहिए।

‘प्रार्थना का जो मुख्य काम है.....वह है मनुष्य के भीतर नए-नए विचार उत्पन्न करना।..... और जब ये विचार उत्सर्जित होते हैं, तो वास्तविकता जन्म लेती है तथा निष्कर्ष सफल घटनाओं के रूप में सामने आते हैं। ईश्वर, हमारे रचीयता, ने हमारे मस्तिष्क के भीतर अपार ऊर्जा एवं योग्यता दी है। प्रार्थना हमें इन शक्तियों को प्रयोग में लाने में मदद करती है।’¹¹

उन्होंने बताया कि ईश्वरीय आराधना बहुत ही प्रबल होती है। प्रार्थना से मनुष्य के मन-मस्तिष्क में नवीन एवं सर्जनशील विचारों की उत्पत्ति होती है तथा उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से ऊर्जा की अनुभूति होती है। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य को वास्तविक जगत में सफलता की प्राप्ति होती है।

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के ज्ञान मीमांसा विचार- डॉ. अब्दुल कलाम मानव जीवन में ज्ञान को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।

‘जितना ज्यादा अधतन ज्ञान आपके पास होगा, आप उतने ही स्वतंत्र रहेंगे। ज्ञान को किसी के पास से ले जाया नहीं जा सकता, सिवाय इसके कि यह पुराना पड़ जाए।’¹²

उनका मानना है कि ज्ञान मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है। ज्ञान ऐसी वस्तु है जिसे चुराया नहीं जा सकता। इसे दूसरे व्यक्तियों के साथ साझा किया जा सकता है। ज्ञान से मनुष्य में आत्मविश्वास एवं स्वतंत्रतापूर्वक जीवनयापन करने की भावना जागृत होती है। ज्ञान के आधार पर रूढ़िवादी विचारों को त्याग कर वैज्ञानिक विचारधारा को आत्मसात किया जाता है। ज्ञान ही मनुष्य को आदिमानव से आधुनिक मानव बनाता है।

‘मानव ईश्वर का सर्जन है। ईश्वर ने हमें बुद्धि तथा सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है। उन्होंने अपने द्वारा सर्जित इस मनुष्य को आदेश दिया है कि वह उस तक पहुंचने के लिए अपनी सोचने समझने की शक्ति का उपयोग पूरे विवेक के साथ करे। यदि समाज विवेकी है तो विज्ञान हम मनुष्यों के लिए ईश्वर प्रदत्त एक वरदान है।’¹³

डॉ. अब्दुल कलाम मानना है कि मनुष्य की रचना ईश्वरीय शक्ति का परिणाम है। मानवीय बुद्धि एवं सोचने समझने क्षमता उसे अन्य प्राणियों से

अलग करती है। मानव अपनी बौद्धिक शक्ति तथा ज्ञान के आधार पर न केवल प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकता है, अपितु अपने ज्ञान एवं विवेक के आधार पर वह अध्यात्मिक शक्तियों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। जिसके फलस्वरूप वह ईश्वर के स्वरूप को समझ सकता है।

वर्तमान युग में भी मनुष्य अपने ज्ञान के आधार पर विकसित की गई वैज्ञानिक शक्तियों का सदुपयोग कर समाज, राष्ट्र एवं विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी बुद्धि में सकारात्मक सोच एवं सत्य को स्थापित करें। सत्य के पथ पर अग्रसर व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र का मार्ग प्रसस्त कर सकता है। *यहमें कदापि नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सफलता हमारे सच्चे प्रयासों के साथ दैवी आशीर्वाद का परिणाम है। कहा भी गया है कि ईश्वर भी कठिन परिक्षणीय व्यक्तियों की ही सहायता करता है।*¹⁴

उनका मानना है कि हम अपनी बुद्धि एवं ज्ञान के आधार पर सफलताओं को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं परंतु जब हमारे प्रयास में ईमानदारी, निष्ठा, सत्य, दृढ़ संकल्प जैसे गुणों का समावेश होता है तो हमें ईश्वरीय आशीर्वाद की प्राप्ति होती है जिसके फलस्वरूप हमारे कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं क्योंकि ईश्वर भी ऐसे ही व्यक्तियों का साथ देता है जो इमानदारी से मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं।

‘सच्चा कर्मयोगी यह परवाह नहीं करता कि काम का श्रेय कौन ले जाता है।’¹⁵

इस प्रकार ईश्वर को सर्वोपरि मानते हुए जो व्यक्ति इमानदारी से सफलता को प्राप्त करते हैं, उन्हें सफल कार्य का श्रेय लेने की लालसा भी नहीं होती। वह निष्काम भाव से अपने कार्य में सदैव संलग्न रहते हैं।

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के मूल्य (आचार) मीमांसा विचार- मूल्य (आचार) मीमांसा के अंतर्गत जीवन के मूल्यों, आदर्शों और लक्ष्यों पर विचार किया जाता है। डॉ. अब्दुल कलाम के विचारों में तर्कशास्त्र एवं नीतिशास्त्र संबंधी विचारधारा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

‘अपनी आध्यात्मिक प्रकृति से जुड़ने के लिए यह जरूरी है की जीवन में आपके पास विजन हो।’¹⁶

उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य एवं उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता या असफलता संकल्प शक्ति के साथ सत्य एवं नेकी की राह पर दृढ़तापूर्वक कायम रहने पर निर्भर करती है। अतः मनुष्य को मन को पवित्र एवं ईश्वर पर विश्वास रखते हुए निरंतर जीवनलक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।

‘हम श्रेष्ठता की होड़ में रहते हैं। अपनी महानता का दावा करते हैं। इससे स्वयं दुखी होते हैं दूसरों को भी दुखी करते हैं। इस समूचे परिदृश्य में हम यह भूल जाते हैं कि हम वास्तव में बहुत तुच्छ हैं, हम छोटी सी आकाशगंगा के निवासी हैं। हमारा सूर्य एक नन्हा सा तारा है। हमारा बसेरा, पृथ्वी तुच्छ ग्रहों में से एक है।’¹⁷

उनका मानना है कि व्यक्ति अपनी सफलता का आनंद तभी ले सकता है, जब वह अहंकार एवं प्रतिस्पर्धा को त्याग कर अपना कार्य करता है। जो व्यक्ति दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, वह स्वयं भी दुखी रहते हैं तथा दूसरे व्यक्तियों के मार्ग में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः व्यक्ति को कभी भी अपनी सफलता पर अहंकार नहीं करना चाहिए। वास्तव में मानव बहुत ही सूक्ष्म प्राणी है। मनुष्य के अस्तित्व का अनुमान

इसी वैज्ञानिक सत्य से लगाया जा सकता है कि वह जिस विशाल पृथ्वी पर रहता है, वह ब्रह्मांड में फैली हुई अनेक विशाल आकाशगंगा में से एक छोटी सी आकाशगंगा में पाए जाने वाले सौर मंडल का छोटा सा अंश है। इस प्रकार विशाल ब्रह्मांड के सामने मानव एक तुच्छ एवं अस्तित्व विहीन प्राणी है। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी भी परिस्थिति में अहंकार या स्वयं को महान सिद्ध नहीं करना चाहिए।

कुल मिलाकर जीवन जो है वह अनसुलझी समस्याओं, संदिग्धाविजय, पराजय का मिश्रण है..... कठिनाइयों एवं संकटों के माध्यम से ईश्वर हमें बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए जब आपकी उम्मीदें, सपने और लक्ष्य चूर-चूर हो जाए तो उनके भीतर तलाश कीजिए, आपको उनके भीतर छिपा कोई सुनहरी मौका अवश्य मिलेगा।¹⁸

इस प्रकार डॉ. अब्दुल कलाम जीवन को एक कभी न समाप्त होने वाली ऐसी यात्रा के रूप में देखते हैं जिसमें समस्याएं एवं हार जीत का समावेश है। उनका मानना था जीवन में आने वाली समस्याएं नए तरीके से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती हैं। इसलिए मनुष्य को असफलताओं को लेकर दुखी एवं कुंठित नहीं होना चाहिए, अपितु असफलताओं के भीतर छिपी हुई सफलता के रास्ते को तलाशना चाहिए।

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के दार्शनिक विचारों की प्रसंगिकता- वर्तमान समय में लगभग प्रत्येक व्यक्ति जैसे-जैसे सफलता की उंचाइयों पर चढ़ता जाता है वैसे वैसे अनेक कारणों से वह ईश्वर की उपासना तथा आध्यात्मिकता से दूर होता जाता है इस प्रकार आज का युवा एवं विद्यार्थी आधुनिकता की दौड़ में बने रहते हुए अपने सांस्कृतिक विरासत को भूलता जा रहा है। जिसके फलस्वरूप संसाधन होते हुए भी आधुनिक मानव दुखी, चिंतित एवं कुंठित रहता है। ऐसे में महान् वैज्ञानिक एवं भारत के सर्वोच्च सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने वाले डॉ. अबुल पकिर जैनुलअबदीन अब्दुल कलाम के दार्शनिक विचार समाज को एक नई दिशा देने में अत्यंत उपयोगी होते हैं। उनके आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों से ईश्वर के स्वरूप, आत्मा परमात्मा संबंध, सत्य, निष्ठा, मानव की सजनात्मक क्षमता एवं उसके ज्ञान की क्षमता को समझा जा सकता है।

शोध निष्कर्ष- डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम स्वतंत्र भारत के एक महान् वैज्ञानिक हुए हैं। अपनी वैज्ञानिक सोच एवं तकनीकी ज्ञान के आधार पर भारत को अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र प्रदान करने के कारण इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से विज्ञान के भौतिक एवं गणित जैसे विषयों में रुचि रखने वाले अब्दुल कलाम आध्यात्मिक विचारों से भी ओतप्रोत थे। आध्यात्मिकता उन्हें पारिवारिक संस्कारों से प्राप्त हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी सफलता में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ इनके आध्यात्मिक विचारों की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहां एक ओर अब्दुल कलाम विज्ञान के नए-नए पहलुओं पर प्रकाश डालते थे, वहीं उनके साहित्य में परमात्मा के स्वरूप, परमात्माव-आत्मा के संबंध, सत्य, निष्ठा, ईमानदारी, सर्वधर्म सद्भावना जैसे गुणों का भी समावेश मिलता है। वह एक ओर विज्ञान में विश्वास रखते हैं तो दूसरी ओर परमात्मा के स्वरूप एवं उसके अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। वह व्यक्ति को सत्य, निष्ठा एवं सादगी के साथ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं तथा किसी भी प्रकार

के आडंबर, दिखावे से हटकर निरंतर कार्य करने की भावना को जागृत करते हैं। इस प्रकार इस महान वैज्ञानिक के विचार ईश्वरीय स्वरूप को स्वीकार करते हुए आधुनिक मानव को प्रतिस्पर्धा की दौड़ में कुंठा से बचाते हुए निरंतर सफलता की उंचाइयों पर चढ़ने की शिक्षा देते देते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अब्दुल कलाम ए.पी.जे. (2016): टर्निंग प्वाइंट, (अनुवाद अशोक गुप्ता), नई दिल्ली राजपाल एंड संस, (पृ. सं - 50)
2. पूर्व वर्ती (पृ. सं - 92)
3. अब्दुल कलाम ए.पी.जे. (2008): तेजस्वी मन- महाशक्ति भारत की नींव, (अनुवाद अरुण तिवारी) नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन (पृ. सं - 18)
4. अब्दुल कलाम ए.पी.जे. (2014): आपका भविष्य आपके हाथ (अनुवाद ऋषि माथुर एवं रमेश कुमार), नई दिल्ली, राजपाल एंड संस, (पृ. सं - 25)
5. अब्दुल कलाम ए.पी.जे. (2006) हम होंगे कामयाब, दिल्ली, प्रभात प्रकाशन। (पृ. सं - 64)
6. पूर्व वर्ती (पृ. सं - 66)
7. अब्दुल कलाम ए.पी.जे. (2014): आपका भविष्य आपके हाथ (अनुवाद ऋषि माथुर एवं रमेश कुमार), नई दिल्ली, राजपाल एंड संस, (पृ. सं - 100)
8. अब्दुल कलाम ए.पी.जे. (1999) अग्नि की उड़ान, लेखन सहयोग - अरुण तिवारी, दिल्ली, प्रभात प्रकाशन। (पृ. सं - 43)
9. पूर्व वर्ती (पृ. सं - 189)
10. अब्दुल कलाम ए.पी.जे. (2014): आपका भविष्य आपके हाथ (अनुवाद ऋषि माथुर एवं रमेश कुमार), नई दिल्ली, राजपाल एंड संस, (पृ. सं - 167)
11. अब्दुल कलाम ए.पी.जे. (1999) अग्नि की उड़ान, लेखन सहयोग - अरुण तिवारी, दिल्ली, प्रभात प्रकाशन। (पृ. सं - 51)
12. पूर्व वर्ती (पृ. सं - 95)
13. अब्दुल कलाम ए.पी.जे. (2006) हम होंगे कामयाब, दिल्ली, प्रभात प्रकाशन। (पृ. सं - 66)
14. अब्दुल कलाम ए.पी.जे. (2006) हम होंगे कामयाब, दिल्ली, प्रभात प्रकाशन। (पृ. सं - 65)
15. अब्दुल कलाम ए.पी.जे. (1999) अग्नि की उड़ान, लेखन सहयोग - अरुण तिवारी, दिल्ली, प्रभात प्रकाशन। (पृ. सं - 152)
16. अब्दुल कलाम ए.पी.जे. (2014): आपका भविष्य आपके हाथ (अनुवाद ऋषि माथुर एवं रमेश कुमार), नई दिल्ली, राजपाल एंड संस, (पृ. सं - 52)
17. अब्दुल कलाम ए.पी.जे. (1999), जीवन वृक्ष (अरुण तिवारी एवं रमेश कुमार), दिल्ली, प्रभात प्रकाशन। (पृ. सं - 72)
18. अब्दुल कलाम ए.पी.जे. (1999) अग्नि की उड़ान, लेखन सहयोग - अरुण तिवारी, दिल्ली, प्रभात प्रकाशन। (पृ. सं - 158)

The Plight of Women in Mahesh Dattani's Play *Where There's a Will*

Dr. Chhagan Lal* Dr. O.P. Tiwari**

*Assistant Professor, SGN Girls PG College, Sriganganagar (Raj.) INDIA

**Professor and Head (English) Dr. B.R.A. Govt. College, Sriganganagar (Raj.) INDIA

Abstract - The current scenario of Indian English Theatre has completely changed thanks to the innovative ideas, artistic insight and futuristic vision of the playwrights like Mahesh Dattani. He beautifully blends the traditional urban Indian issues with post-modernist ones. *Where There's a Will* is a tragicomedy manifesting some characteristic traits of Dattani. The play has a Gujarati setting, which is a trademark of Dattani. The playwright shows a woman as a subaltern in her own home.

Dattani is an expert in finding reality by presenting us glances of the past. His mining of the past shows us the truth hiding at the unfathomable pit of the past. He does not want to mine the past for myth as Girish Karnad does. Dattani has a view that realization of errors done in history helps us to be better in the present. This touch of history makes his plays lively and audience never feel bored.

Humanity has progressed in every sphere and education has touched the new horizon, but conditions of women have not changed for centuries. It is said that by giving education and job, we can change the current situation of women. But Dattani shows us that only imparting knowledge and providing employment is not enough to improve women's conditions in Indian society.

Keywords: Innovative, futuristic, post-modernist, subaltern, unfathomable.

Introduction - The play is set in Hasmukh Mehta's big house. Mr Mehta is a Gujarati business tycoon and an adamant patriarch. Mehta family consists of four members, and the head of the Mehta family is Mr Hasmukh Mehta. He is shown as a tyrannical elder who insists on absolute submission from his clan. Hasmukh Mehta's wife, Sonal Mehta, is quite submissive and subordinate. She is a perfect Indian wife who loves to make food. Hasmukh's comment on the behaviour of women shows his patriarchal thinking. He says, God made women empty-headed, and they are greedy for money.

Where There's a Will starts with a talk between Ajit and his father, Hasmukh Mehta. Ajit is speaking with someone on the phone, and from the main door, Hasmukh Mehta enters:

"Ajit: (on the phone) Five lakhs. That's all. Give me five lakhs, and I'll modernise the whole bloody plant. That's what I tell my dad. I mean, come on five lakhs is nothing.

Hasmukh: (to the audience) My son, the businessman. Just listen to him." (*Collected Plays*: 455)

Hasmukh had bitter and impoverished childhood. His richness is from his hard-working. Hasmukh criticises Ajit's ways. He declares firmly:

"One of the richest men in this city. All by my efforts. Forty-five years old and I am a success in capital letters.

Twenty-three years old and he is on the road to failure, in bold capital letters." (CP:464)

At the age of twenty-three Ajit's position is that of 'Joint Managing Director' in Hasmukh's factory. But Ajit is not happy with Hasmukh's restrictions, and he desires to become free. Dattani presents the Mehta family's issues in a very realistic manner. Hasmukh is a father who never trusts upon his son. He shouts over him, rebukes him. Hasmukh thinks that Ajit wastes money, and this wastage of money will lead him to insolvency. Hasmukh makes a harangue announcing that 'God has just forgotten to open an account for Ajit'. So, his son gives no respect to him. Hasmukh tells his audience that not only his son, but his wife is also a cause of his hypertension. The direct addresses by Hasmukh Mehta, both when alive and dead, owe their effectiveness to the employment of the beautiful craft of theatre. Asha Kuthari Chaudhuri says:

"This is because a play lives in its performance and performance can derive its life only in complicity with an audience that shares the entire exercise. The play's an almost rollicking comedy." (Chaudhuri: 57)

Movements of Ajit are controlled by Hasmukh Mehta very tyrannically. In his opinion, Ajit is not managing director of the company or heir of his property, but he is a slave. Being quite humble, Ajit has no status both at home and

office. Ajit is just like a rubber stamp to implement Hasmukh's orders and commands. Ajit's wife, Preeti, is an antithesis to him. She is a teenaged, attractive, and beautiful woman. She is a calculative and confident woman. This fact is quite clear to Hasmukh. Thus, Hasmukh tells us:

"That's my daughter-in-law, Preeti, pretty charming, graceful and sly as a snake." (CP: 456)

Dattani shows how as a patriarch Hasmukh not only controls the life of his family's women, Sonal and Preeti, but male members are also under his strict control. Dattani shows us a psychological fact that independence is the first cry of a young Indian person, but this comfortable life is not allowed by his parents. Ajit utters:

"And what becomes of me? The real me. I mean if I am you, then where am I?" (CP: 461)

Hasmukh's answer to this question is noteworthy that Ajit is nothing but a big zero. The question asked by Ajit is one of self-identity. The young people want to live free from the control of their parents. They have a mindset and thinking which is different from their parents. The generation gap is the main reason why youths do not welcome interference of parents. This play of Dattani is about this self-identity.

Hasmukh says that his son and his calculating daughter-in-law are giving him high annoyance:

"At the rate I'm puffing, I should be dead in four minutes." (CP: 476)

And true enough he dies in less! In trying to fill the 'empty spaces' in his son's head with some sense, the exasperated Hasmukh cries,

"Son, how do I start explaining to you (To the audience) yes, how? You tell me. Well, I'll try."

He waits for his wife to discover his death as he watches with delight. While Sonal thinks, "Of course, he's asleep. He just has to lie down on the bed; he is dead to the world." (CP: 476).

The news of the death of city's business tycoon Hasmukh Mehta was the focus of attention in the newspapers. 'Garment tycoon dead' was the caption of the news:

Hasmukh: "Garment tycoon dead! That felt good. You never really know how famous you are until you are dead. Of course, it's at the bottom of page seven, and it's only six lines. But look at the obituary page. Filled with my photographs. All inserted by different companies.!" (CP: 479)

Hasmukh feels quite relaxed after becoming a ghost. Modern life has become so much hectic, and everyone is suffering from one or the other disease. Hasmukh says after his death:

"It feels good to be dead. No more kidney problems, no backaches, no irregular heartbeat, no heartbeats. Of course, it isn't always so peaceful here All those people, my friends were down here in the living room. Quite a gathering! They kept going up, batch by batch to my bedroom to pay their last respects to me." (CP: 479)

This statement presents the selfishness of modern urban people. They believe in formality. After the death of Hasmukh, the behaviour of Preeti changes very surprisingly. She never gives respect to her mother-in-law, Sonal. Dattani shows the cunning nature of Preeti. It reflects the trait of modern urban women.

By writing the 'Will' Hasmukh dismisses all legal rights of the whole Mehta family over his property and donates his entire belongings to 'Hasmukh Mehta charitable trust'. The members of the Mehta family will receive only a regular allowance from the trust, and it will nullify when Ajit Mehta turns forty-five. After that, Ajit will become the sole heir with full right to use and utilise property and money as per his wish.

There were some other instructions also in the 'Will'. For instance, Ajit's office timings will be morning nine to six P.M. Sanctioning of new projects proposed by Ajit will be banned. If Mehta family will not follow these terms and conditions, the trust will donate its funds to certain charities mentioned by Mr. Mehta.

Mehta family was double surprised by Hasmukh, his making of 'Will' and appointing Kiran Jhaveri sole executor of 'Hasmukh Mehta charitable trust'. Kiran was an astute and practical marketing executive who later became his mistress. Hasmukh gave her a company flat in the high-class locality. Kiran, who becomes caretaker of the Mehta family, shows the high class of urban mentality. She believes in the money-making policy. Hasmukh was very cautious about the validity of his 'Will' and to avoid any challenge he took precautionary steps in advance. His first witness of 'Will' was a trained doctor and Hasmukh attached his sane mind certificate given by their family physician, Dr Jhunjhunwalla. By these steps, Hasmukh made sure that no one could challenge his 'Will'.

As per the 'Will' Kiran Jhaveri has to stay with Mehta family in their house. Kiran realised that the Mehta family was very disappointed with her coming. They do not want to believe that Hasmukh tried to control them, as Kiran has become his representative. Preeti opposed Kiran's living with them, but the dominant urban lady declared:

"I never intended saying it outright, but now I have to make it clear to you. As the trustee of the Hasmukh Mehta Charitable trust, I have the right to make a statement declaring that since the recipients of the trust, namely you all, are not complying with the rules set down by the deceased, the holdings of the trust will be divided between certain charitable institutions recommended by the founder. Which will mean that you won't ever get to see even a single rupee earned by your father-in-law? Now, will you refuse to let me stay here?" (CP: 494)

Dattani closely observes working women's condition. Kiran Jhaveri is thirty to forty years looking young blonde. Nowadays, a woman is no less than a man in any case. Even business tycoon like Hasmukh Mehta depends on Kiran, the modern working lady. Kiran is the central figure of modernity and very much precise about herself. Kiran

communicates to Sonal about her intentions that Hasmukh trusted her, but her real interest was in Hasmukh's money. "Kiran: Mrs Mehta, no woman has an affair with an older man, especially a married man, for a little bit of respect and trust. It was mainly for the money." (CP: 506)

Dattani beautifully presents Kiran as a liberal and educated working-class urban lady. But she is also dominated by males in this male-centred society. Sonal is very much impressed by her. Because she is never free from the shadow of her sister Minal. She always did whatever Minal said. Sonal was also impressed with Kiran's straightforward statements:

"Sonal: I'm talking about my daughter-in-law. Preeti was never like this before. She was nice and caring when he was alive. Now, after the Will, she has become unbearable. She frightens me, and sometimes I think she is capable of doing anything for money. You yourself once said that there is something wrong in desiring money with such.....passion."

"Kiran: Don't think of her as lower or me as higher. It's just a question of circumstances. I got my money one way. She is trying to get hers by another." (CP: 506)

The play also presents the importance of education and freedom for women. Kiran has her mentality. She is all because of circumstances:

"Kiran: I learned my lessons from being so close to life. I learned my lessons from watching my mother tolerating my father when he came home every day with bottles of rum wrapped in newspapers." (CP: 508)

Kiran describes her pathetic life through her past. Her brothers and father were very dominant, and they ruled over their wives. She also married a drunkard, and his drunkenness was the main reason for his suspension from the job. Whiskey was out of budget. It was the real reason that Kiran frequently met and visited Hasmukh without any objection from her husband. Some burning questions are asked by Kiran as to where will all this end? It is not the question of Kiran alone, but the entire womenfolk are affected by this male-dominated society. Dattani portrays Sonal with some contempt in contrast. We can see Hasmukh as unfortunate prey of woman's intrigue. Dattani says about this,

"It's to do with my perceptions. I don't mean to say that this is a definitive view of life. But several of the images that we carry around in our minds are politically generated images, and we accept them to be as true. However, I don't think so, and my characters are simply a personification of my perceptions." (Nair: The Invisible Observer)

In the play, Mahesh Dattani has presented that desire for money turns Preeti into a killer, who kills her father-in-law just for money. But what does she get? Nothing. At the end of the play she becomes calm and tries to be kind to other family members. It shows her sensible thinking which makes her thoughts positive. Dattani shows Preeti as a treacherous and self-centred woman but her behaviour changes after reading the 'Will'. She thinks to challenge

the 'Will' but can't find any lacuna. The 'Will' was completely safeguarded and the confused Mehta family can't find any way out.

Where There's a Will shows a modern urban lady armoured with intelligence and education. She is expert in intrigues and achieves all her dreams by hook or crook. This lady never minds crossing limits set by the society. Modern urban lady discards the ancient concept of the male lead. The society now accepts her decisions. Urban women live frankly due to the inspiration of urban sensibility. Kiran is the dominant figure in the play. She is a beautiful, energetic, and intelligent woman, who lives her life on her conditions. It is the time for women's liberation, and we are going to live in an age where men will follow women. Kiran says that she should hate Hasmukh like she has hated her father and brothers, but she feels pity for him. In her opinion, both the concept of 'Will' and Hasmukh's wish to control his family are pitiful. Kiran says:

"Hasmukh was intoxicated with his power. He thought he was invincible. That he could rule from his grave by making this will." (CP: 508)

In Hasmukh's view, no member of the Mehta family is trustworthy. Their intentions and conducts always give birth to suspicion in his mind. Hasmukh confined trust in Kiran Jhaveri only. Hasmukh's sensual desires and other needs were also looked after by Kiran. Hasmukh says:

"I mean, a man in my position to be careful. I needed a safer relationship. Something between a wife and a pick-up. Yes, A mistress! It didn't take me very long to find her. She was right there in my office. An unmarried lady. Not an ordinary typist or even a secretary. A shrewd hard-headed marketing executive. If there was anyone in my office who had brains to match mine, it was her. She is now one of the directors of the company. Not entirely due to her shrewd head. She lives now in a company flat in a posh locality. I won't tell you where. Well, it's walking distance from here. Convenient for me. All right, what's wrong with having a bit on the side?" (CP: 473)

Hasmukh praises Kiran for her mind and body. Hasmukh maintains secrecy so effectively that his affair with Kiran remains secret in his lifetime. Even after his death, this mysterious love story comes to light as per his wish. Only Kiran has won Hasmukh's confidence and praise. In Hasmukh's opinion, his wife Sonal is a dry and worthless lady. She is even called 'mud' by him. In Hasmukh's point of view, Ajit is an incompetent person for running the business. The fundamental techniques of business are not known to him. In his opinion, Kiran Jhaveri is the only capable lady with smartness and proper temperament to be a leader in the industry. She is an impressive, calculative, bold and diplomatic lady. Hasmukh has a desire to control everybody after his death. But his passion starts to crumble slowly. Hasmukh appoints Kiran for this purpose only. But now Kiran tells us that:

"He depended on me for everything. He thought he was the decision-maker. But I was. He wanted me to run

his life as his father had. (Pause) Hasmukh didn't really want a mistress. He wanted a father. He saw in me a woman who would father him! (Laughs Hasmukh cringes at her laughter.) Men never really grow up!" (CP: 510)

Hasmukh's efforts to exercise control over Mehta family by writing a 'Will' only add pity in Kiran's heart. Hasmukh's desire to control over the family is basically because his father also ruled over his family. Hasmukh was a papa's boy in his life, and he wants Ajit also to be like that. Dattani shows the disharmony and conflict in the relationship of Hasmukh and Ajit. Hasmukh and Ajit are continuously fighting with each other. Disharmony deeply prevails in Mehta family and Dattani shows us a fake and enforced concord in the members of the Mehta family.

All characters of the family are a mixture of tragedy and comedy, but the most tragic character is surely Sonal. Dattani presents Sonal as a low-esteemed woman who is entirely dependent on others. Other members of the Mehta family are predominant in her life. Minal is the sister of Sonal and deciding hand of every affair of her life. Sonal gives a comic relief in the play. Sonal's character shows us the psychological insight of family, where everyone blames others for his or her failure. In the same fashion, Sonal blames other characters for her tragic life. After the death of Hasmukh, Sonal finds her life more pathetic, and the entry of Kiran in the home makes the matter worse. But Kiran and Sonal become good friends. Kiran teaches new lessons to Sonal about life and her husband, Hasmukh. It is quite eye-opening as Sonal says,

"How little I knew him. If I had understood him when he was alive, I would have died laughing." (CP: 510)

Sonal comes into her own aura, moving beyond the influence of her sister under whose shadow she has lived. She tells Kiran,

"You have made many things clear to me. I am glad; you are living with us. I hope you'll stay with us forever." (CP: 511)

Her stay with Kiran changes Sonal's thought and attitude about life. Sonal who was previously dependent for every affair on Minal now becomes confident, and refuses to take any help from Minal by the end of the play.

"Kiran: (to Sonal) your sister just said some of the rudest things to me. Sonal: Oh, did she? Give me the phone. (On the phone) Hello? Yes, Minal, this is Sonal! don't another Maharaj, not from you at least! I just don't that's all well, as far as I'm concerned you can go jump into a bottomless pit! (Slams the phone down and turns towards Kiran)" (CP: 516)

Fortune secures education and job for Kiran in Hasmukh Mehta's office and by hard work she ensures the post of director. Fortune does not favour Sonal with school education, so in her view, Kiran is lucky. Sonal says:

"Sonal: you are so lucky. You are educated, so you know all this." (CP:507)

Dattani does not clear what is the leading cause of the suffering of women. Is this due to their fault or due to

lack of job and education? The leading hand behind the present condition of women is masculine arrogance or male narrow-mindedness. It is detected:

"Interweaving his narrative around the scheming and plotting of the family members who have been put in a fix by a dead man's Will. Dattani explores the dichotomy between the male/female roles within the archetype of the family headed by a man and what happens when a woman takes over." (Chaudhuri: 57)

Undoubtedly Dattani emerges as a true representative of the side-lined persons. He is deeply concerned about the condition of females, and his plays show this concern. In the play *Where There's a Will* Dattani portrays two types of women. The first type of women are those who suffer silently throughout their life. Example of this type of woman is Sonal Mehta. She silently suffers from male patriarchy. The second type of women are those whose fate is to endure throughout life, but they resist their exploitation. Examples of this type of women are Kiran Jhaveri and Preeti Mehta. They are courageous, self-confident and rebellious. They resist their exploitation. Kiran Jhaveri and Preeti Mehta are smart, money-minded, crafty Machiavellian type of ladies. They do not accept other's point of view quickly.

Dattani's plays turn between the core and the periphery. In the beginning of *Where There's a Will* Kiran lives at the margin. This situation changes dramatically after the 'Will' of Hasmukh Mehta by which Kiran comes to the core of the play. Sidelined Kiran becomes the core symbol of rule and command.

The role of women and their miserable condition is the main issue dealt with in this play by Dattani. For generations, women have been used as sex toys and subjugated physically and mentally. We have not yet given due respect to the female gender. The main reason behind the worry of Dattani is that this subjugation continues from one generation to other. This dialogue of Kiran shows clearly the pain of Dattani.

"Kiran: Isn't it strange how respective life is? My brothers. They have turned out to be like their father, going home with bottles of rum wrapped up in newspapers, beating up their wives. And I- I too am like my mother. I married a drunkard, and I listened to his swearing. And I too have learned to suffer silently. Oh! Where will all this end? Will the scars our parents lay on us remain forever?" (CP: 508)

Peripheral people have their repressed feelings, and Dattani provides fronts to them to say about their feelings. Marginalized characters make contact directly with the inner self of the audience and by this audience think about their thoughts and ideas.

At the end of the play, Sonal asserts her complete faith in Kiran. This faith is a symbol of reciprocated understanding and confidence between Sonal and Kiran.

"Dattani exploits the death of Hasmukh as a dramatic device – the soul of Hasmukh surveying and commenting on the ongoing affairs, the ensuing responses - all these

definitely have comic overtones, but simultaneously these are also imbued with philosophical import.” (Jha: 130)

In his life, Hasmukh had higher blood pressure, Kidney and heart problems etc. Hasmukh’s ghost funnily tells this:

“There’s nobody home. Ah! (Rises and stretches) It feels good to be dead. No more kidney problems, no backaches, no irregular heartbeats.” (CP: 479)

Gender discrimination, patriarchy, the relationship between father-son and husband-wife and capitalism are some issues that are raised by Dattani in this play. According to Hasmukh, Sonal is responsible for his affairs with Kiran. Hasmukh says:

“Enjoyed sex. Twenty-five years of marriage and I haven’t enjoyed sex with her. So, what does a man do? I started eating out. Well, I had the money. I could afford to eat in fancy places. And what about my sex life? Well, I could afford that too. Those expensive ladies of the night in the five-star hotels! (Smile at some pleasant memories.) Some of them were really……! But that did not go on for long. I mean, a man in my position has to be careful.” (CP: 473)

We cannot find admiration and love in the eyes of Hasmukh Mehta for Sonal. He thinks her good for nothing. Sonal is a typical Indian pure and submissive ‘Sati Savitri’ type wife, but she can’t fulfil the expectations of Hasmukh. Hasmukh’s comment is disgusting one:

“Then I should be a very happy man. I’ve got a loving wife who has been faithful to me like any dog would be.” (CP: 475)

Hasmukh’s marital problems are rooted in his lusty sexual nature. It is quite clear from his comment. Sonal is a dedicated wife, but Hasmukh is a corrupt and mean person. At the end of the play, both Sonal and Kiran jointly try to eliminate the malicious sexual colonialism. God gifts them with the capacity to evaluate and afterwards throw off the unfair fetters of patriarchy. In the opinion of Hasmukh Mehta, only the rule of patriarchy can maintain bliss and contentment of the Mehta family. It is an irony of fate that excessive physical control kills the happiness of heart and excessive control on soul kills uniqueness and personality of the controlled person. Philosophers think ultimate control as the most substantial obstacle in construction of the building of contentment and pleasure. Beena Agarwal says: “The garb of authority maintained by Hasmukh was Method to save his inner self from clashes of the outside world.” (Agarwal: 110)

The playwright presents this play with a logical twist and a happy ending. He shows the horrible reality of metropolitan cities as to how worse can be the relationship between the family members. Every member of the family like father, son, husband, and wife is on a constant fight and chasing money like a mad dog. Hasmukh is the protagonist of the play, and he gives live commentary of his deeds. Hasmukh tries to control the lives of the Mehta family, but later he knows the drawback of his ‘Will’. In his

‘Will’ he makes trust and his concubine Kiran as the trustee. But Kiran is brilliant, and according to situations, she uses her allotted powers to improve relations with other family members. Mehta family and Kiran dismiss Hasmukh because he is just a shadow of his late father, as a person to forgive, as a person without his aspirations and yearning, ideas. In the end Mehta family finally discards supremacy of the ‘Will’, the normality of their life retains, and the frustrated ghost of Hasmukh hangs himself from a tree.

Thus, we can say that the play is very brilliantly deep-rooted in the Gujarati middle-class family atmosphere. Dattani presents Indian society as macrocosm and family as the microcosm. Critics consider this play as a dark comedy packed with sense of humour which sticks the audience to their seats till the end. Dattani sets this play in an orthodox joint Gujarati middle-class family. The base of the show is a ‘Will’ made by an elder of Mehta family who tries to dictate family members after his life. But his family turns the table against him by forming a close, cordial relationship between his wife and his mistress. Dattani presents the comic element in the form of the ghost of Hasmukh whose superior observations and commentaries add mind-blowing humour in the drama. His commentaries after observation throw light on his relationship with his deceased father, spouse, son, daughter-in-law, and mistress. Dattani portrays modern materialistic society who chases money like a mad dog. This money-minded mentality affects the interpersonal relationship in the family. The play raises so many social issues which are always a part of Dattani’s plays.

References:-

1. Agarwal, Beena. *Mahesh Dattani's Plays: A New Horizon in Indian Theatre*. Jaipur: Book Enclave, 2008. Print.
2. Chaudhuri, Asha Kuthari. *Contemporary Indian Writers in English: Mahesh Dattani*. New Delhi: Foundation Books Pvt. Ltd. Cambridge House, 2005. Print.
3. Dattani, Mahesh. “An Invisible Observer- A profile by Anita Nair. (‘An Unveiling of a Playwright in Three Acts.’)” *The Gentleman*. May 2001. n.d. Web. <<http://www.anitanair.net/profiles/profile-mahesh-dattani.html>> accession date 12-1-18, Time 23:15 pm
4. *Collected Plays*. New Delhi: Penguin Books, 2000. Print.
5. Hayman, Ronald. “No time for Tragedy.” quoted in *Contemporary Playwrights*. London: Heinemann, 1969. Print.
6. Jha, Jai Shankar. “Death as Discovery in Dattani’s *Where There’s a Will*.” in *The Dramatic World of Mahesh Dattani: A Critical Exploration*. Ed. Amarnath Prasad. New Delhi: Sarup Book Publishers Pvt. Ltd., 2009. Print.
7. Raina, Sita. “A note on the play *Where There’s a Will*.” in *Collected Plays: Mahesh Dattani*. New Delhi: Penguin books, 2000. Print.

औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत सुरक्षा प्रहरियों में चिंता एवं योग का प्रभाव

डॉ. जगवंती देसवाल* प्रखर भारद्वाज**

* प्रोफेसर, निर्वाण युनिवर्सिटी, जयपुर (राज.) भारत

** शोधकर्ता, निर्वाण युनिवर्सिटी, जयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – यह देखा जाता है कि सुरक्षा प्रहरियों को दीर्घ अवधि तक प्रतिदिन कार्य करना पड़ता है जिसके कारण वे घर-परिवार से दूर रहते हैं। उन्हें वेतन भी अपेक्षाकृत कम मिलता है। अधिकांश सुरक्षाकर्मी संविदा पर होते हैं जिसके कारण उन्हें सवेतनिक अवकाश भी नहीं मिलता है। इन सभी का संयुक्त परिणाम यह रहता है कि सुरक्षा प्रहरी चिंता ग्रस्त रहते हैं। शोध के माध्यम से जयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे सुरक्षाकर्मियों में चिंता के स्तर पर त्रैमासिक योग प्रशिक्षण का प्रभाव ज्ञात किया गया। शोध दर्शाता है कि चयनित सुरक्षा कर्मियों के चिंता के स्तर में त्रैमासिक योग से सार्थक रूप से कमी होती है।

शब्द कुंजी – सुरक्षाकर्मी, औद्योगिक क्षेत्र, योग, चिंता।

प्रस्तावना – योग का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसकी प्रभावशीलता सर्वमान्य है किंतु फिर भी कई बार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न उठते रहते हैं। ऐसा ही प्रश्न सुरक्षा कर्मियों की चिंता को लेकर भी उठता है। यह माना जाता है कि सुरक्षा कर्मियों में विपरीत कार्य दशाओं के कारण और कार्य की प्रकृति के कारण चिंता होना स्वाभाविक है एवं इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। इस शोध कार्य के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या नियमित प्राणायाम एवं ध्यान के माध्यम से सुरक्षा कर्मियों के चिंता के स्तर में कोई कमी लाई जा सकती है। चिंता एक ऐसी स्थिति है जो कि मस्तिष्क को नकारात्मक भाव से भर देती है और व्यक्ति सामान्य नहीं रह पाता है। उसके मन में वैचारिक उथल-पुथल चलती ही रहती है।

तनाव और दुश्चिंता के कारण व्यक्ति की सामान्य जिंदगी प्रभावित हो जाती है। वह जीवन का सही आनंद नहीं ले पाता है। कई औषधियों एवं उपचार के उपरांत भी व्यक्ति को स्थाई समाधान नहीं मिल पाता है। ऐसे में योग एक प्रभावी जीवन शैली परिवर्तन है जिसके माध्यम से दुश्चिंता और तनाव में काफी कमी लाई जा सकती है। 35 विविध शोध कार्यों में यह पाया गया कि 25 में तनाव में सार्थक कमी योग अभ्यास से आई। यह वास्तव में अन्य दवाइयों के सेवन की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावी है। (ली और गोल्ड स्मिथ, 2012)

मात्र 10 दिनों के योग अभ्यास जिसमें की आसन, प्राणायाम, विभिन्न रिलैक्सेशन एक्सरसाइज समाहित थे का एक सम्मिलित पैकेज ऐसे व्यक्तियों को दिया गया जो कि अवसाद और तनाव से ग्रस्त थे। इन व्यक्तियों के तनाव और चिंता के स्तर में सार्थक परिवर्तन मात्र 10 दिन की अवधि में ही देखने को मिला। यह वे व्यक्ति थे जो कि नियमित रूप से अन्य उपचार भी ले रहे थे किंतु उनसे कोई सार्थक लाभ नहीं था। इन व्यक्तियों के अल्सर और पेट संबंधी अन्य बीमारियों का भी योग के अभ्यास से स्वतः ही निदान हो गया। (गुप्ता एन. और अन्य, 2006)

योग का प्रयोग एक सहायक उपचार पद्धति के रूप में तनाव के निवारण

में किया जा सकता है। एक शोध के अंतर्गत 65 महिलाओं पर एक परीक्षण किया गया। इसके अंतर्गत 34 महिलाओं का प्रयोग समूह बनाया गया उन्हें दो माह तक सप्ताह में दो बार 90 मिनट तक योग का अभ्यास करवाया गया जबकि दूसरे समूह जिसमें की 31 महिलाएं थी उन्हें किसी भी तरह का योग अभ्यास नहीं करवाया गया। दो माह उपरांत उनके तनाव एवं दुश्चिंता के स्तर में सार्थक कमी दर्ज की गई जबकि वह समूह जिसे की योग का प्रशिक्षण नहीं दिया गया उसके अंतर्गत तनाव का स्तर यथावत ही रहा। (जवानबख्त और अन्य, 2009)

अनाथालय में रहने वाले बच्चों में बढ़ती चिंता और आत्मविश्वास में कमी का समाधान ढूंढने के उद्देश्य से योग का प्रशिक्षण 2 सप्ताह तक दिया गया। इसके अंतर्गत बच्चे एवं बच्चियों दोनों पर ही योग का अभ्यास करवाया गया और शोध दर्शाता है कि उनके दुश्चिंता, तनाव, अवसाद में सार्थक रूप से कमी आई एवं आत्मविश्वास भी काफी बढ़ा। यह एक बहुत ही सहज तरीका है जिसके माध्यम से इन निराश्रित बच्चों की सहायता की जा सकती है। (रवि शंकर तेजवानी और अन्य, 2016)

योग के प्रशिक्षण का सार्थक प्रभाव न सिर्फ चिंता में कमी के रूप में देखा जा सकता है अपितु इसके नियमित अभ्यास से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर (ओसीडी) जैसे गंभीर मानोविकार को भी नियंत्रण में रखा जा सकता है। योग के माध्यम से यह दावा नहीं किया जा सकता कि यह बीमारी पूर्णतया समाप्त हो जाएगी किंतु इसे नियंत्रण में अवश्य रखा जा सकता है जो कि अन्य उपचारों के माध्यम से इतना सहज नहीं है। (किर्कवुड और अन्य, 2005)

शोध उद्देश्य – वर्तमान में विकट परिस्थितियों में कार्य कर रहे सुरक्षा प्रहरियों पर योग के प्रभाव का चिंता के संदर्भ में अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना – सुरक्षा प्रहरियों में व्याप्त चिंता पर योग का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

शोध विश्लेषण – चयनित 40 सुरक्षा कर्मियों जो कि औद्योगिक क्षेत्र में लघु एवं मध्यम इकाई के उपक्रमों में कार्यरत थे उनकी चिंता का स्तर 12 बिंदुओं की एक स्वनिर्मित मापनी के माध्यम से मापा गया। जिसमें की प्रत्येक

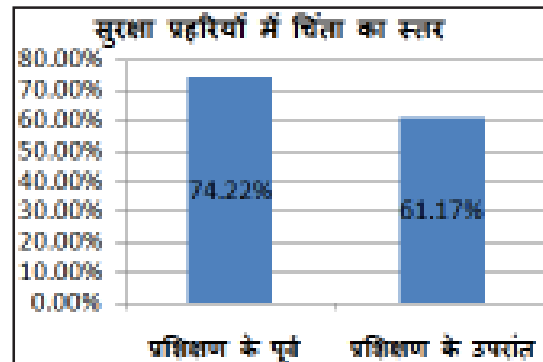
प्रश्न के लिए पांच विकल्प दिए गए जिन्हें की एक से पांच का भार देते हुए सकल चिंता का मापन किया गया। इस प्रकार 60 अंकों की इस मापनी के आधार पर चिंता का स्तर मापा गया।

तालिका 1- सुरक्षा प्रहरियों में चिंता का स्तर

सं.	प्रशिक्षण के पूर्व	प्रशिक्षण के उपरांत
1	47	41
2	42	34
3	38	33
4	49	40
5	52	38
6	50	39
7	44	31
8	41	35
9	50	42
10	53	44
11	47	32
12	38	27
13	35	31
14	42	37
15	40	32
16	46	38
17	49	42
18	35	31
19	32	26
20	44	36
21	49	42
22	31	25
23	38	32
24	52	43
25	53	41
26	44	38
27	48	36
28	47	38
29	30	25
30	41	37
31	43	35
32	46	37
33	51	44
34	53	46
35	47	41
36	44	38
37	42	37
38	49	41
39	53	45
40	46	38
औसत	44.53	36.70

तीन माह के प्रशिक्षण के पूर्व चिंता का औसत स्तर 44.53 था जो की 74.22% है यह प्रशिक्षण के उपरांत घटकर 36.70 अर्थात 61.17% हो गया।

चार्ट 1



इस प्रकार 13.05% की कमी चिंता के स्तर में योग प्रशिक्षण के उपरांत आई। इसकी सार्थकता ज्ञात करने के लिए युग्मक टी परीक्षा किया जो दर्शाता है कि टी का मान 18.35 है जो की तालिका मान ने 1.96 से अधिक है अतः त्रैमासिक योग प्रशिक्षण का सुरक्षा कर्मियों के चिंता के स्तर पर सार्थक प्रभाव पड़ता है व उसमें सार्थक रूप से कमी आती है अतः शोध परिकल्पना को अस्वीकार किया गया।

उपसंहार एवं निष्कर्ष – यह शोध कार्य दर्शाता है कि सुरक्षा कर्मी भी यदि नियमित रूप से प्रतिदिन 30 मिनट ध्यान एवं प्राणायाम का अभ्यास करें तो उनके चिंता के स्तर में काफी कमी आ सकती है और वे सामान्य रूप से अपनी मनोदशा बरकरार रख सकते हैं। इसका सुपरिणाम उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है उन्हें अवसाद नहीं होता तथा वे पूर्ण प्रसन्नता के साथ कार्य को करने लगते हैं। यह सोचना की योग मात्र बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए ही उपयोगी है, एक निरर्थक धारणा है। योग विशेष कर ध्यान एवं प्राणायाम सभी आयु वर्ग एवं कार्य क्षेत्र में उपयोगी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Li A.W. and Goldsmith C.W. (2012). The effects of yoga on anxiety and stress. *Alternative medicine review : A journal of clinical therapeutic*, Vol. 17 (1), pp. 21-35.
2. Gupta N., Khera S., Vempati R., Sharma R. and RI B. (2006). Effect of yoga based lifestyle intervention on state and trait anxiety. *Indian journal of physiology and pharmacology*, Vol. 50 (1), pp. 41-47.
3. Javnbakht M., Hejazi Kenari R. and Ghasemi M. (2009). Effects of yoga on depression and anxiety of women. *Complementary therapies in clinical practice*, Vol.15 (2), pp.102-104.
4. Tejvani R., Metri K.G., Agrawal J. and Nagendra H.R. (2016). Effect of Yoga on anxiety, depression and self-esteem in orphanage residents: A pilot study. *Ayu*, Vol. 37, pp.22 - 25.
5. Kirkwood G., Rampes H., Tuffrey V., Richardson J. and Pilkington K. (2005). Yoga for anxiety: A systematic review of the research evidence. *British Journal of Sports Medicine*, Vol. 39, pp. 884 - 891.

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल निर्माण के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अवलोकन

डॉ. अरुण कुमार सिंह*

* सहायक प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) मुल्तानीमल मोदी कॉलेज (चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से संबद्ध),
गाजियाबाद (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था में एक लम्बे अर्शे से हाशिए का स्थान दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े पाठ्यक्रमों की उपेक्षा के नतीजन हमारी शिक्षा व्यवस्था 21वीं शताब्दी के बदलते ज्ञान के वैश्विक स्वरूप में अपनी प्रासंगिकता खोती नजर आती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्तमान की विषंगतियों को संज्ञान लेते हुए व्यावसायिक और कौशल विकास के विषयों को अपने नवीन दस्तावेज में मुख्य स्थान दिया है। प्रस्तावित आलेख के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा और कौशल निर्माण के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं की विवेचना की गयी है साथ ही इससे जुड़े चुनौतियों पर ध्यानाकृष्ट किया गया है।

शब्द कुंजी – व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तकनीकी।

प्रस्तावना – आज हम एक तकनीकी क्रांति के कगार पर खड़े हैं या अधिक लोकप्रिय रूप में इसे चौथी औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है जो मौलिक रूप से हमारे जीवन स्तर को, कार्य संस्कृति को और एक दूसरे के साथ सम्प्रेषण के तरीके को आमूल चूल तरीके से परिवर्तित कर रहा है। इस तकनीकी नवाचार ने हमारे रोजगार के पारंपरिक तरीकों को बदलना शुरू कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप नौकरी के पारम्परिक उपलब्ध अवसरों की संख्या सीमित हो गई है और वैश्विक फलक पर ऐसे क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं जहाँ पर लोगों के कौशल और पुनः कौशल की आवश्यकता बढ़ गई है। हाल ही के कोरोना नामक गंभीर महामारी ने इस बात को और पुख्ता तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया है। वर्तमान परिदृश्य में दुनिया में वृद्धोन्मुख जनसंख्या एक समस्या के रूप में उभरी है ऐसे में भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के पास अगर तुलनात्मक तौर पर देखें तो सबसे युवा वर्ग की आबादी की बहुतायत है। भारत की कार्यशील आयु जनसंख्या की आबादी का लगभग 62.5% हिस्सा है जो की 15 से 59 वर्ष की आयु के हैं। भारत दुनिया के युवा जनसांख्यिकी का पांचवां हिस्सा है और यह जनसंख्या लाभ 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हाल ही के जनसंख्या प्रक्षेपण से पता चलता है कि 2041 तक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के अगले दौर में प्रवेश कर गया है जिसमें अगले दो दशकों में जनसंख्या वृद्धि में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी हालांकि, यदि तेजी से बढ़ती हुई भारत की युवा आबादी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा से वंचित रहकर गर अकुशल रह जाती है या उनकी क्षमताओं का समय रहते कुशलतापूर्वक उपयोग न किया गया तो यह अनुमानित जनसांख्यिकीय लाभों आसानी से जनसांख्यिकीय आपदा में भी बदल सकता है जो हमारे सामाजिक-आर्थिक विकास की संभावनाओं को कम कर सकता है। (जीबीसी-शिक्षा), शिक्षा आयोग, और यूनिसेफ के सहयोग से लर्निंग आउटकम पर आधारित 2019

कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 का अनुमान है कि भारत में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों में लगभग 47% युवकों के पास रोजगार के लिए आवश्यक शिक्षा और पर्याप्त कौशल का अभाव होगा। एक अन्य अध्ययन का अनुमान है कि हर साल स्नातक होने वाले पचास लाख छात्रों में से केवल 20 प्रतिशत भारत में रोजगार प्राप्त करते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच इस तरह के अधिक निष्कर्ष और पूर्वानुमान भारतीय युवाओं की रोजगार योग्यता की निराशाजनक स्थिति को दर्शा रहे हैं। यूनिसेफ द्वारा कमीशन की गई एक अलग नई रिपोर्ट ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में रोजगार रहित शिक्षा के अंतर्निहित कारणों में प्राथमिक कारण यह बताया है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति की निम्न गुणवत्ता में व्यावसायिक प्रशिक्षण का समावेश न होने से अक्सर छात्रों द्वारा अर्जित शिक्षा और नियोजन या बाजार (कृषि, उद्योग, व्यापार आदि) द्वारा आवश्यक कौशल के बीच मांग-आपूर्ति का वृहद अंतर होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शिक्षा नीति निर्माताओं के लिए मुख्य चिंता न केवल युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसरों के मुद्दे को संबोधित करना है, बल्कि कार्यस्थल पर वर्तमान और भविष्य के जरूरतों के अनुसार उनकी रोजगार क्षमता में अभिवृद्धि करना है। शिक्षा और कौशल विकाश में व्याप्त भारी असंतुलन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2014 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) का गठन किया है और इसके दायरे में विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), कौशल भारत, संकल्प की शुरुवात की है। इसी क्रम में शिक्षा व्यवस्था में कौशल विकास को अंतर्निहित करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रस्तावित किया गया है इस नवीन शिक्षा नीति में कौशल विकास की समस्या के निदान के लिए शुरुवाती प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक और कौशल नवाचार से सम्बंधित पाठ्यक्रमों की पुरजोर वकालत की गई है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल निर्माण के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का

संकल्प पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक क्रांतिकारी दस्तावेज बनाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और व्यावसायिक शिक्षा –नई शिक्षा नीति में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि पर जोर देने के साथ-साथ युवाओं के समग्र विकास की परिकल्पना भी की गई है। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन, 'आत्मनिर्भर भारत' के उद्देश्यों को साकार करने के लिए युवाओं में कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा एक निर्धारण कारक है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एनईपी 2020 के प्रस्तावित नीति दस्तावेज में कुल 66 पृष्ठों में व्यावसायिक शब्द की 76 बार पुनरावृत्ति हुई है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एनईपी 2020 के 66 पृष्ठीय नीति दस्तावेज में व्यावसायिक शब्द की 76 बार पुनरावृत्ति हुई है। पूरे नीतिगत दस्तावेज में शिक्षा को अर्थव्यवस्था के विकास, रोज़गार के सृजन और उद्यमिता के विकास से परस्पर जोड़ कर देखा गया है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल निर्माण के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अवलोकन निम्न पहलुओं में सूचीबद्ध किया गया है।

अनुशासनात्मक पदानुक्रम को निर्मूल करना –मौजूदा अकादमिक व्यवस्था में अनुशासनात्मक पदानुक्रम देखा जा सकता है जहाँ तकनीकी और विज्ञान के विषयों को अन्य कला या समाज विज्ञान के विषयों के बनिस्पत श्रेयस्कर समझा जाता है NEP 2020 ने नवीन प्रयास किया है कि कला और विज्ञान के विषयों के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, शैक्षणिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच कोई दुराव न हो य विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान किया गया है, जिससे शिक्षार्थियों के पास अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुरूप विषयों और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह से जीवन में वे अपना जीविका पथ खुद चुन सकेंगे य ज्ञान की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के विषयों में बहुविषयकता और समग्र शिक्षा पर बल दिया गया है (NEP 2020, P.5)

व्यावसायिक शिक्षा का संवेदीकरण – व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से हीन माना जाता है इस वजह से बहुसंख्यक छात्र जो किसी कारणवश मुख्यधारा की शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो पाते उनके रोजगार के विकल्प इस धारणा से प्रभावित होते हैं। इस गंभीर समस्या को स्वीकारते हुए नई शिक्षा नीति ने अथक प्रयास किया है कि भविष्य में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े सामाजिक स्थिति के पदानुक्रम को समाप्त करना है और चरणबद्ध तरीके से सभी शिक्षण संस्थानों (प्राथमिक से उच्चा शिक्षा) में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करना है। शिक्षा मंत्रालय, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन करेगा, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञ और उद्योग क्षेत्र के सहयोग से सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। राष्ट्रीय समिति के जरिए उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षुता के विभिन्न मॉडलों का अभिनव प्रयोग किया जाएगा और साथ में प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थानों में इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। महात्मा गांधी के नई तालीम को दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने अध्ययन के दौरान कम से कम एक

व्यवसाय सीखे और कई अन्य व्यवसाय से परिचित हो इससे लोगों में श्रम की गरिमा का भाव उत्पन्न होगा साथ ही भारतीय कला और कारीगरी से जुड़े विभिन्न व्यवसायों की बदलते समय में दोबारा प्रासंगिकता मिलेगी (NEP 2020, P.5)

शिल्प आधारित शिक्षा कौशल अभिमूल्यन के लिए विद्यालयी प्रशिक्षण व्यावसायिक नवाचार को बुनियादी तौर पर संवर्धन करने के उद्देश्य से छठवीं से लेकर आठवीं कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम एक मनोरंजक पाठ्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसमें बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाना इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्पों के नमूने का सर्वेक्षण और व्यावहारिक अनुभव दिया जाएगा व्यावसायिक विषयों को सीखने के लिए स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ विद्यार्थियों को इंटरनशिप के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। विभिन्न प्रकार की कौशल विकास आधारित गतिविधियों जैसे कला, प्रश्नोत्तरी, खेल और व्यावसायिक शिल्प को समृद्ध करने के लिए पूरे वर्ष बैंगलेस दिनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ बच्चों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व के स्थानों/स्मारकों का दौरा, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलने और उनके गांव/तहसील/जिला/राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों का दौरा करने के माध्यम से स्कूल के बाहर की गतिविधियों के लिए समय-समय पर अनावृत्ता किया जाएगा (NEP 2020, P.16)

21वीं सदी के क्षमता निर्माण के लिए व्यावसायिक शिक्षा – हमारा वैश्विक समाज ज्ञान के परिदृश्य में तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के साथ, जैसे कि बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय, दुनिया भर में कई अकुशल रोजगार को मशीनों द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है। ऐसे बदलाव के दौर में हमें एक कुशल कार्यबल की आवश्यकता होगी जो न केवल तकनीकी और विज्ञान के विषयों में निपुण हो वरन सामाजिक विज्ञान, मानविकी और कला जैसे विषयों की व्यावहारिक समझ भी रखते हों। विभिन्न वैश्विक चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, घटते प्राकृतिक संसाधन, स्वच्छ ऊर्जा, भोजन और पानी की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए, महामारी से उत्पन्न संक्रामक रोग के प्रबंधन और टीकों के विकास में विज्ञान और मानविकी के विषयों में सहयोगात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होगी एक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा का उद्देश्य मानव की सभी क्षमताओं जैसे बौद्धिक, सौंदर्य विषयक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिकता को एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा।

अंतःक्रियाशील, अंतःअनुशासनात्मक और परिणाम आधारित शिक्षा NEP 2020 में एक उच्चतर शैक्षणिक परिषद् (HECI) का गठन प्रस्तावित है जो कि सामान्य शिक्षा परिषद् (जीईसी) का कार्य करेगी। सामान्य शिक्षा परिषद्, उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों को तैयार करेगी, जिसे 'स्नातक विशेषता' कहा जाएगा। जीईसी द्वारा एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता रूपरेखा (एनएचईक्यूएफ) भी तैयार किया जाएगा और यह उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) के साथ तालमेल बिठाएगा। डिग्री/ डिप्लोमा प्रमाणपत्र के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण एनएचईक्यूएफ द्वारा सीखने के परिणामों के संदर्भ

में किया जाएगा। इसके अलावा, जीईसी, एनएचईव्यूएफ के माध्यम से क्रेडिट ट्रांसफर, तुल्यता आदि जैसे मुद्दों के लिए सुविधाजनक मापदंड स्थापित करेगा। जीईसी को विशिष्ट कौशल की पहचान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा जिसे विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के दौरान हासिल करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता रूपरेखा का उद्देश्य ऐसे कुशल शिक्षार्थियों को तैयार करना है जिनके पास 21^{वीं} सदी के कौशल की पर्याप्त जानकारी हो।

श्रम बाजार उन्मुखीकरण, एकाधिक - प्रविष्टि, निकास - उच्च शिक्षा में डिग्री कार्यक्रमों की संरचना और अवधि में लोचशीलता प्रदान की गयी है। स्नातक डिग्री तीन से चार वर्षों की अवधि की होगी इस अवधि के अंदर विभिन्न प्रविष्टि, निकास विकल्पों का प्रावधान किया गया है उदाहरण के लिए, व्यावसायिक क्षेत्रों सहित किसी विषय या क्षेत्र में एक वर्ष पूर्ण करने के बाद विद्यार्थी अगर किसी कारणवश अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख सकता तो वह प्रमाण पत्र अर्जित कर सकता है गर दो वर्ष पूर्ण करता है तो डिप्लोमा या तीन वर्ष के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री। हालांकि, चार वर्षीय बहु-विषयक स्नातक कार्यक्रम शिक्षार्थियों का पसंदीदा विकल्प होगा क्योंकि यह छात्र की स्वयं के पसंद के अनुसार चुने हुए मेजर और माइनर विषयों पर ध्यान देने के साथ-साथ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने के अवसर से लाभान्वित होगा। एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) की स्थापना की जाएगी जो विभिन्न मान्यता प्राप्त एचईआई से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा ताकि एचईआई से डिग्री अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जा सके। यदि कोई छात्र भ्रष्टाचार द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र (क्षेत्रों) में एक गहन शोध परियोजना को पूर्ण करता है तो वह चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम 'अनुसंधान के साथ' डिग्री भी प्राप्त कर सकता है।

व्यावसायिक शिक्षकों का व्यावसायिक विकास - शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए एक राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी) के तहत एक पेशेवर मानक निर्धारण निकाय (पीएसएसबी) के रूप में अपने पुनर्गठित नए स्वरूप में विकसित किया जाएगा। इस मानक में विशेषज्ञता के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिका की अपेक्षाओं और उस चरण के लिए आवश्यक दक्षताओं को शामिल किया जाएगा। इसमें प्रत्येक चरण के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन के मानक भी शामिल होंगे जो एक निश्चित आवधिक आधार पर किए जाएंगे। एनपीएसटी पूर्व शिक्षक शिक्षा सेवा कार्यक्रमों के प्रारूप के बारे में भी सूचित करेगा। तत्पश्चात राज्यों द्वारा इसे अपनाया जा सकता है और शिक्षक कैरियर प्रबंधन के सभी पहलुओं को निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें कार्यकाल, पेशेवर विकास प्रयास, वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य मान्यताएं शामिल हैं। पदोन्नति, वेतन वृद्धि, कार्यकाल की अवधि अब वरिष्ठता के आधार पर नहीं होगी, बल्कि केवल ऐसे मूल्यांकन के आधार पर होगी। 2030 में पेशेवर मानकों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा, और उसके बाद हर दस साल में, सिस्टम की प्रभावकारिता के गहन अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर किया जाएगा।

भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली की चुनौतियाँ - हालांकि नई शिक्षा नीति 2020 ने एक कुशल कार्यबल बनाने में सैद्धांतिक तौर पर

उल्लेखनीय प्रयास किया है फिर भी कई गंभीर चुनौतियाँ हैं जिन्हें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूर करना होगा।

1. बुनियादी सुविधाओं का अभाव - हाल ही में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम बार राष्ट्रीय शिक्षा योजना 2020 को सत्र 2021-22 में क्रियान्वित किया गया है। कौशल विकास से जुड़े विषयों के अध्यापन में निम्नांकित कमियाँ महसूस की गयी है य एक वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक को मशरूम की खेती जैसे कौशल पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए सबसे प्राथमिक तौर पर एक बोटैनिकल गार्डन चाहिए उसी तरह जंतु विज्ञान में मतस्यकी को व्यावहारिक तौर पर सीखाने के लिए तालाब चाहिए जिसका बहुतायत महाविद्यालयों में अभाव देखा गया है। अवसंरचना के अभाव में कौशल के पाठ्यक्रम केवल सैद्धांतिक स्तर पर सीमित रह जाएंगे।

2. अनुभवी और योग्य शिक्षकों की कमी - व्यावसायिक शिक्षा सुधार के लिए योग्य प्रशिक्षकों को प्रदान करना हमेशा एक बाधा साबित हुआ है। फैकल्टी की कमी और योग्य शिक्षकों को आकर्षित करने और व्यवस्था में बनाए रखने के लिए शैक्षिक प्रणाली की अक्षमता कई वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए चुनौतियाँ खड़ी कर रही है। वर्तमान प्रणाली में शिक्षकों की संख्या और छात्र नामांकन में वृद्धि के साथ कोई आनुपातिक संतुलन नहीं है। उच्च शिक्षा प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस पहलू पर ठोस ध्यान देने की आवश्यकता है।

3. कमजोर निजी और उद्योग भागीदारी - उद्योगों के समर्थन के बिना, व्यावहारिक प्रशिक्षण बहुत समस्याग्रस्त हो गया है इसके अलावा, स्कूलों में व्यावहारिक प्रशिक्षण की स्थिति व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में संतोषजनक नहीं है। वर्तमान में, ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह निर्धारित करता हो कि उद्यम पूर्व-नौकरी व्यावसायिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य हैं।

4. प्रशिक्षण की गुणवत्ता उद्योग की मांगों के अनुरूप नहीं है - शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्रदत्त व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योगों की कौशल मांग में असम्बद्धता देखी जाती है जिसकी वजह से विद्यार्थी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं।

5. पुराने प्रशिक्षण मॉड्यूल और अपर्याप्त पाठ्यक्रम - व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले अधिकांश प्रशिक्षण संस्थान संरचनात्मक रूप से अनम्य होते हैं जहाँ पर पुराने केंद्रीकृत पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति होती रहती है जिस वजह से ऐसे संस्थानों से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी वर्तमान के बाजार अनुरूपी मांग को पूर्ण नहीं कर पाते हैं।

निष्कर्ष - निम्न कौशल गरीबी और असमानता का पोषण करते हैं। जब शिक्षा कौशल उन्मुख हो तो कौशल विकास के जरिए बेरोजगारी और अल्परोजगार को कम किया जा सकता है, श्रमिक उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है और साथ ही जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है। यँ तो स्कूली शिक्षा रोजगार सुनिश्चित नहीं करती लेकिन कौशल विकास अगर व्यक्ति का हुआ है तो वह अवश्य ही स्वावलम्बी बन सकता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को अपना ध्यान रटत विद्या से हटाकर NEP 2020 में अन्तर्निहित रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच पर केंद्रित करना होगा। एक आउट-ऑफ-द-बॉक्स सोच और नवाचारों के उपयोग के माध्यम से शिक्षार्थी में निर्णय लेने के आत्म विश्वास का बोध होगा। वर्तमान आधारभूत संरचना और संसाधनों की कमियों को दूर करते हुए अगर व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को एक

ईमानदार राजनैतिक इक्षाशक्ति के जरिए क्रियान्वयन किया गया तो निश्चित ही जमीन पर एक आदर्श बदलाव होगा। वह दिन दूर नहीं जब भारतीय युवा शिक्षा और प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों में उन्हें प्रदान किए गए व्यावसायिक, रोजगार योग्य और उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि संभावित नौकरी देने वाले होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Agrawal, T. (2012). Vocational education And training in India: Challenges, status And labor market outcomes. Journal of Vocational Education & Training
2. Das, Jenefer & Malik, Navita. (2022). Vocational Education & Entrepreneurship in NEP 2020. I. 30-32
3. Government of India, Minsitry of Finance, Economic Survey 2018-19
4. Government of India, Ministry of Human resource development- The National Education Policy (NEP) 2020 document
5. Jaiswal, R. Vocational Education & Skill Development in India. Tactful Management Research Journal.
6. Pathak, R. (2020). NEP 2020:A Road Map to Vocational Development. Journal of Arts, Humanities And Social Sciences.
7. <http://www.indiavocationaleducationreview.com>
8. <https://www.nationalskillsnetwork.in/highlights-of-the-national-education-policy-2020/>
9. <https://www.udhyam.org/post/nep-2019-alignment-with-udhyam-shiksha>
10. <https://www.unicef.org/press-releases/more-half-south-asian-youth-are-not-track-have-education-and-skills-necessary>

हिंदी साहित्य में नारी चेतना

राज कुमार*

* शोध छात्र (राजनीति विज्ञान) मेरठ कॉलेज मेरठ (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भारतीय संस्कृति में नारी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। स्त्री और पुरुष ईश्वर की दो समान धर्मी कृतियां हैं। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। स्त्री पुरुष मिलकर जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई का निर्माण करते हैं। दांपत्य शब्द इसी स्थिति को पुष्ट करता है। हमारी संस्कृति में स्त्री की शक्ति की महिमा इसी बात से पुष्ट होती है कि वह न तो पुरुष की अनुगामीनी है, अपितु वह पूरक है, उसकी जीवन साथी है, सहधर्मिणी है। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने नारी के स्थान की जितनी सुंदर अभिव्यक्ति वेदों में वर्णित की है उतनी अन्यत्र दुर्लभ है। वैदिककाल में नारियों के प्रति बड़ा आदरभाव था। परिवार की प्रमुख संरचना विवाह का उद्देश्य केवल वासनापूर्ति न होकर गृहस्थ धर्म का पालन, धर्म अनुष्ठान, यज्ञ संपादन और दांपत्य जीवन द्वारा श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति भी था। घर गृहस्थी में स्त्री की प्रधानता थी। परिवार की सभी गतिविधियों के केंद्र में स्त्री थी। कन्या में ही धन की देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता था। वैदिक संस्कृति में स्त्री शिक्षा का भी महत्व था। उस समय पुत्र व पुत्री के पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा आदि में कोई भेदभाव नहीं था। मैथिलीशरण गुप्त ने भी अपनी लेखनी से आर्य स्त्रियों के स्थान को पुरुष समाज में निर्धारित करते हुए माना है कि वे सदगृहस्थी की वाहक दैवीय शक्ति के समान थीं। उन्हीं के शब्दों में -

‘केवल पुरुष ही थे न वे, जिनका जगत को गर्व था,
गृह देवियां भी थीं हमारी, देवियां ही सर्वथा।।’¹

भारतीय इतिहास में रामायण, महाभारत काल के पश्चात स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय होती गई। मुसलमान आक्रांताओं के आगमन से पर्दा प्रथा ने उनकी स्थिति को और भी विकराल बना दिया। बाल विवाह और दहेज प्रथा के कारण स्त्री की स्थिति सर्वथा अवरुद्ध हो गई। इस संबंध में कमलेश कटारिया का मानना है कि ‘उन पर अनेक अनगिनत नियोग्यताएं थोपी गई, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा के प्रति अनिच्छुक विधवाओं को भी जबरदस्ती चिताओं में झोंक देना, पर्दा प्रथा के कारण लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर देना, शिक्षा और अंधविश्वासों में जकड़ी स्त्री को पुरुषों का गुलाम बना दिया जाना।’²

इस प्रकार तत्कालीन युग में स्त्री, पुरुष की सहधर्मिणी, सहकर्मी के रूपों से वंचित हो गई। लेकिन आधुनिक काल में स्त्री जागृति के कारण उसकी दशा में काफी सुधारात्मक परिवर्तन आया है। आज स्त्री को सृष्टि की सर्वोत्तम रचना माना जाता है। कवि जयशंकर प्रसाद ने स्त्री के प्रति अपने श्रद्धा भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है -

‘नारी तुम केवल श्रद्धा हो,

विश्वास रजत नग पग तल में।

पीयूष स्रोत सी बहा करो,

जीवन के सुंदर समतल में।’³

आज की स्त्री अपने वजूद को महसूस करती है। एक सजग इकाई के रूप में वह तमाम यथार्थ स्थितियों से लड़ती है। वर्तमान सामाजिक परिवेश के अंतर-विरोध व असंगतियों को आज के परिप्रेक्ष में जानना चाहती है।

‘यह आज समझ तो पाई हूँ,

मैं दुर्बलता में नारी हूँ

अवयव की सुंदर कोमलता,

लेकर मैं सब से हारी हूँ।’⁴

स्त्री चेतना : अर्थ व स्वरूप - चेतना मानव शरीर में उपस्थित वह आधारभूत तत्व है जिसके कारण उसे सभी प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। व्यक्ति को स्वयं के प्रति सजग रहना मनुष्य का सर्वोत्तम दायित्व है जो उसकी चेतना का प्रथम सोपान है। डॉक्टर गणपतराम शर्मा का मानना है कि ‘चेतन मन में हुए मानसिक और शारीरिक क्रिया निहित रहती हैं जिनके प्रति हम सचेत रहते हैं और उनका बड़ी सरलता से प्रत्याशी करना संभव होता है इनका प्रयोग स्वयं के प्रति जागरूक रहने और स्वयं को समझने में किया जाता है।’⁵ इस प्रकार मानव मन के मन में प्रतिकूल भाव के उत्पन्न होने की दशा में अधिकारों के प्रति सचेत होना ही चेतना है। चेतना की प्रेरणा से ही मनुष्य अपने व समाज के लिए कार्य करने की ओर प्रवृत्त होता है। बृहद हिंदीकोश में चेतना से अभिप्राय होश में आना, सावधान होना, सोच समझकर ध्यान देना, विवेक से काम लेना इत्यादि अर्थ में लिया जाता है। इस प्रकार चेतना को आसपास के वातावरण को समझने, परखने तथा स्वयं को स्थापित करने की शक्ति माना जाता है। अतः चेतना मानव मन की वह शक्ति है जो मानव को आंतरिक और बाह्य अनुभूतियों का ज्ञान कराती है। संस्कृत साहित्य में चेतना, संज्ञा, बोध, समझ आदि के रूप में प्रयुक्त होती है। चेतना शब्द चित ल्युट प्रत्यय के योग से चेतन शब्द बनता है। इस चेतन के भाव को ही चौतन्य कहा गया है। इसका अर्थ है मुख्य धारा से जुड़ाव, अथवा समझ स्थापित करना है। अतः इस प्रकार चेतना का अर्थ हुआ समाज की मुख्यधारा से जुड़ाव के साथ अपने अधिकार एवं कर्तव्य की पूर्ण समझ रखना। श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को इस चेतन अथवा चेतन तत्व के अनुक्रम को इतना व्यवस्थित समझाया है और बताया है कि ‘इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिः परतस्तु सः॥’^{3/42} (इंद्रियां श्रेष्ठ है, मन उनसे भी श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि

अधिक श्रेष्ठ है परंतु जो तत्व बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वही तत्व चेतन अथवा चेतना है।⁶ ऑक्सफोर्ड हिन्दी इंग्लिश शब्दकोश में चेतना को Consciousness और Intelligence माना गया है। जिसका अर्थ चेतना, चेतन, जागृत अवस्था आदि माना जाता है। अतः कहा जा सकता है कि चेतना मानव मन की वह शक्ति है जो हमें मनोजगत के सूक्ष्म भावों एवं विचारों के साथ साथ बाह्य जगत के विषयों, एवं मनो सामाजिक अनुभूतियों का ज्ञान कराती है।

हिन्दी साहित्य एवं स्त्री – भारतीय समाज में शताब्दियों से एक स्त्री का पालन पोषण, देखभाल व व्यवहार इस प्रकार से किया जाता रहा है कि वह अपने को अबला और निरीह प्राणी के अतिरिक्त कुछ सोच नहीं पाती तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह पुरुष के साए के सहारे ही आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन आज की स्त्री अपनी चेतना के बल पर इस दुर्बलता, बेसहारापन और भीरुता से परे हटकर अपनी चेतना से सभी क्षेत्रों को चौतन्त्र कर रही है।

‘यह आज समझ तो पाई हूँ,
मैं दुर्बलता में नारी हूँ
अवयव की सुंदर कोमलता,
लेकर मैं सब से हारी हूँ।’⁷

स्त्री चेतना का यह फैलाव समाज के संपूर्ण परिवेश से जुड़ा हुआ है। समाज में स्त्री के माता, पत्नी, बहन, पुत्री, सखी, सेविका, परिचारिका, तपस्विनी आदि अनेकानेक रूप हैं। धार्मिक चेतना की दृष्टि से वह कमला, जगदंबा, दुर्गा आदि रूपों में श्रद्धा एवं पूजनीय भाव से युक्त है तो राजनीतिक चेतना की दृष्टि से इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल बनकर कूटनीतिज्ञ तथा साहसी बनकर देश और दुनिया का नेतृत्व करने का मादा रखती है। डॉक्टर मुकुल रानी सिंह ने नारी का राष्ट्र के प्रति योगदान एवं नारी की योगदान से राष्ट्र के विकास का उल्लेख करते हुए माना है कि जिस राष्ट्र की नारी मानवीय भावनाओं से प्रेरित होगी, उस राष्ट्र का भावी जीवन अत्यंत सुंदर और सुखद होगा और वह राष्ट्र को मानवीय धरातल से उंचा कर सकती है। इस चेतना से नारी समाज में जो लहर उत्पन्न हुई उसने पूर्व समाज के विरोध के स्वर अपने में समाहित कर विलीन कर लिए। आज स्त्री चेतना का ही यह परिणाम है कि आज स्त्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के समान ही अपनी कुशलता एवं कर्मठता का परिचय दिया है। डॉ अर्चना शेखावत ने नारी चेतना के प्रभाव को नारी जीवन में स्वीकार करते हुए लिखा है कि, ‘सामाजिक जीवन का सुदृढ़ आधार नारी के गौरव और श्रेय का भागीदार पुरुष ही बना रहा और उसने स्त्री को पीछे धकेलने की कोशिश भी की, लेकिन स्त्री चेतना ने उसे जागृत कर स्त्री की दासता का भार अपने कंधे से उतार कर सम्मान पूर्वक जीने की राह प्रदान की।’ भारतीय समाज में स्त्री चेतना के फैलाव से उसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक हुआ है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वह आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय स्त्री को सभी प्रकार के अधिकार दिए गए जिससे उसने चूल्हा चौका का दायारा छोड़कर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को जीवंत किया है। यह स्त्री चेतना का ही परिणाम है कि जीवन की आपाधापी में भी स्त्री के व्यक्तित्व निर्माण में, बच्चों का लालन पालन करने में, परिवार के प्रति उत्तरदायित्व के होते हुए भी उसने अपना वजूद स्थापित किया है।

समाज सुधार के आंदोलनों, संवैधानिक सुविधाओं, शिक्षा का प्रसार प्रचार तथा लोकतंत्र में भागीदारी के कारण स्त्री चेतना में जागृति का भाव उत्पन्न हुआ है। आज वह अपने स्व के प्रति सजग है। इस प्रकार स्त्री में जहां

रुद्धियों, परंपराओं को तोड़ने के प्रति विद्रोह का भाव है, वहीं नवीन जीवन मूल्यों की स्थापना का दृढ़ विश्वास भी मौजूद है। आज की स्त्री पहले की अपेक्षा वैचारिक दृष्टि से अधिक मजबूत एवं सशक्त है। इस प्रकार स्त्री चेतना, स्त्री मुक्ति में एक आन्दोलन बनकर प्रकट हुई है जिससे स्त्रियों में अधिकार बोध की भावना ने जन्म लिया है। आज स्त्री अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने पारिवारिक दायित्वों का भी पूर्ण निर्वहन कर रही है।

किसी भी युग विशेष का साहित्य तात्कालिक समाज का दर्पण होता है। ये साहित्य ही उस युग की सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक स्थिति का प्रतिबिम्ब होता है। संसार के कर्मक्षेत्र में जीवन व्यतीत करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के अनिवार्य अंग हैं। यथार्थ और कल्पना में भी स्त्री का साहचर्य पुरुष के लिए सुखद अनुभूतियों का स्रोत रहा है। इन्हीं सुखद अनुभूतियों का कल्पनाशील चित्रण हिन्दी साहित्य में प्रत्येक काल के कवियों ने अपनी लेखनी द्वारा किया है।

हिन्दी साहित्य का आदिकाल धार्मिक उपदेशों एवं वीरगाथाओं के रूप में लिखा गया था। इस काल में शासकों एवं उनके दरबारी कवियों द्वारा नारी के कामिनी एवं वीरांगना रूप का चित्रण कवियों की सामान्य शैली बन गया था। स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की आभा इस काल में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। आदिकाल में समाज पूर्णतः रुद्धियों और परम्पराओं पर आधारित था। इस काल में स्त्री के सौंदर्य का जो चित्रण किया जाता था वह चित्रण स्वस्थ मनोवृत्ति का परिचायक नहीं था। इस युग का धार्मिक काव्य भी स्त्री के प्रति उदार नहीं था। इस काल में जैन आचार्यों एवं सिद्धों द्वारा लिखे गए धार्मिक काव्य में स्त्री के प्रति विरक्ति का भाव मुखरित हुआ है। इसमें स्त्री को पुरुष के समक्ष किसी न किसी दृष्टि से हेय और तुच्छ बताया गया है।

आदिकाल के साहित्य में स्त्रियों में विषय वासना के भावों के ठीक विपरीत वीरोचित विशेषणों (वीरमाता, वीरपत्नी आदि) का प्रयोग किया गया है। लेकिन रासो ग्रंथों में नारियों को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ।

हिन्दी साहित्य का भक्तिकाल भी राजनीतिक दृष्टि से विक्षोभ और संक्रान्ति का काल है। इस काल में एक ओर स्त्री उदात्त, आदर्श तथा आराध्य देवताओं की संगिनी के रूप में सम्मानित हुई है, तो दूसरी ओर सामान्य स्त्री के रूप में वह निंदा और उपेक्षा की पात्र भी रही है।

रीतिकाल के कवियों ने स्त्री के शृंगार रूप को ज्यादा महत्व दिया। इस युग में एक ओर बिहारी जैसे सूक्ष्मदर्शी कवि स्त्री सौंदर्य का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप चित्रित कर रहे थे तो दूसरी ओर देव, घनानंद, पद्माकर की प्रतिभा भी स्त्री चित्रण को समेटे हुए थी। इन कवियों का स्त्री के प्रति दृष्टिकोण हमेशा सामंती ही रहा, जिससे वह समाज की इकाई न बनकर जीवन का एक उपकरण मात्र ही बनी रही।

हिंदी साहित्य में नवीन युग की नवीन चेतना के बीज आधुनिक काल में पाए जाते हैं, जिसका प्रमुख कारण अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार था। देश में इस समय जातिगत भेदभाव, छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, स्त्री बहिष्कार इत्यादि के कारण समाज की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। लेकिन इसी समय युगों से उपेक्षित, निंदनीय मानी जाने वाली स्त्री को भी पहली बार इस सुधारवादी वातावरण में कवियों की संवेदनशीलता का स्पर्श पाने का अवसर प्राप्त हुआ। इन कवियों ने स्त्री विषयक दृष्टिकोण में उदारता लाने का बहुत प्रयास किया। कवियों ने स्त्रियों की समता का उद्घोष इस प्रकार किया कि समाज में स्त्री विषयक एक नई धारणा ही प्रकट हो गई। भारतेन्दु युग के कवियों में रीति एवं शृंगार के संकीर्ण घेरे से स्त्री को मुक्त कर

उसके उन्नति का आधार प्रदान किया योग पुरुष भारतेन्दु जी ने स्त्री के प्रति पुरुष के दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास किया उनके इस समग्र प्रयास में उनके सहयोगी कवियों का योगदान भी अविस्मरणीय है।

द्विवेदी युग साहित्यिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से नवजागरण का काल था। स्त्री- पुरुष की समानता, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति एवं मानवीय आदर्शों की प्रतिष्ठा इस युग की मूल विशेषताएं रही हैं। इस युग के साहित्यकारों और कवियों ने अपनी रचनाओं में विलासितापूर्ण जीवन के चित्रण का परित्याग कर जनमानस को चारित्रिक दृढ़ता की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। इस युग में प्रथम बार नारीत्व की उच्च भावना का विकास हुआ। इस युग में स्त्री को उसके अतीत गौरव का स्मरण दिलाने तथा समाज में उसकी महत्ता प्रतिपादित करने में गुप्त जी का योगदान अविस्मरणीय है। उनका स्त्री संबंधित दृष्टिकोण यह है कि उन्होंने भारतीय नारी की दशा का चिंतन, वर्णन पश्चिमी चिंतन के बजाय भारतीय चिंतन की पृष्ठभूमि में किया है। भारतीय संस्कृति के प्रसारक गुप्तजी ने नारी के अबला रूप को इस प्रकार का गौरवान्वित किया है कि उनकी नारी का रूप मानव के लिए मानवीय तथा दानव के लिए दानवी समान है-

‘मैं अबला हूँ किंतु न अत्याचार सहूंगी,
तुम दानव के लिए चंडिका बनी रहूंगी।’

छायावाद में स्त्री पुरुष के बीच समानता का भाव पैदा हुआ साथ ही स्त्री के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण भी बदला है, जिससे नारी को कविताओं में प्रेयसी के रूप में उंचा स्थान मिला। डॉ नामवर सिंह ने संबंध में अपना मत प्रकट किया है कि ‘नारी की दुर्बलताओं को छायावादी कवियों ने साहस के साथ कहा और जिन बातों को अब तक लोकसमाज के भय से छुपाया जाता था, उन्हें भी छायावादी कवियों ने खोल कर रख दिया।’⁹ नारी के प्रति छायावादी कवियों का दृष्टिकोण ना तो भक्तिकालीन संत कवियों के भांति अनादर का है और ना ही आदिकालीन और रीतिकालीन कवियों की भांति भोग विलास का, अपितु नारी के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण स्वच्छंद है। इसी स्वच्छंद रूप का चित्रण करने में कवियों ने प्रकृति के रूप का नारी के चित्रण में सहारा लिया है। इन कवियों ने प्रकृति को नारी के रूप में देखा है। छायावादी काव्य में नारी के प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनका प्रेम एक ओर जहां वासनाहीन था वहीं विवेक से परिपूर्ण भी था।

छायावादोत्तर काल में नारी विषयक दृष्टिकोण को ऊर्जा प्रदान करने वाले कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्र प्रेम और सहृदयता की अद्भुत आगार थे। कवि नवीन की दृष्टि में वंदनीया नारी को वासना के गर्त में डुबोने की इच्छा रखने वाले तथा नारी निंदा को धर्म मानने वाले व्यक्ति हेय हैं वे ऐसे लोगों को धिक्कारते हुए कहते हैं कि ऐसे मानव अधम एवं राक्षस के समान हैं -

‘जो नारी में कामुकता ही देखें, वे भी क्या मानव हैं?
वे तो हैं बस चांडाल अधम, वे तो बस पूरे दानव हैं।’⁸

हिंदी साहित्य में कवि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा की उपाधि से विभूषित किया गया है। कवि का नारी विषयक दृष्टिकोण बड़ा उदात्ता है। राष्ट्रकवि ने देश की अखंडता व एकता की रक्षा हेतु नर के साथ नारी को भी अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करते हुए कहा है कि आज की नारी भी राष्ट्र रक्षा हेतु नागिन के समान दुश्मनों पर फूँकार मारती है-

‘अब नरों में नारियां हों बलशाली।
नाग सी फूँकारती हो कोटि भुजा मतवाली।’

छायावादोत्तर काल में रामधारी सिंह दिनकर ऐसे कवि हैं जिन्होंने एक ओर राष्ट्रीय भाव धारा में डूबकर क्रांति के स्वरो को अभिव्यक्ति दी तो दूसरी ओर छायावादी मर्यादित सौंदर्य और प्रेम के गीत गाए। उनकी अनेक कविताओं में नारी का आदर्श एवं दैदीप्यमान रूप प्रकट हुआ है। कवि ने रश्मिरेथी में अपनी पीड़ा को इन शब्दों में पिरोया है-

‘बेटा, धरती पर बड़ी दीन है नारी,
अबला होती सचमुच, योशिता कुमारी।’⁹

प्रगतिशील विचारकों की जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद, सामाजिक क्षेत्र में समाजवाद और दर्शन के क्षेत्र में द्वंदात्मक भौतिकवाद के नाम से जानी जाती है वही विचारधारा आधुनिक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। प्रगतिवादी कवियों की दृष्टि में नारी भी मजदूर और किसान के समान शोषित वर्ग के अन्तर्गत आती है। उनकी नारी युग युग से सामंतवाद की जेल में पुरुषों की बेड़ियों में बंधी हुई है। पशु के समान घरेलू बंधनों में जकड़ी नारी की मुक्ति की इच्छा को प्रगतिवादी कवि पंत इस प्रकार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि-

‘मुक्त करो नारी को मानव, चिर बंदिनी नारी को,
युग युग की बर्बर कारा से, जननी सखी प्यारी को।’¹⁰

छायावादोत्तर काल में अन्य कवियों की भांति कवि निराला ने भी मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया है। नारी के स्वाधीनता को कवि निराला ने आवश्यक माना है। उनके अनुसार स्त्री एवं पुरुष मानव शरीर के दो हाथों के समान हैं लेकिन हमारे देश के लोग आधे हाथों से काम करते हैं। उनका मानना है कि ‘आज हमारे आधे हाथ निष्क्रिय हैं, जब स्त्रियों के भी हाथ काम में लग जाएंगे, कार्य की सफलता तभी हमें प्राप्त होगी।’¹¹

हिंदी साहित्य में द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात सन 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। हिंदी प्रयोगवाद पर फ्रायड, एडलर, युंग आदि पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों का प्रभाव रहा, जिसके कारण यौन-कुंठाओं, विभीषिकाओं का खुला चित्रण इन कविताओं में किया गया। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि अज्ञेय ने नर-नारी के आकर्षण- विकर्षण को अपनी रचनाओं में वाणी दी है। असाधारणता से युक्त पुरुष की अधीरता को कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है -

‘कहो कौन है जिसको है मेरी परवाह,
जिसके उर में मेरी कृतियां जगा सके उत्साह।’¹²

इस प्रकार समग्र रूप से देखा जाए तो हम पाते हैं कि आज समस्त नारी समाज ना तो केवल देवी के पद पर अधिष्ठित किया जा सकता है और न केवल दृष्टा कहा जा सकता है अपितु वर्तमान समाज में हमें नारी भिन्न-भिन्न रूपों में दिखाई देती है। वर्तमान नारी, समकालीन परिवेश के अनुरूप आज प्रत्येक दायित्व को पूर्ण करने में सक्षम दिख रही है। कुछ अपवादों को छोड़कर आज नारी की स्थिति में काफी सकारात्मक परिवर्तन आ गया है। वह हर क्षेत्र में पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चलती दिखाई देती है। अब वह घर के कार्यों में ही व्यस्त ना होकर नित्य कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य में भाग लेते हुए दृष्टिगोचर होती है जो उसी वर्तमान चेतना का ऊर्जावान रूप है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मैथिलीशरण गुप्त: भारत भारती (अतीत खण्ड, आर्य स्त्रियां), साहित्य सदन प्रकाशन, झांसी, पृष्ठ संख्या 11
2. कमलेश कटारिया : नारी जीवनय वैदिक काल से आजतक, निकिता

- प्रकाशन गृह, 2021, पृष्ठ संख्या 118
3. जयशंकर प्रसाद: कामायनी (लज्जा सर्ग), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या 106
 4. जयशंकर प्रसाद: कामायनी (लज्जा सर्ग), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या 104
 5. गणपत राम शर्मा: अधिगम शिक्षण और विकास के मनो सामाजिक आधार, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, 2020, पृष्ठ संख्या 73
 6. श्रीमद् भगवत गीता, पृष्ठ 3/42
 7. मैथिलीशरण गुप्त: सैरंधी, नेशनल बुक ट्रस्ट, 2001, पृष्ठ संख्या 20
 8. डॉ. नामवर सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 1962, पृष्ठ संख्या 17
 9. बाल कृष्ण शर्मा: हम विषपायी जनम के, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन 1964, पृष्ठ संख्या 26
 10. रामधारी सिंह दिनकर: रश्मिर्थी, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद 1952, पृष्ठ संख्या 69
 11. सुमित्रा नंदन पंत: ग्राम्या, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद 2001 (नवीन संस्करण)
 12. राम विलास शर्मा: निराला की साहित्य साधना, राजकमल प्रकाशन 2011
 13. सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय: चिंता, प्रतीक प्रकाशन, दिल्ली 1941

Importance of Mental Health in Our Life

Divya Chordia*

*Research Scholar, Maharshi Panini Sanskrit and Vedic Vishwavidyalaya, Ujjain (M.P.) INDIA

Definition of mental health : According to WHO¹, "Mental health refers to a person's psychological, emotional, and social well-being". It influences what they feel, how they think and behave. The term Mental health is also used to refer to the absence of mental disease. The state of cognitive and behavioural well-being is referred to as mental health.

Mental health means keeping our mind. Healthy. Mankind generally is more focused on keeping their physical body healthy. People generally tend to ignore the state of their minds which generally results in the development of several mental disorders. So it becomes very important for a man to keep his body and mind fit and healthy. Both physical and mental health are equally important for a better life.

Importance of Mental Health : A stable and emotionally fit person always feels positive, vibrant, and truly alive and can easily manage any kind of emotionally difficult situation. To be emotionally strong, one has to be physically fit too. Although mental health is a personal issue, what affects one person may or may not affect another; yet several key elements lead to mental health issues.

Several emotional factors have a significant effect on our fitness level, like depression, aggression, negative thinking, frustration, fear, anxiety, etc. A physically fit person is always in a good mood and can easily cope up with situations of distress and depression, resulting in regular training contributing to a good physical fitness standard.

Mental fitness implies a state of complete psychological well-being. It denotes having a positive sense of how we feel, think and act which improves one's ability to enjoy life. It contributes to one's inner ability to be self-determined. It is a proactive, positive term and forsakes negative thoughts that may come to an individual's mind. The term mental fitness is increasingly being used by psychologists, mental health practitioners, schools, organisations, and the general population to denote logical, thinking, clear comprehension, and reasoning ability. Mental fitness is maintaining a state of well-being and developing mental strength to stay calm and composed without being affected by emotional turbulence (Mack & Castevens, 2002).

Negative impact of mental health : Mental illness is the

instability of one's health, which includes change in emotion, thinking and behaviour. Mental illness can be caused due to stress or reaction to a certain incident. It could also arise due to genetic factors, biochemical imbalances, child abuse or trauma, social disadvantage, poor physical health conditions etc. Mental illness is curable. One can seek help from the experts in this particular area and can overcome this illness by positive thinking and changing their lifestyles. Spirituality is also one of the important factors which can help in improving the mental health of an individual.

A good and healthy lifestyle doing regular fitness exercises like Morning walks, yoga and meditation have proved to be great medicine for curing mental health. Besides this it is imperative to have a good diet and enough sleep. A person needs 7 to 9 hours of sleep every night on average. Disturbed sleep pattern is an indication of unstable mental health. Overworking oneself can sometimes result in not just physical tiredness, but also significant mental exhaustion. As a result, people get insomnia (the inability to fall asleep). Anxiety is another indicator which further leads to depression and other mental illnesses. A lifestyle, which includes activities and habits that encourage the development of total physical, mental and spiritual fitness and which reduces the risk of major illnesses².

Symptoms of Mental Illness : There are many symptoms of mental health issues that differ from person to person and among the different kinds of issues as well. Panic attacks and racing thoughts are common side-effects. As a result of this mental strain, a person may experience chest aches and breathing difficulties. Another sign of poor mental health is a lack of focus. Constant Irritability and Negativity indicates disturbed Mental health. Disturbance in the pattern of eating and sleeping also denotes unstable mental conditions.

Mental illness³ like Stress and depression can lead to a variety of serious health problems, including suicide in extreme situations. Being mentally healthy, extend your life by allowing you to experience more joy and happiness. Mental health also improves our ability to think clearly and boost our self-esteem. We may also connect spiritually with ourselves and serve as role models for others.

Mental health in today's scenario : Mental sickness⁴ is becoming a growing issue in the 21st century. Not everyone receives the help they need, even though mental illness is common these days and can affect anyone there is still a stigma attached to it. People are still reluctant to accept the illness of mind because of this stigma. They feel shame to acknowledge it and seek help from the doctors. It's important to remember that "mental health" and "mental sickness" are not interchangeable. our societies perception of mental health or disorder must shift mental health cannot be separated from physical health. They both are equally important for a person.

According to recent research⁵ conducted on adults, mental illness affects 19% of the adult population in the society. Today nearly 1 in every five children and adolescents on the globe has a mental illness depression, which affects two 46 million people worldwide and is one of the leading causes of disability. If mental illness is not treated at the correct time, then the consequence can be grave.

To make people more aware of mental health, 10th October is observed as the world mental health day, the object of these days to spread awareness about mental health issues around the world and make all efforts in the support of mental health.

Conclusion : Mind is one of the most powerful organs in the body regulating the functioning of all the other organs. When our minds are unstable, they affect the whole functioning of our bodies. Being both physically and emotionally fit is the key to success. In all aspects of life. people should be aware of consequences of mental illness and must give utmost important to keeping the mind healthy like the way the physical bodies kept healthy, mental and physical health cannot be separated from each other, and only when both are balanced can be call, a person perfectly healthy and well so it's crucial for everyone to work towards achieving a balance between mental and physical well-being and get the necessary help when either of them falters.

References:-

1. World Health Organisation 2003 on mental health [cited 2008 oct 8]
2. Healthy lifestyle (A dictionary of diet and exercise)
3. International journal of mental health Promotion,11(3), 4-17
4. A comparison with general population data Australian psychologist, 45(4), 249-257
5. National college of Health assessment, NCHA- (2013,2016)

A Study of Employee Retention Strategies in IT Sector

Madhvi Singh* Dr. Ashish Mishra**

*Research Scholar, Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur (M.P.) INDIA
** Prof. & Head (Management & Commerce) Mangalayatan University, Jabalpur (M.P.) INDIA

Abstract - One of the fastest growing industries in India is the sector of information technology. This sector plays a vital role in the growth of India's economy and to emerge as a global leader in technology. One area where IT industry is lacking behinds to retain their best talent for organization's productivity and sustainability. Thus, employee retention is a challenge for IT Sector. The purpose of the study is to find the main reasons for employee attrition and to study the strategies to retain the employee for a longer time and to offer suggestion to retain them effectively.

Introduction - Employees are important for any organization. They are the lifeblood for an organization. Employees leave the organization for many reasons and this is the major problem which Indian IT sector is facing. It is emerging as a challenge for IT sector to retain their employees for longer duration.

Employee retention is defined as an organization's ability to retain or sticking its employees on the workforce for a longer period for the sustainability of the organization. In other word encouraging employees to remain in the organization for a longer period of time can be termed as employee retention.

The main aim of employee retention is to make both the employer and employees happy. But in present competitive scenario it is becoming impossible to retain employees for a longer time.

HR Department plays important role to retain employees for a longer time by designing the policies, practices and strategies which enable the organization to retain the employees for longer duration which leads to the organization growth and success.

The most critical challenge the employees especially in new organization facing is the high rate of attrition caused by the scarcity of manpower coupled with continuously increasing demand for manpower. The employer had to deploy all his skills and intelligence in retaining the employees and keeping the attrition rate at a lower level. Whenever a talented employee expresses his or her willingness to quit, it is the responsibility of the management and the HR team to intervene immediately and find out the exact reasons leading to the decision.

Challenges to employee retention: Employee retention is all about managing people. But there are several challenges to it. These are as follows-

1. Monetary dissatisfaction
2. Career development
3. Monotonous and boredom
4. Unrealistic expectations

Employees Retention Strategies: It is impossible to put a complete full stop to the process of employees quitting their jobs but it can be controlled to the large extent by keeping the following employee retention strategies-

1. To realize the employees that they are the most valuable asset of an organization.
2. Performance appraisal should be done on regular basis to give them feedback on their performance.
3. Always try to keep the employee morale high.
4. Hiring the right people at the right place and at the right time.
5. Creating workplace environment employee friendly and cooperative.
6. Giving the employee power of authority where it is necessary.
7. Providing employees suitable and necessary information.
8. By keeping the employee morale high through trust, faith and respect.

Review of literature

Aryee (2000) found a significant positive correlation between satisfaction with work flexibility and organizational commitment and thereby good rate of retention. He indicated that turnover is affected by organizational size. They suggest that organizational size impacts turnover primarily through wage rates but also through career progression paths. Developed internal organizational labour markets produce lower departure rates since promotion opportunities have a strong negative influence on quitting for career related reasons enhancing an employee's well-

being at work thereby resulting in retention.

Casper and Buffardi (2004) stated that the availability of organizational work-life benefits, supportive supervisor and a favorable organizational climate play a vital role in attracting and retaining human resources. The role of an effective supervisor in arresting attrition rates has been highlighted by other too. Good quality supervision contributes to employee satisfaction and helps in retention. Gbervbie (2008) have found that if appropriate employee retention strategies are adopted and implemented by organization employee will surely remain and work for the successful achievement of organizational goals. In his view HR Department plays an active role in retaining its employees. It makes policies for employee betterment such that employee would be satisfied with the organization and stay with the firm for longer time. This shows that it is not just retention of employees but also retention of valued skills. So, effort is needed to create and foster an environment that encourages employees to remain employed in one place for long time.

Rajendran and Chandramohan (2012) have upheld the traditional hypotheses that the job satisfaction has a significant negative impact on employee turnover. Job satisfaction plays an important role in determining turnover of employees. High job satisfaction leads to low turnover. In general, dissatisfied employees are more likely to quit than those who are satisfied. He suggested that self-reported level of job satisfaction is a good predictor for job mobility and employee attrition. Thus, frequent satisfaction surveys act as smoke detectors and help in uncovering potential turnover intentions.

Sangeetha Gorde (2019) studied the certain circumstances that lead to employees leaving the organizations are job is not what the employee expected to be, no growth opportunities, lack of trust, appreciation and support of subordinates and seniors.

Objectives:

1. To study the employee retention strategies in IT Sector.
2. To identify how retention strategies reduces employee turnover.

Research Methodology: The research problem of this study is "A Study of Employee Retention Strategies in IT Sector." This research problem addresses the following issues-

1. What are the various employee retention strategies in practice in IT sector?
2. Which strategy the managers consider important?
3. Does strategies are fruitful in retaining employees?

Descriptive research design is adopted for this present study. Descriptive research is concerned with describing the characteristics of a particular individual or of a group. This research design is adopted because the study deals with the problem that exists in present scenario and

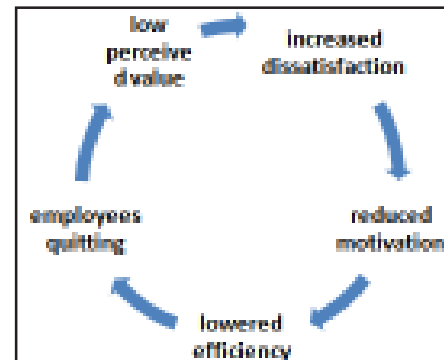
challenges HR Department and thus organization have to develop strategies to keep the employees for longer duration.

For this present study both primary and secondary data have been collected. Primary data is collected through questionnaire and interview while secondary data is collected through referred journals and books. Random sampling technique is adopted to gather data. Sample size is 50. The employees are interviewed to know their perception about retention strategies. Study is constructed on 5 point scale. Percentage method is used to analyze the data.

Data analysis and interpretation:

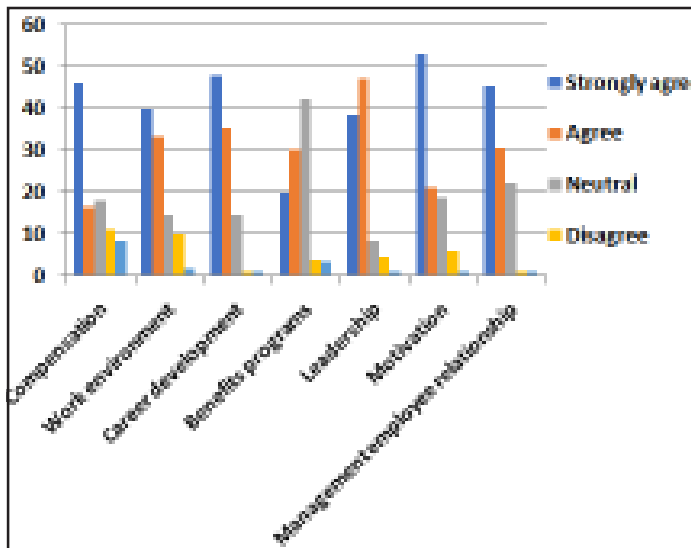
Factors	Rank
High salary expectation	1
Lack of security	2
Lack of social interaction	8
Monotonous work	3
Unusual working hours	4
Low perceived value	7
Stress and burnout	5
Lack of motivation	6

On the basis of these ranks and factors, a vicious circle is formed as shown below-



Vicious circle of attrition

Factors	Strongly agree	Agree	Neutral	Disagree	Strongly disagree
Compensation	46	16.5	18	11	8.5
Work environment	40	33.33	14.67	10	2
Career development	48	35.33	14.67	1	1
Benefits programs	20	30.34	42.33	4	3.33
Leadership	38.5	47.5	8.5	4.5	1
Motivation	53	21	19	6	1
Management employee relationship	45.2	30.6	22.2	1	1



Findings: The employee attrition and retention have been quite a challenge for IT sector. The relationship between management and employees seems important in increasing retention of employees in IT sector.

The most motivating factor in retaining employees is compensation or monetary benefits or salary otherwise highly paid jobs of competitors will attract skilled employees. The work environment, relationship with fellows, work life balance and career opportunities drives satisfaction to the employees which motivates them to work in one organization for longer time.

Conclusion: Employees are the assets which can make as well as break an organization progress and growth. Retaining them will help in the long-term growth of an organization and will also add to their goodwill. In the light of above discussion, it is concluded that retention of

employees is all about creating a work environment that provides a sense of belonging, pride, empowerment, benefits, flexibility, career growth and satisfaction.

Suggestions: IT sector need to think and adopt strategies on employee retention giving importance to flexible workplace, friendly work environment, encourage performance by boosting employee's self-esteem and sense of ownership.

References:-

1. Anjali Ray and Srijan Sengupta (2006) "Employee retention: An Indian perspective" Lambert Academy.
2. David and Nestrom (1998) "Human Behaviour at work" Organisational Behaviour; Mc Graw Hill, New York.
3. Dr. K. Balaji and Prof. Anand Kumar "Employee retention strategies" Global journal of management and research volume 17, 2017.
4. Kaliprasad. M.(2006) "The human factor- attracting, retaining and motivating employees" 48(6)p 20-25.
5. Khanna and Shushma (2008) "Increasing employee retention through employee engagement- A challenge, Annual handbook of human resource initiatives".
6. Kothari, C.R, Research methodology, New Delhi, New Age international(P) Limited Publishers,2004.
7. Punia B.K and Priyanka Sharma (2008) "Why do employees see alternative employment and what makes them stay".
8. Ramlal, S (2013) "Managing employee retention as a strategy for increasing competitiveness" Applied HRM.
9. Sanjeeth Singh and Mandeep Mahendru (2010): A study of employee retention in ITES Industry: A case of North India.
10. Workforce (2016), Making recruiting and retention work, web document: www.findarticles.com.

उच्च शिक्षा और जनजातिय समुदाय की चुनौतियां एवं समस्याएं (खरगोन जिले के जनजाति समुदाय के सर्वेक्षित परिवारों के आधार पर)

विनोद कुमार पटेल*

* शोधार्थी (समाजकार्य) रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां, अनुसंधान शिक्षावृत्तियां, छात्रावासों में सीटों का आरक्षण तथा उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिये कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। लेकिन फिर भी अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग अन्य जातीय समुदाय की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुये हैं।

शब्द कुंजी – उच्च शिक्षा और जनजातिय समुदाय की चुनौतियां।

प्रस्तावना – अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा के विकास के लिये संविधान के अनुच्छेद 15 (4) एवं 46 में विशेष प्रावधान दिये गये हैं। व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश या लिंगभेद किये बिना सर्वैधानिक समान अधिकार दिये गये हैं। यह राज्य सरकार को किसी भी सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की प्रगति के लिये प्रावधान किये गये हैं। शिक्षा राज्य एवं केंद्र दोनों को ही अपने विषय क्षेत्रानुसार शिक्षा का प्रचार-प्रसार का दायित्व दिया गया है। केंद्र सरकार उच्च शिक्षा, अनुसंधान, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं के समन्वयन के अनुरूप जनजातियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देने के साथ ही बालक-बालिकाओं के लिये छात्रावासों की स्थापना करना आदि है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये कोचिंग केंद्र भी खुलवाने का प्रावधान किया गया है। ये सब कार्यक्रमों के लिये कल्याण मंत्रालय द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता दी जाती है। अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक इंजीनियरिंग कालेजों, मेडिकल कालेजों और केंद्रीय विद्यालयों के लिये साठे सात प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये विशेष बल दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां, अनुसंधान शिक्षावृत्तियां, छात्रावासों में सीटों का आरक्षण तथा उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिये यह महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। लेकिन फिर भी अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग अन्य जातीय समुदाय की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुये हैं।

1991 की जनगणना के अनुसार 52.21 प्रतिशत सामान्य साक्षरता की तुलना में अनुसूचित जनजातियों में 29.6 प्रतिशत ही साक्षरता पाई गई। इसे हम सारिणी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जो इस प्रकार से है-

सारिणी क्रं. - 1: अनुसूचित जनजाति समुदाय में साक्षरता अन्य वर्गों की तुलना में

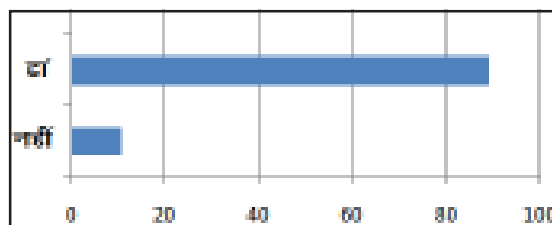
	कुल व्यक्ति प्रतिशत		पुरुष प्रतिशत		महिला प्रतिशत	
	1981	1991	1981	1991	1981	1991
सामान्य	36.23	52.21	46.89	64.13	24.82	39.29
अनु. जाति	21.38	37.41	31.12	49.91	10.93	23.76
अनु. जनजाति	16.35	29.60	24.52	40.65	8.04	18.19

उपरोक्त सारिणी से पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति में साक्षरता की दर हमेशा से ही कम रही है। इसका मुख्य कारण अनुसूचित जनजातिय समुदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी दरिद्रता, गरीबी, के अलावा शिक्षा की विषयवस्तु व पाठ्यक्रम समझ के बाहर होना, अपर्याप्त शैक्षणिक संस्थायें एवं सहायक सेवायें, शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षण का माध्यम व शिक्षा नीति ये सभी जिम्मेदार हैं।

सारिणी क्रं. - 2: उत्तरदाता को शिक्षा संबंधी समस्या का सामना करने हेतु जानने से संबंधित वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
हां	267	89 प्रतिशत
नहीं	33	11 प्रतिशत
योग	300	100 प्रतिशत

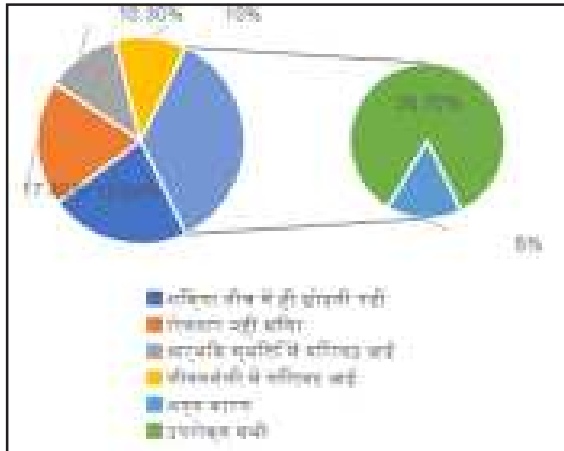
उत्तरदाता को शिक्षा संबंधी समस्या का सामना करने हेतु जानने से संबंधित वर्गीकरण



उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता को शिक्षा संबंधी समस्या का सामना करने हेतु जानने से संबंधित वर्गीकरण करने पर प्राप्त हुआ कि 300 उत्तरदाताओं में से 267 लोगों का कहना है कि उनको धन के अभाव के कारण शिक्षा संबंधी समस्या का सामना करना पड़ा, जिसका 89 प्रतिशत है, जो कि बहुत अधिक है जबकि 33 लोगों का कहना है कि उनको किसी प्रकार का सामना नहीं करना पड़ा, जिसका 11 प्रतिशत है जो कि बहुत कम है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश लोगों को शिक्षा संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा।

सारिणी क्रं.- 3: उत्तरदाता से यदि हां तो उसका प्रभाव शिक्षा पर किस प्रकार पड़ा, जानने से संबंधित वर्गीकरण

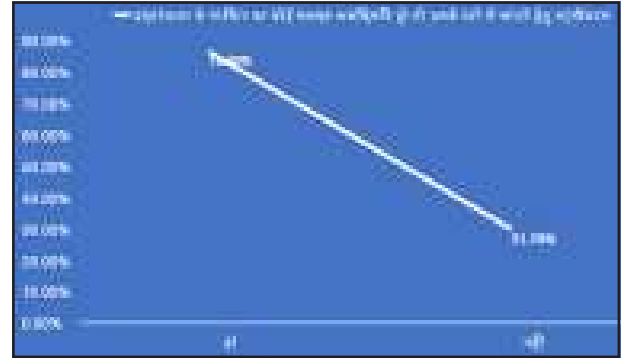
उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी	59	19.6 प्रतिशत
रोजगार नहीं मिला	52	17.4 प्रतिशत
आर्थिक स्थिति में गिरावट आई	31	10.3 प्रतिशत
जीवनशैली में गिरावट आई	30	10.0 प्रतिशत
अन्य कारण	15	5.0 प्रतिशत
उपरोक्त सभी	80	26.7 प्रतिशत
योग	267	89.0 प्रतिशत



उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता से यदि हां तो उसका प्रभाव शिक्षा पर किस प्रकार पड़ा, जानने से संबंधित वर्गीकरण करने पर प्राप्त हुआ कि 267 उत्तरदाताओं में से 59 लोगों का कहना है कि उन्हें शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी, जिसका 19.6 प्रतिशत है जबकि 52 लोगों का कहना है कि शिक्षा बीच में छूटने से उन्हें रोजगार नहीं मिला, जिसका 17.4 प्रतिशत है। उसी प्रकार 31 लोगों का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आई, जिसका 10.3 प्रतिशत है जबकि 30 लोगों का कहना है कि उनकी जीवनशैली में गिरावट आई, जिसका 10 प्रतिशत है। 15 लोगों का कहना है कि अन्य कारण से समस्या उत्पन्न हुई जिसका 5 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है जबकि 80 लोगों का कहना है कि उन्हें उपरोक्त सभी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसका 26.7 प्रतिशत है, जो कि सर्वाधिक है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश लोगों को धन के अभाव में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा।

सारिणी क्रं.-4: उत्तरदाता के परिवार का कोई सदस्य अशिक्षित हो तो उसके बारे में जानने हेतु वर्गीकरण

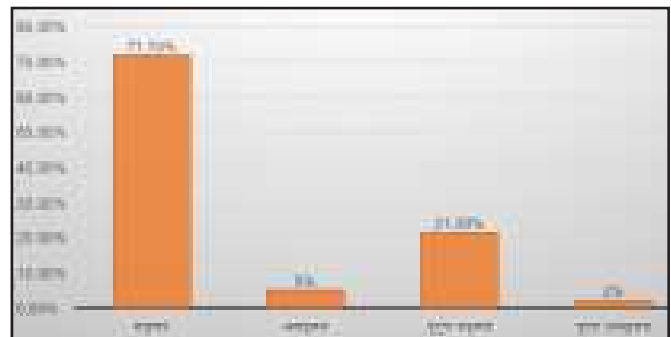
उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
हां	235	78.3 प्रतिशत
नहीं	65	21.7 प्रतिशत
योग	300	100.0



उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता के परिवार का कोई सदस्य अशिक्षित हो तो उसके बारे में जानने हेतु वर्गीकरण करने पर प्राप्त हुआ कि अधिकांश उत्तरदाता के यहां कोई न कोई अशिक्षित है जिसकी संख्या 300 में से 235 एवं जिसका 78.3 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है जबकि 65 लोगों के यहां कोई भी अशिक्षित नहीं है जिसका 21.7 प्रतिशत है जो कि बहुत कम है। इससे स्पष्ट है कि अभी भी गांवों में अशिक्षितों की संख्या अधिक है।

सारिणी क्रं.- 5: उत्तरदाता के दृष्टिकोण में अनुसूचित जनजाति के उत्थान में शिक्षा का महत्व है या नहीं है, का वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
सहमत	215	71.7 प्रतिशत
असहमत	15	5.0 प्रतिशत
पूर्ण सहमत	64	21.3 प्रतिशत
पूर्ण असहमत	6	2.0 प्रतिशत
योग	300	100.0



उत्तरदाता का दृष्टिकोण जानने के लिये किये गये सर्वे के अनुसार 300 उत्तरदाताओं में से 215 लोग सहमत हैं कि अनुसूचित जनजाति के उत्थान में शिक्षा का महत्व है जिसका 71.7 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है जबकि 15 लोग असहमत हैं कि अनुसूचित जनजाति के उत्थान में शिक्षा का महत्व है जिसका 5 प्रतिशत है। उसी प्रकार 64 लोग पूर्ण सहमत हैं जिसका 21.3 प्रतिशत है जबकि 6 लोग पूर्ण रूप से असहमत हैं जिसका 2 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है। इससे स्पष्ट है कि अधिकतर लोग अनुसूचित जनजाति के उत्थान में शिक्षा का महत्व को समझते हैं।

सारिणी क्रं.-6: उत्तरदाता परिवार में शिक्षा ग्रहण करने के बारे में उनकी सोच जानने से संबंधित वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
सभी को शिक्षा अनिवार्य है	156	52.0 प्रतिशत
शिक्षा से मानव विकास होता है	36	12.0 प्रतिशत
शिक्षा अनिवार्य नहीं है	9	3.0 प्रतिशत
शिक्षा अनिवार्य है लेकिन अधिक नहीं	17	5.7 प्रतिशत
शिक्षा रोजगार के लिये सहायक है	14	4.7 प्रतिशत
शिक्षा से जीवनशैली में बदलाव आता है	63	21.0 प्रतिशत
अन्य कारण	5	1.6 प्रतिशत
योग	300	100.0



उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता परिवार में शिक्षा ग्रहण करने के बारे में उनकी सोच जानने से संबंधित वर्गीकरण करने पर ज्ञात हुआ कि 300 उत्तरदाताओं में से 156 उत्तरदाताओं का मानना है कि शिक्षा सभी के लिये अनिवार्य है जिसका 52 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है जबकि 36 लोगों का मानना है कि शिक्षा से मानव का विकास होता है जिसका 12 प्रतिशत है। उसी प्रकार 9 लोगों का मानना है कि शिक्षा अनिवार्य नहीं है जिसका 3 प्रतिशत है जबकि 17 लोगों का मानना है कि शिक्षा अनिवार्य तो है लेकिन अधिक नहीं करनी चाहिये जिसका 5.7 प्रतिशत है। एवं 14 लोगों का मानना है कि शिक्षा रोजगार के लिये सहायक है जिसका 4.7 प्रतिशत है जबकि 63 लोगों का मानना है कि शिक्षा से जीवनशैली में बदलाव आता है जिसका

21 प्रतिशत है जबकि 5 लोगों का मानना है कि शिक्षा अन्य कारण से भी आवश्यक है जिसका 1.6 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है। इससे स्पष्ट है अधिकतर लोगों का मानना है कि शिक्षा सभी के लिये अनिवार्य है।

निष्कर्ष:

1. खरगोन जिले के अधिकांश लोगों को शिक्षा संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा।
2. अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि शिक्षा सभी के लिये अनिवार्य है।
3. सर्वेक्षित परिवारों का मानना है कि शिक्षा अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिये अनिवार्य है।
4. जिले के अधिकांश लोगों को धन के अभाव में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
5. वर्तमान में खरगोन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अशिक्षितों की संख्या अधिक है।
6. अशिक्षित होने पर रोजगार न मिलना, उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आना के साथ ही उनकी जीवनशैली में भी गिरावट आ गई। इस प्रकार उन्हें अनेकों प्रकार की चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महाजन, डॉ. संजीव, (2011), '**आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन**', अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
2. मिश्र, उमाशंकर एवं तिवारी, प्रभात कुमार, (1975), '**भारतीय आदिवासी**', उत्तरप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ
3. मुराब, श्रीमती इन्दु, (1994-95), '**भिलाला जनजाति का संक्षिप्त मानवशास्त्रीय अध्ययन**', आदिम जाति अनुसंधान, भोपाल, मध्यप्रदेश
4. मेहता महेश कुमार, (1976), '**मध्यप्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में सामुदायिक विकास योजनाओं की प्रगति**', रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश
5. नदीम हसनैन (2000), '**जनजातीय भारत**' जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली पृ. 12
6. प्रसाद डा. दिवाकर (2020), '**आधुनिक भारत में आदिवासी जीवन एवं संघर्ष**', जे.टी. एस. पब्लिकेशन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. 177

A Study on Academic and Industry Collaboration to Identified and Managing the Skill Gap

Dr. Bhavana Likhitar*

*Associate Professor, LNCT, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - Academic system certainly believes in development of skill set which are crucial for the interest of job market. For the successful implementation of plan it is the prime responsibility of academic institutes to be in regular contact of industry and the advancement taking place in the demand of skills for recruitment. The alliance of academics and industry can only become beneficial if sincere attention is paid towards the present and future perspectives of education system. Despite of an increase in number of educational institutes since independence, the quality of education is still a big question mark in present era. A close nit alliance between academics and industry can work as a reward and motivation for the education system. A weak interface between academic system and industry is the result of many problem areas. The problem needs to be identified minutely and design of solutions should be drafted to attain objectives of bringing a fruitful alliance of academics and industry.

Keywords: Academics, Industry, Alliance, Motivation, Reward, Job market.

Introduction - Academic system certainly believes in development of skill set which are crucial for the interest of job market. For the successful implementation of plan it is the prime responsibility of academic institutes to be in regular contact of industry and the advancement taking place in the demand of skills for recruitment. A target set alliance between academics and industry should work as a reward for academic institutes for accomplishing the actual objectives of the education system. The alliance of academics and industry can only become beneficial if sincere attention is paid towards the present and future perspectives of education system. The time has arrived to realize the true objective of education system for bringing academic excellence. It is a point of time to realize the fact that how academics and industry can work for mutual benefits. As one or the other way both are dependent on each other for the attainment of objectives. It seems after so many years of independence that the actual motive of education is missing somewhere. The mushrooming of institutes has deteriorated the quality of education in India. There was a time when Indian system of education was appreciated all over the world. The ancient system of education has produced so many brave and courageous examples of excellence. India does not have scarcity of talent. In other words it can be said that it is a hub of talent. But a seeding talent needs a support to shape it and take its actual final shape.

As per the demand of present scenario a proper and regular interface between the industry and education system

becomes essential. Over it, its realization becomes important by talent builders. It is the need of the hour to work on appreciating the quality of knowledge, curriculum design, and skill development for the crowd of students. Every child is not made for few defined professions; instead they owe their own capabilities and interest areas where they can perform better. It is not only the responsibility of parents but of educational institutes as well to counsel the students and direct them in right direction.

The academic should make industry demand as their motivation for developing education system. An educational institute may perform better in terms of quality and industry oriented vision if skill based programmes are introduced. This would not only help student but will work for the betterment of whole society.

Objective of the study:

1. To discuss current industry demand with reference to skilled manpower and role of academics in bringing desired skill set.
2. To discuss the need of development of customized curriculum as per the need of industry.

Literature Review:

At the time of independence the total number of universities was 20 and total numbers of colleges were 500. Whereas by the year 2016 the number of universities came to 801 and colleges to 39071 (UGC annual report 2016). This increase is in respect to the population increase of the country. The demographic profile of India works as the source of opportunity to utilize young skills for the economic

affluence of the nation. Around 65% of India's population is under the age of 35 years (Virmani, 2014). The increasing number of educational institutes is not a matter of concern but the quality of education provided is to be focussed on. With the introduction of more and more private institutions, the focus on quality education is reducing. The reports of National Association of Software and Services Companies (NASSCOM) 2011 have stated that 75% of Indian engineering students are not up to the mark of getting employment. It is always a point of discussion for the technical institutes to be associated with industries for bringing larger improvement in the quality of education especially its practical component. The application of which will help the students in preparing them and making them industry-ready. It survey conducted by FCCI 2011 that there is shortage of skill in around 90% of the companies, due to scarcity of labour 89% companies are not able to meet potential demand of their potential products. The National Policy on Education (1986) in India have highlighted and put strong emphasis on the need for university industry interaction. However, even after incurring lot of efforts undertaken by the Centre and State governments, university industry interaction has been a failure proving noticeable progress up till now. Nilson (1985) proposes that academia-industry interface may be carried on "by a framework of representation from industry, society and professional organisations at various levels of planning and management of engineering education and also by a direct support in actual course work". Bhusari (2008) was of the view that "instead of opting for particular model, different forms of partnership should be explored and settling the comfortable levels of working with the industry, comfortable interaction scenarios and a subsequent comfortable sharing of the gains that will have from the research of all types". Therefore, it is the most important task to concentrate the areas where optimum collaboration is likely to be available. Bisoux (2003) has tried to explore the extent of academics and industry association between each other. He is of the view says that companies are focussing more in the search of the "right person". It gives direction to business schools to learn more carefully on whom they hire, and therefore the importance of industry in the whole business school model becomes important. According to Friga, Bettis and Sullivan (2003) the current trends of management education indicates the creation of knowledge which is becoming more student based. This will accompany in a variety of changes including paradoxically an inclination towards close interaction among students, industry and the faculty. Fowler (1984) has identified 15 impediments to university-industry relationships. At least two of these pose problems in establishing a practical working relationship. Firstly, academics believe in publishing the results from the research conducted as soon as possible. On the other side industry keenly guards its proprietary information. Secondly, the main focus of academics is to concentrate

on basic research and establishes new concepts or hypotheses. The demand of Industry's primarily is for applied research leading for product-improvement and hence to short-term profits. The proper engagement of academics plays crucial role in the transferring of knowledge of academics to industrial domain; it has been given considerable significance and considered valuable by many companies than licensing university patents (Cohen et al., 2002). The incomes generated in universities' from academic engagement are generally a higher multiple of the income derived from intellectual property (Perkmann et al., 2011). Giselle LaFrance found that the attainment of industry academia collaborative experiences helps students who are the prospective employees for industry to reach with their full potential earlier and to a higher degree. Moreover, learning's acquired through collaboration helps Human resource of industry to expand the reach and streamline the operations of the company, identify and shape strong potential hires, and continue to inspire the education, passion, and investment in academic tie-up so vital to the industry. By industry and academia working together to truly understand the student's, each other's, and even their own needs, as Hanson suggests, we have the prosperous opportunity to build a collaborative model and teach students in a style – both in and out of the classroom – that will truly prepare them for the twenty-first century workforce – already a scarier and more competitive place than ever before. "We are facing great challenges today in all industries and in all states," says Atrion's Cronin.

Ambreen Gul & Aftab Ahmad, Pakistan in their research paper "Perspectives of Academia-Industrial Linkage in Pakistan: An Insight Story" presented the analysis of role of government policy, importance of university strengthening & importance of university strengthening. They argued that government should act to initialize the linkage program between industry and universities. National policy for academia-industry linkage is obligatory to strengthen scientific developments.

During the year 1960, the education field of business education properly started gaining importance in India and establishment of two Indian Institute of Management; IIM Calcutta in association with Sloan School of Management and IIM Ahmadabad with Harvard Business School took place. After that there has been a relatively slow but steady growth in number of schools and popularity of business education in India. At the time of post liberalization in the year 1991, when India was opened for the global world, a huge upsurge was observed in the number of business schools. Many multi-nationals entered India bringing with them increased demand for professionals. The role of government in business education was then moved out of the control with the setting up of many private institutions. The role became superficial and confined to limited or few premier institutions.

According to Rizvi (2003), The collaboration of

Academia-Industry becomes essential if industry has to take the advantage of research and development activity at business schools, and such a relationship should be encouraged across cultures for the benefit of global business. More and more opportunities need to be provided to the faculty through applied research, and case writing to keep them abreast of changes in the business world and hence enhance the overall teaching-learning experience. Mishra (2000) argued there is lesser adequacy of efforts for continuous and systematic professional development of teachers. The author proposed a professional development model using distance learning methodology (DLM). The model focuses on collaboration and sharing facilities to conduct the program. The curriculum should be designed keeping in mind the profile of the teachers and after analysis of their needs.

Dr. M.M Pallam Raju, previous HRD minister was also in favour of bringing closer partnership of industry and academia to improve the employability of students. (Indian education review 2013). Ministry of Labour and employment has also identified poor industry academia collaboration as a weakness in our education system.

Dayal (2004), says that "In most cases industry use business schools as recruitment centres. The right interface can develop only when they approach business schools for help, for which the latter has to equip them to understand business situations in depth and those useful to industry". Gupta and Gupta 2012, studied the challenges in Indian higher education. It was suggested that better salaries to teachers and collaboration with foreign universities should be encouraged to meet the challenges.

Tom Wanyama and Venansius Baryamureeba in their paper on "The Role of Academia in Fostering Private Sector Competitiveness in ICT Development" found that it is necessary that the academia and the private sector build strong collaborative relationships. Such relationships should not be limited to industrial training, and research and development, but should also include other important areas, such as curricula development, business proposal writing, improvement of business processes, and continuous training of private sector workers.

India needs closer partnership, (Pallam Raju, 2013a), between academia and industry. The most of the funding at present for Research and Development in the country is coming from the Government side. There is an urgent need for more contribution from industry in research, besides greater private sector involvement. The industry should engage itself more in terms of not only funding but also in skill development, innovation and entrepreneurship. The gap between the academia and industry has to be bridged to enhance employability of our people.

The Ministry of HRD, Government of India (MHRD), has set up three task forces on, (a) Research, innovation and entrepreneurship (b) skill and employability and (c) the

ways to foster institutional mechanism, (Thakur 2013). The recommendations of these task forces are of wider perspective. The Government is keen to promote top end research for skill building and the plans to foster ties with academia, industry and the Government. It will come up with a plan within two hundred days, (Thakur 2013).

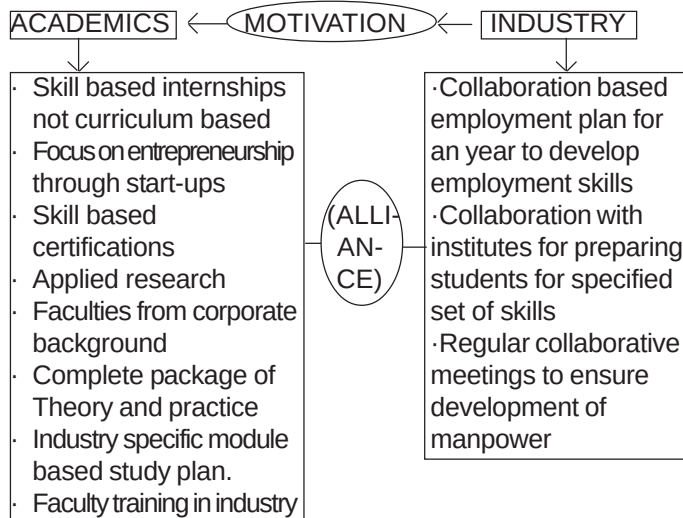
Our university curricula are redundant. It is also true that there are gaps in our education system. Various initiatives to promote industry interaction, mandatory internships, setting up of research parks, etc. have helped in improving the overall entropy within the system. The MHRD has taken several policy decisions to introduce finishing school programmes as supplementary training schools to enhance employability, (Pallam Raju, 2013b)

Industries should encourage, (Bhartiya, 2013), their employees to enhance their knowledge by doing M. Tech., Ph.D. in IITs, IIMs, Universities, etc This way productivity and enhancement and performance go hand in hand. Unfortunately the practice is limited for the same in some sectors and people do not get advantage to grow or have choice of career.

Both academic engagement and commercialization tend to be individually driven and pursued on a discretionary basis. Universities are 'professional bureaucracies' (Mintzberg, 1979) that rely on the independent initiative of autonomous, highly skilled professionals to reach their organisational goals. While academic entrepreneurship – as well as patenting as an often used proxy for entrepreneurial behavior – is also primarily individual behaviours, licensing can be carried out by the university without the active participation of the academic inventor even though such participation enhances the probability of commercial success (Agrawal, 2006).

Suggestions: The literature reviewed was understood by observing views of many researchers. In general it can be said that there is still a wide gap that exist between academic system and industry demands. Keeping aside few top-notch institutes many shortcomings can be observed in other institutes having blurred vision based education programs. Problems like weak curriculum design, few or negligible student interaction with industry, more theory based classrooms, less faculty development programs, vision less study pattern, non regulating strict government rules and regulations in education programs, and last but not the least incapable of understanding the need and demand of industry. Many innovative ideas need to be generated to bring a desired change in the current system of education. Not only idea generation will help but its proper dedicated implementation has to be done for the attainment of true societal goals.

The following model is suggested for bringing closer nit contact between academics and industry. The model is not the overall solution but would give it's contribute in reducing the above mentioned problems to some extent.



The model suggests the industry and its demand should work as a source of motivation for the academic institutes. And a sincere alliance between the industry and academics plans drawn on common objectives could lead to ascertainment of universal objectives.

Industry Plans:

1. A pre-decided collaboration based employment plans for a period of minimum one year in the final year of the study program should be developed for creating attitude of work in the student and development of practical employment skills.
2. An agreement should be done among institutes and industry to develop specific or work related skill set.
3. Conduct of meetings between industry and academics on regular basis for ensuring development of manpower for the job market.

Academic Plans:

1. The internship should be skill based and not curriculum based. It is considered that the internship programs are often curriculum based and not skill based.
2. Students should be motivated for entrepreneurship and start-ups.
3. Specific skill based certifications should be made mandatory as a part of curriculum.
4. The research conducted should be given an application based exposure.
5. Faculties should be hired from corporate background, who can better understand the delivery of study material.
6. The curriculum should be designed in such a way which can be a complete mix of theory and practical approach.
7. An industry based specific module study plan should be incorporated to meet the industry demand.
8. The faculties are the knowledge sharing source. For higher education programs the faculties should also be given training in corporate so that they can transfer

the learning's to the future industry manpower prospects.

Conclusion: For achieving the objective of making India a global name in education and innovation, a different and new set of curriculum concept is required to meet future challenges. Indian education system has to move ahead for bringing innovative collaborations among academia and industry for the betterment of the society. In order to fill the gaps of present education system many avenues that needs to be intensified, encouraged, and above all incorporated, for a close academia and industry interaction has to be created to bring close interaction between them. This close interaction acknowledges and capitalizes the relative strength of academia and industry tie-ups. Along with the industrial associations the educational institutes should also try to link with government agencies engaged in industrial development activities. Many new innovative practical approach needs to be amplified for quickly recovering from the setback already tolerated by the industries and academics.

References:-

1. Dr. Anjum, B., & Tiwari, R. (2014). Role of higher education institution and industry academia collaboration for skill enhancement. Journal of Business Management & Social Sciences Research, 3(11).
2. Rizvi, I. A., & Aggarwal, A. (2005, January). Enhancing student employability: Higher education and workforce development. In Proceedings of the 9th Quality in Higher Education Seminar, Birmingham, UK.
3. Gandhi, M. M. (2014). Industry-academia collaboration in India: Recent initiatives, issues, challenges, opportunities and strategies. The Business & Management Review, 5(2), 45.
4. Bisaria, G. (2011). Impact of Industry-Academia Interface on Development of Management Colleges. RMS Journal of Management & IT, 3(2), 10
5. NASSCOM (2011), Annual Report, New Delhi: National Association of Software and Services Companies
6. Giselle LaFran, 2010 "Bridging the IT Skills Gap through Industry and Academic Collaboration", Employment Relations Today.
7. Ambreen Gul & Aftab Ahmad, 2012, "Perspectives of Academia-Industrial Linkage in Pakistan: An Insight Story", Sci., Tech. and Dev., 31 (2): 175-182
8. Nangia K. V. (2011)., Towards an integrated model for academia- Industry interface in India, International Journal of Humanities and social sciences. 5(1)
9. The Business & Management Review, Volume 5 Number 2 August 2014
10. International Academic Conference in Paris (IACP), 11-12th August 2014, Paris, France 54

झाबुआ जिले में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग प्रतिरूप परिवर्तन: एक भौगोलिक विश्लेषण

राधुसिंह भूरिया* डॉ. आर.आर. गोरारया**

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** सह-प्राध्यापक, शासकीय माधव कला वाणिज्य एवं विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध कार्य में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन में एवं कृषि उत्पादकता भूमि उपयोग व अन्य प्रभावों को देखा गया। तथा इसके उत्पादन में वृद्धि का पता लगाकर कृषि विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं। अतः प्रस्तुत शोध कार्य कृषि विकास एवं भूमि उपयोग से संबंधित होने के कारण इसकी कृषि विकास की उपयोगिता प्रत्येक क्षेत्र में रहेगी। इस अध्ययन की उपयोगिता कृषि विकास किसानों के लिये तो रहेगी, साथ ही जिले में कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के साथ-साथ कृषि विकास एवं उद्योगिक क्षेत्र को भी मजबूत करने एवं रोजगार में वृद्धि एवं कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में भी सहायता मिल सकेगी।

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले पर आधारित है। झाबुआ जिला मध्यप्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। यह जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जिला है। अध्ययन क्षेत्र का अक्षांशीय एवं देशान्तरीय विस्तार 22°-24' से 23°-55' उत्तरी अक्षांश तथा 73°-30' से 75°-30' पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। यह क्षेत्र उबड़-खाबड़ एवं पहाड़ी क्षेत्र है। इस जिले की सीमाएं उत्तर में रतलाम तथा दक्षिण में अलीराजपुर, पश्चिम में गुजरात एवं पूर्व में धार जिले को स्पर्श करती हैं। जिले की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10,25,048 है।

शब्द कुंजी – कृषि विकास, भूमि उपयोग, फसल प्रतिरूप, भूमि उपयोग में परिवर्तन, कृषि उत्पादकता, कृषि नवाचार।

प्रस्तावना – कृषि एक अत्यन्त व्यापक आर्थिक कृषि एक अत्यन्त व्यापक आर्थिक क्रिया है। इसके अर्थ को समझने में इसका अंग्रेजी समानार्थी 'एग्रिकल्चर' शब्द की उत्पत्ति सहायक है। यह शब्द लेटिन भाषा के 'एगर' और कल्चर शब्दों से मिलकर बना है। जिसका तात्पर्य क्रमशः खेत या मिट्टी और जोतना है। इस तरह एग्रिकल्चर का अर्थ भूमि को जोतकर फसल पैदा करना है। परन्तु 'कृषि' शब्द की संकल्पना में भूमि से फसल उत्पादन करने के साथ पशुपालन और सिंचाई आदि क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं। वास्तव में वे विधियाँ भी कृषि के अन्तर्गत आती हैं। जिनका प्रयोग फसलों और पशुओं के उत्पादन को वांछित दिशा देने में किया जाता है। इस तरह कृषि के अन्तर्गत मानव के उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ और कच्चे माल उत्पन्न करने के लिए भूमि के उपयोग करने वाली सभी विधियाँ आती हैं। इसमें कुदाल पर आधारित जीवन निर्वाह वाली अन्न प्रधान खेती से लेकर मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने वाली व्यापारिक कृषि तक आती है।

जसबीर सिंह तथा ढिल्लो ने अपनी पुस्तक कृषि भूगोल में इससे आगे कहा है कि 'कृषि फसलोत्पादन से अधिक व्यापक है। यह मानव द्वारा ग्रामीण पर्यावरण का रूपान्तरण है। जिससे कृषि उपयोगी फसलों एवं फसलों के लिए अनुकूल दशाएँ सुनिश्चित की जा सकें।'

कृषि बड़ी सीमा तक प्राकृतिक वातावरण पर आधारित है। मनुष्य अपनी क्षमता और आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन करता है। इनका आरम्भ कृषि के अनुकूल वातावरण ढूँढने के प्रयास से होता है। यह उपयुक्तता जलवायु धरातल एवं अपवाह तथा मिट्टी द्वारा निर्धारित होता है। प्राकृतिक वातावरण

के इन तत्वों को भी इस तरह संशोधित करने का प्रयास किया जाता है। जिससे अधिकतम लाभ मिल सके, खेत बनाना, जोतना, जल प्रवाह की व्यवस्था करना आदि इस प्रकार के कार्य हैं।

कुछ प्राकृतिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे नमी की कमी की पूर्ति के लिए सिंचाई, मिट्टी की उर्वराशक्ति को बनाए रखने के लिए खाद एवं उर्वरकों को प्रयोग करना आदि इसके साथ विभिन्न प्रकार के वातावरण वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त पशुओं एवं फसलों की जातियाँ भी विकसित की जाती हैं, जिससे उपस्थित सम्भावनाओं का अधिकतम दोहन किया जा सके। इस प्रकार ये सभी कार्य प्राकृतिक वातावरण के साथ ही कृषक की सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी विकास के स्तर पर भी निर्भर होते हैं।

अध्ययन का क्षेत्र एवं विस्तार – प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले पर आधारित है। झाबुआ जिला मध्यप्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। यह जिला आदिवासी बहुल्य जिला है। अध्ययन क्षेत्र का अक्षांशीय एवं देशान्तरीय विस्तार 22°-24' से 23°-55' उत्तरी अक्षांश तथा 73°-30' से 75°-30' पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश के पश्चिम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। यह क्षेत्र उबड़ खाबड़ एवं पहाड़ी क्षेत्र है। इस क्षेत्र की सीमाएं उत्तर में रतलाम तथा दक्षिण में अलीराजपुर पश्चिम में गुजरात एवं पूर्व में धार जिला आता है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन – कृषि विकास एवं भूमि उपयोग से सम्बन्धित अध्ययन कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अर्थशास्त्रियों तथा भूगोलविदों के द्वारा अपने-अपने ढंग से किये गये किसी भी वैज्ञानिकों कार्य के लिये

विषय से सम्बन्धित सार्थक है कि पुनरावलोकन द्वारा अध्ययन किये जाने वाले की समस्याओं, अवधारणाओं स्पष्ट करने में सहायक होती है। साहित्य के पुनरावलोकन द्वारा शोधकर्ता के विषय से सम्बन्धित उपलब्ध जानकारी प्राप्त होती है। किसी प्रकृति का कितनी गहराई का तथा किसी प्रकार का कार्य हो चुका है। इसकी जानकारी के आधार पर शोधकर्ता भविष्य में दिशा निर्देश प्राप्त करता है साहित्य के पुनरावलोकन से अध्ययन से ही शोधकर्ता यही समझ पाता है कि उसे किस प्रकार के तथा कितनी गहराई से अथवा किस विषय पर शोध करना चाहिए तथा इसके उद्देश्य से शोधकर्ता के विषय से सम्बन्धित शोध कार्यों का पुनरावलोकन कार्य किया जाता है। इस अध्ययन को निम्नानुसार दर्शाया गया है।

1. मिलर एवं जान स्टोन (1961) ने कृषि विकास के महत्व को दर्शाने के लिए कृषि की खाद्य पूर्ति में वृद्धि कृषि उत्पादन के निर्मित में वृद्धि ही आया के स्तर में वृद्धि से क्रय शक्ति में वृद्धि आदि प्राथमिकता निर्धारित की है।
2. हुसैन (1976) सतलज-गंगा के मैदान की कृषि उत्पादकता का अध्ययन सम्पूर्ण फसलों से प्राप्त मुद्रा की गणना प्राप्त हेक्टेयर के आधार पर किया है।
3. स्टैम्प (1962) ने कुछ देशों की प्रमुख फसलों को सूचकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केण्डाल के कोटि गुणांक तकनीकी के आधार पर कृषि क्षमता का निर्धारण किया है।
4. कुजनेटस (1961) के मतनुसार आर्थिक विकास में कृषि खाद्य पूर्ति रेशे उत्पादन में वृद्धि बाजार का विस्तार एवं अकृषिगत व्यवसाय में श्रम की पूर्ति आदि तीन रूपों में सहयोग करती है।
5. दत्त एवं राबिन (1969) कृषि के विकास में भूमि के अधिकतम आर्थिक उपयोग को महत्वपूर्ण माना यथार्थ यदि भूमि को पर्याप्त मात्रा में पामककन्नी और खाद्य उपलब्ध हो तो अधिक फसल में वृद्धि होगी।
6. जसबीर सिंह (1974) ने भारत में हरित कृषि के प्रभाव का अध्ययन किया एवं भारत के कृषि एटलस में कृषि विकास के लिए विभिन्न तथ्यों का भौगोलिक विश्लेषण किया है।

अध्ययन का उद्देश्य :

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य :

1. अध्ययन क्षेत्र में वर्तमान में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में होने वाले परिवर्तनों का तुलनात्मक विश्लेषण करना।
2. विकास खण्डवार फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन का विश्लेषण करना।
3. कृषि गहनता एवं उत्पादकता हेतु सिंचाई एवं अन्य सुविधाओं कृषि यंत्रीकरण, उन्नत बीज एवं उर्वरकों का प्रयोग इत्यादि का आकलन करना।
4. अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग एवं फसल प्रारूप को प्रदर्शन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ : कृषि विकास एवं भूमि उपयोग के फलस्वरूप कृषि उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। किन्तु कुछ तथ्य उभरकर सामने आये हैं। वे निम्न हैं :

1. अनुकूलतम कृषि विकास एवं भूमि उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है।
2. जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन हुआ है।

3. ग्रामीण क्षेत्र में मूल आधार कृषि एवं रोजगार में वृद्धि हुआ है।
4. सिंचाई की सुविधा से कृषि एवं नवाचार में वृद्धि हुआ है।
5. कृषि विकास में खाद बीज का अधिक उपयोग करने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुआ है।

शोध अध्ययन की प्रविधि : शोधकार्य में जनसंख्या भूमि उपयोग कृषि प्रारूप का आधुनिकीकरण जैसे तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न मानचित्रीय एवं सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जायेगा। झाबुआ जिले की 6 तहसीलों के वर्ष 1995-98 से 2015-18 के भूमि उपयोग के आँकड़ों का तालिकाओं आरेखों एवं मानचित्रों द्वारा विश्लेषण किया जायेगा प्रस्तुत शोधकार्य के निम्न सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जायेगा।

वर्तमान कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन : कृषि भूमि उपयोग का वितरण एवं उनका परिवर्तनशील प्रतिरूप का अध्ययन कृषि विकास के लिए आवश्यक होता है। झाबुआ जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 293057 हेक्टेयर है। इसमें 63 प्रतिशत भूमि के उपयोग सम्बन्धी आँकड़े उपलब्ध हैं। यहाँ भूमि उपयोग में कृषीय उपयोग में परिवर्तन, स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, मानव की आर्थिक क्रियाएं आदि सम्मिलित हैं। जहाँ झाबुआ जिले में अनास एवं माही नदियों के किनारे वनों की प्रधानता पाई जाती है वहीं कहीं-कहीं वर्षा की कमी के कारण कृषि के लिए अयोग्य तथा बंजर भूमि का विस्तार भी पाया जाता है। इसी प्रकार स्थालाकृति उपजाऊ मिट्टी एवं जनसंख्या दबाव क्षेत्रों में कृषि विकास बाधित होता रहता है।

जनसंख्या के बढ़ते दबाव एवं खाद्यान्नों की बढ़ती मांग, उन्नत बीज के कारण भूमि उपयोग के प्रतिरूप और प्रकार में निरंतर परिवर्तन देखा गया है। कृषि भूमि उपयोग के अन्तर्गत पिछले चार दशकों के दौरान शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है। बंजर और अकृषित, परती भूमि के क्षेत्र में वृद्धि नगरीकरण और औद्योगीकरण के कारण भूमि उपयोग की बढ़ती जटिलता बहुशस्य, मिश्रित शस्य, शस्य विविधता आदि के कारण ग्रामीण भूमि उपयोग आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग को आठ वर्गों में विभाजित किया गया है।

1. भौगोलिक क्षेत्र
2. वन
3. कृषि योग्य भूमि
4. पड़त भूमि
5. शुद्ध बोया गया क्षेत्र
6. द्वि-फसली क्षेत्र
7. कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं
8. अन्य अकृष्य भूमि पड़ती शामिल नहीं

तालिका क्रमांक 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

शोध की समस्या : प्रस्तुत शोध में समस्या का चुनाव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि कृषि विकास एवं भूमि उपयोग का क्या योगदान है। अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या निरक्षर है एवं आदिवासी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। गाँव छोटे-छोटे दूर-दूर एवं कृषि पर निर्भर हैं। कृषि विकास में आधुनिक संसाधनों के द्वारा उर्वरक खाद्य बीज और नई-नई बीज एवं रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने में समझाना शोध कार्य को पूर्ण करने में समस्या थी।

कृषि विकास एवं भूमि उपयोग का आंकलन कर कमियों को दूर करने के लिए उपाय सुझाये जा सकते हैं। कृषि विकास का उद्देश्य सीमान्त किसानों

से लेकर लघु किसानों को लाभ मिले।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

निष्कर्ष : झाबुआ जिला आदिवासी बहुल जिला है। यह जिला कृषि पर आधारित है। जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 63.98 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। इसमें से कुल द्विफसली भूमि का क्षेत्रफल 23.38 प्रतिशत है। क्षेत्र में पड़त भूमि का प्रतिशत 2.48 है। कृषि भूमि उपयोग की क्षेत्र में असमानता पाई गई है। अध्ययन क्षेत्र में आदिवासी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि विकास एवं भूमि उपयोग पर इसका दबाव कृषि भूमि पर पड़ता है। जिले की धरातलीय संरचना ऊबड़-खाबड़ एवं पर्वतीय-पठारी होने के कारण कृषि भूमि में वृद्धि होना सम्भव नहीं है। अध्ययन क्षेत्र में कृषकों द्वारा की जाने वाली फसलों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता का मुख्य कारण कृषि भूमि एक समान न होना है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन 'झाबुआ जिले में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग प्रतिरूप परिवर्तन : एक भौगोलिक विश्लेषण' किया गया है, जिसमें कृषि विकास एवं भूमि उपयोग एवं भूमि उपयोग परिवर्तन के आंकड़ों को सारणियों तथा आरेखों के द्वारा किया गया है तथा प्रश्नावली अनुसूची, साक्षात्कार अवलोकन, समूह चर्चा व्यक्तिगत करके प्राप्त किए गए हैं।

अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले पर आधारित है। झाबुआ जिला मध्यप्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। यह जिला आदिवासी बहुल जिला है। जिले का अक्षांशीय एवं देशान्तरीय विस्तार $22^{\circ}24'$ से $23^{\circ}55'$ उत्तरी अक्षांश तथा $73^{\circ}30'$ से $75^{\circ}30'$ देशान्तर के बीच स्थित है तथा जिले की सीमाएं उत्तर में रतलाम जिले तथा दक्षिण में आलीराजपुर जिले पश्चिम में गुजरात राज्य एवं पूर्व में धार जिले को स्पर्श करती हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में कुल जनसंख्या 1025048 है जिसमें पुरुष जनसंख्या 515023 और महिला जनसंख्या 510025 है जो वर्ष 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 2.30 प्रतिशत रही है जो कि पिछले अन्य वर्षों की तुलना में वृद्धि दर अधिक है। शहरी जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है।

अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता दर 43.23 प्रतिशत है। इसमें से पुरुष साक्षरता 52.98 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 33.23 प्रतिशत है।

अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों के संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए नवीन तकनीकी ज्ञान एवं कृषि नवाचारों का विकास किया जा रहा है। अध्ययन क्षेत्र झाबुआ जिले में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन का अध्ययन कर कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है।

अतः झाबुआ जिले में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में असंतुलन पाया गया है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास के लिए साधनों की कमी है। झाबुआ जिले में कृषि विकास हेतु न केवल भूमि उपयोग में वृद्धि करना आवश्यक है परन्तु सिंचित, असिंचित क्षेत्र में शीघ्र पकने व अधिक उत्पादन देने वाले उन्नत बीजों के क्षेत्र में भी वृद्धि करना भी आवश्यक है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि सुधारना चाहिए जिससे कृषि विकास एवं उत्पादन में वृद्धि होगी। अध्ययन क्षेत्र में जोतों के आकार की संख्या छोटी है। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटी जोतों वाले किसान आधुनिक तकनीकी एवं उन्नतशील बीजों का उपयोग नहीं कर पाते हैं जिसके कारण

कृषि पैदावार में कमी होती है। अध्ययन क्षेत्र में कई दशकों से खेती होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। उत्पादन बढ़ने के लिए देशी खाद बीज की आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र में उपलब्ध कृषि भूमि के अतिरिक्त भूमि को सुधारकर कृषि योग्य भूमि बनाया जा सकता है एवं उन्नतशील बीजों एवं रासायनिक, जैविक खाद, बीजों का उपयोग करके फसलों की पैदावार में वृद्धि करके कृषि विकास एवं भूमि उपयोग की आपूर्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।

सुझाव : अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन एवं कृषि विकास के संरक्षण के लिए निम्न सुझाव दिए गए हैं-

1. **भूमि सुधार :** अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए कृषि भूमि सुधार होना महत्वपूर्ण होता है। अध्ययन क्षेत्र में प्रति वर्ष मृदा अपरदन एवं भू-क्षरण के कारण कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी होती जा रही है और कृषि विकास के लिए भूमि अयोग्य हो रही है। इसे रोकने के लिए अध्ययन क्षेत्र के कृषकों के द्वारा खेतों के चारों ओर मेड़बन्दी करना चाहिए और कृषि सुधार के लिए वैज्ञानिक पद्धतियां एवं वैज्ञानिक संसाधनों को अपनाकर बंजर एवं परती भूमि एवं अपरदन एवं भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाया जाए, जिससे क्षेत्र में कृषि विकास एवं भूमि सुधार किया जा सकता है।

2. **आधारभूत सुविधाएं :** अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होता है, जैसे कि सड़क पानी, आवास, बिजली की सुविधा, कृषि विकास के लिए आवश्यक है तथा कृषि साधनों के लिए खाद, बीज एवं रासायनिक उर्वरक आदि सुविधाएं होना आवश्यक होता है।

3. **अध्ययन क्षेत्र उन्नत किस्म के खाद-बीजों का उपयोग करना :** अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास को बढ़ाने के लिए नए-नए उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करके कृषि उत्पादन अधिका प्राप्त किया जाए तथा झाबुआ जिले में किसानों के द्वारा देशी खाद बीजों का अधिक प्रयोग किया जाए जिससे उत्पादन प्रति हेक्टेयर में वृद्धि हो तथा साथ में उन्नत बीजों को उपयोग में लाना आवश्यक है।

4. **शिक्षा का प्रसार :** अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने के लिए किसानों का शिक्षित होना आवश्यक है तथा आदिवासी किसानों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार होना चाहिए जिससे कृषि विकास के लिए खाद-बीज एवं समर्थन मूल्य के जानकारी होना आवश्यक है। अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता दर 43.23 प्रतिशत है जिसमें से पुरुष साक्षरता 52.85 प्रतिशत एवं महिला 33.77 प्रतिशत है। इसी प्रकार दूसरे जिलों की तुलना में झाबुआ में साक्षरता दर बहुत कम है तथा जिले में किसानों को साक्षर करना अत्यंत आवश्यक है। किसान साक्षर होंगे तो कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में वृद्धि होगी।

5. **कृषि सम्बंधित ऋण योजना :** अध्ययन क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है जो अधिकतर कृषक गांवों में निवास करते हैं और इस जनसंख्या से अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है परन्तु यहां किसानों को सरकार द्वारा जो भी लाभकारी योजनाओं जैसे कि फसल बीमा योजना, किसान ऋण योजना तथा मध्यप्रदेश में सभी जिलों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाएं आदि योजनाओं का लाभ किसानों को मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगा एवं कृषि विकास करके उत्पादन में वृद्धि होगी तथा इन

लाभकारी योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्र में लाभ मिले और कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगी।

6. पूंजी की कमी : अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास के लिए भी सभी क्षेत्रों की तरह कृषि भूमि को भी पनपने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। क्षेत्र में तकनीकी विस्तार ने किसानों को पूंजी की आवश्यकता होती है लेकिन आदिवासी किसानों के पास पूंजी की कमी बनी हुई है। छोटे किसानों एवं व्यापारियों से उच्च दर पर कर्ज लेते हैं लेकिन किसानों ने बैंकों से कर्ज लेना भी शुरू कर दिया है लेकिन उनकी स्थिति अभी भी आशानुरूप बदली नहीं है।

7. शुष्क कृषि पद्धति : अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए किसानों द्वारा शुष्क कृषि पद्धति के द्वारा खेती भी होना आवश्यक है क्योंकि कम जल वाली भूमि पर भी अधिक से अधिक पैदावार ली जाती है। फसलों में चना, मक्का और जौ आदि फसलें अधिक मात्रा में पैदा की जा सकती हैं। ऐसी फसल के लिए सिंचाई की कम आवश्यकता होगी। इसलिए अध्ययन क्षेत्र में शुष्क कृषि करने से किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होता है।

8. कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार : अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का जीवन-यापन जीविका हेतु कृषि पर ही निर्भर है। अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है जिससे कृषि भूमि कम हो रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या एवं कृषि का उपविभाजन एवं उपखण्डन से खेती करना असम्भव है। जनसंख्या वृद्धि के कारण खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है जिसके कारण आधुनिक कृषि यंत्रों के माध्यम से कृषि करना सम्भव नहीं हो पाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन अपनाने वालों को आर्थिक सहायता, कृषि सुविधा जुटाने में आर्थिक छूट प्रदान करना चाहिए।

9. कृषकों का वर्षा पर आश्रित होना : अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश किसान केवल मानसून पर ही निर्भर रहते हैं और केवल वर्षा ऋतु की फसल (खरीफ फसल) का उत्पादन करते हैं। अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के साधनों

की कमी के कारण कृषि कार्य वर्षा पर ही आश्रित है तथा क्षेत्र में वर्षा का वितरण अनिश्चित एवं अनियमित है जिससे वर्षा समय पर न होने के कारण किसानों में मायूसी बनी रहती है। अध्ययन क्षेत्र में अधिकतर सिंचाई तालाबों, कुओं एवं नलकूपों के द्वारा ही की जाती है लेकिन ग्रीष्म ऋतु में भूमिगत जल का स्तर नीचे चला जाता है और सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था के अभाव में फसलों का उत्पादन कम हो पाता है। क्षेत्र में सिंचाई की कमी एवं वर्षा की मात्रा कम होने से कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन प्रभावित होता है। क्षेत्र में वर्षा के जल को रोकने के लिए उचित मात्रा में जल प्रबंध एवं बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए। कृषकों को सिंचाई सुविधाओं के बारे में समझाया जाए तथा इनका उपयोग उचित मात्रा में व सही समय पर करने की सलाह दी जानी चाहिए।

इस प्रकार झाबुआ जिले में कृषि विकास एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन का विस्तृत शोध किया गया है। अतः उपर्युक्त सुझावों को समय पर लागू करके कृषि विकास एवं भूमि उपयोग को सन्तुलित बनाए रखने में बहुत सहयोग प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आने वाली समस्याओं का समाधान होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल: लेखक डॉ. प्रमिला कुमारा
2. जगदेव 2011 कृषि भूमि उपयोग और फसल उत्पादकता पर सिंचाई का प्रभाव सुलतानपुर जनपद का एक विवरण।
3. डॉ. अख्तर बानो : कृषि विकास की गतिशीलता और प्रतिरूप मालवा पठार (म.प्र.) के संदर्भ में विश्लेषण।
4. कैलाश यादव 2017 - अपरवेदा सिंचाई परियोजना से कृषि उत्पादकता एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन ।
5. सिंह ब्रह्मानन्द 1984 : उत्तर प्रदेश की देवरिया तहसील में कृषि भूमि उपयोग।
6. मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल: लेखक डॉ. श्रीकमल शर्मा।
7. जिला सांख्यिकी पुस्तिका झाबुआ 2017-18

तालिका क्रमांक 1: जिला झाबुआ : भूमि उपयोग में परिवर्तन (2000-01 एवं 2017-18)

क्र.	भूमि उपयोग वर्ग हेतुद्वार में	वर्ष 2000-01		वर्ष 2017-18		परिवर्तन	
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1	भौगोलिक क्षेत्रफल	679316	100	293057	100	386259	-131*
2	वन क्षेत्र	54434	9.48	7554	2.57	56880	-6.91
3	कृषि योग्य भूमि	25523	3.76	17827	6.8	7696	+2.32
4	पड़त भूमि	9324	1.37	7285	2.48	2039	+1.11
5	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	430778	63.41	188238	64.23	24240	0.82
6	द्विफसली	71049	10.46	70181	23.38	168	+12.82
7	कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है	140819	20.73	67809	23.13	73010	+2.4
8	अन्य अकृष्य भूमि	8438	1.25	4338	1.48	4100	+0.23

स्रोत : जिला सांख्यिकी पुस्तिका झाबुआ 2018

Environmental Pollution Control Management : Today's Growing Need and Requirement

Dr. Sunil Kumar Soni* Dr. S.K.Udaipure**

* Assistant Professor (Chemistry) Govt. Kusum PG College, Seoni Malwa, Dist. Narmadapuram (M.P.) INDIA

** Professor (Chemistry) Govt. N.M.V. College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract - The problem of environmental pollution is as old as human civilization on the earth. As soon as man became cultured and civilized he started exploiting Mother Nature for his own purpose such as food, shelter clothing etc. But when population of human being increased rapidly in the world it started mercilessly exploiting the natural resources for the selfish motives of human needs. In this research paper I would like to usher the main causes of the environmental pollution and the ways to manage factors which are responsible for pollution and its effect on nature.

In this research paper I would also like to delve the way by which we individual can contribute our maximum efforts to protect our environment to manage our way of life such a way that can care our nature and preserve it for future generations.

Keywords: Environment, pollution, civilization, exploitation.

Introduction - Human being claims himself the most intelligent and best creature of god almighty. We the human consider our self superior than all the creatures on this earth. We use blessings of nature for our daily routine and daily use purpose but in return we never give anything to our mother nature. become supreme and conquer nature and be equitant to god. Our journey we have had always a desire to of development has started from thousands of years. And due to this knowingly or unknowingly we started destroying this beautiful planet by polluting it.

We are degrading our nature day by day. This has caused a great threat to human civilization now each and every where word pollution can be heard.

The pollution means destroy the purity of nature of its substances such as Air, Soil, Water etc. The fast economic development or industrialization is also the requirement of today's world. We have to go on the path of industrialization or development to make our lives more comfortable day by day.

It means we cannot completely stop this development process. But we can manage our development in such a way that it cannot harm our environment or minimum waste or pollutant while production. The management of pollution control is a tool with us by which we can minimize the damage of our environment and natural resources by putting more efforts. It explores the way by which we can monitor our functions, critically analyze them and bring corrective changes if it goes against our nature. It also includes the public, private and government responsibilities and contribution to curb this devil It includes all those activities

which make a balance between development and pollution. named pollution. Pollution is the devil which affects human lives and nature by showing its presence time to time. It do exists in every nook and corner of this world openly or in disguise.

Broadly speaking many types of pollutions are seen in the world. Some of them are:

Table 1 (see in next page)

The Management of Pollution Control and Conservation of Environment.

The management of all the pollution control techniques of methods becomes more significant and relevant.

The proper managerial techniques can be used to curb this problem and to bring possible solutions for it. By doing this we can preserve our management and nature also.

The following steps are to be taken in to consideration while dealing with problem. The environmental pollution management includes following points:-

1. Minimization of sources: it include all those activities and techniques which ensure the minimization of such products which pollute our environment while producing it or after being utilized by the mass. Such as plastic, polythene, coal, petro chemicals etc.

2. Thorough PPP (Public, Private Partnership): the companies cannot escape their responsibilities by transferring this matter to government bodies or any other control regulatory bodies. For this purpose the partnership between public and private companies should be enhanced. This includes incorporation of small committees involving both the members of public and private which will discuss

the issue and will work together to curb this problem.

3. By making a clear environmental policy: Due to absence of a clear and explicit environmental policy this issue had not been taken very seriously. The government only framed ideas to protect the environment but there were many loopholes in it which helped the lawbreakers to easily escape from it. The government should review periodically its policy and should bring possible changes in it if requires.

4. Public awareness: This is a major issue which has not been dealt seriously by both government and society. None of the policy can be succeed until and unless it does not involve the civil society members. The common awareness programs must be framed and launched by various communication modes to make the people understand the importance and value of our environment and why one should preserve it. Here we can use local artists who can perform a drama of stage show in local lingo to common people.

5. Reduction in carbon excretion: The country should keep its balance between development and environment protection. So that one hand we can meet the demand of huge population while on the other hand we can also protect our environment.

6. Waste Management System: Every industry or production center should be given a concrete guidelines regarding treatment of waste and affluent during the production process. All the companies should set up waste management plant which must be monitored by government periodically.

7. Balanced use of automobile: The Carbon monoxide (CO) is the major pollutant now a day which makes our air more poisonous and harmful. More than 37% of air pollution

caused by vehicles. Now we have to concentrate on cheap public transport and encourage people to use it. On while we should innovate such vehicles which create less pollution.

8. Change in life style: Large amount of accumulation of materialistic things generally create unhealthy life style. Which also not good for us and not even good for environment. We should decrease our dependency on these unnecessary materialistic things. For instance- use of cycle or a normal distance walk can really contribute to save our environment.

9. Plantation: This problem can be solved up to large extent if we adopt plantation as our basic duty and responsibility towards nation as well as society.

10. Planning of forestation: Proper planning a managerial function which means deciding future course of action in advance. We should plan our plantation policy such a way that it is equally beneficial for both industry and civil body.

11. Compulsory education: This topic should be compulsorily add in our syllabus and the students must be informed that how they can preserve their environment by small efforts.

Conclusion: By and large it can be concluded that development is today's inevitable truth which cannot be denied by any society or country. But we also have to face the menace of pollution and its hazardous effects on our health. The need is there to manage our development in such a way that it should be eco-friendly and should be less costly.

Reference:-

1. Personal research.

Table 1

Types	Pollutants	Sources	Effects On Health
Air pollution	So ₂ , co, no ₂ , Pb	Vehicles, metal, refineries, waste, burners, burning coal	asthma, lung diseases, cancer
water pollution	sewage, waste water, chemical waste, factories, pesticides, radioactive waste	Human excreates, societies waste, farms, tannery, chemical industry.	Gastro intestinal diseases, typhoid, Bacterial diseases.
Soil pollution	Pesticides, plastic, polythene, garbage	factories, chemical industries, deforestation, radio active substances	Skin diseases, Hearth diseases, Genetic disorder
Noise pollution	High decible noise, Industrialization, atomization	Vehicle, factories, DJ's Speakers	High Blood pressure, Hyper tension, Insomnia.

The Impact of Adultery in India: A Multifaceted Examination

Dr. B.K. Yadav*

*Associate Professor, Gitarattan International Business School, New Delhi, INDIA

Abstract - This study explores the multifaceted impact of adultery in India, examining its legal, social, and psychological dimensions. The research delves into the historical context of adultery laws, highlighting the recent decriminalization of adultery by the Supreme Court of India in 2018, which marked a significant shift in the legal landscape. The study investigates the societal perceptions and cultural stigmas associated with adultery, considering the influence of traditional values and modern dynamics on public opinion and individual behavior.

Furthermore, the psychological effects on individuals involved, including spouses and children, are analyzed to understand the emotional and mental health repercussions. Through a comprehensive review of legal cases, socio cultural analyses, and psychological assessments, this research aims to provide an in-depth understanding of the consequences of adultery in contemporary Indian society. The findings underscore the complexity of adultery's impact, suggesting the need for nuanced approaches in addressing its implications within the legal framework, social discourse, and mental health support systems.

Keywords: NHRC, NCW, NCSC, NCST.

Introduction - Adultery, defined as voluntary sexual intercourse between a married person and someone other than their lawful spouse, has been a contentious issue in Indian society. Despite its decriminalization by the Supreme Court in 2018, adultery continues to have far-reaching effects on individuals, families, and the broader social fabric. This article explores the multifaceted impact of adultery in India, examining its social, psychological, legal, and economic consequences.

Social And Cultural Implications: Adultery remains a deeply stigmatized behavior in India, often leading to social ostracism and condemnation. Traditional Indian values place a high premium on marital fidelity, and adultery is seen as a serious breach of these values. This social stigma affects not only the individuals directly involved but also their families, who may face societal judgment and ostracism.

In many communities, the fallout from adultery can be severe. Families might go to great lengths to hide such incidents to preserve their honor and social standing. This can lead to further complications, such as emotional distress and strained family relationships. Additionally, children from families affected by adultery often bear the brunt of social judgment, which can impact their psychological well-being and social interactions.

Psychological Effects: The psychological impact of adultery is profound and multifaceted. For the betrayed

spouse, discovering an affair can lead to intense feelings of betrayal, anger, sadness, and insecurity. These emotions can cause long-term psychological issues such as depression, anxiety, and post-traumatic stress disorder (PTSD). The trauma of betrayal often leads to a significant erosion of trust, making it difficult for the betrayed spouse to form trusting relationships in the future. On the other hand, the spouse who committed adultery may experience guilt, shame, and regret. These emotions can lead to their own set of psychological challenges, including anxiety and depression. The emotional turmoil resulting from an affair often necessitates counseling or therapy for both parties involved.

Legal And Financial Consequences: Although the Supreme Court of India decriminalized adultery in the landmark Joseph Shine v. Union of India case, it remains a valid ground for divorce under various personal laws. This legal perspective underscores the seriousness with which the Indian judiciary still views adultery within the context of marriage. In divorce proceedings, adultery can significantly influence the outcomes of alimony and child custody battles. Courts may consider the moral conduct of the parties when deciding on the custody of children, often viewing adulterous behavior as indicative of moral character. This can disadvantage the adulterous spouse in custody disputes. Financially, divorces precipitated by adultery can lead to complex and contentious settlements. The division of

assets, alimony, and child support arrangements can become battlegrounds, further exacerbating the emotional and psychological strain on both parties. The economic stability of individuals can be severely affected, particularly if one spouse was financially dependent on the other.

Societal Attitudes And Public Discourse: The decriminalization of adultery in India reflects an evolving societal attitude towards personal freedom and autonomy in marital relationships. The Supreme Court's judgment highlighted the importance of individual privacy and the need to view marriage as a partnership of equals. This shift in legal perspective has sparked broader discussions about the nature of marriage, fidelity, and personal autonomy in Indian society.

Public discourse around adultery often mirrors the tension between traditional values and modern perspectives on personal freedom. High-profile adultery cases frequently capture media attention, leading to public debates about morality, ethics, and the role of law in regulating personal relationships. These discussions can influence societal norms and potentially lead to further legal reforms.

Economic And Professional Impact: Adultery can also have significant economic and professional repercussions. In India, where personal reputation often intersects with professional standing, individuals involved in adultery scandals may face job loss, demotion, or damage to their professional reputation. This is particularly true for individuals in public-facing or sensitive positions, such as politicians, celebrities, or corporate executives.

The financial burden of legal proceedings related to adultery, coupled with potential job loss or reduced earnings due to social stigma, can severely impact the economic stability of those involved. The long-term economic effects can be substantial, affecting the standard of living and future financial prospects.

Adultery, despite being decriminalized in many parts of the world, including India, continues to have significant social, legal, and personal consequences. Here are some of the effects of adultery on society:

Book Review: Here are some references to Indian law books that discuss the topic of adultery, including the historical context, legal provisions, and important case laws:

I. Ratanlal & Dhirajlal's The Indian Penal Code: This book provides a detailed commentary on the Indian Penal Code, including Section 497 (Adultery). It discusses the historical context, legal interpretations, and the impact of the Supreme Court judgment in *Joseph Shine v. Union of India*.

II. K.D. Gaur's Textbook on The Indian Penal Code: This textbook offers an in-depth analysis of the IPC, with specific chapters dedicated to various offenses, including adultery under Section 497. It includes critical commentary on the legal principles and case laws that have shaped the understanding of adultery in Indian law.

III. Commentary on the Indian Penal Code by Dr. Hari

Singh Gour: This comprehensive commentary covers all sections of the IPC, providing historical context, legislative intent, and judicial interpretations. The discussion on Section 497 includes analysis of its constitutional validity and the implications of its decriminalization.

IV. Modern Hindu Law by Paras Diwan: While primarily focused on Hindu personal laws, this book also addresses the grounds for divorce, including adultery, under the Hindu Marriage Act, 1955. It discusses the legal framework and relevant case laws.

V. Mulla Principles of Hindu Law: This book provides an authoritative commentary on Hindu law, including divorce grounds such as adultery. It covers both substantive and procedural aspects, with references to important case laws.

VI. Family Law by Paras Diwan: This book offers a comprehensive overview of family law in India, including the grounds for divorce in various personal laws. The discussion on adultery includes its treatment under the Hindu Marriage Act, Special Marriage Act, and Indian Divorce Act.

These references will provide detailed insights into the legal provisions, interpretations, and case laws related to adultery in Indian law.

Social And Cultural Effects

1. Stigma and Social Ostracism: Adultery often carries a strong social stigma. Individuals involved may face judgment, condemnation, and social ostracism from their community, family, and friends.

2. Impact on Family Structure:

Marital Breakdown: Adultery can lead to the breakdown of marriages, causing emotional distress to both partners.

Children: Children of adulterous parents may experience psychological and emotional challenges, including feelings of insecurity, trust issues, and social embarrassment.

3. Cultural Norms and Values: Adultery can challenge traditional cultural and moral values, leading to debates on the evolving nature of personal relationships and marital fidelity.

Psychological Effects

1. Emotional Distress:

2. Betrayal and Trust Issues: The betrayed spouse may experience intense feelings of betrayal, anger, and hurt, leading to long-term trust issues.

Guilt and Regret: The spouse who committed adultery may feel guilt, regret, and anxiety about their actions and the subsequent impact on their family.

3. Mental Health: Both partners might suffer from mental health issues such as depression, anxiety, and low self-esteem. Counseling and therapy often become necessary to address these issues.

Legal And Financial Effects

1. Grounds for Divorce: Adultery remains a legal ground for divorce in many jurisdictions. This can lead to prolonged and contentious legal battles, affecting both parties emotionally and financially.

2. Custody Battles: Adultery can influence custody decisions during divorce proceedings, with courts sometimes viewing adulterous behavior as indicative of moral character, potentially affecting the well-being of the children.

3. Financial Settlements: Divorce due to adultery may lead to complex financial settlements, including alimony, division of assets, and child support. These financial repercussions can have long-term effects on both parties' economic stability.

Societal Implications

1. Changing Attitudes: Decriminalization of adultery, as seen in India, reflects changing societal attitudes towards personal freedom and marital relationships. This can lead to broader discussions about the nature of marriage, fidelity, and personal autonomy.

2. Role of Law and Ethics: The legal system's approach to adultery, moving from criminalization to recognizing it as a personal matter, emphasizes the separation of legal and moral domains. It highlights the evolving understanding of individual rights and the importance of privacy in marital relationships.

3. Public Discourse: High-profile adultery cases often spark public discourse on issues of morality, ethics, and the role of law in regulating personal relationships. This can lead to shifts in societal norms and legal reforms.

Economic And Professional Impact & Career Consequences: Adultery can affect professional relationships and reputations, especially for individuals in public-facing or sensitive positions. It may lead to job loss, demotion, or loss of professional credibility.

Economic Stability: The financial strain of legal proceedings, coupled with potential job loss or reduced earnings due to the stigma of adultery, can impact the economic stability of individuals involved.

The Effect Of Adultery In India: A Socio-Legal Perspective: Adultery, defined as voluntary sexual intercourse between a married person and someone who is not their spouse, has been a contentious issue in Indian society. Despite the Supreme Court of India decriminalizing adultery in 2018, its impact on individuals, families, and society remains significant.

In India, adultery carries a heavy social stigma. Individuals involved in extramarital affairs often face severe judgment and ostracism from their communities. This societal disapproval can lead to isolation and a loss of social standing for both the adulterer and the betrayed spouse. The cultural emphasis on marital fidelity and honor exacerbates the negative perception of adultery, making it a deeply stigmatized act.

Impact On Family Structure: Adultery can have devastating effects on the family unit. Marital breakdown due to infidelity leads to emotional distress for both partners. The betrayed spouse often experiences feelings of betrayal, anger, and hurt, while the adulterous partner may grapple

with guilt and regret. The dissolution of marriage affects children profoundly, causing them emotional turmoil, confusion, and insecurity. They may develop trust issues and face social embarrassment, which can impact their mental health and future relationships.

Psychological Effects: Adultery inflicts significant psychological harm. The emotional trauma experienced by the betrayed spouse can lead to depression, anxiety, and low self-esteem. The stress of dealing with infidelity often necessitates professional counseling and therapy to manage these mental health issues. For the adulterous partner, guilt and anxiety about the consequences of their actions can also lead to psychological distress.

Legal Effects & Grounds For Divorce: While adultery is no longer a criminal offense, it remains a valid ground for divorce under Indian civil law. This legal framework allows the aggrieved spouse to file for divorce on the basis of infidelity. The legal process can be protracted and contentious, further exacerbating emotional distress for both parties.

Custody and Financial Settlements: Adultery can influence custody decisions in divorce proceedings. Courts may consider the moral character of the adulterous partner when determining child custody arrangements, although the primary consideration is always the child's best interest. Financial settlements, including alimony and the division of assets, can become complex and contentious when adultery is involved. The economic burden of legal fees and the potential loss of financial stability add to the strain on both parties.

Societal Implications & Changing Attitudes: The Supreme Court's decision to decriminalize adultery reflects changing societal attitudes towards personal freedom and marital relationships. The ruling emphasized individual autonomy, privacy, and gender equality, challenging traditional notions of marriage. However, this legal shift does not negate the deep-rooted cultural and moral values that view marital fidelity as sacrosanct.

Role of Law and Ethics: The decriminalization of adultery underscores the evolving separation between legal and moral domains. The Supreme Court recognized that while adultery is morally reprehensible to many, it should not be punished as a criminal offense. This distinction highlights the importance of protecting individual rights and privacy within marriage, even as societal norms continue to evolve.

Economic and Professional Impact: Adultery can have significant economic repercussions. The financial strain of divorce proceedings, coupled with potential job loss or reduced earnings due to social stigma, can destabilize the economic well-being of those involved. In professional settings, particularly for individuals in high-profile or sensitive positions, revelations of adultery can damage reputations and career prospects.

Conclusion: The impact of adultery in India is complex and multifaceted, affecting individuals, families, and society

at large. While the decriminalization of adultery marks a significant shift towards recognizing personal autonomy and privacy, the repercussions of adultery remain deeply impactful. Social stigma, psychological distress, legal battles, and economic instability are just some of the challenges faced by those involved in adulterous relationships.

As Indian society continues to evolve, it is crucial to balance the protection of individual rights with the preservation of family values and social harmony. Addressing the underlying issues that lead to adultery, promoting open communication within marriages, and providing support for those affected can help mitigate the negative impacts of adultery on society.

Adultery, while no longer a criminal offense in many places, including India, continues to have profound effects on individuals, families, and society as a whole. These effects span emotional, social, legal, and economic domains, underscoring the complex interplay between personal behavior and broader societal norms and values. The decriminalization of adultery marks a significant shift towards recognizing personal autonomy and privacy, but the repercussions of adultery remain deeply impactful at various levels of society. The effects of adultery in India are far-reaching and multifaceted, impacting individuals,

families, and society at large. Despite its decriminalization, adultery remains a potent source of social stigma and personal turmoil. It challenges the stability of family structures, strains psychological well-being, and influences legal and economic outcomes. As Indian society continues to evolve, the conversation around adultery, personal freedom and marital fidelity will remain complex and dynamic, reflecting broader changes in cultural and legal landscapes.

References:-

1. "Ratanlal & Dhirajlal's The Indian Penal Code", 34th Edition, Revised by Justice K.T. Thomas and M.A. Rashid, Lexis Nexis.
2. "Textbook on The Indian Penal Code" by K.D. Gaur, 6th Edition, Universal Law Publishing.
3. "Commentary on the Indian Penal Code" by Dr. Hari Singh Gour, 12th Edition, Law Publishers (India) Pvt. Ltd.
4. "Modern Hindu Law" by Paras Diwan, 22nd Edition, Allahabad Law Agency.
5. "Mulla Principles of Hindu Law", 22nd Edition, Revised by Satyajeet A. Desai, LexisNexis.
6. "Family Law" by Paras Diwan, 11th Edition, Allahabad Law Agency.

अभिज्ञानशाकुन्तलम् में वर्णित शृंगार रस का स्वरूप

मुकेश दायमा*

* सहायक आचार्य (संस्कृत) राजकीय महाविद्यालय, परतापुर, गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा (राज.) भारत

प्रस्तावना – महाकवि कालिदास विश्वविख्यात काव्य स्रष्टा, कवि-कुल-गौरव, सत्यम् शिव-सुन्दरम् को समावेशित कर शाश्वत सनातन भारती का साज शृंगार करने वाले एक सफल महाकाव्यकार, सर्वोत्कृष्ट नाटककार एवं गीति काव्य के प्रणेता हैं। वे न केवल संस्कृत अपितु सम्पूर्ण जनचेतना की साहित्यिक समृद्धि के एकमात्र प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने वैदिककाल से लेकर अपने युग तक जिन सशक्त विचारों एवं शाश्वत भावों का चित्रण किया है, वे सदैव युगों युगों तक पाठकों के हृदयों को अभिभूत करते रहेंगे। उनके बारे में यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा की महाकवि कालिदास सच्चे अर्थों में सौन्दर्य और प्रेम के कला प्रधान कवि हैं क्योंकि उनके काव्यों में जीवन की समस्त अनुभूतियों के होने से सभी रस दृष्टिगत होते हैं परन्तु शृंगार रस को ही उन्होंने प्रधानता दी है। उनका शृंगार संयोग से मधुर तथा वियोग से कारुणिक है। प्रकृति द्वारा प्रदत्ता ऐन्द्रिय जीवन का सहज, सुलभ, सजीव एवं सशक्त अनुवचन तथा सौन्दर्य की विशिष्टता से जन-जीवन के सम्पूर्ण अस्तित्व को ऐन्द्रिय आभा से आलोकित कर उसे रससिक्त भाषावली में अभिव्यक्ति प्रदान करना, यही महाकवि कालिदास की बहुमुखी प्रतिभा पूर्णरूप से प्रस्फुटित हुई है। उनकी रचनाओं में 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' नाटक न केवल भारतवर्ष में अपितु सम्पूर्ण विश्व का सर्वोत्तम नाटक रत्न है। अभिज्ञान शाकुन्तलम् का अनुवाद संसार की प्रमुख भाषाओं में किया गया है।

इस नाटक में कालिदास की नाट्यकला का चरम परिपाक है। इसी कारण इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने 'भारत का शेक्सपीयर' कहा है। भारतीय समाचालोचकों ने अभिज्ञानशाकुन्तलम् को संस्कृत साहित्य में सर्वश्रेष्ठ नाट्यकाव्य बतलाया गया है -

'काव्येषु नाटकं रम्यं तत्ररम्या शकुन्तला।

तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्रश्लोकचतुष्टयम्॥'

अर्थात् काव्यों में नाटक रम्य होता है, नाटकों में अभिज्ञान शाकुन्तलम् उसमें भी चतुर्थ अंक और उसमें भी श्लोक चतुष्टय रम्य है। इस नाटक के चतुर्थ अंक को विद्वानों ने सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है क्योंकि यह अंक सम्पूर्ण नाटक का केन्द्र बिन्दू है। चतुर्थ अंक को शाकुन्तलम् में सर्वोत्तम मानने का मुख्य कारण यही है कि इसमें जहाँ एक ओर अंक का प्रारम्भ रौद्र रस से हुआ है वही दुसरी ओर अवसान करुण रस में हुआ है।

महाकवि कालिदास रससिद्ध कवि है। उन्होंने सर्वाधिक कला की चातुर्यता सर्वत्र औचित्य के निर्वाहन में दिखाई है, उन्होंने किसी भी वृत्त को उनके मार्मिक भाव को उत्कृष्ट व सहज रूप में प्रस्तुत किया है जो बिना

किसी आन्तरिक राय से पाठकों के मन में प्रविष्ट होकर पाठकों को प्रभावित किये बिना नहीं रहता है। कविकुल गुरु महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में सर्वत्र औचित्यका निर्वाह किया है। कवि कालिदास ने सर्वत्र औचित्य का ध्यान रखते हुए अपने काव्य में रसयोजना की है, क्योंकि जहाँ औचित्य का निर्वाह नहीं होता वहाँ रस प्रभावहीन होने की संभावना रहती है, और कहा भी कहा गया है-

अनौचित्यादृते नान्यद् रसभङ्गस्य कारणम्।

प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु, रसस्योपनिषत्परा॥

अर्थात् अनौचित्य के अतिरिक्त रस-भङ्ग का अन्य कोई कारण नहीं होता है। काव्य में औचित्य का निर्वाह ही रस-परिपाक का कारण होता है। महाकवि कालिदास ने सर्वत्र औचित्य का प्रश्रय ग्रहण कर रस व्यापार किया है, क्योंकि रस को काव्य का प्राणतत्त्व माना गया है।

कविराज विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रस को परिभाषित कर कहा है- 'वाक्य रसात्मकं काव्यम्' अर्थात् रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रस संयोजन व्यापार में उन्होंने सर्वत्र स्वाभाविकता का आश्रय लिया है, यही कारण है कि कालिदास की रचनाओं के अध्ययन से पाठकों को प्रारम्भ से लेकर अन्त तक रसों की अनुभूति होती रहती है। उनकी काव्य रचनाओं में काव्य के सभी तत्व सरल, सजीव, स्वाभाविक व आनन्ददायक हैं। अतः रसों की अनुभूति में सहायक सिद्ध हुये हैं। उनके काव्य में अंडीरस के अलावा बीच-बीच में जो रस आये हैं, वे स्वयं तो रोचक हैं ही साथ ही साथ प्रधान रस की परिपूर्णता व चमत्कारिता में भी सहायक हैं। इस रस-व्यापार में सफलता के कारण ही महाकवि कालिदास को 'कविता वनिता का विलास' कहा गया है। यहाँ रसराज शृंगार रस के कार्यकारण को प्रश्रय देना पड़ेगा।

महाकवि कालिदास रसराज शृंगार रस के सरस कवि हैं, क्योंकि उसके काव्यों में प्रायः ललित शृंगार रस की ही व्यंजना की है। अतः महाकवि कालिदास शृंगार रस के प्रतिष्ठित कवि हैं लेकिन उन्होंने अन्य रस यथा- करुण, वीर, अद्भुत, भयानक, वात्सल्य, तथा, हास्य रस की उपेक्षा भी नहीं की है अर्थात् यथा स्थान उक्त रसों का भी प्रयोग किया है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तलम् में शृंगार रस के दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति कलात्मक ढंग से प्रस्तुत की है। इस संदर्भ में भी उन्होंने औचित्य का पूर्ण ध्यान रखा है। शृंगार रस में प्रथम पक्ष, संयोग पक्ष का प्रयोग प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सप्तम अंक में हुआ है तथा द्वितीय पक्ष वियोग का अभिज्ञान शाकुन्तलम् के द्वितीय अंक, तृतीय अंक के प्रारम्भ तथा अन्त में, व सम्पूर्ण षष्ठ अंक में ही मुख्य रूप से प्राप्त होता है। यहाँ वियोग शृंगार द्वारा संयोग

शृंगार की सम्पुष्टि की गई है, क्योंकि दोनों में से किसी एक पक्ष का प्रयोग पाठक को सुखे-सुखे तथा मिठास रहित भावों की अनुभूति कराता है। अतः पाठकों की रुचि व जिज्ञासा को बनाये रखने के लिये सरस व मधुर भावों की अभिव्यक्ति होनी जरूरी है जो **संयोग शृंगार पक्ष वियोग शृंगार पक्ष** दोनों पक्षों के द्वारा ही संभव हैं। इसी को लक्ष्य करके ही कविराज विश्वनाथ ने लिखा है-

**न विना विप्रलम्भेन संभोगः पुष्टिमर्हति।
कषायिते हि वस्त्रादी भूयान् रागो विवर्धते॥**

अर्थात् विप्रलम्भ शृंगार के बिना संयोग शृंगार पुष्टि को प्राप्त नहीं करता। वियोग के बाद ही संयोग स्वादयुक्त लगता है। कषैलें वस्त्रादि पर ही गहरा रंग चढ़ता है उसी प्रकार सुखे मन में स्नेह प्रेम अधिक चढ़ता है। यही कारण है कि शृंगार प्रधान काव्यों में विप्रलम्भ शृंगार का विस्तृत वर्णन मिलता है।

अभिज्ञानशाकुन्तलम् में शृंगार रस का स्वरूपः।

(1) संयोग या सम्भोग शृंगार- अभिज्ञान शाकुन्तलम् के प्रथम अंक में वृक्षों को सींचते हुये सखियों से वार्तालाप करती हुई शकुन्तला को देखकर राजा दुष्यन्त के हृदय में उसके प्रति प्रेमानुराग उत्पन्न होता है और वह कहता है-**‘मधुरमासां दर्शनम्’** अर्थात् इसका रूप तो अत्यन्त ही मन को आकर्षित करने वाला है। दुष्यन्तशकुन्तला को अतिसुन्दरी के रूप में देखता है और उसके स्वाभाविक रूप सौन्दर्य की प्रशंसा करते हुये कहता है-

**(1) सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि
हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति।**

**इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं
नाकृतीनाम्॥**

अर्थात् जिस प्रकारशैवाल से आच्छादित कमल भी सुन्दर लगता है, मलिन कलंक भी चन्द्रमा कीशोभा को बढ़ता है, उसी प्रकार तपस्वियों की वेशभूषा वल्कल वस्त्र भी इस सुन्दरी के सौन्दर्य को द्विगुणित कर रहा है, कम नहीं कर रहा है। अर्थात् कहने का तात्पर्य यह है कि सुन्दर रूप वाले व्यक्तियों के लिए सभी वस्तुएँ शोभा को बढ़ाने वाली ही होती हैं।¹

**(2) अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू।
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमगङ्गेषु सन्नद्धम् ॥**

राजा दुष्यन्त शकुन्तला के लावण्य पर मुग्ध है उसे पुष्पित लता के रूप में देखता है। वह कहता है, इस शकुन्तला के अधरोष्ठ किसलय के समान लाल है उसकी दोनों भुजायें दो कोमल शाखाओं के समान हैं और पुष्प के समान हरने वाला यौवन इस शकुन्तला के सभी अंगों/अवयवों में व्याप्त है-²

**(3) चलापाङ्गः दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथुमती,
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः।
करी व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरं,
वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती॥**

राजा दुष्यन्त अप्रितम् सुन्दरी शकुन्तला को मन से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। अतः भ्रमर के द्वारा शकुन्तला के मुखमण्डल पर मण्डरानें व अधरोष्ठ का स्पर्श भी उसे सहन नहीं होता है।³

**(4) वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्बचोभिः, कर्णं ददात्यभिमुखं मयि
भाषमाणे।**

कामं न तिष्ठति मदाननसम्मुखीना, भूयिष्ठमन्यविषया न तु

दृष्टिरस्याः॥

तपःपूत आश्रम में निवास करने वाली भोली-भाली शकुन्तला भी राजा दुष्यन्त को देखकर उसके असाधारण रूप सौन्दर्य को देखकर उस पर आकर्षित हो जाती है और अपने मनोगत विलास चेष्टाओं के भावों के विषय में मन ही मन विचार करती है-**‘किं नु खल्वियं जनं प्रेक्ष्य तपोवनविरोधिनो विकारस्य गमनीयास्मि संवृता’॥**

राजा दुष्यन्त उसके भावों से यह समझ लेता है कि -**‘यथा वयं तथैवेयमप्यस्मासु अनुरक्ता’॥**

राजा दुष्यन्त की आंगिक चेष्टाओं को देखकर अनुमान लगा लेता है कि यह भी मुझ पर उसी प्रकार अनुरक्त है जैसे मैं उस पर, क्योंकि इसकी दृष्टि में मेरे अलावा दुसरी की तरफ नहीं जाती है।⁴

**(5) स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत्प्रेरयन्त्या तया, यातं यच्च
नित्योर्गुरुतया मन्दं विलासादिव।**

**मा गा इत्युपरुद्धया यदपि सा सासूयमुक्ता सखी, सर्वं तत्किल
मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति॥**

द्वितीय अंक में विषयाभिलाषी राजा दुष्यन्त सर्वत्र अपना ही भाव देखता है। इससे यह प्रतीत होता है कि शकुन्तला के द्वारा किये गये सभी कार्य उसी को लक्ष्य करके किये जा रहे हैं। उसका प्रेमपूर्ण राजा पर दृष्टिपात, उसका विलासपूर्ण गमन, सभी उसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किये जा रहे हैं-⁵

**(6) अनाघातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै, रनाविद्धं रत्नं मधु
नवमनास्वादितरसम्।**

**अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तदुरुपमनघं, न जाने भोक्तां
कमिह समुक्तपस्थास्यति विधिः॥**

राजा दुष्यन्तशकुन्तला को विलक्षण तथा अलौकिक सुन्दरी मानता है तथा उसकी प्राप्ति में संदिग्धचित्त है। अतएव उसे लक्ष्य कर कहता है, कि उसका निष्कलंक सौन्दर्य किसी के द्वारा न सूँघे गये फूल के समान, नाखूनों से न छेदे गये किसलय के समान, न बीघे गये रत्न के समान, व जिसके रस का अभी तक आस्वादन नहीं किया गया है ऐसे ताजे मधु के समान और पुष्पों से अखण्डित फल के समान है। न जाने विधाता किसे उसको भोगने वाला बनायेगा।⁶

**(7) अभिमुखे मयि संहतमीक्षणं हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम्।
विनयवारितवृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः॥**

पुनः मुग्धानायािकाशकुन्तला कृत कामचेष्टाओं से उसके हृदय में जागृत अपने प्रति प्रेमभाव को दुष्यन्त जान लेता है तथा **‘लब्धावकाशा मे प्रार्थना’** अर्थात् मेरी इच्छा को अवसर प्राप्त हो गया, वह यह सोचकर आश्वस्त हो जाता है, कि मेरी तरहशकुन्तला भी रतिभाव से अनुलित है। वह कहता है कि मेरे उसके सामने देखने पर, वह मुझ पर से दृष्टि हटा लेती थी और किसी दूसरे कारण को देकर हँस पड़ती थी। अतः उसनेशील के द्वारा नियन्त्रित चेष्टा वाले कामभाव को न तो प्रकट किया और नहीं छुपाया गया है।⁷

**(8) किंशीतलैः वलमविनोदिभिरार्द्रवातान् संचारयामि नलिनीदल-
तालवृन्तैः।**

**अंके निधाय करभोरु यथासुखं ते संवाहयामि चरणानुत
पद्यताम्री॥**

शकुन्तला की ओर से सहमति प्राप्त होने पर राजाशकुन्तला के

प्रेमसागर मे आकण्ठ निमग्न हो जाता हैं तथा हर प्रकार सेशकुन्तला को सुख पहुँचाने का प्रयास करता है वह कहता है कि, क्या मैशीतलथकान को दुर करने वाले कमल-पत्र के पंखे से ठण्डी हवा करूँ अथवा हे करभोरु! तुम्हारे कमल के समान लाल चरणों को गोद मे रखकर जिस प्रकार तुम्हें सुख मिले उस प्रकार दबाऊँ। -⁸

इस प्रकार तीसरे अंक तक संभोग शृंगार अक्षुण्ण रूप से चलता रहता है। सप्तम अंक के अन्त में दुष्यन्त और शकुन्तला के पुनर्मिलन के समय पर भी संयोग शृंगार का सुन्दर चित्रण हुआ है। जहाँ राजा उसे देखकर-**‘वसने परिधूसरेदधानानियमक्षाममुखी धृतैकवेणिः’** कहकर खेद प्रकट करता है तथा उसके पैरों में गिरकर क्षमायाचना करता है, इस प्रकार इन दोनों का पुनर्मिलन होता है। दुष्यन्त दोनों के मिलन को चन्द्रोहिणी का मिलन बतलाता है। **‘उपरागान्ते शशिनःसमुपगता रोहिणी योगम्’** इस प्रकार अभिज्ञानशाकुन्तलम् में महाकवि कालिदास ने संयोग शृंगार का वर्णन बहुत ही मनोहारी व हृदयस्पर्शी तरीके से प्रस्तुत किया है।

(2) वियोग या विप्रलम्भ शृंगार - अभिज्ञान शाकुन्तलम् में सम्भोग शृंगार की अपेक्षा विप्रलम्भ शृंगार का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है और सम्भोग शृंगार की सुस्पष्टि की गई हैं। शाकुन्तल के द्वितीय अंक में, तृतीय अंक के प्रारंभ में और अन्त में तथा सम्पूर्ण षष्ठ अंक में विप्रलम्भ शृंगार तथा बीच-बीच में अन्य रसों की भी पुष्टि हुई है। द्वितीय अंक में दुष्यन्त शकुन्तला की प्राप्ति को सुलभ न मानकर खेद प्रकट करता है- **‘कामं प्रिया न सुलभा।’** वह शकुन्तला को विधाता की अनुपम कृति मानता है तथा उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए व्याकुल हो जाता है- **‘न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः’** इस भाव से शर्कित विदूषक से अपनी व्यथा कहता है।

(9) तव कुसुमशरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दोर्दयमिदमयथार्थं दृश्यते मद्विधेषु ।

विसृजति हिमगर्भैरग्निमिन्दुर्मयूखैस्त्वमपि कुसुमबाणान्वजसारीकरोषि॥

तृतीय अंक में पहले दुष्यन्त की कामपीडित दशा का चित्रण है, जहाँ वह शकुन्तला की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय सोचता है, पर कुछ करने में अपने असमर्थ पाकर दुःखी होता है- **‘जाने तपसो वीर्यं सा बाला परवतीति मे विदितम्’** इस काम पीडित अवस्था में उसे दिन में भी चन्द्रमा दिखाई पड़ता है जो कि अपनी हिममयी किरणों से अग्निवर्षा करता प्रतीत होता है और कुसुमायुध भी उसके लिए वजायुध बन गया है-⁹

(10) इदमशिशिरैरन्तस्तापाद्विवर्णमणीकृतं, निशि निशि भुज्ज्यस्तापाङ्कप्रसारिभिरश्रुभिः।

अनभिलुलितज्याघातावङ् मुहुर्मणिबन्धनात्कनकवलयं स्त्रस्तं स्त्रस्तं मयाप्रतिसार्यते॥

इतना ही नहीं वह शकुन्तला के वियोग में अहर्निश जागते व रोते रहने से अत्यधिक कृशकाय हो गया है। अतः उसका स्वर्णवलय ढीला होकर नीचे खिसकने लगता है-¹⁰

(11) क्षामक्षामकपोलमाननमुरः काठिन्यमुक्तस्तनं, मध्यः

वलान्ततरः प्रकामविनतावंसौ छवि पाण्डुरा।

शोच्या च प्रियदर्शना च मदनविलप्टेयमालक्ष्यते, पत्राणामिव

शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी॥

दूसरी ओर शकुन्तला भी राजा दुष्यन्त के विरह में अत्यधिक पीडित

है। उसकी सखियाँ विरहतापशमनार्थ उस पर उशीरानुलेप कर उसे पुष्पशय्या पर लिटाकर उस पर नलिनी पत्र व्यंजनों से हवा करती है। दुष्यन्त उसकी सखियों से सहमति प्रकट करते हुए कहता है-¹¹

(12) अयं स ते तिष्ठति संगमोत्सुको विशवङ्गसे भीरू यतोऽवधीरणाम् ।

लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्॥

उधर शकुन्तला भी राजा दुष्यन्त के कारण कामसंतप्ता तथा व्यथिता है, वह स्वयं कहती है कि दुष्यन्त के बिना वह जीवित नहीं रह सकती है। सखियाँ उसकी अभिलाषा का अनुमोदन कर उससे कामपत्र के लिखने का आग्रह करती है। दुष्यन्त कामपत्र के विषय **‘तव न जाने हृदयम्’** को सुनकर उस भीरू हृदय शकुन्तला को उद्देश्य कर कहता है- हे भीरू! जिस दुष्यन्त से तू तिरस्कार की आंशका कर रही है, वह दुष्यन्त तुमसे मिलने के लिए उत्सुक खड़ा है। चाहने वाले को भले ही लक्ष्मी मिले या न मिले, परन्तु जिसे स्वयं लक्ष्मी चाहे, वह उसके लिए कैसे दुर्लभ हो सकता है? वह तो उसे अवश्य मिलेगा। -¹²

(13) तपति तनुरात्रि मदनस्त्वामनिशं मां पुनर्दहत्येव।

ग्लपयति यथा शशाङ्क न तथाहि कुमुदती दिवसः॥

और फिर तनुरात्रि कहता हुआ उसके समीप पहुँच कर अपनी वियोग दशा को अभिव्यक्त करता है तथा वह कहता है- हे शकुन्तले! कामदेव, तुमको निरन्तर तपा रहा है, परन्तु मुझे तो जलाये ही डाल रहा है, क्योंकि दिन जितना चन्द्रमा को क्षीण करता है, उतना कुमुदनी को नहीं। -¹³

(14) रम्यं द्दष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिर्न प्रत्यहं सेव्यते, शय्याप्रान्तविवर्तनैर्विगमयुनिद्र एव क्षपाः।

दाक्षिण्येन ददाति वाचमुचितामन्तः पुरेश्यो यदा,

गोत्रेषुस्खलितस्तदा भवति च ब्रीडाविलक्षश्चिरम्॥

षष्ठ अंक में अँगूठी के मिलने पर दुष्यन्तशकुन्तला का स्मरण कर वह पुनः पश्चाताप करता है। उसकी इस अवस्था का वर्णन कञ्चुकी करता है- वह कहता है, राजा दुष्यन्त रमणीय वस्तुओं से धृणा करते हैं। पहले की तरह मन्त्रियों से प्रतिदिन नहीं मिलते हैं। जागते हुए भी बिस्तर के किनारों पर करवटें बदलते हुए रात्रियाँ व्यतीत करते हैं। जब उदारता के कारण अन्तःपुर की स्त्रियों को उचित उत्तर देते हैं तब नामोच्चारण में शकुन्तला का नामोच्चारण करके बहुत देर लज्जा के कारण व्याकुल रहते हैं। -¹⁴

(15) मुनिसुताप्रणयस्मृतिरोधिना, मम च मुक्तमिदं तमसा मनः।

मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता धनुषि ह्याग्रशरश्च निवेशितः॥

इसी विरह अवस्था के कारण दुष्यन्त ने वसन्तोत्सव को रोक दिया, फिर भी वसन्त तो आ ही गया। अतः आम्रमञ्जरी को देखकर उसका वियोग और उदीप्त हो उठता है, वह विदूषक से कहता है-¹⁵

अपनी व्याकुलता के कारण चित्रगत शकुन्तला को आँसुओं से धुंधली हुई दृष्टि के कारण नहीं देख पाता तथा वह दुःखी होता है। यद्यपि वह शकुन्तला की प्रतिकृति में उसकी प्रिय वस्तुओं का समावेश करना चाहता है, लेकिन वह ऐसा करने में अपने आप को असमर्थ पाकर वह अतिव्याकुल होकर विदूषक से कहता है- **‘सखे, त्रायस्व माम्’** शकुन्तला के चित्रगत भ्रमर के प्रति राजा का कथन उसकी विरहजन्य उन्मादावस्था का ही द्योतक है। इसी प्रकार अँगूठी के प्रति उसका उपालम्भ भी विरहोन्माद का ही सूचक है। इसी प्रकार कवि कालिदास ने इस अंक में राजा दुष्यन्त के विरह का चित्रोपम वर्णन करते हुए विप्रलम्भ शृंगार की पूर्ण अभिव्यक्ति की है।

उपर्युक्त उद्धरणों के अनुशीलनों से यह ज्ञात होता है कि महाकवि कालिदास शृंगार के दोनों पक्षों अर्थात् संयोग शृंगार व वियोग शृंगार के चित्रण में पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। सफलता की दृष्टि से दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी महत्ता को प्रकट कर रहे हैं। कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तलम् नाटक में वियोग पक्ष के द्वारा संयोग पक्ष की पुष्टि की है। उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण के माध्यम से यह स्पष्ट होता है, कि महाकवि कालिदास को शृंगार रस के परिपोषिता में सर्वाधिक सफलता मिली है। अभिज्ञानशाकुन्तलम् तो उसका केन्द्रबिन्दु ही बन गया है। इस प्रकार के शृंगार रस का चित्रण अन्यत्र कहीं पर भी नहीं हुआ है। कवि की कविताकामिनी शृंगार रस के मधुर-ललित भावों से विलसित हो उठी है।

अभिज्ञान शाकुन्तलम् में वर्णित अन्य सहायक रस

वात्सल्य विप्रलम्भ – अभिज्ञान शाकुन्तलम् के चतुर्थ अंक में शकुन्तला पतिगृहगमन के प्रसंग में कतिपय कवियों ने करुण रस की स्थिति माना है, तथा इसमें मुख्यतः करुण रस की ही अभिव्यक्ति को स्वीकार किया है। इस मान्यता का कारण सम्भवतः महाकवि भवभूति की यह उक्ति रही हो- **‘एको रस करुण एव निमित्ताभेदादभिन्न पृथक् पृथगिवाश्रयते विवर्तान्।’** अतः इस श्रेणी के कवियों ने विप्रलम्भ को भी करुण करुण रस ही मान लिया है। यदि इस धारणा को माना जाये तब तो इसे करुण रस कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसे करुण रस मानने में शास्त्रीय दृष्टि से विरोध होगा, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव शोक है जो कि यहाँ कहीं भी नहीं देखा जाता। शकुन्तला तो पतिगृह जा रही है उसके प्रस्थान हेतु कौतुक मनाया जा रहा है। उसका मङ्गल समालम्भन कर शृंगार प्रसाधन किया जा रहा है, उसे वीरप्रसविनी राजमहिषी भर्तृर्बहुमता होने का आशीर्वाद दिया जा रहा है। जब गमन करते समय वह रोती है तो उससे कहा जाता है- **‘न त उचितं मङ्गलकाले रोदितुम्।’** स्वयं ऋषि कण्व कहते हैं- **‘शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्’** अतः मेरी दृष्टि में यहाँ शोक के अभाव में करुण मानना उचित नहीं, अपितु यहाँ वात्सल्य विप्रलम्भ मानना प्रसंगानुकूल है।

(16) यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया, कण्ठः

स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम्।

वैवलव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्याकसः पीडयन्ते गृहिणः कथं नु तनयाविश्लेषदुःखैर्नवैः॥

कवि का यह वात्सल्य विप्रलम्भ चित्रण अत्यन्त हृदयग्राही तथा अनुपम है तथा कालिदास की उत्कृष्ट प्रतिभा का निर्दशन है। सामान्यतः वात्सल्य विप्रलम्भ में माता-पिता का ही अपनी सन्तान के प्रति चिन्ता का द्रवीकरण दिखलाया जाता है, परन्तु यहाँ तो माता-पिता और सखीजन के साथ-साथ सम्पूर्ण प्रकृति, पशु-पक्षी, लता वृक्षादि भी शकुन्तला की विदाई के समय द्रवित होते हैं, और महर्षि कण्व भी अपनी पालिता पुत्री शकुन्तला की विदाई के समय इतने दुःखी हैं जितने की एक गृहस्थ माता-पिता होते हैं।-¹⁶

अभिज्ञान शाकुन्तलम् के चतुर्थ अंक में वात्सल्य विप्रलम्भ रस अनुपम व हृदयास्पर्शी वर्णन है। इस कारण से चतुर्थ अंक अभिज्ञान शाकुन्तलम् नाटक की आत्मा माना जाता है।

करुण विप्रलम्भ – अभिज्ञान शाकुन्तलम् में हमें करुण रस के भी दर्शन होते हैं। प्रथम बार करुण रस का वर्णन चतुर्थ अंक में शकुन्तला की विदाई वेला के समय होता है उस विदाई वेला के समय करुणा का वातावरण छा जाता है। धीरे व संयत महर्षि कण्व जैसे भी अपार करुण के सागर में डूब

जाते हैं, जिस समय शकुन्तला कहती है कि, पिताजी आपका शरीर कठिन तपस्या के कारण कृश है अर्थात् कमजोर है अतः आप मेरे लिए अधिक व्याकुल व दुःखी न हों। ऐसा कहकर महर्षि कण्व गहरी व लम्बी सांस लेकर कहते हैं कि हे पुत्री! तुम्हारे द्वारा पहले पूजा के रूप में डाले गये और कुटी के द्वार पर उगे हुए नीवरों को देखते हुए मेरा यह शोक अथवा दुःख कैसे शान्त होगा? अर्थात् यह शोक तो किसी भी प्रकार शान्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार से विलाप करते हुए महर्षि कण्व कहते हैं- **‘गच्छ शिवास्ते सन्तुःपन्थानः!’** अर्थात् ‘जाओ! तुम्हारा मार्ग मङ्गलमय हो।’ दूसरी बार करुण रस का वर्णन पंचम अंक में दुष्यन्त द्वारा तिरस्कृत होकर रोती हुई शकुन्तला वहाँ से जाती है तब वह कहती है- **‘भगवति वसुधे देहि मे विवरम्।’** उपर्युक्त इन स्थानों पर करुण विप्रलम्भ की स्थिति का वर्णन किया गया है।

वात्सल्य रस – अभिज्ञान शाकुन्तलम् में अन्य रसों के साथ-साथ वात्सल्य रस की भी सुन्दर अभिव्यंजना हुई है।

(17) आलक्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहासैरव्यतवर्णमणीयवचः प्रवृत्तीन्।

अवडाश्रयप्रणयिनस्तनयान्वहन्तो धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति॥

राजा दुष्यन्त सर्वदमन को देखकर उसको प्यार करने के लिए लालायित हो उठा है। वह बालक को गोद में बैठाकर खिलाने को सौभाग्य समझता है-¹⁷

वह सर्वदमन के सुकोमल अङ्गों का स्पर्श कर परमानन्दानुभूति का अनुभव करता है। वह कहता है-

(18) अनेन कस्यापि कुलाङ्कुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखं ममैवम्। कां निर्वृतिं चेतसि तस्य कुर्याद् यस्यायमवडात् कृतिनः प्ररुढः॥

अर्थात् किसी भी वंश के वंश के अङ्कुरस्वरूप इस बालक के स्पर्श होने पर मेरे अङ्गों में इस प्रकार का सुख हो रहा है, तो जिस पुण्यात्मा की गोद से यह उत्पन्न हुआ है, उसके हृदय में कैसा अपूर्व आनन्द उत्पन्न कराता होगा।-¹⁸

हास्य रस – महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तलम् में शिष्ट व परिष्कृत हास्य की सुन्दर परियोजना की है, जिससे कवि की कविता-वनिता मुस्कुराती हुई सी दृष्टिगत होती है। शाकुन्तलम् में हास्य रस को परिपुष्ट करने का मुख्य श्रेय विदूषक को ही है, क्योंकि वह स्थान-स्थान पर अपने विचित्र वाक्य-विन्यासों के द्वारा हंसी के फव्वारों को छुड़ा देता है। मृगया व्यापार से श्रान्त होने से वह वन से वापस लौटना चाहता है क्योंकि न उसे अच्छा खाने को मिलता है न सोने को, लेकिन राजा को शकुन्तला दर्शन हो जाता है और वह राजधानी नहीं जाना चाहता तो विदूषक की उक्ति- **‘गण्डकस्योपरि पिटकः संवृतः’** हास्य उत्पन्न करती है। राजा जब उससे शकुन्तला की प्रशंसा करता है तो वह हास्य व्यंग्य करता हुआ कहता है- **‘यथा कस्यापि पिण्डखजूरैरुद्देजितस्य तिन्तिण्यामभिलाषो भवेत्।’**

अर्थात् अपनी यह इच्छा ऐसी है जैसे कि किसी पिण्ड खजूर खा-खाकर छके हुए व्यक्ति की इच्छा खट्टी इमली खाने की होती है। राजा दुष्यन्त सभी परिजनों को अपने पास से हटा देता है तो विदूषक राजा को प्रसन्न करने हेतु कहता है कि अच्छा हुआ आपने सभी मक्खियाँ अपने पास से उड़ा दी- **‘कृतं भवता निर्मक्षिकम्।’** पुनः एक प्रसंग में जब राजा तापसी कन्या को क्षत्रिय जानकर विदूषक से बताता है कि वह उससे विवाह कर सकता है तो विदूषक

आमोद उत्पन्न करने वाली भाषा में कहता है- 'तेन हि लघु परित्रायतामेनां भवान्। मा कस्यापि तपस्विन इड् गुदीतैलचिह्नणशीर्षस्य हस्ते पतिष्यति।' राजा दुष्यन्त के पास एक समय में दो कार्य करने के लिये हो जाते हैं जिससे असमंजस में पड़कर राजा दुष्यन्त विदूषक से पूछता है कि क्या करना चाहिए? तो विदूषक कहता है कि तुम त्रिशंकु के समान बीच में ही लटके रहो- 'त्रिशङ्कु रिवान्तराले तिष्ठ'।

पंचम अंक में राजा विदूषक को हंसपदिका को समझाने भेजता है तब विदूषक कहता है कि वह मेरी चोटी पकड़कर दासियों से मुझे पिटवायेगी और त्रियाजाल में मुझे ऐसे फँसायेगी कि मैं छूट नहीं पाऊँगा- 'भो वयस्य, गृहितस्य तया परकीर्यैर्हस्तैः शिखण्डके ताड्यमानस्याप्सरसा वीतरागस्येव नास्तीदानीं मे मोक्षः।'।

षष्ठ अंक में राजा दुष्यन्त जब यह कहते हैं कि कामदेव आग्रमगजरी रूपी बाण मेरे ऊपर चला रहा है तो विदूषक डंडा उठाकर कहता है कि इस काठ के डण्डे से कामबाण को तोड़े देता हूँ- 'तिष्ठ तावत्! अनेन दण्डकाष्ठेन कन्दर्पव्याधिं नाशयिष्यामि।'। शकुन्तला की सखी प्रियंवदा भी परिहास कुशल है, वह भी कहीं-कहीं पर वह मीठी चुटकी लेकर लोगों को हँसा देती है। जब शकुन्तला अनसूया से प्रियंवदा की शिकायत करती कि उसने चोली कसकर बांध दी है तो प्रियंवदा उत्तर देती है कि तुम अपने यौवन को उलाहना दो जिसने तुम्हारे कुर्छों को इतना बढ़ा दिया है। मेरी शिकायत से क्या लाभ? इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुन्तलम् में हास्य रस का अतीव मनोहारी रूप से वर्णन किया गया है।

वीर रस - अभिज्ञान शाकुन्तलम् में वीर रस का वर्णन बहुत ही न्यून मात्रा में हुआ है। इसमें राजा दुष्यन्त की प्रशंसा की गयी है-

(19) का कथा बाणसंधाने ज्याशब्देनैव दूरतः।

हुंकारेणैव धनुषः स हि विघ्नानपोहति॥

अर्थात् राजा दुष्यन्त की वीरता के बारे में कण्व शिष्य कहता है कि, यह अत्यन्त प्रभावशाली व शक्तिशाली महानुभाव है, जिसके बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या है? क्योंकि वह दूर से प्रत्यन्त्रा के शब्द से ही, मानो धनुष की हुंकार से विघ्नों को दूर कर देता है, इनके आश्रम में प्रवेश करते ही हमारे धार्मिक कार्य निर्विघ्न होने लगे हैं।¹⁹

रौद्र रस - अभिज्ञान शाकुन्तलम् में रौद्र रस की पूर्ण रूप से निष्पत्ति तो नहीं है लेकिन एक-दो स्थान पर क्रोध भाव और आक्रोश भावों की व्यंजना हुई है। क्रुद्धित दुर्वासा ऋषि जब शकुन्तला को शाप देते समय रौद्र रस के दर्शन हुये हैं तथा इसके अतिरिक्त राजा दुष्यन्त द्वारा तिरस्कृत शकुन्तला की उक्तियों में आक्रोश का भाव अभिव्यंजित हुआ है। राजा दुष्यन्त व कण्व शिष्य के वार्तालाप के समय भी क्रोध भाव मुखरित होता है।

भयानक रस - अभिज्ञान शाकुन्तलम् में केवल तीन स्थानों पर भयानक रस के भावों की अभिव्यंजना हुई है पहला चित्रण प्रथम अंक में जहाँ भयभीत मृग के भागने का चित्रण किया गया है- ('ब्रीवाभगडाभिरामम्.....') और दुसरा जहाँ अंक की समाप्ति पर रथ को देखकर भयाकुल हाथी के प्रवेश के चित्रण में- ('तीव्राघातप्रतिहततरुः।) तथा तीसरा चित्रण तृतीय अंक में भयानक राक्षसों का यज्ञवेदी के चारों ओर मंडराने के समय भयानक

रस का चित्रण हुआ है- ('सायन्ते सवनकर्मणि.....।') उपर्युक्त प्रसंगों में भयानक रस की अनुभूति होती है।

अद्भुत रस - अभिज्ञान शाकुन्तलम् में कथानक के बीच में कतिपय स्थल अद्भुत रस के दर्शन होते हैं। चतुर्थ अंक में जहाँ आकाशवाणी के द्वारा महर्षि कण्व को शकुन्तला व दुष्यन्त के गान्धर्व विवाह का ज्ञान होना व शकुन्तला के गर्भवती होने की सूचना मिलना तथा शकुन्तला की विदाई के समय वृक्षों द्वारा वस्त्राभूषण आदि देना। पंचम अंक में मेनका द्वारा शकुन्तला को उठाकर ले जाना। दुष्यन्त का इन्द्रलोक से लौटते समय आकाश से पृथ्वी तक का वर्णन आदि प्रसंगों में अद्भुत रस अभिव्यक्त हुआ है।

शान्त रस - अभिज्ञान शाकुन्तलम् के सप्तम अंक में मारीच ऋषि के आश्रम में शान्त रस की स्थिति को अभिव्यक्त किया गया है। राजा दुष्यन्त को आश्रम का शान्त वातावरण अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वह उस आश्रम स्वर्ग से भी अधिक महत्व देता है और कहता है कि मैं मानो सुवास सरोवर में स्नान कर रहा हूँ। वह वहाँ ऋषि मुनियों तपस्या का गुणगान करता है। वह महर्षि मारीच की प्रशंसा करता हुआ वह तृप्ति का अनुभव नहीं करता अर्थात् मन की शान्ति का अहसास करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महाकवि कालिदास रचित - अभिज्ञान शाकुन्तलम्, संपादक, समीक्षक, व्याख्याकार- डॉ. शिव बालक द्विवेदी, प्रकाशक - हंसा प्रकाशन, चौदपोल बाजार, जयपुर, (राज.) प्रथम संस्करण 2009 ISBN- 9788188257690

अनुक्रमिका:-

1. सरसिजम् नाकृतीनाम्। अभि. शा. 1/20
2. अधरः किसलय सन्नधम्। अभि. शा. 1/21
3. चलापाङ्ग खलु कृती। अभि. शा. 1/24
4. वाचं न मिश्रयति हृष्टिरस्याः। अभि. शा. 1/32
5. स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि कामी स्वतां पश्यति। अभि. शा. 2/2
6. अनाघातं समुपस्थास्यति विधिः। अभि. शा. 2/11
7. अभिमुखे च संवृतः। अभि. शा. 2/12
8. किं शीतलैः पद्यताम्रौ। अभि. शा. 3/18
9. तव कुसुमशरत्वं वज्रसारीकरोषि। अभि. शा. 3/3
10. इदम् शिशिरैः प्रतिसायति। अभि. शा. 3/10
11. क्षामक्षाम् लता माधवी। अभि. शा. 3/7
12. अयं स ते कथमीप्सितो भवेत्। अभि. शा. 3/11
13. तपति तनुरात्रि कुमदवतीं दिवसः। अभि. शा. 3/14
14. रम्यं द्दष्टि व्रीडाविलक्षश्चरम्। अभि. शा. 6/5
15. मुनिसुताप्रणय निवेशिता। अभि. शा. 6/8
16. यास्यत्यद्य तनया विश्लेषदुःखं नैव। अभि. शा. 4/6
17. आलक्ष्यदन्त मलिनीभवन्ति। अभि. शा. 7/17
18. अनेन कस्यापि कृतिनः प्ररुदः। अभि. शा. 7/19
19. का कथा बाणसंधाने विघ्नानपोहति। अभि. शा. 3/1

Rise of Environmentalism in India: Grassroots to Governance

Rafia Banoo Dar* Mohammed Imran Khan**

*Masters in Political Sciences, Jammu University, Jammu (J&K) INDIA

** M.Sc.in Mathematics, Jammu University, Jammu (J&K) INDIA

Abstract - Environmental movements revolve around the issue of Development and Democracy. The issue of environment and development is an enduring topic of human civilization. The history of human civilization to some extent is the history of the explorations on how to correctly handle the relationship between man and the environment during its development. Balancing Development with Sustainability still remains a challenging task in different stages of transition. This article deals with the various phases of Indian environmental movements, environmental legislations, policy interventions and various environmental movements which happened in India.

Introduction - In India, environmental movements have arisen in reaction to several issues such as land degradation, climate change, industrial pollution, deforestation and water scarcity. With protests against exploitative forestry practices and dam projects during the colonial eras modern environmental activism emerged. In India, Environmental movements are the movements by the weakest section of the society. The major participants are the tribals and people whose life is dependent on nature. India has a long history of environmental movements. The tribal revolts against the British Colonialism were the earliest environmental movements.

One of the noted environmentalists in India Ramchandra Guha has made comparison between Environmentalism in the North and the South. Environmentalism in the North is lead by Scientists whereas environmentalism in the South is led by the poor and ignorant. Environmentalism of the North is full stomach whereas environmentalism in the South is empty stomach.

Phases Of Indian Environmental Movement

Ramchandra Guha has analyzed Indian environmental movement in three phases:

Phase I - 1970's : In his book "The Unquiet woods" he traces the origin of modern environmental movement to Chipko Movement in 1970's in Uttarakhand where women played the prominent role. Environmental movements have added a new dimension to India's democracy. It also opposes ideological challenge to the dominant notions of meaning, contents and patterns of development in India.

Phase II -1980's: 1980s is marked by the growth of Environmental Consciousness. Environmental issues started getting media attention. Prominent Environmental journalists like Anil Agarwal, Nagesh Hedge and Shekhar

Pathak could bring the attention of the Government. In 1980 the Government of India has set up "Department of Environment" which was later on upgraded into full fledged ministry.

PHASE- III: In 1990's, there was growth of Professionalism in Environmental Movement. The positive aspect was professional scientists and social scientists started taking environment as an area of research. There has been the growth of NGOs including Foreign NGOs. Environmentalism got more complicated. Environmental degradation had increased many times with the introduction of New Economic policy. It is unfortunate that the Ministry of Environment made project clearances of formality resulting into high level of air pollution and depleted ground water. According to Ramchandra Guha, "Polluted skies, dead rivers, disappearing forests, displaced peasants and tribals is what we see around us."

Reasons For Emergence Of Environmental Movements In India: Major reasons for the emergence of the environmental movements include:

1. Control over natural resources
2. False developmental policies of the government
3. Socio-economic reasons
4. Environmental degradation
5. Spread of environmental awareness and media

Ideological Trends In Indian Environmentalism : Gadgil, Madhav and Guha Ramchandra (1998: 450-472) have identified five broad strands within the environmental movements in India. These strands include:

1. Crusading Gandhians : Crusading Gandhians relies heavily on a moral/religious idioms in its rejection of modern way of life. They propagate an alternate, non-modern philosophy whose roots lie in Indian tradition.

2. Ecological Marxist : Ecological Marxists, “see the problem in political and economic terms arguing that & it is the unequal access to resources rather than the question of values which better explains the patterns and processes of environmental degradation in India.

3. Appropriate Technology: This strand of the environmental movement strives for a working synthesis of agriculture and Industry, big and small units and western and eastern technological traditions.

4. Wilderness Enthusiasts: Wilderness Enthusiasts have provided massive documentation of the decline of natural forests and their plant and animal species urging the government to take remedial action.

5. Scientific Conservation: Scientific Conservationists are concerned with efficiency and management.

Emergence Of India's Environmental Policy: In the early 1970's the environment feasibility of economic growth became an issue of governmental concern in its own right for the first time in India.

India is one of the leading developing countries in so far as having incorporated into its constitution the specific provisions for environmental protection e.g., article 48A and article 51A(g) of the Constitution of India

Wildlife (Protection) Act, 1972: Wildlife (Protection) Act was introduced in 1972 which aimed at:

1. Expand the Protected area network of the country.
2. Revisit the norms, criteria and needs of data for placing the particular species in different Schedules of the wildlife protection act.
3. Formulate and implement programs for conservation of endangered species outside protected areas.
4. Empower, build capacities and facilitate access to finance and technology for local people in particular tribes.
5. Ensure that human activities on the fringe areas of PAS do not degrade the habitat or otherwise significantly disturb wildlife.

Environmental Protection Act, 1986: The environment (Protection) Act, 1986 was introduced as an umbrella legislation that provides a holistic framework for the protection and improvement to the environment.

The National Forest Policy, 1988: The National Forest policy 1988 and the Indian forest act as well as the regulations under it provide a comprehensive basis for forest conservation.

The following are included:

1. Legal recognition of the traditional entitlements of forest dependent communities taking into consideration the provisions of the Panchayat (Extension to the Scheduled Areas), Act, 1996(PESA).
2. Formulate innovative strategy to increase forest and tree cover from 23.69 per cent in 2003 to 33 per cent of the country's land area by 2012.
3. Formulate appropriate methodology for reckoning and restoring the environmental values of forests which are

unavoidably diverted to other uses.

4. Denotify Bamboo and Similar other Species as “Forest species” under the Forest Conservation Act to facilitate their cultivation outside notified forests and encouraging their productive utilization in economic activities.

Biological Diversity Act 2002: To regulate access to genetic resources and associated sharing arrangements apart from developing policies and programmes on long term conservation and protection of biological resources and associated knowledge Biological Diversity Act, 2002 was promulgated.

National Environment Policy, 2006: The principal objectives of the National Environmental Policy are the following:

1. Conservation of critical Environmental Resources.
2. Intra-generational Equity; Livelihood Security for the poor.
3. Inter- generational equity

Environment Impact Assessment: India has a well-devised environmental Impact Assessment programme for incorporating environmental concerns in development process and also in improved decision-making. The programme of EIA was initiated with the appraisal of rives valley projects. The scope of appraisal was subsequently enlarged to cover other sectors like industry, thermal power, hydroelectricity, nuclear mining, construction projects and infrastructure.

Forest Certification: Forest Certification has emerged as one of the market mechanisms to address environmental Concerns of the green consumers on one hand and help promote sustainable forest management on the other.

Major Environmental Movements In India

1. Bishnoi Movement: Bishnoi is a religious group that is prevalent in western India's Thar Desert and northern states. It is a peaceful community of nature lovers. Around 1700 AD, the Sage Sombaji began this effort against deforestation. Following that, Amrita Devi propagated the movement.

2. The Chipko Movement : The Chipko is a well-known Indian environmental movement. The Chipko Campaign brought global attention to the Alaknanda watershed basin in the western Himalayas. Preserving Himalayan forests has been a part of the Chipko movement since before independence according to Reddy (1998)

3. Save Silent Valley Movement: These are 89 sq. km of tropical virgin woods on the lush undulating hills of Kerala's Silent Valley. The Kundremukh Project included a 200MV hydroelectric dam on the crystal pure river Kunthipuzho. The planned project will submerge an important piece of the valley's rainforests endangering endangered species of both flora and wildlife. The Kerala Sastra Sahitya Parishad (KSSP) has been working for environmental awareness for three decades. In many ways, the fight to rescue Silent Valley was a public education effort.

Conclusion: The idea behind environmental movements

is that they are large networks of individuals and groups working together to improve the environment. It is recognized that environmental movements are extremely diverse and complex with organizational structures ranging from the highly their "operations" spatial extent from the local to virtually worldwide, their priorities ranging from a single problem to the complete spectrum of global environmental concerns. Especially after the 1970s, India saw the emergence of several environmental movements. However, as these movements have expanded their focus from fundamental survival requirements to ecological issues, several of which modern movements have gained the distinction of ecological or environmental movements in hindsight.

References:-

1. Ramchandra Guha (1988) • Ideological Trends in Indian Environmentalism, Economic and Political weekly, 23(49), 2578-2581.
2. Thomas weber (1987) • Hugging the Trees: The story of the Chipko Movement • New Delhi: Viking press, 8.
3. Times of India, (New Delhi), 4 January, 1981, p1
4. Ramchandra Guha • The Unquiet Woods: A History of Social Movements in Uttarakhand (Delhi: Oxford University Press: 1991)
5. Gopesh Nath Khanna."Global Environmental Crisis and Management", (New Delhi: Ashish, 1990, p230).
6. The Hindu Survey of the Environments 200
7. www.ramsar.org

Role of Civil Society in Politics of India

Rafia Banoo Dar*

*Masters in Political Sciences, Jammu University, Jammu (J&K) INDIA

Abstract - There have been vigorous efforts in contemporary political theory to review the concept of Civil Society and bring it to the foreground in the academic and policy discussion. The concept of civil society is one of the key concepts of modern political analysis since the last quarter of the earlier century and now it is undoubtedly a significant trend in the process of international development as well. Initially, the concept of civil society and its contestations mainly led a strong Eurocentric or more precisely, western Europe centric bias but now the debates and discussions regarding it have permeated to the erstwhile socialist block as well as to different parts of developing and underdeveloped political cultures as well. This article focuses on history and practice of civil Society in india searching the old and new connotations thereof.

Introduction - Contractualists Hobbes and Locke emphasized the primacy of civil society in order to get out of the state of nature though they differed regarding the construction and role of it.

David Hume and Adam Smith envisaged a civil society where economic and Social transactions mattered as much as political Institutions.

For Smith, it was the economy of civil society that was natural to man and therefore central to his existence.

Alexis de Tocqueville considered that the civil Society constitutes the third sphere of society. The first sphere comprises the state and its institutions and the second is the economy.

For Marx, Civil Society and the bourgeois Society were the same. The potential idealism of civil society was marred for its crass materialism.

Antonio Gramsci developed the idea of civil society in relation to the concept of "hegemony".

Civil society can be considered as a melting pot which "incarnates a desire to recover for society powers-economic, Social and expressive - believed to have been illegitimately usurped by states.

Civil Society and the Indian Scenario: India has a comparatively well developed civil society and some of its CSO's have made commendable contribution both to the cause of democracy and to national development. However, the socio-political space in which CSO's are operating does not seem to be conducive to the healthy growth of civil Society.

There are several prerequisites for the civil society to function effectively.

Considering the conditions prevailing in India, these

may be formulated as follows"

1. A political system with a neutral state and a liberal democratic setup: Toleration of opposing ideologies and groups, respect for the rule of law and protection of the fundamental freedom of the citizens are basic to this system.

2. An economic system guaranteeing economic justice to all citizen: welfare provisions and meeting the minimum needs of the citizens are a sine qua non of the system.

3. A socio-cultural System based on universalistic Values: Affective neutrality must have precedence over affectivity orientation of the citizenry. The performance of the civil society in India will be conditioned by the extent to which these prerequisites' are met.

In India, the state declares itself to be Secular and democratic where the citizens right to equality before the law is enshrined in the Constitution. However, this equality is negated in several cases by the states inability to make uniform laws for all citizens especially women and other weaker sections of the society. The countless cases before the Human Rights Commission are a proof of this

The economic system, in spite of several welfare provisions in the constitution and several welfare programmes being implemented, continues to be skewed as regards economic justice. Around one-third of the population lives below the poverty line and suffer from privations of all Sorts. This has also distracted CSO's in their advocacy role and as a consequence, they are unequally placed vis-a-vs other organisations and the state in terms of power resources and bargaining capacity.

The Socio-cultural values in India are lacking in many

qualities that promote the growth of a healthy democracy and effective civil society. Social behaviour in several areas is guided by particularistic values and this has often led to conflict and confrontation. Many CSO's are governed by narrow ethics, regional, communal and linguistic considerations.

Modern civil society in India has been a post-Independence phenomenon. Within half a century of its existence as a free nation, the country has witnessed the birth and development of a multitude of CSOs-large and small; local, state and national level. However only very few of them have been able to live upto their objectives. Lack of proper leadership, inadequate economic base and structural and ideological contradictions have been a bane of most of them, even those that are working with some efficiency. The availability of foreign funds has been able to prop up many NGO's in India but their real Contribution to civil society objectives is yet to be examined. A few NGO's, no doubt, have attracted the attention of scholars but the findings do not augur well for many of them. It is in this light that the insistence of the UNO and other international organisations that the state should share funds with NGO's as they fare better in development activities than the government departments has to be viewed. The need for healthy coexistence of and complementarity between CSO's and the state is axiomatic and this should govern the efforts at establishing government – CSO's transactions.

Indian Civil Society in Action: the Areas: Several areas can be counted with which Several civil Society interests contributed a lot. The areas of their thought and action follows:

1. **Transparency and Right to Information:**.. training and sensitizing communities and people for its use and strong mobilizations against diluting the provisions of the act.
2. **MNREGA:** This limited employment guarantees has been also possible due to the intense pressure of the civil society. The important role being played is in dissemination and sensitizing people, Social audits and exposing the corruption demanding action.
3. **Education:** CSO's are also playing important role in innovations in teaching methods for children, bringing out of school children in the mainstream both as partners community mobilization.
4. **Policy Advocacy:** Participation in policy dialogues with various levels in government, policy focusing youth, women and child, tribal and forest etc.
5. **Implementation of Programs:** like watershed, innovations, livelihood programs, Self Help Groups and micro finance.
6. **Demanding Accountability:** through public watch reports, Social audits and public hearings and budget analysis has important Impact on the government functioning.
7. **Environment and resettlement/Rehabilitation Issues:** making them national and international

agenda, sensitizing and dialogues with the government/ multilateral funding agencies.

8. Panchayati Raj Institutions Strengthening: voter awareness, helping the most underprivileged to come and participate and Sensitizing people.

9. National Rural Health Mission and Right to Health: Health concerns are sparked off the participation and debated the issue.

10. Human Rights watch Groups: The Indian universities came up with curriculum on human rights under UGC Special program and Ngo's raising the issue and pleading to minorities, women and other vulnerable groups and individuals.

Changes In Indian Civil Society: The compositions roles and relationships of civil society in India are influenced by the Socio-economic changes that Indian society is witnessing.

Changing Composition: Over a period of two decades, since the early 1990s, there has been a "mushrooming of voluntary organisations" in India. Many organisations have emerged abruptly without being aware of the local content and its need. Many more, instead of pursuing Social commitments, pursue business and Commercial motivations. Another prevailing trend is for political leaders to form CSO's. Many CSO's are set up by "bureaucrats, ex- corporate employees, and industrialists who have no vision for development or welfare and who regard the sector from a business or profit-making perspective.

Changing Roles: In the decades prior to economic liberalisation in India, CSO's worked for the overall development of the society, focusing mainly on uplifting the downtrodden. Since the early 1990's, when the state started withdrawing from some of its responsibilities, CSO's focused more upon governance and development. Various International organisations and UN agencies started working actively with Indian CSO's by providing aid, monitoring and overseeing development programmes in regions hit hard by socio-economic problems. According to Tandon (2002), the three most important contributions of CSO's in national development were : Innovation (2) empowerment (3) research and advocacy with changing times and emerging challenges the roles of CSO's have been diversifying and changing.

Changing Relations: With the change in India's economy, its international relations and its geopolitical interests, CSO's have witnessed significant changes in their relationship with other Sectors like the government, political Society, market and even among themselves.

Relationship with the government: Since the onset of liberalisation, privatisation and globalisation processes in India, there has been increasing interaction between the government and civil society. The Indian state operating in multiple spheres (local/municipal, provincial, national, transnational) plays Specific functions which inevitably impact on civil society (a) the Indian state guarantees

democratic rights to its citizens, thereby providing legitimacy to all civil society functions in India; (b) It is the primary actor behind policy-making in India; (c) it also promotes national development, planning and implementation. Thus, the state acts both as funder and regulator of CSO's in India which in turn remain inextricably linked to it. since the early 1990's many CSOs have been implementing national government programmes and collaborating with local government agencies

Relationship with the market:

Much of the previous generation of NGO leaders and civil society activists grew up in an area where market Institutions were weak; the new era has seen a dramatic rise of private Sector and market-led economic development. So, for this generation of civil society activists the biggest challenge is to come to terms with the rise of the free market and visibility, legitimacy and credibility of the private sector. For a new generation of CSOs, the market is the acceptable route to prosperity and civil society can support that process. Hence relations with the private sector, by and large are non-existent for a vast segment of Indian civil society.

Conclusion: Civil Society in India has shown considerable response to the political, Social and economic problems in the post independent India and has been able to influence

policies, demanded accountability and also created social harmony in the wake of communalism and fundamentalism in the country. The growth of the civil society organizations and change in their composition in India can also be traced at the changing scenario. However, a number of internal and external constraints limits the effectiveness of the interventions of civil society in governance for effective delivery of the entitlements.

References:-

1. Kaviraj and Khilnani (ed) 2001. Civil Society- History and Possibilities. Verso Pub.
2. Michael, Edwards. 2009. Civil Society. Cambridge, Polity Press
3. Ghanshyam, Shah. 1990. Social Movements in India - A Review of the Literature, New Delhi, Sage Publications
4. Baviskar, B.S. 2001. "NGOs and Civil Society in India", Sociological Bulletin, vol. 50, issue 1.
5. Amir, Ali, 2001'. The Evolution of the Public Sphere in India ', Economic and Political Weekly, 30 June.
6. Neera chandhoke. 2003. State and Civil Society: explorations in political theory. New Delhi.Sage Publications
7. Andrew, Arato, & Jean L. Cohen. 1994. Civil society and Political theory. The MIT Press.

भारतीय नारी जगत एवं श्री कृष्ण की भूमिका एवं मान्यता

डॉ. रमा आमेटा*

* सहायक आचार्य (संस्कृत) विद्या सम्बल योजना राजकीय महाविद्यालय, वल्लभनगर, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय संस्कृति में नारी जीवन की जो अक्षुण्ण महत्ता रही है उसकी अपनी एक परम्परा और उसका अपना एक सुदीर्घकालिक इतिहास रहा है। वाल्मीकि से पूर्व उसे जिस महनीय रूप में देखा जाता रहा उसकी संक्षिप्त रूपरेखा राजा दशरथ और राम के जीवन में मिलता है। यद्यपि वाल्मीकि के बाद महाभारत का एक ऐसा अवश्य क्षुब्ध समय आया जिसमें उसकी उपेक्षा दिखाई देती है। राज्य लिप्सा में पूरी तरह डूबे कौरव अपनी स्वार्थान्धता में सने पगे अपने ही पारम्परिक आचरण को एक ओर धकेल कर अपने जीवन में उत्सव मना रहे थे और पापाचरण की सीमा को लाँघकर अपनी सनातन परम्परा को ठुकरा रहे थे तथा यह समझते हुए भी कि उनकी यह गति एक दिन उनकी दुर्गति का कारण बनेगी, अपने को रोक नहीं पा रहे थे।

गीता के अर्थ की सार्थकता – लगता है की महाभारतकालीन इस सांस्कृतिक दुर्घटना को ही श्रीकृष्ण के समय में धर्म की ग्लानि माना होगा और जिसके परिणाम सामने आये उन्हें गीता के शब्दों में 'परित्राणाय साधुनां' तथा 'विनाशाय च दुष्कृतां' एवं 'धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे' जैसे सिद्धांत-गत वचनों की अभिव्यक्ति सामने आई होगी।

नारी-जीवन में चरम पतन की जो यह स्थिति सामने आई प्रतीत होता है, श्रीकृष्ण का जन्म इसी संकट के निवारण के सन्दर्भ में हुआ है। यद्यपि यह एक ऐतिहासिक सन्दर्भ है, किन्तु महाभारत की रचना के बाद वेदव्यास की सृजन-पक्ष में रही अशान्ति बेचौनी या खिन्नता इस तथ्य को पर्याप्त आधार देती दिखाई देती है कि महाभारत की रचना के बाद वे ऐसे किसी विषय को अपने लेखन के क्षेत्र में स्पर्श करना चाहते थे जिससे उनके मानस को 'महाभारत' की रचना के बाद भी सृजन में जो असन्तुष्टि या अतृप्ति बनी रही उसे दूर किया जा सके तथा उनकी यह अतृप्ति श्रीमद्भागवत जैसे पुराण की रचना से ही निश्चित दूर हुई होगी ऐसा प्रतीत होता है। इतिहासकार अपने अध्ययन-अनुशीलन के आधार पर श्रीमद्भागवत का भारतीय परम्परा के अनुसार, रचना-काल पाँच हजार वर्ष पूर्व का मानते हैं।

श्रीमद्भागवत की रचना का महत्व – माना जा सकता है कि 'श्रीमद्भागवत महापुराण' की रचना को लेकर वेदव्यासजी की जो मानसिक चेतना रही, वह नारी-जीवन के प्रति उनकी घनीभूत सहानुभूति ही रही, जिसका उदय श्रीकृष्ण का नारी जीवन के प्रति अनन्य उत्कट प्रेम के रूप में हुआ। नारी-जीवन के प्रति श्रीकृष्ण का यह अनन्य जागा उत्कट प्रेम ही उनके जन्म की घटना से जुड़ा एक रहस्य कहा जा सकता है जिसे हम भारतीय इतिहास की

एक रोचक घटना के रूप में देखते रहे हैं।

श्रीकृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था और वह समय भी कंस जैसे अत्याचारियों के दुराचरणों से व्याप्त था। यही कारण रहा कि श्रीकृष्ण का जन्म कारावास में हुआ तथा वसुदेव और देवकी को उनके जन्म की प्रतीक्षा में बरसों का समय कारावास में काटना पड़ा था। देवकी, जो कंस की बहन थी, और जो एक नारी थी, उसे भी जब कारावास की यातना लम्बे समय तक भुगतनी पड़ी, नारी के लिये एक विपरीत समय का ही वातावरण था, जिसे वसुदेव ने भारी बरसात की आधी रात में, यमुना पारकर, गोकुल गाँव में पहुँचकर बिताने का अथक उद्यम किया था।

वस्तुतः वह समय नारी-जीवन के लिये एक अभिशाप ही था, जिसे श्रीकृष्ण ने अपने समय का एक अधर्म समझकर उसे धर्म-स्थापना के रूप में बदलने का प्रयास किया था। उदाहरण के रूप में यहाँ कंस के कुत्सित शासनकाल की एक और रोचक घटना प्रस्तुत है, जिसमें कुब्जा के देह को श्रीकृष्ण द्वारा स्वस्थ-सुन्दर बनाने की घटना का सुखद वृत्तान्त दिया गया है।

कुब्जा के जीवन की घटना – मथुरा में असुरों द्वारा छल-छद्म के रूप में एक धनुष यज्ञ का आयोजन रखा गया था और उसमें श्रीकृष्ण को भी आमंत्रित किया गया। उस समारोह में भाग लेने हेतु श्रीकृष्ण मथुरा नगर में जा ही रहे थे कि उन्हें बीच राह में राजभवन की ओर जाती हुई एक युवती दिखाई दी। युवती थी तो सुन्दर, किन्तु उसकी देह तीन जगह से टेढ़ी थी। इसलिये, उसका नाम सैरन्धी था फिर भी वह 'कुब्जा' के नाम से पुकारी जाती थी। श्रीकृष्ण ने अपनी रसिकता के कारण उससे पूछा: –

का त्वं वरावतादुहानुलेपनं
कस्यांगने वा कथयस्व साधु नः।
देह्यावयोरंगविलेपमुत्तमं
श्रेयस्तस्ते न चिराद् भविष्यति ॥ १

अर्थात् हे सुन्दरी ! तुम कौन हो ? यह चन्दन किसके लिये ले जा रही हो ! कल्याणी ! हमें सब बात सच सच बता दो। यह उत्तम चन्दन और यह अंगराग हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा।

कुब्जा ने कहा – हे श्याम सुन्दर ! मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। मेरा नाम कुब्जा है। मैं राजा के यहाँ चन्दन, अंगराग तैयार करने का काम करती हूँ। मेरे तैयार किये हुए चन्दन और अंगराग कंस को बहुत प्रिय हैं। परन्तु आप दोनों से बढ़कर इस अंगराग का उत्तम पात्र मेरी दृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। श्रीकृष्ण के सौन्दर्य को देखकर कुब्जा उन पर मुग्ध हो गई। उसने दोनों

भाइयों को वह सुन्दर गाढ़ा अंगराग दे दिया। तब श्रीकृष्ण ने अपने साँवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम ने अपने गोरें शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया। दोनों ने अपने नाभि से ऊपर के भाग में अंगराग लगाया और वे दोनों सुशोभित होने लगे। श्रीकृष्ण कुब्जा पर अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने चरणों से कुब्जा के दोनों पैर दबा लिये और हाथ ऊँचा करके दो अँगुलियाँ उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को थोड़ा ऊपर की ओर तनिक उचका दिया। उचकाते ही कुब्जा के सारे अंग सीधे और समान हो गये। कुब्जा तब एक बहुत ही सुन्दर युवती बनकर शोभा पाने लगी। श्रीकृष्ण ने तब रंगशाला में पहुँचकर धनुष-यज्ञ को सम्पन्न किया।

नारी-जीवन के उत्थान में श्रीकृष्ण की इस प्रकार सहज सहानुभूति देखी जाती है। उन्होंने अपनी जीवन लीलाओं में हजारों-हजारों गोपियों को उनके पुरुषों की रूढ़िगत पराधीनता से इसीलिये मुक्ति भी दिलाई थी और उन्हें उन्मुक्त प्रेम करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी।

भागवत की एक और घटना-एक इसी तरह की सुखद-सुन्दर घटना का और उल्लेख श्रीमद्भागवत में हुआ है। यह घटना नारी-जीवन के व्यक्ति स्वातंत्र्य को लेकर मानी जा सकती है। एक दिन यमुना-तट के उपवन में गौएँ चराते समय ग्वाल-बालों को बड़ी भूख सताने लगी। उन्होंने श्रीकृष्ण के समीप जाकर कहा प्रभो! हमारी क्षुधा शान्त करने का कोई उपाय कीजिये। श्रीकृष्ण ने उन्हें ब्रह्मवादी स्वर्णकामी ब्राह्मणों के यज्ञ में अन्न माँगने के लिये भेजा परन्तु वहाँ उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। वे निराश लौट आये। तब श्रीकृष्ण ने कहा- तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और मेरा नाम लेकर भोजन माँगो। ग्वाल-बालों ने ऐसा ही किया। श्रीकृष्ण दर्शन के लिये सदा उत्सुक रहने वाली उन देवियों ने ग्वाल-बालों की बात सुनकर बड़े हर्ष का अनुभव किया और तरह-तरह के स्वादिष्ट भोजनों की थाली सजाये वे स्वयं उस स्थान पर गयीं जहाँ श्रीकृष्ण विराजमान थे। श्रीकृष्ण ने उनका स्वागत करते हुए कहा :-

स्वागतं वो महाभागा आस्यतां करवाम किम

यन्नो दिदक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः ॥

नन्वद्धा मयि कुर्वन्ति कुशलारू स्वार्थदर्शनाः ।

अहेतुकव्यववाहितां भक्तिमात्मप्रिये यथा॥²

श्रीकृष्ण ने कहा कि हे देवियो ! तुम्हारा स्वागत है। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो। यह तुम्हारे जैसे प्रेमपूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें सन्देह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं वे अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती- जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान संकोच छिपाव दुविधा या द्वैत नहीं होता। प्राण बुद्धि मन शरीर स्वजन स्त्री पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएँ जिसके लिये और जिसकी संनिधि से प्रिय लगती हैं- उस आत्मा से परमात्मा से मुझ श्रीकृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है? इसलिये तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनन्दन करता हूँ परन्तु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी। अब अपनी यज्ञ शाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं। वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। यद्यपि यज्ञ-पत्नियों ने श्रीकृष्ण की सेवा छोड़कर यज्ञ शाला में लौटना स्वीकार नहीं किया किन्तु श्रीकृष्ण के अनुरोध को भी वे मना नहीं कर सकीं और अन्ततः यज्ञ-शाला में लौट गईं।

नारी की सात विभूतियाँ -नारी जाति के उत्थान को लेकर श्रीकृष्ण ने

अपने दार्शनिक चिन्तन में भी किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी। वे गीता में नाना विभूतियों की जानकारी देते हुए स्त्री-विभूतियों की भी गणना कराते हैं। उन्होंने सात विभूतियाँ बताते हुए कहा है- कीर्तिः श्रीवक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। ये सात स्त्री-विभूतियाँ हैं। कहा गया है कि स्त्री में ये सात गुण अपेक्षित हैं। तभी स्त्री का जीवन विकसित होगा। इन सात विभूतियों के नाम की सात स्त्रियाँ हो गई हैं। कीर्ति दक्ष प्रजापति की पुत्री और अंगिरा की पत्नी थी। उसने भारत में महान् सांस्कृतिक कार्य किया है। श्री भृगु और ख्याति की पुत्री थी। उसका विष्णु के साथ विवाह हुआ था। वह स्वतंत्र और तेजस्वी विचार वाली स्त्री थी। स्मृति दक्ष प्रजापति की पुत्री और अंगिरस की पत्नी थी। मेधा भी दक्ष की कन्या और धर्म नामक ऋषि की पत्नी थी। धृति मन्यु नामक ऋषि की और क्षमा पुलह ऋषि की पत्नी थी।

श्रीकृष्ण की आठ पटरानियाँ-श्रीकृष्ण के प्रति जिन गोपियों की दिव्य रति थी तथा सोलह हजार गोपियों की लौकिक दाम्पत्य रति थी उनका श्रीकृष्ण के हृदय में यथोचित स्थान रहा। श्री राधा का दिव्य प्रेम भी श्रीकृष्ण के प्रति अपना अपूर्व स्थान रखता है। श्रीकृष्ण के प्रति चाहे आठ परिणीता पटरानियों का दाम्पत्य प्रेम रहा हो अथवा सोलह हजार गोपियों की लौकिक रति रही हो जन-भावनाओं में दोनों का समान आदरभाव रहा है। महाभारत में इन आठ पटरानियों के जो भवन निर्मित हुए हैं उनके नाम उनकी विशेषताओं के साथ दिये गये हैं। यथा:-

मेरोरिव गिरेः शृंगमुच्छ्रितं कांचनायुतम

रुक्मिण्याः प्रवरो वासो विहितः सुमहात्मना ॥

सत्यभामा पुनर्वेश्म सदा वसति पाण्डुरम् ।

विचित्रमणिसोपानं यं विदुः शीतवानिति ॥

स च प्रासादमुख्योऽत्र जाम्बवत्या विभूषितः ।

जाम्बूनदप्रदीप्ताग्रः प्रदीप्तज्वलनोपमः ॥

सागरप्रतिमोऽतिष्ठन्मेरुरित्यभिविश्रुतः ।

तस्मिन्गान्धारराजस्य दुहिता कुलशालिनी ॥³

अर्थात् इन राजप्रासादों का निर्माण मुख्यतः विश्वकर्मा ने कराया है। रुक्मिणी का राजप्रासाद मेरु पर्वत की तरह ऊँचे शिखर वाला है। सत्यभामा का महल सफेद रंग का है। उसमें मणि-जटित सोपान हैं। जाम्बवती का राजमहल कैलाश शिखर के समान है। वह जाम्बूनद सुवर्ण के समान दमकता है। गान्धार राजा की कन्या सुकेशी का महल मेरु के समान दिखाई देता है। महारानी सुप्रभा का राजप्रासाद 'पद्मकूट' के समान जाना जाता है। महारानी लक्ष्मणा का महल सूर्यप्रभ नाम से प्रसिद्ध है। पटरानी मित्रवन्दा सुदत्ता देवी का राजप्रासाद केतुमान नाम से जाना जाता है। इन सबसे अलग भगवान श्रीकृष्ण का राजप्रासाद विरज नाम से प्रसिद्ध है, जो उनके निवास का खास महल है। राजप्रासादों का यह वर्णन श्रीकृष्ण के लौकिक जीवन के सुख-साधन का चित्रण करता है। इस वर्णन से श्रीकृष्ण के लौकिक विवाहों की पुष्टि होती है। उनके प्रत्येक विवाह में उनके पौरुष की भूमिका का भी उचित निदर्शन प्राप्त होता है। यहाँ उनके पूरे गार्हस्थिक परिवेश का चित्रण मिलता है जो किसी राजसी ठाठ-बाट से कम नहीं है।

नारी-जीवन में गाय की महत्ता -नारी-जीवन की प्रेमाभिव्यक्ति में श्रीकृष्ण के पशु-प्रेम में गो-प्रेम का भी अत्यन्त महत्त्व है। गोवर्धन पर्वत के नामकरण में ही गो वंश के संरक्षण एवं अभिभावन का अर्थ निहित है। गोवर्धन पर्वत की पूजा को लेकर इन्द्र उत्सव की जो कथा प्रचलित है उसका अपना महत्त्व रहा होगा, किन्तु इन्द्र की परम्परागत मान्यता का उन्मूलन कर

ब्रजभूमि में गो-वंश की प्रतिष्ठा करना इस कथा का मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है और उसमें भी पशु-गत नारी-जीवन को प्रतिष्ठापित किया गया है।

गो-प्रेम की अभिव्यक्ति में भगवान श्रीकृष्ण ने गीता के विभूतियोग नामक दसवें अध्याय में अग्नि को कामधेनु के रूप में प्रस्तुत किया है। श्रीकृष्ण का अपने लिये यह कामधेनु कथन उन्हें भक्तों की प्रत्येक कामना को पूर्ण करने वाला बताता है-

आयुधाना-महं वज्जं धेनूनामस्मि कामधुक् ।

महाभारत की विजय : दुर्गा की स्तुति - नारी जाति के महत्त्व के प्रतिपादन में श्रीकृष्ण का यह प्रयास भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं माना जा सकता कि पाण्डवों को विजय दिलाने में सबसे पहले श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध आरम्भ करने से पूर्व तुम दुर्गादेवी की स्तुति करना। श्रीकृष्ण का आदेश पाकर अर्जुन ने दुर्गा स्तुति की जो प्रस्तुति कीए उसमें कहा गया कि हे दुर्गे! मैंने विशुद्ध हृदय से तुम्हारी स्तुति की है। अतः कृपाकर आप मुझे विजय अवश्य प्रदान करें। श्रीकृष्ण का अर्जुन को दिया गया यह परामर्श भी नारी जाति के सामाजिक मूल्य की महत्ता को प्रकट करता है।

आधुनिक नारी जीवन एवं कृष्ण की मान्यताओं से संबंध - लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रारम्भिक रचनाओं में उपजीव्य ग्रन्थ के रूप में तीन महत्त्वपूर्ण कृतियाँ प्राप्त होती हैं- वाल्मीकि रामायण, महाभारत और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ 'श्रीमद्भागवत'। इनमें दो अन्तिम ग्रन्थ वेदव्यास प्रणीत बताये जाते हैं। वेदव्यास रचित तो 'महाभारत' भी है, किन्तु ऐसा कहा जाता है कि महाभारत की रचना के अनन्तर वेदव्यास को आत्मसन्तुष्टि नहीं हुई थी, यद्यपि वे महाभारत जैसे एक विशाल ग्रन्थ का प्रणयन कर चुके थे और जिसके लेखन का कार्य गणेश को करना पड़ा था। वेदव्यास का अपने सृजन

के क्षेत्र में जिस आत्मपरितोष का अभाव बताया जाता रहा उसकी पूर्ति श्रीमद्भागवत की विषय-वस्तु के अध्ययन-अनुशीलन से जानी जा सकती है। श्रीमद्भागवत में जिस विषय-वस्तु का प्रतिपादन हुआ है, उसमें श्रीकृष्ण की लीलाओं का जहाँ विशेष कथन है वहाँ राक्षसों के संहार का तथा ब्रजभाव की प्रेम-पूर्ण कथाओं का अधिक विस्तार के साथ वर्णन हुआ है। वस्तुतः गोपियों का जो उत्सव वेदव्यास के हृदय से प्रस्फुटित हुआ है, उसका नारी-जीवन के महत्त्व की दृष्टि से पर्याप्त महत्त्व है। प्रतीत होता है कि श्रीमद्भागवत की रचना के बाद जो मानव जीवन में परिवर्तन आया, वह नारी-जीवन की उन्नति को लेकर हुआ है। यहाँ आकर न केवल द्रौपदी के प्रतिशोध की आग का परिशमन होता देखा जाता है बल्कि कुन्ती की मनोव्यथा एवं उत्तारा के दुःख-दर्द का परिमोचन भी होता देखा जाता है। लगता है कि तब से नारी-जीवन में एक अतुलनीय सांस्कृतिक बदलाव ही आ गया है। श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण का नारी-जीवन को लेकर पक्षधर बनना एक युग परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। पुरुष का अहंकार यहाँ से क्षीण होता चला गया और नारी की प्रतिष्ठा ऊपर उठती देखी गई। मेरा यह मानना है कि जबकि नारी आज भी पुरुष के अहंकार से दबी हुई है और पुरुष उस पर कृपा कर उसे समान अधिकार देने का ढोंग रच रहा है श्रीकृष्ण की नारी के जीवन के साथ जो सहानुभूति रही है उस पर आज इस देश की चिन्तन-धारा को मोड़ना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीमद्भागवत, 10.42.2
2. श्रीमद्भागवत, 10.23.25-26
3. महाभारत सभापर्व, अध्याय 38

भीष्म साहनी के कथा साहित्य में सामाजिक सरोकार

डॉ. अनुषा बंधु*

* सहायक आचार्य(वि.सं.यो.) (हिन्दी) राजकीय महाविद्यालय, सेमारी (राज.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान समाज में कथा साहित्य अपनी लोकप्रियता के कारण साधुनिक साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठित एवं प्रौढ विद्या के रूप में उभरकर सामने आया है। साहित्य और सभाज एक-दूसरे हैं पूरक हैं, एक का प्रभाव दूसरे पर दिखाई देना स्वाभाविक है। साहित्य को समाज के समाज को साहित्य के बगैर परिलक्षित कर पाना बेहद दुष्कर है। 'साहित्य समाज का दर्पण है' और साहित्यकार इस दर्पण का सजग, सचेत अंग।

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'साहित्य की महता' को लोकजागरण की चेतना से सम्बद्ध मानते हुए कहा है कि 'साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पायी जाती। यूरोप में हानिकारिणी रूढ़ियों का उद्घाटन साहित्य ने ही किया, जातीय स्वातंत्र्य के बीज उसी ने बोए हैं... पोप की प्रभुता को किसने कम किया है? फ्रांस में प्रजा की सत्ता का उत्पादन और उन्नयन किसने किया है? पदाक्रान्त इटली का मस्तक किसने उँचा उठाया है? साहित्य ने, साहित्य ने, साहित्य ने। साहित्यकार समाज का सबसे संवेदनशील प्राणी होता है जो समाज की नित्य प्रति घटित होने वाली घटनाओं को उसके अनुकूल-प्रतिकूल प्रभावों एवं अनुभवों को आधार बनाकर अपनी सृजनमूलक इमारत खड़ी करता है ताकि समाज की विसंगतियों को अनावृत कर समाज का पथ प्रेम एवं अपनेपन से दीप्तिमान कर सके। ऐसे ही साहित्यकार भीष्म साहनी हैं जिन्होंने स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कथा साहित्य को समृद्ध किया। कथा साहित्य में अन्तर्विरोधों व जीवन के जकड़े मध्यवर्ग के साथ निम्नवर्ग की जिजीविषा को उजागर करने में उनकी जीवन्तता उन्हें अन्य साहित्यकारों में अग्रणी साबित करती है।

प्रस्तावना – भीष्म साहनी आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य के प्रमुख स्तम्भों में से एक हैं। इन्हें हिन्दी साहित्य में प्रेमचंद की परम्परा का लेखक माना जाता है क्योंकि ये अपनी लेखनी में सदैव मानवीय सरोकारों के हिमायती रहे। साहित्य के प्रति अपने समर्पण, अथक श्रम और सतत साहित्य साधना के द्वारा भीष्म साहनी ने हिन्दी साहित्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। भीष्म साहनी का रचना संसार हिन्दी साहित्य कोष को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इनकी लेखनी में सामाजिक सरोकार के साथ जीवन मूल्य यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ हमेशा दिखाई पड़ता है। इनका रचनात्मक संसार जीवन के कई उतार-चढ़ाव के बावजूद संवेदना के स्तर पर अविचलित रहा है। किसी भी विचार दर्शन या चिंतन के प्रभाव को एक विशिष्ट सीमा तक ही भीष्म जी ने ग्रहण किया है। यह सच है कि प्रगतिशील विचारधारा के प्रमुख कहानीकारों में उनका नाम लिया जाता है पर उनके साहित्य पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होगा कि वह मूलतः मानवतावादी है जो कि सामाजिक दर्शन से प्रभावित है।

भीष्म साहनी की कहानियों का मुख्य ध्येय देश का मध्य और निम्न मध्यमवर्गीय समाज है। हिन्दी के जिन कहानीकारों ने प्रेमचंद की परम्परा को स्वीकारा है या आत्मसात किया है उनमें ये अलग ही पहचाने जाते हैं क्योंकि बनावट नाम की कोई भी चीज उनमें कहीं भी नहीं है। इनके कथा साहित्य में आधुनिकता बोध और यथार्थवादी विचारधारा के अन्तर्विरोधों को सामाजिक प्रसंगों में व्यक्त किया है। उनकी कहानियों में कहीं भी अद्भुत शक्ति पर उनका विश्वास नहीं है। उनके लिए तो मानव जीवन और मानवीय जीवन के सुख-दुख ही सब कुछ है।

भीष्म साहनी का आगमन जिस युग में हुआ वह युग सामाजिक परिस्थितियों के लिए बड़ा चर्चित एवं चिन्तन परक रहा है। देश-विभाजन की त्रासदी ने समाज को झकझोर डाला वहीं आजादी के बाद बदलती परिस्थितियों से जनता के मोहभंग की स्थिति ने सामान्यजन एवं रचनाकारों को प्रभावित किया। सामाजिक जीवन की समस्त समस्याओं के प्रति भीष्म साहनी ने चिंतनमनन किया है। औद्योगीकरण, मशीनीकरण के प्रभाव से जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता है और परिणामस्वरूप जीवन मूल्यों में भी परिवर्तन आया। उनके लिए मनुष्य में स्नेहभाव साहचर्य और विश्वास अधिक महत्वपूर्ण है। मध्यवर्गीय लोगों के बदलते जीवन मूल्यों को उद्घाटित करने के साथ-साथ उनके फूहड़ व्यवहार को भी व्यक्त किया है। साहनी जी का मानना है प्रगति के साथ-साथ वह निरन्तर अपने दायित्वों को भूलता जा रहा है, उसमें स्नेह जैसे मनोभाव लुप्त होते जा रहे हैं। परिवार का विघटन तो हो ही रहा है साथ ही घर में बुजुर्गों के प्रति प्रेम की बजाय उपेक्षा भाव जाग्रत हो रहा है और जिस समाज में पैसे के तराजू पर प्रसन्नता तोली जाती हो, प्रेम भाव और सहानुभूति तोली जाती हो, ऐसा समाज विकसित समाज नहीं कहलाया जा सकता है। 'चीफ की दावत' कहानी कुछ यह संदेश देती है। कहानी में रामनाथ नाम का व्यक्ति है, जिसके घर शाम को चीफ के लिए दावत है। उनकी माँ बहुत बूढ़ी और बेडौल तथा निरक्षर देशी, महिला है। हालांकि रामनाथ पढ़ाने लिखाने और ओहदेदार बनाने में वह अपना सबकुछ न्यूँछावर कर देती है। रामनाथ और उसकी पत्नी इस बात से परेशान हैं कि चीफ की दावत के समय माँ को कहाँ छिपाया जाए ताकि चीफ उसकी माँ को न देख पाए और बेइज्जती होने से

बच जाए। जिस बात से रामनाथ सबसे ज्यादा परेशान था, अंत में वहीं होता है, चीफ को उस पूरी दावत में यदि कुछ पसन्द आता का है तो मां के द्वारा बनाई गई फुलकारी। बेटे बहू के व्यवहार से तंग माँ हरिद्वार जाने का विचार कर लेती है, पर दावत की सफलता का कारण माँ को पाकर गले लगा लेता है। लेकिन जब माँ को यह पता चलता है की एक नई फुलकारी बनाकर चीफ को भेंट कर देने से मेरे बेटे की पदोन्नति हो जाएगी तो हरिद्वार जाने विचार छोड़कर एक बार पुनरु बेटे के भविष्य के लिए अपनी रोशनी की अन्तिम किरण भी उस पर समर्पित कर देती है। मध्यमवर्गीय जीवनका यथार्थ जो आजादी के बाद देश में विकसित हुआ उसमें जीवन की विसंगतियाँ, असामाजिकता से सराबोर हो गयी। कहानी का उदाहरण दृष्ट्य है- 'और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्चों की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूँ, मेरे बस की से बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से साँस नहीं ले सकती।' इस कहानी के माध्यम से साहनी जी ने स्पष्ट किया है हमारे समाज में एक है जो रिश्तों को जीता है इन्हें निभाने के लिए हर संघर्ष का सामना करता है। जैसे बेटे की तरक्की की खातिर नजरे कमजोर होते हुए भी फुलकारी बनाने का प्रण करती है। वहीं दूसरा वर्ग का पढ़ा-लिखा मध्यम वर्ग है जो तरक्की हेतु रिश्तों को बाजार में लाता है।

मानवीय ऊष्मा के संवेदनशील कथाकार भीष्म साहनी हिन्दी के महान कथाशिल्पी और 'तमस' जैसी कालजयी रचना के रचनाकार है। मानवीय मूल्यों के वे बड़े हिमायती थे, उन्होंने विचारधारा को अपने साहित्य पर कभी हावी नहीं होने दिया। वामपंथी विचारधारा के साथ जुड़े होने के साथ वे मानवीय मूल्यों को कभी ओझल नहीं होने देते। इस का उदाहरण उनका कालजयी उपन्यास 'तमस' है। धर्म के आधार पर देश के बँटवारे और उसकी त्रासदी को अपनी आँखों से देखा था। इस उपन्यास में साहनी जी मूल उत्स की खोज करते हैं और उसके विकास की स्थितियों को बहुत बारीकी से विश्लेषित करते हैं। 'अमृतसर आ गया' कहानी उनकी एक विशिष्ट कहानी है जिसमें उस दबू बाबू के मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण किया है जो अमृतसर आते ही शेर हो जाता है और उनके अन्दर दबी हुई साम्प्रदायिकता हिंसा का उग्र रूप धारण कर लेती है। भीष्म साहनी ने माँ की ममता पर एक बेहद रोचक कहानी लिखी है - पाली। इस कहानी में विभाजन के समय एक हिन्दू परिवार का बच्चा पाकिस्तान में बिछुड़ जाता है वहाँ उस बच्चे को एक मुस्लिम परिवार पालता है। लेकिन कुछ वर्षों बाद ऐसी परिस्थिति बनती है कि वह बच्चा अपने हिन्दू माँ-बाप के पास लौट आता है। जिस मुसलमान दम्पति ने उसकी परवरिश की, उसके दिल पर क्या बीती और जब वह अपने सनातनी परिवेश में लौटा तो उसके मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका जो चित्रण भीष्म साहनी ने किया है, इससे एक तरफ ममता के अधिकार का प्रश्न अनायास उठता है, तो दूसरी ओर मनुष्य और मनुष्य के बीच धर्म द्वारा खड़ी की गई कृत्रिम दीवारों का भी एक कचोटने वाला अहसास बरबस मनपर आघात करता है।

भीष्म साहनी का व्यक्तित्व सरल किन्तु सुदृढ़ है। उनकी मानवीयता

सतही हमदर्दी ना होकर एक गहरी सामाजिक दृष्टि की उपज है। यह दृष्टि विशाल है अर्थात् सामाजिक है। भीष्म साहनी बन्द कमरे के रचनाकार ही नहीं हैं। उनका कर्मक्षेत्र इतना विशाल है और स्वयं उन्होंने अपने कर्मक्षेत्र को विस्तृत किया है कभी सम्पादक बनकर, तो कभी रंगकर्मी या कभी अभिनेता बनकर - हर क्षेत्र में अपना सुदृढ़ व्यक्तित्व का परिचय देते चलते है। भीष्म जी के कथा साहित्य की विशिष्टता है कि उसमें कलात्मकता को बनाए रखकर अपने प्रगतिशील चिन्तन के संप्रेषण की क्षमता है। उनका कथा साहित्य उनके जीवन दर्शन का रूपायन कहा जा सकता है। उनके कथा साहित्य में वैज्ञानिक चिन्तन इतिहास बोध एवं सामाजिक सरोकार ने भी स्थान पाया है। उनका कथा संसार अंतर्विरोधों व जीवन के द्वंदों, विसंगतियों से जकड़े मध्य वर्ग के साथ ही निम्न वर्ग की जिजीविषा और संघर्षशीलता को व्यक्त करता चलता है। नई कहानी आन्दोलन में कुछ समर्थ, किंचित प्रचारप्रिय लेखकों के नाम बढ़-चढ़कर सामने आए। भीष्म जी ऐसी आत्मश्लाघा से हमेशा दूर रहे। वे सदैव लेखक कहलाने के लोभ से निर्लिप्त रहकर रचना कर्म को, आवश्यक सामाजिक कर्म मानकर उसमें रत रहे। वर्तमान समय में नए प्रकार की समस्याओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी रचनाएँ अधिक प्रासंगिक होती जा रही है। कृष्ण बलदेव वैद का यह कथन उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समझने में विशेष है- 'एक लेखक और व्यक्ति के रूप में उनकी आवाज शान्त और शुद्ध थी और मानवीय आश्वासन से गूँजती थी। उनकी अपार लोकप्रियता किसी भी अश्लील स्वाद का नतीजा नहीं थी बल्कि उनकी साहित्यिक योग्यताओं का पुरस्कार थी- उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, उनकी कोमल विडम्बना उनका सर्वव्यापी हास्य चरित्र में उनकी गहरी अंतर्दृष्टि, एक कलाकार के रूप में उनकी महारत और मानव हृदय की इच्छाओं की उनकी गहरी समझ।'

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भीष्म साहनी ने अपनी बहुआयामी प्रतिमा को विविध रूपों में रूपायित किया है। जिससे साहित्य की सभी विधाएँ जीवन्त और स्पन्दनशील हो उठी हैं। उनकी सभी कृतियाँ उन्हें सर्वश्रेष्ठ लेखक, सफल कहानीकार, श्रेष्ठ अनुवादक, उच्चकोटि का कलाकार सिद्ध करती हैं। उन्होंने जीवन के क्षण-क्षण से बटोरी जाने वाली अनुभूतियों और पग-पग पर होने वाले अनुभवों को कहानी, नाटक, बालसाहित्य उपन्यास में आलेखित किया है। भीष्म साहनी का समग्र साहित्य युग का सजीव प्रतिबिम्ब और जीवन की विविधता का यथार्थ चित्र है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य की महत्ता, पृ.स. 6
2. भीष्म साहनी, चीफ की दावत से
3. हिन्दी समय / मानवीय सरोकारों के रचनाकार, भीष्म साहनी -लेख से
4. ट्रेलिंग्स ऑफ ए लोनली वायाम/आउटलुक इंडिया. कॉम 28 जुलाई 2003
5. विकिपिडिया से प्राप्त जानकारी

भारत में एकात्म मानववाद की वर्तमान प्रासंगिकता

ओमप्रकाश योगी*

* व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) श.ज.वै.रा.उ.मा.वि.मातृकुण्डिया, राशमी, जिला- चित्तौड़गढ़ (राज.) भारत

प्रस्तावना – पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद एक ऐसी विचारधारा है जो एक चक्र के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है जिसकी धुरी में व्यक्ति, व्यक्ति से जुड़ा एक परिवार, परिवार से जुड़ा हुआ एक समाज, जाति फिर राष्ट्र, विश्व और फिर अनंत ब्रह्मांड को अपने में सम्मिलित किये हुए है। एकात्म मानववाद का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति और समाज की आवश्यकता को संतुलित करते हुए प्रत्येक मानव को गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। सतत् विकास के साथ विकास को आगे बढ़ाना है जिससे भावी पीढ़ियों को भी संसाधनों का पुनः उपयोग करने में सुलभता हो सके।

आज पूरे विश्व भर में जलवायु आपदाएं बढ़ती जा रही है जिससे संधारणीय विकास में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों को गरीबों का सामना करना पड़ रहा है। कई नए मॉडल इन समस्याओं से निपटने के लिए लाए गए किंतु वे सभी असफल होते दिख रहे हैं।

सामान्यतः भारत के राजनैतिक क्षेत्र में स्थापित सभी दल यह सोचते थे कि हमें कुछ संशोधनों के साथ इन पाश्चात्य वादों को ही स्वीकारना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई अन्य चिंतन नहीं है। हम तो राष्ट्र थे ही नहीं। पाश्चात्यों ने ही आकर हमको राष्ट्र बनने के लिए तैयार किया है। उनका विचार है हम राष्ट्र बनने जा रहे हैं या हम नवोदित राष्ट्र हैं, आदि आदि।

भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी भारत को प्राचीन एवं सनातन राष्ट्र मानती है। पश्चिम की राष्ट्र-राज्य परिकल्पना से पुरानी कल्पना भारत के 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की है। भारतीय संस्कृति की एक गौरवसम्पन्न ज्ञान-परम्परा है हमें इसी ज्ञान-परम्परा में भारत का भविष्य खोजना चाहिए।

मानव की तरफ देखने की पाश्चात्य दृष्टि खण्डित है उनका व्यक्तिवाद, समाजवाद का दुश्मन है तथा समाजवाद, व्यक्तिवाद का शत्रु है। वे प्रकृति पर मानव की विजय चाहते हैं, इस प्रकार यहां भी प्रकृति बनाम मानव उनका समीकरण है। सेक्यूलरवाद को अपना कर उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को अध्यात्म से काट लिया, अतः भौतिकवाद बनाम अध्यात्म, स्टेट बनाम चर्च तथा रिलिजन बनाम साइंस के द्वंद्वमूलक समीकरण वहां उत्पन्न हुये। दीनदयाल जी मानते थे कि पश्चिम की यह बहस भी एक मानवीय बहस है, इसे हमें जानना चाहिए तथा इससे कुछ सीखना भी चाहिये, लेकिन हमें इन द्वंद्वमूलक निष्कर्षों का अनुयायी नहीं बनना चाहिये।

अतः मौलिक भारतीय चिन्तन के आधार पर विकल्प देने की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं स्वीकार की। भारतीय जनसंघ की पहली पीढ़ी के सभी कार्यकर्ता

इस काम में लगे। 1959 का पूना अभ्यासवर्ग, 1964 का ग्वालियर अभ्यास वर्ग तथा 1964 के संघ शिक्षा वर्गों के इस दृष्टि से विशेष महत्व है। इन वर्गों में परिपक्व हुये विचारों को दीनदयाल जी ने सिद्धांत और नीति प्रलेख में 'एकात्म मानववाद' नाम से प्रस्तुत किया। 1965 में भारतीय जनसंघ के विजयवाड़ा वार्षिक अधिवेशन में इसे मूल दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया तथा 1985 में भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे अपने मूल दर्शन के रूप में स्वीकार किया।

यह विचार व्यक्ति बनाम समाज नहीं वरन व्यक्ति और समाज की एकात्मता का विचार है। यह मानव बनाम प्रकृति नहीं वरन मानव के साथ प्रकृति की एकात्मता का विचार है। भौतिक बनाम अध्यात्मिक नहीं वरन इनकी एकात्मता का विचार है। भारत में इसे धर्म कहा गया है 'यतो अभ्युदय निःश्रेयस संसिद्धि स धर्मः' अर्थात् यह व्यष्टि, समिष्ट, सृष्टि व परमेष्ठी की एकात्मता का विचार है।

यह विचार दृश्यमान पृथक्ताओं में एकात्मता के सूत्र खोजता है। संसार में पृथक्ता नहीं विविधता है, जो 'पिंड' में है वही 'ब्रह्माण्ड' में है। आज मानव अपने को व्यक्ति मान कर अपनी सामाजिक संस्थाओं से युद्ध कर रहा है, परिवार, जाति, वंश, पंचायत सब को अपना दुश्मन मान रहा है। समाजवाद के नाम पर तानाशाहियों का सृजन कर रहा है, विकास के नाम पर प्रकृति से युद्ध कर रहा है, पर्यावरण का विनाश कर भयानक विभीषिकाओं को आमंत्रित कर रहा है। अध्यात्म का निषेध कर भोगेन्द्रियों का गलाम बन रहा है। सुख की खोज में दुःख कमा रहा है तथा आनंद की अवधारणा से अपरिचित रह रहा है।

भारतीय परम्परा इन पृथक्ताओं का निषेध करती है वह जड़-चेतन सभी से अपनी रिश्ते स्थापित करती है। धरती 'माता' है चन्द्रमा मामा है पर्वत यदेवता है, नदियां 'माता' है। समाज का हर व्यक्ति परस्पर जुड़ा हुआ है, यह संसार परायेपन की जगह नहीं, यह 'वसुधा तो एक कुटुम्ब' है आदि विचार मानव को असम्बद्धता, पृथक्ता तथा द्वन्द्वशीलता के सम्बंधों से निजात दिलाते हैं।

एकात्मता, समग्रता में निहित रहती है। समग्रता के अभाव में खण्ड दृष्टि से मानव आक्रांत होता है। जैसे ब्रह्माण्ड की समग्रता है, वैसे ही व्यक्ति की भी समग्रता है। व्यक्ति अर्थात् केवल शरीर नहीं, उसके पास मन है, बुद्धि है और आत्मा भी है। यदि इन चारों में से एक की भी उपेक्षा हो जाये तो व्यक्ति का सुख विकलांग हो जायेगा। इन चारों के पृथक् पृथक् सुख से व्यक्ति सुखी नहीं होता, उसे तो एकात्म एवं धनीभूत सुख चाहिये। जिसे आनंद कहते हैं।

वैसे ही समाज केवल सरकार नहीं है, उसकी अपनी संस्कृति है, जन एवं देश है। इन चारों के सम्यक संचालन के बिना समष्टि के सुख का संधान नहीं होता।

इस प्रकार सृष्टि के पंच-महाभूत (पृथ्वी, जल, आकाश, प्रकाश व वायु) हैं, जिनके साथ न्याय-संगत व्यवहार होना चाहिये तथा अदृश्य किन्तु अनुभूति में आने वाले आध्यात्मिक तत्वों से भी योग्य साक्षात्कार होना चाहिये। तभी मानव सुखी होगा।

व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि तथा परमेश्वरी से एकात्म हुआ मानव ही विराट पुरुष है। इसके पुरुषार्थ चतुर्गामी हैं 'धर्म, अर्थ काम और मोक्ष' ये पुरुषार्थ मानव की परिस्थिति निरपेक्ष आवश्यकतायें हैं, इनकी सम्पूर्ति करना समाज व्यवस्था का काम है।

अतः आज दुनिया को एक ऐसे मॉडल की तलाश है जो अपनी प्रकृति में एकीकृत हो।

आज भारत जैसे देश में बढ़ती तीव्र जनसंख्या के चलते गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है जिसमें अल्पकालिक उपायों के अलावा कोई उपाय नहीं है।

देश में आर्थिक असमानता की खाई बढ़ती जा रही है जिससे गरीब-अमीर के जीवन स्तर में बड़े अंतर के साथ उनमें असमानता और भेदभाव भी बढ़ते जा रहे हैं, इन सभी के चलते गरीब लोग अपनी आजीविका एवं जीवन स्तर को हीन महसूस करते हैं तथा राज्य व भगवान या ईश्वर के दिए हुए वरदान के रूप में मानकर अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं।

भारत आज वैश्विक सूचकांक 2023 में 125 देशों में से 111वें स्थान पर खड़ा है जो अपने आप में विचारणीय प्रश्न है।

स्वतंत्र भारत के बाद समाज वैज्ञानिकों ने देश की तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर पाश्चात्य पद्धति को अपनाया और पूंजीवाद, साम्यवाद जैसी तरह तरह की धाराओं को लेकर उनका खंड-खंड विश्लेषण कर उनको देखा और उनमें सुधार को लेकर कई प्रयास किए, लेकिन वे सभी असफल हुए। अतः भारत को गहराई से समझने के लिए एकात्म मानववाद जैसा समग्र दृष्टिकोण चाहिए जिसमें व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक इसकी प्रतिच्छाया नज़र आती है। क्योंकि जब तक मनुष्य का समग्रता एवं सम्पूर्णता से चिंतन नहीं किया जायेगा तब तक उसकी समस्याओं का समग्र समाधान नहीं हो पायेगा।

इन सभी मुद्दों के साथ राज्य के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पहलुओं को एकीकृत ढांचे में पिरोकर ही देश को उन्नति की राह पर आगे बढ़ाया जा

सकता है क्योंकि यह सिद्धांत विविधता को प्रोत्साहन देता है तथा सभी वर्गों के लिए समानता के साथ अपने पक्षों को मजबूत करने का पूरा मौका देता है क्योंकि भारत जैसे देश के लिए अधिक उपयोगी है क्योंकि जिस देश में अनेक को बोलियां, भाषाएं तथा सांस्कृतिक विविधता तथा आर्थिक विविधता भी यहां है जिससे सभी लोगों को समभाव महसूस हो सके। जिसके अंतर्गत विकास के केंद्र में मानव हो जिससे उसका पूरा कल्याण हो सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिया गया यह सिद्धांत पूंजीवाद एवं समाजवाद के मध्य एक ऐसी राह के पक्षधर है जिसमें दोनों प्रणालियों के गुण तो मौजूद हो लेकिन उनके अतिरेक एवं अलगाव जैसे अवगुण ना हो। यही दीनदयाल जी के चिंतन का भी आधार था। इसीलिए वे गाँधी के 'सर्वोदय' से आगे 'अंत्योदय' की बात कर पाए। विकास की दृष्टि से हाशिए पर खड़ा अंतिम व्यक्ति उनके आर्थिक चिंतन का केंद्र बिंदु था। उसके विकास में वे समाज एवं राष्ट्र का वास्तविक विकास देखते हैं। वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे पुरुषार्थ चतुष्टय में से किसी की भी उपेक्षा नहीं करते। किसी को कमतर नहीं आँकते। उनका दर्शन काल्पनिक एवं वायवीय नहीं, यथार्थपरक एवं व्यावहारिक है। हिंसा, कलह एवं आतंक से पीड़ित मानवता के लिए उनका दर्शन एक वैश्विक वरदान है, समाधानपरक उपचार है। विभिन्न राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं, नेताओं के लिए उनका व्यक्तित्व एक ऐसा दर्पण है, जिसमें देखकर-झाँककर वे अपना-अपना आकलन कर सकते हैं। बल्कि साधनों के पीछे भागते एवं भव्यता के आडंबर रचते सभी दलों, नेताओं एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को वे सचेत एवं आगाह करते प्रतीत होते हैं कि 'प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा एवं सत्ता भी - साधनों से नहीं, साधना से मिलती है।'

निष्कर्षतः - भारत जैसे देश के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को फलीभूत करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है एवं 'अंत्योदय' अर्थात् समाज के निचले स्तर पर स्थित व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार करना है यह दर्शन न केवल भारत बल्कि अन्य विकासशील देशों में भी सदैव उपयोगी साबित होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एकात्म मानववाद- पं. दीनदयाल उपाध्याय
2. www.panchjanya.com
3. www.bjp.org
4. www.wikipedia.org

रामायणे नैतिकमूल्यावबोधः

डॉ. पंकज कुमार सिंह*

* असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत) श्रीमती एल.डी.एस.पी.ए.एस. कॉलेज, बरुन्दनी, भीलवाड़ा (राज.) भारत

प्रस्तावना – 'रामायणे चतुर्विंशतिः सहस्राणि श्लोकनमिति तत् चतुर्विंशति साहस्री – सहितापदेनाभिधीयते। संसारे किमपि काव्यं लोकप्रियतायां रामायणस्य समतां कर्तुं न क्षमते, रामायणमादिकाव्यं वाल्मीकिश्च तत्प्रणेतृत्वाऽऽदिकवि रभिधीयते।

मूल्यं विना मानवस्य जीवनं न परिकल्पयते। अतः मानव जीवने अधिक्रियमाणायां शिक्षायां मूलस्य योजना नितान्तमावश्यकतां धत्ते वस्तुतः भारते वेदकालादेयाद्भावधि लोक शिक्षार्थं नाना ग्रन्थेषु साहित्येष्वपि मूल्यतत्त्वं प्रभूतत्वेन प्राप्यते।

वाल्मीकिना स्व काव्य कलायाः प्रदर्शनात्पत्रमाधारीकृतं तस्य रामस्य चरितमेव तादृशं यतदाधारी कृत्य कोऽपि कविः साफल्यमासादयेत् यथोक्तं साकेते –

**'राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है
कोई कवि बन जाम सहज संभाव्य है'**

अतो रामधारकं वाल्मीकि काव्यं रामायणं नितांतहृदयं सातिशयशिक्षाप्राप्तिं च भूत्वा रसास्वाद सुखपिण्ड प्रदान द्दारेणविनेयान्विनयति यत्काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनमुच्यते।

वाल्मीकिरपि स्वकाव्ये तथैव स्वीकृतवानस्ययादिति नाशचर्यजनकम्। रामसीतयोर्निर्मलचरित्रता वाल्मीकिः कवित्वस्य चूडान्तं निदर्शनम्। रामस्य चरित्रं कविनाऽति-सावधानतया चित्रितम्।

'कथञ्चिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति।

न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया॥', (21 91 99)

रामस्यावन्धयाभिलाषतां बोधयितुमिदमेकं पद्यमेव प्रयत्नम् – नास्यक्रोधः प्रसादो वा निरर्थोऽस्ति कदाचन। हन्त्येष नियमाद् वन्धयानवध्येषु न कुप्यति॥

रामस्य सीता विषयकानुराग एव न रावणवधं – प्रयोजितवान्, अपितु कर्ताव्य बुद्धिरेव तथा कारितवती –

'स्त्री प्रणष्टेति कारुण्यादाश्रितेत्यानुशङ्क्यतः।

पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च॥'

स्त्रीसामान्यकृतं दयालुत्वं, स्वाश्रितपीडित्यक्रूरत्वं, पत्नीति शोकः प्रियेति कामश्चेति सर्वं संभूयैव रावणवध – प्रयोजकतामागमत न केवलोऽनुराग। तथा सति तदीयं महत्त्वं किञ्चिदपकृत्येतं लक्ष्मणे शक्त्याहते सति तदुद्धारामस्य भ्रातृप्रेम व्यञ्जनितम् –

देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः।

तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः॥

रामस्य महत्त्वं तदाऽतीव स्फुटतां गच्छति यदाऽसौहृतस्य रावणस्य संस्काराय स्वाश्रितान् प्रेरयति – मरणान्तानि वैराणि निवृत्तां नः प्रयोजनम्। – क्रियतामस्य संस्कारो मामाप्येष यथा तवा॥'

रामचन्द्र आदर्शभ्राता आदर्श पतिः आदर्श पुत्रः आदर्श शासकः आदर्श – मनुष्यचासीदिति समर्थयितुमेव रामायणंनिरयीमत, यत्र लक्ष्ये तत्सफलमभूत्।

रामो वनं गत्वापि भरतोपरि सन्देहं न कृतवान्, लक्ष्मणोपरि विपदुपनिपाते स्वप्राणोऽस्तृणाय मेने इत्यादिना तदादर्शभ्रातृता, सीतां परित्यज्यापि तदनुरागाग्नौ तिलशः स्वमजुहोदिति तस्यादर्शपतित्वं, पितुराशयोपनतं प्रकृतिभिरनुमोदितमपि राज्यं तत्याजेति तस्यादर्शपुत्रता, रामराज्यपदम् – धुनाऽपि आदर्शराज्यं पर्यायतामापन्नमिति तस्यादर्शशासकता व्यवहारमात्रेण च तस्यादर्शमनुष्यता प्रतीतेति सर्वथा विस्मयावहं चरित्रं रामचन्द्रस्य। तादृशं चरित्रं स्वीये काव्ये सृष्टवतः कवेर्वाल्मीकेन प्रथमोद्भूततामात्रेणादि – कवित्वमपि तु सर्वोत्कृष्टकाव्य प्रणयनसौभाग्य वत्तायाऽं – तदीयमादिकवित्वं प्रतिपन्नं भवति।

रामायणकालिकः समाज आदर्शवादमवलम्बते, पितुराज्ञां पुत्रौ मनुते, ज्येष्ठभ्रातरं भ्राता कनिष्ठ आद्रियते। रामायणे सत्यनिष्ठता – त्याग – करुणा दया – कर्तव्य निर्वाह विनयादयो नैतिकाध्यात्मिक मूल्ये स्वीकार्याः। एवं समाजिकोत्तरदायित्व – नागरिकता – लोकतंत्र – मानवतावाद समाजिक संवेदनशीलता – राष्ट्रियैकता पारस्परिक – सद्भाववादः दृश्यते। – ¹

सामाजिक मूल्यत्वेन राजनैतिकमूल्यत्वेन च, प्राणिस्वान्त्रय न्यायावसर प्रदान – परतन्त्रताद्यन्मूलनादीनि वैश्विकमूल्यत्वेन तथ्यपरकता – तर्कसङ्गतता – शानोत्सुकतादयो वैज्ञानिक मूल्यत्वेन परम्परा विश्वास – संस्कृतिसमुन्नयनादयः संस्कृतिक मूल्यत्वेन, प्रकृत्यादर – पर्यावरणसंरक्षण – पर्यावरणशुद्धि – वृक्षारोपण-वनसंरक्षण – पर्यावरणजागरुकतादयः पर्यायवरणमूल्य साधुता – न्यायप्रियता – स्वानुसाशन मैत्री लोकतान्त्रिकभावना – हिंसादयश्च भौतिकमूल्यत्वेन स्वीकर्तुं सुशकाः – ²

भारतीय साहित्यं विशेषतः संस्कृतसाहित्यमेतान्येव मूल्यानि प्रतिपदमुपदिशतीति कथनं नानुचितम्। यत्र रामायणे मूल्येतरवस्तुवर्णः दृश्यते, यथा आदर्शपात्राणामनुकरणीयतयावर्णनेन सह तत्प्रतीपपात्राणां सनिवेशनं केवलं तदिमुखताऽऽपादनोपदेशणैव।

अतः रामादीनां वर्णनेन सह रावणादी कथनं केवलं परस्परपार्थक्यदर्शनपुरः सरंतदनुमुखत – द्योतनाय एव।

- रामायणम् अस्माकं संस्कृतिं प्रतिनिधत्ते। एतद्भारतीय संस्कृतिप्रतिनिधिकाव्यमस्ति। अत्र धर्मस्य, सत्यस्य, वृत्तस्य च प्राधान्यमस्ति। इमंश्लोकं विलोकयन्तु-

**'सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः।
मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः॥'**

तथा च-

**'धर्मार्थकामा खलु जीवलोके समीक्षिता धर्मफलोदयेषु।
ये तत्र सर्वे स्युरसंशयं मे भार्येव वक्ष्याभिमता सपुत्रा॥'**

तत्र जनाः दानदयाध्ययनशीलाः सुसंयताः, आस्तिकाः, बहुश्रुताः, बहुज्ञाः, सत्यवादिनः, विद्वांसः तपस्विनश्चासन्।

रामराज्यस्य वैशिष्ट्यं तु सर्वथा समीचीनम्-

**'नाकाले म्रियते कश्चिन्न व्याधिः प्राणिनां तथा।
नानर्थोविद्यते कश्चिद् रामे राज्यं प्रशासति॥'**

अलौकिकगुणगणविभूषितस्य अस्य रामायणकाव्यस्य सर्वत्र प्रशंसा कृता वर्तते। रामायणकाव्यरसामृतं निपीय जनः परं पदं लब्धुमर्हति। यथोक्तम् -

**'वाल्मीकिः कविसिंहस्य कवितावनचारिणः।
श्रण्वन् रामकथानादं को न याति परं पदम्॥'**

रामायणस्य अधोलिखिता सूक्तिस्तु परमप्रसिद्धा-

**'सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला।
नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा॥'**

वाल्मीकिः स्वयमुक्तं रामायणे -

न ह्यन्योऽर्हति काव्यानां, यशोभाग् राघवाद् ऋते। (राम.उत्तरका.98/18)

महाकाव्यमिदं गायत्रीमन्त्रवदेव परमपावनतां विभर्ति स्म। यथा वैदिकवाङ्मयेगायत्रीमन्त्रो बुद्धिबर्धकः शान्तिदायकश्च विद्यते तथैव लौकिकसाहित्ये रामायणमपिबुद्धिशोधकं मनश्शान्तिदायकं च वर्तते। तदुक्तमपि -

**रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यदं वै शृणुत द्विजेन्द्राः ।
यस्मिन्ष्टुते जन्मजरादिनाशो भवत्यदोषः स नरोऽच्युतः स्यात्॥**

अस्मिन् काव्ये 'कर्तव्यशिक्षा' सर्वजनोपयोगित्वं वर्तते। यथा - 1. पितरं प्रतिपुत्रस्यकर्तव्यम् 2. भ्रातरं प्रति अनुजस्य कर्तव्यम्, 3. पतिं प्रति पत्न्याः कर्तव्यम्, 4. राजानं प्रतिअमात्यस्य कर्तव्यम्, 5. स्वामिनं प्रति सेवकस्य कर्तव्यम्, 6. मित्रं प्रति मित्रस्य कर्तव्यम्, 7. प्रजाजनान् प्रति राज्ञः कर्तव्यम् । एतेनैव च हेतुना भारतवर्षस्य क्षेत्रे क्षेत्रे, कोणे कोणे, गेहे गेहे, जने जने च महाकाव्यरामायणं प्रति हार्दिकी श्रद्धा दृश्यते।

यावत् पर्यन्तं कवेः समक्षं वर्णनीयं वस्तुनागतं तावदयं मौनमादधौ यदैव क्रौञ्चवधं करुणरसं दृष्टवान्, तदैवाकस्मादेवास्य मुखात् काव्यप्रवाहो निर्गतः, तदस्य काव्ये करुण रस एव प्रधानत्वं भजते। कविताया लोकोहितमुद्देश्यस्यादिति वाल्मीकिना कदापि न विस्मृतम्। अत एव चरित्रसृष्टौ वर्णने वा सर्वत्र कवि- रुच्यमादर्शविचारं च व्यञ्जितवान्। सामान्यरूपेण सर्वजनानां पुरुषाणां स्त्रीणाम्, ज्ञानीनाम्-अज्ञानाम्, धनिनां-निर्धनानाम्, आबालवृद्धं कण्ठाभरणताम् आपद्यते। रामायणं सर्वत्र आद्रियते, भक्तानां भवनेषु च प्रतिदिनं पारायणीक्रियते। सत्यं कथ्यते भगवता वाल्मीकिना-

यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले।

तावत् रामायणकथा, लोकेषु प्रचरिष्यति॥ (रामा. वाल का 2/36)
रामायणस्य तादृशी लोकप्रियता यथा न केवलमेतद् विदुषामेव विभूषणम्, अपि तु सामान्यरूपेण सर्वजनानां धनिनां -निर्धनानाम्, विदग्धानाम् - अज्ञानाम्, पुरुषाणां स्त्रीणाम्, आबालवृद्धं कण्ठाभरण- ताम् आपद्यते। आचारसंहिता रूपेणेदं सर्वत्र आद्रियते, भक्तानां भवनेषु च प्रतिदिनं पारायणीक्रियते। अतः सत्यमुच्यते भगवता वाल्मीकिना यद् -

यावद् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतलं।

तावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति॥ रामायण बालकाण्ड 2-36

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बलदेव उपाध्याय- संस्कृत साहित्य का इतिहास (Vol. I)
2. बलदेव उपाध्याय- संस्कृत साहित्य का इतिहास (Vol. II)
3. वाल्मीकि रामायण -(219199)

वागड़ क्षेत्र के ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल एवं पर्यटन

प्रकाश यादव*

* शोधार्थी (इतिहास) गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (राज.) भारत

प्रस्तावना – अतीत के अध्ययन से मानवीय जीवन में कई तथ्यों एवं साक्ष्यों की परख के पश्चात् पूर्व कालीन संस्कृति की परम्परा को अपने हृदय पटल पर संजोये रखा है, और इसी के चलते सांस्कृतिक विरासत ने मानव को सम्मान व आत्म-सम्मान प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है। विरासत में मिली ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक स्थलों, प्राचीन स्मारकों, सांस्कृतिक परिवेश ने आज हमें कथाओं, पौराणिक कथाओं, दंत कथाओं, शास्त्रों के माध्यम से त्याग, बलिदान, आस्था, श्रद्धा और गौरवमयी इतिहास का निर्वहन करने में सदैव मार्गदर्शन दिया है। यह विषय सम्पूर्ण रूप से सम्मिलित भी कर लिया जाये तो उनमें नैतिकता की झलक देखने को मिलती है। **अतिथि देवो भवः** की यह परम्परा हमारे जहन में सदैव जीवित रहती है और यह हमने इतिहास से ही प्राप्त की है। इतिहास और पर्यटन का स्वरूप एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर है। यदि किसी एक को अलग कर दिया जाये तो इसका स्वरूप और महत्व ही समाप्त हो जाएगा। इतिहास के बिना पर्यटन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पर्यटन इतिहास के आँचल में पनप कर प्रफुल्लित हो रहा है।

राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यह भूमि साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध आन-बान और शान के लिए मर मिटने वाले रण बाँकुरों की जन्म भूमि है। इसी राज्य के दक्षिणांचल में बाँसवाड़ा एवं डूंगरपुर स्थित है, जो स्वतंत्रता पूर्व 'वागड़' क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। प्राकृत भाषा के विद्वान वागड़ शब्द की उत्पत्ति 'बग्गड़' शब्द से स्वीकारते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा परक व्युत्पत्ति को आधार मानकर कुछ विद्वान वागड़ शब्द की उत्पत्ति **वाग्गर** अथवा **वार्गवट** से होना बताते हैं।

वागड़ प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि पहले यहाँ बाँसों की झाड़ियाँ थी जो प्रदेश बाँसवाड़ा के नाम से जाना गया। इसी वागड़ के दूसरे कस्बे का नाम डूंगरपुर है जिसका नामकरण डूंगर का अर्थ पहाड़ से है जो (डूंगरपुर) होना बताया गया है। डूंगरपुर राजस्थान के दक्षिणी भाग 23 डिग्री 20 मिनट और 24 डिग्री 01 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच तथा 73 डिग्री 22 मिनट और 74 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है तथा इसका क्षेत्रफल 3700 वर्गकिमी है। इसी तरह से बाँसवाड़ा जिला भी 23 डिग्री 3 मिनट और 23 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 73 डिग्री 58 मिनट और 74 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशान्तर के बीच में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 5037 वर्गकिमी है।

वागड़ प्रदेश की सीमा मालवा और गुजरात प्रांत से मिलती है। इन प्रदेशों के बीच अवस्थित पर्वत श्रेणियाँ एवं खुला मैदान है। जो वागड़ का उपजाऊ भाग है। इस प्रदेश की प्रमुख नदी माही नदी जिसे वागड़ की गंगा

कहा जाता है, जो बहुधा साल भर बहती है। इसके अलावा अनास, हिरण, ऐराव, चाप तथा सोम आदि नदियाँ भी बहती है। वागड़ प्रदेश की जलवायु राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र रेगिस्तान प्रदेश की अपेक्षा नम है। फिर भी गर्मियों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुँच जाता है। मई का माह सर्वाधिक गर्म रहता है। वनस्पति में यहाँ टीक, महुए के पेड़, कदम्ब, पीपल, बबूल प्रमुख रूप से पाये जाते हैं। इनसे रियासती काल में शहद, मोम, गोंद, लाख तथा घास की अच्छी उपज मिलती थी। वागड़ के धार्मिक जीवन में हिन्दु, जैन, इस्लाम व इसाई धर्म प्रचलित है। यहाँ की प्रमुख भाषा वागड़ी है जो गुजराती से अधिक संबंध रखती है। इसकी लिपि देवनागरी है। इस प्रदेश में सामान्य पोशाक (पुरुष) में पगड़ी, कुर्ता, लम्बा अंगरखा औरी धोती है एवं स्त्रियों की पोशाक में घाघरा, साड़ी, चौली तथा ओढ़नी का प्रचलन है।

दक्षिण राजपूताने में वागड़ ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पुरातत्व संबंधी सामग्री प्रचुर मात्रा में मिले हैं। अब तक के शोध से इतना ज्ञात होता है कि पहले यहाँ क्षत्रिय/क्षत्रप वंशीयों एवं परमारों का राज्य था। परमारों से गुहिलों ने वागड़ प्रदेश हथिया लिया था। गुहिल वंशी सामंत सिंह ने मेवाड़ से दक्षिण की तरफ जाकर वागड़ (बाँसवाड़ा-डूंगरपुर) में गुहिलवंश राज की स्थापना की।

वागड़ क्षेत्र में पर्यटन स्थलों के रूप में राजा-महाराजाओं द्वारा बनाये गये महल, भवन, मंदिर, पोल, तालाब, झीलें एवं दरवाजे आदि प्रायः ध्वस्त होते जा रहे हैं। जिससे यह अब विलुप्त होते जा रहे हैं। उनकी पुनः मरम्मत का कार्य तथा इनके संरक्षण, संवर्धन एवं रख-रखाव की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। वागड़ के प्रमुख ऐतिहासिक-धार्मिक स्थलों का उल्लेख पूर्व में किया गया है, लेकिन उनको पर्यटन की आधुनिक उभरती हुई छवि से परे रखा गया है। इन सभी स्थलों का ऐतिहासिक अध्ययन किया गया है, लेकिन पर्यटन के समय दृष्टिकोण से कार्य नहीं किया गया है।

वागड़ उत्तर में राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र, दक्षिण-पूर्व और पूर्व में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र और पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में गुजरात राज्य से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र मुख्यतः माही नदी और उसकी सहायक नदियों के उपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है, जिसे वागड़ की जीवन रेखा कहा जाता है। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला में अपने उद्गम से जिले (बाँसवाड़ा) से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण-पूर्व से जिले (बाँसवाड़ा) में प्रवेश करती है और जिले के उत्तरी छोर की ओर उत्तर की ओर बहती है, जहाँ यह दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़कर गुजरात में प्रवेश करने से पहले बाँसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के बीच सीमा बनाती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यभारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, इस क्षेत्र की जनसंख्या 3,186,037 है।

वागड़ में वनस्पति और जीव-जंतु समृद्ध हैं। जंगलों में मुख्य रूप से सागौन शामिल हैं। वन्यजीवों में तेंदुआ और चिंकारा जैसे जंगली जानवरों की एक बड़ी विविधता शामिल है। इस क्षेत्र में आम पक्षियों में मुर्गी, तीतर, काला झोंगो, ग्रे श्राइक, हरा मधुमक्खी-भक्षक, बुलबुल और तोता शामिल हैं। इस क्षेत्र के कुछ शहर आसपुर, भीलूडा, सिमलवाड़ा, सागवाड़ा, परतापुर, बागीदरा और गढ़ी हैं।

पर्यटन विभाग, उदयपुर ने वर्ष 2016 में ट्राइबल ट्यूरिज्म सर्किट तैयार करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार को फाइल भेजी थी। इस सर्किट में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही व प्रतापगढ़ को जोड़ा गया था। इस सर्किट के विकास व विस्तार के लिए 9958.14 लाख रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। इस प्रोजेक्ट को यदि ट्राइबल सर्किट के रूप में स्वीकारा जाता तो ये सभी जिले पर्यटन की मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे। पूरे क्षेत्र का पर्यटन के नजरिए से विकास होगा और सैकड़ों को रोजगार मिलेगा। साथ ही जनजाति क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को बेहतर सड़कों व सुविधाओं से जोड़ा जाएगा।

● **बांसवाड़ा जिला** - कागदी पीकअप वीयर, भंडारिया हनुमानजी व समाई माता मंदिरेश्वर, कल्प वृक्ष, सिद्धी विनायक, डायलाब तालाब, तलवाड़ा त्रिपुरा सुन्दरी, रामकुंड, अरथूना हनुमान मंदिर मानगढ़, घोटीया-आम्बा, छीछ, अंदेश्वर-पार्श्वनाथ, मंगलेश्वर, भैरवजी, नंदनी माता, भीमकुंड, माही डेम, चाचा कोटा, जगमेख, हनुमान मंदिर।

● **डूंगरपुर जिला** - गेप सागर, मुरला गणेश मंदिर, सरकारी म्यूजियम, बेणेश्वर धाम, देवसोमनाथ मंदिर, क्षेत्रपालजी मंदिर, विजवा माता जी मंदिर, बरोड़ा भुवनेश्वर महादेव, जीनागफणजी, आशापुरा माताजी, बोरेश्वर जी, गोरेश्वर जी भीलूडा।

डूंगरपुर - उतना ही आकर्षक है जितना कि यहाँ पाया जाने वाला हरा संगमरमर और दुनिया भर में भेजा जाने वाला पत्थर और अरावली पर्वतमाला की तलहटी में बसा यह शहर। उत्तर-पूर्व में कठोर और जंगली और दक्षिण-पश्चिम के उपजाऊ मैदानों में जीवन से भरपूर, यह दो नदियों, माही और सोम द्वारा सिंचित है। डूंगरपुर की पर्यटकों के बीच प्रसिद्धि का कारण इसके महलों और शाही निवासों की असाधारण वास्तुकला है। ये पत्थर की संरचनाएँ 'झरोखों' (खिड़कियों) से सजी हैं और महारावल शिव सिंह (1730-1785 ई।) के समय में पैदा हुई शैली में बनी हैं। डूंगरपुर के सुनार और चांदी के कारीगर कुशल कारीगर हैं जो अपने लाख से रंगे खिलौनों और तस्वीरों के फ्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। डूंगरपुर की स्थापना 1258 ई। में मेवाड़ के शासक करण सिंह के सबसे बड़े बेटे रावल वीर सिंह ने की थी, जब उन्होंने स्थानीय भील सरदार डूंगरिया को बाहर निकाल दिया था। डूंगरपुर के बाद के शासकों ने शहर की स्थापत्य विरासत में इजाफा किया।

उदय बिलास पैलेस - उदय बिलास पैलेस का नाम महारावल उदय सिंह द्वितीय के नाम पर रखा गया है। इसका आकर्षक डिजाइन क्लासिक राजपूत स्थापत्य शैली का अनुसरण करता है और इसकी बालकनियों, मेहराबों और खिड़कियों में विस्तृत डिजाइन का दावा करता है। पारेवा नामक स्थानीय नीले-भूरे पत्थर से बना एक सुंदर विंग झील को देखता है। महल को रनिवास, उदय बिलास और कृष्ण प्रकाश में विभाजित किया गया है, जिसे एक थमबिया महल के नाम से भी जाना जाता है। एक थमबिया महल राजपूत वास्तुकला का एक वास्तविक चमत्कार है जिसमें जटिल मूर्तिकला वाले खंभे और पैनेल, अलंकृत बालकनियाँ, कटघरा, ब्रैकेट वाली खिड़कियाँ, मेहराब और संगमरमर की नक्काशी की झालरें हैं। आज, उदय बिलास पैलेस

एक हेरिटेज होटल के रूप में कार्य करता है।



जूना महल

जूना महल - जूना महल (पुराना महल) 13वीं सदी का सात मंजिला भवन है। यह पारेवा पत्थर से बने एक ऊँचे चबूतरे पर बना है और इसका ऊबड़-खाबड़ बाहरी हिस्सा इसे एक किले जैसा बनाता है। इसे किलेबंद दीवारों, निगरानी टावरों, संकरे दरवाजों और गलियारों के साथ विस्तृत रूप से योजनाबद्ध किया गया है ताकि दुश्मन को यथासंभव लंबे समय तक रोका जा सके। अंदर जो है वह बाहरी हिस्से से बिल्कुल अलग है। आगंतुक सुंदर भित्ति चित्र, लघु चित्रकारी और नाजुक कांच और दर्पण के काम को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे जो अंदरूनी हिस्से को सजाते हैं।

गैब सागर झील - यह झील श्रीनाथजी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जो इसके किनारे पर स्थित है। मंदिर परिसर में कई बेहतरीन नक्काशीदार मंदिर और एक मुख्य मंदिर, विजय राजराजेश्वर मंदिर है। भगवान शिव का यह मंदिर डूंगरपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकारों या शिल्पकारों की कुशल शिल्पकला को प्रदर्शित करता है।

सरकारी पुरातत्व संग्रहालय - इस संग्रहालय की स्थापना राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा मुख्य रूप से वागड़ क्षेत्र से एकत्रित मूर्तियों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की गई थी। डूंगरपुर राजपरिवार ने संग्रहालय की स्थापना में भूमि और आकर्षक मूर्तियों और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शिलालेखों के अपने निजी संग्रह को उपहार में देकर मदद की। यहाँ रखे गए संग्रह में विभिन्न देवताओं की मूर्तियाँ, पत्थर के शिलालेख, सिक्के और 6वीं शताब्दी की पेंटिंग शामिल हैं।

बादल महल - पारेवा पत्थर से बना बादल महल डूंगरपुर का एक और शानदार महल है। गैबसागर झील के किनारे स्थित यह महल अपनी विस्तृत डिजाइन और राजपूतों और मुगलों की स्थापत्य शैली के मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। स्मारक में दो मंच, तीन गुंबद और एक बरामदा है। प्रत्येक गुंबद पर एक नक्काशीदार आधा पका कमल है जबकि सबसे बड़े गुंबद पर तीन कमल हैं।



बेणेश्वर धाम

आदिवासियों का प्रयाग राज बैणेश्वर धाम (मंदिर) – इस क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित शिव लिंग युक्त बैणेश्वर मंदिर सोम और माही नदियों के संगम पर बने डेल्टा पर स्थित है। माना जाता है कि यह लिंग स्वयंभू है। यह पाँच फीट ऊँचा है और ऊपर से पाँच भागों में टूटा हुआ है। बैणेश्वर मंदिर के पास ही विशु मंदिर है जिसका निर्माण 1793 ई. में जनकुंवरी ने करवाया था, जो मावजी की पुत्रवधू थीं। मावजी एक अत्यंत पूजनीय संत थे और उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण उस स्थान पर हुआ था जहाँ मावजी ने अपना समय भगवान की प्रार्थना में बिताया था। मावजी के दो शिष्यों अजे और वाजे ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। हालाँकि ये अन्य देवी-देवता हैं, लोग इन्हें मावजी, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी पुत्रवधू और शिष्य जीवनदास के रूप में पहचानते हैं। इन मंदिरों के अलावा, भगवान ब्रह्मा का एक मंदिर भी है।

बैणेश्वर में लगने वाला सबसे बड़ा आदिवासी मेला जो माही, सोम और जादखम नदियों के संगम पर है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में आदिवासी मृतकों की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए एकत्रित होते हैं। यह मेला फरवरी के महीने में माघ पूर्णिमा को लगता है, जिसे इस क्षेत्र में पवित्र समय माना जाता है। रंग-बिरंगे आदिवासी परिधान, आभूषण, लोक नृत्य देखने लायक होते हैं।

गलियाकोट – डूंगरपुर से 58 किलोमीटर की दूरी पर माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट नामक एक गांव है। यह जगह सैयद फखरुद्दीन की दरगाह के लिए मशहूर है। वह एक प्रसिद्ध संत थे, जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद इसी गांव में दफनाया गया था। यह दरगाह सफेद संगमरमर से बनी है और इसकी दीवारों पर उनकी शिक्षाएँ उकेरी गई हैं। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत पत्तियों से सजाया गया है जबकि कब्र पर कुरान की शिक्षाएँ सुनहरे अक्षरों में उकेरी गई हैं।



देव सोमनाथ

देव सोमनाथ – सोम नदी के तट पर, 12वीं शताब्दी में निर्मित देव सोमनाथ नामक एक पुराना और सुंदर शिव मंदिर है। सफेद पत्थर से निर्मित इस मंदिर में भव्य बुर्ज हैं। मंदिर के भीतर से आकाश को देखा जा सकता है। यद्यपि चिनाई में भागों का एकदम सही अनुकूलन है, फिर भी ऐसा लगता है कि अलग-अलग पत्थर टूट रहे हैं। मंदिर में 3 निकास हैं, एक-एक पूर्व, उत्तर और दक्षिण में। प्रवेश द्वार दो मंजिला हैं। गर्भगृह में एक ऊंचा गुंबद है। इसके सामने सभा मंडप है – जो 8 राजसी स्तंभों पर बना है। बीस तोरण हैं जिनमें से चार अभी भी मौजूद हैं। अन्य सोम के बाढ़ के पानी से नष्ट हो गए थे। देवता की मूर्ति एक कक्ष में है, जो आठ सीढ़ियों नीचे है और प्रवेश द्वार सभा मंडप से है। तीर्थयात्रियों द्वारा कई शिलालेख हैं और सबसे पुराना 1493 ई. का है। मंदिर के पास कई योद्धाओं का अंतिम संस्कार किया गया

था और उनके सम्मान में स्मारक बनाए गए हैं।

परमारवंशीय शासकों की साधना का केन्द्र – गलियाकोट की शीतला माता – डूंगरपुर जिलांतर्गत माही नदी के किनारे – किनारे स्थित ऐतिहासिक महत्व के स्थल गलियाकोट में शीतला माता का प्राचीन मन्दिर है। परमार वंश के राजाओं की जागीर रहे इस स्थान पर यह देशभर में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी आज भी छत नहीं बनाई गई है। शीतला माता का यह प्राचीन मन्दिर शाक्त साधना का केन्द्र रहा है। गर्भगृह में देवी शीतला की स्वयंभू श्वेत प्रस्तर की प्रतिमा के बारे में बताया जाता है कि यह प्रतिमा 13 फीट बड़ी है और इसका आधे से ज्यादा भाग जमीन में दबा है। बड़ी संख्या में चर्म रोगों से ग्रस्त लोग यहां पर आते हैं और देवी की मन्नत मांगते हैं। लोक मान्यतानुसार के अनुसार इस देवी तीर्थ का संबंध गुजरात के प्रसिद्ध शक्तिपीठ पावागढ़ से है। देवी शीतला के प्रति श्रद्धालुओं में अगाध आस्थाएं हैं। इस कारण मन्दिर में श्रद्धालुओं का जमघट लगा ही रहता है।

बांसवाड़ा – बांसवाड़ा जिला भारत में दक्षिण राजस्थान में स्थित है। बांसवाड़ा रियासत की स्थापना महारावल जगमाल सिंह ने की थी। इसका नाम क्षेत्र में 'बांस' या बांस के जंगलों के लिए रखा गया है। बांसवाड़ा से होकर बहने वाली माही नदी में कई द्वीपों की उपस्थिति के कारण इसे '**सौ द्वीपों का शहर**' भी कहा जाता है। बांसवाड़ा जिला वागड़ या वागवार के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र का पूर्वी भाग बनाता है। जिला पूर्व में महारावलों द्वारा शासित एक रियासत थी। ऐसा कहा जाता है कि एक भील शासक बंसिया या वासना ने इस पर शासन किया था और बांसवाड़ा का नाम उनके नाम पर रखा गया था। बंसिया को जगमाल सिंह ने हराया और मार डाला, जो रियासत के पहले महारावल बने। बांसवाड़ा जिला जंगलों, पहाड़ियों और वन्य जीवन से समृद्ध है। आदिवासी इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं। यह स्थान अपने प्राचीन मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए 'लोधी काशी' के रूप में जाना जाता है।



त्रिपुरा सुंदरी

ख्यातिप्राप्त शक्तिपीठ – त्रिपुरा सुंदरी – लोढ़ी काशी के नाम से ख्यात बांसवाड़ा जिले में श्रद्धालुओं की अगाध आस्था का धाम त्रिपुरा सुन्दरी मंदिर स्थित है। इस शक्तिपीठ के प्रति न सिर्फ स्थानीय श्रद्धालुओं अपितु कई विशिष्ट-अतिविशिष्टजनों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात के कई ख्यातनाम राजनीतिज्ञों की श्रद्धा के केन्द्र होने के कारण देवी त्रिपुरा के दरबार में देवीभक्तों का सैलाब उमड़ता ही रहता है। जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर तलवाड़ा कस्बे के समीप उमराई गांव में स्थित शक्तिपीठ त्रिपुरा सुन्दरी मंदिर में देवी की सिंह पर सवार अष्टादश भुजा वाली विशाल प्रतिमा है जिसे श्रद्धालु त्रिपुरा सुंदरी, तरतई माता व त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से संबोधित करते हैं। श्यामवर्णा विशाल पाषाण प्रतिमा का ओज कुछ खास ही है जो श्रद्धालुओं को दूर से ही सम्मोहित करता प्रतीत होता है। देवी प्रतिमा का प्रतिदिन अलग-अलग रंगों के वस्त्राभूषणों में

शृंगार किया जाता है। इस मंदिर की गिनती प्राचीन शक्तिपीठों में होती है। देवी के चरणों के नीचे श्री यंत्र अंकित होने के कारण इसका विशेष महत्त्व है। मंदिर में विक्रम संवत् 1540 का एक शिलालेख है। यह भी बताया जाता है कि इस मंदिर के आसपास तीन दुर्ग थे, जिनके नाम शीतापुरी, शिवपुरी व विष्णुपुरी था। इन तीनों दुर्गों के बीच में मंदिर होने से इसे त्रिपुरा कहा जाने लगा। मंदिर में चैत्र व आश्विन नवरात्रि पर विविध धार्मिक आयोजन होते हैं और इस दौरान इस धाम पर देवीभक्तों का सैलाब उमड़ता रहता है।

वागड़ का पावागढ़ - नन्दनी माता - गुजरात के प्रसिद्ध देवी तीर्थ पावागढ़ का प्रतिरूप एक ऐसा ही देवीधाम है बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूरी पर बड़ोदिया कस्बे के पास स्थित नन्दनी माता तीर्थ, जिसे यहां के श्रद्धालु 'वागड़ का पावागढ़' के नाम से जानते हैं। नेशनल हाईवे 113 पर सड़क किनारे छितराई अरावली पर्वतश्रृंखला की एक विशाल पर्वतचोटी पर अवस्थित देवी तीर्थ नन्दनी माता श्रद्धालुओं की आस्थाओं का प्रमुख धाम है। विशाल पर्वत पर स्थित होने पर भी श्रद्धालुओं के लिये यह स्थान अब दुर्गम नहीं है क्योंकि पहाड़ की तलहटी से ही पश्चिम और पूर्व भाग में 500-500 व्यवस्थित सीढ़ियाँ बनाई जा चुकी हैं। इस विशाल पहाड़ी पर चढ़ने के रोमांचक अनुभव के साथ ही जिले की सरहदों को उंचाई से देखने के आनंद उठाने के लिये श्रद्धालु यहां नवरात्रि व अवकाश के दिनों के आते रहते हैं। नन्दनी माता तीर्थ पर मुख्य मंदिर में देवी नन्दनी की श्वेत वर्णा पाषाण प्रतिमा है सिंहवाहिनी अष्टभुजाधारी मां नन्दनी के प्रति यहां की आदिम संस्कृति में बेहद आस्थाएं हैं। नन्दा नामक इसी देवी का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के ग्यारहवें अध्याय के 42 वें श्लोक में मिलता है।

'नन्दगोपगृहे जाता, यशोदा गर्भ संभवा,

ततस्ती नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी ॥'

साथ ही दुर्गा सप्तशती के मूर्तिरहस्य प्रकरण में देवी की अंगभूता छः देवियों में नन्दा देवी को ही सबसे पहले उल्लिखित किया गया है। आदिवासियों के प्राचीन गरबों और गीतों में आज भी इस देवी की प्राचीनता का बखान प्रमुखता से प्राप्त होता है। बड़ोदिया में वर्तमान कुंहार जाति के वाशिन्डे समीपस्थ गांवों के मूल निवासी माने जाते हैं।



मानगढ़ धाम

मानगढ़ धाम - मानगढ़ धाम आदिवासियों के नरसंहार के लिए जाना जाता है जो जलियांवाला बाग से छह साल पहले हुआ था और कभी-कभी इसे **आदिवासी जलियांवाला** के रूप में भी जाना जाता है।

ब्रिटिश सेना ने 17 नवंबर 1913 को राजस्थान और गुजरात की सीमा पर मानगढ़ की पहाड़ियों में सैकड़ों भील आदिवासियों की हत्या कर दी थी। यह गुजरात-राजस्थान सीमा पर स्थित एक जिला है, जो एक बड़ी जनजातीय

आबादी वाला क्षेत्र है। समाज सुधारक गोविंद गुरु ने 1913 में ब्रिटिश राज के खिलाफ मानगढ़ में आदिवासियों और वनवासियों की सभा का नेतृत्व किया था। 19वीं शताब्दी में मानगढ़ टेकरी पर अंग्रेजी फौज ने आदिवासी नेता और समाज सेवक गोविंद गुरु के 1,500 समर्थकों को गोलियों से भून दिया था। शहादत की याद में आज यह धाम ऐतिहासिक होने के साथ साथ पर्यटन स्थल के रूप अपनी अहम भूमिका रखता है।

मंदारेश्वर मंदिर - भगवान शिव को समर्पित एक प्राकृतिक गुफा के अंदर पहाड़ी पर बसा यह मंदिर आपको ऊंचाई से सुंदर दृश्य देखने का मौका देगा। मंदारेश्वर मंदिर बांसवाड़ा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है क्योंकि यह शहर की हलचल से दूर सकारात्मक ऊर्जा और एक खूबसूरत नजारा प्रदान करता है। यह मंदिर बांसवाड़ा-रतलाम रोड पर बांसवाड़ा के भूतल से लगभग 500 फीट ऊपर स्थित है। पारंपरिक लेकिन आरामदायक कपड़े पहनने और धूम्रपान या पान चबाने से बचने की सलाह दी जाती है।

कागदी पिक अप - कागदी पिक अप वियर बांसवाड़ा में घूमने के लिए आश्चर्यजनक स्थानों में से एक है और सूर्यास्त और सूर्योदय के दौरान एक आदर्श स्थान है। एक सुखद पिकनिक स्थान जहाँ आप बिना किसी व्यवधान के अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। आकर्षण में एक छोटा बगीचा, झील का किनारा, एक भव्य मंदिर और बच्चों के लिए एक खेल का मैदान है। बेहतर अनुभव के लिए, आप झील में नौका विहार कर सकते हैं और गंतव्य के पानी के किनारे के दृश्य का आनंद ले सकते हैं।



माही बजाज सागर बांध

माही बजाज सागर बांध - माही पश्चिमी भारत की एक नदी है। यह मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के वागड़ क्षेत्र से होकर गुजरात में प्रवेश करती है और अरब सागर में मिल जाती है। माही नदी की पूजा बहुत से लोग करते हैं और इसके किनारे पर बहुत सारे मंदिर और पूजा स्थल हैं। नदी की विशालता के कारण इसे लोकप्रिय रूप से माहीसागर के नाम से जाना जाता है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बना एक बांध है। यह भारत के राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बांसवाड़ा शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका निर्माण 1972 और 1983 के बीच माही नदी पर किया गया था। यह 141 फीट की ऊंचाई वाला सबसे बड़ा बांध है और 9,905 फीट की लंबाई वाला राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यह पनबिजली और पानी की आपूर्ति का एक बड़ा स्रोत है। इस बांध की परिसीमा पर सरकार द्वारा पानी को रोकने के और निकासी के लिए 16 गेट का निर्माण करवाया गया है बांध के पूर्ण भरने पर जरूरत पड़ने पर गेटों को खोला जाता है जल राशि के गिरने का दृश्य बड़ा मनोरम लगता है।



अर्धुना मंदिर

अर्धुना मंदिर – इस जगह का पुराना नाम उत्थुनाक था। यह ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी के दौरान वागड़ के परमार शासकों की राजधानी थी। उन्होंने जैन और शैव धर्म दोनों को एक साथ संरक्षण दिया, इसलिए उन्होंने कई शिव और जैन मंदिर बनवाए। परमार राजकुमार चामुंडराज के एक शिलालेख में दर्ज है कि उन्होंने 1079 ई. में अपने पिता के सम्मान में मंडलेसा नामक शिव का एक मंदिर बनवाया था। 1080 ई. के एक अन्य शिलालेख में उल्लेख है कि उनके अधिकारी के पुत्र अनंतपाल ने भी शिव का एक मंदिर स्थापित किया था। हनुमानगढ़ी के रूप में ज्ञात मंदिरों के समूह में नीलकंठ महादेव मंदिर, अन्य मंदिरों और एक सीढ़ीदार कुंड के अलावा स्थित है। यहां तीन शिव मंदिर हैं। यह स्थान शैव धर्म के लकुलीसा संप्रदाय से जुड़ा था। हनुमान और विष्णु के मंदिर भी प्रारंभिक काल के हैं। भूषण ने 1190 ई. में एक जैन मंदिर बनवाया था। कुछ जैन स्तंभ भी इस स्थल पर पाए गए हैं जो शायद 11वीं शताब्दी के बाद बनाए गए थे। इस स्थल पर एक अन्य मंदिर चौंसठ योगिनियों का है।

भारत सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाँसवाड़ा एवं डूंगरपुर में पर्यटन केन्द्र की स्थापना की है। यहां पर पर्यटन स्थलों की सही ऐतिहासिक जानकारी के अभाव में यह पर्यटन केन्द्र अभी तक सही विकास कार्य नहीं कर पाये हैं, किन्तु जिला प्रशासन की ओर से समय-समय पर छोटी-छोटी पुस्तकें प्रकाशित करके पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की कोशिश निरन्तर जारी है। पर्यटन स्थलों का विकास पूर्ण रूप से नहीं होने पर पर्यटक इस क्षेत्र की तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं।

पर्यटन के आधार की अवधारणा के अनुसार ज्ञात होता है कि किसी भी राज्य का इतिहास व अस्तित्व का आधार पर्यटन की समग्र व्यवस्था मानी गयी है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वागड़ में पर्यटन के बारे में हमारी कल्पना यही है कि इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते वागड़ क्षेत्र में छिपे पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देकर यहाँ के लोगों को उनकी उपयोगिता बताना है। साथ ही इन पर्यटन स्थलों की ऐतिहासिक जानकारी पूरे देश के लोग इन

पर्यटन स्थलों की उपयोगिता समझे और यहां के पर्यटन स्थलों पर आकर आनन्द ले अतः इस प्रकार से यहां के लोगों में जागृति, चेतना, सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा मिले जिससे यहां पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सके यही भी मेरी कल्पना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एल. आर. भल्ला – राजस्थान का भूगोल, कुलदीप पब्लिकेशन, अजमेर, 1985
2. विनोद चंद्र मिश्रा – राजस्थान का भूगोल, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली 1996
3. गोपीनाथ शर्मा – राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 1989
4. मोतीलाल व्यास – राजस्थान के अभिलेख, राजस्थान साहित्य मंदिर, जोधपुर, 1980
5. डॉ. राजेश कुमार व्यास – पर्यटन, उदभव एवं विकास, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर
6. डॉ. प्रतिभा – भारत में पर्यटन, उत्पाद एवं सांस्कृतिक – ऐतिहासिक विरासत, ए.बी.डी. पब्लिशर्स जयपुर 2010
7. शरदचंद्र पंड्या – वागड़ की संस्कृति, अंकुर प्रकाशन, उदयपुर 1999
8. डॉ. मोहन लाल गुप्ता – राजस्थान जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर 2004
9. पंडित गोरीशंकर हीराचंद ओझा – बाँसवाड़ा राज्य का इतिहास, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर 1998
10. हिममतलाल त्रिवेदी – बाँसवाड़ा राज्य का सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना का इतिहास
11. डॉ. करुणा जोशी – बेणेश्वर धाम, ब्रह्मा मंदिर ब्राह्मण उत्पत्ति एवं विकास 2005
12. राजेश्वर गर्ग – राजस्थान के पर्यटन स्थल, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाशन, जोधपुर 2002
13. <https://en.wikipedia.org/wiki/Vagad>
14. <https://www.tourism.rajasthan.gov.in/dungarpur.html>
15. <https://hellobanswara.com/article/Nine-Dham-of-Alokit-Shakti-in-wagad-2858-20170921>
16. <https://www.patrika.com/udaipur-news/tourism-found-wings-in-mewar-vagad-after-getting-a-tribal-circuit-5050898>
17. <https://en.wikipedia.org/wiki/Arthuna>

Quality in Higher Education: Myth or Reality

Dr. Binay Kumar*

*Associate Professor, Harkamaya College Of Education, Samdur, 6th Mile, Tadong, Gangtok (Sikkim) INDIA

Abstract - This research paper investigates the quality of higher education in India through qualitative and thematic analysis. The study explores the perspectives of educators, students, policy experts, and stakeholders to understand the current state of higher education. By examining key components of educational quality, the study seeks to determine whether the notion of quality in higher education is a myth or a reality. The findings highlight critical areas for improvement and provide actionable recommendations to enhance the quality of higher education in India.

Keywords: Higher Education, Educational Quality, India, Qualitative Analysis, Thematic Analysis, Educational Outcomes, Policy.

Introduction - The quality of higher education is a topic of significant debate and concern globally. Higher education institutions are expected to produce skilled graduates, foster innovation, and contribute to socio-economic development. However, the reality often falls short of these expectations, leading to questions about the actual quality of higher education. In India, the expansion of higher education has been rapid, but concerns about the quality of education provided have persisted. This paper aims to explore whether the perceived quality of higher education in India is a myth or reality by analyzing qualitative data collected from various stakeholders.

The study employs thematic analysis to identify key themes related to the quality of higher education. By understanding the experiences and perspectives of educators, students, policy experts, and other stakeholders, this research seeks to provide a comprehensive view of the current state of higher education in India and propose recommendations for improvement.

The quality of higher education is a topic of significant debate and concern globally. Higher education institutions are expected to produce skilled graduates, foster innovation, and contribute to socio-economic development. However, the reality often falls short of these expectations, leading to questions about the actual quality of higher education. In India, the expansion of higher education has been rapid, but concerns about the quality of education provided have persisted. This paper aims to explore whether the perceived quality of higher education in India is a myth or reality by analyzing qualitative data collected from various stakeholders.

India's higher education system is one of the largest in the world, encompassing a wide array of universities, colleges, and specialized institutions. The rapid expansion

has been driven by the country's growing population and increasing demand for higher education. This expansion has brought about significant challenges, including ensuring the consistency and quality of education across diverse institutions. While prestigious institutions such as the Indian Institutes of Technology (IITs) and Indian Institutes of Management (IIMs) are globally recognized, many other institutions struggle with issues of quality and relevance. Several factors contribute to the challenges faced by higher education in India. Firstly, the quality of infrastructure and resources varies widely among institutions. Many universities and colleges lack the necessary facilities, such as modern laboratories, libraries, and classrooms, to provide a conducive learning environment. Secondly, the quality of teaching is inconsistent, with significant disparities in the qualifications and training of faculty members. Continuous professional development for educators is often limited, affecting their ability to deliver high-quality education. Moreover, the relevance of curricula to the current job market and industry needs is a major concern. Many curricula are outdated and do not adequately prepare students for the demands of the modern workforce. This gap between education and employment leads to high unemployment rates among graduates and questions about the employability of Indian graduates.

Policy and governance issues also play a critical role in determining the quality of higher education. While the Indian government has implemented several policies aimed at improving educational standards, challenges in policy implementation and enforcement persist. Effective governance structures and quality assurance mechanisms are essential for ensuring that institutions meet established standards and continuously improve.

In addition, socio-economic factors such as

accessibility and affordability of higher education significantly impact the quality and inclusiveness of education. Despite various initiatives to promote equitable access to education, disparities based on socio-economic status, geography, and gender remain. These disparities limit opportunities for many students to benefit from high-quality education and contribute to societal inequalities.

The importance of research and innovation in higher education cannot be overstated. Universities and colleges are expected to be centers of research and development, driving technological advancements and contributing to knowledge creation. However, in many Indian institutions, the emphasis on research is minimal, and support for innovative projects is lacking. Increasing investment in research infrastructure and fostering a culture of innovation are crucial for elevating the quality of higher education.

This study employs thematic analysis to identify key themes related to the quality of higher education. By understanding the experiences and perspectives of educators, students, policy experts, and other stakeholders, this research seeks to provide a comprehensive view of the current state of higher education in India and propose recommendations for improvement. The findings of this study will contribute to the ongoing discourse on education reform and provide actionable insights for policymakers, educators, and administrators aiming to enhance the quality of higher education in India.

Through a detailed exploration of the various dimensions of educational quality, this paper aims to shed light on the complexities and challenges faced by the higher education sector in India. By addressing these issues comprehensively, it is possible to transform the perceived myth of quality in higher education into a tangible reality, ensuring that institutions can effectively fulfill their roles in fostering skilled graduates, promoting innovation, and contributing to socio-economic development.

Literature Review

Global Perspective: Globally, higher education is recognized as a critical driver of socio-economic development and innovation. Institutions of higher learning are expected to provide high-quality education that meets the needs of students and society. Various international frameworks and quality assurance mechanisms exist to ensure educational standards are met. However, disparities in educational quality persist, particularly between developed and developing countries.

National Perspective: In India, higher education has undergone significant expansion in recent decades. Policies and initiatives, such as the National Education Policy (NEP) 2020, aim to enhance the quality of higher education. Despite these efforts, issues such as inadequate infrastructure, outdated curricula, faculty shortages, and limited research opportunities continue to affect the quality of education. The perception of educational quality varies widely among different stakeholders, raising the question

of whether the notion of quality in higher education is more myth than reality.

Methodology

Data Collection Methods

Semi-Structured Interviews: To explore the quality of higher education in India, semi-structured interviews were conducted with a diverse group of participants, including educators, students, policy experts, and stakeholders. This method allows for in-depth discussions and provides the flexibility to explore emerging topics.

Participants

Educators:

1. University professors and lecturers from various disciplines.
2. Faculty members involved in curriculum development and academic administration.

Students: Undergraduate and postgraduate students from different universities and colleges.

Policy Experts:

1. Government officials and policymakers involved in higher education.
2. Educational researchers and analysts.

Stakeholders:

1. University administrators.
2. Representatives from educational NGOs.
3. Employers and industry representatives.

Interview Guide: The interview questions were tailored to each participant group but generally covered the following areas:

1. Perceptions of educational quality.
2. Factors contributing to or hindering quality in higher education.
3. Experiences with curriculum and teaching methods.
4. Challenges faced in higher education.
5. Suggestions for improving educational quality.

Findings:

Research Questions and Emerged Themes

Research Question 1: What are the key components of quality in higher education in India?

Corresponding Themes:

Curriculum Relevance: The need for curricula that align with current industry standards and real-world applications.

Teaching Quality: Variability in the quality of teaching and its effect on student outcomes.

Research Question 2: How do different stakeholders perceive the quality of higher education?

Corresponding Themes:

Teaching Quality: Variability in the quality of teaching and its effect on student outcomes.

Stakeholder Perceptions: Diverse views from educators, students, policy experts, and community members on the quality of higher education.

Research Question 3: What are the main challenges affecting the quality of higher education in India?

Corresponding Themes:

Resource Constraints: The impact of inadequate resources and infrastructure on educational quality.

Faculty Development: The importance of continuous professional development for educators.

Policy Implementation: Challenges in the consistent implementation of education policies.

Research Question 4: How effective are current policies and initiatives in enhancing the quality of higher education?

Corresponding Themes:

Policy Implementation: Challenges in the consistent implementation of education policies.

Stakeholder Perceptions: Insights from policymakers and other stakeholders on the effectiveness of current initiatives.

Research Question 5: What improvements are needed to ensure high-quality higher education in India?

Corresponding Themes:

Curriculum Relevance: Regular updates to curricula to reflect current educational needs and best practices.

Faculty Development: Establishment and promotion of continuous professional development programmes for educators.

Resource Constraints: Investment in the infrastructure of higher education institutions.

Industry-Academia Collaboration: Strengthening links between higher education institutions and industry.

Research and Innovation: Increasing investment in research and innovation to enhance educational quality.

Discussion

Research Question 1: What are the key components of quality in higher education in India?

Corresponding Themes:

Curriculum Relevance

Participants consistently highlighted the importance of curricula that align with current industry standards and real-world applications. Many educators and students expressed concerns that existing curricula are often outdated and heavily theoretical, failing to prepare students adequately for employment. There is a clear need for curriculum updates that incorporate practical and experiential learning opportunities, such as internships, project-based courses, and collaborations with industry. These changes would not only make education more relevant but also enhance graduates' employability.

Teaching Quality: The quality of teaching was identified as a crucial component of educational quality. There is significant variability in teaching effectiveness among professors, which directly impacts student outcomes. While some educators excel in engaging students and delivering relevant content, others struggle due to outdated teaching methods or lack of professional development. Enhancing teaching quality involves providing continuous training for educators, promoting innovative teaching practices, and implementing robust evaluation and feedback mechanisms to ensure consistency and effectiveness in teaching.

Research Question 2: How do different stakeholders

perceive the quality of higher education?

Corresponding Themes:

Teaching Quality: Stakeholders, including students, educators, and policy experts, provided diverse perspectives on teaching quality. Students often reported varying experiences, noting that while some professors are highly effective, others fail to engage or deliver relevant material. Educators acknowledged these disparities, attributing them to differences in training, experience, and access to professional development opportunities. Policy experts emphasized the need for standardizing teaching quality across institutions to ensure all students receive high-quality education.

Stakeholder Perceptions: Stakeholders' perceptions of the quality of higher education varied widely. Educators and policy experts generally recognized the potential for high-quality education but also highlighted significant areas needing improvement. Students and community members were more critical, pointing out gaps between educational expectations and outcomes. These diverse views underline the complexity of achieving consensus on educational quality and the necessity for comprehensive reforms that address the concerns of all stakeholders.

Research Question 3: What are the main challenges affecting the quality of higher education in India?

Corresponding Themes:

Resource Constraints: Resource limitations were a significant challenge identified by participants. Many institutions, particularly in rural areas, suffer from inadequate infrastructure, including outdated classrooms, insufficient laboratories, and limited access to modern teaching tools. These constraints hinder the ability to provide high-quality education and exacerbate educational inequalities. Addressing these resource gaps through substantial investment is essential for improving educational quality.

Faculty Development: Continuous professional development for educators is crucial for maintaining and enhancing teaching quality. Many faculty members reported limited opportunities for training and development, affecting their ability to stay updated with the latest teaching methods and subject matter advancements. Providing regular training programs, workshops, and opportunities for research can help educators improve their pedagogical skills and knowledge.

Policy Implementation: The implementation of education policies is often inconsistent, undermining their intended impact. While policies like the National Education Policy (NEP) 2020 are well-designed and ambitious, their effectiveness is frequently diluted by gaps in execution and enforcement. Effective policy implementation requires clear guidelines, adequate resources, and regular monitoring to ensure compliance and accountability.

Research Question 4: How effective are current policies and initiatives in enhancing the quality of higher education?

Corresponding Themes:

Policy Implementation: The study revealed challenges in the consistent implementation of education policies. Despite well-intentioned policies like the NEP 2020, there are significant gaps in their execution. Stakeholders noted that while policies provide a solid framework for improving education, inconsistent application and lack of enforcement reduce their effectiveness. Strengthening regulatory frameworks and quality assurance mechanisms is crucial to ensure policies achieve their intended outcomes.

Stakeholder Perceptions: Insights from policymakers and other stakeholders indicated mixed views on the effectiveness of current initiatives. While some initiatives have led to improvements, many stakeholders felt that there is still a long way to go. Effective collaboration between government agencies, educational institutions, and industry is essential to implement policies successfully and enhance educational quality.

Research Question 5: What improvements are needed to ensure high-quality higher education in India?

Corresponding Themes:

Curriculum Relevance: Regular updates to curricula are necessary to reflect current educational needs and best practices. Aligning curricula with industry requirements and incorporating practical learning opportunities can enhance the relevance and effectiveness of higher education. Institutions should engage with industry experts to ensure that graduates possess the skills needed in the job market.

Faculty Development: Establishing and promoting continuous professional development programs for educators is essential. Providing opportunities for training, research, and collaboration can help educators stay updated with the latest teaching methods and subject matter advancements, ultimately enhancing teaching quality.

Resource Constraints: Investment in the infrastructure of higher education institutions is crucial for providing adequate facilities and resources. Upgrading classrooms, laboratories, and libraries, and ensuring access to modern teaching tools can significantly improve educational quality and reduce disparities between institutions.

Industry-Academia Collaboration: Strengthening links between higher education institutions and industry is vital for aligning education with real-world applications. Collaborative programs, internships, and industry partnerships can provide students with practical experience and enhance their employability.

Research and Innovation: Increasing investment in research and innovation is necessary to enhance educational quality. Supporting innovative projects and fostering a culture of research within higher education institutions can drive advancements in teaching and learning, contributing to the overall development of the education system.

Conclusions: The qualitative analysis reveals that the quality of higher education in India is a complex issue with both strengths and significant challenges. While there are pockets of excellence, widespread concerns about curriculum relevance, resource constraints, faculty development, teaching quality, and policy implementation suggest that the perceived quality of higher education may often be more myth than reality. Addressing these challenges requires comprehensive reforms in curriculum design, resource allocation, faculty development, and policy enforcement. Enhancing industry-academia collaboration and fostering a culture of research and innovation are also critical for improving educational outcomes.

Recommendations: To improve the quality of higher education in India, the following recommendations are proposed: Strengthen the implementation and enforcement of policies related to higher education, ensuring all institutions meet required standards. Regularly update curricula to reflect current educational needs and best practices, aligning them with industry requirements. Establish and promote continuous professional development programmes for educators, focusing on enhancing teaching skills and knowledge. Invest in the infrastructure of higher education institutions to provide adequate facilities and resources for effective teaching and learning. Foster collaboration between government agencies, educational institutions, and industry to share knowledge, resources, and best practices. Increase investment in research and innovation, supporting projects that enhance educational quality and relevance.

References:-

1. National Education Policy (NEP) 2020. Ministry of Education, Government of India.
2. UNESCO. (2015). Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4.
3. Various academic journals and reports on higher education quality in India.

अरावली पर्वत श्रृंखला : उदयपुर जिले के संदर्भ में

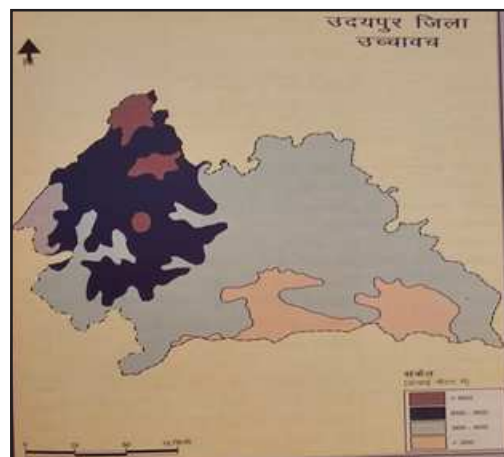
डॉ. वर्षा चुण्डावत*

*** सहायक आचार्य (भूगोल) राजकीय महाविद्यालय, जैतारण, ब्यावर (राज.) भारत**

प्रस्तावना – राजस्थान राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित उदयपुर जिला मुख्यालय स्वतंत्रता से पूर्व मेवाड़ राज्य की राजधानी था। प्राकृतिक दृष्टिकोण से सुन्दर इस नगर को 1559 ई. में मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने बसाया था।¹ राज्य के दक्षिणांचल में स्थित उदयपुर जिले का विस्तार 23°46' से 26°20' उत्तरी अक्षांश एवं 73°00' से 74°35' पूर्वी देशांतर के मध्य रहा है।² उदयपुर जिले की समुद्रतल से ऊँचाई 577 मीटर है। 10 अप्रैल 1991 को दौसा, राजसमंद और बारां नामक जिले बनाये गये।³ उदयपुर जिले के ही भाग राजसमंद क्षेत्र को राजसमंद जिले के रूप में गठित करने के बाद उदयपुर जिले का विस्तार 23°46' उत्तरी अक्षांश से 25°52' उत्तरी अक्षांश तक तथा 73°92' पूर्वी देशान्तर से 74°35' पूर्वी देशान्तर के मध्य रहा है।⁴ राजस्थान के वर्ष 2007-08 के बजट में प्रतापगढ़ को नया जिला बनाने की घोषणा की गयी। 27 जनवरी 2008 को इस नये जिले के अस्तित्व में आ जाने से राज्य में जिलों की संख्या 33 हो गयी है। इस प्रकार वर्तमान में राजस्थान में कुल 33 जिले हैं जो सात संभागों में विभक्त हैं। उदयपुर के पूर्व में चित्तौड़गढ़ जिला, उत्तर में राजसमंद, उत्तर-पश्चिम में पाली, पश्चिम में सिरोंही, पश्चिम दक्षिण में गुजरात राज्य की सीमा, दक्षिण में डूंगरपुर तथा दक्षिण-पूर्वी भाग में बांसवाड़ा जिला है।⁵

अरावली पर्वत श्रृंखला के सन्दर्भ में ज्ञात हैं किरूपजीके निकट का पर्वत देश अर्थात् मेवाड़ की सीमा पर है। रूपजी 10 किमी. पूर्व रीछेड़ वाघोरे के मोड़ में है। जीलवाड़ा और रीछेड़ के बीच आमलमाल का बड़ा पर्वत 16 किमी. लम्बा है। उसके इधर केलवा और बाघोरे के आगे घाटा नामक गांव है। उसके आगे भोरडका मगरा उत्तर-दक्षिण दिशा में 16 किमी. लम्बा है। भोरड और मछावला के मध्य समीचा गांव उदयपुर से 54 किमी. और कुम्भलमेर से 32 किमी. के अन्तर पर है। उसके आगे मछावला का मागरा 22 किमी. लम्बा है। जिसके आसपास समीचा, मदारड़ा, बरहाड़ा, बरणा, गमण आदि नौ गांव बसते थे। मछावले पर वृक्षावली और जल की बहुतायत थी।⁶

उसके आगे बरवाड़ा जहां से बर और बनास नदियां निकलती हैं। आगे घासेर का पहाड़ 3 किमी. लम्बा और उसके आगे पिण्डरझांप का पर्वत है। घासेर और पिण्डरझांप के बीच झांसनवाला कोतारा 3 किमी. उससे आगे खूमण पहाड़ों के पास लोहसिंग नामक गांव उत्तर-दक्षिण 6 किमी. और उसके आगे इसवाल नामी मगरा और कड़ी नाम का गांव है। यह मगरा गिरवे के पहाड़ों से जा लगा है और उदयपुर से 16 किमी. दूर उत्तर-पश्चिम की ओर है। घाणोराव से 6 किमी. के अन्तर पर कुम्भलमेर का पर्वत 48 किमी के घेरे में सादड़ी, रणकपुर, सेवाड़ी तक चला गया है।⁷



कुम्भलगढ़ दुर्ग की अनेक छोटी-मोटी पहाड़ियों के नाम श्वेत, नील, हेमकूट, निषाद, हिमवत, गन्धमदन आदि थे। सेवाड़ी गांव कुम्भलगढ़ से 22 किमी. दूर है, इसके आगे राहग का मगरा बहुत विकट है, वहां जल बहुतायत में था और 25 गांव इसके आसपास बसते थे, यह पहाड़ 51 किमी. लम्बा है। वह सिरोंही की सरणुआ पहाड़ियों से जा लगा है, इसका घेर 96 किमी. तथा चौड़ाई 48 किमी है। इसके निकट माल्हुण, सुनाहणी, बहड़ी, पिण्डवाड़ा, भाटोही, भूणोद आदि गांव बसे थे, जहां से जूही (बेकरिया का घाटा) नदी निकलती है।⁸

जरगा और राहंग के बीच की भूमि में (देसहरो देश) आम के पेड़ हैं। यहां चावल, गेहूं, चना और उड़द बहुतायत में पैदा होते हैं। मछावला और जरगा के बीच की भूमि कुहाड़िया नला कहलाती है, जो 32 किमी. की लम्बाई में उदयपुर से 64 किमी. के अन्तर पर है। जरगा का पहाड़ कुहाड़िया नले से दाहिनी ओर है और दूसरी तरफ केलवाड़ा और दक्षिण में रोहेड़ा गांव है। केलवाड़े में जावर का तालाब स्थित था। जरगा पर्वत पर जल बहुतायत में था। इसके आगे 22 किमी. उसी से सम्बन्ध रखने वाली नाहेसर (नाहर) और भांडेर की अति विषम और विकट भूमि है। उदयपुर से सिरोंही जाने का मार्ग है तथा कई गांव ढोल, कलोल, गोगून्दा, सिंघाड़, बोखड़ा आदि बसे हुए थे।⁹

गोगून्दा के दक्षिण में राणेराव तालाब है तथा एक बावड़ी मुगल शासक अकबर की बंधाई हुई कहते हैं, इसके पास सेरा की नदी है। महासतिया के पूर्व में महाराणा खेता काबंधवाया हुआ, खेतला तालाब है। गोगून्दा के दक्षिण-पश्चिम में धोलेगर पर्वत प्रसिद्ध है और उत्तर की तरफ खमाण का

पर्वत है। उसके पश्चिम की तरफ सरहद रावल्या की है। इसके उत्तर की तरफ वाले पर्वत कुंथल कहलाते हैं।¹⁰ इस पहाड़ से इधर मंडेर से 13 किमी. उदयपुर की दक्षिण दिशा में बहुत से गांव थे। ठगरावड़ी, आहोर, नाहेसर, पानरवा, भांडेर, डाल. पई मथाड़ा और देवहर के पहाड़ भी बहुत बड़े हैं। इनके आगे माचण के पहाड़ 48 किमी. के घेरे में हैं। छाली, पूतली और ढोल-कलोल के पहाड़ ईंडर से 22 किमी. मेवाड़ की तरफ है। छप्पन, चावण्ड और जवास व जावर के बीच उदयपुर से 55 किमी, पीपलदड़ी और सिरोंडे के पहाड़ हैं।¹¹

बांसवाड़ा और देवलिया (प्रतापगढ़) के मध्य मेवाड़ (छप्पन) के गांव औरराजा का जगनेर है। यह देश मण्डल कहलाता है। बड़वाल परगने का गांव धरियावद जहां बड़े पहाड़ और सघन वृक्ष हैं। धरियावद के पश्चिम में मेवल के मगरे और सलूमबर, बाठरड़ा, बम्बोरा गांव हैं। बाठरड़ा और सलूमबर के बीच बड़े-बड़े पहाड़ हैं।¹² बाठरड़ा क्षेत्र में खानडया, बरवाला डूंगरा सहित मखरेड का पहाड़ प्रसिद्ध रहा।¹³

सलूमबर 14 नगर में सोनार माता की पहाड़ी 455 मीटर, खारवा गांव (परगना-चांस्दा) की मनीयोल पहाड़ी 756.81 मीटर, गांव-आजणी जिला मगरा की पहाड़ी 57.15 मीटर इसी जिले में मटाल्या टोला 530.96 मीटर, धोलागिरी की पहाड़ी जो खण्डेला पाल की सीमाओं में है 524.5 मीटर ऊंची हैं। बाठरड़ा से 10 किमी. पश्चिम में उदयसागर स्थित है। इस तालाब से 3 किमी. देबारी, देबारी से 7 किमी. दूर आहाड़ है। उदयपुर में राणा के महल पीछोला के किनारे बने हुए हैं। उदयपुर से 16 किमी. पश्चिम की ओर सिगड़िया नाम का बड़ा पहाड़ है। आगे उदयपुर से 10 किमी. धार की पहाड़ी और उत्तर में लखावली है। उसी दिशा में चीरवे का घाटा और अंबेरी गांव हैं। चीरवा से 7 किमी. और उदयपुर से 16 किमी. पर एकलिंगजी और वहां से 3 किमी. राठासण की पहाड़ी 6 किमी. के घेरे में हैं। जहां जल नहीं था। एकलिंगजी से 9 किमी. देलवाड़ा और देलवाड़ा से 28 किमी. कोठारिया है। देलवाड़ा मेवाड़ के मध्य में है। कोठारिया के निकट बनास नदी बहती है। इससे 81 किमी. पूर्व में चित्तौड़, चित्तौड़ से 3 किमी. अरवण के बड़े पहाड़ हैं परन्तु उन पर जल नहीं है। मेवाड़ की प्राकृतिक विशेषता में यहां के पहाड़ों के साथ-साथ पठार भी हैं।¹⁵

मेवल (जगत, कुराबड़, बंबोरा आदि) बम्बोरा के सारंगदेवोत सीसोदियों की जागीर में था। देवलिया से 10 किमी. पर बड़ा मेरवाड़ा है। यहां 140 गांवों में विभिन्न शाखाओं के मेरनिवास करते थे। देवलिया और मेवल के बीच की भूमि को मण्डल देश कहते थे, जिसमें मुख्य स्थान धरियावद है। यहां का पानी रोगजनक होने से जनसंख्या नहीं बढ़ी। परगना जूड़ा उदयपुर से 80 किमी., गोगून्दा और सिरोंही के परगने भीतर से मिला हुआ था। भांडेर का पहाड़ 32 किमी. लम्बा और 6 किमी. चौड़ा है। नाहेसर 38 किमी. लम्बा और 6 किमी. चौड़ा है, जिसमें जूड़े का परगना है। एक-एक गांव में पांच सौ सात सौ बीघा भूमि कृषि के योग्य और बची हुई भूमि पहाड़ों के तले दबी है। धान, साल, गेहूं, चना, मक्का, उड़द और बालण ककड़ी बहुतायत से पैदा होती थी। अरावली की सबसे ऊंची श्रेणी कुभलगढ़ 1087.52 मीटर है, यह गोगून्दा तक गयी है। गोगून्दा से 48 किमी. उत्तर में जरगा के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी 1315.21 मीटर है। हिन्दुस्तान का बड़ा भाग जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बहाव को खंभात की खाड़ी (गुजरात राज्य) में जाने वाली नदियों के बहाव से अलग करता है। यह भाग राजस्थान के मध्य से गुजरता है, जो जल विभाजक रेखा कहलाती है। इस राष्ट्रीय जल विभाजक रेखा का भी अपना महत्व है। पूर्वी

राजस्थान में सशक्त नदी पात्र हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में भू-जल के विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिगत पात्रों में विशाल जल राशि उपलब्ध है। यह जल विभाजक रेखा मेवाड़ के करीब करीब बीच में से गुजरती है। जो पूर्व में बड़ी सादड़ी होती हुई उदयपुर और वहां से गोगून्दा के आसपास की ऊंची जमीन व बनास के निकासों और पश्चिम में कुंभलगढ़ के बड़े पहाड़ी किले के निकट होकर अरावली पर से अजमेर को जाती है। ईशान कोण को झुकाव साधारण परन्तु बराबर एक सा है।¹⁶ उदयपुर नगर समुद्र की सतह से 596.49 मीटर और उत्तर-पश्चिम में देवली 341.98 मीटर ऊंचा है। इस ऊंचे हिस्से को पार करने के पश्चात् खुले हुए ऊंचे नीचे मैदानों के स्थान दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा चट्टानों, पहाड़ियों और घने जंगलों से ढका हुआ था। अरावली पहाड़ जो पश्चिमी किनारे पर मेरवाड़ा मेवाड़ राज्य के दक्षिण-पश्चिम व दक्षिणी हिस्सों में डूंगरपुर के किनारे पर सोम की तराई तक और दक्षिण की तरफ माही की तराई तक फैला हुआ है। यह अन्त में उन पहाड़ियों के साथ मिल जाता है, जो दक्षिण-पूर्व की ओर जाखम नदी की तराई के निकट विन्ध्याचल का हिस्सा है।

मेवाड़ के दक्षिणी भाग का सम्पूर्ण जल जयसमुद्र में रुकने के अलावा जाखम और सोम नदी में बहकर खंभात की खाड़ी में पहुंचता है, इस ओर ऊंचाई कम होती गयी है। अरावली शृंखला के इन पर्वतों ने पूर्व और दक्षिण की तरफ अपनी कई कम ऊंची ढालू बांहे फैला रखी हैं जिन्होंने सम्पूर्ण प्रदेश को उत्तर-पूर्व की ओर एक ढलते पठार का रूप दे दिया है। बनास और उसकी मुख्य धाराएं इन्हीं बाहों के बीच दूनों (अर्थात् दोनों-कठोती) से निकलकर बहती हैं। 15 वीं शताब्दी में चित्तौड़ क्षेत्र के पहाड़ मैदान के मध्य गुफाओं, झरनों तथा वनों की बहुलता को संजोये हुए थे। ये पर्वत पश्चिम में रेगिस्तान की तरफ तो मैदान से एकाएक ऊंचे उठे हुए हैं, जहां उनके ऊंचे-ऊंचे ढाल अत्यन्त दुर्गम हैं। मेवाड़ के पश्चिमी हिस्से का बहाव दक्षिण की ओर है जिसमें खंभात की खाड़ी में गिरने वाली साबरमती की सहायक नदियां हैं। पश्चिमी पहाड़ियों से दो नदियां निकलती हैं, पहली गोर्राई जो उत्तर-पश्चिम की तरफ ऐरनपुर से बढ़कर लूणी में गिरती है और दूसरी छोटी बनास जो दक्षिण-पश्चिम की ओर चलकर कच्छ के रण में गिरती है। मेवाड़ का भौगोलिक अधन करने पर ज्ञात होता है कि इसका ढलान उत्तर-पूर्व तथा दक्षिण-पश्चिम में है। अरावली पर्वत शृंखला का जल दोनों तरफ फैलता या बहता है। मेवाड़ प्राकृतिक दृष्टिकोण से इस प्रकार दो हिस्सों में बंटा हुआ है।

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, उदयपुर (1979) ".....Existence of elevated plateau characterises the northern portion of the district while the eastern portion has fertile plains. The southern part of the district is mostly covered with rocks, hills and fairly dense jungles. The western portion of the district, better known as the Hilly Tracts of Mewar, is composed of Aravalli range. The Aravalli range enters Bhimtahsil of the district from Ajmer district and continues south westerly towards Kumbhalgarh and Jarga and then spreads towards the valley of Som river. There are passes in the Aravalli range, viz. DesuriNal and Sadri pass which cross into Jodhpur Division. The slopes are covered with forest, stones and jungles affording shelter to big game. The scenery is picturesque.....The average height of the district is 500 metres above sea level gradually increasing

towards west.....”¹⁷

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. भट्ट राजेन्द्र शंकर, मेवाड़ के महाराणा और शहंशाह अकबर, पृ. 40-42 पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1997 ई.; दीपा कँवर राणावत, हेमेन्द्र सिंह सारंगदेवोत, उदयपुर एवं जोधपुर जिलों में मानव संसाधन विकास और भौगोलिक पक्ष (20वीं-21वीं शताब्दी के सन्दर्भ में) पृ. 41 मेवाड़ श्री प्रकाशन, चित्तौड़गढ़ एवं नई दिल्ली, 2022 ई.
2. अग्रवाल बी.डी., राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, उदयपुर (भारत का गजेटियर, राजस्थान, उदयपुर), 1-2 Directorate of District Gazettors Government of Rajasthan, Jaipur, 1979
3. गुप्ता डॉ. मोहनलाल, उदयपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, पृ. 2 (भूमिका), राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर
4. जिला सांख्यिकी रुपरेखा, जिला उदयपुर (2006), पृ. 1, आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान, जयपुर
5. गुप्ता डॉ. मोहनलाल, उदयपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, पृ. 1, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर
6. सं. राणावत डॉ. मनोहर सिंह, मुहणोत नैणसी की ख्यात, भाग-1 पृ. 5; सं. ओझा गौरीशंकर हीराचन्द, अनु. दुग्गड़ रामनारायण, मुहणोत नैणसी की ख्यात, प्रथम खंड, पृ. 41, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 2016
7. सं. ओझा गौरीशंकर हीराचन्द, अनु. दुग्गड़ रामनारायण, मुहणोत नैणसी की ख्यात, प्रथम खंड, पृ. 41; लोहसिंग (लोसिंग) उदयपुर से उत्तर दिशा में 28 किमी. दूर स्थित है।
8. राणावत ईश्वरसिंह, राजस्थान के जल संसाधन, पृ. 8 चिराग प्रकाशन, उदयपुर
9. राणावत ईश्वरसिंह, राजस्थान के जल संसाधन, पृ. 42
10. सं. भाटी हुकमसिंह, गोगुन्दा की ख्यात, पृ. 80-82
11. सं. ओझा गौरीशंकर हीराचन्द, अनु. दुग्गड़ रामनारायण, मुहणोत नैणसी की ख्यात, प्रथम खंड, पृ. 42, राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर
12. सं. राणावत मनोहर सिंह, मुहणोत नैणसी की ख्यात, भाग-1, पृ. 7
13. हेमेन्द्र सिंह सारंगदेवोत, बाठेड़ा (मेवाड़) के सारंगदेवोतों का राजनीतिक इतिहास, पृ. 33, मेवाड़ श्री प्रकाशन चित्तौड़गढ़ एवं नई दिल्ली, 2021 ई.
14. भंडारी विमला, सलुम्बर का इतिहास, पृ. 5, 43
15. जे.के.ओझा, मेवाड़ के पुरातात्विक स्मारक, पृ. 16-17, राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर, 2019; सं. ओझा गौरीशंकर हीराचन्द, अनु. दुग्गड़ रामनारायण, मुहणोत नैणसी की ख्यात, प्रथम खंड, पृ. 42-43; दीपा कँवर राणावत, हेमेन्द्र सिंह सारंगदेवोत, उदयपुर एवं जोधपुर जिलों में मानव संसाधन विकास और भौगोलिक पक्ष (20वीं-21वीं शताब्दी के सन्दर्भ में) पृ. 41
16. राणावत ईश्वरसिंह, राजस्थान के जल संसाधन, पृ. 42 य जे.के.ओझा, मेवाड़ के पुरातात्विक स्मारक, पृ. 16-17, राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर, 2019; सं. ओझा गौरीशंकर हीराचन्द, अनु. दुग्गड़ रामनारायण, मुहणोत नैणसी की ख्यात, प्रथम खंड, पृ. 43; दीपा कँवर राणावत, हेमेन्द्र सिंह सारंगदेवोत, उदयपुर एवं जोधपुर जिलों में मानव संसाधन विकास और भौगोलिक पक्ष (20वीं-21वीं शताब्दी के सन्दर्भ में) पृ. 68-69
17. Agarawal, B.D., Rajasthan District Gazetteers, Udaipur (Gazetteer of India Rajasthan, Udaipur), P. 6

डूंगरपुर जिले में जनजातियों की आधारभूत सुविधा सूचकांक स्तर (1981 से 2010) (एक भौगोलिक अध्ययन भू.अ.नि.वृ. के आधार पर)

डॉ. गोविन्द लाल सरगड़ा*

* भूगोल विभाग, गुरुकुल महाविद्यालय, सागवाड़ा, डूंगरपुर (राज.) भारत

शोध सारांश - जो नैसर्गिक जीवन जीते हैं। अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, भारत और अन्य पिछड़े देशों में इनके लिए आदिवासी शब्द ही प्रयुक्त किया जाता है। इन जनजातियों को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। वन्य जाति, वनीय जाति, वनवासी, वनों के आश्रय में रहने वाले, पहाड़ी लोग, पहाड़ियों पर रहने वाले, आदिम जाति, प्रारम्भिक लोग, आदिवासी तथा कई स्थानीय नामों से भी इन्हें जाना जाता रहा है। अति न्यूनतम स्तर के अन्तर्गत 7 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त क्रमशः पाडवा, सरोदा, गेंजी, देवलखास, चिखली, आंतरी और कुआँ पाये गये। यह स्तर अति न्यूनतम रहने का मुख्य कारण यहाँ पर जनजाति जनसंख्या का बाहुल्य पाया जाना है इस कारण यहाँ के निवासी दूर-दराज क्षेत्रों तथा प्रकीर्णन बसाव में रहने के कारण यहाँ पर आधारभूत सुविधाओं के विकास प्रभावी रूप से संभव नहीं हुआ है।

शब्द कुंजी - वनवासी, वनीय जाति, जनजाति, आधारभूत सुविधाएँ, बाहुल्य, प्रकीर्णन, भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त।

प्रस्तावना - जनजाति या आदिवासी शब्द का विन्यास 'आदि' अर्थात् पुरातन तथा वासी अर्थात् 'रहने वाला' या 'निवासी' के रूप में माना जाता है। अँग्रेजी में इनको 'Tribe' कहा गया है, जो लेटिन भाषा के 'Tribus' शब्द से बना है। रोमन एवं ग्रीक लोग राजनैतिक विभाजन और भौगोलिक क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त करते हैं। वास्तव में यह शब्द ऐसे लोगों के लिए उपयुक्त है, जो नैसर्गिक जीवन जीते हैं। अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, भारत और अन्य पिछड़े देशों में इनके लिए आदिवासी शब्द ही प्रयुक्त किया जाता है। इन जनजातियों को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। वन्य जाति, वनीय जाति, वनवासी, वनों के आश्रय में रहने वाले, पहाड़ी लोग, पहाड़ियों पर रहने वाले, आदिम जाति, प्रारम्भिक लोग, आदिवासी तथा कई स्थानीय नामों से भी इन्हें जाना जाता रहा है।

किसी भी क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने हेतु सामाजिक सुविधाओं का सम्यक नियोजन एक महती आवश्यकता है। विकास प्रक्रिया में सामाजिक उत्थान के साथ ही संस्थागत परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होता है। इस माध्यम से सामाजिक सुविधाओं व पद्धतियों में परिणामात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन लाकर क्षेत्र के सामूहिक व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है इस दृष्टिकोण से अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक अवस्थापनात्मक तत्वों की उपलब्धता तथा सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन एवं विश्लेषण करके उपलब्ध सुविधाओं में अभिवृद्धि हेतु नियोजन एवं विकास ही शोध का प्रमुख उद्देश्य है। नयी संस्थाओं के निर्माण के साथ-साथ संस्थागत सुविधाओं के सदुपयोग हेतु जनसंख्या में जागरूकता, विकासपरक सामाजिक मूल्यों का विकास भी होता है। सामाजिक सेवाओं व सुविधाओं को क्षेत्र में सही रूप में विकेंद्रित करके अर्थ तल के विकास एवं सांस्कृतिक उन्नयन हेतु एक निश्चित दिशा प्रदान की जा सकती है।

सम्पूर्ण विकास एवं नियोजन की प्रक्रिया में सामाजिक सेवाएं एवं सुविधाएं एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाहन करती है।

इस सन्दर्भ में 'रोडीनेली' का विचार है कि यदि आर्थिक प्रगति के साथ ही समानता एवं सन्तुलन के उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो सामाजिक सुविधाओं, सेवाओं, उत्पादन गतिविधियों एवं अवधात्मक तत्वों का तर्क संगत तथा उत्प्रेरक वितरण प्रमुख समस्या के रूप में उभरता है। सामाजिक तत्व-जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, वितरण, जातिय संगठन, साक्षरता, शिक्षण संस्थान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं व उनका स्तर, सामाजिक विकास को गति प्रदान करने वाले ऐसे संसाधन हैं जो ठोस आधार प्रस्तुत करते हैं इनके माध्यम से ही सामाजिक स्तरों में उत्थान किया जा सकता है।

वर्तमान में **डी.के. नायक** (1998) ने जनजाति पर भौगोलिक पृष्ठ भूमि के प्रभाव को अपने शोध-पत्र 'Geographical Background of Tribal Situation in North-East India' में प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपने दूसरे शोध-पत्र (1998) में 'Pattern of Prevalence and Related Environment' में पर्यावरण से सम्बन्ध बताते हुए प्रभावों की व्याख्या की है।

जे.बी. गांगुली (2001) द्वारा अपने शोध-पत्र में भारत की जनजातियों के विकास के लिए उनकी संस्कृति एवं पारिस्थितिकी का अध्ययन किया है, इसी प्रकार **एस.के. शर्मा** तथा **एन.आर. शर्मा** ने 'दृष्ट (Traditional Ecological Knowledge) MTK (Modern Technological Knowledge) नामक राजस्थान राज्य के सम्बन्ध में अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। **टी.के. वाजदी** तथा **कन्हैया आहुजा** (2001) ने जनजाति विकास के लिए साप्ताहिक बाजार के विचार पर जोर दिया और इसके महत्व को बताया।

दीपक इसार तथा **एस.डी. धाकड़** (2002) ने प्रकाशित शोध-पत्र में जनजातियों द्वारा कृषि पर शोध के आधार पर विभिन्न स्तरों को बताया है। **कल्याण चक्रवर्ती** ने अपने शोध-पत्र में जनजातियों के विकास हेतु कुछ सुझाव दिये हैं, जिनमें पारिस्थितिकी परिदृश्यों को बदलना आवश्यक

बताया है, लेकिन **बालू इमाम** (2002) ने झारखण्ड की जनजातियों के अध्ययन में जनजातिय सभ्यता के बारे में गहन अध्ययन किया है।

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक परिचय – राजस्थान प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टिकोण से धनी प्रदेश की श्रेणी में आता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से डूंगरपुर जिला राजस्थान के 'वागड प्रदेश' का अंग रहा है, लेकिन सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथ्यों के आधार पर यह क्षेत्र सदैव पूर्णरूप से एक भौगोलिक इकाई के रूप में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है तथा यह क्षेत्र 'वागड प्रदेश' के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर जिला राजस्थान की अरावली पर्वत मालाओं के दक्षिणांचल में स्थित विस्तृत पहाड़ी भाग में बसा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति $23^{\circ}20'$ से $24^{\circ}01'$ उत्तरी अक्षांश और $73^{\circ}21'$ से $74^{\circ}23'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस जिले के उत्तर में उदयपुर जिले का विस्तार है तथा दक्षिण-पश्चिम में गुजरात राज्य की लम्बी सीमा रेखा लगभग 100 किलोमीटर है, जो प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। पूर्व में बांसवाड़ा जिला स्थित है। जिले की लम्बाई उत्तर से दक्षिण में 67.5 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम में 80 किलोमीटर है। इस जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3855 वर्ग किलोमीटर है एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले का राज्य में 26वाँ स्थान है। अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी-पश्चिमी में 100 किलोमीटर लम्बी सीमा रेखा, जिसमें गुजरात के दो जिले साबरकांठा व पंचमहल आते हैं। इस आधार पर अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक दृष्टिकोण से ही नहीं अपितु सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, दृष्टिकोण से भी विशेष महत्त्व रखता है।

जिले में खनिजों के भण्डार में भी अग्रणीय स्थान रखता है। भू-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन क्षेत्र ग्री-केम्ब्रियन अरावली श्रृंखला का भाग है यहाँ के केन्द्रीय भाग में विशेष रूप से डूंगरपुर नगर के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में क्वार्ट्ज की धारियों वाला स्लेट पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही यहाँ एसबेस्टोस, क्रोमाइट, मेगनेटाइट और टेल्स (स्टीटाइट्स) के महत्वपूर्ण सम्भाव्य स्रोत के रूप में अल्ट्रा बेसिक में भी दिखाई पड़ती है। खनिजों में सोप स्टोन, एसबेस्टोस, बेरिस और फ्लोराइट मुख्य है। उच्चावच की दृष्टि से जिले का अधिकांश भाग 150 से 130 मीटर (औसत समुद्र तल से) ऊँचा है। इस प्रदेश में जिले की सर्वोच्च चोटी धनमाता स्थित है जो औसत समुद्र तल से 572 मीटर (1876 फीट) ऊँचा है। अन्य पहाड़ियाँ अमीझरा (449 मीटर), डूंगरपुर मदार (424 मीटर), रीठड़ा (415 मीटर) इत्यादि स्थित है।

अध्ययन क्षेत्र के जनजातियों की सामाजिक विकास में नदियों का विशेष महत्त्व है। नदियों से न केवल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है अपितु पीने का पानी, वृक्षारोपण, वन विकास, हरे-भरे मैदानी क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों के लिए कृषि उत्पादन के लिए उपजाऊ मिट्टी के विकास में भी सहायक होती है। अध्ययन क्षेत्र की नदियों के अपवाह क्षेत्र प्राचीन काल से ही बहुत परिवर्तन हुए हैं। क्षेत्र में वर्ष पर्यन्त बहने वाली नदियों में माही नदी, सोम नदी, तथा जाखम नदी है।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोध कार्य के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों को आधार माना गया –

1. जनजाति प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं (जैसे धरातलीय स्वरूप, जल प्रवाह, मिट्टी आदि) की व्याख्या प्रस्तुत करना।
अध्ययन क्षेत्र की आधारभूत सुविधा संरचना (जैसे- पक्की सड़के, बस अड्डा, रेल्वे स्टेशन, डाकघर, दूरभाष, जल सुविधा, जलविद्युत,)

की व्याख्या प्रस्तुत करना।

2. अध्ययन क्षेत्र की जनजातिय आधारभूत सुविधा संरचना का अध्ययन प्रस्तुत करना।
3. जनजातियों की समस्याओं को प्रस्तुत करना।

अनुसंधान विधि – प्रस्तुत शोध कार्य में विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध विधियों का प्रयोग किया जायेगा। शोध के अन्तर्गत द्वितीयक सूचनाओं व आँकड़ों को आधार रूप में प्रयोग किया जायेगा। आँकड़ों के अन्तर्गत क्षेत्र की भौगोलिक, जनसंख्या, सामाजिक विकास से संबंधित सूचनाओं आदि की जानकारी हेतु जनगणना पुस्तिका 1981, 1991, 2001, 2011 जिला पुस्तिका, डूंगरपुर विषय से संबंधित प्रकाशित – अप्रकाशित पुस्तकें, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ इत्यादि को आधार बनाया गया।
जनांनकीय विश्लेषण – जनांनकीय अध्ययन से जनसंख्या की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है तथा उसका क्षेत्रीय एवं संरचनात्मक अध्ययन किया जाता है। मानव को मूल्यवान तथा असीमित क्षमताओं से युक्त संसाधन मानकर उसका सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के बिना राज्य या क्षेत्र के विकास की कल्पना करना व्यर्थ है। भारत की मानव विकास रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि विकास हेतु जो राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धनता उन्मूलन, समाज कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ देने में अग्रणी है, अंततः वह सम्पूर्ण विकास की राह पर जा रहे हैं।

डूंगरपुर में वर्ष 1981 में 6,82,445, 1991 में 8,74,549, 2001 में 11,07,643 तथा 2011 13,88,552 में थी जिले की साक्षरता दर 1981 में 17.19, 1991 में 20.67, 2001 में 36.93 तथा 2011 में 48.19 तथा लिंगानुपात राज्य के औसत से अधिक रहा है। डूंगरपुर जिला अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर लगभग 72 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की निवास करती है। इस कारण जिले की साक्षरता दर राज्य की साक्षरता दर से अति न्यून है। वर्ष 2011 के अनुसार जिले में कुल 21 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त है।

आधारभूत सुविधा विकास सूचकांक – आधारभूत सुविधा विकास सूचकांक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त सूचकांक के माध्यम से प्राप्त मूल्य कौं बंमस तिमम करने के लिए उसके निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया गया है जो इस प्रकार है :-

आधारभूत सुविधा विकास सूचकांक = वास्तविक मूल्य - न्यूनतम मूल्य
अधिकतम मूल्य - न्यूनतम मूल्य

अध्ययन क्षेत्र के शैक्षणिक सुविधा मूल्यांकन की गहना के लिए शैक्षिक सुविधा सूचकांक भी ज्ञात किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के शैक्षिक विकास सूचकांक के अन्तर्गत 7 सूचकों पक्की सड़के, बस अड्डा, रेल्वे स्टेशन, डाकघर, दूरभाष, जल सुविधा, जलविद्युत, का प्रयोग किया गया है

आधारभूत सुविधा संरचना सूचकांक – आधारभूत सुविधा किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रभावित करती है अतः किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए सर्वप्रथम वहाँ के आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना होगा तथा आधारभूत सुविधाओं का वितरण जनसंख्या तथा गांवों के अनुरूप करना होगा, ताकि समान विकास हो सके। इसके विश्लेषण के लिए सभी आधारभूत सुविधाओं के सूचकांक ज्ञात करने हेतु संयुक्त सूचकांक एवं श्रेणी द्वारा सूचकों की गणना की गयी है।

वर्ष 1981 में प्रथम स्थान पर डूंगरपुर वृत्त, द्वितीय स्थान पर आसपुर

वृत्त और तृतीय स्थान पर साबला वृत्त रहा तथा अन्तिम तीन स्थान पर चिखली, पाडवा, कुआँ भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त रहे हैं। वर्ष 1991 में प्रथम स्थान पर डूंगरपुर वृत्त, द्वितीय स्थान पर आसपुर वृत्त और तृतीय स्थान पर धम्बोला वृत्त रहा है, तथा अन्तिम तीसरे स्थान पर पाडवा एवं चिखली एवं द्वितीय स्थान पर सरोदा एवं तृतीय स्थान पर गेंजी भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त रहे हैं।

वर्ष 2001 में प्रथम स्थान पर डूंगरपुर वृत्त, द्वितीय स्थान पर आसपुर वृत्त, और तृतीय स्थान पर धम्बोला वृत्त रहा तथा अन्तिम तीन स्थान पर क्रमशः देवलखास, गेंजी, पाडवा भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त रहे हैं। वर्ष 2011 के विश्लेषण अनुसार प्रथम स्थान पर डूंगरपुर वृत्त, द्वितीय स्थान पर आसपुर वृत्त और तृतीय स्थान पर धम्बोला वृत्त रहा है तथा अन्तिम तीन स्थान पर गेंजी, देवलखास एवं पाडवा भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं की कमी है। अभी भी यहाँ के गाँवों में इनका वितरण बहुत ही असमान है। जनसंख्या के अनुपात में इन सुविधाओं को बढ़ाने की अति आवश्यकता है। तभी आर्थिक विकास की उचित गति की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

डूंगरपुर जिला : भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त आधारभूत सुविधा सूचकांक (1981-2011)

क्र.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	वर्ष 1981	वर्ष 1991	वर्ष 2001	वर्ष 2011	औसत
1	डूंगरपुर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	आंतरी	0.14	0.18	0.12	0.18	0.14
3	फलोज	0.37	0.45	0.42	0.49	0.41
4	देवलखास	0.13	0.19	0.00	0.01	0.08
5	थाना	0.38	0.36	0.34	0.28	0.34
6	गेंजी	0.14	0.10	0.03	0.00	0.06
7	बिच्छीवाड़ा	0.33	0.36	0.28	0.19	0.29
8	सागवाड़ा	0.42	0.42	0.44	0.65	0.46
9	जोगपुर	0.28	0.29	0.33	0.39	0.30
10	चितरी	0.44	0.43	0.46	0.55	0.45
11	ठाकरड़ा	0.12	0.15	0.35	0.36	0.21
12	सरोदा	0.04	0.05	0.11	0.10	0.05
13	पाडवा	0.01	0.00	0.06	0.06	0.00
14	आसपुर	0.59	0.62	0.93	0.99	0.78
15	गणेशपुर	0.21	0.29	0.67	0.96	0.47
16	साबला	0.54	0.46	0.67	0.97	0.62
17	धम्बोला	0.15	0.47	0.81	0.98	0.54
18	पीठ	0.24	0.25	0.54	0.89	0.42
19	झोंतरी	0.14	0.15	0.71	0.98	0.42
20	कुआँ	0.04	0.13	0.25	0.32	0.15
21	चिखली	0.00	0.00	0.31	0.32	0.11
	माध्य	0.27	0.30	0.42	0.52	0.35
	प्रमाप विचलन	0.23	0.23	0.28	0.38	0.25
	विचरण गुणांक	85.60	76.25	67.47	72.61	71.91

स्रोत : जनगणना के आँकड़ों की गणना

संयुक्त सूचकांक मूल्य के आधार पर विश्लेषण से पता चलता है कि

डूंगरपुर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त प्रथम स्थान पर एवं द्वितीय स्थान पर आसपुर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त तथा तृतीय स्थान पर साबला भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त था। अन्तिम तीन स्थान पर पाडवा भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त द्वितीय स्थान पर सरोदा भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त और तृतीय स्थान पर गेंजी भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त था। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त स्तर पर आधारभूत सुविधा सूचकांक में काफी अन्तर देखने को मिला है।

आधारभूत संरचना विकास स्तर सूचकांक - अध्ययन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को विभिन्न भू-अभिलेख निरीक्षक यदि समस्त स्थान को विभिन्न विकास के स्तरों में देखा जाये कि कितने भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त अति उच्च या उच्च या मध्यम या न्यून या अति न्यून श्रेणी में आती है। क्योंकि आधारभूत सुविधाओं के आधार पर सभी भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त में सुविधाओं के सूचकांक मूल्य एवं उनके अलग-अलग प्रतिशत दर्शाये हैं।

डूंगरपुर जिला : आधारभूत सुविधा स्तर सूचकांक 1981-2011

क्र.	स्तर	सूचकांक मूल्य	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त की संख्या	प्रतिशत
1.	अति उच्च	0.80 - 1.00	1	4.78
2.	उच्च	0.60 - 0.80	2	9.54
3.	मध्यम	0.40 - 0.60	7	33.34
4.	न्यून	0.20 - 0.40	4	19.40
5.	अति न्यून	0.00 - 0.20	7	33.34
	कुल		21	100.00

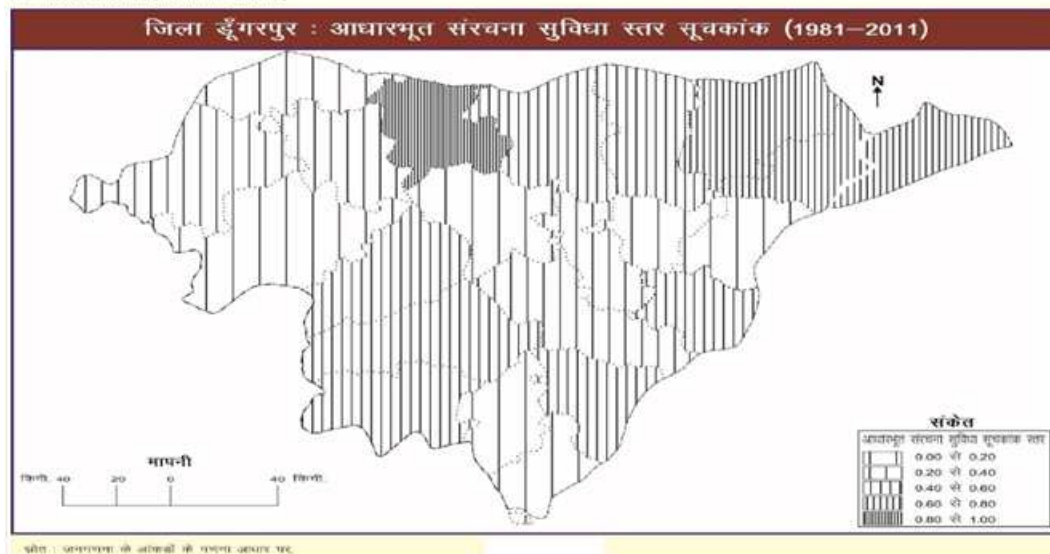
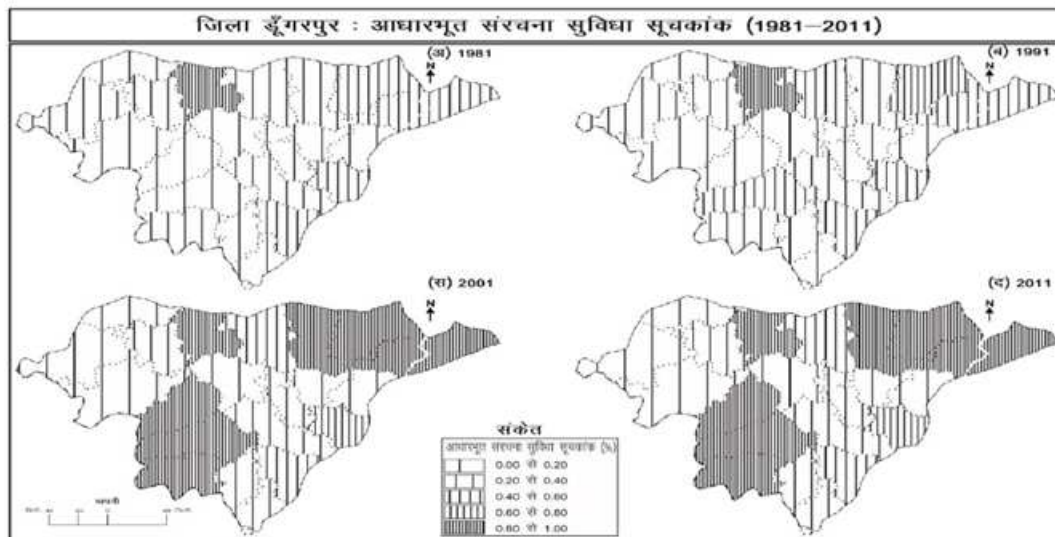
स्रोत : जनगणना के आँकड़ों की गणना

अति न्यूनतम स्तर (0.00 से 0.20) के अन्तर्गत 7 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त क्रमशः पाडवा, सरोदा, गेंजी, देवलखास, चिखली, आंतरी और कुआँ पाये गये। यह स्तर अति न्यूनतम रहने का मुख्य कारण यहाँ पर जनजाति जनसंख्या का बाहुल्य पाया जाना है इस कारण यहाँ के निवासी दूर-दराज क्षेत्रों तथा प्रकीर्णन बसाव में रहने के कारण यहाँ पर आधारभूत सुविधाओं के विकास प्रभावी रूप से संभव नहीं हुआ है। मध्यम स्तर (0.40 से 0.60) श्रेणी के अन्तर्गत सर्वाधिक भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त पाये गये जिनका प्रतिशत 33.34 रहा। जबकि भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त न्यून स्तर (19.40 प्रतिशत) में भी 4 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त आते हैं इसमें क्रमशः ठाकरड़ा, बिच्छीवाड़ा, जोगपुर एवं थाना है। उच्च स्तर (0.60 से 0.80) के अन्तर्गत मात्र 2 (9.54 प्रतिशत) भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त साबला एवं आसपुर सम्मिलित हैं एवं अति उच्च स्तर के अन्तर्गत एक मात्र 1 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त डूंगरपुर पाया गया। अति उच्च स्तर में डूंगरपुर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त में सर्वाधिक आधारभूत सुविधाओं के विकास के कारण नगरीकरण, जिला मुख्यालय, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रमुख सुविधाएँ उपलब्ध है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Chakrabarti, Kalyan, 2002; *"Tribal Development and Ecological Scenario"*, A Journal of the Stricture of Social Research and Applied Anthropology, p. 121.
2. Sharma, S.K. and Vishuabarma, D.D., 1996; *"Evolution of Knowledge and Use of High Yielding*

- Varieties of Seed by the Tribal of the Betul – Chindwara Plateau M.P.”**, The Geographer, Vol. 45, No. 1, p. 44-54.
3. Dube, S.C., Nov. 1976; **“Nehru and Tribal India”**, Secular Democracy, 9 (21-22), p. 183-184.
 4. District Handbook Census, District Dungarpur 1981, 1991, 2001, 2011.
 5. www.censusindia.gov.in
 6. www.censusrajasthan.gov.in
 7. www.dungarpur.nic.in



A Study of Parent's Attitude on Inclusive Education for Their Children with Mental Retardation

Dr. Kuldeep Singh Tomar* Namami Sharma**

*Principal, Tridev College of Education, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

** Assistant Professor, Ginni Devi Modi Institute of Education, Modinagar GZB (U.P.) INDIA

Introduction - Education socializes a child in the school. A child comes into contact with other children and interacts with their ideas, ideals, cultural values and patterns of behavior and it is the bounden duty of society to organize proper education for its individuals to grow and develop more and more. Education plays a vital role in building of society. Modern society cannot achieve its aim of economic growth and higher cultural standards without making the most of the talent of their citizens. So education must be spread among all citizens regardless of gender, race, colour and individual differences. Almost in every country some children and adults are being excluded from formal education altogether, some of those who go to school do not complete. They are gradually and deliberately pushed out of the school system because schools are not sensitive to their learning styles and backgrounds. There are inter individual differences and intra individual differences. In other words some students are so different from other regarding education and special education is required to meet their educational needs.

To a parent, every child is special in his or her own way. But some children have special needs that challenge parents to find ways to best prepare their children for the future. Every parent wants his or her child to be physically or developmentally perfect. Parenting techniques can affect a child's behaviors.

In the next phase, an attempt was made for their education. But disabled children were considered distinct from their peers. They were considered to be incapable of receiving education in general schools. Thus, for the first time special schools and institutions established in different countries for the education and training of such children. They were educated in special schools. However, in recent years the rationale for having two parallel national systems of education has been questioned and the foundations of special education have begun to crumble.

In the second half of the twentieth century, new thinking and new realization have opened new directions for education of disabled children. It is now realized that a disabled child is not a different kind of person. He is a child with special needs. Like all other members of the society,

the disabled must have the same right to education, work and full participation in the society. It is also recognized that the disabled, particularly those with mild or moderate degree of disability can be educated along with their non-disabled peers in general schools with provision for extra- help.

Need And Significance Of The Study: Education is the primary tool for treating as well as developing the mental retarded children as an independent citizens. Therefore appropriate efforts should also be made for the desired proper education of these children. Children with mental retardation, as far as possible should get their education in the inclusive setup with their non-disabled peers. It provides them enough opportunities to learn desirable communication skills, seek social and emotional integration and adapt to their social and cultural environment.

Parents are the real well-wishers of their children. They can help in so many ways in the welfare, care as well treatment of the mental retardates. Parental role is important in making the inclusion a success. It is essential to know their attitude about inclusive education. The concept of inclusive education is very recent and has not been established properly. Teacher and parents are not aware of the philosophy behind it. Parental role is important in making the inclusion a success. It is quite necessary to study their attitudes about inclusive education.

Statement Of The Problem: "A Study Of Parent's Attitude On Inclusive Education For Their Children With Mental Retardation."

Objectives Of The Study: To study the attitude of parents on inclusive education across different educational level.

1. To study the attitude of mothers on inclusive education with that of the fathers.
2. To study parent's attitude on inclusive education across different age level.
3. To study parent's attitude on inclusive education across different income level.
4. To study parent's attitude on inclusive education across different educational levels.

Hypotheses: In order to realize the objective of the study the following hypotheses are formulated for testing:

1. There is no significant difference between the attitudes

- of mothers on inclusive education with that of the fathers.
2. There is no significant difference between parent's attitude on inclusive education across different age levels.
 3. There is no significant difference between parent's attitude on inclusive education across different income levels.
 4. There is no significant difference between the attitudes of parents on inclusive education across different educational levels.

Design Of The Study: This study was designed to analyze the attitudes of parent's on inclusive education for their children with mental retardation. To fulfill the above purpose and collect the information about parent's attitude on inclusive education a questionnaire as measuring tool was prepared and applied on the sample. ANOVA and t-test were carried out to find out the effect of age, income, educational level and level of retardation of their children on parent's attitude towards inclusive education.

Selection Of Sample : The sample consisted of two hundred parents who have children with mental retardation, attending special school. Basically one hundred parents including fifty mothers and fifty fathers from fifty families were taken whose children are attending special School named Disha School of Special Education School for mentally challenged children. Only those parents were selected who have children with mental retardation.

Tools And Technique Used: To undertake the study, a researcher may use variety of devices, keeping in view the need of the study. Therefore selection of appropriate tools is of vital importance for collection of data. Survey method is used for collection of demographic information and the parent's attitude on inclusive education.

1. A format was prepared to collect demographic data of subjects like educational qualification, age, income, the retardation of the child etc.
2. A questionnaire was developed to collect the parents attitude on inclusive education for their mentally retarded children. The questionnaire consisted of thirty questions.

Construction Of The Criterion Test: Planning of the test: Construction of a good test is time consuming and requires skill and analytical insight. In this research the criterion test covers two choice closed ended questions regarding inclusive education for mentally challenged children. Thorndike and Hegel have demonstrated that multiple type questions are effectively used for measuring information to achieve the objectives of the study. To construct the tool in the form of questionnaire the advice of the parent of mentally challenged children was taken.

Preparation Of The Test Items: The questions were constructed with two choices for each item. The preliminary draft of questionnaire consisted 50 items regarding parental attitude and expectations to inclusive education for their

mentally challenged children. The each item was marked as 1 mark of each question.

Tryout And Scoring The Test: The first draft of criterion test was administered on fifty parents of mild and moderate children "Disha School of Special Education" Special School for Mentally Challenged Children, The photocopies of the first draft of criterion test were administered on the try out sample, before administering the test of fifty parents of mild and moderate mentally challenged children general instruction about taking the test were explained. The researcher expressed a friendly attitude towards the above parents in order to establish a rapport with them. The questionnaire was given to them and they were instructed to complete it within one hour. Parents on criterion test responses were scored with the help of counting their respective questionnaire.

Results Of The Study: The data collected from the one hundred parents (fifty mothers and fifty fathers) was analyzed and tabulated in this chapter. The questionnaire consists of thirty items on inclusive education; the responses of the hundred parents were collected. A score of '1' for each 'yes' response and '0' for each 'no' response was awarded. To see the effect of parental gender, age, income, education of their children, on their attitude towards inclusive education ANOVA and t-test were carried out. Results are presented in tabular form in tables 1 to 7 with the following table title.

1. Demographic information about parents.
2. Scale mean score of parental Attitude on inclusive education.
3. Comparison of scale mean score on inclusive education with reference to gender.
4. Comparison of scale mean score with reference to educational qualification of parents.
5. Scale mean score with reference to age level of parents.
6. ANOVA table, comparison of scale means score with reference to age level of parents.
7. Scale mean score with reference to income of parents.
8. ANOVA table, comparison of scale mean score with reference of income of parents.
9. Item wise percentage of parental responses.

Table No. 1: Demographic information about parents (N=100)

Variable	Category	'n'	%
Parents	Mothers	50	50.0
	Fathers	50	50.0
Age in Year	20 to 30 years	12	12.0
	31 to 45 years	68	68.0
	Above 45 years	20	20.0
Income Level	Up to 2000/- P.M.	44	44.0
	2001 to 5000/-P.M.	32	32.0
	Above 5000/- P.M.	24	24.0
Educational Status	Below Graduate	76	76.0
	Graduate above	24	24.0

From the above table we can infer that 12% of the parents belong to the age group of 20 to 30 years, 68% of parents belong to age group of 31 to 45 years and 20% of parents belong to above the age group 45 years. So far as monthly income is concerned 44% of parent belong to the income group of up to 2000/- per month, 32% of parents belong to the income group of 2001/- to 5000/- per month and 24% of parents belong to above 5000/- per month income group. Out of hundred parents 76% of parents have educational qualification of below graduation and 24% of parents have educational qualification of graduation or above.

Table No. 2: Scale mean score of parental Attitude on inclusive education.

N	Mean	S.D.	Minimum	Maximum
100	26.86	3.58	14	30

Table No. 3. : Comparison of scale means score of inclusive education with reference to gender of parents.

Parents	N	Mean	S.D.	Mean Diff.	df	Sig.	t-Value
Mother	50	27.20	2.19	.68	98	P>0.05,	.94
Father	50	26.52	4.17			Not Signifi- cant	

As seen in the above table, not much difference is found with regarding to the parental Attitude towards inclusive education. So far as gender is concerned, the t-value is 0.94 is not significant at .05 level. This implies that there is no gender affect on the parental attitude about inclusive education.

Table No. 4. : Comparison of scale means score with reference to educational level of parents.

Education Status	N	Mean	S.D.	Mean Diff.	t-Value
Below Graduate	76	26.95	3.08	0.36	t=0.33, df=98 (P>0.05, Not Significant)
Graduate or Above Graduate	24	26.58	4.99		

As seen in the above table the attitude on inclusive education of parents having educational qualification below graduate level and graduate or above graduate level are 26.95 & 26.58 respectively t-value was found to be 0.33 which is not significant at 0.05 levels. From this result it is evident that level of education (below graduate and graduate or above graduate) has no impact on parental Attitude towards inclusive education. Most of the parents preferred inclusive education.

Table No. 5. : Scale mean score with reference to age of parents

Age Range	N	Mean	S.D.
20 Years to 30 Years	12	25.00	5.29
31 Years to 45 Years	68	26.65	3.51
Above 45 Years	20	28.70	1.63
Total	100	26.86	3.58

Table No. 5(A): Comparison of scale means score with reference to age of parents

	df	Sum of Squares	Mean Square	F-value	Sig.
Between Group	2	56.15	28.07	2.30	P>0.050,
Within Group	97	571.86	12.16	–	Not Signi- ficant
Total	99	628.020			

The above table shows the Mean score of parental attitude towards inclusive education. Less than three parental ages group is twenty to thirty years, thirty one to forty five years and above forty-five years. The mea score for the three above age groups are 25.00, 26.65 and 28.70 respectively F-value is found to be 2.30, which is not significant at 0.05 level. From this result, it is evident that age level has no impact on parental attitude towards inclusive education. Most of the parents preferred inclusive education.

Table No. 6. : Scale mean score with the reference of income of parents

Income Level	N	Mean	SD
Up to 2000/- P.M.	44	26.82	3.15
2001 to 5000/-P.M.	32	27.19	3.12
Above 5000/- P.M.	24	26.50	4.94
Total	100	26.86	3.58

Table No. 6(A) : Comparison of scale means score with the reference of income of parents

	df	Sum of Squares	df	Mean Square	F-value	Sig.
Between Group	2	3.31	2	1.65	.12	P>0.050,
Within Group	97	624.70	97	13.292		Not Signi- ficant
Total	99	628.02	99			

The above table shows the mean score of parental attitude towards inclusive education. Among three parental income groups, upto Rs.2000/- Rs. 2001/- to Rs. 5000/- and above Rs. 5000/- per month. The mean score for the above three income groups are 26.82, 27.19 & 26.50 respectively F-value is found to be 0.12 which is not significant at 0.05 level. From this result it is evident that income level has no impact on parental attitude towards inclusive education. Most of the parents preferred inclusive education.

Interpretation Of Results: Parental attitude on inclusive education were analyzed in the present study. Survey method is used for this purpose. Demographic information of parents was collected using a format & parental attitude were collected by the use of a questionnaire. The attitude of mothers and fathers towards inclusive education were compared. Parental attitude towards inclusive education were also compared with respect to parental age, educational qualification, income, and mental retardation of their children.

It was observed from the results that both the mothers and the fathers had high ratings for inclusive education. There is hardly any difference between the attitude of mothers and fathers so far as inclusive education is concerned. This result is indicating to the fact that gender has no impact on parental attitude towards inclusive

education. Findings indicated that parents had positive attitude on inclusive education and they would prefer the placement of their children in inclusive educational set up. This finding is in concurrence with the earlier findings Tess Bennett, Hwa Lee and Brenda Luke (1988). These researchers interviewed the fathers and mothers of children with disabilities. One of the findings reveals that parents had broad attitude on inclusion as they considered the children as members of larger society.

Result of the present study reveals that parents preferred inclusion setting for the children with disabilities. Irrespective of parental age qualification income and mental retardation of their children. Most of the parents had broad positive attitude on inclusive education. Though many of the earlier studies were revealed about the impact of age, income, educational qualification on parental attitude on inclusion. The findings of such studies reveal positive opinion of parents towards inclusive education. John E., Christina of V. Kraayenoord and Anne J. (2003) investigated of 354 Australian parents of children with having special needs. They found many of these parents were in favour in inclusion. The finding of this study reflected the increases trend towards inclusion in general education to society.

Item wise the questions were analyzed it was observed that 100% parents preferred inclusive education, as it provide better opportunity for mainstreaming, 94% parents accepted inclusive education as it facilitates all round development and 90% parents maintained it would enhance the self esteem of children. These Findings were supported by findings of Tichenor, Mercedes S., Heins, Bette, Piechura C. and Kathy (2000) the findings of their study on parents' perception of a co-taught inclusive classroom suggested that the parents were in favor of inclusive class setting. According to the parents inclusive Setting increases self esteem, social skills and academic achievement.

It was also observed that 100% of the parents supported the statement that their children would get better opportunity to improve language and communication skills by interacting the non-disabled peers in inclusive set up. Many parents agreed to the fact that inclusive set up would foster acceptance and (94% parents) children with disabilities would demonstrating high level of social interacting (98% parents). This was supported by the findings of Laurel M.G. Uuhanev and Spencer J.S. (2000). In several studies.

These researchers analyzed perception and experience of parents of children with and without disabilities concerning inclusive education. Results of these studies reveal that majority of parents of children with disabilities supported inclusion. They believe that it would promote the acceptance of the children and it would help their children develop socially, emotionally and academically.

After analyzing parental attitude on various aspects on inclusive education, it was found that majority of the parents had positive view towards inclusive education. They prefer

their children to be placed in inclusive education set up. According to the parental attitude inclusive education setting would help in overall development of their children. As revealed from this study parents were quite optimist about inclusion. These types of parental attitude have a strong bearing for future planning of inclusive education in developing country like India.

Implication Of The Study: In the field of education for children with disabilities this study has a specific importance. Every student should be an integral part of the regular classroom in general school. Nobody should be segregated due to his or her disabilities. Inclusive education is the new and recent trend in the education system. For successful educational system the parents' involvement and attitude about any new concept or model is very necessary. Because the parents are the basic and the first teacher of the child and home is the first school. The parental attitude recording in this study will help in the establishment of the inclusive education set up in the society.

Findings And Suggestions: Findings indicate very positive attitude of parents towards inclusive education. Most of the parents having children with mental retardation preferred the placement of their children in inclusive effective set-up with belief that inclusive set up would provide better and effective environment for the overall development of their children. Irrespective of the age, educational qualification and income of the parents, both mothers and fathers had a high rating for inclusive education.

The findings of this study through light on the following facts:

1. Parents have positive attitude towards inclusive education and they consider inclusive education can help in over all development of their children.
2. Most of the parents believe that inclusive education set up can provide better, effective and maximum opportunity for mainstreaming for children.
3. Parents prefer sending their children to inclusive education set up with optimistic attitude.
4. Parents believe that their children can get greater opportunity to improve language and communication skills by interacting with their non-disabled peers in inclusive education.

The findings of the present study show that inclusive education is the future hope of the parents. They are eagerly waiting for the setting up of inclusive education. But the foundation of inclusive education needs to be laid down necessitates ample researches in the area. The findings of this study give an idea about parental perception and attitude on inclusive education. The total integration of the persons with disabilities is possible through the inclusive education.

Suggestions For Further Study: The following are the suggestions for further research, which enable a thorough understanding of the problem and better preparation for establishment o inclusive education in India:-

1. Comparative analysis of parental attitude of children

- with mental retardation with that of parents of non disabled children.
2. Comparative analysis of attitude of regular school teacher with that of attitude of special educator.
 3. The comparative research study should include different category of disabilities like Visual Impairment, Hearing Impairment, Multiple Disabilities, Autism, and Cerebral Palsy etc.
 4. Study on required of infrastructure facilities or inclusive education.

References:-

1. Advani, L. and Chadha, A. (2003), You and Your Special Child, New Delhi, UVS Publishers.
2. Dash, N. (2006) Inclusive Education for Children with special Needs, Hard cover, Atlantic.
3. Frederickson N., Dursmuir S., Janllang, Jeremy J.M. (2004) International Journal of Inclusive Education. Vol. No. 1, Jan.- March. P. 35-57.
4. Heward. William L. (2001), Exceptional Children : An introduction to special Education (6th ed.) Upper Saddle River, New Jersey; Merrill.
5. Jha, M.M. (2002) Schools without walls, Inclusive Education for all Oxford Hinemann.
6. John Elkins, Christina. E. Van and Anne Jobling (2003) Parents attitude to inclusion of their children with special needs. At the University of Queensland, Australia.
7. Kaul, L. (2000). Methodology of Education Research (3rd Revised Edition).
8. Laurel M. Garrick and Spencer. J. (2000) Parental perceptions of inclusive educational placement. British Jr. of Educational Psychology, Vol. 34.
9. Mangal, S.K. (2007) Educating Exceptional Children, An Introduction to special education. Prentice Hall of India n New Delhi P 42-448, 144-46.
10. Meenakshi (2010) Parent's Attitude on Inclusion for Their Children with Mental Retardation of Hisar District. M.A. Dissertation, Ch. Devi Lal University, Sirsa.
11. Norha Frederickson, Sandra, Janlandg and Jeremy J. Monsen (2004) Partnership in inclusion of pupil, parents and teacher's perspectives. California Journal of Education Research.

भील जनजाति और स्वतंत्रता संघर्ष

कमलेश कुमार नाथ*

* एम.ए., नेट (जेआरफ) (इतिहास) हरणी महादेव रोड नया समेलिया, भीलवाड़ा (राज.) भारत

प्रस्तावना – भील राजपूताना की एक प्राचीन जनजाति हैं। राजस्थान में मीणा जनजाति के बाद जनसंख्या में भीलों का स्थान है। भीलों के बारे में मान्यता है कि आर्यों ने जब यहां के मूल निवासियों पर आक्रमण किया तब जिन लोगों ने आर्यों की अधीनता स्वीकार की वो दस्यु या शुद्र कहलाए तथा जो लोग आर्यों के सामने टिक नहीं पाए और जंगलों में चले गए वे आदिवासी कहलाए। भील जनजाति भी उन्हीं में से एक थी। कर्नल जेम्स टॉड भीलों को वनपुत्र कहते हैं। भीलों का लिखित रूप में सर्वप्रथम उल्लेख महाकाव्यों में मिलता है। मसलन रामायण में राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। शबरी को भील जनजाति का माना गया है। इसी प्रकार महाभारत में एकलव्य का उल्लेख मिलता है, जिसे निम्न जाति का होने के कारण द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था। भील जनजाति भारत में गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान इत्यादि राज्यों में पाई जाती हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से यह जनजाति उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोंही, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। स्वभाव से भील स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं। अपने स्वामी के प्रति वफादारी इनका मुख्य गुण है। ये अपनी परंपराओं में किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते।

राजस्थान में भीलों का मेवाड़ राजघराने से विशेष संबंध रहा है। जब – जब भी मेवाड़ पर संकट आया, भीलों ने मेवाड़ राजघराने की मदद की। भीलों ने राणा मोकल, राणा कुम्भा, राणा सांगा व राणा प्रताप इत्यादि शासकों की सहायता की थी। महाराणा प्रताप के समय में मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष में भीलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हल्दी घाटी में मेरपुर का भील राणा पूंजा अपने विश्वस्त धनुर्धारी भीलों के साथ सम्मिलित हुआ था। प्रताप ने अपनी सेना के पृष्ठ भाग का दायित्व राणा पूंजा के नेतृत्व में भीलों को सौंपा था। प्रताप की सेना में भीलों की नियुक्ति का असर शाही सेना पर भी पड़ा जिसके कारण मुगल सेना आगे की ओर नहीं बढ़ सकी। उसे डर था कि कहीं भील घात लगाकर हमला न कर दें।¹ भीलों की सेना के कारण ही मानसिंह, राणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहा था। मुगलों के मन में भील धनुर्धारियों का भय बैठ गया था। जब तक राणा प्रताप मुगलों से संघर्ष करते रहे तब तक भीलों ने प्रताप का साथ दिया। भीलों के सहयोग की बदौलत ही प्रताप अपने राज्य का अधिकांश क्षेत्र पुनः विजित कर पाए। प्रताप के बाद के शासकों के साथ भी भीलों ने सहोदरपूर्ण संबंध बनाए रखे। ओरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। केंद्रीय नियंत्रण के अभाव व राज्यों की आंतरिक कलह का लाभ उठाकर मराठों ने राजपूत रियासतों में भयंकर लूटपाट की। यहां के शासकों ने मराठों से निजात पाने के लिए अंग्रेजों से सहायक संधियां की। अंग्रेजों ने देशी राजाओं से संधियां

करने के बाद देशी राज्यों के राजस्व में वृद्धि करने के लिए भीलों के अधिकारों का हनन करना शुरू कर दिया। भील एक घुमंतू जनजाति थी। प्रारंभ में ये भोजन की तलाश में इधर-उधर भटकते रहते थे। बाद ने इन्होंने जंगलों को जलाकर खेती करना शुरू कर दिया था। ये अपने क्षेत्र में सुरक्षित यात्रा के बदले यात्रियों से बोलाई नामक कर प्राप्त करते थे तथा गांव की सुरक्षा के बदले रखवाली नामक कर प्राप्त करते थे। अकाल के दिनों में इन्होंने चोरी-डकैती का पेशा भी अपना लिया था।² जब इस्ट इंडिया कंपनी ने इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तो भीलों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। भील एक शांतिप्रिय जनजाति थी। किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के कारण उसने हिंसा का मार्ग अपनाना शुरू कर दिया था। अतः ब्रिटिश सरकार ने इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। ये एक रूढ़िवादी जनजाति थी और किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। 1881 में मेवाड़ सरकार ने भीलों में कुछ सामाजिक और प्रशासनिक सुधार लागू करने चाहे। मसलन भीलों की जनगणना करना, भीलों के क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित करना, शराब पर प्रतिबंध लगाना इत्यादि। भीलों को जब इन सुधारों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने पुनः विद्रोह कर दिया। अंत में कविराज शयमलदास के प्रयासों से यह विद्रोह शांत हुआ।

भीलों में अनेक सामाजिक कुरृतियां फैली हुई थी। ये विभिन्न प्रकार की रूढ़ियों में विश्वास करते थे। इन रूढ़ियों और धार्मिक अंधविश्वासों के विरुद्ध गोविंद गुरु ने आवाज उठाई। गोविंद गिरी ने बेडसा गांव में धूनी स्थापित की और ध्वज लगाकर आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू किया।³ गोविंद गुरु के खुद के शब्दों में उनकी मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार की थी। उस समय में निर्धन विनम्र और जंगली भीलों के मध्य रहता था। जिन्हें सृष्टिकर्ता का कोई ज्ञान नहीं था। जो मेरी झोपड़ी पर आते थे, उन्हें मैं सवर्णों की तरह आचरण करने की सलाह देता था, मेने उन्हें सत्य और धर्म का रास्ता दिखाया और उन्हें भगवान की पूजा करने चोरी न करने, धोखा न देने, दूसरों के साथ शत्रुता न रखने बल्कि समान पिता की संतान मानकर सबका आदर करने और सभी के साथ शांतिपूर्वक रहने, कृषि कार्य करने, वीर वंश रा, भोपा इत्यादि में विश्वास न करने की शिक्षा दी।³

गोविंद गुरु के इन विचारों ने सामाजिक जागृति के साथ साथ भीलों में राजनीतिक चेतना भी जागृत कर दी। अब भील अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे और अपने ऊपर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करने लगे डॉ. ब्रज किशोर शर्मा के अनुसार भारी राजस्व वसूली, वेठ बेगार,

अंग्रेजों की वन नीति, दोषपूर्ण आबकारी नीति के कारण विद्रोह किया था।⁴

गोविंद गुरु के प्रयासों से राजपूताना के दक्षिण भाग के पहाड़ी इलाकों के पूरी तरह संगठित हो गए थे। गोविंद गिरी की लोकप्रियता को देखते हुए डूंगरपुर राज्य के जागीरदारों व अधिकारियों ने गोविंद गिरी को उनका भू भाग छोड़ने पर मजबूर किया। 1908 में गोविंद गिरी बेड़सा गांव छोड़कर सुथ में कार्य करने लगे। 1911 में अपने मूल राज्य बेड़सा में पुन लौटे और अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगे। 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कुछ समय बाद रिहा करके डूंगरपुर छोड़ने का आदेश दे दिया। गोविंद गुरु अपने साथियों सहित भानगढ़ चले गए। गोविंद गुरु ने सभी भीलों को भानगढ़ में इकट्ठा होने का संदेश दिया। 1913 में सभी भानगढ़ पर इकट्ठा हो गए। इन इकट्ठा हुए भीलों पर अंग्रेजों ने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चला दी जिससे हजारों की संख्या में भील मारे गए। इसके बाद गोविंद गुरु को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया इस तरह गोविंद गुरु के आंदोलन का अंत हो गया।

ब्रिटिश सरकार द्वारा गोविंद गिरी के आंदोलन को कुचलने के बाद कुछ समय के लिए भील शांत हो गए और अंग्रेजों द्वारा उनको रियायत भी दी गई। किंतु कुछ समय बाद पुनः भीलों पर अत्याचार शुरू हो गए। गोविंद गिरी का आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा सूथ ईडर तक सीमित था। उदयपुर वह सिरोंही इस से अछूत रहे थे दूसरी ओर अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों से भी भील संतुष्ट नहीं थे। मई 1917 में पहाड़ के भीलों ने बेगार, अधिक राजस्व वसूली व अवैध लागू बागों को समाप्त करने की मांग की। नवंबर 1918 में भीलों की कुछ मांग स्वीकार कर ली गई किंतु उनसे भील संतुष्ट नहीं हुए। पहाड़ के भीलों ने भू राजस्व व अवैध लागू बागों के भुगतान को रोक दिया और बेगार करने से इंकार कर दिया। 1921 तक झाड़ोल, कोल्यारी, मादरी, मांगरा और मेवाड़ के भी राज्य व जागीरदारों की सत्ता को खुली चुनौती दे दी।⁵

1921 में मोतीलाल तेजावत भीलों के मसीहा के रूप में उभरकर सामने आए। इन्होंने भीलों की दुर्दशा को देखा और भीलों में चेतना जगाने का निर्णय लिया। 1921 में मातृकुडिया में सभी किसानों की एक बैठक हुई इस बैठक में किसानों ने लगान न देने की कसम खाई और कहा जो किसान तथा पटेल लगान भरेगा उसे एकलिंग जी पूजेंगे। मेवाड़ के अधिकारियों को इस बात का पता चला, वे उन्हें डराने धमकाने लगे कहने लगे राज है, मालिक है, मार देवे रोवा नहीं देवे, भीलों पर अधिकारियों की इन धमकियों का भी कोई असर नहीं पड़ा। सभी किसानों ने अपनी शिकायतों को लेकर एक मेवाड़ की पुकार नामक शीर्षक से किताब तैयार की। जिसमें 21 मांगें थीं। यह पुस्तक तत्कालीन महाराणा फतेह सिंह के पास पहुंचा दी गई जिसमें से 18 मांगें तो स्वीकार कर ली गई किंतु जंगल से लकड़ी व चारा काटने और सुअर को मारने की मांग मेवाड़ के पंचों पर छोड़ दी। महाराणा के इस निर्णय से किसान तो खुश हो गए किंतु भील नहीं हुए अतः उन्होंने आंदोलन जारी रखा। मोतीलाल तेजावत ने भीलों में चेतना पैदा की ओर कहा भूमि के असली मालिक वो हैं। मोतीलाल द्वारा की जा रही गतिविधियों से चिंतित होकर झाड़ोल के ठाकुर ने उसे गिरफ्तार कर लिया था किंतु भीलों की भारी भीड़ को देखकर उसे पुन छोड़ना पड़ा। इसके बाद यह आंदोलन और तेजी से चला। यह आंदोलन केवल उदयपुर तक सीमित नहीं रहा इन्होंने इसका

प्रचार प्रसार सिरोंही में भी किया। इस समय सिरोंही के दीवान मदन मोहन मालवीय के पुत्र थे रमाकांत मालवीय थे। इन्होंने आदिवासी आंदोलन को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। गांधी जी से रमाकांत ने सहायता लेने का प्रयास किया। गांधी जी ने मणि लाल कोठारी को सिरोंही भेजा था मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों की जांच के लिए। मणि लाल ने अपनी रिपोर्ट में मोतीलाल के सामाजिक सुधारों के बारे में जिक्र किया था। इस से पूर्व मोतीलाल ने भील आंदोलन को गांधी जी से जोड़ा था। गांधी जी ने अपने समाचार पत्र में लेख लिखकर इसका खंडन किया था और कहा था की मेरा कोई शिष्य नहीं है मेरा कांग्रेस और खिलाफत कमेटी का अलावा किसी से कोई संबंध नहीं है।

भीलों के आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने भीलों के बीच समझौते के प्रयत्न चल रहे थे।⁶ विजय नगर रियासत के पाल छितरिया गांव में इन रियासतों के सरकारी प्रतिनिधियों और आदिवासी जनता के मध्य 7 मार्च 1922 को लगान बेगार पर बातचीत चल रही थी। यहां पर उपस्थित भील कोर रेजीमेंट ने बिना किसी कारण भीलों पर गोलियां चला दी जिसमें 1200 भील मारे गए। इसमें खुद मोतीलाल घायल हो गए थे। इस घटना के कुछ समय बाद अंग्रेजों ने सिरोंही में रक्तपात किया और मई 1922 को रियासत की सैनिक टुकड़ी ने सिरोंही की रोहंदा तहसील को घेरकर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इसमें आदिवासियों को जन व धन की भारी हानि हुई। राजस्थान सेवा संघ ने इसकी जांच करवाई और इस मामले को ब्रिटिश संसद में भी उठाया। 1922 से 1929 तक मोतीलाल भूमिगत रहे। 1929 में उनकी गिरफ्तारी के साथ ही यह आंदोलन समाप्त हो गया।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि भील जनजाति ने प्रारंभ में निजी हितों को आधार बनाकर विद्रोह किया था किंतु समय के साथ इस विद्रोह ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया। भील आंदोलन के नेताओं ने भीलों को आपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। स्वाभिमान, आत्म चेतना, नैतिकता, इत्यादि इस आंदोलन के मूल तत्व थे। ईसाई, मिशनरियों के प्रचार, अंग्रेजों की वन नीति विभिन्न प्रकार की लागू बाग आदि से तंग होकर भील विद्रोही हो गए थे। गोरतलब है कि भील जनजाति के लोगों ने पहले अपने जीवन में बदलाव किया और देवत्व का सहारा लिया ताकि इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को नैतिक समर्थन मिल सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. देव कोठारी, ललित पांडेय, स्वतंत्रता आंदोलन में मेवाड़ का योगदान, साहित्य संस्थान विद्यापीठ, उदयपुर 1991 पृ.सं. 70
2. शर्मा व्यास, राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण 2016 पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ. सं. 523
3. ब्रज किशोर शर्मा, राजस्थान में किसान और आदिवासी आंदोलन, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर पृ.सं. 79
4. पूर्व उद्धृत वही पृ. सं. 82
5. पूर्व उद्धृत वही पृ. सं. 105
6. पूर्व उद्धृत वही पृ. सं. 78
7. प्रेम सिंह काकरिया, भील क्रांति का प्रणेता मोतीलाल तेजावत, राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर, पृ सं. 50

भारतीय समाज और बैल

चंद्राक साहू*

* एम.ए., नेट (इतिहास) जी, 465-66 आजाद नगर, भीलवाड़ा (राज.) भारत

प्रस्तावना – आदिमकाल से पशुओं का हमारे समाज में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मनुष्य प्रारंभ में अपने जीवन का निर्वाह प्राकृतिक वस्तुओं का संग्रहण करके एवं पशुओं का शिकार करके करता था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। नव पाषाण काल में मनुष्य नदियों के किनारे बसने लगा और कृषि कार्य करने लगा तथा यायावर जीवन का त्यागकर स्थाई बस्तियों का निर्माण करने लगा। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रन्थों में भी पशुओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। पशुओं के बिना देवताओं, असुरों, मानवों और ऋषियों की कल्पना अधूरी है। पुराणों के अनुसार सभी जानवरों के पिता ब्रह्मा के पुत्र कश्यप थे। कश्यप के अनेक पत्नियां थीं जो विभिन्न प्रकार के पशुओं की माताएं थीं। भारतीय संस्कृति में पशुओं को काफी महत्व दिया गया है इनको किसी ने किसी देवता से जोड़ा गया है। मसलन बैल को शिव से, घोड़े को सूर्य से, भैंसे को यमराज से तथा और भी अनेक देवताओं को पशु पक्षियों से जोड़ा गया है। इन पशुओं का ईश्वर के साथ समीकरण करने से समाज में इनको समान की दृष्टि से देखा जाने लगा और उनकी पूजा की जाने लगी।

बैल को शिव का वाहन होने के कारण पवित्र पशु माना जाता है। शिव और पार्वती को संयुक्त रूप से बैल पर बैठे हुए दिखाया गया है। ऋग्वेद में बैल का उल्लेख मिलता है। भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में भी बैल की पूजा की जाती थी। मसलन मेसोपोटामिया के निवासी औरोकस के रूप में बैल की पूजा करते थे। बैल बेबेलीन देवता एन सीन और मदुर्क का चिन्ह माना जाता है। प्राचीन मिस्रवासी बैल को एपिश नाम से पूजते थे। इस प्रकार बैल की पूजा न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में की जाती थी।

भारतीय इतिहास के संदर्भ में बैल का प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। स सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन बैल का मिलता है, कई मुहरों पर एकश्रंग बैल का अंकन मिलता जिसके सामने संभवतः धूपदंड रखा है। एकश्रंग बैल की मूर्तियां भी बहुत मिली सामान्य बैल का चित्रण एवं उसकी मूर्तियां भी प्रमुखता से मिलती हैं जिसका कारण संभवतः धार्मिक रहा होगा। ऐतिहासिक काल में हम शिव और नंदी का घनिष्ठ संबंध देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करते थे। ये पशु, वृक्ष, जल, नाग इत्यादि की पूजा करते थे। इसके अलावा उत्खनन में प्राप्त साक्ष्यों से अनुमान लगाया गया है की ये लोग पशु बलि भी देते थे। प्रख्यात इतिहासकार के. सी. श्रीवास्तव के अनुसार लोथल में एक चबूतरे पर ईंट की बनी वेदी मिली साथ ही पशुओं की जली हड्डियां भी। इनमें से कुछ हड्डियां बैल की भी थीं। संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता में बैल की बलि भी दी जाती थी।

सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहां पर व्यापार वाणिज्य काफी उन्नत अवस्था में था। उत्खनन में मिली मुहरों से जानकारी मिलती है की सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के विदेशियों से व्यापारिक संबंध थे। यहां के लोग देसी और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार करते थे। यहां के लोग स्थल और जल दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। स्थल मार्ग के व्यापार में बेलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। अतः बैल का यातायात के साधन के रूप में भी उपयोग किया जाता था।

सिंधु घाटी सभ्यता अपने व्यापार वाणिज्य के लिए पूरे विश्व में विख्यात थी। किंतु इस सभ्यता की आय का मुख्य स्रोत कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता से उत्खनन में बनावली से मिट्टी का हल का प्रतिरूप और कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अतः इन खेतों की जुताई बैलों से की जाती थी। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में बैलों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता था।

वैदिक कालीन संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। वैदिक काल में पशुओं का महत्व और भी अधिक हो गया। वैदिक कालीन समाज में पशु व्यक्ति की समृद्धि का मुख्य आधार माने जाते थे। वैदिक काल में पशुओं के लिए लड़ी गई अनेक लड़ाईयां का उल्लेख मिलता है। उत्तरवैदिक काल में धार्मिक कर्मकांडों में भारी बढ़ोतरी हुई जिसके कारण पशुओं की भारी संख्या में बलि दी जाने लगी। उत्तरवैदिक काल में आर्यों के व्यवसाय में परिवर्तन हुआ अब आर्य एक निश्चित स्थान पर बस्ती बसाकर रहने लगे और कृषि करके अपना जीवन यापन करने लगे। उत्तरवैदिक कालीन ग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। खेत हल द्वारा जोते जाते थे, काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार कृषि पर निर्भर समाज होने के कारण समाज में बैल का महत्व और बढ़ गया।

वैदिक काल में आर्यों ने देवताओं का प्रकृतिकरण किया था। वह प्रकृति के रूप में उनकी पूजा करते थे। प्रकृति के अलावा आर्य कभी कभी देवताओं की कल्पना पशु के रूप में भी करते थे। मसलन, इंद्र या घोष को बैल और सूर्य को अश्व के रूप में कल्पित किया गया। इंद्र ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता था। इंद्र की बैल के रूप में कल्पना करना वैदिक काल में बैल की महत्ता को दर्शाता है।

महाकाव्य काल में भी कृषि पशुपालन और पशुपालन जीवन यापन के मुख्य स्रोत थे। भूमि की जुताई बैलों द्वारा की जाती थी। राजा जनक को रामायण में हल चलाते हुए दिखाया गया था। इसी तरह युधिष्ठिर को भी महाभारत में हल चलाते हुए दिखाया गया। अतः ग्रामीण संस्कृति में जीविका

का एकमात्र साधन कृषि था। बेलों के बिना कृषि कार्य आसान नहीं था।

छठी शताब्दी ई. पू. में उत्तरवेदिक कालीन धार्मिक कर्मकांडों और अंधविश्वासों के विरोध में भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन हुए इनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। इन्होंने तत्कालीन समाज में यज्ञों में दी जाने वाली पशु बलि का भयंकर विरोध किया और ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती दी। ये वेदों में विश्वास नहीं करते थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर प्रमुख माने जाते हैं। इनमें प्रथम ऋषदेव थे। ऋग्वेद में ऋषदेव का उल्लेख मिलता है। हिंदू देवता शिव के समान ऋषदेव का प्रतीक भी बैल था। दोनों को ही नाथो का नाथ आदिनाथ कहा जाता है। शिव महापुराण में उन्हें 28 योगावतारों में भी गिना जाता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में शिव को एक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है उसी प्रकार जैन धर्म में ऋषदेव का महत्व है। इस प्रकार हिंदू धर्म की तरह जैन धर्म में भी बैल को महत्व दिया गया है। मगध साम्राज्य की स्थापना छठी शताब्दी ई. पू. में हुई थी। कालांतर में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। चौथी शताब्दी ई. पू. में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त के बाद मौर्य वंश में अशोक महान सम्राट हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म संरक्षण दिया था। मौर्यों ने बैल की उपासना की ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है किंतु अशोक ने सात स्तंभों का निर्माण करवाया था। इन स्तंभों पर विभिन्न प्रकार की पशुओं की आकृतियां बनाई गई हैं। स्तंभों में सारनाथ के स्तंभ पर गज, अश्व, बैल, सिंह की आकृतियां का अंकन है। ये चारो पशु किसी ने किसी देवता के वाहन माने जाते हैं। फूसे की मान्यता है कि, ये पशु बुद्ध के जीवन की चार महान घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मसलन हाथी गर्भावस्था, बैल जन्म, अश्व गृहत्याग, सिंह बुद्ध का प्रतीक है। अशोक के चंपारण से प्राप्त रामपुरवा के स्तंभ पर बैल का अंकन किया गया है। मौर्य स्तंभ कला का यह सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया था। रामपुरवा बैल अपने कोमल मांस, संवेदनशीलता नासिका, सतर्क कान और मजबूत पैरों के बेहतर प्रतिनिधित्व का प्रदर्शन करते हुए नाजुक रूप से गढ़ी गई माडल के लिए विख्यात है। यह भारतीय और फारसी तत्वों का मिश्रण है। जबकि आधार पर आभूषण भारतीय विशेषताएं नहीं हैं।

मौर्यों के बाद कुषाण वंश ने भारत के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। भारत में कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक विम कडफिस था। विम ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। इस से ज्ञात होता है कि वह शिव का उपासक था। उसने अपने सिक्कों पर शिव, नंदी त्रिशूल की आकृतियां उत्कीर्ण करवाई थी। अतः भारतीयों के समान जिन भी लोगों ने शिव में आस्था व्यक्त की उन सभी लोगों ने शिव के साथ साथ बैल को भी महत्व दिया। गुप्त वंश के शासकों ने वैष्णव धर्म को आश्रय प्रदान किया था। किंतु गुप्तकाल में शैव धर्म भी प्रचलित था। गुप्तकाल में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण किया गया था। गुप्तकाल के अनेक ग्रंथों से शिव के बारे में जानकारी मिलती है। मसलन भारवी के किराताजुनिर्य, कालीदास के कुमारसम्भव, वायु पुराण, विष्णु पुराण में शिव का उल्लेख किया गया है। गुप्तकाल में शैव धर्म के प्रभाव के स्कन्दगुप्त ने बैल प्रकार के सिक्के चलवाए थे। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है जिन शासकों ने शैव धर्म को महत्व दिया और शिव की उपासना करते थे उन सभी ने शिव के वाहन नंदी को किसी ने किसी रूप में महत्व दिया है।

हर्ष के काल में सभी घरों में शिव की पूजा होती थी। हर्ष भास्कर वर्मा, शंशाक सभी शैव थे। पल्लव वंश के काल में आलवारों और नयनारों के

नेतृत्व में भक्ति आंदोलन की शुरुवात हुई नायनारों ने शिव को अपना आराध्य देव माना था।

शैव धर्म संबंधित मुख्य 4 संप्रदाय प्रमुख माने जाते हैं- 1 पाशुपत 2 कालामुख 3 कापालिक 4 लिंगायत। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बसव को माना जाता है ये लिंग तथा नंदी दोनों की पूजा करते थे। बसव को नंदी का अवतार माना गया है। संभवतः लिंगायतों ने बसव का शिव से संबंध जोड़ने के लिए उसे नंदी का अवतार माना है।

भारतीय संस्कृति में विभिन्न देवी देवताओं के साथ उनके वाहन के रूप में विभिन्न पशुओं का भी उल्लेख किया गया है और इनके साथ ही उनके पशु वाहनों की मूर्तियां भी मिलती हैं। मसलन सिंह, बैल, गरुड़, हंस मूषक की मूर्तियां शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा तथा गणेश की मूर्तियों के साथ साथ पाई जाती हैं। बैल हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण पशु है जो शिव से जुड़ा हुआ है। शिव को बैल की सवारी करते हुए दिखाया गया है जो उनकी शक्ति का प्रतीक है। बैल को पार्वती से भी जोड़ा गया है जिन्हें एक बैल पर खड़े दिखाया गया है। भारत में जहां जहां शिव मंदिरों का निर्माण किया गया वहां पर शिव के साथ नंदी की मूर्ति भी स्थापित की गई। हिंदू कला और वास्तुकला में बैल को उर्वरता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। भारत में सबसे विशाल नंदी की मूर्ति लेपाक्षी मंदिर में मिलती है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के अन्तपुर जिले में लेपाक्षी गांव में है। इसके बारे में मान्यता है कि इस मंदिर के एक शिव लिंग का निर्माण ऋषि अगस्त्य ने करवाया था। रामायण काल में श्री राम ने जटायू का अंतिम संस्कार के बाद दूसरा शिव लिंग यह स्थापित किया। इस मंदिर के सामने एक विशाल नंदी की मूर्ति चटान को कटकर बनाई गई थी।

जुराहो के विश्वनाथ मंदिर में मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। मंदिर के बाहर था अंदर बहुसंख्यक मूर्तियां हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने एक छोटा मंदिर है जिसमें विशाल नंदी की मूर्ति स्थापित की गई है। इसी तरह पल्लव काल में बने रथ मंदिरों के सामने भी नंदी महाराज की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इस तरह भारत में जितने भी शिव मंदिर बनाए गए उनमें नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। भारत में जहां जहां शिव की पूजा की जाती वहां नंदी को भी पूजा जाता है। बैल नवरात्रि से त्योहार से भी जुड़ा हुआ, जिसके दौरान शिव और दुर्गा के भक्त बैल से संबंधित अनुष्ठान करते थे।

भारत में बेलों से संबंधित अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में बेलों से संबंधित अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि में बेलपोला का त्योहार मनाया जाता है। इसे मोठा पोला और तन्हा पोला के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल भाद्रपद की अमावस्या को मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब विष्णु ने जन्म अष्टमी के दिन कृष्ण के रूप में जन्म लिया था तब राजा कंस ने कान्हा को मारने के लिए अनेक राक्षसों को भेजा था। इन राक्षसों में एक पोलासुर था। कृष्ण ने पोलासुर का वध कर दिया था। भाद्रपद अमावस्या को इसका वध करने के कारण इस दिन को पोला कहा जाने लगा।

जल्लीकट्टू तमिल नाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति

से जुड़ा है।

जल्लीकट्टू के बारे में कहा जाता है की प्राचीन काल में महिलाएं अपने पति का चुनाव करने के लिए इस खेल का आयोजन करती थी। यह खेल योद्धाओं के बीच काफी लोकप्रिय था। जो बेलों को काबू में कर लेता महिलाएं उनको अपना पति चुन लेती थी।

राजस्थान में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन बेलों की पूजा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों अनकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन नए अनाज की शुरूवात ईश्वर को भोग लगाकर की जाती है।

इस प्रकार भारतीय संस्कृति में बेलों को महत्व दिया गया और उन्हें समान की दृष्टि से देखा गया और शिव के साथ साथ समाज में बैल को भी पूजा जाता है। इस प्रकार पशु हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पट्टनायक, देवदत्त: पशु. दिल्ली: राजपाल एंड संस (2015)
2. श्रीवास्तव, कृष्ण चंद्र: प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, इलाहाबाद: यूनाइटेड बुक डिपो (2018)
3. शर्मा, कृष्णगोपाल, जैन, हुकम चंद, शर्मा, मुरारीलाल: भारत का इतिहास, जयपुर: अजमेरा बुक कंपनी (2016)
4. थापर, रोमिला: भारत का इतिहास, नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन (2018)
5. शर्मा, कालुराम - व्यास, प्रकाश: भारतीय संस्कृति के मूल आधार, जयपुर: पंचशील प्रकाशन (2012)
6. हमारे अतीत, एनसीईआरटी

Working Environment of Public Sector Banks in Ujjain District

Lakshya Malviya* Dr. L. N. Sharma** Dr. Mahesh Sharma***

*Research Scholar, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

** Principal & Guide, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.) INDIA

*** Ex-Principal & Co- Guide, Kalidas College, Ujjain (M.P.) INDIA

Abstract - Working culture is a newly concept from western countries for human development purpose because working culture affect directly and indirectly to human resource development at work place.

There are positive and effective relationship between work culture and rate of human resource development. If there are positive and effective work culture in any organisation than rate of human resources development also can grow rapidly.

In corporate world, importance of positive and effective work culture increase day by day and positive work culture can be provide by effective work environment at work place effective working environment is a basic element of success of any service based organisation in corporate world and banking sector is a main part of service sector as a main pillar of service based commercial activities.

In banking sector of Indian commercial market, working culture and working environment can play a vital role for commercial growth of Indian society.

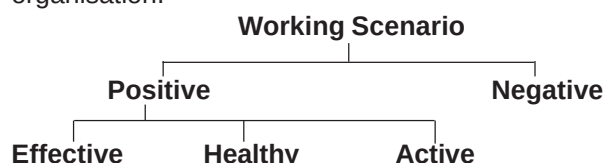
Working environment should have positive and effective for bank employees if working environment is better and effective. Bank employees can perform effectively for banking growth as a satisfied work force because satisfaction is a main dimension of working environment. Creation of better and effective working environment is not so easy because development of working environment of it is an effective outcome of various factors at work place and these factors can be affect the level of satisfaction for bank employees. If there are a high level of satisfaction at work place. This situation can improve strong work culture at work place in public sector banks because satisfaction level and effective working environment are correlated deeply in service sector specially in public sector banks.

The strong work culture can provide by some practical steps taken by Bank Managements, Bank Officers, Bank Clarks and Bank Sub Staff because these are correlated with strongly together at work place in public sector banks.

Keywords: Working culture, Human Resources Development, Service Sector, Commercial Activities, Working Environment, Success of Public Sector Banks, Supporting System, Bonding, Effective Communication.

Introduction - Working scenario and working environment are new managerial concept for over all development of any organisation, in present time period.

Working environment can be represent by overall positive work culture at work place for any organisation. It is also very crucial factor for success of any organisation because working scenario affect deeply to success of any organisation.



Working scenario can be categories into two main parts positive and negative and positive positive working

environment is must for any successful organisation and success of organisation, specially public service oriented organisation and positive working scenario are co-related deeply in banking sector.

Objectives - Study for this research paper is based on working environment in public sector banks in Ujjain District. This study was carried with some objectives-

1. To find out impact of working environment on the success of public sector banks.
2. Study and analysis of factors affecting working environment in public sector banks.
3. Study and analysis of various obstacles for positive working scenario.
4. Provide some practical solutions for favourable working scenario in public sector banks.

5. To find out working relationship between various categories of bank employees in public sector banks.
6. Study and analysis of various steps taken by management in public sector banks.

Hypothesis - Hypothesis is a practical pre-thought by the researcher before to go in the research field and hypothesis can be helpful for proper designing of research plan. For survey and statistical analysis purpose, some hypothesis was created by the researcher purpose. Some Hypothesis was created by the researcher like-

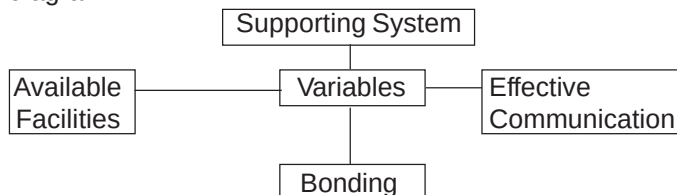
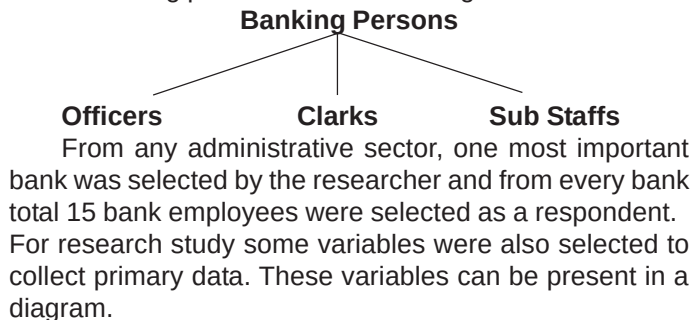
1. Bank employees are satisfied with available communication facilities.
2. There are no proper co-operation and bonding between Bank Officers and Clerks.
3. There are timely and effective support system at work place.

Research Methodology - This research paper is based on data analysis of primary data in public sector banks of Ujjain District. This study covers various urban sector of Ujjain District and some public sector bank were selected for research study from various administrative sector of Ujjain Districts.

Table 1 : Selected Banks from Ujjain District

S.	Selected Ad. Sector's	Selected banks
1.	Ujjain Urban	Sector State Bank of India
2.	Badnagar Urban Sector	Bank of India
3.	Mahidpur Urban Sector	UCO Bank
4.	Khachrod Urban Sector	Union Bank
5.	Tarana Urban Sector	Punjab and National Bank
6.	Ghatia Urban Sector	Central Bank
	Total 06 Urban Sector's	Total 06 Public Sector Banks

For research study, the researcher was categorised whole banking persons into three categories like -



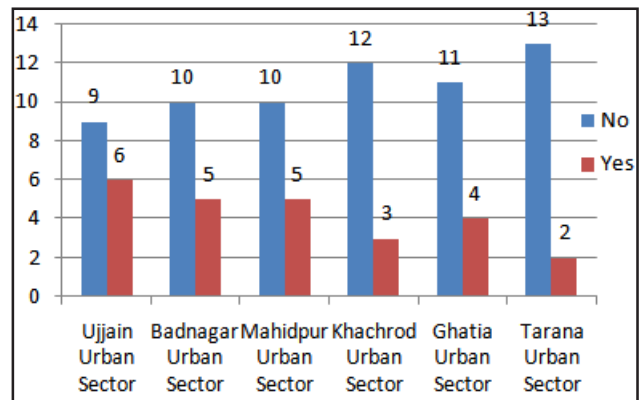
These variable are some important factor affect to working environment in public banks. If these variables are positive and effective in this situation working environment can strongly positive for bank employees.

Working Scenario of Public Sector Banks

According to primary data analysis we can present structure of working environment in public sector banks with the help of some variables.

(1) Available Facilities - Facilities are necessary for any worker at work place but banking services are just related with public activities. In this situation importance of facilities are most important at work place.

According to primary data analysis, mostly bank employees of public sector banks, react adversely about available facilities -



Question - Have you sufficient facilities at work place ?
 According to above diagram -

Mostly bank employees were dissatisfied with available facilities in their bank because overall 65 bank employees react adversely for answering this question only 25 bank employees are satisfied with available facilities.

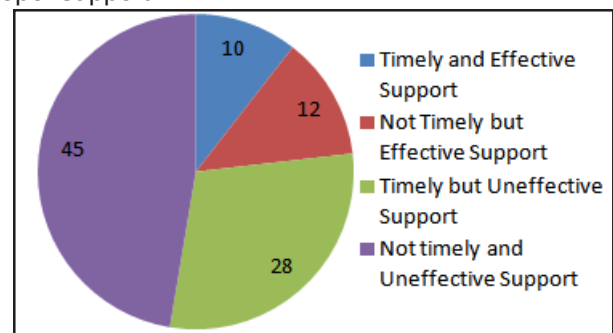
(2) Supporting System - Supporting system is must for better and effective working scenario at work place for research study purpose. Supporting system was categorised into two main parts by the researcher-

Supporting System

```

    graph TD
        SS[Supporting System] --> TS[Timely Support]
        SS --> ES[Effective Support]
    
```

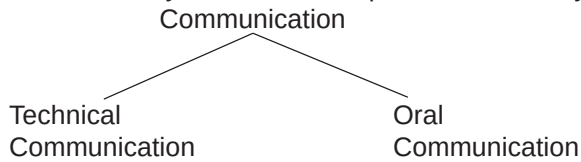
Supporting system can play a vital role in the field of progress of any organisation specially for banking sector because no any bank employees can not work without any proper support.



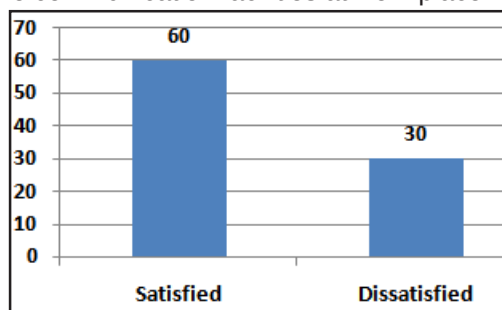
According to above diagram 45% Bank Employees were dissatisfied with supporting system because they have

not proper supporting system neither timely nor effective support.

(3) Communication Facilities - Communication is a must element for effective and positive environment at work place. If there are no any proper facilities for communication. In this situation no any worker can not perform effectively.



According to primary data analysis- Generally bank employees of public sector banks, are satisfied with communication system because they have proper and effective communication facilities at work place.



There were total no. of selected bank employees was 90, 15 bank employees from every administrative sector. Out of 90 bank employees, there were 60 bank employees satisfied with communication facilities or satisfied with communication system, but out of 90 selected bank employees, 30 bank employees were dissatisfied.

Findings of the Study- Some main and effective findings of this research paper are-

- (A) Public sector banks are main pillar of banking sector because public sector banks have more public faith for commercial activities with the comparison of private sector banks.
- (B) Public sector banks generally have un sufficient facilities at work place. The level of facilities increase according to populated area.
- (C) Mobile is a strong face of technical communication because generally it is easily available for every person in urban sector.
- (D) There are weak supporting system at work place because 45% selected bank employees were

dissatisfied with supporting system according to these 45% bank employees there are no timely and un effective support from other bank employees.

Barriers in the filed of research study- Research study is not a easy task for any researcher because there are various theoretical and practical problems can be arise in the research field.

Some problem's were faced by the researcher like-

- (A) Busy and hectic schedule of bank employees.
- (B) Limited time and limited financial resources.
- (C) Difficult to understand for effective response by bank employees.
- (D) Limited freedom for express their thoughts due to hesitation.

Conclusion- Public sector is most important sector of our Indian commercial system and public sector banks are most important part of service sector. In this condition over all progress of public sector banks is must for various commercial activities.

We can provide a solid system for progress of public sector banks with the help of effective and positive working culture at work place. Positive and effective work culture is a result of proper working environment.

Proper working environment can be develop and establish with practical and effective solutions of various problems in the field of public sector banks.-**Lakshya Malviya**

References :-

1. Solanki, D.S. : Development process of human resources : International journal of research in management (June 2001)
2. Spector, P.E. : The study of work motivation in the 20th century (2007) : Mac grawhill publication, New York
3. Ghosh, P.E. : Measurement of human satisfaction (Survey work) : American journal publication, New York (2007)
4. Shrivastav, A. : Employee perceptions of job A comparative study on Indian banks : Asian Academy of Management Journal (Dec. 2009)
5. Razia, A. : Impact of working environment in banking sector : Procedia Economics and Finance (Dec. 2015)
6. Khatibi, SAM : Factors Influencing job satisfaction in banking sector : Journal of central banking theory and practice (Sep. 2018)
7. Mukharji, Ravindra Nath : Research Methodology (2021) : S. Chand Publication, New Delhi.

जोबट विकासखण्ड में जनजातीय महिला कृषकों के विकास में सहकारी साख का योगदान (जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जोबट के विशेष में)

डॉ. हेमता डुडवे*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) क्रांतिकारी शहीद छीतुसिंह किराड़ शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीराजपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आज हम 21 वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, इसके बावजूद तथा महिलाओं की भागीदार के बिना देश व समाज की सफलता असंभव मानने के बावजूद जब महिला कृषक की समस्याओं की बात आती है तो आज भी वहीं वस्तु स्थिति देखने को मिलती है। जो आज से कई दशक पूर्व देखने को मिलती थीं। संख्या में बढ़ते के बावजूद भी यदि सफलता के दृष्टिकोण से देखा जाये तो सफल कृषक के रूप में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात वहीं है जो कई वर्षों पूर्व था। यही वजह है कि महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु प्रस्तुत की गई योजनाओं का संचालन हो रहा है, परन्तु महिलाओं इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं ले पा रही हैं।

इन सबके बावजूद कुछ संतोषजनक बातें हुई हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक दर्जे में सुधार लाने के लिये सरकार की ओर से कई सकारात्मक और समन्वित प्रयास किये गये हैं। पहली पंचवर्षीय योजना से ही विकास प्रक्रिया में महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लक्ष्य पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रीय किया जाता रहा है। इस संदर्भ में जहाँ पहली चार योजनाओं में महिलाओं के कल्याण की विभिन्न गतिविधियों और उनकी शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है, वहीं पाँचवीं से आठवीं योजनाओं में नीतिकारों के दृष्टिकोण में कुछ बदलाव दिखाई देता है। इनमें महिलाओं के कल्याण की बजाय उनके समग्र विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इनके बाद की अब तक की योजनाओं में महिला सशक्तिकरण एवं महिला जैसे विकसित क्षेत्रों की खोज करके इन्हें बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि साख की आवश्यकता की पूर्ति दो साधनों से करता है। पहला साधन जिससे वे साख पूर्ति करते हैं- साहूकारों, देशी बैंकर्स। दूसरा साधन वह है जिसमें बैंक एवं सहकारी समितियाँ शामिल हैं। शासन द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में साख संबंधी व्यवस्था के लिये समय-समय पर संस्थागत व्यवस्था के प्रयास किये गये हैं।

उद्देश्य:

1. महिला कृषकों के विकास में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जोबट की भूमिका ज्ञात करना।
2. महिला कृषकों कि आर्थिक, सामाजिक स्थिति ज्ञात करना।

समंक का संकलन– प्रस्तुत अध्ययन में शोध क्षेत्र के रूप में जोबट विकासखण्ड का चयन किया गया। जिसमें जोबट विकासखण्ड में सहकारी

केन्द्रीय बैंक जोबट द्वारा महिला हितग्राहियों को लाभांशित किया गया है। उन महिला हितग्राहियों में से दैव निदर्शन पद्धति द्वारा 50 महिला हितग्राहियों का चयन कर उनका अध्ययन किया गया है। महिला हितग्राहियों की संख्या कम होने का कारण सहकारी बैंक से वहीं महिला ऋण ले सकती है जिसके नाम पर कृषि भूमि हो। किन्तु महिला हितग्राहियों के नाम पर सामान्यतः कृषि भूमि बहुत कम नाम पर होती है।

साहित्य समीक्षा:

1. **माथुर बी.एस** ने सहकारिता आन्दोलन के विकास, प्रगति, सहकारी संगठन का पुर्नगठन आदि का विस्तार से विवेचन किया गया है।¹
2. **सवसेना एम.पी** ने अपनी पुस्तक में मध्यप्रदेश में सहकारिता आंदोलन का विकास मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये विभिन्न सरकारी अधिनियम एवं मध्यप्रदेश के सहकारिता आंदोलन के कार्यकलापों से संबंधित लगभग समस्त पहलुओं पर प्रकाश डाला है।²
3. **श्रीवास्तव सी.एल** में प्रकाशित अपनी पुस्तक में भारतीय ग्रामों कृषि उद्योगों के संदर्भ में सहकारिता व्यवस्था पर अपने विचार एवं साहित्य प्रस्तुत किए हैं तथा सहकारी समस्याओं की विवेचना करके आधुनिक प्रबंध तकनीकों पर बल दिया गया है।³

तथ्य का विश्लेषण– जनजातीय समाज में कृषि व कृषिक्षत पदार्थ ही हैं साथ ही कृषि से जुड़े अन्य व्यवसायों से भी आय प्राप्त करते हैं। कृषि की अनार्थिकता एवं लगातार वर्षा के गिरते स्तर के कारण ग्रामीण लोगों ने मजदूरी को आय स्रोत के रूप में अपनाने लगे हैं। मजदूरी के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन का तरीका अपनाते हैं। जिससे उनकी वार्षिक आय भी बहुत कम है।

तालिका क्र. 01: ऋण लेने के पूर्व महिला हितग्राहियों की आय (वार्षिक)

क्र.	आय	महिला हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
1.	5000 से 10000	06	12.00
2.	10000 से 15000	08	16.00
3.	15000 से 20000	20	40.00
4.	20000 से अधिक	16	32.00
	योग	50	100

स्रोत:- सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से जुड़ने के पूर्व 12 प्रतिशत महिला हितग्राहियों की आय 5000 से 10000 के मध्य है। 16 प्रतिशत महिला हितग्राहियों की आय 10000 से 15000 तक के मध्य है। 40 प्रतिशत महिला हितग्राहियों की आय 15000 से 20000 के मध्य में है। 32 प्रतिशत महिला हितग्राहियों की आय 20000 से अधिक है।

तालिका क्र. 02: ऋण लेने के पश्चात् महिला हितग्राहियों की आय (वार्षिक)

क्र.	आय	महिला हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
1.	10000 से 15000	16	32.00
2.	15000 से 20000	20	40.00
3.	20000 से 25000	08	16.00
4.	25000 से अधिक	06	12.00
	योग	50	100

स्रोत:- सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से जुड़ने के पूर्व 32 प्रतिशत महिला हितग्राहियों की आय 10000 से 15000 के मध्य है। 40 प्रतिशत महिला हितग्राहियों की आय 15000 से 20000 तक के मध्य है। 16 प्रतिशत महिला हितग्राहियों की आय 20000 से 25000 के मध्य में है। 12 प्रतिशत महिला हितग्राहियों की आय 25000 से अधिक है।

तालिका क्र. 03: महिला हितग्राहियों के द्वारा बैंक से ऋण की राशि

क्र.	ऋण की राशि	महिला हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
1.	5000 से 10000	05	10.00
2.	10000 से 15000	15	30.00
3.	15000 से 20000	24	48
4.	20000 से अधिक	06	12
	योग	50	100

स्रोत:- सर्वेक्षण के आधार पर

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 10 प्रतिशत महिला हितग्राहियों ने बैंक से ऋण की राशि 5000 से 10000 के मध्य लिया गया है। 30 प्रतिशत महिला हितग्राहियों ने बैंक से ऋण के रूप में

तालिका क्र. 04: महिला हितग्राहियों को ऋण प्राप्ति के पश्चात् उत्पादन में वृद्धि

क्र.	उत्पादन में वृद्धि	महिला हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	42	84.00
2.	नहीं	08	16.00
	योग	50	100

स्रोत:- सर्वेक्षण के आधार पर

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 84 प्रतिशत महिला हितग्राहियों के फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। 16 प्रतिशत महिला हितग्राहियों के फसल उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है।

तालिका क्र.05: ऋण मिलने के पश्चात् हितग्राहियों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ

क्र.	ऋण मिलने के पश्चात् हितग्राहियों के स्थिति में परिवर्तन हुआ	महिला हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	44	88.00
2.	नहीं	06	12.00
	योग	50	100

स्रोत:- सर्वेक्षण के आधार पर

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 88 प्रतिशत महिला हितग्राहियों के द्वारा ऋण प्राप्त करने के बाद में इनकी स्थिति में परिवर्तन आया है। 12 प्रतिशत महिला हितग्राहियों के ऋण प्राप्त करने के बाद भी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया है।

निष्कर्ष— कृषि प्रधान देश है, जहाँ अधिकतम जनसंख्या गांवों में निवास करती है और जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी अधिक है। वहाँ बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा महिला हितग्राहियों के विकास से ही इनके आधारभूत सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है और उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। परन्तु आज भी जनजातियों क्षेत्रों में कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करना है जैसे – बिजली, पानी, आदि।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. माथुर बी.एस. भारत में 'सहकारिता' साहित्य भवन, आगरा 2000।
2. सक्सेना एम.पी. मध्यप्रदेश में सहकारी आभा प्रकाशन, भोपाल 1979-80।
3. श्रीवास्तव सी.एन. सहकारिता का अर्थशास्त्र, सरस्वती सदन, जवाहर नगर, नई दिल्ली 1970।
4. नीलमेघ चतुर्वेदी सहकारिता विचार और विश्लेषण, अजय प्रकाश, 42 सिरपुर, धार रोड़, दुर्गा मंदिर के पास, इन्दौर 1997
5. अर्थशास्त्र डॉ. जे.पी. मिश्रा, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स।
6. 'सहकारिता विचार और विश्लेषण' श्री नील मेघ चतुर्वेदी विजय प्रकाशन, इन्दौर 1997।

मेवाड़ राज्य की विदेश नीति (1382 ई. से 1528 ई. तक)

अंकित सोनी *

* एम.ए., नेट (जेआरफ) (इतिहास) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

प्रस्तावना – मेवाड़ राज्य का भारत तथा राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर शासन करने वाला गुहिल वंश विश्व में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले वंशों में एक है। मेवाड़ राज्य की ख्याति त्याग, समर्पण तथा अपने मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना रखने के कारण संपूर्ण देश में प्रसिद्ध है। यहां पर ऐसे अनेक शूरवीर पैदा हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि को आक्रांताओं तथा विदेशी शासकों से बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यहां के महाराणाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा व स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु जो अपूर्व सेवा व त्याग किए हैं उन सबको हम सभी आज बड़ी श्रद्धा से स्मरण करते हैं।

मेवाड़ राज्य के लिए 1382 ई. से 1528 ई. तक का काल मेवाड़ की विदेश नीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। इस काल में मेवाड़ के अपने पड़ोसी राज्य तथा अन्य राज्यों के साथ संबंधों में कई ऐसे परिवर्तन आते हैं जो लंबे काल तक मेवाड़ की राजनीति को प्रभावित करते हैं इस काल की शुरुआत महाराणा लाखा के राज्यारोहण के साथ होती है। राणा लाखा का राज्याभिषेक 1382 ईस्वी में हुआ। लाखा राणा क्षेत्र सिंह के पुत्र थे। लाखा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत को अनेक उतार-चढ़ाव देखने पड़े 1388 ईस्वी में फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक सल्तनत का तेजी से विघटन शुरू हो गया। मेवाड़ राज्य के लिए अनुकूल परिस्थितियां देख राणा लाखा ने भी राज्य विस्तार की नीति अपनाई। राणा लाखा ने मेरो को पराजित कर बदनौर प्रदेश को अपने अधीन कर लिया। तथा बूंदी के राव वीर सिंह हाडा को मेवाड़ का प्रभुत्व मानने के लिए विवश कर दिया तथा जहाजपुर, मेरवाड़ा, शेखावाटी क्षेत्र तथा वैराट क्षेत्र को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। तथा अपनी बुद्धिमता का परिचय देते हुए राणा लाखा ने डोडिया राजपूतों को जागीर प्रदान कर मेवाड़ की सैनिक शक्ति का विकास किया तथा मारवाड़ नरेश राव चूंडा की पुत्री राजकुमारी हंसाबाई से विवाह कर मारवाड़ राज्य से अपने संबंध मजबूत किए। राणा लाखा के बाद उनके पुत्र मोकल मेवाड़ के राजा बने जिनकी माँ हंसाबाई थी। मोकल के शासक बनने के कुछ समय पश्चात ही राणा मोकल के अभिभावक तथा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चूण्डा हंसाबाई के भाई रणमल के शासन में हस्तक्षेप से नाराज होकर मेवाड़ छोड़ कर माण्डू में सुल्तान की सेवा में चले गए। उसके बाद रणमल का प्रभाव मेवाड़ दरबार में और अधिक बढ़ गया तथा उन्होंने मेवाड़ की राजनीति को अपने पक्ष में कर लिया इस प्रकार राठौड़ों का प्रभाव मेवाड़ राज्य पर अत्यधिक बढ़ गया। परन्तु कुछ समय पश्चात राणा मोकल ने इससे मुक्त होकर विस्तृत व शक्तिशाली बनाने का कार्य किया इसमें उन्होंने नागौर के फिरोज खान तथा गुजरात के अहमद शाह को परास्त कर अपनी सीमाओं

का विस्तार किया। परन्तु दुर्भाग्यवश अहमदशाह से युद्ध में पड़ाव के दौरान उसके दो चाचाओ चाचा और मेरा, जो राणा क्षेत्र सिंह की अवैध संतान थे ने राणा मोकल की धोखे से हत्या कर दी।

राणा मोकल के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र कुंभा मेवाड़ के शासक बनते हैं कुंभा के विषय में डॉ. गोपीनाथ शर्मा कहते हैं सम्पूर्ण गोहिल वंशीय शासकों में कुंभा या कुम्भकर्ण ही एक ऐसा शासक था जो उसके अनेक गुणों विशेषता के प्रतीक विरुद्धों से विख्यात था। कुंभा ने अपने आरंभिक शासनकाल में कई चुनौतियों का सामना किया। मालवा व गुजरात के शासक मोकल के समय से ही मेवाड़ के समीप के प्रदेशों पर अपना अधिकार करने का प्रयास करने लग गए थे तथा पड़ोसी राजपूत शासक भी इस स्थिति का लाभ उठाते हुए मेवाड़ के क्षेत्रों को हड़पने का प्रयास करने लगे। इन परिस्थितियों में उसने अपनी आवश्यकता के लिए रणमल को मंडोर से मेवाड़ बुला लिया। रणमल के आने पर कुंभा ने राठौड़ सेना तथा सिसोदिया सेना को संयुक्त रूप से चाचा व मेरा के विरुद्ध भेजा। चाचा व मेरा मारे गए परन्तु चाचा का पुत्र एका व महपा पंवार भाग कर माण्डू के शासक की शरण में चले गए।

मारवाड़ के साथ सम्बन्ध इसके कुछ वर्ष पश्चात ही मेवाड़ के कुछ स्थानीय सरदारों द्वारा रणमल की प्रेमिका भारमली से सहायता से 1438 ई. में उसकी हत्या करवा दी उसके बाद राठौड़ तथा सिसोदिया के बीच रिश्तों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस समय मारवाड़ नेता विहीन था। मारवाड़ पर अधिकार करना सरल सोच कुंभा ने चूंडा के नेतृत्व में मारवाड़ पर आक्रमण हेतु सेना भेजी तथा राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात् कई वर्षों के संघर्ष के उपरान्त ही रणमल के पुत्र जोधा द्वारा मंडोर पर अधिकार संभव हो सका। तथा हंसाबाई की मध्यस्थता के पश्चात् दोनों राज्यों में शांति समझौता सफल हुआ।

बूंदी के साथ सम्बन्ध बूंदी राज्य दिल्ली मालवा और मेवाड़ के मध्य स्थित था तथा इसकी सीमा मेवाड़ व मालवा क्षेत्र से सर्वाधिक मिलती थी। यहां पर हाडा राजपूतों का शासन होने के कारण इस क्षेत्र को 'हाडौती' कहा जाता था। महाराणा कुंभा के समय रणमल ने बूंदी पर आक्रमण करके मांडलगढ़ को जीत लिया और बूंदी के शासक को मेवाड़ की प्रभु सत्ता मानने के लिए विवश किया। इससे मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को अत्यधिक असंतोष हुआ जो की उस समय बूंदी के शासक की सहायता कर रहे थे महमूद खिलजी ने 1442 ई. तथा 1446 ई. में दो बार हाडौती क्षेत्र पर आक्रमण किया तथा इस क्षेत्र पर पुनः अपनी प्रभु सत्ता स्थापित कर ली। मालवा के शासन से छुटकारा दिलाने के लिए कुंभा ने बूंदी के शासकों की सहायता की तथा बूंदी के राज्य के विजित क्षेत्र उन्हें वापस सौंप कर बूंदी के

शासक को अपना करदाता बना दिया। बूंदी विजय का उल्लेख रणकपुर के जैन मंदिर लेख में (वि.सं. 1496) तथा कुंभलगढ़ के लेख (वि.सं. 1517) में मिलता है।

कुंभा और मालवा महाराणा कुंभा के समय मालवा का शासक महमूद खिलजी था जो 1435 ईस्वी में सुल्तान बना था। दोनों शासक अपने शासनकाल में अपने-अपने राज्य को एक शक्तिशाली रूप देने में लग रहे परिणाम स्वरूप इनमें आपसी संघर्ष स्वाभाविक था जो कि लंबे समय तक चला। संघर्ष के कारणों में – दिल्ली सल्तनत का निर्बल होना, राणा कुंभा द्वारा हाडोती विजय, मालवा के सुल्तान द्वारा राणा कुंभा के विरोधियों को शरण देना, तथा राणा कुंभा द्वारा मालवा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, इत्यादि रहे हैं। तथा इसी समय मालवा तथा गुजरात की बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से कुंभा ने भीलो से मैत्री संबंध भी स्थापित किया। तथा मेवाड़ की दक्षिण सीमा पर किले बंदी करते हुए कई महत्वपूर्ण दुर्गों का निर्माण किया। राणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया वह सारंगपुर के पास युद्ध में मोहम्मद को हरा दिया तथा विजय के उपलक्ष में चित्तौड़गढ़ में भव्य कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया। कुछ समय तक अपनी सैनिक शक्ति सुदृढ़ करने के बाद महमूद खिलजी ने 1442 ई. मेवाड़ पर पुनः आक्रमण करने की योजना बनाई परंतु थाना कुंभा के अपने पड़ोसी राजपूत शासको से अच्छे संबंध होने के कारण मालवा से प्रत्येक युद्ध में कुंभा को विजय प्राप्त हुई राणा कुंभा की विदेश नीति का प्रथम लक्ष्य राजपूताना के दूसरे राजपूत वंश से मधुर संबंध बनाना लक्ष्य था इससे उन्हें अपने धूर प्रतिद्वंद्वी राज्यों से युद्ध के समय हमेशा सहायता प्राप्त हुई। मेवाड़ तथा मालवा दोनों प्रभुत्वशाली राज्य थे तथा दोनों अपनी सीमा का विस्तार करने के लिए आपस में टकराते थे मेवाड़ का मालवा तथा गुजरात राज्य से लगातार टकराव का एक कारण यह भी रहा कि दोनों राज्यों से मेवाड़ की सीमा सर्वाधिक लगती थी इसलिए अपने सीमा का फैलाव करने के लिए दूसरों के राज्य का अतिक्रमण करना आवश्यक हो जाता था। मेवाड़ तथा गुजरात के बीच संघर्ष की सर्वप्रथम महाराणा कुंभा के समय ही शुरू हुआ दोनों के मध्य संघर्ष का एक प्रमुख कारण नागौर का उत्तराधिकार था। गुजरात से युद्ध के पहले कुंभा द्वारा सिरौही और अबू के देवड़ा चौहानों के साथ संबंध सुदृढ़ कर लेने के कारण तथा अपनी दक्षिणी सीमा को मजबूत कर लेने से यह युद्ध भी कुंभा के पक्ष में गया।

1509 ईस्वी में जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तो मेवाड़ राज्य की विदेश नीति में काफी परिवर्तन आए सांगा ने अपने सबसे प्रबल प्रतिद्वंद्वी मालवा राज्य के प्रति आक्रामक नीति का प्रदर्शन किया तथा कुंभा द्वारा चली आ रही राजपूत नीति को और सुदृढ़ किया तथा राठौड़ो, हाड़ा राजपूतों तथा खिंची राजपूतों साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत किया।

दिल्ली सल्तनत और सांगा सिकंदर लोदी के अंतिम दिनों में दिल्ली सल्तनत को कमजोर देख सांगा ने सीमावर्ती कुछ भागों को मेवाड़ राज्य में मिला लिया। इससे इब्राहिम लोदी और सा के मध्य टकराव उत्पन्न हो गया

तथा तथा 1518 ईस्वी में बूंदी के निकट खातोली स्थान पर भीषण युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। कर्नल टॉड, डॉ. ओझा, और अमर काव्य वंशावली आदि ग्रन्थों में सांगा की इस निर्णायक विजय का उल्लेख किया गया है।

राणा सांगा और बाबर – 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के उपरांत बाबर विजय होकर आगरा का स्वामी बन गया था। परंतु इस समय राजस्थान में राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत भी शक्तिशाली बन चुके थे तथा यह समय राणा सांगा के चरमोत्कर्ष का काल चल रहा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में युद्ध का कारण राणा सांगा द्वारा संधि भंग करने और विश्वासघात करना बताया है बाबर ने लिखा है कि राणा सांगा के एक दूत ने बाबर के समक्ष उपस्थित होकर उसकी निष्ठा प्रदर्शित की और यह निश्चय हुआ कि जब वह दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो संग इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर देगा परंतु सांगा द्वारा ऐसा नहीं किया गया। परंतु बाबर द्वारा बताए गए इस कारण की सत्यता और किसी ग्रंथ द्वारा प्रमाणित नहीं की जा सकी है। महाराणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध संगठित होकर संघर्ष करने के लिए सभी राजपूत शासकों को और सरदारों को निमंत्रण भेजा जिसकी अनुकूल प्रतिक्रिया हुई और मारवाड़, चंदेरी, मेड़ता, सिरौही, डुंगरपुर, सलूंबर, सादड़ी, गोगुंदा के राजपूत शासकों ने महाराणा सांगा की ओर से युद्ध में भाग लिया इससे राणा सांगा के द्वारा दूसरे राजपूत राज्यों के प्रति अपनाई गई नीति की सफलता प्रदर्शित होती है तथा उस समय महाराणा सांगा राजपूताना के सर्वश्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रदर्शित होते हैं।

मेवाड़ के राज्य चिन्ह 'जो दृढ़ रखे धर्म को तीही रखे करता' से ही स्पष्ट हो जाता है की मेवाड़ के महाराणा अपने धर्म पर कितने अटल रहते थे। उसकी रक्षा उन्होंने कई बार सहर्ष अपने प्राणों की आहुति देकर की है। मेवाड़ की छवि केवल राजस्थान में नहीं बल्कि समस्त भारत देश में हमेशा एक शक्तिशाली तथा गौरवशाली राज्य के रूप में रही है। जिसका श्रय मेवाड़ की विदेश नीति को भी जाता है। अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में मालवा तथा गुजरात जैसे शक्तिशाली राज्यों के होने के बाद भी न केवल मेवाड़ ने हमेशा अपना अस्तित्व बनाए रखा अपितु अपने सीमाओं को निरंतर विस्तार किया साथ ही अपने सांस्कृतिक गौरव को भी शिखर तक पहुंचाया। तथा अन्य राजपूत राज्यों के साथ कभी संघर्ष तो कभी मित्रता की नीति अपनाकर राजपूताना में अपने प्रभाव को बढ़ाया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. ओझा : 'उदयपुर राज्य का इतिहास', प्रथम भाग।
2. डॉ. गोपीनाथ शर्मा: राजस्थान का इतिहास।
3. शर्मा व पावा : राजस्थान का इतिहास।
4. कालूराम शर्मा व प्रकाश व्यास: राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण (प्रारम्भ से 1949 तक)
5. कालूराम शर्मा : कर्नल जेम्स टॉड कर्त राजस्थान का इतिहास।
6. डॉ. राघवेंद्र सिंह मनोहर: राजस्थान का इतिहास (प्राचीनकाल से मध्यकाल तक)।

सराफा व्यापार का ऐतिहासिक व वित्तीय अध्ययन (मध्यप्रदेश राज्य के शाजापुर जिले के विशेष संदर्भ में)

प्रवीण कुमार सोनी *

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, माकड़ोन, जिला उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – किसी उत्पाद की खरीद-बिक्री को व्यापार कहा जाता है। व्यापार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। हमारे देश में सीमेंट, कपड़ा, कृषि या अन्य किसी उत्पाद की ही तरह सोने एवं चांदी से निर्मित उत्पादों का भी क्रय-विक्रय किया जाता है। जिस स्थान पर सोने-चांदी से निर्मित उत्पादों की खरीदी एवं बिक्री की जाती है उसे सराफा बाजार कहा जाता है। बहुमूल्य धातुओं में स्वर्ण (सोना) एवं रजत (चांदी) का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सम्पूर्ण विश्व में स्वर्ण व रजत से बने आभूषणों का विशेष आकर्षण देखा जा सकता है। भारत में भी प्राचीन काल से ही इनका महत्व देखा गया है। इतिहास में सोने-चांदी के कारण हुए बड़े-बड़े युद्धों का वर्णन है। प्राचीन समय में राजा-महाराजाओं द्वारा अपने मंत्रियों व नागरिकों को विशेष अवसरों पर उपहार स्वरूप विभिन्न रूपों में सोना व चांदी प्रदान किया जाता था। स्वर्ण व रजत का अधिक मात्रा में स्वामी होना, वर्तमान समाज में प्रतिष्ठा व सम्पन्नता का सूचक माना जाता है। हमारे देश के लगभग प्रत्येक परिवार, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध स्वर्ण व रजत व्यापार से है। हमारे देश में विवाह, जन्मदिवस, वर्षगांठ आदि अवसरों पर दिये जाने वाले उपहारों में बहुमूल्य धातुओं के उपहार का विशेष महत्व है। प्रत्येक पिता अपनी बेटी के विवाह हेतु उसके जन्म से ही योजनाएं बनाने लगता है। इन योजनाओं में बेटी को उपहार स्वरूप दिये जाने वाले सोने-चांदी के आभूषण भी शामिल हैं। सोने एवं चांदी से निर्मित आभूषणों के क्रय-विक्रय के लिए हमारे देश के लगभग प्रत्येक शहर में एक बाजार उपलब्ध है जिसे सराफा बाजार कहा जाता है। इस बाजार में विभिन्न व्यापारियों द्वारा अपनी पूंजी लगाकर स्वर्ण व रजत से बने आभूषणों व अन्य उत्पादों का व्यापार किया जाता है। इस बाजार में क्रय-विक्रय होने वाले प्रमुख उत्पादों में सोने व चांदी से बने विभिन्न आभूषण व सिक्के शामिल हैं। हमारे देश के मध्य में स्थित मध्यप्रदेश राज्य के शाजापुर जिले में व जिले के विभिन्न नगरों में भी सराफा बाजार स्थापित हैं। सराफा बाजार का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। सराफा व्यापारी एवं इस व्यापार के मध्यस्थों द्वारा अनेकों व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाता है। सोना एवं चांदी अत्यंत मूल्यवान एवं प्रतिष्ठित धातु है। जिसका व्यापार करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है इसीलिए वर्तमान में सराफा व्यापार का अधिकांश स्वामित्व पूंजीपतियों के हाथ में है।

शब्द कुंजी – सराफा बाजार, सोना-चांदी, आभूषण, पूंजी, टर्नओवर।

प्रस्तावना – किसी उत्पाद या वस्तु की खरीद-बिक्री को ही व्यापार कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी उत्पाद को पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदता है और उसके पश्चात् उसे बेच देता है तो यह एक व्यापारिक क्रिया कहलाती है। व्यापार के लिये किसी उत्पाद का क्रय-विक्रय होना अत्यंत आवश्यक है। व्यापार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। सोने एवं चांदी से निर्मित आभूषणों के क्रय-विक्रय के लिए हमारे देश के लगभग प्रत्येक शहर में एक बाजार उपलब्ध है जिसे सराफा बाजार कहा जाता है। इस बाजार में विभिन्न व्यापारियों द्वारा अपनी पूंजी लगाकर स्वर्ण व रजत से बने आभूषणों व अन्य उत्पादों का व्यापार किया जाता है। इस बाजार में क्रय-विक्रय होने वाले प्रमुख उत्पादों में सोने व चांदी से बने विभिन्न आभूषण व सिक्के शामिल हैं।

शोध कार्य के उद्देश्य – प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य संक्षेप में इस प्रकार हैं –

1. शाजापुर जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. शाजापुर जिले में सराफा बाजार के प्रादुर्भाव एवं विकास का अध्ययन करना।
3. सराफा व्यापार के लिए आवश्यक विनियोजित पूंजी का अध्ययन

करना।

शोध प्रविधि – शोध प्रविधि का आशय शोध कार्य करने के विशिष्ट नियम अथवा विधि से है। दूसरे शब्दों में किसी शोध कार्य को सम्पन्न करने के लिये अपनायी जाने वाली विशिष्ट तकनीक को ही शोध प्रविधि कहते हैं। इसके अंतर्गत शोध समस्या के बारे में जानकारीयों की पहचान, शोध कार्य के क्षेत्र का चयन, शोध से संबंधित समकों का संकलन, उनका वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण की प्रक्रिया शामिल है।

अ. अध्ययन का क्षेत्र – मेरे द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन का क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य का शाजापुर जिला है। इस जिले के अंतर्गत सराफा व्यापार का अध्ययन किया जायेगा।

ब. समकों का संकलन – प्रस्तुत शोध पत्र शोधार्थी द्वारा किए गए बाजार सर्वेक्षण से एकत्रित प्राथमिक समकों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त शोध पत्र में द्वितीयक समकों का भी प्रयोग किया गया है।

शोध पत्र का मुख्य भाग

शाजापुर जिले में सराफा बाजार का प्रादुर्भाव एवं विकास – मध्यप्रदेश का शाजापुर जिला मालवा क्षेत्र में स्थित है। शाजापुर जिला लगभग 400 वर्ष पुराना है। सन् 1640 में मुगल सम्राट शाहजहाँ ने वर्तमान शाजापुर

जिले की पहचान की। शाजापुर का प्राचीन नाम खाखराखेड़ी था जिसे परिवर्तित करके मुगल सम्राट शाहजहाँ के नाम पर शाजापुर रखा गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शाजापुर, मध्य भारत राज्य का हिस्सा बना जो 1 नवंबर 1956 से मध्यप्रदेश राज्य का हिस्सा कहलाया। 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्यप्रदेश के साथ ही शाजापुर को भी जिला बनाया गया। शाजापुर जिले का प्रमुख शहर शाजापुर ही है। प्रारंभ में इसका स्वरूप एक ग्राम की तरह ही था। ग्राम के विकास के साथ-साथ मानव अपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न आर्थिक एवं व्यापारिक क्रियाएँ भी करने लगा। धीरे-धीरे ग्राम नगर में परिवर्तित होता चला गया। प्रारंभ में विभिन्न व्यापारिक क्रियाएँ जाति अनुसार ही की जाती थी, लुहार लोहे का कार्य करता था, सुनार स्वर्ण एवं रजत आभूषणों का, विश्वकर्मा बंधु लकड़ी का कार्य किया करते थे। इस प्रकार अन्य व्यापारिक क्रियाओं के साथ-साथ स्वर्ण व रजत आभूषणों के निर्माण व विक्रय की व्यापारिक क्रिया भी छोटे पैमाने पर प्रारंभ हो चुकी थी। शाजापुर के विकास क्रम के साथ-साथ स्वर्ण व रजत आभूषणों के व्यापार का भी विकास होता चला गया और व्यापारिक क्रिया 2 भागों में विभक्त हो गई -

1. **सराफ** - शहरों के ऐसे व्यक्ति जो बड़े पूंजीपति वर्ग से आते हैं, वे स्वर्ण एवं रजत का क्रय - विक्रय का कार्य करने लगे उन्हें सराफ कहा गया। मोटे तौर पर ये पूंजीपति वर्ग आभूषणों का निर्माण नहीं करता बल्कि केवल निर्मित आभूषणों का व्यापार करता है। इसके अतिरिक्त ये बहुमूल्य धातुओं को गिरवी रखकर उधार धन देने का कार्य भी करते हैं।

2. **सुनार** - प्राचीन समय से जातिगत आधार पर जो व्यापारिक क्रियाएँ की जाती रहीं हैं उसी अनुसार शाजापुर में भी स्वर्ण एवं रजत आभूषणों के निर्माण का कार्य मुख्यतः सुनार जाति के लोगों द्वारा ही किया जाता है। आभूषणों के निर्माण के अतिरिक्त सुनार जाति के पूंजीपति व्यापारियों द्वारा निर्मित आभूषणों का व्यापार भी किया जाता है।

शाजापुर जिले के सराफा बाजार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - जिले के विभिन्न नगरों में स्वर्ण व रजत आभूषणों के क्रय विक्रय का व्यापार सराफ लोगों द्वारा एक निश्चित स्थान पर किया जाता था अर्थात् व्यापार के लिये पृथक से बाजार स्थापित किये गये, जिन्हें हम सराफा बाजार कहते हैं।

प्रारंभ में स्वर्ण व रजत आभूषणों का व्यापार व निर्माण कार्य बहुत कम व्यापारियों द्वारा किया जाता था किंतु जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ इस व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। सन् 1900 के आस पास शाजापुर जिले में इस व्यापार में संलग्न व्यापारियों की दुकानों की संख्या लगभग 20 थी जो बढ़कर आजादी के तत्काल बाद 1950 में लगभग 50 हो गई। वर्तमान में शाजापुर जिले में स्वर्ण व रजत व्यापार में संलग्न व्यापारियों की दुकानों की संख्या लगभग 300 है जिसमें से 240 दुकानें अपने-अपने नगर के सराफा एसोसिएशन के तहत पंजीकृत हैं तथा शेष लगभग 60 दुकानें अपंजीकृत हैं। प्रारंभ में सराफा बाजार का समय प्रातः 10 बजे से शात 6 बजे तक रहता था क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही निर्माण, जांच व विक्रय संबंधी सभी कार्य अच्छी तरह संपन्न किये जा सकते थे किंतु वर्तमान समय में पर्याप्त बिजली की सुविधा होने से रात्रि 9-10 बजे तक भी व्यापार संभव होता है।

औद्योगिक दृष्टि से शाजापुर जिले को पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है किंतु व्यापारिक दृष्टि से जिले ने काफी उन्नति की है। शाजापुर जिले में जीवन उपयोगी सभी प्रकार के व्यापारिक केन्द्र स्थापित हैं। मिनी मुम्बई

अर्थात् इन्दौर और मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल यहां से नजदीक होने के कारण यहां के व्यापारियों को काफी सुविधा प्राप्त है। शाजापुर जिले के विभिन्न नगरों, शुजालपुर, अकोदिया, कालापीपल, बेरछा, गुलाना, कालीसिंध, पोलायकला आदि में अपना पृथक - पृथक सराफा बाजार स्थापित है। जहां आभूषणों के निर्माण व क्रय-विक्रय में संलग्न हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त है।

सराफा बाजार के प्रमुख मध्यस्थों का अध्ययन - शाजापुर जिले के सराफा बाजार में कार्यरत प्रमुख मध्यस्थों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है -

तालिका क्रमांक 1.1 - सराफा बाजार में कार्यरत प्रमुख मध्यस्थों का विवरण

क्र.	मध्यस्थ का नाम	संस्थानों की संख्या	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या
1.	सराफा व्यापारी	300	1225
2.	आभूषण निर्माता	120	410
3.	धातुओं के शोधन एवं गलाई में संलग्न व्यापारी	20	60
4.	तार पट्टी बनाने में संलग्न व्यापारी	25	50
5.	मीना का कार्य करने में संलग्न	15	40
6.	गठाई के कार्य में संलग्न	20	40
7.	चपड़ी भरने में संलग्न	10	25
8.	छिलाई का कार्य करने में संलग्न	15	25
9.	सोने एवं चांदी का टंच निकालने में संलग्न व्यापारी	20	40

(स्रोत - शोधार्थी द्वारा बाजार सर्वेक्षण के आधार पर)

शाजापुर जिले के स्वर्ण एवं रजत व्यवसाय में आभूषणों का निर्माण कार्य करने वाले कारीगर की संख्या लगभग 120 है, जो आभूषण बनाने का कार्य करते हैं। प्राचीन समय में यान्त्रिक साधनों का अभाव था इसलिये आभूषणों के निर्माण कार्य में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, किंतु वर्तमान वैज्ञानिक युग में नई-नई तकनीकों व मशीनों का आविष्कार हुआ है, जिसके चलते इन तकनीकों व मशीनों के प्रयोग से अब आभूषणों का निर्माण कार्य काफी सरलता से पूर्ण किया जा सकता है। नई तकनीक की वजह से ही नित नई डिजाइनों का भी निर्माण संभव हो पाया है। भिन्न - भिन्न प्रकार के आभूषणों के निर्माण की दर अलग-अलग ली जाती है, कुछ सामान्य आभूषणों के निर्माण की मजदूरी दर निम्न तालिका में गयी है जो कि इस प्रकार है -

तालिका क्र. - 1.2 : स्वर्ण आभूषणों के निर्माण की मजदूरी दर का विवरण

क्र.	आभूषण का नाम	मजदूरी की दर (प्रति ग्राम रु. में)
1	हार	300 रु से 1000/- प्रति ग्राम
2	बाली	300 रु से 500/- प्रति ग्राम
3	झुमकी	300 रु से 800/- प्रति ग्राम
4	टीका	300 रु से 500/- प्रति ग्राम
5	अंगूठी	300 रु से 500/- प्रति ग्राम
6	मंगलसूत्र	300 रु से 800/- प्रति ग्राम
7	चेन	300 रु से 500/- प्रति ग्राम

8	पेची	300 रु से 500/- प्रति ग्राम
9	बाजूबन्द	300 रु से 1000/- प्रति ग्राम
10	कमर कन्दोरा	300 रु से 1000/- प्रति ग्राम
11	हाथफूल	300 रु से 1000/- प्रति ग्राम
12	आढ	300 रु से 500/- प्रति ग्राम

(स्रोत - शोधार्थी द्वारा बाजार सर्वेक्षण के आधार पर)

तालिका की विवेचना - उपरोक्त तालिका क्रमांक 1.2 के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि स्वर्ण के आभूषण की मजदूरी मेहनत, डिजाइन, मीना आदि पर निर्धारित होती है, स्वर्ण आभूषण निर्मित करने का कार्य अत्यंत कलात्मकता, कुशलता व बारिकियों से परिपूर्ण है, जिसमें बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। इसी कारण स्वर्ण आभूषणों के निर्माण की मजदूरी दर अधिक होती है। वर्तमान में स्वर्ण आभूषणों की मजदूरी दर स्वर्ण के मूल्य का लगभग 10 प्रतिशत है।

तालिका क्र. - 1.3: चांदी के आभूषणों के निर्माण की मजदूरी दर का विवरण

क्र	आभूषण का नाम	मजदूरी की दर
1	कड़ी	2500 रु प्रति किलो ग्राम
2	टांवला	1500 रु प्रति किलो ग्राम
3	कमर कन्दोरा	2000 रु प्रति किलो ग्राम
4	अंगूठी	200 से 1000 प्रति नग
5	कड़े	200 से 1000 प्रति नग
6	चेन	500 से 1000 प्रति नग

(स्रोत - शोधार्थी द्वारा बाजार सर्वेक्षण के आधार पर)

तालिका की विवेचना - उपरोक्त तालिका क्रमांक 1.3 के अध्ययन से ज्ञात होता है कि रजत आभूषणों की मजदूरी की दर कम होती है। रजत के आभूषण अधिक वजन के होते हैं और मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग किये जाते हैं, इनमें कलात्मकता भी सीमित होती है, अतः रजत आभूषणों की मजदूरी की दर कम रहती है। रजत आभूषणों पर ली जाने वाली मजदूरी दर लगभग 3 से 5 प्रतिशत है।

शाजापुर जिले के स्वर्ण एवं रजत व्यापार में पूंजी विनियोजन का अध्ययन

- शाजापुर जिले के स्वर्ण एवं रजत व्यापार में प्रमुखतः दो प्रकार के लेन देन होते हैं। प्रथम स्वर्ण एवं रजत का क्रय-विक्रय तथा द्वितीय गिरवी का व्यवसाय। सामान्यतः अधिकांश व्यापारी स्वर्ण एवं रजत के क्रय-विक्रय का व्यापार करते हैं और कुछ व्यापारी स्वर्ण एवं रजत के क्रय-विक्रय के साथ-साथ गिरवी का लेन-देन भी करते हैं। इस व्यवसाय में पूंजी का विनियोजन व्यापार स्वामियों द्वारा ही किया जाता है।

स्वर्ण एवं रजत बाजार में मूल्यवान धातुओं, सोना एवं चांदी का व्यापार किये जाने से इन व्यापार की स्थापना में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। सोने एवं चांदी की आसमान छूती कीमतों के कारण छोटे आभूषण विक्रेताओं के लिए व्यवसाय करना दूभर हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में सोने और चांदी के मूल्य में बढ़ोतरी होने के कारण इन विक्रेताओं को व्यापार करने के लिए 100 फीसदी ज्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती रही है। अधिक पूंजी की जरूरत होने के कारण उनके लिए कारोबार करने की लागत बढ़ रही है। सामान्यतः आभूषण की छोटी सी दुकान खोलने के लिए कम से कम 1 किलोग्राम सोना और 10 किलोग्राम चांदी का माल होना आवश्यक है।

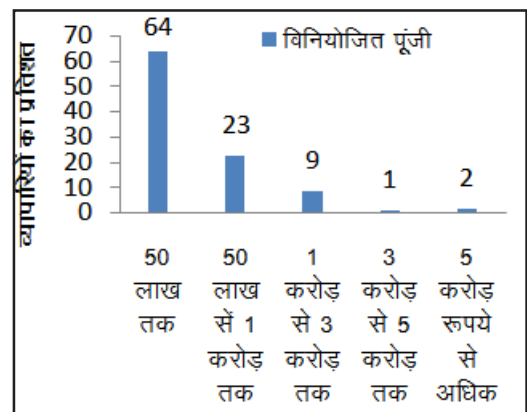
वर्ष 2015 में सोने का भाव करीब 26000/-रु. प्रति तौला और चांदी का भाव 37000/-रु. प्रति किलोग्राम था, इस हिसाब से उस समय करीब 30 लाख रुपए के निवेश से आभूषण की दुकान खोली जा सकती थी, लेकिन सोने के वर्तमान मूल्य 60,000/-रु. प्रति तौला और चांदी 75000/-रु. प्रति किलोग्राम है इस लिहाज से अब उसी आकार की दुकान खोलने के लिए लगभग 67 लाख रु. के निवेश की जरूरत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आभूषण की दुकान चलाने के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत लगभग दुगुनी हो गयी है। अतः सोना चांदी महंगा होने से आभूषण का कारोबार अब बड़े व्यापारियों के हाथ में सिमट रहा है।

तालिका क्रमांक - 1.4: शाजापुर जिले के सराफा बाजार में व्यापारियों द्वारा आभूषणों में विनियोजित पूंजी

विकल्प	विनियोजित पूंजी	प्रतिशत
अ.	50 लाख रुपये तक	64
ब.	50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक	23
स.	1 करोड़ से 3 करोड़ रुपये तक	9
द.	3 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक	1
इ.	5 करोड़ रुपये से अधिक	2

(स्रोत - शोधार्थी द्वारा बाजार सर्वेक्षण के आधार पर)

रेखाचित्र क्रमांक - 1.1 : शाजापुर जिले के सराफा बाजार में व्यापारियों की विनियोजित पूंजी



तालिका की विवेचना - उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि शाजापुर जिले के सराफा बाजार के कुल व्यापारियों में से अपने व्यापार में 50 लाख रुपये तक पूंजी विनियोजित करने वाले व्यापारी 64 प्रतिशत हैं, 50 लाख से 1 करोड़ तक पूंजी विनियोग करने वाले व्यापारी 23 प्रतिशत हैं, 1 करोड़ से 3 करोड़ तक पूंजी विनियोग करने वाले व्यापारी 9 प्रतिशत हैं, 3 करोड़ से 5 करोड़ तक पूंजी विनियोग करने वाले व्यापारी 1 प्रतिशत हैं तथा 5 करोड़ से अधिक पूंजी विनियोग करने वाले व्यापारी 2 प्रतिशत हैं।

शाजापुर जिले के सराफा बाजार में व्यापारियों के व्यवसाय के टर्नओवर का विवरण

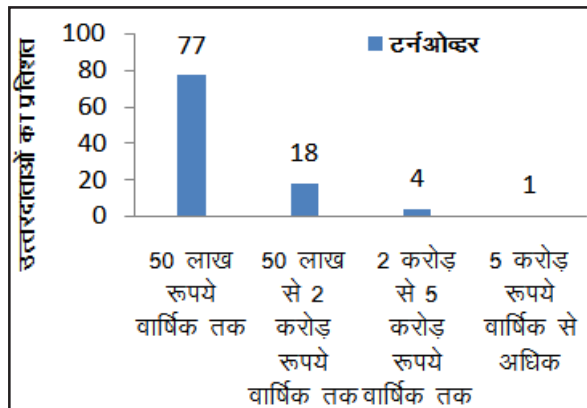
- शाजापुर जिले के स्वर्ण एवं रजत व्यवसाय में व्यापारियों द्वारा किये जाने वाले वार्षिक टर्नओवर का विवरण नीचे दी गयी तालिका में दर्शाया गया है. -

तालिका क्रमांक - 1.5, व्यवसाय का टर्नओवर

विकल्प	वार्षिक टर्नओवर	प्रतिशत
अ.	50 लाख रुपये वार्षिक तक	77
ब.	50 लाख से 2 करोड़ रुपये वार्षिक तक	18
स.	2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये वार्षिक तक	4
द.	5 करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक	1

(स्रोत - शोधार्थी द्वारा प्रश्नावली के माध्यम से संकलित समंक)

रेखाचित्र क्रमांक - 1.2, व्यवसाय का टर्नओवर



तालिका की विवेचना - उपरोक्त तालिका में व्यापारियों के टर्नओवर (कुल विक्रय) का अध्ययन किया गया है। तालिका के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि शाजापुर जिले के सराफा बाजार में 77 प्रतिशत व्यापारियों की कुल वार्षिक बिक्री 50 लाख रुपये वार्षिक तक है, 18 प्रतिशत

व्यापारियों की कुल वार्षिक बिक्री 50 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये वार्षिक तक है, 4 प्रतिशत व्यापारियों की कुल वार्षिक बिक्री 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये वार्षिक तक है और सिर्फ 1 प्रतिशत व्यापारियों की कुल वार्षिक बिक्री 5 करोड़ रुपये वार्षिक तक है।

शोध निष्कर्ष - शोध पत्र से यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश राज्य के मध्य में स्थित उज्जैन संभाग के जिले शाजापुर के सराफा बाजार का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इस जिले में बड़े पैमाने पर आभूषणों का निर्माण एवं विक्रय का कार्य किया जाता है। सराफा बाजार की इस जिले के निवासियों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका है। शोध पत्र से यह भी स्पष्ट है कि सराफा व्यापार स्थापित करने में बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। वर्तमान में स्वर्ण एवं रजत का मूल्य उच्चतम स्तर पर है जिससे इस प्रकार का व्यापार स्थापित करना मध्यमवर्गीय व्यक्ति या परिवार के लिए संभव नहीं है। शाजापुर जिले में भी अत्यधिक पूंजी की इसी आवश्यकता के कारण यह व्यापार जिले के बड़े पूंजीपतियों के आधिपत्य में है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यावसायिक अर्थशास्त्र - डॉ. जे.पी.मिश्रा
2. व्यावसायिक अध्ययन - डॉ. कुमावत एवं चौधरी
3. सांख्यिकी के सिद्धांत - डॉ. शुक्ल एवं सहाय
4. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला शाजापुर
5. प्रमुख समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ - दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नई दुनिया

दक्षिणी राजस्थान के अपवाह तंत्र का परिचयात्मक अध्ययन

हरिओम सिंह झाला*

* व्याख्याता, जे.आर.शर्मा.पी.जी.कॉलेज, फलासिया (राज.) भारत

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन क्षेत्र का चयन मुख्यतः मेवाड़ सन्दर्भ में ही किया गया है अर्थात् राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, भीलवाड़ा आदि जिलों की नदियों या अपवाह प्रणाली पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जायेगा।

बनास – मेवाड़ में बहने वाली प्रमुख नदियों में बनास का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस नदी के नाम का शाब्दिक अर्थ वनआशा अर्थात् वन की आशा और 'वर्णनाश या वंशनाश' के रूप में लिया जा सकता है। इसी नदी का निकास अरावली पहाड़ों में कुंभलगढ़ से दक्षिण-पश्चिम में 10 किमी. की दूरी पर 25°7' उत्तरांश में है तथा यह प्रथमतः 48 किमी तक दक्षिण पश्चिम की तरफ जर्गा की श्रेणी के समानान्तर रेखा पर बहती है। इसके पश्चात् यह एक बार पूर्व में मुड़कर पहाड़ के दक्षिण किनारे की तरफ घूमकर 8-9 किमी. पीछे पहाड़ी श्रेणी में होकर बहती है। करीब 32 किमी. तक इस पहाड़ी क्षेत्र में बहने के पश्चात् यह खुले मैदान में आ जाती है। इस प्रकार यह नदी कुंभलगढ़ से मेवाड़ के पठार अर्थात् गोगुन्दा के पठार तक दक्षिण की ओर बहती है, फिर अरावली पर्वत श्रेणियों को काटकर समकोण पर बहने लग जाती है और नाथद्वारा, राजसमन्द, कुरज, पहुना, हमीरगढ़ होती हुई भीलवाड़ा जिले के बिगोद व मांडलगढ़ के बीच बनास का बेड़च और मैनाली नदियों के साथ संगम होकर त्रिवेणी कहलाती है। 290 किमी. बहने के पश्चात् बनास नदी देवली के पास मेवाड़ राज्य को छोड़कर रामेश्वर के स्थान पर सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा के पास चम्बल में मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में बेड़च कोठारी, खारी, मैनाली विशेष उल्लेखनीय है। सब नदियां सीधी बहे उल्टी बहे बनास, अर्थात् बनास नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसकी घाटी के दोनों ओर उपजाऊ क्षेत्र है। यह नदी गर्मियों में प्रायः सूख जाती है किन्तु कई स्थानों पर खड्डों में पानी भरा रहता है। इस नदी में प्रायः चट्टान व बालू होने से पानी सतह के नीचे बहुत समय तक बहता है जो नदी के दोनों तरफ किनारों के कुओं में जाता है। नदी का उपरी भाग पहाड़ी होने के कारण अच्छी वर्षा प्राप्त करते हैं।¹

राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजेटियर, उदयपुर (1979) के अनुसार 'It flows through Rajsamand and Railmagratahsils...its total length in Udaipur district is about 243 km. It leaves the district near village Gilund (Railmagratahsil). Important villages on its banks in the district are khamnor, Kotharia, Kuraj, Nathdwara etc. Banas is not perennial but in the districts its bed is hard and rocky and water is long retained. The land lying on the banks is very fertile....'²

बेड़च – यह नदी गोगुन्दा की पहाड़ियों से निकलती है। इसका जल आवक

क्षेत्र 292.30 वर्ग किमी. है। निकास से 18.5 कि.मी. मदार गांव से बहने के पश्चात् यह थूर गांव में आती है और यहां से बड़गांव, बेदला, आहाड़ के पास होते हुए 16 कि.मी. पूर्वी दक्षिणी दिशा में बहती हुई उदयसागर में मिलने से पूर्व आहाड़ की नदी कहलाती है। 75.5 कि.मी. की दूरी तय करके यह नदी उदयसागर में मिलने के पश्चात् उदयसागर का नाला कहलाता है। इसके पश्चात् इसे बेड़च नाम से अभिहित किया जाता है। यहां से चित्तौड़ तक इसकी प्रवाह दिशा उत्तर-पूं. रहती है और 190 किमी. बहने के बाद बीगोद के पास बनास में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में सबसे पहले बड़ा नाला (गुमानिया वाला) उदयपुर में अलीपुरा के पास मिलता है तथा वांगली, वांगन, औराई आदि सभी सहायक नदियों इसमें दाहिनी ओर से मिलती हैं।³

राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजेटियर, उदयपुर (1979) के अनुसार as Udaipur-Ka- Nala, when it reaches the open country it is recognised as Berach and after flowing for about 93 km. in the north-easterly direction in the district it leaves its boundary near Akola village (Vallabh nagartahsil) and flows through Chittaurgarh and Bhilwara districts.....the important villages/towns situated on its banks in the district are Ahar, udaipur, Ayad, Vallabh nagar, Badgaon, Khempura, Akola and Gondri..... The chief tributaries of berach are the wangli, the Wagan, the Gomti and the Orail, all joining it on right side. The river retains water in its bed throughout the year in good rainfall and is liable to be flooded in the event of excessive rainfall. Some medium and minor irrigation projects such as Bagolia, Khartana (1968&75) and Vallabh nagar were constructed in its basin a few years back....."⁴

खारी – यह मेवाड़ की नदियों में सबसे उत्तर में है। उदयपुर जिले के सुदूर उत्तरी भाग में स्थित बिजराल गांव (वर्तमान राजसमंद जिला) के पास की पहाड़ियों से निकलकर राजसमन्द, देवगढ़ के पास से होती हुई अजमेर जिले एवं टोंक जिले में देवली के समीप बनास नदी (बनास एवं डाई से मिलकर त्रिवेणी संगम) से मिल जाती है। यह नदी अधिक लम्बी नहीं है। इसकी कुल लम्बाई 80 कि.मी. है। यह नदी उत्तर की ओर मेवाड़ राज्य को प्राकृतिक सीमा प्रदान करती है। इसके निकट खजूरी हुरड़ा, गुलाबपुरा आदि गांव स्थित हैं।⁵

वाकल – यह गोगुन्दा के पश्चिम की पहाड़ियों से गौरा नामक गांव के निकट से निकलती है और करीब 80 किमी. दक्षिण में ओगणा और मानपुर के

निकट बहती हुई उत्तर-पश्चिम में मुड़कर कोटड़ा की छावनी के पास पहुंचती है। वहां से 8 किमी. तक पश्चिम की ओर बहती हुई, ईडर राज्य में साबरमती में मिल जाती है। इसकी सहायक मानसी (उदयपुर जिले में बहने वाली नदी) ओगणा के पास इसमें मिल जाती है।⁶ इस नदी में पर्याप्त पानी रहा है। राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजेटियर, उदयपुर (1979) के अनुसार '... It rises in the hills near Ghora village in Gogundatahsil and flowing past Oghna and Manpur it reaches Kotra and turns towards the west. After flowing for about 112 km. in the district, it leaves the boundary near village GauPipli and enters Gujarat State. Raghogarh, Oghna, Panrawa and Kotra are the important villages situated on its banks..'⁷

सोम - यह नदी ऋषभदेव के पास बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बीचाबेरा के निकट उदयपुर के नैऋत्य की पहाड़ियों (मेवाड़ के दक्षिण-पश्चिम भाग) से निकलती है तथा जयसमुद्र के निकास का पानी सोम नदी में जाता है जो वहां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, फिर वह दक्षिण की ओर बबराना (भबराना) गांव के पास मुड़कर माही नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां जाखम, गोमती और सारनी हैं।⁸ राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजेटियर, उदयपुर (1979) के अनुसार '.....rising in the hills near som village in Kotratahsil of the district, the river flows through hilly tracts in south-easterly direction and joins the Mahi near village Baneshwar. Its total length in the district is about 138 km. The important villages situated on its banks are Lauhariya, Limboda, Bhabrana, Aspura, Kandla, Deopura and Jawas. It leaves the district near village Debta (Salumbartahsil). It is a perennial river and its chief tributaries are the Gomti and the Jakham.....'⁹

जाखम - जाखम नदी प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में अवस्थित भंवरमाता की पहाड़ियों से निकलती है। वहां से धरियावाड़ में प्रवाहित होती हुई प्रतापगढ़ जिले से निकलकर आसपुरा तहसील डूंगरपुर में प्रवेश करती है और वहां के नोरावल बिलूरा गांव में सोम नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी पर जाखनिया के समीप राजस्थान का सबसे ऊँचा (81 मी.) का जाखम बांध निर्मित है। यह नदी पहाड़ों में सबसे तीव्र गति से बहने वाली नदी है।¹⁰

जाखम नदी के संदर्भ में भी ज्ञातव्य होता है कि राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजेटियर, उदयपुर (1979) के अनुसार '....has its origin in the hills sout-west of Chhoti Sadri in Chitaurgarh district. The river enters the Udaipur district near village Naglia and after flowing for about 34 km. through the hilly tracts, joins the som near village DeolaKalan in Lasadiatahsil. It flows for about 109 km. in the district and important villages situated on its banks are Deola, Nima-ka-Khera, Dhariyawad, Karmal and Manpura. Sukli and Karmai are its chief tributaries. The river is prone to floods due to steep slope of its bed....'¹¹

उपरोक्त प्रमुख नदियों के अलावा मेवाड़ में कई छोटी नदियां अथवा बड़े नाले जिन्हें लोक भाषा में बाला या वाला कहते हैं, बरसाती जल लेकर प्रमुख नदियों में मिलकर उनके जल प्रवाह को तीव्रता प्रदान करते रहे हैं जैसे साई नदी अरावली के पश्चिम से निकलकर 80 किमी. उदयपुर में बहने के पश्चात् गुजरात में जाकर साबरमती के साथ मिल जाती है। इसी भांति आबू एवं उदयपुर के मध्य अरावली पहाड़ियों से साबरमती निकल कर उदयपुर

जिले में कोई 44 किमी. बहने के पश्चात् कोटड़ा गांव के पास वाकल में मिल जाती है।¹² राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजेटियर, उदयपुर (1979) के अनुसार '...Sabarmati river originates from the western slopes of the Aravalli ranges between Udaipur and Abu. It flows for about 44 km. in the district and leaves its boundary near village Kotra and enters Gujarat State. Its chief tributary in Udaipur district is the Wakal which joins it near village Kotra. Seiriver, originates from the western slopes of the Aravalli range and flows for nearly 80 km. through Udaipur district before it joins the Sabarmati in Gujarat state near village Dother. In rainy season there is no approach to the tracts through which the river flows. The river is prone to floods during good rainfall.....'¹³

सरनी नदी के किनारे सलूम्बर बसा हुआ है। इस नदी का प्रारम्भ पहाड़ी नाले कदमाल व बेडावच के आकर मिलने से होता है। इन नालों को बूढ़ी नदी (कदमाल का नाला) व लोडावारी नदी कहा जाता है। सलूम्बर के सेलिंग तालाब में गोमती नदी से निकला हुआ खेराड़ का नाला आकर गिरता है जिसे 'भई का नाला' भी कहते हैं। सेलिंगतालाब से निकला नाला सरनी नदी में मिल जाता है और सरनी सोम नदी में मिल जाती है। सलूम्बर की ओर बहने वाली गोमती नदी व झामरी नदी बरसाती बड़ी नदियां हैं।¹⁴

जयसमुद्र प्रशस्ति केवल गोमती नदी के बारे में बतलाती है कि दो पहाड़ियों के बीच इस नदी को जयसमुद्र में बांधा गया है। जबकि इतिहासकार गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने गोमती, झामरी, रुपारेल और बगारी नामक चार छोटी नदियों को बांधना लिखा है। मेवाड़ में एक कहावत प्रचलित है कि 'नौ नदियां और निन्यानवे बाले' जयसमंद में गिरते हैं। अतः स्पष्ट है कि गोमती, झामरी, चीरोली, रुपारेल और बगार जयसमुद्र को जलापूरित करने वाली नदियां हैं तो गोमती, ताल व केलवा नदी के साथ साथ कई छोटे मोटे नाले राजसमुद्र को भरने वाले रहे हैं।¹⁵

फुलवारी की नाल का पहाड़ी क्षेत्र कई नदी व नालों का उद्गम स्थल भी है। मांसी (मानसी) वाकल, सोम व वाकल नदियां जिन पर सोमकादगर बांध व गुजरात में दारोई बांध बनाया गया है भी यहीं से निकलती हैं। इसके अलावा अभयारण्य के उमरिया ब्लॉक में सिंचाई विभाग ने महदी बांध का निर्माण किया है। अभयारण्य में कुछ नाले भी बहते हैं जिनमें देव नाला, भीमतलाई, चूना का पानी, भागीबेन, लंगोटिया, रीछीदरा, देवका पानी आदि प्रमुख हैं।¹⁶ इस प्रकार दक्षिणी राजस्थान का अपवाह तंत्र विशालता और विविधता लिए हुए हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. कविराजा श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-1, पृ. 110, महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन ट्रस्ट, सिटी पेलेस, उदयपुर एवं राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 2015 ; ओझा गौरीशंकर हीराचंद, उदयपुर राज्य का इतिहास भाग- पृ. 4 राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 2015 ; ओझा प्रियदर्शी, पश्चिमी भारत में जल प्रबंधन, पृ. 57 ; भट्टाचार्य ए. एन. हुयुमन ज्योग्राफी ऑफ मेवाड़, पृ. 13.
2. अग्रवाल, बी.डी., राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजेटियर्स, उदयपुर (भारत का गजेटियर राजस्थान। उदयपुर), पृ. 8
3. राणावत ईश्वर सिंह, राजस्थान के जल संसाधन, पृ. 23-24
4. Agarawal, B.D., Rajasthan District Gazetteers, Udaipur (Gazetteer of India Rajasthan, Udaipur), P. 8, Govern-

- ment of Rajasthan, Jaipur, 1979
5. कविराजा श्यामलदास, वीर-विनोद, भाग- 1, पृ. 111 ; दीपा कँवर राणावत, हेमचन्द्र सिंह सारंगदेवोत, उदयपुर एवं जोधपुर जिलों में मानव संसाधन विकास और भौगोलिक पक्ष (20वीं-21वीं शताब्दी के संदर्भ में) पृ. 61, मेवाड़ श्री प्रकाशन, चित्तौड़गढ़ एवं नई दिल्ली, 2022 ; राजस्थान पत्रिका, अक्टूबर 12. 1990 ई. पृ. 4 पर अशोक माहेश्वरी ने इस नदी का उद्गम स्थल राजसमंद जिले की भीम तहसील का भीमाखेड़ा बताया है,
 6. ओझा गौरीशंकर हीराचंद, उदयपुर राज्य का इतिहास भाग- 1, पृ. 4
 7. अग्रवाल, बी.डी., राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, उदयपुर (भारत का गजेटियर राजस्थान। उदयपुर), पृ. 9
 8. ओझा गौरीशंकर हीराचंद, उदयपुर राज्य का इतिहास भाग- 1, पृ. 4
 9. अग्रवाल, बी.डी., राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, उदयपुर (भारत का गजेटियर राजस्थान। उदयपुर), पृ. 9- 10
 10. दीपा कँवर राणावत, हेमचन्द्र सिंह सारंगदेवोत, उदयपुर एवं जोधपुर जिलों में मानव संसाधन विकास और भौगोलिक पक्ष (20वीं-21वीं शताब्दी के संदर्भ में), पृ. 62-63
 11. अग्रवाल, बी.डी., राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, उदयपुर (भारत का गजेटियर राजस्थान। उदयपुर), पृ. 10
 12. राणावत ईश्वर सिंह, राजस्थान के जल संसाधन, पृ. 29
 13. अग्रवाल, बी.डी., राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, उदयपुर (भारत का गजेटियर राजस्थान। उदयपुर), पृ. 10
 14. भंडारी विमला, सलुम्बर का इतिहास, पृ. 5-6, अनुपम प्रकाशन, सलुम्बर, 2000
 15. ओझा प्रियदर्शी, पश्चिमी भारत में जल प्रबंधन, पृ. 113, 116, 121
 16. गुप्ता मोहन लाल, राजस्थान में वन एवं वन्य जीवन, पृ. 199-200

मेवाड़ के वीर पिता का वीर पुत्र महाराणा अमर सिंह प्रथम

खुशबु झाला*

* छात्रा (इतिहास) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – उक्त लेख में राजस्थान के मेवाड़ अंचल के बैकुंठ महाराणा अमर सिंह प्रथम के जीवन की क्रमिक घटनाओं को प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया है। महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र एवं मेवाड़ राज्य के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने 19 जनवरी 1597 से 26 जनवरी 1620 तक मेवाड़ राज्य पर शासन किया। अपने राज्याभिषेक से पूर्व एवं पश्चात उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और अंत में परिस्थितियों से विवश होकर, निरंतर मुगल आक्रमणों द्वारा प्रजा व सरदारों की दयनीय स्थिति देख व मेवाड़ की कमजोर आर्थिक स्थिति, संसाधनों की कमी आदि ध्यान में रख प्रजा हित को स्वाभिमान से ऊपर रख 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर से संधि की जिसे मेवाड़ मुगल संधि कहा जाता है। इस संधि के पश्चात शताब्दी से चले आ रहे हैं दीर्घकालिक संघर्ष का अंत हुआ। परंतु इस संधि के बाद महाराणा अमर सिंह का जीवन आत्मग्लानि में डूब गया तथा उन्होंने राजकार्य अपने ज्येष्ठ पुत्र कुंवर कर्ण सिंह को सौंप कर अपना जीवन एकलिंग नाथ की आराधना करते हुए एकांतवास में व्यतीत किया।

शब्द कुंजी – प्रकाश, आक्रमण, संधि, हित, स्वाभिमान।



छायाचित्र - 01

प्रस्तावना – महाराणा अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 को महाराणा प्रताप की रानी अजबदे पंवार के गर्भ से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ। उस समय मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे जो प्रताप के पिता व अमर सिंह के दाता हुकुम थे। अमरसिंह के जन्म से प्रसन्न होकर उदय सिंह अपने परिवार के साथ एकलिंग नाथ के दर्शन करने पहुंचे। गिरवा में प्रवेश कर महाराणा ने आहड़ नगर में पड़ाव डाला व एकलिंग नाथ के दर्शन किए तथा इस शुभ अवसर पर ही मेवाड़ की नई राजधानी बेड़च नदी के किनारे उदयपुर नगर की स्थापना की एवं उदयपुर के क्रमिक विकास के साथ ही प्रताप व उनकी मृत्यु के पश्चात अमर सिंह प्रथम ने यहां से मेवाड़ का राज कार्य संभाला।

युवराज के रूप में अमर सिंह – अमर सिंह को बचपन में प्रेम से 'अमरा' कह कर पुकारा जाता था। अमर सिंह ने अल्पायु में ही अपने पिता के साथ पहाड़ों में रहते हुए शस्त्र विद्या, गुरिल्ला युद्ध (छापामार) पद्धति आदि कौशल आत्मसात कर लिए जिसका कुशल प्रयोग अमर सिंह द्वारा निरंतर मुगलों द्वारा किए 17 आक्रमणों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में किया गया।

दिवेर का युद्ध – महाराणा प्रताप द्वारा मुगलों को कुंभलगढ़ युद्ध का प्रत्युत्तर देने हेतु – 1582 दशहरे के दिन राणा की सेना दिवेर के शाही मोर्चे पर आक्रमण कर देती है जिसका थानाधिकारी सुल्तान खान नामक मुगल था। राजपूत व मुगलों की सेना में युद्ध होता है तथा महाराणा की सेना विजय होती है व मुगल पराजित होते हैं।



छायाचित्र - 02

अमरकाव्यम व राज प्रशस्ति के अनुसार कुंवर अमर सिंह सुल्तान खान नामक मुगल सेनापति पर भाले से प्रहार करते हैं तथा एक ही प्रहार में भाले को सुल्तान खान सहित घोड़े के आर-पार निकाल देते हैं। युद्ध समाप्त होता है तथा प्रताप युद्ध भूमि में घायलों का जायजा ले रहे थे तो वह गंभीर रूप से घायल सुल्तान खान के निकट जाकर उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं व घायल सुल्तान खान भाला मारने वाले युवक को देखने की इच्छा प्रकट करता है किंतु अमर सिंह उस समय मोर्चे से दूर थे व सुल्तान खान की बिगड़ती परिस्थिति देख महाराणा निकट खड़े सैनिक का परिचय भाला मारने वाले युवक के रूप में कराते हैं। सुल्तान खान हाव भाव से स्पष्ट करता है कि उसने प्रहार करने वाले युवक की आंखों को देखा था अतः वास्तविक युवक

को लाया जाए जिसने मुझ सुल्तान खान पर इतनी वीरता से प्रहार किया। अतः तत्काल अमर सिंह को बुलवाया गया तथा प्रताप ने अमर सिंह का परिचय सुल्तान खान से कराया। अमर सिंह को देखते ही खान के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आए तथा उसने कहा तुम सच में योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। सुल्तान खान ने जल मांगा तुरंत गंगाजल का प्रबंध किया गया किंतु सुल्तान खान भयंकर घायल होने के बाद भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अतः प्रताप ने अमर सिंह को भाला शरीर से निकालने कहा किंतु भाला नहीं निकला तब अमर सिंह ने सुल्तान खान के दोनों पैरों पर खड़े होकर दोनों हाथों से भाला खींचते हैं तब भाला निकलता है और सुल्तान खान की मृत्यु हो जाती है।



छायाचित्र -03

दिवेर का युद्ध जिसे टॉड ने 'मेवाड़ का मैराथन' की संज्ञा दी है, अमर सिंह की अप्रतिम वीरता का युद्ध है किंतु इतिहास की विडंबना देखिए हल्दीघाटी के बारे में लिखने में हम इस तरह खो गए कि हम दिवेर भूल गए। यदि दिवेर लिखा जाता है तो इससे साबित होता है कि इसमें प्रताप की विजय हुई, इस युद्ध में सेनापति अमर सिंह थे जिन्होंने अपने अपूर्व शौर्य व वीरता का परिचय दिया जिसकी वजह से इस युद्ध में मुगलों की पराजय हुई।

शेरपुर मोर्चे पर आक्रमण (1580) – अब्दुरहीम खानखाना को अजमेर का सूबेदार नियुक्त किया गया तथा खानखाना मेवाड़ अभियान हेतु शेरपुर पहुंचे। जब तक शेष मुगल सेना खानखाना से आकर मिलती उससे पूर्व ही कुंवर अमर सिंह ने शेरपुर मोर्चे पर आक्रमण कर खानखाना के परिवार को बंदी बना लिया जिसमें स्त्रियां भी शामिल थी किंतु जब महाराणा प्रताप को मूल घटना की जानकारी हुई उन्होंने अमर सिंह को अपनी भूल समझाई व अमर सिंह ने महिलाओं से क्षमा मांगी। महाराणा ने महिलाओं से कहा आप सभी मेरी बहन बेटी के समान हैं तथा मेरे पुत्र से भूल हुई, पुनः इसे नहीं दोहराया जायेगा। महिलाओं को ससम्मान खानखाना के मोर्चे पर पहुंचाया गया अमर सिंह द्वारा खानखाना को पत्र लिखा गया व खानखाना से क्षमा मांगी गयी। यह घटना खानखाना हेतु अविस्मरणीय थी तथा उस दिन से खानखाना मेवाड़ की स्वतंत्रता के पक्षधर हुए व कुंवर अमर सिंह के मित्र बने। मित्रता के इसी क्रम में आगे महाराणा अमर सिंह मेवाड़ की दयनीय स्थिति में खानखाना से मार्गदर्शन करने को कहते हैं।

अमर सिंह का राज्याभिषेक – 19 जनवरी 1597 को कुंवर अमर सिंह प्रथम का राज्याभिषेक चावंड में हुआ 19 जनवरी 1597 से 26 जनवरी 1620 तक महाराणा अमर सिंह ने मेवाड़ पर शासन किया। महाराणा अमर सिंह के राज्याभिषेक के 2 वर्ष पश्चात ही निरंतर मुगल आक्रमणों का दौर शुरू हो गया।

महाराणा द्वारा कार्य

1. सैन्य व्यवस्था संचालन हेतु विभाग संचालक हरिदास झाला।
2. लोगों को कर माफी जमीन देखकर आर्थिक सहायता।
3. गोविन्दलाल श्रीमाली लिखते हैं महाराणा अमर सिंह के रायपुरिया ताम्रपत्र से विक्रम संवत् 1656 ज्येष्ठ सुदी को दुरसा आढा व उनके पुत्रों को गोडवाल गांव का दान।
4. गोविन्दलाल श्रीमाली लिखते हैं जैन अभिलेख – 14 अगस्त 1602 ई पाली से राणा अमर सिंह द्वारा मेहता नारायण को जिनके पूर्वज सिवाना की लड़ाई में मारे गए थे कृपा पूर्वक गांव दान किया गया व महावीर की पूजा हेतु एक अरहत भी उपहार किया।

महाराणा अमर सिंह के समय मुगल अभियान

1599 सलीम का अभियान—मुगल सम्राट अकबर द्वारा शहजादे सलीम को मेवाड़ अभियान पर भेजा गया व अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ी सेना छापामार युद्ध करती हैं जो पहाड़ों से निकल आक्रमण कर पुनः पहाड़ों में लौट जाती किंतु मुगल सेना मेवाड़ के भौगोलिक परिवेश से परिचित न होने के कारण हार का सामना करती है तथा परेशान हो वापस लौट जाती है।

1603 पुनः सलीम का अभियान –पुनः सलीम को अभियान पर भेजा जाता है इस बार शहजादा सम्राट के विरुद्ध विद्रोही मानसिकता के कारण फतेहपुर सीकरी से आगे नहीं बढ़ता है व अकबर शहजादे को पुनः इलाहबाद लौटने का आदेश देता है तथा अभियान असफल हो जाता है।

1605 परवेज का अभियान –इस समय तक अकबर की मृत्यु हो जाती है व शहजादा सलीम जहांगीर नाम से मुगल सम्राट बनता है। अपने पिता अकबर के समय वह मेवाड़ अभियान को टालता रहा, किंतु शासक बनने के बाद उसने अपनी संपूर्ण शक्ति व संसाधनों को मेवाड़ को अधिकार में लाने में लगा दिया। जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र परवेज को 1605 में 20000 अश्वारोहियों वाली सेना के साथ मेवाड़ पर अधिकार हेतु भेजा। इसके साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि महाराणा व उनके पुत्र संधि करना स्वीकार करें तो उनके मुल्क को नष्ट मत करना।

कविराजा श्यामलदास के अनुसार महाराणा अमर सिंह को मुगल आक्रमण की सूचना मिलते ही उन्होंने स्वभूमि विध्वंस की नीति अपनाई व खेतों को उजाड़ दिया ताकि मुगलों को खाद्य सामग्री उपलब्ध न हो। जब परवेज उंटाला आधुनिक वल्लभनगर की ओर बढ़ रहा था तो मेवाड़ की सेवा ने आक्रमण कर मुगल सेना को क्षति पहुंचाई। मुगल सेना पराजित हुई व सेना को वापस बुला लिया गया।

1608 महावत खान का अभियान – महावत खान को 80 तोपे देकर महाराणा को परास्त करने हेतु भेजा गया। खान की सेना ने मेवाड़ में कई स्थानों पर चौकिया स्थापित की और मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बना ही रहे थे इसी मध्य मेघ सिंह नामक योद्धा ने पहाड़ों से निकल 500 राजपूत साथियों के साथ रात्रि में मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। मुगल सेना को बड़ी क्षति हुई तथा महावत खान जैसे सेनापति को अपनी जान बचा सेना के साथ भागना पड़ा।

1609 अब्दुल्ला खान का अभियान – मुगलों ने अपने प्रयास नए सिरे से शुरू किए व अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में अभियान भेजा। किंतु इसमें भी मुगल सेना को कोई सफलता नहीं मिली पहाड़ी इलाकों में जब अवसर मिले राजपूत सैनिक टुकड़ियों ने मुगल मोर्चे पर आक्रमण किया व महाराणा अमर सिंह ने अपना वर्चस्व कायम रखा। जहांगीर को खान को वापस बुलाने पर मजबूर होना पड़ा।

1612 राजा बसु का अभियान—अब राजा बसु के मनसब में वृद्धि कर उन्हें मेवाड़ पर अधिकार हेतु भेजा गया। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि बसु को मेवाड़ में असफलता का ही सामना करना पड़ा क्योंकि समकालीन फारसी इतिहास एवं तुजुक-ए-जहांगीरी में उनके युद्धों का कोई इतिहास नहीं मिलता।

1613 मिर्जा अजीज कोका का अभियान—पुनः मिर्जा अजीज कोका को भेजा गया पर इस बार भी इतिहास की पुनरावृत्ति ही हुई और कोका को सफलता नहीं मिली।

1615 खुर्रम का अभियान—मेवाड़ में निरंतर मुगल अभियान की असफलता को देख जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम के नेतृत्व में विशाल सेना मेवाड़ पर आक्रमण हेतु भेजी। गोपीनाथ शर्मा के शब्दों में खुर्रम ने मेवाड़ को पूरी तरह घेरने की योजना बना महाराणा अमर सिंह को चावंड के पहाड़ों में घेर लिया तथा उन मुगल स्थान पर पुनः अधिकार कर लिया जो पिछले अभियानों में मुगलों के हाथ से निकल गए थे। राजपूतों ने भी बड़े साहस से स्थिति का मुकाबला किया किंतु निरंतर दीर्घकालिक संघर्ष के कारण मेवाड़ की आर्थिक व प्रशासनिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं स्वभूमि विध्वंस की नीति जो मुगलों के विरुद्ध थी उससे अब मेवाड़ की प्रजा की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तथा महाराणा की प्रजा सरदार सेना आदि शांति की मांग करने लगे।

अपनों की बिगड़ी स्थिति ने महाराणा अमर सिंह को धर्म संकट में डाल दिया तथा महाराणा ने अपने पुराने मित्र अब्दुरहीम खानखाना से मार्गदर्शन चाहा। कविराजा श्यामलदास दास के अनुसार खानखाना ने जवाब इस प्रकार दिया।

धरहसी रहसी धरम, खप जासी खुरसान।

अमर विश्वंभर ऊपरा, राखो निहचो राणा॥

अर्थ—जमीन और ईमान रहेगा और खुरासानी लोग अर्थात् मुगल नष्ट हो जाएंगे। ऐ राणा अमर सिंह! आप इस दुनिया के पालने वाले पर भरोसा रखें अर्थात् हीनता के आराम से इज्जत की तकलीफ अच्छी है।

परिस्थितियां—कवि राजा श्यामल दास लिखते हैं कि खानखाना के संदेश के बाद कुछ लड़ाइयां और लड़ी गई पर अब राजपूती सरदारों ने मिलकर महाराणा अमर सिंह के पुत्र कुंवर करण सिंह से सलाह मांगी कि अब क्या करना चाहिए सरदारों ने कहा एक एक घराने की चार-चार पीढ़ियां शहीद हो गईं, खाद्यान्न कमी के कारण गुलर के फल खाकर दिन काटने पड़ रहे हैं, मेवाड़ी राजपूतों के बाल बच्चे व स्त्रियां युद्ध के बाद मुगल सैनिकों के हाथों में पड़ने से शोषित होते हैं मेवाड़ किसी भी परिस्थिति में और आक्रमण सहने को तैयार नहीं है अतः कुंवर कर्ण सिंह को महाराणा अमर सिंह के समक्ष शांति संधि का विचार रखने को कहा गया इस पर कुंवर कर्ण सिंह ने उत्तर दिया मैं आप लोगों एवम् मेवाड़ की स्थिति से परिचित हूँ किंतु दाजीराज अर्थात् महाराणा प्रताप के ताने को जो उन्होंने बादशाह के अधीनस्थ बनने के विषय में अमर सिंह को युवराज काल में दिया था याद कर कदापि संधि नहीं चाहेंगे। सरदारों के पुनः अर्ज करने पर कुंवर कर्ण सिंह ने सुझाव दिया कि महाराणा को सूचित किए बिना ही संधि प्रस्ताव मुगल खेमे में भिजवा दिया जाए क्योंकि कर्ण सिंह नहीं चाहते थे कि महाराणा के संधि प्रस्ताव न रखने पर मेवाड़ के सरदार बगावत न कर दे तुरंत प्रभाव से संधि प्रस्ताव खुर्रम के मोर्चे पर भिजवाया गया और मुगल शहजादे ने सम्राट के पूर्व निर्देशानुसार संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

संधि प्रस्ताव की सूचना महाराणा को कवि राजा श्यामल दास के

अनुसार कुंवर कर्ण सिंह ने सरदारों संग महाराणा समक्ष उपस्थित होकर महाराणा को परिस्थितियों से अवगत करा संधि प्रस्ताव संबंधित हाल अर्ज किया। इसे सुनने के पश्चात महाराणा शांत रहे किंतु उनके चेहरे पर उदासी छा गई कुछ समय पश्चात महाराणा ने उत्तर दिया दाजीराज का ताना सहन करने का इरादा मेरा नहीं था किंतु ईश्वर ने आंख से दिखाया। अब जब सभी सरदारों व प्रजा की यही मर्जी है तो मुझे यह सहना पड़ेगा। महाराणा द्वारा कहे उक्त शब्दों से महाराणा की स्थिति की समझ व प्रजा हित की भावना की झलक दिखती है इस तरह निराशा के बाद पेशवाई कर शाही फरमान मान लिया गया।

मेवाड़ मुगल संधि शर्तें:

1. स्वयं महाराणा खुर्रम से मुलाकात करेंगे और कुंवर कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होंगे।
2. महाराणा को अन्य राजाओं की तरह मुगल दरबार की सेवा श्रेणी में शामिल होना होगा परंतु राणा को दरबार में उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा।
3. 1500 घुड़सवारों की टुकड़ी मुगल सेवा में सम्मिलित होगी।
4. कुंवर कर्ण सिंह को 5000 जात व 5000 सवार का मनसब प्रदान किया जाएगा।
5. चित्तौड़ लौटा दिया जाएगा परंतु किले की मरम्मत नहीं करवाई जा सकती।

कविराजा श्यामलदास के अनुसार उक्त संधि में मेवाड़ की और से हरिदास झाला व शुभकरण को संधि वार्ता हेतु भेजा गया था। खुर्रम द्वारा इनका स्वागत किया गया व मुगल अधिकारियों शुक्रल्लाह एवं सुन्दरदास के संघ जहांगीर के समक्ष अजमेर भेजा गया।

इस संधि द्वारा वर्षों से चल रहे दीर्घकालिक संघर्ष का अंत हुआ अपनी क्षमता से कई गुना बड़ी संसाधनों से युक्त मुगल सेना से मुकाबला करना आसान नहीं था शक्तिशाली मुगलों के सामने अपने सीमित संसाधनों व सीमित सेना के साथ अरावली पर्वतमालाओं के बीच उन्होंने बार-बार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जब वर्षों के बाद उनके सभी संसाधन समाप्त हो गए तो उन्हें सरदारों की जिद व प्रजा की स्थिति के कारण शांति संधि करनी पड़ी यह संधि एक तरफा कभी नहीं थी क्योंकि मुगलों ने भी संधि के लिए पहल की थी व मुगल स्वयं दीर्घकाल से चले आ रहे संघर्ष का अंत चाहते थे।

महाराणा अमर सिंह का आखिरी समय—बिना मन से की गई मेवाड़ मुगल संधि के बाद महाराणा अमर सिंह का मन विचलित रहने लगा। उन्हें महाराणा प्रताप द्वारा अमर सिंह के युवराज काल में कहा ताना याद कर आत्मग्लानि होने लगी। कविराजा श्यामल दास लिखते हैं कि—अपने युवराज काल के दौरान जब अमर सिंह अपने पिता महाराणा प्रताप के साथ पहाड़ पर झोपड़ी में निवास कर रहे थे। इस दौरान रात्रि में वर्षा के कारण वर्षा का पानी झोपड़ी में गिरने लगा तब मेवाड़ की कुंवरांनी ने अमर सिंह से कहा हम इस दुख से कभी पार उतरेंगे या नहीं? कुंवर अमर सिंह ने जवाब दिया कि हम क्या करें दाजीराज के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। प्रताप निकट की झोपड़ी में विश्राम कर रहे थे, उन्होंने कुंवर कुंवरांनी की बातें सुनी व सवेरे सभी सरदारों को इकट्ठा कर कहा है सरदार लोगों में अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे बाद में कुंवर अमर सिंह जो दिल से आराम चाहता है कभी तकलीफ नहीं उठायेगा और मुसलमान बादशाहों की खिलत पहनेगा। हमारे बेदाग वंश को अपने आराम के लिए दाग लगवायेगा। यह बात कुंवर के दिल पर

लगी वह बहुत लज्जित हुए लेकिन अपने पिता के सामने कुछ कह नहीं सके व निश्चय किया कि वह कभी बादशाह के आज्ञाकारी नहीं बनेंगे किंतु परिस्थितियों कुछ ऐसी बनी कि उन्हें प्रजा हित को स्वाभिमान व इच्छा से ऊपर रखना पड़ा।

एकांतवास – संधि के बाद राणा अमर सिंह ने अपनी सत्ता अपने पुत्र कुंवरकर्ण सिंह को सौंप कर स्वयं एकलिंग नाथ की अराधना करते हुए अगले 5 वर्ष महासतिया आहड़ के किनारे एकांत जीवन व्यतीत किया। जहां 26 जनवरी 1620 को महाराणा अमर सिंह का देहावसान हो गया। जहां इनका प्रथम स्मारक बना है।

अमर सिंह का व्यक्तित्व—गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक में लिखा है कि – डॉ. ओझा लिखते हैं अमर सिंह वीर पिता का वीर पुत्र था। उपयुक्त लेख का शीर्षक डॉ. ओझा के विचारों से ही प्रेरित हैं, कर्नल जेम्स टॉड लिखते हैं सभी वक्तव्य राणा अमर जैसे चरित्र पर बहुत ही कम है, उनके पास एक नायक के सभी शारीरिक गुणों के साथ मानसिक गुण भी थे। वह मेवाड़ के सभी राजकुमारों में सबसे लंबे एवम् मजबूत थे वह अपने वंश के अन्य महाराणा की तरह अति सुंदर नहीं थे, उसके उलट वे सांवले रूपशाली थे। वह इतने वैधानिक थे कि जब सामंतों ने संधि का प्रस्ताव रखा तो उसको स्वीकृति दी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अपमान को स्वीकार किया व राज्यहित को प्राथमिकता दी। उदारता, पराक्रम, न्याय व दयालुता के कारण अपनी प्रजा के प्रिय थे।

निष्कर्ष – महाराणा अमर सिंह ने अपने जीवन में मुगलों के विरुद्ध 17 युद्ध लड़े एवं सभी में विजय प्राप्त की व मुगलों को तमाम युद्ध में पराजित किया। अतः यह बिना किसी शंका के कहा जा सकता है कि अमर सिंह मेवाड़ के इतिहास में महान वीर योद्धा हैं किंतु महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व इतना विराट हो गया की अमर सिंह छुप गया। इसलिए अमर सिंह का व्यक्तित्व उतना उजागर नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। अमर सिंह के बारे में उतना नहीं लिखा गया जितना लिखा जा सकता है या लिखा जाना चाहिए। अमर सिंह की अतुलनीय प्रतिभा देखने को मिलती है चाहे वह दिवेर का युद्ध हो या मांडलगढ़, उनमें एक वीर योद्धा के साथ ही संधि के दौरान सरदारों व प्रजा के प्रति उदारता व न्याय के भाव भी मौजूद थे। जो की राजतंत्रीय शासन के दौर प्रजाकल्याण को सर्वोपरि रखने का एक अनुपम उदाहरण है। यह कहा जा सकता है कि मेवाड़ का इतिहास अमर सिंह की शौर्य गाथा उनके द्वारा लड़े गए युद्धों एवम् अनगिनत लड़ाइयों के बिना अधूरा है।

इतिहासकार भले ही अपने लेखन में महाराणा अमर सिंह को वह स्थान देने में पुर्णरूपेण सफल नहीं हो पाए हो परन्तु मेवाड़ के इतिहास में महाराणा के शौर्य, बलिदान एवं समर्पण की छाप अमिट रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, गोपीनाथ, 'राजस्थान इतिहास के स्रोत पुरातत्व भाग प्रथम' (1671), पृष्ठ. स.335-342
2. दधवाडीया, श्यामलदास, 'वीर विनोद प्रथम खंड (1986), पृष्ठ.स.432,460-463
3. टॉड, जेम्स, 'एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान भाग 1' (1997), पृष्ठ.स.276-278
4. शर्मा, नारायणलाल, 'महाराणा उदय सिंह (2009), पृष्ठ.स. 276, 278
5. श्रीमाली, गोविंदलाल, 'राजस्थान के अभिलेख भाग 2' पृष्ठ.स. 358-359
6. गुप्ता, कृष्णस्वरूप, 'मेवाड़ इतिहास के अविस्मरणीय प्रसंग' (2021), पृष्ठ.स.93,94
7. गुप्ता, के, एस, और औझा, जे, के, 'राजस्थान का इतिहास एक सर्वेक्षण आरंभिक काल से 1956 ई. तक' (2019), पृष्ठ.स.149-152
8. चन्द्र, सतीश, 'मध्यकालीन भारत सल्तनत से मुगल काल तक' (2019), पृष्ठ.स.120
9. 'अमरकाव्यम सर्ग' पृष्ठ.स.17,75
10. 'राजप्रशस्ती सर्ग', पृष्ठ.स.38-39
11. 'अकबरनामा' भाग 3
12. 'तुजुक - ए - जहांगीरी'

वेबसाइट:-

1. https://www.thejaipurdialogues.com/itihasa/maharana-amar-singh-forgotten-son-of-mewar/#google_vignette
2. <https://udaipurtimes.com/blog/rana-amar-singh-i-today-on-the-four-hundredth-birth/c74416-w2859-cid364976-s10701.htm>

छायाचित्र सन्दर्भ:-

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Amar_Singh_I.
2. <https://www.thejaipurdialogues.com/itihasa/diverka-yuddhe>

Synthesis of Schiff base derived ligands 1-chloro-2 (2-chloroethoxy) ethane derived ligand (S₁) and 1,2-bis(2-chloroethoxy)ethane derived ligand (S₂)

Dr. Shital Joshi*

*Department of Chemistry, Govt. Arts and Science College, Ratlam (M.P.) INDIA

Abstract - The ligands (5E,15E)-7,8,9,10,11,12, 13,14,22,23,25, 26-dodecahydro dibenzo[h,v] [1,4,7] trioxa [11,14,17,20] tetraazacyclotricosine [1-chloro-2(2-chloroethoxy) ethane derived ligand (S₁)] and (5E,15E)-7,8,9,10,11,12,13, 14,22,23, 25,26,28,29-Tetradecahydrodibenzo[k,y][1,4,7,10]tetraoxa[14,17,20,23] tetraazacyclo hexacosine [1,2-bis(2-chloroethoxy)ethane derived ligand (S₂)] have been synthesized by nucleophilic aromatic substitution reaction of Schiff base 2,2'((1E,11E)-2,5,8,11-tetraazadodeca-1,1-diene-1,12-diyl)diphenol (TTS)/N,N'-bis[2-(salicylideneamino) ethane-1,2-diamine (TTS). The ligands S₁ and S₂ have been synthesized by condensation reaction of Schiff base (TTS) with dichloro derivatives of diethylene and triethylene glycol respectively and characterized by elemental analysis, IR, ¹H NMR, and Mass spectrometry method.

Keywords: Schiff base derived ligand, glycol derived ligand, 1-chloro-2(2-chloroethoxy) ethane derived ligand (S₁), 1,2-bis(2-chloroethoxy)ethane derived ligand (S₂).

Introduction - Schiff base is class of compounds which contains carbon nitrogen double bond. Schiff bases are easily prepared by the condensation reaction or microwave irradiation of primary amine with carbonyl compounds, these carbonyl compounds may be aldehydes, ketones and acids¹. Large no of compounds are prepared using Schiff base which are used to prepare their transition metal complexes which are of great interest due to their diverse reactivity and wide application in catalysis, pharmaceuticals, functional materials³⁻⁸.

However despite extensive scientific reports on the synthesis, characterization, crystalline structure and application of the transition metal complex, there are limited report on the use of Schiff base as ionophore in supramolecular chemistry⁹⁻¹². L. Mishra *et al.* studied tetradentate thioiminato Schiff base as carriers for transport of nickel ions through chloroform liquid membrane¹³ and S. Dubey *et al.* synthesized mixed donor ionophore using Schiff base and studied liquid membrane transport of transition metal ions and the effect of donor site of ionophore on separation of metal ions^{14,15}, still very little attention paid in this field.

In the present work a Schiff base derived ligands S₁ & S₂ have been synthesized and characterized by elemental analysis, IR, ¹H NMR, Mass and spectrometry method which can be used as ionophores.

Material And Methods:

1 Chemicals: All the chemicals used throughout the

course of experimental work were of AR grade. The reagents used for synthesis of Schiff base are salicylaldehyde and TETA were purchased from Loba Chemie and S. D. Fine respectively. The Schiff base (TTS) is prepared by reported method¹⁶. The reagent used for synthesis of ligand S₁ is 1-chloro-2(2-chloroethoxy)ethane was obtained from Merck and for ligands S₂ are 1,2-bis(2-chloroethoxy)ethane was obtained from Sigma Aldrich. Sodium hydroxide (NaOH) was obtained from CDH. The solvents dichloromethane (DCM), dimethyl sulfoxide (DMSO), were obtained from Merck.

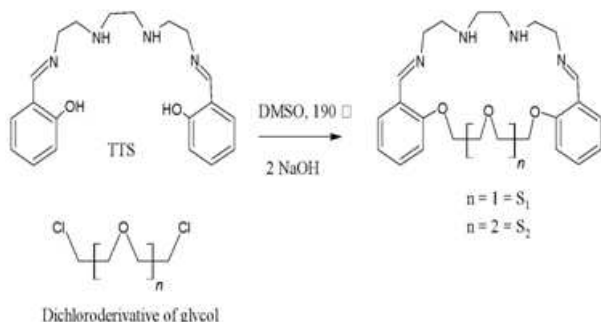
2 Instruments - Capillary melting point apparatus was used for determination of melting point of ligands, FTIR spectra were recorded on FTIR spectrophotometer at Central Analytical Laboratories, Indore, ¹H and ¹³C NMR spectra were recorded in CDCl₃ using tetramethylsilane as an internal reference on Bruker Avance II 400 NMR spectrophotometer, SAIF, Punjab University, Chandigarh. Elemental analysis and Mass spectral analysis have been carried out using Eurovector EA 3000 elemental analyzer and Waters UPLC-TQD mass spectrometer respectively from CDRI, Sophisticated Analytical Instrumentation Facility (SAIF), Lucknow UP.

Preparation of Ligands:

1 Synthesis of (5E,15E)-7,8,9,10,11,12,13,14,22,23,25,26-dodecahydro dibenzo [h,v] [1,4,7] trioxa [11,14,17,20] tetraazacyclotricosine (S₁) - The ligand S₁ has been synthesized by the reaction of Schiff base (TTS) with 1-

chloro-2(2-chloroethoxy)ethane and sodium hydroxide in 1:1:2 molar ratio using DMSO as solvent¹⁷⁻²².

3.54 g of Schiff base (TTS) (0.01 mol) was dissolved in 50 mL DMSO in a round bottom flask then 5 mL aqueous solution of 0.80 g sodium hydroxide (0.02 mol) was added. The reaction mixture was stirred for 30 minutes at room temperature then 1.20 mL 1-chloro-2(2-chloroethoxy) ethane (0.01 mol) was added and refluxed for 12 h at 190°C The product was neutralized by 1M HCl, mixed with DCM and washed by distilled water (twice) then with brine. The organic phase (DCM) was separated, dried (over anhydrous MgSO₄), filtered, concentrated and recrystallized with ethanol gave 45% of S₁ as dark brown solid. (Scheme 1)



Scheme 1 Synthesis of ligands S₁ and S₂

2 Synthesis of (5E,15E)-7,8,9,10,11,12,13,14, 22,23,25, 26,28, 29-Tetradecahydro dibenzo[k,y][1,4,7,10]tetraoxa [14,17,20,23]tetraazacyclohexacosine (S₂) - The cyclic ligand S₂ has been synthesized by reaction of Schiff base (TTS) with 1,2-bis(2-chloroethoxy)ethane and sodium hydroxide in 1:1:2 molar ratio using DMSO as solvent¹⁷⁻²².

3.54 g of Schiff base (TTS) (0.01 mol) was dissolved in 50 mL DMSO in a round bottom flask then 5 mL aqueous solution of 0.80 g sodium hydroxide (0.02 mol) was added. The reaction mixture was stirred for 30 minutes at room temperature then 1.55 mL of 1,2-bis(2-chloroethoxy)ethane (0.01 mol) was added and refluxed for 12 h at 190°C The product was neutralized by 1M HCl, mixed with DCM and washed with distilled water (twice) then with brine. The organic phase (DCM) was separated, dried (over anhydrous MgSO₄), filtered, concentrated and recrystallized with ethanol gave 55% of S₂ as dark brown solid. (Scheme 1)

Results and discussion:

1 Characterization of ligands (S₁ & S₂) - The confirmation of synthesized ligands were carried out by melting point determination and TLC, while characterization has been done by FTIR, ¹H and ¹³C NMR, ESI mass spectral and elemental analysis.

Table 1 (see in last page)

Table 1 shows the physical properties and elemental analysis of ligands (S₁).

2 The FTIR spectral analysis of ligands - The characteristic FTIR spectral data of ligands are shown in table 2. Fig. 1 & 2 are FTIR spectra of ligands S₁ & S₂ respectively. The presence of absorption bands for imine

(C=N), ether (-CH₂-O-CH₂-/Ar-O-Ar) groups in FTIR spectra of ligands confirm the condensation of Schiff base with dichloro derivative of polyethylene glycol¹⁸⁻²².

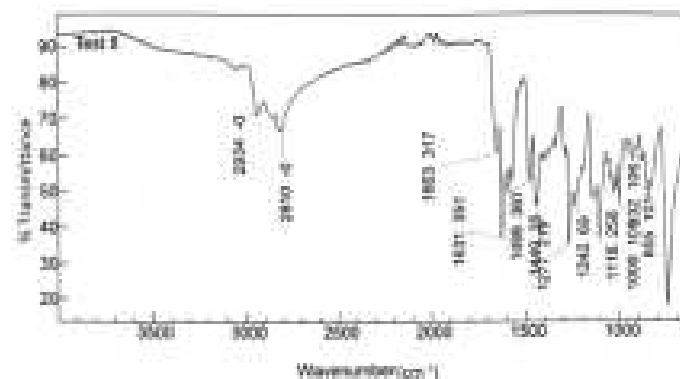


Fig. 1 FTIR spectrum of ligand S₁

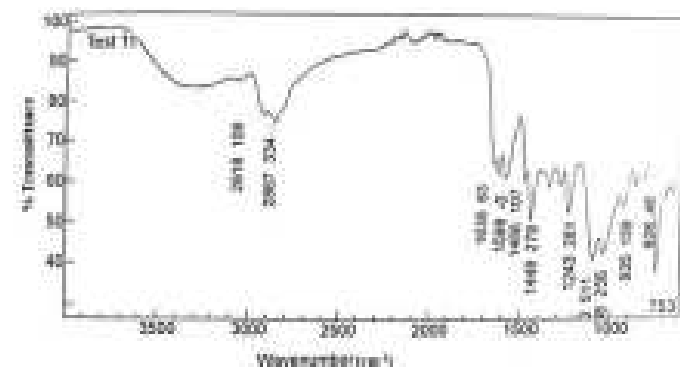


Fig. 2 FTIR spectrum of ligand S₂

Table 2 Characteristic FTIR absorption bands (in cm⁻¹) of ligands

S.	Ligand	Selected FTIR absorption bands (in cm ⁻¹)
1.	S ₁	2934, 2810 (C-H), 1631 (C=N), 1242 (Ar-O-CH ₂), 1116 (CH ₂ -O-CH ₂)
2.	S ₂	2918, 2867 (C-H), 1635 (C=N), 1243 (Ar-O-CH ₂), 1102 (CH ₂ -O-CH ₂)

3 ¹H and ¹³C NMR spectral analysis of ligands - The characteristic ¹H and ¹³C NMR spectral data of ligands are shown in table 3 and 4 respectively. Fig. 3 and 4 and 5 and 6 are ¹H and ¹³C NMR spectra of ligands.

In ¹H NMR Spectrum of ligand S₁ the absorption peaks at 1.17 ppm (s, 2H) (2^o amine, -NH-), 2.22-2.84 ppm (m, 8H) (-CH₂-), 3.80 ppm (m, 4H) (-CH₂-N=), 4.13-4.14 ppm (m, 8H) (Ar/CH₂-O-CH₂-), 6.68-7.21 ppm (m, 8H) (Ar-H) and 8.23 ppm (s, 2H) (-CH=N-) confirm the formation of ligand S₁ and in ¹³C NMR spectrum of ligand S₁ peaks at 59 and 67 {(CH₂-O-CH₂-) and (Ar-O-CH₂-)}, 117-137 ppm (Ar-C), 161 ppm (-C=N-) account for ether, aromatic and imine carbon respectively.

In ¹H NMR Spectrum of ligand S₂ the peaks at 2.49-2.90 ppm (m, 8H) (CH₂-), 3.84 ppm (m, 4H) (CH₂-N=), 4.14-4.16 ppm (m, 12H) (Ar/CH₂-O-CH₂-), 6.70-7.48 ppm (m, 8H) (Ar-H), 9.81 ppm (s, 2H) (-CH=N-) confirm the formation of ligand S₂ and in ¹³C NMR spectrum of ligand S₂ peaks at 68-69 and 71 ppm {(CH₂-O-CH₂-) and ((Ar-O-CH₂-)}, 116-

137 ppm (Ar-C), 161 ppm (-C=N-) accounts for ether, aromatic and imine carbon respectively.

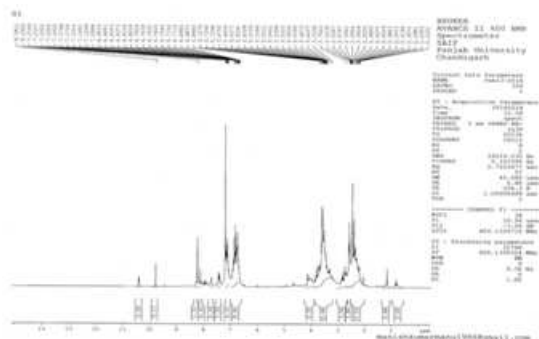


Fig. 3 ¹H NMR spectrum of ligand S₁

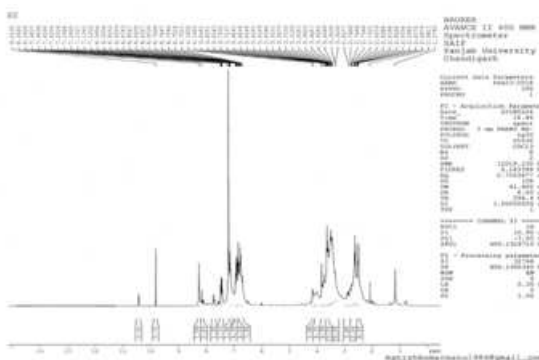


Fig. 4 ¹H NMR spectrum of ligand S₂

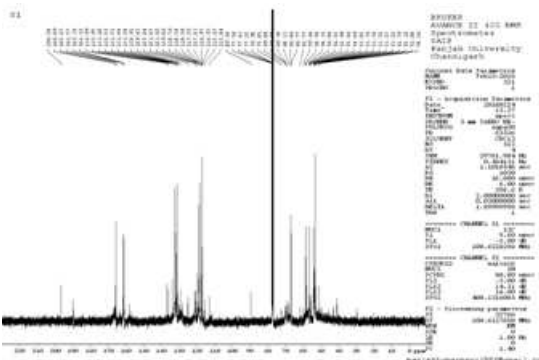


Fig. 5 ¹³C NMR spectrum of ligand S₁

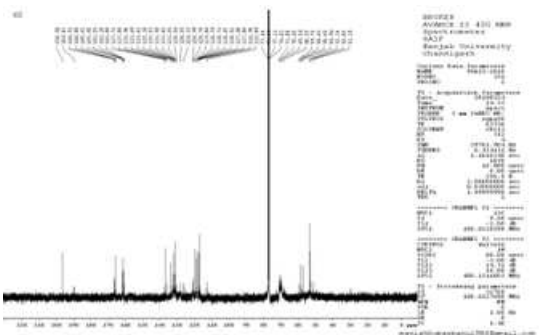


Fig. 6 ¹³C NMR spectrum of ligand S₂

Table 3 Characteristic ¹H NMR peak (in ppm) of ligands

S.	Ligand	Selected ¹ H NMR peak (in ppm)
2.	S ₁	1.17 (2 ^r Amine, -NH-), 2.22-2.84 (-CH ₂ -), 3.80 (-CH ₂ -N=), 4.13-4.14 (Ar/CH ₂ -O-CH ₂ -), 6.69 -7.21 (Ar-H), 8.23 (-HC=N-)
3.	S ₂	1.17 (2 ^r Amine, -NH-), 2.49-2.90 (-CH ₂ -), 3.84 (-CH ₂ -N=), 4.14-4.16 (Ar/CH ₂ -O-CH ₂ -), 6.70-7.4 (Ar-H), 9.81 (-HC=N-)

Table 4 Characteristic ¹³C NMR peak (in ppm) of ligands

S.	Ligand	Selected ¹³ C NMR peak (in ppm)
2.	S ₁	51-56 (-CH ₂ -), 58 (-CH ₂ -N=), 59 (-CH ₂ -O-CH ₂ -), 67 (Ar-O-CH ₂ -), 117-137 (Ar-C), 161 (-C=N-), 165 (Ar-O)
3.	S ₂	53-54 (-CH ₂ -), 56 (-CH ₂ -N=), 68-69 (-CH ₂ -O-CH ₂ -), 71 (Ar-O-CH ₂ -), 116-137 (Ar-C), 161 (-C=N-), 166 (Ar-O)

4 ESI mass spectral analysis of ligands - The mass spectra are used to confirm the molecular structure along with molecular mass of the compounds. The base peak is the most abundant peak which indicates the most stable fragment of the compound while the molecular ion peak shows the molecular mass of the compound. The peaks obtained from the cleavage indicate the position of the side chain and cyclic ring structure of the compound. Fig. 7 and 8 are the mass spectra of ligands.

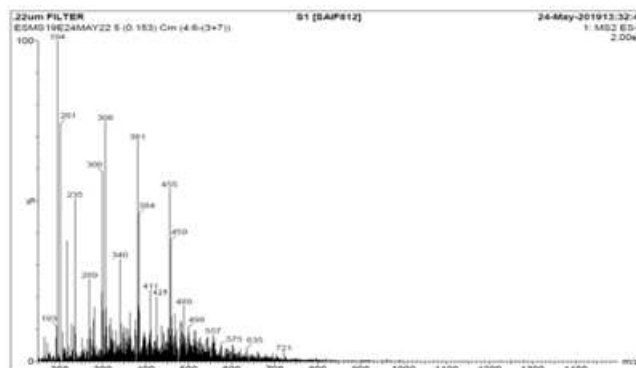
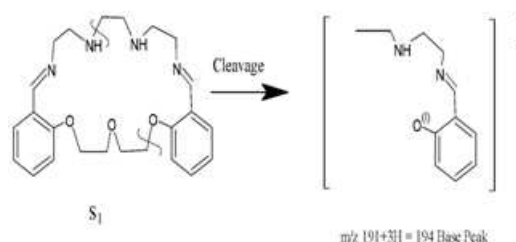


Fig. 7 ESI Mass spectrum of ligand S₁



Scheme 2 Mass spectrum analysis of ligand S₁

The base peak and molecular ion peak in the mass spectrum of ligand S₁ is observed at m/z 194 and 425 respectively suggested its molecular formula to be C₂₄H₃₂N₄O₃. Abundant peaks are found at m/z 235, 340,

381 and 411.

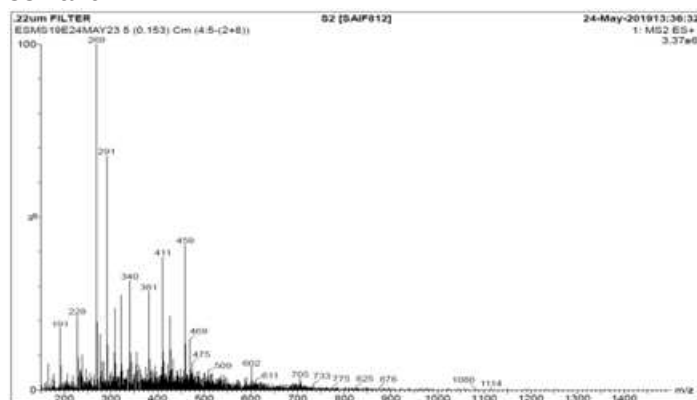
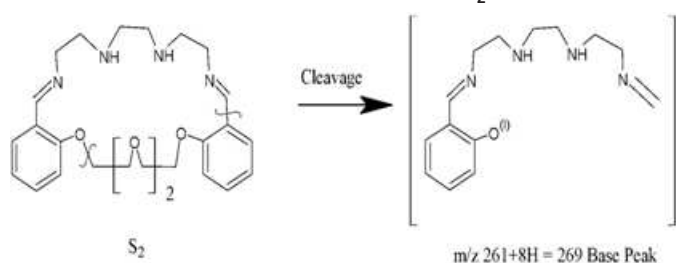


Fig. 8 ESI Mass spectrum of ligand S₂



Scheme 3 Mass spectrum analysis of ligand S₂

The base peak and molecular ion peak is observed in the mass spectrum of ligand S₂ at m/z 269 and 469 respectively suggested its molecular formula to be C₂₆H₃₆N₄O₄. Abundant peaks are found at m/z 228, 340, 381 and 411.

Conclusion: The objective of the present research work is to prepare ligands (5E,15E)-7,8,9,10,11,12,13,14,22,23,25, 26-dodecahydropodibenzo[h,v][1,4,7]trioxatetraazacyclotricosine [1-chloro-2(2-chloroethoxy) ethane derived ligand (S₁)] and (5E,15E)-7,8,9,10,11,12,13, 14,22,23, 25,26,28,29-Tetradecahydrodibenzo[k,y][1,4,7,10]tetraoxa[14,17,20,23] tetraazacyclo hexacosine [1,2-bis(2-chloroethoxy)ethane derived ligand (S₂)] have been synthesized and characterized by elemental analysis, IR, ¹H NMR, and Mass spectrometry method. The Ligands S₁ and S₂ were successfully synthesized and characterized. In future other derivatives of TTS can be synthesized and can be used for the liquid membrane studies of other transition metal ions.

Acknowledgement: The author are thankful to the School of Studies in Chemistry & Biochemistry, Vikram University, Ujjain (M.P.), for support and laboratory facility. Help of Mr. Adarsh Katiyar, Quality Manager, Central Analytical Laboratoris, Indore and Mr .S. K. Mehta, Honorary Director, Sophisticated Analytical Instrumentation Facility, CIL and UCIM Panjab University Chandigarh for NMR and elemental analysis is also acknowledged.

Conflict of Interest - There are no conflicts of interest.

References:-

- Pedersen C. J., J. Am. Chem. Soc., 1967, 89(26), 7017-7036.
- Dale J., Kristiansen P. O., Acta Chem. Scand., 1972, 26, 1471-1478.
- Tummler B., Maass G., Vogtle F., Sieger H., Hermann U., Weber E., J. Am. Chem. Soc., 1979, 101(10), 2588-2598.
- Simmons H. E., Park C. H., J. Am. Chem. Soc., 1968, 90(9), 2428-2429.
- Aggett J., Richardson R. A., Anal. Chim. Acta, 1970, 50(2), 269-275.
- Aggett J., Khoo A.W., Richardson R. A., J. Inorg. Nucl. Chem., 1981, 43(8), 1867-1872.
- Hirayama N., Takeuchi I., Honjo T., Kubono K., Kokusen H., Anal. Chem., 1997, 69(23), 4814-4818.
- Kubono K., Hirayama N., Kokusen H., Yokoi K., Anal. Sci., 2001, 17(1), 193-197.
- Abe S., Sono T., Fujii K., Endo M., Anal. Chim. Acta, 1993, 274(1), 141-146.
- Abe S., Fujii K., Sono T., Anal. Chim. Acta, 1994, 293(3), 325-330.
- Gupta K. C., Sutar A. K., Coord. Chem. Rev., 2008, 252, 1420-1450.
- Zoubi W. A., Al-hamdani A. A. S., Ko Y. G., Sep. Sci. Technol., 2017, 52(6), 1052-1069.
- Zhang N., Fan Y. H., Zhang Z., Zuo J., Zhang P. F., Wang Q., Liu S. B., Bi C. F., Inorg. Chem. Commun., 2012, 22, 68-72.
- Yaftin M. R., Royati S., Safarbali R., Torabi N., Transit. Met. Chem., 2007, 32, 374-378.
- Ocak U., Alp H., Gokce P., Ocak M., Sep. Sci. Technol., 2006, 41, 391-401.
- Baran Y., ERK B., Turk. J. Chem., 1996, 20(4), 312-317.
- Delgoda M., Stowaski D., Yoo H. K. V., Atto V. J., Gokel G. W., Echegoyen L., J. Am. Chem. Soc., 1988, 110, 119-123.
- Anchaliya D., Sharma U., J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 2013, 79, 465-471.
- Anchaliya D., Sharma U., Natl. Acad. Sci. Lett., 2012, 35(4), 277-284.
- Vani A., Vyas V., Sharma U., Main Group Met. Chem., 2011, 34(1-2), 29-31.
- Awasthy A., Bhatnagar M., Tomar J., Sharma U., Bioinorg. Chem. Appl., 2006, 2006, Article ID 97141, 1-4.
- Tomar J., Awasthy A., Main Group Met. Chem., 2006, 29(3), 119-126.

Table 1: Physical properties and elemental analysis of ligands

S.	Ligand	Molecular Formula	Molecular Weight		MP(°C)	%Yield	% C		% H		% N	
			C	F			C	F	C	F	C	F
1.	S ₁	C ₂₄ H ₃₂ N ₄ O ₃	424.54	425	120	45	67.9	69.2	07.6	06.5	13.2	12.2
2.	S ₂	C ₂₆ H ₃₆ N ₄ O ₄	468.59	469	170	55	66.6	60.0	07.7	05.6	12.0	07.6

C = Calculated , F = Found

Table 1 shows the physical properties and elemental analysis of ligands (S.)

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में MSME की भूमिका

स्वप्निल चौहान*

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को आर्थिक विकास और समान विकास को बढ़ावा देने के लिए एक गतिमान इंजन के रूप में स्वीकृत किया गया है। यह क्षेत्र पिछले पाँच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है, MSME न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम पूँजी लागत पर के रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होते हैं अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई समयक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक बने हैं और यह क्षेत्र देश के सामाजिक- आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। भारत में उद्योगों को मुख्यतः दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है-

1. विनिर्माण उद्यम
2. सेवा उद्यम (जो सेवाएँ प्रदान करने में लगे हुए हैं)

उद्यम को दोनो श्रेणियों को संयंत्र और मशीनरी (विनिर्माण उद्योगों के लिए) में उनके निवेश या सेवाएँ प्रदान करने या प्रदान करने वाले उद्यमों के उपकरणों के मामले में उनके निवेश के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में वर्गीकृत किया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले निवेश की वर्तमान सीमा इस प्रकार है -

वर्गीकरण	विनिर्माण उद्यम	सेवा उद्यम
सूक्ष्म	25 लाख रु तक	10 लाख रु तक
लघु	25 लाख रु से 5 करोड़ रु तक	10 लाख रु से 2 करोड़ रु तक
मध्यम	5 करोड़ रु से 10 करोड़ रु तक	2 करोड़ रु से 5 करोड़ रु तक

वर्तमान नीति एवं ढांचा – लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (MISMED), 2006 इन उद्यमों के विकास को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बनाने का प्रयास करता है। यह उद्यम की अवधारणा की मान्यता के लिए पहली कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है। जिनसे विनिर्माण और सेवा दोनों संस्थाएँ शामिल हैं। यह प्रथम बार मध्यम उद्यमों को परिभाषित करता है, और न उद्यमों के तीन स्तरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एकत्रित करने का प्रयास करता है। अधिनियम हितधारकों के सभी वर्गों, विशेष रूप से उद्यमों की तीन वर्गों के संतुलित प्रतिनिधित्व और सलाहकार कार्यों की एक विस्तृत शृंखला के साथ राष्ट्रीय स्तर पर वैधानिक परामर्श तंत्र भी प्रदान करता है।

परिक्षण प्रयोगशालाएँ – वर्तमान में देश में कई परिक्षण प्रयोगशालाएँ हैं

जो सूक्ष्म इकाइयों सहित सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को परीक्षण सुविधाएँ प्रदान करती हैं कुछ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों, विशेष रूप से चमड़े के वस्तुओं के लिए विशेष परीक्षण सुविधाएँ देश में उपलब्ध नहीं हैं। निर्यात करने वाली MSME इकाइयों विदेशी परीक्षण प्रयोगशालाओं से इस सुविधाओं का लाभ उठा रही हैं। ऐसे में, देश में अतिरिक्त परीक्षण सुविधाओं के निर्माण की आवश्यकता है। यह अनुशंसा की गई कि कम से कम 100 संख्याये MSME के अन्तर्गत उच्च गुणवत्ता वाली परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाए। यह गतिविधि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत की जा सकती है। मंत्रालय के अन्तर्गत मौजूदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन की भी आवश्यकता है।

रोजगार के अवसर – भारत में एमएसएमई क्षेत्र ने भारतीय आबादी के लिए रोजगार के सबसे बड़े अवसरों को पैदा किया है, इसके बाद कृषि क्षेत्र में यह अनुमान लगाया गया है। एमएसएमई न केवल बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपितु लघु उद्योग क्षेत्र में अचल संपत्तियों में एक लाख रुपये का निवेश रोजगार पैदा करता है। बड़े उद्योगों की तुलना में तुलनात्मक रूप से निम्न पूँजी लागत पर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद मिलती है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है, राष्ट्रीय आय और धन का अधिक न्यायसंगत वितरण होता है। यह क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भारी योगदान देता है। यह क्षेत्र मूल्य के संदर्भ में देश के विनिर्माण उत्पादन, रोजगार और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह क्षेत्र विनिर्माण उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत और देश के कुल निर्यात का 40 प्रतिशत योगदान देता है, जिससे पूरे देश में 26 मिलियन से अधिक इकाइयों में लगभग 60 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है। पारंपरिक से लेकर उच्च तकनीक वाली वस्तुओं तक 6000 से अधिक उत्पाद हैं, जिनका निर्माण भारत में 35 एमएसएमई द्वारा किया जा रहा है। यह सर्वविदित है कि एमएसएमई क्षेत्र स्वरोजगार और मजदूरी-रोजगार दोनों के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करता है, कृषि क्षेत्र के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास की उच्च दर में योगदान देता है, बल्कि कम लागत पर गैर-कृषि आजीविका के निर्माण, सशक्त क्षेत्रीय विकास, सामाजिक संतुलन, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकास और इन सबसे ऊपर, असंख्य तरीकों से एक समावेशी और मौद्रिक समाज के निर्माण में भी योगदान देता है।

निर्यात प्रोत्साहन – MSME क्षेत्र से निर्यात प्रोत्साहन को उच्च प्राथमिकता दी गई है। MSME को अपने उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए

निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

1. MSME निर्यातकों के उत्पादों को अन्तराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जाता है और किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है।
2. MSME निर्यातकों को नवीनतम पैकेजिंग, मानकों एवं तकनीकी से परिचित करना। भारतीय पैकेजिंग संस्थान के सहयोग से देश के विभिन्न हिस्सों में निर्यातकों के लिए पैकेजिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित किये जाते हैं।
3. MSME विपणन विकास सहायता योजना के तहत, व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में व्यक्तियों को विदेशी मेले प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

बुनियादी ढांचे का विकास – औद्योगिक संपदा की स्थापना और एमएसएमई के लिए बिजली वितरण नेटवर्क, दूरसंचार, जल निकासी और प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएँ, सड़कें, बैंक, कच्चे माल, भंडारण और तकनीकी बैंक अप सेवाएँ आदि और विपणन सुविधाएँ, सामान्य सेवा सुविधाएँ आदि जैसी बुनियादी सुविधाएँ विकसित करने के लिए (आईआईडी) योजना 1994 में शुरू की गई थी। यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एकीकृत ढांचागत विकास को कवर करती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है और 50 प्रतिशत औद्योगिक भूखंड सूक्ष्म उद्यमों के लिए आरक्षित हैं।

मौजूदा औद्योगिक संपदाओं में बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन/मजबूतीकरण का प्रावधान है। आईआईडी केंद्र स्थापित करने की अनुमानित लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) 5 करोड़ रुपये (51.25 मिलियन) है। केंद्र सरकार सामान्य राज्यों के मामले में 40 प्रतिशत और उत्तर पूर्व क्षेत्र (सिक्किम सहित) के लिए 80% तक प्रदान करती है। आईआईडी योजना की सभी विशेषताओं को बरकरार रखा गया है। और इसे शनए वलस्टर और एमएसआईसीडीपी के रूप में कवर किया गया।

अवसर – निम्नलिखित कारकों के कारण एमएसएमई में अवसर बहुत अधिक हैं।

1. कम पूंजी लागत
2. लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा विशिष्ट विनिर्माण के लिए सरकारी आरक्षण द्वारा व्यापक प्रचार और समर्थन
3. प्रोजेक्ट प्रोफाइल
4. वित्त पोषण और सब्सिडी मशीनरी खरीद
5. कच्चे माल की खरीद
6. जनशक्ति प्रशिक्षण
7. तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौशल
8. टूलिंग एवं परीक्षण सहायता
9. सरकार द्वारा विशेष खरीद के लिए आरक्षण
10. निर्यात प्रोत्साहन
11. उत्पादों के लिए निर्यात क्षमता में वृद्धि
12. बड़े पैमाने के क्षेत्र में आने वाली ग्रीन फील्ड इकाइयों की संख्या में वृद्धि के कारण सहायक इकाइयों की समग्र आर्थिक विकास के कारण घरेलू बाजार के आकार में मांग में वृद्धि बड़े पैमाने के क्षेत्र एवं लघु उद्योग क्षेत्र ने विगत कई वर्षों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हमारे देश को व्यापक औद्योगिक विकास और विविधीकरण हासिल करने में सक्षम बनाया है।

अपनी कम पूंजी सघनता और उच्च श्रम अवशोषण प्रकृति के कारण, इस क्षेत्र ने रोजगार सृजन और ग्रामीण औद्योगीकरण में भी महत्वपूर्ण

योगदान दिया है। यह क्षेत्र प्रौद्योगिकियों, पूंजी, और नवीन विपणन प्रथाओं के माध्यम से पारंपरिक कौशल और ज्ञान की ताकत का निर्माण करने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है। लघु उद्योग क्षेत्र में परियोजनाएँ स्थापित करने का यह उपयुक्त समय है। यह अपेक्षाकृत भारतीय उद्योग की एक अनिवार्य विशेषता और मांग संरचना पर आधारित हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की यह विशेषता विभिन्न प्रकार की इकाइयों के लिए पूरक अस्तित्व की अनुमति देती है। हालांकि, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कारण पूंजी, प्रौद्योगिकी और विपणन में कमी रही है। इसलिए, सरकारी समर्थन के साथ उदारीकरण की प्रक्रिया इस क्षेत्र में इन चीजों के प्रसार को आकर्षित करेगी। लघु उद्योग क्षेत्र ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हमारे देश को व्यापक पैमाने पर औद्योगिक विकास विविधीकरण हासिल करने में सक्षम बनाया अपनी कम पूंजी सघनता और उच्च श्रम अवशोषण प्रकृति के कारण एमएसएमई क्षेत्र ने रोजगार सृजन और ग्रामीण औद्योगीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह क्षेत्र प्रौद्योगिकियों, पूंजी और नवोन्मेषी विपणन पद्धतियों के माध्यम से हमारे पारंपरिक कौशल और ज्ञान की ताकत का निर्माण करने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है।

निष्कर्ष – निष्कर्षतः, भारत का एमएसएमई क्षेत्र प्रतिस्पर्धी और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद शृंखला के बल पर आज वैश्विक विकास के प्रवेश द्वार पर है। हालांकि, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार में प्रवेश, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण आदि की लेनदेन लागत को कम करने के लिए सरकार की ओर से सुविधा की आवश्यकता है। इस पेपर में हमने पिछले दस वर्षों में भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि को देखा है। एमएसएमई क्षेत्र को अक्सर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास का केंद्र कहा जाता है। हम भारत में इस क्षेत्र के अवलोकन से शुरुआत करते हैं और कुछ हालिया रुझानों पर नजर डालते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में इस क्षेत्र के विकास और महत्व को उजागर करते हैं। हमने निश्चित निवेश, उत्पादन प्रदर्शन, रोजगार सृजन और निर्यात योगदान में एमएसएमई की वृद्धि का विश्लेषण किया है। विशेष रूप से, हमने रोजगार के अवसरों, बुनियादी ढांचे के विकास, परीक्षण प्रयोगशालाओं, आदि के बारे में चर्चा की है। हमने एमएसएमई की बेहतरी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में दिए गए अवसरों का भी विश्लेषण किया है। निर्यात प्रोत्साहन, आरक्षण नीति, टूलिंग और प्रौद्योगिकी, जनशक्ति प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और प्रबंधकीय कौशल जैसे कारकों ने अर्थव्यवस्था में विकास और बेहतर प्रदर्शन के व्यापक अवसर दिए। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की वृद्धि और विकास के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा उठाए गए नीतिगत ढांचे और कुशल कदमों के योगदान के साथ उल्लेखनीय वृद्धि और उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Ms- Subina Sayal (2015) – Role of MSME in India Economy
2. Priyadarshani zanjurme – Growth and Future Prospects of MSME In India
3. Ms- Jyoti Sharma and Ms. Guneet Gill – MSME& An Emerging Pillar of Indian Economy

Websites:-

1. www.raijmr.com
2. www.researchgate.net
3. www.caluniv.ac.in

BIMSTEC and India in 2024 - Analysis

Geet Krishn Vyas*

*B. A., L.L.B Hons., Kirit P. Mehta School of Law, Mumbai (Maharashtra) INDIA

Abstract - The Bay of Bengal coastline and neighbouring countries of India, Thailand, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, and Bhutan are members of the interregional organization known as BIMSTEC, which has its headquarters in Dhaka. BIMSTEC has become the “preferred platform” for regional cooperation in South Asia as a result of setbacks to the South Asian Association of Regional Cooperation (SAARC), especially when its 2016 summit, was planned to be held in Pakistan but postponed due to member countries’ withdrawals. However, BIMSTEC has drawn criticism for missing key deadlines 23 years after its founding. Experts have also criticized the organization’s insufficient reaction to problems like the Rohingya crisis, which affects three of its members: Bangladesh, India, and Myanmar.

Keywords: BIMSTEC, SAARC, SCCO and India.

History and Background: The “**Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation**” (hereinafter to be referred to as “**the BIMSTEC**” or “**BIMSTEC**”), is an international organisation. Comprising of Seven South Asian and South-East Asian countries which are directly dependent on The Bay of Bengal. These countries have a combined population of 1.8 billion and a GDP of \$4.4 Trillion. The countries are Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, and Thailand. BIMSTEC was formed in Bangkok (06th June 1997) under the name BISTEC (standing for Bangladesh, India, Sri Lanka, and Thailand Economic Cooperation). Then on 22nd December 1997, with the inclusion of Myanmar, the group was renamed to BIMST-EC (standing for Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka and Thailand Economic Cooperation). In 1998, Nepal joined as an observer; and in February 2004, Nepal and Bhutan joined as full members. Finally, on 31st July 2004, the organisation had its first Summit as BIMSTEC¹.

Objectives and Functioning: BIMSTEC has 14 priority sectors of cooperation and several “BIMSTEC centres” have been established to focus on those sectors². Member nations are each designated as “Lead Countries” for each of the 14 sectors. The leadership of BIMSTEC is rotated among its member nations, in alphabetical order. The Chairmanship of the BIMSTEC has been taken in rotation commencing with Bangladesh (1997–1999)³. While its permanent secretariat is in Dhaka, Bangladesh; and India contributes 32% of the total expenditure incurred in its upkeep⁴. However, on 30th March 2022, a decision was made to reduce, re-constitute, and reconstruct the large and unwieldy 14 sectors into more streamlined 7 sectors.

Trade, Investment and Development - Bangladesh
Environment and Climate Change - Bhutan

Security and Energy - India
Agriculture and Food Security - Myanmar
People-to-people Contact - Nepal
Science, Technology and Innovation - Sri Lanka
Connectivity- Thailand

The BIMSTEC is a Trade Organisation : The **BIMSTEC Free Trade Area Framework Agreement** (hereinafter to be referred to as “**BFTAFA**” or “**the BFTAFA**”) has been signed by all member nations of the BIMSTEC. The agreement was signed⁵: To simulate trade and investment between the Treaty Parties, attract outsiders and encourage them to trade and invest in the BIMSTEC members at a higher level. A Trade Negotiation Committee (TNC) was set up with Thailand as its permanent chair. It aimed to negotiate⁶:

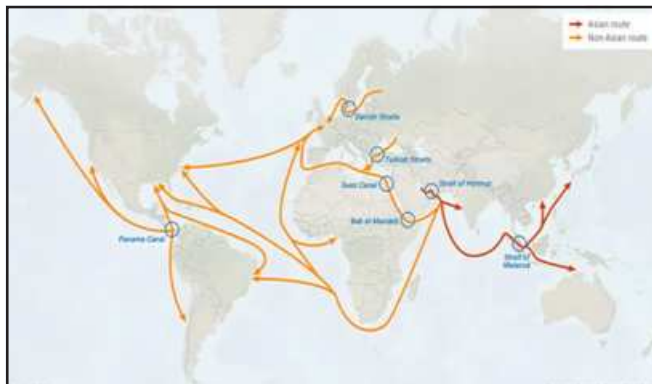
- Area of Trade in goods and services
- Investment
- Economic Co-operation
- Trade facilitation and assistance for LDCs.

A breakthrough can be seen in the formation of the **BIMSTEC Coastal Shipping Agreement** (hereinafter to be referred to as BCSA) draft, discussed on 01st December 2017; to facilitate shipping within 20 nautical miles of the coastal regions of member nations to boost trade. Coastal shipping is entirely different from high-seas trading as vessels are often smaller and lighter compared to high-sea shipping. Moreover, all the member nations should use the gift of nature in form of the Bay of Bengal more for the Transportation of Goods, Services and People⁷. The two immediate challenges faced by the agreement when it becomes an agreement would be inculcating coastal shipping ecosystems and energy infrastructure. Similarly, the **BIMSTEC Conclave of Ports** summit was held at Vishakhapatnam, India⁸.

Strategic Significance of BIMSTEC: As a collective of

stakeholders who are directly dependent on the Bay of Bengal for trade and transportation of people. BIMSTEC would represent a stronger case for the interest of these nations. As observed in the partnership between the BIMSTEC and Asian Development Bank (hereinafter to be referred to as ADB). Both organisations have made a strategic partnership to undertake a study on “**BIMSTEC Transportation and Logistic Study**” (BTILS)⁹. Similarly, BRICS under the initiative of India invited members of BIMSTEC, so that the former can increase its regional outreach¹⁰.

The Bay of Bengal acts as a crucial location in the transportation of goods and crude oil, from the gulf nations to China, South Korea and Japan¹¹. Three of the biggest importers of Gulf Oil, while the trade route passes through minimal space from the Bay of Bengal; but all oil traders have to pass through the Strait of Malacca. This is an untapped strategical feature for BIMSTEC to increase its influence in the region by guaranteeing the security and logistical support to pass through the Strait.¹²



Role of India in BIMSTEC

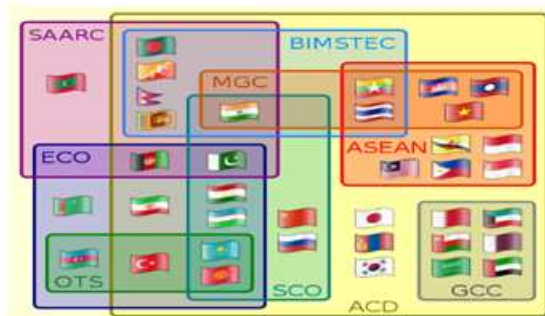


Figure 1: India as a nexus of various Regional Organisations.

India in its “Look East Initiative” intends to focus on strengthening and deepening its relations (strategic, military and trade) with South East Asia to emerge as the regional power broker in the region. This initiative was majorly taken upon by the country to counter the increasing influence of China on both the global scale as well as regional Asia, especially around the Indian Sub-Continent¹³. It has been a part of India’s Foreign Policy since 1991 and has seen

smooth functioning through various regime changes in the country.

However, since 2014, under the leader of the BJP-led Coalition, India upgraded to the “Act East Policy” and the country has now become even more aggressive in its approach to South East Relations and Diplomacy¹⁴. India, along with other BIMSTEC countries, is exploring energy opportunities at the Rakhine coast of Myanmar in the northern part of the Bay of Bengal. India lies in a very strategic position in Asia, it has a dominating position in the Indian Ocean, thus also on the Arabian Sea and Bay of Bengal through its mainland coastline as well as Lakshadweep and Andaman-Nicobar Island chains. On the continent, India lies between many historic and modern strategic trade routes.

SAARC and BIMSTEC: The Pakistan Issue¹⁵: Both South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) and BIMSTEC are regional Asian organisations, and both of them started as an economic collaboration but later metamorphosed into a political stage. And both share five common nations: influenced by politico-strategic factors. Five of the members – India, Nepal, Sri Lanka, Bhutan and Bangladesh. But both organisations diverge into two separate entities. While BIMSTEC has kept up with changing times, SAARC has shown signs of slowing down. In the 30 years of its history, annual SAARC summits have been postponed 11 times for political reasons, either bilateral or internal.

Another problem has been the unwillingness of Pakistan to cooperate as a willing partner: leading to Numerous agreements and institutional mechanisms established under SAARC not being adequately implemented. Pakistan did not sign the SAARC–Motor Vehicle Agreement (MVA)¹⁶. This dragging of feet by the ‘rogue’ member nation led India, Nepal, Bhutan and Bangladesh to sign BBIN Vehicles Agreement, in 2015. Similarly, Pakistan objected to the SAARC Satellite Project and thus the project had to be abandoned¹⁷. While cross-border terrorism emanating from Pakistan is a major concern for India, Sri Lanka and Afghanistan; Pakistan has failed to address these concerns. Many countries started levying the complaint that India is acting as the Hegemon (or the Big Brother in the group), thus changing the agenda to Indian agenda.

Conclusion and Suggestions:

“..... Make the Bay of Bengal, the bridge of connectivity, prosperity and security.”

- Narendra Modi, PM India @ BIMSTEC 2022

Well, this can be the thesis statement of BIMSTEC, however, this also shows what the critiques of the organisation call its biggest flaw. That is the Indian Agenda and its shadow over the organisation. BIMSTEC is supposed to be a robust, independent and working organisation. BIMSTEC needs to evolve with the times or it will collapse under the expectation levied by its member nations like how SCCO and SAARC. So, it needs to expand

and give itself a greater meaning for its survival and existence. If BIMSTEC needs to survive and thrive as a trade/treaty organisation it needs to increase strategic members in its alliance.

1. Malaysia is a must, it's the country closest to the Bay of Bengal and has control of Strait Malaka. It will help the trade organisation to leverage better treaties with Chin and will help Japan and South Korea to be a more willing listeners to the interests of member nations.
2. Vietnam, Indonesia and Cambodia: In the era of China plus one, both of these nations will have increased trade as countries with competitive manufacturing. And these countries have two options to export the finished products and import the raw materials: either to rely on China and the South China Sea or rely on the BIMSTEC Partners for a more beneficial deal.
3. Maldives: as an Island Nation, India being it's one of the closes allies and biggest trade partners. It would be forthe mutual benefit of both nations to have a long partnership.

References:-

1. "BIMSTEC Charter", BIMSTEC, URL: https://drive.google.com/file/d/1Z-P447ounPlkWmGNQ6iC6k_Ofs2Dxbk5/view accessed at 05:22 AM on 28th February 2023.
2. Dr Swami Prasad Saxena & Ms Sonam Bhadauriya, "India and BIMSTEC: An Analysis of India's Trade Performance and Prospects", Business Analyst Vol.33 No.1 (2012)
3. Banik, Nilanjan. (2006). "How Promising Is BIMSTEC?". Economic and Political Weekly". 41. 10.2307/4419057.
4. "Brief on BIMSTEC", Ministry of External Affairs, URL: https://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/23022_BIMSTEC_Brief_February_2014.pdf accessed at 05:22 AM on 28th February 2023.
5. "Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation." Wikipedia, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Bay_of_Bengal_Initiative_for_Multi-Sectoral_Technical_and_Economic_Cooperation accessed at 03:09 AM on 02 March 2023.

Footnotes:-

1. Evolution of BIMSTEC, "Brief on BIMSTEC", Ministry of External Affairs, URL: https://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/23022_BIMSTEC_Brief_February_2014.pdf accessed at 14:02 AM on 03rd March 2023. (Page 1)
2. "Sectors of Cooperation", BIMSTEC, URL: <https://bimstec.org/sectors-of-cooperation/> accessed at 14:02 AM on 03rd March 2023.
3. Ibid 1.
4. Ibid 1, page 2.
5. "Free Trade Agreement", BIMSTEC, URL: <https://bimstec.org/sectors-of-cooperation/> accessed at 14:02 AM on 03rd March 2023.
6. "Twenty-First Meeting of the BIMSTEC Trade Negotiating Committee", BIMSTEC, URL: <https://bimstec.org/sectors-of-cooperation/> accessed at 14:02 AM on 03rd March 2023.

7. Press Information Bureau, "BIMSTEC Member States discuss draft text of Coastal Shipping Agreement", Ministry of Shipping, URL: <https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174036> accessed at 14:02 AM on 03rd March 2023.
8. "BIMSTEC Ports Conclave", BIMSTEC, URL: <https://bimstec.org/event/bimstec-ports-conclave/#:~:text=Officials%20from%20the%20Ports%20Authorities,among%20the%20BIMSTEC%20Member%20States> accessed at 14:02 AM on 03rd March 2023.
9. Asia Development Bank, "Updating and Enhancement of the BIMSTEC Transport Infrastructure and Logistics Study", BIMSTEC-ADB, URL: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/439106/updating-bimstec-transport-logistics-study.pdf> accessed at 14:02 AM on 03rd March 2023.
10. Dr Amit Ranjan, "BRICS-BIMSTEC Outreach Summit and Bangladesh", Indian Council of World Affairs, URL: https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=591&lid=533#:~:text=The%20seven%20countries%20grouping%20of,due%20to%20lack%20of%20funding accessed at 14:02 AM on 03rd March 2023.
11. Evers, Hans-Dieter & Gerke, Solvay. (2006). The Strategic Importance of the Straits of Malacca. SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.1020877.
12. John Mauldin, "2 Choke Points That Threaten Oil Trade Between the Persian Gulf And East Asia", Forbes, URL: <https://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2017/04/17/2-choke-points-that-threaten-oil-trade-between-persian-gulf-and-east-asia/?sh=5294bab94b96> accessed at: 01:03 on 29th February 2023.
13. Haikip Thongkholal, "India's Look East Policy: Its Evolution and Approach," South Asian Survey, Vol. 18, No. 2 (Sep 2011), pp. 239-257
14. Pankaj Jha, "Vietnam's Saliene in India's Act-East Policy". Oped Column Syndication, 23rd March 2019.
15. Padmaja Murthy, "SAARC and BIMSTEC: Understanding their Experience in Regional Cooperation" December 2008. URL: <https://cuts-citee.org/pdf/BP08-REC-02.pdf> accessed at 21:09 on 01st March 2023.
16. Press Information Bureau, "India, Nepal, Bhutan and Bangladesh Sign a landmark Motor Vehicles Agreement for seamless movement of road traffic among Four SAARC Countries in Thimpu", Ministry of Road Transport & Highways, URL: <https://pib.gov.in/newsite/printrelease.aspx?relid=122516> accessed at 21:09 on 01st March 2023.
17. Press Information Bureau, "South Asian Satellite to boost regional communication", Special Service and Features, URL: <https://pib.gov.in/newsite/printrelease.aspx?relid=161611> accessed at 21:09 on 01st March 2023.

जशपुर जिले की वर्तमान स्थिति एवं भावी सम्भावनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. एस.के. शर्मा* गुलशन केरकेन्द्र**

* प्राचार्य, पी एन एस महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

** शोधार्थी (वाणिज्य) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित जिला जशपुर में सोगडा आश्रम के द्वारा सन 2010 में असम से चाय पौधा लाकर ट्रायल किया गया था। अनुपयोगी जमीन पर बनाया गया है चाय बगान – सारुडीह का चाय बगान पर्वत और जंगल से लगा हुआ है।

अनुपयोगी जमीन पर में बगान बन जाने से आसपास न सिर्फ हरियाली है, पर्यटन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी सारुडीह और जशपुर की पहचान बढ़ रही है। चाय बगान के से पानी और मृदा संरक्षण हुआ। जशपुर जिला भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय जशपुर है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण सूक्ष्म इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के इकाइयों को एकत्र कर उन्हें आर्थिक और विपणन की दृष्टि से मजबूत किया जाएगा।

चाय को किया गया चयनित-एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जिले को खाद्य सामग्री में चाय के लिए चयनित किया गया है। जिसकी यूनिट लगाने पर मार्केटिंग, पैकेजिंग, फार्मेशनियल मदद, ब्रांडिंग की मदद इस योजना के अंतर्गत किसानों को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में प्रयोग के तौर पर आरंभ की गई चाय की खेती अब क्षेत्र की पहचान बनेगी। जशपुर के सारुडीह चाय बागान के अनुरूप सरगुजा के मैनापाट में भी चाय के बागान विकसित होंगे। जशपुर और सरगुजा जिले के पाठ क्षेत्र चाय की खेती के लिए अनुकूल पाए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जशपुर और सरगुजा जिले के बाद बलरामपुर जिले के सामरी पाठ क्षेत्र में भी चाय की खेती की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। यह प्रयोग पूरी तरह से सफल होने पर उत्तारी छत्तीसगढ़ के बहुत संख्या किसानों को आर्थिक समृद्धि का सशक्त माध्यम मिल सकेगा, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से भी विशेष पहल की जा रही है।

जशपुर जिले के पठारी क्षेत्र की जलवायु चाय की खेती के लिए अनुकूल है। मध्य भारत में जशपुर जिला ही ऐसा है जहां पर चाय की सफल खेती की जा रही है। शासन के जिला खनिज न्यास मद योजना, वन विभाग के संयुक्त वन प्रबंधन सुदृढीकरण, डेयरी विकासयोजना एवं मनरेगा योजना से चाय खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। शासन के सहयोग से लगभग 50 कृषकों के 80 एकड़ कृषि भूमि पर चाय की खेती का कार्य प्रगति पर है।

मैनापाट के 30 प्रगतिशील किसानों को साथ लेकर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जशपुर जिले के सारुडीह स्थित चाय बागान पहुंचे यहां वन विभाग के अधिकारियों व चाय की खेती में लगी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने चाय की खेती से बदली आर्थिक स्थिति को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। चाय की खेती आरंभ करने के दौरान सामने आई कठिनाइयों के बाद इसके बेहतर उत्पादन की तकनीक से मैनापाट के प्रगतिशील किसानों को अवगत कराया। चाय की खेती के लिए मौसम की परिस्थिति, उन्नत बीज, उसके रोग उपचार के अलावा चाय की खेती के लिए भूमि का चयन, सिंचाई प्रबंधन, पत्तियों की कटाई, चायपत्ती बनाने के साथ पैकेजिंग और मार्केटिंग तक की गतिविधियों से अवगत होकर मैनापाट के प्रगतिशील किसानों का दल वापस लौट आया है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जशपुर के जिस क्षेत्र में चाय की खेती की जा रही है वैसे ही मौसम मैनापाट के पाठ क्षेत्रों का भी है, इसलिए मैनापाट में भी चाय की खेती निश्चित रूप से सफल होगी। पांच साल पहले प्रयोग के तौर पर जशपुर में चाय की खेती शुरू की गई थी। अब दायरा बढ़ता जा रहा है। पूरे नार्थ छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में चाय के बागान विकसित होने से इसकी अलग पहचान स्थापित होगी। सरगुजा के मैनापाट में नए बागान बड़े भूभाग पर स्थापित किए जाने की योजना तैयार की गई है। यहां के एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने भी पूरे उत्तार छत्तीसगढ़ की जलवायु को चाय की खेती के अनुकूल पाया है।

जशपुर जिले के ग्राम सारुडीह का चाय बागान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस बागान को देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। मात्र दस रुपए की फीस में चाय के बागान का अद्भुत नजारा उन्हें दार्जिलिंग, ऊंटी और असम में होने का अहसास कराता है। सारुडीह का चाय बागान पर्वत और जंगल से लगा हुआ है। अनुपयोगी जमीन में बागान बन जाने से आस पास न सिर्फ हरियाली है, पर्यटन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी सारुडीह और जशपुर की पहचान बढ़ रही है। चाय के बागान से पानी और मृदा का संरक्षण हुआ। बागान में चाय के पौधों को धूप से बचाने लगाए गए शेड ट्री को समय-समय पर काटा जाता है, जिससे जलाऊ लकड़ी भी गांव वालों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यहां बागान के पौधों के बीच में मसाला की खेती को भी आजमाया जा रहा है। सफलता मिली तो आने वाले दिनों में मसाला उत्पादन में भी जशपुर जिले का नाम होगा।

चाय प्रसंस्करण यूनिट में मशीन संचालन के लिए दार्जिलिंग क्षेत्र के

बीरबहादुर सुब्बा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुब्बा 40 साल तक चाय उत्पादन के क्षेत्र में काम कर चुके हैं और कंपनी से रिटायर्ड हैं। अनुभवी होने से सुब्बा के सहयोग से यूनिट संचालन में आसानी हो रही है। वे युवाओं को मशीन संचालन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। चाय प्रसंस्करण यूनिट में चाय उत्पादन शुरू हो गया है। हालांकि अभी एक लिमिट में चायपत्ती का उत्पादन हो रहा है, पर आने वाले समय में यहां से उत्पादित चाय को पैकेट में भरने और उसके विपणन के लिए और लोगों को काम देना पड़ेगा। पर्वतीय प्रदेशों के शिमला, दार्जिलिंग, ऊंटी, असम, मेघालय सहित अन्य राज्यों की चाय बागानों की तरह जशपुर के साखुडीह का चाय बागान पर्वत व जंगल से लगा हुआ है। यह 20 एकड़ क्षेत्र में फैला है। चाय प्रसंस्करण केंद्र लगने से पहले यहां समूह की महिलाओं द्वारा गर्म भट्टे के माध्यम से चाय तैयार किया जाता था। बगान में चाय के पौधों को धूप से बचाने लगाए गए शेड ट्री को समय-समय पर काटा जाता है, जिससे जलाऊ लकड़ी गाँव वालों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पौधों के बीच में मसाला खेती को भी अजमाया जा रहा है। सफलता मिली तो आने वाले दिनों में मसाला उत्पादन में भी जशपुर जिले का नाम होगा।

चाय प्रसंस्करण यूनिट में मशीन संचालन के लिए दार्जिलिंग क्षेत्र के बीरबहादुर सुब्बा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संयुक्त वन प्रबंधन समिति साखुडीह में स्व-सहायता के अनुसूचित जनजाति के 18 परिवारों के सदस्यों से मिला जा सकता है, जिन्होंने जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और अपनी मेहनत से 20 एकड़ क्षेत्र को चाय बगान में बदल दिया है। यहाँ 20 एकड़ कृषि भूमि पर चाय के पौधे लगे हैं। इसके प्रबंधन एवं प्रसंस्करणों में 2 महिला स्व-सहायता समूह जुड़े हैं। अब तो चाय की खेती से व्यापारिक स्तर पर ग्रीन टी एवं सीटीसी (CTC) का निर्माण किया जा रहा है।

यहाँ निर्मित चाय की गुणवत्ता की जाँच भी व्यावसायिक संस्थाओं से कराई है, जिसमें दोनों प्रकार की चाय की गुणवत्ता उत्तम पाई गई है, बगान में जैविक खेती को ही आधार बनाया गया है। इसके लिए हितग्राही परिवारों को उन्नत नस्ल का पशुधन भी उपलब्ध कराया गया है। जिससे उनको अतिरिक्त लाभ हो रहा है। मनोरा ब्लॉक में कांटाबेल, जशपुर ब्लॉक के बालाछापर, सिटोंगा, बगीचा ब्लॉक के छिछली, सरगुजा जिले के मैनपाट में प्रारंभ हो चुकी है। स्व-सहायता समूह और किसानों के समूह द्वारा इन बगानों से प्राप्त होने वाली चाय पत्ती को प्रोसेस कर सीमार्ट, वन विभाग के आउटलेट के साथ खुले बाजार में बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

जिला प्रशासन के सहयोग से बालाछापर में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया गया है। चाय की खेती के लिए उन्हें तकनीकी सलाह समय समय पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी जाती है। साखुडीह का चाय बगान पर्वत और जंगलों से सटा हुआ है, यहाँ अनुपयोगी जमीन में चाय बगान बन जाने से आसपास न सिर्फ हरियाली है बल्कि पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी साखुडीह और जशपुर की पहचान काफी ज्यादा बढ़ रही है। चाय के बगान से पानी और मिट्टी का संरक्षण भी काफी तेजी से हुआ है। चाय उत्पादन के क्षेत्र में अपनी धाक जमा चुके ने जशपुर ने अब अपनी धरती में उगे चाय की पत्तियों से निर्मित ग्रीन टी का दूसरा ब्राण्ड अब बाजार आ गया है। 'साखुडीह' नाम से लांच किया गया, यह चाय वन विभाग द्वारा संचालित जिले के ग्राम पंचायत साखुडीह के ढारुकोना गांव में स्थित सरकारी चाय बगान की देन है। इससे पहले ब्रह्मनिष्ठालय सोगड़ा में उत्पादित चाय को सोगड़ा नाम से बाजार में प्रस्तुत किया जा चुका है। जशपुर की चाय की विशेषता इसके पूरी

तरह से रसायन मुक्त होना है। चाय पत्ती के उत्पादन में पूरी तरह से जैविक खाद का उपयोग किया जा रहा है, वहीं चाय की पत्तियों की पैकिंग की प्रक्रिया को भी पूरी से रसायन से मुक्त रखा है। नतीजा जशपुर में उत्पादित चाय की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जशपुर की चाय की महक अब जिला और प्रदेश की सीमा से बाहर निकल कर देश में फैल रही है। चाय विशेषज्ञ यहाँ उत्पादित हो रही चाय पत्ती को दार्जिलिंग से बेहतर बता रहे हैं। चाय बगान के सफल प्रयोग के बाद अब प्रदेश सरकार ने जशपुर में सरकारी चाय प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की पहल की है। यह प्रदेश का पहला सरकारी चाय प्रोसेसिंग यूनिट होगा। बगान को संचालित कर रही महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाएँ करेंगी। सरकार का यह कदम महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी एक नया कदम माना रहा है। वर्ष में प्रत्येक परिवार को अच्छी आमदानी प्राप्त हो रही है।

दरअसल पर्वतीय और ठंडे प्रदेशों में ही चाय की खेती होती है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल का जशपुर में भी जलवायु की स्थिति ठंडे प्रदेशों की तरह है। यह जिला ऐसे ही भौगोलिक संरचना पर स्थित है, यहाँ के पठारी इलाके और लेटेराइट मिट्टी की होने की वजह से जशपुर में चाय के बगानों को विकसित करने के लिए अनुकूल वातावरण है। चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की गयी है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की पहचान यहाँ की विशिष्ट आदिवासी संस्कृति, प्राकृतिक पठारों एवं नदियों की सुन्दरता तथा ऐतिहासिक रियासत से तो है ही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जशपुर की पहचान में एक नया नाम जुड़ गया है और ये पहचान देशव्यापी हो गई है, अभी तक चाय की खेती के लिए लोग असम या दार्जिलिंग का ही नाम लेते रहे हैं, लेकिन जशपुर में भी चाय की खेती होने लगी है जो पर्यटकों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। हम जानते हैं कि पर्वतीय एवं ठण्डे इलाकों में ही चाय की खेती हो पाती है और छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला भी ऐसे ही भौगोलिक संरचना पर स्थित है।

पठारी क्षेत्र होने एवं लेटेराइट मिट्टी का प्रभाव होने की वजह से जशपुर में चाय की खेती के लिए अनुकूल वातावरण है इसे देखते हुए जशपुर में चाय की खेती के लिए यहाँ चाय बगान की स्थापना की गई है। खास बात यह है कि देश के अन्य हिस्सों में चाय की खेती के लिए कीटनाशक और रासायनिक खाद का इस्तेमाल होता है, किन्तु जशपुर के चाय बगानों में वर्मी कम्पोस्ट खाद का इस्तेमाल किया जाता है जो चाय के स्वाद को बढ़ाता है साथ ही सेहत का भी खयाल रखता है।

चाय प्रसंस्करण की स्थापना - छत्तीसगढ़ सरकार ने जशपुर जिले के बालाछापर में 45 लाख रुपये की लागत से चाय प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किया है, यहाँ पर उत्पादन कार्य भी प्रारंभ कर दिया है और इस प्रसंस्करण केन्द्र से सामान्य चाय एवं ग्रीन टी तैयार किया जा रहा है। बालाछापर में वन विभाग के पर्यावरण रोपणी परिसर में चाय प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना की गई है। इस यूनिट में चाय के हरे पत्ते के प्रोसेसिंग की छमता 300 किलो ग्राम प्रतिदिन की है।

ठण्डे प्रदेश में होने वाली फसल भी जशपुर में - जशपुर जिले के झिंकी नाम के एक गाँव में किसान लीची की खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। खास बात यह है कि इस गाँव के हर घर की बाड़ी में लीची के पौधे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीणों को बाड़ी में रोजगारमूलक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जिसका लाभ उठाकर झिंकी के किसान लाखों रुपये की आमदानी कर रहे हैं। इसके अलावा जशपुर में पपीता काजू समेत कई

अन्य उपज का लाभ भी किसान ले रहे हैं। सेब की खेती दे रही बंपर मुनाफा- जशपुर में किसान सेब की खेती भी कर रहे हैं। जशपुर के पहाड़ी इलाके में सेब की खेती का प्रयोग सफल साबित हुआ है। पहली बार यहाँ के करदाना गाँव में सेब के पौधे रोपे गए थे, अब जशपुर के पिछड़े आदिवासी इलाके में भी ग्रामीण सेब की खेती करके बंपर मुनाफा कमा रहे हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का सेब भी जम्मू- कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तरह देशभर के बाजारों में अपना स्थान बनाने लगा है।

सारुडीह का चाय बगान-ग्राम सारुडीह का चाय बगान पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बन गया है। इस बगान को देखने के लिए पर्यटक पहुँच रहे हैं। मात्र 10 रुपये की फीस में चाय बगान का अद्भुत नजारा उन्हें दार्जिलिंग, ऊँटी और असम में होने का अहसास कराता है। महिला समूह को विगत कुछ महिनो से 50 हजार रुपये से अधिक की आमदानी हो गई है।

धान की खेती तक ही सीमित रहने वाले जशपुर जिले के किसानों का रुझान नकदी फसल की ओर तेजी से रहा है। खासकर बगीचों और मनोरा तहसील के पाठ क्षेत्रों के किसान नए फसल को लेकर खासे उत्साहित हैं। यहाँ के किसानों ने टाऊ और आलू के व्यापक सफलता पाई है। पाठ क्षेत्रों में इन दिनों पड़ोसी राज्य झारखण्ड और उड़ीसा के मिर्च व्यापारियों का होड़ लगा है। जशपुर के सन्ना समेत आसपास के गाँवों में इन दिनों मिर्च की फसल लहलहा रही है। पहले केवल धान ही किसानों के आय का प्रमुख साधन था। मिर्च के लिए तापमान और बारिश का संतुलन बेहद आवश्यक है। ज्यादा पानी कम होने से पौधे के गलने का खतरा होता है, वहीं पानी कम होने से पौधों के गलने का खतरा होता है, वहीं पानी के ज्यादा कम होने से पौधे सूख जाते हैं। इसके अलावा कई बीमारियों की अशंका बनी रहती है। कभी गर्मी के सीजन मूसलाधार बारिश होती है। तो कभी बरसात के मौसम में तेज धूप खिली रहती है। समय-समय पर आने वाले चक्रवर्तीय तूफान और तेज बारिश के साथ ही पहाड़ों से उतरने वाला पानी भी फसल को नुकसान पहुँचाता है। जशपुर जिले में नाशपाती की खेती से समृद्ध हो रहे किसान-नाशपाती के वृहद उत्पादन से जिले के मनोरा और बगीचा तहसील को एक नई पहचान मिल रही है। जिले में धान के साथ किसान नाशपाती का उत्पादन सबसे अधिक खेती कश्मीर में की जाती है। जिले के पाठ क्षेत्रों की जलवायु नाशपाती के लिए बेहद अनुकूल बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य अपनी धान की दुर्लभ प्रजातियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। बड़े पैमाने पर धान की खेती होने के कारण राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। प्राकृतिक संपदा से भरपूर प्रदेश में नदियाँ, जंगल, पहाड़ और पठार भी काफी भू-भाग में हैं, इनमें पठारी भूमि में धान का उत्पादन नहीं हो पाने के कारण अर्थव्यवस्था में उनका योगदान सीमित हो गया था। जशपुर जिले के पठारी क्षेत्र में चाय और बस्तर में कॉफी की खेती ने संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने यहाँ की जलवायु के अध्ययन के आधार पर संभावनाओं को नई दिशा दी है। टी-कॉफी बोर्ड गठन का फैसला इसी दिशा में अहम कदम है। जिसके तहत राज्य में 10-10 हजार एकड़ में चाय और कॉफी की खेती कराने का लक्ष्य तय किया गया है। जशपुर जिले में चाय की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। यहाँ शासन ने जिला खनिज न्यास, वन विभाग, डेयरी विकास योजना और मनरेगा की योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करते हुए कांटाबेल, बालाछापर, सारुडीह के 80 एकड़ भूमि में चाय बागान विकसित हो रहे हैं।

कुछ साल बाद जब बागानों से चाय का उत्पादन शुरू होगा तो प्रति

एकड़ 2 लाख रुपये सालाना तक का किसान लाभ कमा सकेंगे। यह धान की खेती से कहीं अधिक लाभकारी साबित होगा। इसी तरह बस्तर के दरभा, ककालगुर और डिलमिली में कॉफी की खेती विकसित हो चुकी है। यहाँ कॉफी की दो प्रजातियाँ अरेबिका और रूबस्टा कॉफी लगाए गए हैं। बस्तर की कॉफी की गुणवत्ता ओडिशा और आंध्रप्रदेश के अरकू वैली में उत्पादित किए जा रहे कॉफी के समान है।

कॉफी उत्पादन के लिए समुद्र तल से 500 मीटर की ऊँचाई जरूरी है। बस्तर के कई इलाकों की ऊँचाई समुद्र तल से 600 मीटर से ज्यादा है जहाँ ढलान पर खेती के लिए जगह उपलब्ध है। 100 एकड़ जमीन में कॉफी उत्पादन का प्रयोग सफल रहा है। बस्तर कॉफी नाम से इसकी ब्रांडिंग भी हो रही है। उद्यानिकी विभाग किसानों को काफी उत्पादन का प्रशिक्षण भी दे रहा है। चाय-कॉफी की खेती की विशेषता यह है कि इसके लिए हर साल बीज नहीं डालना पड़ता। किसान कॉफी की खेती से हर साल 50 हजार से 80 हजार प्रति एकड़ आमदनी कमा सकते हैं। धान की तरह बहुत अधिक पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल देखभाल करने की आवश्यकता रहती है। वनोपजों के मामले में प्रदेश काफी आगे है और पठारी क्षेत्रों में चाय-कॉफी के उत्पादन से ग्रामीणों के लिए रोजगार और अर्थोपार्जन के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

जशपुर जिले में चाय उत्पादन की व्याप्त भावी संभावनाएँ- सरकार की ओर से टी-कॉफी बोर्ड बनाने पहल को सही दिशा में उठाया गया कदम माना जा सकता है। उम्मीद की जाती है कि कृषि वैज्ञानिकों के अध्ययन के आधार पर सरकार की तरफ से हुई इस पहल के सार्थक परिणाम सामने आएंगे और राज्य के किसानों और उद्यमियों की संपन्नता में चाय-कॉफी ताजगी लाने का काम करेगी।

जशपुर जिले में पाये जाने वाले मिट्टी

तालिका (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले को टी लैंड बनाने के लिए वन विभाग जुट गया है। अभी जिले में चार शासकीय व एक निजी बागान समेत चाय के बागान कुल 300 एकड़ में हैं। अब विभाग ने इसे एक हजार एकड़ में विस्तार करने की योजना बनाई है। इसकी कार्य योजना बनकर तैयार है। इसके लिए निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ ही शासकीय भूमि उपलब्ध कराने की रणनीति बनाई गई है। जिले में चाय बागान की शुरुआत वर्ष 2011 में मनोरा तहसील के ग्राम सोगड़ा से हुई थी। यहाँ अघोरेश्वर आश्रम में प्रयोग के तौर पर 11 एकड़ में असम से चाय के पौधे लाकर रोपे गए थे। प्रयोग को प्रारंभिक स्तर पर मिली सफलता के बाद वन विभाग के माध्यम से ग्राम पंचायत सारुडीह के दुरूआकोना में 11 किसानों की जमीन किराए में लेकर 10 एकड़ में चाय के पौधे लगाए गए। इसमें भी सफल रहने के बाद जिले के इस पहले सरकारी चाय बागान को 20 एकड़ तक विस्तारित किया जा चुका है। इसके अलावा बालाछापर, घुटरी, कांटाबेल, झोलंगा में भी चाय बागान तैयार हो चुके हैं। इसके लिए निवेशकों को शासकीय दर पर सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में 600 एकड़ जमीन का चिन्हांकन कर लिया गया है। साथ ही जो किसान पारंपरिक फसल छोड़कर चाय बागान से जुड़ना चाहते हैं उन्हें मनरेगा और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं के माध्यम से सहायता दी जाएगी।

जशपुर जिले के वन परिछेत्र पर्यावरण रोपणी बालाछापर से वर्ष 2022- 2023 में निर्गमित चाय एवं कॉफी के पौधे का विवरण-

क्र.	चाय/काँफी के पौधे रोपण किये स्थानों के नाम	विकास खण्ड	प्रजाति	पौधे की संख्या
1.	कांटाबेल	मनोरा	चाय	137901
2.	सारुडीह	जशपुर	चाय	26384
3.	अस्ता	जशपुर	चाय	43566
4.	गुटरी	जशपुर	चाय	60598
5.	डठाटोली एवं रजौटी	जशपुर	चाय	77898
6.	झोलंगा	जशपुर	चाय	33824
7.	बलरामपुर	बलरामपुर	चाय	18125
8.	छिछली	बगीचा	चाय	156822
9.	राजपुर	बलरामपुर	चाय	200
10.	सोगड़ा	जशपुर	चाय	672
11.	कांसाबेल	कांसाबेल	चाय	100
12.	ढोढीडाँड	कुनकुरी	चाय	200
13.	मैनपाट	सरगुजा	चाय	950
14.	हिण्डालको	सरगुजा	चाय	16500
15.	लोहरदगा	झारखण्ड	चाय	9273
16.	राँची	झारखण्ड	चाय	200
17.	अन्य	जशपुर	चाय	655
			कुल चाय के पौधे-	583868 नग
18.	झोलंगा	जशपुर	काँफी	500
19.	ढाँठाटोली	जशपुर	काँफी	6724
20.	रानी बगीचा	जशपुर	काँफी	2910
21.	ढोढीडाँड	कुनकुरी	काँफी	770
22.	कुनकुरी	कुनकुरी	काँफी	1255
23.	सेन्द्रीमुड़ा	बगीचा	काँफी	4760
24.	राजपुर	शकरगढ़	काँफी	880

25	रायपुर	रायपुर	काँफी	26
26	जशपुर	जशपुर	काँफी	150
27	गम्हरिया	जशपुर	काँफी	120
28	अन्य	जशपुर	काँफी	583
			कुल काँफी के पौधे-	18678 नग

स्रोत:- कार्यालय वन परिक्षेत्र पर्यावरण रोपणी बालाछापर, जिला-जशपुर (छ.ग.)

निष्कर्ष एवं सुझाव - भारत देश में अब तक हम असम एवं दार्जिलिंग को चाय उत्पादक राज्य के नाम से जानते थे, किन्तु अब छत्तीसगढ़ राज्य के जिला-जशपुर का नया नाम भी जुड़ गया है। उपरोक्त शोध से हमें यह ज्ञात होता है कि जशपुर क्षेत्र में चाय उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण है, यहाँ कि मिट्टी, जलवायु, वर्षा, औसत तापमान सभी चाय खेती के लिए उपयुक्त है। रोपणी बालाछापर में चाय, काँफी के पौधे तैयार किया जाता है। तत्पश्चात इसे जशपुर के विभिन्न क्षेत्रों में चाय की बगान में पौधे का रोपण किया जाता है, जशपुर के अलावा सरगुजा, बलरामपुर तथा झारखण्ड राज्य में भी यहाँ (जशपुर) से पौधे लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला-जशपुर में चाय के साथ-साथ ठण्ड प्रदेशों की बागवानी फसल की अपार संभावनाएँ हैं। सरकार को चाय उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, आई.डी.. सम्पूर्ण चाय उत्पादन और संसाधन, New Delhi Publishers, New Delhi ISBN:978-93-81274-63-7
2. कार्यालय उप संचालक कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जिला-जशपुर (छ.ग.)
3. कार्यालय वन परिक्षेत्र पर्यावरण रोपणी बालाछापर, जिला-जशपुर (छ.ग.)
4. www.cg.gov.in
5. www.jashpur.gov.in
6. कार्यालय जनसम्पर्क विभाग जिला-जशपुर (छ.ग.)।
7. दैनिक समाचार (पत्रिका, नवभारत, दैनिक भारत, हरिभूमि) पत्र।

जशपुर जिले में पाये जाने वाले मिट्टी:-

(हेक्टेयर में)

क्रं.	जिला	विकास खण्ड	भाटा	मटासी	डोरसा	कन्हार	कछार	योग
1.	जशपुर	जशपुर	9992	7498	2891	3117	-	23498
2.		मनोरा	15043	5198	2298	3800	-	26339
3.		दुलदुला	6000	5677	3214	2498	-	17389
4.		कुनकुरी	15000	7491	2081	2907	-	27479
5.		कांसाबेल	5680	9235	5125	5200	-	25240
6.		फरसाबहार	7078	5567	7531	10211	-	30387
7.		बगीचा	15810	20330	8847	8321	-	53308
8.		पत्थलगँव	9791	11589	16331	15700	-	53411

स्रोत:- कार्यालय उप संचालक कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जिला-जशपुर (छ.ग.)

उज्जैन जिले में तिलहनी फसलों के अन्तर्गत मूंगफली फसल की उत्पादकता, लागत एवं लाभपर विशेष अध्ययन

डॉ. बी. एल. पाटीदार* महेन्द्र कुम्भकार**

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शा. महाविद्यालय, सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मूंगफली वस्तुतः पोषक तत्वों की अप्रतिम खान है। प्रकृति ने भरपूर मात्रा में इसे विभिन्न पोषक तत्वों से सजाया-सँवारा है। मूंगफली वानस्पतिक प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत है। इसमें प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.5 गुना, अण्डों से 2.5 गुना एवं फलों से 8 गुना अधिक होती है। और इसमें 50 प्रतिशत वसा (फैट) होता है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट 10.2 प्रतिशत होता है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा 25 प्रतिशत से भी अधिक होती है, जबकि मांस, मछली और अंडों में उसका प्रतिशत 10 से अधिक नहीं होता है। 250 ग्राम मूंगफली के मक्खन से 300 ग्राम पनीर, 2 लीटर दूध या 15 अंडों के बराबर ऊर्जा की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। मूंगफली पाचन शक्ति बढ़ाने में भी कारगर है। 250 ग्राम भूनी मूंगफली में जितनी मात्रा में खनिज और विटामिन पाए जाते हैं, वो 250 ग्राम मांस से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। मूंगफली में तेल प्रतिशत मात्रा 45-55 प्रतिशत होता है।

मूंगफली खरीब की मुख्य फसल है, इसे जून-जुलाई माह में बोया जाता है, मूंगफली की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु एवं मौसम का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, मूंगफली के उत्पादन के लिए 22 से 25 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। मूंगफली के उत्पादन के लिए वर्षा 60 से 130 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है और वर्षा की पर्याप्त उपलब्धता के परिणाम स्वरूप इसका उत्पादन अधिक होता है। मूंगफली की खेती हल्की रेतीली व हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, परन्तु पानी के निकास वाली रेतीली दोमट भूमि मूंगफली के लिए अधिक उपयुक्त होती है।

उज्जैन जिले में मूंगफलीफसल की उत्पादन एवं उत्पादकता के मध्य सहसम्बन्ध

वर्ष	क्षेत्राच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
2016-17	160	180	1,125
2017-18	190	220	1,157
2018-19	250	442	1,768
2019-20	117	156	1,333
2020-21	152	373	2,451

स्रोत - किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश

उज्जैन जिले में मूंगफली तिलहन फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता के मध्य कार्ल पियर्सन के सहसम्बन्ध का विस्तृत अध्ययन किया गया।

जिसमें पाया गया की मूंगफली की फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता में 0.79 उच्च स्तरीय धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया, एवं मूंगफली के उत्पादन व उत्पादकता में सम्भाव्य विभ्रम 0.1133 पाया गया तत्पश्चात् मूंगफली के उत्पादन एवं उत्पादकता के मध्य प्राप्त सहसम्बन्ध की सार्थकता मापी गई, सहसम्बन्ध जो की सम्भाव्य विभ्रम के 6 गुना से अधिक है। अतः मूंगफली फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता के मध्य सहसम्बन्ध सार्थक है।

मूंगफली की लागत एवं लाभ – प्रति एकड़ मूंगफली की फसल में बीज की मात्रा लगभग 30 किलो से 35 किलो के बीच लगती है। मूंगफली की बुआई के लिए उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है। बुवाई के लिए खेत को तैयार किया जाता है। कृषि यंत्र सिडड्रिल के माध्यम से बीज की बुवाई करते हैं, लाईन से लाईन के बीच की दूरी 16 इंच रखते और बीज से बीज की दूरी 4 से 6 इंच रखते हैं। बुआई के समय हम बेसलडोज का उपयोग करते हैं। बीज बुवाई के बाद 48 घंटे के भीतर खरपतवार नाशक का छिड़काव किया जाता है। बीज बुवाई के 30-35 दिन के बाद में रासायनिक कीटनाशक, माइक्रो न्यूट्रन एवं देशी गोबर की खाद समय समय पर डालते हैं। मूंगफली की लाईन से लाईन के बीच में स्वतः उगने वाली गाजर घास को निंदाई व गुदाई द्वारा हटाया जाता है। खेत से मूंगफली की कटाई मजदूरों एवं कृषि यंत्रों द्वारा की जाती है। मूंगफली को खेत से मण्डी तक ट्रैक्टर ट्राली व अन्य साधनों (ट्रांसपोर्ट) के माध्यम से पहुँचाया जाता है। यह निर्भर करता है कि खेत से मण्डी तक की दूरी कितनी है। इस अनुपात में ट्रांसपोर्ट का खर्च कम या ज्यादा हो सकता है। मूंगफली की फसल की कुल लागत प्रति एकड़ ज्ञात करने में निम्नलिखित उपरोक्त लागतों को सम्मिलित किया जाता है।

उज्जैन जिले में मूंगफलीफसल से लागत एवं लाभ प्रति किंटल के मध्य सहसम्बन्ध

वर्ष	लागत प्रति किंटल	लाभ प्रति किंटल
2016-17	1,550	2,570
2017-18	1,659	2,791
2018-19	1,756	3,134
2019-20	1,878	3,212
2020-21	2,000	3,275

स्रोत - प्राथमिक संमक के आधार पर

उज्जैन जिले में मूंगफली तिलहन फसल की लागत प्रति किंटल एवं लाभ प्रति किंटल के मध्य कार्ल पियर्सन के सहसम्बन्ध का विस्तृत अध्ययन

किया गया जिसमें पाया गया की मूंगफली की फसल की लागत प्रति किंटल एवं लाभ प्रति किंटल में 0.94 उच्च स्तरीय धनात्मक सहसम्बन्ध पाया गया एवं मूंगफली की लागत प्रति किंटल व लाभ प्रति किंटल में सम्भाव्य विभ्रम 0.0351 पाया गया, तत्पश्चात् मूंगफली की लागत एवं लाभ के मध्य पाए गए सहसम्बन्ध की सार्थकता मापी गई जो की सम्भाव्य विभ्रम के 6 गुना से अधिक है। अतः मूंगफली फसल की लागत एवं लाभ के मध्य का सहसम्बन्ध सार्थक है।

निष्कर्ष – उपरोक्त तालिकाओं द्वारा अध्ययन करने के पश्चात् यह ज्ञात हुआ है कि उज्जैन जिले में तिलहनी फसलों के अन्तर्गत मूंगफली की फसल करने से अन्य फसलों की तुलना में पर्याप्त आय अर्जित की जा सकती है। उज्जैन जिले की जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति मूंगफली फसल के उपयुक्त है। यहाँ एक सामान्य किसान भी मूंगफली की फसल के उत्पादन से पर्याप्त लाभ अर्जित कर सकता है। क्योंकि उज्जैन जिले में मूंगफली फसल की उत्पादन लागत कम है और मूंगफली फसल से प्राप्ति अधिक है। उज्जैन जिले में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के मध्य मूंगफली की फसल की लागत एवं लाभ (प्रति किंटल) में 0.94 उच्च स्तरीय धनात्मक सहसम्बन्ध एवं सम्भाव्य विभ्रम 0.0351 पाया गया तत्पश्चात् मूंगफली

की लागत एवं लाभ के मध्य पाए गए सहसम्बन्ध की सार्थकता मापते हैं तोपाया गया है कि उज्जैन जिले में मूंगफली की फसल लागत से पर्याप्त लाभ अर्जित (अन्य बातें समान रहने पर) कर के दे सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. गुप्ता, डॉ. शिव भूषण- कृषि अर्थशास्त्र - एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन हाउस आगरा।
2. जैन, पी.सी. -भारत में कृषि विकास - रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।
3. राठौर, प्रो. एस.एस.-भारत कृषि अनुसंधान पत्रिका - पब्लिकेशन कृषि प्रणाली, मेरठ।
4. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, जिला सांख्यिकी कार्यालय, उज्जैन वार्षिक प्रकाशन।
5. किसान डायरी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
6. www.ujjain.nic.in
7. www.fci.gov.in
8. www.mprash.org

भारत में एम-कॉमर्स की स्थिति एवं भविष्य

डॉ. रनेहा बाबेल*

* सहायक आचार्य (लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी) राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश - एम-कॉमर्स वास्तव में ई-कॉमर्स का एक अग्रिम संस्करण है, जिसके द्वारा मोबाइल पर इंटरनेट का उपयोग कर व्यवसाय की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जिसमें डेस्कटॉप एवं लेपटॉप कंप्यूटरों पर इंटरनेट का उपयोग कर लेनदेन किया जाता है। ई-कॉमर्स द्वारा कभी भी, कहीं भी त्वरित गति से मॉल एवं सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया जा सकता है। लोग विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं की खोज एवं तुलना कर ऑनलाइन लेन-देन कर सकते हैं और ईमेल एवं फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। एम-कॉमर्स (मोबाइल कॉमर्स) वास्तव में किसी स्थान विशेष पर जाये बिना वायरलेस उपकरण जैसे मोबाइल के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं का क्रय और विक्रय है। एम-कॉमर्स उपयोगकर्ताओं को एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। मोबाइल फोन, मोबाइल एप्लिकेशन और इंटरनेट का उपयोग कर विभिन्न प्रकार के लेन-देन जैसे विभिन्न उत्पादों की खोज, खरीदारी, धनराशि का हस्तान्तरण, टिकट बुकिंग, उपयोगिता बिलों का ऑनलाइन भुगतान पूर्ण गोपनीयता के साथ सम्पादित किए जाते हैं। इस प्रकार, एम-कॉमर्स की सर्वव्यापकता, गतिशीलता, और लचीलेपन की क्षमता ने इस सुविधा को आम लोगों में लोकप्रिय बना दिया है। इंटरनेट का उपयोग करके ग्राहक विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से मोबाइल वाउचर, कूपन और लॉयल्टी कार्ड, स्थान-आधारित सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। वे भारतीय खुदरा ग्राहक जो स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, उनमें से लगभग 83% मोबाइल फोन पर खरीदारी कर रहे हैं, जो प्रदर्शित करता है कि भारत में एम-कॉमर्स का तेजी से विस्तार हो रहा है। विशेष रूप से इस समूह में 90% ग्राहक, 25-34 आयु वर्ग के ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं। इस आलेख में मोबाइल कॉमर्स की उपयोगिता, लाभ, हानियाँ और भारत में इसके भविष्य पर प्रकाश डाला जा रहा है।

शब्द कुंजी - एम-कॉमर्स, एप्लिकेशन, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल टिकटिंग, मोबाइल मार्केटिंग।

प्रस्तावना - मोबाइल कॉमर्स को आमतौर पर 'एम-कॉमर्स' कहा जाता है, जिसमें उपयोगकर्ता किसी भी प्रकार का लेन-देन, माल की खरीद और बिक्री सहित, किसी भी सेवा की जानकारी हासिल करने से लेकर उसका स्वामित्व या अधिकार हस्तान्तरण और तत्पश्चात मौद्रिक लेनदेन एवं रुपयों का अंतरण मोबाइल हैंडसेट पर वायरलेस इंटरनेट के द्वारा कर सकता है। वाणिज्य की अगली पीढ़ी शायद मोबाइल कॉमर्स या एम-कॉमर्स हो। इसकी व्यापक संभावित पहुँच को देखते हुए प्रमुख मोबाइल हैंडसेट निर्माण कंपनियां 2WAP (वायरलेस एप्लिकेशन प्रोटोकॉल) द्वारा स्मार्टफोन को सक्षम कर रही हैं और जो अधिकतम वायरलेस इंटरनेट प्रदान करता है, जिससे वेब सुविधाएं द्वारा वैयक्तिक, आधिकारिक और वाणिज्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक हो जो बाद में एम-कॉमर्स के लिए बहुत लाभप्रद होगा।

एम-कॉमर्स को एक वायरलेस इंटरनेट-सक्षम डिवाइस के माध्यम से कहीं भी सामान खरीदने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है:

- 'मोबाइल द्वारा ई-कॉमर्स प्रदान करना।'

- मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर वस्तुओं एवं सेवाओं की व्यावसायिक सूचनाएं प्राप्त कर क्रय-विक्रय करना, मांग एवं पूर्ति की शृंखला को पूर्ण करते हुए लेन-देन करना।
- मोबाइल वाणिज्य से तात्पर्य उस वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से है जिसमें मोबाइल या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट (PDA) जैसे आसान उपकरणों का उपयोग वाणिज्य करने के लिए किया जाता है। कहा जा सकता है कि ई-कॉमर्स की अगली पीढ़ी वायरलेस है जिसमें तार और प्लग-इन डिवाइस कोई आवश्यकता नहीं है।

अनुसंधान पद्धति - यह शोध पत्र गुणात्मक और द्वितीयक समंकों पर आधारित है। जिसे विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, प्रबंधकीय जर्नल, पुस्तकों एवं इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं एवं जानकारीयों से एकत्रित किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य :

1. एम-कॉमर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का अध्ययन करना,
2. एम-कॉमर्स के लाभ और सीमाओं को जानने के लिए,

3. भारत में एम-कॉमर्स की स्थिति एवं भविष्य का अवलोकन करना।

मोबाइल पर उपलब्ध उत्पाद और सेवाएं :

1. **मोबाइल ब्राउज़िंग** - वर्तमान में एक मोबाइल धारक बिना पर्सनल कम्प्यूटर का उपयोग किए अपने मोबाइल के ब्राउज़र का उपयोग कर दुनिया भर के प्रोडक्ट की जानकारी हासिल कर उन्हें ऑनलाइन खरीद सकता है। लोकेशन बेस्ड मोबाइल एप ग्राहकों को सही समय, सही स्थान एवं सही व्यक्ति को वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है। अमेज़ान, फ्लिपकार्ट, जोमाटो, स्नेपडील, ओला आदि इसके उदाहरण हैं।

2. **मोबाइल बैंकिंग** - बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को अपने बैंक खातों की जानकारी एक्सेस करने और भुगतान करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इन मोबाइल एप्स के द्वारा आसानी से मनी ट्रांसफर के साथ-साथ विभिन्न बिलों का भुगतान किया जा सकता है। स्टेट बैंक का योनी, फोनपे या पेटीएम इसके उदाहरण हैं।

3. **सामग्री की खरीद और वितरण** - वर्तमान में, मोबाइल सामग्री जैसे रिंगटोन, वालपेपर, गेम्स, एप्स, म्यूजिक, वीडियो आदि की खरीद और वितरण मोबाइल फोन पर की जा रही है। फोरजी नेटवर्क से युक्त मोबाइल जिसमें डाउनलोड की बेहतर गति होती है, पर ये सभी कार्य सेकेंड्स में घर बैठे पूर्ण हो जाते हैं।

4. **मोबाइल मनी ट्रांसफर** - अब मनी ट्रांसफर मुख्य रूप से मोबाइल फोन के उपयोग के माध्यम से किया जाता है। इसकी शुरुवात केन्या की एक कम्पनी सफारीकॉम द्वारा की गई थी। अधिकांश मॉल, संस्थानों और दुकानों में स्थिर स्वचालित टेलर मशीन (ATM) पाई जाती हैं लेकिन विशेष आयोजनों में मेलों, कार्निवाल, परेड या विशेष यात्राओं के दौरान जब आसपास कोई एटीएम उपलब्ध नहीं होता है तब अस्थाई तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित की जा सकने वाली मोबाइल एटीएम मशीन स्थापित की जाती है।

5. **मोबाइल टिकटिंग** - विभिन्न प्रकार की टिकटों को मोबाइल फोन पर बुक किया जा सकता है, उसे अंतरित किया जा सकता है। टिकट चेक होने पर अपने मोबाइल फोन को तत्काल प्रस्तुत करके, उन टिकट का उपयोग किया जा सकता है। अब अधिकांश मोबाइल धारक इस तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं।

6. **मोबाइल वाउचर, कूपन और लॉयल्टी कार्ड** - वाउचर, कूपन, और लॉयल्टी कार्ड के वितरण के लिए मोबाइल टिकटिंग तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। ये आइटम एक वर्चुअल टोकन द्वारा दर्शाए जाते हैं जो मोबाइल पर भेजा जाता है।

7. **स्थान-आधारित सेवाएं** - मोबाइल वाणिज्य या एम-कॉमर्स लेनदेन के समय मोबाइल धारक की लोकेशन की जानकारी महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे उपयोग के समय स्थानीय जानकारी, छूट, मौसम की जानकारी ली जा सकती है और लोगों की ट्रैकिंग एवं निगरानी रखी जा सकती है।

8. **सूचना सेवाएं** - समाचार, स्टॉक कोट, खेल स्कोर, आर्थिक लेख, ट्रैफिक रिपोर्टिंग, आपातकालीन अलर्ट, स्थान आधारित सूचनाएं आदि सूचना सेवाओं की विस्तृत विविधता को मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है। उपयोगकर्ता के मोबाइल डिवाइस को वास्तविक

यात्रा पैटर्न के आधार पर अनुकूलित ट्रैफिक जानकारी, भेजी जा सकती है। यह अनुकूलित डेटा एक सामान्य ट्रैफिक-रिपोर्ट की तुलना में अधिक उपयोगी है, जो आधुनिक मोबाइल उपकरणों के आविष्कार से पहले अव्यावहारिक था।

9. **मोबाइल ब्रोकरेज** - मोबाइल उपकरणों के माध्यम से दी जाने वाली स्टॉक मार्केट सेवाएं अब अधिक लोकप्रिय हो गई हैं। ये ग्राहक को बाजार के विकास पर प्रतिक्रिया करने की अनुमति देते हैं।

10. **मोबाइल मार्केटिंग और विज्ञापन** - मोबाइल कॉमर्स के संदर्भ में, मोबाइल पर भेजे गए मार्केटिंग संदेश मोबाइल मार्केटिंग को संदर्भित करते हैं। कम्पनियों की रिपोर्टों से पता चलता है कि पारम्परिक विज्ञापन अभियानों की बनिस्पत ग्राहक मोबाइल मार्केटिंग में बेहतर और तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं। इसका प्राथमिक कारण मोबाइल एप्लिकेशन और इसे सक्षम करने वाली वेबसाइट होती है। यहाँ उपभोक्ता एक विपणन संदेश या डिस्काउंट कूपन प्राप्त कर सकते हैं।

एम-वाणिज्य के लाभ और सीमाएँ - एम-कॉमर्स के कुछ लाभ नीचे वर्णित हैं:

1. **उपयोग करने में आसान** - मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करना आसान है। इन एप्लिकेशन्स को उपयोग में लाने के लिए किसी विशेष कौशल या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा उपभोक्ता आसानी से प्रोडक्ट खरीद कर बिल की डिलीवरी पर भुगतान कर सकते हैं।

2. **सर्वसुलभ पहुंच** - मोबाइल फोन हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं और यह सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रेता मोबाइल फोन और एप्लिकेशन्स के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं और ग्राहक उत्पादों को खोजने के लिए विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा विक्रेता तक पहुंच सकते हैं। दूरियों का फासला होने पर भी विक्रेता और ग्राहक एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं।

3. **उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सौदा** - उपभोक्ता विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके विभिन्न आइटम खोज कर सकते हैं। उनकी लागत, डिलीवरी समय और स्थान की तुलना कर आदेश कर सकते हैं और सबसे अच्छा सौदा प्राप्त कर सकते हैं।

4. **समय की बचत** - उपभोक्ता आवश्यक उत्पाद खोज सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं और भौतिक दुकानों का दौरा किए बिना सबसे अच्छा सौदा प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार उनका यात्रा करने का समय और धन बचता है। वह मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके कभी भी कहीं भी उत्पाद खरीद सकता है। एम-कॉमर्स ग्राहकों को मूवी टिकट, रेलवे टिकट, हवाई टिकट, ईवेंट टिकट बुक करने में सक्षम बनाता है, जिससे काफी समय की बचत होती है। जैसे बुक माई शो, आईआरसीटीसी मोबाइल एप्लिकेशन ऑनलाइन आरक्षण सेवाएं प्रदान करता है।

5. **सुरक्षित लेनदेन** - मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर उपभोक्ता सुरक्षित लेनदेन कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए उपभोक्ताओं को लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान किए जाते हैं। लेन-देन के प्रमाणीकरण के लिए ऑन टाइम पासवर्ड (OTP) लिए उत्पन्न होता है। जिसका उपयोग सुरक्षित एम-

भुगतान के लिए किया जाता है।

एम-कॉमर्स से हानियाँ :

1. छोटी स्क्रीन - उपभोक्ता के कार्य को मोबाइल डिवाइस की छोटी स्क्रीन एक ही डिस्प्ले स्क्रीन में ज्यादा प्रोडक्ट को देखना मुश्किल बना देती है। किसी भी प्रोडक्ट को देखने के लिए यूजर को तस्वीरों को बार बार जूम करना पड़ता है। इस प्रक्रिया के कारण उपभोक्ता थकान महसूस करने लगता है। इसके अलावा आई केचिंग तस्वीरों को यूजर पकड़ नहीं पता इसलिए रिटेलर के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके उत्पाद बेचना मुश्किल हो जाता है।

2. सुरक्षा - मोबाइल सुरक्षा में नियमित रूप से सुधार हो रहा है। लेकिन अधिकांश उपभोक्ता मोबाइल डिवाइस पर लेनदेन पर विश्वास नहीं करते। इंटरनेट की तुलना में हैकर्स के लिए मोबाइल डिवाइस नेटवर्क को हैक करने के अधिक अवसर होते हैं। इसलिए मोबाइल पर लेन-देन सुरक्षित लेनदेन होना चाहिए।

3. मोबाइल कॉन्फिगरेशन - मोबाइल कॉन्फिगरेशन मोबाइल एप्लिकेशन के अनुरूप होना चाहिए, इसलिए मोबाइल कॉन्फिगरेशन इसके उपयोग को सीमित कर देता है।

4. धीमी प्रक्रिया - मोबाइल डिवाइस की गति व्यक्तिगत कंप्यूटर से कम है। सर्चिंग के दौरान उपभोक्ताओं को फ्लैश वीडियो और प्लग-इन जैसी सामग्री को हटाना पड़ता है, जिसमें बहुत समय खर्च होता है। इस तरह धीमी गति के कारण आदेश देने और उत्पादों की डिलीवरी में समय ज्यादा लगता है।

भारत में एम-वाणिज्य सेवाओं का भविष्य - भारत में लगातार मोबाइल फोन का उपयोग बढ़ रहा है, यह केवल कॉल करने के लिए नहीं बल्कि दोस्तों और परिवार के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनता जा रहा है। मोबाइल फोन तकनीक ने एक नई परिपाटी का विकास किया है और वह है मोबाइल कॉमर्स। निम्न तालिका भारत में मोबाइल उपयोगकर्ता और उसमें भी स्मार्ट फोन उपयोगकर्ताओं में वृद्धि को दर्शाया गया है -

तालिका संख्या 1

वर्ष	भारत में मोबाइल उपयोगकर्ता (मिलियन में)
2014	199.08
2015	251.79
2016	299.24
2017	399.95

2018	373.88
2019	401.74
2020	757.2
2021	853.42
2022	938.27
2023	1013.57

स्रोत - www.statista.com

तालिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि भारत में स्मार्टफोन उपयोग करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष तक मोबाइल कॉमर्स से कुल सकल बिक्री 2.52 ट्रिलियन डॉलर तक होने का अनुमान है।

निष्कर्ष - भविष्य के व्यवसाय में मोबाइल कॉमर्स एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। एम-कॉमर्स सेवाओं की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। बाजारों में तीव्र प्रतिस्पर्धा के साथ विभिन्न भुगतान रणनीतियों, और अधिक ग्राहक जागरूकता मोबाइल के उपयोग को बढ़ावा देती हैं। अगले पांच वर्षों में एम-कॉमर्स से बिक्री चौगुनी तक होने का अनुमान है। कुछ ई-कॉमर्स साइटों (जैसे अमेज़न) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जबकि अधिकांश व्यवसायों ने केवल एम-कॉमर्स की सफलता का अनुभव किया। हालाँकि, इन सभी में एक बात समान है कि वे अब अपने ब्रांड को बढ़ाने, अपनी बिक्री बढ़ाने और प्रतिस्पर्धियों के साथ मेल-जोल रखने के लिए एम-कॉमर्स को सार्वभौमिक रूप से पहचानते हैं। संक्षेप में, एम-कॉमर्स का भविष्य उज्ज्वल है, और ऐसा लग रहा है कि यह और भी शानदार हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अर्चना एम नवरे: इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन कम्प्यूटर एंड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाल्यूम 5 इशु 4
2. <http://www.regalix.com/insights/m-commerce-trends-in-india>.
3. <https://yourstory.com/mystory/m-commerce-in-2019-trends-to-keep-up-with-and-bene-wbx3hb5125>
4. <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/india-is-fastest-growing-e-commerce-market-report/articleshow/66857926.cms>
5. <https://www.statista.com/statistics/274658/forecast-of-mobile-phone-users-in-india/>

पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की वास्तविक स्थिति

कृष्णा राजावत*

* शोधार्थी, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय) उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – पंचायतीराज की विभिन्न संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन के बाद हाशिये पर खड़े समुदायों जैसे महिलायें, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति को जो आरक्षण मिला इससे इन संस्थाओं के स्वरूप में बहुत बदलाव देखा गया। इसमें जो महिला समुदाय है उसको जो आरक्षण मिला है उस आरक्षण का मूल उद्देश्य था इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, उन्हें आगे लाना क्या यह उद्देश्य वास्तविक स्थिति में परिपूर्ण हुआ है या नहीं यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

प्रस्तावना – महिलाओं को आरक्षण तो मिल गया लेकिन उनके समक्ष अनेक चुनौतियां थी जैसे शिक्षित न होना, सामाजिक स्तर पर महिलाओं का उपेक्षित होना, परिवार में जिम्मेदारियां अधिक होने से समय का अभाव, घुंघट प्रथा, परिवार में सम्मान जनक स्थिति न होना, नौकर शाही में उनके साथ उपेक्षित व्यवहार करना पुरुष प्रधान समाज होना आदि अनेक बाधाएं थी। जैसे निरक्षर होने पर सचिव व अन्य लोगों पर उन्हें निर्भर रहना पड़ता है। तथा परिवार में स्थिति कमजोर होना इनकी प्रमुख समस्याएं हैं। जिनके कारण महिलाएं आरक्षण मिलने पर भी अपनी भूमिका का निर्वाह पूर्ण व सही रूप में नहीं कर पा रही हैं। वे अपने अधिकारों की पूर्ण जानकारी नहीं रखती हैं, वे विकास योजनाओं की समझ नहीं रखती हैं। बैठकों में वह भाग में तो लेती हैं पर महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी भागीदारी नहीं होती है। भारत वर्ष ग्रामीण और शहरी समुदाय में महिलाओं में घुंघट निकालने की प्रथा प्रचलित रही है। जो आज भी बदस्तूर जारी है। और वे पंचायतों की बैठकों में भी घुंघट निकालकर बैठती हैं। और इसे हम आज भी पिछड़ेपन का कारण मानते हैं। चुनाव प्रणाली में भाग लेना ही ग्रामीण महिलाओं के लिये बहुत है। सदियों से वे घर की चार दिवारों में ही बन्द रहीं हैं। पंचायत समिति व जिला परिषद जैसी संस्थाएं पंचायत व्यवस्था की शिखर की संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं में महिलाओं के साथ समानता के आधार पर व्यवहार नहीं होता है। वे पंचायतों में सम्बोधन में असमर्थ हैं। पंचायत सम्बन्धी उचित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने से वे अपने कार्यों के लिये दूसरों पर निर्भर रहती हैं।

राजनीति में एक बार आने और किसी पद पर चुने जाने के बाद जन प्रतिनिधि जनता की समस्याओं और सरोकारों से बेपरवाह हो जाते हैं यही बात महिला नेतृत्व पर भी लागू होती है।

महिलाओं का पंचायतीराज संस्थाओं में निरन्तर नेतृत्व विकसित हो रहा है। हजारों हजार महिलाएं वार्ड पंच से लेकर जिला प्रमुख तक विभिन्न पदों पर आसिन हैं। प्रश्न यह है कि क्या नेतृत्व से महिला सबलीकरण वास्तव में प्रभावशाली हो रहा है। निष्कर्षतः यह कहना होगा कि विगत 20 वर्षों में महिला समुदाय में जो नेतृत्व उभर कर आया है वह उनके सबलीकरण का सकारात्मक संकेत है। अब तक देश की राजनीति में पुरुष वर्ग का वर्चस्व रहा है। देश की संसद और राज्य की विधान सभा में महिलाओं की सदस्यता

काफी कम है। दूसरी और तृणमूल स्तर की संस्थाओं में वार्ड पंच से लेकर जिला प्रमुख तक के पदों में महिला आरक्षण की व्यवस्था है। अतः कहा जा सकता है कि महिलाएं अब इस मत कि हैं कि वे राजनीति में पुरुषों की ही तरह सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि चुनाव प्रणाली ने ग्रामीण समाज की सोच में काफी परिवर्तन किया है। महिलाओं को समानता मिलना और उनकी इज्जत में बढ़ोतरी होना मामूली प्रसंग नहीं है। यह परिघटना आगे जाकर समानता के मार्ग को प्रशस्त करेगी और महिलाओं को जनतंत्रीय प्रणाली में समान भागीदारी प्रदान करेगी इसकी आशा की जा सकती है।

समुचे प्रसंग पर गहराई से विचार कर देखे तो यह ज्ञात होता है कि आरक्षण के अभाव में महिला जनप्रतिनिधियों का विभिन्न पदों पर चुन कर आना असम्भव नहीं पर कठिन अवश्य था। अतः यह कहा जा सकता है कि आरक्षण व्यवस्था के कारण ही महिलाओं में पंचायत के संस्थाओं में समान रूप से भागीदार बनने का अवसर मिला। पंचायतीराज के प्रारम्भिक वर्षों में यह बात प्रचलित थी की सरपंच महिला के साथ सरपंच पति न केवल पंचायत भवन जाता था अपितु कामकाज में भी हस्तक्षेप किया करता था लेकिन अब लगता है कि इस प्रवृत्ति में परिवर्तन आया है लेकिन अब महिला जन प्रतिनिधि केवल उपस्थिति ही दर्ज नहीं करवाती अपितु सामाजिक हित के मुद्दे भी उठाती हैं। यह कहा जा सकता है कि इस व्यवस्था से हजारों महिलाओं को पंचायत में आने का अवसर मिला है साथ ही यह भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो परिवार राजनितिक दृष्टि से सक्षम हैं इन्हें इनका अधिक लाभ मिला है। हमारे देश में भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है अतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र कि संस्थाओं में भी भ्रष्टाचार विविध रूपों में पनप रहा है। लेकिन कुछ थोड़े से प्रयासों से ही इन संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। जैसे-कुछ ऐसे प्रयत्न व प्रयास किये जाने चाहिए जिसमें महिलाएं वास्तविक रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें जहां तक महिला जन प्रतिनिधियों का प्रश्न है अधिकांश अशिक्षित ही नहीं निरक्षर भी हैं। और उनसे किसी बड़ी भूमिका की आशा करना गलत है। अतः उन्हें कम से कम साक्षर तो बनाया ही जाना चाहिये।

राज्य कर्मचारियों को चाहिये कि वह महिला जनप्रतिनिधियों से

समानजनक व्यवहार करें सबसे महत्वपूर्ण बात ग्रामपंचायतों के महिला जनप्रतिनिधियों को अनिवार्यतः प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जो महिलाएं घूंघट में बैठती हैं उन्हें घूंघट के बिना बैठने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिला जनप्रतिनिधि यदि कोई मुद्दा या प्रश्न रखना चाहे तो उसे गम्भीरता से लेना चाहिए और पंचायत तथा अधिकारियों को चाहिए कि वे उसका समाधान करें। अतः ऐसे कुछ प्रयत्न हैं जिनके माध्यम से हम वास्तविक रूप से धरातल की इन संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ व मजबूत कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आर. एस. दरडा फ्रॉम प्युडिलीज्म टू डेमोक्रेसी, दिल्ली 1971 पृष्ठ 283
2. आर. एस. दरडा लोकल गर्वनेमेंट ए कम्पेरेटिव स्टडी, 1985, पृष्ठ 32-33
3. वही पृष्ठ 36-37
4. रविन्द्र शर्मा, विपेज पंचायत इन राजस्थान, जयपुर 1986, पृष्ठ 18
5. श्वेता मिश्रा, डेमोक्रेटिक डिसेन्टरलाइजेशन इन इंडिया, नई दिल्ली 1994 पृष्ठ 33-33
6. पंचायती राज कानून संग्रह, जयपुर 1986 पृष्ठ 48
7. वही पृष्ठ 48
8. वही पृष्ठ 59
9. इकबाल नारायण, पंचायतीराज एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान, नई दिल्ली, 1973 पृष्ठ 4
10. वही पृष्ठ 5-6
11. श्री कृष्ण दत्त शर्मा एवं सुनीता दादिक, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद्, अधिनियम, जयपुर 1983 पृष्ठ 122
12. वही पृष्ठ 128-129
13. वही पृष्ठ 130
14. हैनरिक मैडिक, ए स्टडी ऑफ रूरल लाईफ गर्वमेंट इन इंडिया, लंदन 1970, पृष्ठ 102
15. इकबाल नारायण, एम.वी. माथुर एवं अन्य, पंचायतीराज इन राजस्थान, जयपुर, 1966 पृष्ठ 60-65
16. वही पृष्ठ 60-65
17. वही पृष्ठ 58
18. पंडित जवाहर लाल नेहरू, सामुदायिक विकास एवं पंचायतीराज के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में उद्बोधन, नई दिल्ली, 3 अगस्त 1962
19. सादिक अली समिति रिपोर्ट, राजस्थान सरकार जयपुर 1963, पृष्ठ 3
20. वही पृष्ठ 16-17
21. वही पृष्ठ 20
22. वही पृष्ठ 21-22
23. सादिक अली रिपोर्ट, राजस्थान सरकार, जयपुर 1963, पृष्ठ 52-53
24. वही पृष्ठ 24-25
25. वही पृष्ठ 25-26
26. गिरधारी लाल व्यास समिति (आदेश संख्या एफ.एड./3926 एड.एम./71 दिनांक 8 नवम्बर 1971) पृष्ठ 5-7
27. वही पृष्ठ 154-163
28. वही पृष्ठ 164-165
29. बसन्ती लाल बाबेल, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 जयपुर, वही पृष्ठ 5 धारा -4
30. वही पृष्ठ 16 धारा 6
31. वही पृष्ठ 16 धारा 5
32. वही पृष्ठ 17 धारा 7
33. वही पृष्ठ 22 धारा 23
34. वही पृष्ठ 84-86, धारा 51
35. वही पृष्ठ 53 धारा 23
36. वही पृष्ठ 40
37. वही पृष्ठ 41
38. वही पृष्ठ 94

उदयपुर की आहड़ नदी पर जल प्रदूषण और नगरीकरण का प्रभाव

सुरभि सिंघल* डॉ. अविनाश अग्रवाल**

* सहायक आचार्य (भूगोल) एस.आर.के.पी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर (राज.) भारत
** सहायक आचार्य (प्राणीविज्ञान) एस.आर.के.पी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर (राज.) भारत

प्रस्तावना - प्राचीन समय से ही मनुष्य का निवास नदी-घाटियों एवं जलाशयों किनारे रहा है जिसके उदाहरण के रूप में इराक की दजला-फरात सभ्यता, सिंधुघाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा-मोहनजोदड़ो आदि सभ्यताओं के रूप में देख सकते हैं। जहाँ पर जल की कम उपलब्धता रही वहाँ तालाबों, जलाशयों, बाँधों का निर्माण किया गया। इसी प्रकार नगरीकरण एक सतत् प्रक्रिया है जिसकी विचारधारा का जन्म औद्योगिक क्रान्ति के बाद में हुआ था। नगरों के विकास एवं स्वरूप के निर्धारण में नगरों में निवासित जनसंख्या, भूमि उपयोग, उत्पादन, औद्योगिकरण आदि कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नगरों को व्यतिशील एवं व्यवस्थित करने के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ पर्यावरण, परिवहन, शिक्षा, संचार, व्यापार, चिकित्सा सुविधा आदि कारक नगरों को गतिशील बनाये रखते हैं परन्तु ये कारक प्रदूषण के लिए भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। उद्योगों से निकले अपशिष्ट पदार्थों की निपटान (Waste disposal from industries) तथा अन्य मानव क्रियाओं के फलस्वरूप जल की गुणवत्ता में आये ऐसे परिवर्तन जिनके कारण जल पीने, घरेलू कार्यों, कृषि, मत्स्य पालन तथा अन्य कार्यों के लिये अनुपयुक्त हो जाता है, जल प्रदूषण (Water pollution) कहलाता है।

जल प्रदूषण की पूर्ण परिभाषा संयुक्त राज्य अमेरिका के जन स्वास्थ्य सेवा पेयजल मानकों (Drinking Water Standards of Public Health Services of United States) के अनुसार, प्लम में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थ जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक, विकिरण, जैविक आदि की उपस्थिति जिसके कारण जल की विशेषताओं में कमी हो जाने से घातक प्रभाव या जल की उपयोगिता में कमी आ जाती है, जल प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषित जल में विषाक्त पदार्थों के साथ-साथ कई बीमारियों के जीवाणु व विषाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है एवं मनुष्यों में हैजा, पीलिया, इत्यादि रोग हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज भारत में लगभग दूँ तिहाई रोग जल जनित हैं।

आजादी के बाद भारत की अर्द्धशताब्दी का इतिहास नगरों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में औद्योगिकरण, प्रशासन, तकनीकी, पुनर्वास, धर्म, पर्यटन आदि कारणों से नगरों की संख्या, फैलाव एवं जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 की जनगणना में जहाँ 27.29 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या थी, वही वर्ष 2011 की जनगणना में यह बढ़कर 31.16 प्रतिशत हो गई है। नगरों की संख्या को देखें तो वर्ष

1951 में देश में 2744 शहर थे जो वर्ष 2011 में बढ़कर 7936 हो गये हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नजर डालने पर पता चलता है कि सर्वाधिक 90 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि महानगरों में हुई। राजस्थान के नगरों में भी लगातार वृद्धि रही है। इससे एक और महानगरों में भीड़ भरे एवं अस्वाभाविक आवास की स्थिति उत्पन्न हुई तथा जल प्रदूषण, कच्ची बरती, अत्यधिक परिवहन जैसी अनेक समस्याओं का जन्म हुआ।

मेवाड़ राज्य की राजधानी के रूप में उदयपुर शहर की स्थापना 1559 ई. में गुहिलोत सिसोदिया वंश के शासक महाराणा उदयसिंहजी ने मेवाड़ की नई राजधानी के रूप में की। उदयपुर की स्थापना से लेकर वर्तमान तक विभिन्न महाराणाओं का यहाँ पर शासन रहा है और यहाँ के सभी शासकों ने इस शहर के विकास और नियोजन में अपना अमूल्य योगदान दिया है। अरावली से घिरे उदयपुर शहर की स्थापना के समय यह शहर परकोटे के अन्दर ही था लेकिन वर्तमान में इसका विस्तार होकर उत्तर में चिरवा, पूर्व में डबोक, पश्चिम में रामपुरा और दक्षिण में बलीचा तक हुआ है। उदयपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 व 76 गुजरते हैं तथा यहाँ पर महाराणा प्रताप हवाई अड्डा व उत्तर पश्चिमी रेलवे होने के कारण अच्छी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध है। इस कारण से भी उदयपुर का नगरीकरण वर्तमान में बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। वर्तमान में उदयपुर शहर कुल 37 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा यहाँ की शहरी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 3,66,000 व्यक्ति है।

उदयपुर शहर आहड़ नदी के किनारे बसा हुआ है। उदयपुर बेसीन में मुख्य रूप से आहड़ नदी व इसकी सहायक नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है। यह भाग विश्व की सबसे प्राचीनतम अरावली पर्वतमाला के दक्षिण मध्य में स्थित है। आहड़ नदी बेसीन में कई मानव निर्मित झीलें व तालाब स्थित है जिसमें मुख्य रूप से कोटड़ा नदी पर 14-15 वीं शताब्दी ई. में निर्मित राणा लाखा द्वारा पीछोला झील रही एवं यहाँ पर अन्य झीलों में फतहसागर, कुमारिया तालाब, गोवर्द्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, उदयसागर आदि झीलें उदयपुर शहर में स्थित हैं।

आहड़नदी गोगुन्दा की पहाड़ियों से निकलती है तथा 30 किलोमीटर बहने के पश्चात उदयसागर में जाकर गिरती है। उदयसागर से आगे इसे बेड़च कहा जाता है। बेड़च नदी भीलवाड़ा जिले के बीगोद नामक स्थान के समीप बनास नदी में मिल जाती है। आहड़ नदी जलग्रहण पर विभिन्न जलाशयों का निर्माण किया है जो कि वर्षा काल के जल को संग्रहीत करते हैं। यह जल यहाँ के निवासियों के लिए पीने के लिए एवं कृषि कार्यों के लिए

जल उपलब्ध करवाते हैं। आहड़ नदी जलग्रहण क्षेत्र में बढ़ते नगरीकरण के कारण यहाँ पर वर्तमान में जल की पूर्ति को पूरा करने के लिए मानसी वाकल परियोजना बनाई गई है, जिससे झीलों का जल स्तर उच्च रहेगा।

नगरीकरण के कारण आहड़ नदी का जल-ग्रहण क्षेत्र भी सिकुड़ता जा रहा है। पूर्व में इस नदी की चौड़ाई 1 किमी के लगभग थी जो वर्तमान में घटकर 100 से 200 मी के औसत में रह गई है और अब यह मात्र एक नाले के रूप में बहती है। नगरीकरण के बढ़ने के साथ आयड नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण भी बढ़ता जा रहा है।

पंजाब विश्वविद्यालय के सेन्टर ऑफ एडवांस स्टडी जियोलोजी के बी.के.दास के आयड नदी व उदयसागर झील के पानी पर रासायनिक शोध के अनुसार इस पानी में फॉस्फेट की अत्यधिक उच्च मात्रा है जो सतह तथा उपसतह पर 186 एवं 236 μg प्रति लीटर तक है। पानी में घुलित आक्सीजन की मात्रा मात्र 4.61 से 3.50 मी.ग्रा. प्रति लीटर के औसत से प्राप्त हुई है वहीं दूसरी ओर पानी की विद्युत चालकता 1316 से 1395 – $\mu\text{S}/\text{cm}$ प्राप्त हुई। इसके अलावा 8.90 मी.मी प्रति वर्ष की उच्च अवसादन दर भी प्राप्त हुई है। शैवाल की अत्यधिक वृद्धि व समय-समय पर मछलियों के मरने की दर पानी की स्थिति स्पष्ट करती है। उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार आयड का पानी मानव उपयोग, पशु उपयोग व कृषि कार्य के लिए भी उपयुक्त नहीं रहा है तथा इसका मुख्य कारण आयड नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाईयों है जो चोरी-छूपे अपना प्रदूषित पानी इसमें निस्तारित कर रही है। इसके कारण जहाँ पूर्व में मछलियों की 40 से ज्यादा प्रजातियाँ पायी जाती थी यह अब घटकर लगभग 17 ही रह गयी है। वर्तमान में शहर में जलमल निस्तारण की उचित व पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण पुराने शहर व अधिकांश नई आबादी क्षेत्रों में अपशिष्ट खुली नालियों और नालों द्वारा आहड़ नदी में ही प्रवाहित कर दिया जाता है।

उदयपुर के बढ़ते नगरीकरण के कारण आयड नदी के दोनों ओर स्थित आवासीय कॉलोनीयों से निकलने वाला प्रतिदिन का कचरा जागरूकता के अभाव में आयड नदी में फेंक दिया जाता है वहीं दूसरी ओर सफाईकर्म भी आलस्यवश पूरी कॉलोनी का संग्रहित कचरा कचरा पात्र में न डाल कर पास में प्रवाहित आयड नदी में डाल देते हैं।

आयड नदी तंत्र के प्रदूषण व इसमें हो रहे कचरे व मलजल निस्तारण के परिणाम स्वरूप इसका पानी अत्यधिक दूषित हो गया है जिससे अनेक प्रकार की बिमारियों के फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है साथ ही मच्छरों के पनपने से मलेरिया व डेंगू जैसी बिमारिया भी बढ़ रही है।

उदयपुर के सात औद्योगिक क्षेत्रों में से छः क्षेत्र आयड के अपवाह तंत्र में स्थित है तथा इनमें चार हजार से भी ज्यादा औद्योगिक इकाईयों पंजीकृत है। अधिकांश उद्योगों ने अपने अपशिष्ट के निस्तारण के लिए ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर रखे हैं किन्तु फिर भी कई उद्योग चोरी-छूपे अपना अपशिष्ट आयड नदी में प्रवाहित कर देते हैं जिससे आसपास की फसलें इस प्रदूषित पानी के कारण नष्ट हो रही है। उदयपुर में इतनी झीलों के कारण पर्यटन

उद्योगों का विकास हुआ है तथा बढ़ती जनसंख्या, पर्यटन व होटल एवं रेस्टोरेट व्यवसाय के कारण वर्तमान में जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अनुमानतः उदयपुर में 2,500 से अधिक विभिन्न श्रेणी की होटल हैं व 700 से अधिक रेस्टोरेट हैं और अधिकांश से निस्तारित अपशिष्ट आयडनदी में ही प्रवाहित होता है।

आयड नदी व उदयसागर झील की सुपोशणीयता पर आर. पी. विजयवर्गी द्वारा वर्ष 1986 व वर्ष 2006 के तुलनात्मक अध्ययन में इनके पानी सम्बंधित आँकड़े प्राप्त हुए हैं जिससे निष्कर्ष निकलता है की नदी के जल का तापमान लगातार बढ़ रहा है जिससे तली में जमे हुए पदार्थ उपर की ओर आते हैं जो सतही जल को उपयोगी नहीं रहने देते हैं। नदी के जल की पारदर्शिता भी अत्यधिक कम है जो प्रकाश संश्लेषण में बाधक है। पानी की एल्केलाइनिटी भी लगातार बढ़ रही है व साथ ही पानी में नाइट्रोजन व फॉस्फेट की मात्रा में भी लगातार वृद्धि हो रही है।

वहीं दूसरी ओर आयड नदी के कारण उदयपुर को 'पूर्व का वेनिस' कहा जाता है परन्तु पर्यटकों को यहाँ आने पर निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि आयड नदी के नाम पर उन्हें मात्र एक गन्दा नाला देखने को मिलता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि नगरीकरण एवं जल प्रदूषण का हमेशा नदी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे उस तंत्र का पर्यावरणीय तंत्र बिगड़ जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. रोड सिंह देवड़ा, उदयपुर के नगरीकरण का आहड़ नदी पर प्रभाव (शोध आलेख), पृ. 3-6, सामाजिक शोध पत्रिका, जून 2018, बदलाव संस्थान
2. दास, बी. के. (1999), एनवारनमेंटल पॉल्यूशन ऑफ उदयसागर लेक एण्ड इम्पेक्ट ऑफ फॉस्फेट माइन्स, स्प्रिंकलर, वोल्यूम 38, अंक 3 पृ. 244-248.
3. विजयवर्गी, आर. पी. (2007), ट्रोफिकेशन-ए केस स्टडी ऑफ हाई युट्रोफिकेटेड लेक उदयसागर, प्रोसिडिंग्स ऑफ ताल 2007: द 12 वर्ल्ड लेक कांफ्रेंस, पृ. 1557-1560
4. विजयवर्गी, आर. पी. (2007), युट्रोफिकेशन ए केस स्टडी ऑफ हाई युट्रोफिकेटेड लेक उदयसागर, प्रोसिडिंग्स ऑफ ताल 2007, द 12 वर्ल्ड लेक कांफ्रेंस, पृ. 1557-1560
5. जिला सांख्यिकी रूपरेखा 2015-2016, कार्यालय उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, उदयपुर
6. www.censusindia.gov.in
7. रोड सिंह देवड़ा, आहड़ नदी के जलग्रहण क्षेत्र पर बढ़ते नगरीकरण के प्रभावों का विश्लेषण (अप्रकाशित शोध प्रबंध), मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, 2019
8. साक्षात्कार-डॉ. रोड सिंह देवड़ा, सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर (राजस्थान)

Acute Toxicity Effects in the Kidney of Juveniles of *Tilapia mossambica* due to Pursuit

Kamlesh Ahirwar* Romsha Singh**

* Department of Zoology, J.H.Govt.P.G. College, Betul (M.P.) INDIA

** Department of Zoology, Govt. M.L.B. Auto. Girls College, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - A group of fish fingerlings of *Tilapia mossambica* were exposed to different sub lethal concentration of herbicide pursuit for histological toxic effects of kidney with two sub lethal concentration (63.7 ppm 85.0 ppm) for 96 hrs. Kidney shows slight glomeruli exhibited mild shrinkage and breakage of their outer cell wall. But higher concentration (127.5 ppm) of Pursuit for 96 hrs. caused hypertrophy and compactness of the convoluted tubules.

Keywords: Acute toxicity, juveniles, kidney, pursuit, *Tilapia*.

Introduction - Pesticide toxicity is a serious problem for any water resources which may cause degradation of water quality and affect the organic life of that water body. Toxicity may include both lethal and sub lethal effect such as changes in growth development and damages to various organ system. The test herbicide (pursuit) falls in the category of carbamate extensively used for the control of weeds in soyabean and groundnut crops to get maximum yield of crops in Agriculture.

Aquatic toxicity can be more specifically measured on fingerlings (juveniles) of fishes rather than on adult once, as they are immature adult forms in its outward appearance having delicate organ system hence they are more sensitive towards any environmental changes. Considering the recent trend in the field of fishery the present work has been carried on fingerlings of *Tilapia mossambica*.

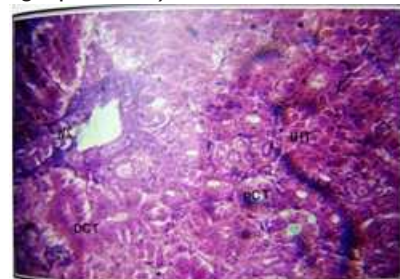
Kidney is the responsible organ for elimination and separation of harmful substances from the body so any toxicant present in water causes various structural changes in the kidney as shown in a few recent studies (Mandal & Kulshreshtha, 1980). It is therefore aimed to examine the acute changes in the kidney of *Tilapia mossambica* fish fingerlings due to pursuit intoxication.

Material & Method : Live fingerlings of *Tilapia mossambica* (average length of 5 to 7 cm) were collected from the fish farm and acclimatized in to the laboratory condition. After detection of LC₅₀ value to observed the acute toxicity (96 hrs.) of pursuit three different sublethal concentration (63.7 ppm, 85.0 ppm and 127.5 ppm) of their LC₅₀ value were selected and the test fingerlings were expose to these three sublethal concentration.

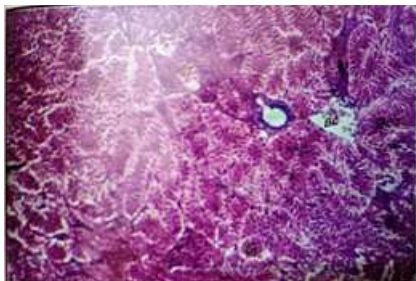
After the termination of experiments i.e., after 96 hrs, all the fingerlings were sacrificed and their kidney were dissected out. Both the organs were weighed first and fixed in bouin's fluid, blocks were prepared in paraffin and 5 to 6

mm sections were cut for normal histopathological studies using hematoxylin and eosin staining (Ehrlich, 1886). Stained sections were examined by student's microscope and micro photographed.

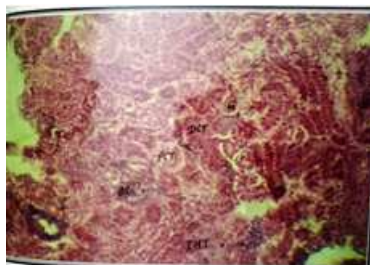
Result & Discussion : The kidneys of unexposed fingerlings are paired elongated structure showed well demarkated cortex and medulla. Histologically it is made up of a large number of tubules known as proximal and distal convoluted tubules. A mass of capillaries which is known as glomeruli present in the capsule and some haemopoietic tissues were distributed in the tubules (Microphotograph No. 1). Mild degenerative changes were observed in the kidney after 96 hrs exposure of 63.7 ppm pursuit. Glomeruli exhibited shrinkage and swelling of their outer wall (Microphotograph No. 2). Fingerlings exposed in to 85.00 ppm pursuit for 96 hrs resulted extensive necrosis in haemopoietic tissue proximal and distal convoluted tubules showed shrinkage (Microphotograph No. 3). After 96 hrs exposure of 127.5 ppm pursuit caused by hypertrophy and compactness of the convoluted tubules. Basement membrane of the glomeruli was ruptured and interstitial tissue were damaged and vacuolation appeared (Microphotograph No. 4).



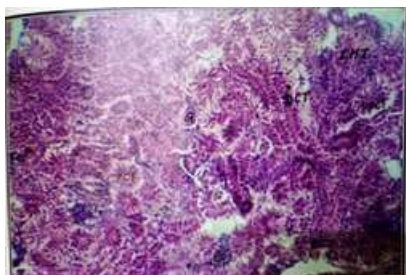
Microphotograph-1. - TS of kidney of Control *O. mossambica* fingerlings stained with haematoxylin-Eosin stain x 400.



Microphotograph-2. - TS of kidney of kidney of *O. mossambica* fingerlings after 96 hrs. exposure to 63.7 ppm pursuit.



Microphotograph-3. - TS of kidney of kidney of *O. mossambica* fingerlings after 96 hrs. exposure to 85.0 ppm pursuit.



Microphotograph-4. - TS of kidney of kidney of *O. mossambica* fingerlings after 96 hrs. exposure to 127.5 ppm pursuit.

Various researchers have also reported histopathological changes in the kidney of fishes due to pesticidal and other toxicants exposure. Pulla Rao, (1998) reported shrinkage in glomeruli disintegration of renal tubules due to intoxication of detergents in the kidney of *Labeo rohita* fingerlings. In the present study renal tissue of *Tilapia mossambica* exhibited glomerular shrinkage and breakage of kidney tissue till 96 hrs. exposure of 63.7 ppm pursuit. Pandey et.al., (1997) also reported histopathological alterations in the kidney of *Liza parsia*.

Degenerative changes like vacuolation, swelling of haemopoietic tissue by hypertrophy in convoluted tubules were observed after 85.00ppm pursuit exposure for 96 hrs. These observations were also supported by the finding of Sastry and Sharma, (1979), Rasthwar and Ilyas, (1984),

Singh, (1993); Shrivastav, (1997). Sahoo et.al., (2001); investigated pathological alterations in various organs of *Labeo rohita* due to acute exposure of aflatoxin and found degenerative to necrotic changes in the kidney tubules. In the present study 127.5 ppm acute exposure of pursuit also causes compactness and hypertrophy of the convoluted tubules. These findings are well supported by the findings of Singh and Tilanthe, (1999); Barry, (2000); Benjamin et.al., (2006). In fine it is concluded that like other pesticides pursuit is also hazardous for aquatic organisms and ultimately through food chain it affects human life and environment also.

References:-

1. Barry, M.B. (2000): Toxic Nephropathies in the kidney, Vol.2 (W.B. Saunders Company, Philadelphia), 1563.
2. Benjamin, N., Kushwah, A., Sharma, R.K. and Katiyar, A. (2006): Histopathological changes in the liver, kidney and muscles of pesticides exposed malnourished and diabetic rats. Ind. Journal of Exp. Biology, 44: 228-232.
3. Mandal, P.K. and Kulshrestha, A.K. (1980): Histopathological changes induced by the sublethal submersion on *Clarias batrachus*. Ind. J. Exp. Biol. 18(5): 547-552.
4. Pulla Rao, V.D.V.P. (1998): The histopathological effect of certain detergents on gill and kidney of fingerlings of *L. rohita*. Ph.D. Thesis R.U. Bhopal.
5. Pandey, A.K., Gorge, K.C. and Peer, M. (1997): Branchia; renal and hepatic lesions in an estuarine mullet *L. parsia* induced by sublethal exposure of B.H.C.. Indifish, 44(3): 279-286.
6. Rashatwar, S.S. and Ilyas, R. (1984): effects of phosphomidon in a fresh water teleost *Namacheilus denisoni* a histopathological and biochemical studies. J. Env. Biol. 5:1-8.
7. Sahoo, Mukherjee, S.C. and Nayak, S.K. (2007): Acute and subchronic toxicity of aflatoxin B. in *L. Rohita* indian J. of Experimental Biol. 39: 453-458.
8. Sastry, K.V. and Sharma, P.V. (1979): Studies on the effect of dimecron on the digestive system of fresh water fish *Channa punctatus*. Arch. Environ. Toxicol., 8: 397-407.
9. Shrivastava, N. (1997): Studies on the toxicity of endosulfan on *Nandus*. Ph.D. thesis, B.U., Bhopal.
10. Singh, A.K. (1993): Pesticidal effect of the gills, liver and kidney of *C. carpio*. Ph.D. Thesis B.U. Bhopal.
11. Singh and Tilanthe, (1999): Alterations caused by pesticides in the kidney of *C. mrigala*. Ind. J. Z. Spect., 9(1&2): 15-18.

Changes in the Levels of Area, Production and Productivity of Major Crops in Agro-Climatic Zones of Madhya Pradesh (Period 1965-66 To 2020-21)

Jageshwar Prasad Prajapati* Dr. Dolly Kushwaha** Prof. Neelkanth G. Pendse***

* Asst. Prof., Govt. S.S.A. College, Sihora, Jabalpur (M.P.) INDIA

** Asst. Prof., Badal Bhoi College, Parasia, Chhindwara (M.P.) INDIA

*** Department of P.G. Studies & Research in Economics, R.D. University, Jabalpur (M.P.) INDIA

Abstract - Madhya Pradesh predominantly an agrarian state. The state is divided into five crop zones which are further divided into eleven agro-climatic zone. The data for the present study were collected from published sources and a period of 1965-66 to 2020-21 were considered. The compound growth rate in area, production and yield of major crops was computed for agro-climatic regions. The result suggests that no uniform pattern has been observed in study units. The dominant crop zone has performed less significantly than non-dominant agro-climatic zones. Especially the growth rate in yield have not shown dominance in crop zones. The area growth in crop zones is not very much significant in dominant zone. The production scenario was relatively better in almost all the agro-climatic zones on account of improved infrastructural facilities.

Keywords: Agro-climatic zones, annual compound growth rates, area, production, yield, agricultural crops, short-run and overall time series.

Introduction - Madhya Pradesh (MP), located at the centre of India, is often called the "Heart of India". It is a landlocked state, surrounded by Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Rajasthan and Gujarat. Until 2000, it was the largest state in the country in terms of geographical area; however, in November 2000, Chhattisgarh was carved out of the south-eastern part of erstwhile Madhya Pradesh. Currently, MP is the second largest state in India after Rajasthan and it spreads over a geographical area of about 308 lakh ha, which is about 9% of the total area of the country. The average rainfall received by MP is around 95.2 cm during the monsoon season. This accounts for around 91% of the total rainfall in the state. In MP, the eastern parts receive relatively higher monsoon rainfall (105.1 cm) as compared to the western parts (87.6 cm).

According to the 2011 Census, Madhya Pradesh has a population of 72.7 million and the estimated population for 2018 is 82.3 million, which is 6% of India's population. Madhya Pradesh had 54.6% of its workforce engaged in agriculture in 2015-16 (Labour Bureau, 2015-16) while the contribution of agriculture to overall GSDP was 40% in TE 2018-19 (CSO). The agricultural sector is largely dominated by small and marginal farmers. In 2015-16, 75.5% of small and marginal farmers with a holding size of less than 2 ha accounted for 48% of the total area operated. The average size of landholding declined from 2.28 ha in

1995-96 to 1.78 ha in 2010-11 and further to 1.57 ha in 2015-16.

In Madhya Pradesh, 50% of the reported utilised area was under cultivation. Madhya Pradesh is primarily a food grain-growing state—around 62% of its gross cropped area (GCA) was under food grains and 32% under oilseeds in TE 2014-15. Within food grains, 39% of GCA was under production of cereals while 23% was under pulses. Wheat is the most important cereal grown in the state, accounting for around 24% of the GCA. Among pulses, gram is the main crop grown with around 13% of GCA dedicated to the crop (63% of pulse area), followed by *arhar* (2% of GCA and 10% of area under pulses). Wheat is the major crop grown during the *rabi* season and it is intercropped with gram while in the *kharif* season, MP mostly grows oilseeds, specifically soybean. Around 25.2% of GCA is under soybean cultivation.

Moreover, acreage under the two main crops in MP—wheat and soybean—has increased significantly over the years. Acreage under wheat increased from 4 million ha in TE 1994-95 to 5.6 million ha in TE 2014-15. Similarly, the acreage under soybean increased from 3.2 to 6.0 million ha in the same period. Further, the relative importance of wheat has also increased over the given period. In TE 1994-95, wheat contributed around 16% of GCA; this has increased to 24% in TE 2014-15. Similarly, the share of

area under soybean as a percentage of GCA has increased from 13 to 25%, almost doubled in the past two decades. Acreage under gram, on the other hand, has increased only marginally from 2.4 million ha in TE 1994–95 to 3.0 million ha in TE 2014–15. Consequently, its share in GCA has only increased from 10 to 13% in the same period.

Although MP is one of India's major food grain-producing regions, there has been an increasing trend towards the cultivation of horticultural crops as a cash crop. There has been a significant expansion of area under vegetables in MP after 2010–11. Acreage under vegetables increased from 284,000 ha in 2010–11 to 930,000 ha in 2017–18. This has almost tripled the share of area under vegetables in GCA from 1.3% in 2010–11 to 3.9% in 2017–18. While the expansion of area under vegetables was sudden and took place after 2010–11, in the case of fruits, the expansion began as early as 2008–09. The area under fruit cultivation increased from 47,000 ha in 2007–08 to 92,000 ha in 2008–09 and further to 355,000 ha in 2017–18.

The present paper is divided into four sections. The first section belongs to introduction, followed by review of past literature in second section, the third section is dedicated for methodology adopted in the present paper, finally, section four belongs to results and discussions.

Review of Past Literature

In India, agriculture and other allied activities contribute significantly to the Gross Domestic Product (GDP), accounting for nearly 16 per cent of the total GDP. It provides employment to around 64 per cent of the total work force while contributing 18 per cent of the total export. India, with only 2.3 per cent of world's total land area supports 18 per cent of human and 15 per cent of livestock population in the world. The country has made an impressive progress on the food front, which has resulted in increased production of food grains (Anonymous, 2010). In Karnataka, maize production was increasing at 8.29 per cent per annum during the study period. Similar trend was reported by Singh and Singh (1991) and Sinha and Thakur (1993) who observed an increasing trend in yield level in their study.

Sustaining growth in agriculture assumes priority to the government, policymakers and academicians due to high dependency of population on agriculture (Chand and Parappurathu, 2012; Ravallion and Datt, 1996; Datt and Ravallion, 1998; Virmani, 2008). The results imply that main factors contributing to the agricultural growth in Madhya Pradesh are, (i) expanded irrigated area coverage; (ii) improvement in credit; (iii) assured and remunerative price for wheat by strengthening wheat procurement system (Krishnamurthy 2012) and (iv) diversification towards high value crops. Assured and remunerative price for wheat by strengthening wheat procurement system also helped farmers in realizing fair prices for their produce (Gulati et al. 2017).

Sahu and Mishra (2013) studied trend analysis using

different parametric model and forecasting the production, import - export (both in quantity and value) and trade balance of total spices in India and China along with world using different parametric trend models using time series data covering the period of 1961–2009. Niranjana et al., (2015) studied the sustainability of yield of major food grains in Madhya Pradesh.

One of the major reasons for low productivity in Madhya Pradesh is that the pulses are largely grown in rain fed situations. Pant and Kukreti (1976) found the production changes over initial years were quite on marginal land which is incapable of supporting high yield. Poor crop management is another most important factor contributing towards poor production with almost no fertilizer application. Also, in view of the problem situation discussed George and Nampoori (1966) in Kerala state to find variations in agricultural productivity due to soils and climate.

In recent years, many researchers have been using compound annual growth rate to predict area, production and productivity of agricultural crops. Surender and Satinder (2014) predicted area, production and productivity of sugarcane in Haryana. They found that the area's growth rate was declined in all states of Haryana, and the growth rate of production was positive in only two districts, Bhiwani and Karnal. The productivity growth was increasing in all sections of Haryana except Gurgaon, Rewari, and Sirsa. Shabana and Madhulika (2018) investigated growth and instability analysis in Indian agriculture. They revealed that rice and maize's area has increased, the production of pulse and wheat has increased, and the productivity of wheat and pulses has increased in the period. Nethravathi and Yeledhalli (2016) forecasted growth and instability in area, production and productivity of different agricultural crops in Bengaluru. Neethu et al. (2017) investigated growth and instability in area, production and productivity of Cassava in Kerala. Abid et al. (2014) forecasted area and production of Maize in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Production and consumption of minor millets in India investigated by Balaji et al. (2017). Kumari et al. (2017) investigated forecasting models for predicting pod damage of pigeon pea in Varanasi region. Kumari et al. (2016) forecasted yield of pigeon pea in Varanasi region by using different statistical models. Kumari Prity and Sathish Kumar (2021) forecasted area, production and productivity of citrus in Gujarat by using different artificial neural network models. Sathish Kumar M and Kumari Prity (2021) forecasted area, production and productivity of sapota in Gujarat. Gayathri (2018) investigated trend analysis of area, production and yield of ground nut in India. Prajneshu and Chandran (2005) computed compound growth rate of different agriculture crops in India. Saikia and Gosh (2021) found growth rate of area and production of silk in different areas of Assam. Kumari et al., (2018) investigated trend analysis of area, production and productivity of Jute crop in India. Unjia et al. (2021) investigated trend analysis of area, production

and productivity of maize in India. In another study, **Nida and Rahman (2020)** applied compound annual growth rate to find out growth rate of area, production and productivity of Sugarcane crop in India.

Section III: Material and methods

i. Area of the Study: The entire state of Madhya Pradesh has been the area of the study. The state level aggregates constitute the study area.

ii. Period of the Study: Statistical information from 1965-66 to 2020-21 constitute the period of the study. This period is considered as long run or overall time series. Thus, overall time series covers a span of 55 years. For providing better understanding this overall time series is divided into three short run time series as under:

- a. Short run Period I: 1965-66 to 1982-83
- b. Short run Period II: 1983-84 to 2000-01
- c. Short run Period III: 2001-02 to 2020-21
- d. Overall or long run Period 1965-66 to 2020-21

iii. Data Sources: The statistical information pertaining to the study was mainly gathered from the various volumes of Agricultural Statistics of Madhya Pradesh. Data on some other aspects were collected with the help of various web sites of governmental and non-governmental agencies.

iv. Objectives of the Study: The objective of the present study is to investigate into the growth in area, production and yield of various crops agro-climatic zones of the state of Madhya Pradesh.

v. Hypotheses of the Study: The hypotheses are as under:

There is no growth in area, production and yield of various crops.

vi. Variable specification:

- a. **Cereals:** Rice, Wheat, Jowar, Bazra, Maize
- b. **Pulses:** Tur, Urad, Moong, Gram, Masur, Matar
- c. **Oilseeds:** Til, Sarson, Als, Soya bean
- d. **Commercial crop:** Sugarcane and cotton
- e. **Variables:** Area, Production and Yield of crops

vii. Tools and Techniques:

a. Growth rate analysis: Regression analysis is used to analyse the behaviour of crop over the period of time. The area, production and yield of the crops is dependent variable and time is independent variable. The parameters are obtained with the help of ordinary least square technique. Following two regression line are as under:

$$\Sigma Y = N a + n \Sigma X \dots\dots\dots (1)$$

$$\Sigma XY = N \Sigma X + B \Sigma X^2$$

Y = dependent variable (area, production and yield of the crops)

X = independent variable (time)

'a' = Intercept

'b' = regression coefficient (slope)

Equation (1) is solved as under:

$$'b' = \frac{N \Sigma xy - \Sigma x \Sigma y}{(N \Sigma y^2) - \Sigma x^2} \dots\dots\dots (2)$$

$$a = \bar{Y} - b \bar{X} \dots\dots\dots (3)$$

Log-linear form is as under

$$Y = ab^x \dots\dots\dots (4)$$

$$\text{Log } Y = \text{Log } a + x \text{ log } b$$

viii. Test of significance: t-test is used to adjudicate the parameters of simple and multiple regression coefficients.

ix. Limitations of the Study: The present study is based on secondary data. Thus, the validity and reliability of results will depend upon the validity and reliability of the secondary data.

Section IV: Results and Discussion

The growth rate in area, production and yield of major crops namely- Paddy, Wheat, Jowar, Bazra, Maize, Tur, Urad, Moong, Gram, Masur, Matar, Til, Sarson, Als, Soya bean, Sugarcane and Cotton were computed for three short-run time series Short run Period I: 1965-66 to 1982-83; Short run Period II: 1983-84 to 2000-01; Short run Period III: 2001-02 to 2020-21 and Overall or long run Period 1965-66 to 2020-21 for agro-climatic zones of the State of Madhya Pradesh.

The results of Short run Period I: 1965-66 to 1982-83 for area growth suggests that the maximum growth rate in area was observed in Kymore Plateau & Satpura Hills as 4.976 per cent per annum in case of Paddy; Kymore Plateau & Satpura Hills as 14.150 per cent per annum in case of wheat; Malwa Plateau as 2.539 per cent per annum in case of jowar; Vindhya Plateau 0.006 per cent per annum in case of bazra; Malwa Plateau as 8.546 per cent per annum in case of maize; Vindhya Plateau 1.318 per cent per annum in case of tur; Kymore Plateau & Satpura Hills as 0.429 per cent per annum in case of urd; Gird Region as 0.036 per cent per annum in case of moong; Malwa Plateau as 12.231 per cent per annum in case of gram; Kymore Plateau & Satpura Hills as 1.049 per cent per annum in case of matar; Vindhya Plateau 3.977 per cent per annum in case of masur; Chhattisgarh plains as 0.008 per cent per annum in case of til; Gird Region as 1.333 per cent per annum in case of sarson; Malwa Plateau as 1.685 per cent per annum in case of als; Vindhya Plateau 7.317 per cent per annum in case of soya bean; Malwa Plateau as 0.598 per cent per annum in case of ganna; and Nimar Plains 2.406 per cent per annum in case of kapas.

The results of Short run Period II: 1983-84 to 2000-01 for area growth suggests that the maximum growth rate in area was observed in Northern Hill Region of Chhattisgarh as 7.184 per cent per annum in case of Paddy; Malwa Plateau as 19.569 per cent per annum in case of wheat; Northern Hill Region of Chhattisgarh as 0.053 per cent per annum in case of jowar; Jhabua Hills 0.259 per cent per annum in case of bazra; Satpura Plateau as 2.976 per cent per annum in case of maize; Bundelkhand Region 0.261 per cent per annum in case of tur; Northern Hill Region of Chhattisgarh as 0.476 per cent per annum in case of urd; Gird Region as 0.174 per cent per annum in case of moong; Malwa Plateau as 15.482 per cent per annum in case of gram; Bundelkhand Region as 1.233 per cent per annum

in case of matar; Vindhya Plateau 5.695 per cent per annum in case of masur; Bundelkhand Region as 1.513 per cent per annum in case of til; Malwa Plateau as 25.379 per cent per annum in case of sarson; Northern Hill Region of Chhattisgarh as 0.900 per cent per annum in case of als; Malwa Plateau 100.328 per cent per annum in case of soya bean; Central Narmada Valley as 0.343 per cent per annum in case of ganna; and Satpura Plateau 1.045 per cent per annum in case of kapas.

The results of Short run Period III: 2001-02 to 2020-21 for area growth suggests that the maximum growth rate in area was observed in Vindhya Plateau as 12.292 per cent per annum in case of Paddy; Malwa Plateau as 44.258 per cent per annum in case of wheat; Northern Hill Region of Chhattisgarh as 0.326 per cent per annum in case of jowar; Gird Region 5.103 per cent per annum in case of bazra; Satpura Plateau as 9.943 per cent per annum in case of maize; Kymore Plateau & Satpura Hills 7.506 per cent per annum in case of tur; Vindhya Plateau as 10.092 per cent per annum in case of urd; Kymore Plateau & Satpura Hills as 1.283 per cent per annum in case of moong; Malwa Plateau as 22.162 per cent per annum in case of gram; Kymore Plateau & Satpura Hills as 4.163 per cent per annum in case of matar; Northern Hill Region of Chhattisgarh 4.054 per cent per annum in case of masur; Bundelkhand Region as 5.633 per cent per annum in case of til; Malwa Plateau as 12.220 per cent per annum in case of sarson; Malwa Plateau as 0.586 per cent per annum in case of als; Malwa Plateau 17.146 per cent per annum in case of soya bean; Central Narmada Valley as 2.636 per cent per annum in case of ganna; and Nimar Plains 2.278 per cent per annum in case of kapas.

The results of Overall or long run Period 1965-66 to 2020-21 for area growth suggests that the maximum growth rate in area was observed in Northern Hill Region of Chhattisgarh as 4.591 per cent per annum in case of Paddy; Malwa Plateau as 16.262 per cent per annum in case of wheat; Northern Hill Region of Chhattisgarh as 0.064 per cent per annum in case of jowar; Gird Region 1.579 per cent per annum in case of bazra; Satpura Plateau as 4.092 per cent per annum in case of maize; Kymore Plateau & Satpura Hills 1.383 per cent per annum in case of tur; Bundelkhand Region as 3.228 per cent per annum in case of urd; Kymore Plateau & Satpura Hills as 0.247 per cent per annum in case of moong; Vindhya Plateau as 11.367 per cent per annum in case of gram; Kymore Plateau & Satpura Hills as 1.351 per cent per annum in case of matar; Kymore Plateau & Satpura Hills 3.017 per cent per annum in case of masur; Bundelkhand Region as 2.403 per cent per annum in case of til; Malwa Plateau as 11.026 per cent per annum in case of sarson; Northern Hill Region of Chhattisgarh as 0.123 per cent per annum in case of als; Malwa Plateau 51.177 per cent per annum in case of soya bean; Central Narmada Valley as 0.957 per cent per annum in case of ganna; and Nimar Plains 2.542 per cent per

annum in case of kapas.

The results of Short run Period I: 1965-66 to 1982-83 for production growth suggests that the maximum growth rate in production was observed in Northern Hill Region of Chhattisgarh as 7.105 per cent per annum in case of Paddy; Vindhya Plateau as 28.293 per cent per annum in case of wheat; Jhabua Hills as 58.758 per cent per annum in case of jowar; Gird Region 0.866 per cent per annum in case of bazra; Malwa Plateau as 14.251 per cent per annum in case of maize; Vindhya Plateau 0.575 per cent per annum in case of tur; Malwa Plateau as 1.315 per cent per annum in case of urd; Kymore Plateau & Satpura Hills as 0.024 per cent per annum in case of moong; Malwa Plateau as 8.349 per cent per annum in case of gram; Kymore Plateau & Satpura Hills as 1.097 per cent per annum in case of matar; Vindhya Plateau 1.550 per cent per annum in case of masur; Malwa Plateau as 0.350 per cent per annum in case of til; Gird Region as 0.811 per cent per annum in case of sarson; Malwa Plateau as 0.728 per cent per annum in case of als; Vindhya Plateau 6.818 per cent per annum in case of soya bean; Malwa Plateau as 1.418 per cent per annum in case of ganna; and Nimar Plains 0.176 per cent per annum in case of kapas.

The results of Short run Period II: 1983-84 to 2000-01 for production growth suggests that the maximum growth rate in production was observed in Kymore Plateau & Satpura Hills as 10.438 per cent per annum in case of Paddy; Malwa Plateau as 63.309 per cent per annum in case of wheat; Central Narmada Valley as 67.713 per cent per annum in case of jowar; Gird Region 3.341 per cent per annum in case of bazra; Malwa Plateau as 6.140 per cent per annum in case of maize; Central Narmada Valley 0.259 per cent per annum in case of tur; Jhabua Hills as 1.337 per cent per annum in case of urd; Bundelkhand Region as 0.067 per cent per annum in case of moong; Malwa Plateau as 25.278 per cent per annum in case of gram; Kymore Plateau & Satpura Hills as 0.646 per cent per annum in case of matar; Vindhya Plateau 3.662 per cent per annum in case of masur; Malwa Plateau as 0.840 per cent per annum in case of til; Gird Region as 25.257 per cent per annum in case of sarson; Northern Hill Region of Chhattisgarh as 0.242 per cent per annum in case of als; Vindhya Plateau 32.279 per cent per annum in case of soya bean; Central Narmada Valley as 1.849 per cent per annum in case of ganna; and Nimar Plains 0.909 per cent per annum in case of kapas.

The results of Short run Period III: 2001-02 for production growth suggests that the maximum growth rate in production was observed in Kymore Plateau & Satpura Hills as 79.268 per cent per annum in case of Paddy; Malwa Plateau as 234.539 per cent per annum in case of wheat; Kymore Plateau & Satpura Hills as 138.224 per cent per annum in case of jowar; Gird Region 25.804 per cent per annum in case of bazra; Satpura Plateau as 65.353 per cent per annum in case of maize; Kymore Plateau & Satpura

Hills 9.539 per cent per annum in case of tur; Bundelkhand Region as 6.073 per cent per annum in case of urd; Kymore Plateau & Satpura Hills as 0.579 per cent per annum in case of moong; Malwa Plateau as 31.471 per cent per annum in case of gram; Kymore Plateau & Satpura Hills as 4.945 per cent per annum in case of matar; Kymore Plateau & Satpura Hills 5.758 per cent per annum in case of masur; Bundelkhand Region as 2.375 per cent per annum in case of til; Gird Region as 8.640 per cent per annum in case of sarson; Northern Hill Region of Chhattisgarh as 0.531 per cent per annum in case of als; Gird Region 13.326 per cent per annum in case of soya bean; Central Narmada Valley as 12.025 per cent per annum in case of ganna; and Nimar Plains 3.857 per cent per annum in case of kapas.

The results of Overall or long run Period 1965-66 to 2020-21 for production growth suggests that the maximum growth rate in production was observed in Kymore Plateau & Satpura Hills as 20.560 per cent per annum in case of Paddy; Malwa Plateau as 77.600 per cent per annum in case of wheat; Central Narmada Valley as 72.426 per cent per annum in case of jowar; Gird Region 7.579 per cent per annum in case of bazra; Satpura Plateau as 17.687 per cent per annum in case of maize; Kymore Plateau & Satpura Hills 1.539 per cent per annum in case of tur; Bundelkhand Region as 1.399 per cent per annum in case of urd; Kymore Plateau & Satpura Hills as 0.093 per cent per annum in case of moong; Vindhya Plateau as 14.257 per cent per annum in case of gram; Kymore Plateau & Satpura Hills as 0.850 per cent per annum in case of matar; Kymore Plateau & Satpura Hills 1.728 per cent per annum in case of masur; Bundelkhand Region as 1.218 per cent per annum in case of til; Gird Region as 12.707 per cent per annum in case of sarson; Northern Hill Region of Chhattisgarh as 0.228 per cent per annum in case of als; Vindhya Plateau 24.741 per cent per annum in case of soya bean; Central Narmada Valley as 4.316 per cent per annum in case of ganna; and Nimar Plains 1.934 per cent per annum in case of kapas.

The results of Short run Period I: 1965-66 to 1982-83 for yield growth suggests that the maximum growth rate in yield was observed in Bundelkhand Region as 15.800 per cent per annum in case of Paddy; Jhabua Hills as 58.758 per cent per annum in case of wheat; Vindhya Plateau as 3.823 per cent per annum in case of jowar; Nimar Plains as 33.951 per cent per annum in case of maize; Central Narmada Valley as 30.664 per cent per annum in case of urd; Satpura Plateau as 3.420 per cent per annum in case of moong; Bundelkhand Region as 11.135 per cent per annum in case of gram; Jhabua Hills as 13.354 per cent per annum in case of matar; Chhattisgarh plains 10.390 per cent per annum in case of masur; Jhabua Hills as 6.996 per cent per annum in case of til; Chhattisgarh plains as 17.424 per cent per annum in case of sarson; Vindhya Plateau as 8.259 per cent per annum in case of als; Chhattisgarh plains 17.716 per cent per annum in case of soya bean;

Nimar Plains as 102.721 per cent per annum in case of ganna; and Satpura Plateau 2.818 per cent per annum in case of kapas.

The results of Short run Period II: 1983-84 to 2000-01 for yield growth suggests that the maximum growth rate in yield was observed in Gird Region as 49.896 per cent per annum in case of Paddy; Central Narmada Valley as 67.713 per cent per annum in case of wheat; Northern Hill Region of Chhattisgarh as 0.053 per cent per annum in case of jowar; Jhabua Hills 0.259 per cent per annum in case of bazra; Gird Region as 51.726 per cent per annum in case of maize; Chhattisgarh plains 23.567 per cent per annum in case of tur; Jhabua Hills as 45.647 per cent per annum in case of urd; Chhattisgarh plains as 4.016 per cent per annum in case of moong; Gird Region as 26.833 per cent per annum in case of gram; Central Narmada Valley as 6.554 per cent per annum in case of matar; Northern Hill Region of Chhattisgarh 16.290 per cent per annum in case of masur; Jhabua Hills as 19.204 per cent per annum in case of til; Gird Region as 32.004 per cent per annum in case of sarson; Malwa Plateau as 14.938 per cent per annum in case of als; Central Narmada Valley 29.928 per cent per annum in case of soya bean; Central Narmada Valley as 109.135 per cent per annum in case of ganna; and Satpura Plateau 4.676 per cent per annum in case of kapas.

The results of Short run Period III: 2001-02 for yield growth suggests that the maximum growth rate in yield was observed in Kymore Plateau & Satpura Hills as 112.076 per cent per annum in case of Paddy; Kymore Plateau & Satpura Hills as 138.224 per cent per annum in case of wheat; Vindhya Plateau as 33.775 per cent per annum in case of jowar; Gird Region 5.103 per cent per annum in case of bazra; Satpura Plateau as 155.146 per cent per annum in case of maize; Kymore Plateau & Satpura Hills 21.051 per cent per annum in case of tur; Chhattisgarh plains as 24.289 per cent per annum in case of urd; Malwa Plateau as 10.791 per cent per annum in case of moong; Satpura Plateau as 39.307 per cent per annum in case of gram; Bundelkhand Region as 39.541 per cent per annum in case of matar; Malwa Plateau 26.352 per cent per annum in case of masur; Central Narmada Valley as 18.338 per cent per annum in case of til; Bundelkhand Region as 31.428 per cent per annum in case of sarson; Satpura Plateau as 28.176 per cent per annum in case of als; Jhabua Hills 51.160 per cent per annum in case of soya bean; Northern Hill Region of Chhattisgarh as 119.280 per cent per annum in case of ganna; and Nimar Plains 9.196 per cent per annum in case of kapas.

The results of Overall or long run Period 1965-66 to 2020-21 for yield growth suggests that the maximum growth rate in yield was observed in Kymore Plateau & Satpura Hills as 28.009 per cent per annum in case of Paddy; Central Narmada Valley as 72.426 per cent per annum in case of wheat; Vindhya Plateau as 21.048 per cent per annum in

case of jowar; Vindhya Plateau 8.574 per cent per annum in case of bazra; Satpura Plateau as 71.708 per cent per annum in case of maize; Chhattisgarh plains 20.870 per cent per annum in case of tur; Jhabua Hills as 5.029 per cent per annum in case of urd; Jhabua Hills as 1.182 per cent per annum in case of moong; Satpura Plateau as 15.319 per cent per annum in case of gram; Satpura Plateau as 4.411 per cent per annum in case of matar; Gird Region 5.980 per cent per annum in case of masur; Chhattisgarh plains as 13.932 per cent per annum in case of til; Gird Region as 21.560 per cent per annum in case of sarson; Satpura Plateau as 14.229 per cent per annum in case of als; Satpura Plateau 17.602 per cent per annum in case of soya bean; Central Narmada Valley as 53.042 per cent per annum in case of ganna; and Satpura Plateau 6.819 per cent per annum in case of kapas.

References:-

1. Abid, S. A. L. E. E. M., Raza, I. R. U. M., Khalil, A. L. A. M. G. I. R., Khan, M. N., Anwar, S. A. Q. I. B. and Masood, M. A. (2014). Trend analysis and forecasting of maize area and production in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *European Academic Research*, 2(4): 4653- 4664.
2. Anonymous, 2010, Karnataka State at a Glance, 2009-10, Directorate of Economics and Statistics, Bangalore.
3. Balaji, S. J., Anbukkani, P., and Nithyashree, M. L. (2017). Production and consumption of minor millets in India- A structural break analysis, *International Journal of Agricultural Sciences*, 38(4): 1-8.
4. Chanh Ramesh and P. Shinoj (2012), "Temporal and Spatial Variations in Agricultural Growth and Its Determinants", *Economic & Political Weekly*, Vol 47, pp 55-64.
5. Datt, Gaurav and Martin Ravallion (1998), "Farm Productivity and Rural Poverty in India", *Journal of Development Studies*, 34 (1).
6. Fan et al. (2007). *Investment, subsidies, and pro-poor growth in rural India*. Discussion Paper No. 00716. IFPRI: New Delhi.
7. Gayathri, J. (2018). A trend analysis of area, production and yield of groundnut in India. *Journal of Economics*, 6(3): 15-21.
8. George MV, Nampoori TNM (1966) Inter district variations in Agricultural productivity in Kerala *Agricultural Sit India* 21: 633—663.
9. Gulati Ashok, Pallavi Rajkhowa and Pravesh Sharma (2017), "Making Rapid Strides- Agriculture in Madhya Pradesh: Sources, Drivers, and Policy Lessons" Working Paper, Indian Council for Research on International Economic Relations.
10. Krishnamurthy Mekhala (2012), "States of Wheat: The Changing Dynamics of Public Procurement in Madhya Pradesh", *Economic and political weekly*, Vol-47, No-52.
11. Kumari, K., Devagowda, S. R. and Kushwaha, S. (2018). Trend analysis of area, production, and productivity of jute in India. *The Pharma Innovation Journal*, 7(12): 58-62
12. Kumari, Prity and Sathish Kumar, M. (2021). Forecasting area, production and productivity of Citrus in Gujarat- An application of artificial neural network. *International Journal of Agricultural Sciences*, 13(10): 10913-10916.
13. Kumari, Prity, Mishra, G. C. and Srivastava, C. P. (2017). Forecasting models for predicting damage of pigeon pea in Varanasi region. *Journal of Agrometeorology*, 19(3): 265-269.
14. Neethu, S. K., Joseph. P. and Muhammed, J. P. K. (2017). Growth and instability in area, production and productivity of Cassava in Kerala. *International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology*, 4(1): 132-140.
15. Nethravathi, A. P., and Yeledhalli, R. A. (2016). Growth and instability in area, production and productivity of different crops in Bengaluru division. *International Journal of Agricultural Environment and Biotechnology*, 9(4): 599-611.
16. Nida, B., and Rahman, F. (2020) Growth rate of area, production and productivity of sugarcane crop in India. *International Journal of Environmental & Agriculture Research*, 6(4): 1850-1857.
17. Niranjani; H. K., Gupta, J. K. and Rath, D. 2015. study of production of major food grain crops in Madhya Pradesh and their yield sustainability. *Life Science Bulletin – 12* (2): 155-159.
18. Pant SP, Kukreti KD (1976) An analysis of production variability and short run crop acreage adjustment in Madhya Pradesh. *Agric Situ India* 30: 755-766.
19. Prajneshu and Chandran, K. P. (2005). Computation of compound growth rates in Agriculture: Revisited, *Agricultural Economic Research Review*, 18(4): 317-324
20. Ravallion, Martin and Gaurav Datt (1996), "How Important to India's Poor Is the Sectoral Composition of Economic Growth?", *World Bank Economic Review*, 10 (1), pp 1-25.
21. Sahu, P.K. and Mishra, P. 2013. Modelling and forecasting production behaviour and import- export of total spices in two most populous countries of the world. *Journal of Agriculture Research*, 51 (4): 81-97
22. Saikia, M. and Gosh, K. (2021). An analysis of families engaged in silk production, trend of raw silk production and area under silkworm food plant cultivation in Assam, *Biological Forum- An International Journal*, 13(4): 51-55.
23. Sathish Kumar, M. and Kumari, Prity (2021). Artificial neural network model for predicting area, production and productivity of sapota in Gujarat. *International Journal of Agricultural Sciences*, 13(10): 10909- 10912
24. Shabana, A., and Madhulika (2018). Growth and instability analysis in Indian agriculture, *International*

- Journal of Multidisciplinary Research and Development, 5(11): 119-125.
25. Singh, A. J. and Singh, R.P., 1991, Growth performance of Punjab agriculture-An inter-district analysis. Agric. Situ. India, 46 (8): 655-666.
26. Sinha, D. K. and Jawahar Thakur, 1993, An economic analysis of growth performance of major food crops in Bihar. Agric. Situ. India, 48 (7): 543-548.
27. Surendar, K., and Satinder, K. (2014). Trends in growth rates in area, production and productivity of sugarcane in Haryana, International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 3(4): 117-124.
28. Unjia, Y. B., Lad, Y. A., Sathish Kumar, M. and Mahera, A. B. (2021). Trend analysis of area, production and productivity of maize in India. International Journal of Agricultural Sciences, 13(9): 10880-10882.
29. Virmani, Arvind (2008), "Growth and Poverty: Policy Implications for Lagging States", Economic & Political Weekly, Vol 43 (2), pp 54-62.

महिला जनप्रतिनिधियों का पंचायती राज संस्थाओं में सशक्तिकरण का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

अंजली रजक*

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दुर्बल एवं उपेक्षित महिलाओं के समूहों की क्षमता बढ़े। जिससे महिलाओं को अपने सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में डालने वाले मौजूदा शक्ति संबंधों को बदल कर सक्षम कर सकें। नारी सशक्तिकरण से तात्पर्य उसको आत्मनिर्भर बनाना है। नारी को समाज में समानता प्रदान करना है। महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण का अर्थ है- उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था और तौर-तरीकों को चुनौतियों में समान अवसर, राजनैतिक व आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन कानून के तहत सुरक्षा, प्रजनन का अधिकार आदि। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना ताकि वह सहजता से अपने जीवन-यापन की व्यवस्था कर सकें।

शब्द कुंजी – पंचायती राज, विचारधारा, सहभागिता, निर्णय लेने की क्षमता, क्षेत्रीय मुद्दे।

प्रस्तावना – संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में किया गया है जबकि पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16(4), 16(4क) और 16(4ख) में किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के हितों एवं अधिकारों को संरक्षण एवं उन्नत करने के लिए संविधान में कुछ अन्य प्रावधान भी समाविष्ट किए गए हैं जिससे कि वे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने में समर्थ हो सकें। पंचायती राज में जनजातियों के विकास हेतु प्रावधान है जिनसे जनजातियों को विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके।

पंचायतों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य – प्राचीनकाल में भारत में पंचायत की ऐसी व्यवस्था थी, जिसमें पंचों को समाज में न्याय करने वाले लोगों के रूप में ईश्वर के सदृश सम्मान प्राप्त था। पूर्वकाल में स्थानीय प्रशासन, शान्ति व्यवस्था एवं ग्राम विकास में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। भारत में ग्राम पंचायतों का अस्तित्व वैदिककाल से ही रहा है। उल्लेखनीय है कि उस समय ग्राम पंचायत पाँच प्रशासनिक इकाइयों में से एक थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामिणी कहा जाता था। वैदिककाल के बाद भारत में प्रशासनिक इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का अस्तित्व मुगलकाल तक रहा, किन्तु ब्रिटिशकाल में पंचायत व्यवस्था छीन्न-भिन्न हो गई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी इनकी प्रासंगिकता बनी रही, इसलिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से लागू किया गया है तथा पंचायती राज व्यवस्था के सुचारु रूप से कार्यान्वयन एवं ग्रामीण विकास की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार के अन्तर्गत पंचायती राज मन्त्रालय के रूप में

एक अलग मन्त्रालय की स्थापना भी की गई है।¹

अंग्रेजी राज में पंचायते – अंग्रेज चाहते थे कि प्रशासन से सम्बन्धित कार्य यथासम्भव उनके कर्मचारियों के हाथों में रहे। इसके परिणामस्वरूप, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था यानि ग्राम पंचायत का अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त होने लगा, लेकिन प्रशासनिक स्तर को छोड़कर सामाजिक स्तर पर प्रत्येक जाति अथवा वर्ग में अपनी अलग-अलग पंचायतें बनी रहीं, जो सामाजिक जीवन को नियन्त्रित करती थी।

पंचायत की व्यवस्था एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले को कठोर दण्ड दिया जाता था। इन परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने भारत सरकार के अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों को कुछ अधिकार दिए, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1920 के आस-पास सभी प्रान्तों में पंचायतों का निर्माण कर उन्हें सीमित अधिकार दिए गए।²

उस समय ग्राम पंचायत जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सा, जल निकास सड़कों, तालाबों, कुओं आदि की देखभाल करती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकार द्वारा न्याय सम्बन्धी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे, किन्तु इन सबके बावजूद ब्रिटिशकाल में ग्रामों में धरातलीय स्तर पर पंचायत व्यवस्था प्रभावहीन ही रही।

स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायतें – वर्ष 1947 में मिली स्वतन्त्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के प्रयास तेज हो गए। भारतीय संविधान में पंचायतों के गठन के लिए प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत कहा गया है 'राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा एवं उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्ता शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।' ग्रामीण विकास के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम एवं व्यवस्था पर विचार-विमर्श करने के लिए

भारत सरकार ने बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता एक समिति का गठन किया। बलवन्त राय मेहता समिति ने अपनी सस्तुतियाँ नवम्बर, 1957 में सरकार को सौंपी।

12 जनवरी, 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवन्त राय मेहता समिति के प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए राज्यों से इसे कार्यान्वित करने को कहा। इसके बाद 2 अक्टूबर, 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का शुमार राजस्थान के नागौर जिले में किया गया।³

73वाँ संविधान संशोधन - 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल, 1993 से 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग-9 जोड़ा गया था। मूल संविधान में भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है। भाग-9 में 'पंचायतें' नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। पंचायती राज संस्थाओं के कुल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित होंगे। यदि प्रदेश सरकार जरूरी समझे, तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती हैं। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया है।

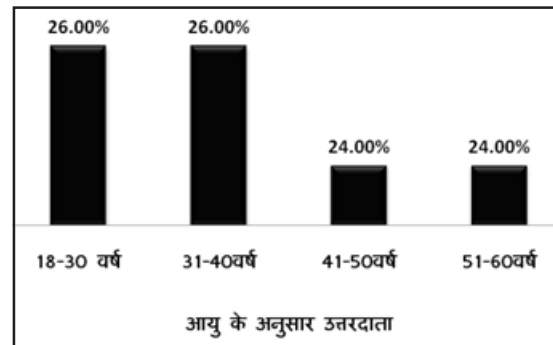
अध्ययन के उद्देश्य:

1. पंचायती राज में महिला जनप्रतिनिधियों पर राजनीतिक विचारधारा के प्रभाव को जानना।
2. पंचायती राज में महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठकों एवं सभाओं में सहभागिता के स्तर को जानना।

तथ्य संकलन एवं निदर्शन - प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु राजसमन्द जिले की रेलमगरा एवं राजसमन्द पंचायत समिति की चार ग्राम पंचायतों से 25-25 पुरुष और महिलाओं का चयन कर कुल 100 पुरुष और 100 महिलाओं को मिलाकर 200 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। उक्त उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा तथ्य संकलित करने का कार्य किया गया है। राजस्थान के उदयपुर जिले की रेलमगरा एवं राजसमन्द पंचायत समिति की चार-चार ग्राम पंचायतें अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयन की गई हैं।

उत्तरदाताओं की आयु - अध्ययन हेतु जिन उत्तरदाताओं का चयन किया गया है उनमें राजसमन्द से 18 से 30 वर्ष की आयु के 13 पुरुष और 13 महिलाएँ हैं एवं रेलमगरा से 13 पुरुष और 13 महिलाएँ हैं। राजसमन्द से 31 से 40 वर्ष की आयु के 13 पुरुष और 13 महिलाएँ हैं एवं रेलमगरा से 13 पुरुष और 13 महिलाएँ हैं। राजसमन्द से 41 से 50 वर्ष की आयु के 12 पुरुष और 12 महिलाएँ हैं एवं रेलमगरा से 12 पुरुष और 12 महिलाएँ हैं। राजसमन्द से 51 से 60 वर्ष की आयु के 13 पुरुष और 13 महिलाएँ हैं एवं रेलमगरा से 13 पुरुष और 13 महिलाएँ हैं। सभी उत्तरदाताओं द्वारा 2015 के पंचायती राज चुनाव में मतदान किया गया है।

ग्राफ संख्या :01

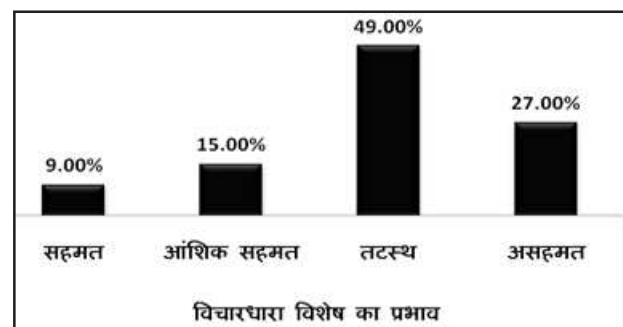


स्रोत :- प्राथमिक तथ्य संकलन

उपरोक्त ग्राफ 01 में आयु के अनुसार उत्तरदाताओं का विवरण दिया गया है जिसमें 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के 26 प्रतिशत उत्तरदाता हैं और 31 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 26 प्रतिशत उत्तरदाता हैं एवं 41 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के 24 प्रतिशत उत्तरदाता हैं तथा 51 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के 24 प्रतिशत उत्तरदाता हैं।

विचारधारा विशेष का प्रभाव - अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों पर राजनीतिक विचारधारा के प्रभाव के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें पाया गया कि राजसमन्द पंचायत समिति से 4 महिलाओं और 6 पुरुष और रेलमगरा पंचायत समिति से 3 महिलाओं और 5 पुरुषों ने सहमति दी है एवं राजसमन्द पंचायत समिति से 8 महिलाओं और 7 पुरुष और रेलमगरा पंचायत समिति से 6 महिलाओं और 9 पुरुषों ने आंशिक सहमति दी है तथा राजसमन्द पंचायत समिति से 26 महिलाओं और 24 पुरुष और रेलमगरा पंचायत समिति से 25 महिलाओं और 23 पुरुषों ने कोई जवाब नहीं दिया है जबकि राजसमन्द पंचायत समिति से 12 महिलाओं और 13 पुरुष और रेलमगरा पंचायत समिति से 16 महिलाओं और 13 पुरुषों ने असहमति दी है कि अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों पर किसी भी राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव नहीं है।

ग्राफ संख्या :02: विचारधारा का प्रभाव

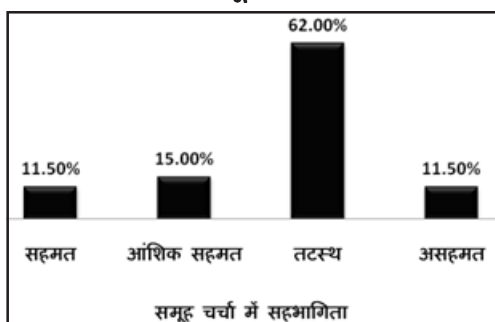


स्रोत :- प्राथमिक तथ्य संकलन

ग्राफ संख्या 02 में अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों पर राजनीतिक विचारधारा के प्रभाव के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति दी है एवं 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आंशिक सहमति दी है तथा 49 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है जबकि 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों पर किसी भी राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव नहीं है।

समूह चर्चा में सहभागिता – राजसमन्द पंचायत समिति से 6 महिलाओं और 8 पुरुष और रेलमगरा पंचायत समिति से 5 महिलाओं और 4 पुरुषों ने सहमति दी है एवं राजसमन्द पंचायत समिति से 8 महिलाओं और 6 पुरुष और रेलमगरा पंचायत समिति से 7 महिलाओं और 9 पुरुषों ने आंशिक सहमति दी है तथा राजसमन्द पंचायत समिति से 32 महिलाओं और 30 पुरुष और रेलमगरा पंचायत समिति से 33 महिलाओं और 29 पुरुषों ने कोई जवाब नहीं दिया है जबकि राजसमन्द पंचायत समिति से 4 महिलाओं और 6 पुरुष और रेलमगरा पंचायत समिति से 5 महिलाओं और 8 पुरुषों ने असहमति दी है कि महिला जनप्रतिनिधि समूह चर्चा में सहभागिता नहीं करते हैं।

ग्राफ संख्या :03: समूह चर्चा में सहभागिता

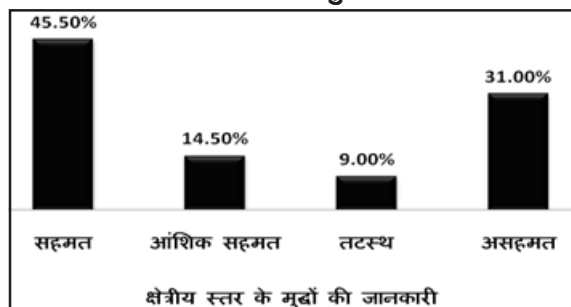


स्रोत :- प्राथमिक तथ्य संकलन

ग्राफ संख्या 03 में अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा समूह चर्चा में सहभागिता के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें 11.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति दी है एवं 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आंशिक सहमति दी है तथा 62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है जबकि 11.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार महिला जनप्रतिनिधि समूह चर्चा में सहभागिता नहीं करते हैं।

क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे – राजसमन्द पंचायत समिति से 23 महिलाओं और 25 पुरुष और रेलमगरा पंचायत समिति से 21 महिलाओं और 22 पुरुषों ने सहमति दी है एवं राजसमन्द पंचायत समिति से 8 महिलाओं और 7 पुरुष और रेलमगरा पंचायत समिति से 8 महिलाओं और 5 पुरुषों ने आंशिक सहमति दी है तथा राजसमन्द पंचायत समिति से 9 महिलाओं और 3 पुरुष और रेलमगरा पंचायत समिति से 6 महिलाओं और 4 पुरुषों ने कोई जवाब नहीं दिया है जबकि राजसमन्द पंचायत समिति से 16 महिलाओं और 12 पुरुष और रेलमगरा पंचायत समिति से 20 महिलाओं और 14 पुरुषों ने असहमति दी है कि अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों को क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों की जानकारी नहीं है।

ग्राफ संख्या :04: क्षेत्रीय मुद्दों की जानकारी



स्रोत :- प्राथमिक तथ्य संकलन

ग्राफ संख्या 04 में अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों को क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों की जानकारी के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें 45.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति दी है एवं 14.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आंशिक सहमति दी है तथा 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है जबकि 31 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों को क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों की जानकारी नहीं है।

अध्ययन के निष्कर्ष:

1. अध्ययन के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार महिला जन प्रतिनिधियों पर राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव है।
2. 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों पर किसी भी राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव नहीं है।
3. 11.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधि समूह चर्चा में सहभागिता करती है जबकि इतने ही प्रतिशत में उत्तरदाताओं का मानना है कि महिला जनप्रतिनिधि समूह चर्चा में सहभागिता नहीं करते हैं।
4. 45.50 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों को क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों की जानकारी है।
5. 31 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों को क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों की जानकारी नहीं है।

सुझाव:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज में महिलाओं हेतु प्रावधान और शक्तियों के बारे में महिलाओं के समूहों को जानकारी प्रदान कर महिला जनप्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ा सकते हैं।
2. इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर से क्षेत्रीय प्रशिक्षण की व्यवस्था कर महिला जनप्रतिनिधियों को सशक्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दुबे, दिवाकर (1997), '73 वें संविधान संशोधन से सत्ता का विकेन्द्रीकरण', कुरुक्षेत्र, मई, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. वही
3. श्रीनिवास, एम. एन. (1998), 'आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन', राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली।
4. जोशी, आर.पी. एवं मंगलानी, रूपा (1998), 'पंचायती राज के नवीन आयाम', यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर।

The Magic of Adaptation: A Global Literary Phenomenon

Prof. Swati Sharma*

*Department of English, Govt. Holkar (Model Autonomous) Science College, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - Adaptation, the process of transforming a literary work into a new form or medium, is a timeless phenomenon that crosses boundaries of culture, language, and media. From ancient myths to modern novels, stories have undergone countless reinventions to resonate with different audiences. This paper explores the magic of adaptation as a global literary phenomenon, examining key examples from literature, film, and other media, while also delving into the cultural, ethical, and theoretical dimensions of this practice. The transformative power of adaptation not only breathes new life into stories but also enables the exchange of ideas across cultures and generations.

Introduction - Adaptation is an essential aspect of human storytelling, with roots tracing back to oral traditions, where stories were passed down through generations, continuously evolving to fit the context and audience. In contemporary times, adaptation manifests in numerous forms, including literature-to-film, cross-cultural translations, and interactive digital media. The magic of adaptation lies in its ability to preserve the essence of a story while reimagining it in novel ways that appeal to diverse and modern audiences. This research paper explores the global phenomenon of adaptation, analyzing the factors that contribute to its success, the challenges it presents, and its impact on both literature and culture.

Historical Background: Adaptation is far from a modern practice. Ancient civilizations, such as the Greeks and Romans, adapted myths and epics like *The Iliad* and *The Odyssey* into various forms of theater and visual art. Similarly, religious texts like the Bible and the Ramayana have been adapted into countless languages, artistic forms, and media over centuries. Adaptation allows stories to evolve while maintaining their core themes, making them accessible and relevant to new audiences across time and geography.

In the modern era, adaptation became a cornerstone of the film industry, starting with early silent films based on literary works like Mary Shelley's *Frankenstein* and Charles Dickens' *A Christmas Carol*. Today, adaptation is ubiquitous, with literature being transformed into films, television series, theater productions, video games, and graphic novels. The global nature of adaptation allows stories to cross borders, fostering cultural exchange and understanding.

Cultural Adaptation and Translation: One of the most

intriguing aspects of adaptation is its role in cultural translation. When a work is adapted for a new cultural context, the process involves more than just literal translation of language—it requires sensitivity to cultural nuances, values, and historical contexts.

For example, Shakespeare's plays, originally written for English audiences in the late 16th and early 17th centuries, have been adapted into numerous cultural contexts, including Akira Kurosawa's *Ran*, a Japanese adaptation of *King Lear*. Similarly, adaptations of *The Great Gatsby* in Japanese cinema reflect the cultural particularities of both the source material and the adaptation, with the jazz age hedonism of 1920s America being reinterpreted through the lens of post-war Japanese society.

On the other hand, epics like the Indian *Mahabharata* have been adapted across the globe into television series, novels, and theatrical performances. The *Mahabharata*'s universal themes of war, duty, and morality resonate in cultures as diverse as Southeast Asia and Africa, showing how cultural adaptation can preserve the core message of a story while making it accessible to new audiences.

Film and Television Adaptations: Film and television are arguably the most popular and widely consumed forms of literary adaptation. The transition from the written word to visual storytelling poses unique challenges. Filmmakers must consider how to condense a novel's complexity into a limited runtime, how to visually represent abstract concepts, and how to capture the author's tone and style while working within the constraints of filmic language.

One of the most successful examples of this is Peter Jackson's *The Lord of the Rings* film trilogy, which adapted J.R.R. Tolkien's extensive and richly detailed novels into a visual epic that captured the imaginations of global

audiences. Jackson's adaptation not only stayed faithful to the spirit of Tolkien's work but also utilized modern technology to create visually stunning representations of Middle-earth that were previously unimaginable.

Television adaptations, like the recent surge in adaptations of classic novels on streaming platforms such as Netflix, allow for more extended storytelling and deeper exploration of character development. *Pride and Prejudice* has been adapted into several miniseries, each offering a different interpretation of Jane Austen's iconic work. In particular, the 1995 BBC adaptation is often lauded for its faithful recreation of Regency England, while 2012's *The Lizzie Bennet Diaries*, a web series adaptation, offers a modern take on the story using a digital vlog format.

Adaptation in the Digital Age: The advent of digital media has expanded the possibilities of adaptation. Video games based on literary works, such as *The Witcher* series, offer interactive storytelling that allows players to experience a narrative in a way that traditional media cannot. These adaptations often require the story to be restructured to fit the format, which results in new interpretations and experiences.

Digital platforms have also democratized adaptation. Fan cultures, through fanfiction and YouTube content, create their own adaptations of popular works, reimagining them in new genres, alternate universes, or with different character dynamics. The success of platforms like Wattpad, where users share and adapt stories, speaks to the participatory nature of storytelling in the digital age.

Theoretical Framework: Adaptation studies have become a prominent field within literary and cultural studies. Scholars like Linda Hutcheon and Robert Stam have explored adaptation as a form of intertextuality, wherein texts "speak" to each other through the adaptation process. Hutcheon's theory emphasizes the adaptive process as one of both repetition and transformation, a balancing act between fidelity to the original and creative innovation.

Fidelity to the source material is often a point of contention among critics and audiences. Some argue that an adaptation should remain as close as possible to the original text, while others believe that adaptation allows for reinterpretation and reimagining. The idea of "faithfulness" becomes especially complex when adapting texts across cultures, where different societal norms and values influence the adaptation process.

Global Case Studies: Adaptation is a truly global phenomenon, with stories crossing borders and being reshaped to fit local contexts. African theater adaptations of Shakespeare's works, such as *Hamlet* set in an African

village, showcase the interplay between global and local cultural influences. Similarly, Latin American telenovelas often draw on classic novels, adapting them into serialized melodramas that reflect the social and political issues of the region.

Bollywood, India's prolific film industry, has long been known for its adaptations of Western literature. For example, Vishal Bhardwaj's *Omkara* is a Bollywood adaptation of *Othello*, which reimagines the story within the context of rural Indian politics and culture. These adaptations highlight how stories can be localized, yet retain their universal themes and relevance.

Challenges and Ethical Considerations: While adaptation can foster cross-cultural dialogue, it also raises ethical concerns. When adapting stories from one culture to another, there is a risk of misrepresentation or cultural appropriation. This becomes especially problematic when stories from marginalized or colonized cultures are adapted by creators from dominant cultures, potentially distorting or exploiting the source material.

The question of who has the right to adapt a story is a contentious issue, particularly when it comes to indigenous or minority cultures. Ethical adaptation requires sensitivity, collaboration, and respect for the original context of the story.

Conclusion: The magic of adaptation lies in its ability to transcend time, space, and culture, allowing stories to evolve and reach new audiences in fresh and engaging ways. Adaptation is more than just a process of translation; it is a creative act that involves reinterpretation, negotiation, and transformation. In a globalized world, adaptation fosters cross-cultural understanding and the exchange of ideas, while also preserving the universal power of storytelling.

As new forms of media continue to emerge, the possibilities for adaptation will only expand, offering new opportunities for stories to be reimagined, retold, and re-experienced by audiences around the world. The magic of adaptation ensures that stories never truly end—they simply take on new life in new forms.

References:-

1. Hutcheon, Linda. *A Theory of Adaptation*. Routledge, 2013.
2. Stam, Robert. *Literature through Film: Realism, Magic, and the Art of Adaptation*. Wiley-Blackwell, 2004.
3. Tolkien, J.R.R. *The Lord of the Rings*. Houghton Mifflin, 1954.
4. Various films, adaptations, and critical essays on adaptation theory.

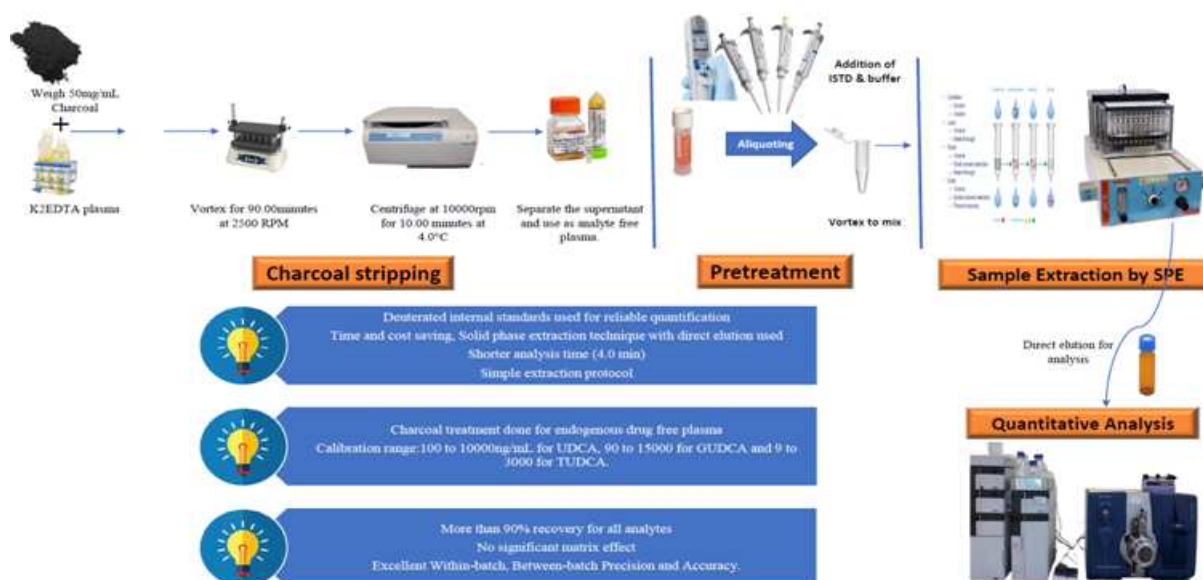
Validation Of LC-MS/MS Method For Quantitative Evaluation Of Endogenously Present Ursodeoxycholic Acid And Their Major Metabolites In Human Plasma

Nikhil Agrawal* Amit Mittal**

*Research Scholar, Department of Pharmaceutical Chemistry, Lovely Professional University, Phagwara, Jalandhar (Punjab) INDIA

**Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Lovely Professional University, Phagwara, Jalandhar (Punjab) INDIA

Abstract - A novel, highly selective, sensitive, and fast UHPLC-MS/MS method is described and validated for reliable quantification of Ursodeoxycholic acid (UDCA) and their major metabolites, Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA) and Glyoursodeoxycholic acid (GUDCA) in human plasma using deuterium-labelled internal standards respectively. Chromatographic separation was achieved through isocratic mode with a reverse-phase C₁₈ Symmetry Shield (50mm*4.6mm, 5.0µm) column and a mobile phase of Acetonitrile: Methanol:2mM Ammonium formate (pH3.5) [48:06:46%v/v] at a flow rate of 0.600mL/min. Electrospray ionization technique with negative ion mode polarity was applied to achieve the best signal intensity and stable response. Solid phase extraction by direct elution method was applied to extract the drugs from the plasma sample. The calibration curve range was validated from a concentration range of 100 to 10000ng/ml for UDCA 90 to 15000ng/mL for GUDCA and 9 to 3000ng/mL for TUDCA. Analyte free matrix was obtained through charcoal treatment of plasma. The within-batch and between-batch precision and accuracy were found to be consistent and reproducible for all the analytes across the validation. Extraction recoveries were >85% for all analytes and internal standards. The method did not show any matrix effect or coeluting peaks. All peaks of analytes and respective internal standards (ISTD) were eluted within 4.0min. In this validated method, selective multi-variate analytical approaches were utilized such as best fit linearity range for different strength formulations, shorter analysis time etc. This validated method can be useful for challenging endogenous quantification of Ursodeoxycholic acid and its major metabolites reproducibly and effectively for therapeutic drug monitoring and high throughput clinical studies sample analysis.



Keywords: Ursodeoxycholic acid, Glyoursodeoxycholic acid, Tauroursodeoxycholic acid UHPLC-LC/MS, Bioanalytical, Method Validation.

Introduction - Ursodeoxycholic acid is naturally produced (endogenous) bile acid which formed by the liver in humans and is secreted in little quantities into bile. It is largely used to dissolve and stop recurrence of lipid gallstones and for treatment of hepatic disease (biliary cirrhosis)¹. Bile acids quantification in human plasma is an essential diagnostic parameter which possess quite challenging bioanalysis as these are biomarkers of liver disease². Estimation of bile acids in biological matrix can be very challenging due to a number of factors, which includes structural similarities, the presence of isomers, and varying polarity, limited product ions of unconjugated bile acids during mass fragmentation, high endogenous levels, and matrix effects caused by phospholipids etc³⁻⁵. Endogenous compounds are naturally occurring molecules within an organism, cell or tissue. These includes large biomolecules such as proteins and DNA and small molecules such as steroids. Chromatographic methods are increasingly become challenging due to significant usual lack of analyte-free plasma implies that alternative approaches for calibration have to be followed⁶⁻¹². A through literature review for Ursodiol and its conjugates quantification revealed that many quantitative methods have been published for the estimation of bile acids in human biological matrix in single or along with its conjugates are RP-HPLC¹³⁻¹⁶, GC-MS/MS¹⁷, LC-ESI-MS/MS¹⁸⁻²⁶. There are only a few LC-MS/MS reported methods for combined quantification of Ursodiol and their conjugates in biological matrix. Because of endogenous nature of ursodiol it's quite challenging aspect to develop a more selective and specific method in such a way which overcome specific issues during bioanalysis such as blank matrix interference, baseline correction, parallelism, chromatographic resolution among analytes and conjugates peaks, free from biased quantification¹¹⁻¹². However, reported LC-MS/MS methods are significant time consuming, tedious and lengthy extraction procedure involved, lack of specific stable isotopically labelled internal standard usage, involving gradient elution technique for HPLC separation which is more troublesome with relation to qualitative chromatography due to longer analysis time and inconsistency over a period of time ends up to changes in elution pattern of stationary phase. None of the existed reported methods explained about endogenous quantification as well as surrogate matrix selection approaches for unbiased quantification of study samples and to get analyte free matrix for linearity sample preparation. This study focused to design and optimize a simple, efficient and novel methodology for the quantitative evaluation of endogenous ursodiol and its major metabolites in human plasma through employing LC-MS/MS technique with adherence of USFDA guidelines to yield accurate pharmacokinetic data that could reliably interpret the results of bioequivalence study²⁷⁻³⁰.

Materials and Methods

Chemicals and reagents: Working standards i.eUDCA,

GDCA, TUDCA and their respective deuterium-labeled ISTDs were procured from Vivan life sciences Mumbai. Acetonitrile and Methanol were obtained from RCI labscan, Thailand. Ammonium formate, Acetic acid, activated charcoal and Formic acid were purchased from Merck, Germany. Solid phase extraction cartridges (Strata-30mg/mL) were obtained from phenomenex. Milli-q-water was used from Merck Millipore water purification system. Human frozen plasma (K2EDTA) was obtained from the blood bank "Jensys laboratories", Hyderabad-India. Analytical column-Symmetry Shield was procured from Waters-Ireland.

Instruments, equipment, and software: Quantitative analysis was performed by a triple quad mass spectrometer of TSQ Quantum Ultra (Thermo Scientific, USA) and Shimadzu Prominence UPLC, Japan equipped with a binary pump, autosampler, degasser, and column oven. For working standards and buffer weighing purpose, sartorius analytical and microbalance were used. For sample extraction purposes, refrigerated centrifuge of Thermo Scientific, USA, positive pressure unit used for SPE manifold of Orochem, India. Plasma samples were stored in deep freezers (Thermo electron corporation, USA). Validation data were generated by LC Quan software version 2.5.6.

Preparation of solutions: Diluent A [Water: Methanol (30:70%v/v)], Diluent B [Water: Methanol (60:40%v/v)], Diluent C [Water: Acetonitrile (60:40%v/v)], Washing solution [20.0%v/v Methanol in water], Elution solution [Acetonitrile: Methanol:2mM Ammonium Formate pH3.50 (48:06:46%v/v)], Buffering agent and washing solution [0.05%v/v Acetic acid in water], Buffer for Mobile Phase [2mM Ammonium Formate(pH3.50)], and Rinsing solution [Methanol: Water (70:30%v/v)] was prepared accordingly as and when required.

Preparation of main stock solutions and working dilutions of analytes: About 1mg/mL concentration of UDCA and TUDCA was weighed and prepared in Diluent A and Diluent B respectively. Whereas about 1.5mg/mL concentration of GDCA was weighed and prepared in methanol. Further TUDCA intermediate stock solution (300µg/mL) was prepared from main stock using Diluent B solution for spiking in plasma to obtain CC standards and QC samples.

Preparation of main stock solutions of Internal Standards and Mixed ISTD working solution: About 0.400mg/mL concentration of UDCA D4 and 0.200mg/mL concentration of TUDCA D4 was weighed and prepared in Diluent A and Diluent B respectively. Whereas about 0.400mg/mL concentration of GDCA D4 was weighed and prepared in methanol. Further mixed ISTD working solution was prepared from main stocks of Ursodeoxycholic acid D4, Glycoursodeoxycholic acid D4, Tauroursodeoxycholic acid D4 to achieve final concentration of UDCA D4 50.000, GDCA D4 75.000, and TUDCA D4 15.000ng/mL.

Preparation of spiked plasma calibration curve standards and quality control samples: Retrieve the human

K₂EDTA plasma from the deep freezer, allowed to thaw at room temperature and vortex adequately. Treat the plasma with activated charcoal to obtain analyte free matrix.

Procedure for Charcoal treatment (Stripping): Weigh and transfer 50mg of activated charcoal into a 1mL K₂EDTA plasma, vortex for 90minutes at 80 motor speed (approx. 2500RPM) and centrifuge at 10000rpm for 10minutes at 4.0°C. Separate the supernatant and use as analyte free plasma.

Calibration curve consisted of a set of nine non-zero concentration levels (STD-1 to STD-9) 100ng/mL, 200ng/mL, 500ng/mL, 1000ng/mL, 2000ng/mL, 4000ng/mL, 6000ng/mL, 8000ng/mL and 10000ng/mL was used for UDCA, 90ng/mL, 180ng/mL, 750ng/mL, 1500ng/mL, 3000ng/mL, 6000ng/mL, 9000ng/mL, 12000ng/mL and 15000ng/mL was used for GUDCA whereas 9ng/mL, 18ng/mL, 150ng/mL, 300ng/mL, 600ng/mL, 1200ng/mL, 1800ng/mL, 2400ng/mL and 3000ng/mL used for TUDCA. In order to bracket the linearity range and for reliable quantitation, Quality Control samples were prepared at four different concentration levels as the lower limit of quantification (LLOQ), low-quality control (LQC), middle-quality control (MQC) and high-quality control (HQC). 100ng/mL, 300ng/mL, 5000ng/mL, 9000ng/mL for UDCA, 90ng/mL, 270ng/mL, 7500ng/mL, 13500ng/mL for GUDCA whereas 9ng/mL, 27ng/mL, 1500ng/mL, 2700ng/mL for TUDCA. 5%v/v of respective aqueous CC/QC dilution was transferred in screened pooled plasma to achieve the desired concentration of CC/QC samples. CC/QC dilutions and spiked samples were protected from light during preparation and usage. Bulk spiked CC/QC samples were stored in an ultra-low temperature deep freezer (-70°C±10°C) until analysis.

Sample extraction procedure: Samples are processed using direct elution solid phase extraction technique. For sample processing, required CC standards, QC samples, and/or Plasma lots were retrieved from the deep freezer and thawed in room temperature. After thawing of samples, each sample was adequately vortexed before pipetting. 0.500mL of plasma sample was aliquoted into a microcentrifuge tube and 0.025mL of mixed ISTD solution was added except in blank sample (added 0.025mL of diluent C) and vortexed to mix. Then 0.500mL of 0.05% v/v acetic acid was added and vortexed. Above sample was loaded on previously conditioned (conditioned with 1.000mL of methanol followed by two times 1.000mL of water) Strata 30mg/mL cartridges. Wash the cartridges three times with 1.000mL of 0.05% v/v acetic acid and twice with 1.000mL of 20.0%v/v methanol in water (washing solution) sequentially. The sample was eluted 1.000mL of elution solution and transferred into autosampler vials.

Mass spectrometry and chromatographic conditions: The liquid chromatography separation was performed using a Shimadzu prominence UPLC comprising of solvent delivery module SIL-20AT, an autoinjector SIL 20AC, and a

column oven CTO-20AC. Chromatography separation of analytes and their corresponding ISTDs was accomplished within 4.0 min using an injection volume of 10μL upon a Symmetry shield C18 (50*4.6mm, 5μ) column and a mobile phase consisting of acetonitrile: methanol: 2mM ammonium formate (pH3.5) (48:06:46 v/v) by isocratic premix at a flow rate of 0.600 mL/min. The mass spectrometer used for this work was triple quad TSQ Quantum Ultra (Thermo Scientific, USA) which consisted of a heated electrospray ionization (HESI) source in negative ion mode. Multiple reaction monitoring transitions are used with a dwell time set at 200 milli sec. per transition. Inert gas Nitrogen was used as the zero air for the nebulizer, curtain, auxiliary, and collision gases. Source-dependent and Compound dependent parameters are shown in Table 1 (1A and 1B). Chromatograms were generated using the software TSQ quantum 1.4.2. and the data were processed by peak area ratio.

Method Validation: Full method validation was conducted according to USFDA guidelines²⁷ and in compliance with the principles of Good Laboratory Practices²⁹.

Selectivity and Specificity: *The selectivity of the method was assessed using twelve different lots of K₂EDTA plasma including two lipemic and two haemolytic plasma with the same anticoagulant (K₂EDTA). In this experiment Blank samples and LLOQ samples were processed from each lot to evaluate interference at the RT of Analyte and ISTD. A selectivity test was carried out using fresh linearity and four sets of QC samples at LQC, MQC, and HQC levels.*

Specificity of the method was performed along with fresh CC and QC samples. A specificity experiment was tested for each analyte and ISTD to ensure that there is no cross interference from concomitant medicines, analyte, and ISTD.

Matrix effect: The matrix effect was measured in eight different lots of K₂EDTA plasma including at least one lipemic and homolytic lot plasma to ensure that the Precision, Accuracy, and Sensitivity are not compromised due to different lots of matrix usage. The matrix effect was evaluated in triplicate at LQC and HQC.

The matrix factor for the analyte and ISTD was calculated as follows-

MF of Analyte: Mean peak analyte area in presence of Matrix samples/ Mean peak analyte area in a neat aqueous sample.

MF of ISTD: Mean peak area of ISTD in presence of Matrix samples/ Mean peak area of ISTD in a neat aqueous sample.

ISTD normalized M.F.- MF of Analyte/ M.F. of ISTD

Linearity: The linearity of the method was evaluated using four precision and accuracy batches. Linearity consisted of a blank sample, zero sample, and nine points non-zero calibration curve samples (STD-1 to STD-9). A weighted 1/X² linear regression was used to determine the concentration of the analyte by plotting the peak ratio of

each analyte to their ISTD against the nominal value of linearity samples. To meet the acceptability of the calibration curve, the coefficient of correlation (r^2) should be ≥ 0.9800 . The percent nominal of LLOQ samples must be within $\pm 20\%$ of the nominal value. The percent nominal for other than LLOQ must be within $\pm 15\%$ of their nominal value and at least 75% of calibration curve standards including LLOQ and ULOQ must meet the above criteria.

Precision and Accuracy: The precision and accuracy of the batches were validated for intra-assay as well as for inter-assay estimations using the six replicates ($n=6$) of quality control samples i.e., LLOQC, LQC, MQC, and HQC. The intra-assay precision and accuracy were determined by processing and analysing six replicates of all levels of QC sample in a single analytical batch. Whereas inter-assay precision and accuracy were determined from four different analytical batches by processing and analysing 24 replicates of all levels of QC sample analysed on three consecutive validation days. The percentage coefficient of variation (%CV) should be within ± 15 for LQC, MQC, and HQC whereas for LLOQC %CV should be within ± 20 . Accuracy should be within $\pm 15\%$ for LQC, MQC, and HQC whereas, for LLOQC, accuracy should be within $\pm 20\%$.

Recovery: Recovery was determined at three different levels at LQC, MQC, and HQC by comparing the detector response obtained from extracted QC samples with the corresponding post-spiked QC samples to represent 100% recovery. % CV of the mean recovery across different QC levels should be ≤ 15 .

% Recovery = $\frac{\text{Extracted peak area} \times 100}{\text{Unextracted peak area}}$

Stability: Stability experiments in stock solution and matrix were assessed very extensively to evaluate the stability of both the analyte and ISTD. All the experimental processing conditions, which the incurred samples may encounter were simulated during method validation to evaluate the various stabilities like freeze-thaw stability, bench-top processing condition stability, wet extract stability, dry extract stability, In injector/Autosampler stability, process stability, short-term and long-term stock solution stability in aqueous solution and whole blood stability. All matrix stability was measured with freshly prepared spiking stock followed by freshly spiked CC samples and comparison QC samples at LQC and HQC levels. A stock solution of analyte and ISTD were evaluated at LLOQ and ULOQ level at room temperature. Freeze-thaw (FT) stability was carried out to assess the stability of analyte(s) in biological fluid during repeated freezing and thawing cycles. FT was established for the 4th cycle during the storage in the ultra-low temperature deep freezer at -70°C ($\pm 10^\circ\text{C}$) and -20°C ($\pm 5^\circ\text{C}$). Stability experiments were considered to be acceptable if assay values are within ± 15 for accuracy and precision.

Results and Discussion

Method development

Optimization of LC-MS/MS: Development and

optimization activities were begins with a thorough literature review to collect target information followed by compound weighing for all the analytes and internal standards. All the compounds were dissolved in diluent water: methanol/ acetonitrile as solubility and signal intensity was found to be improved. A further appropriate concentration of about 200ng/mL of each scanning dilution was prepared in the diluent to perform the scanning optimization followed by the finalization of compound and source parameters. Once the scanning was completed, a final MRM method was created and fine-tuning was carried out to freeze the best-fit parameters which could give the best signal intensity, sensitivity, and stable response.

Optimization of chromatographic conditions and sample preparation technique:

The chromatographic factors such as mobile phase composition, flow rate, selection of suitable column, autosampler temperature, injection volume, column oven temperature, splitting of eluent into ion sources, moreover faster and shorter run time were optimized through numerous trials to acquire exact chromatographic decisions and symmetric peak shapes for the UDCA, GUDCA, TUDCA, and respective internal standards. It was observed that a combination of acidified ammonium formate: acetonitrile: methanol (06:48:46v/v) possess good peak resolution and enough response to achieve the sensitivity level. All analyte and internal standards peaks were eluted within 4.0 minutes with good resolution at a flow rate of 0.600ml/min. Various sample extraction techniques were evaluated to remove the matrix interferences and obtain the clear extract as clean as possible. Firstly, the Sample preparation trial was taken with the quickest technique, the protein precipitation (PPT) method resulted in significantly more baseline and less response found. Secondly, attempted isolation of the analyte with liquid-liquid extraction (LLE) procedure yielded an extract more efficiently in comparison to the PPT. However, the LLE technique was cumbersome and possess several drawbacks. With the LLE method, extraction recovery for the polar acid metabolites speciûcally TUDCA was found to be significantly reduced. As a result, the solid phase extraction (SPE) technique was tested which usually reduces the greater extent of the matrix effect and gives higher recoveries for polar and non-polar analytes. Several solid phase extraction cartridges such as HLB cartridges i.e. Waters Oasis, Phenomenex Strata X, Agilent Bond elute Plexa, Cleanert PEP, etc. were evaluated to get high recovery of analyte and free of matrix effects. As a result, Bond elute plexa cartridges were decided to finalize which gives the highest recovery among other cartridges with a clean chromatogram for a blank plasma sample and good reproducibility of chromatographic responses. UDCA D4, GUDCA D4, and TUDCA D4 were used as internal standards for the existing work. Clean chromatograms had been obtained, and no considerable direct interferences in the MRM channels at the applicable retention times were

found. Representative chromatograms are shown in figure 1. The solid phase extraction process gives a simple and faster protocol to efficiently isolate analytes of interest from plasma samples and provides ease of automation.

Method Validation: Atorvastatin full method validation was conducted according to the USFDA guidelines for the bioanalytical assay in the biological matrix²⁷.

Selectivity: Six different lots of human K₂EDTA plasma and one lot each of lipemic and hemolyzed plasma were processed and analysed to evaluate the extent to which endogenous components of human plasma may contribute to chromatographic interference with analytes or internal standards. No interference was observed at the retention time of analytes and internal standards.

Cross specificity: Cross-specificity was performed for UDCA in presence of GUDCA, TUDCA and internal standards to determine their chromatographic interference with UDCA. The same was performed for GUDCA, TUDCA, UDCA D4, GUDCA D4, and TUDCA D4. Blank samples and extracted LLOQ samples were prepared and the response in blank was evaluated against the mean extracted LLOQ response of analytes and response of internal standards. No interference was observed for UDCA, GUDCA, TUDCA, UDCA D4, GUDCA D4 and TUDCA D4.

Calibration curves: The calibration curve was found to be consistently accurate and precise over the prepared concentration range for UDCA, GUDCA, and TUDCA. Calibration Curve data is shown in Table 2

Precision and accuracy

Within-batch or intra-batch precision and accuracy

Within-batch or intra-batch precision and accuracy were determined by analysing one calibration curve standard and four sets of quality control samples (6 samples each of the LLOQC, LQC, MQC, and HQC) in four separate batches (Intra Batch-01 to 04). Precision and accuracy readings of each batch were compiled and mean % nominal concentration and %CV were calculated at each QC level for each P&A batch.

Between-batch or inter-batch precision and accuracy

Between batch precision and accuracy were assessed by analysing four batches consisting of the calibration curve and four sets of QC samples (6 samples each of the LLOQC, LQC, MQC, and HQC) on three different days. Precision and accuracy readings of the batches analysed on different days were compiled and global mean % Nominal concentration and global %CV were calculated at each QC level. The results obtained were within the acceptance criteria and are presented in Table 3.

Recovery: Six aliquots each of low, medium, and high-quality control samples were processed (extracted) along with eighteen samples of the drug-free biological matrix (blank). Analytes were spiked to the processed blank samples to obtain post-spiked LQC, MQC, and HQC (six samples at each level). Mean percentage recovery was calculated at low, medium, and high-quality control levels

and internal standards. Variability across QC levels was determined by calculating the %CV of mean % recovery at all QC levels. The results obtained were consistent and precise for analytes at all QC levels and internal standards. Recovery results are shown in Table 4.

Matrix effect: Matrix effect was performed at low- and high-quality control levels (LQC and HQC) in six different lots of human K₂EDTA plasma including one lot each of lipemic and hemolyzed plasma. Blank samples were processed as per the defined extraction procedure and the eluted samples were post-spiked with respective analyte spiking stock solutions and internal standards. Aqueous equivalent LQC and HQC samples were prepared simultaneously along with post-spiked samples. The matrix factor (ion suppression/enhancement) was estimated by comparing the area peak response of post-spiked samples with aqueous equivalent samples for all the plasma lots. The % CV obtained for matrix factors at each level, internal standard and ISTD normalized matrix factor at each level was within the acceptable limits. Matrix effect results are shown in Table 5.

Stability: All matrix-based stability experiments were evaluated in presence of lactone metabolites by comparing the stability samples with freshly prepared samples. Stability data are presented in Table 6. Established stabilities experiments such as Bench top stability for 09.00hrs at room temperature, In-injector stability at 5°C in an autosampler for 84.00hrs, Freeze and thaw stability (after 4th cycle at -70±5°C), Wet extract stability at room temperature for 02.00hrs and at -20°C for 47.00hrs, Process stability at room temperature for 04.00hrs and Long term stability for 23 days at -70±5°C were found to be stable with acceptable % mean change (±15), % nominal (±15) and %CV (±15).

Conclusion: A simple, sensitive, selective, and rugged chromatographic method is successfully developed and validated by LC-MS/MS in human plasma using deuterated internal standards. This method yields consistent results despite the variations in conditions during the course of validation. This method is highly focused to consider the prevalent challenges such as inter-conversion and chromatographic issues due to the estimation of low-level concentrations which are usually faced during bioanalysis of clinical study samples. The proposed linearity range is selective for the estimation of Ursodeoxycholic acid and its major metabolites after an oral administration of varying strengths of 250to500mg bioequivalence studies. All conditions related to the extraction procedure and chromatographic quantitation are fully optimized and validated to have high throughput instrument productivity with less turnaround time for clinical sample analysis. An added advantage of our established method is that the proposed sample preparation methodology is simple, and time-saving which reduces the sample processing errors, minimizes the matrix effect, and produces high precision

and accuracy of results. This method demonstrates acceptable performance and is suitable for the determination of Ursodeoxycholic acid, Glycoursodeoxycholic and andTauroursodeoxycholic acid in human K₂EDTA plasma over the range of 100 to10000ng/mL, 90 to 15000ng/mL and 9 to 3000ng/mL respectively. This method can be suitable for conducting bioequivalence studies and therapeutic monitoring of the drugs used for liver issues.

Acknowledgment: The authors wish to acknowledge the support and research facilities received from EcronAcunova Ltd. Manipal, Karnataka, India for carrying out this research work.

Declaration of Competing Interest: The authors declare no conflict of interest for this research work.

Financial support: N.A (Not applicable) in the financial support section.

Ethics statement: None.

References:-

1. Paul Angulo, Keith D. Lindor, Chapter 89 - Primary Biliary Cirrhosis. Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease (Ninth Edition), W.B. Saunders, 2010, Pages 1477-1488.
2. Drug approval and Bioequivalence Draft Guidance. (Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/psg/Ursodiol_tab_20675_RC7-08.pdf).
3. Hilhorst, M.; Amsterdam, P. V.; Heinig, K.; Zwanziger, E.; Abbot, R. Stabilization of clinical samples collected for quantitative bioanalysis – a reflection from the European Bioanalysis Forum. *Bioanalysis* 2015, 7, 333-343.
4. Hammond, T.G.; Moes, S.; Youhanna, S.; Jennings, P.; Devuyst, O.; Odermatt, A.; Jenö, P. Development and characterization of a pseudo multiple reaction monitoring method for the quantification of human uromodulin in urine. *Bioanalysis* 2016, 8, 1279-1296.
5. Ramagiri, S.; Moore, I. Hybridizing LBA with LC-MS/MS: the new norm for biologics quantification. *Bioanalysis* 2016, 8, 483-486.
6. Deshpande, M. M., Kasture, V. S., Mohan, M., & Chavan, M. J. Bioanalytical Method Development and Validation: A review. *Recent Adv. Anal. Chem.*, 2019, 97.
7. Mario, L.; Rocci, Jr.; Stephen, Lowes. Regulated Bioanalysis: Fundamentals and Practice. *AAPS Adv. Pharm. Sci. Ser.* 2017, 26.
8. Van de Merbel NC. Quantitative determination of endogenous compounds in biological samples using chromatographic techniques. *TrAC Trends Anal. Chem.* 2008, 27, 10, 924-933.
9. Thakare R, Chhonker YS, Gautam N, Alamoudi JA, Alnouti Y. Quantitative analysis of endogenous compounds. *J. Pharm. Biomed. Anal.* 2016, 128, 426-437.
10. Ke Y, Labrie F. The importance of optimal extraction to insure the reliable MS-based assays of endogenous compounds. *Bioanalysis*. 2016, 8, 39-41.
11. Wakamatsu, A.; Ochiai, S.; Suzuki, E.; Yokota, Y.; Ochiai, M.; Kotani, Y.; Sasahara, S.; Nakanaga, K.; Hashimoto, Y.; Ueno, S.; Kato, N.; Kawada, S.; Hayakawa, J.; Shimada, E.; Horita, S.; Sakai, K. Proposed selection strategy of surrogate matrix to quantify endogenous substances by Japan Bioanalysis Forum DG2015-15. *Bioanalysis* 2018, 10, 1349-1360.
12. Hess C, Sydow K, Kueting T, Kraemer M, Maas A. Considerations regarding the validation of chromatographic mass spectrometric methods for the quantification of endogenous substances in forensics. *Forensic Sci. Int.* 2018, 283, 150-155.
13. Mukherjee, J.; Pal, T. K. Development and validation of RP-HPLC method to determine Ursodeoxycholic acid in pharmaceutical dosage forms. *Int. J. Pharm. Sci. Res.* 2011, 2, 73-78.
14. Varinder S, Kumar P, Gurjeet S, Shah G, Dhawan R.K., Analytical method development and validation for the estimation of ursodeoxycholic acid using RP-HPLC. *J. Pharm. Res.* 2015, 9, 46-53.
15. Kumar, A.T. Development and validation of RP-LC-UV method for determination of Ursodeoxycholic acid in drug substance and drug product. *J. Glob. Trends Pharm. Sci.* 2016, 7, 3429-3435.
16. Lakshmi k., Analytical method development and validation for the estimation of ursodiol in bulk and pharmaceutical formulation by RP-HPLC. *Int. J. Pharm. Anal. Res.* 2018, 7, 278-284.
17. Kakiyama, G.; Muto, A.; Takei, H.; Nittono, H.; Murai, T.; Kurosawa, T.; Hofmann, A. F.; Pandak, W. M.; Bajaj, J. S. A simple and accurate HPLC method for fecal bile acid profile in healthy and cirrhotic subjects: validation by GC-MS and LC-MS. *J. Lipid Res.* 2014, 55, 978-990.
18. Li, D.; Carroll, F. Rapid Analysis of 17 Bile Acids in Human Plasma by LC-MS/MS. (Available from: https://www.restek.com/Technical-Resources/Technical-Library/Clinical-Forensic-Toxicology/cft_CFAN2911-UNV).
19. Singh, S. S.; Shah, H.; Gupta, S.; Jain, M.; Sharma, K.; Patel, H.; Shah, B.; Thakkar, P.; Patel, N.; Shah, R.; Lohary, B. B. Validation of LC/MS electrospray ionisation method for the estimation of ursodiol in human plasma and its application in bioequivalence study. *Ann. Chim.* 2004, 94, 1-9.
20. Reddy, R. S.; Chandiran, I. S.; Jayaveera, K. N.; Rao, K. Quantification of ursodeoxy cholic acid in human plasma by using high performance liquid chromatography–tandem mass spectrometric method and its applications in pharmacokinetics. *J. Chem. Pharm. Res.* 2010, 2, 59-69.
21. Ganesan, M.; Nanjundan, S.; Viswanathan, S.; Uma, G. Liquid Chromatography/Tandem Mass Spectrometry for the Simultaneous Determination of Ursodiol

- and its Major Metabolites, Tauroursodeoxycholic Acid and Glycoursodeoxycholic Acid in Human Plasma. *E. J. Chem.* 2012, 9, 1605-1612.
22. Peng, C.; Tian, J.; Lv, M.; Huang, Y.; Tian, Y.; Zhang, Z. Development and Validation of a Sensitive LC–MS–MS Method for the Simultaneous Determination of Multicomponent Contents in Artificial Calculus Bovis. *J. Chromatogr. Sci.* 2014, 52, 128-136.
 23. Pillia, N.R. Pharmacokinetic and bioequivalence comparison between ursodeoxycholic acid tablets 500mg: An open label, balanced, randomized-sequence, single-dose, two-period crossover study in healthy male volunteers. *Der Pharmacia Lettre* 2015, 7, 10, 13-19.
 24. Oriana, B.; Sabrina, F.; Cecilia, D.; Manuela, M.; Valeria, T.; Silvia, L. LC-MS/MS Method Applied to the Detection and Quantification of Ursodeoxycholic Acid Related Substances in Raw Material and Pharmaceutical Formulation. *J. Pharm. Pharmacol.* 2018, 6, 448-455.
 25. Pinto, M. C.; Berton, D.C.; Oliveira, A. C. D.; Lazaro, C. M.; Carandina, S.A.C. Method development and validation of ursodiol and its major metabolites in human plasma by HPLC-tandem mass spectrometry. *Clin. Pharmacol.* 2019, 11, 1-9.
 26. Public Assessment Report for Ursodeoxycholic acid. Marketing Authorisation Holder in the RMS; Germany by Tillotts Pharma GmbH (2019) available online at https://mri.cts-mrp.eu/Human/Downloads/DE_H_5186_001_PAR.pdf
 27. Guidance Document: Bioanalytical Method Validation Guidance for Industry, U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Centre for Drug Evaluation and Research (CDER), May 2018. (Available from: <https://www.fda.gov/media/70858/download>).
 28. Guidance Document: ICH guideline M10 on bioanalytical method validation, Mar 2019 (Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/draft-ich-guideline-m10-bioanalytical-method-validation-step-2b_en.pdf).
 29. Good Clinical Practices, International Council for Harmonisation-E6 (R2) Guidelines, Current Step 4 version dated 9 November 2016.
 30. Viswanathan, C. T., Bansal, S., Booth, B., DeStefano, A. J., Rose, M. J., Sailstad, J., Shah, V. P., Skelly, J. P., Swann, P. G., Weiner, R. Workshop/conference report-quantitative bioanalytical methods validation and implementation: best practices for chromatographic and ligand binding assays. *The AAPS Journal Adv. Pharm. Sci. Ser.* 2007, 9, E30-E42.

Table 1. MS parameters: 1A) Source dependent and 1B) Compound dependent

Table 1A.Source dependent parameters

Ion Source	: Heated electro spray ionization (HESI)
Spray voltage	: 4000 v
Polarity	: Negative
Vaporizer temperature	: 350 °C
Sheath gas pressure	: 40 (arb)
Auxiliary gas pressure	: 20 (arb)
Ion Sweep gas pressure	: 0 (arb)
Capillary Temperature	: 350 °C
Capillary Offset	: -35
Collision gas Pressure	: 1.5mTorr
Chrom filter	: 10

Table 1B. Compound Dependent Parameters

Name	Parent/Product mass, m/z (Q1/Q3)	Collision energy (CE)	TUBE LENS	Skimmer Offset
UDCA	391.250/391.250	20	150	14
UDCA D4	395.326/395.326	20	150	14
GUDCA	448.280/74.090	30	150	12
	448.280/386.380	30	150	12
GUDCA D4	452.270/74.100	30	150	12
	452.270/390.100	30	150	12
TUDCA	498.280/498.280	25	150	10
TUDCA D4	502.340/502.340	25	150	10

Table 2. Linearity: 3A) UDCA, 3B) GUDCA and 3C) TUDCA

Back calculated concentration of Ursodeoxycholic acid Linearity (n=4)										SLOPE	INTERCEPT	r ²
UDCA (ng/mL)	STD-1	STD-2	STD-3	STD-4	STD-5	STD-6	STD-7	STD-8	STD-9			
	99.940	199.880	499.700	999.400	1998.800	3997.600	5996.400	7995.200	9994.000			
Mean	100.525	196.990	505.527	1004.760	1928.974	3979.815	6028.470	8053.493	10177.135	0.000292	-0.000585	0.9991
Mean % Nominal conc.	100.59	98.55	101.17	100.54	96.51	99.56	100.53	100.73	101.83			
SD	1.229	5.233	6.993	16.032	25.003	58.426	138.586	149.019	178.387			
%CV	1.22	2.66	1.38	1.60	1.30	1.47	2.30	1.85	1.75			

Back calculated concentration of Glycoursodeoxycholic acid Linearity (n=4)										SLOPE	INTERCEPT	r ²
GUDCA (ng/mL)	STD-1	STD-2	STD-3	STD-4	STD-5	STD-6	STD-7	STD-8	STD-9			
	90.270	180.540	752.250	1504.500	3009.000	6018.000	9027.000	12036.000	15045.000			
Mean	90.008	181.730	756.009	1513.018	2846.790	6029.923	9005.831	12363.347	15236.497	0.000301	-0.001462	0.9977
Mean % Nominal conc.	99.71	100.66	100.50	100.57	94.61	100.20	99.77	102.72	101.27			
SD	1.759	6.831	16.415	46.422	98.785	131.690	409.206	662.939	405.552			
%CV	1.95	3.76	2.17	3.07	3.47	2.18	4.54	5.36	2.66			

Back calculated concentration of Tauroursodeoxycholic acid Linearity (n=4)										SLOPE	INTERCEPT	r ²
TUDCA (ng/mL)	STD-1	STD-2	STD-3	STD-4	STD-5	STD-6	STD-7	STD-8	STD-9			
	8.953	17.906	149.220	298.440	596.880	1193.760	1790.640	2387.520	2984.400			
Mean	8.958	17.872	149.405	304.828	579.921	1209.897	1791.405	2378.371	2975.393	0.083679	-0.002909	0.9954
Mean % Nominal conc.	100.06	99.81	100.12	102.14	97.16	101.35	100.04	99.62	99.70			
SD	0.150	0.608	2.175	4.558	5.324	17.347	37.096	45.724	37.021			
%CV	1.67	3.40	1.46	1.50	0.92	1.43	2.07	1.92	1.24			

Table 3. Intra and Inter day Precision and accuracy data for the Ursodeoxycholic acid and its major metabolites.

Compound	QC levels	Nominal Concentration (ng/mL)	Intra-day (n=6)			Inter-day (n=24)		
			Mean found(ng/mL)	% Accuracy	% CV	Mean found(ng/mL)	% Accuracy	% CV
UDCA	LLOQC	100.040	96.180	96.14	3.37	98.867	98.83	3.93
	LQC	300.120	276.414	92.10	2.52	280.410	93.43	2.36
	MQC	5002.000	4785.079	95.66	2.21	4838.546	96.73	1.77
	HQC	9003.600	8575.595	95.25	2.10	8632.895	95.88	1.88
GUDCA	LLOQC	90.270	88.218	97.73	8.14	90.168	99.89	5.30
	LQC	270.810	257.466	95.07	7.12	261.931	96.72	4.92
	MQC	7522.500	7376.911	98.06	5.30	7356.911	97.79	5.50
	HQC	13540.500	13456.785	99.38	7.66	12945.911	95.61	6.28
TUDCA	LLOQC	8.962	8.655	96.57	5.72	8.840	98.64	4.65
	LQC	26.887	25.386	94.42	3.00	25.676	95.50	2.70
	MQC	1493.700	1406.220	94.14	2.09	1409.933	94.39	1.68
	HQC	2688.660	2565.559	95.42	2.81	2563.535	95.35	1.74

Table 4. Recovery results

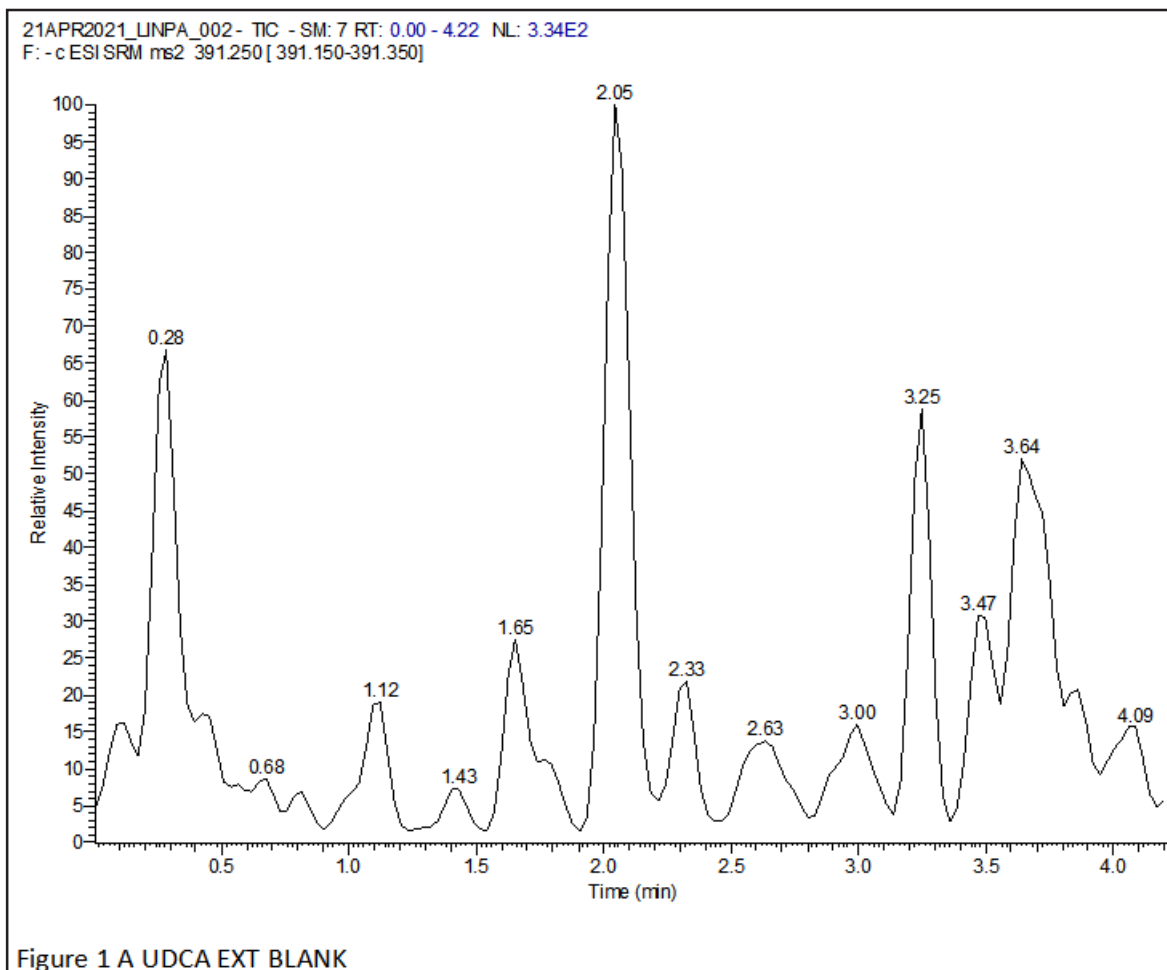
Parameter	Results	UDCA	GUDCA	TUDCA	UDCA D4	GUDCA D4	TUDCA D4
Recovery	Mean % recovery of analyte across QC level	92.29	93.81	90.76	91.69	89.93	90.62
	Variability across QC level (%CV)	2.05	2.11	1.52	NAP	NAP	NAP
	% CV of the post-spiked samples area	≤ 5.31	≤ 6.31	≤ 3.98	2.01	3.51	1.49
	% CV of the extracted samples area	≤ 5.07	≤ 7.22	≤ 5.08	2.50	2.96	1.56

Table 5. Matrix Effect Results (n=6)

ANALYTE	Parameter	MATRIX FACTOR			ISTD NORMALIZED MATRIX FACTOR	
		LQC	HQC	ISTD	LQC	HQC
UDCA	Mean	1.02	1.04	1.03	0.99	1.00
	SD	0.013	0.010	0.010	0.016	0.014
	%CV	1.27	0.96	0.97	1.62	1.40
GUDCA	Mean	1.03	1.04	1.03	1.00	1.01
	SD	0.023	0.008	0.009	0.028	0.012
	%CV	2.23	0.77	0.87	2.80	1.19
TUDCA	Mean	1.01	1.03	1.02	1.00	1.01
	SD	0.017	0.008	0.008	0.016	0.008
	%CV	1.68	0.78	0.78	1.60	0.79

Table 6. Stability data

Ursodeoxycholic acid						
Parameters	Condition and Duration	Mean Precision (%CV)		Stability (Mean % Change)		
		LQC	HQC	LQC	HQC	
Benchtop	Room Temperature, 7hrs	1.89	1.31	-4.55	-2.55	
In-injector	Autosampler at 5°C for 52.00hrs	1.47	0.97	-2.09	1.54	
Freeze and thaw	After 4th Cycle at -70±5°C	1.69	0.98	-2.80	-0.37	
Wet extract	2 hrs at room temperature and 4hrs at 2-8°C	1.69	1.35	-0.78	1.71	
Processing steps	4hrs at Room Temperature	1.75	0.91	0.30	0.45	
Long Term	47 Days at -70°C	1.57	3.21	-1.21	-1.05	
Glycoursodeoxycholic acid						
Parameters	Condition and Duration	Mean Precision (%CV)		Stability (Mean % Change)		
		LQC	HQC	LQC	HQC	
Benchtop	Room Temperature, 7hrs	0.71	1.49	-0.78	-2.11	
In-injector	Autosampler at 5°C for 52.00hrs	2.55	2.00	3.21	0.67	
Freeze and thaw	After 4th Cycle at -70±5°C	3.10	1.01	2.01	0.35	
Wet extract	2 hrs at room temperature and 4hrs at 2-8°C	0.99	1.04	0.97	0.69	
Processing steps	4hrs at Room Temperature	2.05	0.94	5.70	0.73	
Long Term	47 Days at -70°C	5.75	2.25	-0.88	2.25	
Tauroursodeoxycholic acid						
Parameters	Condition and Duration	Mean Precision (%CV)		Stability (Mean % Change)		
		LQC	HQC	LQC	HQC	
Benchtop	Room Temperature, 7hrs	1.91	1.25	-2.04	-1.79	
In-injector	Autosampler at 5°C for 52.00hrs	1.31	1.14	-0.17	0.22	
Freeze and thaw	After 4th Cycle at -70±5°C	2.24	1.48	-0.90	-0.43	
Wet extract	2 hrs at room temperature and 4hrs at 2-8°C	1.99	0.99	0.99	-0.06	
Processing steps	4hrs at Room Temperature	5.73	0.97	-8.90	-0.28	
Long Term	47 Days at -70°C	2.0	1.07	-1.75	0.85	



महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान

डॉ. लोकेश कुमार शर्मा *

* एसोसिएट प्रोफेसर, मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ (राज.) भारत

शोध सारांश – महात्मा गांधी का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। गांधीजी ने अहिंसा, सत्याग्रह, और असहयोग जैसे सिद्धांतों के माध्यम से भारतीय जनता को संगठित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उनका जीवन और उनके विचार स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महान प्रेरणा बने और उनके नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। इस शोधपत्र में महात्मा गांधी के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए योगदान का विश्लेषण किया गया है।

महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन और उनके विचारों का विकास

प्रारंभिक जीवन – मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। बचपन से ही गांधीजी पर माता के धार्मिक और नैतिक मूल्यों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की और बाद में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए।

विदेश में शिक्षा और विचारों का विकास – गांधीजी ने 1888 में इंग्लैंड के इनर टेम्पल से कानून की डिग्री प्राप्त की। वहां रहने के दौरान उन्होंने पश्चिमी सभ्यता, न्याय प्रणाली, और सामाजिक आंदोलनों का गहन अध्ययन किया। इंग्लैंड में रहते हुए वे थियोसोफी, बाइबल, और भगवद गीता से प्रभावित हुए, जिसने उनके जीवन और विचारों को एक नई दिशा दी।

दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी का संघर्ष

दक्षिण अफ्रीका में प्रवास – गांधीजी ने 1893 में एक कानूनी मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। वहां उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे नस्लीय भेदभाव को देखा और इसके खिलाफ आवाज उठाई। दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए 21 वर्षों में गांधीजी ने सत्याग्रह के सिद्धांत को विकसित किया, जो उनके भविष्य के आंदोलनों का मूल आधार बना।

सत्याग्रह का उदय – गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। 1906 में उन्होंने ट्रान्सवाल सरकार के द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नए कानून के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने गांधीजी को एक सशक्त नेता के रूप में स्थापित किया। इस आंदोलन के सफल होने के बाद गांधीजी ने अहिंसा और सत्याग्रह को अपनी लड़ाई का मुख्य हथियार बना लिया।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीजी का प्रवेश

भारत लौटने के बाद की स्थिति – 1915 में गांधीजी भारत लौटे और उन्होंने भारतीय समाज और राजनीति की स्थिति का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक और संगठित आंदोलन की आवश्यकता है। उनके विचारों का विकास

भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के साथ-साथ यहां के लोगों की समस्याओं के आधार पर हुआ।

चंपारण सत्याग्रह – गांधीजी ने अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण जिले से की, जहां किसान नील की खेती करने के लिए मजबूर थे। किसानों की समस्याओं को सुनने और उनके साथ खड़े होने के लिए गांधीजी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह आंदोलन गांधीजी के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ और इससे उन्हें पूरे भारत में एक प्रभावशाली नेता के रूप में पहचान मिली।

असहयोग आंदोलन

जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन – 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने गांधीजी को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय जनता से ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग न करने का आह्वान किया। इस आंदोलन के तहत लोगों से सरकारी नौकरी, शिक्षा और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया।

असहयोग आंदोलन की सफलता और समाप्ति – असहयोग आंदोलन को पूरे देश में व्यापक समर्थन मिला। गांधीजी ने इसे अहिंसात्मक रूप से चलाने की अपील की, लेकिन 1922 में चौरी-चौरा कांड के बाद जब आंदोलन हिंसात्मक हो गया, तो उन्होंने इसे वापस ले लिया। हालांकि, इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और गांधीजी को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा

नमक सत्याग्रह का प्रारंभ – 1930 में गांधीजी ने नमक कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा शुरू की, जिसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस यात्रा के दौरान गांधीजी ने नमक कानून का उल्लंघन किया और समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी।

सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव – नमक सत्याग्रह ने पूरे देश में

ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष की लहर पैदा कर दी। लाखों लोगों ने गांधीजी के आह्वान पर आंदोलन में भाग लिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा की। इस आंदोलन ने न केवल भारतीय जनता को संगठित किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन मिला।

गांधीजी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

कांग्रेस के साथ जुड़ाव – गांधीजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर इसके प्रमुख नेता बने। उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को संगठित और दिशा प्रदान की। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का रूप दिया और देश के हर कोने में आजादी की मांग को बुलंद किया।

हरिजन आंदोलन और सामाजिक सुधार – गांधीजी ने स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ हरिजन आंदोलन शुरू किया और दलितों को समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। गांधीजी का मानना था कि समाज के सभी वर्गों के बिना स्वतंत्रता अधूरी है, इसलिए उन्होंने सामाजिक सुधारों को स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनाया।

भारत छोड़ो आंदोलन

द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन – द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय नेताओं की सहमति के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। इससे नाराज होकर गांधीजी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अंग्रेजों से तत्काल भारत छोड़ने की मांग की और 'करो या मरो' का नारा दिया।

भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता – भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया। गांधीजी और अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन पूरे देश में फैल गया। जनता ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास कराया कि भारत में अब उनके लिए शासन करना संभव नहीं है और उन्हें जल्द ही भारत छोड़ना होगा।

गांधीजी के सिद्धांत और उनके प्रभाव

अहिंसा और सत्याग्रह – गांधीजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका अहिंसा और सत्याग्रह का सिद्धांत है। उन्होंने अहिंसा को एक सशक्त हथियार के रूप में प्रयोग किया और इसके माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह और इसे गांधीजी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मूलमंत्र बनाया।

स्वदेशी आंदोलन – गांधीजी ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की और भारतीयों से विदेशी वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। उन्होंने चरखा और खादी को स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक बनाया और भारतीय जनता को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। स्वदेशी आंदोलन ने न केवल आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया बल्कि भारतीय राष्ट्रियता को भी मजबूत किया।

विभाजन और गांधीजी की भूमिका

विभाजन की त्रासदी – 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। गांधीजी विभाजन के खिलाफ थे और उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे इसमें सफल

नहीं हो पाए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा और साम्प्रदायिकता ने गांधीजी को गहरा आघात पहुंचाया।

अंतिम संघर्ष और शहादत – विभाजन के बाद गांधीजी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में दौरा किया और शांति स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने दिल्ली में उपवास खाया और हिंदू-मुस्लिम एकता की अपील की। गांधीजी का मानना था कि भारत की स्वतंत्रता तभी पूर्ण हो सकती है जब सभी धर्मों और समुदायों के लोग एक साथ मिलकर शांति और भाईचारे के साथ रहें। उनके उपवास और प्रयासों ने कई जगहों पर सांप्रदायिकता को कम किया, लेकिन विभाजन के घाव इतने गहरे थे कि वे पूरी तरह से शांति स्थापित करने में सफल नहीं हो सके।

30 जनवरी 1948 को, नई दिल्ली में बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा के दौरान, नाथूराम गोडसे ने गांधीजी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधीजी के निधन ने पूरे देश को शोक में डूबा दिया, और यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हुई।

गांधीजी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान – महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अपने सिद्धांतों और विचारों के माध्यम से भारतीय जनता को एकजुट किया और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया। गांधीजी ने अहिंसा, सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा जैसे सिद्धांतों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। उनका योगदान केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण रहा है।

भारतीय राजनीति में नैतिकता की स्थापना – गांधीजी ने भारतीय राजनीति में नैतिकता और आदर्शों की स्थापना की। उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ राजनीति को जोड़ा और इस बात पर जोर दिया कि साधन और उद्देश्य दोनों ही पवित्र और नैतिक होने चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार, असत्य, और हिंसा के खिलाफ एक नैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो आज भी भारतीय राजनीति के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।

सामाजिक सुधारों में योगदान – गांधीजी ने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे अस्पृश्यता, जातिवाद, और सामाजिक असमानता के खिलाफ भी संघर्ष किया। उन्होंने हरिजन आंदोलन के माध्यम से दलितों को समाज में समान अधिकार दिलाने की कोशिश की और उनके सामाजिक उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए। गांधीजी का मानना था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी होनी चाहिए। **आर्थिक स्वराज की अवधारणा** – गांधीजी ने आर्थिक स्वराज की अवधारणा को भी महत्व दिया। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी और विदेशी वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। उनके इस आंदोलन ने न केवल ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को कमजोर किया बल्कि भारतीय उद्योगों और कारीगरों को भी सशक्त बनाया।

शिक्षा और नैतिकता – गांधीजी ने शिक्षा को भी नैतिकता और जीवन मूल्यों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें शिक्षा के साथ-साथ नैतिकता, श्रम और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और नैतिक व्यक्ति का निर्माण करना है।

गांधीजी की विरासत और आधुनिक भारत पर प्रभाव- महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान उनके विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से आज भी जीवित है। उनकी विरासत ने न केवल भारतीय समाज को प्रभावित किया बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उनके विचारों का प्रभाव पड़ा। अहिंसा और सत्याग्रह के उनके सिद्धांत ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, और आंग सान सू की जैसे विश्व के कई नेताओं को प्रेरित किया।

भारतीय संविधान और गांधीजी के विचार- भारतीय संविधान में भी गांधीजी के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और बंधुत्व के सिद्धांत गांधीजी के विचारों का ही प्रतिफलन हैं। इसके अलावा, संविधान में पंचायत राज, स्वदेशी और ग्राम स्वराज जैसे सिद्धांत भी गांधीजी के विचारों से प्रेरित हैं।

समकालीन भारत में गांधीजी के विचारों की प्रासंगिकता - समकालीन भारत में भी गांधीजी के विचार और सिद्धांत प्रासंगिक हैं। भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष में गांधीजी के विचारों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। अहिंसा, सत्य, और सामाजिक न्याय की उनकी अवधारणाएं आज के समाज में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी स्वतंत्रता संग्राम के समय थीं।

वैश्विक स्तर पर गांधीजी का प्रभाव - गांधीजी के विचार और सिद्धांत वैश्विक स्तर पर भी अपनाए गए हैं। उनकी अहिंसा की नीति ने कई देशों में स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया और उनके सत्याग्रह के सिद्धांत ने दुनिया भर में न्याय और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनों को एक नई दिशा दी। गांधीजी का जीवन और उनके विचार आज भी विश्वभर में शांति, प्रेम और मानवता के प्रतीक माने जाते हैं।

निष्कर्ष - महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

अतुलनीय और प्रेरणादायक है। उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत और विचार न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिशा देने में सहायक रहे, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज और राजनीति में नैतिकता और आदर्शों की नींव भी रखी। गांधीजी का जीवन, उनके सिद्धांत और उनके विचार आज भी न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और योगदान हमेशा भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखेंगे और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Gandhi, M. K. (1927). An Autobiography: The Story of My Experiments with Truth- Navjivan Publishing House.
2. Nanda, B. R. (1996). Mahatma Gandhi: A Biography. Oxford University Press.
3. Chandra, Bipan (1989). Indias Struggle for Independence. Penguin Books.
4. Brown, Judith M. (1972). Gandhis Rise to Power: Indian Politics 1915-1922- Cambridge University Press.
5. Parel, Anthony J. (2006). Gandhis Philosophy and the Quest for Harmony- Cambridge University Press.
6. Tendulkar, D. G. (1951). Mahatma: Life of Mohandas Karamchand Gandhi (Vols- 1-8). Ministry of Information and Broadcasting] Government of India.
7. Prasad, Rajendra (1946). India Divided. Hind Kitabs.
8. Fischer, Louis (1950). The Life of Mahatma Gandhi. Harper & Brothers.
9. Parekh, Bhikhu (2001). Gandhi: A Very Short Introduction. Oxford University Press.
10. Sarkar, Sumit (1983). Modern India 1885-1947. Macmillan.

सतत विकास लक्ष्य

डॉ. दिनेश कुमार कठुतिया*

* शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विकास के कारण तेजी से औद्योगिक विकास हुआ है, जिससे विभिन्न पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का निर्माण और उन्हें अपनाना विश्व द्वारा सामना की जा रही इन चुनौतियों को सुलझाने के लिए तात्कालिक कार्रवाई का एक सार्वभौमिक आह्वान है। ये सतरा (17) मार्गदर्शक लक्ष्यों का एक सेट हैं, जिनमें प्रत्येक का उद्देश्य मानव विकास और पारिस्थितिक तंत्रों की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना है। अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) की भूमिका एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में केंद्रीय है, और परिणामस्वरूप, इसने विभिन्न हितधारकों से नवीन तकनीकों के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, एसडीजी 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) का एक लक्ष्य 'प्रदूषित हवा, पानी और मिट्टी के कारण बीमारी और मृत्यु को कम करना' है, जो स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, रासायनिक विज्ञान आदि में अनुसंधान और विकास की आवश्यकता को उजागर करता है। इस संबंध के कारण, एसडीजी और आर एंड डी के बीच, शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में एसडीजी से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियों का अध्ययन किया है। शोधकर्ताओं ने वैश्विक स्तर पर एसडीजी पर प्रकाशनों का अध्ययन किया है और प्रमुख फोकस क्षेत्रों, देशों और लेखकों के बीच सहयोग पैटर्न की पहचान की है।

हालांकि, भारत के मामले में एसडीजी से संबंधित अनुसंधान पर राष्ट्रीय रुझानों पर कोई विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ है। उपलब्ध एकमात्र ज्ञात पाठ यूके रिसर्च और इनोवेशन (यूकेआरआई) इंडिया इम्पैक्ट रिपोर्ट से है, जो यूके और भारत के बीच सहयोगात्मक उत्पादन पर चर्चा करता है और एसडीजी से संबंधित सहयोगात्मक अनुसंधान पर प्रकाश डालता है। इसलिए, भारत में एसडीजी आधारित अनुसंधान गतिविधियों में रुझानों का पता लगाने की आवश्यकता है ताकि मौजूदा ज्ञान के अंतर को संबोधित किया जा सके। एसडीजी को अपनाने के बाद से, भारत ने जलवायु कार्रवाई पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी प्रतिबद्धताओं में परिलक्षित होता है। भारत सतत विकास लक्ष्यों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कदम उठाने वाले अग्रणी देशों में से एक है। निति आयोग के नवीनतम एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अनुसार, यह स्वास्थ्य, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। यह सौर ऊर्जा, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल, वनीकरण और स्वच्छ ईंधन के उपयोग जैसे क्षेत्रों में अग्रणी है।

जर्मनी, फिनलैंड और सिंगापुर के साथ, यह उन कुछ देशों में से एक है

जो अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं। यह प्रगति अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने, कुशल प्रक्रियाओं और स्थायी प्रथाओं को अपनाने, महानगरों में अधिक कुशल मोटर वाहनों और सार्वजनिक परिवहन की ओर संक्रमण और सतत प्रक्रियाओं के लिए नई तकनीकों के उपयोग के प्रयासों का परिणाम है। इस प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी विकास, स्वीकृति और नीति हस्तक्षेपों के लिए नए शोध के कारण है। प्रति वर्ष 1.5 लाख से अधिक शोध पत्र प्रकाशित होने के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि भारतीय वैज्ञानिक समुदाय ने भी विभिन्न एसडीजी के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों को संबोधित करने के लिए कदम उठाए होंगे। इस संदर्भ में, यह लेख भारतीय लेखकों के प्रकाशित शोध लेखों के मानक बिब्लियोमेट्रिक तरीकों और पाठ विश्लेषण का उपयोग करके एसडीजी पर अनुसंधान प्रकाशन गतिविधियों की पहचान करने का प्रयास करता है।

संबंधित कार्य – सतत विकास की चुनौतियों को संबोधित करने वाला शोध विभिन्न विषय क्षेत्रों में समान रूप से वितरित है। जैसे-जैसे एसडीजी (जैसे, गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल, पानी और स्वच्छता, लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन) के तहत शामिल चुनौतियों का प्रभाव स्पष्ट होता जा रहा है, संबंधित चुनौतियों को संबोधित करने का प्रयास करने वाला अधिक शोध दुनिया भर में किया गया है। हालांकि, किसी भी सामूहिक अभ्यास की तरह, उचित ट्रेसिंग और पुनरावृत्ति के अभाव में, इन अभ्यासों का संचयी प्रभाव एक शून्य-योग खेल बन सकता है। प्रभाव को मापने के लिए, कई सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों ने विभिन्न आकलन पद्धतियों को अपनाया है।

योगदान करने वाले विषय क्षेत्रों में अनुसंधान का वितरण – इन तीन एसडीजी (3, 7 और 13) की अनुसंधान गतिविधि में शेष एसडीजी की तुलना में एक बड़ा अंतर देखा गया है, शीर्ष 3 ने कुल पुनः प्राप्त 60,022 शोध प्रकाशनों का लगभग 82% योगदान दिया है। शीर्ष 3 अनुसंधान एसडीजी के लिए अनुसंधान गतिविधि और अनुसंधान उत्पादन में योगदान करने वाले संबंधित अनुशासन को देखने के लिए आगे का विश्लेषण किया गया। इसे मेटाडेटा के 'कैटेगरी फॉर फील्ड' का उपयोग करके प्राप्त किया गया। यह डाइमेंशनस डेटाबेस द्वारा परिभाषित 22 विषय क्षेत्रों का शीर्ष-स्तरीय वर्गीकरण प्रदान करता है। एसडीजी 7, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के लिए, यह देखा गया है कि प्रकाशनों की संख्या लगभग 24% सीएजीआर पर बढ़ी है और 2016 में 3,308 पत्रों से 2020 में कुल 9,411 तक पहुंच गई है। इंजीनियरिंग, केमिकल साइंसेज, टेक्नोलॉजी, सूचना और कंप्यूटर

साइंसेज और गणितीय विज्ञान 89.14% के कुल योगदान के साथ शीर्ष योगदानकर्ता अनुशासन हैं। यह उस क्षेत्र में गतिविधि की प्रकृति को उजागर करता है जो ज्यादातर सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने पर केंद्रित है।

यह भारत के लिए अत्यधिक प्रासंगिक सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में प्रगति के लिए निर्धारित नीति दिशाओं के अनुरूप है। यह अनुसंधान तेजी से औद्योगीकरण वाली अर्थव्यवस्था के लिए बिजली और ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए नए विकल्पों की खोज करता है। इसी प्रकार, एसडीजी 3, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, प्रकाशनों की संख्या 2016 में प्रति वर्ष 4,236 लेखों से बढ़कर 2020 में प्रति वर्ष 7,233 लेखों की दर से 11.29% की दर से बढ़ी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान, जैविक विज्ञान, सूचना और कंप्यूटिंग विज्ञान, इंजीनियरिंग और अर्थशास्त्र मुख्य योगदानकर्ता हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान में 82% का प्रमुख योगदान है। यह मुख्य रूप से दवाओं के विकास, संक्रामक रोगों के उपचार रणनीतियों, आनुवंशिक और जीवनशैली संबंधी विकारों और चिकित्सा में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर केंद्रित चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान की प्रकृति को दर्शाता है। एसडीजी 13, जलवायु कार्रवाई के लिए, प्रकाशनों की संख्या 2016 में 1,024 लेखों से बढ़कर 2020 में 2,593 लेखों तक पहुंच गई, जिसमें 20.42% का सीएजीआर था। इंजीनियरिंग, पृथ्वी विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जैविक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान मुख्य योगदानकर्ता अनुशासन हैं जिनमें इंजीनियरिंग में प्रमुख गतिविधि है। जैसा कि अधिकांश जलवायु कार्रवाई अनुसंधान स्वच्छ और अधिक कुशल प्रौद्योगिकी समाधान का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है, इंजीनियरिंग और रासायनिक विज्ञान में उच्च गतिविधि स्पष्ट है। पृथ्वी विज्ञान, जैविक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पारिस्थितिक तंत्र कारकों जैसे नदी डेल्टा में हस्तक्षेप पर अनुसंधान सीधे जलवायु कार्रवाई से संबंधित है।

थीमेटिक संरचना प्रमुख प्रवृत्तियाँ-

प्रत्येक प्रमुख एसडीजी पर प्रकाशनों में चर्चा किए गए प्रमुख थीम - अनुसंधान प्रवृत्तियों का अवलोकन करने के लिए, शीर्ष तीन प्रदर्शन एसडीजी के लिए अवधारणा क्लस्टर प्लॉट का उपयोग करके आगे का विश्लेषण किया गया। ये प्लॉट प्रत्येक प्रकाशन के लिए डाइमेंशंस डेटाबेस से प्राप्त अवधारणा स्कोर का उपयोग करके विकसित किए गए थे। इसके लिए, सभी शोध पत्रों से 'अवधारणाओं' को एकत्र किया गया और जिनकी प्रासंगिकता 0.7 से कम थी उन्हें हटा दिया गया। शीर्ष तीन एसडीजी के लिए चयनित अवधारणाओं की आवृत्तियों को वीओएस व्यूअर का उपयोग करके दर्शाया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Bautista-Puig, N., Aleixo, A. M., Leal, S., Azeiteiro, U., & Costas, R. (2021). सतत विकास लक्ष्यों और उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों में उनकी समावेशिता के अनुसंधान परिदृश्य का खुलासा: 2000-2017 में प्रमुख रुझान। यफ्रंट सस्टेनेबिलिटी, 2, 620743 doi: 10.3389/frsus.2021.620743
2. Meschede, C. (2020). वैज्ञानिक साहित्य में सतत विकास लक्ष्यों का अवलोकन: एक मेटा-स्तरीय बिब्लियोमेट्रिक अवलोकन। सस्टेनेबिलिटी, 12(11), 4461.
3. Sweileh, W. M. (2020). 'सतत विकास लक्ष्यों' पर वैज्ञानिक प्रकाशनों का बिब्लियोमेट्रिक विश्लेषण जिसमें 'अच्छा स्वास्थ्य और भलाई' लक्ष्य (2015-2019) पर जोर दिया गया है। यग्लोबल हेल्थ, 16(1), 1-13.
4. UKRI (2021). ययूके-इंडियानुसंधान और नवाचार के साथ विकास के लिए साझेदारी - यूकेआरआई इंडिया इम्पैक्ट रिपोर्ट। (3 फरवरी 2021 को प्राप्त)
5. NITI Aayog (2021). 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21: कार्रवाई के दशक में साझेदारी'। भारत सरकार। <https://sdgindiaindex.niti.gov.in> (17 फरवरी 2022 को प्राप्त)
6. Fayomi, O. S. I., Okokpujie, I. P., & Udo, M (2018). सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में अनुसंधान की भूमिका। 'मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, 413(1)', 012002.
7. Thampi, A. (2019). भारत सतत विकास लक्ष्यों पर कहाँ खड़ा है? प्रगति और चुनौतियाँ। 'सोशल डेवलपमेंट एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन साउथ एशिया' (पृष्ठ 49-73)। रूटलेज।
8. Surana, K., Singh, A., & Sagar, A. D. (2020). सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार-आधारित इनव्यूबेटर्स को मजबूत करना: भारत से सबक। टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग एंड सोशल चेंज, 157, 120057
9. Singh, P., Singh, V. K., Arora, P., & Bhattacharya, S. (2020). भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान में रैंक और वैश्विक हिस्सेदारी: विभिन्न डेटाबेस से प्राप्त डेटा कैसे विभिन्न परिणाम उत्पन्न कर सकता है। जे. साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च, 80(4), 336-346.
10. Moyer, J. D., & Hedden, S. (2020). क्या हम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के सही मार्ग पर हैं? 'वर्ल्ड डेवलपमेंट, 127', 104749.

अप्राप्तवय अपराधिता हेतु भारत में सुधार संस्थाएँ

अनूप कैलासिया*

* सहायक प्राध्यापक (लॉ) शासकीय एमएलबी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – बाल अपराध आधुनिक युग की एक गंभीर समस्या है जो पूरे विश्व में फैली हुयी है। बाल अपराध किसी बालक द्वारा उसके बचपने या लड़कपन के कारण कारित कर दिये जाते हैं जबकि ऐसे अपराध कारित करने का उनका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता है। यदि किसी किशोर को उसकी इस किशोर अवस्था में अपराध की दुनियाँ में ढकेल दिया जाय तो उसका भविष्य एवं संपूर्ण जीवन अपराधमय हो जायेगा।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा-पीढ़ी पर निर्भर करता है इसलिए बच्चों के प्रति दया और सहानुभूति दशाई जानी चाहिए और साथ ही साथ उनकी उचित देख-रेख एवं संरक्षा की जानी चाहिए। चूँकि बालक जन्मतः अबोध और निर्विकार होते हैं, अतः यदि उनका पालन-पोषण सावधानी पूर्वक किया जाए तो उनकी शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास होगा और वे उत्तम नागरिक बनेंगे। परंतु यदि उनकी उपेक्षा की गई और उन्हें दूषित वातावरण में रखा गया, तो वे कुसंगति में पड़कर आपराधिकता की ओर प्रवृत्त होंगे। इसलिए इस प्रकार के अपचारी बालकों के लिए दण्डात्मक कार्यवाही करने की अपेक्षा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षाकृत श्रेयस्कर सिद्ध होती है। इस अध्ययन में भारत में किशोर अपचारिता हेतु बनाए गए सुधारात्मक संस्थाओं का अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी – किशोर, अप्राप्तवय, सुधार, अपचार, बाल न्यायालय।

अध्ययन का उद्देश्य – इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्थापित अप्राप्तवय अपराधिता हेतु सुधार संस्थाओं का अध्ययन किया गया है।

शोध प्रविधि – यह शोध पत्र पुर्णतः सैद्धांतिक विधि पर आधारित है जिसमें विषय से संबंधित सर्वमान्य ग्रन्थ एवं प्रशासकीय दस्तावेजों प्राप्त सुचनाओं को आधार मानकर अध्ययन किया गया है।

विवेचना – अप्राप्तवय अपराधिता हेतु भारत में निम्नलिखित सुधार संस्थाएँ हैं-

बाल न्यायालय – अप्राप्तवय अपराधों के लिये सरकार द्वारा किशोर न्यायालयों की स्थापना की गई है, जो सामान्य न्यायालयों से सर्वथा भिन्न है। जब कभी इस न्यायालय के सम्मुख कोई अपराधी प्रस्तुत किया जाता है तब उसका न्यायाधीश स्वयं इस तथ्य पर सोच-विचार करता है कि उनको किस प्रकार से सुधारा जाये। वर्तमान भारतवर्ष में दिल्ली, पिश्चमी बंगाल, तमिलनाडु, मद्रास, मैसूर आदि में इस प्रकार के किशोर न्यायालय कार्यरत हैं।

संप्रेक्षण गृह – विचाराधीन अपराधी किशोरों को विचारण के दौरान कुछ समय के लिए अभिरक्षा में रखे जाने हेतु संप्रेक्षण गृहों की स्थापना की गई है। इनमें किशोर के लिए निवास सुविधा, भरण पोषण और चिकित्सा परीक्षा तथा उपचार की व्यवस्था के साथ साथ उसके लिए उपयोगी उपजीविका की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाती है।

राज्य सरकार या तो स्वयं अथवा स्वयंसेवी संगठनों से किसी करार के अधीन प्रत्येक जिले अथवा जिलों के किसी समूह में जैसा कि अपेक्षित हो किशोर न्याय अधिनियम के अधीन विधि विवादित किसी किशोर से संबंधित किसी जांच की लम्बितावस्था के दरमियान उनके अस्थायी प्रवेश के लिये स्थापित और अनुरक्षित कर सकती है।

राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन संप्रेक्षण गृहों के प्रबंधन का है जिसमें किसी किशोर के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के लिये उनके द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवायें और मानक भी सम्मिलित है और उन परिस्थितियों का जिसके अधीन वह तरीका जिससे किसी संप्रेक्षण गृह को प्रमाणित किया और उसको वापस लिया जा सकता है उपबंध कर सकती है।

विशेष गृह – किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 9 में विधि विरोधी किशोरों के लिए राज्य द्वारा विशेष गृह स्थापित किये जाने का प्रावधान है। इनमें अपचारी किशोरों के लिए निवास की सुविधा, भरण पोषण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधाओं की व्यवस्था है। विशेष गृह के विधि विवादित किशोरों को उनकी आयु तथा उनके द्वारा किये गये अपराधों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करके उनका पृथक्करण किया जाता है।

कोई राज्य सरकार या तो स्वयं अथवा स्वयंसेवी संगठनों से किये गये किसी करार के अधीन प्रत्येक जिलों या जिलों के किसी समूह में जैसा अपेक्षित हो इस अधिनियम के अधीन विधि विवादित किशोर के प्रवेश और पुनर्वास के लिये विशेष गृहों को स्थापित और अनुरक्षित कर सकती है।

राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन विशेष गृहों के प्रबंधन की जिसमें वे मानक और विभिन्न प्रकार की सेवायें भी सम्मिलित है जो उनके द्वारा प्रदान की जायेंगी जो कि किसी किशोर के पुर्न समाजीकरण के लिये आवश्यक है और परिस्थितियों की भी जिनके अधीन और तरीकों की भी व्यवस्था कर सकती है जिनसे किसी विशेष गृह को प्रमाणित किया जा सकता है अथवा वापस लिया जा सकता है।

आश्रयगृह – उपेक्षित और अभित्यक्त किशोरों की नियमित सुरक्षात्मक

देख रेख के लिए आश्रय गृह स्थापित किये गये है। इनमें लम्बीत अवधि के लिए रहने और प्रशिक्षण की व्यवस्था रहती है। आश्रय गृहों में उपेक्षित किशोरों को उचित अनुशासन में रखा जाता है ताकि वे अपने भावी जीवन को सुधार सके। इस संबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 37 में समुचित प्रावधान है।

प्रमाणित विद्यालय – निराश्रित एवं तिरस्कृत बाल अपराधियों के सुधार हेतु स्थापित प्रमाणित विद्यालय सुधार संस्थाओं की शृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मंत्रणा समिति की रिपोर्ट में प्रमाणित विद्यालयों को औद्योगिक विद्यालय के नाम से सम्बोधित किया गया है। ऐसे विद्यालय या तो राज्य द्वारा स्थापित किये जाते हैं या फिर बाल अपराधियों को स्वीकार करने के लिए राज्य द्वारा मान्य होते हैं।

प्रमाणित विद्यालय में प्रवेश से पूर्व बाल अपराधियों को पहले रिमाण्ड होम में रखा जाता है जहां उनके व्यक्तित्व की भूमिका सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं आदि का अध्ययन किया जाता है। ऐसे अपराधियों को बाल न्यायालयों के समक्ष पेश किया जाता है। बाल न्यायालय यदि उचित समझता है कि ऐसे अपराधियों को संस्थागत उपचार की आवश्यकता है तो उन्हें प्रमाणित विद्यालयों से प्रवेश की अनुमति दे दी जाती है। वर्तमान प्रमाणित विद्यालय उन्नीसवीं शताब्दी में कार्यरत सुधार गृहों अथवा औद्योगिक विद्यालयों का ही उपान्तरित स्वरूप है जिनमें लावारिस, उपेक्षित या अपचारी बालकों तथा किशोरों को रखा जाता है।

सुधार विद्यालय – बाल अपराधियों में शिक्षा के माध्यम से सुधार लाने वाली यह एक महत्वपूर्ण संस्था है। सुधार संस्थाओं का अध्ययन करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि – सुधारालय वह संस्था है जिसमें साधारणतया सोलह वर्ष से कम आयु के बच्चे अर्थात् किशोर अपराधी भर्ती किए जाते हैं जो पहले सजा काट चुके होते हैं और जिन पर माता पिता या किसी अन्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। सुधार विद्यालयों की स्थापना के मुख्य दो उद्देश्य हैं :

1. बाल अपराधियों में सुधार तथा
2. बाल अपराधियों का पुनर्वास।

रिमाण्ड होम – रिमाण्ड होम एक मध्यवर्ती संस्था है जहां बाल अपराधियों को गिरतारी के बाद एवं संस्थागत उपचार से पूर्व रखा जाता है। इस दौरान बाल अपराधियों के व्यक्तित्व एवं उनके सामाजिक व मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। रिमाण्ड होम का मुख्य उद्देश्य है –

1. बाल अपराधियों की शिक्षा दीक्षा भरण पोषण आदि की व्यवस्था करना।
2. बाल व्यवहार का अध्ययन करना।
3. बाल अपराधियों की शारीरिक एवं मानसिक दशा का पता लगाना।
4. आपराधिक व्यवहार के कारणों को तलाशना।
5. मुक्ति के बाद उन्हें समुचित दिशा निर्देश प्रदान करना आदि।

किशोर न्याय बोर्ड – धारा 4 के अनुसार राज्य सरकार को किसी जिले या जिलों के किसी समूह के लिए एक या अधिक किशोर न्याय बोर्डों के गठन के लिए सशक्त करती है ताकि वे अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को विधि विवादित किशोरों के संबंध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इस प्रकार गठित किशोर न्याय बोर्ड में एक

महानगरीय मजिस्ट्रेट अथवा एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जैसी भी स्थिति हो तथा दो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिनमें से एक महिला कार्यकर्ता होना आवश्यक है जिसमें एक न्यायिक मजिस्ट्रेट होना आवश्यक है। इस प्रकार स्थापित किये गए बोर्ड को विधि विवादित किशोर के संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों से संव्यवहार करने की अनन्यतम शक्ति प्रदान की गई है।

बालक कल्याण समिति – किशोर न्याय और बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 29 यह उपबंधित करती है कि राज्य सरकार जितने आवश्यक हो उतनी बालक कल्याण समितियों का गठन कर सकती है। इस प्रकार गठित समितियाँ देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो कि ऐसी समितियों को प्रदत्त किया गया है। इस प्रकार गठित समिति में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे जिसमें एक महिला होगी और एक अन्य वह व्यक्ति होगा जो बालकों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ हो।

बालक गृह – राज्य सरकार की देख-रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को जाँच की विचारण अवस्था में प्रवेश हेतु और तत्पश्चात् उनकी देख-रेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास एवं पुनर्वास के लिए या तो स्वयं अथवा स्वयं सेवी संगठनों से मिलकर बालक गृहों की स्थापना करेगी। उच्चतम न्यायालयों ने इस संबंध में निर्देश दिये हैं कि बालगृहों में बेगार नहीं ली जानी चाहिए और नहीं बालकों से बिना वेतन या पारिश्रमिक दिये काम लिया जाना चाहिए।

निरीक्षण समितियाँ – राज्य सरकार ऐसी अवधि और ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि विहित किया जाय राज्य किसी जिले और नगर के लिए जैसी स्थिति हो बालक गृहों के लिए निरीक्षण समितियाँ नियुक्त करेंगी जिन्हें इसके बाद निरीक्षण समिति के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा।

केन्द्रीय, राज्य, जिला और नगरीय सलाहकार बोर्ड – केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार उस सरकार को गृहों की स्थापना और उनके अनुरक्षण के संबंध में स्रोतों के संचालन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों और विधि विवादित किशोरों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए सुविधाओं के उपबंध और विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संबंधित अभिकरणों के बची समन्वय जैसे विषयों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय अथवा एक राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकेगा।

विशेष किशोर पुलिस युनिट – प्रत्येक राज्य में विशेष किशोर पुलिस युनिटों की स्थापना की जाए जो विधि विवादित किशोरों एवं देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालाओं पर निगरानी रखे तथा उनके मामले निपटाने में सहायता करे। इसी प्रकार प्रत्येक पुलिस थाने में एक किशोर न्याय इकाई होनी चाहिए जिसका मुखिया विशेष प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस अधिकारी हो जिसे किशोर कल्याण पुलिस अधिकारी कहा जाए।

रेस्क्यू होम – रेस्क्यू होम में ऐसी लड़कियों या महिलाओं को रखा जाता है जिन्हें वेश्यालयों या अवैध व्यापार करने वाले अपराधियों के कब्जे से बरामद किया जाता है आमतौर पर रेस्क्यू होम में ऐसी महिलाओं को या लड़कियों को रखा जाता है जिन पर अदालत में मुकदमा चल रहा हो इन रेस्क्यू होम का उद्देश्य अपराधियों को सुधार कर समाज में पुनर्वास सहायता प्रदान करना होता है।

महिला सदन, नारी निकेतन एवं महिला आश्रम – इस प्रकार की संस्थाएँ सरकारी या गैर सरकारी भी हो सकती हैं इन संस्थाओं की स्थापना मानसिक रूप से कमजोर लड़कियों, बलात्कार की शिकार लड़कियों, परिवार से त्याग दी गयी लड़कियों या वेश्यालयों से छुड़ायी गयी लड़कियों के लिए किया गया है इन संस्थाओं में अनाथ और बेसहारा लड़कियाँ भी भर्ती की जाती हैं जहाँ इन्हें आवास और भोजन के अलावा व्यवसायिक और अन्य शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि वे रोजी रोटी कमाने योग्य बन सकें और फिर समाज में सम्मान जनक जीवन जी सकें।

उपसंहार – उपरोक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के पश्चात् अप्राप्तवय अपराधियों के सुधार हेतु विभिन्न प्रयास किये गये हैं जैसे बाल न्यायालय, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, आश्रयगृह, प्रमाणित विद्यालय, सुधार विद्यालय, रिमाण्ड होम, किशोर न्याय बोर्ड, बालक कल्याण समिति, बालक गृह, निरीक्षण समितियाँ, केन्द्रीय,राज्य,जिला और नगरीय सलाहकार बोर्ड,

विशेष किशोर पुलिस युनिट, रेस्क्यू होम, महिला सदन, नारी निकेतन एवं महिला आश्रम इत्यादि की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है परन्तु इतनी व्यवस्थाएं होने उपरांत भी अप्राप्तवय अपराधियों में सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है आए दिन इन सुधार गृहों की अव्यवस्थाएं विभिन्न प्रसार माध्यमों से पता चलता है जैसे कि बिहार के नारी निकेतन की घटना इस बात द्योतक है कि इन सुधारात्मक संस्थाओं के पर्यवेक्षण में कमियां हैं। जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जायेगा तब तक इन संस्थाओं के उद्देश्य फलिभूत नहीं हो सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 37
2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 39

राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन और विकास के बीच संघर्ष का तुलनात्मक अध्ययन

कैलाश शर्मा *

* शोधार्थी (भूगोल) (सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – राजस्थान एक अद्वितीय भौगोलिक और सांस्कृतिक राज्य है जहां प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता और विषम जलवायु के बावजूद यहां के निवासियों ने शताब्दियों से अपनी जीवनशैली को अनुकूलित किया है। इस राज्य के विकास की दिशा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास एक महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि इस विकास की प्रक्रिया ने पारिस्थितिकी संतुलन के साथ एक कठिन संघर्ष को भी जन्म दिया है। शहरी क्षेत्रों में तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास, बढ़ती आबादी और बुनियादी ढांचे की मांग ने पर्यावरण पर गंभीर दबाव डाला है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक जीवनशैली और प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण विकास और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती उभरकर सामने आई है।

शहरी क्षेत्रों में विकास की अंधाधुंध दौड़ ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया है। वनों की कटाई, जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग तथा औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ने जैवविविधता को हानि पहुँचाई है। राजस्थान की शहरीकरण प्रक्रिया ने राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है जिसमें वायु, जल और भूमि प्रदूषण प्रमुख हैं। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृषि और पशुपालन जैसे परंपरागत व्यवसायों के कारण प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन की समस्या उत्पन्न हुई है। इसके परिणामस्वरूप राज्य में पर्यावरणीय असंतुलन गहराता जा रहा है। इस असंतुलन ने न केवल जैव विविधता को प्रभावित किया है बल्कि जलवायु परिवर्तन, सूखा और बंजर भूमि की बढ़ती समस्या ने भी विकास की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

प्रस्तुत शोध पत्र में प्रमुख रूप से यह विश्लेषण किया गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार के विकासात्मक मॉडल पारिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं और किस प्रकार राज्य के दोनों क्षेत्रों में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की संभावनाएँ हैं। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने जल और भूमि के संसाधनों का अति-दोहन किया है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों की उपेक्षा और आधुनिक कृषि पद्धतियों के बढ़ते उपयोग ने पारिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित किया है। अध्ययन का उद्देश्य इन समस्याओं के संभावित समाधानों को उजागर करना है ताकि विकास और पारिस्थितिकी के बीच एक स्वस्थ संतुलन स्थापित किया जा सके।

राजस्थान के शहरी और ग्रामीण विकास में पारिस्थितिकी का महत्व

अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य की प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संतुलन को सुरक्षित रखने में मदद करता है। राजस्थान अपने विविध भौगोलिक स्वरूप के कारण जहाँ एक ओर थार का रेगिस्तान है वहीं दूसरी ओर अरावली पर्वत श्रृंखला जैसे पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन, जल संसाधनों की कमी और बढ़ते शहरीकरण का प्रभाव पारिस्थितिकी संतुलन को चुनौती दे रहा है। शहरी विकास के साथ जल निकासी प्रणालियों पर दबाव, वनों की कटाई और प्रदूषण जैसे मुद्दों के कारण पर्यावरण असंतुलन पैदा हो रहा है जो न केवल वनस्पति और जीव-जंतुओं के जीवन को प्रभावित करता है बल्कि मानव जीवन और आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

राजस्थान के प्रमुख शहरी क्षेत्रों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में विकास की गति अत्यधिक तेज रही है। इन शहरों में बढ़ती जनसंख्या, आवासीय क्षेत्र की बढ़ती मांग और औद्योगिकीकरण ने पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। शहरी क्षेत्रों में जलस्रोतों का अत्यधिक दोहन, हरित क्षेत्र में कमी और प्रदूषण का बढ़ता स्तर पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर जयपुर जैसे शहरों में भूमिगत जल का स्तर अत्यधिक घट गया है जिससे जल संकट उत्पन्न हो रहा है। साथ ही कचरे का अनुचित प्रबंधन और वायु प्रदूषण शहरी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है।

शहरी विकास योजनाओं में पर्यावरणीय दृष्टिकोण की कमी एक गंभीर समस्या है, जो राजस्थान के प्रमुख शहरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे तेजी से विकसित होते शहरों में विकास योजनाओं का ध्यान मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के निर्माण और जनसंख्या की आवासीय आवश्यकताओं पर केंद्रित रहता है जबकि दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों की अनदेखी की जाती है। उदाहरण के तौर पर जयपुर में तेजी से होते हुए शहरीकरण के कारण जलस्रोतों का अत्यधिक दोहन हुआ है जिससे भूमिगत जलस्तर में भारी गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों में हरित स्थानों की कमी और वायु प्रदूषण में वृद्धि ने शहरों के पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर दिया है। इस तरह की परियोजनाएं तात्कालिक लाभों पर केंद्रित रहती हैं, जो लंबी अवधि में पर्यावरणीय संकट को बढ़ावा देती हैं।

स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में भी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजस्थान के शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी उन्नति पर विशेष जोर दिया गया है लेकिन पर्यावरण संरक्षण

की दृष्टि से यह परियोजनाएं अधूरी प्रतीत होती हैं। उदाहरण के रूप में उदयपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत झीलों और जल स्रोतों के संरक्षण की बजाय सड़क निर्माण और अन्य अवसंरचनात्मक विकास को अधिक प्राथमिकता दी गई है जिससे स्थानीय पारिस्थितिकीय तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। यहां की पारिस्थितिकी मुख्य रूप से जल, मिट्टी और वन संसाधनों पर आधारित है। लेकिन हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संकट गहराया है। राजस्थान में सूखा और अल्पवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाएं आम हो गई हैं जिससे कृषकों को अत्यधिक नुकसान हो रहा है। पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों की उपेक्षा और आधुनिक तकनीकों पर अत्यधिक निर्भरता ने भी संकट को बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त वनक्षेत्रों में कमी और जैव विविधता का क्षरण भी ग्रामीण पारिस्थितिकी को प्रभावित कर रहा है। अतिक्रमण और अवैध खनन ने वनों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है जिससे जैव विविधता में कमी आई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं की कमी, कृषि के लिए उचित संसाधनों का अभाव और जल संकट ने ग्रामीण जीवन को कठिन बना दिया है।

हाल के दशकों में मानवीय गतिविधियों जैसे कि शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और कृषि के बढ़ते दबाव ने राज्य के पर्यावरणीय संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। मरुस्थलीकरण राजस्थान की एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या है विशेष रूप से थार मरुस्थल क्षेत्र में, जहां पानी की कमी और अतिक्रमण के कारण मिट्टी की गुणवत्ता घटती जा रही है। राज्य में सूखा और अकाल की स्थिति भी सामान्य है क्योंकि जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा के कारण जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। इसके अलावा वनोन्मूलन (वनों की कटाई) से भी पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है जिससे जैव विविधता को नुकसान हो रहा है और स्थानीय वन्यजीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है।

राजस्थान के पर्यावरण में मानवजनित प्रदूषण भी गंभीर समस्याओं में से एक है। शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है जिसका मुख्य कारण वाहन प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, और निर्माण गतिविधियां हैं। साथ ही ध्वनि प्रदूषण भी शहरीकरण और औद्योगिक क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती बन गया है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जल प्रदूषण की समस्या भी उभर कर आई है जिसमें फ्लोराइड युक्त जल का सेवन फ्लोरोसिस जैसी बीमारियों का कारण बन रहा है। इसके अतिरिक्त मृदा प्रदूषण और जलाभरण (सेम) जैसी समस्याएं कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता को घटा रही हैं, जिससे राज्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संसाधनों का असमान वितरण पारिस्थितिकी संतुलन और विकास में गंभीर संघर्ष पैदा कर रहा है। शहरी क्षेत्रों में विकास योजनाएं जैसे कि औद्योगिक विस्तार, भवन निर्माण और अधोसंरचना परियोजनाएं अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती हैं। उदाहरण स्वरूप राजस्थान के शहरी इलाकों में जल आपूर्ति और बिजली का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों के जल स्रोतों और खनिज संसाधनों से आता है। जोधपुर और जयपुर जैसे शहरों की जल आवश्यकताओं के लिए ग्रामीण तालाब और झीलें खत्म की जा रही हैं जिससे वहां के जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इस तरह के असमान उपयोग से ग्रामीण क्षेत्र संसाधनहीन हो जाते हैं जिससे वहां के निवासियों

की जीवन गुणवत्ता प्रभावित होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता और उनका अनियंत्रित दोहन पारिस्थितिकी संतुलन को और अस्थिर बना देता है। उदाहरण के तौर पर, राजस्थान के कई ग्रामीण इलाकों में कृषि के लिए जल का अत्यधिक दोहन और वनों की कटाई ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। थार के मरुस्थलीय इलाकों में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और पारंपरिक जल संचयन प्रणालियां अब उपेक्षित हो चुकी हैं जिसके कारण सूखे की समस्याएं गहराती जा रही हैं। साथ ही वनों की कमी से जैव विविधता का नुकसान हो रहा है जिससे प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्भरण की क्षमता कम हो रही है।

राजस्थान के शहरी और ग्रामीण विकास के बीच असंतुलन का मुख्य कारण संसाधनों का अति-उपयोग और जलवायु परिवर्तन है जिसने पर्यावरणीय चुनौतियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। शहरीकरण की तीव्र गति के कारण जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। जयपुर में भूमिगत जलस्तर में भारी गिरावट आई है, जो शहरी जल आपूर्ति के लिए एक प्रमुख संकट बन चुका है। इन शहरों में हरित क्षेत्रों का सिकुड़ना और औद्योगिक प्रदूषण भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। वनों की कटाई और पर्यावरणीय योजनाओं की कमी ने पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर दिया है, जिससे भविष्य में जल संकट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है।

दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और जल संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता ने पारिस्थितिकीय संतुलन को और बिगाड़ दिया है। जलवायु परिवर्तन के कारण अल्पवृष्टि और सूखे की समस्या बढ़ गई है जिसके परिणामस्वरूप किसान खेती के लिए अधिक भूजल का दोहन कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में भूमिगत जल के स्तर में गिरावट और मृदा का क्षरण हो रहा है जिससे कृषि उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। उदाहरण के तौर पर जोधपुर और बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में सूखे और जल संकट की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है जिससे कृषि योग्य भूमि बंजर हो रही है। इसके अलावा वन क्षेत्र की कमी ने भी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया है जिससे प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्भरण प्रभावित हो रहा है।

इस संघर्ष को हल करने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय समुदायों को मिलकर काम करना आवश्यक है। एक ओर शहरी क्षेत्रों में विकास योजनाओं में हरित प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा संरक्षण के उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे पर्यावरणीय क्षति को कम किया जा सके। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत जल संचयन प्रणालियों जैसे जोहड़ और तालाबों के पुनःस्थापना और वन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्थानीय समुदायों की भागीदारी और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए दीर्घकालिक विकास योजनाएं बनाई जा सकती हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सामंजस्य बनाए रखने में सहायक होंगी।

इसके अतिरिक्त शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संसाधनों के समान वितरण, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों का समायोजन और पर्यावरणीय योजनाओं में दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। जल संचयन की परंपरागत प्रणालियों की पुनःस्थापना और शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र के संरक्षण जैसे कदम इस दिशा में सहायक हो सकते हैं।

दीर्घकालिक पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इन परियोजनाओं में पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए जिससे सतत विकास संभव हो सके।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए विकास योजनाओं में पारिस्थितिकीय संतुलन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। जल संसाधनों के संरक्षण के लिए पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों का पुनरुत्थान एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है जैसा कि अलवर जिले में तरुण भारत संघ द्वारा जल संरक्षण के प्रयासों से स्पष्ट हुआ है। शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्रों का विस्तार और औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े पर्यावरणीय मानकों का पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को अपनाकर पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखा

जा सकता है जो दीर्घकालिक रूप से सतत विकास में सहायक होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शारदा, एस. : राजस्थान के शहरी और ग्रामीण विकास में पारिस्थितिकी का महत्व, जयपुर विश्वविद्यालय, (2020)
2. सिंह, आर. : पारिस्थितिकी और शहरीकरण रू राजस्थान का अनुभव, जोधपुर पब्लिकेशन्स, (2019)
3. यादव, ए. : जलवायु परिवर्तन और राजस्थान के पारिस्थितिकीय संसाधन, उदयपुर साहित्य, (2021)
4. चौहान, डी. : राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र और पर्यावरणीय संकट, जयपुर बुक डिपो, (2018)

राजसमन्द जिले में भूमिगत जल की उपलब्धता का भौगोलिक अध्ययन

बद्रीलाल रेगर*

* शोधार्थी (भूगोल) मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – इस शोधपत्र में राजसमंद जिले के भूमिगत जल संसाधनों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जिले में भूमिगत जल की उपलब्धता, उसके विकास और संबंधित समस्याओं की पहचान करना है। शोध परिणाम दर्शाते हैं कि जिले के सभी विकासखंडों में भूजल संसाधनों का अत्यधिक शोषण हो रहा है। वर्ष 2021-22 के दौरान मानसून पूर्व और पश्चात भूजल स्तर में महत्वपूर्ण अंतर देखा गया, जिसमें मानसून के बाद जल स्तर में सुधार हुआ, लेकिन यह सुधार पर्याप्त नहीं था। राजसमंद जिले के विकासखंडों में वार्षिक पुनःपूर्ति योग्य भूजल संसाधनों की तुलना में जल का ड्राफ्ट (उपयोग) अधिक है, जिससे भूजल विकास का चरण 100 प्रतिशत से अधिक हो गया है। सबसे गंभीर स्थिति राजसमंद विकासखंड में देखी गई, जहां भूजल विकास का चरण 159.24 प्रतिशत तक पहुँच गया। समग्र रूप से, जिले का सकल वार्षिक भूजल ड्राफ्ट पुनःपूर्ति योग्य संसाधनों का 126.73 प्रतिशत है, जिससे स्पष्ट होता है कि जिले में जल संकट की संभावना अत्यधिक बढ़ रही है। यह स्थिति भविष्य में जल संकट की ओर संकेत करती है, जिससे निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी– भूमिगत जल, भूमिगत जल की उपलब्धता, भूमिगत विकास, भूमिगत संरक्षण और भूमिगत जल उपभोग।

प्रस्तावना – पृथ्वी तल के नीचे स्थित भूगर्भिक स्तर की सभी रिक्तियों में विद्यमान जल को भू- जल कहते हैं, भू-जल शैलछिद्रों एवं दरारों में मिलता है, यह वर्षा की मात्रा एवं गति, वर्षा के समय वाष्पीकरण की मात्रा, तापमान, भूमि का ढाल, वायु की शुष्कता, शैल की रंधता तथा मृदा की जल अवशोषण की क्षमता से नियंत्रित होता है। प्रकृति में उपलब्ध कुल जल-संसाधन का 0.58 प्रतिशत भू-जल है, तथा संपूर्ण जलीय राशि के शुद्ध जल का भाग 2.67 प्रतिशत का 22.21 प्रतिशत भू-जल ही है, जो पृथ्वीतल की 4 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है। पृथ्वी पर विद्यमान जल की कुल मात्रा 13,84, 12,00,000 घन किलोमीटर है, जिसमें 80,00,042 घन किलोमीटर भू-जल है, इसके साथ ही 61,234 घन किलोमीटर मृदा जल भी पाया जाता है, भू-जल एवं मृदा जल दोनों को मिलाकर ही भू-जल की मात्रा का निर्धारण होता है।

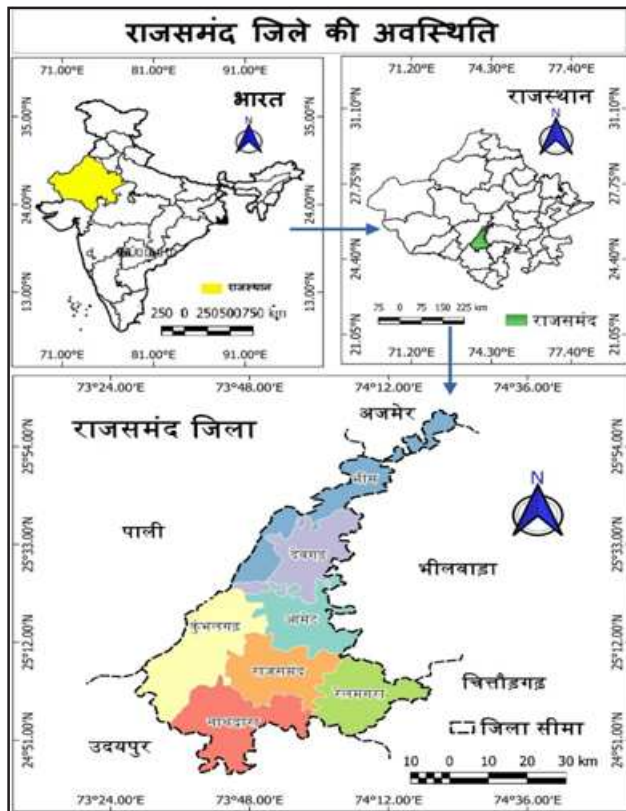
भारत एक मानसूनी जल वायु वाला देश है, यहाँ वर्षा का वितरण अत्यधिक असमान और विविधतापूर्ण है, जिसके कारण देश के कुछ भागों में अतिवृष्टि और कुछ भागों में अल्पवृष्टि एक सामान्य परिघटना है, अतः अल्पवृष्टि और जलाभाव वाले क्षेत्रों में मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का संपूर्ण भार भूमिगत जल पर ही है, नीति आयोग के अनुसार देश में कृषि हेतु 75 प्रतिशत और पेय जल हेतु 80 प्रतिशत जल की पूर्ति भूमिगत जल से ही की जाती है। भू-जल पृथ्वी के अंदर पाया है एवं इसे आसानी से दूषित नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि भूमिगत जल का उपयोग सीधे किया जा सकता है। सतही जल की अपेक्षा भूमिगत पानी के उपयोग में कई सुविधाएँ हैं। भूमिगत जल के जलाशयों में, सतही जलाशयों की तरह पानी का रिसाव नहीं होता और वाष्पीकरण भी बहुत कम होता है। सामान्यतः भूमिगत जल अतिशीघ्र जहाँ इस्तेमाल करना हो वहीं प्राप्त किया

जा सकता है, किन्तु सतही जल के लिए जलाशय बनाने के लिए ठीक जगह खोजनी पड़ती है, साथ ही जल के बंटवारे का प्रबन्ध भी अत्यंत महंगा और जटिल होता है। भूमिगत जल के प्रदूषित होने का खतरा न के बराबर है और लागत खर्च शीघ्र ही वापस भी हो जाता है। भूमिगत जल से जल-जमाव जैसी समस्या भी उत्पन्न नहीं होती है। कृषि की दृष्टि से भूमिगत जल का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे व्यक्तिगत स्तर पर भी भूमि से निकाला जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र में अकाल के समय भूमिगत जल का विशेष महत्व है। यहाँ अकाल के समय मानव जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भूमिगत जल से ही की जाती है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए शोधकर्ता द्वारा इस शोधपत्र में अध्ययन क्षेत्र राजसमंद जिले में भूमिगत जल की उपलब्धता का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र – राजसमंद जिला, पश्चिमी भारत में अवस्थित राजस्थान राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है। राजसमंद जिले का कुल क्षेत्रफल 4,768 वर्ग किमी है, जो राजस्थान राज्य का 1.32 प्रतिशत है। अरावली की पहाड़ियाँ जिले की उत्तर-पश्चिमी सीमा बनाती हैं, जिनके परे पाली जिला अवस्थित है। अजमेर जिला उत्तर में, भीलवाड़ा जिला उत्तर-पूर्व, चित्तौड़गढ़ जिला दक्षिण-पूर्व में और उदयपुर जिला दक्षिण में स्थित है। राजसमंद जिला, उदयपुर जिला मुख्यालय से 67 किमी और राज्य की राजधानी जयपुर से 352 किमी दक्षिण में अवस्थित है। राजसमंद जिला राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित है। राजसमंद जिला 23° 31' 49.64" उत्तरी अक्षांश से 24° 30' 16.57" उत्तरी अक्षांश और 74° 13' 19.93" पूर्वी देशान्तर से 74° 58' 59.58" पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। राजसमंद जिला बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है, यहाँ बहने वाली कुछ अन्य नदियाँ अरी, गोमती, चंद्रभागा हैं। अध्ययन क्षेत्र में कुल 11,56,597

जनसंख्या निवास करती है, जिसमें 5,81,339 (50.6 प्रतिशत) पुरुष एवं 5,75,258 (49.74 प्रतिशत) महिला जनसंख्या है। यदि अध्ययन क्षेत्र में तहसील अनुसार जनसंख्या के वितरण पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या नाथद्वारा तहसील में 2,44,731 है, वहीं न्यूनतम जनसंख्या देवगढ़ तहसील में 1,10,723 है।

मानचित्र- 1



शोध उद्देश्य – प्रस्तुत शोधकार्य के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. राजसमंद जिले में भूमिगत जल की उपलब्धता का अध्ययन करना।
2. राजसमंद जिले में भूमिगत जल के विकास का अध्ययन करना।
3. राजसमंद जिले में भूमिगत जल की समस्याओं को चिह्नित करना एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध विधि – यह शोध कार्य विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि पर आधारित है। इस अनुसंधान कार्य हेतु शोधकर्ता द्वारा पूर्णतः द्वितीयक प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया है, जिन्हें शोधकर्ता द्वारा विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यालय और वेबसाइट से प्राप्त किया गया है। तत्पश्चात, इन आंकड़ों का विभिन्न सांख्यिकी विधियों में द्वारा विश्लेषित किया गया है, एवं उससे प्राप्त निष्कर्षों को तालिकाओं और आरेखों द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

शोध परिणाम एवं परिचर्चा – राजसमंद जिले में वर्ष 2021-22 के दौरान मानसून पूर्व और मानसून पश्चात भूमिगत जल स्तर की गहराई में महत्वपूर्ण अंतर देखा गया। मानसून पूर्व भू-जल स्तर की न्यूनतम गहराई विभिन्न विकासखंडों में 2.5 मीटर से 10.08 मीटर के बीच रही, जबकि अधिकतम गहराई 13.49 मीटर से 26.15 मीटर के बीच दर्ज की गई। इसमें सबसे अधिक गहराई आमेत विकासखंड में 26.15 मीटर और न्यूनतम गहराई

कुंभलगढ़ में 2.69 मीटर रही।

मानसून पश्चात जल स्तर में सुधार देखने को मिला, जहां न्यूनतम गहराई 1.81 मीटर से 3.44 मीटर के बीच रही और अधिकतम गहराई 6.30 मीटर से 15.95 मीटर तक दर्ज की गई। सबसे कम गहराई देवगढ़ में 1.81 मीटर और सबसे अधिक गहराई राजसमंद में 15.02 मीटर रही।

समग्र रूप से औसत गहराई मानसून पूर्व 4.64 मीटर से 16.81 मीटर के बीच रही, जबकि मानसून पश्चात यह गहराई 2.61 मीटर से 10.58 मीटर के बीच थी। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मानसून के पश्चात भू-जल स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे जिले में जल की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है।

तालिका- 1: राजसमंद जिले में मानसून पूर्व एवं मानसून पश्चात भूमिगत जल स्तर की गहराई, वर्ष 2021-22

विकासखंड	मानसून पूर्व	भू-जल स्तर तक गहराई (mbgl)	मानसून पश्चात	भू-जल स्तर तक गहराई (mbgl)
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
आमेत	10.08	26.15	3.15	9.75
भीम	5.90	14.65	2.02	6.89
देवगढ़	3.24	18.04	1.81	15.95
खमनोर	3.22	17.11	2.39	6.30
कुंभलगढ़	2.69	14.55	2.8	10.25
रेलमगरा	2.5	13.49	2.7	9.95
राजसमंद	4.91	13.73	3.44	15.02
औसत	4.64	16.81	2.61	10.58

स्रोत: केंद्रीय भूजल बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर

राजसमंद जिले में वर्ष 2021-22 के दौरान विकासखंड वार पुनःपूर्ति योग्य भूजल संसाधन की तालिका से ज्ञात होता है कि जिले के सभी विकासखंडों में भूजल संसाधनों का अत्यधिक शोषण हो रहा है। आमेत विकासखंड में वार्षिक पुनःपूर्ति योग्य भूजल संसाधन 13.05 एमसीएम है, जबकि शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता 11.74 एमसीएम है। सिंचाई के लिए भूजल का वार्षिक ड्राफ्ट 13.10 एमसीएम और घरेलू व औद्योगिक उपयोग के लिए 1.97 एमसीएम है। इस प्रकार, सकल वार्षिक भूजल ड्राफ्ट 15.07 एमसीएम हो जाता है, जो पुनःपूर्ति योग्य संसाधनों का 128.31 प्रतिशत है, और यह विकासखंड अति शोषित श्रेणी में आता है।

भीम विकासखंड में भूजल संसाधनों का और भी अधिक शोषण हो रहा है, जहां भूजल विकास का चरण 137.97 प्रतिशत है, जिससे यह भी 'अति शोषित' श्रेणी में आता है। इसी तरह, देवगढ़, खमनोर, कुंभलगढ़, और रेलमगरा विकासखंड भी 'अति शोषित' श्रेणी में आते हैं, जहां भूजल विकास के चरण क्रमशः 111.58 प्रतिशत, 125.88 प्रतिशत, 102.79 प्रतिशत, और 144.14 प्रतिशत हैं। राजसमंद विकासखंड में स्थिति सबसे गंभीर है, जहां भूजल विकास का चरण 159.24 प्रतिशत तक पहुँच गया है, जो कि पुनःपूर्ति योग्य संसाधनों की तुलना में काफी अधिक है।

समग्र रूप से, जिले में कुल पुनःपूर्ति योग्य भूजल संसाधन 103.61 एमसीएम है, जबकि शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता 93.24 एमसीएम है। सकल वार्षिक भूजल ड्राफ्ट 118.17 एमसीएम है, जो कुल पुनःपूर्ति योग्य संसाधनों का 126.73 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि जिले का प्रत्येक

विकासखंड 'अति शोषित' श्रेणी में आता है, जिससे स्पष्ट होता है कि भूजल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जो भविष्य में जल संकट की ओर संकेत करता है।

तालिका-2 (निचे देखें)

निष्कर्ष – राजसमंद जिले में भूजल संसाधनों की स्थिति गंभीर है, जैसा कि वर्ष 2021-22 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है। जिले के सभी विकासखंडों में भूजल संसाधनों का अत्यधिक शोषण हो रहा है, जिससे भूजल स्तर में गिरावट और संसाधनों की पुनःपूर्ति में कठिनाई हो रही है। मानसून पूर्व और मानसून पश्चात भूजल स्तर की गहराई में महत्वपूर्ण अंतर देखा गया, जहां मानसून के बाद भूजल स्तर में कुछ सुधार हुआ, लेकिन यह सुधार पर्याप्त नहीं है।

विकासखंडों में भूजल पुनःपूर्ति योग्य संसाधनों की तुलना में ड्राफ्ट (उपयोग) अधिक है, जिससे भूजल विकास का चरण 100 प्रतिशत से अधिक हो गया है। सबसे गंभीर स्थिति राजसमंद विकासखंड में देखी गई, जहां भूजल विकास का चरण 159.24 प्रतिशत तक पहुंच गया है। अन्य विकासखंडों में भी स्थिति चिंताजनक है, जैसे भीम, रेलमगरा, और खमनोर में भी भूजल विकास का चरण 125 प्रतिशत से अधिक है।

समग्र रूप से, जिले का कुल भूजल ड्राफ्ट 118.17 एमसीएम है, जबकि पुनःपूर्ति योग्य संसाधन 103.61 एमसीएम है। इससे स्पष्ट होता है कि जिले में भूजल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जो दीर्घकालिक जल संकट का कारण बन सकता है। भविष्य में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भूजल संसाधनों के संरक्षण और पुनःपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। उपायों में भूजल पुनर्भरण, जल संरक्षण की तकनीकों का उपयोग, और सतही जल के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- Ahada, C. P., & Suthar, S. (2017). Hydrochemistry of groundwater in North Rajasthan, India: chemical and multivariate analysis. *Environmental Earth Sciences*, 76, 1-16.
- Bhakar, P., Singh, A. P., & Mittal, R. K. (2022).

- Assessment of groundwater suitability using remote sensing and GIS: a case study of Western Rajasthan, India. *Arabian Journal of Geosciences*, 15(1), 41.
- Chinnasamy, P., Maheshwari, B., & Prathapar, S. (2015). Understanding groundwater storage changes and recharge in Rajasthan, India through remote sensing. *Water*, 7(10), 5547-5565.
- Coyte, R. M., Singh, A., Furst, K. E., Mitch, W. A., & Vengosh, A. (2019). Co-occurrence of geogenic and anthropogenic contaminants in groundwater from Rajasthan, India. *Science of the Total Environment*, 688, 1216-1227.
- Gupta, P. K., & Sharma, D. (2019). Assessment of hydrological and hydrochemical vulnerability of groundwater in semi-arid region of Rajasthan, India. *Sustainable Water Resources Management*, 5, 847-861.
- Kumar, G. V., Mahesh, K., Singh, P. K., Bhakar, S. R., & Yadav, K. K. (2022). Analysis of groundwater level trend in Jakham river basin of southern Rajasthan.
- Kumar, S., Dhyani, B. L., & Singh, R. J. (2013). Depleting groundwater resources of Rajasthan state and its implications. *Popular Kheti*, 1(3), 64-68.
- Maheshwari, B., Varua, M., Ward, J., Packham, R., Chinnasamy, P., Dashora, Y., ... & Rao, P. (2014). The role of transdisciplinary approach and community participation in village scale groundwater management: insights from Gujarat and Rajasthan, India. *Water*, 6(11), 3386-3408.
- Rathore, M. S. (2005). Groundwater exploration and augmentation efforts in Rajasthan—a review. *Institute of Development Studies, Jaipur, India*.
- Singh, A. P., & Bhakar, P. (2021). Development of groundwater sustainability index: a case study of western arid region of Rajasthan, India. *Environment, development and sustainability*, 23(2), 1844-1868.

तालिका-2: राजसमंद जिले में विकासखंड वार पुनःपूर्ति योग्य भूजल संसाधन, वर्ष 2021-22

विकासखंड	वार्षिक पुनःपूर्ति योग्य भूजल संसाधन (एमसीएम)	शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता (एमसीएम)	सिंचाई के लिए वार्षिक भूजल ड्राफ्ट (एमसीएम)	घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए वार्षिक भूजल ड्राफ्ट (एमसीएम)	सकल वार्षिक भूजल ड्राफ्ट (एमसीएम)	भूजल विकास का चरण (प्रतिशत)	श्रेणी
आमेट	13.05	11.74	13.10	1.97	15.07	128.31	अति शोषित
भीम	12.14	10.93	13.99	1.08	15.08	137.97	अति शोषित
देवगढ़	12.35	11.11	11.70	0.69	12.40	111.58	अति शोषित
खमनोर	19.03	17.12	18.70	2.86	21.56	125.88	अति शोषित
कुंभलगढ़	22.37	20.14	19.34	1.35	20.70	102.79	अति शोषित
रेलमगरा	14.54	13.08	17.52	1.34	18.86	144.14	अति शोषित
राजसमंद	10.10	9.09	11.68	2.80	14.48	159.24	अति शोषित
योग	103.61	93.24	106.05	12.12	118.17	126.73	अति शोषित

स्रोत: केंद्रीय भूजल बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर

पाठ्यक्रम में अन्तर्निहित मूल्यों की समीक्षा

विजय राज त्रिवेदी* डॉ. कृष्ण कान्त शर्मा **

* शोध छात्र, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा एवं सहायक आचार्य, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गंगापुर सिटी (राज.) भारत

** प्राचार्य, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गंगापुर सिटी (राज.) भारत

प्रस्तावना – नैतिकता एक शाश्वत मूल्य है इसकी उपेक्षा हर युग में रही है। कहा भी गया है कि स्वास्थ्य खराब होने पर थोड़ा नुकसान, धन का नुकसान भी बड़ा नुकसान लेकिन चरित्र का पतन राष्ट्र और समाज का पतन है। जिस युग में धर्म और नीति के पाँव लड़खड़ाने लगे हो साम्प्रदायिकता, धार्मिक सहिष्णुता, जातिवाद, आतंकवाद, रिश्तवतखोरी, भ्रष्टाचार आदि बीमारियाँ सरि उठाये खड़ी हैं। उस समय नैतिकता की आवाज को बुलन्द करना और अधिक आवश्यक होता है। राष्ट्र को चाहिए त्यागी और समाज सेवी लोग। अतः प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाना होगा। अपने पुरुषार्थ से अपनी आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करना होगा। आज के युवा समाज का निर्माण संस्कार की कसौटी पर बनता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि व्यक्ति समाज और अंततः पूरे विश्व को उन्नत करने के लिए विद्यार्थियों में नैतिकता या चारित्रिक दृढ़ता का होना अत्यन्त आवश्यक है। नैतिक मूल्यों के विकास के लिए घर, विद्यालय तथा पाठ्यचर्या के माध्यम से सतत् प्रयास करने होंगे। सिर्फ उपदेश देकर नैतिकता या चारित्रिकता का पाठ तो पढ़ाया जा सकता है लेकिन उसे विद्यार्थियों के आचरण में नहीं उतारा जा सकता। नैतिक मूल्यों को आचरण में उतारने के लिए आवश्यक है कि परिवार के सदस्य और अध्यापक अपने व्यक्तित्व के माध्यम से वांछित गुणों को विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में सन्निहित कराये।

इन्हीं सब करणों की दृष्टिगत रखते हुए ने यह आवश्यकता महसूस की कि क्या राजकीय विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में जो विषय पढ़ाये जा रहे हैं उनकी विषय वस्तु के माध्यम से बालकों को वांछित गुणों का विकास हो रहा है? दूसरी ओर यह भी आवश्यकता महसूस की गई कि क्या उस विषय-वस्तु को पढ़ाते समय शिक्षक उस मूल्य विशेष को अपने विद्यार्थियों में सम्प्रेषित करने हेतु तत्पर हैं या नहीं? ताकि मूल्य हीनता की स्थिति से उबरने हेतु विद्यालयों और पाठ्यक्रम की भूमिका पर दिन-प्रतिदिन जो प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं उन पर विचार लगाया जा सके।

प्रत्येक राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति में निहित मूल्य होते हैं। पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय संस्कृति में निहित मूल्य विद्यार्थियों में स्थापित हो सकते हैं तथा युवा पीढ़ी का मूल्यों से परिचय करवाया जा सकता है।

मूल्य का अर्थ– मूल्य वे उच्च स्तरीय मानदण्ड हैं जिनके आधार पर सामाजिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है। 'मूल्य' शब्द किसी भी क्रिया या भावना के साथ जुड़ने पर उसकी उपायेदता का आभास कराता है।

मूल्यों का स्रोत– मूल्यों के स्रोत के अन्तर्गत धर्म, दर्शन, साहित्य, सामाजिक, रीति-रिवाज, विज्ञान आदि हैं।

मूल्यों का वर्गीकरण– राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित तिरासी नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का परिगणन किया गया है। इस सन्दर्भ में संपादक श्री बी.आर. गोयल का कहना है कि, इन मूल्यों का निर्धारण विविध शैक्षणिक आयोगों तथा समितियों के प्रतिवेदनों तथा गांधी-साहित्य के अध्ययन के आधार पर किया गया है। जिसका विवरण निम्नलिखित हैं–

(1) ब्रह्मचर्य (2) दूसरों के सांस्कृतिक मूल्यों को पसंद करना (3) अस्पृश्यता का बहिष्कार करना (4) नागरिकता (5) दूसरों के प्रति सहानुभूति (6) दूसरों से सरोकार रखना (7) सहयोग (8) स्वच्छता (9) करुणा (10) परोपकार (11) सबकी भलाई (12) साहस (13) सौजन्य (14) जिज्ञासा (15) प्रजातांत्रिक निर्णय लेना (16) भक्ति-भावना (17) व्यक्ति की गरिमा का आदर करना (18) शारीरिक श्रम की गरिमा का आदर करना (19) कर्तव्य-भावना (20) अनुशासन (21) सहिष्णुता (22) समानता (23) मित्रता (24) विश्वसनीयता (25) भाईचारा (26) स्वाधीनता (27) सरलता (28) अच्छा तौर-तरीका (29) सज्जनता (30) कृतज्ञता (31) ईमानदारी (32) दूसरों की सहायता करना (33) मानवीय दृष्टिकोण (34) स्वस्थ-वृत्त (35) स्वयंप्रेरित होकर कार्य करना (36) आत्मनिष्ठा (37) न्याय (38) दयालुता (39) जानवरों के प्रति दयाभाव (40) कर्तव्य के प्रति निष्ठा (41) नेतृत्व (42) राष्ट्रीय एकता (43) राष्ट्रीय जागृति (44) अहिंसा (45) राष्ट्रीय एकात्मकता (46) आज्ञापालन (47) शांति (48) समय का सदुपयोग (49) समय शीलता (50) देशभक्ति (51) शुद्धता (52) ज्ञान के प्रति जिज्ञासा (53) साधन सम्पन्नता (54) नियमितता (55) दूसरों के प्रति सम्मान (56) वृद्धों के प्रति श्रद्धा (57) निष्ठा (58) सादा जीवन (59) सामाजिक न्याय (60) आत्मानुशासन (61) स्वावलंबन (62) आत्मसम्मान (63) आत्म विश्वास (64) आत्मोपजीवन (65) स्वाध्याय (66) आत्मनिर्भरता (67) आत्मसंरक्षण (68) समाज-सेवा (69) मानवमात्र की एकता (70) सदसदविवेक (71) सामाजिक उत्तरदायित्व (72) समाजवाद (73) सहानुभूति (74) धर्मनिरपेक्षता एवं सर्वधर्म सम्भव (75) अन्वेषण-वृत्ति (76) सामूहिक कार्य में निष्ठा (77) समूह-वृत्ति (78) सत्यता (79) सहनशीलता (80) सार्वजनीन सत्य (81) विश्व-बन्धुत्व (82) सामाजिक कार्यों में निष्ठा (83) राष्ट्र एवं सार्वजनिक

यह मूल्य आठ श्रेणी में विभक्त हैं, इसका विवरण इस प्रकार है:

1. **शैक्षणिक मूल्य**– शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन-अध्यापन, अनुशासन, नियम पालन आदि मूल्य शैक्षिक मूल्य कहलाते हैं।
 2. **नैतिक मूल्य**– ईमानदारी, त्याग, निष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, करुणा, दया आदि नैतिक मूल्य कहलाते हैं।
 3. **सामाजिक राजनीतिक मूल्य**– इनके अन्तर्गत राष्ट्रीय एकता, अन्तर्राष्ट्रीय भावना जैसे मूल्य समाहित होते हैं। सामाजिक दायित्व, आदर्श नागरिकता, प्रजातंत्र और मानववाद आदि मूल्य समाज एवं राजनीति दोनों का स्पर्श करते हैं।
 4. **विज्ञान परक मूल्य**– वस्तुनिष्ठता, तर्कप्रवणता, तथ्यपरकता एवं गवेषणात्मक दृष्टिकोण इस मूल्य में प्रमुख घटक हैं।
 5. **वैश्विक मूल्य**– किसी जाति, समूह या देश विदेश से संबंध न होकर जिन मूल्यों का सरोकार संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से होता है, वे मूल्य वैश्विक मूल्य कहलाते हैं। इसमें सबके लिए स्वतंत्रता, न्याय एवं अवसर की समानता, निःशस्त्रीकरण, सभी प्रकार की दासताओं का उन्मूलन, रंग भेद जैसी धिनीनी व्यवस्था का बहिष्कार, कठोर शारीरिक यंत्रणाओं एवं मृत्युदण्ड जैसी घातक व्यवस्थाओं का निषेध एवं उन्मूलन आदि मूल्यों का समावेश किया जा सकता है।
 6. **पर्यावरण संबंधी मूल्य**– आजकल विश्व के सभी राष्ट्रों के सामने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक प्रमुख समस्या है। प्रदूषण के कारणों की जाँच एवं उसके निवारण के उपाय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे हैं। वनीय क्षेत्र में नये-नये प्रयोग किये जा रहे हैं ताकि, वनसंपदा सुरक्षित रहे और वनों का निरंतर संवर्धन हो सके। साथ-साथ उस पर निर्भर वन्यप्राणी व अन्य जीव भी संवर्धित हो सके। अतः पेड़-पौधों के प्रति सरोकार, पर्यावरण की शुद्धि के प्रति जागरूकता, वृक्षारोपण एवं वृक्षरक्षण आदि मूल्यों तथा जीवदया को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं।
 7. **सांस्कृतिक मूल्य**– सांस्कृतिक मूल्यों में उन सभी मूल्यों का समावेश होता है जो कि, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को अखंड रखने एवं उसके विकास के द्वारा राष्ट्र में सांस्कृतिक एकता का वातावरण बनाये रखने में सहायक होते हैं। समूहों की संस्कृति भिन्न हो सकती है, किन्तु उसमें यदि एक-दूसरे की संस्कृति के प्रति सहिष्णुता एवं आदर का भाव होगा तो उन समूहों में एकता एवं सद्भाव बना रहेगा। सांस्कृतिक मूल्यों के अन्तर्गत सहिष्णुता, दूसरों के धर्म तथा सम्प्रदाय के प्रति आदर की भावना आदि मूल्यों का समावेश होता है।
 8. **अन्य प्रकार**– उपर्युक्त मूल्यों के अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं मनोविनोद संबंधित मूल्य, सौन्दर्यबोध संबंधित मूल्य, धार्मिक मूल्य आदि नाम गिनाये जा सकते हैं। कुछ मूल्य विधेयात्मक होते हैं तो कुछ निषेधात्मक। विद्यार्थियों में मूल्य विकास के संदर्भ में विभिन्न घटकों के लिए निम्नानुसार सुझाव दिये जा रहे हैं:-
1. पाठ्यचर्या में विषयवस्तु के चयन में विभिन्न मूल्यों का विकास हो ऐसी विषयवस्तु को पढ़ाना चाहिए।
 2. पाठ्यचर्या में मानवीय मूल्यों पर आधारित विषयवस्तुओं में प्रवृत्तिलक्षी एवं विद्यार्थियों द्वारा खुद अनुकरण में लाया जाये, ऐसी प्रवृत्तियों का समावेश मूल्यों के विकास के संदर्भ में करना चाहिए।
 3. राष्ट्रीय एवं विविध धार्मिक त्योहारों के अवसर पर बालमेलों का आयोजन करना चाहिए।

4. विभिन्न क्षेत्रों में बहुप्रतिभावान व्यक्तियों के प्रवचन विद्यालयीन स्तर पर हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।
5. प्रार्थना सभा में तथा अन्य विद्यालयीन दिनचर्या दरमियान पाठ्यचर्या के साथ-साथ कक्षा के अनुसार शिक्षक द्वारा मूल्यों का परीक्षण प्रवृत्ति या विद्यार्थियों को पता न चले ऐसे बिना कोई दबाव में करना चाहिए।
6. माता-पिता व घर के अन्य पुख्त सदस्य ऐसा वर्तन घर के वातावरण में न हो, जिसका असर विद्यार्थी के बाल मस्तिष्क पर पड़े, इसलिए घर में भावात्मक वातावरण का विकास हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।
7. स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। इस संदर्भ में बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अभिभावकों द्वारा सनिष्ट प्रयास होने चाहिए।
8. मूल्यों का विकास हो ऐसी किताबें घर में रखनी चाहिए।
9. घर में, विद्यालय में एवं विविध जगह स्थानों पर तथा संग्रहालयों में सभी धर्मों के संस्थापकों के चित्र लगाने चाहिए।
10. पुस्तकालयों में धार्मिक एवं मानवीय मूल्यों के विकास में वृद्धि कर सके ऐसे व्यक्तित्व विकास लक्षी पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए।
11. कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा विविध उदाहरणों में मूल्य विकास लक्षी बातों का जिक्र होना चाहिए।
12. प्रामाणिक एवं सराहनीय प्रवृत्ति में आगे रहने वाले विद्यार्थियों का सम्मान विद्यालय एवं समाज में खास प्रसंगों या अवसरों पर होना चाहिए।
13. कक्षा दरमियान एवं विद्यालय में शिक्षक एक आदर्श मिसाल की तरह बने ऐसा शिक्षक का बर्ताव एवं स्वभाव होना चाहिए।
14. समाज के आधारभूत संचार साधनों द्वारा मूल्य लक्ष्य विकास के संदर्भ में विविध भूमिका के आधार पर कार्य होने चाहिए।
15. सिनेमा एवं पटचित्रों द्वारा मूल्य विकास का एक सशक्त वातावरण पैदा किया जा सके ऐसे चलचित्र एवं डोव्यूमेंटरी फिल्म बननी चाहिए।
16. प्रार्थना सभा में विविध धर्मों की प्रार्थना हो एवं विश्व के महान व्यक्तियों के जीवन संदेश को विद्यार्थियों के समक्ष संक्षिप्त में कहना चाहिए।
17. विद्यार्थी खुद अपने जीवन में मूल्यों के आचरण के लिए विविध व्यक्तित्व विकास लक्षी प्रवृत्तियों एवं क्रियाओं में सहभागी होना चाहिए।
18. शिक्षकों को कक्षा में तथा विद्यालय में सभी विद्यार्थियों के प्रति समान भाव रखना चाहिए ताकि, विद्यार्थियों में स्वस्थ मानवीय गुणों का विकास हो।
19. विद्यार्थियों में निहित विविध गुणों की पहचान करके शिक्षकों द्वारा उन गुणों के आधार पर विद्यार्थियों को कक्षानुसार कार्य सौंपने चाहिए।
20. पाठ्यचर्या में समाविष्ट विषयवस्तु विलुप्त न हो, परंतु विद्यार्थियों को विचार करने को प्रेरणा दे, ऐसी विषयवस्तु को सम्मिलित करना चाहिए।
21. विद्यालय द्वारा विज्ञान मेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अन्य विविधलक्षी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलना चाहिए।
22. विद्यालय द्वारा शैक्षिक पर्यटन एवं प्रवास यात्रा का आयोजन होना चाहिए।
23. विद्यालय की स्वच्छता कायम रखने में शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा सनिष्ट प्रयत्न करने चाहिए।
24. विद्यार्थी स्वयं अपनी रूचि के अनुसार कार्य करें, ऐसी प्रवृत्ति के लिए

- शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहन मिलना चाहिए।
25. विद्यार्थी को स्वयं अपनी स्वच्छता एवं वर्तन विषयक बातों पर ध्यान रखना चाहिए।
 26. नियम के आधीन रखकर विद्यार्थियों को कार्य करवाने की बजाय, उनको विश्वास में लेकर स्नेहपूर्ण एवं सद्भाव से कार्य लेना चाहिए।
 27. जीवन के प्रति सकारात्मक अधिगम विकसित हो ऐसी बातें शिक्षक द्वारा होनी चाहिए।
 28. परिवार में अच्छे संस्कारों के वातावरण की व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए।
 29. परिवार में स्नेह तथा वांछित समायोजन के अभाव में माता-पिता और बच्चों के बीच संवाद की कमी को पूर्ण करके स्वस्थ व्यवहारपूर्ण वातावरण खड़ा करना चाहिए।
 30. परिवार में बालक के सद्व्यवहार के लिए पुरस्कार, समादर तथा यथा स्थान महत्त्व देना चाहिए।
 31. परिवार में बालक के चारित्रिक विकास के लिए शारीरिक, मानसिक दण्ड या दमन विहीन वातावरण की रचना करनी चाहिए।
 32. अपने बालकों के स्वस्थ चारित्रिक विकास के लिए पालकों को भी अपने चरित्र विकास पर ध्यान देना चाहिए।
 33. विद्यालय के अधिकारियों एवं शिक्षकों को यह करना चाहिए कि, समय-समय पर और नियमित रूप से विद्यार्थियों की प्रगति और आचरण संबंधी प्रतिवेदन से अभिभावकों को भलीभाँति अवगत रखा जाए एवं विद्यार्थियों के निरंतर विकास हेतु पालकों की हर संभव सहायता की जाए।
 34. सभी विद्यालयों में 'शिक्षक-पालक-संघ' सुचारु रूप से चलना चाहिए।
 35. विद्यालय के प्रधानाचार्य को अपने चरित्र एवं व्यवहार को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि, छात्र-जगत एवं समाज दोनों ही उससे प्रेरणा ग्रहण करें और बदले में उसे उचित सम्मान एवं स्नेह प्रदान करें।
 36. समाज के लोग स्वयं आगे आकर विद्यालय का कुशल-क्षेम पूछें, हर प्रकार की सहायता करने के लिए तत्पर रहें।
 37. शिक्षक हमेशा उचित जीवन-दर्शन एवं आदर्शों के अभाव में दिशाहीन एवं असहाय-सा नहीं हो, बल्कि प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए।
 38. विद्यालयी वातावरण एवं पारिवारिक वातावरण में हो सके तब तक समरसता होनी चाहिए ताकि बालक का संतुलित विकास हो।
 39. मूल्यपरक शिक्षा के विकास के लिए विद्यालय का वातावरण प्रजातांत्रिक एवं उत्साहवर्धक होना चाहिए।
 40. विद्यार्थियों को विद्यालय-विकास के लिए स्वच्छता, अनुशासन, व्यवस्था आदि उत्तरदायित्वपूर्ण सौंपे गये कार्य निष्ठा से करने चाहिए।
 41. कक्षा में स्वस्थ वातावरण रचकर शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों की मौलिक कल्पना-शक्ति, सृजनात्मक प्रतिभा, चिंतन-मनन-अभिव्यंजन आदि का विकास करना चाहिए।
 42. समाज में कार्यरत विविध सेवाभावी संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों द्वारा विद्यार्थियों को सेवाकार्य में जुड़कर पीडित व्यक्तियों की व्यथा समझ सकें और विद्यार्थियों में उनके प्रति दया, सहानुभूति, करुणा तथा सरोकार की भावना जाग्रत हो ऐसी प्रवृत्तियों में भागीदार बनाना चाहिए।
 43. पाठ्यचर्या के अन्तर्गत विभिन्न भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं, उनको सुदृढ़ बनानी चाहिए।
 44. पाठ्यचर्या में विभिन्न सांस्कृतिक, साहसिक, सेवासंबंधी कार्यकलापों के द्वारा प्रजातंत्र में एक अच्छे, योग्य एवं जागरूक नागरिक के लिए विविध क्षमताओं के विकास को विशेष महत्त्व दिया जाना चाहिए।
 45. मूल्यपरक शिक्षा के सफल कार्यान्वयन हेतु वर्तमान पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके पाठ्यपुस्तकों में विविध नैतिक आदर्श, एवं सांस्कृतिक मूल्य संबंधी अंशों को बढ़ाना चाहिए।
 46. पाठ्यपुस्तकों में वय-क्रम के अनुसार नैतिक, आदर्श एवं सांस्कृतिक गुणों के सम्पूर्ण स्वरूपों पर व्यापक रूप से प्रकाश डालना आवश्यक है।
 47. पाठ्यपुस्तकों के लेखकों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि, पाठ्य का स्वरूप एवं विषयवस्तु विशेष व्यंजनात्मक न हो। इसमें सरल एवं सुग्राहत भाषा-शैली प्रयुक्त की जानी चाहिए।
 48. शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में पारस्परिक एवं व्यावहारिक, इन दोनों मूल्यों का समुचित समन्वय करना चाहिए।
 49. विद्यार्थी को अपने स्वयं के विकास के लिए सहयोग व पारस्परिक सद्भाव, निष्ठा एवं ईमानदारी, अनुशासन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व आदि जीवन-मूल्यों को आत्मसात् करना चाहिए।
 50. शिक्षक द्वारा या अभिभावकों द्वारा विद्यार्थियों में या अपने बालक में सभी धर्मों एवं विश्वासों के प्रति समादर की भावना जाग्रत एवं विकसित करने के लिए उन्हें विविध धर्मों के उपदेशों तथा शिक्षाओं से अवगत कराया जाना चाहिए।
 51. विद्यार्थी को स्वयं के कर्तव्यों तथा अधिकारों के अवबोध के साथ-साथ दूसरों के अधिकारों के प्रति समादर की भावना के विकास के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा और समाज सेवा आदि की भावना को विकसित करना चाहिए।
 52. मूल्यों के आभ्यन्तरीकरण की दृष्टि से स्काउटिंग-गाइडिंग, राष्ट्रीय समाज सेवा जैसा सरल एवं उपयोगी तथा शीघ्र फलदायक क्रिया-कलाप शायद ही कोई हो। अतः इन क्रिया-कलापों को विद्यालय में अधिकाधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए।
 53. शिक्षा आयोग के अनुसार कार्यानुभव को शिक्षा के सभी स्तरों पर अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इसके अन्तर्गत समाजोपयोगी उत्पादक कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें श्रम-गरिमा, समाज-सेवा, समूह-भावना, सहयोग, दूसरों के प्रति सरोकार, कार्यनिष्ठा आदि अनेक नैतिक एवं सामाजिक मूल्य गुम्फित हैं।
 54. विद्यार्थियों को स्वयं तथा शिक्षकों द्वारा विविध कलाओं के प्रति अभिरूचि बढ़ानी चाहिए।
 55. यौन-शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में विविध नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। इसमें शिक्षकों के समान ही माता-पिता व अन्य परिवार के बड़े सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए।
 56. प्रत्येक विद्यालय में वाचन-कक्ष तथा अन्य भौतिक सुविधाएँ उचित मात्रा में उपलब्ध कराई जाये तथा पुस्तकालय को अधिक उपयोगी बनाने के लिए अभिभावकों का भी सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।
 57. पाठ्यपुस्तकों में इस प्रकार की सामग्री समाविष्ट हो जिससे छात्रों से सत्यपालन, सदाचार, प्रेम, शांति, अहिंसा आदि मानव-मूल्यों का बीजारोपण व विकास सरलतापूर्वक हो सके।
 58. मूल्यपरक शिक्षा की संकल्पना से शिक्षकों को अवगत कराने एवं इस

ओर उनकी रूचि जागृत करने के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. कामायनी, कामिनी (2008) : भारतीय जीवन मूल्य, दिल्ली, ज्ञानगंगा
2. सरीन एवं सरीन, शशि कला, अंजलि (2008) : शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, पृष्ठ संख्या 57-58
3. शर्मा, आर.ए. (2005) : शिक्षा अनुसंधान, मेरठ, आर.एल.बुक डिपो, पृष्ठ संख्या-100
4. गुप्त. एन.एल. (2002) : ह्यूमन वैल्यूज इन एजुकेशन न्यू देहली कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी
5. पांडे, गोविंदचन्द्र (1973) : मूल्य मीमांसा, जयपुर राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
6. अग्रवाल, जे.सी. (2006) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई दिल्ली, प्रभात प्रकाश. कॉल,
7. लोकेश (2002) : शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली, नोएडा (यू.पी.), एस.बी. ननगिआ, एपीएच पब्लिशिंग कार्पोरेशन
8. अग्निहोत्री, प्रभुदयाल : शिक्षा की भारतीय परम्परा आदर्श और प्रयोग एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली-2002
9. अग्रवाल, जे. पी., जाट, माधवलाल, शर्मा, भरत और रिबेरी, रैपिड रीडर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर 2005
10. ओड, लक्ष्मीलाल के; शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1990
11. शर्मा, आर.एन. (1979) : शिक्षा मनोविज्ञान, रस्तोगी पब्लिकेशन,

मेरठ।

12. माथुर, एस.एस. (2007) : शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
13. करलिंगर, एफ.एन. : फाउन्डेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, सुरजीत पब्लिकेशन, दिल्ली।
14. बायती, जमनालाल, समाज में बालक, पुनित प्रकाशन, जयपुर 2004
16. भारद्वाज, सतीश एवं शर्मा मधुरिमा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर, 2005
17. गाँधी, के.एस., वैल्यू एजुकेशन ए स्टडी ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ज्ञान पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1993

सामयिक:-

1. कालिका, चमोला, मूल्य अर्थ तथा अवधारणा, भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी., अंक-3, अप्रैल 2004.
2. जोशी धनजय, विद्यालयों में नैतिक मूल्यों का स्वरूप, एन.सी.ई.आर.टी. अंक- 2 अप्रैल 2018
3. पंत, निम्मी, विज्ञान द्वारा मूल्यों का शिक्षण, भारतीय आधुनिक शिक्षा, एनसी. ई.आर.टी. अंक-4, जुलाई-अक्टूबर, 2017
4. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2015, नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी. प्रस मई, 2006.
5. विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा परिचर्या दस्तावेज, नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी., जनवरी, 2009
6. विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी., दिसम्बर, 2006

Reflections of Indian Tradition and Culture in Rama Mehta's Inside the Haveli

Prasoon Soni*

*Research Scholar (English) Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur (Raj.) INDIA

Abstract - Rama Mehta is a well-known Indian Novelist who has established herself not only as a champion of women but also a writer who depicts the traditions of motherland. Indian English needs to be discussed from a brighter point of view. Many authors while portraying Indian scenario look at women as weak characters while many of them have transformed them as protagonist. But *Inside the Haveli* has one more peculiar aspect. It strongly emphasized on the beauty of Indian Culture and Traditions that has made us a unique land and stand apart from World Literature. This paper throws a light on various Indian Traditions as seen in the novel. Through the exhibition of naming convention, hospitality, unique act of contemplating and many others, the paper has tried to study various Indian Traditions thus enhancing the image of India believing that we can emerge as 'Vishwaguru' not by giving up age old traditions but by following them proudly and whole heartedly.

Introduction - Indian culture has a remarkable history in the world right from B.C. Aryans who had migrated from Mesopotamia, and other countries, settled in India and wrote Vedas. Hence India is also called Vedic land. The very interesting fact about India is that all the Indians, though they belong to different religions and castes, preserve their tradition and culture.

India is a land of undying culture and traditions. The country has witnessed years of slavery. Moghuls, Portugueses and British. But we proudly proclaim that inspite of various invaders, we still stand erect. What makes us so strong? The greatest traditions of Rome or even Greek have ended up. But what is it that India is still successful in maintaining its dignity. It is only through its age old strong culture and traditions!

"A culture is a way of life of a group of people—the behaviors, beliefs, values, and symbols that they accept, generally without thinking about them, and that are passed along by communication and imitation from one generation to the next".

The present paper is an attempt to analyze the features of the country that has always made us 'A Unique Nation.' Rama Mehta's *Inside the Haveli* presents a world of aristocratic Udaipur. All the characters belonging to and associated with central family in the novel meticulously abide by all customs and traditions prevalent in Indian society.

It is observed that Indian English is discussed mostly in negative terms. Many authors have portrayed the image of women as a meek and poor lady, suppressed by the family and by the society at large. *Inside the Haveli* is usually read as a study of the gradually changing status of the New Women in India. It can also be read as, an absorbing instance of "feminist" writing, with young girl as the protagonist. As Mrs. Ramnavmiwale Meera opines: "The novel explores the inner self of Geeta who symbolizes the 'New Woman' (37). Besides having a women protagonist, there is one more peculiarity about the story. The book has a great beauty of Indian culture and traditions and this paper attempts to throw a light on this culture and traditions.

In contrast to western countries, India is remarkable for its strongest family system in the world.

In Indian family system, male is the head of the family. All the other family members, including wife, execute their duties according to the wish of the head. The family members develop adjusting mentality. An Indian woman, after marriage, leads her rest of life with the husband along and her parents-in-law. She serves her husband and parents-in-law and brings good name and fame to the family. She never leaks out any small family dispute, even to her own parents. She respects her husband and never back-answers him. She even treats her husband as "Sreevaru" which means Venkateshwara, south Indian god of Hindus. This is the reason why an Indian family lasts for lifetime, when compared to most families of the west.

Let us first give a look on our 'Naming Conventions'. Indian names vary, based upon religion, social class and religion of the country. 'Addresses' often indicate the person's positions in the family. In Indian society hierarchy, the patriarch, usually the father, is considered the leader of the family. In Inside the Haveli Daulat Singhji is the 'Hukhum' means the trump card. The daughter-in-law is called Binniji, the daring one. "Where is Binniji?" asked the wife of Daulat Singhji. Geeta is referred here as Binniji. Daulat Singhji wife addressed her husband 'Hukhum.' Daulat Singhji's wife said with practice dignity, "Hukhum, our children are growing up and we must think of their future before we are too old. While we are alive we must try everything to preserve our traditions and maintain the position which we have inherited. . . (161)

In Indian society, every relationship has a clear cut hierarchy that must be observed for the social order to be maintained. All relationships involve hierarchies in Indian society and it is clearly reflected in the novel. The use of "We" and "Our" needs a special attention the strong family ties can be seen here. The lady may maintain a Purdah in the society but her sense of worry is seen in the above lines

Hospitality is another very important social behaviour and prominently seen in Inside the Haveli. We all know the Sanskrit adage "Atithi Devo Bhava" meaning that our guest are the gods visiting our homes and the utter respect is demonstrated by serving him with home made delicacies. The following examples reveal how Indians treat their guests. Bhagat Singhji's wife with her elder relatives went around coaxing the guests, "Have some more rice," "one more puree," "At least a laddoo." There were protests, but finally they were persuaded to take something more. (30)

To quote the web site, which helps researching Indian culture, Customs, Values and wanting to understand India better for their business in modern time speaks "Politely turn down the first offer of tea, coffee or snacks. You will be asked again and again. Saying no to the first invitation is part of the protocol."

To ask for the desires and opinions of the guest is to break the tacit law of Indian hospitality, according to which the host does not try to establish the guest's wishes as far as eating and drinking are concerned. On the contrary, he tries to get the guest to eat and drink as much as possible and even more. A hospitable Indian host, like Bhagwat Singhji's wife in this case, will not take a negative response for an answer. This is why Bhagwat Singhji's wife and her relatives assume that the guests can have some more, and that it would be good for them to have some more purees, laddoos and rice, and therefore that the guest's resistance, which is likely to be due to politeness, should be disregarded.

Another important feature of Indian social etiquettes is the verbal art of complementing. The positive politeness in language is often sincere and spontaneous "Where is Binniji?" asked the wife of Daulat Singhji. "Hukhum, you have been blessed with many things but your daughter-in-law is the haveli's greatest ornament" (161)

Bhagwat Singhji's wife politely accepts this compliment by attributing it to the generosity of Daulat Singh's wife. The art of complementing is beyond just 'thankyou'. Many positive nouns are often used. They may appear exaggerative at first but it is a part of day to day Indian language style. Indian fiction in English displays a diversity of compliments focused on third party belonging to the sympathetic sphere of the addressee; for instance Daulat Singh's wife remarks that she cannot see Bhagwat Singh's wife without her grandchildren around her because "They are the joy of the haveli." (173). On hearing that Ajay has been offered a big post in Delhi, Kanta feels that if Ajay "leaves Udaipur the haveli will be empty." (123). What is characteristic of these compliments is their exaggerative and emphatic tone but the nouns are positive. The use of such positive compliments is a greatest Indian tradition and is well reflected in Inside the Haveli.

Much has been said about the Purdah system of India but the system does not always indicate the suppression of women. This is well justified in the statement of Bhagwat Singh. He asks one of his maid servant on one occasion.

"How is Binniji?"

"She is well, Hukhum." . . .

"Pari, I hope Binniji does not feel lonely. This is a big house and it can be depressing at times especially for someone like her. This time both her mother-in-law and Ajay are away. I hope you are taking good care of her." There was deep concern in his voice as he spoke. (83).

The above lines show a great surge of affection in Bhagwat Singh's words. It reflected the level of concern a father-in-law has for his daughter-in-law. Though the etiquette might have prevented a daughter-in-law from talking freely to her father-in-law, yet the affection and strong bond between them is clearly visible. Our Indian culture has always established family value system and the joint family system is the backbone of our culture. Bondage of love and affection is abundantly found in Indian family system. Parents do not let their child to live independent life until they get a marriage match. However, there are so many joint families found in India.

This indicates a typical Indian culture i.e. strong social solidarity. This is well reflected in Inside the Haveli. Family. Indian parents take full care of children. Irrespective of their age children are children, for the parents and as the cream tastes sweeter than the milk so the grand parents care more for the grand children. To see their grand children well settled

is the ultimate dream of every grandpa and grandma and children take full care to fulfill their parent's dreams.

Daulat Singhji's wife said with practiced dignity,

"Hukkum, our children are growing up and we must think of their future before we are too old. While we are alive we must try everything to preserve our traditions and maintain the position which we have inherited.... You know Vir Singh, my son, has just passed B.A. with a first class.... my father-in-law is getting old; his last wish is to see his only grandson engaged before his eyes in a family of equal status....

Vijay Bai Sa is also growing up; she must be turning thirteen now.... Bai Sa, I have come today to ask you to give us Vijay Bai Sa (161-162).

Another example of social solidarity can be seen in the next example below. The preference for "we" over "I" is indicative of the speaker's desire to forget the distance between himself and his maid-servants and a signal of cohesion of distance between them. Though Indian society may observe the hierarchy level between the master and servants yet this indicates that the master is always interested in the well being of their servants:

"Hukkum, Binniji wants to ask you whether Sita should go to school?" "We must think this out carefully. It is an important decision to take. We must not do anything in haste," Bhagwat Singhji said getting up, "Sita is our responsibility." (84)

Thus the novel *Inside the Haveli* presents a sociologist's realistic account of a large section of Indian society. As Sumita Pal rightly comments about it thus: "In *Inside the Haveli*, Rama Mehta intends to depict the existential dilemma of a large section of the Indian society- the educated class that is influenced by the western belief yet cannot uproot themselves from their age-old traditions" (*Writing the Female: Akademi Awarded Novels in English*, 92). It is a successful work of art that exhibits age-old Indian culture and traditions which have helped the Nation stand erect amidst all invasions. Let us believe our country shall be Vishwaguru by 2020. The best is yet to come but shall come not by giving up our traditions but by following them whole heartedly. The second coming is at hand. Work Cited

References :-

1. Meera, Ramnavmiwale. "Rama Mehta's "Inside the Haveli" A Feminist Perspective." *Indian Streams Research Journal*. Vol.1.Issue 1/ Feb.2011.
2. Pal, Sumita. "Tradition vs Modernity: The Existential Dilemma in Rama Mehta's *Inside the Haveli*." Mithilesh K. Pandey ed. *Writing the Female: Akademi Awarded Novels in English*. New Delhi: Sarup & Sons, 2004.
3. Rama Mehta, *Inside the Haveli* (Penguin Books, 1996)
4. www.kwintessential.co.uk
5. www.tamu.edu/faculty/choudhury/culture.htm

Postmodern Perspective in the Novels of Amitav Ghosh

Rajendra Mishra*

* Asst. Prof. & HOD (English) Govt. M.H.College of Home Science & Science for Women, Jabalpur (M.P.) INDIA

Abstract - This paper is an attempt to apply the post-modern theory in Amitav Ghosh's novels. Post modernism is a socio-cultural and artistic concept, as well as a shift in view point that has expressed itself in a wide range of disciplines, including the human sciences, art, architectural style, literary works, fashion, communications, and innovative technologies. It is widely acknowledged that the postmodern shift in perception began in the late 1950s and is probable still ongoing. PostColonial authors also perform to recapture the past, as their own pasts were frequently removed or dismissed under imperialism, as well as to understand their own culture and personal identities and to chart their own future prospects with their own terms rather than the terms imposed on them by colonialist ideological framework. Amitav Ghosh is regarded a postmodernist. He has been greatly influenced by India's post-independence political and cultural milieu. As a social anthropologist with the opportunity to visit foreign lands, he comments on the current state of the world in his novels. His works reflect the element of post modernism.

Keywords: Postmodernism, Cultural milieu, Architecture, National boundaries, Anthropologist.

Introduction - Postmodernism is an extensive movement that developed in the mid to late 20th century across philosophy, the arts, architecture, and criticism marking a departure from modernism. It is a general and wide term which is applied to literature, art, philosophy, architecture, fiction and cultural and literary criticism, etc. It is largely a reaction to the assumed certainty of scientific or objective efforts to explain reality. As per postmodernists, national boundaries are barriers to human communication. Amitav Ghosh is one among the postmodernists. He is immensely influenced by the political and cultural milieu of post independent India. Being a social anthropologist and having the opportunity of visiting alien lands, he comments on the present scenario the world is passing through in his novels. Cultural fragmentation, colonial and neo-colonial power structures, cultural degeneration, the materialistic offshoots of modern civilization, dying of human relationships, blending of facts and fantasy, search for love and security, diasporas, etc... are the major preoccupations in the writings of Amitav Ghosh. The elemental traits of post-modernism are obviously present in the novels of Amitav Ghosh. As per postmodernists, national boundaries are a hindrance to human communication. They believe that Nationalism causes wars. So, post-modernists speak in favour of globalization. Amitav Ghosh's novels centre around multiracial and multiethnic issues; as a wandering cosmopolitan he roves around and weaves them with his narrative beauty. In The Shadow lines, Amitav Ghosh makes the East and West meet on a pedestal of friendship,

especially through the characters like Tridib, May, Nice Prince etc., He stresses more on the globalization rather than nationalization. In The Glass Palace, the story of half-bred Rajkumar revolves around Burma, Myanmar and India. He travels round many places freely and gains profit. Unexpectedly, his happiness ends when his son is killed by Japanese bomb blast. The reason for this calamity is fighting for national boundaries.

Amitav Ghosh has been credited for successfully mastering the genre known as 'magical realism' which was largely developed in India by Salman Rushdie and in South America by Gabriel Garcia Marquez. Ghosh is seen as "belonging to this international school of writing which successfully deals with the post-colonial ethos of the modern world without sacrificing the ancient histories of separate lands." Like Salman Rushdie, Amitav Ghosh perfectly blends fact and fiction with magical realism. He reconceptualizes society and history. He is so scientific in the collection of material, semiotical in the organization of material, so creative in the formation of fictionalized history. Amitav Ghosh weaves his magical realistic plot with postmodern themes. Self-reflexivity and confessionality characterize fictional works of Amitav Ghosh. Displacement has been a central process in his fictional writings; departure and arrivals have a permanent symbolic relevance in his narrative structure. Post modernism gives voice to insecurities, disorientation and fragmentation. Most of his novels deal with insecurities in the existence of humanity, which is one of the postmodern traits. The narrative style of

Amitav Ghosh is typically postmodern. In *The Shadow Lines*, the narrative is simple. It flows smoothly, back and forth between times, places and characters. His prose in *The Shadow Lines* is so evocative and realistic written effortlessly as well as enigmatically with a blend of fiction and non-fiction. Throughout *The Glass Palace*, Ghosh uses one end to signal the beginning of another so that at one level, nothing changes but yet everything does. There is a strong suggestion of Buddhist metaphysics in his technique. Life, death, success and failure come in cycles and Ghosh uses the conceit of a pair of binoculars early in *The Glass Palace* to sensitize the reading in this perspective. Being a postmodernist, he makes use of very simple language to give clarity to the readers. Many Indians writing in English experiment with the language to suit their story. *The Glass Palace* is not only a novel but also romance, narrative fiction, adventure fiction, and historical fiction. He combines all the elements of a novel to create fragmentation. Ghosh uses the romantic genre to chart the characters who reflect on the history of colonialism in Burma and the formation of the present Myanmar nation. It is also a narrative fiction that employs a complex spiral narrative structure to texture many characters' identities and experiences in the world where we live in. It can be read in historical point of view, since it is portraiture of history and document of nation. Ghosh invents the third person narrator who relates a story in a spiral fashion that fictionalizes and makes real historical subject and event. *The Calcutta Chromosome* (1995) is "not only a medical thriller but also a Victorian ghost story, a scientific quest, a unique mixture of a 'whodunit thriller', and a poltergeist tale".

Postmodernism is a blooming and ongoing area. Even if it has its own features, it is very difficult to concretize these solid elements. This paper is an attempt to unravel the postmodern perspectives in the fiction of Amitav Ghosh. Indian writing in English has stamped its greatness by mixing up tradition and modernity in the production of art. Earlier novels projected India's heritage, tradition, cultural past and moral values. But a remarkable change can be noticed in the novels published after the First World War, which is called, modernism. The novels written in the late 20th century, especially after the Second World War, are considered postmodern novels. Salman Rushdie, Vikram Seth, Shashi Tharoor, Upamanyu Chatterjee and Amitav Ghosh are the makers of new pattern in writing novels with post-modern thoughts and emotions. Postmodern authors also have been inspired by many factors of actions and concepts derived from postmodern philosophy. According to postmodern doctrine, consciousness and factual information are always related to particular situations. Endeavor to recover any clear definition towards toward any theory, doctrine or event is both worthless and unimaginable. The major characteristics of postmodernism are undeniably seen in Amitav Ghosh's novels. Postmodernists believe that national borders are

major obstacles to human interactions. As a result, postmodernists promote for globalization. Amitav Ghosh is the only modern Indian novelist who captures the essence of the Indian literary scene. He has a lot of responsibilities in the world of literature. He performs excellently as an anthropologist, philosopher, author, social commentator, travel writer and educator. His novels are focused on multi - racial and multi-cultural issues which he roves around and weaves with his narrative suitability as a peripatetic multinational. In his novel *The Shadow Lines*, Ghosh brings East and West together on a pedestal of relationship, primarily through the characters Tridib, Ghosh's imaginative realistic plot is also infused with postmodern themes. His fictional works are marked by consciousness and revelation. In his fictional writings, migration is the main fundamental with departures and arrivals having a permanent symbolic significance in his narrative techniques. Insecurities, disorientation and alienation are given expression in postmodernism. The majority of his novels deals with human insecurities which is a postmodern characteristic. Post-modernism, which opposes western concepts, beliefs, society and norms, dismisses Western ideals and traditions as a minor part of the human experience. In the novel *The Hungry Tide*, Ghosh employs the invasion of the West into the East to express the discourse on environmental and cultural issues.

There are numerous sub-topics and plots as a result of the time travel. The narration technique of Amitav Ghosh is typically postmodern. The narrative voice in the novel *The Shadow Lines* is sensible and easy to understand. It moves fluidly back and forth between times, areas and plot points. His writing style in *The Shadow Lines* is eloquent and reliable, written faultlessly and also skillfully with a mixture of imagination and non-fiction. Throughout *The Glass Palace*, Ghosh seems to be using one end to signify the beginning of another, so that nothing changes on one level but everything does on another. His technique has a strong resemblance to Buddhist metaphysics existence, bereavement, achievement and disappointment all follow a cycle and early in *The Glass Palace*, Ghosh introduced the theory of a laser pointer to avoid exposing the viewer to this perspective. And as rationalist, he employs very clear language and provides confirmation to the readers. According to Amitav Ghosh's discourse in the process of creating art achieves the status of Migrant portrayal. Language contains the steps to develop relatives that has shattered and distributed in the manure ambiguity. Amitav Ghosh reveals this in the novel *The Shadow lines*: "You see, in our family we don't know whether we're coming or going – it's all my grandmother's fault. But of course, the fault was n't hers at all: it lay in the language. Every language assumes a centrality, a fixed and settled point to go away from and come back to, and what my grandmother was looking for was a word for a journey which was not a coming or a going at all; a journey that was a search for precisely

that fixed point which permits the proper use of verbs of movement.” Ghosh wants to believe in this language and he aims to create it in his work. Postmodernists refuse to accept complex formal aesthetic appeal in favour of a new of postmodern genres. Ghosh’s picturesque depiction and decorative usage of the tongue, language has no meaning. Feminists’ problem is defended by postmodernists. Uma, employed by Amitav Ghosh, is a prime example of this. Uma deviates from the stereotype of female characters. She is a political commentator who travels the country dispelling nationalist emotions. One of the postmodern characteristics is genre distortion which can be seen in Amitav Ghosh’s literature. He maims himself by combining multiple styles.

Conclusion : To summarize, postmodernism is a rapidly expanding and enduring field that lacks a concrete definition. Even if each big and strong has its own distinct characteristics. It is extremely difficult to present these solid elements as a concrete whole. Post colonialism, postmodern traits are certainly apparent in Amitav Ghosh’s novels *The Glass Palace*, *River of Smoke*, and *Sea of Poppies*. The novels are centered on multicultural and

multilingual issues which he depicts as a strolling progressive and weaves into the descriptive beauty. As a result, this research paper will continue to be an attempt to enforce postmodern theory with Amitav Ghosh’s novels.

References:-

1. Ghosh, Amitav. *The Shadow Lines*. Delhi: Ravi Dayal Publishesr,1988
2. Amitav Ghosh: *A Critical Companion*. Delhi: Permanent Black, 2003.
3. Chenniappan, R., & Suresh, R. S. Postmodern Traits in The Novels of Amitav Ghosh in *The Criterion: An International Journal in English*. Volume II, Issue II, June 2011.
4. Berry, Peter. *Beginning Theory*. New York: Manchester University Press,2002.
5. Ghosh, Amitav. *The Circle of Reason*. London: Hamish Hamilton Ltd., 1986. —,
6. *The Shadow Lines*,.Delhi: Ravi Dayal Publisher, 1988. —,
7. *In an Antique Land*. Delhi: Ravi Dayal Publisher, 1992. —.

गांधीजी का देश की आजादी में योगदान

गुरप्रीत सिंह*

* राजनीति विज्ञान, गाँव चक 77 जी बी ए, अनूपगढ़ (राज.) भारत

शोध सारांश – भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 से 1948 तक महात्मा गांधीजी इस प्रकार छाए रहे कि इस युग को भारतीय इतिहास का गांधी युग कहा जाता है। 1914 में गांधीजी भारत लौट आए और अपनी सेवाओं की मान्यता के फलस्वरूप अब महात्मा कहलाने लगे। आने वाले कुछ समय तक भारतीय स्थिति का अध्ययन करते रहे। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में नील के बगीचों के यूरोपीय मालिकों के विरुद्ध भारतीय मजदूरों को एकत्रित किया। 1919 की जलियांवाला बाग में हुई दुर्घटना और रोलेट एक्ट के पारित होने पर गांधीजी बहुत खिन्न हुए और उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय भाग लेना आरंभ कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों को शैतानी लोग कहा और अपनी असहयोग की नीति अपनाई। खिलाफत और असहयोग आंदोलन (1919-22) लखनऊ और समझौते के परिणाम स्वरूप हिंदू-मुस्लिम एकता को बल दिया। तुर्की साम्राज्य के प्रति ब्रिटेन के व्यवहार के कारण अली बंधुओं, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खाँ, और हसरत मोहानी, के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी बनी और देशव्यापी आंदोलन शुरू किया गया। महात्मा गांधीजी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू-मुस्लिम एकता का अवसर समझा और इसका समर्थन किया, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग के भीषण गोलीकांड और खिलाफत के कारण गांधीजी ने 1920 के कोलकाता अधिवेशन में सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पारित करवाया। इसमें निर्णय लिया कि सभी सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया जाएगा। 1921 और 1922 में भारतीय जनता ने एक अभूतपूर्व आंदोलन किया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई छात्रों ने कॉलेजों को छोड़ कर विरोध प्रदर्शन किया परंतु 5 फरवरी 1922 को यूपी के चोरी-चोरा नामक स्थान पर क्रोध भीड़ हिंसक हो गई और 22 पुलिसकर्मी मार दिए गये। इस घटना की खबर मिलते ही गांधीजी ने आंदोलन वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन (1932-34) गांधीजी ने नमक कानून के विरोध में 22 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू कर 200 मील की दूरी तय करके 24 दिन बाद 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधीजी को 5 मई को गिरफ्तार कर लिया गया जिससे आंदोलन और भी भड़क गया सर तेज बहादुर सप्रू के प्रयत्नों से गांधीजी ने इरविन समझौता किया जिसमें कुछ समय के लिए आंदोलन स्थगित किया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधीजी से सहमत हो गये, परंतु सांप्रदायिकता के प्रश्न पर गांधीजी निराश होकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वापस लौटे और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। 1933 में गांधीजी ने अपने आंदोलन को असफल स्वीकार कर लिया और कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और वे हरिजन सेवा में लग गए। भारत छोड़ो आंदोलन (1942) क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधीजी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। परंतु अगले ही दिन गांधीजी समेत तमाम आंदोलन के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के बाद एक स्वतः आंदोलन शुरू हो गया। आक्रोशित लोगो ने रेल्वे स्टेशन, रेल्वे पटरी, थानों, पोस्ट ऑफिस और बैंकों आदि को निशाना बनाया। यह आंदोलन भारत के स्वतंत्र होने तक चलता रहा गांधीजी के इन जन आंदोलनों ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रस्तावना – भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधीजी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की अगुवाई की थी। महात्मा गांधीजी की शांतिपूर्ण और अहिंसक नीतियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष का आधार बनाया। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। 1891 में उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्टरी पास की और पहले राजकोट में और फिर मुंबई में वकालत करने लगे। 1893 में उन्हें दक्षिण अफ्रिका की एक व्यापारिक कंपनी से निमंत्रण मिला और वहां चले गये। वहां उन्होंने रंगभेद की नीति का विरोध किया। 1914 में गांधीजी भारत लौट आये और अपनी सेवाओं की मान्यता के फलस्वरूप अब महात्मा गांधी

कहलाने लगे। भारतीय राजनैतिक मंच पर 1919 से 1948 तक इस प्रकार छाए रहे कि इस युग को भारतीय इतिहास का गांधी युग कहा जाता है।

गांधीजी का सत्य और अहिंसा का संदेश – महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। उन्होंने 'यंग इंडिया' नामक पत्रिका में लिखा था जिन ऋषियों ने हिंसा के बीच अहिंसा के सिद्धांत को खोज निकाला वे न्यूटन से अधिक प्रखर बुद्धि वाले लोग थे वह स्वयं वेलिंगटन से अधिक वीर योद्धा थे। इस तरह से गांधीजी ने सत्य और अहिंसा को अपना प्रमुख हथियार बना लिया था। गांधीजी ने कई जन आंदोलन चलाये।

चंपारण आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह – चंपारण जिले में नील की खेती

के मालिक अंग्रेज थे। ग़रे किसानों पर तरह-तरह के अत्याचार कर रहे थे। वह किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। किसान अत्याचार एवं अनाचार के कारण विरोध भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। ऐसे अवसर पर गांधीजी चंपारण पहुँचे और किसानों की हालत देखकर बहुत दुःखी हुए। उन्होंने उनकी हालत में सुधार लाने के लिए सत्याग्रह किया जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की हालत में सुधार लाना पड़ा। इस सफलता ने गांधीजी को विश्वास दिला दिया कि भारत में जनता के कष्ट के निवारण हेतु सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया जा सकता है। गांधीजी ने 1918 में दूसरा सत्याग्रह आंदोलन खेड़ा में आरंभ किया बात यह थी कि अनावृष्टि के कारण वहाँ की फसल मारी गई थी, किसान भूमिकर देने में असमर्थ थे। महात्माजी ने 'कर नहीं दे' आंदोलन का नारा लगाया। महात्मा गांधीजी इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के निकट संपर्क में आए। गांधीजी का खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन भी सफल रहा। उनके अनुयायियों की यह पहली विजय बनी।

खिलाफत और असहयोग आंदोलन (1919-22) – लखनऊ समझौता हिंदू और मुसलमानों की सामूहिक राजनीतिक कारवाही के लिए आधार तैयार कर चुका था। हिंदू-मुस्लिम एकता के सिद्धांत की घोषणा के लिए एक आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद से मुसलमानों ने दिल्ली स्थित जामा-मस्जिद के प्रवचन मंच से उपदेश देने के लिए आग्रह किया, जबकि मुसलमान डॉक्टर किचलू को अमृतसर में सिखों के पवित्र स्थान स्वर्ण मन्दिर की चाबियों दे दी गई। इसी वातावरण में मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने खिलाफत आंदोलन का रूप ले लिया। राजनैतिक रूप से जागरूक मुसलमान तुर्की साम्राज्य के प्रति ब्रिटेन और उसके साथ संधिबद्ध राष्ट्रों के व्यवहार के आलोचक थे। जल्द ही अली बंधुओं, मोलाना आजाद, हकीम अजमल, और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी बनी। और देशव्यापी आंदोलन का आयोजन किया गया। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने भी खिलाफत आंदोलन को हिंदू-मुस्लिम एकता को मजबूत बनाने और मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का सुनहरा मौका समझा। खिलाफत कमेटी में 31 अगस्त 1920, को असहयोग आंदोलन शुरू किया। सबसे पहले उसमें गांधीजी शामिल हुए। उन्होंने अपना 'कैसर-ए-हिंद' का पदक लौटा दिया।

रोलेट ऐक्ट के पारित करने जलियांवाला बाग के भीषण गोली कांड और खिलाफत के विवाद में अंग्रेजों की भूमिका से गांधीजी अत्यंत पीड़ित हुए। सितम्बर 1920 में कोलकाता के कांग्रेस के अधिवेशन में सरकार के अन्याय के विरोध में असहयोग आंदोलन करने का प्रस्ताव पारित किया। लोगों से सरकारी शिक्षण संस्थानों अदालतों और विधान मंडलों का बहिष्कार करने तथा खादी के उत्पादन के लिये चरखा-तकली चलाने और हाथ करघे का अभ्यास करने को कहा गया। गांधीजी ने नागपुर में दिसम्बर 1920 के वार्षिक कांग्रेस के अधिवेशन में घोषणा की कि 'ब्रिटिश की जनता को इस बात के लिए सतर्क रहना होगा कि अगर वह न्याय नहीं करना चाहते तो प्रत्येक भारतीय का यह परम कर्तव्य होगा कि वह साम्राज्य को नष्ट कर दें।' 1921 और 1922 के दौरान भारतीय जनता का एक अभूतपूर्ण आंदोलन हुआ। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों में प्रवेश लिया। सारे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई।

खादी जल्दी ही आजादी का प्रतीक बन गया। गांधीजी को छोड़कर बाकी सारे महत्वपूर्ण पूर्ण राष्ट्रवादी नेता 30,000 अन्य लोगों के साथ 1921 के अंत तक जेल में बंद कर दिए गए। 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने भारत के व्यवसाय लाई रीडिंग को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सरकार की कठोर नीति की निंदा की एवं उसे चेतावनी दी। 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने इनसे दुर्व्यवहार किया तो भीड़ हिसक हो गई और धाने में आग लगा दी गई। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गये। इस घटना की खबर मिलते ही गांधीजी ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी।

सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-31, 1932-34) – गांधीजी 1928 में पुनः राजनीति में आ गए और उन्होंने 1930 में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 12 मार्च 1930 को गांधीजी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा आरंभ की एवं 200 मील की दूरी पर 24 दिनों में यात्रा पूरी कर ली। जगह-जगह पर हजारों लोगों ने सत्याग्रही दास्ता की जय-जयकार की। गांधीजी ने आत्म शुद्धि के उपरांत थोड़ा नमक उठाकर नमक कानून को भंग किया। इसके बाद 5 मई 1930 ई. को गांधीजी गिरफ्तार कर लिए गए एवं उन्हें यरवदा जेल में रखा गया। गांधीजी की गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया और आंदोलन और तेज हो गया। 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करके के लिए ब्रिटेन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग लेने से मना कर दिया। 25 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के अन्य सदस्य छोड़ दिए गए। सर तेज बहादुर शास्त्री के प्रयत्नों के कारण गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ। इसी कारण यह गांधीजी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। वायसराय ने इस बात की घोषणा कर दी कि भारतीय संवैधानिक विकास का उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेटस देना है। गांधीजी ने भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए बुलाई गयी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया परंतु संप्रदाय के प्रश्न पर गांधीजी निराश होकर वापस लौटे और उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेजों का दमन चक्र आखिरकर सफल हो गया। क्योंकि उसे सांप्रदायिक तथा अन्य सवालियों पर भारतीय नेताओं के आपसी मतभेदों के कारण मदद मिली। सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे-धीरे क्षीण हो गया। 1933 में गांधीजी ने अपने आंदोलन की असफलता को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस को सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और अपने आप को हरिजन की सेवा तक सीमित कर ली।

भारत छोड़ो आंदोलन (1942) – क्रिप्स मिशन की असफलता से सभी निराशा हुई। अभी तक कांग्रेस ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था (संविधान सभा की मांग की) जिससे अंग्रेजों को परेशानी हो। परंतु जब जापान लगभग देश के द्वार पर खड़ा था। कांग्रेस चुप नहीं रह सकती थी। गांधी जी ने 10 मई 1942 को हरिजन में लिखा कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण है। उनके जाने से यह लोभ समाप्त हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई उसमें प्रसिद्ध 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया। तथा इस लक्ष्य

को प्राप्त करने के लिए गांधीजी के नेतृत्व में एक असहयोग आंदोलन करने का प्रस्ताव पास किया। उसके उपरान्त गांधी जी ने 70 मिनट तक भाषण दिया और 'करो या मरो' का नारा जनता को दिया। गांधीजी का यह भाषण बड़ा प्रभावशाली था। इंदिरा विधयावाचस्पति के शब्दों में गांधीजी उस दिन ऐसे बोल रहे थे मानों उनकी अंतरात्मा से भगवान बोल रहे हों। मगर कांग्रेस द्वारा आंदोलन आरंभ करने के पहले ही दिन सरकार ने जोरदार चोट की। 9 अगस्त को अत्यंत सुबह ही गांधीजी तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को एक बार फिर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। हिंदूस्तानियों की जनता में देश के राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध जन आक्रोश के शिकार रेलवे स्टेशन, रेलवे पटरी, धाने, पोस्ट ऑफिस, बैंक आदि बने। लोग उन सब को नष्ट कर देना चाहते थे, जिनका संबंध अंग्रेजी राज्यों से था। गांधीजी ने 15 जुलाई 1943 को एक पत्र लिखकर हिसात्मक कार्यों के लिए सरकार को दोषी ठहराया और एक निष्पक्ष न्यायालय द्वारा इसकी जाँच की माँग की। गांधीजी ने 10 फरवरी को आत्म शुद्धि के उद्देश्य से 21 दिनों के लिए एक उपवास शुरू किया। 13 दिनों के बाद गांधीजी के हालात बहुत ही नाजुक हो गई और अंग्रेजों ने उनके दाह संस्कार की तैयारी कर ली थी। सरकार ने महसूस किया कि गांधीजी का जीवित रहना और उनकी मुक्ति, आंदोलन को हिसक होने से बचाने के लिए जरूरी है। इसलिए मई 1944 को गांधीजी को जेल से रिहा कर दिया गया। स्वस्थ होने पर उन्होंने पुनः राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया वे ये आंदोलन भारत के स्वतंत्र होने तक चलता रहा।

गांधीजी का रचनात्मक कार्यक्रम - गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रम को बहुत बढ़ावा दिया। वह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं चाहते थे अपितु जनता की आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति चाहते थे। इस भावना से उन्होंने 'ग्राम उद्योग संघ' तालीमी संघ और गौ रक्षा संघ बनाए। उन्होंने समाज में शोषण समाप्त करने के लिए भूमि और पूंजी का समाजीकरण नहीं मांगा अपितु आर्थिक क्षेत्र के विकेंद्रीकरण द्वारा इस प्रश्न को हल करना चाहा। उन्होंने कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के लिए

काम किया। खादी उनके आर्थिक कार्यक्रम का प्रतीक थी। उन्होंने सभी प्रकार की असमानता (जन्म, जाति, धर्म और धन की) को समाप्त करने का प्रयास किया। गांधी जी ने नशा बंदी के लिए और हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए भी प्रयत्न किया। यद्यपि कुछ आलोचकों ने उन्हें एक 'राजनैतिक अराजकता फैलाने वाला' कहा क्योंकि उन्होंने संवैधानिक प्रभु सत्ता को चुनौती दी और लार्ड लिनलिथगो ने उनके दंगों को 'राजनैतिक फिरौती' कहा, परंतु गांधी जी ने केवल सत्य का मार्ग ही अपनाया। उन्होंने साध्य की प्राप्ति के लिए सुख के साधनों का ही प्रयोग किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं 300 वर्ष तक स्वतंत्रता की परीक्षा करने को उद्धत हूँ परंतु असत्य दंग नहीं अपनाऊँगा। वास्तव में यह उन्हीं के प्रयत्नों का फल था कि आंतकवाद सीमित रहा और भारत ने बिना बहुत रक्तपात के स्वतंत्रता प्राप्त कर ली।

Arnold Toynbee में जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वही पीढ़ी पश्चिम में केवल हिटलर अथवा स्टालिन की पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधीजी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चयपूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधीजी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आधुनिक भारत का इतिहास- शैलेन्द्र सेंगर पृष्ठ संख्या- 215, 218, 228, 229
2. आधुनिक भारत - 12वीं कक्षा NCERT विपिन चन्द्र , पृष्ठ संख्या - 217, 218, 219, 234, 240, 241
3. आधुनिक भारत का इतिहास- बी.एल.ग्रोबर, अलका मेहता, यशपाल, पृष्ठ संख्या- 315, 316, 317, 333
4. भारत का स्वतंत्रता संघर्ष विपिन चन्द्र पृष्ठ संख्या- 138, 140, 367, 368
5. कोलेश्वर राय का आधुनिक भारत किताब महल :- पृष्ठ संख्या- 439, 443, 452, 461, 462, 463

मेवाड़ महाराणा अमरसिंह प्रथम (1597ई. – 1620ई.) का गौरवान्वित शासनकाल व मुगल संघर्ष

माधव लाल अहीर*

* शोधार्थी (इतिहास) मेवाड़ विश्वविद्यालय, गंगार (चित्तौड़गढ़) भारत

प्रस्तावना – अमर सिंह महाराणा प्रताप एवं महारानी अजबदे पंवार के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका जन्म चित्तौड़ में 16 मार्च, 1559 ई. को हुआ, उसी वर्ष उदयपुर में राजमहलों की नींव उनके पितामह महाराणा उदयसिंह ने सूत्रधार राजा के निर्देशन में रखी थी। कुंवर अमर ने 1580 ई. में मुगल सेना को पराजित कर सेनापति अब्दुलरहीम खानखाना की बेगमों को शेरगढ़ से पकड़कर प्रताप के समक्ष पेश किया, जिस पर उन्हें कड़ी फटकार मिली एवं उन्हें अजमेर जाकर उन महिलाओं सहित सम्पूर्ण हरम को खानखाना से क्षमा मांग कर लौटना पड़ा। खानखाना ने उनके इस अहसान और उत्कृष्ट चरित्र को हमेशा याद रखा। इन्होंने 1582 ई. के द्विवेद युद्ध में मुगल थानेदार सेरिमाखां के ऐसा गहरा भाला मारा कि उसके शरीर में से और कोई इसे निकाल ना पाया, तब करुणाशील प्रताप के आदेश पर मृत्यु के लिए तड़पते सेरिमाखां की छाती पर पैर रखकर अमरसिंह ने ही उसके शरीर से अपना भाला वापस खींचा एवं उस मुगल शत्रु को भी गंगा जल पिलाकर सुखद मृत्यु की ओर उन्मुख किया।



प्रताप के समान राणा अमर ने भी मुगल अकबर द्वार भेजे 1599 ई. व 1603 ई. के शाहजादा सलीम सहित 1605 ई. के खुरो के मेवाड़ सैन्य अभियान को असफल किया और हालांकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि शुरुआती हमलों में मुगलों ने मेवाड़ के मैदानों पर कब्जा कर लिया था, और वह अपने पिता और पितामह के जैसे ही मुगलों से लड़ते रहे। जब जहांगीर मुगल सिंहासन पर आरुढ़ हुआ तो उसने अमरसिंह के खिलाफ निरंतर कई हमले किए। शायद, वह उसे और मेवाड़ को वश में न कर पाने की अक्षमता के लिए स्वयं को दोषी महसूस करता था, हालांकि

उसे (राजकुमार सलीम) यह कार्य करने के लिए अकबर द्वारा दो बार मेवाड़ सैन्य अभियान का नेतृत्व सौंपा गया था। जहांगीर के लिए, यह बड़ी प्रतिष्ठा की बात बन गई और उसने राणा अमर को वश में करने हेतु 1605 ई. में राजकुमार परवेज को अपने साले आसफ खान के साथ मेवाड़ भेजा, परन्तु वे भी असफल रहे।



1600 ई. में हुई 'ऊंठाले की लड़ाई' में थानेदार कायमखान सहित मुगल सेनारणा द्वारा पराजित हुई जिसमें चुण्डावत-शक्तावत योद्धाओं के बलिदान की मुख्य भूमिका रही। राणा ने मुगल मनसबदार महाबत खां, अब्दुल्ला खां, राजा बासु, अजीज कोका इत्यादि के नेतृत्व में भेजे गए मुगल सैन्य अभियानों को भी पराजित किया तब मेवाड़ विजय हेतु स्वयं मुगल शासक जहांगीर सम्पूर्ण मुगल साम्राज्य के मनसबदारों व विशाल सैन्य को लेकर दिल्ली-आगरा छोड़कर अजमेर आया और वहीं 3 वर्ष तक निवास बनाकर मेवाड़ अभियान का निर्देशन करते हुए 1613 ई. से 1615 ई. तक इस मेवाड़ सैन्य अभियान की कमान राजकुमार खुरम (शाहजहाँ) को दे दी।

आमेर कच्छवाहा राजा मान सिंह का काका अर्थात् चाचा जगन्नाथ कच्छवाहा का मेवाड़ में मांडल स्थित मुगल शैली में निर्मित मृत्यु स्मारक एवं इस पर अंकित शिलालेख (1613 ई.) दर्शाता है कि इसने जीवन भर मुगलों की सेवा की और 1576 ई. की हल्दीघाटी की लड़ाई में इसने कई मेवाड़ी वीरों को मारा और फिर ये मुगलिया चाकर मनसबदार मेवाड़ के पुर-मांडल परगने में रहा और महाराणा प्रताप से निरंतर लड़ता रहा व उनके विरुद्ध

अकबर के आदेश पर कई सैन्य अभियान किये लेकिन प्रताप की वीरता के सम्मुख ये असफल रहा। राणा अमर सिंह के विश्वसनीय नरसिंह दास शक्तावत (बांसी) द्वारा मैनाल की लड़ाई में इस मुगल मनसबदार जगन्नाथ को यमलोक पहुंचा दिया गया। शक्तावत सिसोदिया सरदारों ने और महाराणा ने अपने बलिदानों का बदला लिया और इसको इस प्रकार मृत्यु के घाट उतारा। इस प्रकार इन कच्छवाहों की तत्कालीन सेना यहां 1576 से लेकर 1615 ई. तक निरंतर मेवाड़ में कुछ समय को छोड़कर पड़ी रही, संभवतः आमेर का मान सिंह टोंक-टोडा के सोलंकी राज्य व यूपी के भदौरिया राज्य की तरह मेवाड़ के इस सिसोदिया गुहिलोत राज्य को भी नष्ट कर के मुगल साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहता था, मान सिंह आमेर व जगन्नाथ कच्छवाहा के साथ साथ नाथजी (नाथावत कच्छवाहों का मूल पुरुष) और खंगार (खंगारोत कच्छवाहों का मूल पूर्वज पुरुष) भी यहां मांडल-पुर में मुगल परगने मुख्यालय में निवास करते हुए मेवाड़ पर मुगल आक्रमण के मुख्य प्रतिनिधि रहे तब मांडल के युद्ध में मेवाड़ के आक्रमण में मान सिंह आमेर को छोड़कर ये तीनों यही मुगलों के लिए लड़कर मेवाड़ी वीरों द्वारा मारे गए।

अंत में मेवाड़ ने अपने सम्मान को बरकरार रखते हुए मुगलों के साथ 1615 ई. की सम्मानजनक संधि कर ली जिसके अनुसार मेवाड़ के महाराणा कभी भी मुगल बादशाह के दरबार में उपस्थित नहीं होंगे अपितु ज्येष्ठ कुंवर दरबार में उपस्थित होंगे। राणा अमर सिंह के उत्तराधिकारी कुंवर कर्ण सिंह को प्रथम श्रेणी का 5000 जात-सवार का मनसब प्रदान करके उच्च प्रतिष्ठा मुगल दरबार में प्रदान की। दूसरी ओर मुगलों ने चित्तौड़ दुर्ग की किलेबंदी को रोककर अपने हितों को साधा।

राणा अमर मेवाड़ के शासकों में से मुगलों से सर्वाधिक लड़ाइयाँ लड़ने वाले थे जिनके काल तक मेवाड़ी राजपूत सरदारों की चार-चार पीढ़ियां मुगलों के खिलाफ युद्ध में बलिदान हो चुकी थी एवं मेवाड़ी क्षत्राणियों में विधवाओं व महासतियों का बाहुल्य हो गया था। उन्होंने पराक्रम से मुगलों से कई छोटे-मोटे युद्धों के अलावा 17 बड़े युद्ध किये और सफलता प्राप्त की, परिणामतः उन्हें राजप्रशस्ति में 'चक्रवीर' पदवी से विभूषित किया। राणा के सामंत रावत मेघ सिंह चुण्डावत (बेगूँ) ने 500 मेवाड़ी सैनिकों सहित रात्रि में आक्रमण कर हजारों मुगल सेना सहित मुगल सेनापति महाबतखां को पराजित कर मेवाड़ से भगा दिया। मुगल मनसबदार जगन्नाथ कच्छवाहा, राव

खंगार कच्छवाहा, फरीदुनखान बर्लास, सिकंदर करावल अन्य युद्धों में मेवाड़ी योद्धाओं द्वारा मारे गए। जैतसिंह चुण्डावत, बल्लू शक्तावत, नरहरिदास शक्तावत, रणकपुर मंदिर रक्षक मुकुंददास मेड़ितिया, जयमल सांगावत प्रमुख मेवाड़ी योद्धा बलिदान हुए।

मीरा पूजित ब्रजराज व मुरलीधर की प्रतिमाओं को राणा ने युद्धकाल में भी हमेशा अपने संग रखा जिनमें से ब्रजराज प्रतिमा पंजाब राजा बासु तोमर को भेंट की जिनकी मुगल मनसबदार होते हुए भी मीराजी व राणा के प्रति अगाध श्रद्धा थी। राणा ने मुरलीधर का देवालय उदयपुर में बनवाया। सायरा गाँव बसाने वाले राणा का प्रिय हाथी आलमगुमान था।

मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे ऊँचे व बलिष्ठ राणा अमर का निधन 26 जनवरी, 1620 ई. को हुआ। महासतियाँ आहड़ में पहली छतरी राणा अमर की ही हैं। राणा ने 1615 की मेवाड़-मुगल संधि के बाद सारा राजकाज अपने पुत्र कर्ण सिंह के हाथों में दे दिया व उनके जीवन के अंतिम पांच साल उन्होंने आहड़ महासतियाँ प्रांगण में एक निवृत्त राणा के रूप में भगवत आराधना में गुजारे।

अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा अमर सिंह को भेजा गया लिखित पद्य-
 धरा रहसी, रहसी धरम, खपजासी खुरसाण ।
 अमर विशम्भर उपरे, राखो नहचो राण ॥

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ. 409-435, राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर, 2022
2. मांडल गाँव में स्थित जगन्नाथ कच्छवाहा की छतरी पर अंकित शिलालेख
3. कविराज श्यामलदास, वीर विनोद, भाग-2, पृ. 230-239, महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन ट्रस्ट एवं राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर, 2017
4. राजेन्द्र शंकर भट्ट, मेवाड़ के महाराणा और शहंशाह अकबर, पृ. 367-378, पंचशील प्रकाशन जयपुर, 1997 ई.
5. मांडल के पाराशर परिवार के बुजुर्गों का साक्षात्कार, महेशजी पाराशर सहित ।
6. श्रोत्रिय, कृष्ण चन्द्र, आशिया, ईसरदान, चुण्डावत, स्वरूप सिंह, शक्तावत, देवेन्द्र सिंह, राठी, देवकरण सिंह (सं.) 1987। सगत रासो। उदयपुर : प्रताप शोध प्रतिष्ठान।

दलित आरक्षण का भारतीय राजनीति में प्रभाव

डॉ. डी.के.वर्मा *

* एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) एस.बी.एन. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आरक्षण भारत में एक राजनीतिक आवश्यकता है क्योंकि मतदान की विशाल जनसंख्या का प्रभावशाली वर्ग आरक्षण को स्वयं के लिए लाभप्रद के रूप में देखता है। सभी सरकारें आरक्षण को बनाए रखने या बढ़ाने का समर्थन करती हैं। आरक्षण कानूनी और बाध्यकारी है। आरक्षण आंदोलनों ने ये दिखाया कि भारत में शांति स्थापना के लिए आरक्षण का बढ़ता जाना आवश्यक है।

आरक्षण योजनाएं शिक्षा को गुणवत्ता को कमजोर करती हैं, लेकिन फिर भी हाशियों में पड़े और वंचितों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के हमारे कर्तव्य और उनके मानवीय अधिकार के लिए उनकी आवश्यकता है। आरक्षण वास्तव में हाशिये पर पड़े लोगों को सफल जीवन जीने में मदद करेगा, इस तरह भारत में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी व्यापक स्तर पर जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करेगा। आरक्षण-विरोधियों ने प्रतिभा में कमी और आरक्षण के बीच भारी घाल-मेल हो गया है। प्रतिभा में कमी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार बड़ी तेजी से अधिक अमीर बनने की लालसा है। अगर हम मान भी लें कि आरक्षण उस कारण का एक अंश हो सकता है, तो लोगों को यह समझना चाहिए कि पलायन एक ऐसी अवधारणा है जो राष्ट्रवाद के बिना अर्थहीन है और जो अपने आपमें मानव जाति से अलगाववाद है। अगर लोग आरक्षण के बारे में शिकायत करते हुए देश छोड़ देते हैं, तो उनमें पर्याप्त राष्ट्रवाद नहीं है और उन पर प्रतिभ पलायन लागू नहीं होता है।

आरक्षण-विरोधियों के बीच प्रतिभावादिता और योग्यता की चिंता है। लेकिन प्रतिभावादिता समानता के बिना अर्थहीन है। पहले सभी लोगों को समान स्तर पर लाया जाना चाहिए, योग्यता की परवाह किए बिना, चाहे एक हिस्से को ऊपर उठाया जाय या अन्य हिस्से को पदावनत किया जाय, उसके बाद, हम योग्यता के बारे में बात कर सकते हैं। आरक्षण या प्रतिभावादिता की कमी से अगड़ों को कभी भी पीछे जाते नहीं पाया गया। आरक्षण ने न केवल अमीर को और अधिक अमीर बनने और पिछड़ों को और अधिक गरीब होते जाने की प्रक्रिया को धीमा किया है। चीन में, लोग जन्म से ही बराबर होते हैं। जापान में, हर कोई बहुत अधिक योग्य है, तो एक योग्य व्यक्ति अपने काम को तेजी से निपटाता है और श्रमिक काम के लिए आता है जिसके लिए उन्हें अधिक भुगतान किया जाता है। इसलिए अमीरों को कम से कम इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि वे जीवन भर सफेदपोश नागरिक हुआ करते हैं¹। भारतीय जनजीवन 'आरक्षण' के विषय को लेकर बहुत ही उद्देलित है। हाल ही में भारत सरकार ने 104वें संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है। भारत के राष्ट्रपति की सहमति से यह

विधेयक स्वीकृति मिलने से देश का कानून बन जाएगा। उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थान जैसे आईआईएम, आई.आई.टीज, एम्स, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों जैसे आई.टी., बायोटेक्नोलॉजी, एन्ट्रोलॉजी, मेडीसिन, विधि, कम्प्यूटर साइन्स, सुपर स्पेशियलिटी आदि में मंडल आयोग द्वारा घोषित पिछड़े वर्गों की जातियों के विद्यार्थियों को 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित हो जाएंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को तो पहले से ही 25 प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ है। इस प्रकार सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को केवल 50 प्रतिशत स्थान ही शेष रहेंगे।

समाज में द्वेष और लड़ाई-झगड़ा तनाव और घृणा का फैलाव हो रहा है। बार-बार यह प्रश्न शांतिप्रिय देशवासी को झकझोर रहा है कि आखिर आरक्षण क्यों? किसके लिए और कब तक हमें इस तात्कालिक स्थिति के दीर्घकालीन परिणामों या दुष्परिणामों का विश्लेषण करना है। भारत में आरक्षण का सिद्धान्त 1932 में पूना पैक्ट के जरिए आया। डॉ.भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गाँधी के बीच एक समझौते का परिणाम यह आरक्षण का सिद्धान्त है, जिसे भारतीय संविधान की धारा 15 और 16 में मात्र दस वर्ष की अवधि के लिए स्थान दिया गया था²। 'मेवडॉन्लाड.एवार्ड' जिसे साम्प्रदायिक एवार्ड का नाम दिया गया था, के जरिए अंग्रेजों ने सीमित प्रजातांत्रिक अधिकार भारतीयों को देने के लिए एक योजना भारतीय नेताओं को सौंपी थी जिसके तहत भारतीयों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए जाति और धर्म के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र संगठित करने का प्रस्ताव उन्होंने दिया था। दलित वर्ग और तथाकथित अछूत कही जाने वाली जातियों को भी हिन्दू धर्म से अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने की घोषणा अंग्रेजों ने की। महात्मा गाँधी ने इस मेवडॉन्लाड एवार्ड का विरोध किया। अंग्रेजों ने यह व्यवस्था वापिस तब ली जब डॉ.अम्बेडकर ने लिखकर दिया कि उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनाए जाएँ। भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े हुए भारतीय लोगों को अन्य लोगों के समकक्ष लाने के लिए विशेष प्रयास करने के लिए नियम और कानून बना सकेगा। इसी प्रकार भारतीय संसद, भारतीय संघ की विधानसभाओं/विधानपरिषदों और 73वें, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय विधानसभाओं और पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ये आरक्षण दस साल की अवधि के लिए किए जाते हैं। हर दस साल बाद इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करके दस साल की अवधि के

लिए बढ़ोतरी संवैधानिक संशोधन अधिनियम से कर दी जाती है⁴।

लोकसभा, विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए स्थान सुरक्षित हैं। इनके प्रतिनिधियों के समर्थन से कोई सरकार बनती है या बिगड़ती है। इसलिए इस निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की बढ़ोतरी इन जातियों के प्रतिनिधि, विधानसभाओं और लोकसभा में रहते हैं। वह वक्त की सरकार का राजनैतिक तौर पर समर्थन अथवा विरोध करने के लिए एक प्रभावशाली समूह की भूमिका का निर्वाह करते हैं।

लेकिन इस प्रकार का निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण पिछड़ी जातियों के लिए नहीं है। फिर भी उनको इतनी राजनीतिक समझ है, एकता है और संगठन शक्ति तथा साधन है कि विधानसभाओं और लोकसभा में तथाकथित पिछड़ी जातियों के जनप्रतिनिधि पर्याप्त मात्रा में और सक्षम तथा प्रभावशाली लोग आ जाते हैं कि वे अपने वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा कर लेते हैं⁵। उनका शोषण नहीं होने देते हैं। शनैः-शनैः वे सवर्ण कहीं जाने वाली जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या को घटाते जा रहे हैं और उनके स्थान पर पिछड़े वर्गों के लोग आते जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण अथवा शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति को आरक्षण केवल संसद द्वारा अथवा विधानसभाओं (राज्य सम्बन्धित के मामलों में) द्वारा अनुमोदित नियमों और उपनियमों के माध्यम से ही मिल जाता है। उच्च न्यायापालिका, विशिष्ट तकनीकी संस्थानों और भारतीय फौज में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। वहाँ तथाकथित उच्च वर्णों की जातियों अथवा सदियों से इन संस्थाओं में कार्य करने वाली जातियों का एकाधिकार चला आ रहा है।

उसका आधार प्रतिभा, योग्यता, रक्त की शुद्धता और सम्पन्न सक्षमता माना जाता है। हकीकत ये है कि यह एकाधिकार भी सवर्ण जातियों के सदियों से चले आ रहे अघोषित आरक्षण के कारण ही है। 60 वर्ष से एस.सी.-एस.टी. के पक्ष में चले आ रहे आरक्षण के बावजूद इन तीनों क्षेत्रों में इनकी नाममात्र की उपस्थिति भी दिखाई नहीं देती है किन्तु विधानसभाओं और लोकसभा में एससी-एसटी के प्रतिनिधि 25 प्रतिशत होते ही हैं। पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि विधानसभाओं और लोकसभा में आरक्षण नहीं होने के बावजूद 30 प्रतिशत या इससे अधिक है। परिणामतः लोकसभा, विधानसभाओं में तो एस.सी.-एस.टी. और ओबीसी के जनप्रतिनिधिगण 55 प्रतिशत हो जाते हैं, लेकिन तकनीकी संस्थानों, उच्च न्यायापालिकाओं और भारतीय सेना में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व क्रमशः नगण्य अथवा प्रभावही मात्रा में ही है⁶।

इसलिए 104वें संविधान संशोधन से सरकार ने पिछड़ी जातियों का 27 प्रतिशत आरक्षण उच्च शिक्षा और प्रतिष्ठित संस्थानों में करके प्रतिभा और योग्यता की कमी के मायाजाल को तोड़ने का प्रयास किया है। आने वाले 60 सालों में इन तीन विशिष्ट क्षेत्रों में भी अघोषित आरक्षण समाप्त हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से बिखर जाएगी। जाति व्यवस्था का बिखराव हो जाएगा। देश तो योग्यता से ही चलेगा। प्रतिभाओं का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। खुली प्रतियोगिता के लिए काफी अवसर उपलब्ध होंगे। भारत महाशक्ति बनेगा और अभी जो महाशक्ति बनने की संभावनाएँ व्यक्त की जा रही हैं वह भी इन साठ वर्षों से चले आ रहे आरक्षण के कारण, देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के कारण बह रही खुली हवा और सामाजिक अधोपतन की बेड़ियों के खुल जाने के कारण ही संभव हो सका है। कट्टर जातिवादी और वर्णव्यवस्था ने इस देश को गुलाम बनाया है और शोषणवादी सम्राज्यवादी

लेगों को सहयोग दिया है। तभी समाज सुधारकों ने इन दोनों बुराईयों को जड़ से मिटाने का काम किया है।

आरक्षण व्यवस्था के कारण तथाकथित अछूत जातियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। उनमें स्वाभिमान की भावना जागी है। उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। वे राज्यसत्ता के करीब आए हैं। राज्य का स्वरूप लोककल्याणकारी हुआ है। आरक्षण व्यवस्था उनके लिए भीख नहीं है बल्कि उनका अधिकार है। अब ये तथाकथित एकाधिकार वाले सवर्ण जातियों के क्षेत्रों में प्रवेश भी कर रहे हैं और अधिक प्रतिभा और योग्यतासम्पन्न होकर विश्वस्तरीय मापदंडों के अनुकूल भारत को सम्पन्न राष्ट्र बनाएँगे। वन में सोया हुआ शेर नींद से जाग गया है। नेपाल से राजशाही जब खत्म हो सकती है तो भारत की जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था भी खत्म होने के कंगार पर है। हमें इस व्यवस्था को गुड़बाय करना होगा। तब आरक्षित घोषित और आरक्षित अघोषित का भेद स्वतः खत्म हो जाएगा। योग्यता और प्रतिभा जन्म की मोहताज क्यों हो बनावटी सामाजिक संगठन जन्म के आधार पर कब तक लोगों का शोषण करने के लिए हथियार के रूप में काम में लिया जा सकेगा? अछूत भी अंग्रेजी, संस्कृत, लेटिन और कम्प्यूटर की भाषा जान चुका है। जानकारी के लिए नवीन तकनी से उसका आज के युग से वास्ता बन गया है। अछूत के घर में पैदा होने वाला बालक अपनी तुलना अपने आपसे करने लगा है। आज की पीढ़ी के हर उस नवयुवक से करने लगा है जो सड़ी-गली भारतीय विभाजित सामाजिक संगठन की व्यवस्थाओं को नकारता है।

आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा के नाम पर समय लेने के तर्क में कोई जान नहीं है। आरक्षण का आधार आर्थिक बनाये जाये-संविधान में संशोधन किया जाये-क्यों? देश की सारी सम्पत्ति और पूँजी तथा संसाधन मात्र 10 प्रतिशत लोगों के पास हैं, क्या वे अपनी 90 प्रतिशत पूँजी और संसाधन को सरकार को सौंपने को तैयार हैं। नहीं? रोग का कारण तो जन्म आधारित जाति व्यवस्था ही है⁷। विरासत के कानून के कारण उच्च जाति में पैदा हुये बच्चों को देश के 90 प्रतिशत ज्ञान, धन, योग्यता और प्रतिभा का खजाना तो स्वतः ही मिल जाता है। उसको अपने पास बरकरार रखने के लिये तो वे देश और विदेश से प्रतिभाएँ तक किराये पर ले लेते हैं। किस प्रतिभा और योग्यता की बात करते हैं जो बिकाऊ है या जिसे अभी खुल कर सामने आने का अवसर ही नहीं मिला है। इसलिये समाज ने करवट ली है। पुरानी व्यवस्था को चरमरा कर टूट जाने दो। नई व्यवस्था को आने दो जो जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित हो। बीज नहीं वृक्ष बनेगा जिसमें क्षमता है। उसे पत्थर से दताओं मत। खेत में खाद, मिट्टी और पानी समान रूप से मिलने दो। नई तोड़ी हुई जमीन ज्यादा फसल उगाती है। जमीन पुरानी फसल उगाते-उगाते बूढ़ी हो जाती है। उसे पड़त छोड़ा जाता है ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ सके। आरक्षण इस पड़त जमीन को, नई जमीन को तोड़ कर फसल बोने का सिलसिला है जिसके अच्छे परिणाम मिलेंगे।

समाज में स्वतन्त्रता, समानता, भ्रतृत्व और मानव अधिकारों के आधुनिक विचारों से जैसे वर्ण व्यवस्था आधारित विचारों से कई तरतम्य ही नहीं हैं। इसलिये आरक्षण व्यवस्था का विरोध आज वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्गों से जुड़ी जातियों के लोग कर रहे हैं। विरोध का आधार तो पुरातन वर्ण व्यवस्था को पोषित करने वाला विचार ही है। लेकिन उसके समर्थन में जो तर्क दिया जा रहा है वो आधुनिक विज्ञान के सिद्धान्तों की आड़ में दिया जाता है।

प्रथम, आरक्षण की व्यवस्था स्वयं में समानता के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। लेकिन विस्तृत विश्लेषण के आधार पर संविधान निर्मात्री सभा ने इस तर्क को नकार दिया था और उसके बाद ही भारतीय समाज में छुआछूत और अनेक प्रकार की सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिये तथा समानता स्थापित करने के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। दूसरे, आरक्षण व्यवस्था से योग्यता की अनदेखी होती है। प्रशासन और शासन में अकुशलता आने का भय व्याप्त हो जायेगा। सक्षमता के बिना उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उत्पादन गिर जायेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रतियोगिता में शेष विश्व से पिछड़ जायेंगे। हम यदि ठण्डे दिमाग से सोचें तो इन तर्कों में भी सच्चाई कम और प्रोपगण्डा ज्यादा दिखाई देगा। आविष्कार करने की क्षमता और विकसित करने की क्षमता एक विशिष्टता है। आचरण व मानव स्वभाव की जिसके कारण अविष्कार और नवाचार होते हैं। उनको जन्म देने के लिये योग्यता की कम दृढसंकल्प की ज्यादा जरूरत पड़ती है। वह व्यक्ति आरक्षण की व्यवस्था से चयनित होने वाला भी हो सकता है और वर्ण व्यवस्था के उच्च सोपान पर भी बैठा हुआ भी हो सकता है। सबसे बड़ा आविष्कारक तो ईश्वर या प्रकृति है, जिसने सृष्टि की रचना की है। उस रचना में व्यक्ति प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है। भेदभाव का व्यवहार प्रकृतिजन्य नहीं है, बल्कि व्यक्तिजन्य है। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर भेदभाव की पोषक है। पुनर्जन्म का सिद्धान्त एक व्यक्ति द्वारा अनसुलझे प्रश्नों को शान्त करने के लिये बनाई गई अवधारणा है जिसके आधार पर कमजोर इंसान के साथ ताकतवर को नाइन्साफी करने का तर्कसंगत आधार मिल जाता है।

आरक्षण की व्यवस्था तो पहिले भी थी जब राजतन्त्र था। वह उच्च वर्णों का आरक्षण है। अब शासन व्यवस्था लोकतन्त्र की है तो कमजोर और शूद्र वर्ण के लोगों का आरक्षण तो होगा ही। लेकिन आरक्षण की विधा का सूत्रधार तो योग्यता ही है इस व्यवस्था से समाज को कम से कम नुकसान पहुँचे, ऐसे समाधान की ये उक्ति है। इसका विरोध करना लघुदर्शी और स्वयंघाती होगा।

आरक्षण के विरोध में तीसरा तर्क दिया जाता है कि इससे उस समाज का कुछ भी भला नहीं हुआ है, जिस समाज के लोगों के लिये व्यवस्था की गई थी। बल्कि आरक्षण के लाभ को कुछेक लोगों ने ही समेट लिया है। वे पिछड़ों के समूह में स्वयं अगड़े समूह हो गये हैं। वे आर्थिक रूप से सम्पन्न हो गये हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से भी ये पिछड़े नहीं रहे हैं। यहाँ इस तर्क को बढ़ाते हुये आर्थिक रूप से पिछड़े हुये लोगों को भी आरक्षण देने के लिये संविधान में संशोधन की मांग उठाई गई है और पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में क्रीमीलेयर के सिद्धान्त के सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है। एस.सी. व एस.टी. के लोगों के सम्बन्ध में भी इस सिद्धान्त को लागू करने के लिये आवाज उठाई जा रही है। दूसरी ओर पिछड़ी जातियों द्वारा क्रीमीलेयर के सिद्धान्त को खत्म करने के लिये संविधान में संशोधन कराने की मांग कर दी गई है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में ये संशोधन स्वीकार हो जायेगा। उधर आर्थिक आधार पर या धार्मिक आधार पर आरक्षण दिये जाने वाले कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक घोषित कर दिया है।

आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी लोगों के परस्पर झिड़काने की स्थिति में समझौता स्वरूप इन दोनों आधारों पर क्रमशः आर्थिक आधार पर और धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के लिये संविधान में संशोधन करने के लिये विचार बन जायेगा। आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षण का लाभ

लेकर मुख्य धारा में आने के बाद आने आप में एक त्रिशंकु का जीवन जीने को विवश है। क्योंकि जिस वर्ग से वे आगे आये हैं, वो वर्ग तो उन्हें अपनेपन की भावना से अब देखता नहीं है। क्योंकि वहाँ की सम्मानविहीन जिन्दगी उसे नागवार लगती है। समाज के उच्च वर्ग के लोग इस नवोदित प्रगति किये एस.सी. एस.टी. के व्यक्ति को आत्मसात करने को तैयार नहीं है। इसलिये उसकी स्थिति त्रिशंकु की है। अनेक त्रिशंकुओं का एक अलग समाज बना है, जो वर्ण व्यवस्था को तोड़ने में केटालिक एजेन्ट का कार्य कर रहा है। जब तक वर्ण व्यवस्था नहीं टूटती, जाति व्यवस्था टूट नहीं सकती। आरक्षण व्यवस्था को तब तक कायम रखना जरूरी है। कालान्तर में आरक्षण व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था और वर्णव्यवस्था टूटेगी। आरक्षण व्यवस्था भारत में तब तक कायम रहेगी जब तक भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था समाप्त होकर मानव जाति की व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती है। ये लोकतन्त्रात्मक शासन पद्धति से ही सम्भव होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। पांच हजार साल से आरक्षण का सुख भोगने वाले लोग पचास साल के आरक्षण के सुख भोगने वालों से घबरा गये और आरक्षण को समाप्त करने के लिये हिंसक व अहिंसक संघर्ष करने सड़क पर उतर आये। व्यवस्था को कमजोर करने। प्रजातन्त्र को कमजोर करने। यदि आरक्षण को खत्म करना है तो खत्म करिये जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को, जन्म आधारित जाति व्यवस्था को। विकसित होने दीजिये जातिविहीन समाज को।

अन्तर्जातीय, अन्तर्राज्य विवाहों को अपनाइयें। व्यवसायों का एकाधिकार तोड़िये। सबको अपनी योग्यता अनुसार व्यवसाय और कार्य करने दीजिये। पूँजी और संसाधनों के वितरण सब में हर तरीके से होने दीजिये ताकि प्रत्येक भारतीय की न्यूनतम आवश्यकतायें तो पूरी हों। होने दें वितरण पूँजी का और कृषि भूमि का सभी लोगों में सेवा करने वाला दुःख पाये, जबकि उसे तो माँ का स्थान दिया जाना चाहिये। उसके साथ होने वाला सदियों का शोषण समाप्त हो। शोषण करने वाला समाप्त हो। पोषण करने वाले आयें। मजदूर और किसान का सम्मान बढ़े। वो हालत बने तब आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करें। उससे पहिले नहीं। ये आरक्षण की व्यवस्था योग्यता पर ही आधारित है। सक्षमता के कारण ही चल रही है इसे समाप्त करने का प्रयास सफल नहीं होगा। वी.पी. सिंह, अर्जुन सिंह, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध अपने-अपने तरीके से भारत के सड़े-गले समाज में नवीनीकरण करके रहेंगे। इसमें किसी को कोई सन्देह नहीं होना चाहिये।

लेकिन विरोध थमने का का नहीं ले रहा है। एक्सपर्ट्स कमेटी आरक्षण की क्रियान्विति को मोनिटर करने के लिये, केन्द्र सरकार के मंत्रियों का समूह सर्वसम्मति निर्णय के लिये सुझावों को देने के लिये अगड़ों, सवर्णों के हितों पर कुठाराघात नहीं हो, इसलिये शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण में जाने वाली सीटों के बराबर अतिरिक्त सीटों के बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया है। यूथ फोर इक्विटी नामक आरक्षण का विरोध करने वाले संगठन को स्वयं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने उनके हितों की अनदेखी नहीं करने का आश्वासन दिया है। लेकिन ओ.बी.सी. को उच्च शिक्षण संस्थाओं में दिये जाने वाले आरक्षण पर आरक्षण खत्म करें। एस.सी., एस.टी. के भी क्रीमीलेयर वाले लोगों को आरक्षण देना बन्द करें। पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाये। आरक्षण का आधार जाति न होकर गरीबी माना जाये। उच्च शिक्षा संस्थान और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के बजाए, पिछड़े लोगों को योग्यता और औरों के समकक्ष लाने के लिये सकारात्मक

कार्यक्रम वृहद् स्तर पर चलाये जायें।

उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश और उच्च श्रेणी की सेवाओं, उच्च न्यायालयों के पदों पर, भारतीय फौजों में उच्च पदों पर भर्ती योग्यता और केवल योग्यता के आधार पर ही हो। अन्यथा इन सेवाओं में कुशलता और समक्षता का स्तर गिर जायेगा। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में भी आरक्षण नहीं लाया जाये, अन्यथा वहाँ की कुशलता, उत्पादकता और लाभांश का स्तर बहुत नीचे गिर जायेगा। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर प्रतियोगी नहीं रह पायेगी। 'देश के सुप्रसिद्ध पूंजीपति और कारपोरेट जगत की नामवर हस्तियों ने सरकार के निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने के विचार का इन ऊपर वर्णित तर्कों के आधार पर विरोध किया है।'

ये सारे तर्क अर्द्धसत्य से आच्छादित हैं। वास्तविकता ये है कि आरक्षण का विरोध करने वाले सवर्ण जातियों के कुछेक मुट्ठी भर वे लोग हैं जो सदियों से उच्च वर्ण में जन्म लेने के कारण पूर्व स्थापित विशेषाधिकार पूर्ण अघोषित आरक्षण व्यवस्था से जिसे सामाजिक व सांस्कृतिक मान्यता मिली हुई है, जो आज भारतीय जन मन-मानस में घर की हुई है, और रातदिन पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कच्छ से आसाम तक व्यवहार में है- ये सर्वाधिक लाभान्वित हैं। इन सवर्ण वर्ग की जातियों के ये लोग जो भारतीय ही हैं- का उच्चाधिकार प्राप्त राजनैतिक, राजनीतिक व आर्थिक पदों पर आधिपत्य हजारों सालों से है। धन-सम्पदा, स्थावर सम्पत्ति, जिनस बाजार, शेयर मार्केट, सर्राफा बाजार, विदेशों से होने वाले आयात-निर्यात व्यापार पर इनका ही तो एकाधिकार है ये निर्विवाद सत्य है कि संविधान प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था लोकशाही की व्यवस्था को भारत में अपनाने के कारण स्थान पा सकी है। ये आरक्षण व्यवस्था राजनैतिक उठा-पठक की देन है। इसलिये सभी राजनैतिक दल इसका समर्थन करते हैं। नीतिगत स्तर पर इसका विरोध कोई नहीं करेगा।

ऊपर से आरक्षण की व्यवस्था समानता के सिद्धान्त के प्रतिकूप दिखाई पड़ती है। इसलिये न्यायपालिका में इस व्यवस्था के विरोधी, याचिकाओं के माध्यम से इसे समाप्त करने के लिये, उसका दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन वस्तुतः भारतीय संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार के अनुपूरक के रूप में आरक्षण की व्यवस्था को प्रतिपादित किया गया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेकों बार अपने निर्णयों में आरक्षण की व्यवस्था को संविधान-सम्मत माना है। आरक्षण के विरोधियों का एक कट्टरपंथी समूह ऐसा भी है जो वर्तमान भारतीय संविधान को ही बदल देना चाहता है।

वर्तमान गणतन्त्रीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था को ही समाप्त कर देना चाहता है। क्योंकि ये संविधान और संविधान प्रदत्त व्यवस्थायें मूलतः वर्ण व्यवस्था और भारत की जाति व्यवस्था को समाप्त करने वाली हैं इसलिये आरक्षण के विरोधी अल्प मत वाले लोग मुगालते में हैं कि वे आरक्षण व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। वस्तुतः ये वे लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था की

पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं होने देना चाहते हैं।

आज जिधर देखिये उधर आम जनमानस को धार्मिकता की ओर मोड़ा जा रहा है। मण्डल आयोग के मन्सूबों को ठण्डा करने के लिये कमण्डलधारी लोगों को आगे कर दिया गया। विधायिका को पंगु बना दिया गया। न्यायपालिका का हस्तक्षेप कार्यपालिका और विधायिका के कार्यक्षेत्र में बढ़ा दिया गया। फिर भी यू.पी.ए. की सरकार ने वामपंथियों के समर्थन से ओ.बी.सी. को उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानों में आरक्षण दे दिया है। आरक्षण विरोधी मुट्ठी भर लोगों द्वारा बहुमत के हित में बनाई गई आरक्षण की व्यवस्था को यथास्थितिवाद के सहारे चले आ रहे अपने राजनय पदों, राजनैतिक पदों, मीडिया संसाधनों पर नियन्त्रण और आर्थिक संसाधनों की मजबूती के बल पर समाप्त करने के लिये जमीन-आसमान एक किया जा रहा है।

राजनैतिक दल सकते में हैं। कई सवर्ण नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन हम ऐसा करके देश के आम आदमी का, आम मजदूर किसान का और सदियों से आर्थिक तंगी भुगतने को मजबूर और सामाजिक मान-सम्मान से महसूस बहुमत भारतीय नागरिकों का भला नहीं कर रहे हैं। देश की गुलामी की ओर, आतंकवाद की ओर और आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने की दिशा में धकेल रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं।

इसलिये शोषण आधारित व्यवस्था को यदि समाप्त करना है तो सदियों से जिनका सभी प्रकार का शोषण किया है, उन्हें कुछ समय तो विशेषाधिकार आरक्षण की व्यवस्था से मिलने दो। देखिये कितनी जल्दी ये देश विश्व की महान शक्ति बनता है। ताजा हवा को अन्दर आने दो, खिड़की दरवाजों को खुला रहने दो। सड़ांध मार रही व्यवस्था को जितनी जल्दी हो, दफना दो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. एम.एन. श्रीनिवास-कास्ट इन माडर्न इंडिया ऐंड अदर एजेज, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बंबई 1962
2. क्षितिमोहन सेन- 'भारतवर्ष में जातिभेद' अभिनव भारतीय ग्रंथमाला, कलकत्ता, 1940
3. डॉ. मंगलदेव शास्त्री- भारतीय संस्कृति-वैदिक धारा, समाजविज्ञान परिषद्।
4. डॉ. नगेन्द्र सिंह, दलितों के रूपान्तर की प्रक्रिया।
5. एम.एन., श्रीनिवास, आधुनिक भरत में जातिवाद तथा अन्य निबन्ध, दिल्ली 1992
6. रजत रानी मीनू, नवें दशक की दलित कविता, दलित सहित्य प्रकाशन, नयी दिल्ली, 1996
7. शरण कुमार लिंबाले, दलित साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, प. 76-77
8. सोहनपाल सुमनाक्षर- विश्व धरातल पर दलित साहित्य, भारतीय दलित सहित्य अकादमी, दिल्ली, 1999

An Interpretive Study of the Narayanhiti Palace Museum (Kathmandu) Nepal

Dr. Poonam R L Rana*

*Associate Professor, Central Dept. of Nepalese history Culture & Archaeology, Tribhuvan University, Kathmandu, NEPAL

Abstract: This interpretive study of the Narayanhiti Palace museum explores the palace museum, provides brief knowledge about museum and the oldest museum at Chauneand gives historical background of Narayanhiti Palace Museum .The major objective of this study interprets about the Narayanhiti Palace museum and the available artefacts existing within this museum in brief.The methodology is qualitative approach based on exploration and interpretations. The paper interprets the various rooms used by our Royalties for various occasions, such as, formal meeting, credentials for diplomats, state visits, marriage, dinner parties. etc. This research paper takes the readers through various rooms of the museums. There are yet many rooms left to be opened. Just few years ago, the scepter room and the crown room has been opened under strict surveillance. Note: These are first hand information data collected through personal visits and self-observation.

Keywords: Narayanhiti, Museum, Palace, Royalties.

Introduction - The Nepali terms “Sangrha” means collections and “alaya.” means place. So, a place where old, historical, and cultural artefacts and art objects are gathered and presented is “Sangrhaalaya” .In English it is known as the museum. The Latin term, “museums” (or, less frequently, “musea”), is whence the English word “museum” gets its etymology. The word “museum” originates from the Greek word “Mouseion,” which signifies a place or temple dedicated to the “Muses,” the patron divinities in Greek mythology of the arts and knowledge. It is believed that Plato’s library was the first museum. Pausanias, however, mentions another location that he calls the “Museum,” which is a little hill in Classical Athens that faces the Akropolis. The hill was given the name “Mouseion” in honour of Mousaios, a man who used to sing there before passing away from old age and being buried there. The problem of study is that there are very few books related to study of Narayanhiti Palace Museum. In fact, there are no articles written related to it. This research in synopsis tries to explore and interpret and thereby fill that gap in knowledge. The major objective of this study interprets about the Narayanhiti Palace museum and the available artefacts existing within this museum in brief. The methodology is qualitative approach based on exploration and interpretations. primary data through museum observation and interviews and secondary through book of Buddhi Gurung for photographs related to the museum.

In London’s Oxford University, the world’s first scientifically equipped modern museum opened its doors

in 1683 A.D. The National Museum, now considered as the first museum in Nepal, was established at Chhauni. Referred to as the “Shilkhana” during the Rana Regime, this location housed and exhibited war weaponry. By the year 1938, this very “Shilkhana” was referred to as the National Museum in Chhauni.



Fig 1.: National Museum Chauni. (Source: National Museum website)

Numerous items belonging to the stone-age are kept in the National Museum at Chhauni, including paintings, manuscripts, fossil remnants, numismatics, potsherds, and metal, wood, and terracotta images. Dolls representing various cultures, lifestyles, attire, and accessories are gathered from all around the world including dolls and also ethnic museum section. It also stores other historically significant objects and has artillery that were used by the Nepal Army can be seen here.

The Department of Archaeology was established in 1952 A.D. It encompasses the entire collection of ancient,

historical wooden, and bronze artistic artefacts as well as the National Achieves from the National Museum of Chhauni, the Kathmandu Museum at Hanumandhoka, the Patan Museum at Patan, and the Bhaktapur Museum at Bhaktapur.

Why is museum important?

1. Museum is important for people of all genders, classes, races, and creeds, museums are vital. It serves as a location for entertainment, relaxation, and education.
2. The national governments of the various nations own their museums. Therefore, the museum is quite significant from several angles.
3. The primary sources of historical evidence are artefacts that hold significant historical, cultural, and archaeological value. History would be incomplete without it.
4. The creation of the nation's history is facilitated by the study of these antiquated collected artefacts, objects, inscriptions, manuscripts, paintings, sculptures, and other historically significant artefacts from various periods. Therefore, museums are crucial to the process of creating the nation's true history.
5. A museum is very significant from a cultural perspective. Nepal is home to many different ethnic groups, geographical locations, climates, and cultures in Nepal. when their materialistic artistic cultures, as well as their way of life as represented by their clothing, jewellery, and musical instruments, are conserved and presented. It will aid in the public's knowledge and comprehension of the cultures of many communities.
6. The museums also store, protect, and exhibit old religious manuscripts known as grantha, as well as pictures and paintings of numerous gods from diverse eras and religions. One can learn about the state of religion during that time by looking at and analyzing these artefacts. Hence, it is important from religious point of view.
7. The museum aids in advancing tourism. In addition to generating income and creating jobs, it aids in the preservation of rare, priceless, historical, and ancient objects that otherwise could disappear. Considering all of these factors, museums play crucial role in preserving, conserving and promoting ancient historical materials of all kinds.

In order to fulfill the research objective, it interprets about the Naryanhiti Palace museum and the available artefacts existing within this museum in brief.:

The Narayanhiti Palace Museum: The Narayanhiti Palace Museum is classified as a "Governmental Museum Category" between governmental and private museums. It was once the palace of Rana's and Shah rulers of Nepal. The Royals left the palace grounds in 2006–2007 A.D. as a result of political unrest and change, and as a result, the palace was converted into a museum. The Shah Dynasty's history is highlighted by this museum.

The Narayanhiti Palace Museum is home to a variety of artefacts that were once owned by the King, Queen, and other members of the Royal family. These include ceramics, clothing, books, various rooms within the palace premises, the Royal throne, the Royal crown, the Sceptre, medals, priceless paintings, images from different eras, ancient Thankas, decorative pieces, chandeliers, animal heads and skins, stables, cowsheds, worship rooms, helipads, and the palaces that were constructed within the grounds of the Palace Museum.

Several valuable and uncommon archaeological items from various eras used by the Royalties may be found in the Narayanhiti Palace Museum. This museum contain numerous closed parts that contain priceless items that are currently considered valueless.



Fig 2: Narayanhiti Palace Museum . Source: BuddhiGurung.

Earlier this palace was made in Neo-Classical architecture. It was after the 1934 great earthquake it was badly damaged. The early palace of Shah rulers was at Hanumandhoka. While Narayanhiti was the actual palace of Shri Tin Maharaja RanouddipNarsingh Rana



Fig 3: Narayanhiti Palace earlier before 1934 great Earthquake b.)Shri Tin Ranouddip N Rana

To safeguard the Shah Prince SurendraVikram Shah from his step mother, he was brought to the palace of Shri Tin Ranouddip. Later his predessors made Naranhiti their home palace.

Following the assassination of Shree Tin Ranodeep Singh Rana in 1885 A.D., BirShumsher was appointed premier. He promptly destroyed the palace where Shri Tin Ranodeep Singh was killed and, at Joglal's recommendation, rebuilt a new palace. After inhabitation by Shah rulers until 2007 when Kingship changed to New Nepal and new constitution. This palace became a museum.

The Open / Closed Doorways of the Naranhiti Royal Palace Museum:



Fig 4: Gauri Shankar Gatewa. Source: BuddhiGurung

This Narayanhi Palace Museum has ten main entrances. These gateways, which are located throughout the palace, serve as the entrance on various occasions and times. The names of these Gateways are derived from different Himalayan peaks. Below is a list of the names.

"Gauri Shankar Himal" is the name of this entrance. It can be found in the section marked "Welcome and Royal Program." There are auspicious symbols engraved on its wooden entrances, including depictions of the Elephant God Lord Ganesh who is said to remove obstacles, the Elephant God's brother Kumar symbolizing fearlessness, the Lotus Padma a sign for purity, and the water pot Kalas filled with water is an auspicious sign for welcome. (BuddhiGurung, 2018, Interview). The other gateways and its detail study is open for further research.

The "Three Sections" of the Palace Museum can be reached via the one-way pathway that leads to the Narayanhi Palace Museum. Only 19 of the Narayanhi Palace's rooms are currently available for exhibition. Many of the rooms at the Palace museum are currently closed since they are not a part of this "one-way route," which makes it impossible for visitors to visit.

This research paper visits the nineteen rooms and in synopsis interprets the findings. Majority are self-observation and few are via content study:

The Welcome and Royal Program Rooms.

The Royalties welcomed foreign dignitaries and others who came for state visits in these rooms. Such rooms were termed as "Baithaks" today "Drawing-room"

The Kaski Baithak (Drawing-room)



Fig 5 'The Kaski Drawin-room. Source: BuddhiGurung)
 Among the exhibited 19 rooms , this KaskiBaithak, is the

first room visited by those who come to see the museum. This room is named after 'Kaski District' of Nepal. It is an important room where His Majesty's welcomed numerous foreign dignitaries who came for 'State Visit'. Since the time of His Majesty's it was known as the "Welcome Room". Here 'Oath Taking Ceremony' and giving credentials to the diplomats were conducted. Besides this 'State Dinners' 'Birthday celebrations were conducted here. In fact, His Majesty King Gyanendra Shah called the last 'Press-Conference' here before he left the Narayanhi Palace.

Myagdi Baithak(Drawing -room)



Fig 6: Myagdi Baithak (Drawing room) Source: Buddhi Gurung

This drawing room has the name of the Nepali district of Myagdi. Following the reception of the Head of State and the foreign diplomats' presentation of credentials to HM the King, they were escorted to the Myagdi Drawing Room for tea and coffee. The "Tea Room" was another name for this Myagdi drawing room. The oldest Royal family member interacted with other family members while seated in the Myagdi drawing room during feasts. "Photo Frames" of foreign heads of state have been used to embellish the drawing room's left and right walls.

Then the visitors can go to :

Parbat Room



Fig 7: Parbat Room . Source :BuddhiGurung

This room is named after Nepal's Parbat area. This was the room where visiting foreign guests were required to sign the 'Visitors' Book. When royal banquets were held in the

Kashki drawing room, the younger members of the royal family danced and enjoyed themselves in this Parbat Room. This chamber contains gifts that Heads of State and National Leaders of other countries have given to their Majestys on their birthdays. This room also has gifts that "Their Majesty" had received on Royal Visits to other countries.



Fig 8: Gifts displayed in this Parbat Room. Source: BuddhiGurung

Then the visitors can visit :**Rukum Drawing Room**



Fig 9: Rukum Drawing Room. Source: BuddhiGurung

The Rukum district inspired the name of this drawing room. The ADCs of the foreign head of state are housed in this chamber. The visiting foreign head of state is greeted by high ranking government officials in this "Rukum drawing room" when they schedule a meeting with him.

When the Royalties hosted their "Family Dinners" at the "Kaski drawing room," the younger members of the family gather in the "Rukum drawing room." A portrait of His Majesty King Birendra and Queen Aishwarya, created by a Chinese artist using real hair, is displayed on the drawing room's left wall. Alongside this is a variety of books and more ornamental items. can be seen



Fig 10: Photo of his Majesty made with human hair by Chinese Artist

Rolpa Drawing Room



Fig 11a,b:Rolpa Drawing room .Source: BuddhiGurung

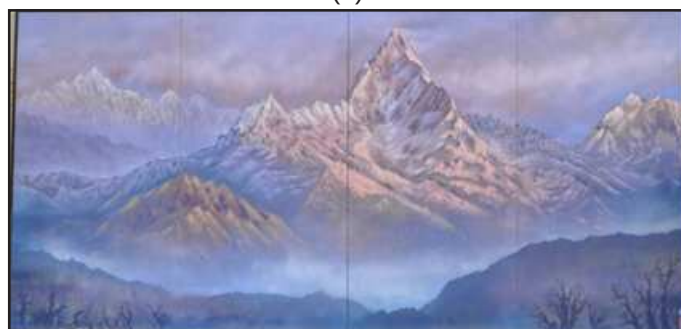
The Head of State, high post officials, key guests, and both domestic and foreign visitors gathered in this drawing room, which was named after the Rolpa district of Nepal, for discussions and meetings.

There are paintings in this room depicting various birds that can be found in Nepal. A picture of the Taj Mahal, which GirijaPrashadKoirala gave to HM King BirendraBir Bikram Shah on his 54th birthday, is also on display in this area.

Additionally, Japanese artist Shun Komi Yama gave HM King Birendra a picture of Mount Machhapuchhre Himal painted by him.



(a)



(b)

Dailekh Room



Fig 12: Dailekh Room (Source BuddhiGurung)
 The Dailekh district of Nepal is honoured in the name of this room. The Head of State or other notable visitors who were in town for a state or royal visit used this Dailekh Room as their bedroom.

Baitadi Room



Fig 13: Baitadi Room. Source: BuddhiGurung
 This chamber bears the name of the Nepalese district Baitadi. This room is significant on its own. When the head of state was visiting His Majesty, his spouse accompanied him and used it. In the event that a lady was the honorary guest of His Majesty, her female attendants would have used the Baitadi Room.

Then the visitors can go to Achham Room

Achham Room



Fig 14: Achham Room. Source: BuddhiGurung
 This chamber is named after the Achham district in Nepal. This room was used as a bedroom for the children and family accompanying the Head of State on the Royal Visit. Then tour takes us to

Bajura Dining Room



Fig 15: Bajura Dining Room. Source BuddhiGurung
 This chamber bears the name of the Nepalese district of Bajur. This was the dining room used for the foreign head of state's visit. When the head of state paid a long visit, he had the opportunity to invite the queen and king to sample the national dish before they all ate supper together. In addition, It was here Princess Shruti and His Majesty's son-

in-law's Gorakh Shumsher at their wedding, sampled 84 different traditional cuisine. (Rituals of "CHAURASIBYAN GAN")



Fig 17: The Royal family organizing the 84 variety of food for the groom to taste (Nepali custom) Source BuddhiGurung.

Then the visitors can visit the next room used by his Majesty's.

Jumla Drawing Room



Fig 18: Jumla Drawing room. Source: BuddhiGurung

The foreign head of state who was visiting used this room as a place to rest both before and after their lunch. Additionally, this space was used for program planning and scheduling verification.

The "one way route," which is now open for public inspection, does not include the upper floor, which houses the Visitors and Guest Section. Other rooms have names corresponding to the districts in which they are located. 1. The Humla Room. 2. The Dharchula Room

Some of these rooms are yet to be opened for public viewing, as they do not fall into the one-way path corridor. The other rooms visitors can view are:

Dolpa Drawing room



Fig 19: Dolpa Drawing-room. Source: B.Guring.

In honour of the Dolpa district of Nepal, this drawing

room has that name. It is known as the "Welcome & Royal Programme Section". Royal family members who were unable to visit the Gorkha Drawing Room for special Royal Programmes, they watched it from the Dolpa Drawing Room. A unique black one-sided viewing mirror in the middle of the Dolpa and Tanahu Drawing Room allows viewers to clearly observe the programs offered in the Gorkha and Tanahu Drawing Room, but they are unable to see anything from that room on the opposite side.



Fig 20 : One sided dark mirror between Dolpa & Tanahu
Beside this now crown and scepter room has been opened for public.



Fig 21 a) Scepter Fig 21 b) The Royal Crown (Shripech)
Now the visiting tourist can see this too under strict surveillance



Fig 22. Royal Dining Room used during State Visits.
The visitors can see this area as they walk pass the one way path corridor.

There exist lower floor guest sections that comprise of various rooms. (Self observation)

The rooms used by the members of the Royal family for the various ceremonies and programs were featured in this section. For the members that travel with the Head of State on formal or royal visits, there is also a bedroom.

There is a bar included as well. The districts of Nepal that each of these rooms is named after are as follows:

1. The drawing room of Surkhet
2. The Rohandehi chamber
3. The drawing room of Kalali
4. The Doti chamber
5. The Chitwan Room
6. The Kapilvastu chamber
7. The Parsa chamber
8. The Bardiya Room
9. The Jajarkot chamber
10. The Sarayan Room

There are also rooms in this part without names corresponding to Nepali districts. These spaces are employed for a variety of tasks, including:

11. Ground level kitchen.
12. Gorgeous Saloon
13. Inside the Doti, a storeroom
14. Storage area close to the Bardiya area
15. Dressing room close to the gateway to Sagarmatha.

None of the rooms listed above are located on the one-way path that is accessible to the public. Therefore, this part has not yet been opened. Upon the public opening of the portion featuring the Royal crown and other historical artefacts, a few chambers within this section will be made accessible for public viewing.

The Dhading Chamber

The Dhading district in Nepal is the inspiration behind the name of The Dhading Room. This is under the Royal Palace's "Private Section" for him. His Majesty changed into new clothes in this room, where he also perused the newspapers and television news and shows. His Majesty slept in this room following his afternoon meal. It is for this reason that this Dhading room is called the "Dressing and Resting Room."

Dhankuta Assembly Hall (visitors can see this room)

Note: Shri Sadan is the real dwelling place of their Majestys. This area was utilized mostly when foreign delegates, Diplomats and people of State visit came. This small bedroom was utilized only in case, they had to leave for foreign lands on Tuesday and Saturday, (firstly) they avoided it however, if it was planned then, they shifted to this bedroom from Shri Sadan. Then left the palace for their 'State Visit' the next day.

The Dhankuta district is the inspiration behind the naming of this room. "Their Majesty" utilized this as their bedroom. This room is smaller than the other rooms of Narayanhiti Royal Palace in order to make it earthquake proof. According to the theory, a tiny space will have a small ceiling, meaning there will be fewer opportunities of it collapsing. Considering this, the Dhankuta room appears diminutive in comparison to the other rooms within the Royal Palace.

There are picture frames in this area featuring members of the Royal family. Additionally, a picture bearing

the following text is presented

“Atamakoparatmasambandharahejahai

“Meana mana timro Archana ma dubirahos,” that is to say The soul is connected to the Almighty, just as May my heart be immersed in your adoration forever, too.

Chandani Shah.(Her Majesty Queen)

Drawing rooms and other rooms that do not fall under the one-way route created by Narayanhiti Palace Museum are located within this “Private Section,” and as such, these rooms have not yet been opened. In near future it will be open.

Thus it can be concluded that this primary research based on self observation and interview has fulfilled the task to interpret about the Narayanhiti Palace Museum and the available artefacts existing within this museum in brief. Thus the objective of this research has been fulfilled. in interpreting about the Narayanhiti Palace Museums and objects and artefacts used by their Majestys.

This research lacks citations because majority data has been collected through self observation and visits to the Narayanhiti Palace Museum however, the source for the photographs are of MrBuddhiGurung. The researcher

has reviewed various Nepali books related to the Royalties and had informally interviewed worker of the palace museum, who worked there since the time of his Majesty's. The outcome is the Bibliography.

References:-

1. Nepal Samikchyatmak Etihās, - Shri Ramprashad Upadhyay: Sajha Prakashan Chhapakhana, Pulchowk, Lalitpur, (V.S. 2055)
2. Nepal Adhirajyaka Bibhushanharu-Bibhushan Samiti, (V.S. 2024) Shri Saraswati Press Ltd., Calcutta, India.
3. Puratatwik Parechaya-Dr.Pesal Dahal/ Som Prashad Khatiwada: M.K Publishers & Distributers, Bhotahiti, Kathmandu (V.S. 2058).
4. Rana Sasan Ko Britanta- Pramod Susher Rana: Pairabi Book House, Putalisadak, Kathmandu (V.S. 2058)
5. The Coronation Book of their Majesties of Nepal, Adhyacharan Rajbhandari: Temple Press, Calcutta, India.

Interview:-

1. Mr. Buddhi Gurung (2012) An official at the Royal Palace since the time of his Majesty

प्रेमचंद की कहानियों में दलित नारी पात्र

मनोज कुमार सरगड़ा*

* हिन्दी साहित्य, मु.पो. गलियाकोट (हरीमगरी) तह. गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – प्रेमचंद हिंदी एवं उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। 1906 से 1936 के बीच लिखा गया उनका संपूर्ण साहित्य देश का सामाजिक, सांस्कृतिक दस्तावेज है। तत्कालीन सामाजिक सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री-पुरुष समानता आदि उस समय की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां तथा डेढ़ दर्जन उपन्यास लिखे।

प्रेमचंद की कहानियां मानव मन के अनेक दृश्यों, चेतना के अनेक स्तरों का, सामाजिक कुरीतियों का तथा आर्थिक उत्पीड़न के विविध आयामों का अपनी संपूर्ण कलात्मकता के साथ अनावृत करती हैं। कई ऐसी रचनाएं हैं जो विचार और अनुभूति दोनों स्तरों पर पाठक को आज भी आंदोलित करती हैं। वे एक कालजयी रचनाकार की मानवीय गरिमा के पक्ष में दी गई उद्घोषणाएँ हैं। सामाजिक रूप से उपेक्षित, अधिकारहीन, यंत्रणा का शिकार मनुष्यों के प्रति प्रेमचंद की लेखनी हिंदी कथा साहित्य की अनमोल निधि हैं।

नारी के प्रति दृष्टिकोण – नारी के उदात्त गुणों के कारण प्रेमचंद नारी को पुरुषों से श्रेष्ठ मानते हैं। उनके हृदय में नारी के प्रति अगाध श्रद्धा है। उनका मानना था कि नारी पात्र साहित्यकार की कल्पना मात्र नहीं है अपितु भारतीय नारी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके नारी पात्रों में हमें एक मां, पत्नी, प्रेमिका, बहन, सौतेली मां, मित्र, गणिका, भाभी, ननद, समाज सुधारक, देश प्रेमी, परिचारिका, आश्रिता आदि के विविध रूपों के दर्शन होते हैं। अपने उपन्यासों, कहानियों में नारी पात्रों को पुरुष के समान अधिकार संपन्न चित्रित किया है। वे पात्र, दीन दुखी तो हैं पर वे सशक्त हैं। अपने साथ हो रहे अत्याचारों के प्रति लड़ने में सक्षम हैं। नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए गोदान उपन्यास में उन्होंने लिखा है- जब पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है और अगर नारी में पुरुषों के गुण आ जाए तो वह कुलटा बन जाती है। इन पंक्तियों में प्रेमचंद का नारी को देखने का संपूर्ण नजरिया बयां हो जाता है।

प्रेमचंद अपनी रचनाओं में नारी चरित्रों को कर्मशील, शक्तिशील और साहसशील चित्रित कर पुरुष के समकक्ष प्रस्तुत करते हैं पर उनकी नैसर्गिक, अस्मिता, गरिमा और कोमलता को वह क्षीण नहीं होने देते। वे नारी को प्रेम की शक्ति का रूप मानते हैं। वे नारी के अंदर सेवा, त्याग, बलिदान,

प्रगतिशीलता, कर्तव्य, ज्ञान और पवित्रता आदि उदार भावों को देखना चाहते हैं। नारी के इन्हीं गुणों को अपनी कहानियों में स्थान-स्थान पर चित्रित करके दिखाया है। प्रेमचंद के पात्रों के संबंध में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान कहते हैं- कहानियों के पात्र बहुमुखी व विविध हैं। इसका कारण प्रेमचंद के निजी अनुभव, विस्तृत ज्ञान, दार्शनिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक व्यवस्था के प्रति रुख और इन से भी बढ़कर सर्व प्रमुख बात आसपास की बिखरी जिंदगी में विचर रहे मनुष्यों को भीतर से जानने का प्रयास। लेखक का व्यक्तित्व भी वही विकास पाता है जब वो निम्न मध्यवर्ग, श्रमिकों, दलितों व कृषकों के जीवन संघर्ष को लेखनी में साकार करने को आतुर हो उठते हैं।

प्रेमचंद दीन दलित पर होने वाले अत्याचारों के साक्षी रहे हैं। इसलिए उनकी कहानियों में उभरी चिंतन की भूमि बिलकुल स्वाभाविक और हर युग में प्रासंगिक है। उनकी कहानियों में अधिकांश पात्र दलित वर्ग से संबंध रखते हैं। जिन की दयनीय स्थिति का वर्णन मिलता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में दलित मानवता तथा स्त्रियों के प्रति सहानुभूति का भाव प्रदर्शित किया है, इनका आदर्शवाद इनकी ऐसी सहानुभूति का परिणाम है।

प्रेमचंद की पहली रचना के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि - प्रेमचंद की पहली रचना, जो अप्रकाशित ही रही, शायद उनका वह नाटक था जो उन्होंने अपने मामा जी के प्रेम और उस प्रेम के फलस्वरूप चमारों द्वारा उनकी पिटाई पर लिखा था। इसका जिक्र उन्होंने शपहली रचना नाम के अपने लेख में किया है। संभवतः इसी घटना के पश्चात दलित जीवन को निकट से देखने का अवसर मिला हो। बीबीसी हिंदी में प्रकाशित विनोद वर्मा के साथ हुए साक्षात्कार रचना दृष्टि की प्रासंगिकता - मन्मथ भंडारी प्रेमचंद के विषय में बताती है कि साहित्य के प्रति और साहित्य के हर दृष्टि के प्रति यानी चाहे राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी को उन्होंने जिस तरह अपनी रचनाओं में समेटा और खास करके एक आदमी को, एक किसान को, एक आम दलित वर्ग के लोगों को वह अपने आप में एक उदाहरण था। साहित्य में दलित विमर्श की शुरुआत शायद प्रेमचंद की रचनाओं से हुई थी।

प्रेमचंद प्रगतिशील विचारधारा के कथाकार हैं। उनकी शोषित, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित मानवता के प्रति गहरी संवेदना है। दलित जीवन को समग्रता से देखते हुए उन्होंने अनेक कहानियां लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित दलित

जीवन पर आधारित कहानियों के नारी पात्रों का अध्ययन करना हमारा अभीष्ट है -

दलित जीवन पर आधारित कहानियां

ठाकुर का कुआं - दलित जीवन पर आधारित प्रेमचंद की यह पहली कहानी है। इस कहानी की नायिका गंगी है। गंगी विद्रोही स्वभाव की है। सामाजिक विषमता के प्रति गंगी का हृदय विद्रोह कर उठता है। वह सोचने लगती है - 'हम क्यों नीचे हैं, और वे लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि वे लोग कान में तागा डाल लेते हैं? चोरी वे करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे वे करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़रिया की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद को मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो बारहों मास जुआ होता है। मजूरी देते नानी मरती है। किस बात में हैं हम से ऊंचे? हां मुंह में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव आ जाती हूं तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं। जैसे सब की छाती में सांप लोटने लगता है, परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। यह गंगी का क्रांतिकारी स्वर है। इस देश की भयानक कुरीति पर सीधा प्रहार है। इसके साथ गंगी सामाजिक विषमता का दंश झेलते हुए भी अपने पति के प्रति वफादार है। पत्नीधर्म का तन, मन, धन से पालन करती है। जब जोखू प्यास के मारे गंदा पानी पीने को मजबूर हो जाता है तब गंगी उसे वह गंदा पानी पीने से रोकती है। वह इसलिए क्योंकि वह अपने पति से प्रेम करती है इसलिए जान संकट में डाल कर ठाकुर के कुएं से पानी लाने का साहस दिखाती है। अतः गंगी साहसी और निडर होने का परिचय देती है।

मूठ कहानी - इस कहानी में बुद्धू चौधरी की पत्नी बुढ़िया प्रमुख नारी पात्र है। वह चतुर है। और समय अनुकूल आचरण करने में कुशल है। अच्छे अच्छों को देवता का भय दिखा कर अपने बस में कर लेती है। गांव के डॉक्टर जयपाल मूठ में विश्वास करते हैं। बुढ़िया इसी का फायदा उठाकर पांच सौ रुपए वसूल कर लेती है। उसकी चतुराई का वर्णन कहानीकार ने इस प्रकार किया है। वह डॉक्टर से कहती है - 'आप बहुत देंगे, सौ पचास रुपये देंगे। इतने हमें कै दिन तक खाएंगे। मूठ फेरना सांप के बिल में हाथ डालना है, आग में कूदना है।' वह गरीब है इसलिए अवसर का लाभ उठाना बखूबी जानती है।

घासवाली - दलित जीवन को नवीन दृष्टिकोण से देखने वाली यह कहानी है। इस कहानी की नायिका मुलिया है। मुलिया एक गरीब दलित नारी पात्र है। वह ठाकुर चौन सिंह की अश्लील हरकतों से अपने सतीत्व की और यौन पवित्रता की रक्षा करती है, जो दलित नारी की यौन - नैतिकता का प्रमाण है। मुलिया चमारिन है, सुंदर है तो क्या इसी कारण कोई ठाकुर उसकी यौन शुचिता भंग कर सकता है? वह चौन सिंह को निरुत्तर करती हुई कहती है - 'अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता, तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने को तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो! क्या समझते हो महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, अपनी मर्यादा का विचार नहीं। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीचे नहीं हूं कि (पति के) विश्वास का बदला खोटे से दूं।' इस कथन से मुलिया का आत्मसम्मान, जातीय गौरव एवं पति के प्रति समर्पण भाव की झलक मिलती है। मुलिया रूपवान नारी है। उसके सौंदर्य का वर्णन कहानीकार ने इस तरह किया है - 'मुलिया इस ऊसर में गुलाब का फूल थी। गेहुआ रंग था, हिरण की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी

बड़ी नुकीली पलकें।.... वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश, सुनहरे आवरण में रंजित, अपनी छटा बिखेरते जाता हो।' तभी तो उसके रूप माधुर्य पर मुग्ध होकर ठाकुर उसका कुत्ता होना चाहता है। मुलिया का प्रभावशाली व्यक्तित्व है। मुलिया चमारिन होते हुए भी अत्यंत रूपवती है और सारे गांव में उसके रूप के चर्चे हैं। साथ ही वह वाक्य कला में निपुण है। उसका आंतरिक व्यक्तित्व प्रभावशाली है, तभी तो मुलिया की भावपूर्ण लताइ से चौन सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह एक गुस्सैल, निर्दयी जमींदार से बदल कर एक सहृदय व्यक्ति बन जाता है। मुलिया आत्मनिर्भर नारी है। दिन भर घास छीलकर घोड़े का पालन - पोषण करती है।

दूध का दाम - इस कहानी की नायिका भूंगी है। वह त्याग, सेवा, समर्पण की प्रतिमूर्ति है। बाबू महेंद्र नाथ के घर जब चौथे बच्चे का जन्म हुआ तब पूरा वातावरण प्रसन्न चित्त हो गया। किंतु यह खुशी ज्यादा बड़ी नहीं थी। मालकिन अपने बच्चे के प्रति ममत्व तो दिखा सकती थी लेकिन दूध की कमी के कारण अपना दूध नहीं पिला सकती थी। बच्चे को जीवनदान देने के लिए उन्हें भूंगी की सहायता लेनी पड़ती है। मालकिन भूंगी के समक्ष गिड़गिड़ाते हुए कहती है - 'भूंगी, हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए, बैठी खाती रहना। पांच बीघे माफ़ी दिलवा दूंगी। नाती पोते तक चौन करेंगे।' भूंगी अपने दूध का दान कर देती है। दूध दान का ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने मिलता है। मानवता की मिसाल प्रस्तुत कर भूंगी का चरित्र अमर हो जाता है।

आगा-पीछा - सुखिया इस कहानी की प्रमुख नारी पात्र है। सुखिया चमारिन भाग्यवादी नारी नहीं है। वह निडर और साहसी, प्रतिक्रियाशील नारी है। इस कहानी में सुखिया अंधविश्वास का डटकर विरोध करती है। वह दलित स्त्रियों में सामाजिक चेतना जगाने का प्रयास करती है। धार्मिक पाखंड और जड़ीभूत कुप्रथाओं का डटकर मुकाबला करती है। अंततः सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हुए अपने प्राण त्याग देती है।

कफन - दलित जीवन पर आधारित यह कहानी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी की नायिका बुधिया है। इस कहानी की घटना के केंद्र में वह है। बुधिया बदकिस्मत दलित नारियों का प्रतीक है। गरीबी, लाचारी, बेबसी उसकी नियति है। बुधिया का परिचय कहानीकार ने इस तरह दिया है - 'जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बे-गैरतों का दोजख भरती रहती थी।' इस कथन से बुधिया के महत्व का आंकलन किया जा सकता है। वह परिश्रमशील नारी थी। मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन कर आत्मनिर्भर होने का परिचय देती है। खानदान में व्यवस्था की नींव डालने वाली स्त्री ही होती है। इस कहानी में बुधिया इसका प्रमाण देती है।

सदगति - उच्च वर्ग की दलित वर्ग के प्रति कुत्सित सोच की कहानी है। दुखी चमार की पत्नी झुरिया इस कहानी की मुख्य नारी पात्र है। वह गृहिणी है। पति का हाथ बटाती है। सामाजिक विषमता का दंश झेलती हुए भी प्राचीन परम्पराओं का पालन करती है। भाग्य के समक्ष नतमस्तक है। दुखी जब चिंतित होता है तब उसका साथ देते हुए वह कहती है - 'पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ। लेकिन हां, उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूं?' सदगति के बजाय यह दलित जीवन की दुर्गति की कहानी है।

निष्कर्ष – प्रेमचंद की कहानियों के नारी पात्र कर्मठ, संघर्षशील पात्र हैं। सामाजिक रूप से उपेक्षित, अधिकारहीन, यंत्रणा का शिकार मनुष्यों के प्रति प्रेमचंद की लेखनी हिंदी कथा साहित्य की अनमोल निधि है। उनके पात्र समकालीन जीवन सत्यों से निर्मित होने के कारण जीवंत हो जाते हैं। प्रेमचंद दीन दलित पर होने वाले अत्याचारों के साक्षी रहे हैं, इसलिए उनकी कहानियों में उभरी चिंतन की भावभूमि बिल्कुल स्वाभाविक और हर युग में प्रासंगिक है। निम्न वर्गों के पात्रों की स्थिति बड़ी दयनीय होती है किंतु उनका आत्मबल प्रबल होता है। दलित नारी पात्र अनपढ़ हैं। किंतु उनका व्यावहारिक ज्ञान उच्च कोटि का है। जीवन के कठिन से कठिन समस्याओं का डटकर मुकाबला करती हैं। पराधीन काल में गंगी का सामाजिक वैषम्य के प्रति क्रांतिकारी स्वर गूंजता है तो सुखिया का दलित स्त्रियों में सामाजिक चेतना जगाने का भाव प्रकट होता है। बुढ़िया की चतुराई प्रगट होती है तो बुढ़िया की आत्मनिर्भरता दिखाई पड़ती है। भूंगी का त्याग एवं परोपकार मानवता का सर्वोत्तम उदाहरण है तो, मुलिया का आंतरिक व्यक्तित्व, ऊंची जाति का दंभ भरने वाले ठाकुर के मुंह पर करारा तमाचा है।

ये उदात्त भाव प्रेमचंद के नारी पात्रों में मुखरित होते हैं। अतः समस्त नारी पात्र, महिला सशक्तिकरण की मिसाल प्रस्तुत करते हैं। उनमें युगीन परिस्थितियों के अनुसार आचरण करने की क्षमता है। आत्मबल एवं प्रतिरोधक क्षमता के कारण दलित नारी पात्र पाठकों के मन में अमिट छाप छोड़ते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रेमचंद और उनका युग, रामविलास शर्मा, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली 2008
2. रचना दृष्टि की प्रासंगिकता- मन्मू भंडारी, बीबीसी 7 अगस्त 2007
3. प्रतिनिधि कहानियां- प्रेमचंद राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2018
4. कहानीकार प्रेमचंद एक पुनर्मूल्यांकन, डॉ. एम सी जोशी, अभिव्यक्ति प्रकाशन 1999
5. प्रेमचंद एक विवेचन, इंद्रनाथ मदान, राधाकृष्ण प्रकाशन, इलाहाबाद।
6. गबन, मुंशी प्रेमचंद, श्री प्रकाशन दिल्ली 110002

मालवा के खिलचीपुर राज्य का उदय एवं विस्तार एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. ओमप्रकाश गेहलोत*

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, शामगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – खिलचीपुर राज्य का उदय कैसे हुआ? इस संबंध में अलग-अलग ग्रंथों में अलग-अलग जानकारी प्राप्त होती है। इस संबंध में शोध कार्य करने पर प्रथम ग्रंथ खि.रि.की ह.ख्यात से जानकारी प्राप्त होती है। जिसके अनुसार जब रायसल के द्वारा गागरोनगढ़ का क्षेत्र दबा लिया तो, उस परिस्थिति में उसने खाताखेड़ी के भील ठाकुर चक्रसेन और रामकिशन की मदद से मनोहर थाना के क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया। इन दोनों शासकों की मदद से वह बादशाह शेरशाह से मिला और बादशाह की शाही सेवा में सम्मिलित हो गया, उसने बादशाह शेरशाह की सेवा मन लगाकर की। अवसर पाकर उसने रायसल के द्वारा धोखा करने की कहानी बादशाह को सुनाई। बादशाह ने प्रसन्न होकर उसको गागरोन तो समर्पित नहीं किया, क्योंकि वह क्षेत्र अब रायसल के नाम मुगल सत्ता ने स्वीकार कर रखा था। अतः उसको एक नवीन राज्य जो कि सारंगपुर के पास में स्थित खेजड़पुर था। वहाँ पर जाकर अपना राज्य स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। उग्रसेन ने मालवा में आकर नाहरदा नामक गाँव बसाया और वहाँ पर निवास करना शुरू किया और खेजड़पुर का नाम खिलचीपुर कर 1544 ई. में राव उग्रसेन के नाम से गद्दी पर बैठा, परंतु खि.रि.की ह.लि.ख्यात में उल्लेखित इस घटना का समर्थन भ.रा.मं. ग्रंथ एवं मालवा का गजेटियर के आधार पर नहीं होता। इन दोनों ग्रंथों के आधार पर ज्ञात होता है, कि राव उग्रसेन को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर मुगल बादशाह अकबर ने खिलचीपुर की सनद प्रदान की थी।¹

तत्कालीन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है कि मऊगढ़ का शासक वेणीदास का बेटा राव दब्बूजी 1505 ई. में मऊ की गद्दी पर बैठे। उनकी दो रानियाँ थी। एक दाडमदे कंवर और दूसरी कसमावती राठौरनी और इसी दूसरी रानी के दूसरे पुत्र मानसिंहजी राव दब्बूजी के पश्चात् गद्दी पर बैठे। इनकी दो रानियाँ थी, इनमें से दूसरी रानी बखतकंवर गेहलोतनी के पुत्र चक्रसेन एवं उग्रसेन थे। उन्हीं में से मानसिंह के द्वितीय पुत्र उग्रसेन ने 1544 ई. में खिलचीपुर राज्य की स्थापना की।²

इस प्रकार स्पष्ट है कि खिलचीपुर राज्य की स्थापना 1544 ई. में मानसिंह के द्वितीय पुत्र उग्रसेन के द्वारा की गई। जिसका समर्थन समस्त स्रोत करते हैं।

खि.रि.की ह.लि.ख्यात और भ.रा.मं. के ग्रंथ के आधार पर खिलचीपुर के राव उग्रसेन से लगाकर उसके अन्य शासकों की वंशावली का वंशवृक्ष तैयार करने पर उसके शासकों का क्रम इस प्रकार है-

1. उग्रसेन (गागरुनगढ़ के खींची चौहान वंश वृक्ष में नं. 14 वाला)

खिलचीपुर

2. वाघसिंह
3. करणसिंह (खिलचीपुर) 3-नागसिंह (वेणनपुर)
4. हटीसिंह (खिलचीपुर) 4-किशनसिंह
5. अनोपसिंह 5-फतहसिंह 5-दोलतसिंह 5-सरदारसिंह 5-सूरजमल 5-बसनसिंह 5-पृथ्वीसिंह 5-जसवन्तसिंह 5-मनोहरसिंह 5-अनोपसिंह
6. फतहसिंह 6-हिम्मतसिंह
7. अभयसिंह 7-रूपसिंह 7-हिन्दूसिंह
8. दीपसिंह
9. दुर्जनसाल
10. शेरसिंह (गोद)
11. अमरसिंह (गोद)
12. भवानसिंह 12-करणसिंह 12-फतहसिंह 12-माधुसिंह 12-हट्टेसिंह 12-मानसिंह
13. दुर्जनसाल 13-विश्वनाथसिंह³

विभिन्न सीमावर्ती राज्य व उनसे संबंध

बूंदी एवं कोटा राज्य से संबंध – इस क्षेत्र पर हाड़ा राजपूतों का प्रभाव रहा। राव हाड़ा एवं उसके पश्चात् के अनेक शासक बम्बावदे में अनेक वर्षों तक राज्य कार्य करते रहे। आगे चलकर इस वंश में बंगदेव का यशस्वी पुत्र कंवरदेव हुआ, यह बड़ा ही वीर था। उसके समय में हाड़ाओं के राज्य का चहुँओर विस्तार हुआ। उसी के समय में बूंदी नगर इस राज्य की दूसरी राजधानी बनाया गया।

आरंभिक समय में बूंदी पर मीणा लोगो का अधिकार था। मीणाओं का शासक जैता बहुत ही शक्तिशाली शासक था। वह चाहता था कि उसके पुत्रों का विवाह राजपूत कन्याओं के साथ होना चाहिए। उसके राज्य की सीमा राजपूतों के बम्बावदा राज्य से मिली हुई थी, इस कारण से दोनों राज्य अपना प्रसार करने के उद्देश्य से आपस में संघर्ष करते रहते थे। कभी मीणा अपनी सीमा का प्रसार करते, कभी राजपूत अपनी सीमा का प्रसार करते। इस प्रसार से मीणा काफी शक्तिशाली हो गए थे। अपनी शक्ति का प्रसार करने के पश्चात् जैता ने राजपूत शासक कंवर देवसिंह की पुत्रियों से अपने पुत्रों के विवाह का प्रस्ताव रखा। उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करना राजपूतों के लिए संभव नहीं था। तत्कालीन समय में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिल जाते हैं।

उस युग में तलवार की शक्ति ही प्रमुख मानी जाती थी। जिसके हाथ में सत्ता होती थी, उसको क्षत्रियों के समान मानकर उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता था। उसके प्रस्ताव के संबंध में देवसिंह ने कहलवाया, कि यदि मीणा शासक अपने घृणास्पद हीन प्रथाओं को छोड़कर उनकी संस्कृति का अनुकरण करे, तो वह उनके साथ में अपने भाई जसकरण की पुत्रियों का विवाह करने को तैयार है।⁴

इस प्रकार विवाह प्रस्ताव के पश्चात् विवाह की तैयारियाँ होने लगी। विवाह हेतु उमरथूर नामक गाँव में मण्डप सजाया गया। विवाह हेतु देवीसिंह अपनी कन्याओं को लेकर निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच गया। देवनसिंह ने अपनी पत्नी मदनवाती को भी उस स्थान पर बुलवा लिया। मीणों को किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हो पाए, इसकी पुरी व्यवस्था की गई। मीणों के स्वागत की तैयारी के लिए एक बाढ़े को तैयार करवाया गया। उस बाढ़े में जहाँ पर बारात को ठहराने की व्यवस्था की गई थी। उस स्थान पर नीचे बारूद को बिछा दिया गया। जब मीणों की बारात उस स्थान पर आई। उसी समय में बारूद में आग लगा दी गई। जिसके कारण अधिकांश मीणा उसमें जलकर मर गए और जो जिंदा बचे उनको युद्ध में मार डाला गया। इस प्रकार धोखे के माध्यम से मीणों पर विजय प्राप्त की गई, हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर यह युक्ति अपनाई हो, क्योंकि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए शासक किसी भी प्रकार की चाल को अपना सकते थे। इसका कारण यह भी है कि कुछ समय पूर्व में कोटा के भीलों तथा सिरौही के मीणों पर इसी प्रकार राजपूतों ने विजय प्राप्त की थी।

अतः धोखा देकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, उस समय में सामान्य प्रथा थी। केवल प्रश्न यह पैदा होता है, कि भारत में बारूद का प्रथम प्रयोग तो बाबर ने आरंभ किया था। अतः कैसे इस कहानी पर विश्वास किया जावे। यह संभव हो सकता है, कि युद्ध के साथ में छल करना मध्य युग की एक सामान्य विशेषता थी, परंतु यह भी याद रखना चाहिए, कि राजपूत अपनी आन बान शान के साथ में युद्ध करते थे और युद्ध के नियमों का भी पालन करते थे। अतः इन कहानियों पर आंख मुंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए।⁵

कोटा पर अधिकार – हाड़ा राजपूत शासकों ने अपने प्रभाव में बूंदी को कर लिया। वहाँ पर अपनी शासन सत्ता स्थापित कर ली। उस परिस्थिति में बूंदी राज्य का संघर्ष कोटा से प्रारंभ होने लगा और इन संघर्षों का प्रभाव बूंदी की शांति व्यवस्था पर पड़ा। इसका कारण यह था कि जब हाड़ाओं का बूंदी पर अधिकार हुआ, तो उनकी सीमा चम्बल तक आ पहुँची, जिससे ये संघर्ष बढ़ते गए। इसलिए समरसी को चम्बल पार करके इन लोगों को दबाना आवश्यक हो गया। उसने भील शासकों को दबाया व उनकी शक्ति को तोड़ने के सफल प्रयास किए। वह यहाँ तक ही संतुष्ट नहीं रहा, उसने मऊ, सांगोद, कैथून, सीसवाली, बड़ौद, रैलावन, रामगढ़ आदि स्थानों को गौड़, पँवार, मेद राजपूतों से छीनकर अपने राज्य का विस्तार कर लिया। उसने एक काम अवश्य किया। उसने इनका समूल नाश नहीं करके, इनको अपना अधिपत्य स्वीकार कराके पुनः उनके राज्य उनको वापस कर दिए। उनसे यह अपेक्षा की गई, की उनको समय-समय पर भेंट नजराना आदि देना पड़ेगा। जिससे इन शासकों की सद्भावना भी उसको प्राप्त हुई और इसके बदले में उनसे सैनिक सहायता की भी संभावना थी।

इन राजपूत शासकों से निपटने के पश्चात् कोटा के शासक कोट्या को रोकना अति आवश्यक था। अहेलागढ़ के पास में कोट्या एवं समरसी

का आमना सामना हुआ। इस युद्ध में समरसी का साथ उसके अनेक अधिनस्थ शासकों के द्वारा दिया गया, जिनमें समरसी के द्वारा पराजित अनेक राजपूत शासक भी थे। यह युद्ध बहुत ही भीषणता के साथ लड़ा गया। भीलों की ओर से 900 और हाड़ों की ओर से 300 सिपाही इस युद्ध में हताहत हुए। युद्ध में कोट्या अपने प्राण को बचाकर भाग गया और अज्ञात स्थान पर जाकर छिप गया। इस युद्ध में विजय होने के पश्चात् जब वह बूंदी पहुँचा, तो वहाँ पहुँचकर उसने अपने तीसरे पुत्र जेतसी का विवाह कैथून के तंवर सरदार की पुत्री के साथ में कर दिया।

इस विवाह के पश्चात् समरसी जब अपने ससुराल में निवास कर रहा था। तब उसके मन में एक योजना आई, जिसके माध्यम से वह भीलों का विनाश करना चाहता था। जेतसी अपने लिए एक नये राज्य की सोच रहा था और इस हेतु उसने अपने ससुर से और अपने पिता समरसी से भी अनुमति ले ली। जैसाकि पूर्व में बूंदी राज्य को हस्तगत किया गया था। उसी आधार पर एक षडयंत्र किया गया। जिसके अनुसार जेतसी ने भीलों से अच्छे संबंध बनाने का दिखावा करके उनके साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इस संबंध को और भी प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से भीलो को अमंत्रित किया गया। भीलों को बुलाने के पहले जिस स्थान पर भीलों को दावत देने की योजना थी उस स्थान पर नीचे बारूद को बिछा दिया गया। इस बात से अनजान भीलों को बुलाया गया और वहाँ पर दावत का आयोजन किया गया। भीलों की खूब आवभगत की गई और उनको जमकर शराब पिलाई गई। जब सब भील नशे में चूर हो गए, तब उस स्थान पर चुपके से आग लगवा दी गई। जिसमें अनेक भील मारे गए। अब जो भील बच गए, उन्होंने कोट्या भील के साथ में युद्ध किया, परंतु उनकी कोई योजना नहीं होने व अव्यवस्था के कारण उनकी हार हुई और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इस युद्ध में जेतसिंह के साथ में एक पठान जिसका नाम सैलारखा था, उसने राजपूतों के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। उसके सम्मान में जेतसी ने कोटा में सैलारगाजी का दरवाजा बनवाया। इस प्रकार धोखा करके जेतसी ने संवत् 1264 में कोटा राज्य पर अपना अधिकार कर लिया।⁶

अब कोटा राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया और वह जेतसी की व्यक्तिगत जागीर बन गया, लेकिन जेतसी ने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। अब बूंदी का राज्य विस्तृत हो चुका था। बूंदी के राज्य पर दो ओर से आक्रमण होने की आशंका हो गई। एक ओर से तो सासावली, बड़ौद, रामगढ़, कैथून, पलायथा आदि स्थानों के वो राजपूत शासक थे जो अभी कुछ समय पूर्व ही बूंदी के राज्य की अधिनता में आए थे। ये सभी राजपूत शासक अपनी पराजय को भूल नहीं सके थे। ये अपने राज्यों को प्राप्त करने के प्रयास हमेशा करते रहते थे। जब भी बूंदी के शासक अपनी व्यक्तिगत परेशानियों में लगे रहते थे। उस समय में वो स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहते थे। दूसरी ओर बम्बावदे राज्य के उपर चित्तौड़ हमेशा अपनी गिद्ध दृष्टि लगाए हुए था। अलाउद्दीन ने अपने जीवित रहते चित्तौड़ को अपने प्रभाव में रखा। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात् उसका समूचा साम्राज्य समाप्त हो चुका था। इस समय का फायदा उठाकर चित्तौड़ स्वतंत्र हो गया था और वह अपना प्रभाव फैलाना चाहता था। इस दृष्टि से वह बम्बावदा और मांडलगढ़ पर अपना अधिकार करना चाहता था। चित्तौड़ ने आगे बढ़कर बम्बावदा और मांडलगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया।

हाड़ा शासक इन राज्यों पर अपना पुश्तैनी अधिकार समझते थे। इनको पुनः अपने अधिकार में करने के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार ये

राज्य कभी हाड़ो के अधिकार में जाते, तो कभी मेवाड़ के अधिकार में चले जाते। इस प्रकार इन राज्यों में निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी रही। इस संघर्ष के मध्य में बूंदी का जैष्ठ राजकुमार नारायणदास बड़ा ही वीर और पराक्रमी हुआ। उसने अपने भ्रष्ट काकाओं से बूंदी को वापस छीन लिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। उसने अपने राज्य को मजबूत बनाया और सरदारों की आपसी शत्रुता को समाप्त कर अपने राज्य को श्रेष्ठ स्थिति में पहुँचा दिया। उसके महाराणा सांगा से मधुर संबंध थे। शक्तिशाली होने के कारण जब मालवा के सुल्तान ने उदयपुर पर आक्रमण किया, तो उसने महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की। वह अनेक अवसरों पर महाराणा सांगा से मिला और उनका बड़ा परम मित्र था। इससे यह समझा जा सकता है, कि नारायणदास बड़ा वीर और प्रभावशाली शासक था। वह उस समय के महान शासकों में अपनी पैठ बनाए रखता था, और अनेक अवसरों पर उनकी सहायता भी करता था।⁷

राव सुर्जन ने कोटा के पठान शासकों से कोटा पुनः छीनकर अपने राज्य में मिला लिया था परंतु इसके लिए राव सुर्जन को बड़ा कठोर संघर्ष करना पड़ा। इसका एक कारण यह था, कि इस समय में मालवा पर अकबर के सेनापति आधमखां ने 1560 ई. में आक्रमण कर बाजबहादुर को पराजित कर दिया था। उसने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अतः मालवा के सुल्तानों का डर समाप्त हो गया था। इसलिए राव सुर्जन ने आक्रमणकारी शक्ति को अपनाकर अपने वंश का राज्य स्थापित किया और उसमें सफलता प्राप्त की।

बूंदी का राज्य अपनी स्वतंत्र सत्ता को अधिक समय तक जीवित नहीं रख पाया। उस समय में कोटा और उसके आस-पास के परगने केसरखां और डोकरखां नामक पठानों के नियंत्रण में थे। कोटा के उत्तर का राज्य रायमल के कब्जे में था। सुल्तानपुर में सुल्तानसिंह अपने आप को संभल कर रख रहे थे। रामगढ़, पलायथा और अन्य स्थानों पर 20 राजपूत जागीरदार बूंदी से पृथक हो गए थे, परंतु उनका संबंध बूंदी से बना हुआ था, वे बूंदी के राज्य की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उधर दोनों पठान भाइयों ने अपनी सेनाओं की व्यूह रचना कर रखी थी। भदानी नामक स्थान से 2 मील दूर दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के बीच में राव सुर्जनसिंह के भाई मानसिंह ने भयंकर गर्जना के साथ केसरखां पर धावा बोला और केसरखां का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने भाई के वध से क्रोधित होकर डोकरखां ने तेजगति से आगे बढ़कर और सेना को चीरकर मानसिंह के पास पहुँचा और उसका सिर काट डाला। सिर कट जाने के पश्चात भी मानसिंह कुछ क्षणों तक लड़ता रहा। जिसके बारे में वंश भास्कर में लिखा गया 'भिरि सीस हीन हुमान कछु खिन भान ज्यों हनतो भयो।'⁸

इस कृत्य को देखकर एक अन्य जागीरदार जो कि गनोली से संबंधित था। उसका नाम रामसिंह था। रामसिंह मानसिंह की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि वह डोकरखां पर झपट पड़ा और घमासान युद्ध होने लगा। तभी डोकरखां का भतीजा मेहराबखां बड़ी वीरता के साथ में युद्ध क्षेत्र में डटा हुआ था, तभी एक हाड़ा वीर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस वीर का रूप भी कुछ समय तक युद्ध करता रहा। तब बालकर्ण नामक योद्धा ने उसके दो टुकड़े कर दिए मेहराबखां की वीरता पर वंश भास्कर में लिखा है— 'बालकीर्ण तहं तस बंधु काय कवध को सुद्धिधा करयो।'⁹

इन वीरों के करारनामों के बाद युद्ध ने और भयानक रूप ले लिया। गुलामनबी नामक मुसलमान ने राव सुर्जन पर दो बाण छोड़े, परंतु निशाने

पर नहीं लगे। इस उत्साह के साथ में गुलामनबी और आगे बढ़कर युद्ध क्षेत्र में प्राणों का मोह छोड़कर पुरी क्षमता के साथ में लड़ने लगा। इसका जवाब हाड़ाओं ने दिया और प्रत्युत्तर में उनके उपर हमला किया इस हमले में गुलामनबी और उसके तीन मुख्य सैनिक मारे गए। इस घटना के बाद मुसलमानों का उत्साह ठंडा पड़ने लगा और उन्होंने युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया और कोटा नगर की ओर भागने लगे। हाड़ाओं के अंदर जबरदस्त उत्साह था। क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की सेना को युद्ध का मैदान छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया था। अतः उन्होंने भागती हुई सेना का पीछा किया। जब पठान नगर के अंदर घुस गए, तो हाड़ाओं ने उनसे नगर के अंदर भयंकर युद्ध किया। नगर के अंदर डोकरखां का भाई सैलारजी असाध्य रोग से ग्रस्त था। उसने अपने वीरता के गुणों से लबरेज होकर अपने धर्म का पालन किया और बड़े ही पराक्रम और शान के साथ में हाड़ाओं से लड़ा। वह अपने बाहुबल से डटकर लंबे समय तक सामना करता रहा। फिर एकाएक कीर्तिसिंह नामक राजपूत ने उस पर हमला किया और वह धराशाही हो गया। जिस स्थान पर उस वीर ने वीरगति प्राप्त की, वह स्थान दरवाजा सैलारगाजी कहलाता है। इस संबंध में अलग-अलग ग्रंथों में अलग-अलग तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। ठाकुर लक्ष्मणदास के अनुसार सैलारगाजी जैतसिंह का सैनिक था। उसने भीलों के विरुद्ध लड़ते हुए और जैतसिंह के लिए अपना बलिदान दिया और इसी की याद में दरवाजा सैलारगाजी को स्थापित करवाया गया। अतः इन दो परस्पर विरोधी तथ्यों में किस तथ्य को प्रमाणित स्वीकार किया जाए। इस पर परस्पर अंतर्विरोध है। बहरहाल इसी युद्ध में डोकरखां मारा गया और पठानों को पराजित किया जा सका। इस प्रकार पठानों के अधिपत्य में 26 वर्ष रहने के पश्चात् कोटा राज्य पर फिर से हाड़ाओं का अधिकार स्थापित हो गया। इस राज्य पर अधिकार करने में राव सुर्जन को अपने अनेक योद्धाओं को खोना पड़ा। इस प्रकार एक समय हाड़ाओं के हाथ से खो जाने के बाद वह राज्य कठोर संघर्ष के पश्चात और राव सुर्जन के उत्साह और साहस के कारण पुनः हाड़ाओं के हाथ में आ पाया। इस विजय से राव सुर्जनसिंह की कीर्ति और उसका यश चहुँओर फैल गया।¹⁰

इस प्रकार स्पष्ट है कि खींची सरदारों ने राज्य के जिन हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। उन सरदारों को अपने प्रभाव में लेने के लिए राव सुर्जन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। रायमल खींची जो की मऊ में अपने प्रभाव को स्थापित किए हुए था। उसने कोटा के उत्तर में सीसवाली और बड़ौद के परगनों पर अपना अधिकार जमा लिया था। राव सुर्जन ने रायमल से युद्ध किया। उस युद्ध में रायमल ने बड़े ही उत्साह के साथ में संघर्ष किया परंतु उसकी पराजय हुई। इस संघर्ष में राव सुर्जन का एक वीर सैनिक कीर्तिसिंह मारा गया, परंतु राव सुर्जन ने समस्त क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और उससे वे सब परगने छीन लिए, जिस पर उसने अधिकार कर लिया था। इस प्रकार से राव सुर्जन ने अपने वंश के राज्य के सम्पूर्ण भाग पर अधिकार करने के पश्चात् और कोटा नगर पर अधिकार करने के पश्चात् बूंदी नगर में विजेता की भांति प्रवेश किया।

हाड़ाओं से राज्य छीनना – हाड़ा शासक शनैः शनैः आगे बढ़ते रहे और उन्होंने राजस्थान के सर्वाधिक प्रतिष्ठित गढ़ रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। रणथंबोर पर अधिकार उनका अंतिम चरण था। इसके पश्चात् उनकी स्थिति कमजोर होना शुरू हो गई। आठवीं से सोलहवीं शताब्दि तक का समय चौहान शासकों ने पूर्णरूप से सत्ता का उपभोग किया। उनके आंतरिक मामलों में शक्तिशाली शासकों का हस्तक्षेप नहीं रहा। मुहम्मद गौरी ने जो

राज्य प्राप्त किया था। वह राज्य पृथ्वीराज चौहान को समाप्त करने के पश्चात् प्राप्त किया था। इस प्रकार पृथ्वीराज ने गौरी की अधिनता को स्वीकार नहीं किया था। अतः पृथ्वीराज के अनेक सरदारों से भी संघर्ष करने के पश्चात् ही विभिन्न किलों पर मुहम्मद गौरी और उसके वंशजों का अधिकार हो पाया। इसी आधार पर बम्बावदे के राज्य पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया, तो बम्बावदे के दुर्ग की रक्षा करते हुए समरसी और हरराज जैसे वीरों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तभी अलाउद्दीन का उस गढ़ पर अधिकार स्थापित हो पाया। बूंदी के राज्य पर अधिकार करने के लिए अनेक बार मालवा के सुल्तानों ने प्रयास किए और उन प्रयासों में एकाध बार उनको सफलता भी प्राप्त हुई। एक समय में तो बूंदी के दो राजकुमारों को बलात मुसलमान भी बना लिया था। परंतु इन संघर्षों के बावजूद भी हाड़ाओं को झुकाने में सफल नहीं हुए। इस प्रकार अंत तक उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके। केसरखां और डोकरखां ने 26 वर्ष तक कोटा में अपना राज्य स्थापित रखा और बीरमदेव को कठिन परिस्थिति में वहाँ से भागना पड़ा, फिर हाड़ाओं ने निराशा को अपने पास नहीं आने दिया और उनका लगातार संघर्ष जारी रहा और उपयुक्त अवसर की प्रतिक्षा करते रहे। यह अवसर उनको राव सुर्जन ने प्रदान कर दिया। राव सुर्जन के रूप में हाड़ाओं को एक ऐसा सुयोग्य शासक मिला, जिसने हाड़ाओं के गौरव को चहुँओर फैला दिया। राव सुर्जनसिंह हाड़ा न केवल सुयोग्य और बुद्धिमान शासक था, बल्कि वह बड़ा ही प्रतापी शासक था। जिसने पठानों से न केवल कोटा छीन लिया, बल्कि अपने राज्य को भी सुसंगठित किया। परंतु जैसे ही सल्तनत काल का अंत हुआ और भारत में सार्वभौम मुगल शासकों की परंपरा का आरंभ हुआ। उनमें भी अकबर जैसा दूरदर्शी, महाप्रतापी और महत्वाकांक्षी शासक था। ऐसी स्थिति में राव सुर्जन जैसे वीर के लिए भी, उसकी अधिनता स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था। इसके साथ-साथ अनेक राजपूत शासकों ने अकबर की अधिनता स्वीकार कर ली थी, जिनमें मानसिंह, भगवानसिंह आदि। कई शासकों ने तो अकबर से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे। ऐसी समस्त परिस्थितियों को देखते हुए हाड़ाओं ने भी उनकी अधिनता स्वीकार कर ली।¹¹

अकबर के दरबार में राव भोज एक बहुत ही शक्तिशाली सरदार थे। उनका मुगल दरबार में बहुत ही सम्मान था। कई युद्धों में उन्होंने अपने आप को उद्भट योद्धा के रूप में सिद्ध किया था। जिसका ज्वलंत उदाहरण अहमदनगर का किला था। अहमदनगर के इस घेरे में उन्होंने जिस शक्ति और कुशलता का परिचय दिया। उससे प्रसन्न होकर अकबर ने उनको पुरस्कार स्वरूप एक हाथी प्रदान किया और उनके नाम पर एक बुरज बनवाई। जिसको भोज बुरज के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध की पहचान अहमदनगर की वीर रमणी चाँदबीबी के कारण है, जो अपनी 700 वीर दासीयों के साथ मारी गई और इतिहास में अमर हो गई थी। राव भोज के पुत्रों की संख्या तीन थी। हृदयनारायण, केशवदास और रतन। इन्हीं में राव रतन बड़े प्रसिद्ध हुए हैं।¹²

पलायन, रामगढ़, सीसावली आदि के क्षेत्र, जो कि चम्बल नदी के दाहिनी ओर के इलाके थे, ये इलाके हाड़ा शासकों की अधिनता को स्वीकार कर चुके थे। मऊ में खींची शासकों ने बड़ा लंबा संघर्ष किया और यहाँ तक की कोटा राज्य के कई इलाकों पर उनका अधिपत्य स्थापित हो गया था। अब चुंकि राव रतन का समय था। राव रतन एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। उसका मुगल दरबार में बड़ा प्रभाव था। अतः उसने अकबर की सहमति

से हाड़ाओं पर चहुँओर से आक्रमण करना आरंभ कर दिया। राव रतन ने उनके महलों एवं उनके परगनों को अधिकार में कर लिया। इस युद्ध में राव रतन के साथ में उसके दोनो भाई और दोनों पुत्र माधोसिंह व हरिसिंह सम्मिलित थे।¹³

जब राव रतन और हृदयनारायण शहजादा खुर्रम के विद्रोह को समाप्त करने के लिए पहुँचे। उस समय में राजनीति में बेगम नूरजहाँ का प्रभाव था। बेगम नूरजहाँ ने अपने सभी राजपूत और मुसलमान सरदारों को इस विषय को सुलझाने के संबंध में आमंत्रित किया। इस समस्या का समाधान करने के लिए महाबतखां और अनेक राजपूत सरदार कटिबद्ध हो गए। इसी विद्रोह का समाधान हेतु अपने दोनो पुत्रों माधोसिंह और हरिसिंह के साथ राव रतन अपने बूंदी के राज्य से निकले और हृदयनारायण ने कोटा से अपनी सेना के साथ में प्रस्थान किया। यहीं से कोटा के राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व की शुरुआत हुई। राव रतनसिंह ने अपने पुत्र माधोसिंह को कोटा का शासक नियुक्त कर दिया और बादशाह शाहजहाँ ने भी इसकी सहमति प्रदान कर दी। जब राव रतनसिंह को एहसास हुआ कि माधोसिंह को बादशाह शाहजहाँ चाहते हैं, और उनके मन में उनके प्रति प्रेम है, तो राव रतनसिंह ने अपने पुत्र माधोसिंह को आठ परगने और प्रदान कर दिए और उसको कोटा राज्य का स्वतंत्र शासक नियुक्त करवा दिया। जब राव रतनसिंह का देहांत हो गया एवं उसके देहांत की खबर शाहजहाँ के पास पहुँची तो उसने माधोसिंह को नियमानुसार कोटा राज्य का शासक मान लिया और इसका फरमान जारी किया। जब माधोसिंह कोटा का शासक बन गया और शाहजहाँ के एक मुख्य वजीर खानेजहाँ लोदी ने विद्रोह कर दिया। तब माधोसिंह ने शाहजहाँ के आदेशानुसार बहादुरी से युद्ध कर अपनी बर्छी से उसकी हत्या कर दी और उसके दो पुत्रों की भी हत्या कर दी। उसने खानेजहाँ और उसके दोनो पुत्रों का सिर काटकर बादशाह की सेवा में प्रस्तुत किया, तो बादशाह शाहजहाँ ने प्रसन्न होकर माधोसिंह को चार परगनों क्रमशः जीरापुर, खैराबाद, चेचट और खिलचीपुर प्रदान किए। इस वीरतापूर्ण कार्य के कारण माधोसिंह के मनसब में 500 की वृद्धि की गई और उसको तीन हजारी मनसबदार बना दिया। जब माधोसिंह गद्दी पर बैठा, उस समय में उसके राज्य में परगनों की संख्या 14 थी। खानेजहाँ का वध करने के पश्चात् बादशाह शाहजहाँ ने उसको 17 परगने और दिए। माधोसिंह ने यह वीरता केवल भारत में ही नहीं दिखाई, वरन् बल्ख में जिस वीरता के साथ में उसने वहाँ के दुर्ग की रक्षा की, उससे बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और उसको बूंदी नरेश से बारां और मऊ के परगने छीनकर उसको प्रदान कर दिए। इस संबंध में वंश भास्कर में लिखा है-

कुपि बूंदीस प्रति बचनादिकन। परगना मुख्य बारां मऊ छिन्नि लिय ।
द्वैहिलखि माधव हि तत्थ सुलतान दिया।¹⁴

इस प्रकार माधोसिंह एक शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने अपनी वीरता से बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था और मुगल बादशाह शाहजहाँ से उनकी व्यक्तिगत मित्रता के कारण अपनी मृत्यु तक 2000 ग्रामों पर उनका अधिकार था। कोटा राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र पर उस समय में माधोसिंह का अधिकार था।

राजगढ़ के उमट परमार - उमट परमारों के संबंध में उनकी उत्पत्ति के संबंध में एकरूपता का अभाव है। बड़वों एवं भाटों ने उनकी उत्पत्ति के संबंध में लिखा है, कि इनका संबंध धरणी वराह के वंश में उत्पन्न सुमराओ से हुआ है। गौरी शंकर ओझा के अनुसार संवत् 1050 में आबू के शासक

धरणी वराह के वंशजों से उमट परमारों की उत्पत्ति हुई है। एक अन्य मत के अनुसार इनकी उत्पत्ति पालनपुर गुजरात के उमरा गाँव से हुई है, इसी आधार पर ये उमट परमार कहलाए। क्षत्रिय जाति की सूचि पुस्तक के आधार पर ये उदयादित्य के वंश में उत्पन्न धवल के वंशज उमट परमार के वंशज हैं। हालांकि इस संबंध में परस्पर अंतर्विरोध हैं। एक अन्य मत के अनुसार राजगढ़ और नरसिंगगढ़ क्षेत्र के उमट परमार सिंध प्रदेश के क्षेत्र में आए, फिर वहाँ से वे आबू की ओर से मध्यप्रदेश पहुँचे। एक अन्य मत के आधार पर अमरकोट की स्थापना उमरा शासकों ने की और वही से इनका आगमन मध्यप्रदेश में हुआ। इस प्रकार उमरा शासकों के वंशज उमट परमार हैं। अतः राजगढ़ और नरसिंगगढ़ राज्य के वंशज उमट परमार हैं।¹⁵

एक अन्य मत के आधार पर इनका आदि पुरुष परमार वंश के आदि पुरुष एवं संस्थापक भोज राजा के वंशज मुंगराव के वंशज रहे हैं। मुंगराव की मुख्य रानी के दो पुत्र थे, उमरसी और सुमरसी। मुंगराव ने अपनी दूसरी रानी के पुत्र झेलर जिसका एक नाम झांगलजी भी था। उसको अपना उत्तराधिकारी चुना। इससे उनके दोनों पुत्र उमरसी और सुमरसी नाराज होकर आबू की ओर चले गए। फिर वहाँ से वे सिन्ध के क्षेत्र की ओर चले गए। इन्होंने वहाँ के शासक को परास्त किया और सिन्ध के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। अधिकार करने के पश्चात् उमरसी ने वहाँ पर अमरकोट का किला बनाकर उसको अपनी राजधानी बनवाया। उमरसी ने अपने भाई को अमरकोट का क्षेत्र सौंपकर उसने आबू की ओर जाकर वहाँ के किले दूट पर अपना अधिकार कर लिया। इसी महत्वपूर्ण शासक उमरसी के ही वंशज उमट परमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी उमरसी के वंशज ही राजगढ़, नरसिंगगढ़, धार, उज्जैन आदि स्थानों पर गए और इन्होंने अपने राज्य स्थापित किए। उमट परमार मालवा में आकर नरसिंगगढ़ और राजगढ़ के राज्यों के रूप में विभाजित हो गए।¹⁶

खिलचीपुर राज्य और उमट राज्य में संघर्ष – तत्कालीन स्रोतों के आधार पर विदित होता है, कि उग्रसेन को प्रारंभिक अवस्था में राजगढ़ राज्य से संघर्ष करना पड़ा। उग्रसेन ने अपना राज्य खिलचीपुर में स्थापित किया तो राजगढ़ के उमट प्रारंभिक अवस्था में ही उग्रसेन से संघर्ष करने लग गए। राजगढ़ राज्य के शासक मोहनसिंह से संघर्ष करते हुए, खिलचीपुर राज्य के संस्थापक उग्रसेन मारे गए। इसी के साथ ब्यावरा के उमट राज्य ने भी संघर्ष छेड़ दिया और इस संघर्ष में खिलचीपुर राज्य के 300 वीर सैनिकों ने अपनी

जान गवाई।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:-

1. चौहान कुल कल्पद्रुम (चौहान राजपूत की शाखाओं का इतिहास एवं वंशवृक्ष) भाग-प्रथम देसाई लल्लुभाई भीमभाई द्वितीय संस्करण 2005 प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार सोजती गेट, जोधपुर पृष्ठ संख्या 107
2. खिलचीपुर राज्य के बड़वा की हस्तलिखित पोथी
3. चौहान कुल कल्पद्रुम (चौहान राजपूत की शाखाओं का इतिहास एवं वंशवृक्ष) भाग-प्रथम देसाई लल्लुभाई भीमभाई द्वितीय संस्करण 2005 प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार सोजती गेट, जोधपुर पृष्ठ संख्या 111
4. वंश भास्कर, द्वितीय भाग पृष्ठ 1621
5. कोटा राज्य का इतिहास भाग-1 डॉ. मथुरालाल शर्मा द्वितीय संस्करण 2008 ई. प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर पृष्ठ सं. 36
6. कोटा राज्य का इतिहास भाग-1 डॉ. मथुरालाल शर्मा द्वितीय संस्करण 2008 ई. प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर पृष्ठ सं. 39
7. वंश भास्कर, तृतीय भाग पृष्ठ 2029
8. वंश भास्कर तृतीय भाग पृष्ठ 2238
9. वंश भास्कर तृतीय भाग पृष्ठ 2238
10. कोटा राज्य का इतिहास भाग-1 डॉ. मथुरालाल शर्मा द्वितीय संस्करण 2008 ई. प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर पृष्ठ सं. 45
11. कोटा राज्य का इतिहास भाग-1 डॉ. मथुरालाल शर्मा द्वितीय संस्करण 2008 ई. प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर पृष्ठ सं. 49
12. वंश भास्कर पृष्ठ 121
13. कोटा राज्य का इतिहास भाग-1 डॉ. मथुरालाल शर्मा द्वितीय संस्करण 2008 ई. प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर पृष्ठ सं. 53
14. वंशभास्कर तृतीय भाग पृष्ठ 2630
15. क्षत्रिय राजवंश, रघुनाथसिंह कालीपहाड़ी पंचम संस्करण वि.सं. 2066 प्रकाशक-ठा. मल्लूसिंह स्मृति ग्रंथागार काली पहाड़ी (झुन्झुनू-राजस्थान)
16. क्षत्रिय राजवंशों का इतिहास, देवीसिंह मंडावा प्रथम संस्करण 2010 प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार, सोजती गेट जोधपुर (राजस्थान)

ग्वालियर शहर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् बालक एवं बालिकाओं की बालों का तुलनात्मक अध्ययन

सुजाता भदौरिया* डॉ. मंजू दुबे**

* शोधार्थी (गृहविज्ञान) के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृहविज्ञान) के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - सुन्दरता प्रकृति की अनुपम देन है जो हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। हमें खुशी व संतुष्टि प्रदान करती है। 'बाल हर इंसान की शारीरिक सुन्दरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चाहे पुरुष हों या महिलाएँ, सभी चाहते हैं कि उनके बाल घने, काले, चमकीले तथा अच्छी तरह से स्टाइल किये हों। स्वास्थ्य और सुन्दर बाल व्यक्ति के आत्म विश्वास को बढ़ाते हैं और उन्हें आकर्षक बनाते हैं। आजकल फैशन इंडस्ट्री में भी सुन्दर बालों पर जोर दिया जाता है।' सुन्दर बाल व्यक्ति की सुन्दरता में निखार लाते हैं। इसके साथ-साथ बालों के अन्य कार्य निम्नानुसार हैं:-

● **शरीर को सुरक्षित रखना**- 'हमारे सिर के बालों का महत्वपूर्ण कार्य हमें सूर्य की तेज धूप से बेहतर सुरक्षा देना होता है।' यहाँ तक की हमारी भीड़ें भी हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं जिनसे पसीना और बारिश का पानी इत्यादि हमारी आँखों से दूर रहता है।¹ नाक, कान के बाल धूप, गंदगी, कीड़ों आदि से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

● **शरीर के तापमान को निर्धारित करना**- हमारा शरीर 'जब गर्म होता है तो शरीर से पसीना निकलने लगता है जो बालों के रोम के साथ मौजूद पसीने की ग्रंथि के छिद्रों से निकलता है। जब ठंड होती है तो शरीर पर बाल खड़े हो जाते हैं और उनके बीच हवा के छोटे-छोटे पॉकेट बन जाते हैं। जो शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं।'

● **पोषण स्तर को प्रदर्शित करना**- बालों का कड़क, रूखा, चमकविहीन होना या उनके रंग में परिवर्तन आना अथवा बालों का झड़ना, बालों का पतला व दो मुहाँ होना आदि लक्षण शरीर के पोषण स्तर में आती न्यूनता को प्रदर्शित करता है।

यह शोधकार्य ग्वालियर शहर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् बालक एवं बालिकाओं के बालों के लक्षणों का अध्ययन करके उनमें पोषक तत्वों की कमी ज्ञात करने के लिये किया गया है।

उद्देश्य:

1. बालक एवं बालिकाओं के बालों के पोषण का स्तर अध्ययन करना।
2. बालक एवं बालिकाओं के बालों के पोषण स्तर उन्नत करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रविधि- ग्वालियर शहर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् बालक एवं बालिकाओं के बालों के पोषण स्तर का अध्ययन करने हेतु 75 बालक एवं 75 बालिकाओं का चयन किया गया। निदर्श के चयन हेतु दैव निदर्शन विधि का उपयोग किया गया। तथ्यों का संकलन करने के लिये प्रो. मंगला

कानगो के लक्षण परीक्षण प्रारूप का उपयोग किया गया है। संकलित तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं।

तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण- बालक एवं बालिकाओं के बाल संबंधी लक्षण, परीक्षण से प्राप्त लक्षणों को तालिका क्रमांक 1 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका क्रमांक- 1: बालक एवं बालिकाओं के बाल संबंधी लक्षण

लक्षण	बालक		बालिकाएँ		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
काले नरम	47	31.33	43	28.68	90	60.0
चमक विहीन	10	06.66	16	10.66	26	17.33
सूखापन व रंग में परिवर्तन	17	11.33	15	10.00	32	21.33
टूटने लायक	01	00.66	01	00.66	02	01.33
योग	75	50.00	75	50.00	150	100.00

तालिका- 1 में सर्वेक्षित 150 बालक बालिकाओं के लक्षण परीक्षण से प्राप्त बालों के लक्षण प्रदर्शित किये गये हैं। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 90 (60.0 प्रतिशत) बालक-बालिकाओं के बाल काले व नरम पाये गये हैं। जिनमें 47 (31.33 प्रतिशत) बालक तथा 43 (28.66 प्रतिशत) बालिकाएँ हैं। इस प्रकार बालकों का प्रतिशत बालिकाओं की तुलना में अधिक है। 26 (17.33 प्रतिशत) बालक-बालिकाओं के बाल चमकविहीन पाये गये हैं जिनमें बालिकाओं की संख्या 16 (10.66 प्रतिशत) है जो कि बालकों की संख्या 10 (6.66 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है। 32 (21.33 प्रतिशत) बालक-बालिकाओं के बाल सूखे तथा परिवर्तित रंगों के पाये गये हैं। इनमें बालकों की संख्या 17 (11.33 प्रतिशत) है जो कि बालिकाओं की संख्या 15 (10.00 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है 02 (01.33 प्रतिशत) बालक-बालिकाओं के बाल टूटने लायक स्थिति में हों अर्थात् झड़ रहे हों। इसमें बालक एवं बालिकाओं की संख्या एक समान अर्थात् 01 (0.66 प्रतिशत) पाई गई है।

विवेचना- बालक एवं बालिकाओं के बालों की तुलनात्मक विवेचना करने पर निम्नलिखित बिंदु दृष्टिगत होते हैं:-

1. काले नरम बालों वाले बालकों की संख्या बालिकाओं की तुलना में अधिक पाई गई है।
2. चमकविहीन बालों वाली बालिकाओं की संख्या बालकों की तुलना में

- अधिक पाई गई है।
3. सूखापन लिये हुये तथा परिवर्तित रंग के बालों वाले बालकों की संख्या बालिकाओं की तुलना में अधिक पाई गई है।
 4. टूटने लाइक अर्थात् झड़ते हुए बालों वाले बालक एवं बालिकाओं की संख्या एक समान पाई गई है।

निष्कर्ष— उपरोक्त तथ्यों का अवलोकन करने पर निष्कर्ष निकलता है कि बालकों के बाल बालिकाओं की तुलना में उत्तम स्थिति में है। 40 प्रतिशत बालक-बालिकाओं के बालों का पोषण स्तर उन्नत करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके बालों का चमकविहीन होना, उनमें सूखापन का पाया जाना, उनके रंग में परिवर्तन का पाया जाना अथवा बालों का झड़ना उनमें पोषणिक न्यूनता को प्रदर्शित करता है। यद्यपि 60 प्रतिशत बालक-बालिकाओं के बालों का काला व नरम होना उनके उत्तम पोषण को परिलक्षित करता है।

सीमाएँ— प्रस्तुत शोध अध्ययन की निम्नलिखित सीमाएँ हैं:

1. अध्ययन का क्षेत्र ग्वालियर शहर तक सीमित है।
2. निदर्श का आकार 75 बालक 75 बालिकाओं कुल 150 विद्यार्थियों तक सीमित हैं।
3. अध्ययन में 17-24 वर्ष के बालक बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है।
4. प्रो. मंगला कानगो के लक्षण, परीक्षण विधि का उपयोग किया गया है।

सुझाव— बालों का झड़ना, बालों के रंग में परिवर्तन आना, बाल भूरे व सफेद होना, चमकविहीन होना, दो मुँह होना आदि आम समस्याएँ हैं। बालों की समस्याओं के निवारण के लिये आवश्यक है कि पौष्टिक आहार लिया जाये तथा उनकी उचित देखभाल की जाये। इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव है:-

1. बाल प्रोटीन के बने होते हैं इसलिये आहार में दूध, दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर, मावा, दही, खीर, कस्टर्ड, दाले, सोयाबीन, मांस, मछली, अण्डे, आदि का सेवन अधिक करना चाहिये। प्रोटीन के अलावा, जिंक, कॉपर, आयरन, विटामिन बी और विटामिन डी से भरपूर आहार लेना चाहिये। जिंक और आयरन बालों के झड़ने को कम करने के लिये जिम्मेदार हैं¹³ से भरपूर आहार लें।

2. बालों को हफ्ते में केवल दो बार ही धोना चाहिये। ज्यादा धोने से बालों का नैचुरल ऑयल निकल जाता है और वे रूखे हो जाते हैं।
3. बालों को धोने के पूर्व नारियल का तेल लगाएँ। नारियल के तेल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे कई तत्व मौजूद होते हैं, जो बालों को मजबूत बनाने के साथ ही बालों को नर्म मुलायम भी बनाते हैं।¹⁴ बहुत ठंडे या बहुत गर्म पानी से बाल नहीं धोने चाहिये।
4. रूखे बालों को धोते समय प्रोटीन युक्त व एसिडिक शैम्पू का प्रयोग करना चाहिये तथा कर्ली बालों के लिये बने शैम्पू व कंडीशनर का प्रयोग करना चाहिये।
5. 'बालों को सुखाने के लिये चिकनी व पतली टॉवल बालों पर लपेटें। बालों को नैचुरल हवा में सुखाएँ, बालों को सुखाने से पहले चौड़े दाँत की कंधी का इस्तेमाल करके सुलझा लें, बालों को छोर से कंधी करना शुरू करें।'¹⁵ गीले बालों में कसकर बारीक कंधी कभी नहीं चलाएँ।
6. 'एक दो महीने में बालों को थोड़ा सा ट्रिम करती रहे।'¹⁶
7. हेयर ड्रायर का प्रयोग बालों की जड़ों को नुकसान पहुँचाता है। इसका उपयोग न करें।
8. हेयर स्प्रे, हेयर जैल व अन्य कैमिकल्स से बचना चाहिए।
9. सोते समय मिल्क या साह्न के कपड़े से सिरको बांधकर सोने से बाल कम टूटते हैं।
10. यदि बाल झड़ रहे हैं तो स्कूटर या बाइक पर बैठते समय कपड़े से सिर को बांध लेना चाहिये। बालों को हवा में नहीं लहराने देना चाहिए।
11. बालों को बहुत तेज धूप, अधिक ठंड व तेज हवा से बचना चाहिये। उपरोक्त सुझावों का उपयोग करके बालों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर को उन्नत किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. <https://www.cherlian/zhair.com>
2. <https://www.veet.com.hair-removal>
3. <https://www.warpaintinternational.com>
4. <https://www.hindi,news18.com>lifestyle>
5. <https://wikihour.com>बाल>
6. <https://www.styleerage.com>hindi>

Acoustic Analysis of Received Pronunciation (RP) English in India: A Sociolinguistic Study of Vowel Shifts and Phonological Variations

Dr. Rajkumari Sudhir*

*Asst. Professor (English) Govt. Sarojini Naidu Girls P.G. College, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - This study investigates the acoustic characteristics and phonetic variability of Received Pronunciation (RP) English in India, examining vowel shifts and phonological variations among Indian speakers. Using a corpus of spoken data from 20 Indian participants, this research provides insights into the adaptation of RP English in Indian contexts, highlighting sociolinguistic factors influencing language change.

Introduction - Received Pronunciation (RP) English, a standard accent of British English, has become a widely accepted model for English language teaching globally. However, its adoption in India has led to unique phonological variations, shaped by indigenous languages and cultural influences.

Literature Review: Previous studies (Gimson, 1962; Wells, 1982) have documented RP English phonology, while research on Indian English (IE) has focused on phonetic variations (Krishnamurti, 2007). Recent studies (Harrington, 2006) have explored vowel shifts in RP English.

Methodology:

1. Participants: 20 Indian speakers aged 18-40, proficient in English.
2. Materials: Phonetically balanced passages containing target vowels.
3. Data Collection: Recordings made using high-fidelity microphones in a soundproof environment.
4. Data Analysis: Praat software used for acoustic analysis.

Transcription Conventions:

1. Monophthongs: /i:/, /ɪ/, /e/, /æ:/, /ɔ:/, /ʊ/, /u:/
2. Diphthongs: /eɪ/, /aɪ/, /æɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /iə/, /eə/

Acoustic Analysis:

1. Formant Frequencies and Vowel Quality
2. Monophthongs: /i:/ (tee): F1 = 250-300 Hz, F2 = 2200-2300 Hz
3. Diphthongs: /eɪ/ (play): Starting F1 = 300-400 Hz, F2 = 2100-2200 Hz

Specific Aspects of RP English in India: This section examines the unique characteristics of RP English pronunciation in India, influenced by indigenous languages and cultural factors.

1. **Vowel Shifts:** Indian speakers of RP English exhibit

distinct vowel shifts:

1. /u:/ (boot) shifted to [ʊ] or [ʊ̯]
2. /ʊ/ (put) shifted to [u] or [ʊ̯]
3. /eɪ/ (play) shifted to [e] or [ɛ]

2. Phonological Variations: Influence of Indian languages on RP English phonology:

1. Retroflexion: /t/ and /d/ replaced with [ɖ] and [ɗ]
2. Dentalization: /t/ and /d/ replaced with [t̪] and [d̪]
3. Nasalization: vowels followed by nasal consonants

3. Syllable Structure: Indian RP English speakers often use:

1. Simplified syllable structures
2. Reduced consonant clusters
3. Epenthetic vowels

4. Lexical Borrowing: Indian languages influence RP English vocabulary:

1. Loanwords: "thali" (plate), "chai" (tea)
2. Code-switching: alternating between English and Indian languages

5. Sociolinguistic Factors: Language contact, cultural identity, and language teaching implications:

1. Language attitudes: RP English as a prestige variety
2. Language education: teaching RP English in Indian schools
3. Cultural identity: Indian English as a marker of identity

Discussion:

1. Vowel Shifts: Indian speakers exhibited shifts in /u:/ and /ʊ/ pronunciation.
2. Phonological Variations: Influence of indigenous languages on RP English phonology.
3. Sociolinguistic Implications: Language contact, cultural identity, and language teaching implications.

Conclusion: This study highlights the unique characteristics of RP English pronunciation in India, shaped

by indigenous languages and cultural factors. Language teaching materials should accommodate Indian English phonological variations. Further research on sociolinguistic factors influencing language change is needed. Future studies will explore regional variations. Understanding these aspects is crucial for effective language teaching and communication.

References:-

1. Cruttenden, Alan. *Gimson's Pronunciation of English*. 8th ed., Routledge, 2014.
2. Gimson, A. C. *An Introduction to the Pronunciation of English*. Edward Arnold, 1962.
3. Harrington, Jonathan. "An Acoustic Analysis of 'Happy-Tensing' in the Queen's Christmas Broadcasts." *Journal of Phonetics*, vol. 34, no. 2, 2006, pp. 261-276.
4. Krishnamurti, Bh. "English in India." *Journal of Language and Linguistics*, vol. 6, no. 2, 2007, pp. 237-254.
5. Wells, J. C. *Accents of English*. Cambridge University Press, 1982.

Party Politics and Political Culture in Madhya Pradesh

Dr. Jaishree Trivedi* Mr. Bhaskar Dubey**

*Professor and HOD (Political Science) Govt. PG College, Datia (M.P.) INDIA

**Reaserch Scholar, Jiwaji University, Gwalior (M.P.) INDIA

Abstract - This research paper explores the political culture of Madhya Pradesh and examines the role of political parties in shaping it. The study highlights the contributions of both major national parties and regional parties in influencing political practices within the state. Special attention is given to the dominance of the Bharatiya Janata Party (BJP) over the past two decades and politics and leadership strategies of Indian National Congress prior to 2000, which illustrate how political parties effectively manage elections. Additionally, the paper analyzes voter behavior and its impact on the state's political culture. The study also positions Madhya Pradesh as a central point for Indian political culture due to its cultural, geographical, and political significance, which directly influences broader Indian cultural and political dynamics. By focusing on the interplay between political parties and voter behavior, this paper provides a comprehensive understanding of the political landscape in Madhya Pradesh and its implications for Indian politics.

Keywords- Voter behavior, Bharatiya Janata Party, Regional politics, Indian political culture.

Introduction - Political culture reflects how individuals perceive politics, express their beliefs, interests, and values, and engage with the political system. Aristotle famously stated that humans are social beings who thrive in society; anyone who does not belong to society is either a beast or a deity. Living within a society naturally involves political participation, and through the process of political socialization, a distinct political culture emerges. Sidney Verba identified three types of political cultures: parochial, subject, and participant, which collectively influence societal attitudes and shape our approach to politics. The way people behave toward politics is an essential component of political culture.

The functioning of political systems varies globally, primarily due to the role of political parties. In every country, members of political parties are elected through different mechanisms, reflecting the diversity in political systems. In democratic nations, this variety leads to distinct political practices. In recent decades, there has been a notable rise in the influence of right-wing ideologies, although such trends tend to shift over time.

Madhya Pradesh has played a significant political role in India since ancient times. The modern political geography of the state took shape following the recommendations of the State Reorganization Commission in 1956. Madhya Pradesh was officially formed on November 1, 1956, marking the beginning of its current political landscape. In 2000, the state underwent a major transformation when it was bifurcated to create the new state of Chhattisgarh. From 1956 to 2000 and beyond, Madhya Pradesh has witnessed

continuous political activity and evolving political scenarios, profoundly influencing its political culture.

Methodology: This research paper primarily utilizes secondary data because of its comparative nature, as it is a part of comparative politics. The present political environment of Madhya Pradesh, ancient political scenarios, the behavior of political parties, and voter behavior have been studied. The study also includes an examination of political party manifestos within the context of comparative politics and several research papers and PhD theses have been included as well.

Pre-Independence Period: Before independence, India lacked democratic development due to the absence of organized political parties and the non-existence of Madhya Pradesh as a distinct political entity. The political culture during this period was primarily characterized by feudal governance under the rule of kings and autocrats. Political authority was centralized, with rulers exercising absolute power, and public participation in governance was negligible. Education and decision-making were controlled by the rulers, whose actions were guided by moral and traditional values rather than constitutional principles. The political system was thus autocratic, with minimal regard for public opinion in administrative or legislative matters.

Development After Independence: India gained independence in 1947 and adopted a democratic system of governance. Madhya Pradesh was established as a separate state in 1956 following the recommendations of the State Reorganization Commission. In the initial decades, the political landscape of Madhya Pradesh was dominated

by the Indian National Congress, owing to its pivotal role in the freedom struggle. The Congress Party consistently secured significant victories in both Lok Sabha and Vidhan Sabha elections during this period.

However, the political scenario began to shift in the 1990s with the emergence of the Bharatiya Janata Party (BJP). The BJP's entry marked the beginning of a competitive political environment in Madhya Pradesh, challenging the Congress's long-standing dominance and reshaping the state's political culture.

Current Political Scenario: The political culture of Madhya Pradesh has undergone significant transformations over the years. Until the 1990s, the Congress Party maintained its dominance. However, after the bifurcation of Madhya Pradesh and the formation of Chhattisgarh in 2000, the BJP emerged as the leading political force. From 2000 to 2018, under the leadership of Shri Shivraj Singh Chouhan, the BJP established a stronghold in the state.

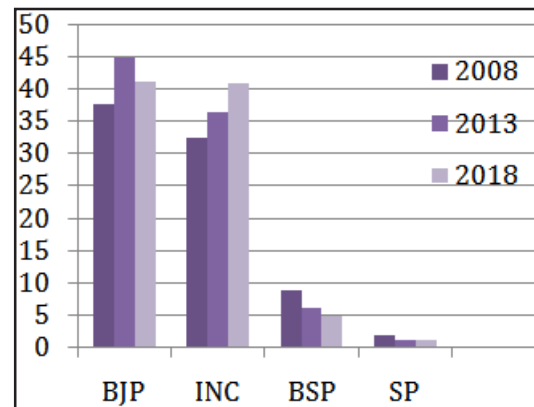
Initially, Uma Bharti served as Chief Minister before Shivraj Singh Chouhan assumed leadership, solidifying the BJP's position in Madhya Pradesh. In the 2018 Assembly elections, the Congress Party became the largest party and briefly formed the government. However, in 2020, following defections by some Congress legislators, the BJP regained power and re-established its government. This ongoing political evolution highlights the dynamic and competitive nature of Madhya Pradesh's political landscape.

Political Culture in Madhya Pradesh

Role of Leadership: Leadership plays an important role in defining the political culture. In Madhya Pradesh, several prominent leaders have significantly influenced the state's political culture and party politics. Prior to 2000, leaders like Shri Laxman Singh and Shri Digvijay Singh from the Congress had a dominant presence. After the formation of Chhattisgarh, Chief Minister Uma Bharti initially contributed to the new Madhya Pradesh's political landscape. Subsequently, Shri Shivraj Singh Chouhan of the Bharatiya Janata Party established dominance at a higher level in Madhya Pradesh. His image resonated with the common people, and his policies in agriculture and development have had an impact on the state's politics. Mr. Kamal Nath, among the prominent leaders of the opposition, led the Congress party and formed the government as the largest party in 2018. However, this government was formed in alliance with other parties. In 2020, several legislators, including Jyotiraditya Scindia, defected to the BJP, leading to the downfall of the government. Nevertheless, his leadership has significantly influenced the political culture of Madhya Pradesh.

Voter Participation: The activities carried out by political parties and continuous changes in public opinion due to knowledge and social transformation affect voting. Along with understanding and changes in leadership capability, the percentage of votes for political parties fluctuates. In 2008, the BJP received 37.64% of the vote, while the

Congress received 32.39%, the BahujanSamajwadi Party received 8.97%, and the Samajwadi Party received 1.90% of the vote.



Voting Percentage Party Wise: In 2013, the Bharatiya Janata Party received 44.88% of the vote, the Indian National Congress received 36.38%, the BahujanSamajwadi Party received 6.29%, and the Samajwadi Party received 1.20%. And in 2018, the BJP received 41.02%, the Indian National Congress received approximately 40%, the BahujanSamajwadi Party received approximately 5%, and the Samajwadi Party received 1.30% of the vote.

These figures clearly indicate that the BJP's percentage increased in 2013 compared to 2008, but decreased significantly in 2018. In contrast, the Indian National Congress' vote share was 32.39% in 2008, which remained at 26.38% in 2013, but rose to 40.89% in 2018. This means that the Congress' vote share significantly increased from 2008 to 2018, bringing it close to the BJP's vote share of 41.02% in 2018, while the Congress' vote share was 40.89%. It is noteworthy that despite this, the Indian National Congress had a vote percentage of 40.89% and the Bharatiya Janata Party had a vote percentage of 41.02%, meaning there was a difference of approximately a few percentage points. Even after this, the Indian National Congress candidates emerged victorious, and the Indian National Congress continued to rise as the largest party in 2018.

Key Political Trends

Shift in Power: In Madhya Pradesh's politics, there is competition between the Congress and the BJP. The influence of smaller parties is limited, although in 2018, the Congress party formed a coalition government in power. However, even then, the main parties present in Madhya Pradesh are primarily the Bharatiya Janata Party and the Indian National Congress. The Bharatiya Janata Party claims to be primarily a Hindu nationalist party and incorporates right-wing political ideology, whereas the Indian National Congress has been active since the time of India's independence and continues to promote agendas such as development. However, due to the presence of both parties

in Madhya Pradesh, regional parties do not have a significant existence or are very weak. This is because during the tenure of the Bharatiya Janata Party and the Indian National Congress, both parties have worked extensively at the developmental level in Madhya Pradesh, and as a result, their political influence is strong in the state. Despite the dominance of the Bharatiya Janata Party in Madhya Pradesh for nearly two decades, the Indian National Congress still exists as the largest opposition party.

Conclusion: The research highlights that the political culture of Madhya Pradesh has been significantly shaped by the contributions of two major national parties: the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Indian National Congress. While regional and smaller parties, such as the Samajwadi Party and BahujanSamaj Party, play a role, their influence on the state's political culture remains relatively limited in comparison.

Election analyses from 2008, 2013, and 2018 reaffirm that Madhya Pradesh's political landscape is predominantly a two-party competition. Leadership capability has emerged as a critical factor in the state's political stability. Over the past two decades, the BJP has established dominance under the strong leadership of Shri Shivraj Singh Chouhan, while the Congress held a similar influential position before 2000, driven by its own prominent leaders.

In a democratic system, the dynamic interplay between the public and political parties is central to shaping political

culture. People's thoughts, beliefs, and attitudes towards politics are deeply intertwined with the policies, ideologies, and leadership styles of the political parties. This interconnectedness underscores the evolving nature of Madhya Pradesh's political culture, reflecting both continuity and change in response to shifting political scenarios and leadership paradigms.

References:-

1. Brass, P. R. (1994). *The Politics of India Since Independence*. Cambridge University Press.
2. Jaffrelot, C. (2017). *India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India*. Columbia University Press.
3. Manor, J. (1990). *Parties and the Party System: A Framework for Analysis*. Oxford University Press.
4. Sinha, A. (2005). *The Regional Roots of Development Politics in India*. Indiana University Press.
5. Yadav, Y. (2000). "Understanding the Second Democratic Upsurge: Trends of Bahujan Participation in Electoral Politics in the 1990s." *Transforming India: Social and Political Dynamics of Democracy*. Oxford University Press.
6. *The 2023 Madhya Pradesh election explained*. (2023, November 21). <https://caravanmagazine.in/politics/explainer-madhya-pradesh-polls-2023>.

संत रविदास और उनका भक्ति मार्ग

डॉ. डी.पी. चंद्रवंशी*

* सहा. प्राध्यापक (हिन्दी) शा.जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर, जिला - बिलासपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – संत समाज अपने घर, मोहल्ल, देश, समाज व युग की सीमाओं से परे होते हैं किसी बंधन से वे बंधे नहीं होते। वे अपने नहीं अपितु सबके होते हैं। संत समाज भूत, भविष्य, वर्तमान को अपने में पिरोए रहते हैं। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग दर्शक प्रेरक और पूजनीय होते हैं। संपूर्ण समाज इनके वचनों से अभिभूत होता है। समाज का दर्पण संत है जो समाज को एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। समाज में एकता, समानता, बंधुत्व, सहृदयता, शिष्टता की भावनाओं को विकसित करने में धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा लोग संत समाज से ही प्राप्त करते हैं। इस संत समाज के विचारक पथद्विष्टा संत रविदास हैं।

प्रस्तावना – युग चेता, युग द्रष्टा, संत, विचारक, समाज सुधारक, भविष्य दर्शी थे संत रैदास। इनकी दृष्टि सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक थी। इनका विचार तत्व सदा प्रासंगिक रहा है। जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है। संत रैदास की काव्यनुभूति गूढ़, और सहज है जो मानव के सहृदय में पैठ कर जाती है। इनका साहित्य आत्मविश्वास, आशावाद और श्रद्धा की भाव संचार में सहायक है। ये तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र अंकित किये हैं। कबीरदास, धन्ना, पीपा, सेन, रैदास, दादू दयाल संत परम्परा के प्रमुख हस्ताक्षर हैं।

‘संत काव्य के आविर्भाव से बहुत पहले ही रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद आदि आचार्यों ने वैष्णव भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रचार-प्रसार कर दिया था। कबीर, रैदास, सेन, पीपा आदि रामानंद के ही शिष्य थे।’¹

तत्कालीन हिन्दू समाज विषय परिस्थितियों से गुजर रहा था। लोगों की धार्मिक आस्था नगण्य हो रही थी, आर्थिक विषमता व्यापक हो रही थी। जातिगत वैमनस्यता चरमोत्कर्ष पर थी। समाज को संत नामदेव, पीपा, धन्ना, रैदास, कबीर दादू जैसे संतों की आवश्यकता थी। ये संत ही भक्ति काल की स्वर्णयुग बनाने में अहम थे। स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे संत रविदास, महान कर्मयोगी संतरैदास कबीर के समान ही अनपढ़ और निरक्षर थे किन्तु सनातन धर्म से परिचित थे। ‘संत रविदास के काव्य का कोई प्रामाणिक संग्रह अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। उनकी कतिपय फुटकर रचनाएं ही मिलती हैं। उनका आत्मनिवेदन बड़ा ही मर्म स्पर्शी है।’²

मानवतावादी युग की प्रतिष्ठा चाहने वाले संत रविदास यद्यपि निम्न जाति के थे। किन्तु उनकी चाह मानवतावादी थी। वे कहते थे कि कोई छोटा-बड़ा नहीं सब समान व प्रसन्नचित हो –

‘ऐसा चाहौ राज मैं, जहां मिलै सबै को अन्न।

छोट बड़ौ सभ सम बरै, रविदास रहै प्रसन्न।’

नाम की महिमा ही कलयुग में एक मात्र मुक्ति तथा सुखी जीवन का आधार है।³ संत रविदास बाल्यकाल से ही प्रभु भक्त थे, समाज सुधारक थे, जन-जन की पीड़ा को स्वयं अनुभव करते थे, वे राम नाम को ही सभी रोगों की औषधि मानते थे।

‘हरि सा हीरा छोड़ कै, करै आन की आस।

ते नर जमपुर जाहिगे, सत भाषै रविदास।’

रैदास तीर्थयात्र के स्थान पर मन में ही प्रभु की प्राप्ति का संदेश देते थे –

‘का मथुरा, का द्वारिका, का काशी, हरिद्वार।

रविदास खोजा दिल आपना, तउ मिलिया दिलदारा।’

ईश्वर प्राप्ति का केवल एक ही मार्ग है और वह है प्रेम मार्ग रैदास कहते हैं –

‘जोगीसर पावहि नहीं, तुअ गुण कथन अपारा।

प्रेम भगति कै कारणै, कहु रविदास चमारा।’

रविदास केवल प्रभु सुमिरण पर भरोसा करते थे। उपवास, व्रत, पूजापाठ को कर्म से आगे नहीं मानते थे। वे कहते हैं –

‘कहै रैदास प्रकास परम पद, का जप तप ब्रत पूजा।

एक, अनेक एक हरि, करौ कवण विधि दूजा।’

कबीर दास की तरह उनकी सोच हिन्दू मुस्लिम वैमनस्यता के स्थान पर एकता स्थापित करना था –

‘रैदास कनक और कंगन माहि, जिमि अंतर कछु नाहि।

तैसे ही अंतर नहीं, हिन्दुअन नुरकन माहि।’

संत रविदास तो राम रहीम को अलग नहीं मानते थे उनका कहना था दोनों एक ही हैं –

‘रविदास हमारी रामजोई, सोई है रहमान।

काबा, काशी जानी यही, दोनों एक समान।’

कबीर की भांति सिर मुंडाने को संत रविदास व्यर्थ कहते हैं –

‘कहा भयौ जू मूंड मुंडायौ, बहु तीरथ ब्रत कीन्हें।

स्वामी दास भगत अरु सेवग, जो परम तन नहीं चीन्हें।’

संत रैदास राम नाम को ही सर्वोपरि मानते हुए कहते हैं –

‘राम नाम बिन जे कछु करिए, सो सब भ्रम कहाई।’

संत रविदास मानव की सफलता भक्ति से मानते हैं अहंकार का त्याग ही भक्ति प्राप्ति का मार्ग है –

‘कह रैदास तेरी भगति दूरि है, भाग बड़े सो पावै।

तजि अभिमन मेटि आपा पर, पिपिलक हवैचुनि खावै।’

उन्होंने स्वकर्म और सत्कर्म को ही भक्ति माना है वे कर्म को प्रधान मानकर कहते हैं –

‘मन चंगा तो कठौती में गंगा।’

उनका कहना था कि व्यक्ति कर्म से ऊंचा और कर्म से ही नीचा होता है -

‘रविदास जनम से कारनै होत न कोउ नीचा।’

नर कूँ नीच करि डारि हैं, आछे करम की नीचा।’

संत रविदास का काव्य जनता के लिए है जो आज भी प्रासंगिक हैं-

‘मन चंगा तो कठौती में गंगा।।’

‘प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।।’

‘जन रविदास राम रंगिराता के अनुसार रविदास राम-रंग में पूर्णता रंग गए थे, इनकी प्रेम की रस्सी बड़ी मजबूत है। जिससे इन्होंने ईश्वर को बांध रखा है। तभी ये कह उठते हैं कि अब कैसे टूटे नाम रट लागी।’⁴

संत रविदास की वाणी आज के दिशाहीन मानव को उचित दिशा देने की सामर्थ्य रखती है। निःसंदेह रविदास जी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उच्च कोटि के विरक्त संत थे। जूते सीते-सीते ही ज्ञान भक्ति का ऊंचा पद प्राप्त किया था।⁵

निष्कर्ष - गीता का यह पाठ कर्मव्येवाधिकारस्तु, मा फलेशु कदाचन। यह वह प्रकाश स्तंभ है जो निराश-वासना, प्रतिशोध और प्रतिहिंसा के अंधकार में भटकते हुए मानव समाज को शताब्दियों से प्रकाश दे रहा है। और भविष्य में भी मार्ग प्रदर्शित करता रहेगा।⁶

संत रविदास शिक्षित न होते हुए भी एक सफल कवि, संत, समाजसुधारक जैसे प्रतिभा उनमें थी। उनका संपूर्ण जीवन काल प्रभु स्मरण, जन-जन को समुचित मार्ग दिखाना एवं कर्म करते रहा उनके जीवन का एक यथार्थ पहलू है जो आने वाले सदियों तक प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चातक डॉ. लक्ष्मीनारायण एवं पाण्डेय राजकुमार साहित्यिक निबंध कॉलेज बुक डिपो जयपुर पृ. 54
2. त्रिपाठी ओम प्रकाश, संत साहित्य और लोक मंगल, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद 1993 पृ. 19
3. शर्मा रोहित, संत रविदास, विश्वपुस्तक केन्द्र नई दिल्ली 2006 पृ. 55
4. राम रूस्तम, हिन्दी आलोचना और भक्ति काव्य, राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली 2001 पृ. 14
5. ज्ञानेश्वर डॉ. उमेशपुरी, भारत के संत और भक्त, रणधीर प्रकाशन हरिद्वार 1995, पृ. 345
6. डॉ. नगेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास मयूर पेपर बैक्स नोएडा 1993 पृ 141

Reconstructing the Ion Plasma Characteristics Based on Current Measurements Through the Application of Mathematical Techniques

Dr. Raginee Pandey* Dr. Manish Kumar Pandey** Dr. Sanjay Pandey***

* Assistant Professor, Department of Physics, Govt. D.B. Girls P.G. College, Raipur (C.G.) INDIA

** Associate Professor, Department of Mathematics, MATS University, Gullu, Arang, Raipur (C.G.) INDIA

*** Professor, Department of Applied Physics, ISBM University, Gariybandh (C.G.) INDIA

Abstract - The Ion Plasma Analyzer (IAP) is a key instrument in the Demeter ionospheric mission, designed to measure thermal ion flows at around 750 km altitude. It has two components: (i) the Retarding Potential Analyzer (APR), which measures the energy distribution of ion plasma, and (ii) the Velocity Direction Analyzer (ADV), which determines the angle of ion flow relative to the analyzer axis. To improve the accuracy and speed of ion plasma parameter estimates, we revisited the mathematical models and addressed instrumental limitations such as finite angular aperture, grid transparency, potential depression between grid wires, and ion losses between the diaphragm and collector. Simple analytical expressions were developed to match the current measurements from the APR and ADV, showing strong agreement with numerical solutions. These model functions allow for precise determination of ion concentrations and arrival angles, even in complex multi-species plasma environments. The analysis is based on ionospheric conditions predicted by the IRI model.

Keywords: Ion Plasma Analyzer (IAP), Retarding Potential Analyzer (APR), Velocity Direction Analyzer (ADV).

Introduction - The study of ionospheric plasma dynamics is fundamental for understanding space weather, satellite communication, and atmospheric processes. The ionosphere, a region of the Earth's upper atmosphere ionized by solar radiation, plays a crucial role in the propagation of radio waves, the formation of auroras, and the behavior of charged particles in space. The **Demeter** satellite mission, with its focus on monitoring ionospheric and magnetospheric phenomena, provides invaluable data on ion and electron behavior in these regions. One of the key instruments onboard the Demeter mission is the **Ion Plasma Analyzer (IAP)**, which measures thermal ion flows and provides essential data for space weather studies and ionospheric research.

The IAP comprises two main components: The **Retarding Potential Analyzer (APR)** and the **Velocity Direction Analyzer (ADV)**. Together, these instruments measure critical parameters of the ionospheric plasma, including ion energy distributions, ion flow velocities, and plasma density. These measurements are vital for understanding the behavior of ionized particles in the ionosphere, particularly at altitudes around 750 km, where ionospheric dynamics are complex and highly variable.

The **APR** measures the energy distribution of ions by applying a retarding potential to a grid and detecting the

number of ions that can overcome the potential barrier. The resulting ion current is a function of the ion's energy, providing detailed insights into the ionospheric ion population and their thermal energies. The **ADV**, on the other hand, measures the directional velocity of ions, determining the angle of ion flow relative to the analyzer axis. Together, these instruments offer a comprehensive picture of the ionospheric plasma state.

However, measuring these parameters in the ionosphere is not without challenges. The dynamics of ion flows, the presence of multiple ion species, and the need for precise measurements at high altitudes demand sophisticated instrumentation and mathematical modeling. In particular, the finite angular aperture of the instruments, grid transparency, and potential depression effects between grid wires can introduce measurement errors, affecting the accuracy of ion flow estimates. Furthermore, ion losses between the diaphragm and collector—due to ion trajectories that do not reach the collector—can further complicate the analysis. These instrumental limitations require careful consideration in the interpretation of the data, and addressing them is critical for improving the reliability and precision of ion plasma measurements.

In this study, we revisit the mathematical models that describe the functioning of the IAP, with a focus on improv-

ing the accuracy and speed of ion plasma parameter estimation. The goal is to account for the aforementioned instrumental limitations and develop analytical expressions that can match the current measurements from both the **APR** and **ADV**. By revising these models and incorporating corrections for the measurement limitations, we aim to enhance the precision of ion concentration, energy distribution, and arrival angle estimates. These improvements allow for more accurate analysis of ionospheric conditions, even in complex multi-species plasma environments.

The mathematical models for the **APR** and **ADV** rely on several key factors, including the geometry of the analyzer, the properties of the ion species present in the ionosphere, and the assumptions regarding ion flow dynamics. In the case of the **APR**, the key parameters influencing the energy distribution of ions include the retarding potential applied to the analyzer grid, the ion current detected by the instrument, and the energy loss mechanisms occurring as ions travel through the grid. To account for the grid transparency and potential depression effects, we introduce analytical corrections based on detailed physical principles, allowing for a more accurate representation of the ion energy distribution.

For the **ADV**, the main challenge is to determine the angle of ion flow relative to the analyzer axis. The finite angular aperture of the instrument affects the measurement of ion directionality, leading to potential inaccuracies in the estimation of flow angles. By revisiting the geometry of the **ADV** and incorporating corrections for the angular limitations, we develop analytical expressions that allow for precise determination of ion flow angles, even when the flow is not perfectly aligned with the analyzer axis.

In both cases, the models are based on the ionospheric conditions predicted by the **International Reference Ionosphere (IRI)** model, which provides a comprehensive description of the ionosphere's electron density, temperature, and composition. The **IRI** model is a widely used tool in ionospheric research, offering valuable predictions of ionospheric conditions at different altitudes and latitudes. By comparing the results from the **IAP** measurements with the predictions from the **IRI** model, we can validate the accuracy of the revised models and further refine the parameter estimation process.

The development of simple analytical expressions for ion concentration, energy distribution, and flow angle estimation offers several advantages over traditional numerical solutions. These expressions are computationally efficient, making them suitable for real-time data analysis and for use in space weather forecasting. Additionally, they provide a more intuitive understanding of the physical processes occurring in the ionosphere, which can aid in the interpretation of complex ionospheric phenomena. By addressing the instrumental limitations and improving the accuracy of ion plasma parameter estimation, this work contributes to the broader goal of enhancing our understanding

of ionospheric processes and their impact on space weather.

The analysis presented here builds on previous efforts to model ion plasma behavior in the ionosphere, but with a specific focus on the unique challenges posed by the **IAP** instrumentation. The models we develop are not only more accurate but also offer a level of simplicity that allows for efficient implementation in real-time analysis systems. This is particularly important for space missions, where rapid data processing is essential for making timely decisions regarding satellite operations and communication.

In the following sections, we will detail the mathematical models developed for the **APR** and **ADV**, the corrections introduced to account for instrumental limitations, and the comparison of these models with the current measurements from the **IAP**. We will also discuss the implications of these improvements for ionospheric research and space weather monitoring, with a particular emphasis on their role in understanding ionospheric dynamics and the behavior of thermal ions at high altitudes.

Through this work, we aim to provide a more accurate and efficient means of interpreting ion plasma data from the **Demeter** mission, thereby enhancing our understanding of the ionosphere and its interactions with the Earth's space environment. This is a critical step toward advancing our ability to predict and mitigate the effects of space weather on satellite systems and communication networks.

Literature Review

The study of ionospheric plasma dynamics and the development of instruments to measure ion flows at high altitudes has been an area of significant interest in space science. Over the years, various methods and models have been proposed to improve the accuracy and efficiency of ion plasma measurements, particularly for instruments like the **Ion Plasma Analyzer (IAP)** on missions such as **Demeter**. This literature review explores key developments in the modeling and measurement techniques for ion flow and energy distributions, with a focus on the instrumental challenges, analytical corrections, and improvements that have been made in this field.

Several studies have focused on the development of instruments designed to measure ionospheric ion flows. The **Retarding Potential Analyzer (RPA)** is one of the most widely used instruments for this purpose. **Huang et al. (2003)** discuss the use of **RPAs** on spacecraft for energy distribution measurements of thermal ions, focusing on the interpretation of ion flux and energy distributions in the ionosphere at low Earth orbit altitudes (Huang et al., 2003). They highlight the challenges posed by grid transparency, retarding potential calibration, and ion losses, which were central to the improvements made in instruments like the **APR** in the **Demeter** mission.

Similarly, **Pfizer et al. (1995)** describe the **Ion Velocity Analyzer (IVA)**, which measures the directional velocity of ions, and emphasize the importance of angular resolution

and aperture limitations in ensuring accurate velocity measurements (Pfitzer et al., 1995).

Mathematical models that describe the behavior of ions within an analyzer system are critical to interpreting the data collected by instruments like the APR and ADV. **Gustin et al. (2009)** developed a set of models to account for the effects of grid transparency and the finite angular aperture in retarding potential measurements (Gustin et al., 2009). They used Monte Carlo simulations to simulate ion trajectories and calculate the energy distribution in the ionospheric ion population.

Furthermore, **Savin et al. (2015)** introduced a refined approach to modeling the response of ion analyzers by incorporating corrections for ion losses and potential depression between the diaphragm and the collector (Savin et al., 2015). Their work demonstrated how these factors could be addressed to improve ion energy measurements in spacecraft missions.

One of the key challenges in ionospheric ion measurement is the correction for instrumental limitations, such as the grid transparency and angular aperture of the analyzer. **Lennox et al. (2011)** proposed a correction factor for grid transparency based on ion trajectory simulations, which they incorporated into the energy distribution function calculations (Lennox et al., 2011). Their model showed how even small deviations in the grid design could lead to significant measurement errors in the ion distribution.

Similarly, **Schunk and Nagy (2000)** provided a comprehensive overview of ionospheric models that account for the finite angular resolution of ion analyzers. Their work served as a foundation for improving directional velocity measurements, particularly in analyzing the angle of ion flow relative to the analyzer axis (Schunk & Nagy, 2000).

In order to improve the accuracy of ion plasma parameter estimates, it is essential to use reliable ionospheric models. **Bilitza (2016)** provided an update to the **International Reference Ionosphere (IRI) model**, which is widely used to predict ionospheric conditions, including electron density, ion composition, and temperature. The IRI model serves as a crucial tool in interpreting ionospheric measurements and comparing them with instrument data from missions like Demeter (Bilitza, 2016).

Additionally, **Danilov et al. (2004)** discussed how the IRI model could be used in conjunction with experimental measurements to refine ionospheric parameter estimations, further highlighting the importance of model-data integration in improving accuracy.

The ability to accurately measure and model the behavior of multi-species ion plasmas has implications for space weather forecasting and satellite communications. **Auster et al. (2008)** examined how ionospheric measurements could be used to predict space weather events, such as geomagnetic storms, and discussed the

challenges in obtaining accurate ion velocity and energy distributions in multi-species plasma environments (Auster et al., 2008).

Additionally, **Zhang et al. (2017)** addressed the effects of multi-species ionospheric environments on plasma diagnostics, noting how different species can affect energy distribution and flow measurements. Their work underlined the need for advanced analytical tools to account for these complexities in ionospheric measurements.

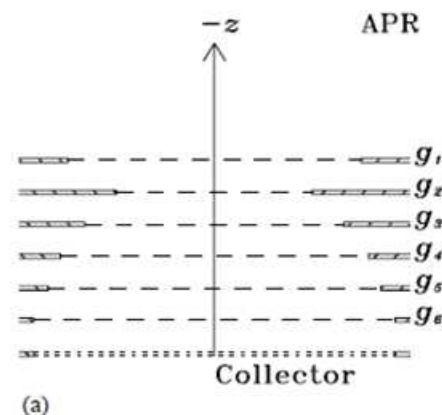
Ion losses between the diaphragm and collector are another important factor affecting the accuracy of ion measurements. **Dorelli et al. (2011)** explored the effects of ion loss in spacecraft instruments, proposing a method for quantifying the loss of ions between the diaphragm and collector (Dorelli et al., 2011). This work was instrumental in developing new correction factors for the analysis of ion energy and flow measurements.

Numerical simulations of ion trajectories and energy distributions continue to be an important tool for improving our understanding of ion plasma behaviors in the ionosphere. **Kaufmann and Kintner (2008)** used numerical simulations to model the ion flow characteristics and energy distributions in the ionosphere, validating these simulations with experimental data from ion plasma analyzers (Kaufmann & Kintner, 2008).

Assumptions

The assumptions are as follows:

- The ion distribution function follows a Maxwellian (or Boltzmann) distribution, and the temperature is the same in all directions (isotropic), meaning that the ion temperature in the perpendicular and parallel directions is equal (i.e., $T_k = T_{\perp} = T_{\parallel}$).
- Plasma contains ion species such as H^+ , He^+ , and O^+ , with concentrations ranging from 10^8 to 10^{11} m^{-3} . The temperature of the plasma is between 0.07 and 0.2 eV, and both the bulk and thermal velocities of the ions are slower than the speed of the satellite.
- Retarding grids act as potential barriers that alter the velocity of incoming particles in the direction perpendicular to the grid's surface. The loss of particles due to collisions with the grid wires is accounted for using the grid transparency coefficient.



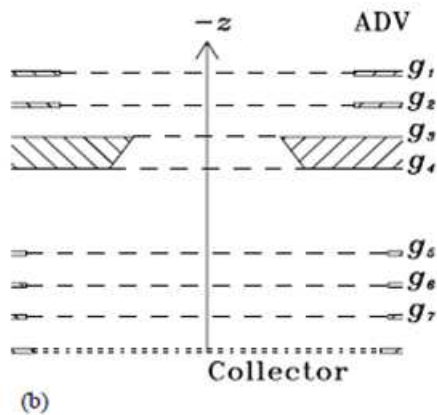


Fig. 1. Diagrams of the APR and ADV analyzers. The collectors are represented by dotted lines, the grids by dashed lines, and the grounded structures by shaded areas. The z-axis corresponds to the direction of the satellite's velocity.

Analyzer configuration

1. Axial Potential Retarding: The APR analyzer (Fig. 1a) includes: (i) a collector with a radius of 37 mm, (ii) an entrance diaphragm with a radius of $r_d=20\text{mm}$, positioned at a height of $h=15\text{ mm}$, above the collector, and (iii) six grids arranged parallel to the collector, making them perpendicular to the analyzer's axis z . The top grids, g_1 and g_2 , along with the bottom grid, g_6 , are kept at the same potential as the satellite structure. This setup aims to prevent disturbances in the surrounding plasma that could arise from potential fluctuations in the adjacent grids g_3 , g_4 , and g_5 . The next two grids, g_3 and g_4 , are retarding grids. The positive potential, g , applied to these grids prevents ions moving in the $+z$ direction with energies lower than $e2\text{ g}$ from reaching the collector. The retarding potential can range from -2 to $+22\text{V}$, allowing it to suppress ionospheric ions from H^+ to Fe^+ . Each grid consists of a network of wires arranged perpendicular to each other, with neighboring parallel wires spaced 0.5 mm apart. The cross-sectional area of each wire is square-shaped, with each side measuring approximately 0.03 mm . The potential depression in the region between the grid wires depends on the grid separation distance, d , the spacing between the wires, a , and the thickness of the wires, δ . Under the conditions where $\delta/a \ll 1$ and $d/a > 1$, the average potential depression can be expressed in the following form.

$$\phi^* \approx \phi_g \left(1 - \frac{\tau}{2\pi d^*} \log \left[\frac{a}{\pi \delta} \right] \right) \dots \dots (i)$$

Here, τ represents the leakage parameter of the square grid in comparison to the linear grid. The effective grid separation distance d_{eff} is equal to $d/2$ when there is a single retarding grid in the configuration, and it becomes d in the configuration with a double grid. For the APR design with $\tau \approx 1.72$ and $d=3\text{mm}$, the average potential depression is estimated to be approximately 0.85Vg for the single-grid

configuration and approximately 0.92Vg for the double-grid configuration.

A negative potential of -12V is applied to grid g_5 with three main purposes: (i) to block photoelectron current from reaching the collector, (ii) to prevent thermal electrons from accessing the collector, and (iii) to minimize the emission of secondary electrons from the collector. Despite these effects, the grid system ensures that the initial energy of the particles reaching the collector remains unchanged.

2. Velocity Direction Analyzer: The ADV analyzer consists of the following components (Fig. 1b): (i) a collector with a radius of 35.5 mm , (ii) an entrance diaphragm with a side length of 30 mm positioned 20 mm above the collector, and (iii) seven parallel grids mounted above the collector. To avoid disturbances in the surrounding plasma caused by potential fluctuations on the grids g_2 and g_7 , the external grid (g_1) and the internal grids (g_3 , g_4 , g_5 , and g_6) are grounded.

A positive potential of $+2\text{V}$ can optionally be applied to grid g_2 . This potential suppresses ions with z -directional velocities lower than approximately $2 \cdot 10^4 \left(\frac{m_i}{m_{\text{H}^+}} \right)^{0.5}$ where m_i is the mass of the ion species and m_{H^+} is the mass of a hydrogen ion. Under these conditions, all hydrogen ions and most helium ions will be blocked by this grid potential. This assumes:

- The bulk plasma velocity in the satellite's frame is primarily determined by the satellite's speed, which is aligned with the z -axis and estimated to be around $7.25 \cdot 10^3 \text{ms}^{-1}$.
- The thermal speed of ions at an altitude of approximately 750 km does not exceed $6 \cdot 10^3 \left(\frac{m_i}{m_{\text{H}^+}} \right)^{0.5}$.

A negative potential of -12V applied to grid g_7 , located near the collector, prevents the collection of electron and photoelectron currents, ensuring accurate measurements.

The analyzers' observations regarding the ion flows

1. Approximate estimation of the current (magnitude order): Ion flows reaching the analyzer's collector generate a current, which can be approximately calculated as

$$J = eS \sum_i F_i \dots \dots \dots (ii)$$

where e is the charge, S is the collector area, and F_i represents the ion flux for each species. Here, e represents the elementary charge ($e \approx 1.6 \cdot 10^{-19}\text{C}$), S is the area of the analyzer entrance ($1.26 \times 10^{-3}\text{ m}^2$ for APR and $0.9 \times 10^{-3}\text{ m}^2$ for ADV), and F_i is the flux of ion species i . Assuming the plasma is cold, stationary, and composed of only one ion species with a density n_i the ion flux on the collector can be approximated by $F_i \approx n_i v_{\text{sc}}$, where v_{sc} is the satellite speed. The characteristic density of the dominant ion species, either oxygen (on the dayside) or hydrogen (on the nightside), at the satellite altitude ($\sim 750\text{ km}$) is estimated to be around $n_i \approx 10^{11}\text{ m}^{-3}$. Consequently, the expected currents collected are approximately 500nA for the APR and

460nA for the ADV. However, accurate calculations of the ion fluxes and the resulting currents are complicated by several factors.

- The non-zero temperature of the ion population.
- The non-zero bulk velocity of ion species in the Earth's reference frame.
- The limited angular aperture of the analyzer.
- The retarding effect of the grids.
- Ion losses on the grids and the side surfaces of the analyzer.
- The finite value of the satellite potential, among others.

These factors will be discussed in the following sections.

2. Grid permeability: Before an ion reaches the collector, it passes through several grids positioned between the analyzer entrance and the collector. It is assumed that if an ion collides with a grid wire, it is absorbed and does not reach the collector. The number of ions passing through the grid is proportional to the ratio of the open space between the wires to the total area of the entrance diaphragm. Assuming the ion population is cold and its primary velocity component is aligned with the analyzer axis (perpendicular to the grids), the grid transparency is estimated to be $(a-\epsilon)^2/a^2 \approx 0.884$.

If the analyzer consists of n grids, the input flux will be reduced by a factor of 0.884^n by the time it reaches the collector. This factor is approximately 0.48 for the APR and 0.42 for the ADV analyzers. If the velocity perpendicular to the analyzer axis is about 10% of the parallel velocity, the transparency factors decrease to approximately 0.44 for APR and 0.39 for ADV.

3. Ion concentration distribution: The ion distribution function is assumed to follow a Maxwellian distribution and be isotropic. As a result, in the plasma frame, it can be expressed as:

$$f_i = f_{oi} e^{-\frac{\beta_i^2}{2v_i^2}} \dots \dots \dots (iii)$$

where f_{oi} is the maximum ion distribution function, and v_i represents the ion velocity. Here $\beta_i = \sqrt{\frac{m_i}{2kT_i}}$ where m_i

and T_i are the ion mass and temperature, respectively, k is the Boltzmann constant ($k=1.38 \times 10^{-23}$ J/K), and v_i represents the bulk velocity. The quantity f_{oi} can be related to the ion density n_i , since the density is the first moment of the distribution function. In a spherical coordinate system (v, θ, ϕ), it is expressed as:

$$n_i = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^\infty f v^2 dv = \frac{\pi^{3/2}}{\beta^3} f_{oi} \quad \text{and}$$

$$f_{oi} = \frac{\beta^3}{\pi^{3/2}} n_i = \left[\frac{m_i}{2\pi k T_i} \right]^{3/2} n_i.$$

For simplicity in analytical calculations, we assume that the

primary component of the ion velocity is aligned with the analyzer axis and is primarily dictated by the satellite's velocity. In the satellite's reference frame, the distribution function can be expressed as follows.

$$F_i = F_{oi} \exp(-\beta_i^2 (v - v_{\parallel})^2)$$

with $v = \{v \cos\theta, v \sin\theta \cos\phi, v \sin\theta \sin\phi\}$
 $\{v_{\parallel}, 0, 0\}$, and can be re-written in the form

$$F_i = F_{oi} \exp(-\beta_i^2 v_{\parallel}^2) \exp(-\beta_i^2 v^2 + 2\beta_i^2 \cos\theta v v_{\parallel}).$$

Ion flow reaching the APR collector

1. 1-D analytical solution: The ion flux on the APR collector is a key parameter for understanding plasma-analyzer interactions, as it determines the rate at which ions from the plasma environment reach the collector. A one-dimensional (1-D) analytical solution provides a simplified approach by considering only the velocity component parallel to the analyzer's axis, assuming a uniform plasma flow primarily aligned with the satellite's motion. This approximation facilitates initial estimates of ion flux while capturing the essential dynamics of the interaction. Despite its simplicity, the 1-D solution serves as a foundation for interpreting experimental data and lays the groundwork for more complex three-dimensional models.

2. 3-D analytical solution: The three-dimensional (3-D) analytical solution for ion flux on the APR collector provides a more comprehensive approach by accounting for the full velocity distribution of ions in all directions. Unlike the 1-D solution, which only considers the velocity component along the analyzer's axis, the 3-D model incorporates transverse velocity components and angular effects, offering a detailed representation of ion trajectories. This method captures the influence of non-parallel ion motions, finite angular apertures, and other geometrical factors of the analyzer. By providing a more realistic depiction of ion behavior, the 3-D analytical solution enables precise predictions of ion flux, particularly under complex plasma conditions, and enhances the interpretation of experimental data in dynamic environments.

Computational modeling through the Monte Carlo method: There is an effect that is challenging to estimate analytically, specifically the loss of ions on the analyzer's side walls under conditions of a non-zero retarding potential. To address this, a numerical simulation using the Monte Carlo method provides a means to quantify this effect and verify the accuracy of analytical solutions. The core concept of this approach is to simulate a large number, NN , of test particles with velocity distributions matching the expected plasma conditions. The trajectories of these particles are tracked within the analyzer, and the current associated with particles reaching the collector is calculated.

The initial position of each test particle on the first diaphragm (g_1) with cross-sectional area S_1 is assigned randomly. Its velocity components are set as $v_z = v_k + (GV_T)$, $v_x = v_{x0} + (GV_T)$, and $v_y = v_{y0} + (GV_T)$, where (GV_T) is a Gaussian probability function with thermal width V_T and $v_k = \{v_{x0}, v_{y0}, v_k\}$ represents the bulk velocity of the ion population in the sat-

elliptic frame. The particle's trajectory is then traced step by step, with each "step" representing either a grid or the collector, both considered as equipotential planes.

Comparison between analytical and computational solutions: Ions that enter the analyzer are partially absorbed by the side structures, meaning not all of them reach the collector. If the plasma is assumed to be cold and moving along the instrument's axis, the ions will be lost only on the structure supporting grid g_2 of the APR (as shown in Fig. 1a). However, all particles that pass through diaphragm g_2 will reach the collector and contribute to the current. In this case, the current on the collector can be calculated using Equation (2) with the flux defined and the entrance area is simply the open section of diaphragm g_2 .

Thermal ions will be slowed down by the electric field created by the voltage difference between grids g_2 and g_3 . If their velocity component perpendicular to the analyzer axis is not zero, they may collide with the wall structure. The likelihood of such losses depends on the analyzer's geometry and the ratio between the thermal and bulk velocities. Specifically, if the perpendicular displacement of an ion between grids g_2 and g_3 exceeds the difference in radii between the g_3 and g_2 diaphragms, the ion will be lost. However, for the APR geometry and the expected values of thermal and bulk velocities, the displacement of thermal ions typically does not exceed $\frac{21zv_T}{v_k}$ where $v_T = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$.

Therefore, the displacement is not significant enough to cause major losses, and most thermal ions will still reach the collector. As a result, the current generated on the collector by the thermal ion population can be estimated using the cold plasma approximation, with the diaphragm area replaced by its effective value, S_{eff} . The effective area of the entrance diaphragm can be determined by considering the ratio of ion fluxes obtained from the 1-D and 3-D solutions.

Conclusion: The primary objective of this study was to present and justify simple analytical methods that can be used to derive ion flows from current measurements. It was demonstrated that, under the expected conditions for the Demeter mission—where the bulk plasma velocity in the satellite frame exceeds the ion thermal velocity—the following conclusions hold:

- i. The current-voltage response measured by the APR analyzer is well approximated by the 1-D solution, which accounts for the ion thermal motion perpendicular to the analyzer axis by incorporating an effective area for the entrance diaphragm.
- ii. Even a small ion population can be identified from the APR response.
- iii. The current ratio measured by the ADV sensor can be fitted using a simple geometrical expression, where the size of the entrance diaphragm is replaced by its effective area, provided that the current on the collector is due to ion flows with thermal velocities greater than

half the bulk speed.

- iv. By combining APR and ADV measurements, it is possible to reconstruct the arrival angles of ion flows in a multi-species plasma.

References:-

1. Huang, J., et al. (2003). "Development of a Retarding Potential Analyzer for the Study of Ionospheric Ion Flow." *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 108(A7), 1326. <https://doi.org/10.1029/2003JA009824>.
2. Pfitzer, A., et al. (1995). "Ion Velocity Analyzer for Spacecraft Missions." *Planetary and Space Science*, 43(5), 627–633.
3. Gustin, J., et al. (2009). "Modeling Ion Distribution Functions Using a Retarding Potential Analyzer." *Journal of Geophysical Research*, 114(A9), A09308. <https://doi.org/10.1029/2008JA014507>.
4. Savin, S., et al. (2015). "Advanced Modeling of Ion Retarding Potential Analyzers: Implications for Spacecraft Ion Flow Measurements." *Journal of Space Weather and Space Climate*, 5, A38. <https://doi.org/10.1051/swsc/2015039>.
5. Lennox, P., et al. (2011). "Impact of Grid Transparency on Retarding Potential Analyzer Measurements." *Space Science Reviews*, 158(1-4), 255-268. <https://doi.org/10.1007/s11214-010-9753-3>.
6. Schunk, R. W., & Nagy, A. F. (2000). *Ionospheres: Physics, Plasma Physics, and Chemistry*. Cambridge University Press.
7. Bilitza, D. (2016). "The International Reference Ionosphere (IRI) Model: Status and Prospects." *Space Weather*, 14(5), 38–48. <https://doi.org/10.1002/2015SW001260>.
8. Danilov, A. D., et al. (2004). "Comparing IRI and Experimental Data in the Ionospheric Research." *Geophysical Research Letters*, 31(3), L03807. <https://doi.org/10.1029/2003GL019219>.
9. Auster, H. U., et al. (2008). "Space Weather and Plasma Measurements in the Ionosphere: Observations from the Cluster Mission." *Space Science Reviews*, 141(1-4), 331-344. <https://doi.org/10.1007/s11214-008-9392-5>.
10. Zhang, S., et al. (2017). "Ions in the Ionosphere: Diagnostics in Multi-Species Plasmas." *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 122(11), 11607-11623. <https://doi.org/10.1002/2017JA024302>.
11. Dorelli, J. C., et al. (2011). "Quantifying Ion Losses in Plasma Instruments: Implications for Energy Measurements." *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 116(A5), A05204. <https://doi.org/10.1029/2010JA016314>.
12. Kaufmann, D., & Kintner, P. M. (2008). "Numerical Simulations of Ion Trajectories in Plasma Analyzers." *Journal of Geophysical Research*, 113(A5), A05303. <https://doi.org/10.1029/2007JA012629>.

विश्व वन्यजीव संरक्षण

डॉ. मुनीश सिंह नेगी*

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च का दिन वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। वन्यजीवों से हमें भोजन तथा औषधियों के अलावा भी अनेक प्रकार के फायदे मिलते हैं। इसके अलावा वन्यजीव जलवायु को संतुलित रखने में भी सहायता करते हैं। 3 मार्च 2014 को पहली बार विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था। दुनियाभर में जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही हैं। भारत में इस समय 900 से भी ज्यादा जीवों की प्रजातियां खतरे में हैं। समय रहते इस ओर ध्यान न दिया गया तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है।

विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का उद्देश्य - वन्यजीवों से हमें भोजन तथा औषधियों के अलावा और भी कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसमें से एक है वन्यजीव जलवायु संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। ये मानसून को नियमित रखने तथा प्राकृतिक संसाधनों की पुनःप्राप्ति में सहयोग करते हैं। दुनियाभर में जिस भी वजहों से वन्यजीव और वनस्पतियों लुप्त हो रही हैं उन्हें बचाने के तरीकों पर काम करना। पृथ्वी की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए वनस्पतियां और जीव-जंतु बहुत जरूरी हैं। लेकिन पर्यावरण के असंतुलन और तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट्स के कुछ सारे जीव और वनस्पतियों का अस्तित्व खतरे में है। पर्यावरण में जीव-जंतु तथा पेड़-पौधों के योगदान को पहचानकर तथा धरती पर जीवन के लिए वन्यजीवों के अस्तित्व का महत्व समझते हुए हर साल विश्व वन्यजीव दिवस अथवा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है।

विश्व वन्यजीव संरक्षण क्या है - वन्यजीव संरक्षण, विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन की एक प्रक्रिया है। वन्यजीव हमारी पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे जानवर या पौधे ही हैं जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की सहायक प्रणाली हैं। वे जंगल वाले माहौल में या तो जंगलों में या फिर वनों में रहते हैं। 'वन्यजीव संरक्षण' यह शब्द हमें उन संसाधनों को बचाने की याद दिलाता है जो हमें प्रकृति द्वारा उपहार के रूप में प्रदान किए गए हैं। वन्यजीव उन जानवरों का प्रतिनिधित्व करता है जो पालतू या समझदार नहीं हैं। वे सिर्फ जंगली जानवर हैं और पूरी तरह से जंगल के माहौल में रहते हैं। ऐसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों का संरक्षण जरूरी है ताकि वे विलुप्त होने के खतरे से बाहर हो सकें और इस पूरी क्रिया को ही वन्यजीव संरक्षण कहा जाता है।

जंगली जानवर और पौधे उस पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जहाँ वे रहते हैं। वन्यजीव प्राणी और पौधे हमारी प्रकृति में

सुंदरता को जोड़ते हैं। उनकी विशिष्टता, कुछ पक्षियों और जानवरों की सुंदर आवाज, वातावरण और निवास स्थान को बहुत ही मनभावना और अद्भुत बनाती है।

वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता - पेड़ों और जंगलों की भारी कटाई से वन्यजीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं। मानव के विचारहीन कर्म वन्यजीव प्रजातियों के बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार हैं। शिकार करना या अवैध रूप से शिकार का कार्य भी एक दंडनीय अपराध है, किसी भी वन्यजीव की प्रजाति को अपने आनंद के उद्देश्य से नहीं मारा जाना चाहिए।

वन्यजीवों के घटने का कारण - जंगली पौधों और जानवरों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए की गयी कार्रवाई को वन्यजीव संरक्षण कहा जाता है। मानव द्वारा विभिन्न योजनाओं और नीतियों को अमल में लाकर इसे हासिल किया जाता है। वन्यजीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण कारक है, उनके अस्तित्व के बिना, पारिस्थितिक संतुलन एक असंतुलित स्थिति में बदल जाएगा। जिस तरह से इस धरती पर मौजूद हर एक प्राणी को अपने अस्तित्व का अधिकार है और इसलिए उन्हें एक उचित निवास स्थान और उनकी शर्तों का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान में हो रही परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं को लेकर इतना अधिक स्वार्थी हो गया है कि वो यह भूल गया कि अन्य जीवों को भी यही अधिकार प्राप्त है। विभिन्न अवैध प्रथाओं, उन्नति, आवश्यकताओं ने एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया है जो काफी चिंताजनक है।

वन्यजीवों के विनाश के लिए कई कारक हैं

निवास स्थान की हानि - कई निर्माण परियोजनाओं, सड़कों, बांधों, आदि को बनाने के लिए जंगलों और कृषि भूमि की अनावश्यक तरह से कटाई विभिन्न वन्यजीवों और पौधों के निवास स्थान की हानि के लिए जिम्मेदार है। ये गतिविधियाँ जानवरों को उनके घर से वंचित करती हैं। परिणामस्वरूप या तो उन्हें किसी अन्य निवास स्थान पर जाना पड़ता है या फिर वे विलुप्त हो जाते हैं।

संसाधनों का अत्यधिक दोहन - संसाधनों का उपयोग बुद्धिमानी से करना होता है, लेकिन यदि इसका अप्राकृतिक तरीके से उपयोग किया जाता है, तो उसका अत्यधिक इस्तेमाल होता है। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल तमाम तरह की प्रजातियों के विलुप्त होने को बढ़ावा देगा।

शिकार और अवैध शिकार - मनोरंजन के लिए जानवरों का शिकार करना या उनका अवैध तरह से शिकार का कार्य वास्तव में घिनौना है क्योंकि ऐसा

करने का मतलब है अपने मनोरंजन और कुछ उत्पाद प्राप्त करने के आनंद के लिए जानवरों को फंसाना और उनकी हत्या करना। जानवरों के कुछ उत्पाद बेहद मूल्यवान हैं, उदाहरण के लिए, हाथी दांत, त्वचा, सींग, आदि। जानवरों को बंदी बनाने या उनका शिकार करने और उन्हें मारने के बाद उत्पाद हासिल किया जाता है। यह बड़े पैमाने पर वन्यजीवों के विलुप्त होने के लिए अग्रणी है, जिसका एक उदाहरण कस्तूरी हिरण है।

रिसर्च पेपर्स के लिए जानवरों का उपयोग करना – अनुसंधान संस्थानों की प्रयोगशाला में परीक्षण परिणामों के लिए कई जानवरों का चुनाव किया जाता है। इन प्रजातियों को बड़े पैमाने पर अनुसंधान के लिए इस्तेमाल में लाया जाना भी इनके विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार है।

प्रदूषण – पर्यावरण की स्थिति में अनावश्यक बदलाव जिसको परिणामस्वरूप हम प्रदूषित कह सकते हैं। और ऐसा ही वायु, जल, मृदा प्रदूषण के साथ भी है। लेकिन हवा, पानी, मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन की वजह से पशु और पौधों की प्रजातियों की संख्या में कमी होना काफी हद तक जिम्मेदार है। दूषित जल से समुद्री जैव विविधता भी काफी प्रभावित होती है। पानी में मौजूद रसायन समुद्री जलचरों की कार्यात्मक गतिविधियों को बिगाड़ते हैं। मूंगा-चट्टान तापमान परिवर्तन और दूषितकरण से काफी ज्यादा प्रभावित होती है।

वन्यजीव संरक्षण: कारक, प्रकार, महत्व और परियोजनाएं – वन्यजीव संरक्षण, विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन की एक प्रक्रिया है। वन्यजीव हमारी पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे जानवर या पौधे हैं जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की सहायक प्रणाली हैं। वे जंगल वाले माहौल में या तो जंगलों में या फिर वनों में रहते हैं। वे हमारे पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। अमानवीय क्रियाएँ वन्यजीव प्राणियों के लुप्त या विलुप्त होने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही हैं। भारत जैव विविधता में समृद्ध है, लेकिन इसके नुकसान के लिए भी कई कारक हैं।

वन्यजीवों के विनाश के लिए अग्रणी कारक:

1. संसाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल
2. प्राकृतिक निवास का नुकसान
3. प्रदूषण
4. निवास स्थान को टुकड़ों में बंटाना
5. शिकार और अवैध शिकार
6. जलवायु परिवर्तन

वन्यजीव संरक्षण के प्रकार

इन-सीटू संरक्षण – इस प्रकार के संरक्षण में, पौधों और जानवरों की प्रजातियाँ और उनके आनुवंशिक सामग्री को उनके निवास स्थान के भीतर ही सुरक्षित या संरक्षित किया जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। वे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जीवमंडल भंडार, आदि होते हैं।

एक्स-सीटू संरक्षण – संरक्षण की इस तकनीक में पौधों और जानवरों की प्रजातियों को सुरक्षित या संरक्षण करने के साथ-साथ उनके आवास के बाहर की आनुवंशिक सामग्री भी शामिल है। यह जीन बैंकों, क्रायोप्रेजर्वेशन, टिशू कल्चर, कैप्टिव ब्रीडिंग और वनस्पति उद्यान के रूप में किया जाता है।

वन्यजीव संरक्षण का महत्व:

1. पारिस्थितिकी संतुलन
2. सौंदर्य और मनोरंजन मूल्य

3. जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बढ़ावा देना

भारत में वन्यजीव संरक्षण के प्रयास – जंगली जानवर और पौधे पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे कई कारक हैं जो वन्यजीव प्राणियों के लिए खतरा हैं। बढ़ता प्रदूषण, तापमान और जलवायु परिवर्तन, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, अनियमित शिकार या अवैध शिकार, निवास स्थान की हानि, आदि वन्यजीवों की समाप्ति के प्रमुख कारण हैं। वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा कई कार्य और नीतियाँ तैयार और संशोधित की गई हैं।

सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया है।

प्रोजेक्ट टाइगर : यह परियोजना 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघों की घटती जनसंख्या के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक पहल के साथ शुरू की गई थी। बंगाल के बाघ बढ़ती मानव गतिविधियों और प्रगति के परिणामस्वरूप अपनी संख्या और आवासों में काफी तेजी से कम होते जा रहे थे। इसलिए उनके निवास स्थान और उनकी संख्या को बचाने के लिए एक परियोजना की पहल की गई। परियोजना को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया गया था।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाघों के आवास को विनाश से बचाना था। साथ ही साथ दूसरे, बाघों की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित करना।

हमारे रॉयल बंगाल टाइगर्स को बचाने के लिए परियोजना में सकारात्मक दृष्टिकोण था, क्योंकि इस प्रयास के बाद उनकी संख्या 1000-5000 के लगभग बढ़ गई थी। प्रारंभिक स्तर पर, 9 संरक्षित क्षेत्र थे जो 2015 तक बढ़कर 50 हो गए। यह वास्तव में राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण की दिशा में एक सफल प्रयास था।

प्रोजेक्ट एलीफेंट : सड़क, रेलवे, रिसॉर्ट, इमारत, आदि के निर्माण जैसी विकास संबंधी गतिविधियाँ कई जंगलों और चराई के स्थानों को साफ करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न जंगली जानवरों के निवास स्थान का विनाश होता है। हाथियों के साथ भी कुछ ऐसा ही देखा गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में हाथियों की संख्या को संरक्षित करने, उनके आवास के रखरखाव, मानव-पशु संघर्ष को कम करने के साथ-साथ शिकार और अवैध शिकार को कम करने के लिए हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया था।

यह परियोजना केंद्रीय स्तर पर शुरू की गई थी, लेकिन इसकी पहल राज्यों द्वारा की गई थी, इस परियोजना के तहत विभिन्न राज्यों को आवश्यकताओं के अनुसार धन भी प्रदान किया गया था। 16 राज्य मुख्य रूप से इस अधिनियम को लागू कर रहे थे।

मगरमच्छ संरक्षण परियोजना : यह परियोजना साल 1975 में राज्य स्तरों पर शुरू की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य मगरमच्छों के आवास के होते विनाश को रोकना था और इस प्रकार उनकी संख्या को बढ़ाने में मदद करना था। मगरमच्छों के शिकार और हत्या पर नजर रखी जानी चाहिए। इस पहल के परिणामस्वरूप, वर्ष 2012 तक उनकी संख्या को 100 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया।

यूएनडीपी सागर कछुआ संरक्षण परियोजना : यूएनडीपी द्वारा शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य कछुओं की आबादी की घटती संख्या का उचित प्रबंधन और संरक्षण करना था।

निष्कर्ष - जनसंख्या विस्फोट और शहरीकरण के ही परिणाम हैं कि वनों को काटकर इसे इमारतों, होटलों, या मानव बस्तियों में बदलने की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप जंगल में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के निवास स्थान में कमी आई है। उन्हें उन स्थानों को छोड़ना पड़ता था और नए आवास की तलाश करनी होती थी जो कि आसान नहीं होता है। नए निवास स्थान की खोज, भोजन के लिए बहुत सारी प्रतियोगिता, कई प्रजातियों को लुप्त होने की कगार पर ले जाती है। वन्यजीव जानवर और पौधे प्रकृति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। किसी भी स्तर पर नुकसान होने पर इसके अप्राकृतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वे पारिस्थितिक संतुलन के लिए जिम्मेदार हैं और मानव जाति के निर्वाह के लिए, यह संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसलिए सरकार द्वारा संरक्षण प्रयासों के साथ, यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है, कि हम व्यक्तिगत रूप से वन्यजीवों के संरक्षण में अपना योगदान करें।

यह मनुष्य की एकमात्र और सामाजिक जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत आधार पर, हर किसी को चाहिए कि हम अपने अक्षय संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रयास करें। वे बहुमूल्य हैं और इनका बुद्धिमानी से उपयोग किया जाना चाहिए। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। सरकार द्वारा पहले से ही संरक्षण उद्देश्यों के लिए काम कर रही कई नीतियां, योजनाएं और पहल जारी हैं। जंगली जानवरों और पौधों को अपने स्वयं के आवास के भीतर संरक्षित करना आसान है उन्हें अनुवांनिक तौर पर संरक्षण उपाय करने के बाद संरक्षित किया जाना चाहिए। वे जानवर और पौधे जो अपने स्वयं के निवास स्थान में सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं या विलुप्त हो रहे

क्षेत्रों का सामना कर रहे हैं, उन्हें प्रयोगशालाओं के भीतर या पूर्व-भरण-पोषण उपायों के बाद कुछ भण्डारों में संरक्षित किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, कानून मंत्रालय' (पीडीएफ)। 8 मार्च 2018 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत।
2. सिन्हा, समीर (2010)। भारत में वन्यजीव कानून प्रवर्तन पर हैंडबुक (पीडीएफ)। ट्रैफिक इंडिया, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया। नई दिल्ली: नटराज पब्लिशर्स. पी। 117. आईएसबीएन 978-81-8158-134-1. ओसीएलसी 606355728. 30 नवंबर 2020 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत।
3. हुसैन, जाकिर (19 जनवरी 2017)। 'पर्यावरण कानून'। द स्टेट्समैन।
4. '1982 का अधिनियम 23' (पीडीएफ)। मूल (पीडीएफ) से 7 जुलाई 2022 को संग्रहीत।
5. '1986 का अधिनियम 28' (पीडीएफ)
6. 'वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1991' (पीडीएफ)।
7. 'वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1993' (पीडीएफ)।
8. भारत सरकार (20 जनवरी 2003)। संघ सरकार, असाधारण, 2003-01-20, भाग II-खंड 1, संदर्भ। 2003 का 16.
9. 'वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 39)' (पीडीएफ)। 15 जुलाई 2022 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत।
10. 'वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 (2022 की संख्या 18)' (पीडीएफ)। 23 मई 2023 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत।

विजन इंडिया @2047 और विकास में युवाओं की भूमिका

डॉ. जितेन्द्र सेन*

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – 21वीं सदी भारत की सदी है आज यह दुनिया की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 तक यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, क्योंकि इसका जीडीपी 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के सभी गुणों के साथ 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।¹ भारत इस महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जो अपने विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस क्षमता को साकार करने के लिए जबरदस्त समर्पण और विश्वास के साथ-साथ दृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता है। यह भारत का अमृत काल है पिछले वर्षों में समग्र नीतियों और योजनाओं के विस्तार के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। 'विकसित भारत' का औपचारिक शुभारंभ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष, यानी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने की संभावना वास्तव में मनोरम है।² देश की तीव्र प्रगति को देखते हुए इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार कर सकना संभव नजर आता है। यह क्षण इच्छित विकास की अवधारणा का मूल्यांकन करने का भी अवसर प्रदान करता है। अमृत काल विमर्श का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के प्रयास में शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में विकासात्मक शोध, नीति निर्माण और कार्यान्वयन के विषयों पर बातचीत की मेजबानी करने के लिए एक मंच बनना है।³ इस प्रयास की एक अन्य प्रमुख पहल पीएम मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामलों में युवाओं की आवाज को उजागर करना है।⁴ इसके परिणामस्वरूप, इसमें मुख्य रूप से एक क्रिया-उन्मुख दृष्टिकोण शामिल होगा जिसमें युवाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बारे में पढ़ाना और उनके दृष्टिकोण और कार्यों को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए लक्ष्यों पर चर्चा को बढ़ावा देना शामिल है।⁵ इसके अलावा, युवाओं को राष्ट्रीय विकास पहलों के लिए उनकी आविष्कारशीलता और रचनात्मकता का उपयोग करने और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यावरण की स्थिरता आदि सहित प्रमुख उद्योगों में प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित करने के लिए उनकी राय और विचार पृष्ठ पर विचार प्रक्रिया में शामिल करना। भारत की युवा आबादी एक अद्वितीय जनसांख्यिकीय लाभ है, जिसमें हमारी 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। इस जीवंत समूह में रचनात्मकता, नवाचार और लचीलेपन का एक अप्रयुक्त स्रोत है।⁶ इस अपार क्षमता का दोहन करने के लिए, उनकी ऊर्जा को रचनात्मक रास्तों की ओर मोड़ना और उन्हें आत्म-

अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक उपकरण और मंच प्रदान करना अनिवार्य है। **विजन इंडिया@2047** – विजन इंडिया@2047 अगले 25 वर्षों में भारत के विकास की एक परियोजना तैयार करने के लिये भारत के शीर्ष नीति थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक योजना है।⁷ इस योजना का लक्ष्य भारत को नवाचार एवं प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी देश बनाना है जो मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण के साथ एक मॉडल देश बनाना और पर्यावरणीय संवहनीयता के पक्ष-समर्थक बनाना है। इसके मुख्य उद्देश्य में शामिल हैं⁸ 18-20 हजार अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय और मजबूत सार्वजनिक वित्त एवं एक सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र के साथ 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना और सुविधाओं का निर्माण करना, नागरिकों के जीवन में सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त करना⁹ और डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं शासन को बढ़ावा देना, विलय या पुनर्गठन द्वारा और स्वदेशी उद्योग एवं नवाचार को बढ़ावा देने के माध्यम से हर क्षेत्र में 3-4 वैश्विक चैंपियन विकसित करना, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना तथा विश्व में भारत की भूमिका की वृद्धि करना, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि और कार्बन उत्सर्जन को कम करके हरित विकास एवं जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना, युवाओं को कौशल एवं शिक्षा के साथ सशक्त बनाना और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना , देश में शीर्ष स्तर की 10 प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिये विदेशी अनुसंधान एवं विकास संगठनों के साथ साझेदारी करना और कम से कम 10 भारतीय संस्थानों को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 की सूची में लाना।¹⁰

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति – भारत की अर्थव्यवस्था ने भुगतान संतुलन के तनाव का सामना किए बिना 1947 के बाद से सबसे लंबी अवधि गुजारी है। हालांकि, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों ने समान गतिशीलता नहीं दिखाई है, कृषि का प्रदर्शन वास्तव में चिंता का कारण बन गया है।¹¹ 1980 के बाद से, इसकी आर्थिक विकास दर दोगुनी से अधिक हो गई है, जो 1950-1980 में 1.7 प्रतिशत (प्रति व्यक्ति के संदर्भ में) से बढ़कर 1980-2000 में 3.8 प्रतिशत हो गई है।¹² इस दौरान, औद्योगिक उद्योगों के लिए क्षमता विस्तार और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध भी लगाए गए थे। 1980 के बाद, कई व्यवसाय समर्थक सुधार लागू किए गए क्योंकि यह स्पष्ट हो गया कि प्रतिबंधित प्रणाली वांछित परिणाम नहीं दे रही थी। भारत 1980 के दशक से अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए धीरे-धीरे और विधिवत रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। 1991 का

भुगतान संतुलन संकट और उसके बाद के सुधार भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण मोड़ थे।¹ इन सुधारों का मुख्य लक्ष्य कानूनों, परमिट और लाइसेंस की जटिल प्रणाली को खत्म करना, उत्पादन के साधनों के राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विकास के पक्ष में पर्याप्त पूर्वाग्रह को उलटना और व्यापार नीति को समाप्त करना था। 12 1990 के दशक के उत्तरार्ध में विकास में कुछ मंदी देखी गई, जो पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट की शुरुआत के साथ मेल खाती थी। कुल मिलाकर, 1990 के दशक के दौरान, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि औसतन 5.8% वार्षिक थी। 2000 के दशक में, भारत की वार्षिक दशकीय औसत वृद्धि दर 6.3% थी। लेकिन 2008 के विश्व वित्तीय संकट ने विकास की कमजोर नींव को उजागर करते हुए इमारत को ढहा दिया।⁷ इसके बाद के वर्षों में सरकार ने बड़े बजट घाटे चलाए और तीव्र वृद्धि को बनाए रखने के प्रयास में लंबे समय तक अत्यधिक अनुमेय मौद्रिक नीति बनाए रखी। विभिन्न आकलनों के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत की जीडीपी जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगी। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत की नॉमिनल जीडीपी वर्ष 2022 में 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी।² आर्थिक विस्तार की इस तीव्र गति के परिणामस्वरूप भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का आकार बढ़ेगा और भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आयोग के पूर्वानुमान के प्रारंभिक परिणामों में भविष्यवाणी की गई है कि वर्ष 2047 में भारत के निर्यात का मूल्य 8.67 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा जबकि इसके आयात का मूल्य 12.12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा।⁴

राष्ट्रीय विकास में युवाओं की भूमिका – राष्ट्रीय विकास एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें देश के सभी लोगों को राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक एकता और देश की आर्थिक समृद्धि के निर्माण में शामिल किया जाता है। यह देश के विकास की प्रक्रिया में सभी नागरिकों को शामिल करता है। युवा जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए, हमारे राष्ट्र के विकास में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की औसत जीवन प्रत्याशा 67.2 (वर्ष 2021 में) से बढ़कर 71.8 हो जाएगी और इसकी साक्षरता दर 77.8% (वर्ष 2021 में) से बढ़कर 89.8% हो जाएगी। जनसांख्यिकीय लाभांश भारत में एक बड़ी और युवा आबादी मौजूद है जो विभिन्न क्षेत्रों के लिये कुशल और उत्पादक कार्यबल प्रदान कर सकती है।⁸ रिपोर्टों के अनुसार, भारत की आबादी 1.4 बिलियन से अधिक है, जिसमें 40% से अधिक लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यह आर्थिक विकास के लिये एक बड़ा जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करता है। युवा पीढ़ी में एक संपन्न स्टार्टअप वातावरण के विकास का नेतृत्व करने की क्षमता है जो तकनीकी प्रगति, आर्थिक समावेशन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, भारत की युवा पीढ़ी में गरीबी, पर्यावरणीय गिरावट और लैंगिक असमानता जैसी तत्काल सामाजिक चिंताओं से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है। हालांकि, भारत के युवाओं के वादे को साकार करने के लिए इसमें शामिल सभी पक्षों की ओर से समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए। भारत में अपनी युवा आबादी के कारण कौशल के लिए वैश्विक केंद्र बनने की क्षमता है। हालांकि, इसके लिए प्राथमिकताओं में बदलाव की आवश्यकता होगी क्योंकि हम अपने युवाओं की क्षमताओं को तैयार और सुधार कर उन्हें बाजार में बेचने योग्य और उत्पादक बना सकते हैं। युवा भारत की रचनात्मकता और नवाचार की क्षमता के साथ-साथ डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया

जैसी सहायक सरकारी नीतियों के कारण युवा रोजगार सृजनकर्ता बन रहे हैं। भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं, जिनका कुल मूल्यांकन 340 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। भारत इस महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जो अपने विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस क्षमता को साकार करने के लिए भारत के भाग्य में जबरदस्त समर्पण और विश्वास के साथ-साथ दृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए मिशन मोड में बहुत काम करने की जरूरत है।

निष्कर्ष – हमारे राष्ट्र के विकास के लिए युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे देश को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वित्त, स्वास्थ्य, नवाचार के क्षेत्र में प्रगति हासिल करनी है तो युवाओं की उत्साही और ईमानदार भागीदारी की आवश्यकता है। युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता, उत्साह, दृढ़ संकल्प और भावना को प्रगति प्राप्त करने के लिए चीनलाइज किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें उनके माता-पिता, नागरिक समाज और सरकार द्वारा प्रोत्साहित और समर्थित किया जाना चाहिए। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार के अवसर और सशक्तीकरण प्रदान करना राष्ट्र की प्रगति और विकास को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। 2047 में विकसित भारत को साकार करने के लिए भारतीय युवाओं की सक्रिय और प्रगतिशील भूमिका बहुत जरूरी है। अपनी ऊर्जा, रचनात्मकता और अनुकूलनशीलता के साथ, वे नवाचार और उद्यमशीलता के उपक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। भविष्य के किसी भी लक्ष्यों को प्राप्त करने समृद्धि, प्रगति, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की भागीदारी आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बालकृष्णन पी 2022 , इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्टरी ।
2. हैरिसन आर एल एंड रैली टी एम मिक्सड मैथड डिजाइन इन मार्केटिंग रिसर्च एन इंटरनेशन जर्नल 14 (1) पेज 7 से 26।
3. विकसित भारत /2024 वॉयस ऑफ यूथ अ कोलेबोरेटिव एप्रोच फॉर अ डिवेलप नेशन 2023।
4. रोडिक डी एंड सुब्रमण्यम अ (2004) फ्रॉम हिंदू ग्रोथ तो प्रोडक्टिविटी सर्ज : द मेस्ट्री ऑफ द इंडियन ग्रोथ ट्रांजिशन।
5. मेथी गोई (2024) विकसित भारत /2047 <https://innovateindia.mygov.in/> अंतिम बार 24/09/ 2024 को एक्सेस किया गया।
6. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारत सरकार (2024). विकसित भारत / 2047 के लिए विजन दस्तावेज तैयार किया जा रहा है- <https://www.financialexpress.com/policy/> पर उपलब्ध है।
7. economy vision document being prepared for viksitbharat 2047 niti&ceo subrahmanyam 3321133/ अंतिम बार 03 फरवरी, 2024 को एक्सेस किया गया।
8. भारत का राष्ट्रीय पोर्टल, भारत सरकार। <https://www.india.gov.in/my&government/schemes> पर उपलब्ध है, अंतिम बार 03 फरवरी, 2024 को एक्सेस किया गया।

9. प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार नई दिल्ली (2023) विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनता का व्यापक समर्थन मिला [https://pib.gov.in/aC\[bãYhjin/PressReleaseIframePage-aspPRID1977618](https://pib.gov.in/aC[bãYhjin/PressReleaseIframePage-aspPRID1977618) अंतिम बार 03 फरवरी, 2024 को एक्सेस किया गया।
10. राज कुमार, सी. (2024, जनवरी 04) भारत की युवा आबादी का लाभ उठाने के लिए विश्वविद्यालयों की पुनर्कल्पना करें। हिंदुस्तान टाइम्स।
11. बेरी, एस. (2023) विकसित भारत / 2047: आज स्नातक करने वालों के लिए यह क्यों मायने रखता है। विश्वविद्यालय समाचार। भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ। 61(43): 83-85।
12. बानो, टी., और वर्गीस, ए. (2023)। विकसित भारत संकल्प यात्रा: स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, 35(4), 389। 391 <https://doi.org/10-47203/IJCH-2023-v35i04-001>

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अकादमिक तनाव का अध्ययन

डॉ. अशोक कुमार*

* सहायक प्राध्यापक, पैरामाउंट इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, टटीरी, बागपत (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना - यदि आप एक वर्ष की योजना बनाते हैं, तो एक बीज बोएं यदि आप दस साल की योजना बनाते हैं, तो एक पेड़ लगाएं अगर आप सौ साल की योजना बनाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। जब आप एक बार बीज बोएंगे तो आप एक ही फसल काटोगे, परन्तु जब तुम लोगों को सिखाओगे, तो सौ कटनी काटोगे (कुआन-त्जु, 551-479) इसी सन्दर्भ में आज एक शिक्षक एक अद्वितीय स्थान रखता है आधुनिक दुनिया के किसी भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान। शिक्षक सबसे अच्छे रूपकों का उपयोग किया जाता है एक के भाग्य को आकार देने में स्कूली शिक्षकों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर प्रकाश डालिए राष्ट्र। शिक्षकों को किसी भी समाज का 'मशाल-वाहक' कहा जाता है। अगर हम कहें कि नियति हमारे देश को उसके शिक्षकों द्वारा आकार दिया जा रहा है, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन दिन-ब-दिन जटिल होता जा रहा है।

वर्तमान परिस्थितियों में युवा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है निराशा, दिन-प्रतिदिन के जीवन में चिंता, तनाव और भावनात्मक संतुलन जैसी कई समस्याओं को जन्म दे रही है हम इंसान हैं हमारे पर्यावरण या हम के साथ एक संतोषजनक संबंध स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कह सकते हैं कि हम खुशी से जीने और काम करने के लिए अपनी जरूरत को पूरा करने की प्रभावी रूप से कोशिश कर रहे हैं। हम परिपक्वता के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए शिशुओं से लेकर वयस्कों तक बढ़ते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं यह एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत और स्थापित तथ्य है कि शैक्षणिक विकास और किसी राष्ट्र की बौद्धिक उन्नति उसके नागरिकों की गुणवत्ता से निर्धारित होती है और यह गुणवत्ता उन्हें प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। सत्य शिक्षा, यह शुरुआत में ध्यान दिया जाना चाहिए, वांछित लाने में एक शक्तिशाली शक्ति है परिवर्तन। केवल शिक्षा और शिक्षा ही देश में बदलाव ला सकती है ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, प्रशंसा और हमारे आसपास की चीजों को समझना। शिक्षा की गुणवत्ता कई कारकों पर निर्भर करती है - घर, विरासत में मिले लक्षण, माता-पिता रवैया, वित्तीय सहायता, सामग्री उपकरण, पाठ्यक्रम, और शिक्षा के तरीके स्कूलों में, आदि। योग्य और सक्षम शिक्षण कर्मियों की पहचान का गठन करता है सभी शैक्षणिक चिंताओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण है।

शिक्षकों द्वारा निभाई गई भूमिका सभ्यता के विकास में बहुत महत्व है और मान्यता सुनिश्चित करने लायक है शिक्षक जिसे आमतौर पर शिक्षा प्रणाली कहा जाता है, उसका सरगना होता है। फिर भी, एक शिक्षक अपने

विविध कार्यों को नहीं कर सकता है और जब तक उसे पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से अपडेट नहीं किया जाता है। इतना विभिन्न अन्य व्यवसायों, शिक्षक शिक्षा ने विशेष महत्व ग्रहण किया है। शिक्षक शिक्षा केवल शिक्षक को पढ़ाने के लिए ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि हिट एंड मिस की बुराइयों को कम करने के लिए इसे जीवित रखने के लिए अपनी पहल को प्रज्वलित करें। प्रक्रिया और शिक्षकों और पढ़ाए जाने वाले समय, ऊर्जा और धन को बचाने के लिए। यह होगा शिक्षक को उसकी परेशानी को कम करने और उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में मदद करें दक्षता और प्रभावशीलता के साथ।

शिक्षक शिक्षा अब एक प्रशिक्षण प्रक्रिया नहीं है लेकिन शिक्षकों को उनकी भलाई के लिए पढ़ाने और सक्षम बनाने की एक रणनीति। अब अधिकांश शिक्षक शिक्षण संस्थान निजी के नियंत्रण में हैं क्षेत्र। इन संस्थानों में शिक्षक शिक्षकों की स्थिति अच्छी नहीं है। निम्न में से एक शिक्षक शिक्षा के निजीकरण के शिकार प्रमुख हितधारक हैं शिक्षक इन संस्थानों के शिक्षक उपरोक्त प्रेक्षकों से स्पष्ट है कि सरकारी वित्तपोषित और साथ ही दोनों में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता बिगड़ रही है स्व-वित्तपोषित शिक्षक शिक्षा संस्थानफिर भी, एक शिक्षक अपने विविध कार्यों को नहीं कर सकता है और जब तक उसे पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से अपडेट नहीं किया जाता है। इतना विभिन्न अन्य व्यवसायों, शिक्षक शिक्षा ने विशेष महत्व ग्रहण किया है।

विशेष रूप से शिक्षकों के बीच, जिनके पास सकारात्मक आत्म और स्वस्थ मनोवैज्ञानिक भावना है अच्छी तरह से और काम में भाग लेने के लिए अधिक इच्छुक हैं। शिक्षक सर्वोपरि है किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली और राष्ट्र की प्रगति में महत्व उसके शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक एक शिक्षक छात्रों के लिए एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। एक शिक्षक संस्कृति का संरक्षक होता है, आलोचक सामाजिक कमजोरियों की, हो रहे परिवर्तनों के व्याख्याकार सुधार के अग्रदूत और लोगों के प्रयासों के मार्गदर्शक, बच्चे, जो कि वास्तविक संभावित धन हैं राष्ट्र, शिक्षक के प्रभाव के संपर्क में हैं। हिंदुओं के अनुसार, बच्चा प्राप्त करता है शिक्षक के हाथों दूसरा जन्म। एक प्रोग्राम की गई शिक्षा की अच्छाई है काफी हद तक शिक्षकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धियों के मानक शिक्षकों की गुणवत्ता के साथ अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। शिक्षक इतिहास का असली निर्माता है। वह समग्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है शिक्षा का बुनियादी ढांचा। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस

मनाकर, सरकार ने लगाया है असली ऐप प्रश्न। सबसे अच्छा शिक्षक कौन है? सबसे अच्छा शिक्षक वह होता है जिसके पास अच्छी मानसिक क्षमता होती है स्वास्थ्य और जो अपने व्यवसाय से पूरी तरह संतुष्ट है। हर क्षेत्र में उन्नति के कारण क्षेत्र, शिक्षकों का जीवन भी अधिक जटिल और तनावपूर्ण हो गया है और यह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में योगदान देता है। शिक्षकों की धारणा अच्छी स्कूलों की बढ़ती संख्या और उनके रूप में अस्तित्व अब दूरस्थ और अमूर्त नहीं है शिक्षकों को इसे प्राथमिकता देने का समय मिल रहा है, पहले इसका लाभ देख रहे हैं उठो। भारत में भी कार्य-स्थलों में मनुष्य की भलाई की बढ़ती चिंता के साथ, पर अध्ययन न केवल पश्चिम में बल्कि व्यावसायिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य को प्रमुखता मिल रही है।

शैक्षिक तनाव :

बैक्टर (1995) आजकल के युग में विद्यार्थी का जीवन शांत और तनाव रहित हो, ऐसी सोच मृग-तृष्णा है। वह एक जबरदस्त तकनीकी चक्रवात में और बर्बादी की खतरनाक स्थिति में जकड़ा हुआ है।

लेजारस (1961) के अनुसार तनाव, अंतर्निहित दबाव की प्रतिक्रिया है जबकि दबाव का अनुभव साधारण गतिविधियों से ऊपर उठ जाता है। स्कूल की स्थिति में यह जो दबाव है इसको हम किसी की निजी सफलता या असफलता का कारण भी मान सकते हैं। इस प्रकार से तनाव अर्थात् शैक्षिक तनाव को शैक्षिक उपलब्धि के उतार चढ़ाव में महत्वपूर्ण कारक गिना जाता है। पारस्परिक रूप से, तनाव को इसके स्रोत के रूप में परिभाषित किया गया है।

तनाव के आंतरिक साधनों में भूख, दर्द, शोर के प्रति संवेदनशीलता, तापमान में परिवर्तन, भीड़ थकावट, गहरी थकान तथा कम या ज्यादा उत्तेजना तथा भौतिक पर्यावरण आदि सम्मिलित हैं। बाहरी तनाव में परिवार से अलग होना या परिवार के गठन में परिवर्तन, तर्क-वर्तक में, निजी झगड़ों के खुल जाना, हिंसात्मक प्रदर्शन, किसी के साथ झगड़ा करना, व्यक्तिगत जायदाद का या किसी प्रिय के खोने का भय या आशाओं पर ज्वरपात होने का भय या नित्यप्रति जीवन में अव्यवस्था आदि सम्मिलित है। अनुसंधान कर्ताओं ने यह महसूस किया है कि कई प्रकार के तनाव एवं दबाव आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा एक तनाव दूसरे तनाव को प्रभावित करता है। यह नई सोच बच्चों के प्रति अध्यापकों और अभिभावकों को तनाव एवं दबाव को कम करने का निष्कर्ष निकालने के लिए विचार-विमर्श है।

1. समकक्ष के साथ समस्याएँ।
2. पारिवारिक समस्याएँ या माता-पिता के साथ समस्या।
3. उनके अपने विचार, भावनाएँ या व्यवहार (हताश महसूस करना या अपने व्यवहार के कारण समस्याओं में अकेला महसूस करना)

किसी हद तक ये समस्याएँ कई किशोरों के लिए सही दिनचर्या बनी हुई है जो कि विभिन्न स्थानों में रहते हैं, यद्यपि उन्हें विभिन्न प्रकार के तनावों का सामना करना पड़ता है। कुछ किशोर उच्च कोटि के अपराध और हिंसा के साथ पड़ोस में रहते हैं। स्पष्ट रूप से, उनकी अलग प्रकार की समस्याएँ होगी।

शैक्षिक कठिनाईयों का हताशा के भाव से पहले आना या हताशा का शैक्षिक कठिनाईयों से पहले आना सर्वाधिक साधारण है। किसी हद तक यह भी संभव है कि हताशा बच्चों में महत्वपूर्ण शैक्षिक कठिनाईयों की

उपस्थिति किसी तीसरे सामान्य प्रभाव को व्यक्त करती है। वास्तव में, अन्वेषण में सुझाव दिया है कि उदासी का भाव सशक्त रूप से शैक्षणिक तनाव, असफलता और विद्यालय के प्रबंधन की समस्याओं जुड़ा हुआ है जो कि व्यवहार के परे या मनोयोग की कमी से घटित होता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्यों कुछ बच्चों जिन्हें उच्च स्तर के तनाव का अनुभव है अपने विद्यालय के समायोजन में प्रतिस्पर्धा को व्यक्त करते हैं। उच्च जोखिम के बच्चों का उप-समूह दर्शाता है कि शैक्षिक सफलता और शैक्षिक निवेश में एक तरह से विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। कई तत्व इसे बढ़ावा देते हैं जैसे रोग से लड़ने की सामर्थ्य जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताएँ और साथ ही विद्यालय का सकारात्मक वातावरण भी शामिल है।

हाई-स्कूल के दौरान विशेषतः अंतिम दो वर्षों में शैक्षिक तनाव के स्तर में वृद्धि होती है, और यद्यपि कई अभिभावक महसूस करते हैं कि किसी विशेष पाठ्यक्रम में असफल होने से बचने के लिए छात्रों को शैक्षिक संघर्ष करना पड़ता है जो कि बहुत तनावदायक है। शैक्षिक रूप से योग्य विद्यार्थी जिसमें उच्च अंकों को प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा होती है स्वयं को अत्यधिक दबाव में महसूस करते हैं। कई कारक जैसे अवधि में होने वाली लिखित परीक्षा, परीक्षण की चिंता, कमजोर अध्ययन तकनीक, अत्यधिक शैक्षणिक खोज प्रशिक्षण और कक्षा के वातावरण को तनाव का कारण माना गया है जो कि किशोर विद्यार्थियों में सामान्य दबाव का मुख्य हिस्सा बन जाती है।

ओमीजो एवं अन्य (1988) के द्वारा तनाव और लक्षणों के खोजपरक अध्ययन से प्रदर्शित हुआ कि तनाव सामान्य किशोरों की समस्याएँ, पारिवारिक समस्याएँ, विद्यालय से सम्बन्धित समस्याएँ, भविष्य और समकक्ष दबाव थे, जो कि मध्यवर्ती और उच्चस्तर के विद्यार्थियों द्वारा उल्लेखित किए गए। विद्यालय से संबन्धित समस्याएँ जैसे अध्यापकों द्वारा पसंद न करना, असफल होने का भय, गृहकार्य न करना और अभिभावकों की आशाओं को पूरा करने में असफलता आदि कारण हैं जो सहभागियों द्वारा उल्लेखित किए गए। प्रक्रिया या कार्य पर बल देना न कि परिणाम पर, आप अपने बच्चे को किसी भी गतिविधि के प्रति उसके दृष्टिकोण पर ध्यान दें ना कि उसके जीतने या उसको प्रोत्साहित करें। बच्चों को स्वयं ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने दें।

संदर्भ साहित्य की समीक्षा एवं अध्ययन का औचित्य

अली एवं गुजर (2019), ने हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थियों में इंटरनेट एडिक्शन का दबाव, चिन्ता एवं तनाव में सम्बन्ध का अध्ययन कार्य किया। क्रॉससेक्शनल सर्वे विधि का प्रयोग कर तेजपुर, आसाम के माध्यमिक स्तरीय के विद्यालयों में से 300 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 34 प्रतिशत विद्यार्थी इंटरनेट एडिक्शन वाले पाये गये, तथा 11.3 प्रतिशत उच्च एवं 4.6 प्रतिशत मध्यम वर्ग के विद्यार्थी चिन्ता, 6.5 प्रतिशत उच्च एवं 4.6 प्रतिशत मध्यम स्तर दबाव तथा 20 प्रतिशत उच्च एवं 6.6 प्रतिशत मध्यम स्तर के तनाव वाले विद्यार्थी पाये गये। विद्यार्थियों में इंटरनेट एडिक्शन एवं तनाव, दबाव तथा चिन्ता में सार्थक सहसम्बन्ध ज्ञात हुआ।

कुमार एस0 एवं जुयाल जे0 (2019), ने स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर शैक्षिक तनाव के प्रभाव का अध्ययन किया अध्ययन में पाया कि स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की अकादमिक तनाव में अन्तर नहीं पाया गया। तथा स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर पाया गया। विभिन्न स्तर के अकादमिक तनाव वाले विद्यार्थियों की

शैक्षिक उपलब्धि पर शैक्षिक तनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रस्तुत शोधो अध्ययन में अकादमिक तनाव में कोई अन्तर नहीं पाया गया है।

कोर एवं चावला (2018), ने किशोरों के अकादमिक तनाव और स्कूल समायोजन का अध्ययन किया। शोधकर्ता ने अनाथालयों में रहने वाले 14 से 18 वर्ष की आयु के 60 विद्यार्थियों का चयन किया गया। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ज्ञात हुआ कि अनाथालयों में रहने वाले छात्रों में अपने परिवार के साथ रहने वाले छात्रों की तुलना में अधिक अकादमिक तनाव पाया गया और छात्राओं में छात्रों की अपेक्षा अधिक अकादमिक तनाव पाया गया। परिवारों में रहने वाले विद्यार्थियों में, अनाथालयों में रहने वाले विद्यार्थियों की अपेक्षा विद्यालय समायोजन अधिक पाया गया। छात्रों में अधिक समायोजन का स्तर पाया गया।

कौशल एवं कोरिती (2018), ने स्कूल जाने वाले किशोरों और संबद्ध रणनीतियों के द्वारा अकादमिक तनाव के प्रभाव का अध्ययन किया। न्यादर्श के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल के 1400 विद्यार्थी का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया। अकादमिक तनाव मापनी को स्व: संशोधित कर शोध में प्रयोग किया। ज्ञात परिणामों के अनुसार छात्राओं में छात्रों की तुलना में अधिक अकादमिक तनाव पाया गया। विद्यालय जाने वाले किशोरों में अकादमिक तनाव को प्रभावित करने में लिंग, उम्र, सामाजिक आर्थिक स्तर, परीक्षा, माता- पिता की इच्छा एवं विद्यार्थी समूह का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तथा किशोर विद्यार्थी, अकादमिक तनाव को कम करने के लिए विभिन्न तनाव नियन्त्रित विधि का प्रयोग करते हैं। अरसलन (2017), ने विद्यार्थियों के अकादमिक तनाव एवं भावनात्मक आत्म-प्रभावकारिता के मध्य सम्बन्धों पर शोधकार्य किया। न्यादर्श के लिए 232 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक रूप से किया। आंकड़ों लिए अकादमिक तनाव मापनी एवं भावनात्मक आत्म-प्रभावकारिता मापनी का प्रयोग किया। परिणामों के आधार पर ज्ञात हुआ कि, अकादमिक तनाव एवं भावनात्मक आत्म-प्रभावकारिता के मध्यम नकारात्मक सहसम्बन्ध है।

सिंहे एवं सिंह (2017), ने किशोरावस्था में विद्यार्थियों में शैक्षिक तनाव, शैक्षिक उपलब्धि पर अभिभावक अभिप्रेरणा का पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। न्यादर्श के लिए 80 शिक्षक, प्रत्येक विद्यालय के 40 प्राचार्य, 80 अभिभावक तथा 800 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा चयन किया गया है। परिणामों के आधार पर ज्ञात हुआ कि विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव पर अभिभावक अभिप्रेरणा का प्रभाव पड़ता है, तथा विद्यालय एवं शिक्षक द्वारा अभिप्रेरणा का विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धि एवं अकादमिक तनाव में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

धोष (2016), ने 'हाईस्कूल के सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों में अकादमिक तनाव का अध्ययन' किया। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर गैर-सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों में अधिक अकादमिक तनाव पाया गया तथा छात्राओं में छात्रों की अपेक्षा अकादमिक तनाव अधिक पाया गया।

देवी एवं मोहन (2015), ने कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों के तनाव का विभिन्न घटकों पर प्रभाव का अध्ययन किया। निष्कर्ष के रूप में शोधकर्ता ने पाया कि अकादमिक घटक, सामाजिक घटक, पारिवारिक घटक एवं आर्थिक घटक जैसे महत्वपूर्ण घटकों का प्रभाव विद्यार्थियों के अकादमिक तनाव पर पड़ता है। अकादमिक घटक के रूप में 85.71 प्रतिशत छात्राओं एवं 78.04 प्रतिशत छात्रों ने बताया कि तनाव के बढ़ जाने से है। प्राप्त

निष्कर्षों के आधार पर ज्ञात हुआ कि पब्लिक एवं सरकारी माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में अकादमिक तनाव एवं आत्मसम्प्रत्यय में अन्तर है। पब्लिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में अकादमिक तनाव का स्तर अधिक पाया गया। प्रभु (2015), ने उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों के अकादमिक तनाव पर अध्ययन किया। न्यादर्श के लिए शोधकर्ता ने तमिलनाडू के नमक्कल जिले में स्थित कक्षा 11 के 250 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि के द्वारा किया। प्राप्त आंकड़ों के सांख्यिकीकरण के बाद यह निष्कर्ष ज्ञात हुआ कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की अपेक्षा निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों में अकादमिक तनाव कम पाया तथा विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों में अकादमिक तनाव अधिक पाया गया तथा माता-पिता का अकादमिक स्तर एवं सामाजिक आर्थिक स्तर भी विद्यार्थियों अकादमिक तनाव को प्रभावी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

तिवारी (2015), ने हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थियों की याददाश्त, एकाग्रता, परीक्षा तनाव पर योगाभ्यास के सम्बन्ध में अध्ययन किया। पूर्व प्रयोगात्मक परीक्षण में विद्यार्थियों की याददाश्त एवं एकाग्रता का मापन किया, चार सप्ताह के योगाभ्यास (प्रणायाम, प्रार्थना एवं मूल्य केन्द्रीय पाठ्यक्रम) के पश्चात् पश्च परीक्षण किया। आंकड़ों के सांख्यिकीकरण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर ज्ञात हुआ कि क्रियात्मक रूप से किये गये नियमित योगाभ्यास से विद्यार्थियों की एकाग्रता एवं याददाश्त की क्षमता में वृद्धि पायी गयी।

भोसले (2015), ने विद्यार्थियों के अकादमिक तनाव पर उनके लिंग भेद के प्रभाव का अध्ययन। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर पाया गया कि छात्र एवं छात्राओं में अकादमिक तनाव (शैक्षिक कुंठा, अकादमिक दबाव, अकादमिक चिन्ता) में सार्थक अन्तर पाया गया। छात्रों में छात्राओं के अपेक्षा अधिक अकादमिक कुंठा तथा छात्राओं में अधिक अकादमिक दबाव एवं अकादमिक चिन्ता का स्तर पाया गया। छात्र एवं छात्राओं में अकादमिक कुंठा, अकादमिक दबाव एवं अकादमिक चिन्ता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। विद्यार्थियों में अकादमिक तनाव उनके लिंगभेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

लाल (2014), ने किशोर विद्यार्थियों के अकादमिक तनाव का उनके भौगोलिक घटकों एवं बुद्धि के सन्दर्भ में अध्ययन किया। प्राप्त आंकड़ों के सांख्यिकीकरण करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकला कि अकादमिक तनाव को उपकरण का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष के रूप में ज्ञात हुआ कि विद्यार्थियों के अकादमिक तनाव व समायोजन में ऋणात्मक सहसंबंध पाया गया अर्थात् विद्यार्थियों के अकादमिक तनाव के स्तर में वृद्धि होने पर समायोजन क्षमता में कमी तथा कम तनाव स्तर वाले विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता में वृद्धि होती है।

राजशेखर (2013), ने ए0एम0ई0टी0 विश्वविद्यालय, चेन्नई के प्रबन्धन के विद्यार्थियों के अकादमिक तनाव का अध्ययन किया। विद्यार्थियों से स्व:निर्मित प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़ों को एकत्र किया। निष्कर्ष के रूप में पाया कि अकादमिक तनाव को प्रभावी करने में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत, जनसांख्यिकीय एवं पर्यावरण अनेक कारण समान रूप से प्रभावित करते हैं।

मरवान (2013), ने माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में अकादमिक सम्बन्धित तनाव का अध्ययन किया। स्व:निर्मित मापनी द्वारा प्राप्त आंकड़ों को वर्णनात्मक एवं सांख्यिकीकरण रूप से विश्लेषण किया। निष्कर्ष के आधार

पर ज्ञात हुआ कि शैक्षणिक अधिभार, पाठ्यक्रम में कठिनाता, अपर्याप्त समय, सेमेस्टर का अधिभार, परीक्षा अभिप्रेरणा कि कमी एवं परिवार की उपेक्षाओं के कारण विद्यार्थियों में अकादमिक तनाव अधिक प्रभावी होता है, तथा विभिन्न कारकों एवं अकादमिक तनाव के मध्य सकारात्मक सहसम्बन्ध पाया गया।

बनर्जी (2011), अकादमिक तनाव एक ऐसा तनाव है, जो कठिन विद्यालय कार्यक्रम, शिक्षक एवं माता पिता के अधिक प्रत्याशा एवं मांग, निम्न शैक्षिक उपलब्धि, खराब अधिगम आदत के कारण होता है।

रिजवान एवं महमूद (2010), ने पाया कि, अकादमिक तनाव, शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शर्मा एवं सिंह (2010), ने योगा एण्ड कॉन्वेटिव बिहेवियर टेक्निकस फॉर एकेडमिक स्ट्रेट एण्ड मेण्टल वेलबींग अमंग स्कूल स्टूडेंट्स पर शोध कार्य किया। न्यादर्श के लिए आगरा शहर 500 विद्यार्थियों में से 60 छात्र एवं 60 छात्राओं का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया। न्यादर्श को नियन्त्रित एवं प्रयोगात्मक समूह में विभाजित कर योग के द्वारा शोधकार्य किया गया। मानसिक स्वास्थ्य बैटरी एवं अकादमिक तनाव मापनी से आं कड़ों को एकत्र किया। निष्कर्ष के आधार पर ज्ञात हुआ कि वर्तमान में विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या में अकादमिक तनाव एवं निम्न मानसिक स्वास्थ्य वाले विद्यार्थी पाये गये।

हुसैन एवं कुमार (2008), ने हाईस्कूल स्तर के पब्लिक एवं सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के अकादमिक तनाव पर अध्ययन किया। निष्कर्ष के रूप में पाया कि पब्लिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में अकादमिक तनाव अधिक पाया। सरकारी एवं पब्लिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में अकादमिक तनाव में अन्तर पाया गया तथा सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों में समायोजन का स्तर पब्लिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक पाया।

आभा एवं शुभा (2008), में पाया कि माता पिता द्वारा शैक्षिक वातावरण को नियन्त्रित करने से विद्यार्थियों में तनाव एवं निराशा का स्तर अधिक हो जाता है।

जैन (2007), ने पाया कि माता-पिता द्वारा दिये गये प्रोत्साहन से अकादमिक तनाव में कमी होती है, और शैक्षिक उपलब्धि में सकारात्मकता वृद्धि होती है।

सप्तु (2007), में पाया कि शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने में किशोरों में अकादमिक तनाव के होने का कारण प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक वातावरण में उपलब्धि को नियमित रखने के कारण होता है।

घाघेरी आर. वेकटेंश (2005), निराशा, चिन्ता एवं तनाव शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है। विद्यार्थी विभिन्न स्तरों पर अकादमिक तनाव का अनुभव करते हैं तथा छात्र एवं छात्राओं के शैक्षिक तनाव में भी अन्तर होता है।

बेक एवं श्रीवास्तव (1991), में पाया की अकादमिक तनाव अत्यधिक शैक्षिक उपलब्धि की मांग, अधिक पाठ्यक्रम का बोझ, लम्बा अधिगम कार्य, स्वतन्त्र समय की कमी, पुर्नबलन की कमी, शिक्षकों के प्रोत्साहन में कमी एवं शिक्षण प्रक्रिया का अधिक कठिन होना महत्वपूर्ण कारण है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में संदर्भ साहित्य की समीक्षा के पश्चात शोध में यह पाया गया कि अभी तक जो अध्ययन हुए हैं मनोविज्ञान के विभिन्न चरो

जैसे निराशा, चिन्ता, शैक्षिक उपलब्धि समायोजन एवं अभिप्रेरणा पब्लिक एवं सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों पर हुए लेकिन अशासकीय स्तर के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की अकादमिक तनाव पर शोध कार्य नहीं हुआ है। इसलिए प्रस्तुत शोध की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

शोध का शीर्षक – अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अकादमिक तनाव का अध्ययन

अध्ययन के उद्देश्य:

1. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव का अध्ययन करना।
2. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव का तनाव अध्ययन करना।
3. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव का तनाव अध्ययन करना।
4. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव का तनाव अध्ययन करना।
5. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव का तनाव अध्ययन करना।

परिकल्पना:

1. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि – प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श – प्रस्तुत शोध अध्ययन में मेरठ मंडल के समस्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त अध्यापक शोध की जनसंख्या है। प्रस्तुत शोध में बागपत जनपद से 300 अध्यापकों को न्यादर्श चयन हेतु यादृच्छिक प्रतिचयन की लाटरी विधि का प्रयोग किया गया ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश में कार्यरत 150-150 अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को न्यादर्श हेतु चयनित किया गया।

उपकरण – प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा शोध उपकरण प्रस्तुत अध्ययन हेतु तथ्यों के एकत्रीकरण हेतु आभा रानी बिष्ट द्वारा निर्मित मापनीकृत अकादमिक तनाव मापनी उपकरण का प्रयोग किया गया है।

सांख्यिकी विश्लेषण एवं व्याख्या :

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव के मध्यमान,मानक विचलन,टी मान को दर्शाने वाली तालिका- 1

समूह	अध्यापकों की संख्या	प्राप्ताको का मध्यमान	मानक विचलन	टी का मान	स्वतंत्रता अंश
	N	M	SD	T value	df
कार्यरत अध्यापकों	150	139.42	22.12	0.626	सार्थक
कार्यरत अध्यापिकाओं	150	137.08	23.62		

उपरोक्त तालिका 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 150 कार्यरत अध्यापकों एवं 150 कार्यरत अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमशः 139.42 तथा 137.08 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 22.12 तथा 23.62 प्राप्त हुआ। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए t परीक्षण का प्रयोग किया गया गणना के पश्चात परिगणित t परीक्षण का मान 0.626 पाया गया। जो कि मुक्तांश 298 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। अर्थात् अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव में समानता पायी गयी।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव के मध्यमान,मानक विचलन,टी मान को दर्शाने वाली तालिका-2

समूह	अध्यापकों की संख्या	प्राप्ताको का मध्यमान	मानक विचलन	टी का मान	स्वतंत्रता अंश
	N	M	SD	T value	df
कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों	75	140.86	12.86	2.224	सार्थक
कार्यरत ग्रामीण अध्यापिकाओं	75	136.14	13.12		

उपरोक्त तालिका 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 75 कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं 75 कार्यरत ग्रामीण अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमशः 140.86 तथा 136.14 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 12.86 तथा 13.12 प्राप्त हुआ। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए t परीक्षण का प्रयोग किया गया गणना के पश्चात परिगणित t परीक्षण का मान 2.224 पाया गया। जो कि मुक्तांश 148 पर 0.01 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.57 से अधिक है। अर्थात् अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव में असमानता पायी गयी।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं

शहरी अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव के मध्यमान,मानक विचलन,टी मान को दर्शाने वाली तालिका-3

समूह	अध्यापकों की संख्या	प्राप्ताको का मध्यमान	मानक विचलन	टी का मान	स्वतंत्रता अंश
	N	M	SD	T value	df
कार्यरत शहरी अध्यापकों	75	142.56	13.91	1.9894	सार्थक
कार्यरत शहरी अध्यापिकाओं	75	138.16	13.23		

उपरोक्त तालिका 3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 75 कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं 75 कार्यरत शहरी अध्यापिकाओं की अकादमिक तनाव संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमशः 142.56 तथा 138.16 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 13.91 तथा 13.23 प्राप्त हुआ। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की अकादमिक तनाव के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए t परीक्षण का प्रयोग किया गया गणना के पश्चात परिगणित t परीक्षण का मान 1.9894 पाया गया। जो कि मुक्तांश 148 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। अर्थात् अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की अकादमिक तनाव में समानता पायी गयी।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव के मध्यमान,मानक विचलन,टी मान को दर्शाने वाली तालिका-4

समूह	अध्यापकों की संख्या	प्राप्ताको का मध्यमान	मानक विचलन	टी का मान	स्वतंत्रता अंश
	N	M	SD	T value	df
कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों	75	140.86	12.86	1.2673	सार्थक
कार्यरत ग्रामीण अध्यापिकाओं	75	138.16	13.23		

उपरोक्त तालिका 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 75 कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं 75 कार्यरत शहरी अध्यापिकाओं की अकादमिक तनाव संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमशः 140.86 तथा 138.16 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 12.86 तथा 13.23 प्राप्त हुआ। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की अकादमिक तनाव के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए t परीक्षण का प्रयोग किया गया गणना के पश्चात परिगणित t परीक्षण का मान 1.2673 पाया गया। जो कि मुक्तांश 148 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। अर्थात् अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की अकादमिक तनाव में समानता पायी गयी।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं

ग्रामीण अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव के मध्यमान, मानक विचलन, टी मान को दर्शाने वाली तालिका-5

समूह	अध्यापकों की संख्या	प्राप्ताको का मध्यमान	मानक विचलन	टी का मान	स्वतंत्रता अंश
	N	M	SD	T value	df
कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों	75	142.56	13.91	2.9075	सार्थक
कार्यरत ग्रामीण अध्यापिकाओं	75	136.12	13.12		

उपरोक्त तालिका 5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 75 कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं 75 कार्यरत ग्रामीण अध्यापिकाओं की अकादमिक तनाव संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमशः 142.56 तथा 136.12 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 13.91 तथा 13.12 प्राप्त हुआ। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की अकादमिक तनाव के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए t परीक्षण का प्रयोग किया गया गणना के पश्चात परिगणित t परीक्षण का मान 2.9075 पाया गया। जो कि मुक्तांश 148 पर 0.01 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.57 से अधिक है। अर्थात् अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की अकादमिक तनाव में मे असमानता पायी गयी।

निष्कर्ष :

1. निष्कर्ष के रूप में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव मे सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव मे कोई सार्थक अंतर नहीं होता है' को स्वीकृत किया जाता है।
2. निष्कर्ष के रूप में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव मे सार्थक अंतर पाया गया। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं के अकादमिक तनाव मे कोई सार्थक अंतर नहीं होता है' को अस्वीकृत किया जाता है।
3. निष्कर्ष के रूप में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की अकादमिक तनाव में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की अकादमिक तनाव में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है' को स्वीकृत किया जाता है।
4. निष्कर्ष के रूप में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की अकादमिक तनाव में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की अकादमिक तनाव में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है' को स्वीकृत किया जाता है।

5. निष्कर्ष के रूप में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की अकादमिक तनाव में सार्थक अंतर पाया गया। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की अकादमिक तनाव में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है' को अस्वीकृत किया जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. कुमार एस0 एवं जुयाल जे0 विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर शैक्षिक तनाव के प्रभाव का अध्ययन Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language, Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2019: 6.251, www.srjis.com PEER REVIEWED & REFERRED JOURNAL, OCT-NOV, 2019, VOL- 7/36 Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies.
2. Banerjee, S. (2011). Effect of various counselling strategies on academic stress of secondary Level students. Unpublished Ph.D. Thesis, Punjab University, Chandigarh.
3. Bisht, A.R. (1980). A study of stress in relation to school climate and academic achievement (age group 13-17). Unpublished doctoral thesis, Education, kumaon university.
4. J. V. Rama Chandra Rao (2015). Academic Stress among Adolescent Students, Conflux Journal of Education, ISSN 2320-9305 E-ISSN 2347-5706 vol 2(9). <http://cjoe.naspublishers.com/>
5. Krishan, L. (2014). Academic Stress among Adolescent In Relation To Intelligence and Demographic Factors, American International Journal of Research In Humanities, Arts And Social Sciences, ISSN (print): 2328-3734, ISSN (online): 2328-3696, ISSN (cd-rom): 2328- 3688 pp 123-129.
6. आभा, शुभा (2008) एकेडमिक स्ट्रेस एण्ड एडोलोसेण्ट्स डिस्ट्रेस : द एक्सपीरिअन्स ऑफ 12 स्टैण्डर्ड स्टूडेन्ट्स इन चेन्नई, इण्डिया डिजिटेशन एक्सट्रैक्ट इंटरनेशनल 69(8), 33-42।
7. जैन, एम. (2007), एकेडमिक एग्जाइटी अमोंग एडोलोसेण्ट्स रोल ऑफ कोचिंग एण्ड पैरेन्टल इनकरेजमेंट, जनरल ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइकॉलॉज इण्डिया, वॉल्यूम- 52।
8. Ali, A., Horo, A., Swain, M. R., & Gujar, N. (2019). The Prevalence of Internet Addiction and its relationship with Depression. Anxiety and stress among Higher secondary school students: North-East Perspective, Indian Assoc. Child Adolescent. Health, 15(1), 13-26.
9. Devi, R.s., & Mohan, s. (2015). A study on stress and Its Effects on Collegestudents. International Journal of scientific Engineering and Applied science (IJSEAS), 1, (7). DOI: <http://dx.doi.org/10.18203/2349-3291.ijcp20162378>
10. Bhosale, U. V. (2014). A study of Academic stress And Gender Difference. Indian streams Research Journal, IV(VI).

11. Kaur, s. (2014). Impact of Academic stress on Mental Health: A study of school going adolescents. Global Journal for Research Analysis, 3(5).
12. Kaushal, Y., & Koreti, s. (2018). Educational stress and coping strategies in school going students. International Journal of Contemporary Pediatrics, 5(4), 1452-1456. DOI: <http://dx.doi.org/10.18203/2349-3291.ijcp20182545>
13. Lal, K. (2014). Academic stress among adolescent in relation to intelligence and demographic factors. American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences, 123-129, ISSN (P): 2328-3734, ISSN (O): 2328-3696.
14. Marwan, Z. B. (2013). Academic stress among undergraduate students: The case of Education faculty at Kingsaud University. International Interdisciplinary Journal of Education, 2(1), 82-88.
15. Menaga, s., & Chandrasekaran, V. (2014). A study on Academic stress of Higher secondary school students. International Scholarly Research Journal's, II(XIV), 1973.
16. Mahanta, D., & Kannan, V. (2015). Emotional maturity and adjustment in first year undergraduates of Delhi University. Indian Journal of Psychological Science, 5(2), 84-90.
17. Prabu. (2015). A study on Academic stress among Higher secondary students. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 4(10), 63- 68. www.ijhssi.org
18. Rajasekar. (2013). Impact of academic stress among the management students of AMET University: An analysis. International Journal of Management, 32-40.
19. Sharma, V., & Singh, T. (2010). Yoga and Cognitive Behavior Techniques for Academic stress and Mental Wellbeing among school students. Delhi Psychiatry Journal, 13(1).
20. Singh, V., & Singh, J. (2017). Kishor awastha ke vidhyathiyo meshakshik Tanav par abhibhawak prerna ka Padne wale parbhav ka addhyan. International Journal of Advanced Education and Research, 2(2), 103-106. www.alleducationjournal.com
21. Tiwar, R. (2015). Benefits of Yoga Practices on High school student's memory and concentration in relation to Examination stress. International Journal of Yoga and Allied Sciences, 4(2), 77
22. Ghosh, s. M. (2016). Parental Deprivation and Adolescents Mental Health. The International Journal of Indian Psychology, 3(3), 7, ISSN: 2348-5396 (e) ISSN: 2349-3429 (p), <http://www.ijip.in>.
23. Hussain, A., & Kumar, A. (2008). Academic stress and adjustment among high school students. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 34, 70-73

Levels of Agricultural Development in Chhattisgarh

Dr. Kajal Moitra* Padma Das**

*Professor and Head (Social Science) Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.) INDIA

** Ph.D. Scholar (Geography) Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.) INDIA

Abstract - Chhattisgarh, which became India's 26th state on November 1, 2000, is geographically located between 17°46' to 24°5' north latitude and 80°15' to 84°20' east longitude. The state receives an average annual rainfall of about 1207 mm and has a total geographical area of approximately 138 lakh hectares, of which around 46.51 lakh hectares, or 34%, is under crop production. The state's terrain predominantly consists of medium to light land, covering about 57% of its area. Chhattisgarh is also recognized for its rich biodiversity, with about 63.40 lakh hectares, or 46% of the state's total area, under forest cover.

The state's population is around 2.55 crore, with approximately 70% engaged in agriculture. There are about 37.46 lakh farming families in Chhattisgarh, and nearly 80% of them belong to the small and marginal farmer categories. The primary crops during the Kharif season include paddy, soybean, urad, and arhar, while gram and tivda dominate the Rabi season. Additionally, some districts in the state are conducive to sugarcane cultivation, and currently, four cooperative sugar mills are operating successfully. Other crops include maize, small grains, moong, wheat, and groundnut, with the central plains of Chhattisgarh often referred to as the "rice bowl of Central India."

Keywords : Cultivation , groundnut and engaged.

Introduction - Chhattisgarh's government is working under a joint plan to increase the area of bi-cropping, diversify cropping systems, and enhance income through agro-based small-scale industries. To fully utilize the potential of the agricultural sector, the state government is focusing on better water resource management to reduce farmers' reliance on rainfall. Efforts are underway to expand irrigation facilities, with the state currently having a net irrigated area of about 14.76 lakh hectares, accounting for around 32% of the net production area.

Chhattisgarh is divided into three agro-climatic zones, each with distinct characteristics regarding area, soil, irrigation, and cropping systems. The state government's efforts to promote agricultural development and improve farmers' economic conditions have been recognized nationally, with Chhattisgarh receiving the "Krishi Karman" award multiple times. These awards, given for achievements in paddy and pulses production and overall food grain output, highlight the state's commitment to agricultural excellence.

Literature of review: Adelman and Morris (2006) analysed 25 social and political indicators across 74 developing countries to assess socio-economic conditions. Drewnowski (1974) further expanded this by evaluating indicators such as nutrition, clothing, housing, health, education, recreation, security, and the social and natural environment. Morris and McAlpin (1982) employed the Physical Quality of Life Index, focusing on infant mortality,

life expectancy, and adult literacy. Krishnamurthy and Dhruvasan (2007) emphasized the critical role of selecting appropriate indicators for measuring socio-economic development in India. Schwartzberg (1961) utilized six groups of indicators to gauge regional development in India, while Kundu and Raza (1982) examined 109 indicators related to agriculture, rural and urban economic bases, economic infrastructure, and social facilities. Sundaram (1982) used a slightly broader set, consisting of 104 indicators.

Singh and Dubey (2007) analyzed demographic development in Uttar Pradesh, which provided valuable insights into developing economies. Smith's (1977, 1982, 1973) work in human geography and social well-being was also significant, as was Sopher's (1980) research on gender disparities in Indian literacy. Srivastava (1982) applied a taxonomic method to measure development levels across Uttar Pradesh's districts, and Sundaram (1982) focused on regional and local-level development analysis. Tiwari (1985, 1977) contributed to understanding inter-state and district-level disparities in development in Uttar Pradesh, and Tripathi and Tiwari (1993) addressed regional disparities in development across India. Uday Shankar (1982) delved into inter-state disparities in industrial development.

Internationally, the United Nations (2008) provided key definitions and measurements of living standards, while the UN Development Plan expanded this to human

development. Verma (2009, 1992) contributed to understanding population patterns and regional disparities. Williams (1965) and Wood (1977) offered geographical perspectives on regional disparities in India's development. Jacobs (1982) developed a comprehensive set of 118 indicators, grouped into categories like nutrition, clothing, housing, education, and health, to assess physical development. Srivastava (1982) utilized 32 indicators for Uttar Pradesh, while Dubey (1992) used 60 indicators to measure agricultural, industrial, and social infrastructure development.

Rai (2008) measured human development in West Bengal's Purulia district using health, education, and living standard indices, akin to the UN's Human Development Index (HDI). Forman's work on the social sciences and development issues, along with Gosal and Krishan's (1984) research on socio-economic disparities in Punjab, provided further regional insights. Mishra (1983) focused on local-level planning and development, while Dalton (1972) explored economic anthropology in traditional and modernizing communities. Singh (1992) discussed the foundations of geographical thinking, and Singh (1985) examined rural development concepts. Eisenstadt (1961, 1966) provided a social perspective on political and economic development, while Kim (1973) offered a structural perspective on development. David (1978) and Everest (1962) provided foundational insights into policy analysis and social change, respectively. Raman and Sharma (1979) studied block-level disparities in Telangana, contributing to the understanding of regional development.

Research on economic growth and fairness by Adelman and Morris, Amin (2009) on unequal development, and Anuradha and Rao's (2010) analysis of inter-state disparities in India added to the discourse on socio-economic inequalities. Bhagat (2007) explored access to basic amenities in urban India and its implications for health and well-being. Bhatut (1982) and Bose (1988) focused on geographical perspectives and population issues. Browett (1981) addressed geography's role in development, while Kantwala and Rao (1992) examined regional development and inter-state analysis in India. Bhuiyan and Banerjee (1991) focused on disparities in education levels in Bangladesh, and Nair (1983) provided insights into regional experiences in developing economies. Krishna and Mahajan (1993) studied inter-state disparities within Indian states, while Singh (1985) analyzed variations in income growth rates across Indian states.

Rao (1985) discussed inter-state development disparities, and Tiwari (1985) examined inter-state disparities in development levels. Sampat (1977) focused on income inequalities in India from 1951 to 1971, and Dholakia (1985) analyzed regional disparities in economic growth. Mathur (1978) provided an analysis of regional disparities and Indian policy planning, while Nair (1979) explored income disparities across Indian states. Suri

(1982) discussed widening disparities both inter- and intra-state, and Rao (1979) presented a method for measuring economic distances between Indian regions. Nath (1980) contributed to understanding regional development in Indian planning, while Prakash and Rajan (1979) focused on rural development disparities in Madhya Pradesh.

Objectives of the study– This present study has certain research objective. The are-

1. To study the Agricultural pattern of the study area.
2. To analysed the level of agricultural development of the study area .

Research Methodology: This study based on secondary data. The secondary data is collected from the secondary sources mainly form District rural development agency, official record, economic and political weekly and other sources.

Discussion

Classification Of Crops

i. Kharif Crops: Kharif crops dominate the agricultural landscape of Chhattisgarh, with major crops including paddy, jowar, bajra, moong, urad, maize, sesame, groundnut, tobacco, jute, and sugarcane. In 2007, out of the total crop area of 5,706,605 hectares, 80.41% was devoted to Kharif crops. Dantewada district had the highest proportion of land under Kharif crops, at 97.31%.

ii. Rabi Crops: Rabi crops are sown at the beginning of the winter season and are harvested between February and May. These crops typically require irrigation. The main Rabi crops in Chhattisgarh include wheat, barley, gram, mustard, pigeon pea, peas, and lentils. In 2007, Rabi crops accounted for 19.59% of the total cultivated area in the state. The district with the highest ratio of land under Rabi crops was Durg, with 37.87%, while Dantewada had the lowest at 2.69%.

A. Food Crops:

i. Cereal Crops: These include staple crops like paddy, wheat, grass, and oats.

ii. Coarse Grains: Maize, jowar, and millet are the main coarse grains.

iii. Small Grains: Crops like Kodo-Kutki and Sawa are categorized under small grains.

iv. Pulse Crops: These include gram, pigeon pea, tur, moong, lentils, urad, peas, soybean, cowpea, and horse gram.

B. Non-Food Crops: This category includes crops such as sesame, linseed, ramtil, safflower, mustard, groundnut, jute, and cotton.

Major Crops Of Chhattisgarh

Paddy: Paddy is the primary crop of Chhattisgarh, occupying the largest area and accounting for the highest production among all crops. It is primarily grown as a Kharif crop, covering 93.02% of the total cropped area. In 2006-07, paddy was cultivated on 990,406 hectares, contributing to 80% of the total Kharif crop area and 83% of the total food grain production area. The state produced about 5.15

million tonnes of paddy in 2006-07. Chhattisgarh is home to over 20,000 varieties of paddy, including popular varieties like Swarna, Mahamaya, IR8, Bambaleshwari, Danteshwari, Purnima, and Jawphool. Due to its extensive paddy cultivation, the state is often referred to as the "Rice Bowl" of India.

To boost paddy production, the state implements the Integrated Grain Development Program (Paddy) across all 16 districts, with 75% of the funding coming from the central government and 25% from the state. The program includes initiatives such as crop demonstrations, farmer training, distribution of certified seeds, and subsidies on advanced agricultural equipment.

The districts with the largest areas under paddy cultivation are Raipur (513,100 hectares), Durg (435,300 hectares), Bilaspur (314,100 hectares), Surguja (309,300 hectares), Bastar (258,300 hectares), and Janjgir (254,700 hectares). Janjgir has the highest average paddy yield in the state, with 1,124 kg per hectare.

Wheat: Wheat is a Rabi crop and the second most important cereal in Chhattisgarh. It is cultivated on 6,775 hectares of land, accounting for 0.54% of the state's total cultivated area. The district with the largest area under wheat cultivation is Surguja, with 17,446 hectares, while Dantewada has the smallest area, with only 29 hectares. Wheat production is concentrated in districts like Raipur (16,700 tonnes), Durg (14,400 tonnes), Rajnandgaon (15,700 tonnes), and Bilaspur (16,000 tonnes). Popular wheat varieties in Chhattisgarh include Sharavati, Vilasa 5005, Arpa 503, and Ratan 5010.

Maize: Maize is the third major food grain crop in Chhattisgarh, following paddy and wheat. It is classified under coarse grains and is primarily grown as a Kharif crop. Maize is cultivated on approximately 3,241 hectares, accounting for 0.30% of the state's total land area. The largest area under maize cultivation is in Kanker district, with 2,123 hectares. Other districts where maize is grown include Bastar, Dantewada, Rajnandgaon, Bilaspur, Surguja, Korea, Dhamtari, and Jashpur.

Other Coarse Grains: In addition to maize, Chhattisgarh also grows other coarse grains such as jowar, bajra, and Kodo-Kutki. These crops are cultivated on approximately 109,000 hectares, primarily in districts like Surguja, Bastar, Dantewada, Korea, and Jashpur.

Pulse Crops: Pulses are a vital source of protein and play a significant role in nitrogen fixation in the soil. Pulse crops are grown on 2.80% of the total cultivable land in Chhattisgarh. The crop with the largest area under pulse cultivation is gram, with 21,070 hectares, accounting for 1.99% of the total cropped area. Pulse crops are widely grown in Chhattisgarh due to their adaptability to a variety of geographical conditions and have an important place in the state's agricultural landscape.

Growth Of Agriculture's Role: Chhattisgarh's economy and its development across various sectors form the

foundation for generating financial resources, which the state government can then mobilize and allocate towards socio-economic development. Given the critical role of the state's economy, it's essential to periodically review its performance, identify growth opportunities, and address constraints that hinder progress. The State Finance Commission is responsible for recommending financial devolution from the state government to local bodies, taking into account the state's economic performance and potential growth areas. This review helps prioritize development initiatives for the state.

Agricultural growth is vital for the overall economic development of Chhattisgarh. Despite some areas experiencing progress, agriculture in the state remains relatively underdeveloped. A significant portion of the workforce, about 80%, relies on agriculture for their livelihood. The total cultivable area constitutes 35.5% of the state's geographical area, with paddy being the predominant crop, covering 80% of the total cropped area. However, only 21% of the state's agricultural land has access to assured irrigation, leaving the majority dependent on monsoon rains.

Agriculture in Chhattisgarh is characterized by instability in growth rates, largely due to weather-induced fluctuations. The Green Revolution, which began in the mid-1960s, largely bypassed the Chhattisgarh region. As a result, the state's cropping intensity remains low at 121, compared to 135 in Madhya Pradesh and the national average of 133. Only 14% of the state's cultivated area is double-cropped, which is lower than Madhya Pradesh's 21% and the national average of 25%.

The use of chemical fertilizers in Chhattisgarh is also limited, at 40 kg per hectare, compared to 48 kg in Madhya Pradesh and 90 kg nationally. The adoption of modern agricultural inputs is primarily limited to large farmers in irrigated areas, and even then, fertilizer use is not balanced.

Paddy, the state's main crop, is vulnerable to fluctuations in rainfall, which can significantly impact productivity and output. Despite its economic inefficiency, paddy is cultivated on 25-30% of the state's total area. The cropping pattern in Chhattisgarh is not optimal, and there is a need to diversify into crops such as pulses, oilseeds, sugarcane, cotton, spices, horticultural crops, and medicinal plants.

The agricultural sector in Chhattisgarh has seen a decline in capital investment since 1980-81, as evidenced by the decreasing rate of investment in the state. The average landholding size is 1.8 hectares, compared to 2.5 hectares in Madhya Pradesh. Nearly 90% of farmers in the state are small and marginal, struggling with low rice production. The rural economy in Chhattisgarh retains a feudal character, with a significant portion of farming done on a crop-sharing basis. Contract farming is on the rise, with private agri-business companies increasingly engaging smallholders. Migration of landless laborers and marginal

farmers is common, particularly during droughts.

Despite the adoption of high-yielding varieties (HYV) and improved agricultural techniques, rice productivity per hectare has not seen a substantial increase. The Food Insecurity Atlas of India, prepared by the UN World Food Programme, has identified Chhattisgarh as one of the food-insecure states, along with Jharkhand, Gujarat, and Orissa. Historically known as the "Rice Bowl" of India, Chhattisgarh's focus on modern HYV varieties has led to the neglect of indigenous rice diversity, which often performs better under adverse conditions.

The absence of an organized marketing network in Chhattisgarh further exacerbates the challenges faced by farmers. Middlemen take a significant share of profits, and cultivators often do not receive fair prices for their produce. To address these issues, the state needs to develop a cooperative marketing system and implement regulatory measures to curb malpractices in agricultural markets. To improve the agricultural sector, Chhattisgarh needs to diversify its cropping pattern, expand irrigation facilities, and launch a vigorous drive towards watershed development. It is also crucial to select crop varieties more strategically, provide greater support to small and marginal farmers, and implement employment programs for landless laborers. Additionally, there should be a focus on enhancing the quality of agricultural extension services, adding value to agricultural products, and increasing public investment in rural infrastructure.

The state also needs to create an organized marketing system, increase the flow of institutional credit, extend marketing and warehousing facilities, and strengthen decentralized planning. Integrating agricultural development programs with employment generation and poverty reduction initiatives, in a decentralized manner, will be essential for the holistic development of the state's agricultural sector.

Land Use Pattern Of Chhattisgarh State : The total geographical area of the state is approximately 13,790 thousand hectares. The largest portion of this land is covered by forests, accounting for 45.95%, followed by the net sown area at 34.06%. Other categories include land not available for cultivation (7.39%), other cultivated land excluding wasteland (2.57%), current fallow land (1.83%), and land other than current fallow (1.99%). Permanent pastures and grazing lands cover 6.20%, while miscellaneous tree crops and groves make up a mere 0.01%. The area sown more than once accounts for 7.07%, and land under culturable fallow and unculturable uses stands at 8.78%.

Between 2000-01 and 2010-11, the gross cropped area increased by 41.13%. The most significant changes were seen in current fallow land, which grew by 15.06%, followed by gross cropped area (6.48%), land not available for cultivation (0.59%), forest area (0.52%), and permanent pastures and grazing land (0.23%). Conversely, land under

miscellaneous tree crops and cultivable wasteland decreased dramatically by 99.70%, while land under current fallow declined by 9.64%, and the net sown area shrank by 1.39%. The cropping intensity in Chhattisgarh increased by 9% in 2010-11, mainly due to the 72.87% rise in double-cropped areas.

References :-

1. Hoperaft, Peter (1987), "Policy Issues for Sustainability" in Sustainability Issues in Agricultural Development by Davi and Schimer, The World Bank, Washington, D.C. 54.
2. Hunter, G.U.Y. (1969), Modernizing Peasant Societies, Oxford University Press, London.
3. Igborzurike, Matthias U. (1971), "Against Mono-culture", Professional Geographer, 23, p. 114.
4. Jha, V.C. (1997), "Environmental Hazards and Impact on Development : A Case Study of Jharia Mining Area, India' in Geography and Environment (ed.) by Nag Prithvish, Kumar and Singh. 182 Johnston,
5. Jones and Pandey (1981), Social Development: Conceptual, Methodological and Policy Issues (ed.) Macmillan India Ltd., Bombay.
6. Joshi, B.M. (1987), "Infrastructure and Regional Imbalances in U.P. - An Inter-District Analysis", Indian Journal of Regional Science, 19,2 : 91-96.
7. Joshi, B.M. (1987), "Spatial Diffusion of Modern Agricultural Tech, in M.P.", Indian Journal of Regional Science, 29,2 : 65-79.
8. Joshi, Hemlatta (2000), "Changing Literacy Level in Rajasthan: A Geographical Analysis", Geographical Review of India, 62, 2 : 150-160.
9. Kalam, M.A. and L. Sabaratanam (1999), "Socio-cultural, political and economic spaces and variable development of Indian states", The Indian Geographical Journal, Vol. 74, No. 1, pp. 44-51.
10. Kalwar, S.C. and Yadav, S.B. (2004-05), "Resources and Socio-Economic Development in Chhattisgarh", The Rajasthan Geographical Association, 21-22: 1-12.
11. Kant, Surya (1988), Administrative Geography of India, Jaipur: Rawat Publications.
12. Kaur, Harpinder (1988), Political Consequences of Agricultural Development in India, New Delhi: Anmol Publishers.
13. Khan, M.F. (1996), "Sustainability of modern agro-ecosystem: A case study of the upper Ganga-Yamuna Doab", The Geographer, Vol. XLIII, No. 1.
14. Kindleberger, P. Charles and Herrick Bmce (1977), Economic Development, London: McGraw Hill, Kogakusha Ltd.
15. Krishan G. (1993), Development: Concept and Approaches, Commonwealth Secretariat, Chandigarh.
16. Krishan, G. (1980), "Development Social Development and Geography", R.B. Mandal and V.N.P. Sinha eds. Recent Trends and Concepts in Geography, Concept,

- New Delhi: 159-166.
- | | |
|--|---|
| <p>17. Krishan, G. (1980), in Noor Mohammad (ed.) "The Concept of Agricultural Development", Perspectives in Agricultural Geography, Concept, New Delhi, 4: 77-85. 183</p> <p>18. Krishan, G. (1986), "On Incongruity Between Economic and Social Development : A Case Study of the Indian Punjab", Asian Profile, 14: 149-153.</p> <p>19. Krishan, G. (1988), "The World Pattern of Administrative Area Reform", The Geographical</p> | <p>Journal, 154 : 93-99.</p> <p>20. Krishan, G. (1989), "Trend in Regional Disparities in India", Asian Profile, 17: 243-261.</p> <p>21. Krishan, G. (1989), "Trends in regional disparities in India", Asian Profde, 17, 3,243-261.</p> <p>22. Krishan, G. (1992), in Noor Mohamad (ed.) "Dynamics of Agricultural Development", Concepts International Series in Geography, Vol. 7, pp. 29-36.</p> <p>23. Krishan, Gopal (1993), Issues Influencing Development Commonwealth Secretariat, Chandigarh.</p> |
|--|---|

Demographic Characteristics of Mungeli District

Dr. Kajal Moitra* Rabindranath Bera**

*Professor and Head (Social Science) Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.) INDIA

** Ph.D. Scholar (Geography) Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.) INDIA

Abstract - Population refers to the number of people living in a specific geographic area, though they may be dispersed across different spaces. Population studies also consider the incidental and economic impacts of demographic patterns, highlighting the importance of these investigations. The analysis of population is typically chronological in nature (Chandna, 2008). Key factors in the dynamic nature of population include migration trends and variations in birth and death rates. Mungeli District, located in the central part of the Indian state of Chhattisgarh, exhibits a diverse demographic profile across its various administrative blocks. The district, known for its agricultural landscapes and cultural heritage, is divided into several blocks, each characterized by unique demographic patterns and socio-economic activities. Understanding the block wise population distribution provides insights into the district's societal fabric and developmental challenges.

Keywords: Chronological, societal fabric and exhibits.

Introduction - As of the 2011 census, the population was 701,707, of which 65,439 (9.33%) live in urban areas. The population growth rate over the decade 2001-2011 was 38.29%. 1,20,631 (17.19%) are under 6 years of age. Mungeli has a sex ratio of 974 females per 1000 males and a literacy rate of 64.75%. Scheduled Castes and Scheduled Tribes make up 27.70% and 10.37% of the population respectively.

Mungeli District, located in the central part of the Indian state of Chhattisgarh, exhibits a diverse demographic profile across its various administrative blocks. The district, known for its agricultural landscapes and cultural heritage, is divided into several blocks, each characterized by unique demographic patterns and socio-economic activities. Understanding the blockwise population distribution provides insights into the district's societal fabric and developmental challenges.

Review of literature : W.N. Kuber (1991) has studied that three things shine out in Hinduism. In the first place Hinduism refuses freedom of business. In the second place Hinduism compels persons to serve ends chosen by others. In the third place Hinduism leaves no scope for the scheduled castes to accumulate wealth. Thus in Hinduism there is no choice of occupation. There is no economic security. Scheduled castes depended on others in economic point of view. Thus Hinduism does not inspired the education among scheduled castes. Hinduism is against to situation in which liberty can to grow rich. Religion is the basis of rule itself. In Hinduism we obtained social inequality and religious inequality imbeded in its philosophy. DR. Dauji

(1993)has observed that scheduled castes are socially, economically very backward. They live a life of extreme poverty. They have no own property. They have to do dirtiest service and find very little wage. They have to live far away from upper caste either cities or the villages. Commonly their localities have no hygienic arrangement and no facilities for drinking water. Their job is to remove the night soil and clean the latrines. Scavenging the streets, disposing of dead animals and skinning the dead body are also their responsibilities. In spite of this, they are subordinated to a number of incivility and inhuman treatment. They can not draw water from well used by upper castes. They can not enter temples. There are restricted on the use of ornaments, clean cloths and even on riding horses and palenquins at the period of weddings. Neither men folk could tie a coloured turban nor could wear shoes.

Oliver Mendelson (1994)observed that scheduled castes are at the bottom of Hindu society- in wealth, social status, health, education and cultural amenities. Today the predominant occupation of the scheduled castes is agricultural work rather than the traditional task as skinning animal deadbody, tanning leather and shoemaking, playing in musical bands, weaving, scavenging and cleaning, coconut plucking and today tapping. The majority of scheduled castes now never perform the polluting work of their caste. But who do perform the caste work also tend to do agriculture work on season. Ninety per cent of the village scheduled castes are not allowed in to houses of caste Hindu. An even higher per centage of barbers do not serve scheduled castes in their concern not to lose high caste

guardianship. Sixty per cent of village shopkeepers take care to avoid touching anything to do with them, even their money. Seventy per cent of the potters do not allow the scheduled caste to touch pots while going about their purchases and in 89% of the villages scheduled caste are prohibited for entering temples. Reservation of public employment for scheduled castes has had greater impact than electoral reservation. Ten of thousands of scheduled castes have benefitted from the quota of public jobs made available to them. The major concentration of scheduled castes is in the lowest grade of public positions, many of them in the sweeper category.

Rajni Kothari (1994) studied that works of cruelty and terror continue to be part of the atrocities perpetuated on the dalits and other lower classes. If more atrocities done on scheduled castes then they shall become more conscious toward their rights. Radhika Ramaseshan (1995)¹⁴ has studied that economic and social status of scheduled castes under the Zamindari system was very poor. There were very large inequality in distribution of land in Uttar Pradesh. Scheduled castes had only .09% land. Chamars have formed the largest group in Uttar Pradesh. Probably $\frac{1}{2}$ of the cropped area was operated by scheduled castes. Zamindari abolition did not benefit the scheduled castes very much except in those places where they were tenant farmers. In most of place the agricultural labourers only began working for new masters. U.P. Zamindari Abolition Act has provided for new hierarchy of tenure holders in place of the old but the new one too is reminiscent of the old. Scheduled castes believe in humanism, he ignored the existence of god, rebirth, souls, sacred books which teach judgment. They rejected these things because they believed that these things made him a servant. C.L. Sharma (1996)¹⁵ has studied the education level of scheduled castes. Scheduled castes are mostly traditionally found illiterate. After Raj Mani Tripathi (1999) has examined that socially and educationally backward class as scheduled castes are situated at the bottom of socio-economic pyramid. Scheduled castes have not productive capital or land. They are engaged as agricultural labourer in informal sector. They do not come under the range of protective laws like Minimum Wages Act and Prevention of Land Alienation Act. Exploitation of scheduled castes in rural area are still continued today. Lack of employment opportunities, poverty and non existence of organization which can fight for their right. The scheduled caste families do not able to derive full profits of development programmes. The job reservation and educational incentives provides better socio-economic status to scheduled castes. G.G. Wankhede (1999) has analysed the social condition of scheduled castes with reference to educated scheduled castes. Social problems have abstracted the mobility of scheduled castes. They depend on the upper caste for their livelihood. They are engaged mostly in low paid manual occupation and also work as bonded labourers and engaged as landless,

manual daily wage earners even today. Despite of legal protection, scheduled castes are mostly not allowed to enter temples or use public places. They have no drinking water facilities and other services such as laundry, haircut and so on.

Sudeep Kumar (2002) has studied the Jatavs, a scheduled castes earlier known as chamars. Jatav families had landholdings and these were allotted to them by the government under the land Managing Council Scheme. In the post independence period the Jatavs who were primarily tanners and flayers of leather got initiated in to a number of other occupations. With opening of labour market and opportunities for employment diversification the Jatavs are today drivers, peons, carpenters, tailors, mechanic, mason factory workers, teachers, lawyers and so on. There are obvious changes in their style of dress, presentation of ornament, bicycles, watches, scooters, transistors, T.V., refrigerators, personal habits like smoking, drinking and so on. Some of the Jatavs wear trousers and bushirts as against their traditional dress of Dhoti and Kurta. Some are built cement houses. Of course these changes are not merely due to their economic prosperity, but the impact of urban values and contact with different cultures, are also important in changing the consumption pattern and value system. Kuldeep Kaur (2002)²² observed that the scheduled castes form lowest position in caste hierarchy of caste stratification in India. There is lack of general educational development of community and there representation in government service is inadequate. They suffer from social and physical separation from the rest of community.

Independence, they found an occasion to get education in school and colleges on the basis of constitutional provision. Devendra Thakur (1997) studied that scheduled castes population mainly participate in low earning occupation because they mostly to be of help only rudimentary level of education. The population from these groups who fortunately to be help of higher education is unable to take up better earning occupations due to their poor socio economic background and their bad quality of education. Scheduled castes women who enter the labour market for seeking employment also receive discriminatory treatment from employers.

B.S. Bhargava and Avinash Samal (1998) studied socio economic upliftment of scheduled castes by protective discrimination of government. Despite a progressive socio-economic programmes the policy of reservation has not been able to obtain much good fortune. Father of the constitution had included a number of provisions for improving the socio-economic status of the scheduled castes. After independence farmers demanded special provision for scheduled castes, who were socially and economically backward. In 1950, government launched reservation policy and provided reservation to scheduled castes 12.5%. But this per cent of reservation increased

fifteen per cent in 1970. Besides it they also found reservation in field of job, colleges and universities and in the legislative assemblies. By seeing their socio economic position, we found that progress has not been so satisfactory. Scheduled castes have not been able to reach the prescribed per centage of reservation. All our efforts to scheduled castes in the past show that we have never been really serious about the problems of the scheduled castes. Siddharth Dube (1999) has studied Pasi and Jatabs family in rural Uttar Pradesh. There are many aspect of poverty that are best measure of socio economic status of scheduled castes. Wages were rose very slowly about ten years ago probably in the middle of eighties. Pasis have a greater exposure toward the outside world.

Objectives of the study : This present study has certain research objective. The are-

1. To study the population distribution in mungeli district..
2. To study the distribution pattern of population density in district.

Research Methodology : This study based on secondary data . The secondary data is collected from the secondary sources mainly form District rural development agency, official record, economic and political weekly and other sources.

Dissscussion

Table

Mungeli : Population distribution

		Population	Male Population	Female Population
DISTRICT MUNGELI	TOTAL	701707	355449	346258
	RURAL	636268	322308	313960
	URBAN	65439	33141	32298
Sub-District Lormi	TOTAL	274859	138959	135900
	RURAL	259703	131308	128395
	URBAN	15156	7651	7505
Sub-District Mungeli	TOTAL	249229	126407	122822
	RURAL	212779	107854	104925
	URBAN	36450	18553	17897
Sub-District Pathariya	TOTAL	177619	90083	87536
	RURAL	163786	83146	80640
	URBAN	13833	6937	6896

Source: District Handbook 2019-2020

1. Mungeli Block: Mungeli Block serves as the administrative headquarters of Mungeli District and is a hub of commercial and governmental activities. The block encompasses both urban and rural areas, with Mungeli town being the focal point. The population here is relatively more diverse, comprising a mix of various caste and religious communities. The urban areas are characterized by bustling markets, educational institutions, and healthcare facilities, which attract people from neighboring rural areas for various services.

2. Lormi Block: Lormi Block is known for its predominantly agricultural economy, with a significant portion of the population engaged in farming and related

activities. The block consists of several villages spread across fertile plains, where rice, wheat, and pulses are the primary crops. The population density is relatively lower compared to urban centers, with communities primarily belonging to Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs). Access to basic amenities such as healthcare and education remains a challenge in some remote villages.

3. Patharia Block: Patharia Block is characterized by its undulating terrain and forested areas, making it predominantly rural in nature. Agriculture is the mainstay of the economy, with maize, soybean, and sugarcane being the primary crops grown here. The block has a sizable tribal population, with Gond and Baiga tribes being prominent. Infrastructure development, particularly road connectivity, has been a focus area to improve accessibility to remote villages and promote socio-economic development. Pathariya Block is located in the southern part of Mungeli District and is characterized by its agricultural landscape and riverside communities. The block is known for its fertile plains and extensive rice cultivation. The population comprises a mix of SC, ST, and OBC communities, with villages spread along the banks of the Sheonath River. Access to irrigation facilities and water management remains crucial for enhancing agricultural productivity in the region,

Population Growth Rate: Population growth refers to the change in the size of a population within a specific area between two time periods. This change is usually expressed as a percentage and is known as the population growth rate. Key factors influencing population growth include birth rate, death rate, and migration. If the death rate exceeds the birth rate, the population growth is negative; conversely, if the death rate declines or the birth rate rises, positive growth occurs. A rising population size is termed positive growth, while a decline is referred to as negative growth. The difference between the birth rate and death rate is considered the natural growth of a population (Khullar, 2008). Between 2001 and 2011, Mungeli district experienced a population growth rate of 38.28 percent.

Population Density: Population density serves as a key indicator of the demographic profile of an area and provides insights into variations in population distribution. It is commonly expressed as the number of people per unit area (Khullar, 2008). Understanding population density helps identify which parts of a district have high population concentrations and the underlying reasons for such variations. Population density is determined by dividing the total population of an area by its total land area, represented by the formula:

$$\text{Population Density} = \frac{\text{Total Population}}{\text{Total Area (persons per sq km)}}$$

Chhattisgarh spans 135,192 square kilometers and has a population density of 189 people per square kilometer, which is below the national average of 382. In 2001, the state's density was 154 per square kilometer, compared to

the national average of 324. According to the 2011 Census, Chhattisgarh's sex ratio stands at 991 females per 1,000 males, slightly above the national average of 940. In 2001, the state's sex ratio was 990 females per 1,000 males. The steady figures indicate a relatively balanced gender ratio, slightly outperforming the national trend despite overall lower density levels. In 2011, Mungeli district had an average population density of 428 persons per square kilometer. Among the major tehsils, mungeli block recorded the highest density with 526 persons per square kilometer, followed by Lormi (406), Pathariya (345) persons per square kilometer. according to the 2011 census.

Mungeli : Population Density

	2001	2011
District Mungeli	310	428
Lormi	260	406
Mungeli	403	526
Pathariya	-	345

Source: District Handbook 2019-2020

Conclusion : These initiatives aim to address socio-economic disparities and promote inclusive growth. Key programs include:

- 1. Education Initiatives:** Scholarships, free education programs, and infrastructure development in schools to enhance access and quality of education for SC students.
- 2. Healthcare Services:** Initiatives to improve healthcare infrastructure, mobile health clinics, and awareness programs to address health challenges prevalent among SC communities.
- 3. Livelihood Enhancement:** Skill development training, subsidies for agricultural inputs, and support for small-scale industries to promote sustainable livelihoods.
- 4. Housing and Infrastructure:** Government schemes for housing, sanitation facilities, and rural electrification to improve living conditions in SC-majority areas.
- 5. Social Security:** Implementation of social security schemes, including old-age pensions, disability benefits, and insurance coverage for vulnerable SC populations.

References:-

1. Nambiar P.K. 1979. "Slum of Madras city in A.R.Desat and S.D.Pillai Slums and Urbanization, Bombay, Population Prakashan.
2. P.Dubey and Ranjay Vardhan. "Socio-Economic Profile of slum Dwellers in Chandigarh. Man and development, Vol. XXI, No. 3, Sept.1999, PP.125-143.
3. Slum census Report of India 2001.
4. Town and country planning Organisation, Thuggi, Thompuri settlements in Delhi. A Sociological study of low income-migrants communities. Ministry of works and housing, Government of India 1975 PP. 116-117.
5. Venkalarayappa, K.N. Slum - A study in Urban problems, New delhi stefflying, Publisher Pvt. Ltd.
6. Krishan, Gopal and Neela Thapar (1994), "Cultural diversity and development in India," Annals NAGI, 1,2,27-44.
7. Krishanji, N. (1975), "Inter-regional disparities in per capita production and productivity of food grains", Economic and Political Weekly, Special Number, 10, 1377-1385.
8. Kumari, Krishna (1997), "Agricultural modernization in Nellore district, India", The Indian Geographical Journal, Vol. 72, No.I, pp. 71-73.
9. Kundu, A. and Raza (1982), "Indian Economy: The Regional Dimension", Centre for the Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.
10. Lahiri, T.B. ed. (1972), Balanced Regional Development, Calcutta: Oxford I.B.H. Publishing Corporation.
11. Lefebver (1994), as quoted in "Desai, S.M. (2001), Industrial Economy of India, New Delhi : Himalaya Publishing House.
12. Mahadevan, Tuan and Nair (1992), Ecology, Development and Population Problem, (ed.) New Delhi: B.K. Publishing Corporation.
13. Mahajan (1982), as quoted in "Singh, Nina (1998), Administration and Development of Indian States, Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi.
14. Majumdar, Paramita (2000), "Some Aspects of Development in Punjab, India", Geographical Review of India, 62,2 : 161-176.
15. Majumder, R. (2003), "Infrastructural Facilities in India: District Level Availability Index", Indian Journal of Regional Science, 35, 2 : 1-22. 184
16. Malassis, L. (1975), Agriculture and the Development Process, The UNESCO Press Paris.
17. Mathur, A.K. (1983), "Regional development and income disparities in India: A sectoral analysis", Economic Development and Cultural Change, 31, 475-505.

Impact of Sustainable Agriculture and Farming Practices

Dr. Kajal Moitra* Dr. Ratnesh Kumar Khanna** Mahtab Alam***

*Professor and Head (Social Science) Dr. C.V.Raman University, Bilaspur (C.G.) INDIA
**Assistant Professor (Social Science) Dr. C.V.Raman University, Bilaspur (C.G.) INDIA
*** Ph.D. Scholar (Geography) Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.) INDIA

Abstract - Chhattisgarh is divided into three agro-climatic zones, each with distinct characteristics regarding area, soil, irrigation, and cropping systems. The state government's efforts to promote agricultural development and improve farmers' economic conditions have been recognized nationally, with Chhattisgarh receiving the "Krishi Karman" award multiple times. These awards, given for achievements in paddy and pulses production and overall food grain output, highlight the state's commitment to agricultural excellence.

Include paddy, soybean, urad, and arhar, while gram and tivda dominate the Rabi season. Additionally, some districts in the state are conducive to sugarcane cultivation, and currently, four cooperative sugar mills are operating successfully. Other crops include maize, small grains, moong, wheat, and groundnut, with the central plains of Chhattisgarh often referred to as the "rice bowl of Central India."

Keywords : Rice bowl, commitment.

Introduction - Agriculture is the most extensive industry globally, employing over a billion people and producing food worth more than \$1.3 trillion annually. Pastures and croplands cover nearly 50% of the Earth's habitable land, providing habitats and sustenance for countless species.

Sustainable management of agricultural practices can protect vital ecosystems, enhance soil and water quality, and preserve watersheds. However, unsustainable methods can harm people and the environment. With the growing global population driving increased demand for agricultural products, sustainable resource management is now more critical than ever. The sector's deep ties to the global economy, biodiversity, and human livelihoods highlight its significance in achieving sustainable development.

Literature of review: Adelman and Morris (2006) analysed 25 social and political indicators across 74 developing countries to assess socio-economic conditions. Drewnowski (1974) further expanded this by evaluating indicators such as nutrition, clothing, housing, health, education, recreation, security, and the social and natural environment. Morris and McAlpin (1982) employed the Physical Quality of Life Index, focusing on infant mortality, life expectancy, and adult literacy. Krishnamurthy and Dhruvasan (2007) emphasized the critical role of selecting appropriate indicators for measuring socio-economic development in India. Schwartzberg (1961) utilized six groups of indicators to gauge regional development in India,

while Kundu and Raza (1982) examined 109 indicators related to agriculture, rural and urban economic bases, economic infrastructure, and social facilities. Sundaram (1982) used a slightly broader set, consisting of 104 indicators.

Singh and Dubey (2007) analyzed demographic development in Uttar Pradesh, which provided valuable insights into developing economies. Smith's (1977, 1982, 1973) work in human geography and social well-being was also significant, as was Sopher's (1980) research on gender disparities in Indian literacy. Srivastava (1982) applied a taxonomic method to measure development levels across Uttar Pradesh's districts, and Sundaram (1982) focused on regional and local-level development analysis. Tiwari (1985, 1977) contributed to understanding inter-state and district-level disparities in development in Uttar Pradesh, and Tripathi and Tiwari (1993) addressed regional disparities in development across India. Uday Shankar (1982) delved into inter-state disparities in industrial development.

Internationally, the United Nations (2008) provided key definitions and measurements of living standards, while the UN Development Plan expanded this to human development. Verma (2009, 1992) contributed to understanding population patterns and regional disparities. Williams (1965) and Wood (1977) offered geographical perspectives on regional disparities in India's development.

Jacobs (1982) developed a comprehensive set of 118 indicators, grouped into categories like nutrition, clothing, housing, education, and health, to assess physical development. Srivastava (1982) utilized 32 indicators for Uttar Pradesh, while Dubey (1992) used 60 indicators to measure agricultural, industrial, and social infrastructure development.

Rai (2008) measured human development in West Bengal's Purulia district using health, education, and living standard indices, akin to the UN's Human Development Index (HDI). Forman's work on the social sciences and development issues, along with Gosal and Krishan's (1984) research on socio-economic disparities in Punjab, provided further regional insights. Mishra (1983) focused on local-level planning and development, while Dalton (1972) explored economic anthropology in traditional and modernizing communities. Singh (1992) discussed the foundations of geographical thinking, and Singh (1985) examined rural development concepts. Eisenstadt (1961, 1966) provided a social perspective on political and economic development, while Kim (1973) offered a structural perspective on development. David (1978) and Everest (1962) provided foundational insights into policy analysis and social change, respectively. Raman and Sharma (1979) studied block-level disparities in Telangana, contributing to the understanding of regional development.

Research on economic growth and fairness by Adelman and Morris, Amin (2009) on unequal development, and Anuradha and Rao's (2010) analysis of inter-state disparities in India added to the discourse on socio-economic inequalities. Bhagat (2007) explored access to basic amenities in urban India and its implications for health and well-being. Bhatut (1982) and Bose (1988) focused on geographical perspectives and population issues. Browett (1981) addressed geography's role in development, while Kantwala and Rao (1992) examined regional development and inter-state analysis in India. Bhuiyan and Banerjee (1991) focused on disparities in education levels in Bangladesh, and Nair (1983) provided insights into regional experiences in developing economies. Krishna and Mahajan (1993) studied inter-state disparities within Indian states, while Singh (1985) analyzed variations in income growth rates across Indian states.

Rao (1985) discussed inter-state development disparities, and Tiwari (1985) examined inter-state disparities in development levels. Sampat (1977) focused on income inequalities in India from 1951 to 1971, and Dholakia (1985) analyzed regional disparities in economic growth. Mathur (1978) provided an analysis of regional disparities and Indian policy planning, while Nair (1979) explored income disparities across Indian states. Suri (1982) discussed widening disparities both inter- and intra-state, and Rao (1979) presented a method for measuring economic distances between Indian regions. Nath (1980) contributed to understanding regional development in Indian

planning, while Prakash and Rajan (1979) focused on rural development disparities in Madhya Pradesh.

Objectives of the study: This present study has certain research objective. The are:

1. To study the concept of sustainable development . .
2. To analysed the Impact of Sustainable Agriculture and Farming Practices

Research Methodology : This study based on secondary data. The secondary data is collected from the secondary sources mainly form District rural development agency, official record, economic and political weekly and other sources.

Disccussion:

Sustainable Agriculture: Sustainable agriculture aims to balance the needs of farmers, businesses, communities, and the environment. This approach promotes farming techniques that are socially responsible, environmentally friendly, and economically viable. Its primary goal is to meet current food and textile demands without endangering future generations' ability to do the same.

Understanding Sustainability: The concept of sustainability is best described in the 1987 Brundtland Commission report: "meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." This principle emphasizes the need to adopt sustainable practices to address pressing environmental challenges such as climate change, air pollution, and resource depletion.

The Urgency of Sustainable Practices: Over 10 million people die annually due to air pollution, while global warming continues to cause heatwaves, unpredictable monsoons, melting ice sheets, and flash floods. Many of these impacts are irreversible, making it imperative to act swiftly to restore the planet's health. Adopting sustainable practices ensures the judicious use of resources, creating a livable environment for future generations.

Steps Toward Sustainability: Each individual can contribute to a more sustainable world by making small lifestyle changes. Actions such as conserving energy, reducing meat consumption, using reusable materials, switching to renewable energy, growing one's own food, recycling, and conserving water all help reduce environmental footprints. A critical component of this movement is sustainable agriculture.

The Role of Agriculture in Sustainability: Sustainable agriculture encompasses various practices designed to enhance resource use efficiency, maintain soil and water health, and support biodiversity. It integrates ecological, economic, and social pillars to create a balanced system. This approach involves farmers, food processors, distributors, retailers, consumers, and waste managers, emphasizing resource optimization and technology use without compromising soil quality or safety.

Practices and Benefits of Sustainable Agriculture: Sustainable farming employs diverse techniques such as

permaculture, crop rotation, hydroponics, agroforestry, natural pest control, and manual weed management. These methods collectively ensure the effective use of resources, protection of public health, environmental preservation, and economic profitability.

Key Advantages of Sustainable Farming:

1. Efficient utilization of non-renewable resources.
2. Enhanced public health through environmentally safe practices.
3. Promotion of social equity and economic development.
4. Long-term profitability for farmers and businesses.
5. Preservation of ecosystems and biodiversity.

By adopting sustainable farming practices, societies can ensure economic growth, environmental conservation, and a healthier future for the planet.

Chhattisgarh's economy and its development across various sectors form the foundation for generating financial resources, which the state government can then mobilize and allocate towards socio-economic development. Given the critical role of the state's economy, it's essential to periodically review its performance, identify growth opportunities, and address constraints that hinder progress. The State Finance Commission is responsible for recommending financial devolution from the state government to local bodies, taking into account the state's economic performance and potential growth areas. This review helps prioritize development initiatives for the state. Agricultural growth is vital for the overall economic development of Chhattisgarh. Despite some areas experiencing progress, agriculture in the state remains relatively underdeveloped. A significant portion of the workforce, about 80%, relies on agriculture for their livelihood. The total cultivable area constitutes 35.5% of the state's geographical area, with paddy being the predominant crop, covering 80% of the total cropped area. However, only 21% of the state's agricultural land has access to assured irrigation, leaving the majority dependent on monsoon rains.

Agriculture in Chhattisgarh is characterized by instability in growth rates, largely due to weather-induced fluctuations. The Green Revolution, which began in the mid-1960s, largely

Conclusion: The total geographical area of the state is approximately 13,790 thousand hectares. The largest portion of this land is covered by forests, accounting for 45.95%, followed by the net sown area at 34.06%. Other categories include land not available for cultivation (7.39%), other cultivated land excluding wasteland (2.57%), current fallow land (1.83%), and land other than current fallow

(1.99%). Permanent pastures and grazing lands cover 6.20%, while miscellaneous tree crops and groves make up a mere 0.01%. The area sown more than once accounts for 7.07%, and land under culturable fallow and unculturable uses stands at 8.78%.

Between 2000-01 and 2010-11, the gross cropped area increased by 41.13%. The most significant changes were seen in current fallow land, which grew by 15.06%, followed by gross cropped area (6.48%), land not available for cultivation (0.59%), forest area (0.52%), and permanent pastures and grazing land (0.23%). Conversely, land under miscellaneous tree crops and cultivable wasteland decreased dramatically by 99.70%, while land under current fallow declined by 9.64%, and the net sown area shrank by 1.39%. The cropping intensity in Chhattisgarh increased by 9% in 2010-11, mainly due to the 72.87% rise in double-cropped areas.

References :-

1. Khan, M.F. (1996), "Sustainability of modern agro-ecosystem: A case study of the upper Ganga-Yamuna Doab", The Geographer, Vol. XLIII, No. 1.
2. Kindleberger, P. Charles and Herrick Bmce (1977), Economic Development, London: McGraw Hill, Kogakusha Ltd.
3. Krishan G. (1993), Development: Concept and Approaches, Commonwealth Secretariat, Chandigarh.
4. Krishan, G. (1980), "Development Social Development and Geography", R.B. Mandal and V.N.P. Sinha eds. Recent Trends and Concepts in Geography, Concept, New Delhi: 159-166.
5. Krishan, G. (1980), in Noor Mohammad (ed.) "The Concept of Agricultural Development", Perspectives in Agricultural Geography, Concept, New Delhi, 4: 77-85. 183
6. Krishan, G. (1986), "On Incongruity Between Economic and Social Development : A Case Study of the Indian Punjab", Asian Profile, 14: 149-153.
7. Krishan, G. (1988), "The World Pattern of Administrative Area Reform", The Geographical Journal, 154 : 93-99.
8. Krishan, G. (1989), "Trend in Regional Disparities in India", Asian Profile, 17: 243-261.
9. Krishan, G. (1989), "Trends in regional disparities in India", Asian Profde, 17, 3,243-261.
10. Krishan, G. (1992), in Noor Mohamad (ed.) "Dynamics of Agricultural Development", Concepts International Series in Geography, Vol. 7, pp. 29-36.
11. Krishan, Gopal (1993), Issues Influencing Development Commonwealth Secretariat, Chandigarh.

केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के समायोजन के स्तर का लिंग तथा विषय वर्ग के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. जे. एस. भारद्वाज* संदीप कुमार** डॉ. अंशु शर्मा***

* आचार्य, पूर्व संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय एवम् विभागाध्यक्ष (शिक्षा) चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत

** शोध छात्र (शिक्षा) चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत

*** सह आचार्य (शिक्षा) आई.ई.टी. इंस्टिट्यूट, अबुपुर, मोदी नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – इस शोध कार्य का उद्देश्य केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन के स्तर का लिंग तथा विषय वर्ग के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करना है। इस हेतु 400 विद्यार्थियों का चयन रैंडम सेम्पलिंग तकनीक के माध्यम से किया गया है। समायोजन के स्तर के मापन के लिए प्रो0 वी0 के0 मितल द्वारा निर्मित समायोजन अनुसूची का प्रयोग किया गया है। इस अनुसूची के प्रयोग से विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का मापन किया है। प्रस्तुत समायोजन अनुसूची चार भागों में विभक्त की गयी है। इस प्रकार विद्यार्थियों के समायोजन के स्तर को मापने के लिए प्रमापीकृत शोध उपकरण प्रयोग में लाया गया है। आकड़ों के विश्लेषण के लिए मध्यमान मानक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात तकनीक को प्रयुक्त किया गया है। शोध निष्कर्ष से ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन के स्तर में सार्थक अंतर पाया गया है। परन्तु लिंग के आधार पर विभक्त आकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के समायोजन के स्तर में सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।

शब्द कुंजी – समायोजन केन्द्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों।

प्रस्तावना – विद्यालय सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में बालक को शिक्षा देते हैं, जिसमें वह अपने व्यवहार संरचना व अभिवृत्तियों को अपने दृष्टिकोण के अनुकूल संगठित कर सकता है, जो उसके सामाजिक समूह और स्वयं के लिये संतोषजनक है। वर्तमान समय में सामाजिक जटिलताओं को सीखने हेतु समुदाय सामाजिक संस्थानों में शिक्षा की व्यवस्था करता है। लेकिन इनका सम्बन्ध अधिकतर विद्यार्थी की शैक्षिक और वास्तविक आवश्यकताओं से नहीं होता है। अपनी आवश्यकताओं के पूर्ण नहीं होने के कारण विद्यार्थी को तनाव महसूस होता है। वर्तमान सामाजिक अनुबन्ध में उनको भविष्य के जीवन के लिये तैयार किया जाता है। जिससे वह अपने को सन्तोषजनक रूप में समाज व स्कूल में समायोजित कर सके। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार, प्राणी विशेष कर परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को एक विशेष वातावरण में संतुलित करने की व्यवहारिक प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। वातावरण की बाधाओं एवं समस्याओं के संदर्भ में किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही उसके वातावरण के साथ समायोजन को इंगित करते हैं। समायोजन ही जीवन है अर्थात् समायोजन एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं। ये व्यक्ति के बाह्य और आन्तरिक वातावरण के कारण होती हैं। इन समस्याओं का समाधान हुए बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व में सन्तुलन नहीं रह पाता। परिणामस्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की कुण्ठाएं, भय, तनाव, दृढता आदि उत्पन्न होने लगते हैं। इन सबसे बचने के लिए व्यक्ति को विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। इन प्रयत्नों को ही समायोजन कहा जाता है।

समायोजन की अवधारणा मानव जाति के समान प्राचीन है। इन अवधारणाओं की व्याख्या करने का कार्य डार्विन से आरम्भ होता है। जैव-वैज्ञानिक डार्विन के अनुसार समायोजन एक जैविक कार्य प्रणाली थी, जिसके अन्तर्गत मनुष्य स्वयं को वातावरण के खतरों को समझते हुए स्वयं को अनुकूलित कर परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करता था। मनुष्य स्वभाव से ही अनुकूलित प्राणी है, वह परिस्थिति के बदलने के साथ-साथ संघर्ष कर स्वयं को अनुकूलित करता था।

विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी अपने परिवार, माता-पिता, मित्र मण्डली, वातावरण एवं विद्यालयों के शिक्षकों आदि अनेक घटकों से समायोजन करना सीखते हैं। विद्यार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर उनके समायोजन को स्तर को प्रभावित करता है। पारिवारिक वातावरण उनके संवेगात्मक समायोजन एवं विद्यालय वातावरण शैक्षिक समायोजन को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों के असमायोजित होने पर विद्यार्थी अनेक मानसिक व्यावधानों से प्रभावित होते हैं, जिस कारण विद्यार्थी तनाव दबाव, कुण्ठा आदि बीमारीयों से ग्रसित हो जाते हैं। अनेक शोध अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन के मध्य सकारात्मक सहसम्बन्ध पाया जाता है। **लैण्डिस तथा बॉल्स के अनुसार**, 'समायोजन का अर्थ है नित्य प्रति के जीवन के मतभेदों, अन्तर्द्वन्द्वों और निर्णयों को व्यवस्थित, क्रमबद्ध और एकरस बना लेना अथवा अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए व्यवहारिक तत्वों में नियमन या व्यवस्थापन कर लेना।' **बोरिंग, लैगफील्ड एवं वेल्ड**, के अनुसार 'समायोजन वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली

परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। **कोलमन (1924)**, 'समायोजन एक सतत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मानव अनेक व्यवहारों को प्रस्तुत करता है, तथा साथ ही साथ पर्यावरण में पूर्ण सामंजस्य संबंधों का निर्माण करता है।' **हेनरी सी० स्मिथ (1998)**, के अनुसार, 'अच्छे समायोजन से तात्पर्य है, जो कि यथार्थ पर आधारित हो तथा संतोष देने वाला हो। कम से कम वह भविष्य में व्यक्ति की कुण्ठाओं, तनावों एवं दुश्चिन्ताओं को कम कर सके, जिसका होना अनिवार्य हो।' अच्छे समायोजन के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:

1. माता-पिता को बच्चों के प्रति सहानुभूति और वात्सल्यपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए।
2. माता-पिता घर पर स्वस्थ वातावरण प्रदान करें तथा वे स्वयं भी आदर्श के रूप प्रस्तुत करने का प्रयत्न करें।
3. बच्चों को न तो अधिक सुरक्षा प्रदान की जाये और न ही उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो।
4. माता-पिता अपने बच्चों के शिक्षकों से भी मिलते रहें, और उनकी समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श करें।
5. शिक्षक का कार्य मात्र शिक्षण करना ही नहीं होता है, उसे चाहिये कि वह स्कूल में स्वस्थ वातावरण भी पैदा करें।
6. स्कूल का वातावरण पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए जिसमें छात्र प्रश्न पूछ सकें तथा पूर्ण रूप से आत्म-अभिव्यक्ति कर सकें।
7. अध्यापक छात्रों की ओर व्यक्तिगत ध्यान दें और शिक्षा को बाल केन्द्रित शिक्षा बनाये। विद्यालयों को घरों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिये।

शोध साहित्य की समीक्षा

लैंज, सुनीता (1986), चौरसिया (1993), उपाध्याय (2000), गुप्ता कल्पना (2000), शर्मा (2003), महला (2004), फादरहुड (2005), सबरवाल (2011), मेहता एवं खन्ना (2015), रानी (2017), तिवारी (2018), शर्मिला एवं सालोमन (2020) ने समायोजन से सम्बन्धित शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शोध अध्ययन किए। चौधरी (1990), अरोड़ा (1998), शिवकांत (1991), शर्मा (1993), त्यागी (1994), ने शैक्षिक आकांक्षा से सम्बन्धित शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शोध अध्ययन किये तथा वेद प्रकाश (1994), सिंह एवं वर्मा (1995), चौहान (1995), मावी (1997) थिलका एवं जौकात (2002), सैनी (2004), जोशी (2008), भारद्वाज व शर्मा (2012), वी० ठाकुर (2014), प्रकाश एवं हुड्डा (2018), चतुर्वेदी (2021), अमिनी व अन्य (2023) ने शैक्षिक उपलब्धि, आकांक्षा स्तर तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति व अन्य चरों से सम्बन्धित शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शोध अध्ययन किये।

शोध अध्ययन के उद्देश्य:

1. केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन की तुलना करना।
2. केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के गृह समायोजन की तुलना करना।
3. केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन की तुलना करना।
4. केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवम् संवेगात्मक समायोजन की तुलना करना।

5. केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालय समायोजन की तुलना करना।
6. केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के समायोजन के समस्त आयामों एवं पृथक-पृथक आयाम (गृह, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक तथा विद्यालय समायोजन) की तुलना करना।
7. केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के समायोजन के समस्त आयामों एवं पृथक-पृथक आयाम (गृह, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक तथा विद्यालय समायोजन) की तुलना करना।

आंकड़ों का विश्लेषण

परिकल्पना 1.0 केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन के मध्य सार्थक अन्तर नहीं है। अग्रलिखित तालिका के द्वारा केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में अध्ययनरत उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन से सम्बन्धित आंकड़ों के मध्य तुलनात्मक विवरण एवं सांख्यिकीय विश्लेषण का तालिकाकरण किया गया है।

तालिका संख्या 1.0: केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में अध्ययनरत उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन का मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात का तुलनात्मक विवरण

चर	विद्यालय	कुल विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	सी.आर. मान	सार्थकता
समायोजन	केन्द्रीय विद्यालय	200	180.23	40.462	2.132	0.05 स्तर पर सार्थक
	नवोदय विद्यालय	200	186.78	46.731		

मध्यमान की प्रमाणिक त्रुटि (केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थी) : 1.724
मध्यमान की प्रमाणिक त्रुटि (नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थी) : 1.023
प्रमाणिक त्रुटि का अन्तर (Standard error of difference) : 0.328
विद्यार्थियों की संख्या : (200+200) = 400

स्वतन्त्रता का अंश (df) : 398

क्रान्तिक अनुपात का गणनात्मक मान : 2.132

तालिका मान : 0.05 स्तर पर 1.96 व 0.01 पर 2.58

उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ है कि, केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समायोजन स्तर पर क्रान्तिक अनुपात का गणनात्मक मान 2.132 प्राप्त हुआ है। क्रान्तिक अनुपात का गणनात्मक मान तालिका मान से सार्थकता के स्तर 0.05 पर अधिक है, परिणामतः दोनों मध्यमानों के मध्य अन्तर सार्थक है। अतः पूर्व निर्धारित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समायोजन स्तर में सार्थक अन्तर पाया गया है। दोनों प्रकार के विद्यालयों के विद्यार्थियों में समायोजन से सम्बन्धित मध्यमानों के मध्य जो अन्तर परिलक्षित हो रहा है वह सार्थक है।

परिकल्पना 2.0 केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के गृह समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अग्रलिखित तालिका के द्वारा केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों के गृह समायोजन आयाम से सम्बन्धित आंकड़ों के मध्य तुलनात्मक विवरण

एवं सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या 2.0: केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के गृह समायोजन के मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात मान का तुलनात्मक विवरण।

चर	विद्यालय	कुल विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	सी.आर. मान	सार्थकता
गृह समायोजन	केन्द्रीय विद्यालय	200	44.62	13.595	2.177	0.05 स्तर पर सार्थक
	नवोदय विद्यालय	200	41.40	15.848		

मध्यमान की प्रमाणिक त्रुटि (केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थी) : 1.301

मध्यमान की प्रमाणिक त्रुटि (नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थी) : 1.041

प्रमाणिक त्रुटि का अन्तर (Standard error of difference) : 0.030

विद्यार्थियों की संख्या : (200+200) = 400

स्वतन्त्रता का अंश (df) : 398

क्रान्तिक अनुपात का गणनात्मक मान : 2.177

टी का तालिका मान : 0.05 स्तर पर 1.96 एवं 0.05 स्तर पर 2.58

उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ है कि, केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों के गृह समायोजन के मध्य क्रान्तिक अनुपात का गणनात्मक मान 2.177 ज्ञात हुआ है। क्रान्तिक अनुपात का गणनात्मक मान, तालिका मान से सार्थकता के 0.05 स्तर पर अधिक है। अतः पूर्व निर्धारित शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है। इसलिए दोनों प्रकार के विद्यालयों के विद्यार्थियों के गृह समायोजन के मध्यमानों के मध्य सार्थक अन्तर है। केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों के गृह समायोजन के स्तर में सार्थक अन्तर पाया गया है।

परिकल्पना 3.0 केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अग्रलिखित तालिका के द्वारा केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन से सम्बन्धित आंकड़ों के मध्य तुलनात्मक विवरण एवं सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या 3.0: केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन के मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात मान का तुलनात्मक विवरण।

चर	विद्यालय	कुल विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	सी.आर. मान	सार्थकता
सामाजिक समायोजन	केन्द्रीय विद्यालय	00	45.51	12.881	1.080	0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है।
	नवोदय विद्यालय	200	46.99	14.429		

मध्यमान की प्रमाणिक त्रुटि (केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थी) : 1.218

मध्यमान की प्रमाणिक त्रुटि (नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी) : 1.031

प्रमाणिक त्रुटि का अन्तर (Standard error of difference) : 0.281

विद्यार्थियों की संख्या : (200+200) = 400

स्वतन्त्रता का अंश (df) : 398

क्रान्तिक अनुपात का गणनात्मक मान : 1.080

तालिका मान : 0.05 स्तर पर 1.96 एवं 0.01 स्तर पर 2.58

उपरोक्त तालिका के सांख्यिकीय विश्लेषण एवं परीक्षण का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन के मध्य क्रान्तिक अनुपात का गणनात्मक मान 1.080 प्राप्त हुआ है तथा क्रान्तिक अनुपात का गणनात्मक मान तालिका मान से सार्थकता के 0.05 स्तर पर कम है।

अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन के स्तर में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है। दोनों विद्यालयों के विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन के मध्यमानों के मध्य जो अन्तर परिलक्षित हुआ है, वह सार्थक नहीं है।

परिकल्पना 4.0 केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवम् संवेगात्मक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अग्रलिखित तालिका के द्वारा केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में अध्ययनरत उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक समायोजन से सम्बन्धित आंकड़ों के मध्य तुलनात्मक विवरण एवं सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या 4.0: केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक समायोजन स्तर का मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात मान का विवरण।

चर	विद्यालय	कुल विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	सी.आर. मान	सार्थकता
स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक समायोजन	केन्द्रीय विद्यालय	200	49.53	11.527	1.151	0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है।
	नवोदय विद्यालय	200	48.00	14.807		

मध्यमान की प्रमाणिक त्रुटि (केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थी) : 1.151

मध्यमान की प्रमाणिक त्रुटि (नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थी) : 1.402

प्रमाणिक त्रुटि का अन्तर (Standard error of difference) : 0.251

विद्यार्थियों की संख्या : (200+200) = 400

स्वतन्त्रता का अंश (df) : 398

क्रान्तिक अनुपात का गणनात्मक मान : 1.151

टी का तालिका मान : 0.05 स्तर पर 1.96

उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ है कि, केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक समायोजन के मध्य सी०आर० का गणनात्मक मान 1.151 प्राप्त हुआ है तथा क्रान्तिक अनुपात का गणनात्मक मान तालिका मान से सार्थकता के 0.01 एवं 0.05 स्तर पर कम है, जो कि सार्थक नहीं है।

अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवम् संवेगात्मक समायोजन के स्तर में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।

परिकल्पना 5.0 केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालय समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अग्रलिखित तालिका के द्वारा केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय समायोजन से सम्बन्धित आंकड़ों के मध्य तुलनात्मक विवरण एवं सांख्यिकीय विश्लेषण का तालिकाकरण किया गया है।

तालिका संख्या 5.0: केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में अध्ययनरत

उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालय समायोजन के मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात मान का तुलनात्मक विवरण

चर	विद्यालय	कुल विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	सी.आर. मान	सार्थकता
विद्यालय समायोजन	केन्द्रीय विद्यालय	00	46.75	11.354	0.886	0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है।
	नवोदय विद्यालय	200	45.49	16.594		

मध्यमान की प्रमाणिक त्रुटि (केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थी) : 1.340
मध्यमान की प्रमाणिक त्रुटि (नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थी) : 1.061
प्रमाणिक त्रुटि का अन्तर ख (Standard error of difference) : 0.376
विद्यार्थियों की संख्या : (200+200) = 400
स्वतन्त्रता का अंश (df) : 398

क्रान्तिक अनुपात का गणनात्मक मान : 0.886

टी का तालिका मान : 0.05 स्तर पर 1.96

उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ है कि, केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय समायोजन के मध्य क्रान्तिक अनुपात का गणनात्मक मूल्य 0.886 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार क्रान्तिक अनुपात का गणनात्मक मान टी के तालिका मान से सार्थकता के 0.05 स्तर पर कम है।

अतः पूर्व निर्धारित शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय समायोजन के स्तर में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है। दोनों वर्गों के विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालय समायोजन से सम्बन्धित मध्यमानों के मध्य जो अन्तर परिलक्षित हो रहा है, वह सार्थक नहीं है। अन्तर के कोई अन्य कारण हो सकते हैं।

परिकल्पना 6.0 केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के समायोजन के समस्त आयामों के योग एवं पृथक-पृथक आयाम (गृह, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक तथा विद्यालय समायोजन) में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अग्रलिखित तालिका में केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं के समायोजन एवं समस्त आयामों (गृह, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक तथा विद्यालय समायोजन) से सम्बन्धित आंकड़ों के मध्य तुलनात्मक विवरण एवं सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या 6.0: केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के स्वास्थ्य एवं समायोजन के समस्त आयामों के योग एवं पृथक-पृथक (गृह, सामाजिक, संवेगात्मक तथा विद्यालय समायोजन) का मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात मान का विवरण।

चर	लिंग	कुल विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	सी.आर. मान	सार्थकता
समायोजन (समस्त आयाम)	छात्र	203	187.85	43.516	2.342	0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है।
	छात्रा	197	180.30	47.650		
गृह समायोजन (पृथक आयाम)	छात्र	203	44.07	14.772	1.468	0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है।
	छात्रा	197	41.90	14.865		

सामाजिक समायोजन (पृथक आयाम)	छात्र	203	46.09	13.285	0.232	सार्थक नहीं है। 0.05 स्तर पर
	छात्रा	197	46.41	14.116		
स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक समायोजन (पृथक आयाम)	छात्र	203	49.96	13.384	1.833	सार्थक नहीं है। 0.05 स्तर पर
	छात्रा	197	47.53	13.097		
विद्यालय समायोजन (पृथक आयाम)	छात्र	203	47.72	13.019	1.636	सार्थक नहीं है। 0.05 स्तर पर
	छात्रा	197	44.47	15.228		

उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ है, कि केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं में समायोजन के समस्त आयामों पर एकत्रित आंकड़ों पर प्राप्त मध्यमानों के मध्य सार्थक अन्तर ज्ञात करने के लिए क्रान्तिक अनुपात मान की गणना की गयी। क्रान्तिक अनुपात का गणनात्मक मान 2.302 प्राप्त हुआ है, जो सार्थकता के स्तर 0.05 पर अधिक है, जो सार्थक है। केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के समायोजन के समस्त आयामों के योग के प्रदत्तों के मध्यमानों के मध्य सार्थक अन्तर प्राप्त हुआ है।

इसी क्रम में शोधकर्ता ने समायोजन के विभिन्न आयामों का पृथक-पृथक अन्वेषण करने के लिए केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं से प्राप्त आंकड़ों से मध्यमानों, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात मान की गणना की है। समायोजन के पृथक-पृथक आयामों में गृह समायोजन, सामाजिक समायोजन, स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक समायोजन तथा विद्यालय समायोजन के लिए प्राप्त मध्यमानों एवं मानक विचलनों पर क्रान्तिक अनुपात का गणनात्मक मान क्रमशः 1.468, 0.232, 1.833 तथा 1.636 प्राप्त हुआ है। क्रान्तिक अनुपात के आयाम के अनुसार पृथक-पृथक गणनात्मक मान का सार्थकता के स्तर 0.05 पर तालिका मान के साथ तुलनात्मक विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है, कि क्रान्तिक अनुपात का गणनात्मक मान समायोजन के प्रत्येक आयाम पर तालिका मान से कम प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है, कि लिंग के आधार पर विभक्त दोनों प्रकार के विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्यमानों के मध्य समायोजन के पृथक-पृथक आयामों में सार्थक अन्तर नहीं है।

अतः निर्धारित परिकल्पना निरस्त की जाती है। परिणाम स्वरूप केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के के समायोजन के समस्त आयामों के मध्य कुल योग के आंकड़ों के मध्य सार्थक अन्तर है, परन्तु पृथक-पृथक आयामों के रूप में समायोजन के आयामों में सार्थक अन्तर नहीं है। जिसका तात्पर्य यह है, कि लिंग के आधार पर विभक्त दोनों प्रकार के विद्यालयों के विद्यार्थियों में समायोजन के समस्त आयामों के कुल योग के आंकड़ों तथा पृथक-पृथक रूप में प्राप्त आंकड़ों के अनुरूप लिंग का समायोजन पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

परिकल्पना 7.0 केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के समायोजन एवं समायोजन के पृथक-पृथक आयामों (गृह, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक तथा विद्यालय समायोजन) में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अबलिखित तालिका में केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के समायोजन एवं समायोजन के पृथक-पृथक आयामों (गृह, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक तथा विद्यालय समायोजन) से सम्बन्धित आंकड़ों के मध्य तुलनात्मक विवरण एवं सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या 7.0: केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के समायोजन के योग एवं पृथक-पृथक आयामों (गृह, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक तथा विद्यालय समायोजन) का मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात मान का विवरण।

घर	विषय	कुल विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	सी.आर. मान	सार्वकता
समायोजन (समस्त आयामों का योग)	कला वर्ग	194	188.84	48.004	2.012	0.05 स्तर पर सार्थक
	विज्ञान वर्ग	206	182.78	44.453		
गृह समायोजन	कला वर्ग	194	42.47	15.004	0.697	0.05 स्तर पर सार्थक नहीं
	विज्ञान वर्ग	206	43.50	14.701		
सामाजिक समायोजन	कला वर्ग	194	46.09	14.061	0.230	0.05 स्तर पर सार्थक नहीं
	विज्ञान वर्ग	206	46.40	13.352		
स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक समायोजन	कला वर्ग	194	48.02	13.519	1.081	0.05 स्तर पर सार्थक नहीं
	विज्ञान वर्ग	206	49.46	13.050		
विद्यालय समायोजन	कला वर्ग	194	45.79	14.018	0.452	0.05 स्तर पर सार्थक नहीं
	विज्ञान वर्ग	206	46.43	14.447		

उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ है, कि केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों में समायोजन (समस्त आयामों) के समेकित आँकड़ों पर प्राप्त मध्यमानों के मध्य सार्थक अन्तर ज्ञात करने के लिए क्रान्तिक अनुपात मान की गणना की गयी। सी०आर० का गणात्मक मान 2.012 प्राप्त हुआ है, जो सार्थकता के स्तर 0.05 पर अधिक है। अतः कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के मध्य समायोजन के समेकित प्रदत्तों के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया है। समायोजन के आयामों पर पृथक-पृथक रूप में क्रान्तिक अनुपात मान क्रमशः 0.697, 0.230, 1.081 तथा 0.452 प्राप्त हुए हैं, जो कि तालिका के मान के स्तर 0.05 पर कम हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के समायोजन के आयाम क्रमशः गृह, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक समायोजन के लिए अन्तर सार्थक नहीं हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि विषय वर्ग के आधार पर विभक्त दोनों प्रकार के विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्यमानों के मध्य समायोजन के पृथक-पृथक आयाम में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।

अतः निर्धारित शून्य उप-परिकल्पना निरस्त की जाती है। परिणाम

स्वरूप केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के समायोजन के समेकित आँकड़ों के मध्यमानों के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया परन्तु समस्त आयामों के पृथक-पृथक रूप में सार्थक अन्तर नहीं है। जिसका तात्पर्य यह है, कि विषय वर्ग के आधार पर विभक्त दोनों प्रकार के विद्यालयों के विद्यार्थियों में समायोजन के पृथक-पृथक आयामों के प्रदत्तों पर प्राप्त मध्यमानों के मध्य सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध निष्कर्ष:

- 1.0 केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के समायोजन स्तर में सार्थक अन्तर है।
- 2.0 केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के गृह समायोजन के स्तर में सार्थक अन्तर है।
- 3.0 केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।
- 4.0 केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।
- 5.0 केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालय समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।
- 6.0 केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के विद्यार्थियों के समायोजन के समस्त आयामों के कुल योग एवम् के प्रदत्तों में सार्थक अन्तर है, परन्तु पृथक-पृथक आयामों के प्रदत्तों पर प्राप्त मध्यमानों के मध्य सार्थक अन्तर नहीं है।
- 7.0 केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के समायोजन के समेकित प्रदत्तों के मध्य अन्तर सार्थक है, परन्तु एवं समस्त आयामों के मध्य पृथक-पृथक रूप में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. उषा, एस.ए. (2001), तनाव और व्यक्तित्व का सामाजिक-मनोवैज्ञानिक अध्ययन, *इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी*, वॉल्यूम-45, 26-29।
2. कौर एच, चावला ए. (2018), किशोरों के बीच शैक्षणिक चिंता और स्कूल समायोजन का एक अध्ययन, *इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्रिक सोशल वर्क*, वॉल्यूम-9(2) 106-101
3. गुप्ता, एम. और गुप्ता, आर. (2011), बालक एवं बालिकाओं का समायोजन एवं शैक्षिक उपलब्धि, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च*, वॉल्यूम-1(1), 29-33.
4. गुप्ता, एस० पी० (2015), अनुसंधान संदर्शिका: सम्प्रत्य, कार्यविधि एवं प्रविधि, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, आईएसबीएन- 978-93-80285-64-1 पेज संख्या 345-362।
5. गहलावत, एम. (2011), हाई स्कूल के छात्रों के बीच उनके लिंग के संबंध में समायोजन का अध्ययन, *अंतर्राष्ट्रीय संदर्भित शोध जर्नल*, वॉल्यूम-3(33), 14-15।
6. चेन, एवस. एट अल., (2005), विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों के

- बीच समायोजन, *होम इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल*, वॉल्यूम- 15(4), 247-255।
7. **चौरसिया, बी० (2018)**, प्रबंधन शिक्षा में अध्ययनरत शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन, *शोध समीक्षा*, वॉल्यूम- 7(9), 1-4.
 8. **जैन, प्रभा और जंडु, कृष्णा, (1998)**, किशोर लड़कियों और लड़कों के स्कूल समायोजन का एक तुलनात्मक अध्ययन, *जे. एडु. रेस. विस्तार*, वॉल्यूम- 35(2), 14-21।
 9. **जोशी (2002)**, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के अध्यापकों के मूल्य, आकांक्षा, शैक्षिक उपलब्धि व समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन, *पी-एच.डी. इन एजुकेशन, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी*, श्रीनगर।
 10. **डेक ए. एस. (2017)**, माध्यमिक विद्यालयों की किशोरियों में समायोजन की समस्याएँ, *मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड में इन्वेटिव रिसर्च के लिए इंटरनेशनल जर्नल*, वॉल्यूम- 3(8), 191-195।
 11. **डेमिर मेलिकसा, उरबर्ग (2004)**, किशोरों के बीच मित्रता और समायोजन, *जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल चाइल्ड साइकोलॉजी*, वॉल्यूम- 88, पृ. 68-82.
 12. **तिवारी, एम. (2018)**, सतना जिले के उच्च माध्यमिक स्तर पर शाला समायोजन का विज्ञान समूह के छात्र और छात्राओं के शिक्षण अधिगम पर पढ़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस रिसर्च*, वॉल्यूम- 4(5), 59-61।
 13. **देव, पी० (2013)**, सहपाठी मित्रों के संबंधों के संबंध में पूर्वस्कूली बच्चों के सामाजिक-भावनात्मक समायोजन स्तरों का एक अध्ययन, *पीएमसी*, वॉल्यूम- 41(5) 1170-1186।
 14. **दत्ता, एम, बाराथा, जी और गोस्वामी, यू (1997)**, किशोरों का स्वास्थ्य समायोजन *इंडस्ट्रीज साइक रेव*, वॉल्यूम- 48(2) 48(3) 84-86।
 15. **नीलम एण्ड भारद्वाज (2023)**, ए कम्पैरेटिव स्टडी ऑफ एडजेस्टमेंट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स, स्टडिंग इन को-एजुकेशन एण्ड गर्ल्स इंस्टीट्यूशन, पीएचडी थीसिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सी०सी०एस० यूनिवर्सिटी, मेरठ।
 16. **परमेश्वरन, ई.जी. (1957)**, प्रारंभिक किशोर लड़कों के एक समूह का सामाजिक समायोजन, *जर्नल ऑफ साइकोलॉजी रिसर्च*, वॉल्यूम- 1(3), 29-45।
 17. **पान्चालिंगप्पा, नगप्पा शाहपुर (2004)**, स्टडी हेबिट्स, फैमिली क्लाइमेट, एडजेस्टमेंट एण्ड एकेडमिक एचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ देवदासिस, *क्रिस्ट इन एजुकेशन*, वॉल्यूम- 28(4)।
 18. **प्लोमिन, रॉबर्ट, डेनियल, डेनिस (2011)**, एक ही परिवार में बच्चे एक दूसरे से इतने अलग क्यों होते हैं? *इंटरनेशनल जर्नल एपिडेमियोल*, वॉल्यूम- 40(3) 563-582।
 19. **भारद्वाज, जे.एस. व भारती, मेघा (2010)**, कम्पैरेटिव स्टडी ऑफ एजुकेशनल ऐसपीरेशन ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन हाई स्कूल इन सी.बी.एस.ई. एण्ड यू.पी. बोर्ड, *एम.एड. डेजरेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन*, सी.सी.एस. यूनिवर्सिटी, मेरठ।
 20. **भारद्वाज, जे.एस. व सिंह, बिजेन्द्र (2011)**, सरकारी तथा स्वतंत्रपोषित विद्यालयों के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता व शैक्षिक आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन, *एम.एड. डेजरेशन शिक्षा विभाग*, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
 21. **भारद्वाज, जे.एस. व ज्ञानेश (2011)**, ऐ कम्पैरेटिव स्टडी ऑफ वोकेशनल इन्टरेस्ट ऑफ टेन्थ ग्रेड स्टूडेंट्स विद रिलेशन टू देअर सोसियो इकोनोमिक स्टेटस, *एम.एड. डेजरेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन*, सी.सी.एस. यूनिवर्सिटी, मेरठ।
 22. **भारद्वाज डी०के० व शर्मा एम० (2013)**, उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के शैक्षिक व व्यवसायिक आकांक्षा स्तर, समायोजन एवं शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन, प्रकाशित शोध ग्रन्थ चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, शोध ज्ञानान्तिका, अप्रैल 2013
 23. **मित्तल वी.के. (2008)** मैनुअल फार एडजेस्टमेंट इन्वेन्टरी, मनोविज्ञान केन्द्र नूनिया स्ट्रीट मेरठ कैन्ट।
 24. **मंगदा, एस० (2021)**, 'उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों की सामाजिक समायोजन क्षमता का अध्ययन', *विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतराष्ट्रीय जर्नल*, आई.एस.एस.एन. -2395-6011 ऑनलाइन आई.एस.एस.एन. 2395-602.
 25. **माहेश्वरी, वी० एवं यादव, आर० (2018)**, कॉलेज स्तर की लड़कियों पर योग प्रेक्षा का समायोजन पर प्रभाव, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एण्ड एप्लाइड रिसर्च*, वॉल्यूम- 7(1), 45-52.
 26. **मेहता एवं खन्ना (2015)**, स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की संवेगात्मकता, परिपक्वता एवं समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन, पीएचडी थीसिस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। **रजा, एस. एवं अन्य (2005)**, किशोर बाकिकाओं के समग्र समायोजन का अध्ययन, *रिसर्च लिंक जर्नल*, 19 (iv) (2), 107-110।
 27. **राजू तथा टी० ख्वाजा रहमतुल्ला, (2007)**, 'एडजेस्टमेंट प्रोब्लम्स अमंग स्कूल स्टूडेंट' *जनरल ऑफ दी इंडियन एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी*, वॉल्यूम- 33, पृष्ठ 73-79।
 28. **रानी, आर० (2017)**, अम्बाला मण्डल के सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के समस्याओं का उनके समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, *इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ कॉमर्स एण्ड साइन्स*, वॉल्यूम- 8(1), 22-29.
 29. **रानी, सरला, अंजलि, सुदेश, ऊषा (2023)**, ए स्टडी ऑफ ऐकेडमिक अचीवमेंट ऑफ सैकेण्डरी स्कूल स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू सेल्फ कॉन्सेप्ट, प्रकाशित द्वा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इण्डियन साइकोलॉजी, वॉल्यूम- 11, इश्यू-2, अप्रैल से जून 2023
 30. **रॉय, बी. घोष, एस.एम. (2012)**, प्रारंभिक और दिवंगत किशोर स्कूली छात्रों के बीच समायोजन का पैटर्न, *अंतराष्ट्रीय अनुक्रमित और संदर्भित अनुसंधान जर्नल*, वॉल्यूम- 4(42), 20-21।
 31. **लाजवन्ती (2004)**, एस्पिरेशन एण्ड एडजेस्टमेंट एज एसोसियेटेड विद हियरिंग इम्पेयेरेड एण्ड नॉर्मल चिल्ड्रन, *बिहेविरल साइंटिस्ट*, वॉल्यूम - 5(1), 25-30।
 32. **लामा, एम. (2010)**, कॉलेज फ्रेशमैन का समायोजन लिंग और निवास स्थान का महत्व, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडीज*, वॉल्यूम- 2(1) 142-150।
 33. **लिटिल (2010)**, जोखिमपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले बच्चों को

- निर्णय क्षमता पर अभिभावकों के सहयोग एवम् प्रोत्साहन के प्रभाव का अध्ययन, अप्रकाशित शोध ग्रन्थ।
34. **ललित आर्य, भारद्वाज, जे0एस0 (2016)**, सामाजिक अनुसंधान के तरीके, बुक ओशियन पब्लिकेशन, वाराणसी, पृ0सं0 39-45।
 35. **शकील, एस., और नजीर, एस. (2016)**, दृष्टिबाधित और आंशिक दृष्टि वाले किशोरों के बीच सामाजिक भावनात्मक और शैक्षिक समायोजन, *क्रेस्ट इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल*, वोल्यूम- 5(1), आई.एस.एस.एन. 2278-4497।
 36. **शर्मा, सुनीता (2006)**. विभिन्न संकायों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की आकांक्षा, दुश्चिंता एवं समायोजन के अन्तर एवं प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन, अप्रकाशित शोध ग्रंथ, श्री स्वरूप गोविन्द पारीक स्नाकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, सम्बद्ध राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
 37. **शर्मिला एवं सालोमन (2020)** उच्च माध्यमिक स्तर की कन्याशाला एवं सहशिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन, *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिव्यू एंड रिसर्च इन सोशल साइन्स*, वोल्यूम -8 (3) पेज संख्या 145-152।
 38. **सिंह (2018)**, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर समायोजन के प्रभाव अध्ययन, *चेतना*, वोल्यूम 3 पेज संख्या 195-199।
 39. **सिंह, ए. के. (2012)**, उन्नत सामान्य मनोविज्ञान. प्रकाशन के रूप में दिल्ली, मोतीलाल, बनारसी।
 40. **सिंह, एन. (2016)**, स्कूली छात्रों के सामाजिक समायोजन पर स्कूल के वातावरण के प्रभावों का एक अध्ययन, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च*, वोल्यूम- 1(2), 31-34
 41. **सिंह और ढींगरा (2017)**, कॉलेज जाने वाले प्रथम वर्ष के छात्रों के बीच गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक और भावनात्मक समायोजन, *जी.जे.आर.ए. ग्लोबल जर्नल फॉर रिसर्च एनालिसिस*, वॉल्यूम -6, अंक-3 आई.एस.एस.एन. नंबर 2277-8160।
 42. **सिंह, टी0 (2016)**, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की आत्मसिद्धि एवं समायोजन का विश्लेषण, *इंटरनेशनल जनरल ऑफ रिसर्च इन ह्यूमनटिस एण्ड सोशल साइंस*, वोल्यूम- 4(5).
 43. **सिंह, रितु, पंत, कुशा, वेलेटीना, एल. (2013)**, सीनियर स्कूल किशोरों की सामाजिक और भावनात्मक परिपक्वता पर लिंग, भेद के आधार पर अध्ययन, पंतनगर केस स्टडी, कमला राजा, *छात्र गृह विज्ञान*, 7(प) 1-6.
 44. **सुरेखा (2008)**, 'विद्यार्थियों के समायोजन एवं शैक्षिक उपलब्धि में सम्बन्ध,' एडुट्रेक्स, मार्च, पृष्ठ. 26-31।
 45. **सरकार, एस0 एवं बानिका, एस0 (2017)**, विद्यार्थियों के समायोजन और शैक्षिक उपलब्धि पर एक अध्ययन, *अनुसंधान ग्रन्थालय अंतराष्ट्रीय पात्रिका*, वोल्यूम- 5(6) 659-668।
 46. **हेनरी, विलियम (2005)**, किशोरों का आत्म विश्लेषण और सामाजिक समायोजन, *इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी*, वोल्यूम- 10(387-399)।
 47. **हुसैन, ए., कुमार, ए., और हुसैन, ए. (2008)**, हाई स्कूल के छात्रों के बीच शैक्षणिक तनाव और समायोजन, *जर्नल ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ एप्लाइड साइकोलॉजी*, वोल्यूम- 34, 70-73

Intellectual Property Rights and the Indian Knowledge System: A Strategic Framework for Innovation and Cultural Preservation

Dr. Sapna Kasliwal*

*Assistant Professor (Commerce) SRS Govt. College, Sadarpur, Rajgarh (M.P.) INDIA

Abstract - IPRs are essential for the encouragement of creativity and innovation. India has a rich cultural and intellectual heritage with an immense spectrum of traditional knowledge systems, including medicines, arts, crafts, and literature. Effective promotion and protection of IPR would greatly contribute to the preservation and enhancement of these knowledge systems, as well as further innovation within such systems. The IPR regime in India has definitely strengthened over the years, yet challenges like piracy, counterfeiting, and lack of awareness remain. An in-depth analysis of IPR in India has been included, examining its past, types, and importance, alongside its role of protecting and promoting Indian knowledge systems. The study proceeds to outline the challenges surrounding the implementation of IPR and present some strategic interventions for strengthening IPR's role in innovations and economic advancement. Then, the paper studies some successful IPR cases in India and presents policy suggestions to further improve the system.

Keywords: Intellectual Property Rights, Indian Knowledge Systems, Innovation, Cultural Heritage, Economic Growth, Policy Recommendations.

Introduction - Intellectual Property Rights (IPR) are legal rights granted to creators and inventors to protect their innovations, assuring commercial benefits while preventing unauthorized use. India, with its long history of traditional knowledge in Ayurveda, yoga, and handicrafts, needs to ensure that protection is given under IPR in order to safeguard its riches in the knowledge economy. With globalization and advancement in technology, IPR facilitates the sustenance of long-held traditions and ensures adaptations wherever necessary.

Historical Development of IPR in India: In the concept of Intellectual Property Indian history has not been devoid of recognition. Ancient texts like the Vedas and Puranas underscore the indispensability of recognizing creative and intellectual contributions. The present framework of IPR in India was formed during the times of British colonial rule in the Indian Patent Act of 1856 and the Indian Copyright Act of 1911. In an uninterrupted fashion, since independence, IPR in India has really gone through a lot of reform, especially in view of its obligations to international agreements such as the TRIPS agreement. The National Intellectual Property Rights Policy of 2016 has set the framework for a clearer and organized way of IPR governance in India.

Types of Intellectual Property Rights: The types of intellectual property rights as protected under IPR in India

can be categorized into various classes, each for different forms of intellectual property listed as below.

- i. **Patents:** Protection for inventions and technological advancement.
- ii. **Trademarks:** Protection for brand identity and public recognition.
- iii. **Copyrights:** Protection for literary, artistic, and musical works.
- iv. **Geographical Indications (GI):** Protection of certain products originating from a specific region, namely Darjeeling Tea and Pashmina shawls.
- v. **Trade Secrets:** Protection of business information that is treated as confidential from being disclosed without the consent of the owner.
- vi. **Industrial Designs:** A protection of an aesthetically pleasing look bestowed upon products.

Importance of IPR in Innovation and Economic Development: IPR is central to the role: Intellectual property rights (IPR) have been given importance in nurturing innovation, economic growth. and the protection of the right of creators. Importance of IPR in incubating innovation and other implications for economic growth are discussed below:

- i. **Encouraging Research and Development (R&D) -** IPR provides an enabling environment for R&D by legally protecting inventions, technologies, and creative activities. IPR grants inventors and authors exclusive rights to their

works. This grant of protection encourages research and development since innovators know that no one can copy or profit from their inventions very easily. The guaranteed period of protection permits investors to attract long-term returns from their research investments and encourages ongoing development in areas such as technology, medicine, and agriculture. For example, developing a new drug allows a pharmaceutical company to obtain a patent and a corresponding period of exclusivity. During this period, the company recoups the huge expenses invested in R&D, clinical trials, and regulatory approval, thus motivating further developments in new drug formulations.

ii. Attracting Foreign Direct Investment and Fostering a Competitive Market- Strong IPR systems attract FDI as they guarantee protection of the intellectual assets of the investors. By investing in countries with strong legal infrastructures protecting IPR, foreign corporations from various sectors gear technology transfers alongside knowledge and skills. In India, for example, global tech corporations would prefer to set up operations knowing their patents, trademarks, and trade secrets will be well-protected under the Indian IPR regime. This creates a competitive environment where local firms must innovate to survive, thereby stimulating the economy.

iii. Enhancing Economic Growth Through Entrepreneurship and Start-ups -Entrepreneurs and start-ups can benefit greatly from IPR, which gives them the opportunity to safeguard their innovations, logos, or distinctive business practices. Startups frequently work in highly competitive markets where they must set themselves apart. Entrepreneurs can protect their intellectual property and provide value to the market by obtaining patents, copyrights, and trademarks. Additionally, by enabling them to monetize their intellectual property through licensing agreements or partnerships with larger enterprises, IPR can raise a start-up's market worth. This may hasten their development and growth. An innovative app developed by a tech start-up, for instance, may be licensed to other businesses or incorporated into their business plans, generating a consistent flow of income.

iv. Protecting Indigenous Knowledge and Preventing Biopiracy -IPR is also essential for preserving traditional cultural manifestations and indigenous knowledge. A type of intellectual property rights known as Geographical Indications (GI) protects goods associated with certain geographical areas, such Pashmina Shawls or Darjeeling Tea. GIs make sure that these items, which frequently have distinctive characteristics associated with their area of origin, cannot be abused or fraudulently claimed by organizations outside of their territory. IPR systems can also stop biopiracy, which is the practice of businesses or researchers using biological resources or traditional knowledge without giving credit to the people who created them. Communities can keep control of their cultural heritage and profit from its commercialization by

safeguarding indigenous knowledge using patents, copyrights, and GIs.

v. Providing Financial Incentives to Creators -Offering financial incentives to creators—whether they be authors, artists, inventors, or companies—is one of the main purposes of intellectual property rights. IPR enables innovators to make money off of their intellectual contributions by giving them exclusive rights to their creations, which promotes more innovative and creative endeavors. This system of financial rewards contributes to the upkeep of a thriving and dynamic innovation environment. For example, musicians can license their music for use in movies, ads, or online platforms, and authors can receive royalties from the sale of their books. In a similar vein, companies can use their patents and trademarks to increase income, improve brand recognition, and gain a competitive edge.

vi. Fostering a Culture of Creativity and Knowledge-Sharing - By giving new ideas legal protection, IPR also promotes a culture of innovation and knowledge exchange. IPR enables people and companies to invest time and resources in creating new ideas without worrying about illegal copying because it guarantees innovators exclusive rights. Because they know that their contributions will be legally protected, creators are therefore encouraged to contribute their works. Through licensing agreements, partnerships, and other legal arrangements, the IPR system simultaneously promotes the sharing of knowledge. These systems make it possible for knowledge and inventions to be used and shared more widely, which benefits the general public and propels advancement across a range of industries.

In summary, IPR supports entrepreneurship, protects indigenous knowledge, encourages R&D, draws investments, pays inventors financially, and cultivates a culture of creativity and knowledge exchange, all of which contribute to innovation and economic success. To foster an atmosphere where innovation can flourish and benefit both people and society as a whole, a robust IPR framework is necessary.

The Indian Knowledge System and IPR: Indian traditional knowledge encompasses a variety of fields, such as folk arts, yoga, and Ayurveda. Legal frameworks for the protection and commercialization of these knowledge systems are provided by IPR methods including patents, trademarks, and copyrights:

i. Traditional Medicine: To prevent unapproved patents on indigenous information, the Traditional Information Digital Library (TKDL), which houses over 290,000 formulas of traditional medicines, protects Ayurvedic and Siddha systems. This initiative has successfully prevented several biopiracy attempts by multinational corporations.

ii. Textiles and Handicrafts: Madhubani paintings, Kanchipuram silk, Banarasi sarees, and Channapatna toys are among the crafts that are protected by Geographical

Indication (GI) tags. Over 400 GI tags have been applied to different products in India as of 2023, guaranteeing local people and artisans financial gains while conserving cultural heritage.

iii. Yoga and Spiritual Practices: In order to prevent foreign organizations from claiming exclusive rights to these practices, efforts have been made to catalog more than 1,500 yoga poses in the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL). In international patent challenges, India has successfully defended its traditional knowledge, preventing foreign firms from monopolizing yoga techniques.

iv. Agricultural Products: Several indigenous crops and food products such as Darjeeling Tea, Alphonso Mangoes, and Basmati Rice have been granted GI status, ensuring their authenticity and preventing misappropriation by foreign entities.

v. Tribal Knowledge and Biodiversity - The National Biodiversity Authority and India's Biological Diversity Act, 2002, guarantee the protection of traditional tribal knowledge and genetic resources against biopiracy. Benefit-sharing arrangements are required by these rules for businesses looking to market indigenous genetic resources.

Challenges in IPR Protection in India: Despite improvements in the legal and policy environment, India still confronts a number of serious obstacles to the effective protection of intellectual property rights (IPR). These obstacles prevent IPR from reaching its full potential in promoting economic growth and innovation. The primary obstacles are

i. Piracy and Counterfeiting- Two of the biggest threats to India's IPR protection are piracy and counterfeiting. The widespread availability of counterfeit items, including software, electronics, apparel, and medications, costs companies a lot of money and harms the reputation of well-known brands. This problem is especially prevalent in industries like luxury products, medications, and entertainment (music and movies). Even though India has improved its enforcement systems, piracy is still a major problem since it is so simple to make and transport fake goods, frequently over international borders.

ii. Lack of Awareness -The general lack of understanding, particularly among traditional knowledge holders and local craftspeople, is a significant obstacle to the efficient protection of IPR. This ignorance frequently results in outsiders or big businesses taking advantage of their resources, expertise, and goods, particularly in rural communities. For instance, indigenous information about biodiversity or medicinal methods, traditional crafts, and agricultural goods are frequently utilized without giving credit to their original authors. Without adequate IPR protection, these communities are exposed to infringement, which can result in monetary and cultural losses. To solve this issue and guarantee that indigenous knowledge is appropriately preserved and commercialized, awareness-raising initiatives and educational initiatives are essential.

iii. Legal and Bureaucratic Hurdles - Even though India has a strong IPR legal framework, cumbersome procedures and bureaucratic inefficiencies frequently impede the process of obtaining and implementing IPR protection. The lengthy registration process for patents and trademarks deters firms and innovators, particularly small businesses and individual creators, from pursuing protection. It may be simpler for innovators to defend their intellectual property rights if the legal system is simplified and small enterprises' financial burden is lessened.

iv. Global Competition -India has a lot of trouble keeping its traditional products and knowledge safe in global marketplaces. Geographically distinctive items, like Darjeeling tea or Kancheepuram sarees, have been protected through Geographical Indications (GI), however there are currently insufficient international legal frameworks to stop the unapproved use of Indian traditional knowledge around the world. The problem is that a large portion of India's traditional knowledge and customs are not sufficiently recorded, which makes it challenging to claim intellectual property rights or assert ownership in other countries.

v. Digital and Cybersecurity Concerns -New channels for piracy and trademark and copyright infringement have been made possible by the growth of the internet, digital media, and e-commerce. Unauthorized distribution of software, movies, music, and other digital property is known as digital piracy, and it has grown to be a serious issue. Peer-to-peer file sharing and cloud storage have made it simpler for people and organizations to violate intellectual property rights. The enforcement of intellectual property rights is increasingly threatened by cybersecurity issues in addition to piracy. Trade secrets, patented ideas, and confidential information can be stolen as a result of cyberattacks, hacking, and illegal access to digital assets. Stronger cybersecurity frameworks and more effective online enforcement tools—such as takedown protocols for digitally pirated content and improved collaboration between ISPs, IT firms, and government agencies—are required to solve these problems.

Strategies for Strengthening IPR in India: To enhance the effectiveness of IPR in India, the following measures are recommended:

i. Improving Legal Framework - Strengthening and streamlining IPR registration procedures, accelerating patent approvals, and putting in place more robust legal enforcement tools to shorten litigation times are all examples of improving legal frameworks.

ii. Raising Public Awareness - Educating researchers, startups, and traditional knowledge holders about the advantages of IPR protection and the procedures involved in establishing intellectual property rights through national training programs, workshops, and outreach campaigns.

iii. Encouraging Innovation in Higher Education - In order to promote innovation and entrepreneurship,

universities and research institutions should set up specialized IPR cells, offer financial assistance for patent applications, and include IPR knowledge into their academic courses.

iv. Increasing International Cooperation - Working with international institutions like TRIPS and the World Intellectual Property Organization (WIPO) to guarantee that Indian traditional knowledge is acknowledged and shielded from biopiracy and exploitation.

v. Using Digital Tools - Creating blockchain-based IP registries to monitor intellectual property ownership, licensing, and enforcement with more efficiency, security, and transparency.

vi. Promoting IPR Protection - To promote greater involvement in IPR registration and commercialization, tax breaks, grants, and lower filing costs for startups, MSMEs, and independent producers have been introduced.

vii. Improving IPR Enforcement - To prevent piracy and guarantee compliance, anti-counterfeiting measures should be strengthened, IPR infractions should be punished harsher, and specialized IPR enforcement organizations should be established.

viii. Supporting Indigenous and Traditional Knowledge - Increasing the size of the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL), making it easier for additional goods to register for GI, and making sure that indigenous populations that contribute to India's traditional knowledge base receive just remuneration and benefit sharing.

Case Studies of Successful IPR Implementations in India:

i. Neem and Turmeric Patents: India successfully challenged patents granted on turmeric and neem in the United States, demonstrating the importance of IPR protection for traditional knowledge.

ii. Basmati Rice GI Tag: Legal battles ensured the protection of India's basmati rice brand internationally, preventing unauthorized claims by foreign entities.

iii. Madhubani Paintings: The registration of Madhubani paintings as a GI product has helped artisans receive fair recognition and financial benefits.

iv. Kolhapuri Chappals: GI status for these handcrafted leather sandals has helped artisans gain international market recognition.

v. Darjeeling Tea: As the first GI-tagged product in India,

this has ensured brand authenticity and economic benefits to tea growers.

vi. Khadi Fabric: The use of IPR in branding and certification has provided economic stability to small-scale weavers.

Data and Statistics on IPR in India:

i. Patent Applications: In 2022, India received over 66,440 patent applications, marking a 5.5% increase from the previous year.

ii. Trademark Registrations: More than 250,000 trademarks were registered in 2022, showcasing India's growing brand consciousness.

iii. Copyright Registrations: The Copyright Office of India recorded over 20,000 new copyright registrations in the same year.

iv. Geographical Indications: As of 2023, India has granted over 400 GI tags to products including textiles, handicrafts, and agricultural items.

v. IP Enforcement Cases: The number of IPR infringement cases has risen, with over 8,000 cases reported in 2021, highlighting the need for stronger enforcement mechanisms.

vi. Global IPR Rankings: India ranked 42nd in the Global Innovation Index (GII) 2022, showing improvement in IPR awareness and protection.

Conclusion: India's cultural legacy may be preserved and innovation can be encouraged with the help of intellectual property rights. In addition to promoting economic growth, strengthening India's intellectual property rights will prevent the exploitation of ancient knowledge systems. India can use its intellectual resources to position itself as a world leader in knowledge and innovation by tackling current issues and putting strategic policies into place. Successful case studies also demonstrate how effective IPR regulations can be in safeguarding and promoting traditional knowledge. India's sustained economic and cultural development will be facilitated by a strong IPR environment, international collaboration, and local awareness.

References:-

1. World Intellectual Property Organization (WIPO).
2. Government of India, Intellectual Property India Reports.
3. National Intellectual Property Rights Policy, Ministry of Commerce and Industry.

आदिवासी परिवारों की महिलाओं की आर्थिक-सामाजिक भूमिका

डॉ. राकेश कुमार चौहान*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय, कुशी (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मानव संसाधन का आधा हिस्सा महिलाएँ हैं और वे इस प्रकार देश की आर्थिक सम्पदा के आधे हिस्से की मालिक हैं। यदि मानव संसाधन के इस आधे हिस्से की उपेक्षा की जाए तो देश की प्रगति में रुकावट अवश्यभावी होगी। भारत सरकार ने विकास गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को पहचाना है और उनके लिए कई सकारात्मक कदम उठाये हैं ताकि उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके। सरकार के इन कदमों से महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में प्रत्यक्ष बदलाव दिखाई पड़ने लगा है।

शब्द कुंजी – महिला, मानव संसाधन, आदिवासी महिला।

प्रस्तावना – भारत सरकार ने विकास गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को पहचाना है और उनके लिए कई सकारात्मक कदम उठाये हैं ताकि उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके। सरकार के इन कदमों से महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में प्रत्यक्ष बदलाव दिखाई पड़ने लगा है। वर्ष 1981 में महिलाओं की कार्य सहभागिता जहाँ 19.7 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 25.7 प्रतिशत हो गई है।¹ जब बात आदिवासी वर्ग की होती है, तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस वर्ग के ज्यादातर परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस कारण से परिवार के पालन-पोषण में महिलाओं द्वारा भी आर्थिक कार्य करके महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है।

शोध विषय का चयन – शोध कार्य के लिए मध्यप्रदेश के जनजाति बाहुल्य झाबुआ जिले का चयन किया गया है। झाबुआ जिले की आदिवासी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 'आदिवासी परिवारों की महिलाओं की आर्थिक-सामाजिक भूमिका' विषय एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। ग्रामीण आदिवासी परिवारों की आय एवं रोजगार निर्धारण में महिलाओं का क्या एवं किस प्रकार का योगदान है ? इस महत्वपूर्ण प्रश्न के समाधान एवं विभिन्न संबंधित बिन्दुओं का अध्ययन करने के लिए इस शोध समस्या का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. आदिवासी महिलाओं की आर्थिक-सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करना।
2. रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना।

अध्ययन का महत्व – इस शोध अध्ययन के माध्यम से आदिवासी महिलाओं की आर्थिक-सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके साथ ही रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष उत्पन्न समस्याएँ सामने आ सकेगी, जो आदिवासी महिलाओं विकास की नीति निर्धारकों के लिए पथदर्शक की भूमिका निभाएगा। यह शोध नवीन शोधकर्ताओं के लिए काफी उपयोगी साबित होगा।

अध्ययन का क्षेत्र – शोध कार्य के लिए मध्यप्रदेश के जनजाति बाहुल्य झाबुआ जिले का चयन किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झाबुआ जिले की कुल जनसंख्या 1,025,048 थी।

निर्दर्शन प्रक्रिया

1. अध्ययन का समग्र – इस शोध कार्य के समग्र के रूप में अध्ययन हेतु चयनित झाबुआ जिले की समस्त आदिवासी महिलाओं को शामिल किया गया है।

2. अध्ययन की इकाई – अध्ययन की इकाई के रूप में झाबुआ जिले की समस्त आदिवासी महिलाओं में से कुल 360 महिला उत्तरदाताओं का चयन द्वै निदर्शन पद्धति से किया गया है।

उत्तरदाताओं का चयन – शोध कार्य की पूर्ति के लिए उत्तरदाताओं का चयन शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर **सोद्देश्य प्रतिचयन विधि** से किया गया है। झाबुआ जिले से कुल 360 आदिवासी महिलाओं का चयन **सोद्देश्य प्रतिचयन विधि** से किया गया है।

आँकड़ों का संकलन – इस शोध की पूर्ति के लिए प्राथमिक आँकड़ों एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

आँकड़ों के संकलन के स्रोत – अध्ययन क्षेत्र की आदिवासी महिला उत्तरदाताओं से संकलित किए गए प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण एवं सारणीकरण के बाद में तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए, जिसके आधार पर शोध कार्य की पूर्ति की गई है।

अध्ययन के निष्कर्ष:

1. महिलाओं द्वारा आर्थिक कार्य करने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार लगभग 89 प्रतिशत आदिवासी परिवारों की वयस्क महिलाएँ कार्यशील हैं तथा शेष परिवारों की महिलाएँ या तो कार्यशील नहीं हैं या वयस्क नहीं हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अधिकतर आदिवासी परिवारों की महिलाएँ आर्थिक कार्य करके अपने परिवार के भरण-पोषण में योगदान देती हैं। जिससे उनके परिवार के पालन-पोषण में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। इन परिस्थितियों में आदिवासी परिवारों में महिलाओं की भूमिका का महत्व बढ़ जाता है। अतः आर्थिक दृष्टि से परिवार के भरण-पोषण में महिलाओं की

भूमिका महत्वपूर्ण है।

2. महिलाओं के आर्थिक कार्य के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में प्राप्त समकों के अनुसार लगभग 91 प्रतिशत महिलाएँ कृषि-मजदूरी करके अपने परिवार के पालन पोषण में अपना आर्थिक योगदान देती हैं तथा शेष महिलाएँ अन्य कार्यों जैसे निर्माण कार्य, सब्जी बेचना आदि माध्यम से अपना आर्थिक योगदान देती हैं। इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य में मजदूरी की उपलब्धता तुलनात्मक रूप से अधिक होती है और इसी कारण से ग्रामीण क्षेत्र की अधिकतर महिलाएँ कृषि क्षेत्र में मजदूरी करती हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ महिलाएँ अन्य कार्य जैसे निर्माण कार्य, सब्जी बेचना आदि के द्वारा परिवार के पालन-पोषण में योगदान देती हैं। ज्ञातव्य है कि यदि महिलाओं को अपने गाँव में काम नहीं मिलता है या फिर अपर्याप्त काम मिलता है तो इस स्थिति में वे अपने गाँव के अतिरिक्त दूसरे गाँव में या शहर में भी काम करने जाती हैं।

3. विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतिदिन प्राप्त होने वाली मजदूरी की राशि के संबंध में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कृषि मजदूरी में संलग्न लगभग 82 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिदिन रु. 25-50 मजदूरी की राशि प्राप्त होती है तथा लगभग 17 प्रतिशत महिलाएँ रु. 50-75 प्रतिदिन प्राप्त करती हैं। वहीं दूसरी ओर जो महिलाएँ अन्य कार्यों में संलग्न हैं, उनमें से लगभग 84 प्रतिशत महिलाओं को भी प्रतिदिन रु. 25-50 मजदूरी की राशि प्राप्त होती है। अन्य कार्यों में संलग्न शेष महिलाओं को प्रतिदिन रु. 50-75 मजदूरी की राशि मिलती है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक कार्य करने वाली अधिकांश महिलाओं को मंहगाई के इस दौर में भी बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है, परन्तु परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें विवशता में इतनी कम मजदूरी पर भी काम करना पड़ता है और आवश्यकता होने पर उन्हें अपने गाँव के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी काम करने जाना पड़ता है।

4. विभिन्न व्यावसायिक-संरचना वाले आदिवासी परिवारों की कार्यशील महिलाओं के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार कृषि करने वाले आदिवासी परिवारों की लगभग 94 प्रतिशत महिलाएँ कृषि मजदूरी तथा शेष महिलाएँ अन्य क्षेत्र में कार्य करती हैं। इसी प्रकार से विभिन्न व्यवसाय एवं मजदूरी करने वाले परिवारों की भी अधिकतर महिलाएँ कृषि मजदूरी ही करती हैं। लेकिन नौकरी करने वाले परिवार की महिलाएँ कृषि मजदूरी की बजाय अन्य कार्य करती हैं। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि आदिवासियों की व्यावसायिक-संरचना का रूप चाहे जो भी हो, परन्तु फिर भी उनके परिवार की अधिकतर महिलाएँ कृषि मजदूरी के द्वारा ही परिवार के पालन-पोषण में योगदान देती हैं। इसके अतिरिक्त इन्हीं व्यावसायिक गतिविधियों वाले परिवारों की महिलाएँ अन्य कार्य क्षेत्र में भी संलग्न हैं।

5. महिलाओं को आर्थिक कार्य करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कारक उन्हें प्रभावित करते हैं। इस संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार दोनों तहसीलों की अधिकतर महिलाएँ अपने परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति होने के कारण आर्थिक कार्य करती हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ महिलाएँ अन्य कारकों जैसे मंहगाई बढ़ना, आय कम होना आदि के परिणामस्वरूप भी आर्थिक

कार्य करती हैं। परिवार का बड़ा आकार होना भी इस स्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। स्पष्ट है कि अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं, जो महिलाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि महिलाएँ इन कारकों की उपेक्षा करके कार्य नहीं करती हैं, तो उनके परिवार को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही महिलाएँ आर्थिक कार्य करती हैं।

6. रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है या नहीं। इस संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार आदिवासी परिवारों की लगभग 82 प्रतिशत महिलाओं को उनके रोजगार में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर लगभग 18 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि विभिन्न कार्यों में संलग्न महिलाओं को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परन्तु फिर भी कमजोर पारिवारिक स्थिति, बढ़ती मंहगाई एवं अन्य कारणों से महिलाओं को आर्थिक कार्य करना पड़ता है। इस आधार पर आदिवासियों की आर्थिक स्थिति का कमजोर परिदृश्य सामने आता है कि अनेक समस्याओं के बावजूद भी उन्हें आर्थिक गतिविधियों में लगना पड़ता है।

7. महिलाओं को अपने रोजगार के क्षेत्र में कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ? इस संबंध में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 71 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार में अन्य समस्याओं जैसे लगातार एवं समय पर काम न मिलना आदि का सामना करना पड़ता है। लगभग 23 प्रतिशत महिलाओं को जो मजदूरी दी जाती है, वह अपर्याप्त होती है। वहीं लगभग 6 प्रतिशत महिलाओं के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह है कि जहाँ पर वे कार्य करती हैं, वहाँ पर निर्धारित समय से अधिक काम लिया जाता है। स्पष्ट है कि जो महिलाएँ विभिन्न कार्यों में संलग्न हैं, उनमें से सर्वाधिक महिलाएँ समय पर काम उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशान होती हैं और साथ ही उन्हें लगातार कार्य भी नहीं मिलता है। इस स्थिति में उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर मजदूरी की पर्याप्त राशि न मिलने तथा निर्धारित समय से अधिक काम लेना भी इनकी समस्या है। इस प्रकार आदिवासी महिलाओं को अपने कार्यक्षेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

उपसंहार – अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि आदिवासी महिलाओं को अपने कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए विभिन्न आर्थिक कार्यों को करती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, श्यामधर (1982), वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर (म.प्र.)
2. सिंह, दीपा जैन (2007) भारत में महिलाएँ-सांख्यिकीय प्रोफाइल, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल संस्थान, नई दिल्ली, पृ. 1
3. आहूजा, राम (2005), भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली. पृ. 122

Swami Vivekananda and his Practical Vedanta

Dr. Akhilesh Mani Tripathi*

*Assistant Professor (Political Science) PMCoE, Govt. Autonomous P.G College, Satna (M.P.) INDIA

Abstract - Practical Vedanta is the ethical philosophy on which the entire socio-political philosophy of Swami Vivekananda is based. Out of various branches of the Vedantic philosophy, Vivekananda accepted the Advaita Vedanta, propounded by Shankaracharya, as the most reasonable one. He found only this Advaita Vedanta satisfying the demands of the scientific world¹ and explaining morality in complete sense. However, he found that the Advaita Vedanta, due to its application only on spiritual plane hitherto, had remained in exclusive possession of the spiritual seekers, and its benefits could not extend to the practical life of humanity inspite of the fact that it is the only philosophy that could universally be applied to solve the actual problems of the practical human life.

Keywords: Vedanta, Practical Vedanta, Self –Abnegation.

Introduction - Swami Vivekananda has made a great contribution in respect to the appropriate comprehension of the natural evolution of the Vedanta philosophy. By evolving his own interpretation, Vivekananda not only reconciled the various Vedantic theories which so far have been taken as contradicting each other, but also dissolved the bone of contention among various schools of Vedanta. Vivekananda's propositions with regard to the Vedanta is given in brief as follows:-

1. The Vedanta is a comprehensive philosophical body which contains all theories of dualism, qualified monism and absolute monism as its integral organs.
2. These theories of dualism, qualified- monism and absolute monism are not contradictory, but, as an unfoldment natural necessity of human souls, work like the distinct steps starting from the lowest step of dualism and culminating in the highest step of Advaitism.
3. Thus various schools of Vedanta do not essentially contradict each other, rather they represent the various philosophical steps gradually leading to the final stage of Advaitism.

Swami Vivekananda as an Advaita Vedantist: Swami Vivekananda treated each school of Vedanta as an authentic system of the Vedanta philosophy, and philosophically he is seen firmly standing on Advaitistic School. We find Vivekananda repeatedly appealing to raise the 'mighty banner of Advaita', and also reminding that 'the time has come when this Advaita is to be worked out practically.'² Actually, these utterances made out by Swami Vivekananda are not mere sentimental expressions out of his theological conviction. On the other hand, he found that

from amongst all the schools of Vedanta, it is Advaita Vedanta alone that can reply to the questions put by the modern sciences, and that can equally explain the ground of morality in human life as well. According to Vivekananda, Advaita Vedanta alone deserves to be treated as scientific religion which satisfies the rational as well as ethical demands of the modern minds.

Practical Relevance of the Vedanta: Swami Vivekananda was the first man to notice the practical relevance of the (Advaita) Vedanta; and, emphasizing the need to practice it in public life, he said, "But one defect which lay in the Advaita was its being worked out so long on spiritual plane only, and nowhere else; now the time has come when you have to make it practical."²

Practical Vedanta as a new dispensation: He announced that the Practical Vedanta, as a new 'dispensation', is the call of the present time. "The time has come when this Advaita is to be worked out practically. Let us bring it down from heaven unto earth, this is the present dispensation" He wished that the Vedantic teachings must permeate the world and enter in to each and every pore of society, till they have become the common property of everybody.³ Practical aspect of Vedanta was so much pertinent to Vivekananda as to lead him claim that the Vedanta shall no more be a 'Rahasya', a secret, to live with monks in cave and forests, and that it must come down to the daily, everyday life of the people.⁴ He stated, "It shall be worked out in the Palace of the king, in the cave of the recluse; it shall be worked out in the cottage of the poor, by the beggar in the street, everywhere; anywhere it can be worked out. Therefore do not fear whether you are a woman or a Shudra, for this religion is so great says Lord Krishna, that even a

little of it brings a great amount of good.”⁵

Practical Vedanta as the democratized version of Vedanta: Actually, in his effort to provide a new philosophy of Practical Vedanta, Vivekananda was serving to humanity with the democratized publication of the Vedanta which had been monopolized for centuries in the hands of the priesthood. It was quite a relevant task, because a philosophy, which claimed to be the universal doctrine of freedom and democracy, must itself be democratized at first to ensure its access to everyone.

Vedanta for the removal of privilege in society: Why Vivekananda was motivated to propound the concept of Practical Vedanta is also a relevant question that needs discussion. Vivekananda found that the entire problem of the social world is rooted in the idea of privilege, and the Advaita Vedanta is the only philosophy that provides such an ethics that breaks down all the forms of privileges.⁶ Vivekananda realized that this practical side of Vedantic morality has become much relevant for the modern world, than it ever was, because “this privilege claiming has become tremendously intensified which the extension of knowledge”.⁷ It is this privilege claiming that has promoted selfishness causing the exploitation of others in the capitalist system. He diagnosed the real disease of the materialistic nation, which despite having excess knowledge and power, “makes human beings devils.”⁸ He says,

“Tremendous power is being acquired by the manufacture of machines and other appliances, and privilege is claimed today as it never has been claimed in the history of the world. That is why the Vedanta wants to preach against it, to break down this tyrannizing over the souls of men”⁹

Vedanta as the highest moral philosophy: According to Vivekananda, the Vedanta is the only system which, as an ethical philosophy, teaches to realize the whole sentient and insentient world as your own ‘self’; and, as a religion, provides the path to realize it in practical life. If this truth is once realized that the Brahman, the Self, is one, but is the sometime appearing to us as many, on the relative plane, the whole practice of privilege will disappear along with exploitation, suppression and subjugation as its offsprings;

and true love will grow in the heart. “Then you can’t help treating all with the same kindness as you show towards yourself. This is indeed practical Vedanta.”¹⁰ The practical Vedanta conceives of a man, who ‘must liberate the whole universe before he leaves his body’, because no one “feels happy to taste of a good thing all by oneself”.¹¹ Thus the practical Vedanta, as a moral philosophy, is based on the doctrine of self- abnegation, and asks everyone for its practice. The traditional Vedanta preached men to give up the world to help their own salvation. The practical Vedanta, according to Vivekananda, preaches, “Throw away everything, even your own salvation, and go and help others, you are always talking bold words, but here is practical Vedanta before you, Give up this little life of yours.”¹²

Conclusion: Swami Vivekananda was staunch supporter of the Advaita Vedanta of the Shankaracharya and he attempted to utilize this grand philosophy for the removal of social maladies. He found that unless humanity is trained in spiritual practices it will never be freed from its social sufferings. He firmly believed that if human society has to become a moral one, it will need the philosophy of Advaita Vedanta because it is the only philosophy which is scientific and gives all the answers to the modern mind.

References:-

1. Vivekananda, Swami; Colombo To Almora, Advaita Ashram, Calcutta, 2001, p. 379.
2. Ibid, p. 379.
3. Ibid, p. 379.
4. Ibid, p. 379.
5. Ibid, p. 379.
6. Vivekananda, Swami; The Complete Works, Vol 1, Advaita Ashram, Calcutta, 2009, p.425
7. Ibid, P.425.
8. Ibid, p.425.
9. Ibid, p.425.
10. Vivekananda, Swami; The Complete Works-Vol7, Advaita Ashram, Calcutta, 2009, p. 163.
11. Ibid, p.163.
12. Vivekananda, Swami; op. cit. 01, p. 383.

औद्योगिक रूग्णता की समस्या का अध्ययन

डॉ. प्रतिमा बनर्जी*

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - आधुनिक समय में सुदृढ़ औद्योगिक आधार देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिये आवश्यक है परन्तु विगत वर्षों में औद्योगिक रूग्णता की समस्या गम्भीर होती जा रही है। इस समस्या से न केवल औद्योगिक क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है वरन् सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। कारण यह है कि औद्योगिक रूग्णता से उत्पादन, आय, रोजगार, बैंकिंग एवं बीमा कम्पनियों आदि सभी पर खराब प्रभाव पड़ता है। यह समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था में संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में परिलक्षित हो रही है। कम्पनी (संशोधन) विधेयक 2002 के अनुसार किसी कम्पनी को रूग्ण औद्योगिक कम्पनी तब कहा जायेगा जब विगत लगातार चार वर्षों में से किसी एक या अधिक वर्षों में वित्तीय वर्ष के अन्त में इसकी संचित हानि इसकी नेट वर्थ का 50 प्रतिशत या इससे अधिक हो तथा/ अथवा जो लगातार तीन तिमाहियों तक अपने ऋणदाताओं को अपनी देयताओं का भुगतान करने में असफल रही हो। प्रो० नन्दकर्णी के अनुसार- 'एक निवेशक के लिए वह इकाई रूग्ण है जो लाभांश नहीं देती, एक उद्योगपति के लिए जो लाभ नहीं अर्जित कर रही है और बन्द होने के कगार पर है, एक बैंक की दृष्टि से वह इकाई रूग्ण है जिसने गत वर्ष नगद हानि उठाई हो एवं चालू तथा आने वाले वर्षों में भी उसकी पुनरावृत्ति की सम्भावना हो।'

रूग्णता के लक्षण - औद्योगिक रूग्णता के लक्षण निम्नलिखित हैं:-

1. यदि किसी औद्योगिक इकाई की बिक्री में क्रमशः कमी हो। रूग्ण उपक्रम द्वारा रोकड़ डिस्काउंट में वृद्धि करके, विक्रय में वृद्धि करने के असफल प्रयत्न, उदार-उधार नीति तथा शिथिल वसूली आदि।
2. रोकड़ प्रबंध की समस्याएं हो अर्थात् रोकड़ निर्गमों में स्थिरता किन्तु रोकड़ आगमों में निरन्तर गिरावट हो।
3. पूँजी-ढाँचे के दोष परिलक्षित हो जैसे स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों के मूल्यों में कमी, बाजार के नजरों में उपक्रम के विशुद्ध मूल्यांकन में गिरावट आदि।
4. कार्यशील पूँजी प्रबंध के स्तर में गिरावट हो। व्यवसाय के चालू अनुपातों, शीघ्र अनुपातों में धीरे-धीरे लगातार गिरावट, प्राप्ति में वृद्धि तथा दोषपूर्ण काल-क्रम सूची, माल के स्टॉक में वृद्धि आदि।
5. वैधानिक दायित्वों की पूर्ति में कमी हो अर्थात् निर्बल रोकड़ स्थिति के कारण विभिन्न प्रकार के करों, भविष्य निधि एवं ग्रेज्युटी की कटौतियों, कर्मचारी राज्य बीमा की कटौतियों घोषित लाभांशों एवं ऋणों पर देयमूल्य एवं ब्याज की किश्तों की अदायगी में असमान्य विलम्ब एवं त्रुटि दिखाई दें।
6. बैंक ग्राहक सम्बन्धों में ह्रास हो, जैसे अधिकारियों पर अधिक निर्भरता,

रोकड़ साख के भुगतान में अनियमितताएं आदि।

7. सम्पत्ति-ढाँचे के दोष लक्षित हो जैसे स्थायी सम्पत्ति के उचित रख-रखाव मरम्मत देखरेख आदि की अवहेलना, दोषपूर्ण ह्रास नीति आदि।

रूग्णता के कारण- औद्योगिक रूग्णता के कारण निम्नलिखित हैं:-

1. वर्तमान में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती हुई गलाकाट प्रतिस्पर्धा में मंदी के कारण बिना बिका हुआ माल काफी मात्रा में बचा रह जाता है। इससे उद्योगों को हानि होती है और धीरे-धीरे वे रूग्ण हो जाते हैं।
2. प्रवर्तकों के पास अनुभव का अभाव होना, परियोजनाओं का गलत चयन तथा त्रुटिपूर्ण परियोजना नियोजन आदि जन्मजात रूग्णता को जन्म देते हैं।
3. कई नई औद्योगिक इकाइयाँ अल्प पूँजीकरण का शिकार होती हैं। वित्त अल्पता एवं त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्ध भी औद्योगिक रूग्णता को जन्म देता है।
4. उद्योगों में अकुशल प्रबंधन भी एक बड़ी समस्या है। अप्रशिक्षित प्रबंधन वर्ग, उत्पादन, वित्त, विपणन एवं कर्मचारियों के बारे में जब गलत निर्णय ले लेता है तब एक समृद्धशाली व्यवसाय भी पतन के गर्त में चला जाता है।
5. औद्योगिक रूग्णता का एक कारण तकनीकी तत्व भी है जैसे- अप्रचलित या अनुपयुक्त तकनीक या पुरानी तकनीक।
6. जिन उद्योगों में आयातित कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, यदि वे ऐसे क्षेत्र में स्थापित हो जाती हैं जहाँ परिवहन सुविधाओं का अभाव है तो रूग्णता को बढ़ावा मिलता है।
7. औद्योगिक रूग्णता इस कारण भी उत्पन्न हो जाती है कि बड़ी परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में काफी विलम्ब हो जाता है जिसके कारण साज-सज्जा, मशीन आदि की लागत में काफी वृद्धि हो जाती है और परियोजना की अनुमानित लागत काफी बढ़ जाती है।
8. बहुत से उपक्रम, स्वामियों की स्वार्थपरता एवं तीव्र मतभेदों के कारण भी रूग्ण हो जाते हैं।
9. आयात, निर्यात, औद्योगिक लाइसेन्स, कराधान आदि के बारे में सरकारी नीति अचानक बदल जाने से कोई भी स्वस्थ औद्योगिक इकाई जल्दी ही अस्वस्थ बन सकती है।
10. अनेक बीमार इकाइयों में औद्योगिक सम्बन्धों की दुर्बलता के कारण भी प्रायः तालाबन्दी तथा अन्य विविध प्रकार के संघर्ष पाये जाते हैं जो एक सीमा के बाद संस्था को अवनति के गर्त में ढकेल देते हैं।

11. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले परिवर्तनों के कारण भी औद्योगिक रूग्णता का प्रसार हो सकता है। विगत वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनेक ऐसे परिवर्तन हुए हैं, जैसे – तेल के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि, आयात-निर्यात पर रोक आदि।
12. भारत में औद्योगीकरण के साथ-साथ बिजली, कोयला व तेल की माँग में तीव्रता से वृद्धि हुई है जबकि उनकी पूर्ति में वृद्धि की दर उस अनुपात में नहीं बढ़ सकी है, फलतः शक्ति का संकट बना रहता है जिसके कारण उत्पादन का स्तर गिरने लगता है और उपक्रम को हानि होने लगती है।
13. औद्योगिक क्षेत्र में प्राविधि का विकास व हस्तान्तरण होता रहा है परन्तु कभी कभी नवीन आविष्कार अथवा नवीन खोज कुछ उत्पादनों को अप्रचलित एवं अनुपयुक्त बना देते हैं जिससे उनसे सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयाँ रूग्ण हो जाती हैं।

रूग्णता के परिणाम—औद्योगिक रूग्णता के प्रमुख दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं:—

1. भारत जैसी अर्थव्यवस्था में जहाँ पूँजी जैसे संसाधनों का अभाव है, औद्योगिक इकाइयाँ जब रूग्ण होकर बंद हो जाती हैं तो राष्ट्र को काफी क्षति होती है।
2. औद्योगिक इकाइयों के रूग्ण हो जाने पर बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण की बकाया राशियाँ न प्राप्त होने की स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं जिससे बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को बहुत हानि उठानी पड़ी है।
3. औद्योगिक रूग्णता के कारण जहाँ एक ओर सरकार को राजस्व का घाटा होता है, वही दूसरी ओर सरकार को बड़ी मात्रा में वित्तीय भार उठाना पड़ता है।
4. देश की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से सम्बद्ध श्रम संघ सदैव अस्वस्थ इकाइयों को बंद करने का विरोध करते हैं, इससे बड़े स्तर पर हड़तालें प्रारम्भ हो जाती हैं तथा उनका उत्पादन गिरता जाता है।
5. कई उद्योग, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और उनमें से एक प्रकृति के उद्योग, यदि रूग्ण हो जाते हैं तो निर्भर उद्योगों पर भी विपरीत असर पड़ता है और वे भी रूग्ण हो जाते हैं।
6. जब देश की कई औद्योगिक इकाइयाँ रूग्ण हो जाती हैं तो उनमें लगे हुये यंत्र, उपकरण तथा अन्य साधन बेकार हो जाते हैं। इससे न केवल उन इकाइयों का उत्पादन गिर जाता है अपितु विनियोजित भारी पूँजी के दुष्परिणाम के रूप में लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं।
7. केन्द्र एवं राज्य सरकारों घाटे की अर्थव्यवस्था को झेल रही हैं। ऐसी स्थिति में जब भी औद्योगिक इकाइयाँ रूग्ण हो जाती हैं तो उनमें से श्रमिकों/कर्मचारियों की छँटनी कर दी जाती है और लाखों कार्मिक बेरोजगार हो जाते हैं।

रूग्णता के सुधार हेतु सुझाव—औद्योगिक रूग्णता के सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं:—

1. रूग्ण इकाई को वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायती वित्तीय सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
2. यदि इकाई पुरानी मशीनों के कारण रूग्ण है तो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराकर उनका आधुनिकीकरण किया जा सकता है।
3. यदि इकाई की रूग्णता का कारण कार्यशील पूँजी का अभाव अथवा दोषपूर्ण पूँजी संरचना है तो कम ब्याज दर पर कार्यशील पूँजी की

- व्यवस्था, पुराने बिलों की अदायगी की तिथियों में परिवर्तन और इन ऋणों की ब्याज दरों में कमी आदि उपायों द्वारा उन्हें इस संकट से उबारने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।
4. यदि औद्योगिक रूग्णता किसी विशिष्ट घटक के कारण नहीं बल्कि सामान्य वातावरण के कारण है जो सम्पूर्ण उद्योग में फैली हुई है तो बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अकेले कुछ नहीं कर सकते। ऐसी दशा में सरकारी एजेन्सी के सहयोग से ऐसे पैकेज उपाय, जिनमें रियायती वित्त के साथ करें व उत्पादन शुल्क में छूट आदि भी सम्मिलित हो, लिये जाने चाहिए।
5. चूँकि वित्तीय संस्थानों के साधनों की भी सीमा है, वे सभी रूग्ण इकाइयों को सहायता उपलब्ध नहीं करा सकते। अतः सरकार ने ऐसी वृहद इकाइयों को आयकर आदि में छूट देने की नीति को अपनाया है जो रूग्ण इकाइयों के संविलियन अथवा सम्मिश्रण के तैयार हों, इससे रूग्ण इकाइयों में विनियोजित वित्तीय संस्थानों के धन तथा श्रमिकों के रोजगार की रक्षा सम्भव होती है।
6. यदि किसी इकाई की रूग्णता का कारण कोई विशेष समस्या, यथा—कच्चे माल का अभाव, अनुपयुक्त टेक्नालॉजी, हड़ताल अथवा तालेबन्दी अथवा विद्युत का अभाव है तो ऐसी स्थिति में ये संस्थान सम्बन्धित सरकारी एजेन्सी से मिलकर अपने दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर इन समस्याओं के समाधान का सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।
7. यदि किसी इकाई की रूग्णता का कारण उसका आन्तरिक कुप्रबन्ध हो तो वित्तीय संस्थान बैंक एवं सरकार से सहायता लेकर ऐसी इकाई के प्रबन्ध में परिवर्तन कर सकते हैं। ये संस्थान अस्थाई तौर पर कुछ प्रबंध विशेषज्ञों की सेवाएँ इकाई को उपलब्ध करा सकते हैं।

उपसंहार—औद्योगिक रूग्णता समाज के लिये एक समस्या एवं अभिशाप है। औद्योगिक रूग्णता को केवल आर्थिक समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता क्योंकि अनेक सामाजिक पहलू भी इससे जुड़े हैं। यही कारण है कि सरकार इन उद्योगों को चालू करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास कर रही है। औद्योगिक रूग्णता को नियंत्रित करने और उन्हें विभिन्न प्रकार से सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अनेक विशिष्ट संस्थाएँ भी स्थापित की हैं जैसे—भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण मण्डल आदि। रूग्ण उद्योगों को पुनः कार्य करने योग्य बनाने में व्यापारिक बैंक भी सहयोग करती हैं। रिजर्व बैंक द्वारा रूग्ण इकाइयों के बारे में समय समय पर 'निर्देशक सिद्धान्तों' का प्रतिपादन किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने औद्योगिक अस्वस्थता की समस्या के समाधान हेतु केन्द्र और राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों को स्थायी रूप से यह दायित्व सौंपा है कि वे अपने अपने परिक्षेत्र में आने वाली औद्योगिक इकाइयों की रूग्णता को रोकें और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:—

1. इंडियन बिजनेस इनवायरमेंट—रंजीत पपाचन
2. Essentials of Business Environment -K.Aswathappa
2. बिजनेस इकॉनामिक्स—डॉ. डी.के.दुबे, डॉ. एस.के.मिश्रा
3. व्यावसायिक पर्यावरण—वी.सी.सिंह
4. व्यावसायिक पर्यावरण—डॉ. जे.सी.वाष्णेय, डॉ.एस.सी.जैन
5. प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी, 2023

Impact of Social Media Addiction on the Academic Achievements of B.Ed. Trainees in Government Colleges: An Empirical Analysis Using Independent Sample t-test

Harsha Sharma* Dr. Lubhawani Tripathi** Dr. Harsha Patil***

*Ph.D. Scholar (Education) Kalinga University, Raipur (C.G.) INDIA

** Associate Professor (Education) Kalinga University, Raipur (C.G.) INDIA

*** Associate Professor (Education) Kalinga University, Raipur (C.G.) INDIA

Abstract - Social media has become an integral part of students' lives, offering both benefits and challenges to their academic performance. This study examines the impact of social media addiction on the academic achievements of B.Ed. trainees in government colleges. An independent sample t-test was conducted to compare the academic achievements of trainees with high and low social media addiction. The results revealed a significant negative impact of excessive social media use on students' academic performance. The study highlights the importance of promoting digital literacy and self-regulation among B.Ed. trainees to minimize the adverse effects of social media addiction on academic success.

Keywords: Social Media Addiction, Academic Achievement, B.Ed. Trainees, Government Colleges, Independent Sample t-test, Educational Psychology.

Introduction - Social media has revolutionized communication, information sharing, and learning. However, excessive engagement with social media platforms can lead to addiction, negatively affecting students' academic performance. Social media addiction often results in procrastination, lack of concentration, and reduced study time, which can impact students' achievements in examinations.

For B.Ed. trainees, who are preparing to become future educators, academic success is crucial in shaping their professional development. Government colleges, catering to diverse student backgrounds, are particularly vulnerable to the impact of social media addiction on academic achievement. This study aims to explore the extent to which social media addiction influences the academic achievements of B.Ed. trainees in government colleges by analyzing their performance in examinations.

Review of Literature

1. Social Media Addiction and Academic Performance: Several studies have established a negative relationship between social media addiction and students' academic achievements. Kirschner & Karpinski (2010) reported that excessive social media usage leads to lower GPA scores, as it distracts students from focused study sessions. Junco (2012) found that students who spent more time on social networking sites had lower academic performance due to decreased study time and increased

multitasking.

2. Academic Achievement and Study Habits: Academic achievement is influenced by various factors, including study habits, time management, and motivation. Research by Mathur (2015) highlighted the significance of maintaining structured study routines to enhance academic performance. Students with high social media addiction often struggle with time management, which negatively impacts their learning outcomes.

3. Research Gap: Although numerous studies have investigated social media addiction and academic performance, limited research has focused specifically on B.Ed. trainees in government colleges. This study aims to fill this gap by providing empirical evidence using an independent sample t-test.

Research Methodology

1. Research Design: The study employs a **quantitative research approach**, utilizing an independent sample t-test to compare academic achievements between trainees with high and low social media addiction.

2. Sample and Population: The research was conducted on 200 B.Ed. trainees from government colleges. The sample was divided into two groups:

- i. **High Social Media Addiction (N=100)**
- ii. **Low Social Media Addiction (N=100)**

3. Research Instrument

- i. **Social Media Addiction Scale (SMAS-AKPT)** by Dr.

K. Arunkumar and Dr. T. Premlatha was used to measure social media addiction.

ii. **Academic Achievement** was assessed using the percentage of marks obtained in B.Ed. examinations.

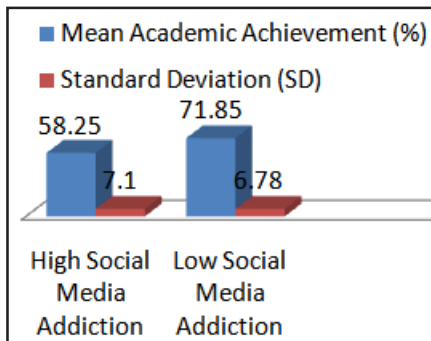
4. **Data Analysis:** An **independent sample t-test** was applied to compare the academic achievements of the two groups. The statistical values are presented in Table 1.1.

Results and Discussion

Statistical Analysis

Table 1.1 (see below)

Interpretation:On the basis of **Table 1.1**, it was observed that social media addiction had a **significant negative impact** on the academic achievements of B.Ed. trainees in government colleges. The mean academic achievement score of students with **high social media addiction (M = 58.25, SD = 7.10)** was significantly lower than those with **low social media addiction (M = 71.85, SD = 6.78)**. The **t-value (5.42, df = 198, p < 0.005)** indicates a statistically significant difference, leading to the **rejection of the null hypothesis**. These findings suggest that excessive social media engagement reduces study time, decreases concentration levels, and ultimately hampers students' academic achievements.



Graph 1.:Impact of Social Media Addiction on the Academic Achievements

Conclusion and Recommendations

Conclusion: The study confirms that **social media addiction significantly impacts the academic achievements** of B.Ed. trainees in government colleges. Students with higher social media addiction demonstrated lower academic performance compared to those with lower social media addiction. This highlights the need for effective interventions to regulate social media usage among students.

Educational Implications:

- For Educators:** Teachers should educate students on time management strategies to balance social media use with academic responsibilities.
- For B.Ed. Trainees:** As future educators, B.Ed. trainees must develop self-discipline to prevent social media addiction from affecting their academic success.
- For Government Colleges:** Institutions should introduce awareness programs on the impact of excessive social media use on academic performance.

Suggestions for Future Research:

- Future studies can extend the sample size to include trainees from private colleges for comparative analysis.
- A longitudinal study can assess the long-term effects of social media addiction on academic achievements.
- Additional factors such as mental well-being and learning styles can be examined to understand their role in the relationship between social media addiction and academic performance.

References:-

- Junco, R. (2012). Too much face and not enough books: The relationship between multiple indices of Facebook use and academic performance. *Computers in Human Behavior*, 28(1), 187-198.
- Kirschner, P. A., & Karpinski, A. C. (2010). Facebook and academic performance. *Computers in Human Behavior*, 26(6), 1237-1245.
- Mathur, C. P. (2015). *Study Habits and Academic Performance: A Psychological Perspective*. Indian Journal of Educational Research.

Table 1.1: Impact of Social Media Addiction on the Academic Achievements of B.Ed. Trainees in Government Colleges (Independent Sample t-test)

Group	N	Mean Academic Achievement (%)	Standard Deviation (SD)	t-value	Degree of Freedom (df)	Significance Level
High Social Media Addiction	100	58.25	7.10	5.42	198	0.005
Low Social Media Addiction	100	71.85	6.78			

Aging with Dignity: A Study on Social Support Systems for the Elderly in Contemporary India

Sonali Goyal*

*Associate Professor (Sociology) Sri Govind Singh Gurjar Govt. College, Nasirabad, Distt. Ajmer (Raj.) INDIA

Abstract - This study examines the efficacy of the official and informal support networks accessible to senior citizens in India's cities and rural areas. As a result of migration, increased urbanisation, and the transition from joint to nuclear families, conventional caregiving patterns have changed significantly. Elderly people, who were traditionally valued and supported by their extended family networks, are now experiencing financial instability, emotional neglect, and difficulties getting access to high-quality healthcare. As India's population ages, maintaining the dignity and active ageing of its senior citizens has become a crucial societal issue.

In five urban and rural areas in Rajasthan and Uttar Pradesh, structured surveys (n = 400) and in-depth interviews (n = 40) were used in this mixed-method study. Social inclusion, healthcare accessibility, financial stability, and emotional support were the four aspects of senior well-being that were investigated. Both descriptive and inferential statistics were applied to the data analysis. A decrease in family support, particularly in metropolitan nuclear families, is suggested by key results to cause psychological distress and feelings of loneliness. Rural seniors, on the other hand, have less access to institutional care and financial assistance, despite receiving comparatively superior emotional support.

Pensions, senior citizen programs, and geriatric services are examples of formal support systems that are still dispersed and poorly advertised, which lowers awareness and utilisation. Women and single people were also shown to be especially at risk. Coordinated policy solutions that integrate community-based care models, improve healthcare infrastructure, and encourage economic empowerment for the elderly are urgently needed, according to the report.

This study emphasises a framework that is centred on dignity and rights, which adds to the expanding conversation on ageing in India. It ends by recommending a triadic support approach that involves government, community, and family partners to guarantee comprehensive care for India's senior population.

Keywords: Aging with Dignity, Elderly Care, Social Support Systems, Geriatric Well-being, Old Age Security, Senior Citizens in India, Family Support, Elder Abuse and Neglect, Active Aging.

Introduction - A steady rise in the senior population, which is expected to reach 19% by 2050, is a defining feature of India's demographic transition (UNFPA, 2023). Under the strains of urbanisation, economic liberalisation, and nuclear family arrangements, the traditional Indian family system—once a strong source of emotional and physical support—has deteriorated (Rajan & Mishra, 2020). Therefore, the likelihood of poverty, marginalisation, and isolation for older people is increasing today (Kumar & Prasad, 2021).

Economic vulnerabilities and a lack of healthcare infrastructure are major issues in rural areas, even though traditional family relationships continue to exist (Ghosh, 2022). In contrast, urban elders are becoming more and more estranged from their children as a result of labour migration, which results in emotional neglect and institutional dependence (Kalavar & Jamuna, 2019). Certain government initiatives, such the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act (2007) and the National

Social Assistance Programme (NSAP), provide some respite, although their execution is still uneven.

The objective of this research is to evaluate critically the social support networks accessible to senior citizens in modern-day India. It looks at formal and informal care arrangements and compares rural and urban settings to see whether older people are ageing with dignity as promised by policy rhetoric.

Research Methodology

Research Design: An in-depth qualitative investigation of lived experiences and a comprehensive quantitative analysis of trends were made possible by the study's descriptive-comparative mixed-method methodology.

Locale of Study: Purposively chosen urban and rural districts from Uttar Pradesh (Lucknow, Varanasi) and Rajasthan (Jaipur, Ajmer) were chosen based on factors such as population density, senior population demographics, and government program accessibility.

Sample Size and Sampling Method:Through stratified random sampling, 400 senior citizens—200 from rural and 200 from metropolitan areas—were chosen for the study. Forty in-depth interviews were also performed, ten from each location.

Tools Used:Sociodemographic information, health, financial situation, emotional support, and service accessibility were all covered in the survey questionnaire.

Interview Schedule: Semi-structured questions about care experiences, perceived dignity, and difficulties encountered. Secondary sources include scholarly research, government publications, and census data.

Data Analysis: SPSS (v.25) was used to analyse quantitative data. To find significant differences, descriptive statistics (mean, frequency) and inferential tests (t-tests, chi-squared) were employed. The qualitative data were subjected to thematic analysis.

Results and Discussion

Table 1: Comparison of Key Support Indicators Between Urban and Rural Elderly

Support Indicator	Urban Elderly(%)	Rural Elderly(%)	p-value
Emotional support from family	42	66	0.001*
Access to pension schemes	53	38	0.021*
Healthcare accessibility	47	32	0.007*
Participation in social activities	35	48	0.056

(*p < 0.05 indicates statistical significance)

As evident from Table 1, emotional support is significantly lower among the urban elderly, aligning with Kalavar and Jamuna's (2019) observation that urban migration disrupts intergenerational care. Access to pension schemes and healthcare is marginally better in urban areas due to proximity to institutions, though rural beneficiaries often struggle with awareness and documentation issues (Ghosh, 2022).

Table 2: Living Arrangement and Satisfaction with Life

Living Arrangement	% of Total Sample	Satisfaction Level (High)	Satisfaction Level (Low)
Joint Family	58	68	32
Nuclear Family	42	41	59

These findings confirm Hypothesis 1: Elderly in nuclear families report lower satisfaction. The joint family structure continues to act as a buffer against emotional and financial vulnerability, despite modern shifts in household formats (Rajan& Mishra, 2020).

Qualitative interviews revealed themes of **loneliness, financial dependency, and invisibility** among the urban elderly. Many expressed concern over being a burden, especially widows and those with chronic illness. In rural areas, while emotional bonding was stronger, economic precarity and lack of geriatric services were pressing issues.

These results echo Sharma and Tripathi's (2021) study which emphasized the dual burden of emotional and economic neglect among India's aging population, calling for holistic eldercare models.

Conclusion: The study reveals a notable discrepancy in the extent and calibre of social support networks for senior citizens in India. While informal caring has been undermined by urbanisation and nuclearisation, institutional support mechanisms are either insufficiently developed or badly executed. The elderly who live alone or in low-income environments are especially affected, as are their access to healthcare, financial stability, and emotional well-being.

India has to embrace an integrated paradigm that encourages community involvement, increases family responsibilities, and modifies state welfare institutions in order to support dignified ageing. Potential remedies include digital pension systems, community care facilities, and doorstep geriatric services. The promotion of senior citizens' mental health and gender inequality must also be addressed by policy.

To create more inclusive eldercare frameworks, future studies should examine how age, gender, caste, and disability connect.

References:-

1. Ghosh, S. (2022). *Geriatric care and aging in rural India: Challenges and prospects*. Indian Journal of Social Work, 83(2), 101–118.
2. Kalavar, J. M., &Jamuna, D. (2019). *Urbanization and eldercare: The shifting Indian family*. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 34(4), 327–342.
3. Kumar, A., & Prasad, R. (2021). *Living arrangements and health outcomes among the elderly in India*. Ageing International, 46(1), 19–37.
4. Rajan, S. I., & Mishra, U. S. (2020). *The elderly in India: Policy perspectives and current realities*. Economic and Political Weekly, 55(9), 15–20.
5. Sharma, M., &Tripathi, R. (2021). *Social exclusion and aging: An emerging concern in Indian society*. Journal of Gerontological Social Work, 64(3), 231–248.
6. UNFPA. (2023). *Caring for Our Elders: Institutional and Policy Framework for Elderly in India*. United Nations Population Fund.

वर्षा जल संचयन हेतु तालाबों की उपयोगिता एवं समस्याएँ

लक्ष्मी फनात*

* (भूगोल) मु.पो. नयागांव, तह. खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – मानव सतही एवं भूजल को आधुनिक तकनीक से मशीनों की सहायता से अधिकाधिक प्रयोग में ला रहा है। इस अतिदोहन का परिणाम यह हुआ कि भूगर्भ में भूजल स्तर भारत सहित विश्व के अधिकांश भागों में नीचे गिरता जा रहा है, तथा उपलब्धता घट रही है। वर्षा जल एक अनमोल नैसर्गिक उपहार है, जो प्रति वर्ष पूरी धरती को बिना भेदभाव के प्राप्त होता है। परन्तु इस जल के समुचित प्रबन्धन के अभाव में यह जल नदी नालों से होकर समुद्र में चला जाता है। जल प्रबन्धन में कमी के कारण भारत के कुछ राज्य जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र आदि गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। वर्षा जल के संचयन के लिए तालाब या पोखर बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ऐतिहासिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही जल संचयन की परम्परा रही है। वर्षा जल के संचयन के लिए सामूहिक प्रयास किया जाता रहा है। विभिन्न उपयुक्त स्थानों पर तालाबों, कुओं, बावड़ियों आदि का निर्माण किया जाता था। इन माध्यमों से वर्षा जल को संचित किया जाता था। इनसे भूजल स्तर में सुधार होता था, ग्रीष्म ऋतु में जल स्रोतों से पर्याप्त पानी मिलता था। मानवीय उपेक्षा, औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिक कृषि प्रणाली एवं जल के कुप्रबन्धन के कारण जल स्रोत मृतप्राय हो गये हैं। कई जल स्रोत कचरे के गड्ढों में तब्दील हो गए हैं, कई पर अवैध कब्जे हो गए हैं, तो कई मिट्टी व गाद से भर गए हैं। इससे उनकी जल ग्रहण क्षमता कम हो गयी है। प्राचीन तालाब, बावड़ी आदि दुर्दशा के शिकार हैं, जो मरम्मत की राह देख रहे हैं। अल्पवृष्टि, सूखा एवं पेयजल संकट हमारे देश में हर वर्ष नागरिकों का जीवन दुष्कर बना देते हैं। ऐसे संकटों का सामना करने के लिए तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों की प्राचीन काल में आवश्यकता थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी आवश्यकता रहेगी। वर्षा जल को संचित करने, जल स्रोतों का पुनर्भरण करने, बाढ़ की समस्या पर नियंत्रण पाने, कृषि में सिंचाई हेतु, घरेलू उपयोग एवं निर्माण कार्य करने, मृदा कटाव को नियंत्रित करने तथा परिस्थिती संतुलन बनाये रखने जैसे कार्यों के लिए तालाबों को संरक्षित एवं नवनिर्माण करने की आवश्यकता है।

प्रस्तावना – वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्! सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्, शशय श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्! भारत की स्वाधीनता पश्चात् 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत इस राष्ट्रगीत की उपर्युक्त पंक्तियाँ स्वाधीनता संग्राम के दौरान मातृभूमि की प्रशंसा में 07 नवम्बर 1876 को बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित हैं। ये पंक्तियाँ भारत की तत्कालीन प्राकृतिक पर्यावरण की सम्पन्नता की साक्षी हैं। स्वाधीनता पश्चात् देश में विकास करना तत्कालीन सरकारों की सबसे बड़ी चुनौती थी। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन, उद्योग, तकनीक, व्यापार, कृषि आदि का बुनियादी स्तर से प्रगति की शुरुआत की गई। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्रतिस्पर्धात्मक रूप से होने लगा। सन् 1966 में प्रारम्भ, हरित क्रान्ति ने कृषि क्षेत्र में भारी परिवर्तन कर उत्पादन में वृद्धि कर दी। कृषि कार्यों, उद्योगों, रेलवे आदि के क्षेत्र में सतही एवं भूगर्भीक जल का दोहन अधिक होने लगा। 21वीं सदी में प्रवेश करने से पूर्व हमारी प्रत्याशा थी कि भविष्य में भारत विकास के साथ पर्यावरण की सम्पन्नता का संरक्षण व संवर्द्धन करेगा, किन्तु हमारी आशाएँ निष्प्रभ हो गयीं। निःसंदेह स्वाधीनता पश्चात् भारत ने शैक्षिक, आर्थिक, औद्योगिक, तकनीक, कृषि आदि क्षेत्र में विकास अवश्य किया, किन्तु विकास के दूसरे पक्ष में उत्तरोत्तर जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों का अनुचित विदोहन, जल, वायु, मृदा, ध्वनि एवं रेडियोएक्टिव प्रदूषण जैसे कुछ ऐसे तत्व हैं, जो विकास के साथ हमें निःशुल्क प्राप्त हुये हैं, और हमें चुनौती दे रहे हैं। इन चुनौतियों में 21 वीं

सदी की सबसे बड़ी चुनौती है : जल संकट। धरती पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। भारतीय वर्षा मानसून पर आधारित है, और यह मानसून अनिश्चितताओं से ग्रसित है। देश के कुछ भागों को छोड़कर थार एवं प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र अनावृष्टि एवं सूखा जैसे जल संकट से जूझते रहते हैं। अभी तक हमारे देश में वर्षा जल को संचित एवं संरक्षित करने एवं इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। एक अनुमान है कि स्थिति में यदि सुधार नहीं किया जाता तो आगामी कुछ दशकों में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।

उद्देश्य :

1. वर्षा जल संचयन हेतु कम लागत वाली तकनीक की आवश्यकता से परिचित होना।
2. जल संकट को कम करने हेतु तालाबों की महत्ता का अध्ययन करना।
3. वर्तमान में तालाबों की हालात से परिचित होना।
4. तालाबों के संरक्षण एवं परिवर्द्धन हेतु सूक्ष्म प्रयास करना।
5. तालाबों के बहुआयामी उपयोगिताओं का अध्ययन करना।

तालाबों की उपयोगिता – जल जीवन का आधार है। जल का प्रमुख स्रोत वर्षा है। वर्षा के इस अनमोल जल के समुचित प्रबन्धन के अभाव में अपने चक्रानुसार समुद्रों में चला जाता है, जबकि विशाल जनसंख्या ग्रीष्म ऋतु में पानी के लिए तरसती है। अतः जल संचयन के लिए आवश्यक है कि वर्षा जल को कुओं, तालाबों, जलाशयों आदि के द्वारा संचित करें तथा विभिन्न

प्रविधियों द्वारा इसे भूमिगत करना अनिवार्य है। वर्षा जल के संचयन और भूमिगत करने की दिशा में तालाबों की अहम उपयोगिता हो सकती है। उपयोगिता को निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा समझा जा सकता है -

(क) प्रत्येक धरातल में निर्माण सम्भव - तालाबों का निर्माण तीव्र ढालयुक्त धरातल को छोड़कर पठारी, मैदानी, रेगिस्तानी, बन्जर आदि भूमि में आसानी से किया जा सकता है। अल्प प्रवणता युक्त भूमि में अपेक्षाकृत छोटे तथा समतल भूमि में बड़े तालाबों का निर्माण किया जा सकता है।

(ख) वर्षा जल संचयन की सस्ती प्रविधि - लघु, मध्यम एवं वृहत् स्तर की जल परियोजनाओं की उपयोगिता एवं लागत अवश्य अधिक होती है, किन्तु इनकी तुलना में तालाब निर्माण की लागत बहुत कम होती है। छोटे एवं बिखरे बस्तियों एवं कृषि क्षेत्रों में जल आपूर्ति हेतु तालाबों की विशेष उपयोगिता है। इन बिखरे लघु जल निकायों से विस्तृत क्षेत्रों में जल सम्भरण में वृद्धि एवं मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है।

(ग) शुष्क कृषि क्षेत्रों में उपयोगी - ऐसे कृषि क्षेत्र जो नहर पहुँच विहीन हों, कुएँ एवं ट्यूबवेल में पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता कम हो, इन क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण कर संचित वर्षा जल से सिंचाई की जा सकती है तथा इस संचित जल के भूगर्भिक रिसाव से भूजल स्तर में वृद्धि होने से भूगर्भिक जल स्रोतों में जल उपलब्धता बढ़ायी जा सकती है। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। सही समय पर वर्षा न होना, कम होना कृषि की आम समस्या है। किसानों को इन संकट की परिस्थितियों में तालाब मददगार हो सकते हैं।

(घ) बाढ़ की समस्या पर नियंत्रण - बाढ़ की समस्या पर नियंत्रण पाने की दिशा में तालाबों की अहम भूमिका हो सकती है। नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों के ऊपरी भागों पर तालाबों में वर्षा जल को रोककर नदियों में बाढ़ की विभीषिका को कम किया जा सकता है।

(ङ) मृदा अपरदन पर नियंत्रण - वनस्पति विहीन और जुताई की गई प्रवण भूमि में वर्षा जल से मृदा अपरदन की मात्रा अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में अपरदन को नियंत्रित करने के हेतु प्रवाही जल को रोकने के लिये तालाबों का निर्माण कारगर हो सकता है। वर्षा जल के साथ बहती मिट्टी को इन तालाबों में रोका जा सकता है।

(च) घरेलू कार्यों में उपयोगी - बस्तियों के निकट बने तालाबों से मानव के घरेलू कार्यों के लिए जल आपूर्ति हो सकती है। तालाबों के जल का उपयोग नहाने, कपड़ों की धुलाई, घरों की सफाई, भवन निर्माण के अतिरिक्त सड़क निर्माण, बागों की सिंचाई आदि के लिए किया जा सकता है। जिन बस्तियों में तालाबों एवं अन्य सतही जल स्रोतों की उपलब्धता नहीं है, वहाँ पेय जल स्रोतों पर ही लोग घरेलू कार्यों के लिए निर्भर रहते हैं, जिससे इन पर जल उपभोग का भार बढ़ जाता है, और जल स्तर निम्न होने की समस्या उत्पन्न होती है।

(छ) विभिन्न प्राणियों के लिए उपयोगी - बस्तियों के समीप या दूर स्थित तालाब पालतू जानवरों एवं वन्य प्राणियों के लिये पेय जल के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तो वन्य प्राणी बस्तियों के समीप तक पानी की तलाश में भटकते हुए पहुँच जाते हैं। इनके अतिरिक्त ये जल स्रोत विभिन्न प्रकार के जीवों एवं कीट पतंगों के पेय जल के आधार होते हैं।

(ज) पर्यावरणीय महत्व - तालाबों में विविध प्रकार के जलीय जीव और वनस्पतियाँ पायी जाती हैं। इनसे मिलकर तालाब का एक जलीय पारितंत्र निर्मित होता है। पर्यावरण में पारिस्थितिकी संतुलन के लिये ऐसे पारितंत्र

महत्वपूर्ण होते हैं। इस दृष्टिकोण से भी तालाबों का विशेष महत्व होता है।

(झ) वैकल्पिक कृषि के लिए उपयोगी - तालाबों का जल एक ओर प्राणियों के जीवन का आधार है, तो वहीं कृषि कार्य में सिंचाई के लिए उपयोगी भी है। इनके अतिरिक्त मत्स्य पालन, बतख पालन, सिंघाड़ा एवं कमल की कृषि के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। तालाबों की मेड़ों पर फूलों व सब्जियों की भी कृषि की जा सकती है। इन मेड़ों पर फलदार वृक्ष लगाकर फलोत्पादन भी किया जा सकता है।

प्रमुख समस्याएँ - हमारे देश में तालाबों की बहुउद्देशीय उपयोगिताओं के बाढ़ भी अधिकांश तालाब विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त हैं। कुछ प्रमुख समस्याएँ इस तरह हैं -

(क) मानवीय उपेक्षा से ग्रस्त - हमारे देश में प्राचीन काल से जल संचयन के लिए बहुउपयोगी ये तालाब अब हमारी उपेक्षा से ग्रस्त हैं। पेयजल, सिंचाई, भवन निर्माण आदि कार्यों के लिए हम नल जल, ट्यूबवेल, व नहरों जैसे साधनों पर निर्भर होते जा रहे हैं। तालाबों का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। हम अपने घरों व खेतों में गहरे गहरे बोर कराकर भूजल का अनियंत्रित विदोहन कर रहे हैं। तालाबों की महत्ता को हम नकार रहे हैं, ये दुर्दशा के शिकार ग्रस्त हैं। इन तालाबों में गाढ़ का जमाव हो चुका है, इनकी मेड़ खराब हैं या इनमें जलकुम्भी आदि जलीय पौधे अनावश्यक अतिक्रमण कर चुके हैं।

(ख) कचरे के गड्ढों के रूप में - वर्तमान में हम प्लास्टिक को अपने जीवन का अनिवार्य साधन बना चुके हैं। अपने अधिकांश छोटे बड़े कार्यों में हम प्लास्टिक का प्रयोग अवश्य करते हैं। हमारे द्वारा उपयोग के पश्चात् यह पॉलिथीन यूँ ही फेंक दिया जाता है। ऐसी पॉलिथीन का ढेर बस्तियों के किनारे तालाबों में हम अवश्य देख सकते हैं। यह दशा अन्य जल स्रोतों की भी है। कचरे के अलावा इन तालाबों पर घरों का गंदा पानी, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का प्रदूषित जल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ मुक्त किया जाता है। इससे तालाबों का जल प्रदूषित होता है, और यहाँ का पारितंत्र संकटग्रस्त हो जाता है।

(ग) अवैध कब्जा - सामान्यतः यह देखा जाता है कि तालाबों की मेड़ों एवं जल भराव क्षेत्रों में अवैध कब्जा कर भवन निर्माण या अन्य दूसरे कार्यों में उपयोग किया जाता है। कई जगहों पर पूरे तालाब को ही नष्ट कर उस भूमि में औद्योगिक इकाई, बस स्टैंड, बाजार, मॉल या संस्थान बना दिये जाते हैं, तो कहीं कृषि हेतु इस भूमि को उपयोग में लाया जाता है।

(घ) जल ग्रहण क्षमता में कमी - वर्षा जल के प्रवाह के साथ हर वर्ष बाहरी मृदा तालाबों या जलाशयों पर आकर गाढ़ के रूप में निक्षेपित होती है। जिससे तालाबों की जल ग्रहण क्षमता कम होते जाती है। यह भी तालाबों की एक प्राकृतिक समस्या है।

(ङ) नये तालाबों के निर्माण में कमी - प्राचीन काल में अनेक राजा तालाब, बावड़ी, कुएँ आदि का निर्माण सार्वजनिक उपयोग हेतु कराते थे, किन्तु हमारे देश में अब प्राचीन काल की तरह तालाबों के निर्माण में ध्यान नहीं दिया जाता है। वहीं सरकारें बड़े बांधों के निर्माण में ज्यादा रुचि दिखाती हैं। सिंचाई व पेयजल के लिये बोरेवेल्स को अधिक महत्व दिया जा रहा है।

सुझाव :

1. तालाबों के नवनिर्माण एवं रखरखाव के लिये समाज, स्थानीय संस्थाओं व सरकार सभी को आगे आना चाहिये।
2. तालाबों के धार्मिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व के बारे में जन

- जागरूकता की आवश्यकता है।
3. तालाबों को प्रदूषण व अवैध कब्जों से मुक्त कराने की आवश्यकता है।
 4. शासन द्वारा तालाब निर्माण के साथ जलीय कृषि को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
 5. जल को राष्ट्रीयकृत संपदा घोषित कर जल एवं जल स्रोतों के दुरुपयोग एवं प्रदूषण पर दण्ड हेतु कानून बनाने एवं लागू करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष - ऐतिहासिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही जल संचयन की परम्परा रही है। वर्षा जल के संचयन के लिये सामूहिक प्रयास किया जाता रहा है। विभिन्न उपयुक्त स्थानों पर तालाबों, कुओं, बावड़ियों आदि का निर्माण किया जाता था। इन माध्यमों से वर्षा जल को संचित किया जाता था। इनसे भूजल स्तर में सुधार होता था, ग्रीष्म ऋतु में जल स्रोतों से पर्याप्त पानी मिलता था। मानवीय उपेक्षा, औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिक कृषि प्रणाली एवं जल के कुप्रबन्धन के कारण जल स्रोत मृतप्राय हो गए हैं। कई जल स्रोत कचरे के गड्ढों में तब्दील हो गए हैं, कई पर अवैध कब्जे हो गए हैं, तो कई मिट्टी व गाद से भर गए हैं। इससे उनकी जल ग्रहण क्षमता कम हो गयी है। प्राचीन तालाब, बावड़ी आदि दुर्दशा के शिकार हैं, जो मरम्मत की राह देख रहे हैं। अल्पवृष्टि, सूखा एवं पेयजल संकट हमारे देश में हर वर्ष नागरिकों का जीवन दुष्कर बना देते हैं। इन तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों की प्राचीन काल में आवश्यकता थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी आवश्यकता रहेगी। वर्षा जल को संचित करने, जल

स्रोतों का पुनर्भरण करने, बाढ़ की समस्या पर नियंत्रण पाने, कृषि में सिंचाई हेतु, घरेलू उपयोग एवं निर्माण कार्य करने, मृदा कटाव को नियंत्रित करने तथा परिस्थिती संतुलन बनाये रखने जैसे कार्यों के लिए तालाबों को संरक्षित एवं नवनिर्माण करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, अंकित, जल, वायु एवं मृदा संरक्षण की चुनौतियाँ, ए. जे. बुक्स गाजियाबाद (उ.प्र.), संस्करण 2016
2. यादव, चन्द्रशेखर, जल और हमारा भविष्य, वंदना पब्लिकेशन नई दिल्ली, संस्करण 2016
3. शर्मा, शिवांशु, पर्यावरण संकट के हल हेतु वैश्विक नीतियाँ, वरुण पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, संस्करण 2016
4. सिंह, डॉ. निशान्त, आपदा प्रबन्धन, राधा पब्लिकेशन्स, दरियागंज नई दिल्ली, पहला संस्करण 2008
5. शुक्ल, प्रो. त्रिभुवन नाथ, प्रधान संपादक, पर्यावरणीय अध्ययन, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, प्रथम संस्करण 2019
6. वर्मा, प्रो. धनंजय, प्रधान संपादक, पर्यावरण चेतना, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, तृतीय संस्करण 2006
7. कृषक दूत पत्रिका, अंक 14, 27 अगस्त से 02 सितम्बर 2019, भोपाल (म.प्र.)
8. <http://m.bharatdiscovery.org>
9. www.drishtiias.com
10. www.hindi.indiawaterportal.org
